छत्तीसगढ़

वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल

वर्षा जल प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण,
प्रचालन और रखरखाव के लिए मानक

संरक्षण | प्रतिधारण | अस्थायी भंडारण | वहन | रखरखाव

प्रारूप संस्करण 1.0

नवंबर 2026

तैयार करने वाली संस्था

Neer.

इस प्रारूप के बारे में

स्थिति. यह *छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* का प्रारूप संस्करण 1.0 है। इसे Neer ने छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रस्तावित वर्षा जल डिजाइन मानक के रूप में तैयार किया है।

अंगीकृत नहीं. यह मैनुअल छत्तीसगढ़ शासन या उसके किसी विभाग, स्थानीय निकाय या एजेंसी द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, यह नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (UADD), आवास एवं पर्यावरण विभाग या उसके संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP), जल संसाधन विभाग (WRD), नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA), रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA), किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या अन्य स्थानीय निकाय, या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है। जहाँ यह किसी निकाय का नाम लेता है, जैसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB), छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (CGSDMA), राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, नगर पालिक निगम रायपुर (RMC), भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) का नगर सेवाएँ विभाग, कोई कोयला या बिजली कंपनी, जैसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), NTPC, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (CSPGCL) या भारत एल्युमिनियम कंपनी (BALCO), कोई जिला प्रशासन, या संघ का कोई निकाय, जैसे केंद्रीय जल आयोग (CWC), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) या खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS), वहाँ यह केवल उस भूमिका का वर्णन करता है जो यह मैनुअल अंगीकृत होने पर उस निकाय की होगी। यह नहीं कहता कि उस निकाय ने वह भूमिका स्वीकार कर ली है या उसके लिए सहमति दी है।

कोई विधिक बल नहीं. जब तक कोई सक्षम प्राधिकारी इसे परिवर्तनों सहित या बिना परिवर्तन के अंगीकार नहीं करता, तब तक इस मैनुअल का कोई विधिक बल नहीं है। यथासंशोधित छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, विकास योजनाएँ, जिनमें नया रायपुर विकास योजना-2031 सम्मिलित है, और उनके अनुमोदन की शर्तें, जल निकासी योजनाएँ, पर्यावरण स्वीकृतियों और खनन योजनाओं की शर्तें, कोयला खान विनियम, 2017, न्यायालयों और अधिकरणों के आदेश और प्रवृत्त अनुमोदन-शर्तें लागू रहेंगी।

नाम. कुछ स्थानों, नदियों और गेजों के अधिनियमों में, स्रोतों में और IMD और CWC के केंद्रों पर एक से अधिक नाम या वर्तनी हैं:

- छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का भाग था, और पुराने स्रोत, जिनमें CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें और IMD की पुरानी तालिकाएँ सम्मिलित हैं, उसके जिलों को "मध्य प्रदेश" के जिलों के रूप में लिखते हैं (CWC की एक रिपोर्ट का एक अनुलग्नक इसे "Madhaya Pradesh" लिखता है)। जिलों का नक्शा भी बदला है: 2012 से पहले रायपुर जिले में आज के बलौदा बाजार (Baloda Bazar) और गरियाबंद सम्मिलित थे, और 1998 से पहले महासमुंद और धमतरी भी; दुर्ग में बालोद और बेमेतरा सम्मिलित थे; 1998 से पहले बिलासपुर में कोरबा और जांजगीर-चांपा सम्मिलित थे, और पेंड्रा रोड 2020 से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में है; 2022 से पहले राजनांदगांव में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सम्मिलित थे, और रायगढ़ में सारंगढ़-बिलाईगढ़; पुराने बस्तर जिले में आज के कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सम्मिलित थे; और सरगुजा (Surguja; Sarguja या Sirguja भी) में बलरामपुर और सूरजपुर, और 1998 से पहले कोरिया भी, सम्मिलित थे। कबीरधाम जिले को कवर्धा (Kawardha) भी कहा जाता है। IMD और CWC के स्रोत, और इस मैनुअल के वर्षा आँकड़े, अपने समय के जिले लेते हैं, और जिस खंड में किसी जिले का नाम है उसे वर्तमान सूची से जाँचना होगा;
- **शिवनाथ** (Seonath) को **Sheonath** और **Shivnath** भी लिखा जाता है, जो राज्य और न्यायालयों के अनेक दस्तावेजों का रूप है; **कटघोरा** (Katghora) को Kathghora या Kathgora लिखा जाता है, **शिवरीनारायण** (Seorinarayan) को Sheorinarayan, **वाड्रफनगर** (Wadrafnagar) को Wardafnagar, **जशपुरनगर** (Jashpur Nagar) को Jashpurnagar, **मनेंद्रगढ़** (Manendragarh) को IMD की तालिकाओं में Mahendragarh, और **मनियारी** (Maniari) को Maniyari।

महानदी पर गंगरेल डैम **रविशंकर सागर** (Ravishankar Sagar; R.S. Sagar) बनाता है, हसदेव पर डैम **मिनीमाता बांगो** (Minimata Bango; Hasdeo Bango) डैम है और उसके नीचे कोरबा में बैराज **दर्री** (हसदेव) बैराज (Darri [Hasdeo] barrage) है, और **मोंगरा** (Mongra) पर शिवनाथ बैराज को WRD की गेज रिपोर्ट में Mogra लिखा जाता है;

- **नवा रायपुर अटल नगर** (Nava Raipur Atal Nagar) नई राजधानी है, जिसे 2008 की अपनी विकास योजना में और अधिकांश स्रोतों में **नया रायपुर** (Naya Raipur), अन्य स्रोतों में नवा रायपुर (Nava Raipur) और 2018 से अटल नगर (Atal Nagar) कहा जाता है। उसका प्राधिकरण, जिसे इस मैनुअल में **NRDA** कहा गया है, अब स्वयं को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran, NRANVP) कहता है। यह छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है: उसकी 23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066 कुछ अपवादों के साथ उस अधिनियम की धारा 69 से 69-ग के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियाँ उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है। NRDA के लिए कोई अलग अधिनियम नहीं मिला;
- जहाँ कोई साझा खंड राज्य के मुख्य शहर या उसके नगर निगम का नाम लेता है, वहाँ यह मैनुअल राजधानी **रायपुर** और **नगर पालिक निगम रायपुर (RMC)** का नाम लेता है। **RDA** रायपुर विकास प्राधिकरण है, जो शहर में और उसके आसपास विकास स्कीमें (development schemes) क्रियान्वित करता है; जिस कानून के अंतर्गत इसका गठन हुआ उसकी इस मैनुअल के लिए पुष्टि नहीं हुई;
- **रायपुर** में लगभग 15 km की दूरी पर IMD की दो वेधशालाएँ हैं: शहर में **रायपुर (वेधशाला)** (42875), जिसके अभिलेख 1901 से हैं, और हवाई अड्डे पर **माना (A)** (11203), जिसे रायपुर (माना) भी कहा जाता है, 1979 से। 4 अगस्त 1910 का 370.3 mm रायपुर (वेधशाला) का अभिलेख है; 30 जून 2007 को रायपुर (वेधशाला) में 297.0 mm और माना (A) में 273.0 mm दर्ज हुई। दुर्ग में भी दो वर्षामापी हैं, दुर्ग और दुर्ग (वेधशाला), जिनके अभिलेख भिन्न हैं (15 जून 2004 को 337.0 mm और 13 अगस्त 2006 को 260.4 mm)। यह मैनुअल प्रत्येक आँकड़े के साथ उस केंद्र का नाम देता है जहाँ से वह आता है;
- **जगदलपुर** में नदी के निशानों की दो प्रणालियाँ हैं, जिन्हें आपस में मिलाया नहीं जाना है। जगदलपुर पर इंद्रावती के CWC बाढ़ पूर्वानुमान स्थल का चेतावनी स्तर 539.49 m (एक परामर्श में 539.50 m) और खतरे का स्तर 540.80 m है, और उसका उच्चतम बाढ़ स्तर, 9 जुलाई 1973 का 544.68 m, 26 सितंबर 2026 को पार हो गया, जब प्रकाशित खबरों के अनुसार नदी 544.891 m पर थी, CWC के आँकड़ों से प्रतिलिपि के अनुसार। समाचार माध्यम नदी की स्थिति एक स्थानीय गेज के सापेक्ष बताते हैं (उसी दिन 12.56 m, "खतरे के निशान से 4.26 मीटर ऊपर" ("4.26 metres above the danger mark"))। यह मैनुअल डिजाइन के लिए CWC के स्तर लेता है और स्थानीय गेज को केवल सतर्कता स्तर मानता है। पढ़े गए किसी स्रोत में किसी भी समूह का डेटम नहीं बताया गया, और स्तर प्रकाशित खबरों के अनुसार उद्धृत हैं [TBC];
- डैमों से छोड़ा गया पानी, छत्तीसगढ़ के स्रोतों में अधिकांश नदी प्रवाहों की तरह, **क्यूसेक** (घन फुट प्रति सेकंड; 1 क्यूसेक = 0.0283 m^3/s) में दिया जाता है। यह मैनुअल उन्हें बताए गए रूप में उद्धृत करता है और जहाँ डिजाइन के लिए आवश्यक हो वहाँ मीट्रिक मान जोड़ता है;
- **छत्तीसगढ़ का मैदान** रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव के आसपास ऊपरी महानदी और शिवनाथ का बेसिन है; **बस्तर पठार** दक्षिण है, इंद्रावती और सबरी पर बस्तर संभाग; और **उत्तरी पहाड़ियाँ** सरगुजा, कोरिया और जशपुर हैं, रिहंद, कन्हार नदी और हसदेव और ब्राह्मणी के उद्गम क्षेत्रों पर। **मैकल पर्वतमाला** पश्चिम में मैदान की सीमा बनाती है। ये नाम क्षेत्रों का वर्णन करते हैं, प्रशासनिक इकाइयों का नहीं, सिवाय जहाँ किसी जिले का वही नाम हो;
- मैदान के किसान ढलान के शिखरों से घाटी-तलों तक मिट्टी के चार वर्ग बताते हैं: **भाठा** (bhata), पतली कंकरीली मिट्टी, प्रायः मुरम या लैटेराइट के ऊपर 30 cm से कम गहरी; **मटासी** (matasi), ऊपरी ढलानों की रेतीली या गादयुक्त दोमट; **डोरसा** (dorsa), निचले ढलानों की चिकनी दोमट; और **कन्हार** (kanhar), सबसे निचली भूमि की गहरी काली चिकनी मिट्टी जो सूखने पर फट जाती है। ये नाम कृषि-विज्ञान के शोध-पत्रों से आते हैं; इस अर्थ में *मटासी*, *डोरसा* या *कन्हार* का कोई शब्दकोश-स्रोत नहीं मिला, और *भाठा* केवल पथरीली भूमि के रूप में दिया गया है। स्थानीय नाम मृदा वर्गीकरण से एक-एक करके मेल नहीं खाते; और
- कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों में **खदान का गड्ढा** (mine void) खुली खदान के खनन से छूटा गड्ढा है, **खदान झील** (pit lake) पानी से भर चुका खदान का गड्ढा, और **ओवरबर्डन डंप** (OB डंप) कोयले तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान और मिट्टी का ढेर। **ऐश पॉन्ड** (ash pond) वह पॉन्ड है जिसमें कोई बिजली घर अपनी फ्लाई ऐश स्लरी के रूप में रखता है, और जिसे

एक **राखड़ बाँध** (ash dyke) रोके रखता है। **SECL** कोल इंडिया की वह अनुषंगी कंपनी है जिसके पास राज्य की अधिकांश कोयला खदानें हैं; **DGMS** कोयला खान विनियम, 2017 के अंतर्गत खान सुरक्षा का विनियमन करता है, जलमग्नता के खतरे सहित।

यह मैनुअल पहला रूप लेता है और अन्य रूप वहाँ रखता है जहाँ कोई शीर्षक, स्रोत या केंद्र उनका प्रयोग करता है। निकायों और कानूनों के कुछ नामों को थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है:

- **छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984** (भूमि विकास नियम, 1984) भूमि विकास के 1984 के वे नियम हैं जो छत्तीसगढ़ को 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले और जिनमें उसने तब से आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचनाओं द्वारा **छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973** की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत कई बार संशोधन किए हैं। मध्य प्रदेश ने अपने 1984 के नियमों के स्थान पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 बनाए, जो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होते। छत्तीसगढ़ के नियमों का कोई समेकित पाठ नहीं मिला; जहाँ यह मैनुअल 1984 के नियमों के उस पाठ पर निर्भर करता है जैसा मध्य प्रदेश ने उन्हें प्रकाशित किया, वहाँ वह यह बताता है;
- **नगर निगम** (नगर पालिक निगम, Nagar Palik Nigam) का गठन छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत होता है, और **नगर पालिका परिषद** (Nagar Palika Parishad; Municipal Council) या **नगर पंचायत** (Nagar Panchayat) का छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत; दोनों छत्तीसगढ़ द्वारा अनुकूलित मध्य प्रदेश के अधिनियम हैं, और उनके छत्तीसगढ़ पाठ इस मैनुअल के लिए पढ़े नहीं गए। तीनों **UADD** के अधीन शहरी स्थानीय निकाय (ULB) हैं। राज्य में 14 नगर निगम हैं, जिनमें से नौ, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर और अंबिकापुर, AMRUT के लिए चुने गए; अन्य पाँच भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, धमतरी और चिरमिरी माने गए हैं [TBC];
- **भिलाई** में जल निकासी की दो व्यवस्थाएँ हैं: भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप, जिसकी ड्रेनें संयंत्र का नगर सेवाएँ (Town Services) विभाग रखता है, और भिलाई और रिसाली नगर निगमों के क्षेत्र। प्रकाशित खबरों के अनुसार जुलाई 2025 में भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए संयंत्र को चेतावनी दी, जिनकी जलकुंभी ने अनुप्रवाह की ओर पुलियाएँ अवरुद्ध कर दी थीं;
- **आवास एवं पर्यावरण विभाग** भूमि विकास नियम जारी करता है, 1973 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विकास योजनाएँ अनुमोदित करता है और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का पर्यवेक्षण करता है; उसका संचालनालय, **T&CP**, विकास योजनाएँ तैयार करता है और विकास अनुमति देता है, और ULB भवन अनुमति देता है। संघ और राज्य के विभागों के, और स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यों के लिए अधिनियम की धारा 27–28 के अंतर्गत T&CP की सहमति आवश्यक है। बिलासपुर के **अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** की 2033 के लिए एक विकास योजना थी, जो 10 फरवरी 2014 को अनुमोदित हुई, किंतु 22 जनवरी 2019 के उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद राज्य ने निर्णय लिया कि उसके क्षेत्र में भूमि बेचने, उस पर निर्माण करने या उसका विकास करने के लिए उसकी अनुमति अब आवश्यक नहीं रही;
- **WRD** (जल संसाधन विभाग) राज्य की नदियों, डैमों, बैराजों और जलाशयों का धारक है, जिनमें गंगरेल, बांगो और कोपरा जलाशय सम्मिलित हैं, और इस मैनुअल में उसे राज्य की भूजल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 एक राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का प्रावधान करता है, पर अधिनियम को प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली;
- आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन **CECB** सीवेज और शोधन संयंत्रों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को रिपोर्ट देता है। **छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण**, जिसका नोडल विभाग वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, प्रकाशित खबरों के अनुसार दिसंबर 2021 में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत पुनर्गठित हुआ; उन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित कोई आर्द्रभूमि नहीं मिली। **CGSDMA** प्रकाशित खबरों के अनुसार 2007 में गठित हुआ; उसकी कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना या शहरी बाढ़ योजना नहीं मिली;
- **निस्तार** (nistar) गाँव की भूमि और तालाबों पर समुदाय का उपयोग-अधिकार है। जिन तालाबों पर गाँव सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करता था वे 6 अप्रैल 1959 को राज्य सरकार में निहित हुए (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और उनके अप्राधिकृत कब्जे के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है; और

- **तहसील** जिले का राजस्व उप-भाग है, एक तहसीलदार के अधीन, जो सार्वजनिक भूमि और तालाबों पर अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई करता है।

कुछ संक्षिप्त रूपों के एक से अधिक अर्थ हैं:

- अध्याय 2 और 3 में AMC पूर्ववर्ती नमी स्थिति (antecedent moisture condition) है; यह मैनुअल इसका प्रयोग किसी नगर निकाय के लिए नहीं करता;
- RMC नगर पालिक निगम रायपुर है, रेडी-मिक्स्ड कंक्रीट नहीं; RDA रायपुर विकास प्राधिकरण है;
- NRDA का प्रयोग नवा रायपुर अटल नगर के प्राधिकरण के लिए उसके पुराने और नए दोनों नामों के अंतर्गत किया गया है;
- HFL किसी गेज पर दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर है, जैसा CWC इसका प्रयोग करता है। यह डिजाइन स्तर नहीं है, और स्रोत कभी-कभी एक ही गेज के लिए अलग-अलग मान देते हैं। जगदलपुर का स्थानीय गेज CWC का स्तर नहीं है। WL और DL CWC के चेतावनी और खतरे के स्तर हैं;
- FRL (जलाशय का पूर्ण जल स्तर) WRD की गेज रिपोर्टों में उसके डैमों और बैराजों का शब्द है; FTL (तालाब का पूर्ण जल स्तर) तालाबों और छोटे तालाबों के लिए प्रयुक्त होता है; MWL किसी जलाशय का अधिकतम जल स्तर है;
- NGT CZ राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ है, जो छत्तीसगढ़ के मामलों की सुनवाई करती है;
- OB कोयला क्षेत्रों में ओवरबर्डन है; और
- SWD वर्षा जल ड्रेन (storm water drain) है।

संदर्भ से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ में प्रयुक्त हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्द, जैसे *तालाब* (talab; वर्षा जल रोकने वाला तालाब या पोखर, जैसे रायपुर का बूढ़ा तालाब), *डबरी* (dabri; खेत या गाँव का खोदा गया छोटा तालाब), *कुंड* (kund; दीवार से घिरा छोटा तालाब), *बाँध* (bandh; तटबंध या डैम, और उससे बना तालाब, जैसे तेलीबांधा), *नाला* (nala; प्राकृतिक ड्रेन या बड़ी वर्षा जल ड्रेन; छत्तीसगढ़ी में *नरवा*, narwa, भी), *नाली* (nali; गली की छोटी ड्रेन), *एनीकट* (anicut; नदी के आर-पार वियर), *निस्तार* (nistar) और मिट्टी के नाम *माठा* (bhata), *मटासी* (matasi), *डोरसा* (dorsa) और *कन्हार* (kanhar), वहीं समझाए गए हैं जहाँ वे पहली बार आते हैं।

सावधानी से उपयोग करें. समीक्षा के बाद खंडों और मानों में परिवर्तन हो सकता है। डिजाइनकर्ता अपने डिजाइन के लिए और अपने द्वारा प्रयुक्त आँकड़ों की जाँच के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। इस प्रारूप के आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए Neer कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता।

हित-प्रकटन. Neer इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas) प्रकाशित करता है, जो मॉडल की गई 1% AEP बाढ़ गहराई का एक राष्ट्रीय मानचित्र है। खंड 6.11.3 में इसका नाम ऐसे क्षेत्रीय मानचित्र के एक उदाहरण के रूप में लिया गया है जिसे कोई अनुमोदन प्राधिकारी फर्श स्तरों के लिए अंगीकार कर सकता है। यह मैनुअल इस एटलस को अनिवार्य नहीं करता; खंड 7.3.4 के अंतर्गत अंगीकृत किसी भी मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है।

सुझाव. सुझावों और सुधारों का info@neer.ai पर स्वागत है।

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ के शहरों में बाढ़ के तीन कारण हैं। रायपुर ने पहला कारण 4 अगस्त 1910 को दिखाया, जब उसकी वेधशाला ने एक दिन में 370.3 mm दर्ज की, जो राष्ट्रीय मानचित्रों के 100-वर्ष के दिन से अधिक है, और वह भी ऐसे शहर पर जिसकी ड्रेनों के लिए आज भी कोई डिजाइन वर्षा घटना प्रकाशित नहीं हुई है; उसने दूसरा कारण जुलाई 2026 के आरंभ में दिखाया, जब प्रकाशित खबरों के अनुसार एक कॉलोनी के पाँच तालाब घरों में उफन पड़े और सीवेज घरों में घुस गया; और कोरबा और जगदलपुर तीसरा कारण दिखाते हैं, जहाँ डैमों से छोड़े गए पानी से ऊँची हुई नदियाँ, राखड़ बाँध और खदान के गड्ढे, और बस्तर में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची इंद्रावती, यह तय करते हैं कि आउटफॉलों पर क्या होता है।

1. **बंगाल की खाड़ी के अवदाब, जो राष्ट्रीय मानचित्रों से अधिक वर्षा के दिन लाते हैं, एक समतल धान के मैदान पर जिसकी चिकनी मिट्टी गीली होते ही बंद हो जाती है, और कोई डिजाइन वर्षा घटना नहीं।** राज्य की सबसे भारी वर्षा बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले और राज्य को पश्चिम की ओर पार करने वाले निम्न दाब क्षेत्रों और अवदाबों से आती है; IMD 1891 से 2014 तक राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफान और अवदाब गिनता है। उनके दिन उन 100-वर्ष के मानों से अधिक हैं जिन्हें CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें राज्य के लिए मानचित्रित करती हैं: 4 अगस्त 1910 को रायपुर (वेधशाला) में 370.3 mm, जबकि मानचित्र पर लगभग 320–360 mm; 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव के एक वर्षामापी पर 392.0 mm, जबकि लगभग 320 mm; 12 अगस्त 2004 को कोरबा में 358.0 mm और 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm, जबकि लगभग 280–320 mm। सितंबर 2026 में ऐसी ही एक प्रणाली के बाद राज्यव्यापी बाढ़ आई: प्रकाशित खबरों के अनुसार आठ लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 16,000 लोगों को बचाया गया और 571 गाँवों में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, गंगरेल के सभी 14 गेट खोले गए, और रायपुर में खारुन महादेव घाट पर उफनी। प्रकाशित खबरों के अनुसार जुलाई 2026 में बिलासपुर में एक दिन में 28 cm वर्षा हुई; एक अन्य रिपोर्ट ने इसे 415.6 mm बताया, और IMD ने दोनों में से किसी की पुष्टि नहीं की। वर्षा हल्के ढलानों (नया रायपुर में 0–5%) वाले ऐसे मैदान पर गिरती है जो मेड़बंद धान के खेतों में बँटा है और जिसमें जगह-जगह तालाब (talab) हैं, और जहाँ निचली भूमि की *कन्हार* (kanhar) मिट्टी, CGWB के अनुसार 40–50% चिकनी मिट्टी, सूखने पर फट जाती है किंतु गीली होने पर उसकी पारगम्यता कम होती है। ऐसी वर्षा घटनाओं के विरुद्ध बनी ड्रेनों का आकार किसी घोषित वर्षा घटना के लिए निर्धारित नहीं किया गया था। 2015 में AMRUT के लिए रायपुर की योजना ने शहर में वर्षा जल ड्रेनों का कवरेज 49%, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें, बताया, सड़क के ऐसे 11 हिस्से दर्ज किए जिनमें वर्ष में दो या तीन बार बाढ़ आती है, और पाया कि "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("Capacity of drain is not sufficient In rainy season most of the drains are overflowed"), और ₹1,191 करोड़ की जल निकासी परियोजना प्रस्तावित की; यह कोई पुनरावृत्ति अवधि, डिजाइन वर्षा या अपवाह गुणांक नहीं बताती। राज्य में मिली एकमात्र स्पष्ट डिजाइन वर्षा घटना 2008 की नया रायपुर विकास योजना-2031 में है: "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system"), केवल नई राजधानी के लिए।
2. **तालाबों के शहर, जिन्होंने उनमें से अधिकांश खो दिए हैं, और नाले जो सीवेज नदियों तक ले जाते हैं।** प्रकाशित खबरों के अनुसार रायपुर में लगभग 130 तालाब थे, जिनमें से 37 से 40 बचे हैं, कुल लगभग 69 ha; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं। उसके नाले शहर की वर्षा के साथ उसका सीवेज भी ले जाते हैं: प्रकाशित खबरों के अनुसार रायपुर का घरेलू सीवेज "आठ बड़ी नहरों के माध्यम से" ("through eight big canals") खारुन से जुड़ा है, और शहर के चंदनीडीह, कारा और निमोरा के नए शोधन संयंत्र नालों पर बने डायवर्जन वियरों से उसे खींच लेते हैं। जनवरी 2021 में CECB ने NGT को बताया कि केवल बिलासपुर में सीवरेज प्रणाली थी, और प्रकाशित खबरों के अनुसार जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय को बताया गया कि बिलासपुर का लगभग 40% सीवेज फिर भी बिना शोधन के अरपा तक पहुँचेगा। प्रकाशित खबरों के अनुसार जनवरी 2026 में NGT ने शंकर और पुलगांव नालों पर, जो शहर का अधिकांश सीवेज शिवनाथ तक ले जाते हैं, दुर्ग के शोधन संयंत्रों को छह महीनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। रायपुर में जुलाई 2026 की बाढ़ ने फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास भर दिए और सीवेज को घरों में धकेल दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और निवासियों ने अतिक्रमण से संकरी हुई ड्रेनों और अपर्याप्त गाद-सफाई को दोषी ठहराया।

3. **कोयले और बिजली से बदला हुआ और डैमों से छोड़े गए पानी से संचालित उत्तर और पूर्व, और एक दक्षिण जहाँ इंद्रावती ने नया रिकॉर्ड बनाया।** कोरबा में हसदेव मिनीमाता बांगो डैम और दर्री बैराज के नीचे बहती है, जिनके स्पिलवे 24,000 m^3/s और 19,820 m^3/s के लिए डिजाइन किए गए; अगस्त 2024 में बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक (850 m^3/s) और दर्री ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, और प्रकाशित खबरों के अनुसार कोरबा में घरों में बाढ़ आई, और 2026 में हसदेव ने कटघोरा (313.58 m, 20 जुलाई) और बांगोडैम (Bangodam) (303.5 m, 17 अगस्त) पर नए उच्चतम स्तर बनाए, CWC के आँकड़ों से प्रतिलिपि के अनुसार। कोरबा और रायगढ़ के आसपास कोयला खदानें भूमि से पानी निकालती हैं, कोरबा की छह खदानों में कुल लगभग 7,500–13,700 m^3 प्रतिदिन, एक अध्ययन में लगभग 1.2 km चौड़े अवनमन शंकुओं के साथ, और बिजली घर अपनी राख ऐसे राखड़ बाँधों के पीछे रखते हैं जो टूटे हैं: जुलाई 2024 में कोरबा में NTPC का धनरास राखड़ बाँध, जिससे लगभग 16 ha धान को क्षति हुई, अप्रैल 2026 में कोरबा पश्चिम में CSPGCL के बिजली घर का एक राखड़ बाँध, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और BALCO का एक राखड़ बाँध, जिसकी स्लरी एक नाले और हसदेव तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। महानदी पर राजिम, जांजगीर-चांपा और रायगढ़ के आउटफॉल गंगरेल से छोड़े गए पानी पर निर्भर हैं, जिसका स्पिलवे 17,230 m^3/s के लिए डिजाइन किया गया, और पूर्व में ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर पर, जो प्रकाशित खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों को आंशिक रूप से डुबोता है; अगस्त 2020 में महानदी जांजगीर-चांपा में अपने खतरे के स्तर से ऊपर चढ़ी, राज्य के अनुरोध पर हीराकुंड के गेट खोले गए और खारुन ने पथरीडीह (Pathardihi) पर अपना उच्चतम स्तर, 29 अगस्त को 281.68 m, बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। दक्षिण में जगदलपुर पर इंद्रावती 26 सितंबर 2026 को 544.891 m तक चढ़ी, CWC के खतरे के स्तर से 4.1 m ऊपर और 1973 के अपने रिकॉर्ड से ऊपर (प्रतिलिपि के अनुसार), जबकि इससे पहले अगस्त 2025 की बस्तर की बाढ़ में प्रकाशित खबरों के अनुसार आठ लोगों की जान गई थी।

तीनों के पीछे खोया हुआ भंडारण है। गाँव के तालाब भू-राजस्व संहिता (धारा 251) के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित हैं, और 2024 में NGT के आदेशों पर बलौदा के तहसीलदार ने उन लोगों के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जिन्होंने वहाँ के तालाबों पर अतिक्रमण किया था। तालाबों के आसपास लागू एकमात्र बफर आर्द्रभूमि नियमों का उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध है, जिसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए 2.25 ha से बड़ी आर्द्रभूमियों पर "मानित" ("deemed") आर्द्रभूमियों के रूप में लागू किया है: प्रकाशित खबरों के अनुसार 2025 में उसने रायपुर में करबला तालाब पर कार्य रुकवाए, नरैया तालाब (Narhaiya Talab) पर जाँच का आदेश दिया गया, और प्राधिकरण ने NRDA को नवा रायपुर में झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि के पास भूखंडों और आवासों की निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया। रायपुर जिले के हर जलाशय के सर्वेक्षण का मई 2023 का राज्य का निर्देश प्रकाशित खबरों के अनुसार पूरा नहीं किया गया, और राज्य की कोई भी आर्द्रभूमि उन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है। नवा रायपुर की योजना झीलों और जलाशयों के एक जाल के चारों ओर बनाई गई, प्रकाशित खबरों के अनुसार उनमें से 55, ऐसे उद्यानों के साथ जो वर्षा जल को उन तक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए। बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, 1993 में बना WRD का 210 ha का जलाशय, राज्य का पहला रामसर स्थल है, जिसके रामसर सूचना पत्रक पर नामांकन की तिथि 8 अगस्त 2025 है (इसकी घोषणा दिसंबर 2025 में हुई)। रायपुर की योजना अब भी 2008 में अनुमोदित रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के अंतर्गत बनती है; जलाशयों पर बल देने वाले 2031 के प्रारूप पर 2022 में चर्चा हुई, और उसका अनुमोदन नहीं मिला।

इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए डिजाइन को पहले बस्तर में आने वाले और अक्तूबर तक बने रहने वाले मानसून को ध्यान में रखना होता है, धान की चिकनी मिट्टियों, चूना पत्थर और तालाबों के मैदान, ग्रेनाइट और लैटेराइट के पठार और कोयले वाली उत्तरी पहाड़ियों पर, ऐसे शहरों में जिनका पानी डैमों और बैराजों से रोकी गई नदियों में और कहीं-कहीं खदान के गड्ढों में जाता है। IMD के नए सामान्य मानों के अनुसार मानसून जगदलपुर में लगभग 11–13 जून को, रायपुर और पेंड्रा रोड में लगभग 16 जून को और बिलासपुर में लगभग 17 जून को प्रवेश करता है, और पेंड्रा रोड में 7 अक्तूबर और जगदलपुर में 12–14 अक्तूबर के बीच लौटता है; IMD का रायपुर केंद्र 10 जून और 15 अक्तूबर लेता है। वर्ष की लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर तक होती है, और जुलाई और अगस्त में लगभग 58%; वार्षिक सामान्य मान कबीरधाम में 1,011.2 mm और दुर्ग में 1,061.5 mm से लेकर रायपुर में 1,129.3 mm, बस्तर में 1,575.7 mm और दंतेवाड़ा में 1,839.3 mm तक हैं। 1891 से 2014 तक राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफानों और अवदाबों में से 27 जुलाई में, 19 अगस्त में और 21 अक्तूबर में आए, और भारी वर्षा के दिन ऋतु के बाहर भी पड़ते हैं: 8 अक्तूबर 1994 को पेंड्रा रोड में 228.1 mm, 1 अक्तूबर 1961 को अंबिकापुर में 206.0 mm और 11 मई 1990 को बैलाडीला में 207.0 mm दर्ज हुई। भूमि के नीचे, राज्य अपने दोहन योग्य भूजल का आधे से कम निकालता है (2024 में 47.32%), किंतु रायपुर, बालोद और बेमेतरा के आसपास मैदान के पाँच विकासखंड गंभीर (critical) हैं, जिनमें रायपुर जिले का धरसीवां, 93.51% पर, सम्मिलित है; 2023 में मानसून के बाद लगभग 76%

प्रेक्षण कुओं में पानी सतह से 5 m के भीतर था; रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के नीचे के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थरों को CGWB "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous") बताता है; और अंबागढ़ चौकी में आर्सेनिक और आठ जिलों में फ्लोराइड यह सीमित करते हैं कि किसका पुनर्भरण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मार्गदर्शन सार्वजनिक ड्रेनों का आकार तो तय करता है, किंतु नए निर्माण से बढ़ने वाले अपवाह को नियंत्रित नहीं करता। यह मैनुअल वर्षा जल को **विकास अनुमोदन की एक शर्त** बनाता है। एक साधारण आकार से बड़े प्रत्येक विकास को:

- बार-बार होने वाली वर्षा को साइट पर ही रोकना होगा;
- बड़ी वर्षा घटनाओं का पानी अविकसित भूमि की तुलना में अधिक तेजी से नहीं छोड़ना होगा, या जहाँ जलग्रहण क्षेत्रों में पहले से बाढ़ आती है वहाँ उससे भी धीमे छोड़ना होगा; और
- यह दिखाना होगा कि उसका आउटफॉल तब भी काम करता है जब प्राप्तकर्ता नाला, नदी, तालाब या जलाशय ऊँचा हो, जब ऊपर का कोई डैम या बैराज पानी छोड़ रहा हो, या जब उसके आउटफॉल का गेट बंद हो।

यह मैनुअल यह भी निर्धारित करता है कि सार्वजनिक ड्रेनों, सड़कों, नालों, तालाबों (talab), बड़े जलाशयों (reservoirs) और अन्य जलाशयों, गेटयुक्त आउटफॉलों और बेसिन-स्तरीय मास्टर प्लानों का डिजाइन कैसे किया जाए, और जहाँ अपवाह किसी खदान के गड्ढे, ओवरबर्डन डंप या ऐश पॉन्ड से मिलता है वहाँ उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ताकि निजी साइटें और लोक निर्माण कार्य एक ही मानक को लक्ष्य करें।

यह मैनुअल भारत और विदेश के प्रमुख वर्षा जल मानकों पर आधारित है। प्रत्येक को छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है: मध्य जून से मध्य अक्तूबर तक का दक्षिण-पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी के उन अवदाबों के साथ जिनसे उसके अधिकांश रिकॉर्ड बने हैं; महानदी और उसकी सहायक नदियाँ, शिवनाथ, खारुन, अरपा, हसदेव, मांड और केलो, गंगरेल, बांगो, दर्री, मोंगरा और अरपा के डैमों और बैराजों के नीचे, और अनुप्रवाह में हीराकुंड का बैकवाटर; बस्तर में इंद्रावती और सबरी, और उत्तर में रिहंद और कन्हार नदियाँ; मैदान की भाठा (bhata), मटासी (matasi), डोरसा (dorsa) और कन्हार (kanhar) मिट्टियाँ, उसके शहरों के नीचे का गुहायुक्त चूना पत्थर, बस्तर का ग्रेनाइट, नीस और लैटेराइट, और उत्तर और पूर्व के कोयला संस्तर और उनकी खनन से विक्षुब्ध भूमि; तालाब (talab), डबरियाँ (dabri) और बाँध (bandh) और नवा रायपुर की झीलें; और ऐसे शहर जिनकी नई कॉलोनियाँ, अंडरपास और सड़कें जल निकासी की प्राकृतिक रेखाओं के आर-पार हैं।

1. **राष्ट्रीय आधार.** CPHEEO का *Manual on Storm Water Drainage Systems* (2019)। यह मैनुअल उस पर आधारित है और जहाँ वह किसी राज्य को अनुमति देता है वहाँ उच्चतर मानक निर्धारित करता है। IRC की सड़क जल निकासी संहिताओं और NDMA के शहरी बाढ़ दिशानिर्देशों का भी उपयोग किया गया है।
2. **समग्र संरचना.** Kansas City Metro APWA Section 5600 (Version 2025.01), सबसे नवीनतम व्यापक क्षेत्रीय मानक। इससे संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन और रखरखाव का क्रम और आवश्यक प्रतिधारण आयतन लिया गया है।
3. **डिजाइन वर्षा.** अंतरिम स्रोत के रूप में, उन उप-क्षेत्रों की CWC *Flood Estimation Reports* जो राज्य को बेसिन के अनुसार बाँटते हैं: महानदी बेसिन के लिए, जो राज्य का 56% है और जिसमें रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ हैं, उप-क्षेत्र 3(d) महानदी; जगदलपुर और बस्तर पठार के लिए 3(g) इंद्रावती; सुकमा और कोंटा के लिए 3(f) निचली गोदावरी; अंबिकापुर और उत्तर के लिए 1(d) सोन; और 3(c) ऊपरी नर्मदा की एक छोटी किनारी पट्टी, जिसमें कोई शहर नहीं। उन रिपोर्टों के अनुपात ऐसी 1-घंटे की वर्षा घटनाएँ देते हैं जो राज्य में दर्ज किसी भी घंटेवार वर्षा से बड़ी हैं, इसलिए यह मैनुअल छोटी अवधि की वर्षा घटनाओं पर कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करता; यह डिजाइन दिन की जाँच आसपास दर्ज सबसे बड़े विश्वसनीय दिनों के सापेक्ष अवश्य करता है जहाँ वे मानचित्रों से अधिक हों। IMD के वर्षा तीव्रता वक्रों के राष्ट्रीय संग्रह (Das et al., 2022) में छत्तीसगढ़ का कोई केंद्र नहीं है; नया रायपुर विकास योजना-2031 में वर्षा तीव्रता का चार्ट कोई समीकरण या अभिलेख की अवधि नहीं देता और उसका उपयोग केवल नवा रायपुर में प्रति-जाँच के रूप में किया जाता है; 1979 से रायपुर के लिए स्थिरांकों का एक समूह केवल एक उद्धरण-अंश में देखा गया और उसका उपयोग नहीं किया गया; और राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की द्वारा ग्रिड वर्षा का आवृत्ति विश्लेषण केवल तुलना के लिए प्रयुक्त है।
4. **मानसून पद्धति.** छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग और जल निकासी आरक्षित पट्टियों के लिए PUB सिंगापुर का *Code of Practice on Surface Water Drainage* (7th ed., 2025)। मानसूनी डिजाइन वर्षा घटनाओं और सरलीकृत साइट पर अस्थायी भंडारण के लिए मलेशिया का MSMA 2 (2012)।

5. **अपवाह में कमी और उपचार.** अपवाह में कमी और अनुप्रवाह विश्लेषण के लिए Georgia Stormwater Management Manual (2016)। उपचार श्रृंखला के लिए CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015)। आउटलेट और भंडारण डिजाइन के लिए Mile High Flood District का मानदंड मैनुअल।
6. **स्थानीय नियम.** छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973; T&CP, NRDA और प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लागू किए जाने वाले, यथासंशोधित छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984; छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961; छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959; छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022; रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 और नया रायपुर विकास योजना-2031; सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन पर सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017; कोयला खान विनियम, 2017 और खदानों और बिजली घरों की पर्यावरण स्वीकृतियों की शर्तें; और जलाशयों, नदियों और सीवेज पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और NGT के आदेश। यह मैनुअल उनका पालन करता है या, जहाँ बताया गया है, उन्हें अधिक कठोर बनाता है। भूमि विकास नियम का कोई मूल या समेकित पाठ नहीं मिला। 17 दिसंबर 2008, 17 फरवरी 2009, 6 अक्तूबर 2018 और 29 अप्रैल 2020 के संशोधन और 31 मार्च 2017 का एक प्रारूप पढ़े गए; अन्य केवल मशीन-लिप्यंतरण में पढ़े गए, 12 सितंबर और 1 दिसंबर 2025 के प्रारूप और अक्तूबर 2026 में भूमि उपयोगों का एक पुनर्वर्गीकरण केवल सारांशों में देखे गए, और उनमें से कोई भी अस्थायी भंडारण, जल निकासी डिजाइन या बाढ़-प्रवण भूमि पर कोई नियम नहीं जोड़ता। नगरपालिका अधिनियम उनके छत्तीसगढ़ रूप में पढ़े नहीं गए, और भू-राजस्व संहिता एक तृतीय-पक्ष प्रति में पढ़ी गई। उद्धृत प्रत्येक नियम को वर्तमान पाठ से जाँचना होगा।

यह मैनुअल क्यों आवश्यक है

भारत में वर्षा जल डिजाइन का कोई एकसमान मानक नहीं है. CPHEEO का *Manual on Storm Water Drainage Systems* (2019) वर्षा जल निकासी को समर्पित देश का पहला मैनुअल है, किंतु वह परामर्शी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय उसे परामर्शी दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध करता है और शहरी बाढ़ को राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का विषय मानता है। इस मैनुअल के लिए समीक्षा किए गए राष्ट्रीय नियमों या राज्य भवन नियमों में से कोई भी अपवाह नियंत्रण को भवन अनुमोदन की शर्त नहीं बनाता, और न ही आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016 ऐसा करती हैं।

राष्ट्रीय दस्तावेज प्रमुख मानों को खुला छोड़ देते हैं, या अलग-अलग उत्तर देते हैं.

- **पुनरावृत्ति अवधि.** CPHEEO श्रेणी I शहरों में ड्रेनों के लिए 5 वर्ष और अन्यत्र 2 वर्ष की सिफारिश करता है, और राज्य की समिति को उच्चतर मान अंगीकार करने देता है। CPHEEO की 2023 की एक प्रस्तुति एक अलग तालिका दिखाती है। IRC:SP:50-2013 शहरी सड़क ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष सुझाता है; IRC:SP:42-2014 25 वर्ष सुझाता है। छत्तीसगढ़ में ड्रेन का डिजाइन करने वाला अभियंता चुनी गई संहिता के अनुसार 1, 2, 5 या 25 वर्ष का हवाला दे सकता है।
- **अस्थायी भंडारण.** CPHEEO चरम बहिर्वाह को विकास-पूर्व दरों तक सीमित करने को सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है। वह "shall" (अनिवार्य) का प्रयोग नहीं करता और किसी वर्षा घटना की आवृत्ति का नाम नहीं लेता।
- **जलवायु.** NDMA के शहरी बाढ़ दिशानिर्देश (2010) अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण सुविधाओं की तथा जलवायु परिवर्तन के लिए समायोजित वर्षा वक्रों की माँग करते हैं, किंतु कोई आकार-निर्धारण नियम या पुनरावृत्ति अवधि नहीं देते।
- **डिजाइन वर्षा.** कोई भी राष्ट्रीय दस्तावेज ऐसी डिजाइन वर्षा नहीं देता जिसे डिजाइनकर्ता किसी दिए गए नगर पर सीधे लागू कर सके। प्रत्येक परियोजना अपना स्रोत स्वयं चुनती है। IMD के 2022 के वर्षा तीव्रता वक्रों के राष्ट्रीय संग्रह में छत्तीसगढ़ के किसी केंद्र का कोई पैनल नहीं है। राज्य के शहरों को सम्मिलित करने वाली CWC रिपोर्टें 1987 (उप-क्षेत्र 1(d)) से 1997 (3(d)) तक की हैं; वे 1-घंटे की वर्षा को 24-घंटे की वर्षा का 0.39 (3(d)), 0.37 (1(d)) और 0.32 (3(g) और 3(f)) मानती हैं, जिससे राज्य के शहरों में 50-वर्ष का घंटा लगभग 80–140 mm का बनता है, जबकि उन रिपोर्टों के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों पर दर्ज कोई भी घंटेवार वर्षा लगभग 80 mm से अधिक नहीं है (26 जून 1974 को कांकेर में 79 mm)। दूसरी ओर, वर्षामापियों पर उनके मानचित्रों से अधिक वर्षा दर्ज हुई है: 4 अगस्त 1910 को रायपुर (वेधशाला) में 370.3 mm दर्ज हुई, जहाँ मानचित्र 100-वर्ष का दैनिक मान लगभग 320–360 mm देता है, और 21

सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm, जबकि लगभग 320 mm है। NIH-DHAARA के पुनर्विश्लेषण ग्रिड 59–85 mm का 50-वर्ष का घंटा देते हैं, जो अभिलेखों के अधिक निकट है, किंतु दिन के मान में दोनों ओर गलती करते हैं: नवा रायपुर पर 349 mm और महासमुंद पर 380 mm, जो मानचित्रों के 280–320 और 320–360 mm से अधिक हैं, और बिलासपुर पर 217 mm और अंबिकापुर पर 249 mm, जबकि लगभग 200–240 और 280 mm है।

छत्तीसगढ़ का जल निकासी डिजाइन का अपना कोई मानक नहीं है। इस मैनुअल के लिए किए गए अनुसंधान में UADD, T&CP, WRD, RMC या किसी अन्य नगर निगम का ऐसा कोई मानक, IDF संबंध या परिपत्र नहीं मिला जो शहर की वर्षा जल ड्रेनों के लिए पुनरावृत्ति अवधि या डिजाइन वर्षा निर्धारित करता हो। 2015 की रायपुर की AMRUT योजना उसकी ड्रेनों की विफलताओं को दर्ज करती है किंतु कोई डिजाइन आधार नहीं बताती, और मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यानों को सम्मिलित करती है और ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती। एकमात्र अपवाद नई राजधानी है: नया रायपुर विकास योजना-2031 अपनी ड्रेन प्रणाली के लिए 5-वर्ष की तीव्रता, किसी भी नदी तटबंध के लिए 100 वर्ष और सड़कों के स्तर "प्रेक्षित उच्च बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 से 1.0 m ऊपर" ("at least 0.5 to 1.0 m above the observed high flood level") लेती है, और सड़क जल निकासी के लिए IRC:SP:50 का अनुसरण करती है। यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। यह मैनुअल भूमि विकास नियम, नगरपालिका अधिनियमों और विकास योजनाओं के तकनीकी सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है: यह वे डिजाइन वर्षा घटना, अस्थायी भंडारण, जल स्तर और बफर मान देता है जिन्हें वे खुला छोड़ देते हैं। इसे UADD, आवास एवं पर्यावरण विभाग या किसी अन्य निकाय द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से:

- **भवन नियम वर्षा जल संचयन और उपयुक्त स्थल की अपेक्षा करते हैं, पर अस्थायी भंडारण की नहीं।** भूमि विकास नियम का नियम 78(4) भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की विधियों से वर्षा जल संचयन की अपेक्षा करता है, जिनमें बारीक पत्थर और रेत का फिल्टर तल और, 2009 से, एक भूमिगत भंडारण टंकी सम्मिलित है, और जहाँ प्रणाली न बनाई जाए या उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति है। 2019 के राज्य सभा के एक उत्तर ने इसका सीमा-मान 500 m^2 से बड़े भूखंड बताया; 17 फरवरी 2009 का संशोधन नियम में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, यह बताए बिना कि वे किनके स्थान पर हैं, और नियम स्वयं पढ़ा नहीं गया, इसलिए सीमा की पुष्टि नहीं हुई [TBC]। 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतों वाले सरकारी भवनों को सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मई 2016 के आदेश के अंतर्गत वर्षा जल संचयन करना होगा। नियम 50 अनुपयुक्त स्थलों का नियम है, जिसकी जाँच करने के लिए T&CP का 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र अपने अधिकारियों से कहता है। कोई भी नियम साइट पर अस्थायी भंडारण की अपेक्षा नहीं करता, चरम अपवाह को सीमित नहीं करता या "शून्य अपवाह" ("zero runoff") निर्धारित नहीं करता, और 2017 का हरित भवन प्रारूप, जो 100 m^2 से भूखंडों पर संचयन और खुले स्थानों में कच्ची (unpaved) भूमि की अपेक्षा करता, अंतिम रूप में नहीं मिला;
- **जलमार्ग रेखा की कभी पुष्टि नहीं हुई।** 1984 के नियमों में, जैसा मध्य प्रदेश ने उन्हें प्रकाशित किया, नियम 50(b) उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, और किसी प्रमुख जलमार्ग के साथ औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो, के भीतर निर्माण का निषेध करता है। नियम 50 अब भी अनुपयुक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ का नियम है, किंतु छत्तीसगढ़ ने वे दूरियाँ रखीं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई [TBC]। 2018 का निरीक्षण प्रपत्र भूखंड से निकटतम प्रमुख नाले की दूरी भूमि विकास नियम "के अनुपालन में" ("in compliance with") पूछता है, और नियम की संख्या रिक्त छोड़ देता है। T&CP की 2011 की चेकलिस्ट नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से "उच्च बाढ़ बिन्दु" माँगती है; एकीकृत उपनगर (integrated township) किसी बारहमासी नदी के तट पर स्थित नहीं हो सकते (2008); और अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर राज्य का 2002 का अधिनियम जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने भवन के नियमितीकरण पर रोक लगाता है;
- **किसी डूब क्षेत्र का जोनिंग नहीं हुआ है।** छत्तीसगढ़ में डूब क्षेत्र के जोनिंग का कोई कानून नहीं है, कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है और WRD ने किसी नदी के डूब क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया है। लागू एकमात्र बफर आर्द्रभूमि नियमों की उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा है, जिसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 2.25 ha से बड़े तालाबों और आर्द्रभूमियों पर लागू करता है; यह नालों, नदियों या शहरों के भीतर के छोटे तालाबों तक नहीं पहुँचती। तटबंधों के लिए नया रायपुर के 100 वर्षों के अतिरिक्त, राज्य में किसी भी नदी या नाला कॉरिडोर के लिए कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि नहीं मिली। यह मैनुअल डिजाइन बाढ़ रेखा और कॉरिडोर खींचने की एक तकनीकी विधि प्रस्तुत करता है (अध्याय 7); यह राज्य द्वारा अधिसूचित या किसी न्यायालय द्वारा खींची गई किसी रेखा का स्थान नहीं लेता, और जहाँ ऐसी रेखा बाध्यकारी और अधिक चौड़ी है, वहाँ वही लागू होती है;

- **बेसमेंट और प्लिंथ का निरीक्षण होता है, पर बाढ़ के लिए नहीं।** 2018 का संशोधन बेसमेंट को भूखंड की सीमा से 3 m या 6 m पीछे रखता है (नियम 73(3)(क)) और एक प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96) जोड़ता है, जिसका प्रपत्र स्थिति, दिशा और सेटबैक जाँचता है पर कोई स्तर नहीं। पढ़े गए किसी भी संशोधन में कोई न्यूनतम प्लिंथ ऊँचाई, बेसमेंट पर बाढ़-संबंधी रोक या बेसमेंट रैंप के शिखर का स्तर नहीं मिला; और
- **कोई दस्तावेज वह नदी या जलाशय स्तर निर्धारित नहीं करता जिसके लिए आउटफॉल डिजाइन किया जाता है।** राज्य के CWC स्थलों में से चेतावनी और खतरे के स्तर केवल जगदलपुर पर इंद्रावती के लिए मिले; रायपुर की नदी खारुन पर पथरीडीह में केवल 281.68 m (2020) का उच्चतम बाढ़ स्तर मिला; पढ़े गए किसी स्रोत में इन स्तरों का डेटम नहीं बताया गया; और महानदी के बैराजों के स्तर और राज्य के भीतर हीराकुंड के बैकवाटर का नदी-भाग नहीं मिले। खतरे के स्तर और उच्चतम बाढ़ स्तर बाढ़-चेतावनी के स्तर और अभिलेख हैं, डिजाइन स्तर नहीं।

इसलिए प्रत्येक एजेंसी और प्रत्येक स्थानीय निकाय केंद्रीय मैनुअल की अपने ढंग से व्याख्या करता है। RMC और अन्य नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें, RDA, NRDA, T&CP, भिलाई इस्पात संयंत्र का नगर सेवाएँ विभाग, WRD, PHED, स्मार्ट सिटी कंपनियाँ, कोयला और बिजली कंपनियाँ, सड़क एजेंसियाँ, उनके परामर्शदाता और वित्तपोषक एजेंसियाँ इन कमियों को अलग-अलग ढंग से भरते हैं। एक ही सड़क पर अलग-अलग एजेंसियों द्वारा बनाई गई दो ड्रेनों का आकार अलग-अलग वर्षा स्रोतों से अलग-अलग वर्षा घटनाओं के लिए निर्धारित हो सकता है। कोई नियम प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग नहीं करता: रायपुर में एक नाला एक साथ वर्षा जल ड्रेन, सीवर और शोधन संयंत्र का पोषक है, और भिलाई में संयंत्र की टाउनशिप और नगर निगम प्रत्येक अपनी-अपनी ड्रेनें रखते हैं, जो उन्हीं नालों में खाली होती हैं। और समीक्षक के पास कोई साझा आधार नहीं है जिसके सापेक्ष वह किसी डिजाइन की जाँच कर सके।

यह मैनुअल इसके लिए क्या करता है. यह उन खुले विकल्पों को राज्य के एक मानक में बदलता है:

- डिजाइन वर्षा के लिए पूरे राज्य में, तीन वर्षा जोनों और छह जलवैज्ञानिक उप-भागों में, एक स्रोत और विधि, जहाँ जाँचा हुआ केंद्र विश्लेषण उपलब्ध हो वहाँ वही मान्य, जहाँ अभिलेख दिखाते हैं कि CWC के अनुपात छोटी अवधि की वर्षा घटनाओं को बढ़ाकर आँकते हैं वहाँ उन पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं, और आसपास दर्ज सबसे बड़े विश्वसनीय दिनों, जैसे रायपुर के 370.3 mm और राजनांदगांव के 392.0 mm, के सापेक्ष डिजाइन दिन की जाँच (अध्याय 2);
- प्रत्येक जल निकासी अवयव के लिए निर्धारित पुनरावृत्ति अवधि (अध्याय 2 और 6);
- निजी साइटों के लिए विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात का एक अनिवार्य नियम (अध्याय 4);
- नालों, नदियों, तालाबों और जलाशयों में गिरने वाले गेटयुक्त, फ्लैप-गेटयुक्त या मुक्त आउटफॉलों के लिए डिजाइन नदी या जलाशय स्तर के सापेक्ष अनिवार्य टेलवाटर जाँच, जिसमें स्थानीय गेजों के बजाय CWC के स्तर लिए जाएँ और गंगरेल, बांगो और बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी और हीराकुंड के बैकवाटर का प्रावधान किया जाए (अध्याय 5);
- एक डिजाइन बाढ़ रेखा, और नदियों और नालों के साथ और तालाबों और जलाशयों के चारों ओर कॉरिडोर और सेटबैक, जिनका आकार अभी कोई नियम निर्धारित नहीं करता, जो इस मैनुअल द्वारा नियम 50 की विरासत में मिली जलमार्ग रेखा के साथ, उसकी पुष्टि होने पर, और 50 m के आर्द्रभूमि बफर के साथ, जहाँ भी वे अधिक चौड़े हों, उपयोग के लिए प्रस्तावित हैं (अध्याय 7);
- जहाँ भूजल स्तर नीचे गया है, जैसे धरसीवां (रायपुर) और दुर्ग–भिलाई में, वहाँ पूर्व-उपचार सहित पहले पुनर्भरण, किंतु कन्हार चिकनी मिट्टी पर कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के नीचे के चूना पत्थर में गुहाओं की जाँच, खनन से विक्षुब्ध भूमि या ऐश पॉन्डों पर भी कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं, फ्लोराइड और आर्सेनिक की जाँचें, और जहाँ ड्रेनें सीवेज ले जाती हैं वहाँ उपचार (अध्याय 8);
- खदान के गड्ढे, ओवरबर्डन डंप या ऐश पॉन्ड से मिलने वाले अपवाह के लिए नियम: खदान का गड्ढा तब तक डिजाइन आउटफॉल नहीं है जब तक खदान का पट्टाधारी और DGMS सम्मति न दें और उसके स्तर और अतिप्रवाह का सर्वेक्षण न हो जाए, डंपों और ऐश पॉन्डों को ऐसी भूमि माना जाता है जो पानी और तलछट तेजी से छोड़ती है, और टूटे हुए राखड़ बाँध से आने वाला प्रवाह मानचित्रित किया जाने वाला खतरा है, डिजाइन अंतर्वाह नहीं (अध्याय 3, 5 और 8); और
- बेसिन-स्तरीय मास्टर प्लान, ताकि एक बेसिन साझा करने वाली एजेंसियाँ मिलकर योजना बनाएँ (अध्याय 11)।

यह वही मार्ग अपनाता है जो CPHEEO का मैनुअल स्वयं प्रदान करता है: कोई राज्य राष्ट्रीय मानों से उच्चतर मानक अंगीकार कर सकता है (CPHEEO 2019, तालिका 4.1, टिप्पणी 2)। कोई नगर निगम, कोई विकास प्राधिकरण, NRDA या UADD फिर भी अधिक कठोर मानक अंगीकार कर सकता है (अध्याय 1)।

स्रोत: CPHEEO (2019) Part A §4.4–4.5 और Table 4.1; CPHEEO presentation to CSE (August 2023); IRC:SP:50-2013 §6; IRC:SP:42-2014 §6; NDMA (2010) Urban Flooding Guidelines, para 6.6.2; MoHUA Model Building Bye-Laws (2016); Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department, amendments to the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984: No. एफ 7-26/32/2008 of 17 December 2008 (परिशिष्ट ण), No. 318/1193/32/2006 of 17 February 2009 (Gazette p. 124(10), items 25–28), draft No. F 7-15/2016/32 of 30 March 2017 (नियम 79-C से 79-G), No. F 7-27/2017/32 of 6 October 2018 (नियम 73(3)(क) और 96, परिशिष्ट Q, Q1 और Q2) और No. F 07-24/2019/32 of 29 April 2020, T&CP की वेबसाइट की संग्रहीत प्रतियों से; 2010–2023 के अन्य संशोधन (केवल मशीन-लिप्यंतरण) और 12 सितंबर और 1 दिसंबर 2025 के प्रारूप RULE/170/2025-HOUSING और अक्तूबर 2026 का भूमि-उपयोग संशोधन (केवल सारांश); Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984, rules 17, 50, 51 और 78 (मध्य प्रदेश पाठ की तृतीय-पक्ष प्रति); वर्षा जल संचयन पर 8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर (सारांश के अनुसार); Housing and Environment Department letter No. 2940/1445/32/2009 of 23 November 2009; General Administration Department order No. F 9-22/2016/1/5 of 31 May 2016; T&CP Directorate checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011, Appendix 01, item 15, और letter No. 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 of 23 June 2011; Housing and Environment Department order No. F 7-35/2012/32 of 2 January 2013; अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम (CG Rajpatra, 26 April 2002), धारा 7(1); Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, ss.19, 24, 27–28, 30, 64–69 और 85; Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, ss.237, 248 और 251 (तृतीय-पक्ष प्रति); Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022; notification No. 706/2286/32/2007 of 5 April 2008 (रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अनुमोदन), केवल पहला पृष्ठ; notification No. F 7-3/2014/32 of 10 February 2014 (अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033) और letter No. F 07-02/2019/32 of 14 February 2019; NRANVP letter No. 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022 of 21 June 2022, जो 23 मई 2022 की notification No. 4066 अग्रेषित करता है; NRDA, Naya Raipur Development Plan-2031 (2008), Chapters 1–3, 7–9 और 10–12, §10.3 और Fig. 10.1; Raipur Municipal Corporation, Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage (AMRUT, 4 November 2015); CAG, Audit Report (Performance and Compliance Audit) for the year ended 31 March 2022, Government of Chhattisgarh, Chapter II (AMRUT); NGT O.A. 593/2017 में CECB की रिपोर्ट, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित; NGT (Central Zone), O.A. 78/2024, 14 नवंबर 2024 का आदेश और कलेक्टर की की गई कार्रवाई की रिपोर्ट; दुर्ग के नालों पर 16 जनवरी 2026 के NGT के आदेश की और अरपा (2025) और नदियों (2026) पर उच्च न्यायालय के आदेशों की रिपोर्टें; Ramsar Information Sheet, site 2583, Kopra Jalashay; CWC, Flood Estimation Reports for Mahanadi subzone 3(d) (M-3(d)/R-3/25/1996), Indravati subzone 3(g) (I/21/1992), Lower Godavari subzone 3(f) (LG-3(f)/R-2/24/1995) और Sone subzone 1(d) (S/15/1987), प्लेटें आँख से पढ़ी गईं; CWC, National Register of Large Dams (2009); CWC flood advisories (2019, 2020) और SANDRP द्वारा प्रतिलिपि किए गए उच्चतम बाढ़ स्तर (2020–2026); WRD, Daily Tank Gauge Report of 10 October 2024; IMD, Climate of Chhattisgarh (Climatological Summaries of States Series No. 22, 2015); IMD, Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012); IMD, Pai et al. (2020), दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ, Table 2; IMD Meteorological Centre Raipur, 2020, 2023 और 2024 की मानसून रिपोर्टें; Das et al. (2022), MAUSAM 73(4); NIH-DHAARA (7 नवंबर 2026 को देखा गया); CGWB, Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024 और तथ्य-पत्रक (दिसंबर 2024); रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के लिए CGWB की जिला पुस्तिकाएँ; Mandal et al. (2018) और Ranjan and Singh (2018), Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7(4); Singh et al. (2023), Environment, Development and Sustainability (सारांश के अनुसार); 2020, 2024, 2025 और 2026 की बाढ़ों की, गंगरेल और बांगो से छोड़े गए पानी की, कोरबा में राखड़ बाँधों के टूटने (2024–2026) की, रायपुर और नवा रायपुर में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्रवाइयों (2025) की, रायपुर के तालाबों की और खारून तक पहुँचने वाले सीवेज की रिपोर्टें (समाचार माध्यम और द्वितीयक स्रोत)।

इस मैनुअल का उपयोग कैसे करें

खंड और भाष्य. क्रमांकित खंड (उदाहरण के लिए 4.5.2) इस मैनुअल की अपेक्षाएँ हैं और उनमें "shall" (...किया जाएगा, अनिवार्य) का प्रयोग होता है। **भाष्य** शीर्ष वाले पैराग्राफ किसी खंड का कारण समझाते हैं और उसके पूर्व-उदाहरण का हवाला देते हैं। ये मार्गदर्शन हैं, अपेक्षाएँ नहीं। जहाँ किसी मान का अन्यत्र कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है, वहाँ भाष्य यह बताता है और समझाता है कि यह मैनुअल उसे क्यों निर्धारित करता है।

पुनरावृत्ति अवधि. वर्षा घटनाओं का वर्णन वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP) और पुनरावृत्ति अवधि, दोनों से किया गया है। उदाहरण के लिए, "1% AEP (100-वर्ष)" का अर्थ ऐसी वर्षा घटना है जिसके किसी भी वर्ष में बराबर होने या उससे अधिक होने की 100 में 1 की संभावना है।

उदाहरणार्थ मान. "केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं" चिह्नित हल किए गए उदाहरण और चित्र केवल विधि और परिमाण दिखाते हैं। डिजाइन मान अध्याय 2 में निर्धारित स्रोतों से लिए जाते हैं।

परिशिष्ट और प्रपत्र. प्रत्येक अध्याय उन परिशिष्टों और प्रपत्रों को सूचीबद्ध करता है जिन पर वह निर्भर है। वे अध्यायों के बाद, अध्यायवार समूहित, आते हैं, और उनमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र, हल किए गए उदाहरण, टेम्पलेट, आदर्श पाठ और मानक ड्रॉइंग हैं। जिन परिशिष्टों के लिए ऐसे आँकड़े चाहिए जो अभी एकत्र नहीं हुए, वे *तैयार किया जाना है* चिह्नित हैं। वे बताते हैं कि उनमें क्या होगा, और उन पर निर्भर खंड वह नियम बताता है जो इस बीच लागू होता है।

चित्र. सभी चित्र इस मैनुअल के लिए तैयार की गई मूल ड्रॉइंग हैं। जहाँ कोई चित्र किसी प्रकाशित अवधारणा पर आधारित है, वहाँ उसका कैप्शन स्रोत का श्रेय देता है।

कहाँ से शुरू करें.

यदि आप...	पहले पढ़ें
विकासकर्ता या वास्तुकार हैं	अध्याय 1 (क्या यह लागू होता है?), अध्याय 4 (क्या प्रदान करना है), अध्याय 10 (क्या प्रस्तुत करना है)
डिजाइन अभियंता हैं	अध्याय 2–6, फिर 8 और 9
स्थानीय निकाय या अनुमोदन प्राधिकारी हैं	अध्याय 1, 10 और 11
योजनाकार या जलाशय प्रबंधक हैं	अध्याय 7 और 11

विषय-सूची

अध्याय	शीर्षक	परिशिष्ट और प्रपत्र
1	नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण	परिशिष्ट 1
2	डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ	परिशिष्ट 2
3	जलवैज्ञानिक विधियाँ	परिशिष्ट 3
4	साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण	परिशिष्ट 4
5	अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण	परिशिष्ट 5
6	लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ	परिशिष्ट 6

अध्याय	शीर्षक	परिशिष्ट और प्रपत्र
7	जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक	परिशिष्ट 7
8	जल गुणवत्ता और पुनर्भरण	परिशिष्ट 8
9	संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन	परिशिष्ट 9
10	प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन	परिशिष्ट 10
11	बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान	परिशिष्ट 11

तालिकाओं की सूची

तालिका	शीर्षक
1.1	टियर A और टियर B प्राधिकारियों के बीच अंतर
1.2	नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प S-1 से S-5
1.3	अन्य लिखतों के साथ संबंध
1.4	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व
1.5	इस मैनुअल के अंतर्गत जल निकासी तत्वों का कार्यकारी आवंटन
2.1	डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)
2.2	अंतरिम जलवायु गुणक
2.3	मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण (डिजाइन मान नहीं)
3.1	अनुमत जलवैज्ञानिक विधियाँ
3.2	अपवाह गुणांक C (10% या उससे अधिक बार होने वाले AEP के लिए)
3.3	आवृत्ति गुणक Cf
3.4	परत प्रवाह के लिए मैनिंग का n (USDA SCS TR-55, 1986, Table 3-1)
3.5	अपवाह कर्व नंबर, AMC II, Ia = 0.2S (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c)
4.1	अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण के लिए रूट की जाने वाली डिजाइन वर्षा घटनाएँ
4.2	उदाहरण: अवधि के अनुसार चरम प्रवाह दरें और प्रयुक्त भंडारण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4.3	टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण (टेम्पलेट)
4.3A	नियत निकास गुणांक (अनंतिम)
5.1	ज्वारीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर स्तर
5.2	ज्वारीय और नदी आउटफॉलों के लिए संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ
6.1	वहन के लिए डिजाइन AEP (खंड 2.4 के अनुरूप)

तालिका	शीर्षक
6.2	सड़क पर प्रवाह की सीमाएँ
6.3	सड़कों और सतही प्रवाह मार्गों के लिए प्रवाह जोखिम की सीमाएँ
6.4	संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग (संदर्भ के लिए पुनःप्रस्तुत)
6.5	इनलेट अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का नष्ट माना गया अंश)
6.6	डिजाइन के लिए मैनिंग n (CPHEEO 2019 से)
6.7	खुली और ढकी ड्रेन में न्यूनतम फ्रीबोर्ड
6.8	सीधे पाइप खंडों पर मैनहोल की अधिकतम दूरी
6.9	जल निकासी आरक्षित पट्टी की न्यूनतम चौड़ाई (PUB Singapore से ली गई)
7.1	जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक
8.1	चिंता के प्रदूषक, स्रोत और प्राथमिक नियंत्रण
8.2	पुनर्विकास से भिन्न साइटों के लिए आवश्यक सेवा स्तर
8.3	BMP की मूल्य श्रेणियाँ और छत्तीसगढ़ में उपयुक्तता
9.1	प्रवेश हानि गुणांक ke (आउटलेट नियंत्रण, पूर्ण या आंशिक रूप से भरा)
9.2	चैनलों में अधिकतम अनुमेय माध्य वेग
9.3	रिपरैप वर्ग और एप्रन के आयाम (HEC-14)
9.4	मैनहोलों का न्यूनतम आंतरिक आकार
9.5	छत्तीसगढ़ के स्थानों के लिए न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग
10.1	प्रस्तुति के चरण और उनसे जुड़े अनुमोदन
10.2	प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्र
10.3	स्वामी द्वारा निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्तियाँ
10.4	प्रवर्तन की क्रमिक कार्रवाई
11.1	BSMP के लिए न्यूनतम आँकड़े और सर्वेक्षण
11.2	न्यूनतम सेवा स्तर
1A.1	खंड 1.6.1 में परिभाषित टियर A प्राधिकारी
1A.2	टियर A प्राधिकारियों का रजिस्टर (ढाँचा)
1B.1	खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र
1B.2	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र परत के गुण (ढाँचा)
1C.1	इस संकल्प द्वारा अंगीकृत विकल्प
1D.1	अनुसूची: अंगीकृत विकल्प (ढाँचा)
2A.1	डिजाइन गहराइयों की बेंचमार्क तुलना (ढाँचा)

तालिका	शीर्षक
2A.2	वर्षा जोन (ढाँचा)
2B.1	जोनवार अनुपात P(t)/P(24h) (ढाँचा)
2B.2	नियत-अंतराल समायोजन गुणक (खंड 2.6.3)
2C.1	ग्रिड-से-बिंदु गुणक (ढाँचा)
2D.1	वर्षा घटना के समय के संचयी अंश के सापेक्ष वर्षा गहराई का संचयी अंश (ढाँचा, प्रत्येक जोन, अवधि वर्ग और चतुर्थक के लिए एक तालिका)
2E.1	जोनवार प्रतिधारण गहराई P_R (ढाँचा)
3A.1	मृदा शृंखला से HSG की मिलान-सूची (रूपरेखा)
3A.2	मानचित्रण इकाईवार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (रूपरेखा)
3B.1	पूरक भू-आवरण, AMC II (रूपरेखा)
3B.2	CN अंशांकन जलग्रहण क्षेत्र (रूपरेखा)
3C.1	समस्या 3C-1 का हल
3C.2	समस्या 3C-2 का हल
3C.3	समस्या 3C-3 का हल
3C.4	समस्या 3C-4 का हल
3C.5	समस्या 3C-5 का जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध
3C.6	समस्या 3C-5 का रूट किया गया बहिर्वाह
3C.7	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेंचमार्क परिणाम
3D.1	अंशांकित चरम दर गुणक (रूपरेखा)
3E.1	उप-क्षेत्रवार SUH संबंध (रूपरेखा)
3E.2	हल किए गए उदाहरण की रूपरेखा (रूपरेखा)
4A.1	उथले भूजल जोन परत के गुण (रूपरेखा)
4B.1	परिशिष्ट 4B की विषय-वस्तु और उसकी स्थिति
4B.2	टियर B PSD और SSR (तालिका 4.3 की रूपरेखा)
4B.3	प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R (रूपरेखा)
4B.4	दिए गए हेड पर अनुमेय प्रवाह दर के लिए ऑरिफिस का सबसे बडा व्यास (mm) (Cd = 0.60, मुक्त निस्सरण)
4B.5	नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (अनंतिम, तालिका 4.3A)
4C.1	इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.2	डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.3	कर्व नंबर और हानियाँ (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.4	वर्षा घटना के अपवाह की गहराई Q, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

तालिका	शीर्षक
4C.5	इकाई हाइड्रोग्राफ के प्राचल (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.6	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, परीक्षण आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.7	परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, चरम के आसपास (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.8	परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, प्रति घंटा (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.9	परीक्षण आउटलेट (120 mm और 470 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.10	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.11	संशोधित आउटलेट (170 mm और 460 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.12	रूटिंग द्वारा प्रतिधारण क्रेडिट, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.13	आउटलेट की जाँचें, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.14	संशोधित डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5A.1	डिजाइन टेलवाटर (तालिका 5.1) में परिशिष्ट 5A के मानों का उपयोग
5A.2	तटीय खंडवार ज्वारीय डेटम, महोर्मि और स्थिर जल स्तर (रूपरेखा)
5B.1	अध्याय 5 में नामित जलाशय
5B.2	परिशिष्ट 5B की परतों के गुण (रूपरेखा)
5C.1	इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.2	आउटफॉल-बंद जाँच के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.3	आयतन संतुलन, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.4	जल स्तर–समय आलेख, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.5	सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
6A.1	परिशिष्ट 6A के प्रकाशित होने तक इनलेट के लिए अंतरिम अपेक्षाएँ (अध्याय 6 और 9 से)
6A.2	मानक इनलेट प्रकारों का रजिस्टर (ढाँचा)
6A.3	ढलान पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)
6A.4	निचले बिंदु पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)
6B.1	अध्याय 6 द्वारा पहले से निर्धारित तलछट प्रावधान (अनंतिम, अंशांकन किया जाना है)
6B.2	भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (ढाँचा)
6B.3	तलछट प्रावधान का अंशांकन (ढाँचा)
6C.1	मानक ड्रॉइंग पर आयाम और उनके स्रोत खंड
7A.1	जलाशय सूची के गुण क्षेत्र (WB_POLY)
7A.2	कोड सूचियाँ
7A.3	संरचनाओं के गुण क्षेत्र (WB_STRUCT)

तालिका	शीर्षक
7B.1	जलाशय वर्ग के अनुसार नियत-चौड़ाई सेटबैक (विकल्प S-3)
7B.2	खंड 7.4.6 में उद्धृत स्रोत बफर (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)
7C.1	अवधि के अनुसार नियम स्तर (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7C.2	स्तर के अनुसार आउटलेट की सेटिंग (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7C.3	प्रारंभक और कार्रवाइयाँ (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7D.1	गाद निकालने और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए रोक बिंदु
7E.1	जलाशय
7E.2	चैनल, तटबंध और प्रणाली के भाग
7E.3	सांविधिक शब्द
7E.4	छत्तीसगढ़ के मैदान की मिट्टी और भूमि के वर्ग
7E.5	अभी असत्यापित शब्द
8A.1	जोन के अनुसार जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराइयाँ (ढाँचा)
8A.2	अवधि के अनुसार 3-माह ARI तीव्रता (ढाँचा)
8B.1	पुनर्विकास के लिए आवश्यक LoS (ढाँचा)
8B.2	हल किया गया उदाहरण: संयुक्त VR (उदाहरणार्थ)
8B.3	उपचार शृंखलाओं की संयुक्त VR (ढाँचा)
8C.1	निगरानी स्थल रजिस्टर (ढाँचा)
8C.2	घटना अभिलेख (ढाँचा; खंड 8.13.2 के प्राचल)
8C.3	प्रदर्शन सारांश और प्रस्तावित VR (ढाँचा)
8D.1	पूर्व-उपचार (सभी BMP)
8D.2	बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान (चित्र 8.2)
8D.3	वनस्पति स्वेल
8D.4	वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ
8D.5	पारगम्य पेवमेंट
8D.6	अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन (चित्र 8.3)
8D.7	वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण)
8D.8	निर्मित आर्द्रभूमियाँ
8D.9	स्थूल प्रदूषक जाल और आउटफॉल की जालियाँ
8D.10	तेल-ग्रिट पृथक्कारी
8D.11	अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड (सभी अंतःस्यंदन BMP)

तालिका	शीर्षक
8D.12	बायोरिटेंशन फिल्टर माध्यम और परतें
8D.13	बायोरिटेंशन, स्वेल और फिल्टर पट्टियों के लिए सांकेतिक पौधे
8D.14	निर्मित आर्द्रभूमियों और वेट पॉन्ड के लिए सांकेतिक पौधे
8D.15	न लगाई जाने वाली प्रजातियाँ
8E.1	उपायों का चयन (खंड 8.12.3)
8E.2	ESC का समय और निरीक्षण (खंड 8.12.2 और 8.12.5)
9A.1	सामान्य इनलेटों के लिए HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक
9A.2	हल किए गए उदाहरण के इनपुट
9A.3	क्रांतिक गहराई और विशिष्ट हेड (D = 1.2 m)
9A.4	इनलेट-नियंत्रण हेडवाटर
9A.5	आउटलेट-नियंत्रण हेडवाटर
9A.6	निर्णायक हेडवाटर और जाँचें
9A.7	रिपरैप एप्रन का आकार निर्धारण
9A.8	हल किए गए उदाहरण का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
9B.1	मानक ड्रॉइंग पर आयाम और नियम तथा उनके स्रोत खंड
9C.1	पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची
9C.2	नियंत्रण स्तर (मान डिजाइन में निर्धारित किए जाने हैं)
10A.1	कैलकुलेटर के इनपुट
10A.2	कैलकुलेटर द्वारा की जाने वाली गणनाएँ
10B.1	परतें
10B.2	SW_FAC (सुविधाएँ) के गुण
10B.3	SW_OUTF (आउटफॉल) के गुण
10B.4	SW_CATCH (जलग्रहण क्षेत्र) के गुण
10B.5	SW_FLOW और SW_CONV (प्रवाह मार्ग और वहन) के गुण
10B.6	मेटाडेटा (SW_META)
10B.7	सुविधा के प्रकार के कोड (FAC_TYPE)
10B.8	स्थिति के कोड (STATUS)
10B.9	निरीक्षण परिणाम के कोड (INSP_RES)
10C.1	मैनुअल द्वारा निर्धारित पहुँच आयाम
10C.2	मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए पहुँच आयाम (डिजाइन में पुष्टि की जानी है)

तालिका	शीर्षक
10D.1	O&M योजना की विषय-वस्तु
10D.2	प्रतिधारण और अंत:स्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)
10D.3	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
10D.4	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
10D.5	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण
10D.6	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व
10D.7	स्थूल प्रदूषक जाल या प्रथम प्रवाह युक्ति
10D.8	निजी ड्रेन और इनलेट
11A.1	सुपुर्दगी योग्य सामग्री
11B.1	खंड 11.3.3 में नामित बेसिन (अनंतिम)
11B.2	बेसिन सीमा परत के गुण (रूपरेखा)
11C.1	गहराई–क्षति वक्र (रूपरेखा, प्रत्येक भवन प्रकार के लिए एक तालिका)
11D.1	प्रकाशित की जाने वाली मदें

चित्रों की सूची

चित्र	शीर्षक
1.1	वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम
1.2	प्रयोज्यता निर्णय फ्लोचार्ट
2.1	डिजाइन वर्षा के स्रोतों का पदानुक्रम और समायोजन
2.2	डिजाइन हायटोग्राफ
2.3	डिजाइन वर्षा के स्रोत से डिजाइन वर्षा घटना तक
3.1	जलवैज्ञानिक विधि का चयन
3.2	सांद्रण समय: सबसे लंबे प्रवाह मार्ग के साथ प्रवाह खंड (योजनाबद्ध)
3.3	SCS-CN अपवाह की गहराई बनाम वर्षा की गहराई
3.4	दो-पदीय सतत सिमुलेशन: तालाब का प्रारंभिक स्तर (योजनाबद्ध)
3.5	विकास-पूर्व और विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ
4.1	विकास-पूर्व 10-वर्ष, विकास-पश्चात 100-वर्ष अनियंत्रित, और भंडारण सहित हाइड्रोग्राफ (उदाहरणार्थ)
4.2	अस्थायी भंडारण के स्तर-क्रम और बहु-चरणीय आउटलेट (योजनाबद्ध)

चित्र	शीर्षक
4.3	नियत-गुणांक मार्ग: निकास सीमाएँ, मास-वक्र विधि द्वारा भंडारण और दो-चरणीय आउटलेट (योजनाबद्ध)
5.1	अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार
5.2	फ्लैप गेट और डिजाइन टेलवाटर स्तरों सहित ज्वारीय आउटफॉल का खंड-चित्र
5.3	ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल की समय-रेखा (उदाहरणार्थी)
6.1	कर्बयुक्त सड़क में लघु और प्रमुख जल निकासी
6.2	कर्ब चैनल फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध
6.3	ड्रेन के खंड: फ्रीबोर्ड, तलछट प्रावधान और पहुँच
6.4	जल निकासी आरक्षित पट्टी: अनुप्रस्थ काट (योजनाबद्ध)
6.5	तटीय पट्टी: फर्श स्तर की परतें और पट्टी का विस्तार (योजनाबद्ध)
7.1	जलाशय के सेटबैक जोन
7.2	ऊँचाई पट्टी के अनुसार प्रतिपूरक भंडारण (योजनाबद्ध)
7.3	छत्तीसगढ़ के मैदान पर एक शहरी तालाब समूह: कन्हार और डोरसा भूमि पर तालाबों का एक घेरा, जिसे कॉलोनी के नाले पानी देते हैं, एक घाट, नदी तक जाने वाले नाले में एक अतिप्रवाह, धान की निचली भूमि की किनारी पट्टी, और चूना पत्थर की पट्टी में गुहा जाँच सहित एक पुनर्भरण कुआँ
8.1	उपचार शृंखला
8.2	बायोरिटेंशन सेल
8.3	अंतःस्यंदन खाई
9.1	पुलिया की हाइड्रोलिक्स: इनलेट नियंत्रण और आउटलेट नियंत्रण
9.2	पाइप या पुलिया के आउटलेट पर रिपरैप एप्रन (योजनाबद्ध)
9.3	वर्षा जल पंपिंग स्टेशन: वेट वेल, जालियाँ, स्तर और आउटफॉल
10.1	प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन का कार्यप्रवाह
10.2	अनुमोदन से हस्तांतरण तक निर्माण के रोक बिंदु
10.3	रखरखाव चक्र और उत्तरदायित्व
11.1	बेसिन मास्टर प्लान की प्रक्रिया
11.2	BSMP मॉडल का योजनाबद्ध चित्र
6C.1	हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन
6C.2	ढकी ड्रेन पर निरीक्षण और संगम कक्ष
6C.3	गाद संप सहित कर्ब इनलेट
8E.1	गाद बाड़: काट और योजना (योजनाबद्ध)
8E.2	सतही जल-निष्कासन आउटलेट वाला तलछट बेसिन: काट (योजनाबद्ध)
8E.3	स्थिरीकृत निर्माण निकास: प्लान और काट (योजनाबद्ध)

चित्र	शीर्षक
8E.4	ड्रेन इनलेट सुरक्षा (योजनाबद्ध)
9B.1	पुलिया के हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें
9B.2	सीधी ऊर्ध्वाधर ड्रॉप संरचना
9B.3	वाहिका के प्रवेश पर कचरा-रोधी जाली
9B.4	अस्थायी भंडारण आउटलेट राइजर और आपातकालीन स्पिलवे

संक्षिप्त रूप

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
AEP	वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता
AMC	पूर्ववर्ती नमी स्थिति
AMRUT	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
APWA	American Public Works Association
ARF	क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक
AWS	स्वचालित मौसम केंद्र
BALCO	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा
BOD	जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग
BSMP	बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान
BSP	भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL) का
CAG	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
CECB	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
CGBVN 1984	छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, यथासंशोधित
CGSDMA	छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
CGWA	केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण
CGWB	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
CN	कर्व नंबर (SCS/NRCS विधि)
CPCB	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPHEEO	केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन
CSE	विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment)

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
CSPGCL	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
CWC	केंद्रीय जल आयोग
DGMS	खान सुरक्षा महानिदेशालय
DPR	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
DWF	शुष्क मौसम प्रवाह
EC	पर्यावरण स्वीकृति (किसी खदान, बिजली घर या परियोजना की)
EIA	पर्यावरण प्रभाव आकलन
ESC	अपरदन और तलछट नियंत्रण
FAR	तल क्षेत्र अनुपात
FER	बाढ़ आकलन रिपोर्ट (CWC)
FRL / FTL / MWL	जलाशय का पूर्ण जल स्तर / तालाब का पूर्ण जल स्तर / अधिकतम जल स्तर
GAD	सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़
HAT / MHWS	उच्चतम खगोलीय ज्वार / वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (तटीय शब्द; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
HFL	उच्चतम बाढ़ स्तर (किसी गेज पर दर्ज सबसे ऊँचा स्तर)
HGL	हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन
HSG	जलवैज्ञानिक मृदा समूह
IDF	तीव्रता–अवधि–आवृत्ति
IGKV	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
IMD	भारत मौसम विज्ञान विभाग
IRC	इंडियन रोड्स कांग्रेस
MLD	मिलियन लीटर प्रतिदिन
MoEF&CC	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MoHUA	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
NDMA	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NGT	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT CZ: उसकी केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल)
NIH	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
NOC	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
NRANVP	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA का वर्तमान नाम)
NRDA	नया रायपुर विकास प्राधिकरण, अब NRANVP
NTPC	NTPC लिमिटेड (पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन)

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
OB	ओवरबर्डन (कोयले तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान और मिट्टी)
PHED	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़
PSD	साइट की अनुमेय प्रवाह दर
RDA	रायपुर विकास प्राधिकरण
RMC	नगर पालिक निगम रायपुर
RRV	आवश्यक प्रतिधारण आयतन
RWH	वर्षा जल संचयन
SADA	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (1973 के अधिनियम के अंतर्गत)
SANDRP	South Asia Network on Dams, Rivers and People
SECL	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी
SLA	समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (तटीय शब्द; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
SLIP	सेवा-स्तर सुधार योजना (AMRUT)
SoI	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SRRG	स्व-अभिलेखी वर्षामापी
STP	सीवेज शोधन संयंत्र
SUDA	राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़
SUH	संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (CWC)
SW monsoon / JJAS	दक्षिण-पश्चिम मानसून, जून–सितंबर
SWD	वर्षा जल ड्रेन
T&CP	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़
UADD	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़
ULB	शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत)
UTM	Universal Transverse Mercator
WL / DL	चेतावनी स्तर / खतरे का स्तर (CWC)
WQv	जल गुणवत्ता आयतन
WRD	जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
WSUD	जल-संवेदी शहरी डिजाइन

अध्याय 1

नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण

1.1 उद्देश्य और लक्ष्य

1.1.1 यह मैनुअल छत्तीसगढ़ में वर्षा जल प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह खंड 1.5 में निर्धारित रूप में निजी विकास और लोक निर्माण कार्यों पर लागू होता है।

1.1.2 इस मैनुअल के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- (a) वर्षा जल प्रबंधन को **विकास अनुमोदन की शर्त** बनाना, ताकि नया विकास और पुनर्विकास अनुप्रवाह (downstream) में बाढ़ के चरम प्रवाह या अपवाह के आयतन को न बढ़ाए;
- (b) बार-बार होने वाली वर्षा को साइट पर ही रोके रखना, ताकि भूजल पुनर्भरण बना रहे और प्रदूषक भार कम हों;
- (c) भंडारण का आकार अल्प अवधि की तीव्रताओं के साथ-साथ जुलाई–सितंबर की दीर्घ अवधि वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं (storm events) के लिए भी निर्धारित करना, जो बंगाल की खाड़ी के अवदाबों और कम दबाव के क्षेत्रों से आती हैं और कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की ऐसी धान की भूमि पर, जो पहले से संतृप्त और मचाई गई (puddled) है, अपने पूर्ण स्तरों पर भरे तालाबों (talab) और जलाशयों पर, और प्रायः गंगरेल, मिनीमाता बांगो और प्रतिप्रवाह (upstream) के बैराजों से छोड़े गए पानी से चढ़ी नदियों पर गिरती हैं;
- (d) आउटफॉल (outfall) को उन नदियों के जल स्तर (river stage) के लिए डिजाइन करना जिनमें नगरों का पानी जाता है, अर्थात् रायपुर में खारुन, दुर्ग में शिवनाथ, बिलासपुर में अरपा, कोरबा में हसदेव, रायगढ़ में केलो और महानदी, और जगदलपुर में इंद्रावती, जो गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज और नगरों के ऊपर के बैराजों से छोड़े गए पानी से चढ़ती हैं; रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉलों पर हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर के लिए; और उन तालाबों, जलाशयों, नालों (nala) और खदान के गड्ढों (mine void) के स्तरों के लिए, जिनमें स्थानीय ड्रेनें गिरती हैं, जिसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जब आउटफॉल बंद हो;
- (e) तालाबों (talab), दलदलों, नदियों, आपूर्ति चैनलों और अतिरिक्त जल मार्गों की जल निकासी प्रणाली के अंग के रूप में रक्षा करना;
- (f) जल निकासी नेटवर्क के प्रत्येक तत्व को 1% AEP (100-वर्ष) वर्षा घटना के लिए सुरक्षित सतही प्रवाह मार्ग देना;
- (g) डिजाइन इनपुट, अनुमोदन और सुविधा अभिलेख सार्वजनिक करना, ताकि डिजाइनों की जाँच की जा सके और उन्हें दोहराया जा सके; और
- (h) यह सुनिश्चित करना कि सुविधाओं का निर्माण हो जाने के बाद उनका रखरखाव हो और वे प्रभावी बनी रहें।

1.1.3 यह मैनुअल वर्षा जल संचयन (RWH) की अनिवार्यता, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि विकास नियमों (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984) या जलाशयों से संबंधित कानूनों का स्थान नहीं लेता। यह उनमें अपवाह नियंत्रण की अपेक्षाएँ जोड़ता है (खंड 1.8)।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में बाढ़ तीन स्रोतों से आती है, और प्रायः एक साथ। पहला स्रोत बंगाल की खाड़ी के किसी अवदाब की भारी वर्षा घटना है। रायपुर ने 4 अगस्त 1910 को 370.3 mm वर्षा दर्ज की, जो उसका सर्वाधिक वर्षा वाला दिन और राज्य की किसी भी IMD वेधशाला का उच्चतम मान है, जबकि उसी दिन कुरुद में 381.0 mm और आरंग में 318.0 mm वर्षा दर्ज हुई; रायपुर ने 30 जून 2007 को 297.0 mm वर्षा दर्ज की, जब उसके निचले क्षेत्रों से 6,000 से अधिक लोगों को हटाया गया (IMD; प्रकाशित खबरों के अनुसार); और CWC की

समवर्षा प्लेटें (isopluvial plates) बनने के बाद दुर्ग में 337.0 mm (15 जून 2004), कोरबा में 358.0 mm (12 अगस्त 2004) और जशपुरनगर में 365.0 mm (30 जून 2001) के रिकॉर्ड बने हैं (IMD)। जुलाई 2026 में बिलासपुर में ऐसी वर्षा से बाढ़ आई जो 24 घंटों में 28 cm बताई गई, और जिसे एक अन्य रिपोर्ट 415.6 mm बताती है; यह विरोधाभास सुलझा नहीं है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। दूसरा स्रोत नदियाँ और उन पर बने डैम और बैराज हैं। 28–29 अगस्त 2020 को रायपुर के नीचे पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन 281.68 m तक चढ़ी, जो उसके पिछले उच्चतम स्तर के रूप में उद्धृत 1994 के 279.21 m से 2.47 m अधिक है, और कलमा (Kalma) और सूरजगढ़ पर महानदी और कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड ने नए उच्चतम स्तर बनाए (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा लिखित रूप में), जबकि राज्य में 11,942 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर थी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अगस्त 2025 में बस्तर संभाग की बाढ़ में आठ लोगों की जान गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 24–27 सितंबर 2026 को गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे, खारुन रायपुर में महादेव घाट पर उफनी, जगदलपुर में इंद्रावती 1973 के अपने उच्चतम स्तर से ऊपर 544.891 m तक चढ़ी, और राज्य भर में आठ लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोगों को बचाया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार; बताई गई संख्याएँ भिन्न हैं)। कोरबा में हसदेव मिनीमाता बांगो और दर्री से छोड़े गए पानी के साथ चढ़ती है, जिससे अगस्त 2024 में नगर के कुछ भाग जलमग्न हुए, और रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉल हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर के भीतर हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। तीसरा स्रोत नगर की वह जल निकासी है जो ऐसी वर्षा में भी विफल हो जाती है जो असाधारण नहीं है। नगर पालिक निगम रायपुर (RMC) ने 2015 में दर्ज किया कि उसकी ड्रेनें शहर के 49% भाग को आच्छादित करती हैं, कि बरसात में "अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("most of the drains are overflowed") और कि सड़क के 11 हिस्सों में वर्ष में दो-तीन बार बाढ़ आती है (RMC, AMRUT योजना), और जुलाई 2026 में रायपुर की कॉलोनियाँ, अंडरपास और रेलवे स्टेशन ऐसी वर्षा घटना में जलभराव से ग्रस्त हुए जिसके लिए कोई वर्षा मान नहीं बताया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

डिजाइन का अभाव तीनों को और बदतर बनाता है। राज्य में किसी नगर की ड्रेनों के लिए मिली एकमात्र डिजाइन वर्षा घटना नया रायपुर विकास योजना-2031 की 5-वर्ष की तीव्रता है; ₹1,191 करोड़ के वर्षा जल ड्रेन कार्यों की RMC की योजना कोई पुनरावृत्ति अवधि नहीं बताती, और राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा — AMRUT ने नौ नगर निगमों में जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यानों का वित्तपोषण किया — ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती (CAG, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष)। भूमि विकास नियम, 1984 वर्षा जल संचयन प्रणालियों का नियंत्रण करते हैं, अपवाह का नहीं। लक्ष्य (b) से (e) भंडारण, आउटफॉल और भवन-स्तर की उन विफलताओं को संबोधित करते हैं, जिन्हें केवल ड्रेन का आकार तय करने वाला मैनुअल ठीक नहीं कर सकता।

कोई राष्ट्रीय लिखत (instrument) साइट पर अस्थायी भंडारण (on-site detention) को अनिवार्य नहीं करता। CPHEEO (2019) परामर्शी है और चरम प्रवाह नियंत्रण को केवल सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है। NDMA (2010) कहता है कि अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण को सम्मिलित "किया जाएगा" ("will"), किंतु आकार निर्धारण का कोई नियम नहीं देता। MBBL 2016 और भूमि विकास नियम, 1984 केवल RWH को अनिवार्य करते हैं। इसलिए लक्ष्य (a) वह मुख्य नया कदम है जो यह मैनुअल उठाता है।

1.2 वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम

1.2.1 प्रत्येक विकास, जिस पर अध्याय 4 लागू होता है, वर्षा जल उपायों पर निम्नलिखित क्रम में विचार करेगा। डिजाइनकर्ता किसी ऐसे उच्चतर उपाय के स्थान पर, जो साइट पर व्यवहार्य हो, किसी निचले उपाय का उपयोग नहीं करेगा।

1. **संरक्षण** — प्राकृतिक जल निकासी स्वरूपों, तालाबों, आर्द्रभूमियों, पारगम्य मिट्टी, वृक्षों और सतही प्रवाह मार्गों को बनाए रखना या पुनर्स्थापित करना (अध्याय 7)।
2. **प्रतिधारण** — परिशिष्ट 2E की प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth) से उत्पन्न अपवाह को अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा साइट पर रोके रखना (अध्याय 4 और 8)।
3. **अस्थायी भंडारण** — बड़ी वर्षा घटनाओं के पानी का अस्थायी भंडारण करना और उसे अध्याय 4 की दरों पर या उनसे कम दर पर छोड़ना, जिसकी जाँच अनुप्रवाह और टेलवाटर (tailwater) स्थितियों के विरुद्ध की गई हो (अध्याय 4 और 5)।
4. **वहन** — शेष प्रवाह को लघु प्रणाली में, और 1% AEP प्रवाह को प्रमुख प्रणाली में, सुरक्षित रूप से ले जाना (अध्याय 6 और 9)।

1.2.2 **रखरखाव** चारों उपायों का आधार है। जिस उपाय का रखरखाव उसका स्वामी अध्याय 10 के अंतर्गत नहीं कर सकता, उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

1.2.3 उच्चतर उपायों से मिलने वाले क्रेडिट निचले उपायों की अपेक्षाओं को घटाते हैं। संरक्षित क्षेत्र और प्रतिधारित आयतन, अध्याय 4 में निर्धारित रूप में, अस्थायी भंडारण की आवश्यकता को घटाते हैं।

चित्र 1.1 — वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम: संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, और प्रत्येक उपाय के आधार में रखरखाव। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Mid-America Regional Council / Kansas City Metro Chapter APWA, "Layers of Stormwater Management", APWA 5600 Manual Factsheet, 2025 (अवधारणा) से रूपांतरित।

भाष्य. यह क्रम Kansas City Metro APWA Section 5600, Version 2025.01 की "परतों" ("layers") का अनुसरण करता है: संरक्षण या पुनर्स्थापन, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, रखरखाव (MARC factsheet, 2025)। यही तर्क जॉर्जिया के अपवाह-न्यूनीकरण मानक और CSE के "पहले क्षीण करो और अंतःस्यंदित करो" ("attenuate and infiltrate first") सिद्धांत के पीछे भी है (CSE, 2023)। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ऊपरी परत का विशेष अर्थ है। राज्य के बाढ़ भंडारण का बड़ा भाग उसके तालाबों (talab), डबरियों (dabri; खोदे गए छोटे तालाब) और बाँधों (bandh) में, मैदान के मेड़बंद धान के खेतों में, और उसकी नदियों पर बने जलाशयों और बैराजों के जलाशयों में है। रायपुर तालाबों का शहर था: प्रकाशित खबरों के अनुसार उसमें लगभग 130 तालाब थे, जिनमें से लगभग 37–40 बचे हैं, कुल लगभग 69 ha में, और उनमें से अधिकांश गाद से भरे और प्रदूषित हैं। नवा रायपुर अटल नगर की योजना लगभग 55 झीलों और जलाशयों के जाल पर बनाई गई, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh) और खंडवा (Khandawa) हैं, और उसकी चार प्रमुख धाराओं को संरक्षित रखा जाना था और उसके उद्यानों को झीलों तक "वर्षा जल वाहक" ("storm water carriers") का काम करना था (NRDA, नया रायपुर विकास योजना-2031; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, 1993 में बना 210 ha का जलाशय, राज्य का पहला रामसर स्थल बना, जिसका नामांकन 8 अगस्त 2025 को हुआ और घोषणा दिसंबर 2025 में हुई (रामसर सूचना पत्रक; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कानून इस भंडारण के कुछ भाग की रक्षा करता है। गाँव के वे तालाब जिन पर समुदाय सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों का प्रयोग करता था, राज्य सरकार में निहित होते हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाबों पर अतिक्रमण के विरुद्ध अप्राधिकृत कब्जे के रूप में कार्यवाही की जाती है (धारा 248), जैसा NGT के एक आदेश (O.A.

78/2024) के बाद बलौदा में हुआ; अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर राज्य का 2002 का अधिनियम जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण के नियमितीकरण पर रोक लगाता है (धारा 7(1)(चार)); भूमि विकास नियम, 1984 का विरासत में मिला पाठ किसी जलाशय के उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, और किसी प्रमुख जलमार्ग के औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी सीमा से 15 m के भीतर, भवन पर रोक लगाता है (नियम 50(b)), एक ऐसी दूरी जिसके छत्तीसगढ़ पाठ की पुष्टि की जानी है [TBC]; और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्यों पर आर्द्रभूमि नियम, 2017 की रोक रायपुर के तालाबों और झांझ आर्द्रभूमि पर लागू की है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956, अपने मध्य प्रदेश पाठ में, सार्वजनिक तालाबों, धाराओं और ड्रेनों को निगम में निहित करता है और निहित तालाब के किसी अन्य उपयोग को प्रतिषिद्ध करता है (धारा 82); उसका छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]। कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून नदियों की रक्षा नहीं करता। उस भंडारण की हानि की भरपाई पाइपों और पंपों से आर्थिक रूप से नहीं की जा सकती।

1.3 विधिक आधार और स्थिति

1.3.1 **अधिसूचना.** इस मैनुअल को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से सांविधिक प्रभाव दिया जाएगा:

- (a) भूमि विकास नियम, 1984 में ऐसा संशोधन जो, उस विकास के लिए जिस पर खंड 1.5 लागू होता है, इस मैनुअल के अनुपालन को योजना अनुमति, भवन अनुमति, लेआउट अनुमोदन और समापन प्रमाण-पत्र की शर्त बनाए; और
- (b) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) की उपविधियाँ या स्थायी आदेश, जो उस ULB द्वारा निष्पादित या अनुमोदित कार्यों के लिए, जिनमें ULB की अपनी ड्रेनें और सड़कें सम्मिलित हैं, इस मैनुअल को अंगीकार करें।

1.3.2 **राज्य के उच्चतर मानक.** इस मैनुअल की डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ और निष्पादन मानदंड CPHEEO के Manual on Storm Water Drainage Systems (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों से अधिक हैं। इन उच्चतर मानकों को अंगीकार करने के लिए राज्य अधिसूचना द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (**राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति**, खंड 1.9) का गठन करेगा। उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियों के लिए CPHEEO (2019) यही मार्ग प्रदान करता है।

1.3.3 **पूर्वता.** अपने दायरे में, जहाँ यह मैनुअल CPHEEO (2019), IRC:SP:42-2014, IRC:SP:50-2013 या किसी विभागीय मानक से अधिक कठोर है, वहाँ यह मैनुअल अभिभावी होगा। जहाँ कोई कानून या सांविधिक नियम अधिक कठोर अपेक्षा निर्धारित करता है (उदाहरण के लिए जलाशय सेटबैक), वहाँ वह कानून अभिभावी होगा।

1.3.4 **लोक निर्माण कार्यों के लिए डिजाइन-पद्धति मानक.** जल निकासी, सड़क या जलाशय कार्यों का प्रापण करने वाले विभाग और ULB, खंड 1.11 की तिथियों से, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPR) और संविदाओं में इस मैनुअल के अनुपालन की अपेक्षा करेंगे।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में भवन नियम अब भी 1984 के वही भूमि विकास नियम हैं जो राज्य को 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले, नए शीर्षक से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 कहलाए, और तब से आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत संशोधित किए गए हैं; मध्य प्रदेश के विपरीत, जिसने 2012 में अपने 1984 के नियमों के स्थान पर नए नियम बनाए, छत्तीसगढ़ ने नए नियम नहीं बनाए हैं। भूमि विकास नियम का न तो मूल पाठ मिला और न कोई समेकित पाठ, इसलिए नियम 2 (परिभाषाएँ), 50, 51, 73 और 78(4) का छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]; यह मैनुअल उन संशोधनों को उद्धृत करता है जो पढ़े गए। 17 दिसंबर 2008 का संशोधन (क्रमांक एफ 7-26/32/2008) एकीकृत उपनगरों (integrated townships) का प्रावधान करता है, उनमें सीवेज शोधन संयंत्र और वर्षा जल संचयन अनिवार्य करता है और उन्हें किसी बारहमासी नदी के किनारे बसाने पर रोक लगाता है (नियम 94-क और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण); 17 फरवरी 2009 का संशोधन (क्रमांक 318/1193/32/2006) वर्षा जल संचयन के नियम, नियम 78(4), में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, यह बताए बिना कि वे किन अंकों का स्थान लेते हैं, जहाँ प्रणाली न बनाई जाए या उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति जोड़ता है, और भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की प्रणालियों में एक भंडारण टंकी जोड़ता है; 6 अक्तूबर 2018 का

संशोधन (क्रमांक F 7-27/2017/32) भूखंड की सीमा से 3 m और 6 m के बेसमेंट सेटबैक निर्धारित करता है (नियम 73(3)(क)), एक प्लिंथ प्रमाण-पत्र आरंभ करता है (नियम 96), और एक स्थल-निरीक्षण प्रपत्र जोड़ता है जो पूछता है कि क्या कोई प्रमुख नाला भूखंड से लगा है और कितनी दूरी पर, ऐसे नियम के अंतर्गत जिसकी संख्या राजपत्र रिक्त छोड़ता है; और 29 अप्रैल 2020 के संशोधन (क्रमांक F 07-24/2019/32) में जल, जल निकासी, बेसमेंट या वर्षा जल संचयन संबंधी कोई सामग्री नहीं है। सितंबर और दिसंबर 2025 के प्रारूपों और अक्तूबर 2026 में भूमि उपयोगों के पुनर्वर्गीकरण की खबरें हैं, जिनमें से कोई भी जल निकासी पर नहीं है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। नियम 50 अब भी किसी स्थल की अनुपयुक्तता पर छत्तीसगढ़ का नियम है, जैसा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के 2011 के रिपोर्ट-प्रपत्र से दिखता है; विरासत में मिले 1984 के पाठ में यह उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, और किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m के भीतर, जो भी अधिक हो, और ऐसे स्थल पर जिसकी उचित जल निकासी नहीं है, भवन पर रोक लगाता है (नियम 50(b) और (f)), किंतु छत्तीसगढ़ का पाठ वे दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। ये नियम कोई डिजाइन वर्षा घटना, पुनरावृत्ति अवधि, निकास दर या अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित नहीं करते, न कोई "शून्य अपवाह" ("zero runoff") नियम। इसलिए खंड 1.3.1(a) का मार्ग राज्य सरकार से होकर जाता है, जो अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत भूमि विकास नियम में संशोधन करेगी। यह मैनुअल एक प्रारूप है; इसे न सरकार ने अंगीकार किया है, न किसी प्राधिकरण ने। MoHUA ने जुलाई 2026 में संसद को बताया कि शहरी बाढ़ "राज्य सरकारों और ULB के अधिकार क्षेत्र में आती है" ("falls under the purview of the State Governments and the ULBs") और CPHEEO मैनुअल को "परामर्शी दिशानिर्देशों" ("advisory guidelines") में सूचीबद्ध किया (Lok Sabha AU1847)। इसलिए उच्चतर मानक अंगीकार करने के लिए राज्य को किसी केंद्रीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। CPHEEO की तालिका 4.1 की टिप्पणी 2 (§4.4.1.4) "राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति" ("a high powered committee constituted by State/UT Government through a notification") को उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियाँ अंगीकार करने की अनुमति देती है। खंड 1.3.2 इसी मार्ग का उपयोग करता है, ताकि केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए उच्चतर मानक अभिलेख पर रहें।

1.4 परिभाषाएँ

1.4.1 निम्नलिखित शब्द इस पूरे मैनुअल में लागू होते हैं। अध्याय-विशिष्ट शब्द प्रत्येक अध्याय में परिभाषित किए गए हैं (उदाहरण के लिए खंड 2.2)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी)	वह निकाय जो किसी विकास के लिए योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन देता है, या जो किसी लोक निर्माण कार्य को संस्वीकृति देता है: संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किसी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए अनुमति देता है; वह नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत, जिसके द्वारा भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत भवन अनुमति दी जाती है; NRDA, नवा रायपुर अटल नगर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने विशेष क्षेत्र में; या RDA या 1973 के अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई अन्य प्राधिकरण, अपने स्कीम क्षेत्र में, जहाँ वह ऐसी अनुमति देता है (इन शक्तियों के विभाजन की, और निवेश क्षेत्रों के बाहर अनुमति देने वाले निकायों की, पुष्टि की जानी है [TBC]); या अपने कार्यों के लिए कोई विभाग।
आवेदक	वह स्वामी, विकासकर्ता या विभाग जो अनुमोदन चाहता है, और उसके हक-उत्तराधिकारी (successors in title)।
विकास	कोई भी भवन, लेआउट, उप-विभाजन, सड़क, पक्की सतह या भूमि उपयोग परिवर्तन, जिसके लिए भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत अनुमोदन अपेक्षित हो या जो लोक निर्माण कार्य के रूप में निष्पादित किया जाए।
पुनर्विकास	ऐसी साइट पर विकास जहाँ अपारगम्य आवरण पहले से विद्यमान है।
भूमि विक्षोभ	भूमि की सफाई, समतलन, खुदाई, भराई या उसे पक्का करना, जिसे विकास की संपूर्ण साझा योजना पर प्लान क्षेत्रफल (plan area) में मापा जाए (खंड 1.5.5)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
अपारगम्य क्षेत्र	छतें, पक्की सतहें, संघनित बजरी, डेक और अन्य सतहें जो अंतःस्यंदन को रोकती हैं। अध्याय 8 के अनुसार डिजाइन किए गए पारगम्य पेवमेंट को केवल उस क्षेत्र के लिए पारगम्य गिना जाता है जिसका वह उपचार करता है।
नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र	विकास द्वारा बनाया गया, या सबग्रेड तक हटाकर पुनः बनाया गया, अपारगम्य क्षेत्र। आधार परत को यथावत छोड़ने वाला पुनः सतह बिछाना (resurfacing) "प्रतिस्थापित" नहीं है।
प्रतिधारण	साइट पर अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपवाह को जल निकासी प्रणाली से स्थायी रूप से हटाना (अध्याय 4)।
अस्थायी भंडारण	नियंत्रित आउटलेट के साथ अपवाह का अस्थायी भंडारण, जिसे वर्षा घटना के बाद खाली किया जाता है (अध्याय 4)।
वर्षा जल संचयन (RWH)	RWH की अनिवार्यता के अंतर्गत आपूर्ति या पुनर्भरण के लिए वर्षा का संग्रह। RWH भंडारण अस्थायी भंडारण नहीं है, जब तक अध्याय 4 इसकी अनुमति न दे।
लघु प्रणाली	अध्याय 6 के लघु-प्रणाली AEP के लिए डिजाइन की गई ड्रेनें, पाइप और इनलेट।
प्रमुख प्रणाली	वह सतही और बाढ़ मार्ग जो 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह को ले जाता है (अध्याय 6)।
विकास-पूर्व स्थिति	अविकसित खुली भूमि (greenfield): मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण की गणना नहीं की जाती (अध्याय 3)।
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	रायपुर और बिरगांव के उन नालों और ड्रेनों के जलग्रहण क्षेत्र जो खारुन में गिरते हैं, उन पर स्थित तालाबों और उनमें पानी छोड़ने वाली निचली कॉलोनियों सहित; बिलासपुर की वह भूमि जिसका पानी अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज के नीचे अरपा में जाता है; दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली की वह भूमि जिसका पानी शंकर और पुलगांव नालों और जुड़वाँ नगरों के अन्य नालों से होकर शिवनाथ (Seonath; Shivnath) में जाता है; कोरबा की वह भूमि जिसका पानी मिनीमाता बांगो डैम और दर्री पर हसदेव बैराज के नीचे हसदेव में जाता है; रायगढ़ और सारंगढ़ की वह भूमि जिसका पानी हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर के प्रभाव क्षेत्र के भीतर केलो, मांड या महानदी में जाता है; और जगदलपुर की वह भूमि जिसका पानी इंद्रावती में जाता है, और कोई भी जलग्रहण क्षेत्र जिसे प्राधिकारी अधिसूचित करे (अध्याय 4; परिशिष्ट 1B)।
जलाशय	नदी, धारा, नहर, तालाब (talab), झील, पोखर, दलदल, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग, चाहे बारहमासी हो या मौसमी (अध्याय 7)।
क्षेत्रीय सुविधा	एक से अधिक विकासों को सेवा देने वाली अस्थायी भंडारण, प्रतिधारण या तालाब भंडारण सुविधा, जो बेसिन प्लान के अंतर्गत निर्मित या पुनर्स्थापित की गई हो (अध्याय 4)।
टियर A / टियर B प्राधिकारी	खंड 1.6 के अंतर्गत वर्गीकृत अनुमोदन प्राधिकारी।
नीति अनुपूरक	खंड 1.7 और परिशिष्ट 1C के अंगीकरणीय वैकल्पिक खंडों का समूह।
जल निकासी रिपोर्ट	अध्याय 10 द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक या अंतिम रिपोर्ट।
पंजीकृत पेशेवर	भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत संबंधित नक्शे तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति, जिसके पास खंड 10.6 द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त योग्यता भी हो।
अनुपालन कैलकुलेटर	अनुपालन की गणना और रिपोर्टिंग के लिए राज्य द्वारा जारी उपकरण (खंड 10.5)।
रखरखाव घोषणा-पत्र	किसी वर्षा जल सुविधा के रखरखाव के लिए स्वामी द्वारा दिया गया पंजीकृत वचन-पत्र (खंड 10.10)।
विचलन	किसी संख्यात्मक अपेक्षा से हटने का अनुमोदन, जिसके साथ समतुल्य निष्पादन दर्शाया गया हो (खंड 1.10)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
अधित्याग	यह अनुमोदन कि खंड 1.10 के आधारों पर कोई अपेक्षा किसी साइट पर लागू नहीं होती।
अधिसूचित	सरकार या राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित।

> **भाष्य.** "प्रतिस्थापित" अपारगम्य क्षेत्र की परिभाषा सबग्रेड तक इसलिए दी गई है कि पूरी तरह पक्की साइट का पुनर्विकास इसके दायरे में आए, जबकि नियमित रूप से पुनः सतह बिछाना न आए। यह APWA 5600 (2025.01) के पुनर्विकास संबंधी प्रारंभक मानों (triggers) की पद्धति का अनुसरण करता है (MARC Supplement, 2025)।

1.5 प्रयोज्यता

1.5.1 **किन पर लागू.** यह मैनुअल निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन की अपेक्षा वाला सभी विकास;
- (b) किसी ULB, राज्य विभाग, बोर्ड या राज्य उपक्रम द्वारा निष्पादित सभी जल निकासी, सड़क, पुल, पुलिया, जलाशय और बाढ़-शमन कार्य; और
- (c) छत्तीसगढ़ के भीतर केंद्रीय एजेंसियों या उनके ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य, उस सीमा तक जहाँ तक प्राधिकारी का अनुमोदन या अनापत्ति अपेक्षित है।

1.5.2 **प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण का सीमा-मान.** अध्याय 4 और 5 (प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण) ऐसे किसी भी विकास पर लागू होते हैं जिसमें, विकास की साझा योजना पर, निम्नलिखित सम्मिलित हो:

- (a) **0.1 ha या अधिक** का भूमि विक्षोभ; **या**
- (b) **500 m² या अधिक** का नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र।

1.5.3 **RWH.** RWH की विद्यमान अनिवार्यता भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78(4) के अंतर्गत, जैसा 17 फरवरी 2009 को संशोधित हुआ, **500 m²** बताई गई सीमा से बड़े भूखंडों पर बने भवनों पर (नियम का छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया, और संशोधन अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है [TBC]), भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की प्रणालियों द्वारा, जहाँ प्रणाली न बनाई जाए या उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m² निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति के साथ; और सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मई 2016 के आदेश के अंतर्गत, 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतों वाले शासकीय भवनों पर, पहले की भाँति लागू रहती है। यह मैनुअल इसमें परिवर्तन नहीं करता।

1.5.4 **हर आकार पर लागू प्रावधान.** खंड 1.5.1 के अंतर्गत सभी विकास पर, उसका आकार चाहे जो हो, निम्नलिखित लागू होते हैं, जब तक खंड 1.5.8 द्वारा छूट न दी गई हो:

- (a) वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन नहीं (अध्याय 8);
- (b) जहाँ 1% AEP स्तर मानचित्रित या निर्धारण योग्य है, वहाँ सबसे निचला आवास योग्य तल और खुले भाग (openings) 1% AEP स्तर से 0.5 m अधिक पर या उससे ऊपर (अध्याय 6);
- (c) जलाशय सेटबैक और भराई-निषिद्ध जोन (no-fill zone) (अध्याय 7); और
- (d) किसी प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख-प्रणाली प्रवाह मार्ग में कोई अवरोध नहीं (अध्याय 6)।

1.5.5 **विकास की साझा योजना.** खंड 1.5.2 के सीमा-मान किसी विकास के कुल क्षेत्र पर लागू होते हैं, जिसमें आवेदन की तिथि पर एक लेआउट अनुमोदन या एक स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले सभी चरण, भूखंड और उप-विभाजन सम्मिलित हैं। सीमा-मानों से बचने के लिए किसी विकास को विभाजित नहीं किया जाएगा।

1.5.6 **पुनर्विकास.** पुनर्विकास के लिए सीमा-मान नए और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र के योग पर लागू होते हैं। प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण संपूर्ण नए और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होते हैं, और विकास-पूर्व स्थिति अविकसित खुली भूमि (greenfield) है (खंड 1.4)। जहाँ किसी सीमित पुनर्विकास साइट पर अविकसित खुली भूमि के स्तर का नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ खंड 4.5.6 का राहत मार्ग लागू होता है: विद्यमान चरम प्रवाह से साइट पर न्यूनतम 50% की कमी, और शेष कमी के लिए बेसिन भंडारण में एवज शुल्क (fee-in-lieu) का भुगतान।

1.5.7 **रैखिक लोक निर्माण कार्य.** सड़कों, चौड़ीकरण और अन्य रैखिक कार्यों के लिए, अपारगम्य क्षेत्र का सीमा-मान पार किए गए प्रत्येक जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र के भीतर जोड़े गए अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होता है। प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण मार्गाधिकार (right of way) के भीतर उपलब्ध कराए जाएँगे, या, जहाँ मार्गाधिकार में उनके लिए स्थान न हो, अध्याय 4 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय सुविधा में।

1.5.8 **छूट.** निम्नलिखित को अध्याय 4 और 5 से छूट प्राप्त है:

- (a) अपने ही भूखंड पर एकल आवास, जहाँ खंड 1.5.2 के सीमा-मान पूरे नहीं होते; और
- (b) सड़क का रैखिक पुनः सतह बिछाना, जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र नहीं जुड़ता।

छूट प्राप्त विकास RWH अनिवार्यता और खंड 1.5.4 के अधीन बना रहता है।

1.5.9 **प्रयोज्यता निर्धारण.** आवेदक अध्याय 10 के अंतर्गत पहली प्रस्तुति के साथ प्रयोज्यता संबंधी निर्णय **प्रपत्र 1-1** (प्रयोज्यता निर्धारण) पर दर्ज करेगा। प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में इसकी पुष्टि या इसमें सुधार कर सकता है।

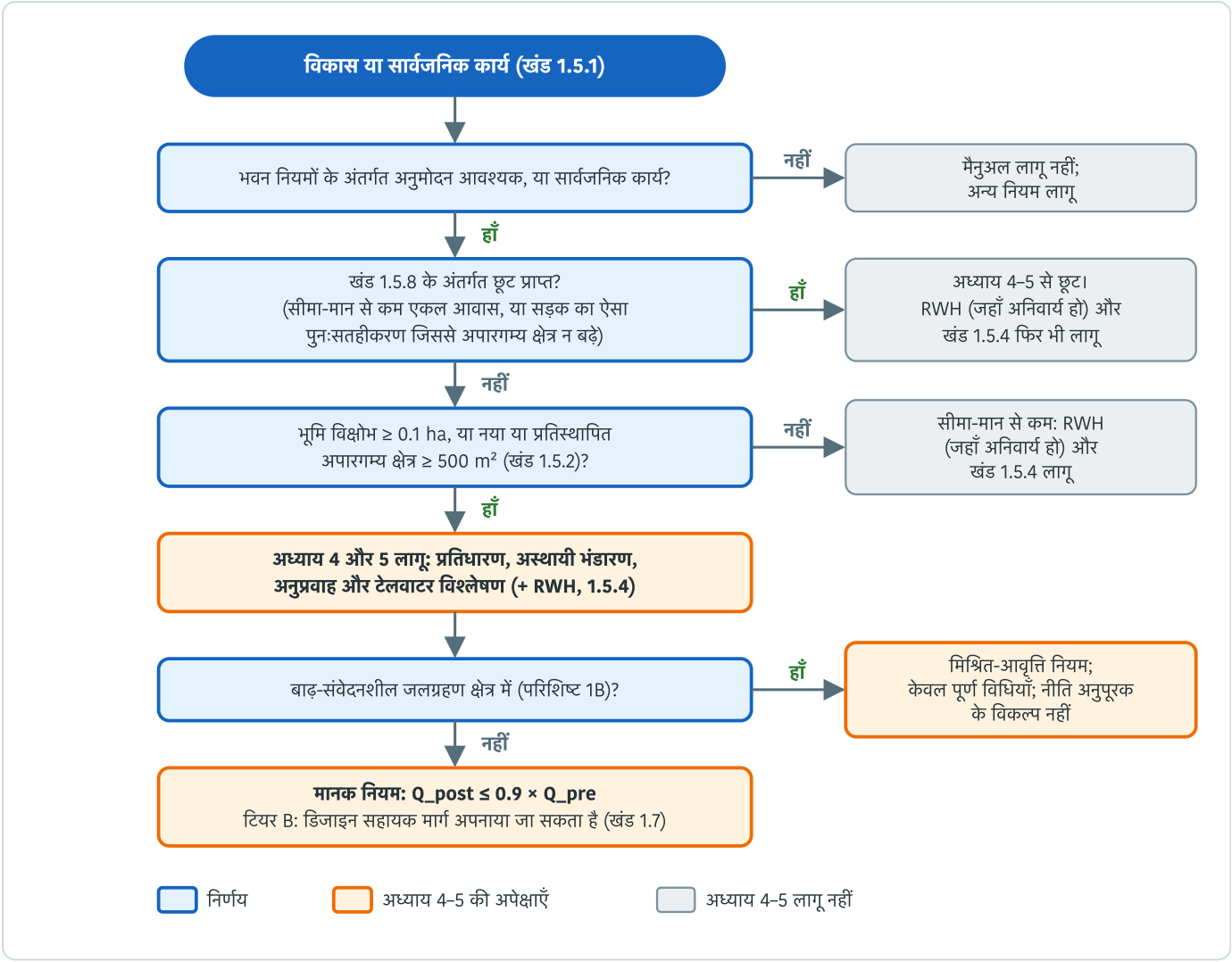

चित्र 1.2 — खंड 1.5 के लिए प्रयोज्यता निर्णय फ्लोचार्ट। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

भाष्य. सीमा-मानों का कोई एकल प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। पूर्व-उदाहरण व्यापक दायरे में फैले हैं:

- सिंगापुर 0.2 ha या अधिक के विकासों से चरम अपवाह को नियंत्रित करता है (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 7.1.5)।
- मलेशिया की 2008 की DID जाँच-सूची में 0.1 ha तक की साइटों के लिए साइट पर अस्थायी भंडारण और उससे बड़ी साइटों के लिए सामुदायिक तालाबों का उपयोग किया गया।
- APWA 5600 (2025.01) का Policy Supplement ¼ एकड़ (लगभग 0.1 ha) विक्षोभ, या 10,000 वर्ग फुट (लगभग 930 m²) अपारगम्य क्षेत्र के साथ 1 एकड़ (लगभग 0.4 ha), के वैकल्पिक प्रारंभक मान प्रस्तुत करता है, और एजेंसियों को 1 एकड़ के प्रारंभक मान से आगे न जाने की चेतावनी देता है।
- MBBL 2016 500 m² से बड़े भवनों के लिए पुनर्भरण को अनिवार्य करती हैं।

0.1 ha / 500 m² का प्रारंभक मान इनमें सबसे कठोर छोर पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य भूखंड छोटे हैं और अनेक छोटे भूखंडों का संचयी प्रभाव ही रायपुर की ड्रेनों को भरता है। छत्तीसगढ़ में छोटे भवनों के लिए भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4) 500 m² बताई गई सीमा से बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन की अपेक्षा करता है (8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर); 17 फरवरी 2009 का संशोधन नियम में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, यह बताए बिना कि वे किनका स्थान लेते हैं, इसलिए सीमा की पुष्टि छत्तीसगढ़ पाठ से की जानी है [TBC]। प्रणालियाँ भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की नियत विधियाँ हैं, जिनमें बारीक पत्थर और बारीक रेत का फिल्टर तल (ढ-2) और एक भूमिगत

भंडारण टंकी, जिसका पानी घर और बगीचे में उपयोग होता है (ढ-4), सम्मिलित हैं; इनमें से किसी का भी आकार अपवाह आयतन के अनुसार निर्धारित नहीं होता, और कोई भी यह सीमित नहीं करती कि भूखंड से कितना पानी बाहर जाए। सीमा से छोटे भूखंडों के लिए कोई नियम ही नहीं है। मैदान की कन्हार (kanhar) मिट्टियों पर, जो गड्ढे जून में चिकनी मिट्टी के फटे होने पर पानी लेते हैं, वे दरारें बंद हो जाने पर भरे खड़े रहते हैं। 2018 में आरंभ किया गया प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96 और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q1) किसी भवन की स्थिति, सेटबैक और विचलनों की जाँच करता है, किंतु उसमें प्लिंथ स्तर या जल निकासी के लिए कोई मद नहीं है, और 2017 का एक प्रारूप, जो 100 m² से बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन की अपेक्षा करता और मनोरंजन हेतु खुले स्थान का 20% बिना पक्का किए रखवाता, अंतिम रूप में नहीं मिला [TBC]। इसी कारण खंड 1.5.4(b) हर भवन पर लागू होता है, उसका आकार चाहे जो हो।

खंड 1.5.4(b) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि फर्श स्तर किसी भवन की सबसे सस्ती सुरक्षा है, और केवल बड़े विकासों की रक्षा करना विसंगत होगा। जहाँ कोई 1% AEP स्तर मानचित्रित नहीं है, वहाँ अध्याय 6 छोटी साइटों के लिए विधि देता है।

1.6 टियर-आधारित अंगीकरण

1.6.1 **टियर A प्राधिकारी.** निम्नलिखित टियर A हैं:

- (a) नगर पालिक निगम रायपुर (RMC);
- (b) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रायपुर के निवेश क्षेत्र के भीतर, जैसा वह क्षेत्र समय-समय पर अधिसूचित हो, प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी, जिसमें संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जहाँ वह विकास अनुमति देता है, अपने स्कीम क्षेत्रों में RDA, और उस क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें सम्मिलित हैं; और NRDA, नवा रायपुर अटल नगर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने विशेष क्षेत्र में; और
- (c) छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम (नगर पालिक निगम, Nagar Palik Nigam), जैसा समय-समय पर गठित हो, जिनमें बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी और चिरमिरी हैं, और संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश और 1973 के अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रत्येक विकास प्राधिकरण, जहाँ वह किसी नगर निगम के निवेश क्षेत्र के भीतर विकास अनुमति देता है।

1.6.2 **टियर B प्राधिकारी.** अन्य सभी नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें टियर B हैं।

1.6.3 **टियरों के बीच क्या भिन्न है.** इस मैनुअल के सभी मानदंड दोनों टियरों में लागू होते हैं। टियर केवल विधि और समीक्षा में भिन्न हैं:

तालिका 1.1 — टियर A और टियर B प्राधिकारियों के बीच अंतर

मद	टियर A	टियर B
निष्पादन मानदंड (अध्याय 2–9)	पूर्ण रूप से लागू	पूर्ण रूप से लागू
भंडारण के लिए जलवैज्ञानिक विधि	हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3)	हाइड्रोग्राफ विधि, या पात्र होने पर खंड 1.7 का डिजाइन-सहायिका मार्ग
अनुपालन कैलकुलेटर (खंड 10.5)	सारांश के रूप में अपेक्षित	अपेक्षित; डिजाइन-सहायिका मार्ग पर एकमात्र गणना हो सकता है
नीति अनुपूरक के विकल्प (खंड 1.7)	केवल राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति की सहमति से	परिषद संकल्प द्वारा अंगीकार किए जा सकते हैं
तकनीकी समीक्षा	प्राधिकारी द्वारा	प्राधिकारी द्वारा, T&CP की क्षेत्रीय सहायता या किसी सूचीबद्ध समीक्षक के साथ (खंड 10.7)

मद	टियर A	टियर B
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र का नियम	लागू	लागू

1.6.4 **टियरों के बीच परिवर्तन.** कोई टियर B प्राधिकारी परिषद संकल्प द्वारा टियर A का विकल्प चुन सकता है। सरकार किसी टियर B प्राधिकारी को टियर A के रूप में अधिसूचित कर सकती है, जब वह नगर निगम बन जाए, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रायपुर के निवेश क्षेत्र में या नवा रायपुर अटल नगर के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए, या किसी घटना-पश्चात समीक्षा (खंड 10.16) में यह पाया जाए कि उसे पूर्ण विधियों की आवश्यकता है।

1.6.5 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र टियर पर अभिभावी हैं.** किसी बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में, टियर चाहे जो हो, खंड 1.7 के विकल्प केवल उतने ही उपलब्ध हैं जितनी तालिका 1.2 अनुमति देती है: 0.5 ha या उससे छोटी साइटों के लिए S-1 (डिजाइन-सहायिका मार्ग) (खंड 4.14.1), और जहाँ बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो वहाँ S-5 एवज शुल्क (खंड 1.10.3(d))। S-2, S-3 और S-4 उपलब्ध नहीं हैं।

> **भाष्य.** नगर पालिक निगम रायपुर से, जिसके पास अपनी अभियांत्रिकी शाखा है और जिसके शहर के नाले, तालाब और लगभग 480 km पक्की ड्रेनें खारुन में गिरती हैं, और एक सहायक अभियंता वाली किसी छोटी नगर पंचायत से, एक ही हाइड्रोग्राफ मॉडलों की समीक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कैनसस सिटी का समाधान यह था कि एक क्षेत्रीय मानक रखा जाए और सबसे विवादित मानदंडों के लिए अंगीकरणीय विकल्प प्रकाशित किए जाएँ, ताकि छोटी एजेंसियाँ मानक को छोड़े बिना "निचला विकल्प चुन" ("opt down") सकें (MARC Supplement, Nov 2025)। यहाँ के टियर दोनों टियरों में निष्पादन मानदंड एक समान रखते हैं और केवल विधि बदलते हैं, ताकि टियर B के किसी कस्बे में बना भवन उसी स्तर तक सुरक्षित रहे जितना रायपुर में बना भवन।

1.7 नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प

1.7.1 सरकार इस मैनुअल के साथ वैकल्पिक खंडों का एक **नीति अनुपूरक** (परिशिष्ट 1C) प्रकाशित करेगी। कोई अनुमोदन प्राधिकारी खंड 1.7.3 की शर्तों के अंतर्गत एक या अधिक विकल्प अंगीकार कर सकता है।

1.7.2 विकल्प निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.2 — नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प S-1 से S-5

क्र.	मुख्य पाठ की अपेक्षा	अंगीकरणीय विकल्प	पात्रता
S-1	हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा भंडारण का आकार निर्धारण (अध्याय 3)	**डिजाइन-सहायिका मार्ग:** प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन परिशिष्ट 4 की इकाई-भंडारण तालिकाओं (m^3 प्रति ha, वर्षा जोन, मृदा समूह और अपारगम्य अंश के अनुसार) और अनुपालन कैलकुलेटर से लिए जाते हैं	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर ≤ 2 ha की साइटें; उनके भीतर ≤ 0.5 ha (खंड 4.14.1 के अनुसार)
S-2	निकास दर $Q_{post}(T) \le 0.9 \times Q_{pre}(T)$, साइट के लिए गणना की गई	**साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD):** जोन और AEP के अनुसार तालिकाबद्ध इकाई-क्षेत्र निकास दर ($m^3/s/ha$), जो $0.9 \times Q_{pre}$ नियम से व्युत्पन्न है	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर कोई भी साइट
S-3	मानचित्रित 1% AEP बाढ़ विस्तार और अतिरिक्त मार्जिन तक बढ़ाया गया जलाशय सेटबैक (अध्याय 7)	जहाँ कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, वहाँ जलाशय वर्ग के अनुसार **नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका**। खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से कभी कम नहीं	ऐसे जलाशय जिनका कोई मानचित्रित 1% AEP विस्तार नहीं है

क्र.	मुख्य पाठ की अपेक्षा	अंगीकरणीय विकल्प	पात्रता
S-4	हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5)	अनुप्रवाह क्षमता और ज्ञात बाढ़ की **स्क्रीनिंग जाँच-सूची**, और मॉडल केवल वहाँ जहाँ स्क्रीनिंग विफल हो	< 1 ha की साइटें, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर, जो ज्वारीय आउटफॉल में पानी न छोड़ती हों
S-5	साइट पर अस्थायी भंडारण	मास्टर प्लान वाले बेसिन में किसी क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब भंडारण के लिए **एवज शुल्क** (अध्याय 4)	जहाँ बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो

1.7.3 **अंगीकरण की शर्तें.**

- (a) कोई विकल्प किसी मानदंड को इस मैनुअल के मानों से नीचे नहीं करेगा। S-1 और S-2 उसी मानदंड को पूरा करने की सरलीकृत विधियाँ हैं। वे निचले मानदंड नहीं हैं।
- (b) कोई टियर B प्राधिकारी परिषद संकल्प द्वारा विकल्प अंगीकार करता है, जिसे 30 दिनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजा जाता है। किसी टियर A प्राधिकारी को अंगीकरण से पहले समिति की सहमति आवश्यक है।
- (c) अंगीकृत विकल्प प्राधिकारी की वेबसाइट पर और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।
- (d) प्रतिधारण (परिशिष्ट 2E की गहराई) को किसी विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, सिवाय वहाँ के जहाँ S-5 के अंतर्गत एवज शुल्क उसी बेसिन में समतुल्य प्रतिधारण का वित्तपोषण करता है।
- (e) S-1, S-2 और S-3 की तालिकाएँ राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा जारी की जाएँगी, और अध्याय 2 के साथ उनकी समीक्षा की जाएगी (खंड 2.14)।

> **भाष्य.** यह अनुपूरक APWA 5600 (2025.01) Policy Supplement के मॉडल का अनुसरण करता है, जो चार सबसे विवादित मानदंडों (प्रयोज्यता, रेशनल विधि की सीमाएँ, धारा (stream) सेटबैक का प्रारंभक मान, और जोन 2 सेटबैक की चौड़ाई) के लिए विकल्प देता है। उनमें से दो S-3 और खंड 1.5.2 के प्रयोज्यता सीमा-मान से मेल खाते हैं। विकल्प S-3 उसी समस्या के लिए APWA का उत्तर अपनाता है: छोटे जल निकासी क्षेत्रों के लिए 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, इसलिए एक नियत-चौड़ाई तालिका प्रस्तुत की गई है। S-2 कैनसस सिटी के 2011 के उस बदलाव का अनुसरण करता है जिसमें "विद्यमान स्थिति के बराबर" ("match existing") के स्थान पर नियत इकाई-क्षेत्र निकास दरें अपनाई गईं। स्थानीय एजेंसियों ने नियत दर को प्राथमिकता दी, क्योंकि विद्यमान स्थितियों को एकरूपता से निर्धारित करना कठिन था (MARC Evolution deck)। यह सिडनी वॉटर (Sydney Water) की साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD) विधि को भी दर्शाता है। S-1 के लिए 2 ha / 0.5 ha की सीमाओं (खंड 4.14.1 के अनुरूप) और S-4 के लिए 1 ha की सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

1.8 अन्य लिखतों के साथ संबंध

1.8.1 यह मैनुअल नीचे दिए गए लिखतों (instruments) के साथ लागू किया जाएगा। जहाँ वे परस्पर व्याप्त हों, वहाँ खंड 1.3.3 अभिभावी होगा।

तालिका 1.3 — अन्य लिखतों के साथ संबंध

लिखत	संबंध
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, यथासंशोधित (2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले 1984 के नियम; पढ़े गए संशोधन: 17 दिसंबर 2008 का क्रमांक एफ 7-26/32/2008, 17 फरवरी 2009 का क्रमांक 318/1193/32/2006, 6 अक्तूबर 2018 का क्रमांक F 7-27/2017/32 और 29 अप्रैल 2020 का क्रमांक F 07-24/2019/32; मूल और समेकित पाठ पढ़े नहीं गए [TBC])	जारी हैं। नियम 50 किसी स्थल की अनुपयुक्तता का नियम है, जिसे संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश अपनी स्थल रिपोर्टों में लागू करता है (23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011); विरासत में मिले 1984 के पाठ में यह उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, और किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m के भीतर, जो भी अधिक हो, और ऐसे स्थल पर जिसकी उचित जल निकासी नहीं है या जिसकी अच्छी जल निकासी संभव नहीं, भवन पर रोक लगाता है (नियम 50(b) और (f)), और नियम 51 अहाते (curtilage) में सतही जल ड्रेनों की अपेक्षा करता है जहाँ प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे; छत्तीसगढ़ का पाठ ये शब्द और दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। 2018 का संशोधन एक स्थल-निरीक्षण प्रपत्र जोड़ता है जो ऐसे नियम के अंतर्गत, जिसकी संख्या राजपत्र रिक्त छोड़ता है, भूखंड से किसी प्रमुख नाले की दूरी दर्ज करता है, एक समापन प्रपत्र जो पूछता है कि क्या वर्षा जल संचयन स्थापित किया गया है और जल निकासी लाइन जोड़ी गई है, एक प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96), जिसमें स्तर की कोई मद नहीं है, और 3 m और 6 m के बेसमेंट सेटबैक (नियम 73(3)(क)); एकीकृत उपनगरों में सीवेज शोधन संयंत्र और वर्षा जल संचयन अनिवार्य हैं, वे किसी बारहमासी नदी के किनारे नहीं बसाए जा सकते, और उनके क्षेत्रफल में जल स्रोत नहीं जोड़े जाते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2008, और उसके संशोधन)। पढ़े गए किसी संशोधन में भूमि विकास नियम किसी जलाशय, जलमार्ग, नाले या उच्चतम बाढ़ स्तर को परिभाषित नहीं करते, और कोई डिजाइन वर्षा घटना, निकास दर या अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित नहीं करते। नियम 50 की दूरियाँ ही जल के लिए मिले एकमात्र मीटर मान हैं; अध्याय 2–6 के डिजाइन मानदंड और अध्याय 7 के हाइड्रोलिक कॉरिडोर और सेटबैक, जिनका जोन 1 कम से कम 15 m है, इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं; वे सांविधिक मान नहीं हैं, और किसी प्राधिकरण ने उन्हें अंगीकार नहीं किया है। जहाँ भूमि विकास नियम, कोई विकास योजना या कोई कानून अधिक कठोर हों, वहाँ वे अभिभावी होंगे (खंड 1.3.3)।
वर्षा जल संचयन: भूमि विकास नियम, 1984, नियम 78(4) और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ढ (N); सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5; छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022	बिना परिवर्तन के जारी हैं। नियम 78(4), जैसा 17 फरवरी 2009 को संशोधित हुआ, 500 m² बताई गई सीमा से बड़े भूखंडों पर (8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर; संशोधन अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है [TBC]) भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ की प्रणालियों द्वारा वर्षा जल संचयन अनिवार्य करता है, और जहाँ प्रणाली न बनाई जाए या उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m² निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति रखता है। सामान्य प्रशासन विभाग 1,500 sq ft (नए) और 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतों वाले शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्र के भवनों पर वर्षा जल संचयन की अपेक्षा करता है, और नया रायपुर विकास योजना-2031 वहाँ प्रत्येक विकास के लिए इसे अनिवार्य करती है। 2022 का भू-जल अधिनियम राज्य को अधिसूचित अति-दोहित और गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण लागू करने देगा (धारा 7), किंतु यह केवल राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होता है, और ऐसी कोई अधिसूचना, और कोई अधिसूचित क्षेत्र, नहीं मिला [TBC]; 2024 में पाँच विकासखंड गंभीर थे, जिनमें रायपुर जिले का धरसीवां है (CGWB)। इनमें से कोई भी आउटलेट नियम या ऐसा भंडारण नहीं देता जो वर्षा घटना आने पर खाली हो। RWH भंडारण अस्थायी भंडारण नहीं है, जब तक वह आउटलेट सहित ऐसा समर्पित आयतन न हो जो वर्षा आने पर खाली रहता है, और दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं के आरंभ में टैंकों को भरा हुआ माना जाता है (अध्याय 4)। पुनर्भरण संरचनाएँ प्रतिधारण में केवल वहाँ गिनी जा सकती हैं जहाँ वे अध्याय 4 और 8 की अपेक्षाएँ पूरी करें, जो गंभीर और अर्ध-गंभीर शहरी विकासखंडों में पुनर्भरण को प्राथमिकता देते हैं, पूर्व-उपचार के साथ, रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के कार्स्टीकृत चूना पत्थर में गुहा जाँच के साथ और जहाँ भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक हों वहाँ उनकी जाँच के साथ, और कन्हार (kanhar) पर, खनन से विक्षुब्ध भूमि पर या ऐश पॉन्ड पर कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं देते।
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) और छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975	अधिनियम विकास योजनाओं (धारा 19), विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (धारा 64–69) और राज्य के विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि पर निर्माण या उसके विकास से पहले संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति (धारा 27 और 28, जैसा आवास एवं पर्यावरण विभाग के 23 नवंबर 2009 के एक पत्र ने प्रत्येक विभाग को स्मरण कराया) का प्रावधान करता है, और यह भूमि विकास नियम, 1984 का मूल अधिनियम है; उसकी धाराएँ केवल अधिसूचनाओं और पत्रों में उद्धृत रूप में पढ़ी गईं [TBC]। रायपुर, रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के अंतर्गत नियोजित है, जो 5 अप्रैल 2008 को अनुमोदित हुई, और 2031 के एक प्रारूप पर 2022 में चर्चा हुई, किंतु उसका अनुमोदन नहीं मिला [TBC]; NRDA, नवा रायपुर अटल नगर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वहाँ अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करता है (23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066)। संचालनालय की 2011 की चेकलिस्ट नाले, नहर, नदी या जलप्रवाह से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगती है (क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011), जो निवेश प्रक्रिया में मिली बाढ़ स्तर की एकमात्र अपेक्षा है। यह मैनुअल जोनिंग का निर्णय नहीं करता; अध्याय 4 और 7 की ड्रेनों के लिए आरक्षित पट्टियाँ (drain reserves) और क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल विकास योजनाओं में दर्शाए जाने के लिए हैं, और इसकी जाँचें संचालनालय की स्थल रिपोर्ट और चेकलिस्ट पर की जाने के लिए हैं।

लिखत	संबंध
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002, धारा 7(1)(चार)	जारी है। कोई अनधिकृत विकास, जहाँ वह किसी जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर स्थित हो, नियमित नहीं किया जा सकता (छत्तीसगढ़ राजपत्र, 26 अप्रैल 2002); नियमितीकरण के बाद के अधिनियम और नियम यह रोक रखते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। अध्याय 7 ड्रेन और तालाब की आरक्षित पट्टियों को नियमितीकरण से बाहर रखने के लिए इस पर निर्भर है।
नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961, छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम)	जारी हैं। उनके छत्तीसगढ़ पाठ इस मैनुअल के लिए पढ़े नहीं गए [TBC]। उनके मध्य प्रदेश रूप में, जिससे उन्हें अनुकूलित किया गया, ड्रेनें, सीवर और पुलियाएँ निगम के कर्तव्यों में हैं; सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग निगम में निहित होते हैं, और निहित तालाब किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा (धारा 82); निगम में निहित किसी ड्रेन के ऊपर अनुमति के बिना कोई भवन नहीं बनाया जा सकता (धारा 198); और आयुक्त सीवेज और वर्षा जल के लिए अलग-अलग ड्रेनों की अपेक्षा कर सकता है (धारा 204)। छत्तीसगढ़ के अधिनियम ये धाराएँ और उनकी संख्याएँ रखते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। नगर पालिक निगम रायपुर का 2011 का एक ज्ञापन नई कॉलोनियों की सीवेज शोधन, वर्षा जल संचयन और कचरे की व्यवस्थाओं के लिए उनके अंतर्गत बने कॉलोनाइजर नियमों का उल्लेख करता है (खराब स्कैन से पढ़ा गया [TBC])। यह मैनुअल इन शक्तियों में परिवर्तन नहीं करता; अध्याय 7 तालाबों को जल निकासी परिसंपत्तियों के रूप में मानता है।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 248 और 251	जारी है। अनधिभोगित भूमि (unoccupied land) पर स्थित वे तालाब, जिन पर ग्राम समुदाय सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों का प्रयोग करता था, 6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित होते हैं (धारा 251), और भूमि पर अप्राधिकृत कब्जे के विरुद्ध, जिसमें राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब भी सम्मिलित है, बेदखली और शास्ति द्वारा कार्रवाई की जाती है (धारा 248), जैसा जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा में हुआ, जब NGT ने कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया (O.A. 78/2024, 14 नवंबर 2024 का आदेश)। अध्याय 7 गाँव के तालाबों (talab) के अभिलिखित विस्तार के लिए इन धाराओं पर, और तहसील के भू-अभिलेखों पर, निर्भर है।
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017; छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण; कोपरा जलाशय, रामसर स्थल संख्या 2583	जारी हैं। नियम किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर स्थायी प्रकृति के निर्माण पर रोक लगाते हैं। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने, जिसका पुनर्गठन 17 दिसंबर 2021 के एक आदेश द्वारा बताया जाता है [TBC], 2.25 ha से बड़ी आर्द्रभूमियों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के साथ वह रोक लागू करके सितंबर 2025 में रायपुर के करबला तालाब पर कार्य रुकवाए, नरैया तालाब (Narhaiya Talab) पर जाँच का आदेश दिया और मार्च 2025 में NRDA को झांझ आर्द्रभूमि के पास निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अधिसूचित आर्द्रभूमियों की कोई सूची नहीं मिली [TBC]। WRD द्वारा प्रबंधित कोपरा जलाशय (210 ha) को 8 अगस्त 2025 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। जहाँ कोई अधिसूचना या आदेश अध्याय 7 के सेटबैक से अधिक व्यापक हो, वहाँ वही शासित करता है (खंड 1.3.3)।
तालाबों और नदियों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (केंद्रीय क्षेत्र) और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश	जहाँ वे बाध्यकारी हों, वहाँ लागू होते हैं। NGT ने बलौदा के तालाबों से अतिक्रमण हटाने (O.A. 78/2024) का और, जनवरी 2026 में, शंकर और पुलगांव नालों पर, जो शहर का सीवेज शिवनाथ तक ले जाते हैं, दुर्ग के शोधन संयंत्रों को छह महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उच्च न्यायालय ने बिलासपुर में अरपा के प्रदूषण (2025) पर और खारुन, शिवनाथ और अरपा के प्रदूषण (मई 2026) पर सुनवाई की है, और उसके 22 जनवरी 2019 के आदेशों (W.P.(C) 25/2016 और 2696/2016) के बाद राज्य ने अरपा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्र की भूमि के लिए उसकी अनुमति की अपेक्षा बंद कर दी (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 14 फरवरी 2019 का पत्र)। कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून या आदेश, और WRD द्वारा किसी डूब क्षेत्र का कोई सीमांकन, नहीं मिला [TBC]। जहाँ अध्याय 7 का 1% AEP विस्तार मानचित्रित और अधिक व्यापक हो, वहाँ वही शासित करता है।
नया रायपुर विकास योजना-2031 (NRDA, 17 जून 2008 की प्रस्तावना)	नवा रायपुर अटल नगर के लिए जारी है। यह ड्रेन प्रणाली के डिजाइन के लिए "5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता" ("5 years Maximum rainfall intensity") लेती है, अपेक्षा करती है कि कोई भी नदी तटबंध 100-वर्ष की बाढ़ से सुरक्षित हो और सड़कें प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.5–1.0 m ऊपर रखी जाएँ, सड़क जल निकासी पर IRC:SP:50 लागू करती है, क्षेत्र की चार प्रमुख धाराओं को संरक्षित रखती है और प्रत्येक विकास के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करती है (§10.3 और योजना के अध्याय 7–9)। यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। जहाँ यह मैनुअल अधिक कठोर है, जैसे तालिका 2.1 की पुनरावृत्ति अवधियों में, वहाँ खंड 1.3.3 के अंतर्गत यह मैनुअल लागू होता है; जहाँ योजना अधिक कठोर है, जैसे उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर उसके सड़क स्तरों में, वहाँ योजना लागू होती है।

लिखत	संबंध
खनन और बिजली: कोयला खदानों और बिजली संयंत्रों की पर्यावरण स्वीकृतियाँ; कोयला खान विनियम, 2017; खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS)	जारी हैं; वे पट्टा क्षेत्र और संयंत्र को शासित करते हैं, शहर को नहीं। कोयला खदानों की स्वीकृतियाँ गारलैंड ड्रेनों, अवसादन तालाबों और प्रमुख जल चैनलों में कोई परिवर्तन न करने की अपेक्षा करती हैं, और बताया जाता है कि कोयला खान विनियम किसी खदान में सतही जल के प्रवेश के खतरे को शासित करते हैं (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार; राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। कोरबा में बिजली संयंत्रों के राखड़ बाँध 2024–2026 में कई बार टूटे हैं, और स्लरी धान की भूमि, एक नाले और हसदेव तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोई भी खदान का गड्ढा, खदान झील या ऐश पॉन्ड उसके संचालक की, और खदान के मामले में DGMS की भी, सम्मति के बिना इस मैनुअल का आउटफॉल या भंडारण नहीं है (अध्याय 5)।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; CGSDMA; जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष	जारी हैं। प्रकाशित खबरों के अनुसार CGSDMA का गठन 2007 में हुआ; उसकी कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना, शहरी बाढ़ योजना या SOP नहीं मिली [TBC]। अध्याय 10 अपनी मानसून-पूर्व जाँचों को राज्य में मानसून की तिथियों से जोड़ता है।
CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019)	अभियांत्रिकी संदर्भ। यह मैनुअल खंड 1.3.2 के अंतर्गत उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियाँ निर्धारित करता है।
शहरी बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश (2010) और MoHUA SOP (2017)	यह मैनुअल जलग्रहण-आधारित डिजाइन, अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण, जलाशय संरक्षण और जलवायु-समायोजित IDF पर NDMA के निर्देशों को व्यावहारिक रूप देता है।
NDMA का शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) और AMRUT 2.0	इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तपोषित कार्य इस मैनुअल का अनुपालन करेंगे। अध्याय 4–5 के विकास नियंत्रण उन कार्यों द्वारा सृजित क्षमता की रक्षा करते हैं।
IRC:SP:42-2014 और IRC:SP:50-2013	सड़क जल निकासी पर केवल वहीं लागू होते हैं जहाँ वे अध्याय 6 के विरोध में न हों।
MBBL 2016, अध्याय 9	RWH और अध्याय 10 की निरीक्षण व्यवस्था के लिए आदर्श।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में RWH को जल आपूर्ति और पुनर्भरण के उपाय के रूप में देखा गया है। उस उद्देश्य के लिए यह अच्छी तरह काम करता है। किंतु दक्षिण-पश्चिम मानसून में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जब तक हफ्तों की वर्षा के बाद जुलाई से सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी से कोई मानसून अवदाब आता है, तब तक RWH संप प्रायः भरे होते हैं या भूमि संतृप्त हो चुकी होती है। इसलिए यह मैनुअल संचयन आयतन और प्रवाह-क्षीणन (attenuation) आयतन को अलग रखता है, और पुनर्भरण को वहाँ प्रतिधारण के रूप में गिनने देता है जहाँ वह वास्तव में प्रणाली से पानी हटाता है।

छत्तीसगढ़ अपनी शहरी ड्रेनों और नालों पर व्यय करना आरंभ कर रहा है। AMRUT के अंतर्गत RMC की योजना ने 2015 में ड्रेनों के कवरेज को 49% से बढ़ाने के लिए ₹1,191 करोड़ के वर्षा जल ड्रेन कार्य प्रस्तावित किए (RMC); बताया जाता है कि रायपुर की स्मार्ट सिटी कंपनी ने 2019 में "स्मार्ट जल निकासी" ("smart drainage") के लिए लगभग ₹150 करोड़ प्रस्तावित किए; और बताया जाता है कि अक्तूबर 2025 में NDMA के शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के चरण II के अंतर्गत रायपुर को वर्षा जल ड्रेन सुधार, वर्षा जल संचयन और जलाशय कार्यों और पूर्व चेतावनी के लिए लगभग ₹222 करोड़ आवंटित किए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। नालों के लिए धन का बड़ा भाग सीवेज पर गया है: चंदनीडीह, कारा और निमोरा में रायपुर के शोधन संयंत्र डायवर्जन वियरों से शहर के नालों का अवरोधन करते हैं, और जनवरी 2021 में बिलासपुर राज्य का एकमात्र नगर था जिसमें सीवरेज प्रणाली थी (NGT को CECB की रिपोर्ट)। मिले वर्षा जल निकासी कार्यों में से किसी की भी प्रकाशित डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि नहीं है, और राज्य में AMRUT ने उनमें से किसी का वित्तपोषण नहीं किया (CAG)। विकास नियंत्रण की कोई शर्त उन्हीं जलग्रहण क्षेत्रों के नए भूखंडों को ऐसे कार्यों द्वारा सृजित क्षमता का उपभोग करने से नहीं रोकती। अध्याय 4–5 को अनुमोदनों से जोड़ना इस कमी को दूर करता है।

राज्य के कानून में कई उपकरण पहले से हैं। वह किसी स्थल की अनुपयुक्तता को प्रत्येक विकास अनुमति का प्रश्न मानता है (भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 50), नाले या नदी से लगी भूमि के लिए WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगता है (संचालनालय की 2011 की चेकलिस्ट), स्थल निरीक्षण में किसी प्रमुख नाले की दूरी दर्ज करता है (2018), गाँव के तालाबों को राज्य सरकार में निहित करता है और अभिलिखित तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करता है (भू-राजस्व संहिता, धारा 251 और 248), जलाशय के तल पर या किसी प्राकृतिक

ड्रेन पर बने निर्माण के नियमितीकरण पर रोक लगाता है (2002 का अधिनियम, धारा 7(1)(चार)), और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के माध्यम से कार्यों को किसी आर्द्रभूमि के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m पीछे रखता है। उसमें जिसकी कमी है, वह है डिजाइन मानक। इनमें से कोई भी लिखत यह नहीं बताता कि कोई ड्रेन कितनी बड़ी हो, उसे कौन-सी वर्षा घटना वहन करनी है, किसी नाले या तालाब (talab) का उच्चतम जल स्तर कैसे निर्धारित किया जाए, या भरा गया कोई तालाब या पक्का किया गया कोई भूखंड कितना भंडारण हटा देता है; जहाँ तक पता चल सका, नियम 50 की दूरियाँ विरासत में मिले 9 m और 15 m हैं, जिनके छत्तीसगढ़ पाठ की पुष्टि नहीं हुई है [TBC]। इस मैनुअल की जाँचें संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की विकास अनुमति, NRDA की विशेष क्षेत्र अनुमति और स्थानीय निकायों की भवन और कॉलोनी अनुमतियों के भाग के रूप में रखी गई हैं, अलग NOC के रूप में नहीं। यह मैनुअल इन लिखतों के, तालाबों और नदियों पर NGT और उच्च न्यायालय के आदेशों के और नगर निगमों के जल निकासी कार्यों के तकनीकी सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है: यह वे डिजाइन वर्षा घटना, अस्थायी भंडारण और बफर संख्याएँ देता है जो वे निर्धारित नहीं करते, सरकार और प्राधिकारियों के विचार के लिए एक प्रस्ताव के रूप में। इसे न तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने, न आवास एवं पर्यावरण विभाग ने और न किसी अन्य निकाय ने अंगीकार किया है।

1.9 भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

1.9.1 नीचे दिए गए उत्तरदायित्व इस मैनुअल के अंतर्गत लागू होते हैं। ये किसी एजेंसी की सांविधिक शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करते।

तालिका 1.4 — इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

एजेंसी	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिका
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (UADD)	शहरी स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण करता है और AMRUT के लिए राज्य का नोडल विभाग है। खंड 1.3.1(b) की आदर्श ULB उपविधि जारी करेगा, जिन नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के जल निकासी कार्यों का वह वित्तपोषण करता है उन पर इस मैनुअल को लागू करेगा, और T&CP के साथ टियर B प्राधिकारियों को क्षेत्रीय सहायता देगा (तालिका 1.1) और सूचीबद्ध समीक्षकों की सूची रखेगा (खंड 10.7)।
आवास एवं पर्यावरण विभाग	1973 के अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन करता है, विकास योजनाएँ अनुमोदित करता है और संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का पर्यवेक्षण करता है। राज्य सरकार के लिए खंड 1.3.1(a) का संशोधन तैयार करेगा।
राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (खंड 1.3.2)	उच्चतर मानक अंगीकार करेगी, परिशिष्ट, तालिकाएँ और अनुपालन कैलकुलेटर जारी करेगी, टियर A के विकल्पों पर सहमति देगी, उसे भेजे गए विचलनों पर निर्णय करेगी और मैनुअल की समीक्षा करेगी (खंड 1.12)।
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP)	1973 के अधिनियम के अंतर्गत विकास योजनाएँ तैयार करता है और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ और अंबिकापुर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निवेश क्षेत्रों में विकास अनुमति देता है; इसकी स्थल रिपोर्टें पूछती हैं कि क्या कोई स्थल नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्त है, और इसकी चेकलिस्ट नाले या नदी से लगी भूमि के लिए WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगती है; यह राज्य के विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यों में सहमति देता है (धारा 27 और 28)। विकास योजनाओं में बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र, ड्रेनों के लिए आरक्षित पट्टियाँ और क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल दर्शाएगा, और प्रत्येक लेआउट के साथ अध्याय 10 की जल निकासी रिपोर्ट की अपेक्षा करेगा।
नगर पालिक निगम रायपुर (RMC) और अन्य नगर निगम (बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी और चिरमिरी); नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें	यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अपने क्षेत्रों की सार्वजनिक ड्रेनें, नाले और तालाब इनके पास हैं (छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए [TBC]); ये उनकी सफाई और रखरखाव करते हैं, और भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत भवन अनुमति देते हैं; RMC ने AMRUT के अंतर्गत शहर की वर्षा जल ड्रेन योजना तैयार की (2015)। अपने कार्यों पर इस मैनुअल को लागू करेंगे, हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ प्राप्त करेंगे (खंड 10.14), और निरीक्षण और प्रवर्तन करेंगे (खंड 10.12–10.15)।

एजेंसी	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिका
रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) और अन्य विकास प्राधिकरण	अपने स्कीम क्षेत्रों में स्कीमें और कॉलोनियाँ विकसित करते हैं; RDA के गठन और उसके जल निकासी संबंधी कार्यों का इस मैनुअल के लिए सत्यापन नहीं हुआ [TBC]। अपनी स्कीमों पर इस मैनुअल को लागू करेंगे और खंड 10.14 के अंतर्गत ड्रेनें और भंडारण स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करेंगे।
NRDA (नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण), नवा रायपुर अटल नगर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1973 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करता है (23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066); इसने नया रायपुर विकास योजना-2031 के अंतर्गत नई राजधानी की सड़कों, ड्रेनों, धाराओं और झीलों और जलाशयों के जाल की योजना बनाई, जो योजना इसकी ड्रेनों के लिए 5-वर्ष की डिजाइन तीव्रता निर्धारित करती है। अपने कार्यों और अनुमतियों पर इस मैनुअल को लागू करेगा, अपनी झीलों को, जिनमें झांझ है, अध्याय 7 के अंतर्गत संरक्षित जलाशयों के रूप में मानेगा, और खंड 10.14 के अंतर्गत ड्रेनें उनका रखरखाव करने वाले निकाय को हस्तांतरित करेगा।
अरपा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, बिलासपुर	अरपा नदी-तट (riverfront) के लिए गठित, जिसकी विकास योजना 2014 में अनुमोदित हुई; 2019 से उसके क्षेत्र में भूमि के विक्रय, निर्माण या विकास के लिए उसकी अनुमति अब आवश्यक नहीं है (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 14 फरवरी 2019 का पत्र), और उसकी वर्तमान भूमिका ज्ञात नहीं है [TBC]। इस मैनुअल के अंतर्गत उसे कोई कर्तव्य नहीं सौंपा गया है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	आवास स्कीमें और कॉलोनियाँ बनाता है; इसकी जल निकासी पद्धति पर इस मैनुअल के लिए शोध नहीं किया गया [TBC]। अपनी स्कीमों पर इस मैनुअल को लागू करेगा और खंड 10.14 के अंतर्गत ड्रेनें और भंडारण हस्तांतरित करेगा।
भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL), नगर सेवाएँ (Town Services)	भिलाई में इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों का रखरखाव करता है, जो भिलाई नगर निगम की व्यवस्था से बाहर हैं; नगर निगम ने जुलाई 2025 में टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए उसे चेतावनी दी (प्रकाशित खबरों के अनुसार); संयंत्र और नगर निगमों के बीच ड्रेनों का औपचारिक विभाजन नहीं मिला [TBC]। टाउनशिप की ड्रेनों और आउटफॉलों पर इस मैनुअल को लागू करेगा।
WRD	राज्य की नदियों, डैमों, जलाशयों, बैराजों और नहरों और उनके गेटों का धारक है, जिनमें गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग (Kharang), अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) और मोंगरा बैराज और केलो डैम हैं, और कोपरा जलाशय का प्रबंधन करता है; दैनिक जलाशय गेज रिपोर्टें जारी करता है और नदी या नाले से लगी भूमि के लिए उच्च बाढ़ बिंदु देता है। इस मैनुअल के लिए राज्य की भूजल एजेंसी भी, और 2022 के भू-जल अधिनियम के प्रवृत्त किए जाने पर उसके अंतर्गत राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ [TBC]। अध्याय 5 के लिए डिजाइन नदी और जलाशय स्तर, अधिकतम जल स्तर और गेट प्रचालन के नियम उपलब्ध कराएगा, ओडिशा से हीराकुंड के स्तर प्राप्त करेगा, अपने कार्यों में आउटफॉल के लिए सम्मति देगा, और CGWB के साथ अध्याय 4 और 8 के लिए भूजल स्तर उपलब्ध कराएगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED)	बड़े शहरों के बाहर जल आपूर्ति; शहरी जल निकासी में इसकी भूमिका पर शोध नहीं किया गया [TBC]। आपूर्ति स्रोतों की वर्षा जल अपवाह से रक्षा पर अध्याय 8 लागू करेगा।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB)	नदियों और ड्रेनों की निगरानी करता है और सीवेज और उसके शोधन पर NGT को रिपोर्ट देता है, जिसमें नए शोधन संयंत्रों के लिए रायपुर के नालों का अवरोधन सम्मिलित है (2021)। वर्षा जल ड्रेनों से सीवेज हटाने (अध्याय 8) और उद्योग, खदानों और ऐश पॉन्डों से अपवाह के नियंत्रण (अध्याय 8) में सहयोग करता है।
छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण	आर्द्रभूमि नियम, 2017 के अंतर्गत गठित, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसका नोडल विभाग है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); रायपुर के तालाबों और झांझ आर्द्रभूमि पर उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा लागू करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। आर्द्रभूमियों और रामसर स्थलों की सूची रखेगा और उनके जोनों में विनियमित गतिविधियों की अनुमति देगा (अध्याय 7)।
CGSDMA और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करते हैं; CGSDMA की कोई शहरी बाढ़ योजना नहीं मिली [TBC]। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की अनुशंसा करेंगे, कलेक्टरों के साथ बाढ़-प्रवण स्थानों का अभिलेख रखेंगे, और घटना-पश्चात समीक्षा का नेतृत्व करेंगे (खंड 10.16)।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग: कलेक्टर और तहसील कार्यालय	वे भू-अभिलेख रखते हैं जिनमें तालाब (talab), नाले और उनके निस्तार (nistar) अधिकार दर्ज होते हैं; राज्य सरकार में निहित गाँव के तालाबों का प्रशासन करते हैं (भू-राजस्व संहिता, धारा 251) और अभिलिखित तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करते हैं (धारा 248); बाढ़ राहत का नेतृत्व करते हैं। अध्याय 7 के लिए किसी तालाब का अभिलिखित विस्तार प्रमाणित करेंगे।

एजेंसी	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिका
कोयला और बिजली कंपनियाँ (SECL और अन्य खनन पट्टाधारी; NTPC, CSPGCL और BALCO) और खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS), संघ का एक निकाय	पट्टाधारी अपनी स्वीकृतियों द्वारा अपेक्षित गारलैंड ड्रेनें, अवसादन तालाब और टो ड्रेनें बनाते हैं और उनका रखरखाव करते हैं, और खदान के गड्ढे, खदान झीलें और ओवरबर्डन डंप उनके पास हैं; बिजली कंपनियों के पास उनके संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध हैं; DGMS खदानों की जलमग्नता के खतरे का विनियमन करता है। किसी भी खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड को आउटफॉल या भंडारण के रूप में उपयोग करने से पहले उनकी सम्मति आवश्यक है (अध्याय 5 और 7), और राखड़ बाँध के टूटने को खतरे के रूप में मानचित्रित किया जाता है (अध्याय 5)।
केंद्रीय जल आयोग (CWC), संघ का एक निकाय	अध्याय 2 और 3 में प्रयुक्त उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) और 3(c) की बाढ़ आकलन रिपोर्टें (Flood Estimation Reports), और अपने स्थलों पर नदी स्तर प्रकाशित करता है, जैसे जगदलपुर पर इंद्रावती, जो इस मैनुअल के लिए मिला राज्य का एकमात्र स्थल है जिसके चेतावनी और खतरे के स्तर प्रकाशित हैं। अध्याय 5 के लिए नदी जल स्तर के अभिलेख और पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB), संघ का एक निकाय	राज्य की भूजल इकाइयों और उनकी श्रेणियों का आकलन करता है (2024 में पाँच गंभीर विकासखंड)। WRD के साथ भूजल स्तर और गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराएगा।
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की	NIH-DHAARA चलाता है (अध्याय 2)।
IMD (मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर), और सड़क और रेल के स्वामी (लोक निर्माण विभाग, NHAI, भारतीय रेल)	IMD के केंद्र अध्याय 2 के वर्षा अभिलेख उपलब्ध कराते हैं। सड़क और रेल के स्वामी सड़क जल निकासी (अध्याय 6), पुलियों और रैखिक कार्यों (खंड 1.5.7) पर इस मैनुअल को लागू करेंगे।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में वर्षा जल का दायित्व बँटा हुआ है: भूमि विकास नियम, 1984, विकास योजनाओं और विकास अनुमति के माध्यम से आवास एवं पर्यावरण विभाग और T&CP का; भवन अनुमति और उनमें निहित ड्रेनों के माध्यम से UADD और नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों का; नवा रायपुर अटल नगर में NRDA का, और अपनी स्कीमों में RDA और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का; अपनी टाउनशिप में भिलाई इस्पात संयंत्र का; नदियों, डैमों, बैराजों और उनके गेटों के माध्यम से WRD का; गाँव के तालाबों और भू-अभिलेखों के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का; राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का, जबकि NGT और उच्च न्यायालय तालाबों और नदियों के चारों ओर रेखाएँ निर्धारित करते हैं; और, कोयला क्षेत्रों में, खनन पट्टाधारियों, बिजली कंपनियों और DGMS का। रायपुर दिखाता है कि यह बँटवारा क्यों मायने रखता है। शहर के नाले वर्षा जल और सीवेज दोनों को खारुन तक ले जाते हैं, अब नए शोधन संयंत्रों के डायवर्जन वियरों से होकर; उसके तालाब अलग-अलग रूप से नगर निगम में और, जहाँ वे गाँव के तालाब हैं, राज्य सरकार में निहित हैं; और उनके नीचे की नदी WRD की है। माना जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनियम सार्वजनिक ड्रेनों, धाराओं और तालाबों को निगम में निहित करता है, जैसा उसका मध्य प्रदेश पाठ करता है (धारा 82; छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]), किंतु मिला कोई भी नियम या आदेश प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या भिलाई की टाउनशिप ड्रेनों को उसके नगर निगमों की ड्रेनों से अलग करके, संबंधित निकायों के बीच नहीं बाँटता [TBC]। जब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनता, यह मैनुअल जल निकासी तत्वों का आवंटन तालिका 1.5 के अनुसार करता है, जैसा अध्याय 6 स्वयं ड्रेनों के लिए करता है। यह आवंटन इस मैनुअल के खंडों को लागू करने के लिए उसका कार्यकारी विभाजन है; यह किसी एजेंसी की शक्तियों में परिवर्तन नहीं करता।

तालिका 1.5 — इस मैनुअल के अंतर्गत जल निकासी तत्वों का कार्यकारी आवंटन

तत्व	किसको आवंटित
नदियाँ और उनके तल, किनारे और डूब क्षेत्र; अपने गेटों और स्पिलवे सहित डैम, जलाशय और बैराज (जैसे गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग, मनियारी, केलो डैम, कोपरा, और मोंगरा, अरपा भैंसाझार और महानदी के बैराज); बाढ़ तटबंध और सिंचाई नहरें	WRD
किसी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर प्राकृतिक नाले, सार्वजनिक ड्रेनें और तालाब, सिवाय उनके जो WRD को आवंटित हैं	नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत (रायपुर में RMC)

तत्व	किसको आवंटित
नवा रायपुर अटल नगर की सड़कें, ड्रेनें, धाराएँ, झीलें और जलाशय	NRDA
RDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या किसी कॉलोनी विकासकर्ता की स्कीम के भीतर ड्रेनें और भंडारण, लिखित रूप में हस्तांतरण होने तक	वह निकाय जिसने स्कीम बनाई
भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें	भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL); टाउनशिप के बाहर भिलाई की ड्रेनें भिलाई और रिसाली नगर निगमों को [TBC]
सिंचाई या निस्तार अधिकारों वाले गाँव के तालाब, जो राज्य सरकार में निहित हैं	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (कलेक्टर), उन अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए
सीवर, इंटरसेप्टर और नालों का अवरोधन और मोड़, और सीवेज शोधन संयंत्र	नगर निगम या उसके लिए कार्य निष्पादित करने वाला निकाय
किसी खनन पट्टे के भीतर गारलैंड ड्रेनें, अवसादन तालाब, टो ड्रेनें, खदान के गड्ढे और खदान झीलें; किसी बिजली संयंत्र के ऐश पॉन्ड, राखड़ बाँध और संयंत्र की ड्रेनें	पट्टाधारी, अपनी पर्यावरण स्वीकृति और DGMS के अधीन; संयंत्र का संचालक
राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्रेनें	लोक निर्माण विभाग या NHAI
आर्द्रभूमियाँ और रामसर स्थल	छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, भूमि के स्वामी के साथ (कोपरा जलाशय: WRD)

यह मैनुअल विभागों और प्राधिकरणों का नाम उसी रूप में लेता है जैसे कानून, आदेश और अभिलेख उनका नाम लेते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए एक स्वामी का नाम देने वाला मैनुअल अपने आप संस्थाओं को ठीक नहीं करता, किंतु यह इस बारे में अस्पष्टता दूर करता है कि कौन किस पर हस्ताक्षर करेगा।

1.10 विचलन और अधित्याग

1.10.1 **विचलन.** प्राधिकारी किसी संख्यात्मक अपेक्षा से विचलन प्रदान कर सकता है, जहाँ आवेदक खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित रिपोर्ट के माध्यम से यह दर्शाए कि:

- (a) उच्च भूजल स्तर, दूषित मिट्टी, चट्टान, या अपेक्षित सुविधा के लिए बहुत छोटे साइट क्षेत्र जैसी साइट स्थितियों के कारण अनुपालन अव्यवहार्य है; और
- (b) प्रस्तावित विकल्प अध्याय 5 के अनुप्रवाह बिंदु पर समान या बेहतर निष्पादन देता है, या कमी की पूर्ति उसी जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क या साइट से बाहर के कार्यों द्वारा की जाती है।

1.10.2 **अधित्याग.** प्राधिकारी अध्याय 4 की अस्थायी भंडारण अपेक्षाओं (प्रतिधारण नहीं) का अधित्याग कर सकता है, जहाँ खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित हाइड्रोलिक विश्लेषण यह दर्शाए कि साइट सीधे समुद्र में, या ऐसे ज्वारीय नदी-भाग (tidal reach) में जिसके अनुप्रवाह में कोई बाढ़-प्रवण संपत्ति नहीं है, पानी छोड़ती है, और बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति को बदतर नहीं बनाता। छत्तीसगढ़ का कोई तट और कोई ज्वारीय नदी-भाग नहीं है, इसलिए राज्य की कोई साइट इस अधित्याग के लिए पात्र नहीं है। जो साइट डैम या बैराज से छोड़े गए पानी से चढ़ी किसी नदी में, जैसे गंगरेल के नीचे महानदी और मिनीमाता बांगो और दर्री के नीचे हसदेव, हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर में, किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब में, या किसी खदान के गड्ढे में पानी छोड़ती है, वह जब भी प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water) ऊँचा हो, अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति में होती है, और उसके लिए अस्थायी भंडारण का अधित्याग नहीं किया जाता।

1.10.3 **कोई विचलन या अधित्याग नहीं.** निम्नलिखित के लिए कोई विचलन या अधित्याग प्रदान नहीं किया जाएगा:

- (a) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज कनेक्शन;
- (b) अध्याय 6 का सबसे निचला आवास योग्य तल स्तर;
- (c) खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से नीचे जलाशय सेटबैक में कोई कमी, या अध्याय 7 के भराई-निषिद्ध जोन में कोई भराई या निर्माण; या
- (d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिधारण की अपेक्षा, सिवाय खंड 1.7 के अंतर्गत एवज शुल्क द्वारा।

1.10.4 **प्रक्रिया.**

- (a) अनुरोध प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट के साथ **प्रपत्र 1-2** (विचलन / अधित्याग अनुरोध) पर किया जाएगा।
- (b) कोई टियर B प्राधिकारी 1 ha या उससे बड़ी साइट पर किसी भी विचलन को राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजेगा।
- (c) निर्णय में उसके कारण और कोई शर्तें बताई जाएँगी, और उसे खंड 10.17 के सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- (d) विचलन अनुमोदन के साथ जुड़ा रहता है। अनुमोदन व्यपगत होने पर यह भी व्यपगत हो जाता है।

> **भाष्य.** 2006 के APWA 5600 में अधित्याग का एक भाग (5601.6) था, और जॉर्जिया अधित्याग की अनुमति देता है जहाँ अनुप्रवाह विश्लेषण दर्शाए कि चरम प्रवाह नियंत्रण अनावश्यक है। खंड 1.10.2 का अधित्याग सीमित है: ज्वारीय तट पर बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह, ज्वार द्वारा आउटफॉल बंद होने से पहले निकलकर, सहायक हो सकता है, किंतु यह केवल विश्लेषण से ही दर्शाया जा सकता है। यह मैनुअल हर निर्णय के प्रकाशन की अपेक्षा करता है, क्योंकि प्रकाशन मामला-दर-मामला मानक के क्षरण को रोकता है; छत्तीसगढ़ में, बताया जाता है कि रायपुर में कभी रहे लगभग 130 तालाबों में से अब केवल लगभग 37–40 बचे हैं, जुलाई 2026 के जलभराव के बाद निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण से ड्रेनें सात या आठ फीट से घटकर चार या पाँच फीट रह गई हैं, और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को रायपुर में करबला तालाब के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य रुकवाने और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि के पास निविदाएँ वापस लेने के लिए NRDA को निर्देश देना पड़ा है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

1.11 संक्रमणकालीन प्रावधान

1.11.1 **प्रभावी तिथि.** यह मैनुअल नए आवेदनों के लिए अधिसूचना के **6 महीने** बाद प्रभावी होगा (प्रभावी तिथि)।

1.11.2 **प्रक्रियाधीन आवेदन.** प्रभावी तिथि से पहले पूर्ण रूप से दाखिल किए गए आवेदन का निर्णय, दाखिल करने के समय प्रवृत्त नियमों के अंतर्गत किया जा सकता है, यदि निर्णय प्रभावी तिथि के 12 महीनों के भीतर जारी किया जाए। अन्यथा यह मैनुअल लागू होगा।

1.11.3 **टियर B के लिए चरणबद्ध आरंभ.** टियर B प्राधिकारियों में अध्याय 4 और 5 अधिसूचना के **24 महीने** बाद से लागू होंगे, सिवाय बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के, जहाँ वे प्रभावी तिथि से लागू होंगे।

1.11.4 **लोक निर्माण कार्य.** प्रभावी तिथि से पहले संस्वीकृत DPR संस्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं। प्रभावी तिथि के बाद संशोधित या पुनः निविदा की गई कोई भी DPR इस मैनुअल का अनुपालन करेगी। विभाग प्रगतिरत गैर-अनुपालक कार्यों की रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को देंगे।

1.11.5 **परिशिष्ट जारी होने से पहले.** जब तक इस मैनुअल में उल्लिखित कोई परिशिष्ट जारी नहीं होता, तब तक आवेदक खंड में बताई गई विधि का उपयोग करेगा, ऐसे मानों के साथ जिन पर प्राधिकारी के साथ सहमति हुई हो और जो जल निकासी रिपोर्ट में दर्ज हों।

> **भाष्य.** 6 महीने का अग्रिम समय खंड 2.14.2 में NIH-DHAARA अद्यतनों के अग्रिम समय के अनुरूप है। सिंगापुर ने अपने 2025 के अस्थायी भंडारण ऐडेंडम (addendum) के लिए समान अंतराल दिया (16 अप्रैल 2025 को जारी, 1 अक्तूबर 2025 से लागू)। 12 और 24 महीने की अवधियाँ इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई हैं कि टियर B प्राधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकें और राज्य डिजाइन-सहायिका तालिकाएँ जारी कर सके (खंड 1.7)।

1.12 समीक्षा और संशोधन

1.12.1 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति इस मैनुअल की समीक्षा प्रत्येक **10 वर्ष** में, और खंड 2.14.1 में निर्धारित रूप में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक वर्षा वाली किसी भी घटना के बाद, करेगी।

1.12.2 संशोधन राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे, परिवर्तन-अभिलेख (change log) के साथ प्रकाशित किए जाएँगे, और अधिसूचना के 6 महीने बाद प्रभावी होंगे, जब तक अधिसूचना में अन्यथा न कहा गया हो।

1.12.3 कोई भी व्यक्ति समिति को संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है। प्रस्ताव और समिति के निर्णय प्रकाशित किए जाएँगे।

संदर्भ (अध्याय)

- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department. Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984): amendments No. एफ 7-26/32/2008 of 17 December 2008 (CG Rajpatra (Asadharan), 17 December 2008, pp. 782(3)–782(9); एकीकृत उपनगर, नियम 94-क और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण), No. 318/1193/32/2006 of 17 February 2009 (CG Rajpatra, 17 February 2009, p. 124(10); नियम 78(4) और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ढ), No. F 7-27/2017/32 of 6 October 2018 (CG Rajpatra, pp. 820(1)–820(35); नियम 73 और 96 और निरीक्षण प्रपत्र) और No. F 07-24/2019/32 of 29 April 2020 (tcp.cg.gov.in की फाइलों की Wayback Machine प्रतियाँ; भूमि विकास नियम के मूल और समेकित पाठ नहीं मिले [TBC])। https://web.archive.org/web/20240302142422id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/cg-BVN-amendment-6-10-2018.pdf
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department. Draft amendment No. F 7-15/2016/32 of 30 March 2017 to the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 (प्रारूप नियम 79-C से 79-G, हरित भवन; अंतिम पाठ नहीं मिला [TBC]); 12 सितंबर और 1 दिसंबर 2025 के प्रारूपों RULE/170/2025-HOUSING के और अक्तूबर 2026 के भूमि उपयोगों के पुनर्वर्गीकरण के सारांश (द्वितीयक स्रोत)। https://teamleaseregtech.com/updates/article/51070/ ; https://www.drishtiias.com/state-pcs-current-affairs/chhattisgarh-amends-land-development-rules-1984/print_manually
- Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984), नियम 50 और 51 (विरासत में मिला पाठ, मध्य प्रदेश के नियमों की तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया; छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। https://www.legitquest.com/act/madhya-pradesh-bhumi-vikas-rules-1984/D2B8
- Directorate of Town and Country Planning, Chhattisgarh. Letter No. 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 of 23 June 2011 (स्थल रिपोर्ट का प्रपत्र, नियम 50) और checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011 (WRD का उच्च बाढ़ बिंदु) (tcp.cg.gov.in की फाइलों की Wayback Machine प्रतियाँ)। http://web.archive.org/web/20160806081555id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_48.PDF ; http://web.archive.org/web/20160806082300id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_90.PDF
- Housing and Environment Department. Letter No. 2940/1445/32/2009 of 23 November 2009, शासकीय भवनों में वर्षा जल संचयन पर और 1973 के अधिनियम की धारा 27 और 28 के अंतर्गत संचालनालय की सहमति पर (Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/20130721022041id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Circular/Final%20Circular/Rainwater%20Harvesting.pdf
- General Administration Department. Order No. F 9-22/2016/1/5, Naya Raipur, 31 May 2016, शासकीय भवनों में वर्षा जल संचयन पर (Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/20171116144752id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/General/rainwater%20harvesting.pdf
- Rajya Sabha. वर्षा जल संचयन पर 8 जुलाई 2019 का उत्तर (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4); केवल खोज सारांश के रूप में देखा गया)।
- Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973; छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, क्रमांक 23 सन् 1973) और Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975 (पढ़ी गई अधिसूचनाओं और पत्रों में उद्धृत धाराएँ; पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])।
- Chhattisgarh Act of 2002 on the regularisation of unauthorised development (अनधिकृत विकास का नियमितिकरण), CG Rajpatra, 26 April 2002, s.7(1)(चार) (Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/20160806081528id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_191.PDF

- Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (2022). Letter No. 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022 of 21 June 2022, 1973 के अधिनियम के अंतर्गत 23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066 अग्रेषित करते हुए (Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/20240304202809id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/CG_TCP_ACT_1973/nava%20raipur-%2021-6-22.pdf
- Housing and Environment Department. Letter No. F 07-02/2019/32 of 14 February 2019 to the Arpa Special Area Development Authority, W.P.(C) 25/2016 और 2696/2016 में उच्च न्यायालय के 22 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसरण में (Wayback Machine प्रति)। https://web.archive.org/web/20240302142039id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/General/ARPA-14-2-2019.pdf
- Chhattisgarh Nagar Palik Nigam Adhiniyam, 1956 और Chhattisgarh Nagar Palika Adhiniyam, 1961, मध्य प्रदेश के अधिनियमों से यथा-अनुकूलित (CAG द्वारा उद्धृत; छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए [TBC]); Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956, ss.82, 198 और 204 (विरासत में मिले पाठ के लिए PRS प्रति)। https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/madhya-pradesh/1956/1956MP23.pdf
- Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959), ss.237, 248 और 251 (तृतीय-पक्ष प्रति)। https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html
- Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022), ss.1(3), 2(u), 7 और 21 (अंग्रेजी पाठ; इसे प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC])। https://cgwrd.in/water-allotment-system/docs/20220712_Ground%20Water%20Act_English.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2017). Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, r.4(2)(vi).
- Ramsar Convention. Ramsar Information Sheet, Site No. 2583, Kopra Jalashay (8 अगस्त 2025 को नामित)। https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/IN2583RIS_2512_en.pdf
- National Green Tribunal, Central Zone. O.A. No. 78 of 2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh*: 14 नवंबर 2024 का आदेश और जिला दंडाधिकारी (District Magistrate), जांजगीर-चांपा की तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (जनवरी 2025)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- Chhattisgarh Environment Conservation Board. Report in NGT O.A. 593/2017, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (सीवेज और शोधन संयंत्र)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Comptroller and Auditor General of India. Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022, Government of Chhattisgarh, Chapter II, "Implementation of AMRUT"। https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Central Ground Water Board (2024). Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024, और दिसंबर 2024 का तथ्य-पत्रक (cgwrd.in के माध्यम से)।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2024). Environmental clearance, File No. J-11015/72/2016-IA.II(M) of 13 August 2024 (गारलैंड ड्रेनों, संपों और गाद निकालने पर कोयला खदानों की मानक शर्तें); Coal Mines Regulations, 2017, regulation 149 (प्रकाशित खबरों के अनुसार; राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। https://mahagenco.in/Content/File_pdf/EnvClearance/2.EC_Gare%20Palma%20Sector%20II%20Coal%20Mine%20Project_13.08.2024.pdf

- करबला और नरैया तालाबों और झांझ आर्द्रभूमि पर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के आदेशों (2025), भिलाई टाउनशिप की ड्रेनों (2025), अरपा और खारुन पर उच्च न्यायालय की सुनवाइयों (2025–2026), दुर्ग के नालों पर NGT के आदेश (जनवरी 2026) और कोरबा में राखड़ बाँधों के टूटने (2024–2026) की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/10/12/wetland-authority-halts-rs-15-cr-work-at-karbala-talab-over-rule-violations.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/3/4/CGSWA-intervenes-directs-NRANVP-to-withdraw-Jhanjh-Wetland-tenders.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/13/Commissioner-issues-warning-to-BSP-over-poor-drain-cleaning-in-Township.html ; https://www.downtoearth.org.in/environment/daily-court-digest-major-environment-orders-january-20-2026
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A, §4.4.1.4 (Table 4.1 और टिप्पणियाँ)।
- Kakkar, R. (CPHEEO) (2023). Understanding Urban Stormwater Management. CSE, Aug 2023.
- National Disaster Management Authority (2010). National Guidelines on Management of Urban Flooding.
- MoHUA (2016). Model Building Bye-Laws, Chapter 9.
- Lok Sabha Unstarred Question 1847, 30 Jul 2026 (MoHUA). https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU1847_x29brZ.pdf
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012), छत्तीसगढ़ के केंद्र। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2015). Climate of Chhattisgarh, Climatological Summaries of States Series No. 22 (24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा की जिलेवार तालिकाएँ, 2013 तक)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- Central Water Commission. छत्तीसगढ़ में उसके स्थलों पर चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तर (जगदलपुर पर इंद्रावती, उसके 2019 के दैनिक परामर्शों से, खोज-अंशों के रूप में देखे गए; अन्य स्तर SANDRP द्वारा लिखित रूप में, 2020–2026; इस मैनुअल के लिए कोई बुलेटिन पढ़ा नहीं गया, और डेटम की पुष्टि की जानी है [TBC])। https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsitrep-advisories-29072019_1.pdf ; https://sandrp.in/
- रायपुर की जून 2007 की बाढ़, अगस्त 2020 और सितंबर 2026 की राज्यव्यापी बाढ़ों, अगस्त 2024 में बांगो से छोड़े गए पानी, अगस्त 2025 की बस्तर की बाढ़ों, जुलाई 2026 के रायपुर के जलभराव और जुलाई 2026 की बिलासपुर की वर्षा की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://www.oneindia.com/2007/06/30/flood-hits-chhattisgarh-capital-6000-people-evacuated-1183210857.html ; https://www.tribuneindia.com/news/nation/flood-like-situation-in-4-chhattisgarh-districts-thousands-shifted-to-relief-camps-133235 ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2024/8/26/Hasdeo-Bango-Dam-projectin-Korba-put-on-high-alert.html ; https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/08/28/bom21-cg-bastar-floods.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/7/6/heavy-monsoon-spell-exposes-civic-flaws-waterlogging-disrupts-traffic-sewage-enters-homes.html ; https://dailypioneer.com/india/chhattisgarh-floods-eight-killed-16000-rescued
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mid-America Regional Council (2025). APWA 5600 Manual Factsheet; APWA Stormwater Standards Supplement (7 Nov 2025). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Mid-America Regional Council. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards (प्रस्तुति)। https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf

- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600, §5601.6 Waivers.
- PUB Singapore (2018, 16 Apr 2025 के Addendum No. 3 सहित). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed.
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management.
- Centre for Science and Environment (2023). Urban Stormwater Management (प्रस्तुति)।
- Raipur Municipal Corporation (2015). *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (AMRUT), दिनांक 4 नवंबर 2015 (nagarnigamraipur.nic.in की Wayback Machine प्रति, 26 अक्तूबर 2017 का कैप्चर)।
- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, Chapters 3, 7–9 और 10–12 (§10.3, वर्षा जल निकासी, और Figure 10.1) (Wayback Machine प्रतियाँ)। http://web.archive.org/web/20150807050828id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf
- Housing and Environment Department. Notification No. 706/2286/32/2007 of 5 April 2008, जिसके द्वारा Raipur Development Plan (Revised) 2021 (रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021) अनुमोदित की गई (CG Rajpatra (Asadharan) No. 104, 7 April 2008; पृ. 1 पढ़ा गया; योजना के जल निकासी प्रावधान पढ़े नहीं गए [TBC])। http://web.archive.org/web/20160417174311id_/http://tcp.cg.gov.in/vikasyojna/RAIPUR/dev/RAIPUR/raipur_18&19.PDF
- Housing and Environment Department. Notification No. F 7-3/2014/32 of 10 February 2014, जिसके द्वारा अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की विकास योजना 2033 (Development Plan 2033 of the Arpa Special Area Development Authority) अनुमोदित की गई (पृ. 1 पढ़ा गया)। http://web.archive.org/web/20150824162751id_/http://tcp.cg.gov.in:80/vikasyojna/BILASPUR/dev/ARPA/Arpa.PDF
- रायपुर स्मार्ट सिटी के जल निकासी प्रस्ताव (2019) और रायपुर के लिए NDMA के शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (2025) की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://www.dailypioneer.com/2019/state-editions/raipur-getting-smarter--says-rscl-chief-tayal.html

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
1A	टियर A प्राधिकारियों की सूची, नगर निगमों, रायपुर के निवेश क्षेत्र और नवा रायपुर अटल नगर के विशेष क्षेत्र की सीमाओं सहित
1B	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र
1C	नीति अनुपूरक: विकल्प S-1 से S-5 का पाठ और आदर्श परिषद संकल्प
1D	भूमि विकास नियम, 1984 का आदर्श संशोधन और आदर्श ULB उपविधि
प्रपत्र 1-1	प्रयोज्यता निर्धारण
प्रपत्र 1-2	विचलन / अधित्याग अनुरोध

अध्याय 2

डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ

2.1 प्रयोजन और विस्तार

2.1.1 यह अध्याय इस मैनुअल की प्रत्येक जलवैज्ञानिक गणना के लिए वर्षा संबंधी इनपुट निर्धारित करता है: ड्रेन और इनलेट का आकार निर्धारण (अध्याय 6), प्रतिधारण (retention) और अस्थायी भंडारण (detention) का आकार निर्धारण (अध्याय 4), अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण (अध्याय 5), तथा जलाशय और तालाब संबंधी कार्य (अध्याय 7)।

2.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है:

- (a) डिजाइन वर्षा की गहराई और तीव्रता के अनुमोदित स्रोत;
- (b) गहराई को एक अवधि से दूसरी अवधि में, बिंदु से क्षेत्र में और वर्तमान जलवायु से भविष्य की जलवायु में कैसे परिवर्तित किया जाए;
- (c) डिजाइन वर्षा घटनाएँ (हायटोग्राफ) कैसे बनाई जाएँ; और
- (d) वे वर्षा घटनाएँ जिन्हें विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों पर लागू करना होगा।

2.1.3 यह अध्याय संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होता है। जहाँ किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, NRDA या किसी विकास प्राधिकरण ने अध्याय 1 के अंतर्गत वर्षा का कोई अधिक कठोर मानक अंगीकार किया है, वहाँ वह अधिक कठोर मानक लागू होगा।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में जल निकासी की पिछली अधिकांश विफलताओं का कारण हाइड्रोलिक गणना नहीं, बल्कि वर्षा संबंधी इनपुट रहा है। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। राज्य में किसी नगर की ड्रेनों के लिए मिली एकमात्र डिजाइन वर्षा घटना नया रायपुर विकास योजना-2031 की "5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता" ("5 years Maximum rainfall intensity") है, जो "IMD के आँकड़ों पर आधारित" ("Based on IMD Data") एक ऐसे चार्ट से पढ़ी जाती है जो न कोई केंद्र, न अभिलेख की अवधि और न कोई विधि बताता है (NRDA, 2008)। AMRUT के अंतर्गत रायपुर की वर्षा जल ड्रेन योजना दर्ज करती है कि ड्रेनें शहर के 49% भाग को सम्मिलित करती थीं और बरसात में उफनती थीं, और वह कोई पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक बताए बिना ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित करती है (RMC, 2015); इस मैनुअल के लिए किसी अन्य नगर की कोई वर्षा जल ड्रेन DPR नहीं मिली। बाढ़ के बाद प्रचलित होने वाले वर्षा के आँकड़े प्रायः बिना स्रोत के या परस्पर विरोधी होते हैं: जुलाई 2026 की बिलासपुर की वर्षा 24 घंटों में 28 cm और 415.6 mm बताई गई है, अगस्त 2020 में जांजगीर-चांपा में 24-घंटे की वर्षा 211.9 mm और 215.63 mm, और सितंबर 2026 में जगदलपुर पर इंद्रावती एक स्थानीय गेज पर 12.56 m और CWC स्थल पर 544.891 m (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जो प्रकाशित स्रोत इस कमी को पूरा करते प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में इसे पूरा नहीं करते। IMD Das et al. (2022) में राज्य का कोई केंद्र नहीं है; रायपुर के लिए Ram Babu et al. (1979) के नाम से बताए जाने वाले स्थिरांक (constants) अपने स्रोत के बिना प्रचलित हैं; और NIH-DHAARA की पुनर्विश्लेषण (reanalysis) पर आधारित गहराइयाँ दुर्ग, कोरबा और जगदलपुर में बहुत अधिक, अंबिकापुर और जशपुरनगर में बहुत कम, रायपुर और राजनांदगांव में केंद्रों के अभिलेखों से कम, और 1 घंटे पर हर स्थान पर कम हैं (खंड 2.3.6)। CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें उप-दैनिक (sub-daily) वर्षा का एकमात्र क्षेत्रीय स्रोत हैं, और राज्य को सम्मिलित करने वाले पाँच उप-क्षेत्र 0.32–0.39 के 1-घंटे के अनुपात और लगभग 1.5–5 mm/h की हानि दरें (loss rates) देते हैं। पूरे राज्य के लिए एक पारदर्शी स्रोत और एक विधि निर्धारित करना इस अध्याय का मुख्य प्रयोजन है।

2.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP)	यह प्रायिकता कि किसी एक वर्ष में वर्षा की दी गई गहराई के बराबर या उससे अधिक वर्षा होगी। 1% AEP की वर्षा घटना "100-वर्ष" की वर्षा घटना है। यहाँ दोनों रूप प्रयुक्त हैं: T-वर्ष = 1/AEP।
IDF / DDF	किसी स्थान के लिए तीव्रता–अवधि–आवृत्ति और गहराई–अवधि–आवृत्ति संबंध।
बिंदु वर्षा (point rainfall)	किसी एक स्थान पर हुई वर्षा, जैसी वर्षामापी द्वारा मापी जाती है।
डिजाइन वर्षा घटना (design storm)	निर्दिष्ट AEP, अवधि और कालिक वितरण वाला हायटोग्राफ (वर्षा की गहराई बनाम समय)।
क्रांतिक अवधि (critical duration)	वर्षा घटना की वह अवधि जो डिजाइन किए जा रहे घटक के लिए सबसे बड़ा चरम प्रवाह, जल स्तर या भंडारण की आवश्यकता उत्पन्न करती है।
क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक (ARF)	समान AEP और अवधि के लिए जलग्रहण क्षेत्र की औसत वर्षा और बिंदु वर्षा का अनुपात।
दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (JJAS)	जून–सितंबर, जब राज्य की वार्षिक वर्षा का लगभग 90% इन महीनों में और लगभग 58% जुलाई और अगस्त में होता है (IMD, 1961–2010 के सामान्य मान)। राज्य का सामान्य मान 1,268.1 mm है, जो कबीरधाम में 1,011.2 mm और दुर्ग में 1,061.5 mm से, रायपुर में 1,129.3 mm और बिलासपुर में 1,110.5 mm से होते हुए, बस्तर में 1,575.7 mm और दंतेवाड़ा में 1,839.3 mm तक है (IMD)। मानसून मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव के क्षेत्रों और अवदाबों से आता है, जो राज्य को पश्चिम या उत्तर-पश्चिम की ओर पार करते हैं। आगमन (onset) की सामान्य तिथि जगदलपुर में 11–13 जून, कोंडागांव में 14 जून, अंबागढ़ चौकी में 15 जून, रायपुर और पेंड्रा रोड में 16 जून और बिलासपुर और बलरामपुर में 17 जून है, और वापसी (withdrawal) की पेंड्रा रोड में 7 अक्तूबर, बिलासपुर, अंबागढ़ चौकी और बलरामपुर में 8 अक्तूबर, रायपुर में 9 अक्तूबर, कोंडागांव में 11 अक्तूबर और जगदलपुर में 12–14 अक्तूबर (IMD, 2020 की नई सामान्य तिथियाँ); मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर राज्य के लिए 10 जून और 15 अक्तूबर लेता है। खंड 2.11.4 का पूर्ववर्ती नमी नियम इसी ऋतु से संबंधित है; 31 मई की मानसून-पूर्व समय-सीमा सबसे पहले आगमन से पहले रखी गई है (अध्याय 10)।
ऋतु के बाहर की वर्षा घटनाएँ	बड़ी वर्षाएँ ऋतु के आरंभ में, मानसून के स्थापित होने से पहले, और उसके बाद आती हैं। कई केंद्रों का सर्वाधिक दैनिक मान जून में है: 30 जून 2001 को जशपुरनगर में 365.0 mm, 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm, 30 जून 2007 को रायपुर में 297.0 mm, 17 जून 1974 को जगदलपुर में 259.7 mm और 18 जून 1999 को बैलाडीला में 292.4 mm (IMD)। मानसून से पहले, 11 मई 1990 को बैलाडीला में 207.0 mm दर्ज हुई; उसके बाद, 8 अक्तूबर 1994 को पेंड्रा रोड में 228.1 mm, 1 अक्तूबर 1961 को अंबिकापुर में 206.0 mm, जो उसका सर्वाधिक दैनिक मान है, 8 अक्तूबर 1900 को रायपुर में 148.6 mm और 8 अक्तूबर 2003 को जगदलपुर में 139.1 mm दर्ज हुई (IMD)। 1891–2014 में राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफानों (storms) और अवदाबों में से 21 अक्तूबर में आए, जो सितंबर से अधिक हैं (IMD), और खाड़ी से आंध्र तट को पार करने वाले चक्रवात कभी-कभी अक्तूबर में भारी वर्षा लाते हैं (मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर)। डिजाइन सांख्यिकी में सभी महीनों के वार्षिक अधिकतम मान प्रयुक्त होते हैं, और कोई भी कार्य की समय-सीमा या प्रचालन नियम यह नहीं मानेगा कि भारी वर्षा जून–सितंबर तक सीमित है।
जलवायु गुणक (CF)	वह गुणक जिससे वर्तमान डिजाइन गहराइयों को गुणा करके डिजाइन आयु की जलवायु का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
अनुमोदित स्रोत	खंड 2.3 में सूचीबद्ध वर्षा का कोई स्रोत।

2.3 डिजाइन वर्षा के अनुमोदित स्रोत

2.3.1 **प्राथमिक स्रोत.** डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ और तीव्रताएँ राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की के **NIH-DHAARA** प्लेटफॉर्म (Design Hydrology and Advanced Rainfall Analysis, nihdhaara.in) से ली जाएँगी। साइट के निर्देशांकों के लिए, खंड 2.4 द्वारा अपेक्षित प्रत्येक अवधि और AEP के लिए, इसके IDF / आवृत्ति उपकरणों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ में यह खंड परिशिष्ट 2A के प्रकाशित होने तक निलंबित है: अंतरिम स्रोत खंड 2.3.6 निर्धारित करता है।

2.3.2 **केंद्र IDF.** किसी केंद्र-विशिष्ट IDF संबंध का उपयोग 2.3.1 के स्थान पर केवल तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) वह कम से कम 30 वर्ष के स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge; प्रति घंटा या उससे सूक्ष्म) आँकड़ों से निकाला गया हो;
- (b) वह IMD, राज्य जलविज्ञान प्राधिकरण या अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित या अनुमोदित किया गया हो; और
- (c) वर्षामापी साइट से 10 km के भीतर हो, और बीच में भू-भाग या तटीय अनावरण में कोई बड़ा परिवर्तन न हो।

जहाँ केंद्र IDF का उपयोग किया जाता है, वहाँ डिजाइन मान केंद्र मान और NIH-DHAARA मान में से **अधिक** मान होगा।

2.3.3 **प्रति-जाँच (अनिवार्य, विकल्प नहीं).** डिजाइनकर्ता तुलना के लिए निम्नलिखित मान प्रस्तुत करेगा, किंतु उन्हें लेना उसके लिए आवश्यक नहीं है:

- (a) 1–24 h की अवधियों के लिए Das et al. (2022), *MAUSAM* 73(4) के IMD समवर्षा (isopluvial) / IDF मान;
- (b) 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, यथा लागू, उप-क्षेत्र 3(d) (Mahanadi), 3(g) (Indravati), 3(f) (Lower Godavari), 1(d) (Sone) या 3(c) (Upper Narmada and Tapi) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट से 24-घंटे की बिंदु वर्षा।

जहाँ डिजाइन मान समान AEP के लिए CWC 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) या 3(c) मान से कम है, वहाँ CWC मान को न्यूनतम सीमा (floor) के रूप में लिया जाएगा।

2.3.4 **अनुमत नहीं.** निम्नलिखित में से किसी का भी डिजाइन वर्षा के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा:

- (a) सामान्यीकृत अखिल भारतीय IDF सूत्र (उदाहरण के लिए Kothyari & Garde, 1992);
- (b) वर्षा के ऐसे मान जिनका कोई स्रोत उद्धृत नहीं है, जिनमें विक्रेता या वेब-कैलकुलेटर की तालिकाएँ सम्मिलित हैं;
- (c) किसी एक घटना के अधिकतम मान; या
- (d) किसी पिछली परियोजना से बिना निर्दिष्ट AEP के आगे लाई गई डिजाइन तीव्रताएँ।

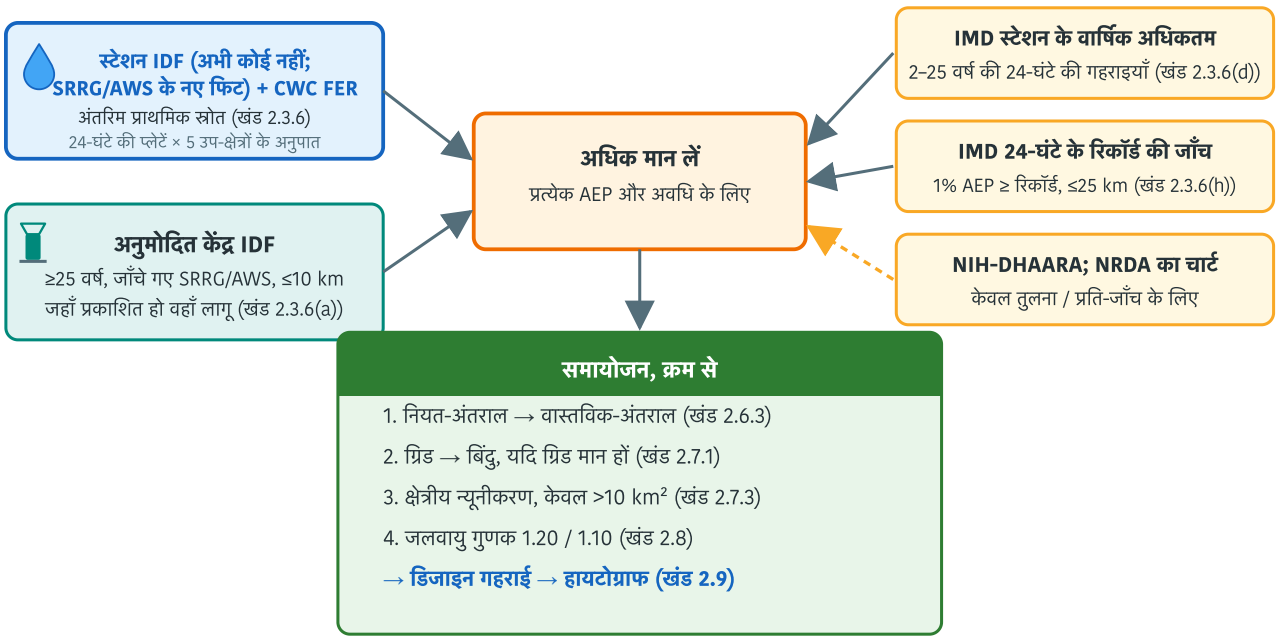

चित्र 2.1 — डिजाइन वर्षा के स्रोतों का पदानुक्रम और समायोजन का क्रम। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

2.3.5 **संस्करण नियंत्रण.** प्रत्येक प्रस्तुति (submittal) में स्रोत, उसका संस्करण या उपयोग की तिथि, जिन निर्देशांकों के लिए मान लिए गए, और निकाले गए मान दर्ज किए जाएँगे (खंड 2.13)।

2.3.6 **छत्तीसगढ़ में अंतरिम स्रोत.** जब तक परिशिष्ट 2A प्रकाशित होकर किसी जोन के लिए NIH-DHAARA की, या किसी अनुमोदित केंद्र IDF की, पुष्टि नहीं करता, तब तक छत्तीसगढ़ में खंड 2.3.1 लागू नहीं होगा, और डिजाइन वर्षा निम्नानुसार ली जाएगी:

- (a) **केंद्र IDF.** जहाँ IMD के किसी जाँचे गए स्व-अभिलेखी वर्षामापी (SRRG) या स्वचालित मौसम केंद्र के कम से कम 25 वर्ष के अभिलेख पर फिट किया गया केंद्र IDF परिशिष्ट 2B में प्रकाशित हो चुका है, वहाँ केंद्र से 10 km के भीतर, जिन अवधियों और AEP को वह सम्मिलित करता है उनके लिए, (f) और (g) के स्थान पर वही लागू होगा; तब खंड 2.3.2 की तुलना (c) से (e) और (h) की 24-घंटे और उससे अधिक अवधि की गहराइयों से की जाती है, और खंड 2.3.3 की CWC न्यूनतम सीमा फिर भी लागू होती है। कोई अभिलेख तब जाँचा गया माना जाता है जब उसके वार्षिक योगों और वार्षिक अधिकतम मानों की तुलना उस केंद्र के IMD सामान्य मानों और केंद्र के चरम मानों से की गई हो, और असंगत प्रत्येक वर्ष का स्पष्टीकरण दिया गया हो या उसे हटा दिया गया हो। एक-तिहाई नियम (खंड 2.6.4) या किसी अन्य नियत अनुपात द्वारा दैनिक आँकड़ों से निकाला गया IDF केंद्र IDF नहीं है। छत्तीसगढ़ में खंड 2.3.2(a) को 30 के स्थान पर 25 वर्ष के साथ पढ़ा जाता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित, ताकि विश्लेषण हो जाने पर राज्य के मुख्य नगरों के स्व-अभिलेखी वर्षामापी इसके योग्य हो सकें)। परिशिष्ट 2B में अभी तक कोई IDF प्रकाशित नहीं हुआ है, और राज्य के किसी भी नगर के लिए सत्यापित स्थिरांकों (constants) वाला कोई केंद्र IDF नहीं मिला: रायपुर के लिए Ram Babu et al. (1979) के नाम से बताए जाने वाले स्थिरांक केवल एक खोज-अंश में, अपने स्तंभ-शीर्षकों के बिना, देखे गए, और जब तक बुलेटिन पढ़ा नहीं जाता तब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता [TBC]। इस मैनुअल का पहला आँकड़ा अनुरोध मुख्य नगरों के IMD केंद्रों के स्व-अभिलेखी वर्षामापी और स्वचालित मौसम केंद्र अभिलेखों के लिए है, जिनका फिट इस उप-खंड के अंतर्गत किया जाना है: रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के लिए Raipur (Obsy), 42875 (दैनिक अभिलेख 1901–2012), और Raipur (Mana) (A), 11203 (1979–2012); Pendra Road, 42779 (1903–2012); Jagdalpur, 43041 (1910–2012); Kanker, 42953 (1927–2008); Champa, 42783 (1945–2012); Raigarh, 42884 (1950–2012); Ambikapur, 42693 (1951–2012); Jashpurnagar, 42790 (1965–2012); और Durg, 42876 (1969–2012) (IMD); प्रत्येक केंद्र पर उपलब्ध स्व-अभिलेखी वर्षामापी आँकड़ों के वर्षों की पुष्टि की जानी है [TBC]।

- (b) **उप-क्षेत्र.** साइट का CWC उप-क्षेत्र उस बाढ़ आकलन रिपोर्ट का उप-क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में साइट स्थित है, रिपोर्टों की प्लेटों पर खींची गई सीमाओं के अनुसार, जो छत्तीसगढ़ में बेसिनों के जल-विभाजकों का अनुसरण करती हैं। राज्य को पाँच उप-क्षेत्र सम्मिलित करते हैं। 3(d) (Mahanadi, M-3(d)/R-3/25/1996) महानदी बेसिन को, जो राज्य का 56% है, और ब्राह्मणी बेसिन को, लगभग 1%, सम्मिलित करता है, जिनमें **रायपुर**, **नवा रायपुर अटल नगर**, बिरगांव, **दुर्ग**, **भिलाई**, रिसाली, भिलाई-चरोदा, **राजनांदगांव** (उसकी वैनगंगा की ओर को छोड़कर), बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, **बिलासपुर**, मुंगेली, कवर्धा (उसकी नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी को छोड़कर), **कोरबा**, जांजगीर, चांपा, सक्ती, **रायगढ़**, सारंगढ़, **धमतरी**, महासमुंद, राजिम, गरियाबंद, कांकेर (कोटरी की ओर को छोड़कर), मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर और जशपुरनगर सम्मिलित हैं। 3(g) (Indravati, I/21/1992) इंद्रावती बेसिन को सम्मिलित करता है, जिसमें **जगदलपुर**, कोंडागांव, नारायणपुर, इंद्रावती की ओर के दंतेवाड़ा और बीजापुर, और कोटरी पर पखांजूर और अंतागढ़ का पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। 3(f) (Lower Godavari, LG-3(f)/R-2/24/1995) सबरी और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र को सम्मिलित करता है, जिसमें सुकमा, दोरनापाल (Dornapal) और कोंटा, और राजनांदगांव, खैरागढ़ और मोहला-मानपुर की वैनगंगा की ओर सम्मिलित हैं। 1(d) (Sone, S/15/1987) रिहंद, कन्हार और गोपद बेसिनों को सम्मिलित करता है, जिनमें **अंबिकापुर**, बिश्रामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर और कोरिया क्षेत्र का उत्तरी भाग (भरतपुर, जनकपुर (Janakpur)) सम्मिलित हैं। 3(c) (Upper Narmada and Tapi, UNT-3(c)/R-6/46/2002) कवर्धा और राजनांदगांव की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी को सम्मिलित करता है, जो लगभग 744 km² है और जिसमें कोई नगर नहीं है। राज्य में कोई उप-क्षेत्र 3(e) नहीं है। किसी उप-क्षेत्र की सीमा से 5 km के भीतर दोनों प्लेट मानों में से अधिक मान प्रयुक्त होता है, और प्रत्येक अवधि पर (f) के अंतर्गत दोनों गुणनफलों में से अधिक (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। यह विशेष रूप से **जगदलपुर** पर लागू होता है, जिसे 3(g) की प्लेटें 3(g) और 3(f) के बीच की रेखा पर दर्शाती हैं: पूरे नगर निगम क्षेत्र में 3(g) और 3(f) के मानों में से अधिक मान प्रयुक्त होता है, यद्यपि शहर का पानी इंद्रावती में जाता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित); **अंबिकापुर** पर, जो मांड और हसदेव के साथ जल-विभाजक पर 1(d) के ठीक भीतर स्थित है; कांकेर, राजनांदगांव और खैरागढ़ पर, जो 3(g) और 3(f) के साथ 3(d) की रेखाओं के निकट हैं; और 3(c) की किनारी पट्टी पर, जहाँ, जब तक राज्य के लिए 3(c) की प्लेटें पढ़ी नहीं जातीं, 3(d) का प्लेट मान 3(c) और 3(d) के अनुपातों में से अधिक के साथ प्रयुक्त होता है [TBC]। जिलों और नगरों की सूचियाँ केवल मार्गदर्शन के लिए हैं: प्लेटों की सीमाएँ लागू होती हैं, और उनकी पुष्टि रिपोर्टों के सूचकांक मानचित्रों (index maps) पर की जानी है [TBC]। साइट का वर्षा जोन और उप-भाग परिशिष्ट 2A के अनुसार हैं।
- (c) **24-घंटे की गहराई, 2% और 1% AEP (50- और 100-वर्ष).** साइट के उप-क्षेत्र की रिपोर्ट की 50- और 100-वर्ष की समवर्षा प्लेटों (3(d) की प्लेट 9 और 10; 3(g) की प्लेट 10 और 11; 1(d) की प्लेट 9 और 10, उनके शीर्षकों के अनुसार, यद्यपि उस रिपोर्ट का पाठ प्लेट 10 को 50-वर्ष का मानचित्र कहता है; और 3(f) और 3(c) की प्लेटें, जो राज्य के लिए पढ़ी नहीं गईं [TBC]) से पढ़ा गया साइट पर 24-घंटे का बिंदु मान, जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहे जो हो। जहाँ साइट दो समोच्च रेखाओं के बीच स्थित है, वहाँ अधिक समोच्च मान प्रयुक्त होता है; जहाँ वह किसी ऐसी बंद समोच्च रेखा के भीतर स्थित है जिसके भीतर कोई उच्चतर समोच्च रेखा नहीं है, वहाँ मान उस समोच्च रेखा का मान और एक समोच्च अंतराल है; और जहाँ वह "<" से चिह्नित किसी बंद निम्न कोष्ठ के भीतर स्थित है, वहाँ मान उसे घेरने वाली समोच्च रेखा का मान है (सभी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। प्लेटें साइट के निर्देशांकों से पढ़ी जाती हैं, नगरों के नाम-चिह्नों (labels) से नहीं। जब तक 3(f) की प्लेटें पढ़ी नहीं जातीं, 3(f) में स्थित साइट 3(g) की प्लेटों का मान लेती है जहाँ वे उस पर फैली हों, और अन्यथा उससे 25 km के भीतर 3(g) की प्लेटों की सबसे ऊँची समोच्च रेखा का मान [TBC]। केवल दिशा-बोध के लिए, इस मैनुअल के लिए पुनः प्रस्तुत (re-rendered) स्कैनों पर आँख से लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक पढ़ने पर, 50-वर्ष की प्लेटें रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर में लगभग 280–320 mm, दुर्ग और भिलाई में 240–280 mm, राजनांदगांव में, समोच्च रेखा पर, लगभग 280 mm, बिलासपुर में 200–240 mm, जो मुंगेली और कवर्धा के ऊपर 200 mm से कम के एक बंद क्षेत्र के किनारे पर है, कोरबा और चांपा में 240–280 mm, धमतरी में लगभग 320 mm, महासमुंद और राजिम में 320–360 mm, गरियाबंद में लगभग 360 mm, जिसके दक्षिण-पूर्व में ओडिशा की सीमा पर 440 mm से अधिक का एक बंद क्षेत्र है, कांकेर में 280–320 mm, जगदलपुर में 240–280 mm (3(g)), सुकमा में 200–240 mm, जो 3(g) की प्लेट के किनारे पर है, और अंबिकापुर और बिश्रामपुर के चारों ओर 280 mm से अधिक की एक बंद समोच्च रेखा (1(d)) देती हैं। रायगढ़ में 50-वर्ष की समोच्च रेखाओं पर मान अंकित नहीं हैं, और मान, लगभग 320 mm, 100-वर्ष की प्लेट से अनुमानित है, जिस पर 360 mm की रेखा नगर के ठीक पश्चिम में केलो पुल से होकर गुजरती है [TBC]; मनेंद्रगढ़ और जशपुरनगर में रेखाएँ पढ़ने के लिए एक-दूसरे के बहुत निकट हैं, लगभग 200–280 mm [TBC]। 100-वर्ष के मान लगभग एक समोच्च अंतराल (40 mm) अधिक हैं: रायपुर में लगभग 320–360 mm, दुर्ग और कोरबा में 280–320 mm, बिलासपुर और जगदलपुर में 240–280 mm, रायगढ़ में लगभग 360 mm, और अंबिकापुर के चारों ओर 320 mm से अधिक की एक बंद समोच्च रेखा। 3(d) की रिपोर्ट का हल किया गया उदाहरण

(worked example), रेल पुल संख्या 385 पर सोंढूर (Sondur), जो छत्तीसगढ़ में निकलने वाली और ओडिशा में पुल से पार की जाने वाली नदी है, 50 वर्ष पर 32.0 cm पढ़ता है। जहाँ साइट के केंद्र के लिए (d) का गंबल अनुमान समान AEP के लिए अधिक है, वहाँ वही लागू होगा; तब 24-घंटे की गहराई की जाँच (h) के अंतर्गत की जाती है।

- (d) **24-घंटे की गहराई, 50%, 20%, 10% और 4% AEP (2-, 5-, 10- और 25-वर्ष).** गहराई प्राधिकारी की सहमति से तय किए गए IMD केंद्र की, सभी महीनों की, वार्षिक अधिकतम दैनिक वर्षा श्रृंखला से प्राप्त गंबल (EV1) अनुमान है, जिसकी जाँच (a) के अनुसार की गई हो, और जिसे खंड 2.6.3 के नियत-अंतराल गुणक से गुणा किया जाता है; 3(d) और 3(g) में 4% AEP की गहराई (c) के अनुसार पढ़े गए 25-वर्ष के प्लेट मान (3(d) की प्लेट 8; 3(g) की प्लेट 9) से कम नहीं होती (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। उदाहरण के लिए, रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के लिए केंद्र Raipur (Obsy), 42875, और Raipur (Mana) (A), 11203, में से अधिक मान वाला केंद्र है, क्योंकि लगभग 15 km दूर स्थित इन दोनों वर्षामापियों के अभिलेख भिन्न हैं (370.3 mm और 273.0 mm) और 30 जून 2007 को उन्होंने 297.0 mm और 273.0 mm पढ़ा (IMD); दुर्ग, भिलाई और रिसाली के लिए Durg, 42876; राजनांदगांव के लिए Rajnandgaon, 11204 (1981–2008), जाँच के रूप में Durg के साथ; चांपा और जांजगीर के लिए Champa, 42783; रायगढ़ के लिए Raigarh, 42884; पेंड्रा और गौरेला के लिए Pendra Road, 42779; कांकेर के लिए Kanker, 42953; जगदलपुर के लिए Jagdalpur, 43041; अंबिकापुर और बिश्रामपुर के लिए Ambikapur, 42693; और जशपुरनगर के लिए Jashpurnagar, 42790। बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा, दंतेवाड़ा और सुकमा का IMD की केंद्र-चरम मानों की तालिकाओं में कोई IMD केंद्र नहीं है; उनके लिए, और अन्यत्र, केंद्र परिशिष्ट 2A के संभावित केंद्रों में से 30 या अधिक वर्षों के अभिलेख वाला निकटतम IMD केंद्र है, या IMD द्वारा उपलब्ध कराई गई 30 या अधिक वर्षों की किसी जिला वर्षामापी की श्रृंखला [TBC]। (h) के अंतर्गत बाहर रखा गया कोई अभिलेख-दिवस श्रृंखला से बाहर रखा जाता है, और उसे सम्मिलित करके किया गया फिट प्रपत्र 2-1 में उसके बिना किए गए फिट के साथ दर्ज किया जाता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
- (e) **48- और 72-घंटे की गहराइयाँ.** उसी केंद्र की वार्षिक अधिकतम 2-दिवसीय और 3-दिवसीय वर्षा श्रृंखला से प्राप्त गंबल अनुमान, खंड 2.6.3 के नियत-अंतराल गुणकों के साथ, और समान AEP के लिए (h) के अंतर्गत जाँची गई 24-घंटे की गहराई से कम नहीं।
- (f) **1 से 24 घंटे की अवधियाँ.** (h) की जाँच से पहले की, (c) या (d) की 24-घंटे की गहराई को, प्रत्येक AEP पर, तालिका 2B.1 में साइट के उप-क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुपातों से गुणा किया जाता है: 3(d) में अनुपात 1 घंटे पर 0.390, 3 घंटे पर 0.610, 6 घंटे पर 0.760, 9 घंटे पर 0.820, 12 घंटे पर 0.860, 15 घंटे पर 0.880 और 18 घंटे पर 0.920, जो उप-क्षेत्र के भीतर के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों की 10-वर्ष की गहराइयों से निकाले गए हैं; 3(g) में 0.320, 0.500, 0.635, 0.730, 0.800, 0.864 और 0.917; 3(f) में 0.32, 0.52, 0.65, 0.73, 0.79, 0.85 और 0.91; 1(d) में 50-वर्ष के अनुपात 0.37, 0.58, 0.70, 0.80, 0.89, 0.94 और 0.98 (18-घंटे का मान रिपोर्ट के OCR से है, पृष्ठ की छवि से जाँचा नहीं गया [TBC]); और 3(c) में 0.34, 0.50, 0.63, 0.72, 0.79, 0.86 और 0.91, उन्हीं अवधियों पर। 1(d) की रिपोर्ट ने अपने अनुपातों को 5 वर्ष और उससे ऊपर पुनरावृत्ति अवधि से स्वतंत्र पाया; 3(d), 3(g), 3(f) और 3(c) के अनुपात, रिपोर्टों के 10-वर्ष के आधार पर, उसी प्रकार प्रत्येक AEP पर लागू किए जाते हैं (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। सारणीबद्ध अवधियों के बीच अनुपात का लघुगणकीय अक्षों पर अंतर्वेशन (interpolation) किया जाता है। 24-घंटे की गहराई स्वयं (c) या (d) की वह गहराई है जिसकी जाँच (h) के अंतर्गत की गई हो।
- (g) **अल्पकालिक वर्षा घटनाएँ.** छत्तीसगढ़ में 1-घंटे या 3-घंटे की गहराई पर कोई निरपेक्ष न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। (f) की गहराइयाँ प्रत्येक AEP पर जैसी हैं वैसी ही प्रयुक्त होती हैं, और उन्हें न तो दर्ज प्रति घंटा अधिकतम मानों की ओर, न NIH-DHAARA की ओर, न NRDA के चार्ट की ओर घटाया जाता है। इसका कारण यह है कि प्राप्त साक्ष्य यह नहीं दर्शाते कि उप-क्षेत्रों के अनुपात राज्य में अल्पकालिक वर्षा घटनाओं को कम आँकते हैं; वे इसके विपरीत संकेत करते हैं। राज्य के लिए रिपोर्टों के स्व-अभिलेखी वर्षामापी अनुलग्नकों का प्रत्येक प्रति घंटा अधिकतम मान, 1969–1986 में 42–80 mm, वर्षामापी के निकट प्लेटों और अनुपातों से प्राप्त 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराई के निचले छोर से कम या उसके निकट है: 26 जून 1974 का कांकेर का 79 mm (3(g) की रिपोर्ट में उसी दिन के लिए 75.3 mm छपा) लगभग 109–125 mm के सामने, जो उसके 280–320 mm के प्लेट मान का 0.39 गुना है (CWC FER 3(d)); जगदलपुर का 80.0 mm वहाँ के लगभग 77–90 mm के सामने; और कोटरी पर, जहाँ प्लेटें 320 mm से ऊपर उठती हैं, परलकोट (Paralkote) का 75.0 mm लगभग 100 mm के सामने (CWC FER 3(g))। 3 घंटे पर, कांकेर का 115 mm (18 सितंबर 1980) उसके लगभग 171–195 mm के मान से कम है, और भोपालपटनम का 145.5 mm (8 अगस्त 1974) उसके लगभग 140–160 mm के मान के निकट है, जो एक समोच्च रेखा की पठन-त्रुटि के भीतर है (CWC FER 3(g))। प्रत्येक वर्षामापी पर 10–17 वर्षों के अभिलेख में 50-वर्ष के मान के निकट एक या दो अधिकतम मान अपेक्षित ही हैं। दो पंक्तियाँ कुछ नहीं जोड़तीं: रायगढ़ का 1 घंटे में 42 mm पाँच वर्ष से कम के अभिलेख से है, और

3(d) की रिपोर्ट की चांपा की पंक्ति 1 घंटे पर और 3 घंटे पर 139 mm छापती है, साथ में 12 घंटे पर 87 mm और फरवरी की एक तिथि, और उसका उपयोग नहीं किया जाता [TBC]। अन्य साक्ष्य भी यही दर्शाते हैं: राज्य में NIH-DHAARA की 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराइयाँ 54–85 mm हैं; नवा रायपुर के लिए NRDA का चार्ट 50-वर्ष की वर्षा घटना के लिए 3 घंटों में लगभग 40 mm/h, अर्थात लगभग 120 mm, देता है, जबकि 3(d) की प्लेटों और अनुपातों से लगभग 171–195 mm मिलता है; और Ram Babu et al. (1979) के नाम से बताए जाने वाले रायपुर के असत्यापित स्थिरांक 1 घंटे में लगभग 71 mm देते हैं [TBC]। इसलिए (f) की गहराइयों को 1 से 3 घंटे पर सुरक्षित पक्ष की (conservative) माना जाता है, और कोई न्यूनतम सीमा नहीं जोड़ी जाती। उन्हें घटाया भी नहीं जाता, क्योंकि प्रति घंटा अभिलेख छोटे हैं और 1986 में समाप्त होते हैं, NRDA का चार्ट कोई केंद्र, अभिलेख की अवधि या विधि नहीं बताता, Ram Babu के स्थिरांक असत्यापित हैं और NIH-DHAARA के मान ग्रिड मान हैं (खंड 2.7.1)। नवा रायपुर अटल नगर में 2, 5 और 10 वर्ष के लिए NRDA के चार्ट की गहराइयाँ (नया रायपुर विकास योजना-2031, Fig. 10.1), आँख से लगभग 10–15% की परिशुद्धता तक पढ़ी गई, प्रपत्र 2-1 में (f) की गहराइयों के साथ प्रति-जाँच के रूप में दर्ज की जा सकती हैं; वे डिजाइन मान नहीं हैं और न्यूनतम सीमा भी नहीं। यह निर्णय अंतरिम है और इस पर तब पुनर्विचार किया जाना है जब परिशिष्ट 2B (a) के केंद्रों के IMD स्व-अभिलेखी वर्षामापी और स्वचालित मौसम केंद्र अभिलेखों के आवृत्ति विश्लेषण प्रकाशित करे, जिनका आरंभ रायपुर (वेधशाला), रायपुर (माना), जगदलपुर, पेंड्रा रोड और अंबिकापुर से होगा, या जब Ram Babu et al. (1979) का बुलेटिन या NRDA के चार्ट के पीछे के केंद्र-आँकड़े प्राप्त हो जाएँ: यदि इनमें से कोई किसी जोन के लिए (f) से अधिक 1-घंटे या 3-घंटे की गहराइयाँ दर्शाता है, तो उस जोन के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाएगी; यदि वे मिलकर इनसे काफी कम गहराइयाँ दर्शाते हैं, तो राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को अनुपातों में कमी का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में राज्य की किसी हाल की वर्षा घटना का IMD प्रति घंटा अधिकतम मान नहीं मिला [TBC]। 24-घंटे की गहराई पर नियत-अंतराल गुणक लगा दिए जाने के बाद (f) की गहराइयाँ वर्तमान, वास्तविक-अंतराल (true-interval) मान हैं; इसके बाद खंड 2.8 का जलवायु गुणक लगाया जाता है।

- (h) **24-घंटे के अभिलेख की जाँच.** (c) या (d) की 1% AEP (100-वर्ष) की 24-घंटे की गहराई साइट से 25 km के भीतर किसी भी केंद्र या जिला वर्षामापी पर IMD द्वारा दर्ज सबसे अधिक योग्य (qualifying) 24-घंटे की वर्षा से, जहाँ वह अभिलेख अधिक हो, कम नहीं होगी; अभिलेख जैसा छपा है वैसा ही, नियत-अंतराल गुणक के बिना, प्रयुक्त होता है, और उसे 1% AEP की गहराई माना जाता है; तब 2% AEP (50-वर्ष) की 24-घंटे की गहराई इस प्रकार बढ़ाई गई 1% AEP की गहराई में से प्लेटों का एक समोच्च अंतराल, 40 mm, घटाकर प्राप्त मान से कम नहीं होती (सभी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। कोई अभिलेख केवल तभी योग्य होता है जब वह IMD द्वारा छापा गया हो (*Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations* या *Climate of Chhattisgarh* में, या IMD की किसी बाद की तालिका में); उसके वर्षामापी पर दैनिक अभिलेख की अवधि की पुष्टि IMD की किसी तालिका से कम से कम 20 वर्ष के रूप में होती हो; वह ऐसे महीने में पड़ता हो जिसमें उस केंद्र के लिए उतने परिमाण की वर्षा संभव हो; और उसी वर्षामापी और उसी दिन के लिए IMD की कोई अन्य तालिका उसका खंडन न करती हो। जो अभिलेख किसी भी परीक्षण में विफल होता है, उसे तब तक बाहर रखा जाता है जब तक IMD वह पुष्टि न कर दे जिसकी उसमें कमी है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जो अभिलेख योग्य हैं और (c) के अनुसार पढ़ी गई प्लेटों से ऊपर 100-वर्ष की गहराई बढ़ाते हैं, वे हैं **4 अगस्त 1910 को Raipur (Obsy), 42875, पर 370.3 mm** (दैनिक अभिलेख 1901 से), लगभग 320–360 mm के सामने; **30 जून 2001 को Jashpurnagar, 42790, पर 365.0 mm** (1965 से), लगभग 240–320 mm के सामने; **12 अगस्त 2004 को कोरबा में 358.0 mm** (23 वर्षों का एक वर्षामापी), लगभग 280–320 mm के सामने; और **26 जुलाई 1947 को Champa, 42783, पर 347.2 mm** (1945 से), लगभग 280–320 mm के सामने (IMD)। वर्षामापी पर अभिलेख की अवधि की पुष्टि होने तक बाहर रखे गए [TBC]: **राजनांदगांव में 392.0 mm (21 सितंबर 1965)** और **दुर्ग में 337.0 mm (15 जून 2004)**, जो जिला वर्षामापियों से हैं, न कि IMD की केंद्र-चरम मानों की तालिका में इन नामों वाले IMD केंद्रों से (Rajnandgaon, 11204, जिसका अभिलेख 1981 में आरंभ होता है, और Durg, 42876, जिसका सर्वाधिक दैनिक मान 260.4 mm है); सरायपाली का 508.3 mm और बसना का 453.0 mm (29 अगस्त 2003); समरिया (Samaria) का 540.0 mm (13 अगस्त 2003); और परिशिष्ट 2A में सूचीबद्ध जिला वर्षामापियों के अन्य अभिलेख। प्रत्येक अभिलेख, IMD की पुष्टि की तिथि से, तब स्वीकार किया जाता है जब IMD उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि कर दे; तब तक वह प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है किंतु डिजाइन गहराई निर्धारित नहीं करता। IMD द्वारा स्वयं मान की पुष्टि किए जाने तक बाहर रखे गए [TBC]: वाड्रफनगर का 917.2 mm (8 सितंबर 2003), जिसे IMD राज्य के सर्वाधिक दैनिक मान के रूप में छापता है किंतु जो लगभग 10 वर्षों के एक वर्षामापी से है और राज्य के किसी भी अन्य मान के दोगुने से अधिक है; अंबिकापुर का 456.7 mm (24 जुलाई 1991), जिसका खंडन IMD की केंद्र-चरम मानों की तालिका 23 जुलाई 1991 के 174.0 mm से करती है; और असंभाव्य महीनों के दो मान, कटघोरा (Kathgora) का 433.6 mm (24 नवंबर 1958) और भरतनगर

(Bharatanagar) का 301.0 mm (9 जनवरी 1995)। परिशिष्ट 2A के प्रकाशित होने तक डिजाइनकर्ता प्रपत्र 2-1 में साइट से 25 km के भीतर IMD के प्रत्येक अभिलेख को, उन परीक्षणों के साथ जिनमें वह सफल या विफल होता है, सूचीबद्ध करता है। यह जाँच 24-घंटे की गहराई को, और (e) के माध्यम से 48- और 72-घंटे की गहराइयों को, बढ़ाती है। यह 1 से 18 घंटे के लिए (f) की गहराइयों को नहीं बढ़ाती, क्योंकि अभिलेख बंगाल की खाड़ी की लंबी वर्षा घटनाओं के दैनिक योग हैं, उनमें से किसी का कोई प्रति घंटा अभिलेख नहीं है, और उन्हें (f) के अनुपातों से गुणा करने पर रायपुर में 1 घंटे में लगभग 144 mm मिलेगा, जो राज्य में दर्ज सबसे बड़ी प्रति घंटा वर्षा का लगभग दोगुना है। यह जाँच इसलिए की जाती है क्योंकि लंबे अभिलेख वाले कई वर्षामापियों ने प्लेटों की 100-वर्ष की गहराई से अधिक वर्षा दर्ज की है, उनमें से अधिकांश ने प्लेटें बनने के बाद, इसलिए उस छोर (tail) पर प्लेटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिस पर न्यूनतम सीमाएँ, भंडारण और स्पिलवे निर्भर हैं (भाष्य)।

- (i) **1 घंटे से कम की अवधियाँ.** इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में राज्य के किसी भी केंद्र का 1 घंटे से कम अवधि का आवृत्ति विश्लेषण नहीं मिला। जब तक परिशिष्ट 2B ऐसा विश्लेषण नहीं देता, तब तक 1 घंटे से कम की किसी अवधि की गहराई और 1-घंटे की डिजाइन गहराई का अनुपात प्राधिकारी की सहमति से, किसी ऐसे प्रकाशित स्व-अभिलेखी वर्षामापी विश्लेषण से जिसका स्रोत बताया गया हो, तय किया जाता है और प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है [TBC]; 1 घंटे से कम की किसी अवधि की औसत तीव्रता समान AEP की 1-घंटे की डिजाइन तीव्रता से कम नहीं होगी (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। नवा रायपुर अटल नगर में NRDA के चार्ट के 15-, 30- और 45-मिनट के बिंदु (g) के अंतर्गत प्रति-जाँच के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं।
- (j) **गहराइयों का क्रम.** समान AEP के लिए कोई भी गहराई किसी कम अवधि की गहराई से कम नहीं होगी।
- (k) **NIH-DHAARA.** साइट पर इसके वर्तमान मान प्रपत्र 2-1 में अंतरिम मानों के साथ, केवल तुलना के लिए, दर्ज किए जाते हैं: राज्य में वे रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर और रायगढ़ में प्लेटों के निकट, दुर्ग और भिलाई, कोरबा, नवा रायपुर, महासमुंद और जगदलपुर में बहुत अधिक, अंबिकापुर, कांकेर और जशपुरनगर में बहुत कम, 100 वर्ष पर रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़ और जशपुरनगर में केंद्रों के अभिलेखों से कम, और 1 घंटे पर हर स्थान पर कम हैं (भाष्य)। t-घंटे की गहराई और 24-घंटे की गहराई के इसके अनुपात तुलना के लिए परिशिष्ट 2B में सारणीबद्ध हैं, और डिजाइन अनुपातों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। खंड 2.8.4 के अंतर्गत इसकी प्रक्षेपित गहराइयाँ प्रयुक्त नहीं होतीं; इसकी प्रक्षेपित और वर्तमान गहराइयों का अनुपात तालिका 2.2 के जलवायु गुणकों की जाँच के रूप में दर्ज किया जा सकता है, और वे गुणक ही लागू होते हैं।
- (l) **IMD Das et al. (2022).** शोधपत्र में छत्तीसगढ़ के किसी भी केंद्र का पैनल नहीं है; उसके निकटतम पैनल, जबलपुर और भुवनेश्वर, राज्य के बाहर और अन्य उप-क्षेत्रों में हैं। खंड 2.3.3(a) की प्रति-जाँच प्रपत्र 2-1 में उपलब्ध नहीं के रूप में दर्ज की जाती है, और शोधपत्र का उपयोग मान, जाँच या न्यूनतम सीमा के रूप में नहीं किया जाता।
- (m) **पहले के डिजाइन मान.** राज्य के लिए मिले आँकड़े डिजाइन स्रोत नहीं हैं। नया रायपुर विकास योजना-2031 (NRDA, 2008) कहती है कि "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system"), अपेक्षा करती है कि नदी का कोई भी तटबंध "100 वर्ष की आवृत्ति की बाढ़ से सुरक्षित" ("safe against 100 yrs frequency flood") हो और सड़कें "प्रेक्षित उच्च बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 से 1.0 m ऊपर" ("at least 0.5 to 1.0 m above the observed high flood level") रखी जाएँ, सड़क जल निकासी पर IRC:SP:50 लागू करती है, और 2, 5, 10 और 50 वर्ष के लिए वर्षा तीव्रता बनाम सांद्रण समय का एक चार्ट "IMD के आँकड़ों पर आधारित" ("Based on IMD Data") छापती है, जिसमें कोई केंद्र, अभिलेख की अवधि या फिटिंग विधि नहीं बताई गई; यह राज्य में किसी नगर की ड्रेनों के लिए मिली एकमात्र डिजाइन वर्षा घटना है, और यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। AMRUT के अंतर्गत RMC की वर्षा जल योजना (2015) 49% नेटवर्क कवरेज, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें और सड़क के 11 हिस्से दर्ज करती है जिनमें वर्ष में दो-तीन बार बाढ़ आती है, और कोई पुनरावृत्ति अवधि, वर्षा तीव्रता या अपवाह गुणांक बताए बिना ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित करती है। इनके स्थान पर तालिका 2.1 की पुनरावृत्ति अवधियाँ और इस खंड की गहराइयाँ लागू होती हैं, नवा रायपुर अटल नगर में भी अन्यत्र की तरह: NRDA का 5-वर्ष का मानदंड प्रचलन के इतिहास के रूप में उद्धृत है, और उसके चार्ट का उपयोग केवल (g) और (i) के अनुसार किया जाता है।
- (n) **अन्य खंड.** जहाँ खंड 2.3.2, 2.6.1, 2.7.1 और 2.13, परिशिष्ट 2A से 2C और प्रपत्र 2-1 NIH-DHAARA मान का उल्लेख करते हैं, वहाँ इस खंड के अंतर्गत प्राप्त मान अभिप्रेत है।

भाष्य. NIH-DHAARA भारत सरकार की एक संस्था का राष्ट्रीय, सार्वजनिक रूप से सुलभ उत्पाद है, और राज्य के किसी भी बिंदु के लिए इससे मान प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे यह एक ऐसा पुनरुत्पादनीय डिफॉल्ट बनता है जिसकी जाँच अनुमोदन प्राधिकारी कर सकता है। NIH-DHAARA के उप-दैनिक मान प्रति घंटा अभिलेखों से निकाले गए हैं, दैनिक योग से विभाजित नहीं किए गए। इससे यह ड्रेन के आकार निर्धारण के लिए उपयुक्त एकमात्र सार्वजनिक स्रोत बनता है, क्योंकि ड्रेन अल्पकालिक तीव्रता पर निर्भर करती हैं। फिर भी 24 घंटे और उससे अधिक की अवधि पर इसके मानों की जाँच IMD के लंबे दैनिक अभिलेख से की जानी चाहिए (परिशिष्ट 2A)। छत्तीसगढ़ में यह प्लेटफॉर्म अभी यह प्रयोजन पूरा नहीं करता। वहाँ इसके वर्तमान मान वर्षामापियों से नहीं, बल्कि IMDAA पुनर्विश्लेषण (लगभग 12 km) से आते हैं, और उनकी त्रुटि दोनों दिशाओं में है। इसकी 50-वर्ष की 24-घंटे की गहराइयाँ रायपुर (313 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 280–320 mm है), राजनांदगांव (307 mm), धमतरी (302 mm), बिलासपुर (217 mm, जबकि प्लेट मान 200–240 mm है) और रायगढ़ (316 mm) में CWC प्लेटों के निकट हैं; दुर्ग (333 mm) और भिलाई (326 mm) में, जहाँ प्लेट मान लगभग 240–280 mm है, और कोरबा (306 mm), नवा रायपुर (349 mm), महासमुंद (380 mm, जबकि प्लेट मान 320–360 mm है) और जगदलपुर (340 mm, जबकि प्लेट मान 240–280 mm है) में उनसे अधिक हैं; और अंबिकापुर (249 mm, जबकि वहाँ 280 mm से अधिक की एक बंद समोच्च रेखा है) और कांकेर (247 mm, जबकि प्लेट मान 280–320 mm है) में उनसे कम हैं। इसकी 100-वर्ष की गहराइयाँ रायपुर (353 mm, जबकि अभिलेख 370.3 mm है), राजनांदगांव (346 mm, जबकि अभिलेख 392.0 mm है), कोरबा (344 mm, जबकि अभिलेख 358.0 mm है), रायगढ़ (355 mm, जबकि अभिलेख 360.9 mm है) और, बहुत बड़े अंतर से, जशपुरनगर (233 mm, जबकि अभिलेख 365.0 mm है) में केंद्रों के अभिलेखों से कम हैं। इसकी 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराइयाँ, 54–85 mm, इसकी 24-घंटे की गहराइयों की केवल 0.20–0.29 हैं, जो सभी अपने उप-क्षेत्रों के CWC अनुपातों, 0.32–0.39, से कम हैं (NIH-DHAARA, 7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD; CWC)। जो स्रोत इतने अंतर से त्रुटि करता हो, उसे अपनाया नहीं जा सकता, इसलिए खंड 2.3.6 परिशिष्ट 2A का कार्य पूरा होने तक CWC रिपोर्टों और IMD केंद्रों के लंबे अभिलेखों का उपयोग करता है, और NIH-DHAARA का उपयोग केवल तुलना के लिए और जलवायु गुणकों की जाँच के रूप में करता है। एक बात में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात जैसा है: रिपोर्टों के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों के पुराने अधिकतम मान प्लेटों और अनुपातों से प्राप्त 1-घंटे की गहराइयों से अधिक नहीं हैं, और मिला प्रत्येक अन्य स्रोत इससे कम देता है, इसलिए यह खंड अल्पकालिक वर्षा घटनाओं के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करता और उन आँकड़ों का नाम देता है जो इसे बदल देंगे (खंड 2.3.6(g))। दूसरी बात में यह भिन्न है: पुष्ट लंबे अभिलेख वाले कई वर्षामापियों पर 24-घंटे के अभिलेख प्लेटों की 100-वर्ष की गहराइयों से अधिक हैं, रायपुर (वेधशाला) पर 1910 से और चांपा पर 1947 से, और जशपुरनगर और कोरबा पर प्लेटें बनने के बाद, 2001 और 2004 में, इसलिए प्लेटें उस छोर को कम आँकती हैं जिस पर न्यूनतम सीमाएँ, भंडारण और स्पिलवे निर्भर हैं। खंड 2.3.6(h) इसका उत्तर किसी नई सांख्यिकी से नहीं, बल्कि एक जाँच से देता है। दर्ज कोई दिन वह गहराई है जिसे डिजाइन को कम से कम वहन करना ही चाहिए; जो अभिलेख किसी एक वर्षामापी पर 100 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक है, जैसा रायपुर का है, उसकी आनुभविक पुनरावृत्ति अवधि लगभग 100 वर्ष के क्रम की है, और छोटे अभिलेख के लिए यह जाँच सुरक्षित पक्ष की है। अभिलेख की अवधि का इसका परीक्षण कुछ वर्षों वाले, या अज्ञात अवधि वाले, किसी वर्षामापी को पूरे नगर की गहराई निर्धारित करने से रोकता है: राजनांदगांव, दुर्ग, सरायपाली, बसना और समरिया (Samaria) के जिला वर्षामापियों के अधिक मान IMD द्वारा उनके अभिलेखों की पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं। इसकी 25 km की त्रिज्या राज्य की रिकॉर्ड वर्षा घटनाओं के फैलाव के अनुरूप है: 4 अगस्त 1910 को रायपुर में 370.3 mm, कुरुद में 381.0 mm और आरंग में 318.0 mm दर्ज हुई, और 30 जून 2007 को रायपुर शहर के वर्षामापी और 15 km दूर हवाई अड्डे के वर्षामापी ने 297.0 mm और 273.0 mm पढ़ा (IMD)। यह जाँच 24 घंटे और उससे अधिक पर रुक जाती है, क्योंकि कोई अभिलेख-दिवस अपने चरम घंटे के बारे में कुछ नहीं बताता। राज्य को पाँच CWC उप-क्षेत्र पार करते हैं जिनके 1-घंटे के अनुपात 0.32 (3(g), 3(f)) से 0.39 (3(d)) तक हैं, इसलिए समान 24-घंटे की गहराई के लिए रायपुर जैसा 3(d) का नगर 3(g) के जगदलपुर से लगभग 22% अधिक 1-घंटे की गहराई पाता है, और जगदलपुर स्वयं एक उप-क्षेत्र रेखा पर स्थित है; इसी कारण खंड 2.3.6(b) प्रत्येक जिले का उप-क्षेत्र निर्दिष्ट करता है और रेखाओं के निकट अधिक मान लागू करता है। अधिक बार होने वाली AEP के अंतरिम नियम, 48- और 72-घंटे की गहराइयाँ, प्लेटों का पठन, प्रत्येक जिले का उप-क्षेत्र, अभिलेख की जाँच, NRDA के चार्ट का उपयोग और 1 घंटे से कम की अवधियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। कई बिंदु अनसुलझे हैं। प्लेट मान स्कैनों पर आँख से, लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक, पढ़े गए; रायगढ़ में 50-वर्ष की समोच्च रेखाओं पर मान अंकित नहीं हैं, और मनेंद्रगढ़ और जशपुरनगर में वे पढ़ने के लिए एक-दूसरे के बहुत निकट हैं [TBC]। 3(f) की रिपोर्ट की प्राप्त प्रति में प्लेटें नहीं हैं, और उसकी हानि दर एक स्रोत में 2 mm/h और 3(g) की रिपोर्ट में, जो उसके संबंधों को अपनाती है, 0.5 या 0.2 cm/h दी गई है [TBC]; 3(c) की प्लेटें राज्य के लिए पढ़ी नहीं गईं, और 3(d) की क्षेत्रीय न्यूनीकरण तालिका दोबारा पढ़ी नहीं गई [TBC]। 18 घंटे पर 1(d) का अनुपात OCR पाठ से पढ़ा गया [TBC]।

स्व-अभिलेखी वर्षामापी अनुलग्नकों में, 3(d) की चांपा की पंक्ति विकृत है, 3(g) की जगदलपुर की पंक्ति ऐसी तिथि पर, जो फरवरी पढ़ी जाती है, 1 और 3 घंटे पर एक ही 80.0 mm छापती है, और 3(g) के अनुलग्नक के 12- से 24-घंटे के स्तंभ पढ़े नहीं गए [TBC]। वाड्रफनगर का 917.2 mm, जिसे IMD राज्य के रिकॉर्ड के रूप में छापता है, और अंबिकापुर का 456.7 mm IMD की पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं, और राजनांदगांव, दुर्ग, सरायपाली, बसना, समरिया और अन्यत्र के जिला वर्षामापियों के अभिलेख की अवधियाँ IMD से प्राप्त की जानी हैं (खंड 2.3.6(h))। इस मैनुअल के लिए NRDA की योजना के अतिरिक्त राज्य के किसी भी नगर की ऐसी कोई वर्षा जल ड्रेन DPR नहीं मिली जिसमें उसकी डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि और वर्षा विश्लेषण हो [TBC], इसलिए अभी बनाए जा रहे जल निकासी कार्यों के डिजाइन आधार की तुलना इस खंड से नहीं की जा सकी।

2.4 डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)

2.4.1 डिजाइन AEP प्रत्येक घटक के लिए संबंधित अध्यायों में निर्धारित हैं। उनका सारांश यहाँ दिया गया है ताकि डिजाइन के आरंभ में ही सही वर्षा निकाली जा सके।

तालिका 2.1 — डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)

घटक	डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	जाँच घटना	अध्याय
लघु ड्रेन: रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के केंद्रीय भाग और उच्च-घनत्व क्षेत्र	10% (10-वर्ष)	1% (100-वर्ष) सतही प्रवाह मार्ग	6
लघु ड्रेन: अन्य श्रेणी I शहरी क्षेत्र	20% (5-वर्ष)	1% सतही प्रवाह मार्ग	6
लघु ड्रेन: अन्य क्षेत्र	50% (2-वर्ष)	1% सतही प्रवाह मार्ग	6
धमनी सड़कें और क्रॉसिंग	2–4% (25–50-वर्ष)	अगला उच्चतर AEP	6
संग्राहक / स्थानीय सड़कें	4% / 10% (25 / 10-वर्ष)	2% / 4% (50 / 25-वर्ष), साथ में 1% सतही प्रवाह मार्ग	6
प्रमुख (सतही) प्रणाली	1% (100-वर्ष)	—	6
प्रतिधारण आयतन	दैनिक वर्षा का शततमक (खंड 2.10)	—	4
अस्थायी भंडारण: मानक जलग्रहण क्षेत्र	50%, 10%, 1% (2, 10, 100-वर्ष)	1% आपातकालीन स्पिलवे	4
अस्थायी भंडारण: बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	मिश्रित-आवृत्ति नियम, खंड 2.11	1%	4
भवनों के फर्श स्तर	1% + 0.5 m फ्रीबोर्ड	—	6
अस्थायी भंडारण का आपातकालीन स्पिलवे	1%, आउटलेट अवरुद्ध मानकर	0.2% (500-वर्ष), जहाँ जोखिम अधिक हो	4

भाष्य. ये मान CPHEEO (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों, 5-वर्ष (श्रेणी I शहर) और 2-वर्ष (अन्य क्षेत्र), से अधिक हैं। CPHEEO राज्य को उच्चतर मान निर्धारित करने की अनुमति देता है। ये मान अध्याय 4 और 6 में निर्धारित हैं, और सुविधा के लिए तालिका यहाँ दोहराई

गई है।

2.5 डिजाइन अवधियाँ

2.5.1 **वहन घटकों** (पाइप, खुली ड्रेन, इनलेट, पुलिया) का डिजाइन योगदान देने वाले क्षेत्र के सांद्रण समय (Tc) के बराबर अवधि की तीव्रता से किया जाएगा (अध्याय 3)। न्यूनतम अवधि **10 मिनट** है।

2.5.2 **भंडारण घटकों** (अस्थायी भंडारण, प्रतिधारण, तालाब, पंप वाले संप) की जाँच समुच्चय {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} की प्रत्येक अवधि के लिए की जाएगी। सबसे बड़ा आवश्यक भंडारण या जल स्तर लागू होगा। क्रांतिक अवधि का परिणाम जो भी हो, 24-, 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ प्रत्येक साइट पर **अनिवार्य** जाँच हैं।

2.5.3 **ज्वार से प्रभावित आउटफॉल.** ज्वार से प्रभावित आउटफॉल (अध्याय 5) में खाली होने वाले भंडारण के लिए 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं को खंड 2.12 की टेलवाटर सीमा-स्थिति के साथ भी चलाया जाएगा।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ की सबसे बुरी बाढ़ें तब आई हैं जब किसी लंबी गीली अवधि ने जलाशयों को भर दिया और नदियों को ऊँचा कर दिया। 28–29 अगस्त 2020 को अकलतरा में 282.7 mm दर्ज हुई, जो ऋतु की सबसे बड़ी वर्षा थी (IMD), पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन 1994 के अपने उच्चतम स्तर से ऊपर चढ़ गई और महानदी ने कलमा (Kalma) और सूरजगढ़ पर नए उच्चतम स्तर बनाए (SANDRP द्वारा लिखित रूप में CWC के आँकड़े); 1994 में राज्य के 27 में से 21 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई, और खारुन का पिछला उच्चतम स्तर उसी जुलाई का है (IMD; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। सितंबर 2026 में गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे, जबकि खारुन रायपुर में उफनी और जगदलपुर पर इंद्रावती अपने 1973 के स्तर से ऊपर चढ़ गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। मासिक अभिलेख दर्शाते हैं कि एक ही महीना कितनी वर्षा ला सकता है: जुलाई 1884 में रायपुर में 988.8 mm, जुलाई 1961 में रायगढ़ में 952.7 mm, अगस्त 1925 में जगदलपुर में 904.7 mm और अगस्त 1994 में बैलाडीला में 1,606.0 mm (IMD)। वर्षा घटनाएँ कई दिनों में राज्य को पार करती हैं: 10 जुलाई 1958 को रायगढ़ में 360.9 mm और 13 जुलाई को लखोली (Lakholi), सांडी (Sandi) और पलारी (Pallari) में 341–354 mm दर्ज हुई, और जून–जुलाई 2001 में पखांजूर (Pankhajur) (413.0 mm), जशपुरनगर (365.0 mm) और चारामा (Charama) (497.8 mm) में भारी वर्षाएँ एक-दूसरे से चार सप्ताह के भीतर हुईं (IMD)। अक्तूबर 2025 में गंगरेल अपनी क्षमता के 99.49% पर था जब उसने आठ गेटों से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा (प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए जो ड्रेनें उसके नीचे, और हसदेव पर बांगो और दर्री के नीचे, आउटफॉल करती हैं, वे ऐसे ऊँचे जल स्तर का सामना करती हैं जिसे पूरी गीली अवधि ने निर्धारित किया है, न कि उसके चरम घंटे ने। केवल क्रांतिक अवधि पर आधारित नियम, किसी छोटी साइट पर लागू करने पर, 1–2 घंटे की वर्षा घटना चुनता है और विफलता के इस रूप को चूक जाता है। इसी कारण लंबी अवधि की जाँचें अनिवार्य हैं।

2.6 उप-दैनिक वर्षा

2.6.1 जहाँ NIH-DHAARA या कोई अनुमोदित केंद्र IDF अपेक्षित अवधि के लिए सीधे मान देता है, वहाँ वही मान प्रयुक्त किए जाएँगे।

2.6.2 जहाँ 24 घंटे से कम की किसी अवधि के लिए केवल दैनिक (24-घंटे की) गहराइयाँ उपलब्ध हैं, वहाँ उप-दैनिक गहराई **परिशिष्ट 2B के अनुपात समुच्चय** से निकाली जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों से अंशांकित (calibrated) अवधि-से-24-घंटे के अनुपात हैं। ये उप-क्षेत्र (3(d), 3(g), 3(f), 1(d) या 3(c)) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के अनुपातों से कम नहीं होंगे। IMD Das et al. (2022) में छत्तीसगढ़ के किसी केंद्र का पैनल नहीं है और छत्तीसगढ़ में इसे न्यूनतम सीमा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता।

2.6.3 **नियत-अंतराल समायोजन.** नियत प्रेक्षण अवधियों से प्राप्त गहराइयों (उदाहरण के लिए 08:30–08:30 IST के दैनिक आँकड़े, या घड़ी के घंटे के आँकड़े) को खिसकती अवधि (sliding-window; "वास्तविक अंतराल", "true interval") की गहराइयों में परिवर्तित किया जाएगा:

- एक नियत प्रेक्षण अंतराल के लिए 1.13;
- 2 अंतरालों के लिए 1.04;
- 3–4 अंतरालों के लिए 1.02।

जहाँ अनुमोदित स्रोत पहले से ही वास्तविक-अंतराल मान देता है, वहाँ यह समायोजन लागू नहीं होता।

2.6.4 आनुभविक संबंध P(t) = P(24)·(t/24)^(1/3) का उपयोग डिजाइन के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक परिशिष्ट 2B संबंधित जोन के लिए उसकी पुष्टि न करे।

> **भाष्य.** एक-तिहाई घात का नियम भारतीय परियोजना रिपोर्टों में आम है, किंतु इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में इसका कोई प्राथमिक IMD स्रोत नहीं मिला। यह हर स्थान पर वक्र का एक ही नियत आकार लागू करता है: P(1h)/P(24h) = 0.35, P(3h) = 0.50, P(6h) = 0.63 और P(12h) = 0.79। यह अल्पकालिक संवहनी (convective) तीव्र बौछार और दक्षिण-पश्चिम मानसून की लंबी झड़ी के अंतर को नहीं दर्शा सकता, और तटीय संवहनी वर्षा घटनाओं में अल्पकालिक गहराइयों को कम आँकने की प्रवृत्ति रखता है। परिशिष्ट 2B में जोनवार NIH-DHAARA अनुपात P(t)/P(24h) इन मानों के सामने सारणीबद्ध किए जाएँगे। उस तुलना से पता चलता है कि यह नियम राज्य में कहीं स्वीकार्य है या नहीं, और उससे पुराने दैनिक-आधारित विश्लेषण सुधरते हैं। नियत-अंतराल गुणक मानक WMO (हर्शफील्ड, Hershfield) मान हैं। IMD का 2022 का अध्ययन घड़ी के घंटे से किसी भी घंटे के लिए इसी प्रकार के संशोधन लागू करता है।

2.7 बिंदु, ग्रिड और क्षेत्रीय वर्षा

2.7.1 डिजाइन गहराइयाँ बिंदु मान हैं। जहाँ कोई अनुमोदित स्रोत ग्रिड-औसत मान (उदाहरण के लिए 0.25° के सेल) देता है, वहाँ उपयोग से पहले उन्हें परिशिष्ट 2C के ग्रिड-से-बिंदु गुणकों से बिंदु मानों में परिवर्तित किया जाएगा।

2.7.2 **≤ 10 km²** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए ARF = 1.0।

2.7.3 **> 10 km²** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए ARF निम्नानुसार लागू करें:

- उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) या 3(c) में 25–5,000 km² के लिए: लागू CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के ARF वक्रों का उपयोग करें;
- 10–25 km² के लिए: 10 km² पर ARF = 1.0 और 25 km² पर CWC मान के बीच रैखिक अंतर्वेशन करें।

2.7.4 किसी एकल विकास साइट के भंडारण डिजाइन पर ARF कभी लागू नहीं किया जाएगा।

> **भाष्य.** ग्रिड-आधारित और जिला-औसत पुनरावृत्ति स्तर बिंदु मानों से बहुत कम होते हैं। उदाहरण के लिए, जशपुर में NIH-DHAARA का IMDAA सेल लगभग 233 mm की 100-वर्ष की 24-घंटे की गहराई देता है, जबकि जशपुरनगर के वर्षामापी पर 30 जून 2001 को 365.0 mm दर्ज हुई, और रायपुर में उसका सेल लगभग 353 mm देता है, जबकि रायपुर वेधशाला पर 4 अगस्त 1910 को 370.3 mm दर्ज हुई (NIH-DHAARA, 7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD)। जगदलपुर में यही उत्पाद दूसरी दिशा में त्रुटि करता है: 50 वर्ष पर लगभग 340 mm, जबकि प्लेट मान 240–280 mm और केंद्र का अभिलेख 259.7 mm है। एकल वर्षा घटनाएँ इतने छोटे पैमाने पर असमान होती हैं जिसे लगभग 12 km का कोई भी सेल नहीं दर्शा सकता: 30 जून 2007 को रायपुर शहर के वर्षामापी पर 297.0 mm और लगभग 15 km

दूर माना में हवाई अड्डे के वर्षामापी पर 273.0 mm दर्ज हुई, जबकि दुर्ग जिले के धमधा में 127.0 mm दर्ज हुई (IMD)। परिशिष्ट 2C के गुणकों के बिना इनमें से किसी भी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। ग्रिड मानों को बिना संशोधन के बिंदु मानों के रूप में प्रयुक्त करने से साइट-स्तरीय डिजाइन असुरक्षित हो जाएगा।

2.8 जलवायु गुणक

2.8.1 जब तक भविष्य की जलवायु के लिए राज्यव्यापी वर्षा उत्पाद अंगीकार नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान डिजाइन गहराइयों को निम्नलिखित अंतरिम जलवायु गुणकों से गुणा किया जाएगा:

तालिका 2.2 — अंतरिम जलवायु गुणक

अवधि	जलवायु गुणक (CF)
≤ 6 h	**1.20**
> 6 h से 72 h	**1.10**

2.8.2 CF 25 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले सभी घटकों पर लागू होता है। अस्थायी कार्यों (डिजाइन आयु ≤ 5 वर्ष) के लिए CF = 1.0।

2.8.3 जलवायु गुणक प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (खंड 2.10) या जल गुणवत्ता आयतन की गहराई (अध्याय 8) पर लागू नहीं होता। वे गहराइयाँ रोजमर्रा की वर्षा के शततमक या बार-बार होने वाली घटनाओं की सांख्यिकी हैं, AEP डिजाइन मान नहीं।

2.8.4 जहाँ NIH-DHAARA, या खंड 2.14 के अंतर्गत समीक्षा पर अंगीकृत कोई उत्पाद, भविष्य की जलवायु की प्रक्षेपित गहराइयाँ देता है, वहाँ वे गहराइयाँ अंतरिम गुणकों का स्थान लेंगी।

भाष्य. CPHEEO (2019) राष्ट्रीय स्तर पर नियत जलवायु गुणक को "व्यवहार्य नहीं" ("not feasible") मानता है और उसके स्थान पर प्रवृत्ति परीक्षण की सिफारिश करता है। इससे डिजाइनकर्ताओं के पास कोई प्रयोग योग्य संख्या नहीं रहती। 1.20 का अल्पकालिक गुणक CPHEEO द्वारा स्वयं उद्धृत UK मान के अनुरूप है। यह भारत के लिए प्रकाशित प्रक्षेपणों के बराबर या उनसे कम है: Ali और Mishra (2018) 1.5 °C तापन पर 3-घंटे के 100-वर्ष के अधिकतम मानों में लगभग 20% और 2.0 °C पर 25% वृद्धि का प्रक्षेपण करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई डिजाइन वृद्धि गुणक अंगीकार नहीं किया गया है, और 2014 की जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के सारांश के अनुसार वह मानसून-पूर्व और मानसून योगों में कमी और राष्ट्रीय औसत के दोगुने से अधिक मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता पाती है (सारांश के अनुसार [TBC])। योग और चरम मान अलग-अलग दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। 1971–2021 में राज्य में महानदी बेसिन के 15 केंद्रों के एक अध्ययन के बारे में बताया जाता है कि वह अधिकतम 1-दिवसीय और 5-दिवसीय वर्षा में वृद्धि पाता है, जो शिवरीनारायण (Seorinarayan) और राजिम में सबसे प्रबल है (केवल एक सारांश के माध्यम से देखा गया; पत्रिका और लेखकों की पुष्टि नहीं हुई [TBC]); जिलों का एक अध्ययन उनमें से अधिकांश में भारी वर्षा वाले दिनों में कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं पाता (2019); और एक क्षेत्रीय एटलस 2030 के दशक में राज्य के प्रत्येक जिले में 100 mm से अधिक वर्षा वाले अधिक दिनों का प्रक्षेपण करता है (CSTEP, 2022, सारांश के अनुसार)। हाल के चरम मान कम नहीं हुए हैं: जशपुरनगर ने अपना सर्वाधिक दैनिक मान, 365.0 mm, 2001 में दर्ज किया, दुर्ग ने 337.0 mm और कोरबा ने 358.0 mm 2004 में, बिलासपुर ने 277.0 mm 2005 में, कोंटा ने 340.0 mm और सुकमा ने 325.0 mm 2006 में और रायपुर ने 297.0 mm 2007 में, ये सभी 1987–1996 की CWC प्लेटें बनने के बाद (IMD)। NIH-DHAARA एक CMIP6 प्रक्षेपण देता है, किंतु उसी मॉडल का कोई ऐतिहासिक रन नहीं देता, इसलिए भविष्य और वर्तमान गहराइयों का कोई अनुपात नहीं बनाया जा सकता; खंड 2.3.6(k) के अंतर्गत यह केवल जाँच का काम करेगा। अतः तालिका 2.2 के गुणक अंतरिम मान हैं, छत्तीसगढ़ के अनुमान नहीं।

2.9 कालिक वितरण (डिजाइन हायटोग्राफ)

2.9.1 **24 घंटे तक की वर्षा घटनाएँ.** नेस्टेड **ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक** विधि (alternating block method) का उपयोग करें:

- वर्षा घटना को उसी IDF संबंध से (जलवायु गुणक लगाने के बाद) ऐसे समय पदों पर बनाएँ जो Tc/3 से अधिक न हों और 15 मिनट से अधिक न हों;
- चरम ब्लॉक को वर्षा घटना की अवधि के **50%** पर रखें।

2.9.2 **48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ (दक्षिण-पश्चिम मानसून पैटर्न).** निम्नानुसार बनाएँ:

- (a) वर्षा घटना की कुल गहराई पूरी अवधि (48 या 72 h) की डिजाइन गहराई के बराबर होती है।
- (b) **अंतिम 24 घंटों** में समान AEP की 24-घंटे की डिजाइन गहराई होती है, जो 2.9.1 की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि से वितरित की जाती है।
- (c) शेष गहराई (कुल में से 24-घंटे की गहराई घटाकर) पिछले 24 या 48 घंटों में समान रूप से फैलाई जाती है।

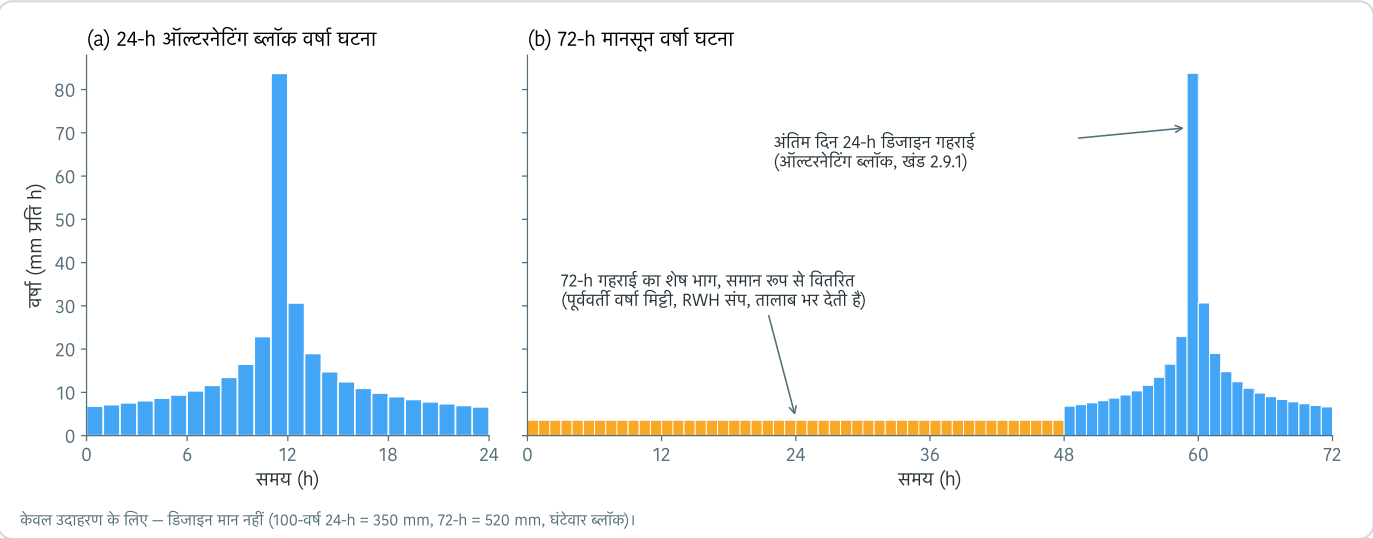

चित्र 2.2 — (a) 24-घंटे की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक डिजाइन वर्षा घटना; (b) 72-घंटे की दक्षिण-पश्चिम मानसून डिजाइन वर्षा घटना, जिसमें 24-घंटे की डिजाइन गहराई अंतिम दिन पर है। गहराइयाँ केवल उदाहरण के लिए। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि Chow, Maidment & Mays, Applied Hydrology (1988), §14.4 के अनुसार है।

2.9.3 **अन्य कालिक वितरण.** छत्तीसगढ़ की वर्षा घटनाओं से निकाले गए हफ (Huff) प्रकार या संचयी वक्र (mass-curve) पैटर्न का उपयोग 2.9.1 और 2.9.2 के स्थान पर केवल परिशिष्ट 2D में उनके प्रकाशित होने के बाद किया जा सकता है। SCS Type I, IA, II और III वितरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2.9.4 **बड़े जलग्रहण क्षेत्र.** 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के समय-वितरण वक्रों का उपयोग किया जा सकता है, और 2.9.1 के साथ एक संवेदनशीलता रन (sensitivity run) प्रस्तुत किया जाएगा।

भाष्य. ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना प्रत्येक कम अवधि की डिजाइन तीव्रता को एक ही हायटोग्राफ में समाहित करती है। इससे यह सुरक्षित पक्ष की (conservative) और सभी अवधियों में सुसंगत बनती है। 72-घंटे का पैटर्न सबसे तीव्र दिन को अंत में रखता है। यह छत्तीसगढ़ के मानसून के क्रम को दोहराता है: जब तक जुलाई–सितंबर में सबसे बड़ी वर्षाएँ आती हैं, तब तक मैदान की कन्हार (kanhar) चिकनी मिट्टियों की दरारें बंद हो चुकी होती हैं, मेड़बंद धान के खेत और तालाब (talab) भरे होते हैं, गंगरेल, मिनीमाता बांगो और बैराज पहले से पानी छोड़

रहे हो सकते हैं, हीराकुंड जलाशय महानदी में रायगढ़ की ओर पानी पीछे धकेल रहा हो सकता है, और राज्य के अधिकांश भाग में भूजल स्तर सतह से कुछ मीटर के भीतर होता है। SCS वितरण इसलिए बाहर रखे गए हैं क्योंकि वे अमेरिका की संवहनी और खाड़ी (Gulf) वर्षा घटनाओं के आँकड़ों से बने हैं और छत्तीसगढ़ के अभिलेखों में उनका कोई आधार नहीं है।

2.10 प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई

2.10.1 **प्रतिधारण डिजाइन गहराई** 24-घंटे की वर्षा की वह गहराई है जो दीर्घकालिक अभिलेख में वर्षा वाले (≥ 2.5 mm) **90%** दिनों में पार नहीं होती, और इसे परिशिष्ट 2E के जोन मान से पढ़ा जाता है।

2.10.2 साइट को इस गहराई से उत्पन्न अपवाह को साइट पर ही प्रतिधारित करना होगा (अध्याय 4)। प्रतिधारण से अस्थायी भंडारण क्रेडिट मिलता है, जो प्रतिधारण को यथास्थान रखकर रूटिंग करने पर आवश्यक अस्थायी भंडारण में पाई गई कमी के बराबर होता है (खंड 4.4.6)। यह क्रेडिट प्रतिधारित आयतन को एक-के-बदले-एक घटाना नहीं है।

> **भाष्य.** यह Kansas City Metro APWA 5600 (2025.01) की आवश्यक प्रतिधारण आयतन (Required Retention Volume) अवधारणा और जॉर्जिया के 1.0-इंच अपवाह कमी मानक के अनुसार है। दोनों शततमक वर्षा घटनाओं पर आधारित हैं। शततमक गहराई रोजमर्रा की वर्षा की सांख्यिकी है, AEP मान नहीं, इसलिए इसकी गणना आवृत्ति वक्रों से नहीं बल्कि दैनिक अभिलेख से की जाती है।

2.11 विकास-पूर्व और विकास-पश्चात तुलना के लिए डिजाइन वर्षा घटनाएँ

2.11.1 **दोनों परिदृश्यों के लिए एक ही वर्षा घटना.** विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रन में एक ही डिजाइन वर्षा घटनाएँ प्रयुक्त की जाएँगी:

- वही AEP, अवधि, कालिक वितरण और जलवायु गुणक;
- वही पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC) (खंड 2.11.4)।

दोनों रन केवल भू-सतह प्राचलों और Tc में भिन्न होते हैं।

2.11.2 **मानक जलग्रहण क्षेत्र.** 50%, 10% और 1% AEP की प्रत्येक वर्षा घटना और खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए:

> $Q_{post}(T) \le 0.9 \times Q_{pre}(T)$

2.11.3 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र** (जैसा अध्याय 4 में सूचीबद्ध है: रायपुर में खारुन के नालों (nala) के, बिलासपुर में अरपा के, दुर्ग–भिलाई में शिवनाथ के नालों के, कोरबा में मिनीमाता बांगो और दर्री के नीचे हसदेव के, रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड के बैकवाटर के, और जगदलपुर में इंद्रावती के जलग्रहण क्षेत्र, और प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र)। **मिश्रित-आवृत्ति नियम** (mixed-frequency rule) लागू होता है:

> Q_{post}(1% AEP, 100-yr) ≤ Q_{pre}(10% AEP, 10-yr), और Q_{post}(50% AEP, 2-yr) ≤ Q_{pre}(50% AEP, 2-yr),

विकास-पश्चात चरम प्रवाह की जाँच खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए की जाती है। सीमाएँ **विकास-पूर्व क्रांतिक अवधि** पर ली जाती हैं। 10-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 10-वर्ष का सबसे बड़ा चरम प्रवाह है, और 2-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम प्रवाह है। प्रत्येक सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है।

2.11.4 **पूर्ववर्ती नमी.** कन्हार (kanhar) या डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि पर स्थित साइट पर, किसी तालाब (talab) में पानी छोड़ने वाली साइट पर, और घाटी-तल पर, परिशिष्ट 2A के किसी भी उप-भाग में, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि जो भी हो, **AMC III** (गीली स्थिति) का उपयोग करें। ऐसे जलग्रहण क्षेत्र में, जिसका पानी किसी जलाशय या बैराज के जलाशय में, हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर में, किसी खदान के गड्ढे में, या किसी ऐसे नदी-भाग में जाता है जिसका CWC स्थल अध्याय 5 की संयोगी स्थिति में अपने चेतावनी स्तर पर या उससे ऊपर हो, वर्ष के किसी भी समय प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III का उपयोग करें। किसी अन्य साइट या समय पर ऐसी डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III का उपयोग करें जो 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय वर्षा योग के बाद आती हो या उसे अपने भीतर रखती हो। अन्य प्रत्येक वर्षा घटना के लिए AMC II (औसत स्थिति) का उपयोग करें। डिजाइन के लिए AMC I का उपयोग नहीं किया जाता।

2.11.5 **विकास-पूर्व स्थिति.** विकास-पूर्व स्थिति अध्याय 3 में परिभाषित है: अविकसित खुली भूमि (greenfield), अर्थात मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण को विकास-पूर्व स्थिति में नहीं गिना जाता।

भाष्य. प्रत्येक साइट के विकास-पश्चात चरम प्रवाह को उसी साइट के विकास-पूर्व चरम प्रवाह के बराबर करने से जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा नहीं होती। डेनवर के विश्लेषण में पाया गया कि प्रत्येक साइट पर 100% मिलान करने पर भी अनुप्रवाह में ऐतिहासिक चरम प्रवाह का 106% उत्पन्न हुआ, जिससे 90% का नियम बना। मिश्रित-आवृत्ति नियम इससे अधिक कठोर है। यह 100-वर्ष की विकास-पश्चात निकासी को उस प्रवाह तक सीमित करता है जो अविकसित साइट 10-वर्ष की वर्षा घटना में उत्पन्न करती थी। मलेशिया (DID 2008: सभी ARI ≤ विकास-पूर्व 2-वर्ष) इस प्रकार की सीमा का एक उष्णकटिबंधीय पूर्व-उदाहरण है। लंबी वर्षा घटनाओं के लिए AMC III इस तथ्य को दर्शाता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की चरम वर्षाएँ हफ्तों की वर्षा के बाद आती हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि कितनी गीली है, यह केवल ऋतु से अधिक मैदान की मिट्टी और भूमि उपयोग से तय होता है। मैदान चार मिट्टियों की एक शृंखला (catena) है: शिखरों पर भाठा (bhata), मुरम के ऊपर उथली और सघन; ऊपरी ढलानों पर मटासी (matasi), रेतीली या गादयुक्त दोमट; निचले ढलानों पर डोरसा (dorsa), चिकनी दोमट; और सबसे निचले समतल भागों में कन्हार (kanhar), 40–50% चिकनी मिट्टी और कम पारगम्यता वाली गहरी काली चिकनी मिट्टी (CGWB; दुर्ग जिले के लिए Mandal et al., 2018)। डोरसा और कन्हार की अधिकांश भूमि मानसून के आगमन से ही धान के लिए मेड़बंद और मचाई जाती है, जिससे जुलाई तक निचली भूमि पर पानी खड़ा रहता है, और तालाब, जलाशय और बैराज के जलाशय पूरी ऋतु भरते हैं और भरे रहते हैं। जुलाई और अगस्त में वार्षिक वर्षा का लगभग 58% होता है (IMD), और मानसून के बाद राज्य के लगभग 76% प्रेक्षण कुओं में पानी सतह से 5 m के भीतर होता है (CGWB, 2023)। महानदी उप-क्षेत्र की CWC रिपोर्ट की हानि दरें (loss rates), 1.5–3.5 mm/h, धान की भूमि वाले मैदानी जलग्रहण क्षेत्रों से निकाली गई थीं और अगस्त की संतृप्त स्थिति को दर्शाती हैं, जबकि रायपुर में ऊपरी भूमि की एक रेतीली दोमट पर मापी गई मूल अंतःस्यंदन दर (basic infiltration rate) 7.3–7.6 mm/h है (Ranjan and Singh, 2018)। इसलिए यह मैनुअल कन्हार और डोरसा की धान की निचली भूमि पर, तालाबों में पानी छोड़ने वाली साइटों पर और घाटी-तलों पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक; वर्ष के किसी भी समय, जहाँ आउटफॉल कोई जलाशय या बैराज का जलाशय, हीराकुंड का बैकवाटर, कोई खदान का गड्ढा या अपने CWC चेतावनी स्तर पर या उससे ऊपर की कोई नदी है, क्योंकि ये प्राप्तकर्ता जल केवल तभी ऊँचे होते हैं जब जलग्रहण क्षेत्र गीला हो; और अन्यत्र केवल 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद, जो AMC III के लिए NRCS की वृद्धि-ऋतु (growing-season) सीमा है, AMC III लेता है; अन्यथा AMC II (खंड 2.11.4)। AMC I का उपयोग नहीं किया जाता: भाठा की ऊपरी भूमि, जिसकी मिट्टियाँ सबसे सूखी हैं, उथली है और जल्दी संतृप्त हो जाती है। कन्हार अपनी दरारों के बावजूद जलवैज्ञानिक मृदा समूह D ही रहता है (अध्याय 3)। ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित अंतरिम विकल्प हैं; राज्य के किसी भी अध्ययन ने अभी तक प्रेक्षित अपवाह से AMC वर्गों का वैधीकरण नहीं किया है।

मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण. नीचे दिए गए मान डिजाइन मान नहीं हैं। इनमें रायपुर में खारुन में पानी छोड़ने वाली एक कॉलोनी में 2 ha की साइट मानी गई है, जिसमें 24-h गहराइयाँ 200 mm (10-वर्ष) और 350 mm (100-वर्ष), Ia = 0.2S के साथ SCS-CN अपवाह, और विकास-पूर्व CN 70 तथा विकास-पश्चात CN 92 हैं:

तालिका 2.3 — मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण (डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	अपवाह की गहराई	अपवाह आयतन (2 ha)
विकास-पूर्व, 10-वर्ष 24 h	111 mm	2,210 m^3
विकास-पश्चात, 100-वर्ष 24 h	325 mm	6,500 m^3

विकास-पश्चात 100-वर्ष की वर्षा घटना विकास-पूर्व 10-वर्ष की वर्षा घटना से लगभग तीन गुना अपवाह आयतन उत्पन्न करती है। विकास-पूर्व 10-वर्ष के स्तर पर चरम दर की सीमा का अर्थ है कि अधिकांश अंतर को भंडारित करके धीरे-धीरे छोड़ना होगा, इसलिए साइट के प्रति m^2 लगभग 0.2 m^3 के क्रम का भंडारण आवश्यक हो सकता है। इसी कारण यह नियम केवल बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में लागू होता है (खंड 2.11.3); अन्यत्र खंड 2.11.2 का 0.9 × Q_pre नियम लागू होता है।

2.12 टेलवाटर के साथ संयुक्त घटना

2.12.1 ज्वारीय या नदी के पश्चजल (backwater) प्रभाव वाले आउटफॉल के लिए इस अध्याय की डिजाइन वर्षा को अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों के साथ निम्नानुसार संयोजित किया जाएगा। अधिक गंभीर स्थिति लागू होगी।

- (a) डिजाइन वर्षा (अपेक्षित AEP) के साथ वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) टेलवाटर और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई।
- (b) 10% AEP (10-वर्ष) की 48-घंटे की वर्षा घटना के साथ 1% AEP का स्थिर जल स्तर (ज्वार और तूफानी महोर्मि) और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई।

छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य का कोई आउटफॉल ज्वारीय नहीं है और स्थितियाँ (a) और (b) उत्पन्न नहीं होतीं। टेलवाटर वह नदी, जलाशय, बैराज का जलाशय, तालाब (talab) या खदान का गड्ढा है जिसमें कोई नगर अपना पानी छोड़ता है। नदी या जलाशय के पश्चजल वाले आउटफॉल के लिए साइट की वर्षा घटना को खंड 5.8.4 के अंतर्गत प्राप्तकर्ता जल के स्तर के साथ संयोजित किया जाता है, जो स्थिति (b) की ही तरह एक ओर डिजाइन घटना को दूसरी ओर 10-वर्ष की घटना के साथ जोड़ता है, और स्तर खंड 5.8.5 के होते हैं। राज्य में केवल एक CWC स्थल के चेतावनी और खतरे के स्तर प्रकाशित हैं: जगदलपुर पर इंद्रावती, 539.49 m और 540.80 m (2019 के CWC परामर्श, खोज-अंशों के रूप में देखे गए), जिसका 544.68 m (9 जुलाई 1973) का उच्चतम बाढ़ स्तर 26 सितंबर 2026 को पार हो गया, जब नदी 544.891 m तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उस दिन जगदलपुर के एक स्थानीय गेज ने 12.56 m पढ़ा, "खतरे के निशान से 4.26 मीटर ऊपर" ("4.26 metres above the danger mark") (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उसका पैमाना CWC स्थल का पैमाना नहीं है, और दोनों को मिलाया नहीं जाता। रायपुर की नदी, पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन, का उच्चतम बाढ़ स्तर 281.68 m (29 अगस्त 2020) है, जो 12 जुलाई 1994 के 279.21 m से 2.47 m ऊपर है, और उसका कोई चेतावनी या खतरे का स्तर प्रकाशित नहीं है; हसदेव ने कटघोरा पर 313.58 m (20 जुलाई 2026) और बांगोडैम (Bangodam) पर 303.5 m (17 अगस्त 2026) के नए उच्चतम स्तर बनाए, और अगस्त 2020 में मांड कुरुभाठा (Kurubhata) पर 220.4 m तक और महानदी कलमा (Kalma) पर 202.43 m और सूरजगढ़ पर 201.06 m तक पहुँची (SANDRP द्वारा लिखित रूप में CWC के आँकड़े)। नगरों के आउटफॉलों का पानी लेने वाले या उन्हें नियंत्रित करने वाले जलाशयों और बैराज के जलाशयों के जलाशय के पूर्ण जल स्तर गंगरेल (रविशंकर सागर) पर 348.700 m, मिनीमाता बांगो पर 359.660 m, खारंग (Kharang) पर 294.110 m, अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज पर 302.000 m, शिवनाथ पर मोंगरा बैराज पर 337.150 m और केलो डैम पर 233.000 m हैं (10 अक्तूबर 2024 की WRD की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट)। रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉल ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर के भीतर हैं, जिसके स्तर WRD के माध्यम से प्राप्त किए जाने हैं [TBC]। ये नदियाँ गंगरेल, बांगो, दर्री और बैराजों से छोड़े गए पानी से चढ़ती हैं, और एक बार भर जाने पर जलाशय हफ्तों भरे रहते हैं, इसलिए भंडारण और पंपों की जाँच आउटफॉल-बंद स्थिति के लिए की जाती है, जिसमें स्थानीय वर्षा घटना पानी छोड़े जाने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद होती है। इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो राज्य के किसी नगर के आउटफॉलों के लिए प्राप्तकर्ता जल का डिजाइन स्तर निर्धारित करता हो [TBC], और अंतरिम नियम अध्याय 5 निर्धारित करता है: किसी

जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब के लिए, WRD या अभिरक्षक से प्राप्त उसका अधिकतम जल स्तर, या उसका जलाशय का पूर्ण जल स्तर जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज, और, जहाँ दोनों में से कोई प्रकाशित न हो, जलाशय का पूर्ण जल स्तर जमा 0.5 m; किसी नदी के लिए, निकटतम गेज पर अभिलिखित उच्चतम स्तर से संबंधित एक स्तर। जैसा अध्याय 5 अपेक्षित करता है, प्रत्येक स्तर किसी नामित डेटम पर बताया जाता है; मिला कोई भी स्रोत यहाँ उद्धृत स्तरों का डेटम नहीं बताता [TBC]।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, इसलिए कोई आउटफॉल ज्वारीय नहीं है और कोई तूफानी महोर्मि (storm surge) नहीं है; संयोगी (coincident) भार उन नदियों, जलाशयों और बैराज के जलाशयों का जल स्तर है जो नगरों की ड्रेनों का पानी लेते हैं। यह संयोग अभिलेख में दर्ज है। 28–29 अगस्त 2020 को रायपुर के नीचे पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन अपने अभिलिखित उच्चतम स्तर तक चढ़ गई, जबकि वही वर्षा घटना शहर पर हुई, और महानदी और मांड ने अनुप्रवाह में नए स्तर बनाए (SANDRP द्वारा लिखित रूप में CWC के आँकड़े); सितंबर 2024 में खारुन ने महादेव घाट पर रायपुर से भिलाई की सड़क काट दी, और सितंबर 2026 में वह वहाँ फिर उफनी, जबकि महानदी पर गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे और जगदलपुर पर इंद्रावती 1973 के अपने उच्चतम स्तर से ऊपर चढ़ गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोरबा में, अगस्त 2024 में मिनीमाता बांगो से छह गेटों से छोड़े गए लगभग 30,000 क्यूसेक पानी ने और दर्री के बैराज से छोड़े गए पानी ने नगर के कुछ भागों को डुबो दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अनुप्रवाह में, रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉल ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर से अवरुद्ध रहते हैं, जिसके गेट बाढ़ों में छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर खोले गए हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ये स्तर ऊपर के जलग्रहण क्षेत्रों पर हुई वर्षा से और गेटों के प्रचालन से निर्धारित होते हैं, इसलिए जब वे ऊँचे होते हैं तब होने वाली स्थानीय वर्षा घटना की वे कोई चेतावनी नहीं देते। विभिन्न स्रोतों द्वारा उद्धृत स्तर अलग-अलग गेजों पर हैं: जगदलपुर में जिस दिन CWC स्थल ने 544.891 m पढ़ा, उस दिन एक स्थानीय गेज ने 12.56 m पढ़ा (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और इसी कारण अध्याय 5 अपेक्षित करता है कि प्रत्येक स्तर अपना डेटम बताए। क्योंकि वर्षा और महोर्मि का मौसमी कारण एक ही होता है (छत्तीसगढ़ में, जिसका कोई तट नहीं है, महोर्मि का समकक्ष उन नदियों और जलाशयों का जल स्तर है जो नगरों की ड्रेनों का पानी लेते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी के उन्हीं अवदाबों से बढ़ता है जो नगरों में सबसे भारी वर्षा लाते हैं, और उन डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी से जिन्हें वे प्रणालियाँ भरती हैं: सितंबर 2026 में गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे और जगदलपुर पर इंद्रावती ने नया उच्चतम स्तर बनाया जबकि रायपुर में खारुन महादेव घाट पर उफनी, ये सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए उन्हें स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। जब तक कोई सांख्यिकीय संयुक्त विश्लेषण नहीं अपनाया जाता, तब तक स्थिति (b) संयुक्त प्रायिकता का एक सरल स्थानापन्न है।

2.13 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति में एक **डिजाइन वर्षा पत्रक** (प्रपत्र 2-1) सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नलिखित बताया जाएगा:

1. साइट के निर्देशांक और जोन;
2. स्रोत (खंड 2.3), संस्करण या उपयोग की तिथि, और निकाले गए मानों का स्क्रीनशॉट या निर्यात (export);
3. प्रयुक्त प्रत्येक AEP और अवधि के लिए गहराई की तालिका, नियत-अंतराल गुणक, ग्रिड-से-बिंदु गुणक, ARF और जलवायु गुणक लगाने से पहले और बाद में;
4. खंड 2.3.3 के प्रति-जाँच मान और न्यूनतम सीमा की जाँच;
5. प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए प्रयुक्त हायटोग्राफ, तालिका और आलेख दोनों रूपों में; और
6. ली गई AMC और अपनाई गई विकास-पूर्व परिभाषा।

चित्र 2.3 में इस अध्याय के पद उसी क्रम में दर्शाए गए हैं जिस क्रम में पत्रक उन्हें दर्ज करता है।

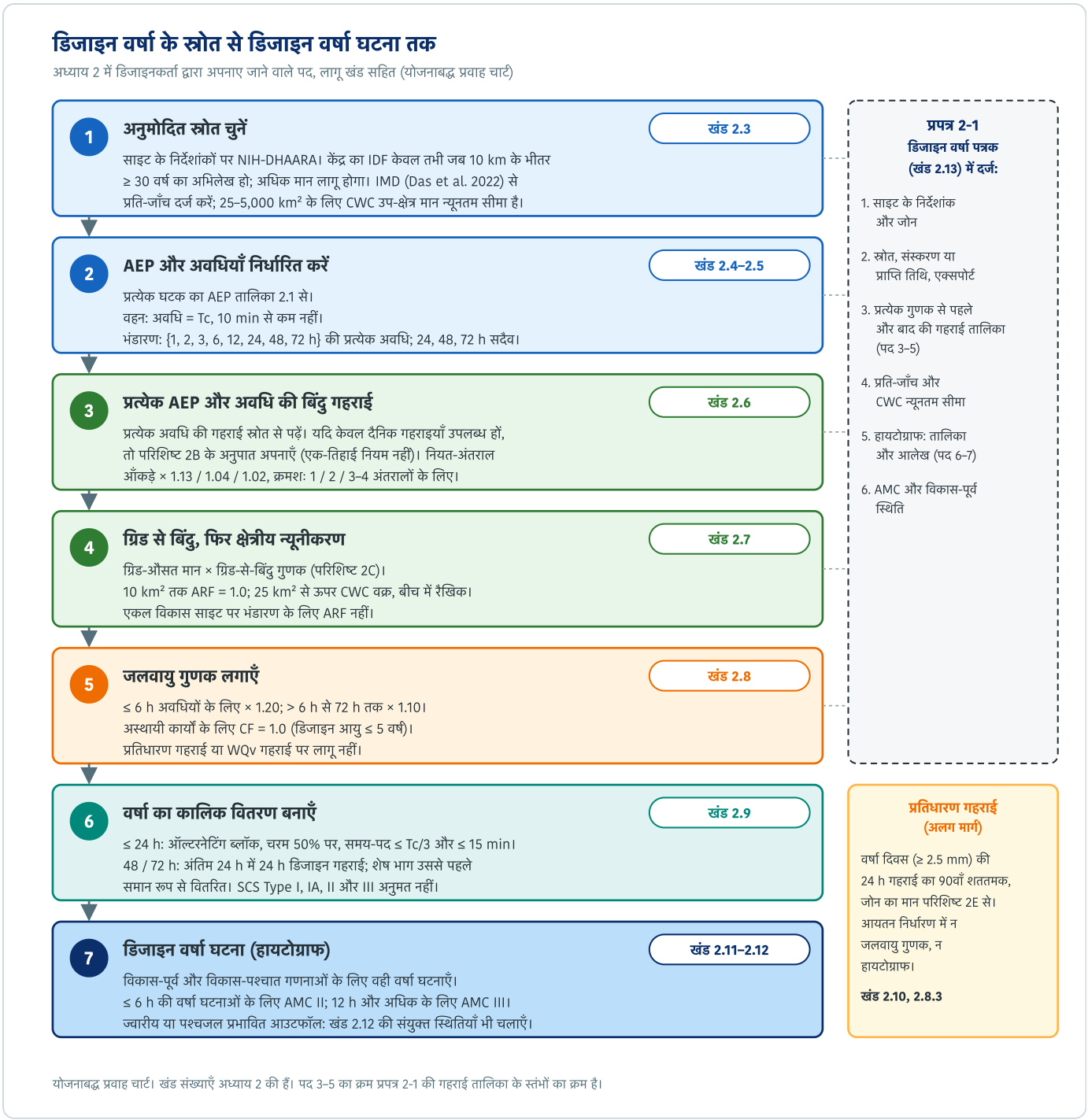

चित्र 2.3 — डिजाइन वर्षा के स्रोत से डिजाइन वर्षा घटना तक: डिजाइनकर्ता द्वारा अपनाए जाने वाले पद (स्रोत, AEP और अवधियाँ, बिंदु गहराई, ग्रिड-से-बिंदु और क्षेत्रीय न्यूनीकरण, जलवायु गुणक, कालिक वितरण, डिजाइन वर्षा घटना), प्रत्येक पद पर लागू खंड, प्रपत्र 2-1 में क्या दर्ज होता है, और प्रतिधारण गहराई का अलग मार्ग। योजनाबद्ध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

2.14 समीक्षा और अद्यतन

2.14.1 अनुमोदन प्राधिकारी इस अध्याय की समीक्षा **प्रत्येक 10 वर्ष में** करेगा। वह ऐसी किसी भी घटना के 2 वर्ष के भीतर भी इसकी समीक्षा करेगा जिसमें राज्य के दो या अधिक अनुमोदित वर्षामापियों पर दर्ज वर्षा 1% AEP की 24-घंटे या 72-घंटे की डिजाइन गहराई से अधिक हो।

2.14.2 NIH-DHAARA के अद्यतन नई प्रस्तुतियों पर जारी होने के **6 महीने** बाद प्रभावी होंगे, जब तक कि प्राधिकारी अन्यथा अधिसूचित न करे।

संदर्भ (अध्याय)

- National Institute of Hydrology, Roorkee. NIH-DHAARA: Design Hydrology and Advanced Rainfall Analysis. http://www.nihdhaara.in/
- Das, S.K. et al. (2022). Isopluvial analysis and intensity–duration–frequency curves for different cities in India. *MAUSAM* 73(4), 887–898. https://metnet.imd.gov.in/docs/mausamdocs/173412_F.pdf
- Central Water Commission (1997). Flood Estimation Report for Mahanadi Subzone 3(d) (revised), Report No. M-3(d)/R-3/25/1996, February 1997, approved at the 54th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 10 Oct 1996 (प्लेट 8, 9 और 10, अर्थात 25-, 50- और 100-वर्ष के मानचित्र, पुनः प्रस्तुत करके आँख से पढ़े गए; अल्पकालिक अनुपात तालिका; Table 2.1; अनुलग्नक 3.1, पुलों के जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें से विश्लेषण में प्रयुक्त 16 में से पाँच छत्तीसगढ़ में हैं; अनुलग्नक 4.3 और 4.4, सबसे भारी दैनिक वर्षाएँ और स्व-अभिलेखी वर्षामापी अधिकतम मान; रायपुर–विजयनगरम रेल मार्ग पर पुल संख्या 385 का हल किया गया उदाहरण; cwc.gov.in की प्रति का 12 Apr 2016 का Wayback Machine कैप्चर)। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1993). Flood Estimation Report for Indravati Subzone 3(g), Report No. I/21/1992 (आवरण पर "I-21/1993"), approved at the 51st meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 26 Nov 1992 (प्लेट 9, 10 और 11, अर्थात 25-, 50- और 100-वर्ष के मानचित्र; अल्पकालिक अनुपात तालिका; अनुलग्नक 4.4, 1, 3, 6 और 9 घंटों पर स्व-अभिलेखी वर्षामापी अधिकतम मान, जिसके 12- से 24-घंटे के स्तंभ पढ़े नहीं गए [TBC]; cwc.gov.in की प्रति का 12 Apr 2016 का Wayback Machine कैप्चर)। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1995). Flood Estimation Report for Lower Godavari Subzone 3(f) (revised), Report No. LG-3(f)/R-2/24/1995 (अल्पकालिक अनुपात तालिका, जैसी अन्य राज्य संस्करणों के लिए किए गए शोध में उद्धृत है; प्राप्त प्रति में प्लेटें नहीं हैं, और वे छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ी नहीं गईं [TBC])। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1987). Flood Estimation Report for Sone Subzone 1(d), Report No. S/15/1987, approved at the 46th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 27–28 Aug 1987 (प्लेट 9 और 10, जिनका शीर्षक 50- और 100-वर्ष के मानचित्र है, यद्यपि पाठ प्लेट 10 को 50-वर्ष का मानचित्र कहता है, अंबिकापुर के आसपास दोबारा पढ़ी गईं; अल्पकालिक अनुपात तालिका, जिसका 18-घंटे का मान OCR पाठ से पढ़ा गया [TBC]; cwc.gov.in की प्रति का 12 Apr 2016 का Wayback Machine कैप्चर)। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (2002). Flood Estimation Report for Upper Narmada and Tapi Subzone 3(c) (revised), Report No. UNT-3(c)/R-6/46/2002, approved at the 56th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 25 Sep 2001 (अल्पकालिक अनुपात तालिका; इसकी प्लेटें छत्तीसगढ़ की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी के लिए पढ़ी नहीं गईं [TBC])। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A.
- India Meteorological Department (2015). Climate of Chhattisgarh, Climatological Summaries of States Series No. 22 (1961–2010 के सामान्य मान; 2013 तक 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा की जिलेवार तालिकाएँ; Tables V, VI और VII)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012), छत्तीसगढ़ के केंद्र, आँकड़ा-अवधि तालिका और Table A2 सहित। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset/progress and withdrawal of the southwest monsoon over India (Pai et al.), 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, Table 2। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf

- India Meteorological Department, Meteorological Centre Raipur. 2020, 2023 और 2024 की मानसून रिपोर्टें, और जुलाई और अक्तूबर की जलवायु शीटें।
- National Institute of Hydrology, Roorkee. NIH-DHAARA IDF Curve Tool (IMDAA reanalysis), छत्तीसगढ़ के 18 सेलों के लिए 7 Nov 2026 को देखा गया। http://117.252.14.251:8080/
- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, Chapters 10–12, §10.3 और Figure 10.1, "Rainfall intensity Vs Time of Concentration Curve for the New Capital City of Chhattisgarh (Based on IMD Data)" (मान इस मैनुअल के लिए आँख से पढ़े गए)। http://web.archive.org/web/20150807050828id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf
- Raipur Municipal Corporation (2015). *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (AMRUT), दिनांक 4 नवंबर 2015 (nagarnigamraipur.nic.in की Wayback Machine प्रति)।
- Ram Babu et al. (1979). Bulletin of the Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute, Dehradun, जो भारतीय केंद्रों के लिए वर्षा तीव्रता–अवधि–पुनरावृत्ति अवधि समीकरण देता है (शीर्षक वर्णन के अनुसार, पढ़ा नहीं गया; रायपुर की पंक्ति केवल एक खोज-अंश के माध्यम से, अपने स्तंभ-शीर्षकों के बिना, देखी गई; सत्यापित नहीं [TBC])।
- Comptroller and Auditor General of India. Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022, Government of Chhattisgarh, Chapter II, "Implementation of AMRUT". https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Central Ground Water Board (2024). Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024 (भूजल स्तर की गहराई, 2023) (cgwrd.in के माध्यम से)।
- Mandal et al. (2018). Soil classes of Durg district (bhata, matasi, dorsa and kanhar). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4), 2208–2214. https://phytojournal.com/archives/2018/vol7issue4/PartAK/7-3-513-438.pdf
- Ranjan & Singh (2018). Double-ring infiltration tests at the IGKV farm, Raipur. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4), 574–582.
- Water Resources Department, Chhattisgarh. Daily tank gauge report of 10 October 2024. https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- Central Water Commission (2009). National Register of Large Dams (छत्तीसगढ़ के डैमों की स्पिलवे क्षमताएँ; Wayback Machine प्रति)।
- South Asia Network on Dams, Rivers and People (2020–2026). छत्तीसगढ़ में CWC स्थलों पर नए उच्चतम बाढ़ स्तरों पर पोस्ट (CWC के आँकड़ों की प्रतिलिपियाँ; द्वितीयक स्रोत)। https://sandrp.in/
- NAPCC पोर्टल पर Chhattisgarh State Action Plan on Climate Change (2014) का सारांश (द्वितीयक स्रोत; योजना स्वयं पढ़ी नहीं गई [TBC])।
- 1971–2021 में छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन के 15 केंद्रों पर वर्षा के चरम मानों का अध्ययन (केवल एक सारांश के माध्यम से देखा गया; पत्रिका और लेखकों की पुष्टि नहीं हुई [TBC])।
- छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी वर्षा की प्रवृत्तियों का अध्ययन (2019)। *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* (इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में जैसा पढ़ा गया)।
- CSTEP (2022). Climate projections for the central region of India, district atlas (सारांश के अनुसार)।
- Ali, H. & Mishra, V. (2018). Increase in subdaily precipitation extremes in India under 1.5 and 2.0 °C warming worlds. *Geophysical Research Letters* 45. https://repository.ias.ac.in/142345
- जुलाई 2026 की बिलासपुर की वर्षा, 2026 की रायपुर की वर्षाओं, 2022–2026 में गंगरेल और बांगो से छोड़े गए पानी, अगस्त 2020, अगस्त 2025 और सितंबर 2026 की बाढ़ों और हीराकुंड के बैकवाटर संबंधी समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://www.patrika.com/dhamtari-news/55000-cusecs-of-water-released-from-gangrel-into-the-mahanadi-

river-19996945 ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2024/8/26/Hasdeo-Bango-Dam-projectin-Korba-put-on-high-alert.html ; https://www.newkerala.com/news/a/heavy-rain-triggers-flood-like-situation-chhattisgarh-kharun-river-839.htm

- Chow, V.T., Maidment, D.R. & Mays, L.W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill (ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि, §14.4)।
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mile High Flood District (Denver). Urban Storm Drainage Criteria Manual (90% निकासी का औचित्य)।
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008, 2012). Urban Stormwater Management Manual (MSMA).

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय-वस्तु
2A	बेंचमार्क बिंदुओं पर NIH-DHAARA बनाम IMD केंद्र और IMD ग्रिड आँकड़ों की जाँच; जोन मानचित्र
2B	जोनवार उप-दैनिक अनुपात P(t)/P(24h): NIH-DHAARA (घंटेवार आँकड़ों पर आधारित) बनाम एक-तिहाई नियम
2C	ग्रिड-से-बिंदु गुणक
2D	छत्तीसगढ़ के वर्षा कालिक वितरण (हफ वक्र)
2E	जोनवार प्रतिधारण शततमक गहराइयाँ
प्रपत्र 2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक

अध्याय 3

जलवैज्ञानिक विधियाँ

3.1 प्रयोजन और विस्तार

3.1.1 यह अध्याय बताता है कि अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा को निम्नलिखित के लिए अपवाह (runoff) के चरम मानों, आयतनों और हाइड्रोग्राफ में कैसे परिवर्तित किया जाए:

- (a) ड्रेन, इनलेट और पुलिया का आकार निर्धारण (अध्याय 6);
- (b) प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारण, और विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना (अध्याय 4);
- (c) अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण (अध्याय 5); और
- (d) जलाशय, तालाब (talab) और क्षेत्रीय सुविधा संबंधी अध्ययन (अध्याय 7)।

3.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है:

- (a) किस प्रयोजन और जलग्रहण क्षेत्र के किस आकार के लिए कौन-सी विधि प्रयुक्त की जा सकती है (खंड 3.4);
- (b) विकास-पूर्व और विकास-पश्चात भू-सतह कैसे परिभाषित की जाती है (खंड 3.3);
- (c) प्रत्येक विधि के प्राचल: अपवाह गुणांक, सांद्रण समय, मृदा, कर्व नंबर, इकाई हाइड्रोग्राफ और रूटिंग (खंड 3.5–3.12);
- (d) सतत सिमुलेशन और मॉडल अंशांकन कब अपेक्षित हैं (खंड 3.13 और 3.15);
- (e) पद-दर-पद विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना (खंड 3.14); और
- (f) सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता और प्रलेखन (खंड 3.16 और 3.17)।

3.1.3 वर्षा संबंधी इनपुट (गहराई, अवधि, क्षेत्रीय न्यूनीकरण, जलवायु गुणक, कालिक वितरण और पूर्ववर्ती नमी) अध्याय 2 द्वारा शासित हैं और इस अध्याय में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) का *Manual on Storm Water Drainage Systems* रेशनल विधि (Rational Method) की पूरी प्रक्रिया देता है और हाइड्रोग्राफ संबंधी कार्य के लिए SWMM का नाम लेता है, किंतु वह ड्रेन के आकार निर्धारण की मार्गदर्शिका है। वह यह नहीं बताता कि कोई विनियामक "विकास-पूर्व" स्थिति को कैसे परिभाषित करे या उसके सापेक्ष किसी विकास की जाँच के लिए कौन-सी विधि अवश्य प्रयुक्त की जाए (CPHEEO Part A §4.4, §8.5.1)। APWA Section 5600 दोनों काम करता है: वह रेशनल विधि को सीमित करता है, आधारभूत हाइड्रोग्राफ विधियों के नाम देता है, और विद्यमान तथा प्रस्तावित स्थितियों के लिए भूमि उपयोग संबंधी मान्यताएँ निर्धारित करता है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2–5602.3; Version 2025.01, §5603.4)। यह अध्याय उसी मॉडल का अनुसरण करता है।

3.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
विकास-पूर्व स्थिति	खंड 3.3.2 में परिभाषित संदर्भ भू-सतह, जिसके सापेक्ष विकास-पश्चात अपवाह की जाँच की जाती है। यह विद्यमान स्थिति नहीं है।
विकास-पश्चात स्थिति	प्रस्तावित कार्य पूरे होने के बाद की भू-सतह, जैसा खंड 3.3.3 में परिभाषित है।
तुलना बिंदु (POC)	वह स्थान जहाँ साइट का अपवाह साइट से बाहर निकलता है, और जिस पर विकास-पूर्व और विकास-पश्चात प्रवाहों की तुलना की जाती है (खंड 3.14)।
सांद्रण समय (Tc)	जलग्रहण क्षेत्र के हाइड्रोलिक दृष्टि से सबसे दूर के बिंदु से विचाराधीन बिंदु तक अपवाह के पहुँचने का समय।
पश्चता समय (tL)	अतिरिक्त वर्षा (rainfall excess) के केंद्रक से अपवाह हाइड्रोग्राफ के चरम तक का समय।
जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG)	गीली अवस्था में न्यूनतम अंतःस्यंदन दर के आधार पर मृदा का NRCS वर्गीकरण (A, B, C, D) (USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 7)।
कर्व नंबर (CN)	NRCS का वह प्राचल जो मृदा समूह, भू-आवरण और पूर्ववर्ती नमी को अपवाह-क्षमता के एक सूचकांक में संयोजित करता है (USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 9–10)।
पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC)	वर्षा घटना के आरंभ में मृदा का गीलापन: AMC I (सूखी), II (औसत), III (गीली)।
प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (DCIA)	ऐसी अपारगम्य सतह जिसका पानी पहले किसी पारगम्य सतह पर बहे बिना किसी ड्रेन, पाइप या चैनल में जाता है।
असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्र	ऐसी अपारगम्य सतह जिसका अपवाह जल निकासी प्रणाली तक पहुँचने से पहले परत प्रवाह (sheet flow) के रूप में किसी पारगम्य सतह पर बहता है, और जो खंड 3.9.3 की शर्तें पूरी करती है।
चरम दर गुणक (PRF)	इकाई हाइड्रोग्राफ के चरम समीकरण का स्थिरांक (US प्रचलित इकाइयों में 484; खंड 3.11.2 के SI रूप में 0.208)।
सतत सिमुलेशन	वर्षा के लंबे अभिलेख (वर्षों) पर चलाया गया मॉडल, जिसमें मृदा नमी, भंडारण और तालाब के जल स्तर एक वर्षा घटना से अगली तक आगे ले जाए जाते हैं।
तालाब शृंखला (tank cascade)	तालाबों (talabs) की ऐसी शृंखला जिसमें एक तालाब का अतिरिक्त जल अगले तालाब को मिलता है।

3.3 विकास-पूर्व और विकास-पश्चात भू-सतह

3.3.1 **वही साइट, वही वर्षा घटना.** विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रन प्रत्येक POC की ओर बहने वाले उसी क्षेत्र को सम्मिलित करेंगे, और उन्हीं डिजाइन वर्षा घटनाओं का उपयोग करेंगे (खंड 2.11.1)। वे केवल इस खंड के भू-सतह प्राचलों, उनसे प्राप्त Tc और वर्षा जल नियंत्रणों में भिन्न होंगे।

3.3.2 **विकास-पूर्व स्थिति.** विकास-पूर्व भू-सतह **अविकसित खुली भूमि (greenfield), अर्थात मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि** होगी, निम्नानुसार:

- (a) साइट के भीतर की सारी भूमि, जिसमें वह भूमि भी सम्मिलित है जिस पर अभी निर्माण है, जो पक्की, संघनित या जोती गई है, अच्छी दशा वाली खुली भूमि (घास आवरण > 75%) मानी जाती है। **विद्यमान अपारगम्य आवरण नहीं गिना जाएगा।**
- (b) कर्व नंबर खंड 3.7 के HSG के लिए "खुला स्थान, अच्छी दशा" ("open space, good condition") का TR-55 मान है: AMC II पर **CN 39 (A), 61 (B), 74 (C), 80 (D)** (तालिका 3.5)।
- (c) HSG खंड 3.7 का प्राकृतिक HSG है, जिसमें उच्च भूजल स्तर के लिए द्वि-समूह नियम (खंड 3.10.1) सम्मिलित है। जल निकासी कार्यों के कारण HSG में किसी सुधार की अनुमति नहीं है।

- (d) Tc की गणना विकास-पूर्व भू-सतह पर केवल बिना चैनल वाले सतही प्रवाह, उथले संकेंद्रित प्रवाह और प्राकृतिक चैनलों के आधार पर की जाती है (खंड 3.6)। विद्यमान पाइप, पक्की ड्रेन और कर्ब की उपेक्षा की जाती है।
- (e) विद्यमान जलाशय, तालाब के पूर्ण जल स्तर (FTL) तक के जल-फैलाव क्षेत्र, प्राकृतिक चैनल और आपूर्ति या अतिरिक्त जल चैनल जैसे हैं वैसे ही रखे जाते हैं, और उन्हें खुली भूमि के रूप में नहीं, बल्कि जल सतह या चैनल के रूप में मॉडल किया जाता है।

3.3.3 **विकास-पश्चात स्थिति.** विकास-पश्चात भू-सतह पूर्ण निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित कार्यों का प्रतिनिधित्व करेगी:

- (a) अपारगम्य क्षेत्र साइट नक्शे से मापे जाएँगे, छतों, पक्की सतहों, सड़कों और अन्य सीलबंद सतहों के लिए अलग-अलग, और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े या असंबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा (खंड 3.9)। साइट के लिए TR-55 की भूखंड-आकार आधारित आवासीय पंक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (b) निर्माण से विक्षुब्ध (समतल किए गए, भरे गए या वाहनों से रौंदे गए) पारगम्य क्षेत्रों को प्राकृतिक HSG से अंतःस्यंदन क्षमता में एक HSG नीचे (A से B, B से C, C से D) रखा जाएगा, जब तक कि निर्माण-पश्चात अंतःस्यंदन परीक्षण (खंड 3.7.3) अन्यथा न दर्शाएँ। निर्माण से विक्षुब्ध मृदा को कभी भी HSG A में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- (c) 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के आरंभ में वर्षा जल संचयन (RWH) संपों को भरा हुआ माना जाएगा, और उन वर्षा घटनाओं के लिए उनमें पानी देने वाले छत क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा माना जाएगा (अध्याय 4)।
- (d) प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं को CN घटाकर नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से भंडारण के रूप में दर्शाया जाएगा (खंड 3.12)।

3.3.4 **पुनर्विकास.** खंड 3.3.2 की विकास-पूर्व स्थिति पुनर्विकास पर भी लागू होती है। जो साइट पहले से पूरी तरह पक्की है, उसकी जाँच उसकी विद्यमान स्थिति के सापेक्ष नहीं, बल्कि अविकसित खुली भूमि के सापेक्ष की जाती है। खंड 4.5.6 के सीमित पुनर्विकास मार्ग के लिए विद्यमान स्थिति को भी, सर्वेक्षण के अनुसार विद्यमान अपारगम्य क्षेत्रों के साथ, मॉडल किया जाएगा, ताकि 50% की न्यूनतम सीमा की जाँच की जा सके।

3.3.5 **साइट के बाहर के क्षेत्र.**

- (a) वहन डिजाइन (अध्याय 6) के लिए साइट के प्रतिप्रवाह (upstream) के क्षेत्रों को अनुमोदित मास्टर प्लान या विकास योजना के अंतर्गत उनके अंतिम भूमि उपयोग पर लिया जाएगा। जहाँ कोई योजना नहीं है, वहाँ प्रतिप्रवाह की अविकसित भूमि को कम से कम 35% अपारगम्य माना जाएगा।
- (b) विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना के लिए साइट के बाहर से आने वाले अपवाह (run-on) को दोनों रन में उसकी विद्यमान स्थिति पर एक समान मॉडल किया जाएगा (खंड 3.14.2)।

> **भाष्य.** अविकसित खुली भूमि का संदर्भ प्रत्येक पुनर्विकास को पहले से बिगड़ी हुई आधार-रेखा के सापेक्ष आँके जाने से रोकता है। UK के गैर-सांविधिक मानक और KC APWA भिन्न रूपों में यही दृष्टिकोण अपनाते हैं: APWA, HSG C के लिए विद्यमान कृषि भूमि को अधिकतम "अच्छी दशा का चरागाह, घास का मैदान या रेंज (C = 0.30, CN = 74)" ("good condition pasture, grassland or range (C = 0.30, CN = 74)") तक सीमित करता है, और विक्षुब्ध मृदा को HSG A या B में वर्गीकृत करने से मना करता है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.3A और E)। (b) में प्रयुक्त TR-55 के "खुला स्थान, अच्छी दशा" मान TR-55 के "चरागाह, घास का मैदान या रेंज, अच्छी" ("pasture, grassland or range, good") मानों के समान हैं (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c), इसलिए इस मैनुअल का विकास-पूर्व CN, HSG C मृदा पर APWA की सीमा के बराबर है। 3.3.3(b) में विक्षुब्ध मृदा के लिए एक वर्ग की कमी इस मैनुअल द्वारा APWA नियम के एक सरल, कम कठोर रूप के रूप में निर्धारित की गई है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार (kanhar), डोरसा (dorsa), मटासी (matasi) और भाठा (bhata) मिट्टियों, चूना पत्थर पट्टी, बस्तर ग्रेनाइट और लैटेराइट, और गोंडवाना कोयला क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहाँ HSG A से C की छलाँग अत्यधिक होगी। 3.3.5(a) में अनियोजित प्रतिप्रवाह भूमि के लिए 35% की न्यूनतम अपारगम्यता APWA का मान है (2011, §5602.3E.2)। वहन के लिए मास्टर प्लान का भूमि उपयोग लेना CPHEEO के अनुसार है, जो अपेक्षा करता है कि C "मास्टर प्लान के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र के अंतिम विकास" ("ultimate development of the catchment as per the master plan") को दर्शाए (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.5)।

3.4 विधि का चयन

3.4.1 विधि का चयन तालिका 3.1 से प्रयोजन और जलग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर किया जाएगा। चित्र 3.1 में यही नियम एक प्रवाह-चित्र (flowchart) के रूप में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1 — अनुमत जलवैज्ञानिक विधियाँ

प्रयोजन	जलग्रहण क्षेत्र / स्थिति	अनुमत विधि	खंड
किसी एक वहन घटक (इनलेट, पाइप का भाग, ड्रेन का भाग (reach), पुलिया) के लिए चरम प्रवाह	≤ 16 ha योगदान देने वाला क्षेत्र, प्रतिप्रवाह में कोई भंडारण नहीं, कोई पश्चजल नहीं	रेशनल विधि	3.5
वहन के लिए चरम प्रवाह	> 16 ha, या प्रतिप्रवाह में कोई भी भंडारण, तालाब या पोखर	हाइड्रोग्राफ विधि (SCS इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ SCS-CN, SWMM या HEC-HMS)	3.8–3.12
प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, कोई भी भंडारण; विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना	कोई भी आकार	हाइड्रोग्राफ विधि; **रेशनल विधि अनुमत नहीं**	3.8–3.12, 3.14
पश्चजल, ज्वारीय या तालाब टेलवाटर वाला पाइप या ड्रेन नेटवर्क	कोई भी आकार	डायनेमिक-वेव (dynamic-wave) हाइड्रोलिक रूटिंग के साथ हाइड्रोग्राफ विधि	3.12.4; अध्याय 5
जलग्रहण-स्तरीय प्रवाह	CWC उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) या 3(c) में 25–5,000 km²	HEC-HMS या SWMM, CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (SUH) के सापेक्ष तुलना-मानक (benchmark) के साथ	3.11.4
क्षेत्रीय सुविधाएँ	> 25 km² की निकासी करने वाली	डिजाइन वर्षा घटना हाइड्रोग्राफ विधि **और साथ में** सतत सिमुलेशन	3.13
तालाब (talab) शृंखलाएँ	कोई भी आकार	डिजाइन वर्षा घटना हाइड्रोग्राफ विधि **और साथ में** सतत सिमुलेशन	3.13
टियर B: अध्याय 1 के अंतर्गत छोटी साइटें	डिजाइन सहायिका की सीमाओं के भीतर	अध्याय 4 के अंतर्गत जारी डिजाइन सहायिकाएँ, जो स्वयं इस अध्याय की विधियों से निकाली गई हैं	3.4.4
छोटी साइटें, कोई भी प्राधिकारी	≤ 1 ha, खंड 4.14.3 की सीमाओं के भीतर	अध्याय 4 का नियत-गुणांक मार्ग (नियत निकास गुणांक, वर्षा-द्रव्यमान आधारित भंडारण)	3.4.4; 4.14.3

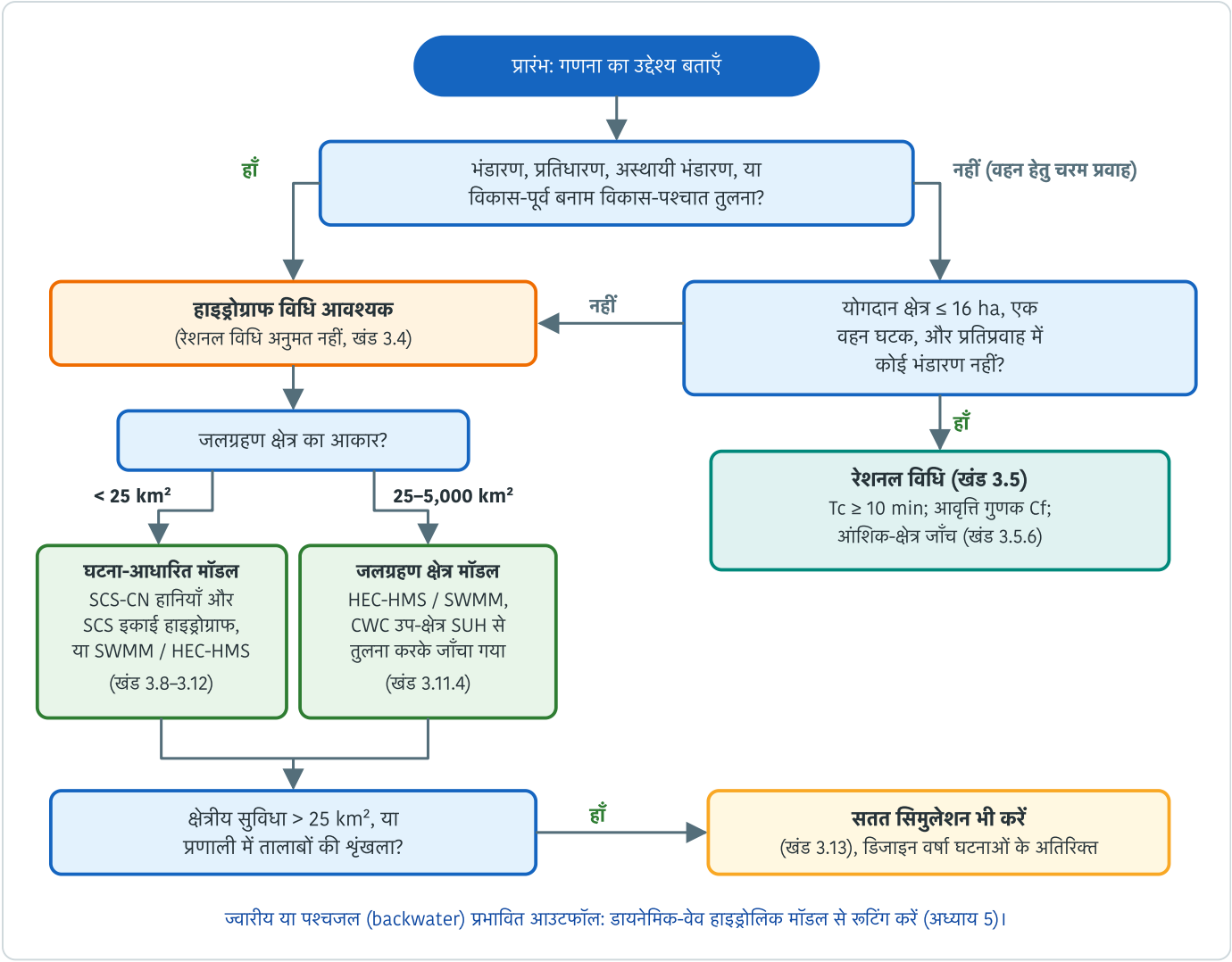

चित्र 3.1 — जलवैज्ञानिक विधि का चयन। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, KC Metro APWA, Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, 2011 (§5602.2) और Version 2025.01 (§5603.4, Policy Supplement, 2025) से अनुकूलित।

3.4.2 **रेशनल विधि की सीमाएँ.** रेशनल विधि का उपयोग केवल **16 ha या उससे कम** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए और केवल **किसी एक वहन घटक** तक के चरम प्रवाह की गणना के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण या किसी अन्य भंडारण के आकार निर्धारण के लिए, या हाइड्रोग्राफ या अपवाह आयतन निकालने के लिए **कभी नहीं** किया जाएगा।

3.4.3 **हाइड्रोग्राफ विधियाँ.** 16 ha से ऊपर, और भंडारण की प्रत्येक गणना के लिए, हाइड्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाएगा: SCS (NRCS) इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ SCS-CN हानियाँ, EPA SWMM, या HEC-HMS। 25–5,000 km² के लिए तुलना-मानक के रूप में CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ की भी गणना की जाएगी (खंड 3.11.4)।

3.4.4 **सरलीकृत मार्ग.** टियर B क्षेत्रों (अध्याय 1) में, अध्याय 4 के अंतर्गत जारी किसी डिजाइन सहायिका पर बताई गई सीमाओं के भीतर की साइटें साइट-विशिष्ट हाइड्रोग्राफ मॉडल के स्थान पर उस डिजाइन सहायिका का उपयोग कर सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में 1 ha या उससे कम की साइटें खंड 4.14.3 के नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग कर सकती हैं; 3.4.2 के इस नियम का कि वर्षा-आधारित चरम विधियों का उपयोग भंडारण के लिए नहीं किया जाएगा, यही एकमात्र अपवाद है। 3.4.2 के अंतर्गत वहन के लिए रेशनल विधि उपलब्ध रहती है।

3.4.5 **5,000 km² से बड़े जलग्रहण क्षेत्र.** ये इस मैनुअल के विस्तार से बाहर हैं और इनके लिए जल संसाधन विभाग (WRD) द्वारा अनुमोदित बेसिन अध्ययन अपेक्षित है।

भाष्य. 16 ha की सीमा और एकल-घटक नियम APWA 5600 Version 2025.01 के अनुसार हैं, जिसने रेशनल विधि की सीमा 200 ac से घटाकर 40 ac कर दी और उसे "एकल पाइप खंड" ("a single pipe segment") तक सीमित कर दिया। MARC Policy Supplement जोड़ता है कि इसका "उपयोग अपवाह कमी उपायों के आकार निर्धारण या प्रतिधारण आयतन और अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता" ("cannot be used to size runoff reduction practices or determine retention volumes and detention volumes") (MARC, APWA Stormwater Standards Supplement, 2025)। CPHEEO (2019, Part A §4.4.1.3) रेशनल विधि को 8–10 km² तक अनुमति देता है, जो ऐसी विधि के लिए बहुत बड़ा है जो पूरे Tc के दौरान पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर वर्षा की एकसमान तीव्रता मानती है और कोई आयतन नहीं देती। रेशनल विधि को भंडारण डिजाइन से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह हाइड्रोग्राफ नहीं, केवल चरम मान देती है, जबकि भंडारण आयतन और समय पर निर्भर करता है।

3.5 रेशनल विधि

3.5.1 **समीकरण.** चरम प्रवाह की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$Q = C \cdot Cf \cdot i \cdot A / 360$$

जहाँ Q चरम प्रवाह (m³/s) है; C अपवाह गुणांक (तालिका 3.2) है; Cf आवृत्ति गुणक (तालिका 3.3) है, और C · Cf ≤ 1.0; i अध्याय 2 से (खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित) Tc के बराबर अवधि के लिए वर्षा की तीव्रता (mm/h) है; और A योगदान देने वाला क्षेत्र (ha) है।

भाष्य. यह CPHEEO का समीकरण Qp = 10 C I A है, जिसमें Qp m³/h में है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.1–4.4.1.3), और जिसे m³/s में परिवर्तित किया गया है।

3.5.2 **अपवाह गुणांक.** C तालिका 3.2 से लिया जाएगा। किसी परास के भीतर डिजाइनकर्ता परास के ऊपरी आधे भाग का उपयोग करेगा, जब तक कि साइट के आँकड़े कम मान को उचित न ठहराएँ।

तालिका 3.2 — अपवाह गुणांक C (10% या उससे अधिक बार होने वाले AEP के लिए)

सतह या भूमि उपयोग	C	स्रोत
वाणिज्यिक	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
औद्योगिक	0.60–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
संस्थागत	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
आवासीय, उच्च घनत्व	0.60–0.75	CPHEEO 2019, Table 4.2
आवासीय, निम्न घनत्व	0.40–0.60	CPHEEO 2019, Table 4.2
मनोरंजन संबंधी	0.10–0.25	CPHEEO 2019, Table 4.2
एस्फाल्ट	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
कंक्रीट	0.80–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2

सतह या भूमि उपयोग	C	स्रोत
ईंट का फर्श	0.70–0.85	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: टाइल	0.80–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: धातु	0.70–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: कंक्रीट	0.70–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
लॉन, रेतीली मृदा, समतल (≤ 2%)	0.05–0.10	ASCE/WPCF 1969
लॉन, रेतीली मृदा, औसत (2–7%)	0.10–0.15	ASCE/WPCF 1969
लॉन, रेतीली मृदा, तीव्र ढलान (> 7%)	0.15–0.20	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी (चिकनी) मृदा, समतल (≤ 2%)	0.13–0.17	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी मृदा, औसत (2–7%)	0.18–0.22	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी मृदा, तीव्र ढलान (> 7%)	0.25–0.35	ASCE/WPCF 1969
अविकसित भूमि (किसी भी दशा के लिए अधिकतम)	0.30	KC APWA 5600 (2011), §5602.3E

3.5.3 **आवृत्ति गुणक.** 10% से दुर्लभ डिजाइन AEP के लिए C को तालिका 3.3 के Cf से गुणा किया जाएगा। गुणनफल C · Cf, 1.0 से अधिक नहीं होगा।

तालिका 3.3 — आवृत्ति गुणक Cf

डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	Cf
10% (10-वर्ष) और उससे अधिक बार	1.00
4% (25-वर्ष)	1.10
2% (50-वर्ष)	1.20
1% (100-वर्ष)	1.25

3.5.4 **संयुक्त C.** जहाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र में एक से अधिक सतहें हैं, वहाँ C क्षेत्र-भारित मान C = Σ(Cj · Aj) / ΣAj होगा, जिसकी गणना प्रत्येक सतह के मापे गए क्षेत्रफल से की जाएगी। Cf संयुक्त C पर लगाया जाता है।

3.5.5 **सांद्रण समय और नेटवर्क.**

- (a) Tc की गणना खंड 3.6 के अनुसार की जाएगी और यह **10 मिनट** से कम नहीं होगा।
- (b) 16 ha की सीमा के भीतर नेटवर्क के प्रत्येक भाग (reach) के लिए चरम प्रवाह की गणना उस भाग के प्रतिप्रवाह के संचयी Σ(C · A) और उस भाग तक के सबसे लंबे Tc से की जाएगी। प्रतिप्रवाह भागों के चरम प्रवाह जोड़े नहीं जाएँगे।

3.5.6 **आंशिक-क्षेत्र जाँच.** जहाँ जलग्रहण क्षेत्र के किसी सघन, अत्यधिक अपारगम्य भाग का Tc पूरे क्षेत्र से बहुत कम है, वहाँ उस भाग के लिए भी, उसके अपने क्षेत्रफल, C और Tc से, अलग से चरम प्रवाह की गणना की जाएगी। बड़ा चरम प्रवाह लागू होगा।

भाष्य. तालिका 3.2 में विकसित सतहों के गुणांक CPHEEO की Table 4.2 के हैं, जिसे CPHEEO ने ASCE/WPCF (1969) से अनुकूलित किया था। CPHEEO सभी पुनरावृत्ति अवधियों के लिए C को स्थिर रखता है। इसके स्थान पर तालिका 3.3 में APWA के पूर्ववर्ती-वर्षा गुणक लिए गए हैं (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2A: 4%, 2% और 1% की वर्षा घटनाओं के लिए K = 1.1, 1.2 और 1.25, और C·K ≤ 1.0)। ये गुणक यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की दुर्लभ वर्षा घटनाएँ गीली भूमि पर आती हैं (खंड 2.11.4)। 10 मिनट का न्यूनतम Tc खंड 2.5.1 की न्यूनतम डिजाइन अवधि के अनुरूप है। APWA 2011 इनलेट समय को 5 और 15 मिनट के बीच सीमित करता है (§5602.7A)। आंशिक-क्षेत्र जाँच CPHEEO द्वारा "आंशिक क्षेत्र प्रभाव" ("partial area effect") के निरूपण के अनुसार है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.7)। यह मैनुअल 3.5.2 में प्रत्येक परास के ऊपरी आधे भाग की अपेक्षा इसलिए करता है क्योंकि भारतीय शहरी भूखंड सामान्यतः ASCE परासों के पीछे के अमेरिकी भूमि उपयोगों की तुलना में अधिक सघन रूप से आच्छादित होते हैं।

3.6 सांद्रण समय

3.6.1 **सामान्य.** Tc की गणना विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए अलग-अलग, उस प्रवाह मार्ग के साथ की जाएगी जो विचाराधीन बिंदु तक सबसे लंबा यात्रा समय देता है, और यह प्रत्येक प्रवाह खंड के यात्रा समयों का योग होगा। किसी भी स्थिति के लिए Tc **10 मिनट** से कम नहीं होगा।

3.6.2 **NRCS वेग (खंड) विधि.** NRCS खंड विधि सभी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए डिफॉल्ट विधि है। Tc = Tt(sheet) + Tt(shallow) + Tt(channel), जहाँ:

- (a) **परत प्रवाह (sheet flow):**

  > Tt = 0.091 (n · L)^0.8 / (P2^0.5 · S^0.4)

  जहाँ Tt घंटों में है; n तालिका 3.4 से परत प्रवाह की खुरदरापन है; L परत प्रवाह की लंबाई (m) है; P2 खंड 2.3 से, जलवायु गुणक के बिना, वर्तमान 50% AEP (2-वर्ष) की 24-घंटे की वर्षा (mm) है; और S भूमि का ढलान (m/m) है।

- (b) **परत प्रवाह की लंबाई.** शहरी क्षेत्रों में, और विकास-पश्चात की सभी स्थितियों के लिए, परत प्रवाह की लंबाई **30 m** से अधिक नहीं होगी। विकास-पूर्व अविकसित खुली भूमि की सतहों के लिए 90 m तक का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ सर्वेक्षण बिना चैनल वाली समतल भूमि दर्शाता है; अन्यथा 30 m लागू होता है।

- (c) **उथला संकेंद्रित प्रवाह:** Tt = L / (3,600 V), जहाँ V = 4.918 S^0.5 (कच्ची सतह) या V = 6.196 S^0.5 (पक्की सतह), V m/s में, L m में और S m/m में।

- (d) **चैनल और पाइप प्रवाह:** Tt = L / (3,600 V), जहाँ V पूर्ण-तट (bank-full) या पूर्ण-पाइप प्रवाह पर मैनिंग समीकरण (Manning's equation) से प्राप्त होता है।

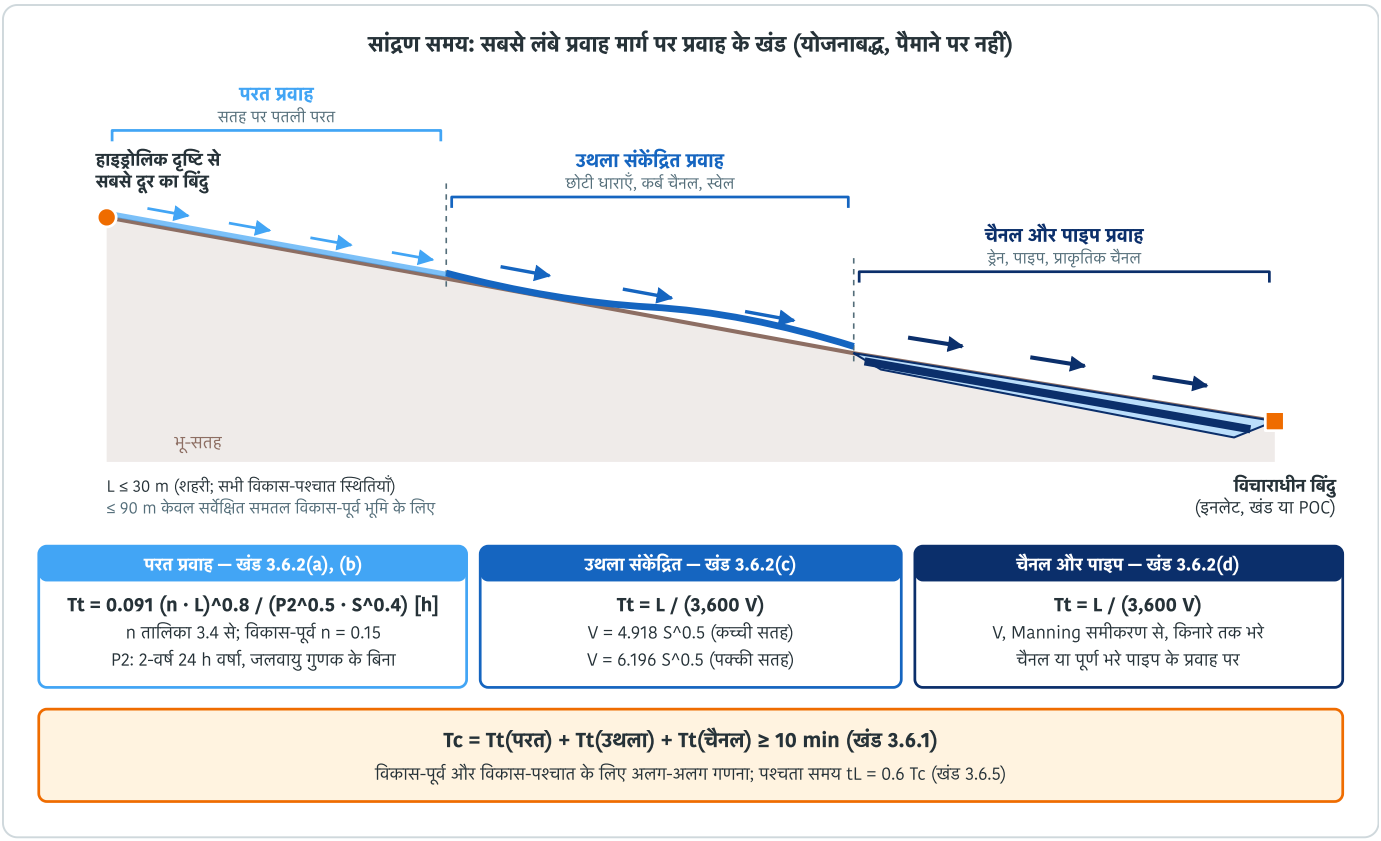

चित्र 3.2 — NRCS खंड विधि द्वारा सांद्रण समय: सबसे लंबे प्रवाह मार्ग के साथ परत प्रवाह, उथला संकेंद्रित प्रवाह और चैनल या पाइप प्रवाह, खंड 3.6 के यात्रा समय समीकरणों और सीमाओं के साथ। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, USDA SCS TR-55 (1986), Ch. 3, और USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 15 (2010) से अनुकूलित।

तालिका 3.4 — परत प्रवाह के लिए मैनिंग का n (USDA SCS TR-55, 1986, Table 3-1)

सतह	n
चिकनी सतहें (कंक्रीट, एस्फाल्ट, बजरी, खुली मिट्टी)	0.011
परती (कोई अवशेष नहीं)	0.05
जोती गई, अवशेष आवरण ≤ 20%	0.06
जोती गई, अवशेष आवरण > 20%	0.17
घास: छोटी घास का मैदान (प्रेयरी)	0.15
घास: घनी घास	0.24
रेंज (प्राकृतिक)	0.13
वन: हल्की झाड़ी	0.40
वन: घनी झाड़ी	0.80

3.6.3 **विकास-पूर्व खुरदरापन.** खंड 3.3.2 की विकास-पूर्व अविकसित खुली भूमि की सतह के लिए परत प्रवाह का n **0.15** होगा, जब तक कि डिजाइनकर्ता क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर तालिका 3.4 के किसी अन्य मान को उचित न ठहराए।

3.6.4 **किरपिच सूत्र.** किरपिच (Kirpich) सूत्र का उपयोग केवल प्रति-जाँच के रूप में, या परिभाषित मुख्य चैनल वाले विकास-पूर्व ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, किया जा सकता है:

> tc = 0.0195 L^0.77 S^−0.385

जहाँ tc मिनटों में है, L मुख्य प्रवाह मार्ग की लंबाई (m) है और S उसका औसत ढलान (m/m) है। इसका उपयोग शहरी या विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्रों के लिए नहीं किया जाएगा।

3.6.5 **पश्चता समय.** जहाँ किसी इकाई हाइड्रोग्राफ विधि में पश्चता समय अपेक्षित है, वहाँ tL = 0.6 Tc।

3.6.6 **जाँच.** विकास-पश्चात Tc सामान्यतः विकास-पूर्व Tc से कम होगा। जहाँ यह अधिक है, वहाँ डिजाइनकर्ता प्रस्तुति में इसका कारण स्पष्ट करेगा।

> **भाष्य.** खंड विधि और उसके समीकरण TR-55 (USDA SCS, 1986, Ch. 3) और NEH Part 630, Ch. 15 (USDA NRCS, 2010) से लिए गए हैं। SI स्थिरांक अमेरिकी समीकरणों के सीधे रूपांतरण हैं: L को m में और P2 को mm में लेने पर 0.007, 0.091 हो जाता है, और 16.1345 और 20.3282 ft/s, 4.918 और 6.196 m/s हो जाते हैं। TR-55 (1986) ने परत प्रवाह को 300 ft (≈ 90 m) तक अनुमति दी थी। NEH 630 Ch. 15 बताता है कि परत प्रवाह सामान्यतः लगभग 100 ft (≈ 30 m) से अधिक नहीं रहता और फिर उथला संकेंद्रित प्रवाह बन जाता है (Merkel, 2001 का हवाला देते हुए), और अब अनेक अमेरिकी एजेंसियाँ इसे वहीं सीमित करती हैं। यह मैनुअल इसी आधार पर 3.6.2(b) में 30 m की शहरी सीमा निर्धारित करता है: भारतीय शहरी भूखंडों में प्रवाह कुछ ही मीटर के भीतर किसी ड्रेन, कर्ब या चारदीवारी के रिसाव छिद्र (weep hole) तक पहुँच जाता है। परत प्रवाह समीकरण में बिना समायोजन वाला P2 इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि P2 यात्रा समय संबंध का एक प्राचल है, डिजाइन भार नहीं। अविकसित खुली भूमि के लिए डिफॉल्ट n = 0.15 TR-55 का छोटी घास वाला मान है; यह मैनुअल इसे इसलिए लेता है ताकि विकास-पूर्व Tc के ऐसे लंबे मानों से बचा जा सके जो Q_pre को कृत्रिम रूप से कम कर दें। किरपिच सूत्र Chow, Maidment और Mays (1988, Table 15.1.2) द्वारा दिया गया SI रूप है, जो टेनेसी के छोटे कृषि जलग्रहण क्षेत्रों से लिया गया है (Kirpich, 1940), इसलिए यह शहरी सतहों के लिए उपयुक्त नहीं है। पश्चता अनुपात 0.6 NRCS का मान है, जिसे APWA भी प्रयुक्त करता है (2011, §5602.7C)।

3.7 मृदा और जलवैज्ञानिक मृदा समूह

3.7.1 **मानचित्रण.** HSG, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP) द्वारा, या छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के साथ) [TBC] द्वारा मानचित्रित मृदा शृंखला से, परिशिष्ट 3A की मृदा-शृंखला-से-HSG मिलान-सूची (lookup) का उपयोग करके, निर्धारित किया जाएगा। स्रोत मानचित्र और उसका पैमाना बताया जाएगा।

3.7.2 **निर्धारण नियम.** जहाँ किसी शृंखला के लिए परिशिष्ट 3A अभी उपलब्ध नहीं है, वहाँ HSG, NEH Part 630, Ch. 7 के मानदंडों का उपयोग करके, मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत या भूजल स्तर तक की गहराई से निर्धारित किया जाएगा। परिशिष्ट 3A के प्रकाशित होने तक यह मैनुअल छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के मैदान के चार पारंपरिक मृदा वर्गों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित अंतरिम समूह निर्धारित करता है: कन्हार (kanhar), सबसे निचले समतल भागों की गहरी काली दरारदार चिकनी मिट्टी (Vertisol), प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए HSG D, सूखी भूमि पर किया गया परीक्षण चाहे जो दर्शाए; कन्हार में स्थापित किसी भी अंतःस्यंदन उपाय (infiltration practice) को 15 जुलाई के बाद की वर्षा घटना के लिए, जो वह तिथि है जिसे यह मैनुअल उसकी दरारें बंद होने की तिथि मानता है, या सूखी, दरारदार भूमि पर किए गए परीक्षण के आधार पर, कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं मिलता, और खंड 4.11 कन्हार पर अंतःस्यंदन उपायों को पूरी तरह वर्जित करता है; डोरसा (dorsa), निचले ढलानों की रेतीली चिकनी दोमट से चिकनी दोमट (Alfisol, प्रायः vertic), HSG C, और जहाँ वह vertic हो या मचाई गई धान

की भूमि हो वहाँ HSG D; मटासी (matasi), ऊपरी ढलानों की रेतीली दोमट से गादयुक्त दोमट (Inceptisol), HSG B, और जहाँ वह मुरम या चट्टान के ऊपर 50 cm से कम हो या मचाई गई धान की भूमि हो वहाँ HSG C; भाठा (bhata), शिखरों और कटकों पर मुरम या फेरीक्रीट के ऊपर 30 cm से कम गहरी कंकरीली मिट्टी (Entisol), HSG C, और जहाँ चट्टान या फेरीक्रीट सतह से 50 cm के भीतर हो वहाँ HSG D, और उसकी बनावट चाहे जो हो, कभी HSG A या B नहीं; बस्तर पठार पर, ऊपरी भूमि और पार्श्व ढलानों की गहरी मिट्टियाँ, HSG B, और पहाड़ियों की पथरीली (lithic) मिट्टियाँ और खुली चट्टान, HSG D; सरगुजा, कोरिया और जशपुर की उत्तरी पहाड़ियों में, लाल और पीली मिट्टियाँ और लैटेराइट, बनावट और गहराई के अनुसार HSG B या C, और जहाँ चट्टान या लैटेराइट परत सतह से 50 cm के भीतर हो वहाँ HSG D; कोयला क्षेत्रों के गोंडवाना बलुआ पत्थर और शेल की मिट्टियाँ, HSG C; बड़ी नदियों के किनारे का जलोढ़, बनावट के अनुसार HSG B या C; निर्मित भूमि (made ground) और शहरी भराव, HSG C या D, दोनों में से कम पारगम्य समूह, जब तक कोई क्षेत्र परीक्षण अन्यथा न दर्शाए; और ओवरबर्डन डंप और खनन से विक्षुब्ध अन्य सभी भूमि (पुनर्भरित या सुधारी गई खनन भूमि, संघनित खदान बेंच और हॉल रोड), और ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध, प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उनकी बनावट जो भी हो, HSG D, जिसके लिए अंतःस्यंदन का कोई क्रेडिट नहीं (खंड 4.4)। रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर के ऊपर की मिट्टी उस मिट्टी का समूह लेती है, चट्टान का नहीं; उसके नीचे के कार्स्ट में चला जाने वाला पानी डिजाइन में हानि के रूप में नहीं गिना जाता। खंड 4.14.1 की सरलीकृत विधि की सीमाओं से बड़ी प्रत्येक साइट पर क्षेत्र अंतःस्यंदन परीक्षण अपेक्षित है, जो पूर्व-गीला करने (pre-wetting) के बाद प्रस्तावित सुविधा की गहराई पर गड्ढा या बोरहोल परीक्षण के रूप में किया जाएगा; छोटी साइटों पर, जिस मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ है उसे उसके लिए सूचीबद्ध समूहों में से कम पारगम्य समूह दिया जाएगा। खंड 3.10.1 इन सभी समूहों पर लागू होता है।

3.7.3 **साइट पर सत्यापन.** अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण पर निर्भर प्रत्येक साइट (अध्याय 4) के लिए मानचित्रित HSG का सत्यापन प्रत्येक अंतःस्यंदन सुविधा के स्थान और गहराई पर साइट अंतःस्यंदन परीक्षणों द्वारा किया जाएगा। जहाँ परीक्षण मानचित्रित HSG से कम अंतःस्यंदन क्षमता दर्शाते हैं, वहाँ प्रतिधारण डिजाइन और विकास-पश्चात CN दोनों के लिए परीक्षण का परिणाम लागू होगा। जहाँ वे अधिक क्षमता दर्शाते हैं, वहाँ प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विकास-पूर्व HSG नहीं बदला जाएगा।

3.7.4 **विक्षुब्ध और भराई वाली भूमि.** खंड 3.3.3(b) लागू होता है।

> **भाष्य.** NBSS&LUP के मृदा मानचित्र सामान्यतः 1:250,000 से 1:50,000 पैमाने पर होते हैं और मृदाओं को HSG के आधार पर नहीं, बल्कि श्रृंखला और वर्गिकी (taxonomy) के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसलिए एक मिलान-सूची (परिशिष्ट 3A) आवश्यक है। साइट परीक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैदान पर हैं, जहाँ चार पारंपरिक मृदा वर्ग हर ढलान पर एक के बाद एक आते हैं, शिखरों पर भाठा (bhata) से मटासी (matasi) और डोरसा (dorsa) होते हुए सबसे निचले समतल भागों में कन्हार (kanhar) तक, जिससे एक साइट दो या तीन समूहों में फैल सकती है, और जहाँ मई या जून में सूखी, दरारदार कन्हार पर किया गया परीक्षण ऐसी दर दिखाता है जिस तक गीली मिट्टी कभी नहीं पहुँचती; भाठा पर, जहाँ स्वतंत्र रूप से पानी निकालती दिखने वाली दोमट मिट्टी मुरम या फेरीक्रीट के ऊपर 30 cm से कम होती है; रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की चूना पत्थर पट्टी में, जहाँ ऊँची दर का अर्थ पारगम्य मिट्टी के बजाय कोई गुहा हो सकता है (खंड 4.11 का भाष्य); और रायपुर, भिलाई और कोरबा के शहरी भराव और कोयला क्षेत्रों की खनन भूमि पर, जहाँ भराव, ओवरबर्डन और संघनित भूमि एक ही साइट पर साथ-साथ होती हैं। इस मैनुअल के लिए शोध के दौरान छत्तीसगढ़ का कोई राज्यव्यापी HSG मानचित्र, और उसके मृदा वर्गों के पूरे मैदान के क्षेत्रीय अंश, नहीं मिले [TBC]। राज्य की तीन पट्टियाँ हैं: सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर की उत्तरी पहाड़ियाँ, मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान, और दक्षिण में बस्तर पठार (IMD, *Climate of Chhattisgarh*, 2015), और इसका लगभग 87% भाग कठोर चट्टान पर है (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024*)। मैदान पर किसान और कृषि वैज्ञानिक मिट्टी को चार वर्गों में बाँटते हैं जो ढलान का अनुसरण करते हैं। दुर्ग जिले का एक अध्ययन भाठा को 5–8% के ढलानों पर, 1.71–1.85 g/cm³ के स्थूल घनत्व (bulk density) वाली, 30 cm से कम गहरी, दोमटी महीन रेत से गादयुक्त दोमट की Entisol; मटासी को 30–80 cm गहरी रेतीली दोमट से गादयुक्त दोमट की Inceptisol; डोरसा को 80–150 cm गहरी रेतीली चिकनी दोमट से चिकनी दोमट की Alfisol; और कन्हार को 2% से कम ढलानों पर 150 cm से अधिक गहरी चिकनी दोमट से चिकनी मिट्टी की Vertisol बताता है; उस जिले में मटासी लगभग 44% क्षेत्र पर थी, डोरसा लगभग 41%, कन्हार 9% और भाठा 5% पर (Mandal et al., 2018, एक निम्न-स्तरीय पत्रिका; डोरसा के लिए उसके सार और तालिका में थोड़ा अंतर है)। ये चार नाम देखे गए हिन्दी शब्दकोशों में नहीं हैं और यहाँ कृषि-विज्ञान के शोधपत्रों से लिए गए हैं; न ही वे वर्गिकी से एक-एक करके मेल खाते हैं: रायपुर के पास के एक अध्ययन के बारे में बताया जाता है कि वह डोरसा और कन्हार दोनों की परिच्छेदिकाओं (pedons) को 29–62% चिकनी मिट्टी वाले fine smectitic Haplusterts

में वर्गीकृत करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC])। कन्हार "40 से 50 प्रतिशत चिकनी मिट्टी वाली भारी मिट्टी" ("heavy soil with clay content of 40 to 50 percent") है, जिसकी "पारगम्यता सामान्यतः कम है" ("permeability is generally low") (CGWB, राजनांदगांव जिला पुस्तिका); छत्तीसगढ़ बेसिन के शेल पर फूलने-सिकुड़ने वाली मिट्टियों में 50% से अधिक चिकनी मिट्टी होती है (Karthikeyan et al., 2021, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। मिली एकमात्र मापी गई अंतःस्यंदन दरें रायपुर में IGKV के फार्म पर "गहरी और अच्छी निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी" ("deep and well drained sandy loam soil") के दो खेतों से हैं, जो नवंबर 2017 में डबल-रिंग अंतःस्यंदनमापी (double-ring infiltrometer) से मापी गईं: 41 और 64 mm/h की औसत दरों से लगभग तीन घंटे बाद प्राप्त 7.3 और 7.6 mm/h की मूल अंतःस्यंदन दरें (Ranjan and Singh, 2018)। ये मटासी जैसी ऊपरी भूमि की मिट्टी पर बिंदु माप हैं, HSG B की परास के ऊपरी छोर पर, कन्हार, शहरी भराव या संघनित भूमि पर नहीं; मैदान के लिए वर्गवार दरों का एक मॉडल (Kindo, Agrawal and Tripathi, 2025) केवल सार के रूप में देखा गया [TBC], और खारुन, शिवनाथ, हसदेव और केलो बेसिनों के SCS-CN अध्ययन केवल अंशों में देखे गए और उनका उपयोग नहीं किया जाता। बस्तर पठार में ग्रेनाइट-नीस पर की मिट्टियाँ पहाड़ियों पर पथरीली (lithic) और पार्श्व ढलानों और मैदानों पर Alfisol और Inceptisol हैं, हल्की बनावट वाली और उथली (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उत्तरी पहाड़ियों की लाल और पीली मिट्टियों के लिए कोई हाइड्रोलिक आँकड़े नहीं मिले [TBC]। रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थरों को आधिकारिक रूप से "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous") बताया गया है, जिनकी क्षेत्र पारगम्यता 4–65 m/day है (CGWB, 2024), और संस्तरण के साथ उनकी विलयन गुहाएँ "चिकनी मिट्टी से भरी" ("filled with clay material") हैं (CGWB, राजनांदगांव पुस्तिका); वहाँ किसी परीक्षण गड्ढे में ऊँची दर किसी गुहा से आ सकती है, और इसी कारण अध्याय 4 किसी अंतःस्यंदन उपाय को क्रेडिट देने से पहले गुहा जाँच की अपेक्षा करता है। हानियों के एकमात्र क्षेत्रीय माप CWC उप-क्षेत्रों की डिजाइन हानि दरें हैं: 3(d) में एक वक्र जो 3-घंटे की वर्षा घटना के लिए लगभग 3.5 mm/h से घटकर 13 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के लिए 1.5 mm/h हो जाता है, और 8-घंटे की वर्षा घटना के हल किए गए उदाहरण में 2.1 mm/h; 3(g) में 75 km² से बड़े जलग्रहण क्षेत्रों पर 5 mm/h और छोटे पर 2 mm/h; 3(f) में 2 mm/h; 1(d) में 2.5 mm/h; और 3(c) में 1 mm/h (परिशिष्ट 3E)। 3(d) की दरें रायपुर में मटासी जैसी मिट्टी पर मापी गई मूल दर से दो से पाँच गुना कम हैं, क्योंकि वे मानसून में पूरे ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों की बाढ़ों पर फिट किए गए φ-सूचकांक हैं, जिनमें से पाँच धान वाले छत्तीसगढ़ के मैदानी जलग्रहण क्षेत्र हैं (केलो, लीलागर (Lilagar), पर्री (Parri), बोराई (Borai) और करवार (Karwar)), जब कन्हार और डोरसा की निचली भूमि गीली होती है और मेड़बंद खेत भरे होते हैं; वे किसी मिट्टी की अंतःस्यंदन क्षमता नहीं हैं, और उनका उपयोग HSG निर्धारित करने या किसी अंतःस्यंदन उपाय का आकार निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। यह मैनुअल पूरे राज्य के लिए एक समूह नहीं अपनाता। एकल समूह D चरम प्रवाहों के लिए सुरक्षित पक्ष का होगा, और कन्हार, फेरीक्रीट के ऊपर के भाठा और खनन भूमि पर सत्य के निकट है, किंतु वह रायपुर और भिलाई के आसपास की मटासी ऊपरी भूमि पर अंतःस्यंदन प्रतिधारण (खंड 4.4) से वंचित कर देगा, जहाँ मापी गई दरें ऊँची हैं और जिन पर शहरों का अधिकांश विस्तार हुआ है। कन्हार के लिए 15 जुलाई की तिथि इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: मानसून लगभग 16 जून तक रायपुर और लगभग 17 जून तक बिलासपुर पहुँचता है (IMD, Pai et al., 2020) और लगभग 20 जून तक राज्य के अधिकांश भाग को सम्मिलित कर लेता है, और जुलाई और अगस्त में वार्षिक वर्षा का लगभग 58% होता है (IMD, *Climate of Chhattisgarh*), जो सामान्य वर्ष में मध्य जुलाई तक चिकनी मिट्टी को गीला करने और उसकी दरारें बंद करने के लिए पर्याप्त है; राज्य में दरारें बंद होने का कोई क्षेत्र अभिलेख नहीं मिला [TBC]। खंड 3.7.2 के अंतरिम समूह, कन्हार के लिए 15 जुलाई की सीमा, चट्टान तक की गहराई और फेरीक्रीट तक की गहराई का 50 cm का नियम, भाठा को HSG A या B देने पर रोक, ओवरबर्डन डंपों, खनन से विक्षुब्ध भूमि और ऐश पॉन्डों के लिए समूह D, पूर्व-गीला किया गया परीक्षण और छोटी साइटों पर बिना परीक्षण की मिट्टी का नियम, छत्तीसगढ़ के लिए मृदा-शृंखला मिलान-सूची बनने तक, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। बस्तर पठार पर और उत्तरी पहाड़ियों में खड़ी भूमि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मिट्टी, जहाँ लैटेराइट परत और खुली चट्टान से अपवाह कुछ ही मिनटों में चैनल तक पहुँच जाता है, इसलिए विकास-पश्चात सांद्रण समय प्रायः खंड 3.6.1 के 10 मिनट के न्यूनतम पर होंगे। वहाँ खुली चट्टान या परत पर परत प्रवाह (sheet flow) वाले भाग के लिए तालिका 3.4 का चिकनी सतह वाला n प्रयुक्त होगा, और पहाड़ी के पार्श्व से मैदान पर आने वाले जलग्रहण क्षेत्र को ढलान के विराम-बिंदु पर विभाजित किया जाएगा, और पहाड़ी उप-भाग का अलग से मॉडल बनाया जाएगा, ताकि लंबा, समतल निचला भाग पहाड़ी की तेज प्रतिक्रिया को औसत में न दबा दे; ये दोनों नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

3.8 SCS कर्व नंबर (SCS-CN) हानि विधि

3.8.1 **अपवाह समीकरण.** अपवाह की गहराई की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> $Q = (P - Ia)^2 / (P - Ia + S)$, जब $P > Ia$; अन्यथा $Q = 0$ $S = 25{,}400 / CN - 254$

जहाँ Q अपवाह की गहराई (mm) है, P संचयी वर्षा की गहराई (mm) है, S संभावित अधिकतम प्रतिधारण (mm) है और Ia प्रारंभिक हानि (initial abstraction) (mm) है। हाइड्रोग्राफ मॉडलों में यह समीकरण प्रत्येक समय पद पर संचयी वर्षा पर लगाया जाता है ताकि वृद्धिशील अतिरिक्त वर्षा प्राप्त हो।

3.8.2 **कर्व नंबर.** AMC II पर CN, खंड 3.7 के HSG के लिए, तालिका 3.5 से लिया जाएगा।

तालिका 3.5 — अपवाह कर्व नंबर, AMC II, Ia = 0.2S (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c)

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D
विकास-पूर्व संदर्भ (खंड 3.3.2): खुला स्थान, अच्छी दशा (घास > 75%)	39	61	74	80
खुला स्थान, मध्यम दशा (घास 50–75%)	49	69	79	84
खुला स्थान, खराब दशा (घास < 50%)	68	79	86	89
अपारगम्य: छतें, पक्की पार्किंग, ड्राइववे, कर्ब और ड्रेन वाली पक्की सड़कें	98	98	98	98
खुली खाइयों वाली पक्की सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	83	89	92	93
बजरी की सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	76	85	89	91
कच्ची सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	72	82	87	89
नए समतल किए गए क्षेत्र (पारगम्य, कोई वनस्पति नहीं)	77	86	91	94
परती, खुली मिट्टी	77	86	91	94
घास का मैदान (निरंतर घास, चराई से सुरक्षित)	30	58	71	78
झाड़ी, अच्छी दशा	30	48	65	73
वन, अच्छी दशा	30	55	70	77
वन, मध्यम दशा	36	60	73	79
वन, खराब दशा	45	66	77	83
जल सतहें, तालाब के जल-फैलाव क्षेत्र, आर्द्र अस्थायी भंडारण बेसिन	अपवाह = वर्षा (कोई हानि नहीं)			

3.8.3 **तालिका 3.5 का उपयोग.**

- (a) विकास-पश्चात CN मापी गई सतहों से बनाया जाएगा (खंड 3.9)। साइट के लिए TR-55 की शहरी जिला और आवासीय भूखंड-आकार पंक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (b) विकास-पश्चात स्थिति में पारगम्य क्षेत्रों के लिए "खुला स्थान" उस दशा में लिया जाएगा जो लैंडस्केप योजना से प्राप्त होगी। जहाँ कोई लैंडस्केप योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, वहाँ मध्यम दशा लागू होती है।

- (c) TR-55 की जोती गई भूमि की पंक्तियों का उपयोग साइट के बाहर की विद्यमान स्थितियों के लिए किया जा सकता है, किंतु खंड 3.3.2 के विकास-पूर्व संदर्भ के लिए कभी नहीं।

3.8.4 **पूर्ववर्ती नमी.** AMC खंड 2.11.4 के अनुसार होगी: कन्हार (kanhar) या डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि पर स्थित साइट पर, किसी तालाब (talab) में पानी छोड़ने वाली साइट पर, और घाटी-तल पर, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि जो भी हो, AMC III; किसी जलाशय या बैराज के जलाशय में, हीराकुंड के बैकवाटर में, किसी खदान के गड्ढे में, या किसी ऐसे नदी-भाग में जिसका CWC स्थल अपने चेतावनी स्तर पर या उससे ऊपर हो, पानी छोड़ने वाले जलग्रहण क्षेत्र में, वर्ष के किसी भी समय, प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III; किसी अन्य साइट या समय पर ऐसी डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III जो 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय वर्षा योग के बाद आती हो या उसे अपने भीतर रखती हो; और अन्य प्रत्येक वर्षा घटना के लिए AMC II। AMC I और III के लिए CN, AMC II से इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा:

> CN(I) = 4.2 CN(II) / (10 − 0.058 CN(II)) CN(III) = 23 CN(II) / (10 + 0.13 CN(II))

यह रूपांतरण **केवल पारगम्य घटक पर** लगाया जाएगा। अपारगम्य सतहें सभी AMC के लिए CN 98 पर रहती हैं। संयुक्त CN को सीधे परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। AMC III पर विकास-पूर्व संदर्भ CN हैं: HSG A 59.5; HSG B 78.2; HSG C 86.7; HSG D 90.2।

3.8.5 **प्रारंभिक हानि.**

- (a) **डिफॉल्ट:** तालिका 3.5 के CN के साथ Ia = 0.2S।
- (b) **संवेदनशीलता रन (अनिवार्य):** प्रत्येक भंडारण डिजाइन को Ia = 0.05S के साथ भी चलाया जाएगा। इस रन के लिए S को S0.05 = 1.33 · S0.20^1.15 (S इंच में) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जो SI में है:

  > S0.05 = 25.4 × 1.33 × (S0.20 / 25.4)^1.15 (mm)

- (c) डिजाइन डिफॉल्ट रन पर आधारित होगा। संवेदनशीलता के परिणाम प्रपत्र 3-2 में दर्ज किए जाएँगे। जहाँ संवेदनशीलता रन आवश्यक प्रतिधारण आयतन या जल गुणवत्ता आयतन को बढ़ाता है, वहाँ उस आयतन के लिए बड़ा मान लागू होगा।

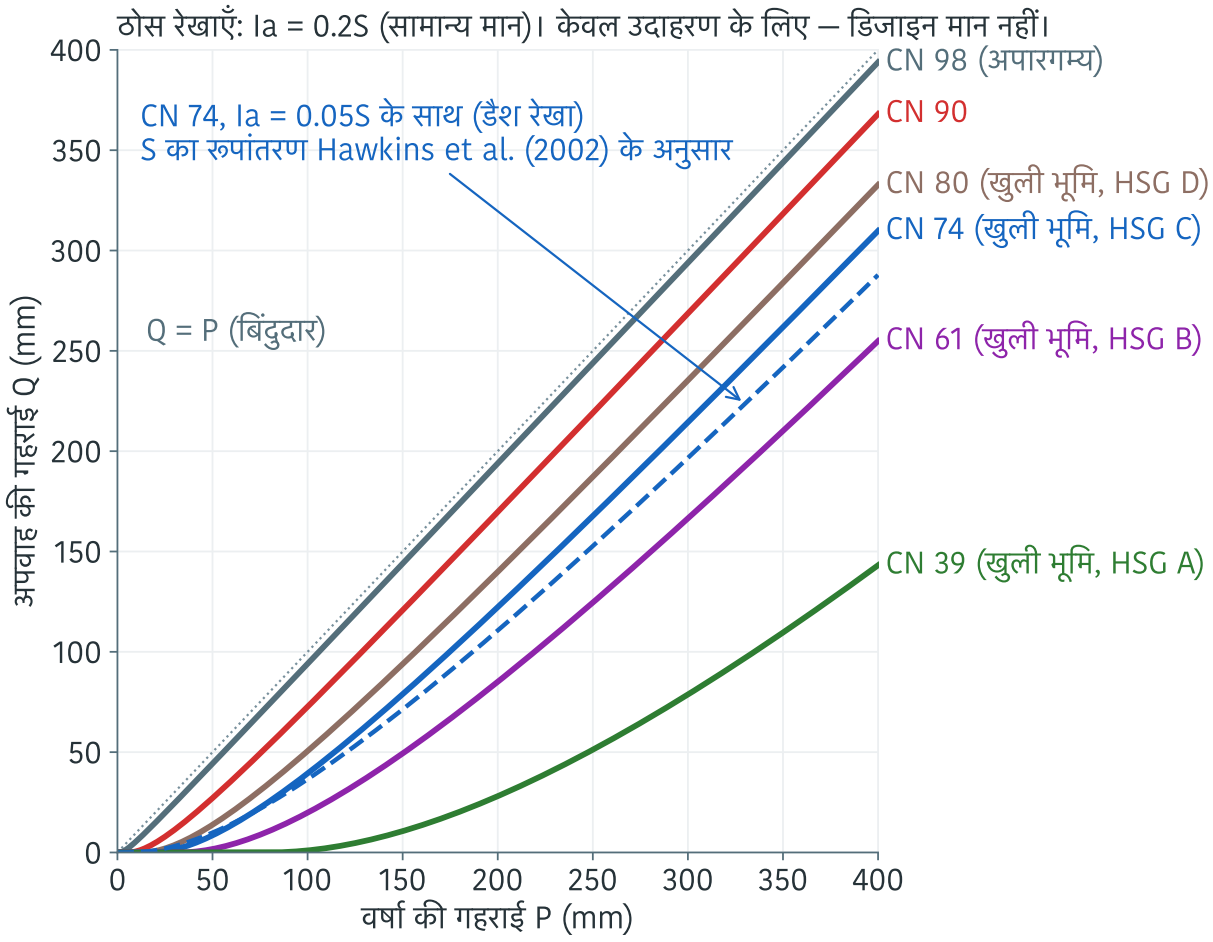

चित्र 3.3 — Ia = 0.2S पर चयनित कर्व नंबरों के लिए SCS-CN अपवाह की गहराई बनाम वर्षा की गहराई, CN 74 के लिए Ia = 0.05S संवेदनशीलता स्थिति के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 10 (2004) और USDA SCS TR-55 (1986) के अपवाह समीकरण, और Hawkins et al. (2002) के S-रूपांतरण से परिकलित। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।

भाष्य. तालिका 3.5 मानक NRCS TR-55 (1986) मानों को दोहराती है। ये अमेरिकी जलग्रहण क्षेत्रों से निकाले गए थे और छत्तीसगढ़ में इनका अंशांकन नहीं हुआ है। AMC रूपांतरण समीकरण Chow, Maidment और Mays (1988, §5.5) द्वारा दिए गए मानक NEH-4 संबंध हैं। केवल पारगम्य घटक का रूपांतरण APWA के अनुसार है, जो कहता है कि "संयुक्त पूर्ववर्ती नमी स्थितियों का सीधा रूपांतरण उचित नहीं है" ("direct conversion of composite antecedent moisture conditions is not appropriate") (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2C)। संयुक्त CN को परिवर्तित करने से अपारगम्य भाग का CN गलत रूप से कम हो जाएगा।

Ia = 0.2S मूल NRCS अनुपात है। अमेरिकी वर्षा–अपवाह आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि औसतन 0.05S बेहतर बैठता है (Hawkins et al., 2002; Woodward et al., 2003), और उसी से 3.8.5(b) का रूपांतरण मिला। NRCS ने औपचारिक रूप से 0.2S को प्रतिस्थापित नहीं किया है, इसलिए यह मैनुअल इसे डिफॉल्ट के रूप में रखता है। चित्र 3.3 दर्शाता है कि संवेदनशीलता रन क्यों आवश्यक है: CN 74 के लिए 0.05S स्थिति छोटी वर्षा घटनाओं में **अधिक** अपवाह देती है (25 mm वर्षा से लगभग 2.0 mm बनाम 0.5 mm), किंतु बड़ी वर्षा घटनाओं में **कम** (350 mm से लगभग 242 mm बनाम 262 mm)। *केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।* अतः यह अनुपात प्रतिधारण और जल गुणवत्ता आयतनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और चरम प्रवाह तथा अस्थायी भंडारण डिजाइन के लिए डिफॉल्ट 0.2S सुरक्षित पक्ष का विकल्प है। 3.8.5(c) के इस नियम का कि बड़ा प्रतिधारण या जल गुणवत्ता आयतन लागू होगा, कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि 0.05S स्थिति उन छोटी वर्षा घटनाओं से अधिक अपवाह देती है जिनसे ये आयतन निर्धारित होते हैं।

3.9 अपारगम्य क्षेत्रों की संबद्धता

3.9.1 **वर्गीकरण.** विकास-पश्चात स्थिति में प्रत्येक अपारगम्य सतह को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी (DCIA) या असंबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और जल निकासी नक्शे पर दर्शाया जाएगा।

3.9.2 **वरीय निरूपण.** हाइड्रोग्राफ मॉडलों में DCIA और पारगम्य क्षेत्रों को अलग-अलग उप-भागों के रूप में (या SWMM उप-जलग्रहण क्षेत्र के अलग अपारगम्य और पारगम्य अंशों के रूप में) मॉडल किया जाएगा, और प्रत्येक के अपने हानि प्राचल होंगे। असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्रों के अपवाह को प्राप्तकर्ता पारगम्य क्षेत्र पर रूट किया जाएगा।

3.9.3 **असंबद्धता के मानदंड.** किसी अपारगम्य क्षेत्र को असंबद्ध के रूप में केवल तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) उसका अपवाह बिना किसी पाइप, चैनल या कर्ब के, परत प्रवाह के रूप में किसी पारगम्य क्षेत्र पर गिरता है;
- (b) पारगम्य प्रवाह मार्ग कम से कम उतना लंबा है जितना उसमें पानी देने वाला अपारगम्य प्रवाह मार्ग;
- (c) पारगम्य क्षेत्र संघनित नहीं है, HSG D नहीं है, और अनुमोदित योजना द्वारा पक्का किए जाने से सुरक्षित है; और
- (d) 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के लिए, उसका पानी किसी RWH संप या टैंक में नहीं जाता (खंड 3.3.3(c))।

3.9.4 **संयुक्त CN.** जहाँ 3.9.2 के स्थान पर एक ही संयुक्त CN का उपयोग किया जाता है, वहाँ उसकी गणना इस प्रकार की जाएगी:

- प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र के लिए: $CN_c = CN_p + (P_{imp} / 100)(98 - CN_p)$;
- जहाँ कुल अपारगम्य क्षेत्र 30% से कम है और उसका कुछ भाग असंबद्ध है: $CN_c = CN_p + (P_{imp} / 100)(98 - CN_p)(1 - 0.5\,R)$,

जहाँ CN_p पारगम्य CN है, P_{imp} अपारगम्य क्षेत्र का प्रतिशत है और R असंबद्ध और कुल अपारगम्य क्षेत्र का अनुपात है। संयुक्त CN का उपयोग प्रतिधारण या जल गुणवत्ता आयतनों के लिए नहीं किया जाएगा।

> **भाष्य.** संयुक्त समीकरण TR-55 (USDA SCS, 1986, Ch. 2, Figures 2-3 और 2-4) से लिए गए हैं। यह मैनुअल 3.9.2 में अलग निरूपण को इसलिए वरीयता देता है क्योंकि संयुक्त CN अपारगम्य प्रतिक्रिया को पूरे क्षेत्र पर फैला देता है, जिससे छोटी वर्षा घटनाओं का अपवाह दब जाता है। HSG B खुले स्थान (CN 61) पर 50% प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र वाली साइट के लिए, 25 mm वर्षा से दोनों भागों को अलग-अलग मॉडल करने पर लगभग 9.9 mm अपवाह मिलता है, किंतु 79.5 के संयुक्त CN से केवल लगभग 1.8 mm। 200 mm पर दोनों विधियाँ मेल खाती हैं (139.5 mm बनाम 138.4 mm)। *केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।* त्रुटि उन बार-बार होने वाली वर्षा घटनाओं के लिए सबसे अधिक है जिनसे प्रतिधारण और जल गुणवत्ता आयतन निर्धारित होते हैं। 3.9.3 के असंबद्धता मानदंड इस मैनुअल द्वारा, अमेरिका के अपवाह-कमी मैनुअलों की सामान्य पद्धति के आधार पर, निर्धारित हैं। मानदंड (d) खंड 3.3.3(c) के इस नियम के अनुसार है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं के आरंभ में RWH संप भरे होते हैं।

3.10 भूजल, उच्च भूजल स्तर और तालाब का पश्चजल

3.10.1 **उच्च भूजल स्तर (द्वि-HSG).** जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर भू-सतह से 0.6 m के भीतर है, वहाँ मृदा को, उसकी बनावट जो भी हो, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात दोनों रन के लिए HSG D दिया जाएगा, जब तक कि उसकी निकासी अध्याय 10 के अंतर्गत अनुरक्षित कार्यों द्वारा स्थायी रूप से न की जाती हो। यह नियम 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं पर, जो AMC III पर चलाई जाती हैं (खंड 2.11.4), प्रत्येक स्थिति में लागू होता है।

3.10.2 **भूजल स्तर के आँकड़े.** मौसमी उच्चतम भूजल स्तर दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून–सितंबर) में अभिलिखित उच्चतम स्तर के रूप में लिया जाएगा, जो साइट के पीजोमीटरों या परीक्षण गड्ढों से, या केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) या जल संसाधन विभाग के निकटतम प्रेक्षण कुएँ से, भूतल के स्तर के लिए समायोजित करके, प्राप्त हो।

3.10.3 **अंतःस्यंदन-आधारित हानियाँ.** जहाँ SCS-CN के स्थान पर ग्रीन–एम्प्ट (Green–Ampt), हॉर्टन (Horton) या मृदा-नमी लेखांकन (soil-moisture accounting) हानियों का उपयोग किया जाता है, वहाँ किसी भी वर्षा घटना में संचयी अंतःस्यंदन मौसमी उच्चतम भूजल स्तर के ऊपर मृदा में उपलब्ध भंडारण से अधिक नहीं होगा।

3.10.4 **तालाब और जलाशय का पश्चजल.** जहाँ कोई साइट या उप-जलग्रहण क्षेत्र किसी तालाब (tank), तालाब (talab), दलदल या अन्य जलाशय में पानी छोड़ता है:

- (a) प्राप्तकर्ता जलाशय का जल स्तर, अध्याय 5 और अध्याय 7 के अनुसार, मॉडल की अनुप्रवाह सीमा-स्थिति के रूप में लगाया जाएगा;
- (b) डिजाइन घटना में प्राप्तकर्ता जलाशय के स्तर से नीचे की भूमि (FTL से नीचे तालाब के अग्रतट सहित) को बिना किसी हानि के जल सतह या भंडारण के रूप में मॉडल किया जाएगा; और
- (c) जहाँ आउटफॉल जलाशय के स्तर से डूबा हुआ है, वहाँ रूटिंग में खंड 3.12.4 की डायनेमिक-वेव विधि का उपयोग किया जाएगा।

> **भाष्य.** द्वि-समूह नियम NEH Part 630, Ch. 7 (USDA NRCS, 2009) के अनुसार है, जो सतह से 60 cm (24 in) के भीतर भूजल स्तर वाली गीली मृदाओं को उनकी बिना निकासी वाली अवस्था में समूह D में रखता है, और जहाँ निकासी व्यवहार्य हो वहाँ द्वि-समूह (A/D, B/D, C/D) देता है। यह मैनुअल लंबी वर्षा घटनाओं पर बिना निकासी वाला समूह इसलिए लागू करता है क्योंकि मानसून में छत्तीसगढ़ के मैदान का भूजल स्तर सतह के निकट तक उठ आता है। 2023 के आकलन में मानसून से पहले राज्य के 52% प्रेक्षण कुओं में भूजल स्तर भूतल से 5–10 m नीचे था, किंतु उसके बाद लगभग 76% में 5 m के भीतर था, जिनमें से 17.6% में 2 m के भीतर (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024*)। रायपुर जिले में गहराई मानसून से पहले 1.69–13.97 m और उसके बाद 0.87–7.05 m थी, और दुर्ग जिले में 1.31–24.9 m और 0.7–17.93 m (CGWB की जिला पुस्तिकाएँ, लगभग 2007), जबकि नवा रायपुर में खुले कुओं में पानी 6–10 m पर था (नया रायपुर विकास योजना-2031)। गीली स्थितियाँ ये हैं: कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि, जिसकी चिकनी मिट्टी से पानी धीरे निकलता है और जिसके मेड़बंद खेत पूरी ऋतु पानी में डूबे रहते हैं; खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी और इंद्रावती के डूब क्षेत्र; रायपुर के तालाबों (talab), नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों और बैराज के जलाशयों के किनारे; और रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की वह भूमि जहाँ तक ओडिशा में हीराकुंड जलाशय का बैकवाटर पहुँचता है, जो छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों को आंशिक रूप से डुबोता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। गोंडवाना कोयला क्षेत्रों में भूजल "कभी-कभी, प्रवाही अवस्था में मिलता है" ("sometimes, occurs under flowing conditions") (CGWB, 2024), जबकि कोरबा की खदानों के आसपास निर्जलीकरण ने कुसमुंडा और गेवरा के गड्ढों से लगभग 1.2 km तक भूजल स्तर नीचे कर दिया है (Singh et al., 2023, प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए कोयला क्षेत्र की एक साइट गीली और अगली सूखी हो सकती है। अलग-अलग साइटों के लिए मानसून में भूजल स्तर की गहराइयाँ, और निचली भूमि या डूब क्षेत्रों के मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का कोई मानचित्र, प्राप्त नहीं हुए [TBC]; इन्हें परिशिष्ट 3A में दिया जाना है। खंड 3.10.4 राज्य के प्राप्तकर्ता जलों को दर्शाता है, जो तालाब, झीलें, जलाशय, बैराज के जलाशय और डैमों से रोकी गई नदियाँ हैं। रायपुर का पानी अपने तालाबों में और खारुन में जाता है, जिसका पथरीडीह (Pathardihi) पर उच्चतम स्तर 281.68 m (29 अगस्त 2020) है, जो 1994 के 279.21 m से बढ़ा है; इसके लिए कोई चेतावनी या खतरे का स्तर प्रकाशित नहीं है (CWC, SANDRP द्वारा लिखित रूप में)। बिलासपुर का पानी भैंसाझार (Bhaisajhar) बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 302.000 m, WRD) के नीचे अरपा में जाता है, कोरबा का दर्री बैराज और मिनीमाता बांगो के नीचे हसदेव में, और जगदलपुर का इंद्रावती में, जो राज्य की एकमात्र नदी है जिसके CWC चेतावनी और खतरे के स्तर मिले, 539.49 m और 540.80 m, और जिसका 544.68 m (9 जुलाई 1973) का उच्चतम स्तर 26 सितंबर 2026 को बढ़कर 544.891 m हो गया (CWC, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। समाचार माध्यमों की यह रिपोर्ट कि 26 सितंबर 2026 को इंद्रावती "12.56 m" पर, अपने खतरे के निशान से 4.26 m ऊपर, थी, एक स्थानीय गेज से संबंधित है, और दोनों प्रणालियों को मिलाया नहीं जाएगा (अध्याय 5)।

3.11 इकाई हाइड्रोग्राफ और अपवाह रूपांतरण

3.11.1 **अनुमत रूपांतरण.**

- (a) 25 km² से छोटे जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, और किसी बड़े मॉडल के किसी भी उप-भाग के लिए, SCS (NRCS) आयामहीन इकाई हाइड्रोग्राफ, वक्ररेखीय या त्रिभुजाकार;
- (b) काइनेमैटिक (kinematic) सतही प्रवाह के साथ SWMM का अरैखिक जलाशय (non-linear reservoir);
- (c) HEC-HMS में क्लार्क (Clark) या ModClark इकाई हाइड्रोग्राफ, जहाँ प्राचल खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकित हों; और
- (d) 25–5,000 km² के लिए CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (खंड 3.11.4)।

3.11.2 **SCS इकाई हाइड्रोग्राफ.** इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम और चरम तक समय इस प्रकार होगा:

> qp = PRF' · A · Q / tp, जहाँ PRF' = 0.208 (मानक चरम दर गुणक 484 का SI रूप) tp = Δt / 2 + tL, tL = 0.6 Tc

जहाँ qp चरम प्रवाह (m³/s) है; A क्षेत्रफल (km²) है; Q अपवाह की गहराई (mm) है, जो इकाई हाइड्रोग्राफ के लिए 1 mm के बराबर है; tp चरम तक समय (h) है; और Δt गणना अंतराल (h) है।

3.11.3 **गणना अंतराल और उप-भाग.**

- (a) Δt सबसे छोटे उप-भाग के 0.133 Tc से अधिक नहीं होगा, और न ही खंड 2.9.1 के हायटोग्राफ समय पद से अधिक होगा।
- (b) उप-भाग HSG, भू-आवरण और ढलान में यथोचित रूप से एकसमान होंगे। पारगम्य और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र, खंड 3.9.2 के अनुसार, अलग-अलग उप-भाग होंगे।

3.11.4 **CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ.** CWC उप-क्षेत्र 3(d) (Mahanadi), 3(g) (Indravati), 3(f) (Lower Godavari), 1(d) (Sone) या 3(c) (Upper Narmada and Tapi) में 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए:

- (a) SUH प्राचल, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, हानि दर, आधार प्रवाह (base flow), क्षेत्रीय न्यूनीकरण और समय वितरण लागू CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट से, सर्वेक्षण या DEM से मापे गए जलग्रहण क्षेत्र के भू-आकृतिक प्राचलों का उपयोग करके, लिए जाएँगे;
- (b) 24-घंटे की डिजाइन वर्षा खंड 2.3.3(b) और खंड 2.7.3 के अनुसार होगी, और खंड 2.8 का जलवायु गुणक लगाया जाएगा;
- (c) SUH का परिणाम विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के परिणाम के साथ प्रस्तुत किया जाएगा; और
- (d) जहाँ हाइड्रोग्राफ मॉडल CWC SUH से कम 1% AEP चरम प्रवाह देता है, वहाँ डिजाइनकर्ता या तो खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन द्वारा मॉडल को उचित ठहराएगा या CWC SUH का चरम प्रवाह लेगा।

3.11.5 **समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक.** मानक गुणक (484; PRF' = 0.208) डिफॉल्ट है। कम गुणक का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है:

- (a) बिना पाइप या पक्की जल निकासी वाली, बिना चैनल की समतल तटीय मैदानी भूमि के लिए;
- (b) जो भूमि बिना चैनल के रहती है उसके लिए विकास-पूर्व और विकास-पश्चात दोनों रन में एक ही प्रकार से; और
- (c) प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट 3D में अंशांकित मान अंगीकार किए जाने के बाद।

विकास-पश्चात स्थिति में पाइप, पक्की ड्रेन या कर्ब द्वारा निकासी वाली भूमि के लिए मानक गुणक का उपयोग किया जाएगा।

भाष्य. SCS इकाई हाइड्रोग्राफ, 0.6 का पश्चता अनुपात और 0.133 Tc का अंतराल NEH Part 630, Ch. 16 (USDA NRCS, 2007) से लिए गए हैं। अंतराल इकाई हाइड्रोग्राफ की ज्यामिति से निकलता है: tp = Δt/2 + 0.6 Tc और Tc + Δt = 1.7 tp होने पर Δt = 0.133 Tc। SI स्थिरांक 0.208, 484 (cfs, mi², in, h) का सीधा रूपांतरण है। APWA अपने आधार के रूप में SCS आयामहीन इकाई हाइड्रोग्राफ का उपयोग करता है (2011, §5602.5)। CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए SUH प्राचलों के समाश्रयण (regression) समीकरण, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, एक स्थिर हानि दर, और ARF तथा समय-वितरण वक्र देती हैं (CWC 1987, 1993, 1995, 1997 और 2002; अध्याय 2 देखें)। ये प्राकृतिक, अधिकांशतः ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों से ऐसे आँकड़ों से निकाले गए थे जो 1987 से 2002 की रिपोर्टों से पहले के हैं (उप-क्षेत्र 3(d) के संबंधों के पीछे के छत्तीसगढ़ के पाँच जलग्रहण क्षेत्र 1959 और 1994 के बीच गेज किए गए थे), इसलिए ये शहरीकृत नहीं, बल्कि विकास-पूर्व स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण SUH को विकास-पश्चात मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि तुलना-मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। खंड 3.11.4(d) खंड 2.3.3 के न्यूनतम सीमा सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय अध्ययनों में HEC-HMS को CWC उप-क्षेत्र SUH प्रतिक्रियाओं के सापेक्ष अंशांकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि दोनों को जोड़ा जा सकता है।

3.11.5 के कम-गुणक विकल्प का आधार NRCS का डेलमार्वा (Delmarva) इकाई हाइड्रोग्राफ है, जो डेलमार्वा प्रायद्वीप के समतल, कम चैनल वाले तटीय मैदानी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए 284 (PRF' ≈ 0.122) के चरम दर गुणक का उपयोग करता है (Welle et al., 1980, जैसा NRCS ने अपनाया; New Jersey Department of Agriculture, Delmarva bulletin, जो 285 का उपयोग करता है)। कम गुणक कम और देर से आने वाला चरम प्रवाह देता है। केवल विकास-पूर्व रन में प्रयुक्त करने पर यह Q_pre को कम करेगा और निकास सीमा को अधिक कठोर बनाएगा; पाइप वाले विकास-पश्चात रन में प्रयुक्त करने पर यह Q_post को कम आँकेगा। खंड 3.11.5(b) दोनों पूर्वाग्रहों को रोकता है।

3.12 रूटिंग

3.12.1 **भंडारण रूटिंग.** अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण सुविधाओं, तालाबों, पोखरों और तटबंधों के पीछे के किसी भी भंडारण से होकर रूटिंग में स्तर-ताल रूटिंग (level-pool; modified Puls, storage-indication) का उपयोग किया जाएगा, जिसमें:

- (a) डिजाइन समतलन या सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण संबंध;
- (b) प्रत्येक आउटलेट (ऑरिफिस, वियर, सरप्लस वियर, पंप) के लिए जल स्तर–प्रवाह दर संबंध, जिसमें अध्याय 4 का न्यूनतम ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली सम्मिलित हैं; और
- (c) जहाँ टेलवाटर आउटलेट के हेड–प्रवाह दर संबंध को प्रभावित करता है, वहाँ अध्याय 5 की टेलवाटर सीमा-स्थिति।

3.12.2 **चैनल रूटिंग.** चैनलों और ड्रेन से होकर रूटिंग में मस्किंगम–कुंज (Muskingum–Cunge) विधि का, या चैनल ज्यामिति या अंशांकन से निकाले गए प्राचलों K और X के साथ मस्किंगम विधि का, उपयोग किया जाएगा। मस्किंगम विधि के लिए रूटिंग अंतराल Δt, $2KX \le \Delta t \le 2K(1 - X)$ को संतुष्ट करेगा।

3.12.3 **आनुषंगिक भंडारण.** सड़क तटबंधों, पुलियों या सीमा दीवारों के पीछे का ऐसा भंडारण जो किसी अनुमोदित सुविधा का भाग नहीं है, डिजाइन में तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि उसका डिजाइन आयु तक रखरखाव किया जाएगा।

3.12.4 **डायनेमिक-वेव रूटिंग.** डायनेमिक-वेव (पूर्ण सेंट-वेनांट, Saint-Venant) रूटिंग का, SWMM में या HEC-RAS के अस्थिर प्रवाह (unsteady flow) में, उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ:

- (a) आउटफॉल ज्वारीय, नदी या तालाब के पश्चजल के अधीन है (अध्याय 5, खंड 3.10.4);
- (b) प्रवाह उलट सकता है, या नेटवर्क में लूप या अतिप्रवाह कड़ियाँ हैं; या
- (c) डिजाइन घटना में नेटवर्क सरचार्ज होता है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन डिजाइन को निर्धारित करती है।

3.12.5 **तालाब शृंखलाएँ.** शृंखला के प्रत्येक तालाब को खंड 3.12.1 के अनुसार, सरप्लस वियर और स्लूइस के हेड–प्रवाह दर संबंधों और अध्याय 7 के प्रलेखित प्रचालन नियम के साथ, रूट किया जाएगा। प्रत्येक तालाब का प्रारंभिक जल स्तर FTL होगा, जब तक कि सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) कम स्तर का समर्थन न करे।

भाष्य. भंडारण के लिए modified Puls रूटिंग और चैनलों के लिए मस्किंगम–कुंज APWA की अपेक्षाएँ हैं (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.8)। APWA तटबंधों के पीछे के "आनुषंगिक अस्थायी भंडारण" ("incidental detention") को भी बाहर रखता है, जब तक कि उसका रखरखाव न किया जाए, और 3.12.3 यही नियम अपनाता है। CPHEEO की अस्थायी भंडारण प्रक्रिया 3.12.1 वाले ही तीन इनपुट का उपयोग करती है: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, जल स्तर–भंडारण वक्र और जल स्तर–प्रवाह दर वक्र (CPHEEO 2019, Part A §8.5.3)। मस्किंगम स्थिरता सीमाएँ मानक हैं (Chow, Maidment और Mays, 1988, §8.4)। यह मैनुअल 3.12.5 में तालाबों (talab), झीलों और जलाशयों को FTL से इसलिए आरंभ करता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे भारी वर्षा मानसून के मध्य और अंतिम भाग में ऐसे जलाशयों पर होती है जिनमें पहले की वर्षा का पानी आ चुका होता है और जिन्हें जल निकासी के लिए खाली नहीं किया जाता। राज्य की वार्षिक वर्षा का लगभग 90% जून से सितंबर में होता है, और जुलाई और अगस्त में उसका "लगभग 58%" ("nearly 58%") आता है; 1891–2014 में राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफानों (storms) और अवदाबों में से 27 जुलाई में, 19 अगस्त में, 8 सितंबर में और 21 अक्तूबर में आए (IMD, *Climate of Chhattisgarh*, 2015)। केंद्रों की सबसे बड़ी 24-घंटे की वर्षाएँ मानसून के प्रत्येक महीने में और अक्तूबर में हुई हैं: 30 जून 2007 को रायपुर में 297.0 mm, 14 जुलाई 2009 को रायपुर में 275.2 mm, 4 अगस्त 1910 को रायपुर (वेधशाला) पर 370.3 mm, जो शहर का रिकॉर्ड है, 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm और 8 अक्तूबर 1994 को पेंड्रा रोड में 228.1 mm (IMD)। रायपुर के तालाबों के बारे में, जो 69.239 ha पर लगभग 40 हैं, बताया जाता है कि वे "प्रदूषित और भारी गाद से भरे" ("polluted and heavily silted") हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और शहर के किसी भी तालाब का कोई प्रकाशित प्रचालन नियम या जल स्तरों का अभिलेख नहीं है [TBC]। नवा रायपुर अटल नगर की योजना प्राकृतिक जलाशयों के एक जाल के चारों ओर बनाई गई थी, एक विवरण के अनुसार 55, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh) और खंडवा (Khandawa) झीलें सम्मिलित हैं, जिन्हें वे चैनल और उद्यान पानी देते हैं जो वर्षा जल उन तक ले जाते हैं, और उसकी विकास योजना अपेक्षा करती है कि वर्षा जल निकासी प्रणाली का वर्षा जल "खोदी गई या प्राकृतिक झीलों/ गर्तों में" ("into dug up or natural lakes/ depressions") संग्रहित किया जाए (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2; गिनती प्रकाशित खबरों के अनुसार है); वर्षा जल के भंडारण के लिए बनी झील अगली वर्षा घटना आने पर भरी होती है। शहरों के आसपास WRD के जलाशय और बैराज, जैसे रायपुर जिले में कुम्हारी (Kumhari) (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 289.170 m) और पेंड्रावन (Pendrawan) (288.110 m) और बिलासपुर के ऊपर अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज (302.000 m), भंडारण कार्य हैं जिनके स्तर WRD उनके जलाशय के पूर्ण जल स्तरों के सापेक्ष बताता है (WRD, 10 अक्तूबर 2024 की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट), और रविशंकर सागर (गंगरेल) 348.68 m पर, 99.49% भरा हुआ, था जब उसने अक्तूबर 2025 के आरंभ में लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राज्य के शहरों का कोई भी तालाब, झील या जलाशय ऐसा नहीं मिला जिसके बाढ़ के लिए जल स्तर कम करने (flood drawdown) का कोई प्रकाशित प्रचालन नियम हो [TBC]। इसलिए तालाबों, झीलों और जलाशयों को जुलाई से भरा माना जाना चाहिए, गेट वाले जलाशय या बैराज का मॉडल WRD से प्राप्त उसके गेट नियम के साथ बनाया जाना चाहिए, और किसी जलाशय का मॉडल FTL से नीचे केवल वहीं बनाया जाना चाहिए जहाँ खंड 3.13 के अंतर्गत सतत सिमुलेशन या कोई अधिसूचित प्रचालन नियम इसका समर्थन करे। खंड 3.13.5(a) में 1 जुलाई से 15 अक्तूबर की अवधि इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह तब आरंभ होती है जब मानसून सामान्यतः राज्य को सम्मिलित कर चुका होता है, "20 जून तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों" ("most parts of Chhattisgarh by 20th June") को (आगमन की नई सामान्य तिथि जगदलपुर में 11–13 जून, रायपुर और पेंड्रा रोड में 16 जून और बिलासपुर और बलरामपुर में 17 जून; IMD, Pai et al., 2020), क्योंकि देर से आगमन या सूखा जून, जैसे 2026 में मानसून का रुका हुआ आगे बढ़ना, जब 1 जून से 2 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 54% कम वर्षा हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), प्रारंभिक स्तर को कम कर देगा। यह 15 अक्तूबर को समाप्त होती है, जो वापसी की वह सामान्य तिथि है जिसे रायपुर में IMD का मौसम विज्ञान केंद्र लेता है, क्योंकि वापसी की नई सामान्य तिथि पेंड्रा रोड, बिलासपुर और रायपुर में 7–9 अक्तूबर और जगदलपुर में 12–14 अक्तूबर है (IMD, Pai et al., 2020), और अक्तूबर में वर्षा घटनाएँ प्रायः होती हैं: 100 चक्रवाती तूफानों और अवदाबों में से 21 उसी महीने में आए, और 1 अक्तूबर 1961 को अंबिकापुर में 206.0 mm दर्ज हुई (IMD)। पंप, गेट और फ्लैप वाल्व 20 अक्तूबर तक, और बस्तर संभाग में 31 अक्तूबर तक, स्टैंडबाय पर रहते हैं (अध्याय 10), जो इस अवधि से थोड़ा अधिक है, ताकि वापसी के बाद राज्य को पार करने वाली बंगाल की खाड़ी की प्रणालियाँ भी सम्मिलित हो जाएँ।

3.13 सतत सिमुलेशन

3.13.1 **कब अपेक्षित है.** डिजाइन वर्षा घटना विश्लेषण के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए सतत सिमुलेशन किया जाएगा:

- (a) 25 km² से अधिक की निकासी करने वाली क्षेत्रीय सुविधाएँ; और
- (b) ऐसी कोई भी प्रणाली जिसमें ऐसी तालाब श्रृंखला सम्मिलित है जिसका भंडारण डिजाइन में गिना जाता है (अध्याय 7)।

प्राधिकारी किसी भी ऐसी सुविधा के लिए भी इसकी अपेक्षा कर सकता है जहाँ प्रारंभिक भंडारण स्तर डिजाइन को निर्धारित करता है।

3.13.2 **वर्षा इनपुट.**

- (a) IMD या जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य अनुमोदित स्व-अभिलेखी वर्षामापी का सबसे लंबा उपलब्ध प्रति घंटा अभिलेख प्रयुक्त किया जाएगा।
- (b) जहाँ प्रति घंटा आँकड़े 30 वर्ष से कम के हैं, वहाँ अभिलेख को IMD के 0.25° ग्रिड दैनिक आँकड़ों से बढ़ाया जाएगा। पूरे ग्रिड अभिलेख (1901 से वर्तमान तक) का उपयोग किया जाना चाहिए; कम से कम सबसे हाल के 30 वर्षों का उपयोग किया जाएगा। दैनिक आँकड़ों को प्रस्तुति में बताई गई किसी विधि से प्रति घंटा आँकड़ों में विभाजित किया जाएगा और अतिव्यापी वर्षों के लिए प्रति घंटा वर्षामापी से उनकी जाँच की जाएगी। जहाँ लागू हो, ग्रिड मानों को खंड 2.7.1 के अंतर्गत बिंदु मानों में परिवर्तित किया जाएगा।
- (c) भविष्य की जलवायु वाला रन अभिलेख को खंड 2.8 के जलवायु गुणकों से मापित करेगा।

3.13.3 **मॉडल की विषय-वस्तु.** मॉडल में वाष्पीकरण (IMD पैन वाष्पीकरण या समतुल्य) के साथ मृदा-नमी लेखांकन, भूजल या आधार प्रवाह, प्रचालन नियमों और सिंचाई के लिए निकासी के साथ तालाब भंडारण, और अध्याय 5 की टेलवाटर श्रृंखला (तटीय आउटफॉल के लिए पूर्वानुमानित ज्वार और महोर्मि के लिए अतिरिक्त प्रावधान) सम्मिलित होंगे।

3.13.4 **परिणामों का उपयोग.** जल स्तर, भंडारण और आयतन के वार्षिक अधिकतम मान, और आउटफॉल बंद रहने की अवधि, निकाले जाएँगे और उन पर आवृत्ति विश्लेषण फिट किया जाएगा। परिणामों की तुलना डिजाइन वर्षा घटना के परिणामों से की जाएगी। प्रत्येक AEP पर अधिक गंभीर परिणाम लागू होगा। जहाँ सतत अभिलेख दैनिक आँकड़ों से विभाजित किया गया था, वहाँ एक दिन से कम प्रतिक्रिया समय वाली ड्रेन और चैनलों के चरम प्रवाह डिजाइन वर्षा घटना विश्लेषण से लिए जाएँगे, क्योंकि विभाजित प्रति घंटा चरम मान कृत्रिम होते हैं।

3.13.5 **दो-पदीय पद्धति.** सतत सिमुलेशन में पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल का उपयोग आवश्यक नहीं है। इसमें दैनिक या प्रति घंटा समय पद पर एक सरलीकृत जलवैज्ञानिक और भंडारण मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, जो 3.13.3 की मृदा नमी, भूजल, तालाब भंडारण, प्रचालन नियमों और टेलवाटर का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके परिणाम पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल के डिजाइन वर्षा घटना रनों को निम्नलिखित रूप में दिए जाएँगे:

- (a) **प्रत्येक तालाब का प्रारंभिक स्तर**, जो अभिलेख की अवधि में 1 जुलाई से 15 अक्तूबर तक के 10% दिनों में पार होने वाला स्तर लिया जाएगा; और
- (b) **पूर्ववर्ती मृदा-नमी स्थिति**, जो उन्हीं दिनों से ली जाएगी और खंड 3.8 के AMC नियम से तुलना की जाएगी।

डिजाइनकर्ता यह दर्शाएगा कि सरलीकृत मॉडल कम से कम एक दर्ज घटना के लिए पूर्ण मॉडल के जल संतुलन को दोहराता है।

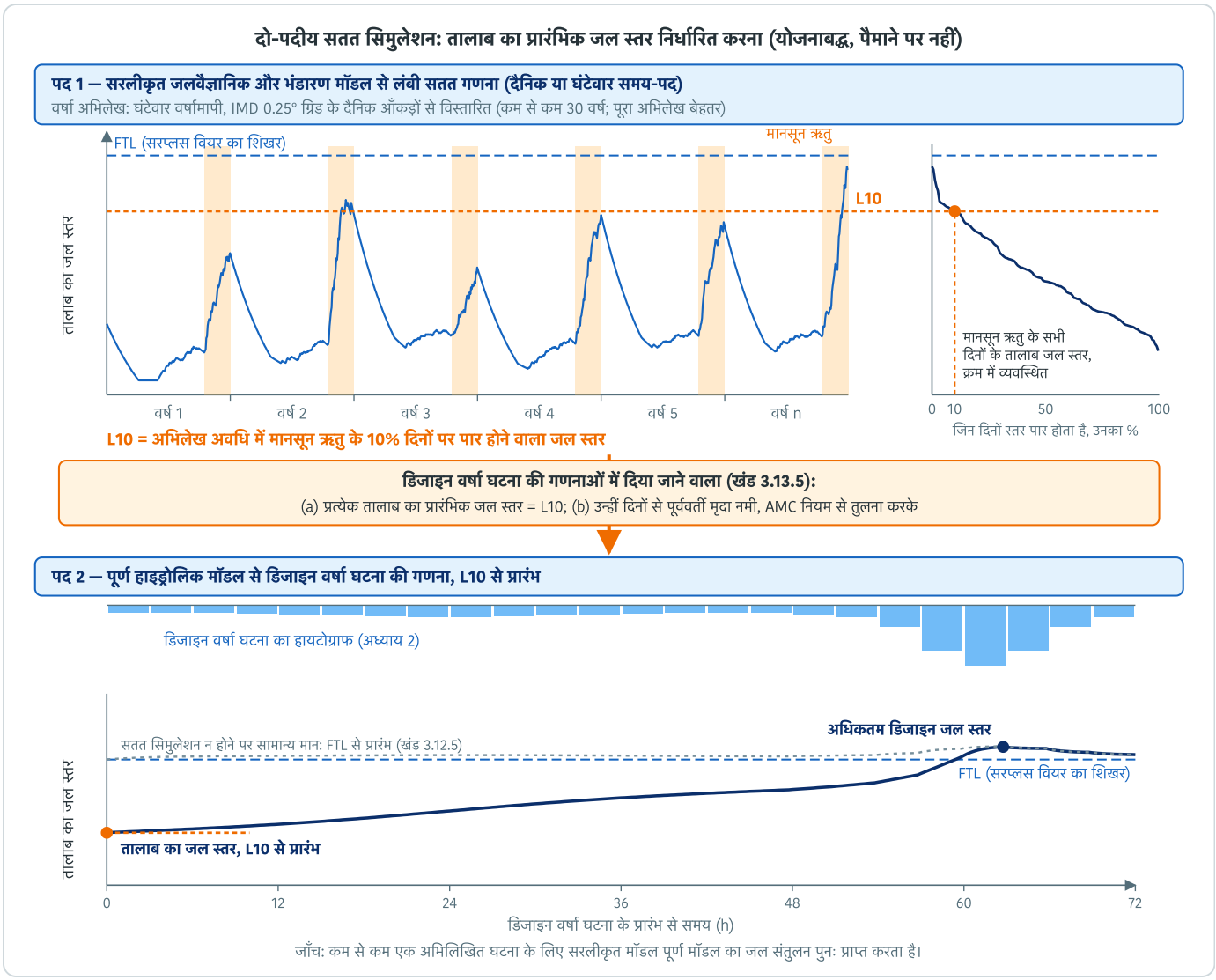

चित्र 3.4 — खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति। पद 1: सरलीकृत जलवैज्ञानिक और भंडारण मॉडल से एक लंबा सतत रन 1 जुलाई से 15 अक्तूबर तक के 10% दिनों में पार होने वाला तालाब का स्तर (L10) देता है। पद 2: डिजाइन वर्षा घटनाएँ पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल में खंड 3.12.5 के FTL वाले डिफॉल्ट प्रारंभ के स्थान पर उसी प्रारंभिक स्तर से चलाई जाती हैं। योजनाबद्ध, वास्तविक आँकड़े नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, जो खंड 3.13.5 में इस मैनुअल द्वारा निर्धारित दो-पदीय पद्धति को दर्शाती है।

भाष्य. डिजाइन वर्षा घटनाएँ एक ही प्रारंभिक स्थिति मानती हैं, किंतु तालाब शृंखला में निर्णायक चर यह है कि वर्षा घटना आने पर तालाब कितने भरे हैं, जो उससे पहले के हफ्तों की वर्षा पर निर्भर करता है। 20 वास्तविक साइट-स्तरीय अस्थायी भंडारण प्रणालियों के एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में पाया गया कि एक कालिक वितरण, या दस के समूह, पर आधारित डिजाइन भी वास्तविक वर्षा में "विश्वसनीय रूप से ऐसा OSD प्रणाली डिजाइन नहीं दे सकते जो सदा प्रभावी रहे" ("cannot reliably produce an OSD system design that will always be effective"), और सतत सिमुलेशन ने दर्शाया कि बार-बार होने वाली घटनाओं के चरम प्रवाह विकास-पूर्व स्तरों से अधिक थे (Water Science and Engineering, 2019)। 3.13.2(b) में 30 वर्ष की न्यूनतम अवधि खंड 2.3.2 के केंद्र IDF नियम के अनुरूप है; लंबा अभिलेख बेहतर है, और 1901 से आरंभ होने वाला IMD का ग्रिड दैनिक अभिलेख छत्तीसगढ़ के लिए व्यावहारिक लंबी शृंखला है। अभिलेख की लंबाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि सिमुलेशन किसलिए है। यहाँ इसका मुख्य प्रयोजन यह पता लगाना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटना आने पर तालाब और मृदा सामान्यतः कितने भरे होते हैं, और भारी वर्षा कितनी बार बंद आउटफॉल के साथ होती है। डिजाइन वर्षा घटना इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि वह एक मानी गई स्थिति से आरंभ होती है। इसका उद्देश्य शहरी ड्रेन में चरम प्रवाह के लिए डिजाइन वर्षा घटनाओं का स्थान लेना नहीं है। इसलिए खंड 3.13.5 लंबे रन को एक सरल भंडारण मॉडल से चलाने की अनुमति देता है, जिसमें कुछ ही मिनट लगते हैं, और तालाबों के प्रारंभिक स्तर विस्तृत हाइड्रोलिक मॉडल को देता है, जिसे

फिर केवल डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए चलाया जाता है। शहर के विस्तृत 1D–2D मॉडल को दशकों तक लगातार चलाना शायद ही कभी व्यावहारिक होता है और यह अपेक्षित नहीं है। 3.13.5(a) में 10% अतिक्रमण स्तर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: यह गीले किंतु असाधारण नहीं मानसून का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि डिजाइन वर्षा घटना ऐसे तालाबों पर आए जो पहले से अच्छी तरह भरे हों, जैसे वे अक्तूबर 2025 के आरंभ में थे, जब रविशंकर सागर (गंगरेल) 348.68 m पर, 99.49% भरा हुआ, था और उसने आठ गेटों से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, और सितंबर 2026 के अंत में, जब उसके सभी 14 गेट खोले गए और जगदलपुर पर इंद्रावती ने नया उच्चतम स्तर बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

3.14 विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना की प्रक्रिया

3.14.1 खंड 2.11 और अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित तुलना निम्नलिखित पदों द्वारा की जाएगी। परिणाम प्रपत्र 3-2 में दर्ज किए जाएँगे।

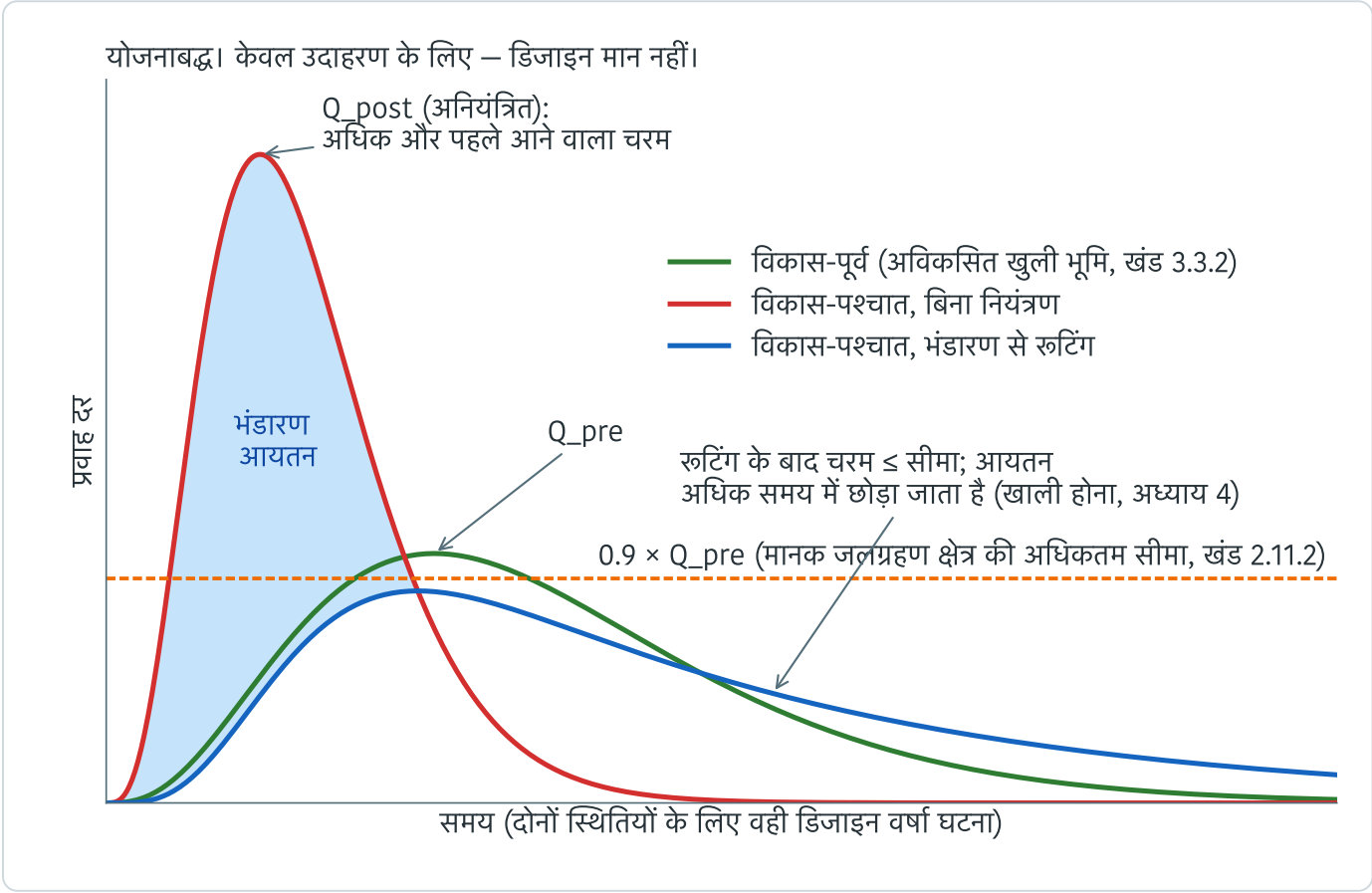

चित्र 3.5 — एक ही डिजाइन वर्षा घटना के लिए विकास-पूर्व, अनियंत्रित विकास-पश्चात और रूट किए गए विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A §8.5, 2019, और KC Metro APWA Section 5600, 2025.01 की विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात अस्थायी भंडारण अवधारणा से अनुकूलित। योजनाबद्ध। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।

3.14.2 **पद 1 — साइट, जलग्रहण क्षेत्र और तुलना बिंदु परिभाषित करें.**

- (a) सर्वेक्षण से साइट और उसकी ओर बहने वाले प्रत्येक क्षेत्र का सीमांकन करें।
- (b) प्रत्येक ऐसे POC की पहचान करें जहाँ अपवाह साइट से बाहर निकलता है। प्रत्येक POC की जाँच अलग से की जाएगी। मानदंड पूरा करने के लिए अपवाह को एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में नहीं मोड़ा जाएगा।

- (c) साइट के बाहर से आने वाले अपवाह को दोनों रन में उसकी विद्यमान स्थिति पर एक समान मॉडल करें (खंड 3.3.5(b))। जहाँ यह साइट के भंडारण से होकर गुजरता है, वहाँ मानदंड POC पर कुल बहिर्वाह पर लागू होता है।

3.14.3 **पद 2 — मृदा.** HSG का मानचित्रण करें (खंड 3.7), उच्च भूजल स्तर नियम (खंड 3.10.1) लागू करें और अंतःस्यंदन परीक्षण दर्ज करें।

3.14.4 **पद 3 — विकास-पूर्व मॉडल.** खंड 3.3.2 के अनुसार विकास-पूर्व मॉडल बनाएँ: अविकसित खुली भूमि का CN (तालिका 3.5), Tc (खंड 3.6, n = 0.15 के साथ), और विद्यमान जलाशय तथा चैनल। AMC II और AMC III पर CN की गणना करें।

3.14.5 **पद 4 — विकास-पश्चात मॉडल.** खंड 3.3.3 के अनुसार विकास-पश्चात मॉडल बनाएँ: मापे गए अपारगम्य क्षेत्र, संबद्धता (खंड 3.9), विक्षुब्ध मृदा का HSG, CN, Tc, और प्रस्तावित प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण और आउटलेट भंडारण के रूप में (खंड 3.12.1)।

3.14.6 **पद 5 — डिजाइन वर्षा घटनाएँ.** अध्याय 2 से प्रत्येक अपेक्षित AEP (50%, 10% और 1%; 2-, 10- और 100-वर्ष) और {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} की प्रत्येक अवधि के लिए तैयार करें:

- जलवायु गुणक (खंड 2.8) सहित गहराई, साइट के लिए ARF = 1.0 (खंड 2.7.4);
- हायटोग्राफ (खंड 2.9); और
- AMC (खंड 2.11.4)।

दोनों रन में वही वर्षा घटनाएँ प्रयुक्त की जाएँगी (खंड 2.11.1)।

3.14.7 **पद 6 — विकास-पूर्व मॉडल चलाएँ**, प्रत्येक वर्षा घटना के लिए, और Q_pre(T, d) को सारणीबद्ध करें। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए सभी अवधियों में 10% AEP का सबसे बड़ा विकास-पूर्व चरम प्रवाह पहचानें; वही मान खंड 2.11.3 की सीमा है।

3.14.8 **पद 7 — नियंत्रणों के बिना विकास-पश्चात मॉडल चलाएँ** और Q_post(T, d) तथा अपवाह आयतनों को सारणीबद्ध करें। इससे समस्या का आकार पता चलता है, और इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसकी जाँच नहीं की जाती।

3.14.9 **पद 8 — प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण जोड़ें.**

- (a) अध्याय 4 के प्रतिधारण आयतन को ऐसे भंडारण के रूप में दर्शाएँ जो अध्याय 4 के अंतर्गत सत्यापित अवधि के भीतर अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग में चला जाता है (POC की ओर नहीं छोड़ा जाता)।
- (b) शेष हाइड्रोग्राफ को अस्थायी भंडारण और आउटलेटों से होकर रूट करें (खंड 3.12.1)।
- (c) जहाँ आउटफॉल ज्वारीय है या पश्चजल के अधीन है, वहाँ अध्याय 5 का टेलवाटर, खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियों सहित, लागू करें।
- (d) भंडारण और आउटलेटों को तब तक समायोजित करें जब तक पद 9 पूरा न हो।

3.14.10 **पद 9 — मानदंड की जाँच करें**, प्रत्येक POC पर, प्रत्येक AEP और प्रत्येक अवधि के लिए:

- (a) मानक जलग्रहण क्षेत्र: 50%, 10% और 1% AEP के लिए Q_post(T) ≤ 0.9 × Q_pre(T) (खंड 2.11.2);
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र: Q_post(1% AEP) ≤ Q_pre(10% AEP), और Q_post(50% AEP) ≤ Q_pre(50% AEP) (खंड 2.11.3)।

भंडारण के लिए निर्णायक अवधि वह है जिसमें सबसे बड़े भंडारण की आवश्यकता होती है या जो सबसे ऊँचा जल स्तर देती है; 24, 48 और 72 h के रन सदा प्रस्तुत किए जाते हैं (खंड 2.5.2)।

3.14.11 **पद 10 — संवेदनशीलता रन.** निर्णायक वर्षा घटनाओं के लिए पद 6–9 को Ia = 0.05S (खंड 3.8.5) के साथ, और जहाँ कम चरम दर गुणक प्रयुक्त किया गया है वहाँ मानक गुणक (खंड 3.11.5) के साथ, दोहराएँ। चरम प्रवाहों और आवश्यक भंडारण में परिवर्तन प्रस्तुत करें।

3.14.12 **पद 11 — संबद्ध जाँचें.** अंतिम रूट किए गए मॉडल का उपयोग करके अध्याय 4 के खाली होने के समय, न्यूनतम ऑरिफिस और आपातकालीन स्पिलवे, अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद भंडारण जाँच, और अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण की जाँच करें।

3.14.13 **पद 12 — परिणामों का प्रलेखन** प्रपत्र 3-1 और 3-2 में करें (खंड 3.17)।

> **भाष्य.** पदों का क्रम मानक घटना-आधारित कार्यप्रवाह के अनुसार है: सीमांकन करें; विकास-पूर्व CN और Tc निर्धारित करें; विकास-पश्चात CN और कम Tc निर्धारित करें; एक जैसी वर्षा घटनाओं को इकाई हाइड्रोग्राफ या काइनेमैटिक मॉडल से चलाएँ; चरम प्रवाहों और आयतनों की तुलना करें; और modified Puls रूटिंग से भंडारण का आकार निर्धारित करें। इसमें छत्तीसगढ़ के तत्व जोड़े गए हैं: 48–72 h की वर्षा घटनाएँ, AMC III और टेलवाटर। चित्र 3.5 दर्शाता है कि लंबी अवधि के रन क्यों महत्वपूर्ण हैं: रूट किया गया चरम प्रवाह सीमा के भीतर हो सकता है, जबकि भंडारण विकास-पश्चात और विकास-पूर्व हाइड्रोग्राफ के बीच के आयतन के अंतर को रोके रखता है, जिसे फिर अध्याय 4 की सीमाओं के भीतर खाली होना होगा। 3.14.2(b) में जलग्रहण क्षेत्रों के बीच अपवाह मोड़ने पर रोक किसी साइट को प्रवाह को पड़ोसी की ड्रेन में भेजकर एक POC पर नियम पूरा करने से रोकती है।

3.15 मॉडल अंशांकन और वैधीकरण

3.15.1 **कब अपेक्षित है.** अंशांकन और वैधीकरण निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैं:

- (a) 25 km^2 या अधिक के जलग्रहण क्षेत्र मॉडल;
- (b) खंड 3.13 के अंतर्गत क्षेत्रीय सुविधाएँ और सतत सिमुलेशन;
- (c) शहर या बेसिन के जल निकासी मास्टर प्लान; और
- (d) ऐसा कोई भी मॉडल जिसके प्राचल इस अध्याय के डिफॉल्ट मानों से भिन्न हैं (उदाहरण के लिए क्लार्क रूपांतरण या कम चरम दर गुणक)।

3.15.2 **आँकड़े.** अंशांकन में प्रेक्षित वर्षा (वर्षामापी, और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ रडार) और प्रेक्षित प्रवाह या जल स्तर (WRD के गेजिंग स्थल, RMC या CGSDMA के स्तर संवेदक, तालाब गेज, या सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न) का उपयोग किया जाएगा।

3.15.3 **घटनाएँ.** अंशांकन के लिए कम से कम तीन स्वतंत्र घटनाओं का और वैधीकरण के लिए कम से कम एक और घटना का उपयोग किया जाएगा। कम से कम एक घटना दक्षिण-पश्चिम मानसून या चक्रवात की लंबी अवधि की घटना होगी (उदाहरण के लिए, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों, 30 जून 2007 की रायपुर की वर्षा घटना (24 घंटों में रायपुर में 297.0 mm और माना (रायपुर हवाई अड्डा) में 273.0 mm, IMD), 28–29 अगस्त 2020 की ऊपरी महानदी की बाढ़, जब खारुन ने पथरीडीह (Pathardihi) पर अपना उच्चतम स्तर बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), 25–28 अगस्त 2025 की बस्तर की बाढ़ें, या 24–27 सितंबर 2026 की राज्यव्यापी बाढ़, जब जगदलपुर पर इंद्रावती ने नया उच्चतम स्तर बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार))।

3.15.4 **निष्पादन.** प्रस्तुति में प्रत्येक घटना के लिए प्रेक्षित और मॉडल किए गए चरम प्रवाह, आयतन और चरम तक समय, और सतत मॉडलों के लिए नैश–सटक्लिफ दक्षता (Nash–Sutcliffe efficiency, NSE) और प्रतिशत पूर्वाग्रह (percent bias) प्रस्तुत किए जाएँगे। मार्गदर्शन के रूप में, अंशांकित मॉडल को घटना के चरम प्रवाहों और आयतनों को ±25% के भीतर दोहराना चाहिए, और सतत मॉडल को NSE ≥ 0.5 और ±25% के भीतर प्रतिशत पूर्वाग्रह प्राप्त करना चाहिए।

3.15.5 **अंशांकन की सीमाएँ.** अंशांकन का उपयोग इस अध्याय की डिफॉल्ट विधियों द्वारा दिए गए डिजाइन प्रवाहों से कम डिजाइन प्रवाहों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि साइट-विशिष्ट कारकों की पूरी तरह जाँच और प्रलेखन न किया गया हो और प्राधिकारी सहमत न हो।

3.15.6 **औचित्य जाँच.** डिजाइन चरम प्रवाहों को जलग्रहण क्षेत्रफल के सापेक्ष प्रति इकाई क्षेत्र प्रवाह दर के रूप में आलेखित किया जाएगा और CWC SUH परिणामों, क्षेत्रीय गेज-आधारित अनुमानों और ज्ञात ऐतिहासिक बाढ़ों से उनकी तुलना की जाएगी।

भाष्य. खंड 3.15.5 और 3.15.6 APWA के अनुसार हैं, जो कहता है कि "मॉडल अंशांकन का उपयोग ऐसे प्रवाह दर अनुमानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाएगा जो आधारभूत इकाई हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा दिए गए अनुमानों से कम हों" ("model calibration shall not be used to justify discharge estimates that are lower than those provided by the baseline unit hydrograph method") और अपेक्षा करता है कि इकाई प्रवाह दरों को सहायक क्षेत्रफल के सापेक्ष आलेखित किया जाए और समाश्रयण, गेज और ऐतिहासिक मानों से उनकी तुलना की जाए (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.9)। 3.15.3 और 3.15.4 में घटनाओं की संख्या और निष्पादन मान इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। NSE ≥ 0.5 और ±25% पूर्वाग्रह की सीमाएँ Moriasi et al. (2007) की "संतोषजनक" ("satisfactory") धारा-प्रवाह श्रेणियाँ हैं, जो मासिक सतत सिमुलेशन के लिए विकसित की गई थीं; यहाँ घटना के चरम प्रवाहों और आयतनों के लिए उनका उपयोग एक विस्तार है।

3.16 सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता

3.16.1 **स्वीकार्य सॉफ्टवेयर.** निम्नलिखित, प्रस्तुति के समय प्रचलित संस्करण में, बिना किसी और प्रदर्शन के स्वीकार किए जाते हैं:

- (a) EPA Storm Water Management Model (SWMM 5.x);
- (b) USACE HEC-HMS और HEC-RAS;
- (c) USDA NRCS WinTR-55 और WinTR-20; और
- (d) रेशनल विधि और एकल-क्षेत्र SCS-CN गणनाओं के लिए स्प्रेडशीट, जहाँ प्रत्येक सूत्र और इनपुट दर्शाया गया हो।

3.16.2 **अन्य सॉफ्टवेयर.** SWMM या HEC इंजनों पर बने वाणिज्यिक पैकेज स्वीकार किए जाते हैं, यदि इंजन और संस्करण बताया गया हो। कोई अन्य विधि या सॉफ्टवेयर केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब डिजाइनकर्ता प्रत्येक उप-भाग के लिए उस विधि और 3.16.1 की किसी आधारभूत विधि, दोनों से चरम प्रवाह, पश्चता समय, अपवाह आयतन और समतुल्य CN प्रस्तुत करे, 5% से अधिक के प्रत्येक अंतर की पहचान करे, और कम सुरक्षित परिणाम देने वाले प्रत्येक अंतर का औचित्य दे।

3.16.3 **बेंचमार्क समस्याएँ.** प्राधिकारी बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ प्रकाशित करेगा (परिशिष्ट 3C)। 3.16.1 में सूचीबद्ध न किया गया सॉफ्टवेयर उन्हें बताई गई सहनसीमा के भीतर दोहराएगा।

3.16.4 **मॉडल फाइलें.** हाइड्रोग्राफ-आधारित प्रत्येक डिजाइन के साथ मूल (native) मॉडल इनपुट और आउटपुट फाइलें प्रस्तुत की जाएँगी।

भाष्य. 5% समतुल्यता परीक्षण वैकल्पिक विधियों के लिए APWA का नियम है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2D)। APWA आधारभूत विधियों के रूप में TR-55, TR-20, HEC-1 और HEC-HMS का नाम लेता है (§5602.2B)। CPHEEO हाइड्रोग्राफ और सतत मॉडलिंग के लिए SWMM का नाम लेता है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.2)। मूल मॉडल फाइलें प्रस्तुत करने से प्राधिकारी मॉडल को फिर से चला सकता है, और यह समीक्षा न किए जा सकने वाले "ब्लैक-बॉक्स" परिणामों के विरुद्ध मुख्य सुरक्षा उपाय है।

3.17 प्रलेखन

प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. **प्रपत्र 3-1, जलवैज्ञानिक गणना सारांश**, जिसमें प्रयुक्त विधि और उसका कारण (तालिका 3.1), सॉफ्टवेयर और संस्करण, और गणना अंतराल बताया गया हो।

2. विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए **जलग्रहण क्षेत्र मानचित्र**, जिनमें उप-भाग, Tc के लिए प्रयुक्त प्रवाह मार्ग, POC, और साइट के बाहर से आने वाला अपवाह दर्शाया गया हो।
3. **मृदा:** HSG मानचित्र और उसका स्रोत तथा पैमाना (खंड 3.7), भूजल स्तर के आँकड़े (खंड 3.10), और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम।
4. प्रत्येक उप-भाग और स्थिति के लिए **प्राचल तालिकाएँ**: क्षेत्रफल, प्रकार और संबद्धता के अनुसार अपारगम्य क्षेत्र, HSG, AMC II और III पर CN (या C और Cf), Tc की कार्य-पत्रिकाएँ, और n के मान।
5. **वर्षा:** डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और प्रयुक्त हायटोग्राफ।
6. **परिणाम:** प्रत्येक वर्षा घटना के लिए हाइड्रोग्राफ तालिकाएँ और आलेख; जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ; रूट किए गए बहिर्वाह; और चरम जल स्तर।
7. **प्रपत्र 3-2, विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना**, जिसमें प्रत्येक POC, AEP और अवधि के लिए Q_pre, Q_post (अनियंत्रित और रूट किया गया) और मानदंड, तथा खंड 3.14.11 के संवेदनशीलता रन हों।
8. जहाँ खंड 3.15 लागू होता है, वहाँ **अंशांकन रिपोर्ट**।
9. **मॉडल फाइलें** (खंड 3.16.4)।
10. **उत्तरदायी अभियंता का एक कथन** कि इस अध्याय की विधियों और प्राचलों का उपयोग किया गया है, और किसी भी विचलन की सूची और उसका औचित्य दिया गया हो।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Volume I, Part A: Engineering Design. Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi. §4.4 (Rational Method, Table 4.2 runoff coefficients, time of concentration, partial area effect), §8.5 (detention).
- Kansas City Metro Chapter APWA (2011). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (Feb 16, 2011), §5602.2–5602.9.
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01, §5603.4. https://kcmetro.apwa.org/wp-content/uploads/sites/23/2026/01/APWA-Section-5600_Storm-Drainage-Systems-Facilities.pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement (Policy Supplement). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- USDA Soil Conservation Service (1986). Urban Hydrology for Small Watersheds, Technical Release 55 (TR-55), 2nd ed. Tables 2-2a, 2-2c, 3-1; Figures 2-3, 2-4, 3-1.
- USDA NRCS. National Engineering Handbook, Part 630 Hydrology: Ch. 7 Hydrologic Soil Groups (2009); Ch. 9 Hydrologic Soil-Cover Complexes; Ch. 10 Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall (2004); Ch. 15 Time of Concentration (2010); Ch. 16 Hydrographs (2007). https://directives.nrcs.usda.gov/
- Hawkins, R.H., Jiang, R., Woodward, D.E., Hjelmfelt, A.T. and Van Mullem, J.A. (2002). Runoff curve number method: examination of the initial abstraction ratio. Proc. Second Federal Interagency Hydrologic Modeling Conference, Las Vegas.
- Woodward, D.E., Hawkins, R.H., Jiang, R., Hjelmfelt, A.T., Van Mullem, J.A. and Quan, Q.D. (2003). Runoff curve number method: examination of the initial abstraction ratio. World Water & Environmental Resources Congress, ASCE.
- Welle, P.I., Woodward, D.E. and Moody, H.F. (1980). A dimensionless unit hydrograph for the Delmarva Peninsula. American Society of Agricultural Engineers paper. New Jersey Department of Agriculture, Delmarva Unit Hydrograph bulletin भी देखें। https://nj.gov/agriculture/divisions/anr/pdf/DelmarvaBulletin.pdf
- Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill. §5.5 (SCS method, AMC), §8.4 (Muskingum), Table 15.1.2 (Kirpich).
- Kirpich, Z.P. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil Engineering 10(6), 362.
- Merkel, W.H. (2001), परत प्रवाह की लंबाई के संबंध में, जैसा USDA NRCS NEH Part 630, Ch. 15 (2010) में उद्धृत है।
- ASCE and WPCF (1969). Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers. ASCE Manual of Practice No. 37.
- Texas Department of Transportation. Hydraulic Design Manual, Ch. 4, §12 Runoff Coefficients. https://www.txdot.gov/manuals/des/hyd/chapter-4--hydrology/section-12--rational-method/runoff-coefficients.html
- Central Water Commission (1987). Flood Estimation Report for Sone Subzone 1(d). Design Office Report No. S/15/1987, CWC Publication No. 33/88, August 1987, discussed and approved at the 46th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 27–28 August 1987, CWC (Sewa Bhawan), New Delhi. https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (12 April 2016 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; अंबिकापुर और बिश्रामपुर के आसपास प्लेट 9 और 10 दोबारा पढ़ी गईं)

- Central Water Commission (1993). Flood Estimation Report for Indravati Subzone 3(g). Design Office Report No. I/21/1992 (आवरण पर I-21/1993), approved at the 51st meeting of the Committee, 26 November 1992, RDSO, Lucknow. https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (12 April 2016 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; जगदलपुर के आसपास प्लेट 9, 10 और 11 और अनुलग्नक 4.4 (पृ. 50) पृष्ठ-छवियों से जाँचे गए; इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से [TBC])
- Central Water Commission (1995). Flood Estimation Report for Lower Godavari Subzone 3(f) (revised). Report No. LG-3(f)/R-2/24/1995, August 1995, approved at the 53rd meeting of the Committee, 18 April 1995; replaces LG/3/1980. Internet Archive प्रति से पढ़ा गया, जिसमें केवल मुख्य पाठ है; इसके अनुलग्नक और प्लेटें देखी नहीं गईं। http://web.archive.org/web/20190214153648/http://cwc.gov.in:80/main/downloads/Lower%20Godavari%20subzone%203(f).pdf
- Central Water Commission (1997). Flood Estimation Report for Mahanadi Subzone 3(d) (revised). Design Office Report No. M-3(d)/R-3/25/1996, February 1997, approved at the 54th meeting of the Committee, 10 October 1996, RDSO, Lucknow; replaces the report of 1982. https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (12 April 2016 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; विस्तार संबंधी पाठ, Table 2.1, अनुलग्नक 3.1 की पुल-जलग्रहण क्षेत्र सूची (पृ. 49), अनुलग्नक 4.3 और 4.4 की "Madhaya Pradesh" पंक्तियाँ (पृ. 58–60) और दुर्ग–रायपुर, बिलासपुर–कोरबा, रायगढ़ और धमतरी–महासमुंद–कांकेर के आसपास प्लेट 8, 9 और 10 पृष्ठ-छवियों से जाँचे गए)
- Central Water Commission (2002). Flood Estimation Report for Upper Narmada and Tapi Subzone 3(c) (revised). Report No. UNT-3(c)/R-6/46/2002, approved at the 56th meeting of the Committee, 25 September 2001. https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; छत्तीसगढ़ में उप-क्षेत्र की छोटी किनारी पट्टी के लिए दोबारा नहीं पढ़ा गया)
- Moriasi, D.N. et al. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans. ASABE 50(3), 885–900.
- "OSD for Australian development projects: does it meet frequent flow management objectives?" Water Science and Engineering (2019). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674237019300213
- India Meteorological Department (2015). *Climate of Chhattisgarh*. Climatological Summaries of States Series No. 22, May 2015 (सामान्य मान 1961–2010; चक्रवाती तूफान और अवदाब 1891–2014; जिलेवार सर्वाधिक 24-घंटे की वर्षा, 2013 तक के आँकड़े)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012) (छत्तीसगढ़ के केंद्र)। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset/progress and withdrawal of the southwest monsoon (Pai et al.), 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, Table 2। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- India Meteorological Department, Meteorological Centre Raipur. छत्तीसगढ़ के लिए 2020, 2023 और 2024 की मानसून रिपोर्टें (आगमन और वापसी की सामान्य तिथियाँ; ऋतु सारांश)।
- Central Ground Water Board (2024). Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh, 2024 (GWRA-2024; भूविज्ञान, 2023 में भूजल स्तर की गहराई, आकलन इकाइयाँ), और दिसंबर 2024 का दो पृष्ठों का तथ्य-पत्रक (cgwrd.in और Internet Archive के माध्यम से)।
- Central Ground Water Board. रायपुर और दुर्ग (लगभग 2007) और राजनांदगांव (लगभग 2012) की जिला भूजल पुस्तिकाएँ।

- Mandal et al. (2018). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4), 2208–2214 (दुर्ग जिले के मृदा वर्ग भाठा, मटासी, डोरसा और कन्हार; शीर्षक दर्ज नहीं)। https://phytojournal.com/archives/2018/vol7issue4/PartAK/7-3-513-438.pdf
- Ranjan and Singh (2018). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4), 574–582 (IGKV फार्म, रायपुर पर नवंबर 2017 के डबल-रिंग अंतःस्यंदन परीक्षण; शीर्षक दर्ज नहीं)।
- Karthikeyan et al. (2021). *Arabian Journal of Geosciences* 14, 1059 (छत्तीसगढ़ बेसिन की फूलने-सिकुड़ने वाली मिट्टियाँ; प्रकाशित खबरों के अनुसार उद्धृत)।
- Kindo, Agrawal and Tripathi (2025). ANN model for predicting the infiltration rate of soils in the Chhattisgarh plains. *Journal of Soil and Water Conservation* 24(4) (केवल सार; उपयोग नहीं किया गया)।
- Singh et al. (2023). *Environment, Development and Sustainability* (कोरबा कोयला क्षेत्र में खदानों में जल-अंतर्वाह और भूजल अवनमन; प्रकाशित खबरों के अनुसार उद्धृत)।
- Water Resources Department, Government of Chhattisgarh. Basin-wise area of the State (surface water status) and daily tank gauge report of 10 October 2024. https://cgwrd.in/water-resources/surface-water-status ; https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- Naya Raipur Development Authority (2008). Naya Raipur Development Plan-2031, Chapters 1–3 and 10–12 (§10.3, Storm Water Drainage) (nayaraipur.gov.in की Internet Archive प्रतियों से पढ़ा गया)।
- SANDRP. छत्तीसगढ़ में CWC स्थलों के उच्चतम बाढ़ स्तरों पर पोस्ट, 2020–2026 (CWC से प्रतिलिपि के अनुसार), और सितंबर 2026 में जगदलपुर पर इंद्रावती संबंधी रिपोर्टें।
- Central Water Commission. 29 जुलाई 2019 (जगदलपुर पर इंद्रावती; चेतावनी और खतरे के स्तर) और 28 अगस्त 2020 (पथरीडीह पर खारुन) की बाढ़ स्थिति रिपोर्टें और परामर्श (खोज-अंशों में देखे गए)। https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsitrep-advisories-29072019_1.pdf ; https://cwc.gov.in/sites/default/files/flood-situation-cum-advisories-28.08.2020.pdf
- अक्तूबर 2025 में रविशंकर सागर (गंगरेल) से छोड़े गए पानी (Patrika), छत्तीसगढ़ में हीराकुंड के बैकवाटर, अगस्त 2025 की बस्तर की बाढ़ों (The Week, PTI), सितंबर 2026 की बाढ़ (The Pioneer; newkerala) और 2026 के मानसून संबंधी रिपोर्टें। https://www.patrika.com/dhamtari-news/55000-cusecs-of-water-released-from-gangrel-into-the-mahanadi-river-19996945 ; https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/08/28/bom21-cg-bastar-floods.html ; https://dailypioneer.com/india/chhattisgarh-floods-eight-killed-16000-rescued
- US EPA. Storm Water Management Model (SWMM 5). US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. HEC-HMS and HEC-RAS.

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
3A	छत्तीसगढ़ की मृदा श्रृंखला से HSG की मिलान-सूची; मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का मानचित्र
3B	छत्तीसगढ़ का CN अंशांकन और पूरक भू-आवरण (दरारदार कन्हार परती, मेड़बंद धान, तालाब और जलाशय के तल, भाठा और लैटेराइट परत, ओवरबर्डन डंप और ऐश पॉन्ड, बस्तर और उत्तर के वन और झाड़ी)
3C	सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ
3D	समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक का अध्ययन
3E	उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) और 3(c) के लिए CWC SUH प्राचल, हल किए गए उदाहरण के साथ

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
प्रपत्र 3-1	जलवैज्ञानिक गणना सारांश
प्रपत्र 3-2	विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना

अध्याय 4

साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण

4.1 उद्देश्य और विस्तार

4.1.1 यह अध्याय वह कार्य-निष्पादन मानक निर्धारित करता है जिसे प्रत्येक विनियमित विकास साइट से बाहर जाने वाले अपवाह के लिए पूरा करेगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) वह क्रम जिसमें अपवाह नियंत्रण के उपाय लागू किए जाने हैं (खंड 4.3);
- (b) बार-बार होने वाली वर्षा का प्रतिधारण, और प्रतिधारित आयतन को अस्थायी भंडारण के सापेक्ष क्रेडिट कैसे दिया जाता है (खंड 4.4);
- (c) सामान्य और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए निकास दर मानदंड (खंड 4.5);
- (d) अस्थायी भंडारण और आउटलेटों का आकार निर्धारित करने की प्रक्रिया (खंड 4.6 से 4.9);
- (e) सुविधाओं के प्रकार, वर्षा जल संचयन (RWH) का लेखा, और उच्च भूजल वाली साइटें (खंड 4.10 से 4.12);
- (f) क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क (fee-in-lieu) (खंड 4.13);
- (g) छोटी साइटों के लिए सरलीकृत विधियाँ: टियर B तालिकाएँ और नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14); और
- (h) सार्वजनिक सुरक्षा (खंड 4.15)।

4.1.2 यह अध्याय अध्याय 1 में निर्धारित अनुसार **0.1 ha या अधिक** के भूमि विक्षोभ पर, या **500 m² या अधिक** के नए या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होता है। उस सीमा-मान से नीचे के एकल आवास, और ऐसा सड़क पुनः सतह बिछाना (resurfacing) जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र न बढ़े, छूट प्राप्त हैं। भवन नियमों की विद्यमान RWH अनिवार्यता (17 फरवरी 2009 को यथासंशोधित छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78(4) के अंतर्गत, 500 m² बताए गए सीमा-मान से बड़े भूखंडों पर बने भवनों पर वर्षा या छत के जल का संचयन (संशोधन उपनियम में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, और सीमा-मान की पुष्टि की जानी है [TBC]), भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) के विकल्पों से, और जहाँ प्रणाली न बनाई जाए और उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m² निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति सहित; और राज्य के विभागों और उनके उपक्रमों के भवनों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश; इन नियमों की चर्चा खंड 4.11 के भाष्य में की गई है) उन सभी भवनों पर लागू रहती है जिन पर वह लागू होती है, चाहे यह अध्याय लागू हो या नहीं।

4.1.3 वर्षा संबंधी इनपुट अध्याय 2 से आते हैं। जलवैज्ञानिक विधियाँ अध्याय 3 से आती हैं। टेलवाटर, अनुप्रवाह विश्लेषण और आउटफॉल-बंद जाँच अध्याय 5 से आते हैं। जल गुणवत्ता आयतन (WQv) का उपचार अध्याय 8 से आता है। जहाँ यह अध्याय और वे अध्याय एक-दूसरे पर व्याप्त होते हैं, वहाँ अधिक कठोर अपेक्षा लागू होगी।

भाष्य. इस मैनुअल के लिए किए गए अनुसंधान में मिला कोई भी भारतीय राष्ट्रीय नियम या छत्तीसगढ़ का नियम किसी साइट से प्रवाह छोड़ने की दर को सीमित नहीं करता, और कोई भी साइट पर अस्थायी भंडारण या "शून्य अपवाह" ("zero run-off") की अपेक्षा नहीं करता। भवन नियम छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 (भूमि विकास नियम, 1984) हैं, 1984 के वे नियम जो राज्य को 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले, और जिन्हें तब से आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत नया शीर्षक दिया और संशोधित किया है। मध्य प्रदेश के विपरीत, जिसने 2012 में अपने नियम बदल दिए, छत्तीसगढ़ ने 1984 के नियम बनाए रखे हैं और उनमें संशोधन किए हैं: पढ़े गए संशोधनों में 17 दिसंबर 2008 का (क्रमांक एफ 7-26/32/2008, एकीकृत उपनगर), 17 फरवरी 2009 का (क्रमांक 318/1193/32/2006, जो वर्षा जल संचयन के नियम को संशोधित करता है; खंड 4.11 का

भाष्य), 6 अक्तूबर 2018 का (क्रमांक F 7-27/2017/32) और 29 अप्रैल 2020 का (क्रमांक F 07-24/2019/32) संशोधन, और हरित भवनों पर 30 मार्च 2017 का प्रारूप (क्रमांक F 7-15/2016/32) हैं; 12 सितंबर और 1 दिसंबर 2025 के प्रारूपों और अक्तूबर 2026 में भूमि उपयोगों के पुनर्वर्गीकरण की सूचना है, किंतु वे पढ़े नहीं गए [TBC]। नियमों का कोई समेकित छत्तीसगढ़ पाठ नहीं मिला, इसलिए परिभाषाओं, स्थल की उपयुक्तता (नियम 50), ड्रेनों (नियम 51), प्लिंथ और बेसमेंट के नियम उनके छत्तीसगढ़ रूप में पढ़े नहीं गए [TBC]। 2018 के प्रपत्रों के अतिरिक्त, पढ़ा गया कोई भी संशोधन जल निकासी, स्थल के स्तरों या जलाशयों को नहीं छूता। जल निकासी के जिन प्रावधानों का पता लगाया जा सकता है वे भवन, ड्रेन और स्थल की रक्षा करते हैं, जलग्रहण क्षेत्र की नहीं। नियम 50 अब भी किसी स्थल की अनुपयुक्तता पर राज्य का नियम है: संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) का 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है कि क्या कोई स्थल उसके अंतर्गत अनुपयुक्त है, भूमि जलभराव क्षेत्र है या नहीं, और वह नहर, नाले या नदी के किनारे है या नहीं और कितनी दूरी पर, और नालों के लिए छोड़ा गया क्षेत्र दर्ज करता है (23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011)। उस नियम का विरासत में मिला 1984 का पाठ उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, और किसी प्रमुख जलमार्ग के साथ "औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 मीटर या जलमार्ग की परिभाषित सीमा से 15 मीटर, जो भी अधिक हो" ("9 meters from average high flood mark or 15 meters from the defined boundary of water course, whichever is more") के भीतर (नियम 50(b)), और ऐसे स्थल पर जिसकी उचित जल निकासी नहीं है या जिसकी अच्छी जल निकासी संभव नहीं (नियम 50(f)), निर्माण का निषेध करता है, जबकि नियम 51 अपेक्षा करता है कि यदि प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे तो अहाते (curtilage) के भीतर की भूमि की "सतही जल ड्रेन या अन्य साधनों से प्रभावी रूप से जल निकासी" ("effectively drained by surface water drain or other means") हो; छत्तीसगढ़ का पाठ ये शब्द और दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। संचालनालय की 2011 की चेकलिस्ट नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से "उच्च बाढ़ बिन्दु" माँगती है (क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011), जो राज्य की नियोजन प्रक्रिया में मिला एकमात्र बाढ़ स्तर है। 2018 के संशोधन ने एक प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96) जोड़ा, जिसका प्रपत्र स्थिति, सेटबैक और विचलन जाँचता है पर कोई स्तर नहीं, और ऐसे निरीक्षण प्रपत्र जोड़े जो पूछते हैं कि क्या कोई "नाला (प्रमुख नाला)" ("Nalah [Major Drain]") भूखंड के निकट है और वह कितनी दूर है, भूमि विकास नियम, 1984 के "नियम के अनुपालन में" ("in rule"), नियम की संख्या रिक्त छोड़कर, क्या वर्षा जल संचयन "नियम के अनुसार" ("as per rule") स्थापित है, और क्या ड्रेनेज लाइन "अंतिम निपटान तक" ("up to final diposal") जुड़ी है (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q)। एकीकृत उपनगर (integrated township) किसी बारहमासी नदी के तट पर या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित नहीं हो सकते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2008), और उनके क्षेत्रफल में जल स्रोत नहीं जोड़े जाते (4 अक्तूबर 2018 का प्रारूप); और जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने किसी अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002, धारा 7(1)(चार))। 2017 का प्रारूप हरित भवन नियम बड़े भूखंडों पर कठोर सतह में कमी और मनोरंजक खुले स्थान के कम से कम 20% कच्चे (unpaved) क्षेत्र की अपेक्षा करता (प्रारूप नियम 79-C); उसका अंतिम पाठ नहीं मिला [TBC]। छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 उनके छत्तीसगढ़ रूप में पढ़े नहीं गए; उनकी जल निकासी और तालाबों संबंधी धाराएँ उन्हीं अधिनियमों के मध्य प्रदेश पाठ से उद्धृत हैं (1956 के अधिनियम की धारा 82, 198, 203 और 204), और छत्तीसगढ़ में उनकी क्रम-संख्या की पुष्टि की जानी है [TBC]। इनमें से कोई भी डिजाइन वर्षा घटना, निकास दर, भंडारण आयतन या अतिप्रवाह मार्ग निर्धारित नहीं करता, और UADD, T&CP या किसी नगर निगम का पुनरावृत्ति अवधि बताने वाला कोई जल निकासी डिजाइन मानक नहीं मिला। राज्य में एकमात्र स्पष्ट शहरी डिजाइन वर्षा घटना एक शहर की योजना में है: नया रायपुर विकास योजना-2031 कहती है कि "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system"), नदी तटबंधों के "100 वर्ष की आवृत्ति की बाढ़ से सुरक्षित" ("safe against 100 yrs frequency flood") होने, सड़कों के स्तर "प्रेक्षित उच्च बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 से 1.0 m ऊपर" ("at least 0.5 to 1.0 m above the observed high flood level") होने और सड़क जल निकासी IRC: SP-50 के अनुसार होने की अपेक्षा करती है, और रायपुर के IMD आँकड़ों से 2, 5, 10 और 50 वर्षों के लिए सांद्रण समय के सापेक्ष वर्षा तीव्रता का एक चार्ट देती है, बिना किसी समीकरण या अभिलेख की अवधि के (§10.3, §10.3.1.1 और योजना के अध्याय 7–9); यह केवल नवा रायपुर पर बाध्यकारी है और राज्य का मानक नहीं है। AMRUT के अंतर्गत रायपुर की जल निकासी योजना (2015) ने बिना किसी पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक के ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए, और मार्च 2022 तक के वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यानों को सम्मिलित करती है और ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती (खंड 4.5 का भाष्य)। यह मैनुअल इनमें से कोई भी मान नहीं लेता; इसकी डिजाइन वर्षा घटनाएँ अध्याय 2 से आती हैं। बेसमेंट का विनियमन होता है, पर बाढ़ के लिए नहीं। 2018 का संशोधन 18 m तक ऊँचे

भवन के लिए भूखंड की सीमा से 3 m और उससे ऊँचे भवन के लिए 6 m का खुला अंतर छोड़ने पर बेसमेंट के अनुमोदन की अनुमति देता है (नियम 73(3)(क)), और 2009 में संचालनालय ने 10,000 sq ft से कम के बेसमेंटों के लिए अपना अनुमोदन आवश्यक किया क्योंकि बेसमेंट के स्थान का दुरुपयोग हो रहा था; छत्तीसगढ़ का कोई नियम निचली या बाढ़-प्रवण भूमि में बेसमेंट को प्रतिबंधित नहीं करता, बेसमेंट रैंप या द्वार का स्तर निर्धारित नहीं करता, या सतही जल को बेसमेंट से बाहर नहीं रखता [TBC]। इसलिए यह मैनुअल प्रत्येक बेसमेंट के लिए अपनी अपेक्षाएँ जोड़ता है: आवास योग्य बेसमेंट में कोई अस्थायी भंडारण नहीं (खंड 4.10.1); प्रत्येक बेसमेंट रैंप का शिखर और प्रत्येक बेसमेंट द्वार की सिल 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर, और बेसमेंट की जल निकासी नॉन-रिटर्न वाल्व के माध्यम से सतही ड्रेन में पंप की जाए (खंड 6.11.1 और 6.11.4); और जोन 2 में कोई बेसमेंट नहीं (खंड 7.5.2)। खंड 4.5.3.2 के बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में, खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में और खंड 4.12.1 की धान की निचली भूमि, डूब क्षेत्रों और बैकवाटर की भूमि पर, यह सिफारिश करता है कि जहाँ 1% AEP बाढ़ जल स्तर आसपास की भूमि से ऊपर हो वहाँ किसी बेसमेंट की अनुमति न दी जाए; ये इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं, भूमि विकास नियम, 1984 के नियम नहीं। खनन भूमि की जल निकासी की अपनी अलग व्यवस्था है। खदान की ड्रेनें प्रत्येक पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों और DGMS द्वारा शासित होती हैं, जिसके कोयला खान विनियम, 2017 के अंतर्गत जिस सबसे निचले बिंदु से सतही जल किसी खदान में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 1.5 m ऊपर होना चाहिए (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC]); कोयला क्षेत्र की स्वीकृतियाँ गारलैंड ड्रेनों का आकार "चरम आकस्मिक वर्षा और अधिकतम निस्सरण के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन" ("at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge") के साथ निर्धारित करती हैं, जो पुनरावृत्ति अवधि नहीं है (कोयला क्षेत्र की मानक शर्तें, जैसी पढ़ी गईं); कोरबा के आसपास खदानों का निर्जलीकरण कुसमुंडा और गेवरा की खदानों से लगभग 1.2 km तक भूजल स्तर को नीचे ले जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और कोरबा के बिजली घरों के राखड़ बाँध टूटे हैं: जुलाई 2024 में NTPC का धनरास राखड़ बाँध, 19 अप्रैल 2026 को CSPGCL का कोरबा पश्चिम राखड़ बाँध, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और BALCO का राखड़ बाँध, जिसकी स्लरी एक नाले और हसदेव तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए खनन भूमि, ओवरबर्डन डंप या ऐश पॉन्ड पर या उसके बगल में किसी भी विकास के लिए यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि: विकास की कोई ड्रेन या अतिप्रवाह मार्ग किसी सक्रिय खदान में पानी नहीं छोड़ता; ओवरबर्डन डंप, ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध या अन्य खनन से विक्षुब्ध भूमि का अपवाह किसी शहरी ड्रेन या आउटफॉल तक पहुँचने से पहले अवसादन बेसिन (अध्याय 8) और डंप या बाँध के पाद पर एक स्थिर टो ड्रेन से होकर गुजरता है; ओवरबर्डन डंप, खनन से विक्षुब्ध भूमि और ऐश पॉन्ड बिना किसी अंतःस्यंदन क्रेडिट के HSG D हैं (खंड 3.7.2); खदान का गड्ढा या खदान झील तब तक आउटफॉल या भंडारण के रूप में प्रयुक्त नहीं होती जब तक पट्टाधारी और DGMS लिखित रूप में सहमत न हों और उसके जल स्तर, अतिप्रवाह स्तर और अतिप्रवाह मार्ग का सर्वेक्षण न हो जाए, और ऐश पॉन्ड केवल संचालक की सम्मति और राखड़ बाँध की जाँच के साथ (खंड 5.8.5(e)); और राखड़ बाँध के टूटने का मार्ग मानचित्रित किया जाने वाला खतरा है, डिजाइन अंतर्वाह नहीं। ये इस मैनुअल की अपेक्षाएँ हैं, किसी स्वीकृति की शर्तें नहीं। यह अध्याय इस प्रकार लिखा गया है कि यह भूमि विकास नियम, 1984 और नगरपालिका अधिनियमों के तकनीकी सहायक के रूप में वे डिजाइन वर्षा घटना, निकास दरें और भंडारण आयतन दे सके जिन्हें वे खुला छोड़ देते हैं; इसे दोनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए अंगीकृत नहीं किया गया है। व्यवहार में छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरी नाले सीवेज ले जाते हैं: जनवरी 2021 में राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि केवल बिलासपुर में सीवरेज प्रणाली थी, जबकि रायपुर के नए शोधन संयंत्रों को डायवर्जन वियरों के माध्यम से उसके नालों का प्रवाह लेना था (CECB, NGT को रिपोर्ट); प्रकाशित खबरों के अनुसार रायपुर का सीवेज "आठ बड़ी नहरों के माध्यम से" ("through eight big canals") खारुन तक पहुँचता है; और NGT ने दुर्ग के शंकर और पुलगांव नालों पर संयंत्रों को छह महीनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है (16 जनवरी 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार) (खंड 8.9)। ड्रेन चाहे जो भी ले जाए, प्रत्येक साइट पर प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण पूर्ण रूप से लागू होते हैं: वर्षा घटना के चरम पर साइट द्वारा छोड़ा गया प्रत्येक लीटर ऐसी ड्रेन की क्षमता घेरता है जो पहले से ही आंशिक रूप से सीवेज से भरी है। CPHEEO (2019) मैनुअल बहिर्वाह को विकास-पूर्व चरम तक सीमित करने को सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है, किंतु वह "shall" (अनिवार्य) का प्रयोग नहीं करता और किसी वर्षा घटना की आवृत्ति का नाम नहीं लेता (CPHEEO Part A §8.5.1)। यह अध्याय उस वर्णन को विकास-नियंत्रण की अपेक्षा में बदलता है।

4.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
प्रतिधारण (retention)	अंतःस्यंदन, वाष्पोत्सर्जन या पुनः उपयोग द्वारा सतही जल निकासी प्रणाली से अपवाह को स्थायी रूप से हटाना, ताकि पानी कभी आउटफॉल तक न पहुँचे।
प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)	साइट के जोन के लिए 90वें शततमक की आर्द्र-दिवस 24-घंटे वर्षा की गहराई (खंड 2.10, परिशिष्ट 2E)।
आवश्यक प्रतिधारण आयतन (RRV)	विकास-पश्चात साइट पर प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई से उत्पन्न अपवाह आयतन (खंड 4.4.2)।
अस्थायी भंडारण (detention)	अपवाह का अस्थायी भंडारण, जिसे नियंत्रित आउटलेट से खंड 4.5 द्वारा निर्धारित दर पर छोड़ा जाता है।
प्रतिधारण क्रेडिट (retention credit)	प्रतिधारण पद्धतियों के परिणामस्वरूप आवश्यक अस्थायी भंडारण में होने वाली कमी, जो खंड 4.4.6 के अंतर्गत रूटिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रतिधारित आयतन के समान **नहीं** है।
साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)	वह अधिकतम दर जिस पर कोई साइट किसी निर्दिष्ट AEP के लिए पानी छोड़ सकती है, L/s या L/s/ha में।
साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR)	खंड 4.14 की सरलीकृत विधि के अंतर्गत साइट के प्रति हेक्टेयर आवश्यक अस्थायी भंडारण।
बहु-चरणीय आउटलेट (multi-stage outlet)	अलग-अलग स्तरों पर पृथक छिद्रों वाली आउटलेट संरचना, जिसमें प्रत्येक छिद्र एक अलग AEP को नियंत्रित करता है (चित्र 4.2)।
खाली होने का समय (drawdown time)	अधिकतम भंडारित आयतन से लेकर उस आयतन का निर्दिष्ट अंश छोड़े जाने तक का समय।
आपातकालीन स्पिलवे (emergency spillway)	एक द्वितीयक अतिप्रवाह, जो प्राथमिक आउटलेट की क्षमता से अधिक प्रवाह को, या प्राथमिक आउटलेट के अवरुद्ध होने पर संपूर्ण प्रवाह को, तटबंध के ऊपर से बहे बिना निकाल देता है।
फ्रीबोर्ड (freeboard)	अधिकतम डिजाइन जल स्तर और तटबंध के शिखर या अन्य क्रांतिक स्तर के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी।
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	खंड 4.5.3 में सूचीबद्ध या खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र।
प्राधिकारी	अध्याय 1 के अंतर्गत अनुमोदन प्राधिकारी (यथास्थिति: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किसी निवेश क्षेत्र की भूमि के लिए विकास अनुमति देने वाला नगर तथा ग्राम निवेश संचालक, या संचालक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, और भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत भवन अनुमति देने वाला नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत; नवा रायपुर अटल नगर में उस अधिनियम के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में NRDA; या उस अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई विकास प्राधिकरण, जहाँ वह वह अनुमति देता है [TBC])।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
टियर A / टियर B	अध्याय 1 में परिभाषित अंगीकरण टियर। टियर A: नगर पालिक निगम रायपुर (RMC); छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रायपुर के निवेश क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी, जिनमें संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जहाँ वह विकास अनुमति देता है, अपनी स्कीमों में RDA, और उस क्षेत्र की नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें सम्मिलित हैं; नवा रायपुर अटल नगर में NRDA; छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम, जिनमें बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी और चिरमिरी के नगर निगम हैं; और संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जहाँ वह किसी नगर निगम के निवेश क्षेत्र के भीतर विकास अनुमति देता है। टियर B: नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें।

4.3 उपायों का क्रम

4.3.1 साइट अपवाह नियंत्रण का प्रत्येक डिजाइन उपायों को निम्नलिखित क्रम में लागू करेगा, और प्रस्तुति में यह दस्तावेजित करेगा कि प्रत्येक पूर्ववर्ती पद इससे अधिक क्यों नहीं कर सका:

1. **संरक्षण.** विद्यमान जलाशयों, तालाबों (talab), प्राकृतिक जल निकासी रेखाओं, आर्द्रभूमियों, और पारगम्य मिट्टी और वनस्पति को बनाए रखें। बाढ़ भंडारण में भराई से बचें (अध्याय 7)।
2. **प्रतिधारण.** अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा साइट पर RRV का प्रतिधारण करें (खंड 4.4)।
3. **अस्थायी भंडारण.** शेष अपवाह का अस्थायी भंडारण करें ताकि प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना और अवधि के लिए खंड 4.5 के निकास दर मानदंड पूरे हों (खंड 4.6 से 4.9)।
4. **वहन.** 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह को एक निर्धारित सतही मार्ग पर साइट से होकर सुरक्षित रूप से प्राप्तकर्ता प्रणाली तक ले जाएँ (अध्याय 6), और अनुप्रवाह की ओर प्राप्तकर्ता प्रणाली की जाँच करें (अध्याय 5)।

4.3.2 संरक्षण और प्रतिधारण आवश्यक अस्थायी भंडारण को कम करते हैं (खंड 4.4.6 और 4.4.7)। वे साइट को खंड 4.5 के निकास दर मानदंडों से या अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण से मुक्त नहीं करते।

> **भाष्य.** यह क्रम Kansas City Metro APWA Section 5600 Version 2025.01 में अपनाई गई "वर्षा जल प्रबंधन की परतों" ("layers of stormwater management") का अनुसरण करता है: संरक्षण या पुनर्स्थापन, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, रखरखाव (MARC factsheet; MARC Supplement, Nov 2025)। रखरखाव पाँचवीं परत है और अध्याय 10 में निर्धारित है। 2025.01 मैनुअल प्रतिधारण और प्राकृतिक क्षेत्र के संरक्षण को अस्थायी भंडारण के आकार के सापेक्ष क्रेडिट देता है (MARC Supplement, Nov 2025)। खंड 4.4.6 वह क्रेडिट लेता है, और उसे इस प्रकार परिभाषित करता है कि उसका दावा दो बार न किया जा सके।

4.4 प्रतिधारण

4.4.1 अपेक्षा

साइट RRV का प्रतिधारण करेगी। प्रतिधारण निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा किया जाएगा:

- अंतःस्यंदन पद्धतियाँ (सोख गड्ढे, अंतःस्यंदन खाइयाँ, अंतःस्यंदन आधार वाला पारगम्य पेवमेंट, बायोरिटेंशन);
- वर्षा जल का ऐसा पुनः उपयोग जो किसी प्रदर्शित गैर-पेय माँग द्वारा खाली होता हो;
- हरित छतें और लैंडस्केप क्षेत्र जो प्रतिधारण-गहराई वाली वर्षा घटना में आउटफॉल की ओर नहीं बहते।

खंड 4.4.4 की सीमाएँ लागू होती हैं।

4.4.2 RRV की गणना

> $RRV\ (m^3) = 10 \times Q_R \times A$

जहाँ:

- Q_R (mm) प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R (परिशिष्ट 2E) से उत्पन्न अपवाह की गहराई है। इसकी गणना प्रत्येक उप-भाग के विकास-पश्चात आवरण के लिए SCS-CN विधि से, AMC II पर, $Ia = 0.2S$ के साथ की जाती है (अध्याय 3); और
- A (ha) साइट का वह क्षेत्र है जो आउटफॉल की ओर बहता है।

Q_R की गणना प्रत्येक उप-भाग के लिए अलग-अलग की जाएगी और उनका योग किया जाएगा। जहाँ अपारगम्य और पारगम्य क्षेत्रों के CN में 20 अंकों से अधिक का अंतर हो, वहाँ क्षेत्र-भारित CN का उपयोग नहीं किया जाएगा।

आयतनात्मक विधि $RRV = 10 \times P_R \times Rv \times A$, जिसमें $Rv = 0.05 + 0.009 \times I$ (I = प्रतिशत अपारगम्यता), का उपयोग 0.5 ha से कम की साइटों के लिए और टियर B विधि के अंतर्गत किया जा सकता है।

> **भाष्य.** Rv सूत्र वही है जो KC जल गुणवत्ता आयतन में प्रयुक्त होता है (MARC BMP Manual 2012)। छोटी साइटों के लिए इसकी समीक्षा सरल है। बड़ी साइटों के लिए SCS-CN रूप अनिवार्य है ताकि प्रतिधारण की गणना में वही अपवाह मॉडल प्रयुक्त हो जो अस्थायी भंडारण की रूटिंग में होता है। इससे खंड 4.4.6 की क्रेडिट गणना सुसंगत रहती है।

4.4.3 सत्यापन

अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण के समर्थन में निम्नलिखित होंगे:

- (a) प्रत्येक पद्धति के स्थान और गहराई पर, अध्याय 8 में निर्धारित आवृत्ति पर, साइट पर अंतःस्यंदन परीक्षण;
- (b) मापी गई दर के **आधे** से अधिक नहीं की डिजाइन अंतःस्यंदन दर; और
- (c) भूजल संबंधी साक्ष्य, जो दर्शाए कि मौसमी उच्चतम भूजल स्तर पद्धति के आधार से कम से कम **1.0 m** नीचे है (अध्याय 8)।

पुनः उपयोग द्वारा प्रतिधारण के समर्थन में माँग की गणना होगी, जो दर्शाए कि RRV किसी सतत गैर-पेय उपयोग, जैसे शौचालय फ्लशिंग, शीतलन या सिंचाई, द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली हो जाता है।

> **भाष्य.** मापी गई अंतःस्यंदन दर पर 2 के गुणक का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे अवरोध (clogging) के लिए और परीक्षण गड्ढे तथा पूर्ण आकार की पद्धति के बीच के अंतर के लिए निर्धारित करता है। अध्याय 8 कोई अलग गुणक निर्धारित कर सकता है; यदि वह ऐसा करता है, तो अध्याय 8 लागू होगा।

4.4.4 प्रतिधारण की सीमाएँ

4.4.4.1 अंतःस्यंदन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जाएगा:

- जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से 1.0 m से कम नीचे है (अध्याय 8);
- दूषित भूमि पर;
- अध्याय 8 में निर्धारित नींवों, कुओं और सेप्टिक प्रणालियों से सेटबैक के भीतर; या
- भराई पर, जब तक कि भराई के बाद परीक्षण न किया गया हो।

4.4.4.2 जहाँ RRV का पूर्ण प्रतिधारण नहीं किया जा सकता, वहाँ कमी प्रस्तुति में बताई जाएगी। उस कमी को अध्याय 8 के अंतर्गत WQv माना जाएगा और उसे कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं मिलेगा।

4.4.5 प्रतिधारण का खाली होना

प्रतिधारण भंडारण को प्रतिधारण-गहराई वाली वर्षा घटना की समाप्ति के **72 घंटों** के भीतर अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग द्वारा खाली किया जाएगा, जिसका सत्यापन खंड 4.4.3 के परीक्षणों द्वारा किया जाएगा।

4.4.6 प्रतिधारण क्रेडिट: परिभाषा और गणना

4.4.6.1 **क्रेडिट क्या है.** प्रतिधारण क्रेडिट आवश्यक अस्थायी भंडारण में वह कमी है जो विकास-पश्चात रूटिंग में प्रतिधारण पद्धतियों को सम्मिलित करने पर होती है। इसकी गणना की जाती है। इसे RRV के बराबर नहीं माना जाता।

4.4.6.2 **टियर A विधि (रूटिंग).** खंड 4.6.3 की प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना और अवधि के लिए:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण पद्धति को स्पष्ट रूप से ऐसे भंडारण के रूप में मॉडल करें जो **वर्षा घटना के आरंभ में खाली** हो, जब तक कि खंड 4.11 अन्यथा न कहे;
- (b) पद्धति को वर्षा घटना के आरंभिक भाग से भरने दें, और वर्षा घटना के दौरान उसे केवल खंड 4.4.3 की डिजाइन अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग दर पर पानी खोने दें;
- (c) भर जाने के बाद, उसके अतिप्रवाह को अस्थायी भंडारण सुविधा की ओर रूट करें; और
- (d) अवशिष्ट हाइड्रोग्राफ के लिए अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारित करें।

आवश्यक अस्थायी भंडारण सभी वर्षा घटनाओं और अवधियों में सबसे बड़ा भंडारण है। क्रेडिट उस भंडारण और बिना प्रतिधारण के आवश्यक भंडारण के बीच का अंतर है। कोई और कटौती नहीं की जाएगी।

4.4.6.3 **टियर B विधि (सरलीकृत).** खंड 4.14 द्वारा अपेक्षित अस्थायी भंडारण को निम्नलिखित से कम किया जा सकता है:

> V_credit = C_R × RRV_provided

जहाँ C_R जोन, मृदा समूह और खाली होने की दर के लिए परिशिष्ट 4B से लिया गया प्रतिधारण क्रेडिट गुणक है। जब तक परिशिष्ट 4B प्रकाशित नहीं होता, **C_R = 0**।

4.4.6.4 जिस प्रतिधारण का सत्यापन खंड 4.4.3 के अंतर्गत नहीं किया गया है, उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता।

> **भाष्य.** "अस्थायी भंडारण के सापेक्ष क्रेडिट" ("Credited against detention") (APWA 5600 2025.01) के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक अर्थ प्रतिधारित आयतन को अस्थायी भंडारण आयतन में से घन मीटर-दर-घन मीटर घटाता है। दूसरा अर्थ प्रतिधारण को यथास्थान रखकर वर्षा घटनाओं की रूटिंग करता है और देखता है कि अब भी कितना अस्थायी भंडारण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में दोनों अर्थ बहुत भिन्न उत्तर देते हैं, क्योंकि अनिवार्य 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ (खंड 2.5.2) किसी भी प्रतिधारण पद्धति को पहले ही दिन भर देती हैं, अंतिम दिन चरम आने से बहुत पहले (खंड 2.9.2)। जब तक पद्धति वर्षा घटना के दौरान अंतःस्यंदन करती न रहे, वह चरम पर भरी रहती है और चरम भंडारण को कम करने में कुछ नहीं करती।
>
> खंड 4.6.7 का उदाहरण इस प्रभाव का परिमाण दिखाता है। 552 m^3 प्रतिधारण (वर्षा घटना के दौरान कोई अंतःस्यंदन नहीं) वाली 2 ha की साइट को 24-घंटे की वर्षा घटना के लिए 138 m^3 कम अस्थायी भंडारण चाहिए। यह प्रतिधारित आयतन के लगभग एक-चौथाई का क्रेडिट है। 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं के लिए, जो निर्णायक होती हैं, क्रेडिट लगभग शून्य है। प्रतिधारित आयतन को सीधे घटाने से अस्थायी भंडारण का आकार लगभग 545 m^3 (लगभग 19%) कम रह जाता।
>
> इसलिए यह मैनुअल क्रेडिट को रूटिंग के परिणाम के रूप में परिभाषित करता है। तेजी से पानी सोखने वाली रेतीली मिट्टी पर प्रतिधारण, जो कई दिनों की वर्षा घटना में अंतःस्यंदन करता रहता है, वास्तविक क्रेडिट अर्जित करेगा। जो प्रतिधारण केवल भरता है, वह बहुत कम अर्जित करेगा। दोनों परिणाम भौतिक रूप से सही हैं। परिशिष्ट 4B के अस्तित्व में आने तक $C_R = 0$ रखना टियर B के लिए एक सुरक्षित डिफॉल्ट है, यह निर्णय नहीं कि प्रतिधारण का कोई मूल्य नहीं है: जल गुणवत्ता और पुनर्भरण के लिए प्रतिधारण अब भी अनिवार्य है (अध्याय 8)।

4.4.7 संरक्षण क्रेडिट

साइट के जो क्षेत्र प्राकृतिक आवरण में स्थायी रूप से संरक्षित हैं, उन्हें विकास-पश्चात स्थिति में उनके विकास-पूर्व CN पर मॉडल किया जा सकता है, बशर्ते कि:

- वे पंजीकृत प्रसंविदा (covenant) या समर्पण द्वारा संरक्षित हों; और
- उनका अपवाह अपारगम्य सतहों पर संकेंद्रित न हो।

इससे RRV और आवश्यक अस्थायी भंडारण, दोनों कम होते हैं। कोई अन्य संरक्षण क्रेडिट लागू नहीं होता।

4.5 निकास दर मानदंड

4.5.1 सामान्य

4.5.1.1 साइट से चरम प्रवाह दर की गणना विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए समान डिजाइन वर्षा घटनाओं के साथ (खंड 2.11.1) हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) से की जाएगी। भंडारण के आकार-निर्धारण के किसी भी भाग के लिए रेशनल विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4.5.1.2 विकास-पूर्व स्थिति अविकसित खुली भूमि (greenfield) है: मानचित्रित HSG के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण नहीं गिना जाता (खंड 2.11.5, अध्याय 3)। यह पुनर्विकास पर भी लागू होता है, केवल खंड 4.5.6 के सीमित पुनर्विकास मार्ग के अधीन।

4.5.1.3 मानदंड प्रत्येक उस बिंदु पर लागू होते हैं जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है। जहाँ कोई साइट एक से अधिक आउटफॉल की ओर बहती है, वहाँ मानदंड प्रत्येक आउटफॉल पर उसकी ओर बहने वाले क्षेत्र के लिए लागू होते हैं। अपवाह को जलग्रहण क्षेत्रों के बीच मोड़ा नहीं जाएगा।

4.5.2 सामान्य जलग्रहण क्षेत्र

50%, 10% और 1% AEP (2-, 10- और 100-वर्ष) की प्रत्येक वर्षा घटना के लिए, और {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} में से प्रत्येक अवधि के लिए:

> Q_post(T, d) ≤ 0.9 × Q_pre(T, d)

4.5.3 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र

4.5.3.1 नीचे सूचीबद्ध जलग्रहण क्षेत्रों में, खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए, खंड 2.11.3 का **मिश्रित-आवृत्ति नियम** लागू होता है:

> Q_post(1% AEP, 100-वर्ष) ≤ Q_pre(10% AEP, 10-वर्ष), और Q_post(50% AEP, 2-वर्ष) ≤ Q_pre(50% AEP, 2-वर्ष)।

प्रत्येक सीमा उस अवधि पर विकास-पूर्व चरम है जो उसे अधिकतम करती है: 100-वर्ष की जाँच के लिए 10-वर्ष का चरम, और 2-वर्ष की जाँच के लिए 2-वर्ष का चरम। यह सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है (खंड 2.11.3)।

4.5.3.2 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र हैं:

- (a) **खारुन के नालों पर रायपुर की निचली कॉलोनियाँ**: रायपुर और बिरगांव के उन नालों और ड्रेनों के जलग्रहण क्षेत्र जो खारुन में गिरते हैं, उन पर स्थित तालाबों (talab) सहित, और शहर की वे निचली कॉलोनियाँ जिनका पानी उनमें जाता है और जिनमें भारी वर्षा में बाढ़ आती है, जिनके आउटफॉल खारुन के ऊँचा होने पर रुक जाते हैं;
- (b) **अरपा पर बिलासपुर**: बिलासपुर की वह भूमि जिसका पानी भैंसाझार (Bhaisajhar) बैराज के नीचे अरपा में जाता है, सरकंडा (Sarkanda) और नदी के तटों की अन्य निचली कॉलोनियों सहित;
- (c) **शिवनाथ के नालों पर दुर्ग–भिलाई**: दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली की वह भूमि जिसका पानी शंकर और पुलगांव नालों और इन जुड़वाँ शहरों के अन्य नालों के माध्यम से शिवनाथ (Seonath; Shivnath) में जाता है;
- (d) **बांगो और दर्री के नीचे कोरबा**: कोरबा की वह भूमि जिसका पानी मिनीमाता बांगो डैम और दर्री पर हसदेव बैराज के नीचे हसदेव में जाता है, जिसके आउटफॉल डैमों से पानी छोड़े जाने पर रुक जाते हैं;
- (e) **हीराकुंड के बैकवाटर में रायगढ़–सारंगढ़**: रायगढ़ और सारंगढ़ की वह भूमि जिसका पानी हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर की पहुँच के भीतर केलो, मांड या महानदी में जाता है;
- (f) **इंद्रावती पर जगदलपुर**: जगदलपुर की वह भूमि जिसका पानी इंद्रावती में जाता है, जिसके आउटफॉल नदी के अपने CWC चेतावनी स्तर से ऊपर होने पर रुक जाते हैं; और
- (g) खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र।

सीमाएँ वही होंगी जो परिशिष्ट 4A में मानचित्रित हैं।

4.5.4 अतिरिक्त बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की अधिसूचना

4.5.4.1 प्राधिकारी किसी जलग्रहण क्षेत्र को बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव कर सकता है जहाँ निम्नलिखित में से एक या अधिक दस्तावेजित हो:

- (a) पिछले 20 वर्षों में कम से कम दो अवसरों पर 1% AEP या उससे अधिक बार होने वाली घटना में भवनों या धमनी सड़कों पर बाढ़;

- (b) विद्यमान स्थितियों में 10% AEP प्रवाह से कम क्षमता वाली प्राप्तकर्ता ड्रेनें या चैनल;
- (c) किसी ऐसे तालाब, झील, जलाशय या बैराज के जलाशय में गिरने वाला आउटफॉल जिसका स्तर उसके पूर्ण स्तर पर या उससे ऊपर रखा जाता है, जैसे रायपुर के तालाब और नवा रायपुर की झीलें, या ऐसा आउटफॉल जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के कुछ भाग में बाढ़ग्रस्त नदी द्वारा या प्रतिप्रवाह के डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी द्वारा अवरुद्ध रहता है, जैसे रायपुर में खारुन, बिलासपुर में भैंसाझार बैराज के नीचे अरपा, कोरबा में बांगो और दर्री के नीचे हसदेव, गंगरेल के नीचे महानदी, जगदलपुर में इंद्रावती या रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड का बैकवाटर (अध्याय 5);
- (d) प्राचीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण के बाद से जलग्रहण क्षेत्र में मानचित्रित तालाब (tank) और तालाब (talab) भंडारण के एक-चौथाई से अधिक की हानि; या
- (e) ऐसा बेसिन मास्टर प्लान जो साइट से प्रवाह छोड़ने को सीमित करने पर निर्भर है।

4.5.4.2 प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

1. प्राधिकारी GIS रूप में जलग्रहण क्षेत्र की सीमा और 4.5.4.1 के साक्ष्य सहित एक तकनीकी टिप्पणी तैयार करता है।
2. अध्याय 1 के अंतर्गत गठित राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति टिप्पणी की समीक्षा करती है।
3. प्रारूप अधिसूचना और मानचित्र कम से कम 60 दिनों के लिए जन टिप्पणी हेतु प्रकाशित किए जाते हैं।
4. सरकार जलग्रहण क्षेत्र को अधिसूचित करती है और मानचित्र परिशिष्ट 4A में जोड़ा जाता है।
5. यह नियम अधिसूचना के **6 माह** या अधिक बाद प्राप्त आवेदनों पर लागू होता है। पहले प्राप्त आवेदनों का आकलन खंड 4.5.2 के अंतर्गत किया जाता है।

4.5.4.3 किसी अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र को केवल उसी प्रक्रिया द्वारा, और केवल तब विअधिसूचित किया जा सकता है जब कोई बेसिन अध्ययन यह दर्शाए कि खंड 4.5.2 के अंतर्गत सभी विकास के साथ अनुप्रवाह प्रणाली अध्याय 5 की अपेक्षाएँ पूरी करती है।

> **भाष्य.** 0.9 गुणक डेनवर (MHFD) के विश्लेषण से व्युत्पन्न है। उस विश्लेषण में, ऐतिहासिक 100-वर्ष चरम का 100% छोड़ने वाले दस बेसिनों ने आउटलेट पर फिर भी ऐतिहासिक चरम का 106% उत्पन्न किया; प्रत्येक पर 90% छोड़ने से 97% मिला (UDFCD Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum, 2012)। मिश्रित-आवृत्ति नियम का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; निकटतम मलेशियाई DID (2008) की जाँच-सूची है, जिसमें विकास-पश्चात 2-, 10-, 50- और 100-वर्ष के चरम विकास-पूर्व 2-वर्ष के चरम से कम होने अपेक्षित थे। विशिष्ट "100-वर्ष पश्चात ≤ 10-वर्ष पूर्व" रूप न्यू बर्लिन, विस्कॉन्सिन की एक योजना चर्चा में मिलता है (कोई अंगीकृत नियम नहीं)। रायपुर की प्रविष्टि खारुन और शहर के अभिलेख का अनुसरण करती है। रायपुर के नाले "आठ बड़ी नहरों के माध्यम से" ("through eight big canals") खारुन से जुड़े हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और नदी ने 29 अगस्त 2020 को पथरीडीह (Pathardihi) पर 281.68 m का नया उच्चतम स्तर बनाया, जो 1994 के उसके स्तर से 2.47 m ऊपर था, उस दिन जब जिले में लगभग 160 mm वर्षा हुई (CWC, SANDRP द्वारा प्रतिलिपि के अनुसार; प्रकाशित खबरों के अनुसार); उसके लिए कोई चेतावनी या खतरे का स्तर प्रकाशित नहीं है। AMRUT के अंतर्गत शहर की वर्षा जल निकासी योजना में ड्रेन नेटवर्क शहर के 49% भाग में था, लगभग 480 km ड्रेनें पक्की थीं, "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("Capacity of drain is not sufficient In rainy season most of the drains are overflowed"), और सड़क के 11 हिस्सों में वर्ष में दो या तीन बार बाढ़ आती थी; योजना ने ₹1,191 करोड़ के जल निकासी कार्य प्रस्तावित किए किंतु कोई पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक नहीं बताया (नगर पालिक निगम रायपुर, सेवा-स्तर सुधार योजना, 4 नवंबर 2015), और मार्च 2022 तक के वर्षों के लिए राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यानों को सम्मिलित करती है और ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती। 30 जून 2007 को, जब रायपुर में 297.0 mm वर्षा हुई (IMD), शहर के निचले भागों से 6,000 से अधिक लोगों को हटाया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 4–5 जुलाई 2026 को आदर्श नगर (मोवा), डीडी नगर, शंकर नगर, टाटीबंध (Tatibandh) और फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास पानी में डूबे रहे और पाँच तालाब चौबे कॉलोनी (Chaubey Colony) के घरों में उफन पड़े (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और सितंबर 2026 में खारुन महादेव घाट पर सड़क के ऊपर से बही (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। शहर के तालाब लगभग 130 से घटकर लगभग 40 रह गए हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बिलासपुर की प्रविष्टि अरपा का अनुसरण करती है। बिलासपुर भैंसाझार बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 302.000 m, WRD) के नीचे नदी पर स्थित है; 4 सितंबर 2025 को सरकंडा से अभिषेक विहार (Abhishek Vihar) तक की कॉलोनियाँ "फैले हुए

जलाशयों में बदल गईं" ("turned into sprawling water bodies"), और जुलाई 2026 में ऐसी वर्षा के बाद 400 से अधिक घरों में बाढ़ आई जिसे एक समाचार पत्र ने 24 घंटों में 28 cm और दूसरे ने 415.6 mm बताया; यह विरोध अनसुलझा है, और उसे परखने के लिए शहर का कोई IMD केंद्र चरम मानों की तालिका में नहीं है [TBC]। अरपा नदी-तट के लिए विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, जिसकी विकास योजना 2014 में अनुमोदित हुई थी, 2019 में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद काफी हद तक किनारे कर दिया गया, और नदी के साथ कोई अन्य रेखा नहीं मिली। दुर्ग–भिलाई की प्रविष्टि शिवनाथ के नालों का अनुसरण करती है: शंकर और पुलगांव नाले दुर्ग का अधिकांश सीवेज शिवनाथ तक ले जाते हैं, और NGT ने उन पर शोधन संयंत्रों को छह महीनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया (16 जनवरी 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार); भिलाई में 2025 में इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों की जलकुंभी ने जुनवानी (Junwani) और कोसानाला (Kosanala) की पुलियाएँ अवरुद्ध कर दीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और सितंबर 2026 की बाढ़ में दुर्ग में 764 लोगों को बचाया गया और लगभग 200 घर जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोरबा की प्रविष्टि हसदेव का अनुसरण करती है। नगर मिनीमाता बांगो डैम (स्पिलवे क्षमता 24,000 m^3/s) और दर्री पर हसदेव बैराज (19,820 m^3/s) के नीचे स्थित है (CWC, बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 2009); जब 24–26 अगस्त 2024 को बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, तब मोतीसागरपारा (Motisagarpada), सीतामणी (Seetamani) और इमलीडुग्गू (Imliduggu) में घरों में बाढ़ आई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और हसदेव ने कटघोरा (313.58 m, 20 जुलाई 2026) और बांगोडैम (Bangodam) (303.5 m, 17 अगस्त 2026) पर नए उच्चतम स्तर बनाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 12 अगस्त 2004 को 24 घंटों में 358.0 mm का रिकॉर्ड कोरबा का है (IMD), और उसका कोयला क्षेत्र और राखड़ बाँध तलछट और टूटने के खतरे जोड़ते हैं (खंड 4.1 का भाष्य)। रायगढ़–सारंगढ़ की प्रविष्टि हीराकुंड के बैकवाटर का अनुसरण करती है, जो छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों को आंशिक रूप से डुबोता है और जिसने 2011 में सीमा के दोनों ओर के गाँवों को क्षति पहुँचाई (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 14 अगस्त 2019 को केलो रायगढ़ में उफनी, और अगस्त 2020 में सूरजगढ़ पर महानदी और कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड ने अपने उच्चतम स्तर, 201.06 m और 220.4 m, बनाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 10 जुलाई 1958 को रायगढ़ में 360.9 mm दर्ज हुई (IMD)। हीराकुंड के पूर्ण स्तर पर राज्य के भीतर बैकवाटर के विस्तार का मानचित्रण नहीं हुआ है [TBC]। जगदलपुर की प्रविष्टि इंद्रावती का अनुसरण करती है, जो राज्य की एकमात्र नदी है जिसके प्रकाशित CWC चेतावनी और खतरे के स्तर, 539.49 m और 540.80 m, मिले: वह 29 जुलाई–8 अगस्त 2019 को खतरे के स्तर से ऊपर, 541.65 m पर थी (CWC), और 26 सितंबर 2026 को उसने 544.891 m का नया उच्चतम स्तर बनाया, खतरे के स्तर से 4.09 m ऊपर (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जबकि बस्तर संभाग में 25–28 अगस्त 2025 की बाढ़ में आठ लोगों की जान गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उसके प्रतिप्रवाह के डैम ओडिशा में हैं। गंगरेल के नीचे धमतरी, राजिम और आरंग, और राजनांदगांव, अंबिकापुर और कांकेर खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए संभावित हैं। 4.5.4.1 के अधिसूचना प्रारंभकों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और वे इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 6 माह की अग्रिम अवधि खंड 2.14.2 के अद्यतन नियम का अनुसरण करती है। खंड 4.16 बताता है कि विकास-पूर्व से कम निकास की आवश्यकता ही क्यों है।

4.5.5 न्यूनतम आउटलेट और अल्प-अवधि 2-वर्ष जाँच

4.5.5.1 जहाँ किसी AEP और अवधि के लिए PSD संगत जल स्तर पर **50 mm** ऑरिफिस (खंड 4.8.2) की प्रवाह दर से कम है, वहाँ उस AEP और अवधि के लिए 50 mm ऑरिफिस को अनुपालक माना जाएगा।

4.5.5.2 जहाँ 3 घंटे या उससे कम की अवधि पर 2-वर्ष मानदंड को पूरा करने के लिए इतने छोटे अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता हो कि खंड 4.7 की खाली होने संबंधी अपेक्षा पूरी न हो सके, वहाँ डिजाइनकर्ता:

- अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का आकार उस सबसे छोटे छिद्र के रूप में निर्धारित करेगा जो खंड 4.7 को पूरा करता है; और
- उन अवधियों के लिए परिणामी 2-वर्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट करेगा।

यदि अतिक्रमण 2-वर्ष जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम है, या यदि अध्याय 5 का अनुप्रवाह विश्लेषण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाता, तो प्राधिकारी डिजाइन स्वीकार कर सकता है।

भाष्य. AMC II के अंतर्गत, अविकसित खुली भूमि वाली साइट 1- या 2-घंटे की 2-वर्ष वर्षा घटना में लगभग कोई अपवाह उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि अधिकांश वर्षा प्रारंभिक हानि में चली जाती है। कुछ लीटर प्रति सेकंड का विकास-पूर्व चरम, अवधि-दर-अवधि तुलना करने पर, बहुत छोटे अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को अनिवार्य बना देता है। वह ऑरिफिस 10-वर्ष के आयतन को 48 घंटों के भीतर नहीं छोड़ सकता। यदि खंड 4.6.7 के उदाहरण की जाँच ऐसे की जाए मानो वह बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र के बाहर हो, तो 1-घंटे, 2-वर्ष के विकास-पूर्व चरम से मेल खाने के लिए लगभग 75 mm के अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता होगी। तब 10-वर्ष के आयतन के 90% को खाली होने में, स्वच्छ ऑरिफिस के साथ भी, 48 घंटे की सीमा के विरुद्ध लगभग 84 घंटे लगेंगे। जो 170 mm ऑरिफिस 50% अवरोध के साथ खाली होने की अपेक्षा पूरी करता है, वह 1-घंटे, 2-वर्ष के विकास-पूर्व चरम से लगभग 11 L/s अधिक है। खंड 4.5.5.2 इस विरोध को खाली होने के पक्ष में हल करता है, क्योंकि जो बेसिन अगली दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा घटना आने पर भी आंशिक रूप से भरा हो, वह उस घटना में विफल होता है जो अधिक महत्वपूर्ण है। KC APWA 5600 (2006) में कचरा-रोधी जालियों के साथ 75 mm (3 in) का न्यूनतम ऑरिफिस प्रयुक्त था। यह मैनुअल 50 mm का न्यूनतम निर्धारित करता है (खंड 4.8.2)।

4.5.6 सीमित पुनर्विकास साइटें

4.5.6.1 **पात्रता.** इस खंड का राहत मार्ग केवल ऐसे **पुनर्विकास** के लिए उपलब्ध है जहाँ निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों:

- (a) ध्वस्तीकरण से पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विद्यमान साइट कम से कम **60% अपारगम्य** है;
- (b) साइट **1 ha या उससे कम** है; और
- (c) डिजाइनकर्ता प्रपत्र 4-1 के साथ प्रस्तुत बाधा विवरण (Constraint Statement) में यह दर्शाता है कि साइट पर खंड 4.5.2 या 4.5.3 के अविकसित भूमि मानदंड पूरे नहीं किए जा सकते। विवरण में यह दर्शाना होगा कि खंड 4.10 के भंडारण के प्रत्येक विकल्प का आकलन किया गया है: छत और पोडियम भंडारण, पार्किंग या लैंडस्केप के नीचे टैंक, उप-आधार भंडारण वाला पारगम्य पेवमेंट, और लैंडस्केप गड्ढे। इसमें यह भी बताना होगा कि प्रत्येक विकल्प कितना भंडारण प्रदान कर सकता है।

अविकसित भूमि पर नया विकास कभी पात्र नहीं है।

4.5.6.2 **साइट पर न्यूनतम कार्य-निष्पादन.** पात्र साइट साइट पर निम्नलिखित सभी प्रदान करेगी:

- (a) बिना किसी राहत के पूर्ण प्रतिधारण आयतन (खंड 4.4) और WQv उपचार (अध्याय 8);
- (b) 50%, 10% और 1% AEP की वर्षा घटनाओं के लिए, खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि पर, विकास-पश्चात चरम प्रवाह दर **विद्यमान स्थिति के चरम के 50%** से अधिक नहीं। विद्यमान स्थिति को खंड 3.3.4 के अंतर्गत मॉडल किया जाता है; और
- (c) अनुप्रवाह की ओर किसी भवन या सड़क पर 1% AEP जल स्तर में कोई वृद्धि नहीं (अध्याय 5)।

4.5.6.3 **कमी.** कमी वह अस्थायी भंडारण है जो अविकसित भूमि मानदंडों (खंड 4.6) को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उसमें से 4.5.6.2 के अंतर्गत साइट पर प्रदान किया गया भंडारण घटाकर। आवेदक कमी के लिए खंड 4.13.3 की इकाई दर पर एवज शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क:

- (a) उस बेसिन के पृथक रखे गए खाते (ring-fenced account) में जमा किया जाएगा जिसमें साइट स्थित है;
- (b) केवल क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण पर, या बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11) में चिह्नित तालाब (talab) या तालाब (tank) के बाढ़ भंडारण के पुनर्स्थापन पर खर्च किया जाएगा; और
- (c) खंड 4.13.4 की सार्वजनिक खाता-बही में दर्ज किया जाएगा, जो प्रत्येक बेसिन में देय आयतन और प्रदत्त आयतन दर्शाएगी।

जहाँ अभी तक कोई बेसिन मास्टर प्लान अनुमोदित नहीं हुआ है, वहाँ शुल्क **5 वर्ष** तक रखा जाएगा। यदि उस अवधि में कोई प्लान अनुमोदित नहीं होता, तो उसे WRD की सहमति से उसी बेसिन में तालाब के बाढ़ भंडारण के पुनर्स्थापन पर खर्च किया जाएगा।

4.5.6.4 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र.** खंड 4.5.3 के जलग्रहण क्षेत्रों में यह मार्ग उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध है। तथापि, जहाँ अध्याय 5 का अनुप्रवाह विश्लेषण विश्लेषण के विस्तार के भीतर 10% AEP घटना में भवनों की विद्यमान बाढ़ दर्शाता है, वहाँ प्राधिकारी इसे अस्वीकार कर सकता है।

> **भाष्य.** सभी पुनर्विकास का लक्ष्य अविकसित भूमि की स्थिति है, क्योंकि घना शहर अपना अपवाह तभी कम करता है जब उसका पुनर्निर्माण होता है। बूढ़ा तालाब के आसपास रायपुर के पुराने शहर, या बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ के पुराने केंद्रीय भागों जैसे क्षेत्रों में छोटे, पूरी तरह निर्मित भूखंडों पर प्रायः अविकसित भूमि के पूर्ण भंडारण के लिए स्थान नहीं होता। जो नियम पूरा न किया जा सके, वह विचलनों और अननुपालन को आमंत्रित करता है, जिससे अनुप्रवाह की ओर किसी को लाभ नहीं होता। यह खंड UK Non-statutory Technical Standards for Sustainable Drainage (Defra, 2015, S2–S3) की पद्धति का अनुसरण करता है। पहले से विकसित साइटों के लिए वे मानक चरम अपवाह को "अविकसित भूमि की अपवाह दर के जितना निकट युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो" ("as close as reasonably practicable to the greenfield runoff rate") रखने और कभी भी पुनर्विकास-पूर्व दर से अधिक न होने की अपेक्षा करते हैं। 50% की नियत न्यूनतम कमी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है ताकि समीक्षकों को "युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य" के निर्णय के स्थान पर एक स्पष्ट संख्या मिले। एवज शुल्क कमी को उसी बेसिन में क्षेत्रीय भंडारण में बदल देता है, जिससे बेसिन को कुल मिलाकर अविकसित भूमि के समतुल्य नियंत्रण मिलता रहता है। प्रतिधारण और जल गुणवत्ता को कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि ये छोटे आयतन हैं जिन्हें लगभग प्रत्येक साइट रख सकती है।

4.6 अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण की प्रक्रिया

4.6.1 विधि

अस्थायी भंडारण का आकार सुविधा के जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध के माध्यम से हाइड्रोग्राफ रूटिंग द्वारा, स्तर-ताल रूटिंग (Modified Puls) या किसी समतुल्य संख्यात्मक विधि (SWMM, HEC-HMS) से निर्धारित किया जाएगा। नियत-अनुपात और रेशनल-आधारित भंडारण सूत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। खंड 4.14 की सरलीकृत विधियाँ (टियर B तालिकाएँ और नियत-गुणांक मार्ग) ही एकमात्र अपवाद हैं।

4.6.2 पद

1. साइट और उप-भागों का सीमांकन करें। HSG का मानचित्रण करें और परीक्षण द्वारा पुष्टि करें (अध्याय 3)।
2. 50%, 10% और 1% AEP तथा खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए जलवायु गुणक सहित डिजाइन वर्षा निकालें (अध्याय 2, प्रपत्र 2-1)।
3. डिजाइन हायटोग्राफ बनाएँ: ≤ 24 h के लिए ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक; 48 और 72 h के लिए "चरम दिन अंत में" ("peak day last") पैटर्न (खंड 2.9)।
4. विकास-पूर्व हाइड्रोग्राफ की गणना करें (अविकसित भूमि का CN; कन्हार या डोरसा वाली धान की निचली भूमि, तालाबों में जल निकासी करने वाली और घाटी-तल की साइटों पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, किसी जलाशय या बैराज के जलाशय, हीराकुंड के बैकवाटर, खदान के गड्ढे या अपने CWC चेतावनी स्तर पर या उससे ऊपर की नदी की ओर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों में हर समय, और अन्य साइटों और समयों पर 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद, प्रत्येक अवधि की वर्षा घटनाओं के लिए AMC III; अन्यथा AMC II)।
5. खंड 4.5.2 या 4.5.3 के अंतर्गत प्रत्येक AEP और अवधि के लिए निकास सीमाओं की गणना करें।
6. उन्हीं वर्षा घटनाओं और AMC के साथ, प्रतिधारण पद्धतियों सहित (खंड 4.4.6), विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ की गणना करें।
7. सुविधा की एक परीक्षण ज्यामिति (जल स्तर–भंडारण) और एक बहु-चरणीय आउटलेट चुनें (खंड 4.6.5)।
8. प्रत्येक वर्षा घटना और अवधि की रूटिंग करें। **5 मिनट** से अधिक नहीं, और विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्र के Tc/3 से अधिक नहीं, का समय पद प्रयोग करें।

9. प्रत्येक निकास की उसकी सीमा से जाँच करें, और खाली होने की जाँच करें (खंड 4.7)। आउटलेट और भंडारण को समायोजित करें और दोहराएँ।
10. खंड 4.6.6 की टेलवाटर स्थिति और अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण की जाँच करें।
11. आपातकालीन स्पिलवे का आकार निर्धारित करें और फ्रीबोर्ड तय करें (खंड 4.9)।
12. भंडारण के लिए, प्रत्येक आउटलेट चरण के लिए, और स्पिलवे के लिए निर्णायक वर्षा घटना की रिपोर्ट करें (खंड 4.17)।

4.6.3 रूट की जाने वाली वर्षा घटनाएँ

प्रत्येक सुविधा की रूटिंग पूर्ण मैट्रिक्स के लिए की जाएगी:

तालिका 4.1 — अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण के लिए रूट की जाने वाली डिजाइन वर्षा घटनाएँ

AEP	अवधियाँ (h)	AMC
50% (2-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III
10% (10-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III
1% (100-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III

क्रांतिक अवधि का परिणाम जो भी हो, 24-, 48- और 72-घंटे के रन अनिवार्य हैं (खंड 2.5.2)। जहाँ अध्याय 3 द्वारा Ia = 0.05S संवेदनशीलता अपेक्षित है, वहाँ उसे निर्णायक भंडारण स्थिति के लिए चलाया जाएगा।

4.6.4 प्रारंभिक स्थितियाँ

प्रत्येक रन निम्नलिखित के साथ आरंभ होगा:

- अस्थायी भंडारण खाली, सबसे निचले आउटलेट के इनवर्ट तक;
- कोई भी स्थायी जल-भंडार भरा हुआ;
- प्रतिधारण पद्धतियाँ खाली, खंड 4.11 द्वारा सीमित स्थिति के अतिरिक्त; और
- RWH भंडारण भरा हुआ (खंड 4.11)।

48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं में उनकी पूर्ववर्ती वर्षा पहले से सम्मिलित है, इसलिए कोई अतिरिक्त पूर्व-भराई लागू नहीं की जाती।

4.6.5 बहु-चरणीय आउटलेट का डिजाइन

4.6.5.1 आउटलेट में प्रत्येक मानदंड के लिए एक पृथक नियंत्रण होगा, जो सामान्यतः चित्र 4.2 के अनुसार एक के ऊपर एक रखे जाएँगे:

- **चरण 1**, इनवर्ट पर: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस। यह WQv को 24–48 h में छोड़ता है (अध्याय 8) और 2-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **चरण 2**: अधिकतम 2-वर्ष स्तर पर या उसके निकट रखा गया ऑरिफिस या स्लॉट। यह 10-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **चरण 3**: अधिकतम 10-वर्ष स्तर पर या उसके निकट रखा गया वियर, राइजर शिखर या बड़ा ऑरिफिस। यह 100-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **आपातकालीन स्पिलवे**: प्राथमिक आउटलेट से पृथक (खंड 4.9)।

जहाँ रूटिंग यह दर्शाए कि प्रत्येक सीमा पूरी होती है, वहाँ चरणों को संयुक्त किया जा सकता है।

4.6.5.2 ऑरिफिस की गणना 0.60 के प्रवाह गुणांक से की जाएगी, जब तक कि कोई अंशांकित (rated) युक्ति प्रयुक्त न हो। वियरों के लिए उनके आकार के अनुरूप गुणांक का प्रयोग किया जाएगा। जलमग्न आउटलेट और टेलवाटर के प्रभाव सम्मिलित किए जाएँगे (खंड 4.6.6)।

4.6.5.3 भँवर प्रवाह नियंत्रक (vortex flow controls) और अन्य स्वामित्वाधीन युक्तियों का उपयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ आपूर्तिकर्ता प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र प्रदान करे और न्यूनतम स्पष्ट छिद्र कम से कम 50 mm हो।

4.6.6 आउटलेट पर टेलवाटर

जहाँ भी प्राप्तकर्ता जल स्तर आउटलेट के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है, वहाँ आउटलेट की रूटिंग मुक्त आउटफॉल के बजाय प्राप्तकर्ता प्रणाली के टेलवाटर के सापेक्ष की जाएगी। टेलवाटर निम्नलिखित होगा:

- प्राप्तकर्ता ड्रेन के लिए: उसी वर्षा घटना में उसका जल स्तर, अध्याय 5 के विश्लेषण से या, टियर B के लिए, ड्रेन का ऑबवर्ट;
- ज्वारीय या पश्चजल प्रभावित आउटफॉलों के लिए: खंड 2.12 और अध्याय 5 के स्तर और संयुक्त स्थितियाँ, आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10) सहित।

जहाँ टेलवाटर निर्णायक है, वहाँ आउटलेट पर फ्लैप गेट लगाया जाएगा (खंड 5.11)। टेलवाटर स्तर से नीचे के भंडारण को तब तक उपलब्ध नहीं गिना जाएगा जब तक कि रूटिंग में गेट का बंद होना सम्मिलित न हो।

4.6.7 उदाहरण

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आकार दिखाता है। इनपुट रायपुर में खारुन की ओर बहने वाली किसी कॉलोनी के लिए संभाव्य होने के लिए कल्पित हैं। वे NIH-DHAARA मान नहीं हैं और उनका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इनपुट:

- साइट: 2.0 ha, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (खंड 4.5.3)।
- भूमि आवरण: विकास-पूर्व पूर्णतः पारगम्य, CN 70। विकास-पश्चात दो उप-भागों के रूप में (खंड 3.9.2): CN 98 पर 1.57 ha प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अपारगम्य सतह, जिसे AMC के लिए कभी परिवर्तित नहीं किया जाता, और CN 70 पर 0.43 ha पारगम्य खुला स्थान, विकास-पूर्व वाली मिट्टी पर ही; AMC II पर क्षेत्र-भारित CN 92 है। 12 h और उससे लंबी वर्षा घटनाओं के लिए केवल पारगम्य CN को AMC III में परिवर्तित किया जाता है: CN_III = 23·CN / (10 + 0.13·CN) = 84.3 (खंड 3.8.4)।
- सांद्रण समय (Tc): विकास-पूर्व 45 min, विकास-पश्चात 15 min (दोनों उप-भागों के लिए प्रयुक्त)। SCS त्रिकोणीय इकाई हाइड्रोग्राफ; 5-मिनट समय पद।
- 24-h गहराइयाँ: 2-, 10- और 100-वर्ष के लिए 110, 200 और 350 mm (10- और 100-वर्ष के मान वही हैं जो खंड 2.11 में हैं)।
- छोटी अवधियाँ: P(t) = P24·(t/24)^0.40, एक कल्पित अनुपात समूह, परिशिष्ट 2B नहीं।
- लंबी अवधियाँ: 48-h और 72-h गहराइयाँ 1.25 और 1.40 × P24 ली गईं, खंड 2.9.2 के अनुसार व्यवस्थित।
- भंडारण: ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला, 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल।
- आउटलेट, जिसका आकार इस प्रकार निर्धारित है कि अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध होने पर भी खाली होने की अपेक्षा पूरी हो (खंड 4.8.3)। परिशिष्ट 4C वह परीक्षण आउटलेट दिखाता है जो इस जाँच में विफल रहा।
    - चरण 1: इनवर्ट पर 170 mm ऑरिफिस।
    - चरण 2: 460 mm ऑरिफिस, जिसका इनवर्ट तल से 0.53 m ऊपर है।
    - चरण 3: आवश्यक नहीं, क्योंकि 100-वर्ष सीमा चरण 1 और 2 से पूरी हो जाती है।

परिणाम (प्रवाह दरें L/s में; भंडारण m^3 में):

तालिका 4.2 — उदाहरण: अवधि के अनुसार चरम प्रवाह दरें और प्रयुक्त भंडारण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	100-वर्ष विकास-पश्चात, अनियंत्रित	100-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	प्रयुक्त 100-वर्ष भंडारण	10-वर्ष खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	4	15	51	28	922	42	1,426	31.3
2	14	20	84	34	961	79	1,911	32.1
3	19	22	104	37	981	139	1,999	32.8
6	32	25	150	41	1,010	194	2,154	34.2
12	127	30	302	46	1,074	276	2,512	39.0
24	149	32	327	49	1,081	320	2,766	**45.3**
48	173	34	349	82	1,087	343	**2,913**	44.8
72	180	34	356	84	1,089	343	2,911	44.7

इसे कैसे पढ़ें:

- **100-वर्ष सीमा.** सीमा सबसे बड़ा विकास-पूर्व 10-वर्ष चरम है, 356 L/s (72 h)। भंडारण सहित प्रत्येक 100-वर्ष चरम इसके बराबर या इससे नीचे है; सबसे बड़ा 343 L/s है।
- **2-वर्ष सीमा.** साइट बाढ़-संवेदनशील है, इसलिए 2-वर्ष सीमा सबसे बड़ा विकास-पूर्व 2-वर्ष चरम है, 180 L/s (72 h; खंड 4.5.3.1)। भंडारण सहित सबसे बड़ा 2-वर्ष चरम 34 L/s है। 1, 2 और 3 घंटों पर भंडारण सहित 2-वर्ष चरम उसी अवधि के विकास-पूर्व चरम से ऊपर है (4 के विरुद्ध 15 L/s, 14 के विरुद्ध 20 L/s, और 19 के विरुद्ध 22 L/s)। यहाँ वह तुलना अपेक्षित नहीं है। खंड 4.5.2 के अंतर्गत आने वाली साइट के लिए वह अपेक्षित होती, और तब खंड 4.5.5.2 लागू होता।
- **निर्णायक भंडारण.** भंडारण **48- और 72-घंटे** की वर्षा घटनाओं से निर्धारित होता है: 2,913 m^3, जो साइट के प्रति m^2 0.146 m^3 है, 1.17 m की अधिकतम गहराई पर। जो डिजाइन केवल क्रांतिक अवधि की चरम वर्षा घटना (यहाँ 1–3 h) की जाँच करता, वह लगभग 2,000 m^3 प्रदान करता, जो आवश्यक का लगभग दो-तिहाई है।
- **खाली होना.** अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध होने पर (खंड 4.8.3), 10-वर्ष भंडारण का 90% अधिकतम 45.3 h (24-घंटे की वर्षा घटना) में खाली होता है, जो खंड 4.7 के 48 घंटों के भीतर है। 120 mm का ऑरिफिस स्वच्छ होने पर इसे लगभग 42 h में खाली करेगा किंतु आधा अवरुद्ध होने पर 54 से 75 h में, इसलिए वह विफल है। परिशिष्ट 4C वह परीक्षण और रूटिंग पद-दर-पद दिखाता है।
- **प्रतिधारण क्रेडिट.** प्रतिधारण के लिए वर्षा की 40 mm की उदाहरणार्थ गहराई के साथ, प्रत्येक उप-भाग के लिए गणना करने पर (खंड 3.9.4), RRV = 552 m^3। वर्षा घटना के आरंभ से भरने वाले और उसके दौरान कोई अंतःस्यंदन न करने वाले के रूप में मॉडल किए जाने पर, प्रतिधारण 24-घंटे के भंडारण को 138 m^3 से और 48- और 72-घंटे के भंडारण को 7 m^3 या उससे कम से घटाता है। इसलिए इस साइट के लिए खंड 4.4.6 के अंतर्गत क्रेडिट व्यावहारिक रूप से शून्य है।

परिमाण का क्रम, साइट के प्रति m^2 लगभग 0.15 m^3, खंड 2.11 के संकेत के अनुरूप है।

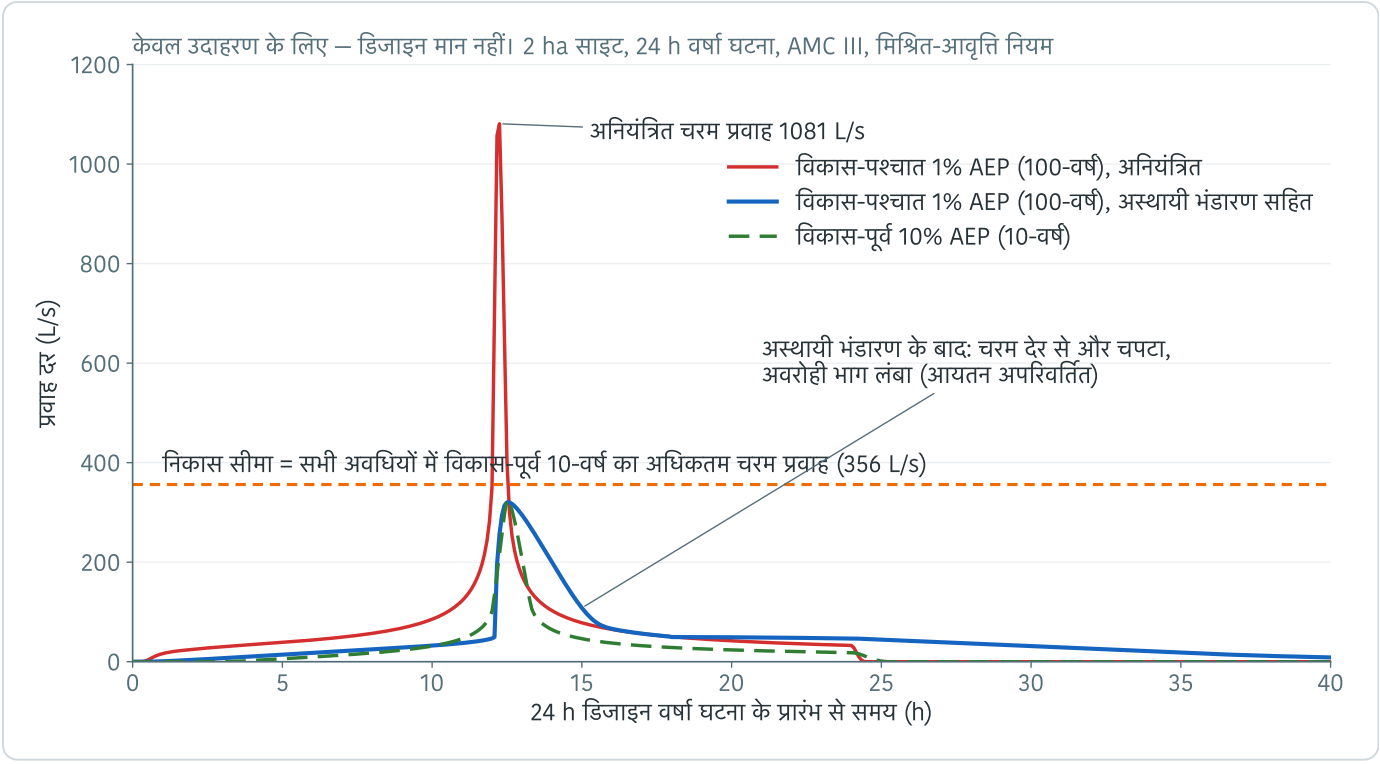

चित्र 4.1 — उदाहरण (खंड 4.6.7) की 24-घंटे की वर्षा घटना के लिए विकास-पूर्व 10-वर्ष, विकास-पश्चात 100-वर्ष अनियंत्रित और भंडारण सहित हाइड्रोग्राफ। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/KC APWA Section 5600 और Georgia Stormwater Management Manual (2016) की विकास-पूर्व/विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ अवधारणा से रूपांतरित।

> **भाष्य.** चित्र 4.1 दिखाता है कि अस्थायी भंडारण क्या करता है और क्या नहीं करता। यह चरम को घटाता और विलंबित करता है। यह आयतन को कम नहीं करता: भंडारण सहित वक्र के नीचे का क्षेत्रफल अनियंत्रित वक्र के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जो विकास-पूर्व 10-वर्ष आयतन के दोगुने से अधिक है। अतिरिक्त आयतन वर्षा घटना के बाद अनेक घंटों में साइट से बाहर जाता है। यह लंबा निकास अनुप्रवाह की ओर बड़े जलग्रहण क्षेत्र के चरम के साथ मेल खा सकता है (खंड 4.16), और जब आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध हो तब भी इसे खाली होना ही होगा (अध्याय 5)।

4.7 खाली होना

4.7.1 **अस्थायी भंडारण.** प्रत्येक अवधि की 10% AEP (10-वर्ष) वर्षा घटना में भंडारित अधिकतम आयतन का कम से कम **90%** अधिकतम भंडारण के समय से **48 घंटों** के भीतर, खंड 4.6.6 के टेलवाटर के साथ, गुरुत्व द्वारा छोड़ा जाएगा।

4.7.2 **जल गुणवत्ता आयतन.** WQv को कम से कम 24 घंटों और अधिकतम 48 घंटों में छोड़ा जाएगा (अध्याय 8)।

4.7.3 **प्रतिधारण.** प्रतिधारण भंडारण को अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली किया जाएगा (खंड 4.4.5)।

4.7.4 **ज्वारीय आउटफॉल.** जहाँ प्रत्येक चक्र के कुछ भाग में ज्वार के कारण गुरुत्व द्वारा खाली होना रुक जाता है, वहाँ ज्वारीय टेलवाटर को मॉडल करके 48 घंटे की सीमा लागू होती है। जहाँ इसे गुरुत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ खंड 5.12 के अंतर्गत पंप द्वारा खाली करने का प्रावधान किया जाएगा।

भाष्य. KC APWA 5600 (2006) में शुष्क बेसिनों से अंतर्वाह चरम के 24 घंटों के भीतर भंडारण का कम से कम 80% छोड़ने और 72 घंटों के भीतर खाली होने की अपेक्षा थी। सिंगापुर PUB अस्थायी भंडारण को 4 घंटों के भीतर पुनः उपलब्ध करने की अपेक्षा करता है। 48-घंटे, 90% का नियम PUB से लंबा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के भंडारण को कई दिनों के आयतन रखने होते हैं। फिर भी यह इतना छोटा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक अवदाब से भरे बेसिन का अधिकांश आयतन अगले अवदाब से पहले वापस उपलब्ध हो जाएगा, जो जून 2001 के अंत और जुलाई 2001 के आरंभ में (30 जून को जशपुरनगर में 365.0 mm और रायगढ़ में 298.0 mm, 6 जुलाई को नारायणपुर में 281.8 mm और 9 जुलाई को चारामा (Charama) में 497.8 mm, IMD) कुछ ही दिनों में आया था।

4.8 आउटलेट संरचनाएँ

4.8.1 **सामान्य.** प्राथमिक आउटलेट:

- बिना निगरानी के चलने वाले होंगे, जिनमें कोई चलने वाला पुर्जा, वाल्व या पंप नहीं होगा, सिवाय वहाँ के जहाँ खंड 5.12 पंप द्वारा खाली करने की अनुमति देता है;
- जहाँ व्यवहार्य हो, सीमित स्थान (confined space) में प्रवेश किए बिना सतह से निरीक्षण और सफाई के लिए सुलभ होंगे; और
- टिकाऊ सामग्री से बने होंगे। तटीय क्षेत्रों में ये संक्षारण-रोधी होंगी (खंड 4.12.5)।

4.8.2 **न्यूनतम ऑरिफिस.** कोई भी नियंत्रण ऑरिफिस व्यास में **50 mm** से छोटा नहीं होगा, या स्लॉट के लिए न्यूनतम आयाम में 50 mm से छोटा नहीं होगा।

4.8.3 **कचरा-रोधी जालियाँ और जालियाँ.** प्रत्येक ऑरिफिस और वियर कचरा-रोधी जाली (trash rack) या जाली (screen) द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। जाली:

- की छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी उसके द्वारा सुरक्षित सबसे छोटे छिद्र के आधे से अधिक नहीं, और 25 mm से कम नहीं होगी;
- का स्पष्ट खुला क्षेत्र उसके द्वारा सुरक्षित छिद्र के क्षेत्रफल का कम से कम **10 गुना** होगा;
- झुकी हुई होगी, या राइजर के चारों ओर पिंजरे के रूप में लगाई जाएगी, ताकि मलबा पानी के साथ ऊपर उठे और छड़ों से चिपके नहीं;
- सफाई के लिए हटाने योग्य या कब्जेदार होगी; और
- रूटिंग में, खाली होने की जाँच करते समय, अल्प-प्रवाह ऑरिफिस पर **50% अवरुद्ध** मानी जाएगी।

4.8.4 **भँवर-रोधी युक्तियाँ.** जिन राइजर शिखरों और ऑरिफिसों पर उनके व्यास के 1.5 गुना से अधिक हेड आ सकता है, उनमें भँवर-रोधी प्लेट या हुड होगा (चित्र 4.2)।

4.8.5 **आउटलेट बैरल.** तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट बैरल:

- कम से कम 300 mm व्यास के होंगे (अध्याय 6);
- के जोड़ जलरोधी होंगे;
- में तटबंध के भीतर की लंबाई पर फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर होंगे; और
- का आउटफॉल ऊर्जा क्षयकारी होगा (अध्याय 9)।

4.8.6 **पृथक्करण.** 1 ha से अधिक क्षेत्र की सेवा करने वाली सुविधाओं में रखरखाव के लिए आउटलेट को पृथक करने का साधन होगा, जैसे स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक। सामान्य सेवा में इसे पूरा खुला रखा जाएगा।

भाष्य. 50 mm का न्यूनतम KC APWA 5600 (2006) के 75 mm (3 in) से छोटा है, इसलिए कचरा-रोधी जाली की अपेक्षाएँ उसी अनुपात में अधिक कठोर हैं। 4.8.3 के अनुपातों (छिद्र के आधे पर छड़ों की दूरी, छिद्र का 10 गुना खुला क्षेत्र, खाली होने की जाँच के लिए 50% अवरोध) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और वे इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। अवरोध गुणक अध्याय 6 में निचले बिंदु (sag) के इनलेटों के लिए 50% जाली अवरोध गुणक से मेल खाता है। भारतीय शहरी ड्रेनें ठोस अपशिष्ट का भारी बोझ ले जाती हैं, इसलिए प्रभावी जाली के बिना अल्प-प्रवाह ऑरिफिस एक ही मौसम में अवरुद्ध हो जाएगा।

भंडारण की परतें और बहु-चरणीय आउटलेट — योजनाबद्ध काट, पैमाने पर नहीं

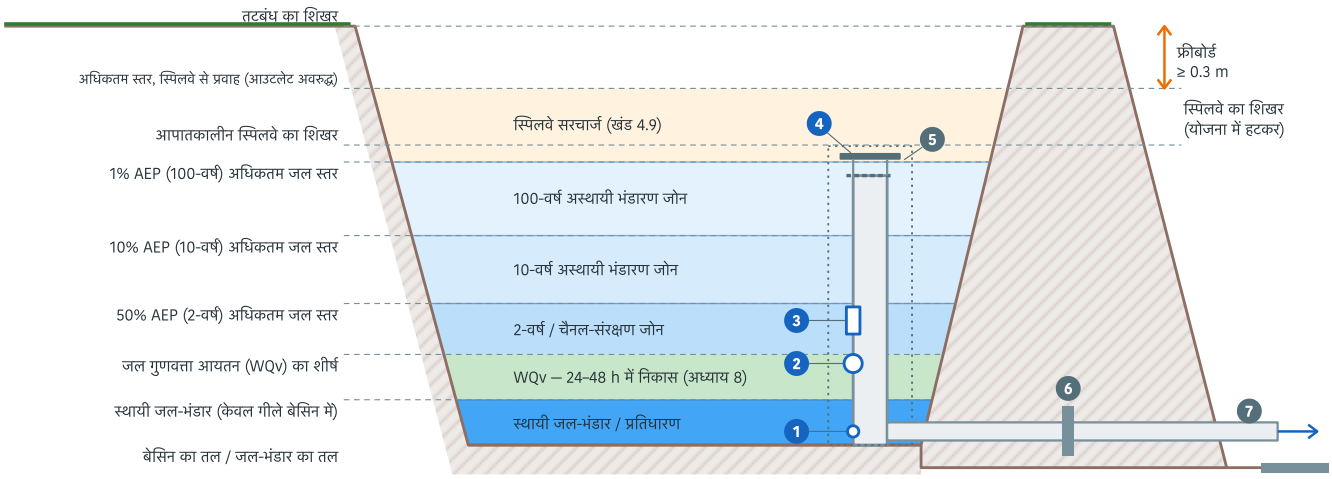

संकेत

1 चरण 1 अल्प-प्रवाह ऑरिफिस (≥ 50 mm, खंड 4.8.2) — WQv को 24–48 h में छोड़ता है
2 चरण 1 दूसरा ऑरिफिस — 1 के साथ 50% AEP (2-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
3 चरण 2 ऑरिफिस या वियर खाँचा — 10% AEP (10-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
4 चरण 3 राइजर शिखर / भँवर-रोधी प्लेट सहित ओवरफ्लो जाली — 1% AEP (100-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
5 सभी छिद्रों को घेरने वाली कचरा-रोधी जाली (खंड 4.8.3)
6 आउटलेट बैरल पर रिसाव कॉलर या फिल्टर डायाफ्राम
7 आउटलेट बैरल, ऊर्जा क्षय और आउटफॉल एप्रन
स्तर और जोन की मोटाई केवल सांकेतिक हैं।

चित्र 4.2 — अस्थायी भंडारण के स्तर-क्रम (स्थायी जल-भंडार, WQv, 2-वर्ष, 10-वर्ष और 100-वर्ष जोन, स्पिलवे सरचार्ज और फ्रीबोर्ड) और बहु-चरणीय राइजर आउटलेट। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/KC APWA Section 5600 (2006, 2025.01) और Mile High Flood District Urban Storm Drainage Criteria Manual, Volume 2 (full-spectrum detention) की बहु-चरणीय आउटलेट और भंडारण-जोन अवधारणाओं से रूपांतरित।

4.9 आपातकालीन स्पिलवे, फ्रीबोर्ड और तटबंध सुरक्षा

4.9.1 **स्पिलवे की क्षमता.** पूर्णतः या आंशिक रूप से तटबंध द्वारा बनी प्रत्येक अस्थायी भंडारण सुविधा में, या जिसका अतिप्रवाह भवनों तक पहुँच सकता है, ऐसा आपातकालीन स्पिलवे होगा जो **1% AEP (100-वर्ष) चरम अंतर्वाह** को निकाले:

- प्राथमिक आउटलेट को पूर्णतः अवरुद्ध मानते हुए;
- वर्षा घटना के आरंभ में सुविधा को स्पिलवे शिखर तक भरा मानते हुए; और
- अधिकतम जल स्तर से तटबंध के शिखर तक कम से कम **0.3 m फ्रीबोर्ड** के साथ।

4.9.2 **उच्च-जोखिम सुविधाएँ.** कोई सुविधा उच्च-जोखिम है यदि उसकी विफलता या अतिप्रवाह से:

- जीवन को खतरा हो सकता है;
- किसी आवास योग्य भवन या महत्वपूर्ण सुविधा में बाढ़ आ सकती है; या
- कोई धमनी सड़क बंद हो सकती है।

उच्च-जोखिम सुविधाओं की 4.9.1 की स्थितियों में **0.2% AEP (500-वर्ष)** चरम अंतर्वाह के लिए भी जाँच की जाएगी, और तटबंध के ऊपर से पानी नहीं बहना चाहिए।

4.9.3 **स्पिलवे का शिखर.** स्पिलवे का शिखर प्राथमिक आउटलेट के कार्यरत रहते हुए की गई रूटिंग से प्राप्त 1% AEP अधिकतम जल स्तर पर या उससे ऊपर होगा। अनुशंसित अंतराल 0.15 m है।

4.9.4 **स्पिलवे का स्थान.** स्पिलवे:

- प्राकृतिक भूमि या प्रबलित खंड पर होगा, भराई पर नहीं, जब तक कि पूर्ण डिजाइन प्रवाह के लिए अपरदन से सुरक्षित न हो;
- अध्याय 6 के 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग में पानी छोड़ेगा; और
- इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका प्रवाह किसी भवन तक न पहुँचे।

4.9.5 **भूमिगत और बंद सुविधाएँ.** टैंकों, वॉल्टों और पोडियम भंडारण में ऐसा अतिप्रवाह मार्ग होगा जो आउटलेट अवरुद्ध होने पर काम करे। यह मार्ग 1% AEP अंतर्वाह को किसी भवन, बेसमेंट या लिफ्ट पिट में सरचार्ज किए बिना सतही मार्ग तक ले जाएगा।

4.9.6 **तटबंध.**

- (a) **2 m** से अधिक ऊँचे तटबंध (अनुप्रवाह की ओर के आधार से शिखर तक मापे गए) का डिजाइन योग्य भू-तकनीकी अभियंता द्वारा किया जाएगा। डिजाइन में स्थिरता, रिसाव और धँसाव का विश्लेषण सम्मिलित होगा।
- (b) किसी भी ऐसे फलक पर, जिस पर घास काटी जाती है या जो जनता के लिए सुलभ है, पार्श्व ढलान 3H:1V से अधिक तीव्र नहीं होंगे। जहाँ खंड 4.15 अपेक्षा करता है, वहाँ ढलान अधिक सपाट होंगे।
- (c) तटबंधों में:
  - शिखर की चौड़ाई कम से कम 3 m होगी;
  - संघनित, अभियांत्रिकी भराई होगी, जिसमें रिसाव विश्लेषण द्वारा अपेक्षित होने पर कोर या कट-ऑफ होगा; और
  - कोई पेड़ या बड़ी झाड़ियाँ नहीं होंगी।
- (d) जो तटबंध संरचना बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के अंतर्गत आती है, वह इस मैनुअल के अतिरिक्त उस अधिनियम के अधीन है।

4.9.7 **खोदकर बनाई गई सुविधाएँ.** जो सुविधाएँ पूर्णतः आसपास की भूमि से नीचे हैं और जिनमें कोई तटबंध नहीं है, उन्हें 4.9.6 पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें फिर भी 4.9.1 पूरा करना होगा, जिसमें अतिप्रवाह मार्ग को स्पिलवे माना जाएगा।

> **भाष्य.** स्पिलवे मानदंड (1% अंतर्वाह, आउटलेट अवरुद्ध, बेसिन भरा, 0.3 m फ्रीबोर्ड; उच्च-जोखिम के लिए 0.2%) KC APWA 5600 (2006) के नियम का अनुसरण करता है: स्पिलवे शून्य भंडारण और अवरुद्ध प्राथमिक आउटलेट मानते हुए 1% वर्षा घटना को डैम के शीर्ष तक 1 ft (0.3 m) फ्रीबोर्ड के साथ निकालता है, और उसका शिखर 1% अधिकतम जल सतह से कम से कम 0.5 ft (0.15 m) ऊपर होता है। KC ने 10 ft (3 m) से ऊँचे डैमों का डिजाइन SCS TR-60 Class C के अनुसार किया। 2 m का तटबंध प्रारंभक मान, 3H:1V ढलान (KC वेट पॉन्ड), और 3 m शिखर चौड़ाई का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

4.10 सुविधाओं के प्रकार

4.10.1 **सामान्य.** खंड 4.5 से 4.9 को पूरा करने वाले किसी भी भंडारण का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सतही भंडारण को वरीयता दी जाती है जो दिखाई दे और जिसका निरीक्षण सीमित स्थान में प्रवेश किए बिना किया जा सके। भंडारण किसी आवास योग्य बेसमेंट में या ऐसे किसी स्थान में नहीं रखा जाएगा जिसमें बाढ़ आने से जीवन को खतरा हो।

4.10.2 **भूमिगत टैंक और वॉल्ट.**

- (a) जहाँ प्राप्तकर्ता ड्रेन अनुमति देती है, वहाँ गुरुत्व आउटलेट अनिवार्य है। पंप द्वारा संचालित आउटलेट केवल खंड 5.12 के अंतर्गत, पंजीकृत रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) के साथ, अनुमत हैं।
- (b) आउटलेट कक्ष के ऊपर और प्रत्येक इनलेट के ऊपर प्रवेश द्वार प्रदान किए जाएँगे। 500 m^2 से बड़े टैंकों में वे 30 m से अधिक दूरी पर नहीं होंगे।
- (c) फर्श आउटलेट पर स्थित संप की ओर कम से कम 1% ढलान वाला होगा, और अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के इनवर्ट के नीचे तलछट के लिए एक गड्ढा होगा।
- (d) टैंक संवातित होगा।
- (e) इनलेट गाद-जाल या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8) से होकर जाएँगे।
- (f) उत्प्लावन और भूजल के प्रवेश की जाँच खंड 4.12 के अंतर्गत की जाएगी।

4.10.3 **छत पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह उन सपाट छतों पर अनुमत है जिनका डिजाइन आउटलेट अवरुद्ध होने पर रुके पानी के पूर्ण भार के लिए किया गया हो। रुके पानी की गहराई **150 mm** से अधिक नहीं होगी, जब तक कि कोई संरचना अभियंता अधिक गहराई प्रमाणित न करे।
- (b) छत के प्रत्येक आउटलेट में प्रमाणित रेटिंग वाला प्रवाह-नियंत्रण रिंग या वियर होगा, और छत के प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित आउटलेटों से स्वतंत्र कम से कम एक अतिप्रवाह निकास (scupper) होगा जो 1% AEP अंतर्वाह को निकाले।
- (c) RWH संग्रह के लिए प्रयुक्त छतें छत पर अस्थायी भंडारण भी प्रदान कर सकती हैं। अस्थायी रूप से भंडारित आयतन नियंत्रक के माध्यम से छोड़ा जाता है, RWH संप में नहीं।

4.10.4 **पोडियम और लैंडस्केप-डेक पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह भूमि स्तर से ऊपर या बेसमेंट के कार पार्क के ऊपर अनुमत है, बशर्ते संरचना का डिजाइन पूर्ण संतृप्ति और रुके पानी के लिए किया गया हो, और उसे जलरोधी बनाया गया हो।
- (b) छत पर अस्थायी भंडारण (4.10.3) के निकास, अतिप्रवाह और सुरक्षा संबंधी नियम लागू होते हैं।

4.10.5 **पार्किंग स्थल पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह केवल सतही पार्किंग पर अनुमत है। रुके पानी की गहराई निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:
  - किसी भी पार्किंग बे पर 10% AEP वर्षा घटना में **200 mm** और 1% AEP वर्षा घटना में **300 mm**;
  - सुगम्य मार्गों, रैंपों और पैदल पारपथों पर शून्य; और
  - अग्निशमन वाहन के पहुँच मार्गों पर 10% AEP वर्षा घटना में शून्य।
- (b) संकेत-पट चेतावनी देंगे कि क्षेत्र में पानी भरता है।
- (c) रुका पानी किसी भवन की दीवार तक नहीं पहुँचेगा, जब तक कि दीवार 1% स्तर और फ्रीबोर्ड से ऊपर तक जलरोधी न हो (अध्याय 6)।

4.10.6 **बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण (पार्क, खेल के मैदान, खुले स्थान के लिए आरक्षित भूमि).**

- (a) खुले स्थान की भूमि का उपयोग अस्थायी भंडारण के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्राथमिक उपयोग कम से कम 50% AEP वर्षा घटना में उपलब्ध रहे।

- (b) भंडारण क्षेत्रों का समतलन इस प्रकार किया जाएगा कि वे खंड 4.7 के समय के भीतर पूरी तरह खाली हो जाएँ।
- (c) एक अल्प-प्रवाह चैनल या अंडरड्रेन शुष्क मौसम और बार-बार होने वाले प्रवाहों को ले जाएगा, ताकि पार्क में जलभराव न हो।
- (d) खंड 4.15 की गहराई और ढलान की सीमाएँ लागू होती हैं।
- (e) खेल उपकरण और बैठने की व्यवस्था 10% AEP स्तर से ऊपर रखी जाएगी।

4.10.7 **तालाब और आर्द्र बेसिन.**

- (a) खरपतवार की वृद्धि और मच्छरों के प्रजनन को हतोत्साहित करने के लिए स्थायी जल-भंडार अपने अधिकांश क्षेत्र में कम से कम 1.2 m गहरा होगा, और किनारे पर वनस्पति से ढकी सुरक्षा बेंच होगी (खंड 4.15)।
- (b) केवल स्थायी जल-भंडार के ऊपर का भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में गिना जाता है।

भाष्य.

- छत की गहराई (150 mm) और पार्किंग की गहराइयों (200 और 300 mm) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है ताकि अवरुद्ध आउटलेट खतरनाक होने से पहले ही ध्यान में आ जाए।
- 1.2 m जल-भंडार की गहराई KC APWA 5600 (2006) के 4 ft न्यूनतम स्थायी जल-भंडार के बराबर है। यह मैनुअल इसे मुख्यतः खरपतवार और मच्छर नियंत्रण के लिए लेता है।
- सिंगापुर में पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए रखरखाव घोषणा-पत्र आवश्यक हैं (PUB Addendum No. 3, April 2025)। यह मैनुअल अध्याय 10 के माध्यम से यही पद्धति अपनाता है।
- बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण के लिए खुले स्थान का उपयोग भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लेआउट सामुदायिक खुला स्थान रखते हैं (नियम 47; छत्तीसगढ़ का प्रतिशत देखा नहीं गया [TBC]) और एकीकृत उपनगर अपने क्षेत्र का कम से कम 10% उद्यान और खेल के मैदान के रूप में रखते हैं (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2019 में यथासंशोधित), और 2017 का प्रारूप हरित भवन नियम मनोरंजक खुले स्थान के कम से कम 20% को कच्चा (unpaved) रखता (प्रारूप नियम 79-C, अंतिम पाठ नहीं मिला [TBC])। नवा रायपुर अटल नगर की योजना इस प्रकार बनाई गई कि उसके उद्यान वर्षा जल को उसकी झीलों तक ले जाएँ (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और उसकी विकास योजना अपेक्षा करती है कि वर्षा जल ड्रेनों से आने वाला वर्षा का पानी खोदी गई या प्राकृतिक झीलों और गर्तों में भंडारित किया जाए (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2)। सड़क के स्तर से नीचे खुले स्थान में ढाला गया अस्थायी भंडारण क्षेत्र उसे पारगम्य और उपयोग योग्य रखता है, जिसकी अपेक्षा 4.10.6 करता है। चार प्रकार की भूमि इस प्रयोजन के लिए खुला स्थान नहीं है। भूमि पर स्थित कोई तालाब (talab) या डबरी (dabri) खंड 4.3.1 के पद 1 के अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है और ऐसी जल सतह के रूप में मॉडल किया जाता है (खंड 3.3.2(e)) जो अपने पूर्ण स्तर से आरंभ होती है (खंड 3.12.5), इसलिए उस स्तर से ऊपर का केवल उसका बाढ़ भंडारण ही गिना जा सकता है, और केवल उतना जितना अध्याय 7 अनुमति देता है; जिन गाँव के तालाबों पर समुदाय सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों का प्रयोग करता था वे राज्य सरकार में निहित हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), उन पर अतिक्रमण के विरुद्ध अप्राधिकृत कब्जे के रूप में कार्यवाही की जाती है (धारा 248), जैसे O.A. 78/2024 में NGT के 14 नवंबर 2024 के आदेश के अंतर्गत बलौदा के तालाबों पर, और सार्वजनिक तालाब नगर निगम में निहित होते हैं (छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 82 [TBC])। बफर की भूमि भी अतिरिक्त भूमि नहीं है: किसी आर्द्रभूमि के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा, जिसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने रायपुर में करबला तालाब पर कार्य रुकवाने और नरैया तालाब (Narhaiya Talab) पर एक परियोजना की जाँच के लिए, और नवा रायपुर में झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि के पास NRDA से निविदाएँ वापस लिवाने के लिए लागू किया है (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार); बिलासपुर में कोपरा जलाशय रामसर स्थल; और जलाशयों और जलमार्गों से नियम 50 की दूरियाँ, विरासत में मिले 1984 के पाठ में 9 m और 15 m, जिनके छत्तीसगढ़ पाठ की पुष्टि की जानी है [TBC]। अध्याय 7 के अंतर्गत किसी नाले, तालाब या नदी के हाइड्रोलिक कॉरिडोर की भूमि पहले से ही कॉरिडोर या बाढ़ भूमि है: पानी सबसे पहले उस तक पहुँचता है, इसलिए उसे उसके

> बगल के विकास के लिए अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता (अध्याय 7)। और भूमि पर या उसके बगल में स्थित खदान का गड्ढा, खदान झील, ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध साइट के लिए खुला स्थान या भंडारण नहीं है, जब तक पट्टाधारी और DGMS, या ऐश पॉन्ड के लिए उसका संचालक, लिखित रूप में सहमत न हों और उसके स्तरों का सर्वेक्षण न हो जाए (खंड 4.1 का भाष्य)।

4.11 वर्षा जल संचयन बनाम अस्थायी भंडारण का लेखा

4.11.1 **दोहरी गणना नहीं.** RWH भंडारण (RWH अनिवार्यता के अंतर्गत प्रदान किए गए संप, टैंक, पुनर्भरण गड्ढे और कुएँ) को अस्थायी भंडारण के रूप में **नहीं** गिना जाएगा।

4.11.2 **RWH संप भरे हुए माने जाएँगे.** इस अध्याय के अंतर्गत सभी रूटिंग के लिए, RWH संपों और टैंकों को प्रत्येक मौसम में **प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा हुआ** माना जाएगा। उनके अतिप्रवाह को अस्थायी भंडारण सुविधा की ओर, या यदि वह अस्थायी भंडारण को बायपास करता है तो सीधे आउटफॉल की ओर, रूट किया जाएगा। बाद वाली स्थिति में बायपास प्रवाह PSD में गिना जाता है।

4.11.3 **संयुक्त टैंक.** एक ही टैंक RWH और अस्थायी भंडारण, दोनों तभी प्रदान कर सकता है यदि:

- (a) अस्थायी भंडारण जोन पूर्णतः RWH अतिप्रवाह स्तर के **ऊपर** है;
- (b) अस्थायी भंडारण जोन RWH अतिप्रवाह स्तर पर रखे गए अपने स्वयं के गुरुत्व नियंत्रण ऑरिफिस द्वारा खाली होता है, जो खंड 4.7 और 4.8 को पूरा करता है;
- (c) कोई पंप, वाल्व या उपयोगकर्ता की कार्रवाई अस्थायी भंडारण जोन में पानी नहीं रोक सकती; और
- (d) दोनों जोन और ऑरिफिस का स्तर ड्रॉइंगों में और रखरखाव घोषणा-पत्र में दर्शाए गए हैं।

केवल RWH अतिप्रवाह स्तर और अस्थायी भंडारण अतिप्रवाह स्तर के बीच का आयतन अस्थायी भंडारण के रूप में गिना जाता है।

4.11.4 **पुनर्भरण संरचनाएँ.** पुनर्भरण गड्ढे, खाइयाँ, शाफ्ट और कुएँ **प्रतिधारण** (अस्थायी भंडारण नहीं) के रूप में गिने जा सकते हैं यदि वे खंड 4.4.3 से 4.4.5 को पूरा करते हैं। विशेष रूप से, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर उनके आधार से कम से कम 1.0 m नीचे होगा। रूटिंग में उन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के भूजल स्तर के साथ खंड 4.4.6 के अंतर्गत लिया जाता है।

4.11.5 **RWH अनिवार्य बना रहता है.** इस अध्याय की कोई भी बात भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78(4) और भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की, सरकारी भवनों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मई 2016 के आदेश की, एकीकृत उपनगरों (भूमि विकास नियम, 1984 का परिशिष्ट ण) और नवा रायपुर अटल नगर (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2) में अपेक्षित वर्षा जल संचयन की, छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 के प्रवृत्त होने पर उसके अंतर्गत अधिसूचित किसी क्षेत्र की, किसी विकास या भवन अनुमति की किसी शर्त की, या किसी अनुमोदन प्राधिकारी के किसी वर्षा जल संचयन नियम या निर्देश की RWH अपेक्षा को कम नहीं करती।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ में RWH भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78(4) पर आधारित है, जो वर्षा जल संचयन के नियोजन मानक निर्धारित करता है (आवास एवं पर्यावरण विभाग, 23 नवंबर 2009 का पत्र क्रमांक 2940/1445/32/2009) और जिसे 17 फरवरी 2009 को संशोधित किया गया (अधिसूचना क्रमांक 318/1193/32/2006, राजपत्र पृ. 124(10))। संशोधन उपनियम (4) में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, यह बताए बिना कि किसके स्थान पर ("नियम 78 के उपनियम (4) में अंक '500' तथा अंक "300" प्रतिस्थापित किया जावे", जैसा छपा है), और उपनियम में (क) जोड़ता है: यदि स्वामी प्रावधान के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण और रखरखाव नहीं करता, तो प्राधिकारी प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। 2009 से पहले या बाद के उपनियम का छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसका सीमा-मान ज्ञात नहीं है: 8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का एक उत्तर बताता है कि नियम 78(4) 1973 के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निवेश क्षेत्रों वाले नगरों में "500 वर्ग मी. से अधिक आकार के भूखंड वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए" ("for all types of buildings having plot size more than 500 sq. mt.") वर्षा या छत के जल का संचयन

अनिवार्य करता है, जो भूखंड के सीमा-मान के रूप में "500" से मेल खाता है, किंतु "300" किससे संबंधित है, यह ज्ञात नहीं है [TBC]। विकल्प भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (परिशिष्ट N) में दिए गए हैं। 2009 के संशोधन ने ढ-2 के "गोल पत्थर" (पीवल्स) के स्थान पर तल सतह पर गहराई के 50 प्रतिशत तक बारीक पत्थर की परत और मध्य सतह पर गहराई के 20 प्रतिशत तक बारीक रेत का फिल्टर रखा, और ढ-4 जोड़ा: मकान के उपांतीय खुले भाग में आवश्यकतानुसार खोदी गई भूमिगत भंडारण टंकी, जिसमें वर्षा का पानी भी छोड़ा जाए, कपड़े धोने, फर्श साफ करने और बगीचे के लिए पानी निकालने के लिए नल सहित, और 100 आवासीय इकाइयों के परिसरों में उपयोग किए गए जल के शोधन संयंत्र के नीचे टंकी; विकल्प ढ-1 और ढ-3 पढ़े नहीं गए [TBC]। एकीकृत उपनगरों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य है (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2008), नवा रायपुर इसे "प्रत्येक विकास के स्तर पर अनिवार्य" ("mandatory at individual development level") बनाता है (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2), और 2017 का प्रारूप हरित भवन नियम इसे 100 m^2 से बड़े प्रत्येक भूखंड पर अपेक्षित करता (प्रारूप नियम 79-C, 30 मार्च 2017), किंतु वह प्रारूप अंतिम हुआ या नहीं, यह पता नहीं चला [TBC]। सरकारी भवनों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 मई 2016 को आदेश दिया कि किसी विभाग या उसके उपक्रमों के 1,500 sq ft (लगभग 139 m^2) से अधिक की छत वाले प्रत्येक निर्माणाधीन भवन में वर्षा जल संचयन होगा, और 5,000 sq ft (लगभग 465 m^2) से अधिक की पक्की छत वाले प्रत्येक विद्यमान भवन में विभाग के अपने बजट से यह व्यवस्था की जाएगी (आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5)। छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 राज्य को अधिसूचित अति-दोहित और गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण लागू कराने देता है (धारा 7), किंतु उसे प्रवृत्त करने वाली या किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC]। प्रकाशित खबरों के अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर प्रत्येक टाउनशिप में कम से कम 50 वर्षा जल संचयन गड्ढों की अपेक्षा करता है, और 2016 में जिले ने उन 18 बिल्डरों और 7 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जिन्होंने उन्हें नहीं बनाया था (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इनमें से कोई भी नियम भंडारण आयतन, अंतःस्यंदन परीक्षण या भूजल स्तर की गहराई निर्धारित नहीं करता, वर्षा घटना से पहले टैंक के खाली होने की अपेक्षा नहीं करता, या चिकनी मिट्टी, कार्स्ट, खनन भूमि या संदूषित जलभृतों पर पुनर्भरण को प्रतिबंधित नहीं करता। यह मैनुअल इन संरचनाओं को अपनी प्रतिधारण अपेक्षा (खंड 4.4) के सापेक्ष निम्नानुसार क्रेडिट देता है:

- RWH भंडारण टैंक या संप, जिसमें भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-4 की भूमिगत टंकी और 31 मई 2016 के आदेश के अंतर्गत बने टैंक सम्मिलित हैं, RWH भंडारण है। यह अस्थायी भंडारण नहीं है (खंड 4.11.1), और इसे प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा हुआ माना जाता है (खंड 4.11.2), क्योंकि जुलाई की वर्षा के बाद वह भरा रहता है। कोई टैंक अस्थायी भंडारण भी तभी प्रदान कर सकता है यदि वह खंड 4.11.3 के अंतर्गत संयुक्त टैंक के रूप में बनाया गया हो, जिसमें उसके RWH अतिप्रवाह स्तर के ऊपर एक अस्थायी भंडारण जोन हो जो अपने स्वयं के ऑरिफिस से खाली होता हो; केवल वही जोन गिना जाता है।
- RWH टैंक खंड 4.4 की **प्रतिधारण** अपेक्षा में केवल उतना ही गिना जाता है जितना वह किसी सतत गैर-पेय उपयोग, जैसे शौचालय फ्लशिंग या धुलाई, द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली होता है, जिसका प्रदर्शन खंड 4.4.3 के अंतर्गत किया गया हो; मानसून में बगीचे की सिंचाई सतत उपयोग नहीं है। तब टैंक को किसी अन्य प्रतिधारण पद्धति की तरह खंड 4.4.6 के अंतर्गत मॉडल किया जाता है।
- भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ के गड्ढे, फिल्टर तल और पुनर्भरण संरचनाएँ, और वे गड्ढे जिनकी रायपुर टाउनशिपों में अपेक्षा करता है, केवल वहीं प्रतिधारण के रूप में गिने जाते हैं जहाँ वे खंड 4.11.4 को पूरा करते हैं: उन्हें केवल उतना क्रेडिट मिलता है जितना वे साइट परीक्षण में मापी गई दर के आधे पर 72 घंटों के भीतर खाली होते हैं (खंड 4.4.3 और 4.4.5), उनका आधार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से कम से कम 1.0 m ऊपर हो, और क्रेडिट खंड 4.4.6 के अंतर्गत रूटिंग द्वारा निकाला जाता है, उनका आयतन घटाकर नहीं।
- किसी लेआउट का सामुदायिक खुला स्थान (नियम 47), किसी एकीकृत उपनगर का खुला स्थान और प्रारूप हरित भवन नियम का कच्चा क्षेत्र पारगम्य क्षेत्र हैं। वे विकास-पश्चात रन में खंड 3.9.2 के अंतर्गत पारगम्य भूमि के रूप में आते हैं, और जब तक उन्हें अंतःस्यंदन पद्धति के रूप में बनाया और परखा न जाए, उन्हें प्रतिधारण या अस्थायी भंडारण के रूप में कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं मिलता।
- **जहाँ जलभृत पर दबाव है, वहाँ पहले पुनर्भरण.** पूरे राज्य में भूजल का उपयोग मध्यम है: 2024 के आकलन में दोहन का चरण 47.32% था, और 146 विकासखंडों में से 120 सुरक्षित, 21 अर्ध-गंभीर, 5 गंभीर और कोई भी अति-दोहित नहीं था, किंतु गंभीर विकासखंड शिवनाथ के मैदान में हैं और उनमें रायपुर के आसपास 93.51% पर धरसीवां, और गुरूर, नवागढ़ (Nawagarh), बेमेतरा और बेरला सम्मिलित हैं, और दुर्ग और धमधा के विकासखंड अर्ध-गंभीर हैं (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024*; 2026 में कोई विकासखंड गंभीर न होने की एक समाचार रिपोर्ट असत्यापित है [TBC])। इन शहरी

विकासखंडों में, जहाँ भी साइट परीक्षण अनुमति दें, वहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग या अस्थायी भंडारण से पहले पुनर्भरण द्वारा प्रदान किया जाएगा, पुनर्भरण संरचना के आगे एक गाद-जाल, एक फिल्टर और एक प्रथम प्रवाह डायवर्टर के माध्यम से, और लक्ष्य क्षेत्र की किसी जल-भूवैज्ञानिक द्वारा जाँच के साथ।

- **कन्हार पर कोई अंतःस्यंदन पद्धति नहीं.** कोई भी गड्ढा, खाई, फिल्टर तल, बेसिन या पुनर्भरण संरचना कन्हार (kanhar) पर या उसमें नहीं बनाई जाएगी, जो केवल सूखा रहने तक अपनी दरारों से पानी लेता है और दरारें बंद होने पर लगभग बिल्कुल नहीं (खंड 3.7.2)। ऐसी साइट पर नियम 78(4) का RWH फिर भी भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-4 के अंतर्गत भंडारण टंकी से पूरा किया जा सकता है, जिसे केवल उतना क्रेडिट मिलता है जितना दूसरा बिंदु अनुमति देता है।
- **चूना पत्थर पट्टी में गुहा जाँच.** रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर, जो रायपुर को भूजल देते हैं, आधिकारिक रूप से "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous") बताए गए हैं, 4–65 m/day की क्षेत्रीय पारगम्यता और चिकनी मिट्टी से भरी विलयन गुहाओं के साथ (CGWB, 2024; CGWB, राजनांदगांव जिला पुस्तिका); रायपुर के पास सिंकहोल और बोरहोल में गुहाओं की सूचना है किंतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उनकी पुष्टि नहीं की है [TBC]। इस पट्टी में किसी अंतःस्यंदन या पुनर्भरण पद्धति को क्रेडिट केवल उसके आधार के नीचे प्रोब छिद्रों या भू-भौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा गुहा जाँच के बाद, और केवल ऊपर बताए गए पूर्व-उपचार के साथ दिया जाता है, क्योंकि गुहा तक पहुँचने वाला अपवाह लगभग बिना छने जलभृत में प्रवेश करता है और उसे भरने वाली चिकनी मिट्टी को बहा ले जा सकता है।
- **गीली या विक्षुब्ध भूमि पर कोई पुनर्भरण क्रेडिट नहीं.** कन्हार और डोरसा (dorsa) वाली धान की निचली भूमि, डूब क्षेत्रों, तालाबों और जलाशयों के किनारों, हीराकुंड के बैकवाटर और खंड 4.12.1 की अन्य भूमि पर, और जहाँ भी मौसमी उच्चतम भूजल स्तर खंड 4.4.3 की 1.0 m की दूरी के भीतर है, वहाँ कोई भी पुनर्भरण या अंतःस्यंदन पद्धति प्रतिधारण क्रेडिट अर्जित नहीं करती; वहाँ अस्थायी भंडारण, वहन और पुनः उपयोग निर्णायक हैं। किसी ओवरबर्डन डंप या अन्य खनन से विक्षुब्ध भूमि पर, किसी ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध पर या उसके बगल में, या किसी चालू खदान के निर्जलीकरण क्षेत्र के भीतर, जैसे कोरबा में कुसमुंडा और गेवरा की खदानों के चारों ओर लगभग 1.2 km का अवनमन (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जहाँ पानी फिर से पंप करके निकाला जाएगा या अस्थिर भूमि को गीला करेगा, कोई पुनर्भरण या अंतःस्यंदन पद्धति नहीं बनाई जाएगी, और भू-तकनीकी जाँच के बिना किसी खदान के गड्ढे के किनारे से 50 m के भीतर भी कोई नहीं।
- **फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट.** जांजगीर-चांपा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और सूरजपुर जिलों में 783 में से 14 नमूनों में 1.5 mg/l से अधिक फ्लोराइड पाया गया; कोरबा, कोरिया और रायगढ़ के नमूनों में और पूर्व में राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के कौड़ीकसा (Kaudikasa) के कुओं में आर्सेनिक; और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित 20 जिलों में 11.5% नमूनों में 45 mg/l से अधिक नाइट्रेट (CGWB का तथ्य-पत्रक (factsheet), दिसंबर 2024; अंबागढ़ चौकी के CGWB अध्ययन)। इन जिलों में किसी पुनर्भरण बोर या शाफ्ट को क्रेडिट दिए जाने से पहले जल-भूवैज्ञानिक की जाँच लक्ष्य जलभृत का फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट बताएगी, और वहाँ अनुपचारित अपवाह किसी बोर या शाफ्ट में नहीं डाला जाएगा; तब प्रतिधारण मिट्टी या फिल्टर परत से होकर सतही अंतःस्यंदन द्वारा, या अस्थायी भंडारण और पुनः उपयोग द्वारा, प्रदान किया जाता है (अध्याय 8)।
- **सर्वत्र,** सड़क और पार्किंग के अपवाह का पुनर्भरण केवल फिल्टर वाली सतही अंतःस्यंदन पद्धति, जैसे वनस्पति-युक्त बेसिन या खाई, के माध्यम से किया जाएगा, कभी सीधे किसी बोर या कुएँ में नहीं, और सीवेज ले जाने वाले किसी नाले के अपवाह का, जैसा रायपुर और दुर्ग के अधिकांश नाले ले जाते हैं, पुनर्भरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

कन्हार और धान की निचली भूमि पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पुनर्भरण गड्ढा धीरे-धीरे खाली होता है या बिल्कुल नहीं होता, और शिवनाथ के मैदान में पहली भारी वर्षा के बाद संप भर जाता है। इसलिए RWH को अस्थायी भंडारण मानने से उस भंडारण को क्रेडिट मिल जाएगा जो आवश्यकता के समय अस्तित्व में नहीं होता। इसी कारण यह मैनुअल मानता है कि RWH संप प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरे होते हैं। इस धारणा को प्रत्येक मौसम पर लागू करने से एक सरल नियम बना रहता है। संयुक्त टैंक का प्रावधान (4.11.3) स्वामी को एक ही संरचना बनाने देता है, बशर्ते वर्षा घटना आने पर अस्थायी भंडारण वाला भाग खाली हो। दबावग्रस्त शहरी विकासखंडों के लिए पहले-पुनर्भरण नियम, कन्हार पर अंतःस्यंदन पद्धतियों पर रोक, चूना पत्थर पट्टी में गुहा जाँच, खनन से विक्षुब्ध भूमि, ऐश पॉन्डों और निर्जलीकरण क्षेत्रों पर रोकें, खदान के गड्ढे से 50 m की दूरी, फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट की जाँचें, और पूर्व-उपचार और सड़क अपवाह के नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं; पुनर्भरण को कहाँ क्रेडिट दिया जा सकता है या नहीं, इस पर छत्तीसगढ़ का कोई नियम नहीं मिला।

4.12 उच्च भूजल और रेतीली तटीय साइटें

4.12.1 **डिजाइन भूजल स्तर.** छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार और डोरसा वाली धान की निचली भूमि में, जहाँ मानसून में भूजल स्तर सतह के निकट उठ आता है, खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी और इंद्रावती और उनकी सहायक नदियों के डूब क्षेत्रों में, तालाबों, जलाशयों और बैराज के जलाशयों के तलों और किनारों में, जिनमें रायपुर के तालाब और नवा रायपुर की झीलें सम्मिलित हैं, और रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड के बैकवाटर में स्थित प्रत्येक साइट, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष के किसी भी समय भूजल स्तर सतह से 3 m के भीतर रहता है, सुविधा के लिए एक डिजाइन भूजल स्तर (DGWL) निर्धारित करेगी। DGWL दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान या उसके बाद का मौसमी उच्चतम स्तर है, जो निम्नलिखित से लिया जाएगा:

- (a) कम से कम एक पूर्ण जून–नवंबर ऋतु की साइट पीजोमीटर रीडिंग; या
- (b) जहाँ (a) उपलब्ध नहीं है, वहाँ निकटतम प्रेक्षण कुएँ के CGWB या जल संसाधन विभाग के अभिलेख में **0.5 m** जोड़कर, और किसी भी निकटवर्ती नदी, नाले, तालाब, जलाशय या खदान के गड्ढे का डिजाइन बाढ़ स्तर, इनमें से जो उच्चतर हो।

कन्हार और डोरसा वाली धान की निचली भूमि, तालाबों और नदियों के डूब क्षेत्रों के किनारों और हीराकुंड के बैकवाटर की साइटों पर 4.12.3 की उत्प्लावन जाँच के लिए, जहाँ (a) उपलब्ध नहीं है, DGWL को विद्यमान भूमि स्तर लिया जाएगा।

4.12.2 **लाइनरयुक्त भंडारण.** जहाँ DGWL किसी भंडारण सुविधा के आधार से 1.0 m से कम नीचे है:

- (a) सुविधा जलरोधी होगी (लाइनरयुक्त या जलरोधी कंक्रीट की), और कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट लागू नहीं होगा (खंड 4.4.4); या
- (b) यदि अस्तर नहीं है, तो DGWL से नीचे के आयतन को अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा, और भूजल अंतर्वाह को रूट किए गए अंतर्वाह में जोड़ा जाएगा।

4.12.3 **उत्थान और उत्प्लावन.** भूमि के नीचे स्थित प्रत्येक टैंक, वॉल्ट, लाइनरयुक्त तालाब या कक्ष की उत्प्लावन के लिए जाँच की जाएगी:

- सुविधा खाली होने पर;
- भूजल DGWL पर होने पर; और
- तटीय साइटों के लिए, भूजल अध्याय 5 के प्रमुख प्रणाली टेलवाटर स्तर पर भी होने पर, जहाँ वह उच्चतर हो।

उत्थान के विरुद्ध सुरक्षा गुणक, केवल स्थायी मृत भारों को गिनते हुए और दीवार के घर्षण की उपेक्षा करते हुए जब तक कि भू-तकनीकी डिजाइन द्वारा समर्थित न हो, कम से कम **1.2** होगा। भार (ballast), आधार विस्तार या तनाव पाइलों द्वारा स्थिरीकरण का उपयोग किया जा सकता है।

4.12.4 **उथले और भूमि के ऊपर के भंडारण को वरीयता.** जिन साइटों पर DGWL भूमि से 1.5 m के भीतर है, वहाँ जहाँ संभव हो भंडारण भूमि के ऊपर प्रदान किया जाना चाहिए: छत, पोडियम, लैंडस्केप या सतही भंडारण। गहरे टैंकों से बचा जाना चाहिए।

4.12.5 **टिकाऊपन.** लवणीय या खारे भूजल या ज्वारीय जल के संपर्क में आने वाले कंक्रीट और धातु के भागों का डिजाइन IS 456:2000 के अंतर्गत तटीय स्थितियों के अनुरूप अनावरण वर्ग के लिए किया जाएगा। आउटलेट फिटिंग, कचरा-रोधी जालियाँ और गेट स्टेनलेस स्टील, HDPE, FRP या किसी अन्य संक्षारण-रोधी सामग्री के होंगे।

4.12.6 **गहरे भूजल वाली रेतीली मिट्टी.** जहाँ DGWL आधार से 1.0 m या अधिक नीचे है, वहाँ रेतीली मिट्टी में अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण को प्रोत्साहित किया जाता है। खंड 4.4.3 की डिजाइन अंतःस्यंदन दर लागू होती है, और उथले जलभृतों के प्रदूषण संबंधी अध्याय 8 की अपेक्षाएँ पूरी की जाएँगी।

भाष्य. छत्तीसगढ़ भू-आबद्ध है, इसलिए इस खंड के तटीय प्रावधान, यानी 4.12.1 और 4.12.3 के ज्वारीय जल स्तर, राज्य में लागू नहीं होते, और लवणीय भूजल दुर्लभ है (783 में से 2 नमूनों में 3,000 µS/cm से अधिक विद्युत चालकता; CGWB का तथ्य-पत्रक, दिसंबर 2024), इसलिए 4.12.5 के अनावरण संबंधी प्रावधान केवल वहीं लागू होते हैं जहाँ साइट पर किया गया परीक्षण उसे दिखाए, या जहाँ सुविधा ऐसे खदान के पानी या ऐश पॉन्ड के पानी के संपर्क में हो जिसके रसायन का परीक्षण नहीं हुआ है। मैदान का भूजल स्तर मानसून से पहले कई मीटर नीचे होता है, किंतु उसके बाद सतह के निकट उठ आता है: 2023 में राज्य के 52% प्रेक्षण कुएँ मानसून से पहले 5–10 m पर थे, और उसके बाद लगभग 76% कुएँ 5 m के भीतर, जिनमें से 17.6% 2 m के भीतर (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh 2024*); रायपुर जिले में मानसून-पश्चात गहराई 0.87–7.05 m थी (CGWB जिला पुस्तिका, लगभग 2007)। कन्हार और डोरसा वाली धान की निचली भूमि, खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी और इंद्रावती के डूब क्षेत्र, तालाबों, झीलों, जलाशयों और बैराज के जलाशयों के किनारे, और रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड का बैकवाटर गीली स्थितियाँ हैं। वहाँ बिना लाइनर वाला टैंक वर्षा घटना से पहले ही भूजल से भर जाता है, और खाली लाइनरयुक्त टैंक तैर सकता है, विशेष रूप से जब बाढ़ में चल रही नदी, अपने पूर्ण स्तर पर भरा जलाशय या बैराज का जलाशय, कोई तालाब या पानी से भरा खदान का गड्ढा उसके बगल में भूजल स्तर ऊपर उठा दे; गोंडवाना कोयला क्षेत्रों में भूजल स्वतः प्रवाही (artesian) स्थितियों में भी रह सकता है (CGWB, 2024)। इसलिए 4.12.1(b) का डिजाइन भूजल स्तर निकटवर्ती नदी, नाले, तालाब, जलाशय या खदान के गड्ढे का डिजाइन बाढ़ स्तर लेता है जहाँ वह कुएँ के अभिलेख से ऊँचा हो, और धान की निचली भूमि, तालाबों और नदियों के डूब क्षेत्रों के किनारों और हीराकुंड के बैकवाटर में उत्प्लावन जाँच के लिए, जब तक पीजोमीटर अन्यथा न दिखाएँ, उसे विद्यमान भूमि स्तर लिया जाता है। 4.12.1(a) की जून–नवंबर निगरानी ऋतु इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि उसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून और मानसून-पश्चात का वह उच्चतम स्तर आ जाए जिसे CGWB नवंबर में मापता है: मई या जून में लिया गया पाठ्यांक, जब अधिकांश कुएँ 5–10 m पर होते हैं, डिजाइन स्तर को कम आँकता है। रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, कोरबा या रायगढ़ में अलग-अलग नगर साइटों के लिए मानसून में भूजल स्तर की गहराइयाँ प्राप्त नहीं हुईं [TBC]। 1.2 के गुणक, 0.5 m के अतिरिक्त प्रावधान और निचली भूमि, डूब क्षेत्रों के किनारों और हीराकुंड के बैकवाटर के लिए "भूमि स्तर" डिफॉल्ट का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि अनुसंधान के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए साइट-स्तर की मौसमी भूजल गहराइयाँ प्रकाशित रूप में नहीं मिलीं।

4.13 क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क

4.13.1 **कहाँ अनुमत है.** अध्याय 11 के अंतर्गत अनुमोदित बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले बेसिन में, कोई विकास अपनी अस्थायी भंडारण अपेक्षा को पूर्णतः या आंशिक रूप से निम्नलिखित के माध्यम से पूरा कर सकता है:

- (a) प्लान में चिह्नित क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण सुविधा; या
- (b) प्लान में चिह्नित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के पुनर्स्थापन के लिए भुगतान किया गया एवज शुल्क।

4.13.2 **शर्तें.** क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क केवल वहीं स्वीकार किया जाएगा जहाँ:

- (a) क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब चालू है, या उसके लिए धन उपलब्ध है और उसे **3 वर्षों** के भीतर चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित है। तब तक अंतरिम रूप से साइट पर अस्थायी भंडारण अपेक्षित है।
- (b) साइट से सुविधा तक का वहन मार्ग उनके बीच के भवनों या सड़कों पर जल स्तर बढ़ाए बिना 1% AEP विकास-पश्चात प्रवाह ले जाता है (अध्याय 5);
- (c) किसी तालाब पर क्रेडिट दिया गया भंडारण केवल **बाढ़ भंडारण** है। यह तालाब के पूर्ण जल स्तर (FTL) और उस अधिकतम जल स्तर के बीच का आयतन है जिसे बाँध और सरप्लस वियर सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं, साथ में FTL से नीचे का कोई भी ऐसा आयतन जिसे कोई अधिसूचित प्रचालन नियम दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले खाली करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जून से सितंबर तक सिंचाई या आपूर्ति के लिए रखे गए FTL से नीचे के भंडारण को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
- (d) तालाब अध्याय 7 की अपेक्षाएँ पूरी करता है: सर्वेक्षित FTL, दस्तावेजित प्रचालन नियम, और रखरखाव किया गया सरप्लस वियर;

- (e) साइट फिर भी साइट पर **प्रतिधारण** (खंड 4.4) और **WQv** उपचार (अध्याय 8) प्रदान करती है; और
- (f) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सुविधा अपने संपूर्ण योगदान क्षेत्र के लिए मिश्रित-आवृत्ति नियम पूरा करती है।

4.13.3 **शुल्क.** एवज शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> शुल्क = (खंड 4.6 के अंतर्गत साइट पर आवश्यक अस्थायी भंडारण आयतन, m^3) × (प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित इकाई दर, ₹/m^3)

इकाई दर में भूमि, निर्माण और 10 वर्षों का रखरखाव सम्मिलित होगा। शुल्क पृथक रखे गए बेसिन खाते में रखे जाएँगे और केवल प्लान में नामित सुविधाओं पर खर्च किए जाएँगे।

4.13.4 **खाता-बही.** प्राधिकारी निम्नलिखित की सार्वजनिक खाता-बही रखेगा:

- प्रत्येक क्षेत्रीय सुविधा को क्रेडिट किया गया अस्थायी भंडारण आयतन;
- प्रदत्त आयतन; और
- प्राप्त और खर्च किए गए शुल्क।

> **भाष्य.** मलेशियाई DID (2008) की जाँच-सूची 0.1 ha से बड़ी साइटों के लिए साइट पर अस्थायी भंडारण की तुलना में सामुदायिक तालाबों को वरीयता देती थी। साइट पर अस्थायी भंडारण के अध्ययन दर्शाते हैं कि इसका लाभ स्थान पर निर्भर करता है और अनुप्रवाह की ओर दूरी के साथ घटता जाता है (Colorado State University thesis; McEnroe for Kansas City), और यह कि जलग्रहण क्षेत्र के निचले भाग में स्थित तालाब मुख्य धारा के चरम के साथ मेल खा सकता है (*Water* 2016)। इसलिए क्षेत्रीय भंडारण का स्थान बेसिन मॉडलिंग द्वारा तय किया जाना चाहिए, केवल जोड़कर नहीं।
>
> छत्तीसगढ़ में तालाब या झील का कोई अधिनियम नहीं है, और उसके शहरों में कोई तालाब (talab), झील या जलाशय किसी दस्तावेजित नियम के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रचालित होता नहीं मिला [TBC]। जिन गाँव के तालाबों पर समुदाय सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों का प्रयोग करता था वे 6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और उन पर अतिक्रमण के विरुद्ध अप्राधिकृत कब्जे के रूप में कार्यवाही की जाती है (धारा 248): NGT द्वारा कलेक्टर को बलौदा में राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाबों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए जाने के बाद (O.A. 78/2024 में 14 नवंबर 2024 का आदेश), तहसीलदार ने उस धारा के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की। सार्वजनिक तालाब नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नगर निगम में निहित होते हैं, किंतु वही अधिनियम, अपने मध्य प्रदेश पाठ में, आयुक्त को किसी निजी तालाब को भरवाने या उसका पानी निकलवाने की अपेक्षा करने देता है (धारा 82 और 202, छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित [TBC]), इसलिए कोई निजी तालाब आदेश से समाप्त हो सकता है, और यह मैनुअल भरने के बजाय गाद-सफाई और इनलेट पर जाली (screening) को प्राथमिकता देता है। रायपुर तालाबों का शहर है: 2001 में लगभग 130 तालाबों की सूचना थी और लगभग 37–40 बचे हैं, लगभग 69 ha में, और 2015 में उन सभी को "प्रदूषित और भारी गाद से भरे" ("polluted and heavily silted") बताया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने 8 मई 2023 को रायपुर जिले के सभी जलाशयों के सर्वेक्षण का आदेश दिया, किंतु केवल करबला तालाब का सर्वेक्षण होने की सूचना है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। नवा रायपुर अटल नगर की योजना प्राकृतिक जलाशयों के एक जाल के चारों ओर बनाई गई, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ और खंडवा (Khandawa) झीलें सम्मिलित हैं, जिन्हें वर्षा जल चैनल और उद्यान पानी देते हैं, और उसकी विकास योजना अपेक्षा करती है कि वर्षा जल खोदी गई या प्राकृतिक झीलों और गर्तों में भंडारित किया जाए (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2); फिर भी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को NRDA को झांझ आर्द्रभूमि के पास भूखंडों और आवासों की निविदाएँ वापस लेने का निर्देश देना पड़ा (3 मार्च 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राज्य का एकमात्र रामसर स्थल बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय है, 210 ha, 1993 में बना WRD का जलाशय, जिसका अतिप्रवाह घोंघा (Ghonga) से होकर मनियारी और शिवनाथ तक जाता है, और जिसका नामांकन रामसर सूचना पत्रक के अनुसार 8 अगस्त 2025 को हुआ और जिसकी घोषणा दिसंबर 2025 में हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राज्य का क्षेत्रीय भंडारण पाँच प्रकार का है: नगरों और गाँवों के तालाब और डबरियाँ (dabri), जैसे रायपुर में बूढ़ा तालाब और तेलीबांधा; नवा रायपुर की झीलें और जलाशय; WRD के डैम,

जलाशय और बैराज, जिनमें रविशंकर सागर (गंगरेल), मिनीमाता बांगो और दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग (Kharang), मनियारी, केलो, कुम्हारी (Kumhari) और पेंड्रावन (Pendrawan), अरपा भैंसाझार और मोंगरा बैराज और महानदी के बैराज हैं; कोयला क्षेत्रों के खदान के गड्ढे और खदान झीलें और बिजली घरों के ऐश पॉन्ड; और नदियों के डूब क्षेत्र। इससे चार बातें निकलती हैं:

- अभिलेख में दर्ज तालाब संभव है कि कार्यरत तालाब न हो। RMC या अन्य नगर निगमों की सीमाओं के भीतर के तालाबों की, उनके तलों, बाँधों और आउटलेटों सहित, कोई सूची नहीं मिली [TBC]। किसी तालाब को क्रेडिट केवल तब दिया जाता है जब सर्वेक्षण उसका तल, बाँध और आउटलेट दिखाए, और केवल उसके पूर्ण स्तर से ऊपर के भंडारण के लिए।
- जलाशय और बैराज किसी साइट के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं हैं। वे पूरे मानसून भर सिंचाई, जल आपूर्ति और उद्योग के लिए भरे रखे जाते हैं, इसलिए पूर्ण स्तर से नीचे के उनके भंडारण को क्रेडिट नहीं दिया जाता (खंड 4.13.2(c)); उनसे पानी छोड़ना पूरे बेसिन के लिए WRD निर्धारित करता है, जैसे सितंबर 2026 में गंगरेल के सभी 14 गेट खोले गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और हीराकुंड जलाशय, जिसका बैकवाटर रायगढ़ और सारंगढ़ तक पहुँचता है, ओडिशा द्वारा प्रचालित होता है, और अगस्त 2020 और सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर उसके गेट खोले गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। किसी जलाशय या बैराज के जलाशय में, या उसके नीचे की नदी में, छोड़ा गया वर्षा जल उस क्षमता का उपयोग करता है जिसका प्रचालन पूरे बेसिन के लिए होता है; उस पर केवल किसी घोषित प्रवाह और स्तर के लिए WRD की लिखित सहमति से ही भरोसा किया जा सकता है।
- खदान का गड्ढा, खदान झील या ऐश पॉन्ड क्षेत्रीय भंडारण नहीं है। खदान का गड्ढा अपवाह को मंद कर सकता है, किंतु अस्थिर हाईवॉल के सामने या पुराने खनन कार्यों में उठाया गया पानी एक खतरा है, और उसका नियंत्रण पट्टाधारी और DGMS करते हैं; ऐश पॉन्ड ऐसे राखड़ बाँध के पीछे रोका जाता है जिसके कोरबा में 2024–2026 में टूटने से राख की स्लरी खेतों पर और हसदेव में पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इनमें से किसी का भी उपयोग केवल पट्टाधारी और DGMS की, या ऐश पॉन्ड के लिए उसके संचालक की, लिखित सम्मति से, और उसके जल स्तर, अतिप्रवाह स्तर और अतिप्रवाह मार्ग के सर्वेक्षण के साथ ही किया जाता है (खंड 5.8.5(e)), और कभी यह नहीं माना जाता कि उसमें मुक्त भंडारण उपलब्ध है।
- प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला [TBC]। जब तक ऐसा नियम न बने, यह मैनुअल नदियों, डैमों, जलाशयों, बैराजों और नहरों को WRD के; किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर के नालों, ड्रेनों और सार्वजनिक तालाबों को उस निकाय के; नवा रायपुर की सड़कों, ड्रेनों और झीलों को NRDA के; भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों को SAIL के; धारा 251 के अंतर्गत निहित गाँव के तालाबों को कलेक्टर के; खदान की ड्रेनों, खदान के गड्ढों और खदान झीलों को पट्टाधारी के और ऐश पॉन्डों और राखड़ बाँधों को बिजली कंपनी के; और कोपरा जलाशय और किसी भी ऐसी आर्द्रभूमि को, जिसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, उस प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के भीतर मानता है (खंड 6.9 का भाष्य)। यह इस मैनुअल द्वारा कार्य के लिए किया गया आवंटन है, सांविधिक आवंटन नहीं।

पहली बात छत्तीसगढ़ में शर्त 4.13.2(c) का आधार है। तालाब (talab) केवल अपने पूर्ण स्तर से ऊपर बाढ़ भंडारण देता है, जब तक कि कोई अधिसूचित प्रचालन नियम उसे दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध न करे। 3 वर्ष की चालू होने की सीमा और 10 वर्ष के रखरखाव प्रावधान का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

4.14 छोटी साइटों के लिए सरलीकृत विधियाँ

4.14.1 **प्रयोज्यता.** टियर B स्थानीय निकाय बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर **2 ha या उससे कम** की साइटों के लिए सरलीकृत विधि की अनुमति दे सकते हैं। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में इसका उपयोग **0.5 ha या उससे कम** की साइटों के लिए किया जा सकता है। अन्य सभी साइटें खंड 4.6 का उपयोग करेंगी। जब तक तालिका 4.3 (परिशिष्ट 4B) प्रकाशित नहीं होती, सभी टियर B साइटें भी खंड 4.6 का उपयोग करेंगी।

4.14.2 **विधि.**

1. साइट के जोन, HSG और विकास-पश्चात अपारगम्यता के लिए PSD (L/s/ha) और SSR (m^3/ha) **तालिका 4.3** (परिशिष्ट 4B) से पढ़ें।
2. आवश्यक भंडारण: V = SSR × A − V_credit (खंड 4.4.6.3)।

3. अनुमेय प्रवाह दरें: 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए Q_PSD,T = PSD_T × A।
4. 50 mm न्यूनतम के अधीन, परिशिष्ट 4B की मानक आउटलेट तालिका (निर्दिष्ट गहराइयों पर PSD के लिए ऑरिफिस आकार) से अल्प-प्रवाह ऑरिफिस और ऊपरी नियंत्रक चुनें।
5. खंड 4.9 के अंतर्गत स्पिलवे या अतिप्रवाह, खंड 4.11 का RWH लेखा, और खंड 4.15 के सुरक्षा प्रावधान प्रदान करें।
6. प्रपत्र 4-2 (टियर B साइट पत्रक) भरें।

तालिका 4.3 — टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण (टेम्पलेट)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), सामान्य	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m³/ha), सामान्य	SSR (m³/ha), बाढ़-संवेदनशील
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-A रायपुर–दुर्ग–भिलाई–राजनांदगांव मैदान (शिवनाथ–खारुन, चूना पत्थर)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-B बिलासपुर–मुंगेली–कवर्धा (अरपा–मनियारी–हांप)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-C कोरबा–जांजगीर–चांपा–रायगढ़ (हसदेव–मांड–केलो कोयला क्षेत्र)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-D दक्षिण-पूर्वी मैदान (धमतरी–महासमुंद–गरियाबंद–राजिम)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
CG-Z2 बस्तर पठार: CG-E बस्तर पठार और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ: CG-F उत्तरी पहाड़ियाँ (सरगुजा–कोरिया–जशपुर)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]

हल किया गया उदाहरण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं).

किसी टियर B नगरपालिका में, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में, लगभग 80% प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र (क्षेत्र-भारित विकास-पश्चात CN लगभग 92) वाला 0.4 ha का आवासीय लेआउट। मान लीजिए तालिका 4.3 की गणना हो चुकी होती और वह खंड 4.6.7 के उदाहरण का प्रति हेक्टेयर समतुल्य देती:

- PSD 100-वर्ष = 356 / 2.0 = 178 L/s/ha
- SSR = 2,913 / 2.0 ≈ 1,460 m³/ha
- PSD 2-वर्ष ≈ 17 L/s/ha

तब:

- भंडारण: V = 1,460 × 0.4 = **584 m³**। C_R = 0, इसलिए कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं है।
- 100-वर्ष निकास: 178 × 0.4 = **71 L/s**।

- 2-वर्ष निकास: 17 × 0.4 = **7 L/s**। लगभग 1 m हेड पर इसके लिए लगभग 60 mm के अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता है, जो 50 mm न्यूनतम (खंड 4.8.2) से ऊपर है।
- लेआउट के विकल्प:
  - 1.5 m गहरा 400 m^2 का भूमिगत टैंक; या
  - 0.3 m पर 250 m^2 पोडियम भंडारण (75 m^3) और 1.5 m गहरा 350 m^2 का टैंक (525 m^3)।
  - छत के 1,200 m^2 पर 150 mm की दर से छत भंडारण (180 m^3) टैंक के एक भाग का स्थान ले सकता है।
- RWH संप अतिरिक्त हैं, और उन्हें भरा हुआ माना जाता है (खंड 4.11)।

> **भाष्य.** ऑस्ट्रेलियाई परिषदें साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण की तालिकाओं का उपयोग इसी प्रकार करती हैं (Sydney Water OSD guide; Upper Parramatta River Catchment Trust handbook में लगभग 455 m^3/ha का SSR सूचीबद्ध था)। यहाँ उदाहरणार्थ SSR, लगभग 1,460 m^3/ha, बहुत बड़ा है। मिश्रित-आवृत्ति सीमा को AMC III पर अनिवार्य 48–72-घंटे की वर्षा घटनाओं के साथ जोड़ने का यही अपेक्षित प्रभाव है। मलेशिया में MSMA 2, 5 ha से कम की साइटों के लिए इसी प्रकार की सरलीकृत OSD विधि प्रदान करता है। MARC नीति अनुपूरक कैनसस सिटी की छोटी नगरपालिकाओं को क्षेत्रीय मानक के भीतर अंगीकरणीय विकल्प देता है; खंड 4.14 टियर B के लिए उसी मॉडल का अनुसरण करता है।

4.14.3 **नियत-गुणांक मार्ग.** खंड 4.6 और 4.14.2 के विकल्प के रूप में, किसी भी अनुमोदन प्राधिकारी के अंतर्गत और किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में **1 ha या उससे कम** की किसी भी साइट का डिजाइनकर्ता खंड 4.14.4 से 4.14.7 द्वारा अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारित कर सकता है। इस मार्ग का उपयोग वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ:

- (a) साइट अपने डिजाइन में तालाब या जलाशय भंडारण को गिनती है (अध्याय 7);
- (b) साइट का कोई भाग जलाशय सेटबैक के भीतर है (अध्याय 7); या
- (c) साइट ऐसी तालाब शृंखला की ओर बहती है जिसका भंडारण अनुप्रवाह की ओर किसी डिजाइन में गिना गया है।

यह मार्ग निकास सीमाएँ नियत गुणांकों द्वारा निर्धारित करता है और इसके लिए तालिका 4.3 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका उपयोग परिशिष्ट 4B के प्रकाशन से पहले किया जा सकता है। प्रतिधारण (खंड 4.4), खाली होना (खंड 4.7), आउटलेट (खंड 4.8), स्पिलवे (खंड 4.9), अनुप्रवाह और टेलवाटर जाँच (अध्याय 5) और जल गुणवत्ता (अध्याय 8) फिर भी लागू होते हैं।

4.14.4 **निकास सीमाएँ.** प्रत्येक उस बिंदु पर जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है, दो सीमाएँ लागू होती हैं:

$$Q_{cap,10} = 2.78 \times C_{10} \times i_{10} \times A \quad \text{और} \quad Q_{cap,2} = 2.78 \times C_2 \times i_2 \times A$$

जहाँ Q_{cap} L/s में है; A साइट का क्षेत्रफल (ha) है; i_{10} और i_2 साइट पर **15-मिनट** की अवधि के लिए 10% AEP (10-वर्ष) और 50% AEP (2-वर्ष) की वर्षा तीव्रताएँ (mm/h) हैं, जो अध्याय 2 के स्रोतों से, खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित, ली जाती हैं; और C_{10} तथा C_2 साइट के जलवैज्ञानिक मृदा समूह (खंड 3.7) के लिए तालिका 4.3A के नियत गुणांक हैं। एक से अधिक मृदा समूह वाली साइट के लिए गुणांक क्षेत्र-भारित होते हैं।

तालिका 4.3A — नियत निकास गुणांक (अनंतिम)

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_{10}	C_2
A (रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली)	0.05	0.02
B	0.08	0.03
C	0.15	0.08

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_10	C_2
D (चिकनी मिट्टी, खराब जल निकासी वाली)	0.25	0.15

Q_cap,10 प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में **1% AEP (100-वर्ष) वर्षा घटना तक और उसे सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वर्षा घटना** के लिए अधिकतम निकास है। Q_cap,2 50% AEP (2-वर्ष) वर्षा घटना के लिए अधिकतम निकास है। जहाँ कोई सीमा संगत जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम है, वहाँ 50 mm ऑरिफिस को अनुपालक माना जाता है (खंड 4.5.5.1)।

4.14.5 **भंडारण.** अस्थायी भंडारण V (m^3) V_100 और V_2 में से बड़ा है, जिनमें से प्रत्येक खंड 2.5.2 की अवधियों d (1 से 72 घंटे) में सबसे बड़ा है:

V_100 = सभी d में अधिकतम [10 × C_v × P_100(d) × A − 1.8 × Q_cap,10 × d]

V_2 = सभी d में अधिकतम [10 × C_v × P_2(d) × A − 1.8 × Q_cap,2 × d]

जहाँ P_100(d) और P_2(d) अवधि d (घंटे) के लिए जलवायु गुणक सहित 1% और 50% AEP वर्षा की गहराइयाँ (mm) हैं; और C_v विकास-पश्चात आयतनात्मक गुणांक है: तालिका 3.2 का संयुक्त C (प्रत्येक परास का ऊपरी आधा), 1% AEP के लिए तालिका 3.3 के Cf से गुणा किया हुआ। 12 घंटे या उससे अधिक की अवधियों के लिए, प्रत्येक पारगम्य सतह का C **0.50** से कम नहीं लिया जाएगा। गुणक 1.8 यह मानता है कि वर्षा घटना के दौरान औसत निकास सीमा का आधा है (3.6 × 0.5)।

4.14.6 **आउटलेट.** आउटलेट दो-चरणीय नियंत्रक होगा: एक अल्प-प्रवाह ऑरिफिस जो V_2 रखने वाले भंडारण के भरे होने पर Q_cap,2 निकाले, और एक ऊपरी ऑरिफिस या वियर जो V के शीर्ष पर कुल निकास को Q_cap,10 तक सीमित करे। परिशिष्ट 4B की आउटलेट तालिका प्रकाशित होने के बाद उसका उपयोग किया जा सकता है।

4.14.7 **प्रतिधारण.** खंड 4.4 का प्रतिधारण आयतन V के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। इस मार्ग के अंतर्गत कोई प्रतिधारण क्रेडिट (खंड 4.4.6) नहीं लिया जाता।

1 ha या उससे छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3–4.14.7) — योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं

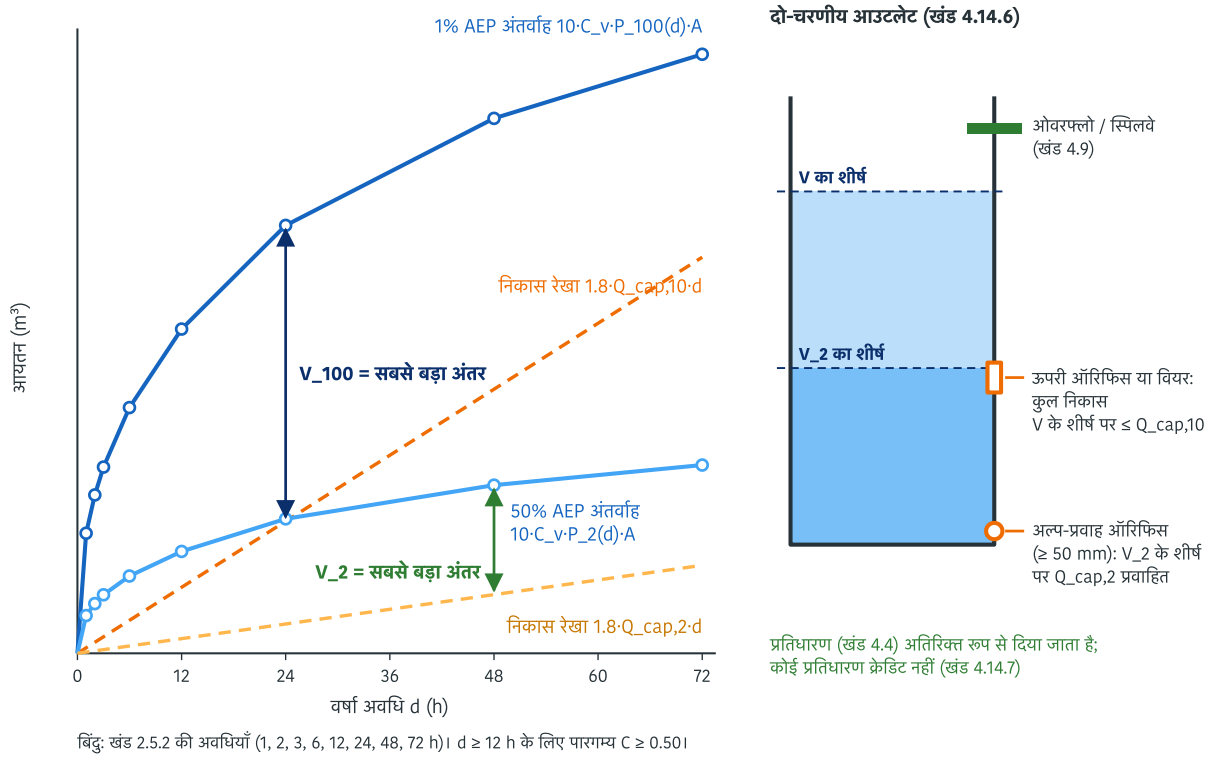

बिंदु: खंड 2.5.2 की अवधियाँ (1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h)। d ≥ 12 h के लिए पारगम्य C ≥ 0.50।

$Q_{cap,10} = 2.78 \times C_{10} \times i_{10} \times A$; $Q_{cap,2} = 2.78 \times C_2 \times i_2 \times A$; (L/s; A, ha में; i, mm/h में)

C_{10}, C_2 मृदा समूह के अनुसार तालिका 4.3A से; i_{10}, i_2 जलवायु गुणक सहित 15 मिनट की अवधि के लिए (खंड 2.8)

$V = \max(V_{100}, V_2)$; V_T = सभी d पर $\max [10 \times C_v \times P_T(d) \times A - 1.8 \times Q_{cap} \times d]$ (m^3) ; 1.8 = 3.6 × 0.5 (औसत निकास = सीमा का आधा)

चित्र 4.3 — 1 ha या उससे कम की साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3 से 4.14.7): तालिका 4.3A से निकास सीमाएँ Q_cap,10 और Q_cap,2; 1% और 50% AEP वर्षा घटनाओं के लिए, खंड 2.5.2 की अवधियों में, संचयी अंतर्वाह 10·C_v·P(d)·A और निकास रेखा 1.8·Q_cap·d के बीच सबसे बड़े अंतर के रूप में भंडारण V; और दो-चरणीय आउटलेट जो V_2 के शीर्ष पर Q_cap,2 और V के शीर्ष पर Q_cap,10 निकालता है। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, वर्षा मास-वक्र (अंतर्वाह घटा बहिर्वाह) भंडारण अवधारणा और PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. (cl. 7.1.5) की एकल-गुणांक चरम सीमा से रूपांतरित।

भाष्य. नियत-गुणांक मार्ग सिंगापुर का अनुसरण करता है, जो 0.2 ha या उससे अधिक के प्रत्येक विकास से चरम अपवाह को 10-वर्ष वर्षा घटना पर लागू एक ही अपवाह गुणांक, C = 0.55, से सीमित करता है (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 7.1.5, Addendum No. 3, 2025)। इसे लागू करना और जाँचना शीघ्र होता है: सीमा के लिए केवल साइट का क्षेत्रफल, मृदा समूह और दो तीव्रताएँ चाहिए। PUB का 0.55 यहाँ प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि सिंगापुर का आधार विद्यमान शहरी जल निकासी प्रणाली है, जबकि इस मैनुअल का आधार अविकसित खुली भूमि है (खंड 4.5.1.2)। तालिका 4.3A के गुणांक इस मैनुअल द्वारा खंड 3.3 के अविकसित भूमि कर्व नंबरों (मृदा समूह A से D के लिए CN 39, 61, 74 और 80) से निर्धारित किए गए हैं। वे अपवाह और वर्षा के वे अनुपात हैं जो ये कर्व नंबर छत्तीसगढ़ के मैदान की विशिष्ट 1-घंटे की गहराइयों के लिए देते हैं, नीचे की ओर पूर्णांकित। इसलिए वे **अनंतिम** हैं। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 4B जारी करते समय प्रत्येक जोन के लिए NIH-DHAARA मानों के सापेक्ष उनकी पुष्टि या संशोधन करेगी।

यह मार्ग जानबूझकर पूर्ण विधि से **अधिक कठोर** है, ताकि सरलता की कीमत अनुप्रवाह की ओर के लोगों के बजाय विकासकर्ता भंडारण के रूप में चुकाए। 100-वर्ष निकास को हर जगह लगभग अविकसित भूमि के 10-वर्ष चरम पर रखा जाता है, जो खंड 4.5.3 का बाढ़-संवेदनशील नियम है; भंडारण यह मानता है कि आउटलेट औसतन सीमा का केवल आधा छोड़ता है; लंबी वर्षा घटनाओं में पारगम्य भूमि को गीला माना जाता है; और कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं लिया जाता। जो डिजाइनकर्ता छोटा टैंक चाहता है, वह खंड 4.6 की पूर्ण विधि का उपयोग कर

सकता है। भंडारण सूत्र वर्षा-मास (अंतर्वाह घटा बहिर्वाह) विधि है। खंड 3.4.2 अन्यथा भंडारण के लिए वर्षा-आधारित चरम विधियों को वर्जित करता है, क्योंकि वे हाइड्रोग्राफ के आकार की उपेक्षा करती हैं; यह मार्ग एक घोषित अपवाद है क्योंकि इसकी सुरक्षित पक्ष की धारणाएँ छोटी साइटों के लिए उस त्रुटि को ढक लेती हैं, और 24- से 72-घंटे की अवधियों की सदा जाँच की जाती है।

4.15 सुरक्षा, बाड़ और बहु-उपयोग

4.15.1 **जनता के लिए सुलभ भंडारण की गहराई सीमाएँ.** जहाँ जनता की पहुँच किसी भंडारण क्षेत्र तक है (पार्क, खेल के मैदान, खुला स्थान, विद्यालय परिसर):

- (a) 10% AEP वर्षा घटना में अधिकतम गहराई: **0.45 m**;
- (b) 1% AEP वर्षा घटना में अधिकतम गहराई: **1.2 m**, सिवाय 4.15.3 के अंतर्गत बाड़ से घिरे जोन के;
- (c) पार्श्व ढलान: **4H:1V** से अधिक तीव्र नहीं, और बाहर निकलने के लिए परिधि का कम से कम एक-चौथाई भाग **6H:1V** या उससे सपाट; और
- (d) भंडारण क्षेत्र के भीतर या उसके किनारे पर **0.3 m** से अधिक की कोई ऊर्ध्वाधर गिरावट नहीं।

4.15.2 **आर्द्र बेसिन.** स्थायी जल-भंडारों में होगी:

- कम से कम 3 m चौड़ी सुरक्षा बेंच, जो सामान्य जल स्तर से 0.3 m से अधिक नीचे न हो; और
- जल से ऊपर उभरने वाले पौधों की किनारी, जो प्रवेश को हतोत्साहित करे।

4.15.3 **बाड़.** कम से कम **1.2 m** ऊँची, न चढ़ी जा सकने वाली डिजाइन की, ताला लगने योग्य गेट वाली बाड़ भंडारण के ऐसे किसी भी भाग के चारों ओर अपेक्षित है जिसमें:

- **0.6 m** से अधिक की ऊर्ध्वाधर दीवार या हेडवॉल गिरावट हो;
- 4H:1V से अधिक तीव्र ढलानों के साथ 1% AEP वर्षा घटना में गहराई 1.2 m से अधिक हो; या
- 300 mm से बड़े छिद्र वाली आउटलेट संरचना हो जिस पर जाली न लगी हो।

4.15.4 **आउटलेट.** जनता के लिए सुलभ 300 mm से बड़े प्रत्येक इनलेट और आउटलेट छिद्र पर जाली या रैक लगाया जाएगा। जाली का डिजाइन ऐसा होगा कि उससे चिपका व्यक्ति बच निकल सके: कम पहुँच वेग, झुकी हुई, बड़े खुले क्षेत्र के साथ।

4.15.5 **संकेत-पट और गहराई चिह्न.** जनता के लिए सुलभ प्रत्येक भंडारण पर हिन्दी और अंग्रेजी में संकेत-पट होंगे, जिन पर लिखा हो कि वर्षा के दौरान क्षेत्र में पानी भरता है, और सबसे गहरे बिंदु पर गहराई चिह्न होगा।

4.15.6 **सीमित स्थान.** भूमिगत टैंकों के ढक्कन ताला लगने योग्य होंगे। उन्हें सीमित स्थान के रूप में चिह्नित किया जाएगा, और रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) में प्रवेश की प्रक्रिया बताई जाएगी।

4.15.7 **रोगवाहक नियंत्रण.** शुष्क भंडारण पूरी तरह खाली होगा (खंड 4.7) और उसमें ऐसे कोई निचले बिंदु नहीं होंगे जिनमें 72 घंटे से अधिक पानी रुके। आर्द्र बेसिन खंड 4.10.7 को पूरा करेंगे।

भाष्य. खंड 4.15 की संख्यात्मक सीमाओं का कोई एक प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। वे सामान्य अंतरराष्ट्रीय पद्धति से ली गई हैं, उदाहरण के लिए KC APWA 5600 (2006), जिसमें शुष्क तालाब की परिधि का कम से कम एक-चौथाई भाग 5:1 या उससे सपाट, संपत्ति सीमाओं से 20 ft (6 m) की दूरी और 15 ft (4.6 m) की रखरखाव पट्टी अपेक्षित थी। यहाँ उन्हें कुछ अधिक कठोर बनाया गया है क्योंकि खुले स्थान की भूमि पर और विद्यालयों में बहु-उपयोगी भंडारण का उपयोग मानसून के दौरान बच्चे करेंगे। शुष्क बेसिनों में खड़ा पानी मच्छरों के प्रजनन

का जोखिम है, इसलिए पूर्ण जल निकासी (खंड 4.15.7) जन स्वास्थ्य की अपेक्षा है, सुविधा मात्र नहीं।

4.16 आधार: केवल चरम मिलान क्यों विफल होता है

भाष्य. इस खंड में कोई अपेक्षा नहीं है। यह दर्ज करता है कि यह अध्याय केवल चरम मिलान के बजाय विकास-पूर्व दरों से **कम** निकास, प्रतिधारण, लंबी अवधि की जाँच और अनुप्रवाह विश्लेषण की अपेक्षा क्यों करता है।

1. **समय.** अस्थायी भंडारण साइट के चरम को घटाता है किंतु उसके हाइड्रोग्राफ को फैला देता है (चित्र 4.1)। अनुप्रवाह की ओर, अनेक साइटों से फैले हुए निकास एक-दूसरे के साथ और मुख्य धारा के चरम के साथ व्याप्त हो जाते हैं। डेनवर के अध्ययन में, ऐतिहासिक 100-वर्ष चरम का 100% छोड़ने वाले दस बेसिनों ने आउटलेट पर ऐतिहासिक चरम का 106% उत्पन्न किया। केवल प्रत्येक साइट पर 90% छोड़ने से यह 97% पर आया (UDFCD memo, 2012)। Colorado State University के एक शोध-प्रबंध में पाया गया कि स्थान की उपेक्षा करने वाला साइट पर अस्थायी भंडारण "वास्तव में चरम प्रवाहों को विकास-पश्चात चरमों से भी ऊपर बढ़ा सकता है" ("can actually increase peak flows above post-development peaks")। एक इष्टतमीकरण अध्ययन में पाया गया कि अनुप्रवाह की ओर स्थित तालाब ने प्रतिप्रवाह की ओर के तालाबों से खराब प्रदर्शन किया क्योंकि उसका बहिर्वाह मुख्य धारा के साथ मेल खा गया (Water 2016, 8(7):290)।
2. **आयतन.** अस्थायी भंडारण आयतन को नहीं हटाता। उदाहरण में, विकास-पश्चात 100-वर्ष वर्षा घटना विकास-पूर्व 10-वर्ष वर्षा घटना के लगभग तीन गुना अपवाह आयतन उत्पन्न करती है (खंड 2.11)। केवल प्रतिधारण, या ऐसा भंडारण जो प्राप्तकर्ता ड्रेन के अतिरिक्त कहीं और खाली होता हो, आयतन को कम करता है।
3. **पैमाना.** कैनसस सिटी की मॉडलिंग (McEnroe, 2005) में पाया गया कि एकसमान 3 cfs/ac नियंत्रण ने 200-ac जलविभाजक में Q100 को 36% कम किया। हर जगह उसी नियंत्रण के साथ भी, 14 sq mi पर Q100 40% बढ़ गया, और लगभग 1–2 sq mi से आगे लाभ समाप्त हो गया। KC समिति ने निष्कर्ष निकाला कि "'विद्यमान से मिलान' धाराओं को हानि पहुँचा सकता है" ("'match existing' can harm streams") (MARC Evolution deck)। जॉर्जिया इसी कारण दस-प्रतिशत अनुप्रवाह विश्लेषण अनिवार्य करता है: "चरम प्रवाह के समय और अपवाह आयतन के प्रभावों के कारण, कुछ संरचनात्मक पद्धतियाँ अनुप्रवाह की ओर चरम प्रवाह दरों को विकास-पूर्व स्तरों तक कम करने में विफल रहती हैं" ("Due to peak flow timing and runoff volume effects, some structural practices fail to reduce discharge peaks to pre-development levels downstream") (GSMM 2016)।
4. **डिजाइन वर्षा घटना पर निर्भरता.** साइट पर अस्थायी भंडारण की 20 वास्तविक प्रणालियों के एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में पाया गया कि दस कालिक वितरणों का उपयोग करने वाले डिजाइन भी वास्तविक वर्षा में "विश्वसनीय रूप से ऐसा OSD प्रणाली डिजाइन नहीं दे सकते जो सदा प्रभावी हो" ("cannot reliably produce an OSD system design that will always be effective") (Water Science and Engineering, 2019)। इसी कारण खंड 4.6.3 एक क्रांतिक वर्षा घटना के बजाय अवधियों के पूर्ण मैट्रिक्स की रूटिंग करता है।
5. **बंद आउटफॉल.** छत्तीसगढ़ में निर्णायक विफलता यह है कि अनुप्रवाह की ओर कोई नदी, जलाशय या तालाब ऊँचा होने पर आयतन के निकलने का कोई मार्ग नहीं रहता, और मैदान पर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। रायपुर का पानी खारुन में जाता है, जिसने 29 अगस्त 2020 को पथरीडीह पर 281.68 m का नया उच्चतम स्तर बनाया और लगभग 46 घंटों तक अपने पिछले उच्चतम स्तर से ऊपर रही, जबकि कलमा (Kalma) पर महानदी लगभग 110 घंटों तक अपने पिछले उच्चतम स्तर से ऊपर रही (CWC, SANDRP द्वारा प्रतिलिपि के अनुसार); और 4–5 जुलाई 2026 को चौबे कॉलोनी में पाँच तालाब घरों में उफन पड़े (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। डैमों और बैराजों के नीचे के शहरों का पानी ऐसी नदियों में जाता है जिनके स्तर छोड़े गए पानी से निर्धारित होते हैं: कोरबा का हसदेव में, जब 24–26 अगस्त 2024 को बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री बैराज ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और नगर के घरों में बाढ़ आई (प्रकाशित खबरों के अनुसार); धमतरी, राजिम और महानदी के किनारे के गाँवों का गंगरेल के नीचे नदी में, जिसने अक्तूबर 2025 के आरंभ में आठ गेटों से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और 24–27 सितंबर

> 2026 को सभी 14 गेट खोले (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और बिलासपुर का भैंसाझार बैराज के नीचे अरपा में। जगदलपुर का पानी इंद्रावती में जाता है, जो 29 जुलाई से 8 अगस्त 2019 तक 540.80 m के अपने खतरे के स्तर से ऊपर रही (CWC) और 26 सितंबर 2026 को 544.891 m तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जिसके प्रतिप्रवाह में ओडिशा में डैम हैं। रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉल ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर की पहुँच के भीतर हैं, जिसके गेट अगस्त 2020 और सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर खोले गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। छत्तीसगढ़ में कोई नदी, जलाशय या तालाब किसी शहर के आउटफॉलों से कितने समय तक ऊपर रहता है, इसका कोई घंटेवार अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC], और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो किसी आउटफॉल के लिए डिजाइन नदी स्तर निर्धारित करता हो; अध्याय 5 डिजाइन स्तर और माना जाने वाला बंद होना निर्धारित करता है। बंद आउटफॉल के पीछे पूर्णतः सही ऑरिफिस वाला बेसिन बस भर जाता है। कोई भी निकास दर नियम इसे ठीक नहीं कर सकता; इसका समाधान अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच द्वारा किया जाता है।

इस मैनुअल में उत्तर परतदार है:

- विकास-पूर्व से कम निकास (खंड 4.5);
- बार-बार होने वाली वर्षा घटनाओं का प्रतिधारण (खंड 4.4);
- दक्षिण-पश्चिम मानसून की लंबी वर्षा घटनाओं की रूटिंग (खंड 4.6.3);
- तालाब प्रणाली में क्षेत्रीय भंडारण को वरीयता (खंड 4.13); और
- अनुप्रवाह की ओर और आउटफॉल पर जाँच (अध्याय 5)।

कैनसस सिटी का अपना इतिहास इसकी कीमत दिखाता है। एक परीक्षण साइट पर चरम मिलान के लिए 3.0 ac-ft भंडारण की आवश्यकता थी और 2011 के व्यापक मानदंडों के लिए 4.9 ac-ft की (MARC Evolution deck)। अधिक अस्थायी भंडारण का अर्थ अधिक भंडारण की लागत है। यही केवल साइट की सीमा के बजाय जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करने की कीमत है।

4.17 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

साइट अपवाह नियंत्रण की प्रत्येक प्रस्तुति में एक **साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट** (प्रपत्र 4-1) सम्मिलित होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1. डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और जलवैज्ञानिक इनपुट (अध्याय 3);
2. खंड 4.3.1 के अंतर्गत उपायों के क्रम के साक्ष्य;
3. RRV की गणना, अंतःस्यंदन परीक्षण, भूजल संबंधी साक्ष्य और खाली होने की गणना (खंड 4.4);
4. प्रतिधारण क्रेडिट की गणना (खंड 4.4.6);
5. लागू किया गया निकास दर मानदंड, सामान्य या बाढ़-संवेदनशील, परिशिष्ट 4A के मानचित्र के उद्धरण सहित (खंड 4.5);
6. प्रत्येक AEP और अवधि के लिए खंड 4.6.7 के प्रारूप में परिणाम तालिका, निर्णायक स्थिति को रेखांकित करते हुए;
7. जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आलेख, तथा निर्णायक स्थितियों के लिए अंतर्वाह/बहिर्वाह हाइड्रोग्राफ;
8. खाली होने की गणना (खंड 4.7);
9. आउटलेट का विवरण, जिसमें ऑरिफिस के आकार और स्तर, कचरा-रोधी जालियाँ और भँवर-रोधी युक्तियाँ सम्मिलित हैं (खंड 4.8);
10. स्पिलवे या अतिप्रवाह की गणना, फ्रीबोर्ड और जोखिम वर्गीकरण, और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ भू-तकनीकी रिपोर्ट (खंड 4.9);
11. जोन स्तरों को दर्शाने वाले टैंक के खंडचित्रों सहित RWH और अस्थायी भंडारण का लेखा (खंड 4.11);
12. डिजाइन भूजल स्तर और उत्प्लावन जाँच (खंड 4.12);
13. अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट (अध्याय 5, प्रपत्र 5-1); और
14. सुरक्षा प्रावधान (खंड 4.15) और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (अध्याय 10)।

खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटें मद 6 और 7 के स्थान पर प्रपत्र 4-2 प्रस्तुत करेंगी। नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3) का उपयोग करने वाली साइटें मद 6 और 7 के स्थान पर प्रपत्र 4-3 प्रस्तुत करेंगी।

संदर्भ (अध्याय)

- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01 (approved 10 Dec 2025). https://kcmetro.apwa.org/wp-content/uploads/sites/23/2026/01/APWA-Section-5600_Storm-Drainage-Systems-Facilities.pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA 5600 Stormwater Standards Policy Supplement (7 Nov 2025); APWA 5600 Manual factsheet. https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement ; https://www.marc.org/document/apwa-5600-manual-factsheet
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (5601.8, 5608.4). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- MARC / APWA (2012). Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality. https://www.marc.org/sites/default/files/2022-05/Best_Management_Practices_for_Stormwater_Quality.pdf
- MARC. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards (प्रस्तुति; McEnroe 2005 के परिणाम)। https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, Volume 1. https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- Urban Drainage and Flood Control District (अब MHFD) (2012). Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum. https://mhfd.specialdistrict.org/files/23cb85ce8/UDFCD_Full_Spectrum_Detention_Release_Rate_Memorandum.pdf
- Mile High Flood District. Urban Storm Drainage Criteria Manual, Volume 2 (Storage).
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA), 2nd ed.
- PUB Singapore (2024). On-site Detention Tank Technical Guide, Rev. 3; Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., Addendum No. 3 (16 Apr 2025). https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/detentionTank.pdf
- Sydney Water (2020). On-site Stormwater Detention Guide (SW201). https://www.sydneywater.com.au/content/dam/sydneywater/documents/on-site-stormwater-detention-guide.pdf
- Upper Parramatta River Catchment Trust (2005). On-site Stormwater Detention Handbook, 4th ed.
- "On-site stormwater detention for Australian development projects: does it meet frequent flow management objectives?" *Water Science and Engineering* (2019). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674237019300213
- Optimisation of urban detention (2016). *Water* 8(7):290. https://doi.org/10.3390/w8070290
- Colorado State University. Spatially Dependent On-Site Detention Policies (शोध-प्रबंध)। https://mountainscholar.org/bitstreams/f4dbec4e-a44f-4933-8d54-a097e741f44a/download
- Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, sections 237, 248 और 251 (तृतीय-पक्ष प्रति से हिन्दी पाठ)। https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html

- National Green Tribunal, Central Zone. O.A. 78/2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh*: 14 नवंबर 2024 का आदेश और जिला दंडाधिकारी (District Magistrate), जांजगीर-चांपा की तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (नगर पंचायत बलौदा के तालाब; धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- Ramsar Convention. Ramsar Information Sheet, Kopra Jalashay (रामसर स्थल 2583)। https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/IN2583RIS_2512_en.pdf
- रायपुर में करबला तालाब और नरैया तालाब और नवा रायपुर में झांझ आर्द्रभूमि पर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्रवाइयों पर रिपोर्टें (The Hitavada, 4 मार्च, 27 जुलाई और 12 अक्तूबर 2025)। https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/3/4/CGSWA-intervenes-directs-NRANVP-to-withdraw-Jhanjh-Wetland-tenders.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/27/toy-train-plan-in-narhaiya-talab-buffer-sparks-probe-by-cswa.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/10/12/wetland-authority-halts-rs-15-cr-work-at-karbala-talab-over-rule-violations.html
- रायपुर की झीलों पर रिपोर्टें और एक अध्ययन (Down To Earth, 2015; India Water Portal)। https://www.downtoearth.org.in/coverage/in-srinagars-footsteps-48224 ; https://oldiwp.indiawaterportal.org/sites/default/files/iwp2/ninad_bodhankar_study_on_lakes_in_raipur.pdf
- Naya Raipur Development Authority (2008). Naya Raipur Development Plan-2031, Chapter 10, §10.3.2 (झीलों और गर्तों में वर्षा जल का भंडारण) (nayaraipur.gov.in की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया)।
- Water Resources Department, Government of Chhattisgarh. 10 अक्तूबर 2024 की Daily tank gauge report (दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट)। https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A (§8.5).
- Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh. Amendments to the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन), छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत: 17 दिसंबर 2008 का क्रमांक एफ 7-26/32/2008 (एकीकृत उपनगर, परिशिष्ट ण); 17 फरवरी 2009 का क्रमांक 318/1193/32/2006, राजपत्र पृ. 124(10) (नियम 78(4), परिशिष्ट ढ-2 और ढ-4); 30 मार्च 2017 का प्रारूप क्रमांक F 7-15/2016/32 (प्रारूप नियम 79-C से 79-G); 6 अक्तूबर 2018 का क्रमांक F 7-27/2017/32 (नियम 73(3)(क) और 96, परिशिष्ट Q); और 29 अप्रैल 2020 का क्रमांक F 07-24/2019/32 (tcp.cg.gov.in की Internet Archive प्रतियों से पढ़े गए)। http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/dt-17-12-2008.PDF ; https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/Image0004.PDF ; https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/cg-BVN-amendment-6-10-2018.pdf ; https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/BVN-1984%20Amendment_29-4-20.pdf
- 12 सितंबर और 1 दिसंबर 2025 के प्रारूप संशोधनों (RULE/170/2025-HOUSING) और अक्तूबर 2026 के भूमि उपयोगों के पुनर्वर्गीकरण के सारांश (TeamLease RegTech; Drishti; पाठ पढ़े नहीं गए)।
- Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984, rules 17, 50 और 51 (विरासत में मिला पाठ, तृतीय-पक्ष प्रति से; छत्तीसगढ़ का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। https://www.legitquest.com/act/madhya-pradesh-bhumi-vikas-rules-1984/D2B8
- Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh. सरकारी कार्यालयों और आवास में वर्षा जल संचयन पर 23 नवंबर 2009 का पत्र क्रमांक 2940/1445/32/2009 (नियम 78(4))। http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Circular/Final%20Circular/Rainwater%20Harvesting.pdf
- General Administration Department, Government of Chhattisgarh. आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5, नया रायपुर, 31 मई 2016 (सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन)। http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/General/rainwater%20harvesting.pdf

- Directorate of Town and Country Planning, Chhattisgarh. 30 नवंबर 2009 का पत्र क्रमांक 2507/नग्रानि/09 (बेसमेंट); 23 जून 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 (नियम 50); चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011 (WRD का उच्च बाढ़ बिंदु) (tcp.cg.gov.in की Internet Archive प्रतियों से पढ़े गए)।
- Chhattisgarh regularisation of unauthorised development Act, 2002 (छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002), धारा 7(1)(चार), छत्तीसगढ़ राजपत्र, 26 अप्रैल 2002 (tcp.cg.gov.in की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया)।
- Rajya Sabha. वर्षा जल संचयन पर 8 जुलाई 2019 का उत्तर (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4); एक खोज सारांश में देखा गया)।
- Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022, sections 1(3), 2(u), 7 और 21। https://cgwrd.in/water-allotment-system/docs/20220712_Ground%20Water%20Act_English.pdf
- Central Ground Water Board (2024). Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh, 2024, और दिसंबर 2024 का तथ्य-पत्रक (factsheet); रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की जिला पुस्तिकाएँ।
- Naya Raipur Development Authority (2008). Naya Raipur Development Plan-2031, §10.3 (Storm Water Drainage) और अध्याय 7–9 (सड़क जल निकासी) (nayaraipur.gov.in की Internet Archive प्रतियों से पढ़ा गया)।
- Raipur Municipal Corporation (2015). Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage (AMRUT), 4 नवंबर 2015 (nagarnigamraipur.nic.in की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया)।
- Comptroller and Auditor General of India. Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022, Government of Chhattisgarh, Chapter II, Implementation of AMRUT। https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Chhattisgarh Environment Conservation Board. NGT O.A. 593/2017 में रिपोर्ट, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (सीवरेज और शोधन संयंत्र)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एक कोयला खदान के लिए 13 अगस्त 2024 की पर्यावरण स्वीकृति (File No. J-11015/72/2016-IA.II(M)), गारलैंड ड्रेनों और अवसादन संपों पर कोयला क्षेत्र की शर्तों के मानक पाठ के रूप में प्रयुक्त। https://mahagenco.in/Content/File_pdf/EnvClearance/2.EC_Gare%20Palma%20Sector%20II%20Coal%20Mine%20Project_13.08.2024.pdf
- Coal Mines Regulations, 2017, regulation 149, Danger from surface water (खोज अंशों से उद्धृत; राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया) [TBC]।
- Central Water Commission (2009). National Register of Large Dams (छत्तीसगढ़; स्पिलवे क्षमताएँ) (Internet Archive प्रति से पढ़ा गया)।
- India Meteorological Department (2015). *Climate of Chhattisgarh* (जिलेवार 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- रायपुर के नालों और खारुन (YourStory, 2017), रायपुर में वर्षा जल संचयन गड्ढों (2016), जून 2007 और जुलाई 2026 की रायपुर की बाढ़ों, सितंबर 2025 और जुलाई 2026 में बिलासपुर, भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों (जुलाई 2025), दुर्ग के नालों पर 16 जनवरी 2026 के NGT के आदेश, अगस्त 2024 में बांगो और दर्री से छोड़े गए पानी, अगस्त 2019 में रायगढ़ में केलो, हीराकुंड के बैकवाटर, 2024–2026 में कोरबा में राखड़ बाँधों के टूटने (SANDRP; The Hitavada) और सितंबर 2026 की बाढ़ पर रिपोर्टें। https://yourstory.com/2017/02/kharun-river-raipur/ ; https://indiaenvironmentportal.org.in/news-clippings/18-builders-7-industrial-units-in-raipur-district-to-face-action ; https://www.oneindia.com/2007/06/30/flood-hits-chhattisgarh-capital-6000-people-evacuated-1183210857.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/7/6/heavy-monsoon-spell-exposes-civic-flaws-waterlogging-disrupts-traffic-sewage-enters-homes.html ;

https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/9/5/rain-exposes-bilaspurs-smart-city-claims.html ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/13/Commissioner-issues-warning-to-BSP-over-poor-drain-cleaning-in-Township.html ; https://www.downtoearth.org.in/environment/daily-court-digest-major-environment-orders-january-20-2026 ; https://www.thehitavada.com/Encyc/2024/8/26/Hasdeo-Bango-Dam-projectin-Korba-put-on-high-alert.html ; https://business-standard.com/article/news-ani/kelo-river-overflows-in-raigarh-following-incessant-rainfall-119081401553_1.html ; https://dailypioneer.com/india/chhattisgarh-floods-eight-killed-16000-rescued

- Bureau of Indian Standards. IS 456:2000 Plain and Reinforced Concrete — Code of Practice.
- Government of India. Dam Safety Act, 2021.
- Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill (AMC रूपांतरण)।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
4A	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ (GIS); उथले भूजल के जोन का मानचित्र
4B	टियर B तालिकाएँ: PSD और SSR (तालिका 4.3), प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R, मानक आउटलेट आकार; पुष्ट नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)
4C	पूर्ण रूटिंग तालिकाओं सहित हल किया गया उदाहरण (टियर A)
प्रपत्र 4-1	साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट
प्रपत्र 4-2	टियर B साइट पत्रक
प्रपत्र 4-3	नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7)

अध्याय 5

अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण

5.1 प्रयोजन और विस्तार

5.1.1 यह अध्याय दो जाँचें निर्धारित करता है, जिन्हें प्रत्येक विनियमित विकास और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी परियोजना को उत्तीर्ण करना होगा।

- **अनुप्रवाह विश्लेषण** (downstream analysis; खंड 5.3 से 5.5) यह पुष्टि करता है कि परियोजना अपने आउटफॉल के नीचे बाढ़ की स्थिति को और खराब नहीं करती।
- **टेलवाटर विश्लेषण** (tailwater analysis; खंड 5.6 से 5.13) वह जल स्तर निर्धारित करता है जिसमें प्रणाली पानी छोड़ती है, जिसमें ज्वार-भाटा, तूफानी महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि, नदी का पश्चजल और रेत अवरोध से मुख का बंद होना सम्मिलित है। यह यह भी अपेक्षा करता है कि आउटफॉल बंद होने पर भी प्रणाली काम करती रहे।

5.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) प्रत्येक साइट, जिस पर अध्याय 4 लागू होता है;
- (b) अध्याय 6 के अंतर्गत लघु प्रणाली और प्रमुख प्रणाली की प्रत्येक जल निकासी परियोजना; और
- (c) खंड 4.13 और अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या तालाब पुनर्स्थापन परियोजना।

5.1.3 वर्षा और संयुक्त घटना (joint occurrence) संबंधी इनपुट अध्याय 2 से, विशेष रूप से खंड 2.5.3 और 2.12 से, लिए जाते हैं। जलवैज्ञानिक विधियाँ अध्याय 3 से ली जाती हैं। साइट के निकास मानदंड अध्याय 4 से लिए जाते हैं। गेटों, पुलियों और पंपों का हाइड्रोलिक डिजाइन अध्याय 9 के अनुसार होता है।

5.1.4 **छत्तीसगढ़ में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं.** छत्तीसगढ़ भू-आबद्ध (landlocked) है: यहाँ न कोई तट है, न ज्वार-भाटा और न कोई तटीय विनियमन क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी का कोई अवदाब या चक्रवात राज्य में केवल वर्षा के रूप में पहुँचता है, और उस वर्षा पर अध्याय 2 में विचार किया जाता है, ज्वारीय या महोर्मि स्तर के रूप में नहीं। राज्य का कोई भी आउटफॉल समुद्र, किसी ज्वारीय खाड़ी (tidal creek) या ज्वारनदमुख (estuary) में पानी नहीं छोड़ता, इसलिए इस अध्याय के वे प्रावधान जो ज्वार-भाटा, तूफानी महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि या नदी मुख पर निर्भर हैं, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होते: खंड 5.7 और परिशिष्ट 5A, तालिका 5.2 की स्थितियाँ J1 से J3, खंड 5.10.3 की ज्वारीय अवरोध अवधियाँ, खंड 5.11.3(a) की समुद्री जल संबंधी अपेक्षा (गेट और सीट फिर भी संक्षारण-रोधी सामग्री के बनाए जाएँगे), और खंड 5.13। इन्हें इसलिए रखा गया है कि इस मैनुअल की खंड संख्याएँ इसके अन्य राज्य संस्करणों से मेल खाएँ। छत्तीसगढ़ में प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water) चार में से किसी एक प्रकार का होता है: कोई नदी, जिस तक सीधे, किसी किनारे या तटबंध में लगे गेट के माध्यम से, या किसी पंपिंग स्टेशन के माध्यम से पहुँचा जाता है, और जिसका स्तर प्रायः प्रतिप्रवाह की ओर के किसी डैम या बैराज से छोड़े गए पानी से निर्धारित होता है, जैसे गंगरेल के नीचे महानदी पर, मिनीमाता बांगो डैम और दर्री बैराज के नीचे कोरबा में हसदेव पर, और भैंसाझार (Bhaisajhar) बैराज के नीचे बिलासपुर में अरपा पर, या किसी ऐसे जलग्रहण क्षेत्र से आने वाली बाढ़ से जो आंशिक रूप से ओडिशा में है, जैसे जगदलपुर में इंद्रावती पर; अपने पूर्ण स्तर पर रखा गया कोई जलाशय, बैराज का जलाशय, झील या तालाब (talab), जैसे रायपुर के तालाब, नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय, रायगढ़ के ऊपर केलो डैम और महानदी और शिवनाथ के बैराजों के जलाशय; ओडिशा में हीराकुंड जलाशय का बैकवाटर, जो रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की निचली

भूमि तक पहुँचता है; या, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों में और बिजली संयंत्रों के आसपास, कोई खदान का गड्ढा, खदान झील या ऐश पॉन्ड, जो तब तक डिजाइन आउटफॉल है ही नहीं जब तक उसका संचालक, और किसी खदान के लिए DGMS, लिखित रूप में सहमत न हों और उसके स्तर और अतिप्रवाह (spill) का सर्वेक्षण न हुआ हो; और:

- (a) इसका टेलवाटर खंड 5.6 और 5.8 द्वारा, जिसमें खंड 5.8.5 सम्मिलित है, निर्धारित होता है;
- (b) जहाँ खंड 5.10 से 5.12, प्रपत्र 5-1 या अध्याय 6 में J1 टेलवाटर या J1 ज्वारीय वक्र का उल्लेख है, वहाँ खंड 5.6.2 या 5.8.5 का लघु प्रणाली टेलवाटर लागू होता है, और जहाँ प्राप्तकर्ता स्तर बदलता है वहाँ समय-शृंखला के रूप में; जहाँ J2 टेलवाटर या HAT + महोर्मि + SLA का उल्लेख है, वहाँ प्रमुख प्रणाली टेलवाटर लागू होता है: खंड 5.8.4(b) का डिजाइन-AEP नदी स्तर, या खंड 5.8.5 का प्रमुख प्रणाली टेलवाटर, इनमें से जो भी आउटफॉल पर अधिक हो; और
- (c) खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check) वहाँ लागू होती है जहाँ कोई आउटफॉल किसी नदी, किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब, हीराकुंड के बैकवाटर, किसी खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड या किसी प्राप्तकर्ता ड्रेन द्वारा बंद हो जाता है, और ज्वारीय अवरोध अवधियों के स्थान पर खंड 5.8.5(a) का नदी अवरोध (river lock) और खंड 5.8.5(b), (d), (e) और (g) के अनुसार बंद होना लागू होता है।

भाष्य. छत्तीसगढ़ के नगरों की ड्रेनें ऐसे स्थानों पर विफल होती हैं जिन्हें साइट डिजाइन नहीं देखता, और चार अलग-अलग तरीकों से। पहला है नदी, प्रायः किसी डैम के नीचे। रायपुर की जल निकासी खारुन में होती है, जिसने 29 अगस्त 2020 को पथरीडीह (Pathardihi) पर अपना अभिलिखित उच्चतम स्तर, 281.68 m, बनाया, जो 1994 के रिकॉर्ड से 2.47 m ऊपर था (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में), और जिसने सितंबर 2024 में महादेव घाट पर रायपुर–भिलाई सड़क काट दी और सितंबर 2026 में वहाँ फिर उफनी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। धमतरी, राजिम और महानदी के निचले भाग के नगर गंगरेल डैम के नीचे हैं, जिसके सभी 14 गेट सितंबर 2026 में खोले गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); कोरबा मिनीमाता बांगो डैम और दर्री बैराज के नीचे हसदेव पर बसा है, जिनसे अगस्त 2024 में छोड़े गए पानी के बाद नगर के निचले भागों में बाढ़ आई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और हसदेव ने जुलाई और अगस्त 2026 में कटघोरा और बांगोडैम (Bangodam) पर नए उच्चतम स्तर बनाए; बिलासपुर भैंसाझार बैराज के नीचे अरपा पर बसा है; और जगदलपुर इंद्रावती पर बसा है, जो ओडिशा से निकलती है और जिसने 26 सितंबर 2026 को जगदलपुर पर नया उच्चतम स्तर, 544.891 m, बनाया, जो 1973 के स्तर से 0.21 m ऊपर था (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में)। दूसरा है जलाशय, बैराज का जलाशय या तालाब (talab)। रायपुर अपने तालाबों के आसपास बसा, जिनमें से लगभग 130 के होने और लगभग 40 के बचे होने की बात कही गई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और 5–6 जुलाई 2026 को चौबे कॉलोनी के पाँच तालाब उफनकर घरों में भर गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नवा रायपुर अटल नगर की योजना झीलों और जलाशयों के एक जाल के आसपास बनाई गई, जिनकी संख्या 55 बताई गई है, और जिनमें उसके उद्यान और चैनल वर्षा जल ले जाते हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और अपने पूर्ण स्तर पर कोई जलाशय, बैराज का जलाशय या तालाब उसमें समाप्त होने वाली हर ड्रेन को रोक देता है। तीसरा है ओडिशा में हीराकुंड जलाशय, जिसका डूब क्षेत्र छत्तीसगढ़ के गाँवों को आंशिक रूप से समाविष्ट करता है, एक गिनती के अनुसार 174 में से 33 (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जिसका बैकवाटर रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के निचले आउटफॉलों का स्तर निर्धारित करता है। चौथा है कोयला क्षेत्र और बिजली संयंत्र। कोरबा और रायगढ़ में कोई ड्रेन किसी खदान के गड्ढे में समाप्त हो सकती है या किसी चालू खदान की ओर बह सकती है, और बिजली संयंत्रों के राखड़ बाँध टूट चुके हैं: जुलाई 2024 में NTPC का धनरास राखड़ बाँध, और 19 अप्रैल 2026 को झाबू के पास CSPGCL का कोरबा पश्चिम राखड़ बाँध, जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। आउटफॉल भी एक निकाय के होते हैं, जबकि उनके ऊपर की ड्रेनें अन्य निकायों की: नदियाँ, डैम और बैराज WRD के पास हैं और हीराकुंड ओडिशा सरकार के पास, ड्रेनें नगर निगमों, RDA, NRDA, भिलाई इस्पात संयंत्र और कोयला और बिजली कंपनियों के पास, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता (अध्याय 6, खंड 6.9)। शोध के दौरान मिला कोई भी दस्तावेज राज्य में किसी नदी, जलाशय, तालाब, खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड वाले आउटफॉल के लिए डिजाइन स्तर निर्धारित नहीं करता, और जगदलपुर पर इंद्रावती राज्य का एकमात्र गेज है जिसके लिए CWC का चेतावनी स्तर और खतरे का स्तर मिला। अध्याय 4 की हर निकास दर पूरी करने वाला अस्थायी भंडारण बेसिन भी विफल हो जाता है यदि वह नदी, जिसमें उसकी निकासी होती है, कई दिनों तक उसके

आउटफॉल से ऊपर रहे, यदि जलाशय या तालाब भरा हो, या यदि वह खदान का गड्ढा, जिसमें वह समाप्त होता है, बिना निकास का हो। यह अध्याय इन विफलता प्रकारों को डिजाइन का भाग बनाता है। छत्तीसगढ़ में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं है, इसलिए खंड 5.1.4 बताता है कि अध्याय के कौन-से तटीय प्रावधान हट जाते हैं और उनका स्थान क्या लेता है।

5.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
विश्लेषण बिंदु (analysis point)	अनुप्रवाह प्रणाली पर वह स्थान जहाँ परियोजना-पूर्व और परियोजना-पश्चात स्थितियों की तुलना की जाती है (खंड 5.3.3)।
योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (contributing catchment)	किसी विश्लेषण बिंदु की ओर जल निकासी करने वाला संपूर्ण क्षेत्र, साइट पर और साइट के बाहर।
प्रमुख ड्रेन (major drain)	बेसिन प्लान या परिशिष्ट 5B में प्रमुख ड्रेन के रूप में सूचीबद्ध कोई चैनल, या कोई नदी, WRD की नहर, रायपुर में खारुन और उसकी ओर बहने वाले शहर के नाले, जिनमें महादेव घाट पर गोवर्धन नाला सम्मिलित है, नवा रायपुर अटल नगर की झीलों और जलाशयों को जोड़ने वाली धाराएँ और चैनल, शिवनाथ और दुर्ग के शंकर और पुलगांव नाले, भिलाई और उसकी इस्पात संयंत्र टाउनशिप के नाले, बिलासपुर में अरपा और उसकी ओर बहने वाले नाले, हसदेव और कोरबा के नाले, रायगढ़ में केलो, जगदलपुर में इंद्रावती, WRD की कोई ड्रेन या नहर, किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद, किसी नगर पंचायत, RDA, NRDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित या धारित कोई ड्रेन जिसकी भीतरी चौड़ाई 1.0 m या अधिक हो, किसी खदान की गारलैंड ड्रेनें और मोड़ चैनल, किसी ऐश पॉन्ड की ड्रेनें, वर्षा जल प्राप्त करने वाली कोई सिंचाई नहर, या कोई ज्वारीय खाड़ी।
चार्ट डेटम (CD)	प्रकाशित ज्वार सारणियों और नौवहन चार्टों का डेटम, जिसके सापेक्ष ज्वारीय ऊँचाइयाँ दी जाती हैं।
माध्य समुद्र तल (MSL)	किसी ज्वार गेज पर लंबी अवधि का औसत समुद्र तल।
MHWS	वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर: वृहत् ज्वारों के समय उच्च जल स्तरों का औसत।
HAT	उच्चतम खगोलीय ज्वार: पूर्ण ज्वारीय चक्र (18.6 वर्ष) में औसत मौसमी परिस्थितियों में पूर्वानुमानित उच्चतम स्तर।
तूफानी महोर्मि (storm surge)	मुख्यतः चक्रवातों के दौरान हवा और कम दबाव के कारण खगोलीय ज्वार से ऊपर समुद्र तल में होने वाली वृद्धि।
स्थिर जल स्तर (still-water level)	खगोलीय ज्वार और महोर्मि का योग, अलग-अलग लहरों को छोड़कर।
समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (SLA)	डिजाइन आयु के दौरान समुद्र स्तर वृद्धि के लिए वर्तमान ज्वारीय स्तरों में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त प्रावधान (खंड 5.7.4)।
टेलवाटर (tailwater)	किसी ड्रेन, आउटलेट या भंडारण के अनुप्रवाह सिरे पर जल स्तर।
ज्वार-अवरोध (tide-lock)	वह स्थिति जिसमें टेलवाटर प्रतिप्रवाह जल स्तर के बराबर या उससे ऊपर होता है, जिससे गुरुत्व आउटफॉल पानी नहीं छोड़ सकता।
अवरोध अवधि (lock window)	वह अवधि जिसके दौरान खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच गुरुत्व निकास को शून्य मानती है।
रेत अवरोध (sand bar)	समुद्र तट की रेत का अवरोध, जो किसी नदी मुख या खाड़ी के प्रवेश को आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर देता है।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
परियोजना डेटम (project datum)	परियोजना के नक्शों में प्रयुक्त समतलन डेटम। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से जोड़ा जाना होगा (खंड 5.7.2)।

5.3 अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार

5.3.1 अनुप्रवाह विश्लेषण प्रत्येक साइट या परियोजना के आउटफॉल से आरंभ किया जाएगा। यह अनुप्रवाह की ओर निम्नलिखित में से **पहले** बिंदु तक जारी रखा जाएगा:

- (a) वह बिंदु जहाँ परियोजना क्षेत्र योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र का **10% या उससे कम** हो;
- (b) सरप्लस वियर या नियंत्रित आउटलेट वाला अगला **तालाब (tank), तालाब (talab)** या अन्य जलाशय; या
- (c) अगली **प्रमुख ड्रेन**, या समुद्र।

अंतिम बिंदु का भी विश्लेषण किया जाएगा (चित्र 5.1)।

5.3.2 जहाँ विश्लेषण 5.3.1(b) के अंतर्गत किसी तालाब (tank) या तालाब (talab) पर समाप्त होता है, वहाँ उसमें खंड 5.4.3 की AEP और अवधियों के लिए निम्नलिखित की रिपोर्ट दी जाएगी:

- तालाब के अधिकतम जल स्तर में परिवर्तन; और
- सरप्लस वियर की प्रवाह दर में परिवर्तन।

यदि अधिकतम जल स्तर बढ़ता है, तो विश्लेषण सरप्लस वियर के नीचे अगले अंतिम बिंदु तक जारी रखा जाएगा।

5.3.3 विश्लेषण बिंदु कम से कम निम्नलिखित स्थानों पर रखे जाएँगे:

- (a) साइट का प्रत्येक आउटफॉल;
- (b) किसी ड्रेन या चैनल के साथ प्रत्येक संगम, जिसका योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र उस बिंदु पर प्राप्तकर्ता ड्रेन के जलग्रहण क्षेत्र का कम से कम आधा हो;
- (c) प्रत्येक पुलिया, पुल या सड़क क्रॉसिंग;
- (d) स्थानीय निकाय, RMC, CGSDMA या WRD द्वारा बाढ़-प्रवण के रूप में दर्ज प्रत्येक स्थान; और
- (e) मार्ग के साथ 1% AEP बाढ़ के विस्तार के भीतर स्थित प्रत्येक भवन या सड़क खंड। जहाँ भवन पास-पास हों, वहाँ प्रतिनिधि बिंदु प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

5.3.4 **छोटी साइटें. 0.5 ha** से कम क्षेत्र की साइटों के लिए, प्राधिकारी पूर्ण विश्लेषण के स्थान पर सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (प्रपत्र 5-2) स्वीकार कर सकता है, जहाँ निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों:

- प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन की अपने लघु प्रणाली डिजाइन प्रवाह के लिए दस्तावेजित क्षमता हो (अध्याय 6);
- अनुप्रवाह की ओर 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज न हो; और
- साइट किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी न करती हो।

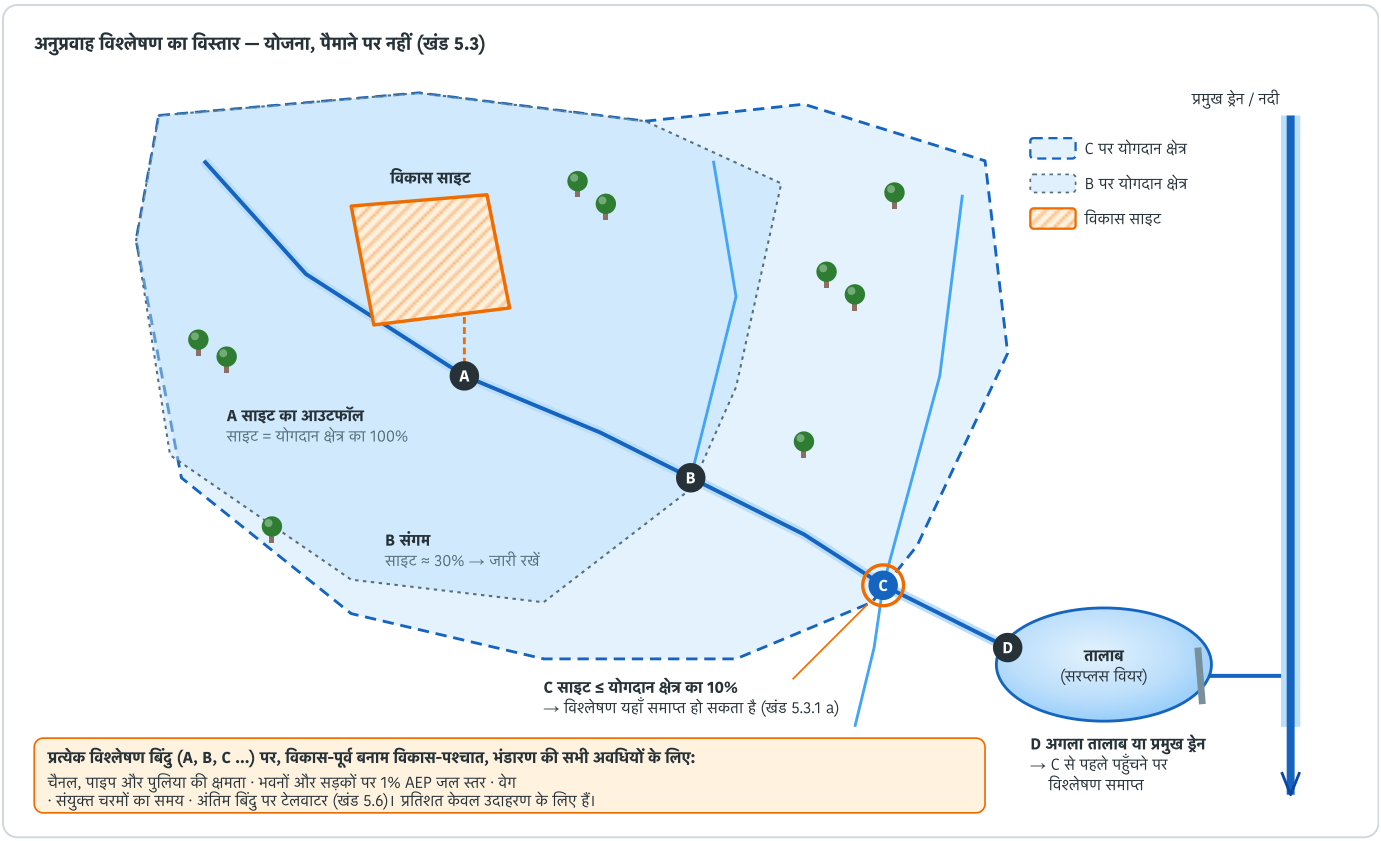

चित्र 5.1 — अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार: विश्लेषण बिंदु A–D, प्रत्येक बिंदु पर योगदान देने वाला क्षेत्र, 10% बिंदु, और वैकल्पिक अंतिम बिंदु के रूप में अगला तालाब (talab) या प्रमुख ड्रेन। योजनाबद्ध; प्रतिशत केवल उदाहरण के लिए हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Georgia Stormwater Management Manual (2016, Vol. 2 §3.1.9) और KC APWA Section 5600 (2006, 5601.5) के दस-प्रतिशत नियम पर आधारित।

भाष्य. 10% नियम का स्थापित पूर्व-उदाहरण है। KC APWA 5600 (2006) में अपेक्षा थी कि अनुप्रवाह प्रणाली का विश्लेषण "उस बिंदु तक किया जाए जहाँ विकास का भूभाग कुल जलसंभर के 10% से कम हो" ("to the point the development's land mass is less than 10% of the total watershed")। जॉर्जिया मैनुअल दस-प्रतिशत विश्लेषण को एक अनिवार्य मानक बनाता है (GSMM 2016, Standard #8)। तालाब या प्रमुख ड्रेन वाले अंतिम बिंदु का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे छत्तीसगढ़ के लिए जोड़ता है। रायपुर में, जहाँ शहर के नाले उसके तालाबों के पास से और उनसे होकर खारुन तक बहते हैं, जिससे शहर का सीवेज नेटवर्क आठ बड़ी नहरों के माध्यम से जुड़ा बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और खारुन शहर के नीचे आगे शिवनाथ तक बहती है, और नवा रायपुर अटल नगर में, जहाँ चार प्रमुख धाराएँ क्षेत्र को चार जलग्रहण क्षेत्रों में बाँटती हैं और झीलों और जलाशयों के एक जाल को जोड़ती हैं, जिनमें उद्यान और चैनल वर्षा जल ले जाते हैं (NRDA, नया रायपुर विकास योजना-2031; प्रकाशित खबरों के अनुसार), 10% बिंदु कई तालाबों को पार करते हुए अनुप्रवाह की ओर कई किलोमीटर दूर हो सकता है। कार्यशील सरप्लस वियर वाला तालाब हाइड्रोग्राफ को पूरी तरह बदल देता है, इसलिए विश्लेषण को वहीं समाप्त करना और तालाब का स्तर रिपोर्ट करना बेहतर है। खंड 5.3.2 यह सुनिश्चित करता है कि वह अंतिम बिंदु तालाब के स्तर में वृद्धि को छिपा न सके। छोटी साइट के विवरण (5.3.4) और उसकी 500 m की दूरी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

5.4 विश्लेषण में क्या जाँचना होगा

5.4.1 **परिदृश्य.** प्रत्येक विश्लेषण में निम्नलिखित की तुलना की जाएगी:

- (a) **विद्यमान**: संपूर्ण योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र की वर्तमान अनुप्रवाह प्रणाली और वर्तमान भूमि उपयोग, और परियोजना साइट अपनी परियोजना-पूर्व स्थिति में; और
- (b) **परियोजना सहित**: वही स्थिति, जिसमें परियोजना और उसके सभी नियंत्रण (अध्याय 4) विद्यमान हों।

जहाँ प्राधिकारी का बेसिन प्लान भविष्य का भूमि उपयोग परिभाषित करता है, वहाँ प्राधिकारी निम्नलिखित की भी अपेक्षा कर सकता है:

- (c) **भविष्य**: प्लान के अनुसार पूर्णतः विकसित जलग्रहण क्षेत्र, सब कुछ अध्याय 4 के मानकों के अनुसार, परियोजना सहित और परियोजना के बिना।

5.4.2 **प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर जाँची जाने वाली मात्राएँ:**

- (a) **क्षमता**: प्रत्येक चैनल, पाइप, पुलिया और क्रॉसिंग की क्षमता की तुलना में चरम प्रवाह, उस तत्व की लघु प्रणाली AEP (अध्याय 6) के लिए और 1% AEP के लिए;
- (b) **बाढ़ जल स्तर**: भवनों पर (सबसे निचले खुले भाग पर) और सड़कों पर (शीर्ष पर और सबसे गहरे बिंदु पर) 1% AEP का अधिकतम जल स्तर;
- (c) **वेग**: 50%, 10% और 1% AEP के लिए चरम वेग;
- (d) **संयुक्त चरमों का समय**: प्रत्येक संगम पर हाइड्रोग्राफ, जिसमें परियोजना के बहिर्वाह और प्राप्तकर्ता ड्रेन के चरम तक समय दर्शाया गया हो; और
- (e) **जलमग्नता की अवधि**: सड़कों पर और भवनों पर, अध्याय 6 की गहराई सीमाओं से ऊपर पानी रहने का समय।

5.4.3 **वर्षा घटनाएँ.** विश्लेषण में निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा:

- 50%, 10% और 1% AEP;
- खंड 2.5.2 की अवधियों का समूह, कम से कम वे अवधियाँ जो प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर उच्चतम स्तर देती हैं (ये सामान्यतः साइट की तुलना में लंबी होंगी); और
- प्रत्येक स्थिति में 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ।

खंड 2.11.4 का AMC नियम लागू होता है। क्षेत्रीय न्यूनीकरण खंड 2.7 के अनुसार होता है, जो प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र पर लागू किया जाता है और साइट भंडारण पर कभी नहीं।

5.4.4 **विधि.** विश्लेषण में:

- ऐसी हाइड्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाएगा जो संगमों पर हाइड्रोग्राफों को जोड़ती हो (SWMM, HEC-HMS, या समतुल्य);
- जहाँ भी टेलवाटर या पश्चजल किसी विश्लेषण बिंदु को प्रभावित करता है, वहाँ पश्चजल प्रभाव सहित हाइड्रोलिक मॉडल (SWMM dynamic wave, HEC-RAS, या समतुल्य) सम्मिलित किया जाएगा; और
- किसी भी विश्लेषण बिंदु पर रेशनल विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह समय को प्रदर्शित नहीं कर सकती।

साइट से बाहर के क्षेत्रों का मॉडल उनके वर्तमान भूमि उपयोग पर बनाया जाएगा। प्रतिप्रवाह का अस्थायी भंडारण केवल वहीं सम्मिलित किया जाएगा जहाँ वह निर्मित, अनुरक्षित और दस्तावेजित हो।

5.4.5 **टेलवाटर.** मॉडल के अनुप्रवाह सिरे पर खंड 5.6 से 5.9 का टेलवाटर और, जहाँ लागू हो, खंड 5.13 की रेत अवरोध स्थिति का उपयोग किया जाएगा।

भाष्य. खंड 5.4.2(d) इसलिए है कि अस्थायी भंडारण केवल यह नहीं बदलता कि साइट का कितना पानी पहुँचता है, बल्कि यह भी बदलता है कि वह कब पहुँचता है (खंड 4.16)। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध-प्रबंध और *Water* (2016) के एक इष्टतमीकरण अध्ययन, दोनों ने पाया कि साइट से विलंबित निकास मुख्य धारा के चरम (main-stem peak) के साथ मिलकर उसे बढ़ा सकता है। जॉर्जिया का मैनुअल यह परिणाम सीधे बताता है: कुछ संरचनात्मक पद्धतियाँ "अनुप्रवाह की ओर चरम प्रवाह दरों को विकास-पूर्व स्तर तक कम करने में विफल रहती हैं" ("fail to reduce discharge peaks to pre-development levels downstream") क्योंकि "चरम प्रवाह के समय और अपवाह आयतन के प्रभाव" ("peak flow timing and runoff volume effects") होते हैं (GSMM 2016)। जलमग्नता की अवधि की जाँच (5.4.2(e)) छत्तीसगढ़ के नदी-तटीय नगरों में महत्वपूर्ण है, जिनके आउटफॉल ऐसी नदियों से नीचे हैं जो बाढ़ों और डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी से कई दिनों तक ऊँची रहती हैं: 28–29 अगस्त 2020 को कलमा (Kalma) पर महानदी अपने पिछले उच्चतम स्तर से ऊपर चढ़ी और लगभग 110 घंटे उससे ऊपर रही, और पथरीडीह पर खारुन लगभग 46 घंटे (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में); 24 से 27 सितंबर 2026 तक गंगरेल डैम के सभी 14 गेट खुले थे, खारुन महादेव घाट पर उफनी और इंद्रावती ने जगदलपुर पर नया उच्चतम स्तर बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और रायपुर में 5–6 जुलाई 2026 को चौबे कॉलोनी के पाँच तालाब उफनकर घरों में भर गए और सीवेज घरों में घुसा (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। निकास को लंबा खींचने वाला अस्थायी भंडारण चरम को कम करते हुए भी उस समय को बढ़ा सकता है।

5.5 स्वीकार्यता मानदंड

5.5.1 परियोजना स्वीकार्य है यदि प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर और खंड 5.4.3 की प्रत्येक AEP और अवधि के लिए, "परियोजना सहित" की "विद्यमान" से तुलना करने पर:

- (a) किसी आवास योग्य भवन पर, किसी भवन के सबसे निचले खुले भाग पर, या किसी सड़क के कैरिजवे पर 1% AEP का अधिकतम जल स्तर **10 mm** से अधिक नहीं बढ़ता;
- (b) कोई भवन जो विद्यमान स्थिति में जलमग्न नहीं होता, परियोजना के साथ जलमग्न नहीं होता, और कोई भवन या सड़क जो विद्यमान स्थिति में अध्याय 6 की फ्रीबोर्ड या गहराई सीमाओं को पूरा करती है, उन्हें पूरा करने में विफल नहीं होती;
- (c) चरम प्रवाह प्रत्येक तत्व की लघु प्रणाली AEP पर, या 1% AEP पर, विद्यमान चरम से अधिक नहीं होता;
- (d) पक्के चैनलों में चरम वेग अस्तर के लिए अनुमेय वेग के भीतर रहता है (अध्याय 6: अधिकतम 3.0 m/s); और
- (e) कच्चे या प्राकृतिक चैनलों में, 50% और 10% AEP के लिए चरम वेग **10%** से अधिक नहीं बढ़ता, जब तक कि अध्याय 9 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान न की गई हो।

5.5.2 5.4.2(e) के अंतर्गत जलमग्नता की अवधि की रिपोर्ट दी जाएगी। प्राधिकारी ऐसी परियोजना को अस्वीकार कर सकता है जो किसी धमनी सड़क या आपातकालीन मार्ग के बंद रहने की अवधि को बढ़ाती है।

5.5.3 **जहाँ मानदंड पूरे नहीं होते**, वहाँ परियोजना निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय करेगी:

- (a) निकास दरें घटाना या भंडारण बढ़ाना (अध्याय 4);
- (b) अनुप्रवाह प्रणाली के स्वामी की सम्मति से अनुप्रवाह सुधार कार्य बनाना। ये समस्या को और अनुप्रवाह की ओर स्थानांतरित नहीं करेंगे, और इस अध्याय के अंतर्गत इनका पुनः विश्लेषण किया जाएगा;
- (c) खंड 4.13 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय सुविधा में योगदान देना; या
- (d) खंड 5.5.4 के अंतर्गत निकास की रणनीति बदलना।

5.5.4 **समय संबंधी अपवाद.** जहाँ विश्लेषण दर्शाता है कि समय के कारण अस्थायी भंडारण अनुप्रवाह स्तरों को बढ़ाता है, वहाँ प्राधिकारी खंड 4.5 के साइट निकास दर मानदंडों में परिवर्तन कर सकता है। यह केवल वहीं लागू होता है जहाँ साइट योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के निचले दसवें भाग के भीतर, सीधे किसी प्रमुख ड्रेन, ज्वारीय खाड़ी या समुद्र में पानी छोड़ती है, और केवल निम्नलिखित शर्तों पर:

- (a) परिवर्तित रणनीति 5.5.1 को पूरा करती है;
- (b) प्रतिधारण की अपेक्षा (खंड 4.4) और WQv उपचार (अध्याय 8) पूर्ण रूप से पूरे होते हैं; और
- (c) आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10) पूरी होती है।

> **भाष्य.** 10 mm की सहनसीमा (5.5.1(a)) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। इसका आशय यह है कि यह किसी सामान्य एक-आयामी मॉडल की संख्यात्मक परिशुद्धता के बराबर या उससे नीचे हो, ताकि "कोई वृद्धि नहीं" की जाँच पूर्णांकन पर विवाद के बिना की जा सके। वेग की 10% सहनसीमा भी इसी प्रकार इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। 5.5.4 का समय संबंधी अपवाद जॉर्जिया मैनुअल के अनुसार है, जहाँ अनुप्रवाह विश्लेषण यह दर्शा सकता है "कि चरम नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं है" ("that peak controls are not needed") और उन्हें छोड़ने की अनुमति दे सकता है (GSMM 2016, Standard #8)। यहाँ इसे जलग्रहण क्षेत्र के निचले भाग की साइटों तक सीमित रखा गया है, क्योंकि मुख्य धारा के चरम के साथ समकालिकता वहीं सबसे अधिक संभावित है (*Water* 2016, 8(7):290)। इससे ऊपर यह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पैमाने संबंधी साक्ष्य (खंड 4.16) दर्शाते हैं कि प्रतिप्रवाह की अनेक साइटों से शीघ्र निकास चरमों को बढ़ाता है।

5.6 टेलवाटर: सामान्य और गैर-ज्वारीय आउटफॉल

5.6.1 प्रत्येक ड्रेन, आउटलेट और भंडारण का डिजाइन किसी निर्दिष्ट टेलवाटर के विरुद्ध किया जाएगा। मुक्त आउटफॉल (free outfall) केवल वहीं माना जाएगा जहाँ आउटलेट का इनवर्ट जाँची जा रही स्थिति के लिए प्राप्तकर्ता जलाशय के अधिकतम जल स्तर से ऊपर हो।

5.6.2 **लघु प्रणाली टेलवाटर, गैर-ज्वारीय.** टेलवाटर, अनुप्रवाह मॉडल से प्राप्त, लघु प्रणाली के चरम के समय प्राप्तकर्ता प्रणाली का जल स्तर है। जहाँ कोई मॉडल नहीं है, वहाँ निम्नलिखित का उपयोग करें:

- प्राप्तकर्ता पाइप के लिए, उसका ऑबवर्ट; या
- प्राप्तकर्ता खुली ड्रेन के लिए, उसका पूर्ण-किनारा स्तर (full-bank level) घटा फ्रीबोर्ड (अध्याय 6)।

5.6.3 **प्रमुख प्रणाली टेलवाटर, गैर-ज्वारीय.** टेलवाटर प्राप्तकर्ता प्रणाली का 1% AEP जल स्तर है, जब तक कि खंड 5.8 किसी संयोगी निचले स्तर की अनुमति न दे।

5.6.4 **ज्वारीय और पश्चजल आउटफॉल.** खंड 5.7 से 5.13 अतिरिक्त रूप से लागू होते हैं।

5.6.5 **भंडारण तत्व.** अस्थायी भंडारण, तालाबों और पंप द्वारा खाली किए जाने वाले संपों की रूटिंग, जहाँ भी टेलवाटर ज्वार-भाटे के साथ या प्राप्तकर्ता प्रणाली के हाइड्रोग्राफ के साथ बदलता है, स्थिर स्तर के बजाय समय के साथ बदलते टेलवाटर (खंड 4.6.6) के साथ की जाएगी।

5.7 ज्वारीय टेलवाटर: डेटम, महोर्मि और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई

5.7.1 **डिजाइन टेलवाटर स्तर.** समुद्र, ज्वारीय खाड़ियों, ज्वारनदमुखों, पश्चजलों और नदियों और नहरों के ज्वारीय भागों (reaches) में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए:

तालिका 5.1 — ज्वारीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर स्तर

डिजाइन स्थिति	टेलवाटर
लघु प्रणाली डिजाइन (अध्याय 6)	**MHWS + SLA**
प्रमुख प्रणाली डिजाइन और भंडारण डिजाइन	**HAT + महोर्मि + SLA**, महोर्मि पद खंड 5.7.3 में परिभाषित
संयुक्त स्थिति (खंड 2.12(b))	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA

SLA **न्यूनतम +0.3 m** है (खंड 5.7.4)। चलाई जाने वाली स्थितियाँ खंड 5.9 में सूचीबद्ध हैं।

5.7.2 **स्रोत और डेटम.**

- (a) **ज्वारीय स्तर.** MHWS, HAT और MSL निकटतम मानक या द्वितीयक बंदरगाह के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO) या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारतीय ज्वार सारणियों के वर्तमान संस्करण से, या बंदरगाह प्राधिकरण के प्रकाशित ज्वारीय स्तरों से लिए जाएँगे। संस्करण और बंदरगाह का उल्लेख किया जाएगा।
- (b) **डेटम रूपांतरण.** ज्वार सारणी की ऊँचाइयाँ चार्ट डेटम के सापेक्ष होती हैं। इन्हें चार्ट डेटम, ज्वार गेज के शून्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क के बीच दस्तावेजित संबंध के माध्यम से परियोजना डेटम में बदला जाएगा। अंतर (offset) और उसका स्रोत प्रपत्र 5-1 में बताया जाएगा।
- (c) **ज्वारनदमुख, खाड़ियाँ और नहरें.** ज्वारनदमुखों, खाड़ियों, पश्चजलों या ज्वारीय नहरों के भीतर के आउटफॉलों के लिए (उदाहरण के लिए तटीय राज्यों के ज्वारनदमुख; छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं है, खंड 5.1.4), ज्वारीय स्तर खुले तट से भिन्न हो सकते हैं। खुले तट के स्तरों का उपयोग किया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक वृहत्–लघु ज्वार चक्र (spring–neap cycle) के मापे गए स्तर, या कोई अंशांकित हाइड्रोडायनामिक मॉडल, भिन्न मान को उचित न ठहराए। ऐसे साक्ष्य के बिना खुले तट के स्तरों से कम कोई कटौती नहीं ली जाएगी।
- (d) **अंतरिम.** जब तक परिशिष्ट 5A प्रकाशित नहीं होता, तब तक डिजाइनकर्ता (a) में दिए गए स्रोतों से मान सीधे प्राप्त करेगा और उन्हें अभिलिखित करेगा।

5.7.3 **तूफानी महोर्मि.**

- (a) **प्रमुख प्रणाली और भंडारण डिजाइन.** "HAT + महोर्मि" में महोर्मि पद तटीय खंड के लिए परिशिष्ट 5A में दी गई **10% AEP (10-वर्ष) तूफानी महोर्मि** है। 1% AEP महोर्मि का उपयोग केवल खंड 2.12(b) की संयुक्त स्थिति में, 10-वर्ष की 48 घंटे की वर्षा घटना के साथ, किया जाता है। इससे दोनों स्थितियाँ सममित रहती हैं, ताकि किसी दुर्लभ वर्षा को कभी किसी दुर्लभ महोर्मि के साथ न जोड़ा जाए।
- (b) **संयुक्त स्थिति.** खंड 2.12(b) के लिए 1% AEP स्थिर जल स्तर परिशिष्ट 5A से लिया जाता है।
- (c) जब तक परिशिष्ट 5A प्रकाशित नहीं होता, तब तक दोनों मान INCOIS, IMD या NCCR के महोर्मि पश्च-अनुमानों (hindcasts) या प्रत्यावर्तन-स्तर विश्लेषणों (return-level analyses) का उपयोग करने वाले साइट-विशिष्ट अध्ययन से लिए जाएँगे। अध्ययन में उसका स्रोत, विधि और अभिलेख की अवधि बताई जाएगी।
- (d) जहाँ आउटफॉल बिना संरक्षित प्रवेश के खुले समुद्र की ओर हो, वहाँ लहर उत्थान (wave set-up) जोड़ा जाएगा।

5.7.4 **समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई.** SLA:

- (a) प्रत्येक तत्व के लिए न्यूनतम **+0.3 m** होगी;
- (b) 0.3 m से अधिक होगी जहाँ राज्य, RDA या प्राधिकारी निवेश क्षेत्र (planning area) के लिए कोई उच्चतर प्रक्षेपण अंगीकार करता है; और
- (c) तत्व की डिजाइन आयु के लिए आँकी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले तत्वों के लिए, डिजाइनकर्ता SLA की दोगुनी समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभाव की रिपोर्ट संवेदनशीलता रन के रूप में देगा।

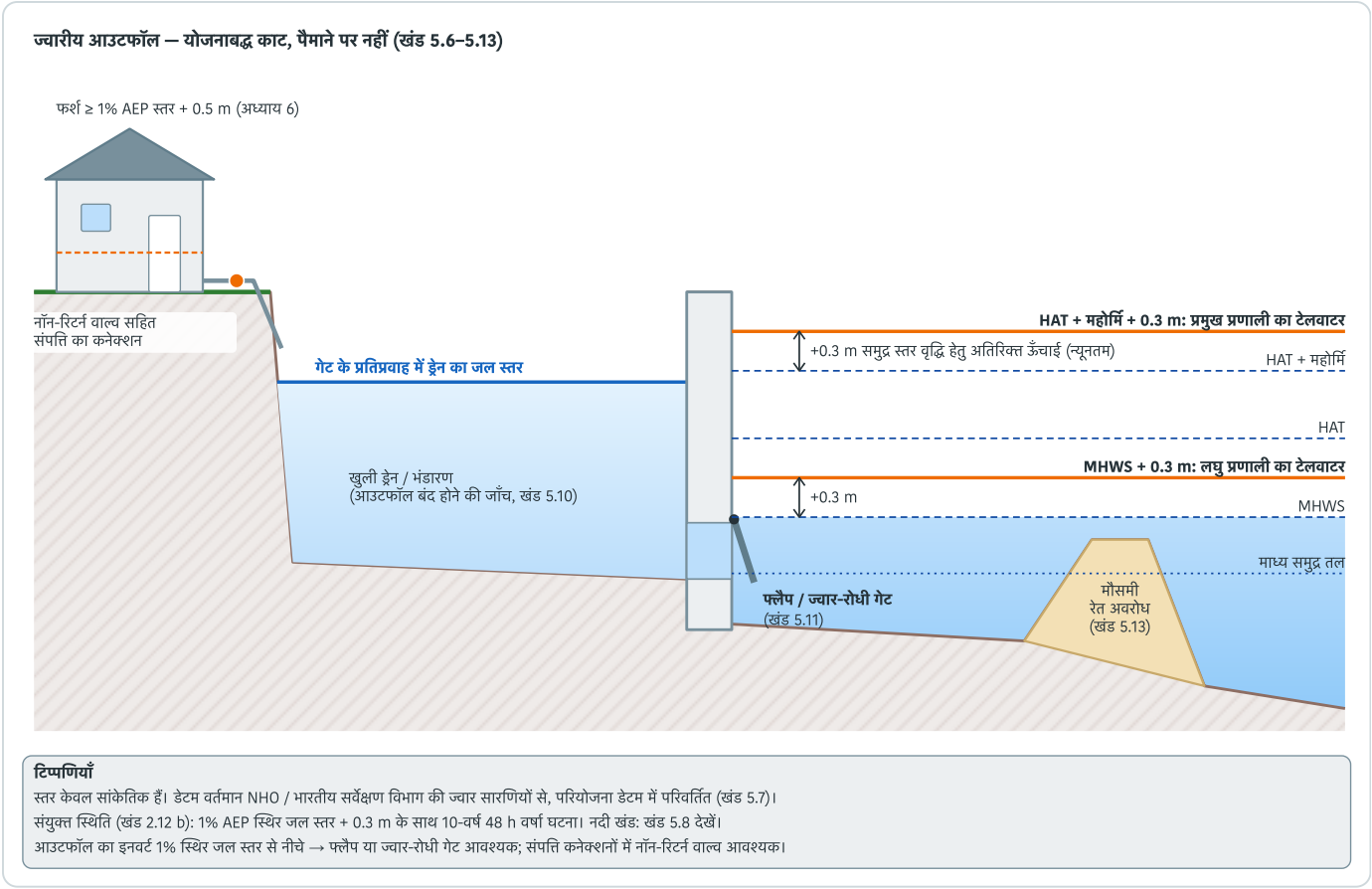

चित्र 5.2 — ज्वारीय आउटफॉल: फ्लैप गेट, संपत्ति का नॉन-रिटर्न वाल्व, और डिजाइन टेलवाटर स्तर (लघु प्रणाली के लिए MHWS + 0.3 m; प्रमुख प्रणाली के लिए HAT + महोर्मि + 0.3 m), मुख पर मौसमी रेत अवरोध के साथ। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MoHUA/CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Part A, Table 6.2 की ज्वारीय टेलवाटर तालिका पर आधारित।

भाष्य. CPHEEO (2019) की Table 6.2 तटीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर इस प्रकार निर्धारित करती है:

- लघु वर्षा घटना (5 वर्ष में 1 बार से अधिक बार होने वाली) के लिए MHWN से MHWS;
- प्रमुख वर्षा घटना के लिए MHWS से HAT; और
- "जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अतिरिक्त 0.3 m" ("Effect of climate change: additional 0.3 m")।

CPHEEO यह भी कहता है कि वर्षा, ज्वार और महोर्मि की संयुक्त प्रायिकता पर, राज्य समुद्री बोर्ड से परामर्श करके, विचार किया "जाना चाहिए" ("should")। यह मैनुअल CPHEEO की प्रत्येक सीमा का ऊपरी छोर लेता है, प्रमुख प्रणाली के लिए महोर्मि जोड़ता है, और संयुक्त स्थिति को स्पष्ट बनाता है (खंड 2.12)। CPHEEO महोर्मि जोड़ने की अपेक्षा नहीं करता; यह मैनुअल इसे इसलिए जोड़ता है कि तटीय राज्यों के महोर्मि अभिलेखों ने दिखाया कि वहाँ इसकी आवश्यकता क्यों है; छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, और राज्य में, जहाँ बंगाल की खाड़ी का कोई अवदाब या चक्रवात केवल वर्षा के रूप में पहुँचता है (अध्याय 2), महोर्मि पद का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय ज्वार सारणियाँ उन्नीसवीं शताब्दी से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती रही हैं (Survey of India, Tidal Predictions)। वर्तमान भारतीय ज्वारीय पूर्वानुमान NHO की ज्वार सारणियों में भी आते हैं। एक बंदरगाह दस्तावेज वर्तमान संस्करण को 95 भारतीय बंदरगाहों को समाविष्ट करने वाला बताता है, जो NHO के प्रेक्षणों और नागरिक बंदरगाहों, NIO तथा INCOIS के आँकड़ों पर

आधारित है (Adani Ports, Dahej tide table 2025, NHO INP-12 का हवाला देते हुए)। INCOIS तटीय ज्वार गेज चलाता है और तूफानी महोर्मि तथा स्वेल-महोर्मि (swell-surge) की चेतावनियाँ जारी करता है। इनमें से किसी का भी उपयोग छत्तीसगढ़ में डिजाइन के लिए नहीं होता, जिसका कोई तट नहीं है, और परिशिष्ट 5A राज्य के लिए तैयार नहीं किया गया है (खंड 5.1.4)।

5.8 नदी का पश्चजल

5.8.1 **यह कहाँ लागू होता है.** उन नदियों और नहरों में गिरने वाले आउटफॉलों का डिजाइन, जिनका जल स्तर किसी वर्षा घटना में आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर जा सकता है, नदी के पश्चजल (riverine backwater) को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- **रायपुर** में **खारुन**, **महादेव घाट** और **पथरीडीह** गेज के पास से होकर, शहर के उन नालों सहित जो उसमें समाप्त होते हैं, और आगे **शिवनाथ** के साथ उसके संगम तक (खंड 5.8.5(a));
- **मोंगरा** बैराज के नीचे **राजनांदगांव**, **दुर्ग** और **भिलाई** पर **शिवनाथ**, दुर्ग के **शंकर** और **पुलगांव** नालों सहित, और **अंधियारखोर** (Andhiyar Khore) पर **हांप** (Hamp) (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a) और (c));
- **अरपा भैंसाझार** बैराज के नीचे **बिलासपुर** पर **अरपा**, और **मनियारी** डैम के नीचे **मनियारी** (Maniyari) स्थल पर **मनियारी** नदी (Maniari) (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a) और (c));
- **मिनीमाता बांगो** डैम और **दर्री** पर **हसदेव बैराज** के नीचे **कोरबा** पर **हसदेव**, **कटघोरा** और **बांगोडैम** गेजों और कोरबा के नालों सहित (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a) और (c));
- **धमतरी** और **राजिम** पर **गंगरेल** डैम के नीचे **महानदी**, **मालगांव** पर **पैरी** सहित, **समोदा** (Samoda) से **कलमा** तक के बैराजों और **कलमा** और **सूरजगढ़** के गेजों के पास से होकर, और **कुरुभाठा** (Kurubhata) पर **मांड** सहित, **हीराकुंड** जलाशय के शीर्ष तक (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a), (c) और (d));
- **केलो** डैम के नीचे **रायगढ़** पर **केलो** (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a) और (c));
- ओडिशा के डैमों के नीचे **जगदलपुर** और **चिंदनार** (Chindnar) पर **इंद्रावती**, **सोनारपाल** (Sonarpal) पर **नारंगी** सहित, और **तालनार** (Talnar) और **कोंटा** पर **सबरी** (खंड 5.8.3 और 5.8.5(a) और (c));
- **रायगढ़** और **सारंगढ़-बिलाईगढ़** जिलों में **हीराकुंड** जलाशय का बैकवाटर (खंड 5.8.5(d));
- **गंगरेल**, **मिनीमाता बांगो**, **खारंग** (Kharang), **मनियारी** और **केलो** जलाशय और **कोपरा जलाशय**, **मोंगरा**, **अरपा भैंसाझार** और **दर्री** बैराजों के और महानदी के बैराजों के जलाशय, **नवा रायपुर अटल नगर** की झीलें और जलाशय (जिनमें **सेंध** (Sendh), **झांझ** (Jhanjh) और **खंडवा** (Khandawa) सम्मिलित हैं), **रायपुर** के तालाब (जिनमें **बूढ़ा तालाब**, **तेलीबांधा**, **कंकाली**, **महाराजबंध**, **करबला** और **नरैया** (Narhaiya) सम्मिलित हैं) और अन्य नगरों के वे तालाब जो उनकी ड्रेनों का पानी प्राप्त करते हैं (खंड 5.8.5(b));
- **कोरबा**, **मांड–रायगढ़** और **सरगुजा** कोयला क्षेत्रों के खदान के गड्ढे, खदान झीलें और चालू खदानें, और **कोरबा** और **रायगढ़** के बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध (खंड 5.8.5(e));
- **WRD** की कोई सिंचाई नहर, और किसी अन्य निकाय की कोई ड्रेन या चैनल जो वर्षा जल प्राप्त करता हो (खंड 5.8.5(g)); और
- अन्यत्र: परिशिष्ट 5B में सूचीबद्ध कोई नदी या WRD का चैनल।

5.8.2 **नदी का जल स्तर.** नदी का जल स्तर निम्नलिखित से लिया जाएगा:

- (a) उस नदी-भाग (reach) के लिए WRD के डिजाइन बाढ़ स्तर या अभिलिखित उच्चतम बाढ़ स्तर, जहाँ प्रकाशित हों; या
- (b) उस नदी-भाग का हाइड्रोलिक मॉडल (HEC-RAS या समतुल्य)। मॉडल में निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा:
    - हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) से प्राप्त नदी की डिजाइन बाढ़, और जहाँ अध्याय 3 अपेक्षा करता है वहाँ सतत सिमुलेशन;
    - मुख पर खंड 5.7 की ज्वारीय सीमा-स्थिति; और
    - खंड 5.13 की रेत अवरोध स्थिति।

5.8.3 **जलाशय और तालाब से छोड़ा गया पानी.** जहाँ प्रतिप्रवाह की ओर कोई जलाशय या तालाब नदी में पानी छोड़ सकता है (उदाहरण के लिए धमतरी और राजिम के ऊपर महानदी पर रविशंकर सागर (गंगरेल) डैम, कोरबा के ऊपर मिनीमाता बांगो डैम और दर्री पर हसदेव बैराज, बिलासपुर के ऊपर अरपा भैंसाझार बैराज, दुर्ग के ऊपर शिवनाथ पर मोंगरा बैराज, रायगढ़ के ऊपर केलो डैम, मनियारी नदी (Maniari) पर मनियारी डैम, समोदा से कलमा तक महानदी के बैराज, और जगदलपुर के ऊपर ओडिशा में इंद्रावती पर स्थित डैम), वहाँ नदी के स्तर में जाँची जा रही वर्षा घटना के लिए जलाशय के प्रचालन नियम के अनुसार छोड़ा गया पानी सम्मिलित किया जाएगा। जहाँ कोई प्रकाशित नियम नहीं है, वहाँ उसमें अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी सम्मिलित किया जाएगा।

5.8.4 **साइट की वर्षा घटना और नदी की बाढ़ का संयोग.** जब तक प्राधिकारी द्वारा कोई संयुक्त प्रायिकता अध्ययन स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक निम्नलिखित में से अधिक गंभीर स्थिति निर्णायक होगी:

- (a) साइट की डिजाइन वर्षा घटना (अपेक्षित AEP), नदी अपने **10% AEP (10-वर्ष)** स्तर पर; और
- (b) साइट की **10% AEP** वर्षा घटना, नदी अपने डिजाइन-AEP स्तर पर (प्रमुख प्रणाली के लिए 1% AEP)।

प्रत्येक जोड़ी की दोनों वर्षा घटनाओं की अवधि और समय समान होगा, जहाँ वे एक ही वर्षा घटना से उत्पन्न होती हों।

5.8.5 **नदी से अवरुद्ध आउटफॉल, जलाशय, बैराज और तालाब के आउटफॉल, डैमों और बैराजों के नीचे की नदियाँ, हीराकुंड का बैकवाटर, खदान के गड्ढे और ऐश पॉन्ड, WRD की सम्मति, और नहरों और अन्य निकायों की ड्रेनों में निस्सरण.**

- (a) **नदी से अवरुद्ध आउटफॉल.** किसी नदी में सीधे, किसी किनारे (bank) या तटबंध में लगे गेट के माध्यम से या किसी पंपिंग स्टेशन के माध्यम से गिरने वाले आउटफॉल के लिए, या किसी ऐसी ड्रेन में गिरने वाले आउटफॉल के लिए जो स्वयं इनमें से किसी तरीके से पानी छोड़ती है, डिजाइनकर्ता प्रत्येक गेट और पंपिंग स्टेशन का प्रचालन करने वाले निकाय की पहचान करेगा, और प्रत्येक गेट की सिल, किनारे या तटबंध का शिखर, स्थापित पंपिंग क्षमता और प्रचालन स्तर, जिनमें वह नदी स्तर सम्मिलित है जिस पर प्रत्येक गेट बंद किया जाता है, प्राप्त करेगा। प्रत्येक स्तर के साथ उसका डेटम और निकटतम CWC या WRD गेज के गेज डेटम से उसका संबंध बताया जाएगा।
    - **डिजाइन नदी स्तर.** प्रमुख प्रणाली की स्थितियों (खंड 5.8.4(b)) के लिए आउटफॉल पर खंड 5.8.2 का नदी स्तर **आउटफॉल पर 1% AEP नदी स्तर** होगा: किसी ऐसे बाढ़-आवृत्ति अध्ययन या डूब क्षेत्र सीमांकन का 100-वर्ष का स्तर जो आउटफॉल पर कोई स्तर देता हो, या खंड 5.8.2(b) के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल से प्राप्त स्तर, मद (c) के अनुसार डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी के साथ। राज्य में किसी भी नदी का डूब क्षेत्र सीमांकित नहीं किया गया है, और किसी भी नदी के लिए WRD की कोई बाढ़ रेखा नहीं मिली [TBC]। यह स्तर किसी भी स्थिति में उसी नदी पर निकटतम CWC गेज के **अभिलिखित उच्चतम स्तर** से, आउटफॉल तक स्थानांतरित, कम नहीं होगा। शोध के दौरान मिले उच्चतम स्तर (तालिका 5B.1), जो SANDRP द्वारा प्रतिलिपित CWC के आँकड़ों और CWC परामर्शों के उद्धरण-अंशों से लिए गए हैं और जिनमें से किसी को भी CWC स्थल-पत्रक में नहीं पढ़ा गया [TBC], ये हैं: जगदलपुर पर इंद्रावती **544.891 m** (26 सितंबर 2026; उससे पहले 9 जुलाई 1973 का 544.68 m) और चिंदनार पर **340.49 m** (26 सितंबर 2026); पथरीडीह पर खारुन **281.68 m** (29 अगस्त 2020); कलमा पर महानदी **202.43 m** और सूरजगढ़ पर **201.06 m** (दोनों 29 अगस्त 2020); कुरुभाठा पर मांड **220.4 m** (28 अगस्त 2020); कटघोरा पर हसदेव **313.58 m** (20 जुलाई 2026) और बांगोडैम पर **303.5 m** (17 अगस्त 2026); मनियारी पर मनियारी नदी **236.23 m** (13 अगस्त 2022); अंधियारखोर पर हांप **260.2 m** (12 अगस्त 2022); मालगांव पर पैरी **329.33 m** (30 जुलाई 2026); सोनारपाल पर नारंगी **543.43 m** (26 सितंबर 2026); और तालनार पर सबरी **213.81 m** (26 सितंबर 2026) और ओडिनगुडा (Odinaguda) (कोंटा) पर **71.64 m** (10 सितंबर 2024)। जहाँ किसी बाद की बाढ़ ने सूचीबद्ध स्तर को पार किया हो, वहाँ बाद का स्तर निर्णायक होगा; इनमें से सात स्तर 2026 में बने। दर्ज स्तर को CWC और WRD के गेज अभिलेखों से, या मॉडल से, उस बाढ़ की जल सतह ढलान के साथ, जिसने वह स्तर बनाया, नदी के अनुदिश स्थानांतरित किया जाएगा। जब तक इनमें से कोई उपलब्ध नहीं होता, तब तक प्रतिप्रवाह की ओर के निकटतम गेज का दर्ज स्तर आउटफॉल पर बिना परिवर्तन के लागू होता है, सिवाय इसके कि जहाँ आउटफॉल एक ही नदी पर दो गेजों के बीच स्थित हो और उनके बीच कोई सहायक नदी न मिलती हो, वहाँ स्तर को दोनों गेजों के अभिलिखित उच्चतम स्तरों के बीच नदी की दूरी के अनुसार रैखिक रूप से अंतर्वेशित (interpolate) किया जा सकता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।

- **बिना गेज स्तर वाली नदियाँ.** सिमगा पर या राजनांदगांव, दुर्ग या भिलाई के पास किसी बिंदु पर शिवनाथ, बिलासपुर पर अरपा, रायगढ़ पर केलो, राजिम, शिवरीनारायण (Seorinarayan) या बसंतपुर (Basantpur) पर महानदी, या रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के नालों के लिए CWC का कोई स्तर नहीं मिला [TBC]। ऐसे नदी-भाग पर, और अपने नदी-भाग के हर गेज के प्रतिप्रवाह की ओर स्थित किसी आउटफॉल के लिए, नदी स्तर निम्नलिखित में से अधिक होगा: खंड 5.8.2(b) के अंतर्गत मॉडल से प्राप्त स्तर, और आउटफॉल पर बाढ़ चिह्नों से, जिनमें सितंबर 2024 और सितंबर 2026 के महादेव घाट पर खारुन के और जुलाई 2026 के बिलासपुर पर अरपा के चिह्न सम्मिलित हैं, और WRD, स्थानीय निकाय या कलेक्टर के अभिलेखों से सर्वेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर, उसके स्रोत सहित। जहाँ कोई स्तर केवल गेज पाठ्यांक के रूप में ज्ञात हो, वहाँ डिजाइनकर्ता समतलन द्वारा गेज शून्य को परियोजना डेटम और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से जोड़ेगा। ऐसे नदी-भाग पर इनमें से किसी एक स्तर के बिना कोई आउटफॉल डिजाइन नहीं किया जाएगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
- **जगदलपुर का स्थानीय गेज.** जगदलपुर पर इंद्रावती के लिए समाचार माध्यमों में बताए गए पाठ्यांक, जैसे 26 सितंबर 2026 को 12.56 m, "खतरे के निशान से 4.26 मीटर ऊपर" ("4.26 metres above the danger mark") (प्रकाशित खबरों के अनुसार), ऐसे गेज के हैं जिसके स्थान, शून्य और डेटम का मिलान CWC गेज के स्थान, शून्य और डेटम से नहीं किया गया है, जिसका खतरे का स्तर 540.80 m है [TBC]। ये केवल प्रचालन के लिए सतर्कता स्तर हैं। इन्हें डिजाइन स्तर के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, CWC के किसी स्तर से इनकी तुलना नहीं की जाएगी या इन्हें किसी आउटफॉल तक अंतरित नहीं किया जाएगा, जब तक दोनों गेजों के शून्य समतलन द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से न जोड़ दिए जाएँ और उस संबंध की पुष्टि CWC या WRD न कर दे (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
- **10% AEP स्तर.** जिन स्थितियों में नदी अपने 10% AEP स्तर पर है (खंड 5.8.4(a)), उनके लिए स्तर उसी मॉडल से या गेज अभिलेख के आवृत्ति विश्लेषण से लिया जाएगा, और निकटतम CWC गेज पर **खतरे के स्तर** से, जिसे उसी प्रकार अंतरित किया गया हो, कम नहीं होगा: जगदलपुर पर **540.80 m** (चेतावनी स्तर 539.49 m; एक परामर्श में 539.50 m), 2019 के CWC परामर्शों के उद्धरण-अंशों से [TBC]। राज्य में किसी अन्य गेज के लिए कोई खतरे का स्तर नहीं मिला; वहाँ किसी आवृत्ति विश्लेषण के स्वीकार किए जाने तक 10% AEP स्थिति में इस मद का डिजाइन नदी स्तर लिया जाएगा (सभी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। प्रत्येक गेज के लिए हर स्तर के डेटम की पुष्टि की जानी है [TBC]।
- **टेलवाटर.** आउटफॉल पर टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक होगा: गेट, किनारे या तटबंध के उस पार का वह नदी स्तर, और उसके पीछे की ड्रेन का अधिकतम स्तर, जिसकी गणना ड्रेन को एक बंद भंडारण मानकर तब तक रूटिंग द्वारा की जाएगी जब तक नदी उसके पीछे के स्तर से ऊपर रहती है, जिसमें उसमें जल निकासी करने वाले संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र का अंतर्वाह, उसकी वर्तमान स्थिति में सर्वेक्षित भंडारण, गाद, अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट और खरपतवार को घटाकर, और बहिर्वाह के रूप में वह पंपिंग क्षमता ली जाएगी जिसके बारे में संचालक लिखित रूप में पुष्टि करे कि वह वर्षा घटना में उपलब्ध है, और जो किसी भी स्थिति में स्थायी पंपों की स्थापित क्षमता घटा सबसे बड़े पंप की क्षमता से अधिक नहीं होगी (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित), और गेट से गुरुत्व निकास केवल तब तक लिया जाएगा जब तक नदी उसके पीछे के स्तर से नीचे हो। पंप इस मद के डिजाइन नदी स्तर के विरुद्ध पानी देंगे, और प्रत्येक पंप, पैनल और नियंत्रण नदी के उस स्तर पर होने पर भी प्रचालन योग्य बना रहेगा (खंड 5.12.5)।
- **नदी अवरोध.** किसी घटना के लिए लाए गए पोर्टेबल जल-निष्कासन पंप, और वह क्षमता जो संस्वीकृत या प्रस्तावित है किंतु चालू नहीं की गई है, नहीं गिनी जाएगी। खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच एक ही अवरोध के साथ लागू होती है, जो तब तक रहता है जब तक नदी आउटफॉल के इनवर्ट से, या यदि वह स्तर नीचा हो तो उस स्तर से जिस पर उसका गेट बंद किया जाता है, ऊपर रहती है, जिसे नदी मॉडल से, या उस बाढ़ में जिसने अभिलिखित उच्चतम स्तर बनाया या किसी तुलनीय बाढ़ में निकटतम CWC या WRD गेज के जल स्तर अभिलेख से, मद (c) के अनुसार छोड़े गए पानी के साथ, लिया जाएगा, और जो इनसे कम नहीं होगा: राजिम से हीराकुंड के बैकवाटर तक महानदी पर, कुरुभाठा के नीचे मांड पर और उनकी ओर जल निकासी करने वाली निचली भूमि पर **120 घंटे (5 दिन)**; और अन्यत्र **72 घंटे**, या, किसी डैम या बैराज के नीचे की नदी पर, यदि वह अधिक हो, तो WRD के अभिलेखों के अनुसार वह समय जितने समय तक ऊपर के डैमों और बैराजों से अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी उस प्रवाह से ऊपर रहा जिस पर आउटफॉल बंद हो जाता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। इनमें से प्रत्येक अवरोध खंड 5.10.2 की 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाओं को पूरी तरह समाविष्ट करता है, ताकि भंडारण और पंपिंग वर्षा घटना का पूरा आयतन संभाल सकें (खंड 5.9.4) और

अवरोध समाप्त होने तक पंपिंग द्वारा खंड 5.10.5 के जल स्तर घटाने की अपेक्षा पूरी हो। कम अवधि का अवरोध केवल वहीं लिया जा सकता है जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस मद के 1% AEP नदी स्तर से ऊपर हो, या जहाँ खंड 5.10.6 के अंतर्गत गेज विश्लेषण, जिसमें ऊपर के डैमों और बैराजों से छोड़ा गया पानी सम्मिलित हो, ऐसा दर्शाता हो और प्राधिकारी उसका अनुमोदन करे।

  - **गेट की विफलता और कटाव.** किसी गेट, किनारे या तटबंध के पीछे के फर्श स्तरों और पंप द्वारा संचालित आउटफॉलों की जाँच गेट के विफल होने और किनारे या तटबंध के टूटने (breach) की स्थिति के लिए भी की जाएगी, जिसमें उसके पीछे की भूमि और ड्रेनें उसके उस पार के नदी स्तर तक भरी मानी जाएँ। किसी डैम या बैराज के नीचे उनकी जाँच किसी गेट के खुला रह जाने से होने वाले निकास के लिए भी की जाएगी।

- (b) **जलाशय, बैराज के जलाशय और तालाब के आउटफॉल.** किसी जलाशय, बैराज के जलाशय, झील, तालाब (talab) या पोखर में सीधे, या उसमें समाप्त होने वाले किसी नाले के माध्यम से गिरने वाले आउटफॉल के लिए, जैसे रायपुर के तालाब, नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय, गंगरेल, मिनीमाता बांगो, खारंग, मनियारी और केलो जलाशय और कोपरा जलाशय, और मोंगरा, अरपा भैंसाझार और दर्री बैराजों के और महानदी के बैराजों के जलाशय:
  - **सम्मति.** किसी जलाशय, बैराज के जलाशय, झील, तालाब या पोखर में उसके अभिरक्षक (custodian), अर्थात उसे धारण करने और उसका प्रचालन करने वाले निकाय, की लिखित सम्मति के बिना वर्षा जल नहीं छोड़ा जाएगा: अपने जलाशयों और बैराजों के लिए WRD; नवा रायपुर अटल नगर की झीलों और जलाशयों के लिए NRDA; अपने में निहित किसी तालाब के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत (नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961, यथा-अनुकूलित; छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए [TBC]); छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित किसी तालाब के लिए कलेक्टर; या राज्य द्वारा नामित कोई अन्य अभिरक्षक (शोध के दौरान रायपुर के प्रत्येक तालाब और नवा रायपुर की प्रत्येक झील के अभिरक्षक की पुष्टि नहीं हुई [TBC])। जहाँ जलाशय कोई रामसर स्थल (कोपरा जलाशय, 8 अगस्त 2025 को नामित) या ऐसी आर्द्रभूमि है जिस पर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 लागू करता है, जैसा उसने रायपुर के करबला और नरैया तालाबों और नवा रायपुर की झांझ आर्द्रभूमि पर किया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), वहाँ आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी अनुमति भी प्राप्त की जाएगी (अध्याय 7)। शुष्क मौसम प्रवाह ले जाने वाले आउटफॉल का निपटारा खंड 8.9 के अंतर्गत किया जाता है।
  - **डिजाइन स्तर.** प्रमुख प्रणाली और भंडारण की स्थितियों के लिए टेलवाटर जलाशय का **अधिकतम जल स्तर (MWL)** होगा, जैसा WRD या अभिरक्षक उसे प्रकाशित करे, या, जहाँ केवल तालाब या जलाशय का पूर्ण जल स्तर (FTL) प्रकाशित हो, वहाँ **FTL जमा उसकी डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge)**, जिसकी गणना उसके स्पिलवे, वियर और गेटों की रेटिंग से की जाएगी, और गेटों का प्रचालन केवल वैसा ही माना जाएगा जैसा अभिरक्षक का लिखित नियम प्रावधान करता है। जहाँ न MWL और न सरचार्ज प्रकाशित हुआ है, या जहाँ प्रकाशित MWL, FTL से ऊपर नहीं है, वहाँ टेलवाटर **FTL + 0.5 m** है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित) [TBC]। बिना प्रकाशित स्तर वाले किसी तालाब या पोखर के लिए टेलवाटर वह स्तर है जिस पर वह अगली ड्रेन में या भूमि पर उफनता है, जो उसकी अतिप्रवाह सिल से, या जहाँ सिल न हो वहाँ उसके किनारे के सबसे निचले बिंदु से लिया जाएगा, और उसके साथ उस बिंदु के ऊपर का वह शीर्ष (head) जो 1% AEP अंतर्वाह को निकालने के लिए आवश्यक है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। बैराज के जलाशय के लिए टेलवाटर उस स्तर और बैराज पर, उसके गेटों के प्रचालन के अनुसार, मद (a) के नदी स्तर में से अधिक है। प्रत्येक स्थिति में यह जलाशय पर अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं होगा। लघु प्रणाली का टेलवाटर FTL या अतिप्रवाह स्तर है, या, यदि अधिक हो, वह स्तर जिस पर अभिरक्षक का नियम गेट खोलता है। परियोजना का निकास स्तर में सम्मिलित किया जाएगा (खंड 5.3.2 और 5.12.3)।
  - **नामित जलाशय और बैराज.** WRD की 10 अक्तूबर 2024 की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट के जलाशय के पूर्ण जल स्तर, जो कोई MWL नहीं देती, WRD द्वारा MWL या डिजाइन बाढ़ के सरचार्ज और डेटम की पुष्टि किए जाने तक निम्नलिखित टेलवाटर (FTL + 0.5 m) देते हैं (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित) [TBC]: **रविशंकर सागर (गंगरेल)**, FRL 348.700 m, **349.20 m**; **मिनीमाता बांगो**, FRL 359.660 m, **360.16 m**; **खारंग**, FRL 294.110 m, **294.61 m**; **मनियारी**, FRL 358.140 m, **358.64 m**; **केलो**, FRL 233.000 m, **233.50 m**; **अरपा भैंसाझार** बैराज, FRL 302.000 m, **302.50 m**; और शिवनाथ पर **मोंगरा** बैराज, FRL 337.150 m, **337.65 m**। दर्री पर हसदेव बैराज, महानदी के बैराजों, कोपरा जलाशय (जिसका रामसर सूचना पत्रक 287–295 m की ऊँचाई देता है), नवा रायपुर अटल नगर की झीलों और जलाशयों या रायपुर के किसी तालाब के लिए किसी बताए गए डेटम पर

कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; इनमें से किसी में कोई आउटफॉल अभिरक्षक से लिखित रूप में FTL और स्पिलवे या वियर रेटिंग लिए बिना, या, जब तक अभिरक्षक उन्हें नहीं देता, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से जुड़े स्पिलवे, वियर या अतिप्रवाह शिखर के सर्वेक्षण के बिना, जिसे FTL माना जाएगा, डिजाइन नहीं किया जाएगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।

    - **बंद आउटफॉल.** जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस मद के डिजाइन स्तर से नीचे है, वहाँ आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना जाएगा (खंड 5.9.4), और भंडारण और पंपिंग वर्षा घटना का पूरा आयतन संभालेंगे, जब तक कि अभिरक्षक का जल स्तर अभिलेख तुलनीय वर्षा घटनाओं के आरंभ में जलाशय को इनवर्ट से नीचे न दर्शाए और प्राधिकारी उसे स्वीकार न करे। प्रत्येक जलाशय, बैराज का जलाशय, झील, तालाब और पोखर प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना अपने FTL या अतिप्रवाह स्तर पर आरंभ करता है (खंड 7.7.3)। वर्षा घटना से पहले किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब को नीचा करना, और गेटों का जल्दी या अतिरिक्त खोला जाना, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक अभिरक्षक का लिखित प्रचालन नियम और अभिलेख उसे न दर्शाएँ, और किसी जल निकासी योजना द्वारा भंडारण के रूप में प्रयुक्त किसी झील या तालाब में, जैसे नवा रायपुर अटल नगर की वे झीलें जिन्हें उसके उद्यान और चैनल पोषित करते हैं, उसके अतिप्रवाह स्तर से नीचे कोई भंडारण तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक अभिरक्षक के अभिलेख तुलनीय वर्षा घटनाओं के आरंभ में वह भंडारण उपलब्ध न दर्शाएँ।

- (c) **डैमों और बैराजों के नीचे की नदियाँ.** किसी डैम या बैराज के नीचे की नदी में गिरने वाले आउटफॉल के लिए, जैसे गंगरेल डैम और उसके बैराजों के नीचे महानदी, मिनीमाता बांगो डैम और दर्री बैराज के नीचे हसदेव, भैंसाझार बैराज के नीचे अरपा, मोंगरा बैराज के नीचे शिवनाथ, केलो डैम के नीचे केलो, मनियारी डैम के नीचे मनियारी नदी (Maniari) और ओडिशा के डैमों के नीचे इंद्रावती:
    - खंड 5.8.4 की स्थितियों के अतिरिक्त, साइट की डिजाइन वर्षा घटना (प्रत्येक अपेक्षित AEP) नदी को उस स्तर पर रखकर चलाई जाएगी जो ऊपर के डैमों और बैराजों से अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी को आउटफॉल तक रूट करने से बनता है, उनके नीचे के जलग्रहण क्षेत्र के उसी घटना में घटित प्रवाह के साथ (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित), जब तक WRD छोड़े जाने वाले पानी की सीमा बाँधने वाला कोई प्रचालन नियम प्रकाशित नहीं करता [TBC]। प्रकाशित खबरों के अनुसार, 24 से 27 सितंबर 2026 तक गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे और लगभग 3 अक्तूबर 2025 को उसने आठ गेटों से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, और 26 अगस्त 2024 को बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री बैराज ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। डिजाइन स्पिलवे क्षमताएँ, गंगरेल पर 17,230 m^3/s, बांगो पर 24,000 m^3/s, दर्री पर 19,820 m^3/s और खारंग पर 994 m^3/s (CWC, बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 2009), यह सीमा बताती हैं कि प्रत्येक संरचना कितना पानी निकाल सकती है, न कि उसने कितना निकाला है। प्रत्येक डैम और बैराज से अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी और उसकी अवधि WRD से प्राप्त की जाएगी और बताई जाएगी [TBC];
    - केवल छोड़े गए पानी, या छोड़ने के किसी नियम, को नदी स्तर की सीमा नहीं माना जाएगा: स्तर की जाँच निकटतम गेज पर अभिलिखित सबसे बड़ी घटना के लिए भी, स्थानीय अंतर्वाहों को वैसा ही रखकर जैसे वे घटित हुए, की जाएगी;
    - नदी स्तर को इस आधार पर कम नहीं किया जाएगा कि बाढ़ नगर के बाहर या राज्य के बाहर होने वाली वर्षा से आती है, जैसे इंद्रावती पर, जो ओडिशा से निकलती है, या साइट की वर्षा घटना छोटी है, और छोड़े गए पानी को साइट की वर्षा घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद रखा जाएगा;
    - किसी डैम या बैराज के गेट को संचालक के अभिलेखों में दर्शाए गए समय से पहले या उससे अधिक खुला नहीं माना जाएगा; ओडिशा में इंद्रावती पर स्थित डैमों के निकास नियम और अभिलेख WRD के माध्यम से ओडिशा सरकार से प्राप्त किए जाएँगे [TBC], और जब तक वे प्राप्त नहीं होते, जगदलपुर पर इंद्रावती में गिरने वाला आउटफॉल मद (a) का स्तर लेगा, जो आउटफॉल तक अंतरित जगदलपुर पर 544.891 m से कम नहीं होगा; और
    - कोरबा में हसदेव में, या उसमें समाप्त होने वाले किसी नाले या ड्रेन में गिरने वाला आउटफॉल बांगो और दर्री से छोड़े गए पानी को साइट की वर्षा घटना के साथ रखकर डिजाइन किया जाएगा, और राजिम और हीराकुंड के बैकवाटर के बीच महानदी में गिरने वाला आउटफॉल गंगरेल से और नदी के बैराजों से छोड़े गए पानी के साथ।
- (d) **हीराकुंड का बैकवाटर.** रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की निचली भूमि में स्थित ऐसे आउटफॉल के लिए जो ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के नदी-भाग के भीतर महानदी, मांड या किसी अन्य नदी में, सीधे या किसी नाले के माध्यम से, जल निकासी करता है:
    - प्रमुख प्रणाली और भंडारण की स्थितियों के लिए टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक होगा: आउटफॉल पर मद (a) का नदी स्तर, जो आउटफॉल तक अंतरित सूरजगढ़ पर 201.06 m और कुरुभाठा पर 220.4 m से कम नहीं होगा, और मद (b) के अंतर्गत जलाशय का स्तर: उसका MWL, या उसका FRL जमा उसकी डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज, या, जहाँ दोनों में से कोई प्रकाशित न हो, उसका

FRL + 0.5 m (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित), जिसे उसी घटना में महानदी और उसकी सहायक नदियों के अंतर्वाह के साथ डैम से आउटफॉल तक बैकवाटर प्रोफाइल में ऊपर तक ले जाया गया हो;

- हीराकुंड ओडिशा सरकार के पास है। शोध के दौरान उसका FRL, उसका MWL, उसका प्रचालन नियम और छत्तीसगढ़ में उसके बैकवाटर स्तर प्राप्त नहीं हुए [TBC]; 9 सितंबर 2011 को जब उसके गेट खोले गए तब जलाशय 628.5 ft (लगभग 191.6 m) पर बताया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), एक ऐसा स्तर जिसका डेटम नहीं मिला। इन्हें छत्तीसगढ़ में अर्जित या डूबी भूमि के स्तरों और विस्तार सहित WRD के माध्यम से ओडिशा सरकार से प्राप्त किया जाएगा। जब तक वे प्राप्त नहीं होते, उस नदी-भाग में कोई आउटफॉल ऐसे इनवर्ट के साथ डिजाइन नहीं किया जाएगा जो 628.5 ft (लगभग 191.6 m) और आउटफॉल पर बाढ़ चिह्नों से और WRD और कलेक्टर के अभिलेखों से सर्वेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर में से अधिक से नीचे हो (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित) [TBC];
- इस मद के डिजाइन स्तर से नीचे के आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना जाएगा (खंड 5.9.4); जलाशय प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना अपने FRL पर आरंभ करता है, और हीराकुंड पर जल स्तर घटाने या गेट खोलने का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा; और
- उस नदी-भाग में WRD की सम्मति के बिना कोई आउटफॉल संरचना, गेट या पंपिंग स्टेशन नहीं बनाया जाएगा, और WRD ओडिशा सरकार द्वारा अपेक्षित कोई भी सम्मति प्राप्त करेगा [TBC]।

- (e) **खदान के गड्ढे, ऐश पॉन्ड और चालू खदानें.** किसी कोयला क्षेत्र या ताप बिजली संयंत्र में या उसके पास स्थित किसी साइट के लिए, जैसे कोरबा, मांड–रायगढ़ और सरगुजा कोयला क्षेत्र और कोरबा और रायगढ़ के बिजली संयंत्र, जिसकी जल निकासी किसी खदान के गड्ढे, खदान झील, चालू खदान, ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध तक पहुँच सकती है:
  - **डिजाइन आउटफॉल नहीं.** कोई खदान का गड्ढा या खदान झील, चालू या परित्यक्त, तब तक डिजाइन आउटफॉल या भंडारण नहीं है जब तक पट्टाधारी और DGMS लिखित रूप में सम्मति न दें और उसके जल स्तर, अतिप्रवाह स्तर और अतिप्रवाह मार्ग का सर्वेक्षण करके उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से न जोड़ दिया जाए; जहाँ पट्टा समाप्त हो गया हो, वहाँ पट्टाधारी के स्थान पर भूमि धारण करने वाला निकाय सम्मति देगा [TBC]। कोई ऐश पॉन्ड तब तक डिजाइन आउटफॉल या भंडारण नहीं है जब तक उसका संचालक लिखित रूप में सम्मति न दे, उसके जल स्तर, राखड़ बाँध के शिखर, स्पिलवे और अतिप्रवाह मार्ग का सर्वेक्षण करके उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से न जोड़ दिया जाए, और सम्मति में संचालक के लिए आकलित, डिजाइन अंतर्वाह के साथ राखड़ बाँध की स्थिरता न बताई जाए। इनमें से किसी में भी मुक्त भंडारण कभी नहीं माना जाता (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
  - **चालू खदान में कोई जल निकासी नहीं.** कोई भी विकास सीधे, या किसी ड्रेन, नाले या सतही प्रवाह मार्ग के माध्यम से, किसी चालू खदान, उसके खनन कार्यों, उसके गड्ढे या उसकी गारलैंड ड्रेन के भीतर के क्षेत्र में जल निकासी नहीं करेगा। कोयला खान विनियम, 2017 अपेक्षा करते हैं कि वह सबसे निचला बिंदु जिस पर सतही जल किसी खदान में प्रवेश कर सकता है, उस बिंदु पर उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 1.5 m ऊपर हो (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार; राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]), और किसी खदान के मुहाने पर बाढ़ स्तर बढ़ाने वाली ड्रेन इसके विरुद्ध काम करती है।
  - **जहाँ सम्मति दी गई है.** टेलवाटर सर्वेक्षित अतिप्रवाह स्तर और उसके साथ अतिप्रवाह बिंदु के ऊपर का वह शीर्ष है जो खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड की ओर जल निकासी करने वाली समस्त भूमि से 1% AEP अंतर्वाह को निकालने के लिए आवश्यक है, और यह संचालक के अभिलेखों से उसमें अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं होगा; खदान का गड्ढा या ऐश पॉन्ड प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना अपने अतिप्रवाह स्तर तक भरा हुआ आरंभ करता है; उस स्तर से नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना जाता है (खंड 5.9.4); और अनुप्रवाह विश्लेषण सर्वेक्षित अतिप्रवाह मार्ग के साथ खंड 5.3.1 के अगले अंतिम बिंदु तक जारी रहता है। सम्मति में डिजाइन अंतर्वाह के साथ खदान के गड्ढे की भुजाओं और बेंचों की, या ऐश पॉन्ड के राखड़ बाँध की, स्थिरता, और जल गुणवत्ता की शर्तें (अध्याय 8) बताई जाएँगी।
  - **राखड़ बाँध का टूटना.** राखड़ बाँध का टूटना मानचित्रित किया जाने वाला खतरा है, डिजाइन अंतर्वाह नहीं। किसी ऐश पॉन्ड के नीचे या बगल में स्थित साइट अपने नक्शों पर टूटने से निकलने वाले प्रवाह का मार्ग और विस्तार दर्शाएगी, जहाँ संचालक का टूटने संबंधी अध्ययन हो वहाँ उससे और अन्यथा भूमि स्तरों से, और भवनों, बेसमेंटों, पंपिंग स्टेशनों और आउटफॉलों को उससे बाहर रखेगी, या उनके तल और ओपनिंग के स्तर उससे ऊपर रखेगी, जैसा प्राधिकारी निर्देश दे (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। कोई वर्षा जल ड्रेन किसी ऐश पॉन्ड या ऐश पॉन्ड की ड्रेनों में पानी नहीं छोड़ेगी, और किसी वर्षा जल ड्रेन का उपयोग ऐश पॉन्ड का पानी ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।

    - **खनन से विक्षुब्ध भूमि.** खनन से विक्षुब्ध भूमि में ओवरबर्डन डंप, पुनर्भरित या सुधारी गई खनन भूमि, संघनित खदान बेंच और हॉल रोड, और राख से भरी भूमि आते हैं। इससे होने वाले अपवाह को आयतन और तलछट दोनों में अधिक माना जाता है (अध्याय 3), और किसी ओवरबर्डन डंप या राख की भराई से आने वाला अपवाह किसी नगर की ड्रेन या आउटफॉल तक पहुँचने से पहले किसी तलछट बेसिन और स्थिर टो (गारलैंड) ड्रेनों से होकर जाएगा (अध्याय 8)। किसी डंप या राखड़ बाँध के ढलान पर या अस्थिर घोषित भूमि में कोई आउटफॉल, ड्रेन या भंडारण नहीं रखा जाएगा। खनन से विक्षुब्ध भूमि पर प्रत्येक आउटफॉल, ड्रेन और तल के स्तर डिजाइन के लिए किए गए स्तर सर्वेक्षण से लिए जाएँगे।
- (f) **WRD की सम्मति; योजना, आर्द्रभूमि और न्यायालय की रेखाएँ.** किसी नदी के तल, किनारे या डूब क्षेत्र में, या WRD के किसी जलाशय, बैराज, डैम, तटबंध या नहर में, WRD की सम्मति के बिना कोई आउटफॉल संरचना, गेट, पंपिंग स्टेशन या ड्रेन नहीं बनाई जाएगी; शोध के दौरान उस सम्मति की प्रक्रिया नहीं मिली [TBC]। डिजाइनकर्ता आउटफॉल की जाँच उन रेखाओं के सापेक्ष भी करेगा जो भवन नियमों, आर्द्रभूमि नियमों, राजस्व अभिलेख और न्यायालयों ने निर्धारित की हैं, जैसी वे डिजाइन के समय हैं (अध्याय 7): छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 की जलाशयों और जलमार्गों से दूरियाँ, जो विरासत में मिले 1984 के पाठ में उच्चतम जल चिह्न से 9 m और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो, हैं (नियम 50; छत्तीसगढ़ पाठ की पुष्टि की जानी है [TBC]), और वह उच्च बाढ़ बिंदु जो T&CP संचालनालय की 2011 की चेकलिस्ट नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए, WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति के साथ, WRD से अपेक्षित करती है; जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण के नियमितीकरण पर रोक (छत्तीसगढ़ का 2002 का नियमितीकरण अधिनियम, धारा 7(1)(चार)); किसी आर्द्रभूमि के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m, जिसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत लागू करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित तालाब और राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज भूमि, जिनसे NGT के आदेशों के बाद धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाए गए हैं (O.A. 78/2024); और कोपरा जलाशय, जो एक रामसर स्थल है। राज्य में डूब क्षेत्र के जोनिंग का कोई कानून और कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है। प्रत्येक रेखा के भीतर ड्रेन आउटफॉल अनुमत है या नहीं, इसकी पुष्टि डिजाइन से पहले संबंधित प्राधिकारी से की जानी है [TBC]।
- (g) **WRD के चैनल, सिंचाई नहरें और अन्य निकायों की ड्रेनें.** WRD की किसी ड्रेन या नहर में, या किसी अन्य सिंचाई नहर में, WRD या नहर के स्वामी की सम्मति के बिना, या किसी अन्य निकाय की ड्रेन में, जैसे किसी नगर निगम या अन्य शहरी स्थानीय निकाय, RDA, NRDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप, किसी औद्योगिक क्षेत्र, किसी खदान या किसी बिजली संयंत्र की कोई ड्रेन, उस निकाय की लिखित सम्मति के बिना वर्षा जल नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ सम्मति दी जाती है:
    - निकास सम्मति द्वारा अनुमत दर से अधिक नहीं होगा;
    - टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक है: चैनल का डिजाइन जल स्तर, जैसा उसका स्वामी लिखित रूप में बताए, और खंड 5.8.4 की संयोगी स्थिति में उसका स्तर, जिसकी गणना उसके द्वारा प्राप्त समस्त वर्षा जल से, जिसमें अन्य निकायों की ड्रेनें सम्मिलित हैं, और मद (a), (b) और (d) के नदी, जलाशय, तालाब या बैकवाटर स्तर पर उसकी अनुप्रवाह सीमा रखकर की जाएगी; जब तक किसी चैनल के लिए डिजाइन जल स्तर प्रकाशित नहीं होता, तब तक परिकलित स्तर निर्णायक होगा [TBC];
    - चैनल को उसकी वर्तमान स्थिति में, गाद, अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट, खरपतवार और पार करने वाली सेवाओं और पुलियों द्वारा अवरोध को घटाकर, सर्वेक्षण के अनुसार उसके सबसे संकरे अनुप्रस्थ काट के साथ, और उसके शुष्क मौसम प्रवाह का अवरोधन करने वाले किसी वियर (खंड 8.9) को उसके शिखर स्तर पर रखकर लिया जाएगा; कोई चौड़ीकरण, लाइनिंग, पुनर्निर्माण या मार्ग परिवर्तन जो प्रस्तावित है किंतु पूरा नहीं हुआ है, नहीं गिना जाएगा, और किसी बताई गई पुनरावृत्ति अवधि के लिए डिजाइन किए गए चैनल को उससे अधिक ले जाने वाला नहीं माना जाएगा जितना उसका सर्वेक्षित अनुप्रस्थ काट ले जाता है; और
    - जहाँ डिजाइन जल स्तर या परिकलित स्तर आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर हो, वहाँ आउटफॉल पर फ्लैप गेट (खंड 5.11) होगा।

जल निकासी में सहायक किसी पंप, गेट, स्लूइस, बैराज या डैम प्रचालन को, जैसे वर्षा घटना से पहले किसी ड्रेन को पंप करके खाली करना, वर्षा घटना से पहले किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब को नीचा करना, किसी गेट को देर से बंद करना या डैम या बैराज के गेट जल्दी खोलना, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक संचालक के लिखित अभिलेख उसे न दर्शाएँ। जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस खंड के टेलवाटर से नीचे है, वहाँ आउटफॉल का अपना फ्लैप गेट (खंड 5.11) होगा और, जहाँ आउटफॉल-बंद जाँच अपेक्षा करती है, पंपिंग (खंड 5.12) होगी, और पंप किया गया आयतन ड्रेन, जलाशय या नदी की रूटिंग में सम्मिलित किया जाएगा (खंड 5.12.3)। पंपिंग का उपयोग किसी खदान के गड्ढे, किसी चालू खदान, किसी ऐश पॉन्ड या किसी अन्य जलग्रहण क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।

भाष्य. बड़े महाद्वीपीय नदी बेसिनों में, साइट की वर्षा घटना और नदी की बाढ़ को सामान्यतः लगभग स्वतंत्र माना जाता है। FHWA HEC-22 Table 7.3 जैसी संयोगी आवृत्तियों की तालिकाओं का यही आधार है। छत्तीसगढ़ की नदियाँ इस धारणा को तोड़ती हैं, क्योंकि उन्हें भरने वाले बंगाल की खाड़ी के मानसून अवदाब राज्य को पार करते हैं और उसी समय उसके नगरों पर भी बरसते हैं। 4 अगस्त 1910 को रायपुर में एक दिन में 370.3 mm वर्षा दर्ज हुई, जो उसकी सबसे अधिक है, और उसी वर्षा घटना में कुरुद में 381.0 mm और आरंग में 318.0 mm (IMD); 28–29 अगस्त 2020 को, जब अकलतरा में 282.7 mm वर्षा दर्ज हुई (IMD), पथरीडीह पर खारुन, कलमा और सूरजगढ़ पर महानदी और कुरुभाठा पर मांड, सभी ने नए उच्चतम स्तर बनाए (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में); और 24 से 27 सितंबर 2026 के बीच इंद्रावती ने जगदलपुर पर उन्हीं दिनों नया उच्चतम स्तर बनाया जिनमें गंगरेल डैम के सभी 14 गेट खुले थे और रायपुर में खारुन महादेव घाट पर उफनी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। दोनों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, और स्थानीय वर्षा घटना नदी के चरम से पहले, उसके दौरान या उसके बाद हो सकती है। इसलिए खंड 5.8.4 एक ओर की डिजाइन घटना को दूसरी ओर की 10-वर्ष की घटना के साथ जोड़ता है, उसी प्रकार जैसे खंड 2.12(b)। इस जोड़ी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह स्वतंत्रता की धारणा से प्राप्त परिणाम की तुलना में अधिक गंभीर है।

खंड 5.8.3 राज्य के नगरों के ऊपर के डैमों और बैराजों को दर्शाता है, जो ओडिशा में स्थित डैमों को छोड़कर सभी WRD के पास हैं। महानदी पर रविशंकर सागर (गंगरेल) डैम का स्पिलवे 17,230 m^3/s के लिए डिजाइन किया गया है, हसदेव पर मिनीमाता बांगो डैम का 24,000 m^3/s के लिए, दर्री पर हसदेव बैराज का 19,820 m^3/s के लिए और खारंग डैम का 994 m^3/s के लिए (CWC, बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 2009)। गंगरेल से 2022 में सभी 14 गेटों से लगभग 10,000 क्यूसेक, 2024 में नौ गेटों से 25,000 क्यूसेक और लगभग 3 अक्तूबर 2025 को आठ गेटों से 55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी, जब वह 348.68 m पर, 99.49% भरा, था और नदी किनारे के 72 गाँवों को सतर्क किया गया; 24 से 27 सितंबर 2026 तक सभी 14 गेट फिर खुले थे। 26 अगस्त 2024 को बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री बैराज ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। WRD की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट प्रत्येक जलाशय और बैराज का जलाशय का पूर्ण जल स्तर और उस दिन उसके स्पिलवे से छोड़ा गया पानी देती है (WRD, 10 अक्तूबर 2024)। गंगरेल के नीचे महानदी समोदा, शिवरीनारायण, बसंतपुर, मिरौनी (Mirauni), साराडीह (Saradiha) और कलमा के बैराजों के पास से गुजरती है, जिनके शिखर और जलाशय के स्तर नहीं मिले [TBC]; अगस्त 2022 में ओडिशा ने कहा कि उन्हें उसे सूचित किए जाने से पहले ही खोल दिया गया था, और तब हीराकुंड में अंतर्वाह अचानक बढ़ गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इंद्रावती ओडिशा से जगदलपुर तक नीचे आती है, और वहाँ उसके ऊपर के डैमों का प्रचालन वह राज्य करता है। शोध के दौरान इनमें से किसी भी डैम और बैराज का कोई प्रचालन नियम या निकास अभिलेख, और राज्य के किसी भी गेज का कोई घंटेवार जल स्तर अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC]। जब तक वे प्राप्त नहीं होते, अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी लागू होता है, डैम के नीचे के जलग्रहण क्षेत्र के उसी घटना में घटित प्रवाह के साथ (खंड 5.8.5(c))। इस मैनुअल में प्रयुक्त नदी स्तर SANDRP द्वारा प्रतिलिपित CWC के आँकड़ों और CWC परामर्शों के उद्धरण-अंशों से लिए गए हैं, जिन्हें शोध के दौरान डाउनलोड नहीं किया जा सका, और उनके डेटम और गेज शून्य की पुष्टि CWC से की जानी है [TBC]।

खंड 5.8.5 इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में किसी नगर के आउटफॉल पर टेलवाटर ज्वार से नहीं, बल्कि किसी बाढ़ से या ऊपर के डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी से ऊँची रखी गई नदी से, अपने पूर्ण स्तर पर किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब (talab) से, किसी दूसरे राज्य के जलाशय के बैकवाटर से, या, कोयला क्षेत्रों में, किसी ऐसे खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड से निर्धारित होता है जिसके स्तर का किसी ने सर्वेक्षण नहीं किया है, और शोध के दौरान मिला कोई भी दस्तावेज इनमें से किसी के लिए डिजाइन स्तर नहीं देता। राज्य का नगरपालिका कानून उसके छत्तीसगढ़ रूप में पढ़ा नहीं गया: नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956, जैसा वह मध्य प्रदेश में है, निगम की ड्रेनों को "निगम की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी भी स्थान में" ("into any place, whether within or without the limits of the Corporation") खाली होने देता है (धारा 191), किंतु यह नहीं कहता कि किस स्तर के सापेक्ष [TBC]। राज्य में डूब क्षेत्र के जोनिंग का कोई कानून और कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है (अध्याय 7)।

पहली स्थिति नदी की है। राज्य के अधिकांश नगर महानदी बेसिन की नदियों पर किसी डैम या बैराज के नीचे बसे हैं, और कोई डैम भरा होने पर पानी छोड़ता है और जब तक अंतर्वाह रहता है तब तक छोड़ता रहता है। मिले अभिलेख दर्शाते हैं कि नदियाँ कितने समय तक ऊँची रहती हैं: अगस्त 2020 में कलमा पर महानदी अपने पिछले उच्चतम स्तर से लगभग 110 घंटे और पथरीडीह पर खारुन लगभग 46 घंटे ऊपर रही, और सितंबर 2026 में जगदलपुर पर इंद्रावती अपने 1973 के स्तर से लगभग 15 घंटे ऊपर रही (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित

रूप में), जबकि 24 से 27 सितंबर तक गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। शोध के दौरान राज्य के किसी भी गेज का कोई घंटेवार जल स्तर अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC]। इसलिए कम से कम 72 घंटे का एकल अवरोध खंड 2.5.2 की सबसे लंबी डिजाइन वर्षा घटना को पूरी तरह समाविष्ट करता है, ताकि साइट वर्षा घटना के दौरान नदी के उतरने पर निर्भर न रहे, और किसी डैम या बैराज के नीचे इसे अभिलिखित सबसे बड़े निकास की अवधि तक बढ़ाया जाता है, जिसे WRD के अभिलेख दर्शाते हैं और जो शोध में नहीं मिली [TBC]। राजिम के नीचे महानदी पर, जहाँ नदी गंगरेल और उसके बैराजों से छोड़ा गया पानी और शिवनाथ, हसदेव और मांड के प्रवाह एकत्र करती है, और जहाँ वह कलमा पर लगभग 110 घंटे पिछले रिकॉर्ड से ऊपर रही, अवरोध 120 घंटे रखा गया है, जो उस रिकॉर्ड से ऊपर का अगला पूरा दिन है। मद (a) में सूचीबद्ध स्तर SANDRP द्वारा प्रतिलिपित CWC के आँकड़ों और CWC परामर्शों के उद्धरण-अंशों से लिए गए हैं, जिन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सका; उनके डेटम और गेज शून्य की पुष्टि की जानी है [TBC]। इनमें से सात 2026 में बने, इसीलिए सूचीबद्ध स्तर को पार करने वाली बाद की बाढ़ निर्णायक होती है। खतरे के स्तर को जगदलपुर पर 10% AEP स्तर की न्यूनतम सीमा के रूप में इसलिए लिया गया है कि हाल की बाढ़ों में नदी ने उसे पार किया है, 29 जुलाई और 8 अगस्त 2019 के बीच 541.65 m तक (CWC परामर्श, उद्धरण-अंशों में देखे गए रूप में) और 2026 में एक नए उच्चतम स्तर तक, इसलिए लगभग दस वर्ष में एक बार पहुँचा जाने वाला स्तर उससे नीचे होने की संभावना नहीं है; इसे CWC अभिलेख के आवृत्ति विश्लेषण से बदला जाना है [TBC]। अन्यत्र कोई खतरे का स्तर नहीं मिला, और उसके स्थान पर डिजाइन स्तर का उपयोग किया जाता है। जगदलपुर में समाचार माध्यम एक स्थानीय गेज बताते हैं, जिस पर 26 सितंबर 2026 को नदी "खतरे के निशान से 4.26 मीटर ऊपर" ("4.26 metres above the danger mark") थी (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जबकि CWC का खतरे का स्तर 540.80 m है; मिले किसी भी स्रोत में दोनों का कभी मिलान नहीं किया गया है, और मद (a) उन्हें अलग रखता है, क्योंकि एक से बना डिजाइन स्तर और दूसरे का पाठ्यांक किसी भी दिशा में कई मीटर गलत हो सकता है। मद (a) केवल स्थायी पंपों को, सबसे बड़े पंप को घटाकर, गिनता है, उसी कारण से जिससे खंड 5.12.2(b) स्टैंडबाय पंप की अपेक्षा करता है।

दूसरी स्थिति जलाशय, बैराज के जलाशय और तालाब की है। अपने पूर्ण स्तर पर कोई जलाशय शेष मौसम में नहीं उतरता, बल्कि अपना अंतर्वाह अपने स्पिलवे के ऊपर से निकालता है, और उसका स्तर FTL से उतने शीर्ष तक ऊपर उठता है जितना बाढ़ को आवश्यक हो: लगभग 3 अक्तूबर 2025 को गंगरेल 348.68 m पर, 99.49% भरा, था (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जबकि उसका FRL 348.700 m है (WRD, 2024)। इसलिए मद (b) MWL, या FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज, टेलवाटर के रूप में लेता है, और उससे नीचे के आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के लिए बंद मानता है, जो खंड 5.9.4 पहले से अपेक्षित करता है जब टेलवाटर आउटफॉल से ऊपर बना रहता है। WRD की जलाशय गेज रिपोर्ट प्रत्येक जलाशय और बैराज का FRL देती है किंतु कोई MWL नहीं, इसलिए FTL + 0.5 m को अंतरिम मान के रूप में निर्धारित किया गया है: यह वह फ्रीबोर्ड है जिसे यह मैनुअल फर्श स्तरों के लिए उपयोग करता है (खंड 6.11.1), और यह एक न्यूनतम सीमा है, सरचार्ज का अनुमान नहीं, जो स्पिलवे और बाढ़ पर निर्भर करता है [TBC]। बैराज का जलाशय ऐसे गेटों द्वारा अपने स्तर पर रखा जाता है जो बाढ़ में खुलते हैं, जिसके बाद जलाशय नदी का अनुसरण करता है, इसलिए मद (b) दोनों में से अधिक लेता है। रायपुर के तालाबों और नवा रायपुर अटल नगर की झीलों का कोई प्रकाशित स्तर है ही नहीं, इसलिए मद (b) उनके अतिप्रवाह स्तर और उसके ऊपर के शीर्ष का उपयोग करता है, और ऐसी झील का भंडारण नहीं गिनता जिसका उपयोग कोई जल निकासी योजना पहले से करती है। अभिरक्षक की सम्मति इसलिए अपेक्षित है कि किसी जलाशय या तालाब में जोड़ी गई वर्षा जल ड्रेन हर अन्य आउटफॉल के लिए उसका स्तर बढ़ाती है, और इसलिए कि तालाब शहर का सीवेज भी प्राप्त करते हैं, जो खंड 8.9 का विषय है; राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने आर्द्रभूमि नियमों की 50 m की रेखा रायपुर के तालाबों पर लागू की है और सितंबर 2025 में करबला तालाब पर कार्य रुकवाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

तीसरी स्थिति छोड़े गए पानी और वर्षा घटना के संयोग की है। मद (c) नगर पर डिजाइन वर्षा घटना को नदी के अभिलिखित सबसे बड़े निकास के साथ इसलिए चलाता है कि किसी जलाशय को भरने वाली वर्षा और नीचे के नगर पर होने वाली वर्षा मानसून के एक ही दौर या बंगाल की खाड़ी के एक ही अवदाब से आती हैं (खंड 5.8.4 का भाष्य देखें): सितंबर 2026 में गंगरेल सभी 14 गेटों से पानी छोड़ रहा था जबकि रायपुर में खारुन उफन रही थी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बड़े डैमों के राष्ट्रीय रजिस्टर की स्पिलवे क्षमताएँ केवल संरचनाओं का आकार दर्शाने के लिए सूचीबद्ध हैं; वे छोड़े गए पानी की मात्राएँ नहीं हैं। इंद्रावती के डैम ओडिशा में हैं, इसलिए उनसे पानी छोड़ने का निर्णय राज्य के बाहर होता है; मद (c) WRD से उनके नियम और अभिलेख प्राप्त करने को कहता है और तब तक नदी का अभिलिखित उच्चतम स्तर लेता है।

चौथी स्थिति हीराकुंड जलाशय की है। महानदी राज्य से निकलकर ओडिशा में हीराकुंड डैम के जलाशय में जाती है, और उसके डूब क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों का भाग आता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उस नदी-भाग का कोई आउटफॉल ऐसी नदी में नहीं, जो बाढ़ के बाद उतर जाती है, बल्कि ऐसे जलाशय में पानी छोड़ता है जो मानसून के उत्तरार्ध में ऊँचा रखा जाता है, उस स्तर पर जो दूसरा राज्य निर्धारित करता है। अगस्त 2022 में महानदी के बैराजों से पानी छोड़ने के समय को लेकर दोनों राज्यों में असहमति हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए मद (d) नदी स्तर और जलाशय स्तर में से अधिक लेता है, उससे नीचे के आउटफॉल को बंद मानता है, और WRD के माध्यम से ओडिशा के स्तरों की अपेक्षा करता है। जब तक वे प्राप्त नहीं होते, सितंबर 2011 में जलाशय के गेट खोले जाने के समय उसका 628.5 ft का स्तर, जैसा प्रकाशित खबरों में बताया गया और इस मैनुअल के ओडिशा संस्करण में दर्ज है, न्यूनतम सीमा के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि जलाशय जिस स्तर तक पहुँच चुका है वह उसके डिजाइन स्तर से नीचे नहीं हो सकता [TBC]।

पाँचवीं स्थिति खदान के गड्ढे और ऐश पॉन्ड की है। कोई खदान का गड्ढा या खदान झील मुक्त भंडारण जैसी दिखती है, किंतु उसके स्तर, अतिप्रवाह बिंदु और अतिप्रवाह मार्ग का जल निकासी के लिए सर्वेक्षण नहीं होता, उसकी भुजाएँ ढह सकती हैं, वह खनन कार्यों से जुड़ा हो सकता है, और उसका पानी अम्लीय या तलछट से भरा हो सकता है। कोरबा के आसपास खदानों का निर्जलीकरण होता है, छह खदानों में लगभग 7,500 से 13,700 m^3 प्रति दिन के अंतर्वाह के साथ, और कुसमुंडा और गेवरा के आसपास लगभग 1.2 km तक भूजल स्तर नीचे खिंच गया है (Singh et al., 2023, सारांश के अनुसार), और हसदेव एक भ्रंश (fault) के माध्यम से खदान के पानी से जुड़ी पाई गई है (2018, सारांश के अनुसार)। कोयला खदानों की पर्यावरण स्वीकृतियों की मानक शर्त गारलैंड ड्रेनों का आकार "चरम आकस्मिक वर्षा के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन रखते हुए" ("keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall") निर्धारित करती है, जो पुनरावृत्ति अवधि नहीं है (गारे पाल्मा सेक्टर II खदान के लिए 13 अगस्त 2024 की पर्यावरण स्वीकृति), और कोयला खान विनियम, 2017 अपेक्षा करते हैं कि खदान के मुहाने उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 1.5 m ऊपर हों (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ऐश पॉन्ड ऐसे राखड़ बाँधों के पीछे के भंडारण हैं जो टूट चुके हैं: जुलाई 2024 में कोरबा में NTPC का धनरास राखड़ बाँध, जिससे लगभग 16 ha धान को क्षति हुई; 19 अप्रैल 2026 को झाबू और नवागांव के पास CSPGCL का कोरबा पश्चिम राखड़ बाँध, जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई; और BALCO के राखड़ बाँध से बेलगिरी (रुकबहरी) नाले (Belgari (Rukbahari) nala) और हसदेव में स्लरी (प्रकाशित खबरों के अनुसार; CECB से पुष्टि की जानी है)। इसलिए मद (e) किसी खदान के गड्ढे को केवल पट्टाधारी और DGMS की लिखित सम्मति और सर्वेक्षण के साथ, और किसी ऐश पॉन्ड को केवल उसके संचालक की सम्मति और स्थिरता विवरण के साथ ही आउटफॉल मानता है; यह किसी नगर की ड्रेन को कभी किसी चालू खदान या ऐश पॉन्ड में जल निकासी नहीं करने देता, और राखड़ बाँध के टूटने को ऐसा खतरा मानता है जिससे दूर रहना है, क्योंकि टूटने से निकलने वाला प्रवाह किसी संरचनात्मक विफलता से छोड़ी गई स्लरी है, ऐसी बाढ़ नहीं जिसके लिए जल निकासी का आकार निर्धारित किया जा सके।

छठी स्थिति उस निकाय की है जो प्राप्तकर्ता जलाशय का स्वामी है। राज्य की नदियाँ, डैम और बैराज WRD के हैं; हीराकुंड और इंद्रावती के डैम ओडिशा के हैं; सार्वजनिक ड्रेनें और तालाब शहरी स्थानीय निकायों में या, गाँव के तालाबों के मामले में, राज्य सरकार में निहित हैं (भू-राजस्व संहिता, धारा 251); नवा रायपुर अटल नगर की झीलों की योजना NRDA ने बनाई है और वही उन्हें धारण करता है; खदान के गड्ढे और ऐश पॉन्ड कोयला और बिजली कंपनियों के हैं; और प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला (अध्याय 6, खंड 6.9)। मद (b), (f) और (g) स्वामी की सम्मति और डिजाइन स्तर इसलिए माँगते हैं कि किसी चैनल, जलाशय, तालाब या खदान के गड्ढे में पानी छोड़ने वाले डिजाइन की जाँच उनके बिना नहीं की जा सकती। मद (f) की रेखाएँ तय करती हैं कि आउटफॉल कहाँ बनाया जा सकता है, न कि उसका स्तर; उनकी स्थिति अध्याय 7 में दी गई है।

5.9 संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ

5.9.1 किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी करने वाले प्रत्येक तत्व की जाँच नीचे दी गई स्थितियों के लिए की जाएगी। प्रत्येक डिजाइन मात्रा के लिए सबसे गंभीर स्थिति निर्णायक होगी: भंडारण, जल स्तर, पाइप का आकार और पंप की क्षमता।

तालिका 5.2 — ज्वारीय और नदी आउटफॉलों के लिए संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ

स्थिति	वर्षा	टेलवाटर	किस पर लागू	आधार
J1	लघु प्रणाली डिजाइन AEP, Tc से 24 h	MHWS + SLA (ज्वारीय वक्र)	लघु प्रणाली	खंड 2.12(a); खंड 5.7.1
J2	1% AEP, खंड 2.5.2 की सभी अवधियाँ	HAT + महोर्मि + SLA	प्रमुख प्रणाली, अस्थायी भंडारण, तालाब, पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ	खंड 5.7.1
J3	10% AEP, **48 h**	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA	प्रमुख प्रणाली, अस्थायी भंडारण, तालाब, पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ	खंड 2.12(b)
J4	डिजाइन AEP, **48 h** (72 h की रिपोर्ट)	J1 के अनुसार ज्वारीय वक्र, दो **6 h अवरोध अवधियों** के साथ (खंड 5.10)	सभी भंडारण और प्रत्येक गेटयुक्त या ज्वार-प्रभावित आउटफॉल	खंड 5.10
R1	साइट की डिजाइन AEP	नदी 10% AEP स्तर पर	नदी आउटफॉल	खंड 5.8.4(a)
R2	साइट की 10% AEP	नदी डिजाइन-AEP स्तर पर	नदी आउटफॉल	खंड 5.8.4(b)

5.9.2 भंडारण तत्वों के लिए, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ J2 और J3 टेलवाटर के साथ चलाई जाएँगी (खंड 2.5.3)।

5.9.3 ज्वार से प्रभावित नदी आउटफॉलों के लिए, R1 और R2 नदी मॉडल की अनुप्रवाह सीमा को J1 ज्वारीय वक्र पर रखकर चलाई जाएँगी। प्राधिकारी इन्हें J2 पर भी चलाने की अपेक्षा कर सकता है।

5.9.4 जहाँ टेलवाटर पूरी वर्षा घटना के दौरान आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर किसी स्तर पर स्थिर रहता है, वहाँ उस स्थिति को पूरी तरह बंद आउटफॉल माना जाता है। तब भंडारण और पंप वर्षा घटना का पूरा आयतन संभालेंगे।

> **भाष्य.** खंड 2.12 दो संयुक्त स्थितियाँ निर्धारित करता है। स्थिति (a) MHWS और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के साथ डिजाइन वर्षा है। स्थिति (b) 1% स्थिर जल स्तर के साथ 10-वर्ष, 48 घंटे की वर्षा घटना है। यह मैनुअल प्रमुख प्रणाली डिजाइन के लिए HAT और महोर्मि जोड़ता है (खंड 5.7.1)। स्थिति J2 इन्हें संयुक्त करती है। J4 आउटफॉल-बंद जाँच है, जो किसी एकल स्तर के बजाय वर्षा घटना के सापेक्ष ज्वार के समय की जाँच करती है। वर्षा और महोर्मि का कारण एक ही चक्रवात होता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र नहीं माना जा सकता (खंड 2.12 का भाष्य)। ये स्थितियाँ सरल प्रतिनिधि (surrogates) हैं, जिन्हें IMD के वर्षा अभिलेखों और ज्वार गेज अभिलेखों का सांख्यिकीय संयुक्त विश्लेषण अपनाए जाने पर प्रतिस्थापित किया जाना है।

5.10 आउटफॉल-बंद (ज्वार से अवरुद्ध) भंडारण जाँच

5.10.1 **यह कहाँ लागू होती है.** यह जाँच निम्नलिखित पर लागू होती है:

- प्रत्येक भंडारण सुविधा;
- लघु और प्रमुख प्रणाली का प्रत्येक तत्व; और
- पंप द्वारा संचालित प्रत्येक प्रणाली

जिसके आउटफॉल का इनवर्ट HAT + महोर्मि + SLA से नीचे है, या जो ज्वार-अवरोध या रेत अवरोध से मुख बंद होने (खंड 5.13) के अधीन किसी नदी-भाग में जल निकासी करती है।

5.10.2 **वर्षा घटना.** खंड 2.9.2 के अनुसार बनाई गई 48 घंटे की डिजाइन वर्षा घटना (चरम दिन अंत में) का उपयोग करें, निम्नलिखित पर:

- तत्व की AEP: अस्थायी भंडारण, तालाबों और प्रमुख प्रणाली के लिए 1% AEP; लघु ड्रेन के लिए लघु प्रणाली AEP; और

- AMC III।

72 घंटे की वर्षा घटना भी चलाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी।

5.10.3 **अवरोध अवधियाँ.** जब तक 5.10.6 के अंतर्गत कोई साइट अध्ययन अन्यथा न दर्शाए:

- (a) आउटफॉल **6 घंटे की दो लगातार अवरोध अवधियों** के लिए बंद रहता है, जो स्थानीय ज्वारीय वक्र के दो लगातार ज्वारों पर केंद्रित होती हैं। अर्ध-दैनिक ज्वार के लिए, अवधियों के आरंभ लगभग 12.4 घंटे के अंतर पर होते हैं।
- (b) प्रत्येक अवरोध अवधि के दौरान, गुरुत्व निकास **शून्य** होता है।
- (c) अवरोध अवधियों के बीच, गुरुत्व निकास की गणना J1 ज्वारीय वक्र के विरुद्ध की जाती है, जिसमें फ्लैप गेट और किसी नॉन-रिटर्न वाल्व की हेड हानि सम्मिलित होती है।
- (d) पहली अवरोध अवधि इस प्रकार रखी जाएगी कि वह वर्षा घटना के अंतिम 24 घंटों के चरम 1-घंटे के ब्लॉक पर केंद्रित हो। पहली अवधि को उसी चरम ब्लॉक पर **आरंभ** करते हुए एक दूसरा रन भी किया जाएगा। अधिक गंभीर परिणाम निर्णायक होगा।

5.10.4 **अपेक्षा.** भंडारण और पंपिंग (जहाँ प्रदान की गई हो) मिलकर अंतर्वाह को इस प्रकार रोकेंगे कि पूरी जाँच के दौरान:

- (a) किसी भी अस्थायी भंडारण सुविधा में अधिकतम जल स्तर उसके आपातकालीन स्पिलवे के शिखर से नीचे रहे, ताकि स्पिलवे काम न करे। जहाँ आउटफॉल-बंद स्थिति का जल स्तर मुक्त-आउटफॉल डिजाइन के 1% AEP अधिकतम जल स्तर से अधिक हो, वहाँ वह खंड 4.9.3 के लिए सुविधा का 1% AEP अधिकतम जल स्तर बन जाता है, और स्पिलवे का शिखर, फ्रीबोर्ड और दीवार की ऊँचाई उसी से निर्धारित की जाती है;
- (b) लघु और प्रमुख प्रणालियों में अधिकतम जल स्तर अध्याय 6 की सीमाओं को पूरा करे: भवनों के फर्श स्तर, और सड़क पर गहराई शीर्ष पर 150 mm से अधिक नहीं और सबसे गहरे बिंदु पर 350 mm से अधिक नहीं; और
- (c) कोई भी संपत्ति कनेक्शन उसके द्वारा सेवित सबसे निचले खुले भाग से ऊपर सरचार्ज न हो, या खंड 5.11 के अंतर्गत नॉन-रिटर्न वाल्व लगाया जाए।

आयतन के रूप में, प्रत्येक अवरोध अवधि और पूरी वर्षा घटना के लिए:

> V_inflow ≤ V_storage available + V_pumped + V_gravity (अवरोधों के बीच)

यह रूटिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, किसी एकल आयतन संतुलन द्वारा नहीं। किसी अवरोध अवधि के समाप्त होने के बाद प्रत्येक सुविधा से निकास अध्याय 4 की निकास सीमाओं से अधिक हो सकता है, क्योंकि सुविधा ऐसी ड्रेन में खाली हो रही होती है जो अभी-अभी फिर खुली है। वह निकास अनुप्रवाह विश्लेषण (खंड 5.4 और 5.9) में सम्मिलित किया जाएगा।

5.10.5 **वर्षा घटना के बाद जल स्तर घटाना.** दूसरी अवरोध अवधि के बाद, भंडारण J1 ज्वारीय वक्र के अंतर्गत खाली होगा। खंड 4.7 की खाली होने के समय की अपेक्षा पूरी की जाएगी, और जहाँ गुरुत्व से यह पूरी नहीं हो सकती वहाँ पंपिंग द्वारा (खंड 5.12)।

5.10.6 **साइट अध्ययन.** लंबी या छोटी अवधि का अवरोध वहाँ लिया जा सकता है जहाँ कोई साइट अध्ययन डिजाइन स्थिति के लिए स्थिर जल स्तर की समय-शृंखला देता है। अध्ययन में अंशांकित हाइड्रोडायनामिक मॉडल, पिछली घटनाओं के गेज अभिलेख, या महोर्मि पश्च-अनुमान का उपयोग किया जा सकता है। डिफॉल्ट से छोटे अवरोधों के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। लंबी अवधि का अवरोध वहाँ लिया जाएगा जहाँ:

- रेत अवरोध से मुख का बंद होना (खंड 5.13) या नदी का पश्चजल (खंड 5.8) आउटफॉल को अधिक समय तक बंद रखता है; या
- गेज अभिलेख तुलनीय पिछली घटनाओं में प्रति ज्वार 6 घंटे से अधिक समय तक टेलवाटर को आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर दर्शाता है।

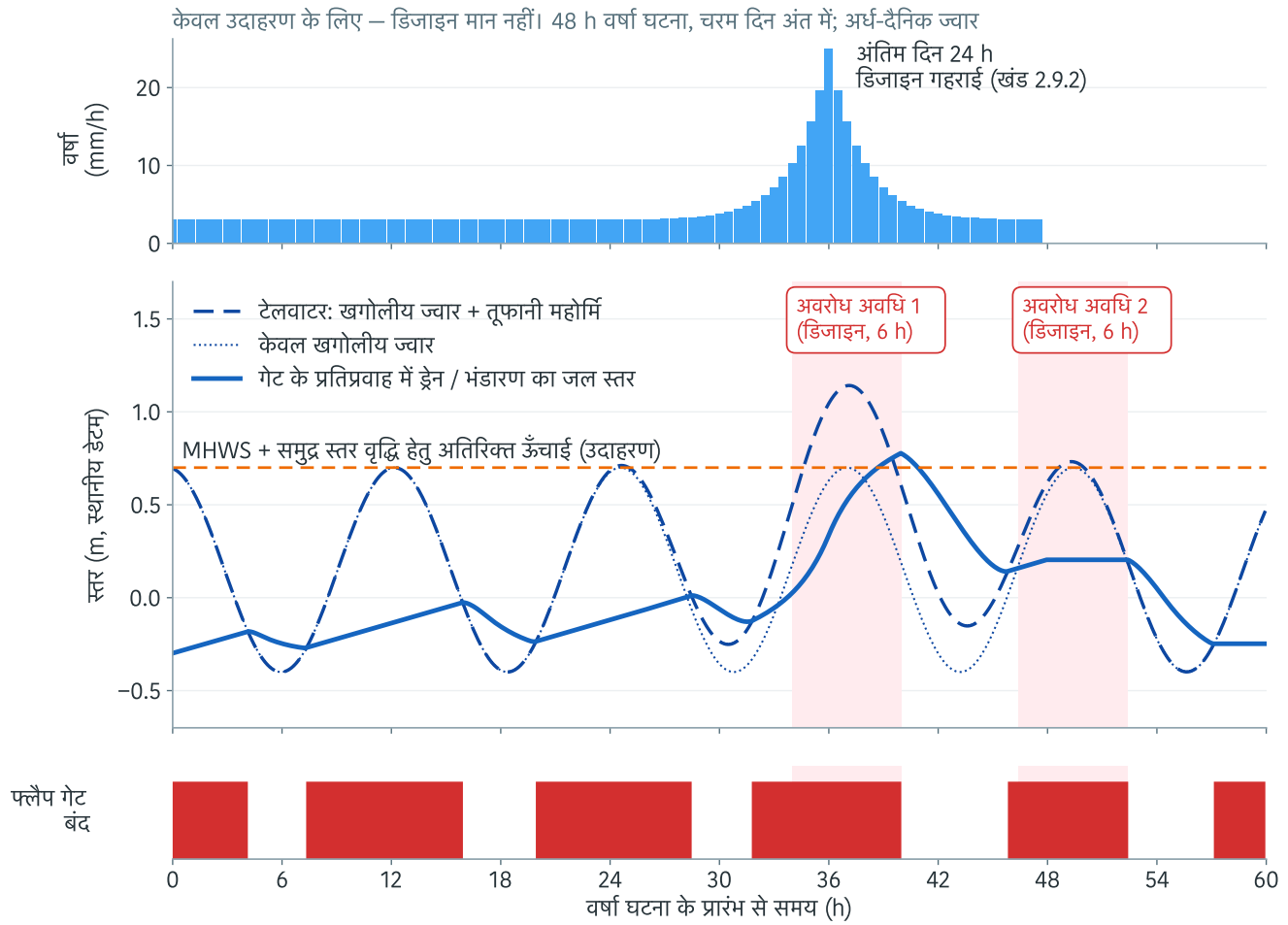

चित्र 5.3 — आउटफॉल-बंद जाँच: चरम दिन अंत में रखी गई 48 घंटे की वर्षा घटना (खंड 2.9.2), खगोलीय ज्वार और महोर्मि का टेलवाटर, 6 घंटे की दो डिजाइन अवरोध अवधियाँ, और फ्लैप गेट के प्रतिप्रवाह की ओर परिणामी जल स्तर। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MoHUA/CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Part A, §6.3.6 की ज्वारीय टेलवाटर और संयुक्त प्रायिकता की अवधारणाओं पर आधारित।

भाष्य. आउटफॉल-बंद जाँच इस मैनुअल में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ में यह वहाँ लागू होती है जहाँ कोई आउटफॉल ज्वार द्वारा नहीं, बल्कि किसी बाढ़ से या किसी डैम या बैराज से छोड़े गए पानी से ऊँची रखी गई किसी नदी द्वारा, अपने पूर्ण स्तर पर किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब (talab) द्वारा, हीराकुंड के बैकवाटर द्वारा, या बिना निकास वाले किसी खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड द्वारा बंद होता है। अगस्त 2020 में कलमा पर महानदी अपने पिछले उच्चतम स्तर से लगभग 110 घंटे और पथरीडीह पर खारुन लगभग 46 घंटे ऊपर रही (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में), और 24 से 27 सितंबर 2026 तक गंगरेल डैम के सभी 14 गेट खुले थे (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। स्पिलवे से पानी छोड़ रहे डैम के नीचे की नदी तब तक ऊँची रहती है जब तक डैम पानी छोड़ता है, अपने पूर्ण स्तर पर कोई जलाशय या तालाब शेष मानसून में वहीं रहता है, और बिना निकास वाला खदान का गड्ढा बिल्कुल खाली नहीं होता, इसीलिए खंड 5.8.5 नीचे वर्णित 6 घंटे की दो अवधियों के स्थान पर कम से कम 72 घंटे का, या महानदी पर 120 घंटे का, एकल नदी अवरोध, और अपने डिजाइन स्तर से नीचे स्थित जलाशय, तालाब, हीराकुंड के बैकवाटर, खदान के गड्ढे या ऐश पॉन्ड वाले आउटफॉल के लिए पूरी वर्षा घटना के लिए बंद होना रखता है। जब कोई निकास ही नहीं है तब दर का नियम सहायता नहीं कर सकता: बंद गेट के पीछे ऑरिफिस वाला बेसिन बस भरता जाता है।

6 घंटे के दो लगातार अवरोधों के डिफॉल्ट का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह दर्शाता है कि गुरुत्व आउटफॉल वर्षा के चरम के निकटतम दो ज्वारों के आसपास प्रत्येक ज्वारीय चक्र के लगभग आधे समय पानी नहीं छोड़ पाते। चित्र 5.3 दर्शाता है कि दोनों अवधियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। पहला अवरोध वर्षा के चरम को पकड़ता है। दूसरा भंडारण के खाली होने से पहले आ जाता है, इसलिए जल स्तर फिर बढ़ता

है।

पहली अवधि को वर्षा के चरम पर रखना जानबूझकर प्रतिकूल है। चक्रवाती वर्षा और महोर्मि का कारण एक ही होता है, और खंड 2.12 उन्हें पहले से ही आश्रित मानता है। यह जाँच न तो J2 और J3 की स्तर जाँचों का स्थान लेती है और न ही अनुप्रवाह विश्लेषण का; यह समय और आयतन की एक जाँच जोड़ती है।

5.11 फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व

5.11.1 **कहाँ आवश्यक.** प्रत्येक ऐसे आउटफॉल पर, जिसका इनवर्ट **1% AEP स्थिर जल स्तर** (खंड 5.7.3) से नीचे है, फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट या समतुल्य नॉन-रिटर्न युक्ति आवश्यक है। खंड 5.8.5 के अंतर्गत सिंचाई चैनलों में गिरने वाले आउटफॉलों पर भी यह आवश्यक है।

5.11.2 **हाइड्रोलिक्स.** डिजाइन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- निर्माता के प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र से गेट की हेड हानि और खुलाव हेड; और
- गेट के आंशिक रूप से खुले होने पर आउटफॉल की प्रभावी क्षमता में कमी।

आउटफॉल-बंद जाँच में गेटों को पूरी तरह सील होने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि उनका परीक्षण न किया गया हो।

5.11.3 **निर्माण.**

- (a) गेट, कब्जे और सीटें समुद्री जल के लिए उपयुक्त संक्षारण-रोधी सामग्री की होंगी (खंड 4.12.5)।
- (b) गेट इस प्रकार लगाया जाएगा कि अनुप्रवाह की ओर की रेत, गाद या मलबा उसे बंद या खुला न रख सके। जहाँ तल गतिशील है, वहाँ गेट का इनवर्ट तल से ऊपर उठाया जाएगा, या पहुँच मार्ग को सुरक्षित किया जाएगा।
- (c) जहाँ गेट मलबे से जाम हो सकता है, वहाँ प्रतिप्रवाह की ओर कचरा-रोधी जाली प्रदान की जाएगी।
- (d) 600 mm से बड़े आउटफॉलों पर रखरखाव के लिए पृथक्करण हेतु प्रतिप्रवाह की ओर स्टॉप-लॉग खाँचा या पेनस्टॉक प्रदान किया जाएगा।
- (e) गेट कक्ष सभी ज्वारों पर पहुँच योग्य होगा, और उसका प्रवेश HAT + महोर्मि + SLA से ऊपर होगा।

5.11.4 **संपत्ति कनेक्शनों पर नॉन-रिटर्न वाल्व.** प्रत्येक ऐसे संपत्ति जल निकासी कनेक्शन पर, जहाँ सेवित सबसे निचला खुला भाग निम्नलिखित से नीचे है, नॉन-रिटर्न वाल्व, या पहुँच योग्य सफाई छिद्र (cleaning eye) वाला बैकवाटर वाल्व, आवश्यक है:

- कनेक्शन के बिंदु पर प्रमुख प्रणाली टेलवाटर (J2); या
- आउटफॉल-बंद जाँच में अधिकतम जल स्तर (खंड 5.10)।

बेसमेंट की जल निकासी को, इसके अतिरिक्त, अपने नॉन-रिटर्न वाल्व के साथ, दोनों से ऊपर के स्तर तक पंप किया जाएगा।

5.11.5 **निरीक्षण.** गेटों और वाल्वों का निरीक्षण और प्रचालन किया जाएगा:

- प्रत्येक वर्ष **10 जून** से पहले;
- प्रत्येक ऐसी घटना के बाद जिसमें वे वर्षा प्रवाह के विरुद्ध बंद हुए; और
- रखरखाव योजना (अध्याय 10) में निर्धारित अनुसार।

भाष्य. 1% स्थिर जल स्तर से नीचे गेटों की अपेक्षा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। निर्माण संबंधी विवरण सामान्य तटीय जल निकासी पद्धति के अनुसार हैं। मलबे से खुला जाम हुआ गेट ज्वार को ड्रेन में आने देता है। रेत के ढेर से बंद रखा गया गेट गुरुत्व आउटफॉल को बंद सिरा बना देता है। छत्तीसगढ़ में आउटफॉल किसी समुद्र तट को पार नहीं करते, किंतु उनमें से कई किसी ऐसी नदी में समाप्त होते हैं जिसका स्तर

> प्रतिप्रवाह के किसी डैम या बैराज के गेटों से निर्धारित होता है, या अपने पूर्ण स्तर पर रखे गए किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब (talab) में। सितंबर 2026 में गंगरेल डैम के सभी 14 गेट खोले गए; 26 अगस्त 2024 को मिनीमाता बांगो डैम ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री बैराज ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, और कोरबा के निचले भागों में घर जलमग्न हुए; और अगस्त 2022 में ओडिशा में हीराकुंड पर अचानक वृद्धि से पहले महानदी पर राज्य के बैराज खोले गए, और ओडिशा ने कहा कि उसे बाद में ही सूचित किया गया (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जल्दबाजी में खोला गया गेट नीचे की नदी को ऊँचा करता है; बंद रखा गया गेट जलाशय को और उसमें पानी छोड़ने वाले हर आउटफॉल को ऊँचा करता है। राज्य के डैम और बैराज WRD के पास हैं, जबकि हीराकुंड और जगदलपुर के ऊपर इंद्रावती के डैम ओडिशा में हैं, और नदियों तक पहुँचने वाली ड्रेनें नगर निगमों, NRDA, भिलाई इस्पात संयंत्र और कोयला और बिजली कंपनियों की हैं; शोध के दौरान इनमें से किसी भी गेट के प्रचालन को ड्रेनों के स्तरों से जोड़ने वाला कोई नियम नहीं मिला [TBC], इसलिए कोई गेट और उसके पीछे की ड्रेनें अलग-अलग निकायों की हो सकती हैं। 10 जून की निरीक्षण तिथि दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले रखी गई है।

5.12 पंप द्वारा संचालित आउटफॉल

5.12.1 **कब आवश्यक.** पंपिंग वहाँ प्रदान की जाएगी जहाँ गुरुत्व निकास निम्नलिखित को पूरा नहीं कर सकता:

- खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच;
- खंड 4.7 की खाली होने के समय की अपेक्षा; या
- J2 और J3 स्थितियाँ।

जहाँ कोई गुरुत्व समाधान इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहाँ पंपिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5.12.2 **क्षमता.**

- (a) कार्यरत पंप मिलकर, प्रदान किए गए भंडारण के साथ, खंड 5.9 की प्रत्येक स्थिति (J4 सहित) को पार करेंगे, जो रूटिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
- (b) सबसे बड़े कार्यरत पंप के कम से कम बराबर **स्टैंडबाय** क्षमता स्थापित की जाएगी (न्यूनतम के रूप में कार्यरत + 1 स्टैंडबाय)।
- (c) पंप की क्षमता **J2** टेलवाटर के स्थैतिक हेड पर बताई जाएगी, माध्य ज्वार पर नहीं।

5.12.3 **प्राप्तकर्ता जलाशय पर प्रभाव.** किसी नदी, नहर या खाड़ी में पंप किया गया पानी खंड 5.8 के नदी या खाड़ी स्तर विश्लेषण में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी पंपिंग जो अन्यत्र प्राप्तकर्ता जलाशय के जल स्तर को खंड 5.5 के स्वीकार्यता मानदंडों से ऊपर बढ़ाती है, अनुमत नहीं है।

5.12.4 **विद्युत आपूर्ति.** पंपिंग स्टेशनों में निम्नलिखित में से एक होगा:

- दो स्वतंत्र विद्युत आपूर्तियाँ; या
- कार्यरत क्षमता के 100% के लिए स्टैंडबाय उत्पादन, कार्यरत प्रचालन के कम से कम **72 घंटे** के लिए साइट पर ईंधन के साथ।

परिवर्तन (changeover) स्वचालित होगा।

5.12.5 **बाढ़ से सुरक्षा.** विद्युत पैनल, नियंत्रण उपकरण, जनरेटर और ईंधन भंडारण निम्नलिखित में से अधिक स्तर से ऊपर रखे जाएँगे:

- 1% AEP बाढ़ जल स्तर + 0.5 m; और
- HAT + महोर्मि + SLA + 0.5 m।

स्टेशन तक पहुँच 1% AEP घटना में उपयोग योग्य बनी रहेगी।

5.12.6 **निकास व्यवस्था.** राइजिंग मेन निम्नलिखित के माध्यम से पानी छोड़ेंगे:

- J2 टेलवाटर से ऊपर के किसी स्तर के ऊपर से; या
- नॉन-रिटर्न वाल्व और फ्लैप गेट के माध्यम से।

व्यवस्था पश्च-साइफनन (back-siphoning) को रोकेगी।

5.12.7 **नियंत्रण और निगरानी.** प्रत्येक स्टेशन में निम्नलिखित होंगे:

- स्वचालित स्तर नियंत्रण;
- उच्च स्तर, पंप विफलता और विद्युत विफलता के लिए दूरस्थ अलार्म, जो संचालक को भेजे जाएँ; और
- स्तर और चलने के समय का लॉग, जो कम से कम 5 वर्ष तक रखा जाए।

वेट वेल का आकार ऐसा रखा जाएगा कि पंप के चालू होने की संख्या निर्माता की सीमाओं के भीतर रहे।

5.12.8 **जालियाँ.** इनलेट जालियाँ ऐसी सफाई विधि के साथ प्रदान की जाएँगी जो वर्षा घटना के दौरान काम करे (यांत्रिक रेक, या दोहरी जालियाँ)।

5.12.9 **परीक्षण.** पंप द्वारा संचालित प्रत्येक आउटफॉल को प्रत्येक वर्ष **10 जून** से पहले पूर्ण कार्यरत क्षमता पर, स्टैंडबाय विद्युत पर भी, परीक्षण के रूप में चलाया जाएगा। निजी पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ पंजीकृत रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) के अंतर्गत आएँगी।

> **भाष्य.** कार्यरत + स्टैंडबाय, 72 घंटे का ईंधन और बाढ़-सुरक्षित विद्युत व्यवस्था का कोई एकल प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 72 घंटे के ईंधन का आँकड़ा सबसे लंबी अनिवार्य डिजाइन वर्षा घटना (खंड 2.5.2) से मेल खाता है। केवल ग्रिड बिजली पर निर्भर पंपिंग स्टेशन ठीक उसी समय रुक सकता है जब उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की आपूर्ति प्रायः सुरक्षा के लिए बंद कर दी जाती है। सिंगापुर के अप्रैल 2025 के संशोधनों ने पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए वार्षिक रखरखाव घोषणा-पत्र जोड़े (PUB Addendum No. 3)। खंड 5.12.9 और अध्याय 10 वही पद्धति अपनाते हैं। खंड 5.12.3 ऐसी पंपिंग को रोकता है जो केवल ज्वार से अवरुद्ध एक ड्रेन से पानी को ज्वार से अवरुद्ध नदी में डाल देती है।

5.13 रेत अवरोध से नदी मुखों का बंद होना

5.13.1 **यह कहाँ लागू होता है.** यह खंड किसी भी ऐसी नदी या खाड़ी में गिरने वाले आउटफॉलों पर लागू होता है जिसका मुख मौसमी रूप से रेत अवरोध से बंद होने के अधीन है। इसमें तटीय राज्यों के मुख (छत्तीसगढ़ में कोई नहीं: खंड 5.1.4), और परिशिष्ट 5B में सूचीबद्ध कोई अन्य मुख सम्मिलित हैं।

5.13.2 **दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरंभ में धारणा.** जून–सितंबर ऋतु के आरंभ में मुख को रेत अवरोध द्वारा, सबसे हाल के मानसून-पूर्व सर्वेक्षण के शिखर स्तर पर, **बंद** माना जाएगा। यह तब तक लागू होता है जब तक WRD यह प्रमाणित नहीं करता कि:

- किसी मुख-रखरखाव कार्यक्रम (ड्रेजिंग, रेत अवरोध काटना या प्रशिक्षण दीवारें) ने पिछली तीन दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में से प्रत्येक के आरंभ में मुख को खुला रखा है; और
- कार्यक्रम के लिए वर्तमान ऋतु हेतु धन उपलब्ध कराया गया है।

5.13.3 **बंद मुख के साथ टेलवाटर.** मुख बंद होने पर, आउटफॉल पर टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक होगा:

- (a) खंड 5.7 का ज्वारीय टेलवाटर; और
- (b) रेत अवरोध के पीछे नदी-भाग में स्तर, जिसकी गणना रेत अवरोध को उसके सर्वेक्षित शिखर स्तर पर एक वियर मानकर की जाएगी। उस स्तर में खंड 5.8 का नदी प्रवाह और प्रवाह को रेत अवरोध के ऊपर से या उसमें से पार कराने के लिए आवश्यक हेड सम्मिलित होगा।

5.13.4 **आपातकालीन कटाई का कोई क्रेडिट नहीं.** वर्षा घटना के दौरान रेत अवरोध को काटना या तोड़ना डिजाइन में नहीं माना जाएगा, जब तक कि WRD के पास इसके लिए तैनात उपकरणों के साथ कोई दस्तावेजित प्रचालन प्रक्रिया न हो। जहाँ ऐसी प्रक्रिया है, वहाँ रेत अवरोध को प्रक्रिया के लक्ष्य स्तर तक नीचा केवल प्रक्रिया में बताए गए समय के बाद माना जा सकता है।

5.13.5 **आउटफॉल-बंद जाँच.** जहाँ 5.13.3(b) का बंद-मुख स्तर डिफॉल्ट अवरोध अवधियों से अधिक समय तक आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर रहता है, वहाँ खंड 5.10 की अवरोध अवधि को उस समय तक बढ़ाया जाएगा।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ का कोई तट और कोई नदी मुख नहीं है, इसलिए खंड 5.13 राज्य में लागू नहीं होता (खंड 5.1.4)। इसके निकटतम अंतर्देशीय समकक्ष वह गाद, खरपतवार, अपशिष्ट और राख हैं जो नदियाँ और ड्रेनें किसी आउटफॉल पर छोड़ जाती हैं। भिलाई में जुलाई 2025 में इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों की जलकुंभी ने जुनवानी और कोसानाला (Junwani, Kosanala) की पुलियाएँ अवरुद्ध कर दीं; रायपुर में जुलाई 2026 में वे ड्रेनें उफनीं जो अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह गई बताई गई हैं; और कोरबा में BALCO के राखड़ बाँध की स्लरी बेलगिरी (रुकबहरी) नाले और हसदेव तक पहुँची है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। गाद, राख या खरपतवार से खुला या बंद रखा गया फ्लैप गेट, या ऐसा गेट जिसे हिलाया न जा सके, डिजाइन किए गए आउटफॉल को बंद सिरा या पीछे की ओर प्रवाह का मार्ग बना देता है। शोध के दौरान राज्य में किसी डैम, बैराज या तालाब के आउटलेट के गेटों के लिए गेट प्रचालन का कोई लिखित नियम नहीं मिला [TBC]। खंड 5.8.5 इन दोनों से इस प्रकार निपटता है कि वह किसी ऐसे गेट प्रचालन या भंडारण का कोई क्रेडिट नहीं देता जिसे संचालक के अभिलेख नहीं दर्शाते। खंड 5.13.2 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मुख के खुले होने को मान लेने के बजाय उसे सिद्ध करने का भार डालता है।

5.14 प्रलेखन

इस अध्याय के अधीन प्रत्येक परियोजना एक **अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट** (प्रपत्र 5-1) प्रस्तुत करेगी। इसमें निम्नलिखित होंगे:

1. विश्लेषण के विस्तार का एक नक्शा, जिसमें दर्शाया गया हो:
    - साइट;
    - प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, उसके योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के क्षेत्रफल और उसमें साइट के प्रतिशत के साथ; और
    - अंतिम बिंदु और उसे चुनने का कारण (खंड 5.3);
2. मॉडल का विवरण:
    - सॉफ्टवेयर और संस्करण;
    - नेटवर्क का योजनाबद्ध चित्र, ड्रेन और क्रॉसिंग के सर्वेक्षण स्रोतों के साथ;
    - साइट से बाहर के क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग और CN;
    - सम्मिलित किया गया कोई प्रतिप्रवाह अस्थायी भंडारण; और
    - जहाँ उपलब्ध हो, अंशांकन या वैधीकरण के साक्ष्य;
3. प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, AEP और अवधि के लिए, विद्यमान और परियोजना सहित:
    - चरम प्रवाह;
    - चरम तक समय;
    - अधिकतम जल स्तर और वेग; और
    - जलमग्नता की अवधि (खंड 5.4);
4. खंड 5.5 के विरुद्ध तुलना, जिसमें प्रत्येक विफलता की पहचान और अपनाया गया उपाय हो;
5. टेलवाटर की व्युत्पत्ति:
    - ज्वार सारणी का संस्करण और बंदरगाह;
    - चार्ट डेटम के सापेक्ष MHWS, HAT और MSL;

    - भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बेंचमार्क और परियोजना डेटम से डेटम संबंध;
    - महोर्मि का स्रोत और मान;
    - SLA; और
    - नदी के जल स्तर और उनके स्रोत (खंड 5.6 से 5.8);
6. परिणामों सहित खंड 5.9 की संयुक्त स्थिति की तालिका;
7. आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10):
    - वर्षा घटना और अवरोध का संरेखण;
    - जल स्तर–समय आलेख; और
    - प्रत्येक अवरोध अवधि के लिए आयतन संतुलन;
8. फ्लैप गेटों, ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों की अनुसूची, प्रमाणित हेड–प्रवाह दर आँकड़ों के साथ (खंड 5.11);
9. जहाँ प्रदान किया गया हो, पंप द्वारा संचालित आउटफॉल का डिजाइन, विद्युत आपूर्ति, बाढ़ से सुरक्षा और नियंत्रण (खंड 5.12);
10. जहाँ प्रासंगिक हो, रेत अवरोध संबंधी धारणा और उसके समर्थन में WRD का प्रमाणन (खंड 5.13); और
11. अध्याय 10 के लिए निरीक्षण और रखरखाव की अपेक्षाएँ।

खंड 5.3.4 के अंतर्गत छोटी साइटें इसके स्थान पर प्रपत्र 5-2 (सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण) प्रस्तुत करेंगी।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A, §6.3.6 और Table 6.2 (तटीय टेलवाटर; +0.3 m जलवायु प्रावधान)। https://web.archive.org/web/2024/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/VolumeI-Part%20A-Engineering-Design.pdf
- MoHUA / CPHEEO (2013). Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems (पंपिंग स्टेशन)।
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (5601.5, दस-प्रतिशत अनुप्रवाह विश्लेषण)। https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, Vol. 1 (Standard #8) और Vol. 2 §3.1.9। https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- MARC. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards. https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf
- Optimisation of urban detention (2016). *Water* 8(7):290. https://doi.org/10.3390/w8070290
- Colorado State University. Spatially Dependent On-Site Detention Policies (शोध-प्रबंध)। https://mountainscholar.org/bitstreams/f4dbec4e-a44f-4933-8d54-a097e741f44a/download
- SANDRP. Rivers that reached new highest flood levels during monsoon 2020 (खारुन पर Pathardihi, महानदी पर Kalma और Surajgarh, मांड पर Kurubhata; पिछले स्तरों से ऊपर रहने की अवधियाँ), https://sandrp.in/2020/10/03/rivers-that-reached-new-highest-flood-levels-during-monsoon-2020/ ; India's rivers breaching high flood levels in SW monsoon 2022 (Maniyari, Andhiyar Khore, Malgaon, Talnar), https://sandrp.in/2022/10/07/indias-rivers-breaching-high-flood-levels-in-sw-monsoon-2022/ ; Rivers crossing high flood levels in SW monsoon 2023 (Kurubhata), https://sandrp.in/2023/10/25/rivers-crossing-high-flood-levels-in-sw-monsoon-2023-in-india/ ; Rivers crossing the highest flood levels in Aug 2025 (Tumnar), https://sandrp.in/2025/09/23/rivers-crossing-the-highest-flood-levels-in-aug-2025/ ; July 2026: rivers crossing highest flood levels (Katghora, Malgaon), https://sandrp.in/2026/08/06/july-2026-rivers-crossing-highest-flood-levels/ ; Rivers crossing highest flood levels in August 2026 (Bangodam), https://sandrp.in/2026/09/09/rivers-crossing-highest-flood-levels-in-august-2026/ ; और Rivers crossing highest flood levels in Sept 2026 (Jagdalpur, Chindnar, Sonarpal, Talnar, Odinaguda), https://sandrp.in/2026/10/01/rivers-crossing-highest-flood-levels-in-sept-2026/ । ये CWC के आँकड़ों की प्रतियाँ हैं; प्रत्येक गेज के डेटम और गेज शून्य की पुष्टि CWC से की जानी है।
- Central Water Commission. 29 जुलाई 2019 और 3 सितंबर 2019 की दैनिक बाढ़ स्थिति रिपोर्टें और परामर्श (जगदलपुर पर इंद्रावती के चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तर), केवल उद्धरण-अंशों के रूप में देखे गए, https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsitrep-advisories-29072019_1.pdf और https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsitrep-advisories-03092019.pdf ; और 28 अगस्त 2020 की बाढ़ स्थिति रिपोर्ट (Pathardihi पर खारुन; Seorinarayan), केवल एक उद्धरण-अंश के रूप में देखी गई, https://cwc.gov.in/sites/default/files/flood-situation-cum-advisories-28.08.2020.pdf

- Central Water Commission (2009). *National Register of Large Dams* (राज्य: छत्तीसगढ़; मिनीमाता बांगो, हसदेव बैराज, R.S. Sagar (गंगरेल), खारंग और मनियारी की डिजाइन स्पिलवे क्षमताएँ), एक संग्रहीत प्रति से पढ़ा गया। https://web.archive.org/web/20110721165130/http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202009.pdf
- Water Resources Department, Government of Chhattisgarh. 10 अक्तूबर 2024 की Daily Tank Gauge Report (राज्य के जलाशयों और बैराजों के जलाशय के पूर्ण जल स्तर, सजीव भंडारण क्षमता और स्पिलवे से छोड़ा गया पानी)। https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, अध्याय 3 (स्थल: चार प्रमुख धाराएँ और जलग्रहण क्षेत्र), 7–9 (प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.5 से 1.0 m ऊपर सड़कें) और 10 (वर्षा जल निकासी: 5-वर्ष की डिजाइन तीव्रता, नदी तटबंधों के लिए 100-वर्ष की सुरक्षा, तीव्रता–अवधि चार्ट), NRDA की वेबसाइट की संग्रहीत प्रतियों से पढ़ी गई। https://web.archive.org/web/20150807050828/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf
- Ramsar Convention. Ramsar Information Sheet, Site no. 2583, Kopra Jalashay (नामांकन 8 अगस्त 2025; 210 ha; ऊँचाई; प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में WRD)। https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/IN2583RIS_2512_en.pdf
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)*, छत्तीसगढ़ के पृष्ठ (Raipur, 4 अगस्त 1910), https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf ; *Climate of Chhattisgarh* (2015), 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा की जिलेवार तालिकाएँ (Kurud, Arang), https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf ; और Meteorological Centre Raipur, *Monsoon Report 2020* (Akaltara, 28 अगस्त 2020)।
- *Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959* (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959), धारा 248 और 251, एक तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ी गई, https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html ; और National Green Tribunal, Central Zone, O.A. 78/2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh* (बलौदा के तालाब; 14 नवंबर 2024 का आदेश), कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- Chhattisgarh Environment Conservation Board. NGT O.A. 593/2017 में रिपोर्ट, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (सीवरेज केवल बिलासपुर में; रायपुर में शोधन संयंत्र और डायवर्जन वियर)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Singh et al. (2023), *Environment, Development and Sustainability* (कोरबा कोयला क्षेत्र की खुली खदानों में खदान के पानी का अंतर्वाह और भूजल स्तर में गिरावट), और *Environmental Earth Sciences* में 2018 का एक समस्थानिक (isotope) अध्ययन (हसदेव और खदान के पानी के बीच संबंध), दोनों सारांश के अनुसार; शीर्षक और पूर्ण पाठ पढ़े नहीं गए।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला खदान के लिए पर्यावरण स्वीकृति, File No. J-11015/72/2016-IA.II(M), 13 अगस्त 2024 ("चरम आकस्मिक वर्षा के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन" ("at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall") वाली गारलैंड ड्रेनें), https://mahagenco.in/Content/File_pdf/EnvClearance/2.EC_Gare%20Palma%20Sector%20II%20Coal%20Mine%20Project_13.08.2024.pdf ; और *Coal Mines Regulations, 2017* (कोयला खान विनियम, 2017), विनियम 149 (सतही जल से खतरा), केवल उद्धरण-अंशों में देखा गया।
- Down To Earth (2022). How lack of coordination between Odisha and Chhattisgarh led to floods (महानदी के बैराज और हीराकुंड, अगस्त 2022)। https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/how-lack-of-coordination-between-odisha-and-chhattisgarh-led-to-floods-84402 ; और OdishaBytes (2022), 9 सितंबर 2011

को 628.5 ft पर हीराकुंड के गेट खोले जाने पर, CAG की एक रिपोर्ट का सारांश देते हुए, https://odishabytes.com/2011-odisha-flood-what-happened-then-why-cag-pulled-up-hirakud-officials

- समाचार रिपोर्टें: गंगरेल से छोड़े गए पानी पर (Daily Pioneer, 2022), https://dailypioneer.com/2022/state-editions/gangrel-dam-full-to-brim--gates-opened.html , और (Patrika, अक्तूबर 2025), https://www.patrika.com/dhamtari-news/55000-cusecs-of-water-released-from-gangrel-into-the-mahanadi-river-19996945 ; अगस्त 2024 में बांगो और दर्री से छोड़े गए पानी और कोरबा की बाढ़ पर (The Hitavada), https://www.thehitavada.com/Encyc/2024/8/26/Hasdeo-Bango-Dam-projectin-Korba-put-on-high-alert.html ; सितंबर 2026 की बाढ़ पर (Daily Pioneer), https://dailypioneer.com/india/chhattisgarh-floods-eight-killed-16000-rescued , (NewKerala), https://www.newkerala.com/news/a/heavy-rain-triggers-flood-like-situation-chhattisgarh-kharun-river-839.htm , और (Telangana Today, PTI; जगदलपुर का स्थानीय गेज), https://telanganatoday.com/nearly-5000-rescued-as-heavy-rains-trigger-flood-like-situation-in-chhattisgarh ; 5–6 जुलाई 2026 के रायपुर के जलभराव पर (The Hitavada), https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/7/6/heavy-monsoon-spell-exposes-civic-flaws-waterlogging-disrupts-traffic-sewage-enters-homes.html ; राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण पर, करबला तालाब के संबंध में (The Hitavada, 12 अक्तूबर 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/10/12/wetland-authority-halts-rs-15-cr-work-at-karbala-talab-over-rule-violations.html , और झांझ के संबंध में (The Hitavada, 4 मार्च 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/3/4/CGSWA-intervenes-directs-NRANVP-to-withdraw-Jhanjh-Wetland-tenders.html ; भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों पर (The Hitavada, 13 जुलाई 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/13/Commissioner-issues-warning-to-BSP-over-poor-drain-cleaning-in-Township.html ; 2024–2026 में कोरबा में राखड़ बाँधों के टूटने पर (SANDRP; The Hitavada, 20 अप्रैल 2026); छत्तीसगढ़ में हीराकुंड के डूब क्षेत्र पर (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और रायपुर के सीवेज नेटवर्क और खारुन पर (YourStory, 2017), https://yourstory.com/2017/02/kharun-river-raipur/
- Survey of India. Tidal Predictions: Geodetic and Research Branch. https://www.geographyandyou.com/survey-of-india/tidal-predictions-geodetic-and-research-branch-survey-of-india
- GLOSS. India national report (ज्वार गेज नेटवर्क और डेटम)। https://gloss-sealevel.org/gloss/gloss/sites/gloss/files/publications/documents/india_ge9.pdf
- Adani Ports (2025). Tide Table 2025, Dahej (NHO INP-12 के कवरेज और आँकड़ों के स्रोतों पर टिप्पणियाँ)। https://www.adaniports.com/-/media/Project/Ports/PortsAndTerminals/Dahej-Port/Marine-Documents/Tide-Table-2025-Dahej.pdf
- INCOIS. Storm-surge and swell-surge warning services. https://incois.gov.in/
- FHWA. HEC-22 Urban Drainage Design Manual (वर्तमान संस्करण), Table 7.3 (संयोगी आवृत्तियाँ)।
- Purdue University JTRP (2023). Development of a Multiple Water Course Joint Probability Analysis Procedure for Indiana Watersheds, FHWA/IN/JTRP-2023/09. https://docs.lib.purdue.edu/jtrp/1820
- PUB Singapore (2025). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., Addendum No. 3. https://info.corenet.gov.sg/docs/default-source/pub-circulars/pub-circular_cop-7th-ed-addendum-no-3_16-apr-2025.pdf?sfvrsn=5a2c1e1a_2

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
5A	ज्वारीय डेटम (CD और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम के सापेक्ष MSL, MHWS, HAT), तटीय खंडवार महोर्मि प्रावधान और 1% स्थिर जल स्तर
5B	प्रमुख ड्रेन, नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग, और रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख; मानचित्र
5C	हल किया गया उदाहरण: रायपुर में खारुन में जल निकासी करने वाले किसी नाले पर स्थित एक साइट के लिए आउटफॉल-बंद जाँच
प्रपत्र 5-1	अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट
प्रपत्र 5-2	सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें)

अध्याय 6

लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ

6.1 उद्देश्य और विस्तार

6.1.1 यह अध्याय उस वहन प्रणाली (conveyance system) के लिए सेवा स्तर और हाइड्रोलिक मानदंड निर्धारित करता है जो किसी विकास, सड़क या सार्वजनिक जल निकासी योजना से अपवाह को किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग, तालाब या आउटफॉल तक ले जाती है। इसमें सम्मिलित हैं:

- (a) द्वैध जल निकासी अवधारणा (dual drainage concept): एक लघु प्रणाली (minor system) और एक प्रमुख प्रणाली (major system) (खंड 6.3);
- (b) भूमि उपयोग और सड़क वर्ग के अनुसार डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ (खंड 6.4);
- (c) सड़क हाइड्रोलिक्स: फैलाव, गहराई और प्रवाह जोखिम (खंड 6.5);
- (d) इनलेट, अवरोध (clogging) सहित (खंड 6.6);
- (e) पाइप तथा खुली और ढकी ड्रेन (खंड 6.7);
- (f) हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL) विश्लेषण (खंड 6.8);
- (g) सतही प्रवाह मार्ग, निचले बिंदुओं (sag) पर जल का रुकना और भवनों के फर्श स्तर (खंड 6.9 से 6.11);
- (h) पुलिया और सड़क क्रॉसिंग (खंड 6.12); और
- (i) ढकी ड्रेन, गाद, ठोस अपशिष्ट, उपयोगिता सेवाओं और गाद निकासी के लिए पहुँच से संबंधित छत्तीसगढ़ की निर्माण-पद्धति की अपेक्षाएँ (खंड 6.13)।

6.1.2 अलग-अलग संरचनाओं (पुलिया, चैनल, ऊर्जा क्षयकारी, जाली, पंप, गेट, मैनहोल) का विस्तृत हाइड्रोलिक डिजाइन अध्याय 9 में है। वर्षा अध्याय 2 में, अपवाह की विधियाँ अध्याय 3 में, साइट पर भंडारण अध्याय 4 में, टेलवाटर अध्याय 5 में, जलाशय अध्याय 7 में और जल गुणवत्ता अध्याय 8 में है।

6.1.3 यह अध्याय सभी सार्वजनिक ड्रेन, कर्ब या सड़क किनारे की ड्रेन वाली सभी सड़कों, और उन विकासों की सभी निजी जल निकासी प्रणालियों पर लागू होता है जो अध्याय 1 के प्रयोज्यता सीमा-मानों को पूरा करते हैं। टियर B स्थानीय निकायों में ≤ 16 ha की सेवा करने वाले अवयवों के लिए अध्याय 1 में उल्लिखित सरलीकृत प्रक्रियाओं और डिजाइन सहायिकाओं का उपयोग किया जा सकता है, किंतु इस अध्याय के मानदंड फिर भी लागू होते हैं।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ की ड्रेनें किसी बताई गई वर्षा घटना के लिए डिजाइन नहीं की गईं। किसी शहर की ड्रेनों के लिए मिली एकमात्र डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि नवा रायपुर अटल नगर की विकास योजना में है, जो कहती है कि "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system") और सड़क स्तरों को प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.5 से 1.0 m ऊपर रखती है (NRDA, नया रायपुर विकास योजना-2031); यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। AMRUT के अंतर्गत रायपुर की वर्षा जल निकासी योजना ने नेटवर्क के 49% पर ड्रेनें दर्ज कीं, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें, जिनके बारे में दर्ज है कि "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("Capacity of drain is not sufficient In rainy season most of the drains are overflowed"), और सड़क के 11 हिस्से जो वर्ष में दो या तीन बार जलभराव से ग्रस्त होते हैं, और कोई पुनरावृत्ति अवधि, वर्षा तीव्रता या अपवाह गुणांक बताए बिना ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए

(RMC, 2015); राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यान सम्मिलित थे, ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती (CAG, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा)। जहाँ ड्रेनें उफनती हैं, वहाँ पानी सड़कों के साथ बहता है और निचली कॉलोनियों और अंडरपासों में जमा होता है: रायपुर में 5–6 जुलाई 2026 को फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास, टाटीबंध, शंकर नगर, मोवा और रेलवे स्टेशन जलमग्न हुए, चौबे कॉलोनी के पाँच तालाब उफनकर घरों में भर गए और सीवेज घरों में घुसा; बिलासपुर में सितंबर 2025 में सरकंडा से अभिषेक विहार तक का क्षेत्र "फैले हुए जलाशयों में बदल गया" ("turned into sprawling water bodies"); और बिलासपुर में जुलाई 2026 में एक ऐसी वर्षा घटना के बाद 400 से अधिक घर जलमग्न हुए जिसकी गहराई 28 cm और 24 घंटों में 415.6 mm, दोनों बताई गई (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार), एक ऐसा विरोधाभास जिसे IMD ने हल नहीं किया है [TBC]। जो तालाब (talab) कभी अतिप्रवाह को रोकते थे, वे खो गए हैं: रायपुर में कभी लगभग 130 तालाब बताए जाते हैं और अब लगभग 40 हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ड्रेनें स्वामियों में बँटी हुई भी हैं: नगर निगम, RDA, NRDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, भिलाई इस्पात संयंत्र, WRD और कोयला और बिजली कंपनियाँ, सभी ड्रेनें और प्राप्तकर्ता जलाशय बनाते या धारण करते हैं, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता (खंड 6.9 का भाष्य देखें)। वर्षा को ठीक करना (अध्याय 2) उत्तर का केवल आधा भाग है। दूसरा आधा भाग सतह के स्तर पर एक दूसरी प्रणाली है जो वह प्रवाह ले जाती है जो पाइप नहीं ले जा सकते, भवनों में बाढ़ लाए बिना। यही इस अध्याय की द्वैध जल निकासी अवधारणा है, जो Kansas City Metro APWA Section 5600 (5601.8, Levels of Service) से ली गई है, जिसमें प्रत्येक अवयव के लिए 1% AEP अतिप्रवाह मार्ग अनिवार्य है।

6.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
लघु प्रणाली	इनलेट, पाइप, ढकी ड्रेन और खुली ड्रेन जो तालिका 6.1 के लघु डिजाइन AEP तक का अपवाह खंड 6.8 की सीमाओं से ऊपर सरचार्ज के बिना ले जाती हैं।
प्रमुख प्रणाली	सतही प्रवाह मार्ग (सड़कें, सतही प्रवाह मार्ग, खुले चैनल, बाढ़ मार्ग और भंडारण) जो लघु प्रणाली की क्षमता से अधिक प्रवाह को 1% AEP (100-वर्ष) घटना तक ले जाते हैं।
सतही प्रवाह मार्ग	सार्वजनिक भूमि में या दर्ज सुखाधिकार (easement) में एक परिभाषित सतही मार्ग, जो प्रमुख प्रणाली के प्रवाह को किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग तक ले जाता है।
फैलाव (T)	कर्ब चैनल और कैरिजवे में प्रवाह की चौड़ाई, कर्ब के फलक से मापी गई।
निचला बिंदु	किसी सड़क या प्रवाह मार्ग पर एक निचला बिंदु जहाँ से पानी केवल किसी इनलेट के माध्यम से या अतिप्रवाह स्तर तक रुककर ही निकल सकता है। बंद निचले बिंदु (trapped sag) का कोई सतही अतिप्रवाह मार्ग नहीं होता।
अवरोध गुणक	किसी इनलेट की स्वच्छ हाइड्रोलिक क्षमता का वह अंश जो कचरे के कारण नष्ट माना जाता है (खंड 6.6.3)।
हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL)	किसी वाहिका प्रणाली में मुक्त सतह के स्तरों को, या प्रणाली के दाब में होने पर पीजोमीट्रिक स्तरों को, जोड़ने वाली रेखा।
ढकी ड्रेन	एक आयताकार ड्रेन, सामान्यतः सड़क के किनारे, जो स्थल पर ढाली गई या पूर्वनिर्मित ढकने की स्लैबों से बंद होती है और जिनसे फुटपाथ बनता है।
तलछट प्रावधान	किसी ड्रेन या पाइप की वह गहराई या क्षेत्रफल जो उसकी डिजाइन क्षमता की गणना करते समय गाद से भरा माना जाता है (खंड 6.7.8)।
जाँच घटना	डिजाइन AEP से दुर्लभतर कोई AEP जिस पर संयुक्त लघु और प्रमुख प्रणाली को फिर भी तालिका 6.2 की सीमाएँ पूरी करनी होंगी।
उच्च-घनत्व क्षेत्र	खंड 6.4.4 के अंतर्गत अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र।
श्रेणी I क्षेत्र	1 लाख या अधिक जनसंख्या वाला शहरी स्थानीय निकाय (CPHEEO की परिभाषा)।

6.3 द्वैध जल निकासी अवधारणा

6.3.1 प्रत्येक जल निकासी प्रणाली को एक साथ काम करने वाली दो प्रणालियों के रूप में डिजाइन किया जाएगा:

- (a) एक **लघु प्रणाली** जो तालिका 6.1 का लघु डिजाइन प्रवाह भूमि के नीचे या ड्रेन में ले जाती है, सड़कों को उपयोग योग्य और फैलाव को तालिका 6.2 के भीतर रखते हुए; और
- (b) एक **प्रमुख प्रणाली** जो लघु प्रणाली की क्षमता से अधिक का सारा प्रवाह, 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह तक, सतह पर, भवनों में प्रवेश किए बिना और खंड 6.5 की गहराई और जोखिम सीमाओं के भीतर ले जाती है।

6.3.2 **प्रत्येक अवयव का 1% मार्ग.** प्रत्येक इनलेट, निचले बिंदु, पाइप, ड्रेन, पुलिया और भंडारण अवयव का किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग, तालाब या आउटफॉल तक एक चिह्नित 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग होगा। यह मार्ग जल निकासी नक्शे पर दर्शाया जाएगा (खंड 6.15)।

6.3.3 **प्रमुख प्रणाली का डिजाइन प्रवाह.** किसी भी बिंदु पर प्रमुख प्रणाली 1% AEP चरम प्रवाह में से उस बिंदु पर लघु प्रणाली की क्षमता घटाकर बचा प्रवाह ले जाएगी। इस घटाव में प्रयुक्त लघु प्रणाली की क्षमता खंड 6.6.3 के अवरोध गुणकों के बाद इनलेट की क्षमता, या पाइप की क्षमता, जो भी कम हो, होगी। निचले बिंदुओं पर और भवनों के फर्श स्तर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किसी भी स्थान पर प्रमुख प्रणाली की जाँच लघु प्रणाली को **पूर्ण रूप से अवरुद्ध** मानकर भी की जाएगी (खंड 6.10.3)।

6.3.4 **वर्षा और विधि.** डिजाइन प्रवाह में अध्याय 2 की वर्षा (खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित) और अध्याय 3 की विधियों का उपयोग किया जाएगा:

- (a) रेशनल विधि केवल ≤ 16 ha के जलग्रहण क्षेत्रों और एकल वहन अवयव के लिए। इसका उपयोग ऐसे नेटवर्क में नीचे की ओर प्रवाह जोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा जिसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 16 ha से अधिक हो;
- (b) 16 ha से बड़े नेटवर्क के लिए और भंडारण, पंपिंग या ज्वारीय आउटफॉल वाले किसी भी नेटवर्क के लिए हाइड्रोलिक रूटिंग सहित हाइड्रोग्राफ विधि (उदाहरण के लिए SWMM, हाइड्रोलिक मॉडल के साथ HEC-HMS, या समतुल्य 1D/2D मॉडल);
- (c) न्यूनतम सांद्रण समय 10 मिनट।

6.3.5 **जलग्रहण क्षेत्रों के बीच कोई स्थानांतरण नहीं.** न लघु प्रणाली और न प्रमुख प्रणाली एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में प्रवाह मोड़ेगी, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी कोई ऐसा जलग्रहण-व्यापी अध्ययन स्वीकार न करे जो कोई प्रतिकूल प्रभाव न दर्शाता हो।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) मैनुअल अपनी शब्दावली में प्रमुख और लघु प्रणालियों को परिभाषित करता है, किंतु प्रमुख प्रणाली के लिए कोई पुनरावृत्ति अवधि नहीं देता। APWA 5600 (2006, 5601.8) में प्रणाली द्वारा 1% चरम प्रवाह का वहन अनिवार्य है और, जहाँ प्रणाली के भीतर की क्षमता कम हो, वहाँ शेष प्रवाह ले जाने के लिए एक अतिप्रवाह प्रणाली। खंड 6.3.3 केवल *अवरोध के बाद* की इनलेट क्षमता घटाता है, पूरी पाइप क्षमता नहीं, क्योंकि व्यवहार में पाइप उससे अधिक पानी नहीं ले सकते जितना इनलेट प्रवेश करने देते हैं। निचले बिंदुओं पर पूर्ण-अवरुद्ध जाँच का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे रायपुर के इस अनुभव के कारण निर्धारित करता है कि सबसे भारी वर्षा आने के समय फुटपाथों के नीचे की ड्रेनें अक्सर गाद से भरी या ठोस अपशिष्ट से अवरुद्ध होती हैं (CPHEEO 2019 Part A, Ch 1 और 2, ड्रेन में ठोस अपशिष्ट फेंकने पर Figures 1.2 और 2.1)। जलग्रहण क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण का निषेध DID Malaysia 2008 की प्रस्तुति जाँच-सूची के अनुसार है, जो जलग्रहण क्षेत्रों के बीच प्रवाह मोड़ने का निषेध करती है।

6.4 डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ

6.4.1 लघु प्रणाली, सड़कों और क्रॉसिंग को तालिका 6.1 के AEP के लिए डिजाइन किया जाएगा। जहाँ किसी अवयव पर भूमि-उपयोग की पंक्ति और सड़क-वर्ग की पंक्ति दोनों लागू हों, वहाँ **दुर्लभतर** AEP (लंबी पुनरावृत्ति अवधि) निर्णायक होगा।

तालिका 6.1 — वहन के लिए डिजाइन AEP (खंड 2.4 के अनुरूप)

अवयव	डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	जाँच घटना	आधार
लघु प्रणाली: रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा का केंद्रीय भाग और अन्य उच्च-घनत्व क्षेत्र	10% (10-वर्ष)	1% (100-वर्ष) सतही मार्ग	यह मैनुअल (भाष्य देखें)
लघु प्रणाली: अन्य श्रेणी I क्षेत्र	20% (5-वर्ष)	1% सतही मार्ग	यह मैनुअल; CPHEEO की तालिका 4.1
लघु प्रणाली: अन्य क्षेत्र	50% (2-वर्ष)	1% सतही मार्ग	यह मैनुअल; CPHEEO की तालिका 4.1
धमनी सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	अधिसूचित निष्क्रमण या आपातकालीन मार्ग वाली धमनी सड़कों के लिए 2% (50-वर्ष); अन्य धमनी सड़कों के लिए 4% (25-वर्ष)	अगला उच्चतर AEP: 2% डिजाइन के लिए 1%; 4% डिजाइन के लिए 2%	यह मैनुअल (25–50-वर्ष); विभाजन इस मैनुअल द्वारा निर्धारित
संग्राहक सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	4% (25-वर्ष)	2% (50-वर्ष)	यह मैनुअल
स्थानीय सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	10% (10-वर्ष)	4% (25-वर्ष)	यह मैनुअल
सार्वजनिक सड़कों पर सड़क अंडरपास और अन्य बंद निचले बिंदु	2% (50-वर्ष)	1% (100-वर्ष)	यह मैनुअल (खंड 6.10.5)
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बिजलीघर और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना	श्रेणी I क्षेत्रों में 1% (100-वर्ष); अन्यत्र 2% (50-वर्ष)	—	CPHEEO 2019 की तालिका 4.1
प्रमुख (सतही) प्रणाली, प्रत्येक अवयव	1% (100-वर्ष)	—	यह मैनुअल
भवनों के फर्श स्तर	1% स्तर + 0.5 m फ्रीबोर्ड	—	यह मैनुअल (खंड 6.11)

6.4.2 **जाँच घटनाएँ.** तालिका 6.1 की जाँच घटना पर संयुक्त लघु और प्रमुख प्रणाली जाँच-घटना का प्रवाह तालिका 6.2 की 1% AEP सीमाओं के भीतर और किसी भवन में पानी प्रवेश किए बिना ले जाएगी। खंड 6.3.2 की 1% सतही मार्ग की अपेक्षा जाँच घटना के अतिरिक्त लागू होती है।

6.4.3 **उच्चतर मानक.** कोई अनुमोदन प्राधिकारी किसी भी अवयव के लिए दुर्लभतर AEP अंगीकार कर सकता है, जिसमें CPHEEO की तालिका 4.1 की टिप्पणी 2 का उच्चाधिकार प्राप्त समिति वाला मार्ग भी सम्मिलित है। वह तालिका 6.1 से अधिक बारंबार AEP अंगीकार नहीं करेगा।

6.4.4 **उच्च-घनत्व क्षेत्र.** अनुमोदन प्राधिकारी मानचित्र द्वारा उन उच्च-घनत्व क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा जिन पर 10% AEP लघु प्रणाली मानक लागू होता है। जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक 10% AEP मानक इन पर लागू होता है:

- (a) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के पुराने शहर (old towns), और भिलाई के केंद्रीय क्षेत्र: नगर निगम के क्षेत्र के भीतर का पुराना, सघन रूप से निर्मित क्षेत्र, जिसे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लागू विकास योजना (रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 या उसकी उत्तरवर्ती योजना, दुर्ग-भिलाई विकास योजना या उस नगर की योजना) पुराने शहर, केंद्रीय भाग (core) या केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (central business district) के रूप में चिह्नित करती है, जिसमें रायपुर में पुरानी बस्ती और सदर बाजार, दुर्ग का पुराना शहर, बिलासपुर का पुराना शहर और कोरबा का पुराना शहर, और भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप के बाहर के केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र सम्मिलित हैं, और प्रत्येक की सीमा की पुष्टि नगर निगम और T&CP द्वारा की जानी है [TBC];
- (b) प्रत्येक अन्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में, वह क्षेत्र जिसे लागू विकास योजना पुराने शहर या केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित करती है, और गाँवों की वे पुरानी बस्तियाँ (basti) जो निर्मित क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई हैं; और

- (c) टियर A निकाय का कोई भी क्षेत्र जहाँ विकास योजना जोन के आधार मान से अधिक तल स्थान सूचकांक (floor space index) की अनुमति देती है।

6.4.5 **रेट्रोफिट.** जहाँ किसी विद्यमान ड्रेन को व्यावहारिक रूप से तालिका 6.1 के AEP तक बड़ा नहीं किया जा सकता, वहाँ कमी की पूर्ति प्रतिप्रवाह भंडारण (अध्याय 4), क्षेत्रीय भंडारण (अध्याय 7) या उन्नत प्रमुख प्रणाली मार्ग द्वारा की जाएगी। अनुमोदन प्राधिकारी शेष सेवा स्तर दर्ज करेगा।

> **भाष्य.** तालिका 6.1 के मान खंड 2.4 के सारांश के अनुरूप हैं और इनमें अंडरपास और महत्वपूर्ण अवसंरचना की पंक्तियाँ जोड़ी गई हैं। ये CPHEEO (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों, श्रेणी I शहरों के लिए 5-वर्ष और अन्यत्र 2-वर्ष, से अधिक हैं (CPHEEO Part A, तालिका 4.1)। उस तालिका की टिप्पणी 2 राज्य की समिति को उच्चतर मान अंगीकार करने की अनुमति देती है। उच्च-घनत्व क्षेत्रों के लिए 10-वर्ष का स्तर Gupta (IIT Bombay) के अनुसार है, जो "आवासीय-उच्च घनत्व के लिए 10 वर्ष में 1" ("1 in 10 year for residential-high density") की सिफारिश करते हैं, और मलेशिया के MSMA 2 के अनुसार, जो लिंक हाउस, अपार्टमेंट, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि के लिए 10-वर्ष की लघु और 100-वर्ष की प्रमुख प्रणालियों का उपयोग करता है। सड़कों के मान भारतीय संहिताओं के एक अंतर्विरोध को सुलझाते हैं। IRC:SP:50-2013 शहरी सड़क ड्रेन के लिए 1–2 वर्ष की सिफारिश करता है। IRC:SP:42-2014 शहरी सड़क किनारे की ड्रेन के लिए 25 वर्ष और अगली उच्चतर पुनरावृत्ति अवधि पर जाँच बाढ़ का सुझाव देता है। APWA 5600 (2006) धमनी सड़कों के लिए 50-वर्ष, संग्राहक सड़कों के लिए 25-वर्ष और आवासीय सड़क क्रॉसिंग के लिए 10-वर्ष का उपयोग करता है। तालिका 6.1 में APWA के स्तर और IRC:SP:42 की जाँच-बाढ़ अवधारणा अपनाई गई है। धमनी सड़कों को 50-वर्ष के निष्क्रमण मार्गों और 25-वर्ष की अन्य सड़कों में विभाजित करने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। अंडरपास के लिए 50-वर्ष का मानक भी इसी प्रकार इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है, क्योंकि अंडरपास एक बंद निचला बिंदु है जहाँ विफलता का रूप चालू कैरिजवे पर गहरा पानी है। खंड 6.4.4 के डिफॉल्ट उच्च-घनत्व क्षेत्र इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं और तब तक लागू रहते हैं जब तक अनुमोदन प्राधिकारी कोई मानचित्र अधिसूचित नहीं करता।

6.5 सड़क हाइड्रोलिक्स: फैलाव, गहराई और प्रवाह जोखिम

6.5.1 **कर्ब चैनल प्रवाह.** त्रिकोणीय कर्ब और कर्ब चैनल खंड (kerb-and-gutter section) में प्रवाह की गणना संशोधित मैनिंग (इजाडी) समीकरण से की जाएगी:

$$Q = (K_u / n) \cdot S_x^{5/3} \cdot S_L^{1/2} \cdot T^{8/3}$$

जहाँ Q कर्ब चैनल प्रवाह (m^3/s) है, $K_u = 0.376$ (SI), n कर्ब चैनल का मैनिंग खुरदरापन (तालिका 6.6) है, S_x अनुप्रस्थ ढलान (cross slope, m/m) है, S_L अनुदैर्ध्य ढलान (longitudinal slope, m/m) है और T फैलाव (m) है। संयुक्त और अवनमित कर्ब चैनल खंडों का विश्लेषण FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से किया जाएगा।

6.5.2 **फैलाव और गहराई की सीमाएँ.** सड़क पर प्रवाह तालिका 6.2 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 6.2 — सड़क पर प्रवाह की सीमाएँ

सड़क वर्ग	लघु डिजाइन घटना (तालिका 6.1)	जाँच घटना और 1% AEP घटना
धमनी	फैलाव ऐसा होगा कि प्रत्येक दिशा में कम से कम एक सीधी लेन पानी से मुक्त रहे। सड़क के शीर्ष के आर-पार कोई प्रवाह नहीं।	सड़क के शीर्ष पर गहराई ≤ 150 mm और सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm; खंड 6.5.3 की जोखिम सीमाएँ

सड़क वर्ग	लघु डिजाइन घटना (तालिका 6.1)	जाँच घटना और 1% AEP घटना
संग्राहक	फैलाव T ≤ 3 m। निचले बिंदु वाले चौराहे के सिवाय सड़क के शीर्ष के आर-पार कोई प्रवाह नहीं।	उपर्युक्त के अनुसार
स्थानीय	फैलाव T ≤ 3 m। प्रवाह कर्ब के ऊपर से नहीं बहेगा।	उपर्युक्त के अनुसार
सभी वर्ग, चौराहों पर	निचले बिंदु वाले चौराहों और अधि-उन्नयन संक्रमणों पर सड़क के शीर्ष के ऊपर आड़ा प्रवाह (cross-flow) ≤ 0.03 m^3/s; ब्लॉक के बीच के निचले बिंदुओं पर कोई नहीं।	उपर्युक्त के अनुसार

6.5.3 **प्रवाह जोखिम की सीमाएँ.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में सड़क और सतही प्रवाह की गहराई (D, m) और वेग (V, m/s) का गुणनफल तालिका 6.3 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 6.3 — सड़कों और सतही प्रवाह मार्गों के लिए प्रवाह जोखिम की सीमाएँ

स्थान	अपेक्षित जोखिम वर्ग (तालिका 6.4)	सीमाएँ
सभी सड़कों के कैरिजवे	H2 या बेहतर	D·V ≤ 0.6 m^2/s; D ≤ 0.35 m (तालिका 6.2); V ≤ 2.0 m/s
फुटपाथ, पैदल पारपथ, स्कूल, अस्पताल और परिवहन-स्टॉप के अग्रभाग	H1	D·V ≤ 0.3 m^2/s; D ≤ 0.3 m; V ≤ 2.0 m/s
अधिसूचित निष्क्रमण और आपातकालीन मार्ग	H1	D·V ≤ 0.3 m^2/s; D ≤ 0.3 m; V ≤ 2.0 m/s
सड़कों से दूर सार्वजनिक खुले स्थान या सुखाधिकार में सतही प्रवाह मार्ग	H3 या बेहतर, चेतावनी संकेतों सहित	D·V ≤ 0.6 m^2/s; D ≤ 1.2 m; V ≤ 2.0 m/s

तालिका 6.4 — संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग (संदर्भ के लिए पुनःप्रस्तुत)

वर्ग	विवरण	D·V सीमा (m^2/s)	गहराई सीमा D (m)	वेग सीमा V (m/s)
H1	वाहनों, लोगों और भवनों के लिए सामान्यतः सुरक्षित	≤ 0.3	0.3	2.0
H2	छोटे वाहनों के लिए असुरक्षित	≤ 0.6	0.5	2.0
H3	वाहनों, बच्चों और वृद्धों के लिए असुरक्षित	≤ 0.6	1.2	2.0
H4	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित	≤ 1.0	2.0	2.0
H5	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित; भवनों को संरचनात्मक क्षति का खतरा	≤ 4.0	4.0	4.0
H6	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित; सभी भवनों के ढहने का खतरा	> 4.0	—	—

स्रोत: AIDR Guideline 7-3, *Technical flood risk management guideline: Flood hazard* (2014), Tables 1 and 2, जो Smith and Wasko (2012) के मॉडल पर आधारित हैं।

6.5.4 खंड 6.5.3 के लिए गहराई और वेग सरल खंडों के लिए कर्ब चैनल प्रवाह गणना से, या जहाँ प्रवाह कर्ब और कर्ब चैनल खंड से बाहर निकलता हो वहाँ 1D या 2D हाइड्रोलिक मॉडल से लिए जाएँगे।

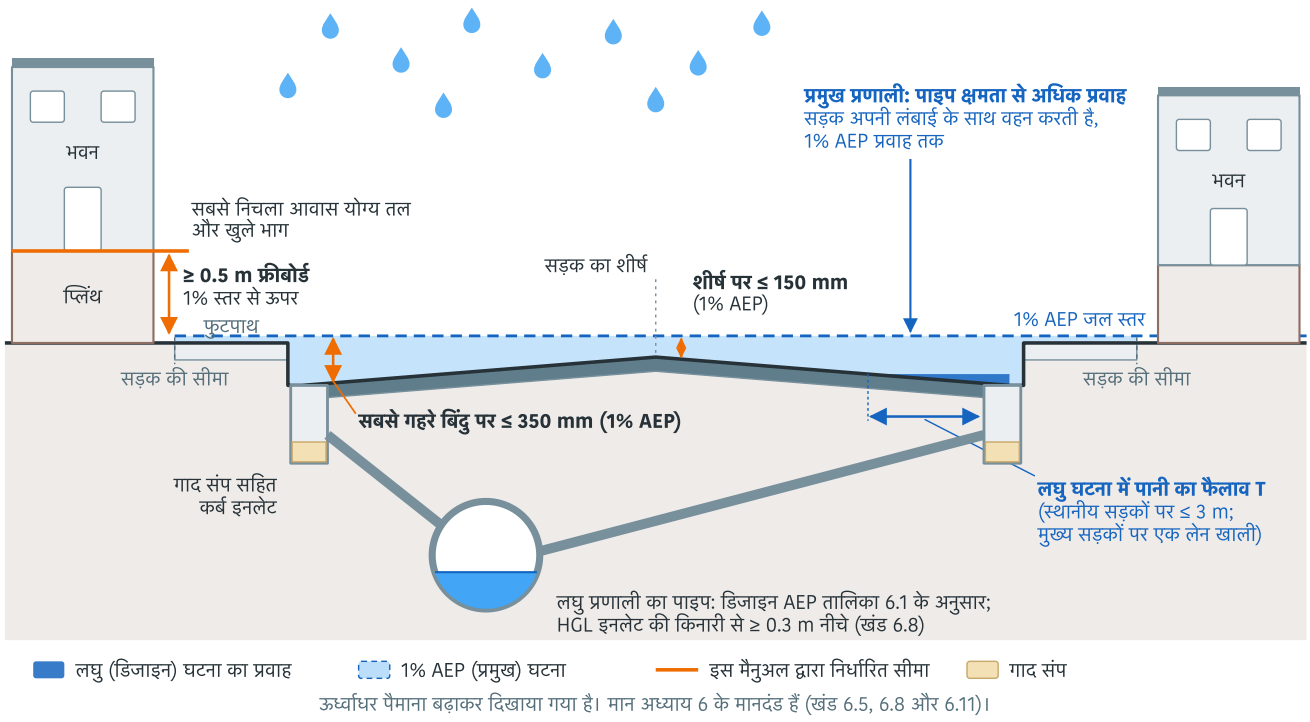

चित्र 6.1 — कर्बयुक्त सड़क में लघु और प्रमुख जल निकासी। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 (2006, 5601.8) और FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (4th ed., 2024) से रूपांतरित।

भाष्य. Ku = 0.376 के साथ मैनिंग समीकरण का इजार्ड रूप FHWA HEC-22 और CPHEEO (2019) मैनुअल दोनों में प्रयुक्त है (Part A, Example 5.5, जहाँ स्थिरांक Kc = 0.376 लिखा गया है)। धमनी सड़क के फैलाव का नियम (एक लेन मुक्त) और स्थानीय तथा संग्राहक सड़कों के लिए 3 m का फैलाव APWA 5600 (2006, 5604.2) की प्रत्येक बाहरी लेन में कर्ब के पिछले भाग से 12 ft (3.66 m) की सीमा के निकट हैं। 0.03 m^3/s की आड़े प्रवाह की सीमा चौराहों के संपों और अधि-उन्नयन संक्रमणों पर APWA की 1.0 cfs की सीमा का SI समतुल्य है, और ब्लॉक के बीच के संपों पर कोई आड़ा प्रवाह नहीं। 150 mm और 350 mm की गहराई सीमाएँ सड़क क्रॉसिंग पर 1% अतिप्रवाह के लिए APWA 5600 की सीमाओं (सड़क के शीर्ष पर 7 in, लगभग 180 mm; सबसे गहरे बिंदु पर 14 in, लगभग 360 mm) के निकट हैं। 15 cm से ऊपर बाढ़ न होने का मुंबई का मानदंड (IRC:SP:50-2013, §6.4.1) सड़क के शीर्ष के 150 mm मान का एक स्थानीय पूर्व-उदाहरण है।

तालिका 6.4 के जोखिम वर्ग ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस (AIDR Guideline 7-3, 2014) द्वारा प्रकाशित संयुक्त जोखिम वक्र हैं, जो Smith और Wasko (2012) के मॉडल पर आधारित हैं। कैरिजवे पर H2 या बेहतर की अपेक्षा का अर्थ है कि 350 mm की 1% गहराई सीमा (तालिका 6.2) गहराई के लिए निर्णायक है, और D·V गुणनफल तीव्र ढलान वाली सड़कों पर तेज, उथले प्रवाह को नियंत्रित करता है। H2 को "छोटे वाहनों के लिए असुरक्षित" ("unsafe for small vehicles") बताया गया है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दोपहिया वाहन प्रमुख हैं, इसलिए अधिसूचित निष्क्रमण मार्गों को छोड़कर, जिन्हें H1 पूरा करना होगा, सभी सड़कों पर 1% घटना को सड़क बंद करने वाली घटना माना जाना होगा। तालिका 6.3 में स्थानों को जोखिम वर्ग देने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

6.6 इनलेट

6.6.1 **इनलेट के प्रकार.** इनलेट कर्ब ओपनिंग इनलेट (kerb-opening inlet), जाली इनलेट (grate inlet), संयुक्त इनलेट (combination inlet; कर्ब ओपनिंग सहित जाली) या स्लॉटेड और ट्रेंच ड्रेन (slotted and trench drains) हो सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर:

- (a) कर्ब ओपनिंग या संयुक्त इनलेट उपयोग किए जाएँगे, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी किसी विशिष्ट स्थान के लिए केवल-जाली इनलेट स्वीकार न करे;
- (b) इनलेट के ओपनिंग सड़क स्तर पर रखे जाएँगे, जहाँ व्यवहार्य हो वहाँ कर्ब चैनल अवनमन (gutter depression) के साथ, ताकि ऊँचे कर्ब या फुटपाथ के कारण पानी कैरिजवे पर न रुके;
- (c) कैरिजवे, साइकिल लेन और फुटपाथ में जालियाँ साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित पैटर्न की होंगी (अध्याय 9, खंड 9.11)।

6.6.2 **इनलेट की क्षमता.** ढलान पर और निचले बिंदुओं पर इनलेट की स्वच्छ क्षमता की गणना FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से, या उसी जाली और कर्ब ओपनिंग ज्यामिति के लिए निर्माता द्वारा प्रकाशित परीक्षित रेटिंग से की जाएगी। CPHEEO (2019) Part A §5.6.2 के अनुभवजन्य कर्ब इनलेट समीकरणों का उपयोग केवल प्रति-जाँच के लिए किया जा सकता है।

6.6.3 **अवरोध गुणक.** प्रत्येक इनलेट की डिजाइन क्षमता उसकी स्वच्छ क्षमता को तालिका 6.5 के अवरोध गुणकों से घटाकर प्राप्त क्षमता होगी:

तालिका 6.5 — इनलेट अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का नष्ट माना गया अंश)

इनलेट का प्रकार	ढलान पर	निचले बिंदु पर
जाली	50%	50%
कर्ब ओपनिंग	10%	20%
संयुक्त	प्रत्येक भाग पर जाली और कर्ब के गुणक अलग-अलग लगाएँ	प्रत्येक भाग पर जाली और कर्ब के गुणक अलग-अलग लगाएँ

डिजाइन क्षमता = (1 − अवरोध गुणक) × स्वच्छ क्षमता।

6.6.4 **इनलेट की दूरी.** इनलेट की स्थिति एक क्रमिक गणना द्वारा तय की जाएगी जो प्रत्येक कर्ब चैनल खंड (gutter run) के शीर्ष से आरंभ होती है। प्रत्येक इनलेट पर ग्रहीत प्रवाह (intercepted flow) की गणना की जाती है, और बाईपास प्रवाह (bypass flow) अगले इनलेट तक पहुँचने वाले कर्ब चैनल प्रवाह में जोड़ा जाता है। दूरी ऐसी होगी कि लघु डिजाइन घटना में तालिका 6.2 की फैलाव सीमाएँ हर स्थान पर पूरी हों। इसके अतिरिक्त:

- (a) कर्बयुक्त सड़कों पर इनलेट की दूरी 30 m से अधिक नहीं होगी, गणना चाहे जो दे;
- (b) प्रत्येक निचले बिंदु पर, पैदल पारपथों और चौराहों से ठीक प्रतिप्रवाह की ओर, पुल डेकों और अधि-उन्नयन संक्रमणों से प्रतिप्रवाह की ओर, और प्रत्येक कर्ब चैनल खंड के अंत में इनलेट लगाए जाएँगे;
- (c) किसी खंड के अंतिम इनलेट का बाईपास प्रवाह उच्चतर वर्ग की सड़क पर या निजी भूमि में नहीं छोड़ा जाएगा।

6.6.5 **निचले बिंदु के इनलेट.** कर्बयुक्त सड़क पर किसी निचले बिंदु पर:

- (a) निचले बिंदु के इनलेट की डिजाइन क्षमता (अवरोध के बाद) निचले बिंदु पर पहुँचने वाले कुल लघु डिजाइन प्रवाह से कम नहीं होगी;
- (b) किसी भी ऐसी सड़क पर जहाँ रुका पानी तालिका 6.2 की सीमाओं से आगे फैल सकता है, और प्रत्येक अंडरपास पर, निचले बिंदु के दोनों ओर पार्श्व इनलेट (flanking inlets) लगाए जाएँगे;
- (c) निचले बिंदु पर जल का रुकना खंड 6.10 का अनुपालन करेगा।

6.6.6 **इनलेट कनेक्शन.** इनलेट को मुख्य ड्रेन से जोड़ने वाले पाइप का व्यास कम से कम 300 mm होगा और वह ऐसी ढलान पर बिछाया जाएगा जिससे इनलेट के डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s वेग मिले।

6.6.7 **गाद संप.** सार्वजनिक सड़क पर प्रत्येक इनलेट कक्ष में उसके आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा गाद संप होगा, जो सतह से सफाई के लिए सुलभ हो।

कर्ब चैनल में फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध: योजना (पैमाने पर नहीं)

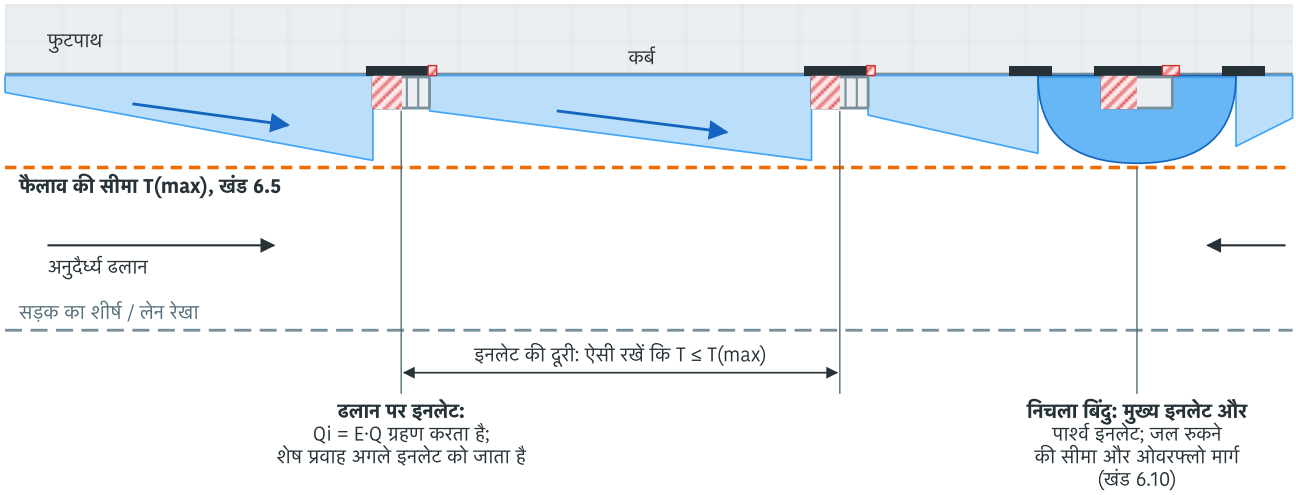

अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का घटा हुआ अंश), खंड 6.6

इनलेट का प्रकार	ढलान पर	निचला बिंदु
जाली	**50%**	**50%**
कर्ब में खुला भाग	10%	20%
संयुक्त	प्रत्येक भाग ऊपर के अनुसार	प्रत्येक भाग ऊपर के अनुसार

कर्ब चैनल में फैलाव (लघु घटना)
निचले बिंदु पर जल का रुकना
अवरुद्ध माना गया भाग
कर्ब में खुला भाग

चित्र 6.2 — कर्ब चैनल फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (3rd ed., 2009; 4th ed., 2024) और CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019) से रूपांतरित।

> **भाष्य.** ये अवरोध गुणक APWA 5600 (2006, 5604.2) में संप इनलेट की सैद्धांतिक क्षमता के 80% की रेटिंग (20% कमी) से अधिक कठोर हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सड़कों की जालियाँ नियमित रूप से प्लास्टिक और पत्तियों से ढक जाती हैं। CPHEEO (2019) Part A में ड्रेन में फेंके गए ठोस अपशिष्ट को ड्रेन की विफलता का एक प्राथमिक कारण दर्शाया गया है (Figures 1.2 और 2.1)। APWA 5600 (2006) सार्वजनिक सड़कों पर केवल कर्ब ओपनिंग इनलेट की अनुमति देता है; खंड 6.6.1(a) कम कठोर है क्योंकि समतल सड़कों पर संयुक्त इनलेट उपयोगी हैं। 30 m की अधिकतम दूरी और तालिका 6.5 में संयुक्त इनलेट के प्रति व्यवहार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। एक नियत अधिकतम सीमा किसी एक अवरुद्ध इनलेट के कारण कर्ब चैनल के लंबे भाग को बिना निकास के रहने से रोकती है। 300 mm का गाद संप इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह CPHEEO के कैच-बेसिन विवरण में दर्शाए गए 0.3 m के संप के अनुरूप है (CPHEEO 2019, Figure 5.9)।

6.7 पाइप तथा खुली और ढकी ड्रेन

6.7.1 **एकसमान प्रवाह.** पाइप और ड्रेन की क्षमता की गणना मैनिंग समीकरण से की जाएगी:

> V = (1/n) · R^(2/3) · S^(1/2); Q = A · V

जहाँ V औसत वेग (m/s) है, n मैनिंग खुरदरापन (तालिका 6.6) है, R हाइड्रोलिक त्रिज्या (m) है, S घर्षण ढलान (friction slope, m/m) है, A प्रवाह क्षेत्रफल (m^2) है और Q प्रवाह दर (m^3/s) है। जहाँ टेलवाटर, संगम या किसी संरचना से पश्चजल प्रभाव (backwater) जल स्तर को प्रभावित करता हो, वहाँ क्रमशः परिवर्तित प्रवाह (gradually varied flow; standard step) या हाइड्रोलिक नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया जाएगा, और खंड 6.8 की HGL अपेक्षाएँ लागू होंगी।

6.7.2 **मैनिंग खुरदरापन.** n के डिजाइन मान तालिका 6.6 से लिए जाएँगे। कंक्रीट पाइपों और चिनाई या कंक्रीट की ड्रेन के लिए डिजाइन मान तलछट, जैविक परत (biofilm) और पुरानेपन को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध "ठीक" (fair) या "खुरदरी" (rough) स्थिति के मान से कम नहीं होगा।

तालिका 6.6 — डिजाइन के लिए मैनिंग n (CPHEEO 2019 से)

सामग्री	स्थिति	n (CPHEEO)	इस मैनुअल में न्यूनतम डिजाइन n
सीमेंट कंक्रीट पाइप (कॉलर जोड़)	अच्छी / ठीक	0.013 / 0.015	0.015
S/S जोड़ों वाले स्पन कंक्रीट पाइप (RCC, PSC)	निर्माता का डिजाइन मान	0.011	0.013
HDPE / uPVC पाइप	—	0.010	0.011
प्लास्टिक (चिकना), एस्बेस्टस सीमेंट	—	0.011	0.011
कंक्रीट ड्रेन, स्टील से / लकड़ी से करणी की गई	—	0.014 / 0.015	0.015
रेत और सीमेंट का प्लास्टर	—	0.015	0.015
ईंट की चिनाई	अच्छी / खुरदरी	0.015 / 0.017	0.017
चिनाई	खराब स्थिति	0.020	0.020
सीमेंट में जुड़ी रोड़ी (rubble)	—	0.017	0.017
मिट्टी का चैनल	नियमित, अच्छा / सामान्य	0.020 / 0.025	0.025
मिट्टी का चैनल	पत्थरों और खरपतवार सहित / खराब	0.030 / 0.035	0.035
मिट्टी का चैनल	कचरे या खरपतवार से आंशिक रूप से अवरुद्ध	0.050	0.050
कर्ब चैनल: कंक्रीट	—	0.013	0.013
कर्ब चैनल: हॉट-मिक्स एस्फाल्ट	—	0.015	0.015
कर्ब चैनल: स्प्रे सील	—	0.018	0.018

CPHEEO स्तंभ का स्रोत: CPHEEO (2019) Part A, Table 5.1 (जो स्वयं CPHEEO Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013 से है) और Table 5.8 (कर्ब चैनल)।

6.7.3 **वेग की सीमाएँ.** लघु डिजाइन प्रवाह पर:

- (a) न्यूनतम (स्व-सफाई, self-cleansing) वेग: खुली और ढकी ड्रेन में **0.6 m/s** और पाइपों में **0.9 m/s**;

- (b) अधिकतम वेग: पक्की ड्रेन और पाइपों में **3.0 m/s**, जब तक ड्रेन या पाइप को अध्याय 9 के अंतर्गत ढलवाँ चैनल (chute) के रूप में डिजाइन न किया गया हो। CPHEEO पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक या प्लास्टिक-परत वाले पाइपों में 6.0 m/s तक की अनुमति देता है; इसका उपयोग उत्तरी पहाड़ियों में मैनपाट, चिरमिरी और जशपुरनगर में और अन्य पहाड़ी नगरों में अनुमोदन प्राधिकारी की सहमति से किया जा सकता है;
- (c) कच्चे और वनस्पतियुक्त चैनलों में अधिकतम वेग: अध्याय 9, तालिका 9.2;
- (d) खुली और ढकी ड्रेन में प्रवाह की फ्रूड संख्या डिजाइन प्रवाह पर 0.8 से अधिक नहीं होगी, जब तक ड्रेन को अध्याय 9 के अंतर्गत अतिक्रांतिक प्रवाह के लिए डिजाइन न किया गया हो।

6.7.4 **ढलान.** प्रत्येक पाइप और ड्रेन ऐसी ढलान पर बिछाई जाएगी जिससे खंड 6.7.3(a) प्राप्त हो। जहाँ समतल भू-भाग या नियत आउटफॉल स्तर के कारण यह असंभव हो, वहाँ डिजाइनकर्ता:

- (a) प्राप्त वेग दर्ज करेगा;
- (b) खंड 6.7.8 का तलछट प्रावधान दोगुना करेगा; और
- (c) खंड 6.13.2 की दूरी पर यांत्रिक गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान करेगा।

6.7.5 **पाइप में प्रवाह की स्थिति.** पाइपों का आकार ऐसा रखा जाएगा कि लघु डिजाइन प्रवाह पूर्ण-भरे पाइप की क्षमता (pipe-full capacity) से अधिक न हो। वृत्ताकार पाइप अपनी गहराई के लगभग 0.95 पर जो अधिक प्रवाह ले जाता है, उस पर निर्भर नहीं किया जाएगा।

6.7.6 **न्यूनतम आकार.**

- (a) पाइप: 300 mm आंतरिक व्यास; सार्वजनिक मुख्य पाइपों के लिए **450 mm**।
- (b) खुली ड्रेन: तल की चौड़ाई 0.3 m।
- (c) ढकी सार्वजनिक ड्रेन (ढकने की स्लैबों से बंद ड्रेन): स्पष्ट आंतरिक चौड़ाई **0.6 m** और स्पष्ट आंतरिक गहराई **0.6 m**।

6.7.7 **पाइपों के ऊपर आवरण.** पाइपों के ऊपर तैयार स्तर तक कम से कम 0.6 m का आवरण होगा, और कैरिजवे के नीचे कम से कम 0.9 m, जब तक यातायात भार के लिए संरचनात्मक डिजाइन प्रस्तुत न किया जाए। जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर पाइप के शीर्ष से 1 m के भीतर हो, वहाँ खाली पाइप के लिए उत्प्लावन (flotation) की जाँच की जाएगी (CPHEEO 2019, Table 11.2) और आवश्यक होने पर उसे स्थिर (anchor) किया जाएगा।

6.7.8 **तलछट प्रावधान.** खुली ड्रेन, ढकी ड्रेन और 600 mm या अधिक व्यास के पाइपों की डिजाइन क्षमता की गणना इनवर्ट पर तलछट की निम्नलिखित गहराई के साथ की जाएगी:

- (a) खुली और ढकी ड्रेन: **75 mm** और स्पष्ट आंतरिक गहराई के **10%** में से जो अधिक हो;
- (b) 600 mm या अधिक व्यास के पाइप: आंतरिक व्यास का **5%**;
- (c) 600 mm से कम के पाइप: कोई प्रावधान नहीं, किंतु खंड 6.7.3(a) पूरा किया जाएगा।

घटे हुए अनुप्रस्थ काट (section) के लिए मैनिंग n तालिका 6.6 में ड्रेन की सामग्री का मान होगा।

6.7.9 **खुली और ढकी ड्रेन में फ्रीबोर्ड.** लघु डिजाइन प्रवाह पर जल सतह (तलछट प्रावधान के साथ परिकलित) ड्रेन की दीवार के शीर्ष से, या ढकी ड्रेन में ढकने की स्लैब के सॉफिट से, कम से कम तालिका 6.7 के फ्रीबोर्ड जितनी नीचे होगी।

तालिका 6.7 — खुली और ढकी ड्रेन में न्यूनतम फ्रीबोर्ड

ड्रेन	न्यूनतम फ्रीबोर्ड	स्रोत
तल की चौड़ाई 300 mm तक	100 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3 (IRC:SP:50-2013 से)
तल की चौड़ाई 300–900 mm	150 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3

ड्रेन	न्यूनतम फ्रीबोर्ड	स्रोत
तल की चौड़ाई 900–1,500 mm	300 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3
अधिक चौड़ी ड्रेन और अभियांत्रिक चैनल, Q < 3 m^3/s	450 mm	CPHEEO 2019 Table 5.12 (IS 7784 (Part 1): 1993 से)
Q 3 से < 30 m^3/s	600 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q 30 से < 300 m^3/s	900 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q 300 से < 3,000 m^3/s	1,200 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q ≥ 3,000 m^3/s	1,500 mm	उपर्युक्त के अनुसार
कोई भी सड़क किनारे की ड्रेन	150 mm से कम नहीं	IRC:SP:42-2014
तीव्र ढलान वाले (अतिक्रांतिक) चैनल	प्रवाह की गहराई के बराबर	CPHEEO 2019 §5.3.2

मोड़ों पर फ्रीबोर्ड मोड़ के बाहरी ओर के जल स्तर से मापा जाएगा, जिसमें अधि-उन्नयन $\Delta y = V^2T / (2\,g\,rc)$ सम्मिलित है, जहाँ T शीर्ष चौड़ाई है और rc मध्य-रेखा की त्रिज्या है (CPHEEO 2019, Eq. 5.29)।

6.7.10 **मोड़ और संगम.**

- (a) किसी ड्रेन में मोड़ की मध्य-रेखा त्रिज्या ड्रेन की चौड़ाई की कम से कम 3 गुना होगी (CPHEEO 2019 §5.3.3)। अभियांत्रिक चैनलों में यह शीर्ष चौड़ाई की कम से कम 2 गुना और 30 m से कम नहीं होगी (CPHEEO 2019 Table 5.11)।
- (b) जहाँ ड्रेन मिलती हैं, वहाँ बाहर जाने वाली ड्रेन की चौड़ाई से कम से कम दोगुनी आंतरिक चौड़ाई वाला संगम संप बनाया जाएगा। आने वाली ड्रेन बाहर जाने वाले प्रवाह से समकोण से कम कोण पर प्रवेश करेंगी, और बाहर जाने वाला इनवर्ट संप के फर्श से नीचे होगा ताकि संप में पानी न रुके (CPHEEO 2019 §5.3.4)।

6.7.11 **पाइपों पर मैनहोल और निरीक्षण कक्ष.** प्रत्येक संगम, आकार, संरेखण या ढलान के परिवर्तन पर, और प्रत्येक पाइप के शीर्ष पर मैनहोल बनाए जाएँगे। सीधे खंडों पर दूरी तालिका 6.8 से अधिक नहीं होगी।

तालिका 6.8 — सीधे पाइप खंडों पर मैनहोल की अधिकतम दूरी

पाइप का व्यास	अधिकतम दूरी
300–600 mm	40 m
700–1,000 mm	100 m
1,050–1,400 mm	150 m
1,500 mm और अधिक	300 m

स्रोत: CPHEEO 2019 Table 11.5। मैनहोल के आकार, ड्रॉप और ढक्कन: अध्याय 9, खंड 9.12।

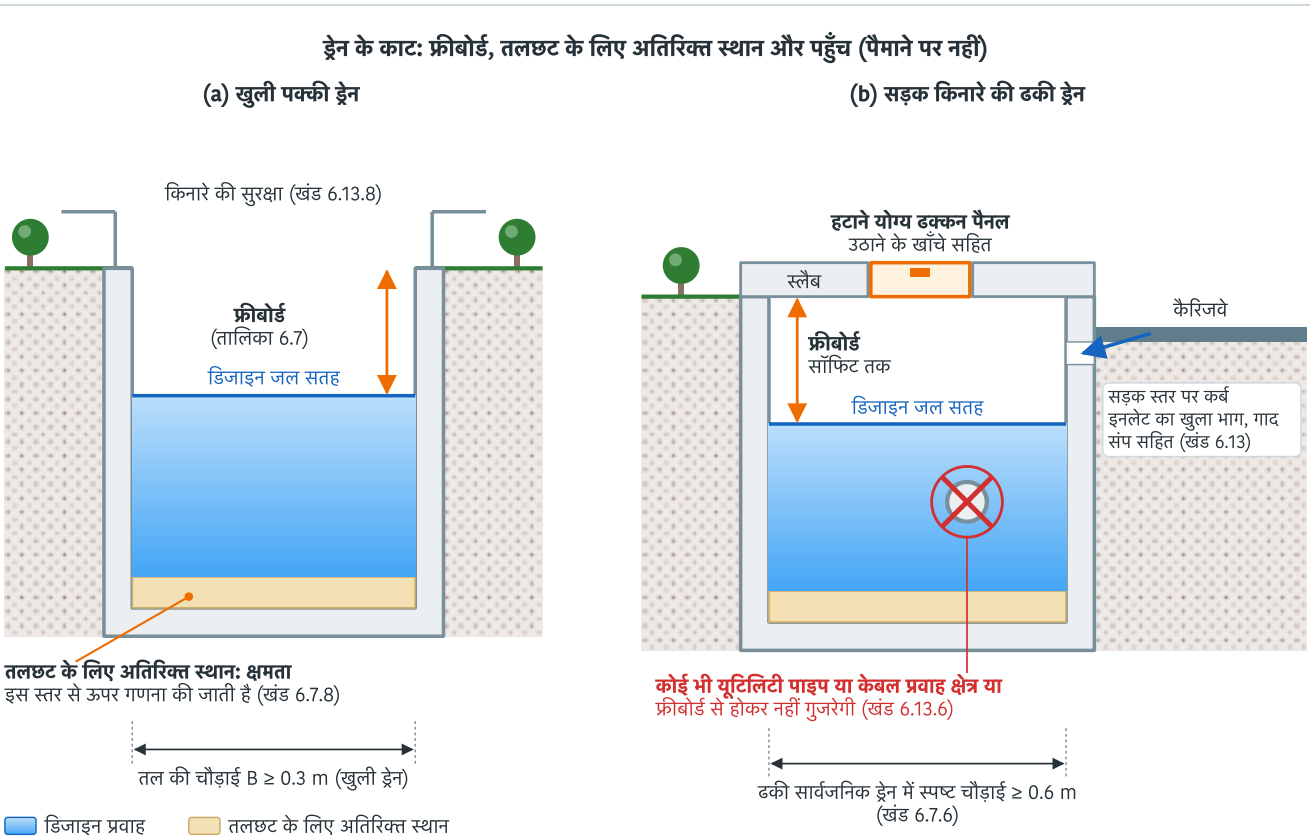

चित्र 6.3 — ड्रेन के खंड: फ्रीबोर्ड, तलछट प्रावधान और पहुँच। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Tables 5.3 और 5.12, और IRC:SP:50-2013 से रूपांतरित।

भाष्य. n के मान CPHEEO (2019) Table 5.1 के हैं। उच्चतर न्यूनतम डिजाइन मानों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि CPHEEO के अनुसार स्पन पाइपों के लिए 0.011 का मान "निर्माता द्वारा दिए गए मान के अनुसार लिया जा सकता है" ("may be taken as given by the manufacturer")। वह स्वच्छ पाइप का मान है, और छत्तीसगढ़ की ड्रेनें भारी गाद और ठोस अपशिष्ट ले जाती हैं। 0.6 m/s का न्यूनतम वेग CPHEEO का है (Table 5.2), जो 0.09 mm रेत के वहन पर आधारित है (§5.3.1)। पाइपों के लिए 0.9 m/s का मान अधिक कठोर है, क्योंकि गाद से भरा पाइप खुली ड्रेन जितनी आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। 3.0 m/s की अधिकतम सीमा CPHEEO Table 5.2 (WPCF/ASCE 1982) से है। 0.8 की फ्रूड सीमा CPHEEO §5.3 से है, जो क्रांतिक प्रवाह से बचने की सलाह देता है क्योंकि उसमें जल सतह अस्थिर हो जाती है।

ढकी ड्रेन के लिए 0.6 m × 0.6 m के न्यूनतम आकार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इससे संकरी ढकी ड्रेन से ढक्कन के ओपनिंग के माध्यम से हाथ से या छोटी मशीनों से गाद नहीं निकाली जा सकती, और गाद से भरी, दुर्गम ड्रेनें रायपुर में 5–6 जुलाई 2026 के जलभराव के बाद बार-बार सामने आने वाला निष्कर्ष थीं, जिसका दोष निवासियों ने अपर्याप्त गाद निकासी पर और अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह गई ड्रेनों पर डाला (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जबकि RMC ने 2015 में ही दर्ज कर दिया था कि "ड्रेनों का अवरुद्ध होना" ("choking of darins [sic]") जलभराव के मुख्य कारणों में से एक है (RMC, वर्षा जल निकासी के लिए AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना, 2015); यही निष्कर्ष उस चेतावनी में भी था जो भिलाई नगर निगम ने जुलाई 2025 में टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र को दी, जिनकी जलकुंभी ने जुनवानी और कोसानाला (Junwani, Kosanala) की पुलियाएँ अवरुद्ध कर दी थीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 0.6 m का न्यूनतम आवरण वह मान है जो CPHEEO (2019) की पाइप डिजाइन गणना-पत्रक के हल किए गए उदाहरण में प्रयुक्त है (Part A, Chapter 5)। कैरिजवे के नीचे 0.9 m का आवरण इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

> तलछट प्रावधान के मान (ड्रेन के लिए 75 mm या 10%, बड़े पाइपों के लिए 5%) इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। कोई भी भारतीय मानक डिजाइन के लिए तलछट प्रावधान निर्धारित नहीं करता। रायपुर का अनुभव यह है कि ड्रेनें वर्ष के अधिकांश समय आंशिक रूप से गाद से भरी चलती हैं, इसलिए स्वच्छ अनुप्रस्थ काट (section) के लिए परिकलित क्षमता वास्तविक क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है।
>
> CPHEEO की फ्रीबोर्ड तालिका (Table 5.3) में पहली पंक्ति "Beyond 300 mm bed width" के रूप में छपी है। दूसरी पंक्ति ("Beyond 300 mm & up to 900 mm") के साथ पढ़ने पर पहली पंक्ति का अर्थ अवश्य ही "300 mm तक" होगा; तालिका 6.7 इसी प्रकार लिखी गई है। CPHEEO की मैनहोल दूरी तालिका (Table 11.5) में परस्पर व्यापी श्रेणियाँ (700–1,050 mm और 1,000–1,400 mm) दी गई हैं; तालिका 6.8 में 1,050 mm को 150 m वर्ग में रखकर यह व्यापन हटाया गया है।

6.8 हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन

6.8.1 **HGL विश्लेषण.** प्रत्येक पाइप और ढकी ड्रेन नेटवर्क के लिए डिजाइनकर्ता लघु डिजाइन घटना और जाँच घटना के लिए HGL की गणना करेगा, आउटफॉल से आरंभ करके प्रतिप्रवाह की ओर बढ़ते हुए। विश्लेषण में घर्षण हानियाँ और संगमों, मैनहोलों, मोड़ों, इनलेट, आउटलेट और गेटों पर होने वाली हानियाँ सम्मिलित होंगी।

6.8.2 **प्रारंभिक जल स्तर.** आउटफॉल पर प्रारंभिक (टेलवाटर) स्तर निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगा:

- (a) अध्याय 5 का टेलवाटर स्तर: ज्वारीय आउटफॉल पर लघु प्रणाली के डिजाइन के लिए वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) और +0.3 m की समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई, और अन्य आउटफॉल पर संयोगी घटना के लिए प्राप्तकर्ता ड्रेन, नदी या तालाब का स्तर; और
- (b) जहाँ प्राप्तकर्ता जल निचला हो, वहाँ आउटलेट पाइप पर क्रांतिक गहराई और पाइप के व्यास से परिकलित स्तर, (dc + D)/2।

6.8.3 **लघु घटना की सीमा.** लघु डिजाइन घटना में HGL प्रत्येक इनलेट के रिम और प्रत्येक मैनहोल तथा निरीक्षण कक्ष के ढक्कन स्तर से कम से कम **0.3 m नीचे** होगी।

6.8.4 **जाँच घटना और 1% की सीमा.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में HGL इनलेट रिमों से ऊपर उठ सकती है। लघु प्रणाली से बाहर निकलने वाला पानी तब प्रमुख प्रणाली द्वारा तालिका 6.2 की सीमाओं के भीतर ले जाया जाएगा और किसी भवन में प्रवेश नहीं करेगा। इन घटनाओं में भूमि से ऊपर सरचार्ज हो सकने वाले मैनहोलों के ढक्कन बोल्ट से कसे या ताला-बंद होंगे (अध्याय 9, खंड 9.12)।

6.8.5 **संरचनाओं पर हानियाँ.** मैनहोलों और संगमों पर हानियों की गणना FHWA HEC-22 (2009 या 2024 edition) की ऊर्जा-आधारित एक्सेस-होल विधि (access-hole method) से, या किसी अनुमोदित हाइड्रोलिक मॉडल में समतुल्य विधि से की जाएगी। 16 ha से छोटे टियर B नेटवर्क के लिए HEC-22 के गुणांकों के साथ सरलीकृत हानि-गुणांक विधि ($h = K\,V^2/2g$) का उपयोग किया जा सकता है।

6.8.6 **इनवर्ट और सॉफिट स्तर.** जहाँ किसी मैनहोल पर पाइप का आकार बढ़ता है, वहाँ आने वाले और बाहर जाने वाले पाइपों के सॉफिट (शीर्ष) मिलाए जाएँगे, या बाहर जाने वाला सॉफिट नीचे रखा जाएगा। बाहर जाने वाला इनवर्ट सबसे निचले आने वाले इनवर्ट से ऊँचा नहीं होगा। मैनहोलों में ऊर्ध्वाधर ड्रॉप अध्याय 9, खंड 9.12 के अनुसार होंगे।

6.8.7 **गेट और वाल्व.** खुली स्थिति में फ्लैप गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों से होने वाली हेड हानि HGL में सम्मिलित की जाएगी (अध्याय 9, खंड 9.10)।

6.8.8 **निजी कनेक्शन.** किसी ऐसी सार्वजनिक ड्रेन से जुड़ने वाली भवन जल निकासी में, जिसकी 1% HGL भवन की सबसे निचली जल निकासी फिटिंग से ऊपर हो, नॉन-रिटर्न वाल्व होगा।

भाष्य. लघु घटना की HGL और इनलेट रिम के बीच 0.3 m का अंतर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह उन हानियों के लिए मार्जिन रखता है जिन्हें कोई मॉडल कम आँकता है, और उस घटना में, जिसके लिए प्रणाली डिजाइन की गई है, इनलेट से पानी को उबलकर बाहर आने से रोकता है। छत्तीसगढ़ में नगरों की कई ड्रेनें ऐसी नदी में समाप्त होती हैं जिसका स्तर किसी बाढ़ या किसी डैम से छोड़े गए पानी से ऊँचा रहता है, या अपने पूर्ण स्तर पर किसी तालाब (talab), झील या जलाशय में (खंड 5.8.5)। रायपुर के नाले उसके तालाबों में या खारुन में समाप्त होते हैं, जिसने अगस्त 2020 में पथरीडीह (Pathardihi) पर अपना अभिलिखित उच्चतम स्तर बनाया (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में) और सितंबर 2026 में महादेव घाट पर उफनी (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और रायपुर के नए शोधन संयंत्र डायवर्जन वियर (diversion weir) से नालों का अवरोधन करते हैं (CECB, 2021), जिनमें से प्रत्येक, जब तक वह वर्षा घटना के प्रवाह के लिए डिजाइन न किया गया हो, अपने ऊपर की हर ड्रेन में स्तर बढ़ा देता है (खंड 8.9)। कोरबा के नाले बांगो डैम और दर्री बैराज के नीचे हसदेव में समाप्त होते हैं, और नवा रायपुर अटल नगर के चैनल उन झीलों में समाप्त होते हैं जिन्हें उसके उद्यान पोषित करते हैं। जिस ड्रेन की HGL किसी मुक्त आउटफॉल से आरंभ की जाती है, या नदी, वियर या तालाब के स्तर के बिना एक बार में एक लंबाई के लिए परिकलित की जाती है, वह ठीक इसी प्रकार विफल होती है। अध्याय 5 के ज्वारीय टेलवाटर के साथ आउटफॉल से परिकलित HGL इन त्रुटियों को डिजाइन के चरण में ही उजागर कर देती है। MHWS और 0.3 m का प्रारंभिक स्तर CPHEEO (2019) Table 6.2 से है। एक्सेस-होल विधि का वर्णन HEC-22 में 2009 के संस्करण से आगे किया गया है।

6.9 प्रमुख प्रणाली: सतही प्रवाह मार्ग, सुखाधिकार और जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ

6.9.1 **प्राथमिक प्रमुख प्रणाली के रूप में सड़कें.** सड़कों की ढलान ऐसी रखी जाएगी कि 1% AEP प्रमुख प्रणाली का प्रवाह सड़क आरक्षित भूमि (road reserve) के साथ-साथ किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग तक बिना रुके ले जाया जाए, सिवाय खंड 6.10 के अंतर्गत डिजाइन किए गए निचले बिंदुओं के।

6.9.2 **सड़कों से बाहर सतही प्रवाह मार्ग.** जहाँ कोई प्रमुख प्रणाली मार्ग सड़क आरक्षित भूमि से बाहर निकलता है, वहाँ वह:

- (a) सार्वजनिक भूमि में, किसी लेआउट के सामुदायिक खुले स्थान (community open space) में, या लेआउट अनुमोदन और स्वत्व-पत्र (title) पर दर्ज सुखाधिकार में होगा;
- (b) कम से कम 1% AEP प्रवाह की शीर्ष चौड़ाई और प्रत्येक ओर 0.5 m जितना चौड़ा होगा, और 3.0 m से कम नहीं होगा;
- (c) भवनों, चारदीवारी, बाड़, भराई, संग्रहीत सामग्री और ऐसे पौधारोपण से मुक्त रखा जाएगा जो प्रवाह में बाधा डाले;
- (d) सतत ढलान पर होगा, जिसमें बिना निकास का कोई निचला बिंदु न हो; और
- (e) तालिका 6.3 की जोखिम सीमाओं के भीतर होगा।

6.9.3 **चारदीवारी.** किसी मानचित्रित सतही प्रवाह मार्ग के आर-पार चारदीवारी या बाड़ नहीं बनाई जाएगी। जहाँ किसी दीवार को उसे पार करना ही हो, वहाँ उसमें इतने कुल क्षेत्रफल के ओपनिंग होंगे जो 50% अवरोध के साथ 1% AEP प्रवाह पारित करें, प्रतिप्रवाह जल स्तर को इस अध्याय की सीमाओं से ऊपर उठाए बिना।

6.9.4 **खुली ड्रेन के साथ पहुँच.** 2 m या अधिक शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन के एक किनारे पर कम से कम 3.5 m चौड़ी रखरखाव पहुँच पट्टी (access strip) होगी, जो 500 m से अधिक नहीं के अंतराल पर किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी हो।

6.9.5 **आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग और तालाब.** तालाबों के आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग प्रमुख प्रणाली के भाग हैं और अध्याय 7 के अंतर्गत संरक्षित किए जाएँगे।

6.9.6 **जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ.** जल निकासी आरक्षित पट्टी (drainage reserve) भूमि की एक पट्टी है, ड्रेन सहित, जिसे भवनों से मुक्त रखा जाता है ताकि ड्रेन का रखरखाव किया जा सके, उसे चौड़ा किया जा सके और बाढ़ मार्ग के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। जल निकासी आरक्षित पट्टी इनके साथ-साथ रखी जाएगी:

- (a) 1.0 m या अधिक आंतरिक चौड़ाई वाली प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन या चैनल, जो विकसित या पुनर्विकसित किए जा रहे किसी लेआउट या साइट से होकर या उसके साथ-साथ बहती हो;
- (b) किसी अंगीकृत बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11) में दर्शाई गई प्रत्येक ड्रेन या चैनल, उस प्लान की भावी ड्रेन की चौड़ाई पर; और
- (c) किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा बनाई गई 1.0 m या अधिक आंतरिक चौड़ाई वाली प्रत्येक नई सार्वजनिक ड्रेन।

6.9.7 **चौड़ाई.** आरक्षित पट्टी ड्रेन की आंतरिक चौड़ाई W से मापी गई तालिका 6.9 की चौड़ाई से कम नहीं होगी। चौड़ाई **अपेक्षित** ड्रेन आकार (नियोजित ड्रेन के लिए, मास्टर प्लान का आकार) पर आधारित है, विद्यमान आकार पर नहीं। जहाँ खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी तालिका 6.9 के मार्जिन से अधिक चौड़ी हो, वहाँ अधिक चौड़ाई निर्णायक होगी।

तालिका 6.9 — जल निकासी आरक्षित पट्टी की न्यूनतम चौड़ाई (PUB Singapore से ली गई)

ड्रेन की आंतरिक चौड़ाई, W	खुली ड्रेन	बंद (ढकी) ड्रेन
1.0 m से 1.2 m	3.0 m	W + 0.6 m
1.2 m से अधिक, 3.0 m तक	W + 2.6 m	W + 1.6 m
3.0 m से अधिक, 4.5 m तक	W + 3.5 m	W + 1.6 m
4.5 m से अधिक, 6.0 m तक	W + 4.5 m	W + 3.0 m
6.0 m से अधिक, 9.0 m तक	W + 6.0 m	W + 3.0 m
9.0 m से अधिक, 25.0 m तक	W + 7.5 m	W + 3.0 m
25.0 m से अधिक	W + 12.0 m	W + 3.0 m

खुली ड्रेन के लिए मार्जिन का बड़ा भाग उस ओर होगा जिसका उपयोग रखरखाव पहुँच के लिए किया जाता है।

6.9.8 **उपयोग और संरक्षण.**

- (a) आरक्षित पट्टी को लेआउट योजना या साइट नक्शे पर एक अलग भूखंड के रूप में दर्शाया जाएगा और सड़कों और खुले स्थान के आरक्षणों की भाँति अनुमोदन प्राधिकारी को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। जहाँ ड्रेन WRD का चैनल हो, वहाँ आरक्षित पट्टी WRD को हस्तांतरित की जाती है।
- (b) आरक्षित पट्टी में कोई भवन, चारदीवारी, बाड़, रैंप, सीढ़ी, भराई या अन्य संरचना नहीं बनाई जाएगी। चारदीवारी और सीमा बाड़ उसके बाहर होंगी।
- (c) आरक्षित पट्टी में पहुँच पट्टी समतल और सतत होगी, और किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी होगी। रखरखाव वाहनों के सिवाय अन्य वाहनों को रोकने के लिए प्रवेश स्थानों पर बोलार्ड (bollards) या खंभों और जंजीरों का उपयोग किया जा सकता है।
- (d) जहाँ आरक्षित पट्टी पर बाड़ न लगी हो, वहाँ उसके किनारे को 50 m से अधिक नहीं की दूरी पर कंक्रीट के चिह्नकों से चिह्नित किया जाएगा।
- (e) सेवाएँ ड्रेन के नीचे से, इनवर्ट से कम से कम 1.0 m नीचे, या किसी अनुमोदित संरचना पर उसके ऊपर से पार होंगी। सेवाएँ ड्रेन के अनुप्रस्थ काट के भीतर आरक्षित पट्टी के साथ-साथ नहीं चलेंगी।
- (f) आरक्षित पट्टी के किनारे से 2 m के भीतर कोई संरचना ऐसी डिजाइन की जाएगी कि ड्रेन को उसके इनवर्ट से 1.0 m नीचे तक खोदे जाने पर भी वह स्थिर रहे। डिजाइन पर एक योग्य संरचनात्मक अभियंता के हस्ताक्षर होंगे।

- (g) आरक्षित पट्टी साइट की खुले स्थान की अपेक्षाओं में केवल वहीं गिनी जाती है जहाँ अनुमोदन प्राधिकारी के नियम इसकी अनुमति देते हैं; यह अध्याय 7 द्वारा अपेक्षित किसी सेटबैक को कम नहीं करती।

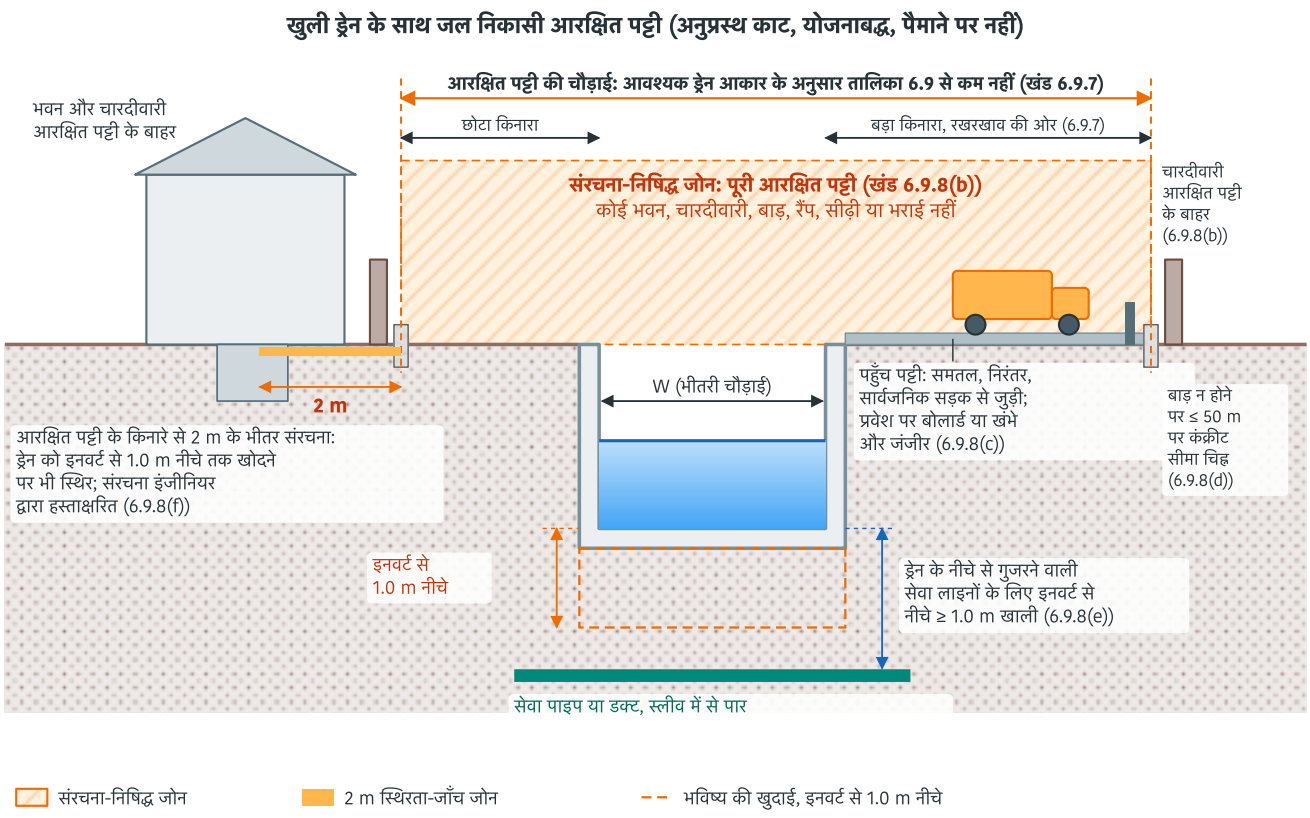

चित्र 6.4 — खुली ड्रेन के साथ जल निकासी आरक्षित पट्टी: तालिका 6.9 से आरक्षित पट्टी की चौड़ाई, संरचना-निषिद्ध क्षेत्र, रखरखाव की ओर पहुँच पट्टी, इनवर्ट के नीचे सेवाओं के लिए 1.0 m का अंतर और 2 m का स्थिरता-जाँच क्षेत्र (खंड 6.9.6 से 6.9.8)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, PUB Singapore, Code of Practice on Surface Water Drainage (7th ed., with Addendum No. 3, 2025), clauses 5.1, 5.3, 9.6 और 9.7 तथा Appendix 1 से रूपांतरित।

भाष्य. जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ सिंगापुर के अनुसार हैं, जहाँ "जल निकासी आरक्षित पट्टी की चौड़ाई अपेक्षित ड्रेन आकार पर आधारित होती है" ("the width of a drainage reserve is based on the required drain size") और आरक्षित पट्टी एक अलग भूखंड के रूप में रखी जाती है, "सभी भारों से मुक्त" ("kept free of all encumbrances") (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. with Addendum No. 3, 2025, cl. 1.1)। तालिका 6.9 में PUB के Appendix 1 की चौड़ाइयाँ पुनःप्रस्तुत की गई हैं। खंड 6.9.8(b) से (f) PUB के clauses 5.1 (ड्रेन या जल निकासी आरक्षित पट्टी के भीतर कोई संरचना नहीं), 5.3 और 5.3.1 (इनवर्ट से 1.0 m नीचे खुदाई के लिए स्थिरता; आरक्षित पट्टी से 2 m के भीतर अभियंता की गणनाएँ), 9.6 (बोलार्ड या खंभों और जंजीरों सहित समतल, सतत पहुँच) और 9.7 (अधिकतम 50 m पर चिह्नक) के अनुसार हैं। ड्रेन के नीचे से पार होने वाली सेवाओं के लिए 1.0 m का अंतर PUB के विकास-प्लान मार्गदर्शन से है। छत्तीसगढ़ में भवन और चारदीवारी अक्सर ड्रेन के किनारे तक बना दी जाती हैं, जिससे उसे न चौड़ा किया जा सकता है और न मशीन से उसकी गाद निकाली जा सकती है। किसी भूखंड के विकास या पुनर्विकास के समय भूमि आरक्षित करना उसे सुरक्षित करने का सबसे सस्ता समय है, क्योंकि बाद में चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक होता है। चौड़ाई को मास्टर प्लान के ड्रेन आकार पर आधारित करना (6.9.6(b)) उस भूमि की रक्षा करता है जिसकी भावी ड्रेन को आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में जलाशयों और जलमार्गों के साथ भवन नियमों की एक दूरी है, किंतु किसी नाले के साथ आरक्षित पट्टी की कोई चौड़ाई नहीं। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 वे 1984 के नियम हैं जो 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले, और जिनका नाम तब से बदला गया है और जिन्हें आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत संशोधित किया है; शोध के दौरान उनका समेकित छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया। विरासत में मिला 1984 का पाठ वहाँ भवन निर्माण पर रोक लगाता है जहाँ

स्थल उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर है और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, "औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 मीटर या जलमार्ग की परिभाषित सीमा से 15 मीटर, जो भी अधिक हो" ("9 meters from average high flood mark or 15 meters from the defined boundary of water course, whichever is more") के भीतर है (नियम 50(b)), और ऐसे स्थल पर जिसकी उचित जल निकासी नहीं है या जिसकी अच्छी जल निकासी संभव नहीं (नियम 50(f)); नियम 50 अब भी स्थल की अनुपयुक्तता पर छत्तीसगढ़ का नियम है: T&CP संचालनालय का 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है कि क्या स्थल उसके अंतर्गत अनुपयुक्त है, भूमि जलभराव क्षेत्र है या नहीं, और वह नहर, नाले या नदी के किनारे है या नहीं और यदि है तो कितनी दूरी पर, और नालों के लिए छोड़ा गया क्षेत्र दर्ज करता है (23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011); किंतु नियम 50 का छत्तीसगढ़ पाठ नहीं मिला, और वह 9 m और 15 m रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। संचालनालय की 2011 की चेकलिस्ट नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगती है (क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011), जो नियोजन प्रक्रिया में मिली बाढ़-स्तर की एकमात्र अपेक्षा है। 6 अक्तूबर 2018 का संशोधन (क्रमांक F 7-27/2017/32) दर्शाता है कि भूमि विकास नियम में नाले की एक दूरी है: उसका स्थल-निरीक्षण प्रपत्र पूछता है कि क्या कोई प्रमुख ड्रेन (नाला) भूखंड के निकट है और, यदि हाँ, तो उसकी निकटतम दूरी, जिसे भूमि विकास नियम के ऐसे नियम का अनुपालन करना है जिसकी संख्या राजपत्र रिक्त छोड़ता है; 2008 से 2023 तक का मिला कोई भी संशोधन नियम 50 को नहीं बदलता और न जल निकासी, स्थल स्तरों या अस्थायी भंडारण पर कोई नियम जोड़ता है। एकीकृत उपनगर (integrated township) किसी बारहमासी नदी से लगी भूमि पर बसाए नहीं जा सकते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 17 दिसंबर 2008), न ही विकास योजना रहित किसी निवेश क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए ऐसी भूमि पर अनुमति दी जा सकती है (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 2 जनवरी 2013 का आदेश क्रमांक F 7-35/2012/32, पैरा 2.4(iii)), और अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण के नियमितीकरण पर रोक लगाता है (धारा 7(1)(चार))। दोनों में से कोई भी नाले, जलमार्ग या उच्च बाढ़ चिह्न को परिभाषित नहीं करता, इसलिए वह रेखा नियत नहीं है जिससे दूरियाँ मापी जाती हैं। इस मैनुअल के लिए, उसके अपने प्रस्ताव के रूप में और भूमि विकास नियम के अर्थ के रूप में नहीं, उच्चतम जल चिह्न या उच्च बाढ़ चिह्न किसी तालाब (talab), झील या आर्द्रभूमि के लिए उसके FTL और मानसून जल रेखा में से जो ऊँचा हो उससे नीचे नहीं, और किसी चैनल के लिए उसके किनारे के शीर्ष से नीचे नहीं माना जाता है (अध्याय 7, खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ); 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला प्रत्येक नाला खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत एक प्राकृतिक चैनल है, चाहे उसका अनुरक्षण कोई भी करता हो और चाहे वह पक्का, पाइपयुक्त या ढका हो या नहीं; और राजस्व अभिलेखों में नाला, तालाब या डबरी (dabri) के रूप में दर्ज भूमि, उसका वर्तमान उपयोग चाहे जो हो, चैनल या जलाशय का भाग है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य पर आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की रोक रायपुर के करबला और नरैया (Narhaiya) तालाबों पर और नवा रायपुर अटल नगर की झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि पर लागू की है, जहाँ मार्च 2025 में उसने NRDA को दो निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। गाँव के तालाब छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित हैं, और बलौदा में राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाबों पर हुए अतिक्रमणों के विरुद्ध NGT के एक आदेश (O.A. 78/2024, 14 नवंबर 2024 का आदेश) के बाद धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 उसके छत्तीसगढ़ पाठ में पढ़ा नहीं गया [TBC]; उसका मध्य प्रदेश पाठ सार्वजनिक तालाबों, धाराओं और ड्रेनों को निगम में निहित करता है (धारा 82) और आयुक्त को यह अपेक्षा करने देता है कि निगम में निहित किसी ड्रेन के ऊपर बनाया गया भवन गिरा दिया जाए (धारा 198)। राज्य में डूब क्षेत्र के जोनिंग का कोई कानून और कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है, और शोध के दौरान WRD द्वारा किसी नदी के डूब क्षेत्र का कोई सीमांकन नहीं मिला। इनमें से कोई भी किसी ड्रेन के साथ आरक्षित पट्टी की चौड़ाई नहीं देता। इसलिए यह मैनुअल आरक्षित पट्टी को एक चौड़ाई देता है, अपने प्रस्ताव के रूप में, सांविधिक चौड़ाई के रूप में नहीं: एक **हाइड्रोलिक कॉरिडोर** (hydraulic corridor), जो तालिका 6.9 की आरक्षित पट्टी से बनता है, जो डिजाइन प्रवाह ले जाने के लिए आवश्यक ड्रेन आकार पर आधारित है (खंड 6.9.7), पहुँच वाले किनारे पर खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी से, और किसी नदी, किसी प्राकृतिक ड्रेन या 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाली WRD की ड्रेन के साथ, उसके किनारे के शीर्ष से मापे गए खंड 7.4 के सेटबैक से, जिसमें जोन 1 कम से कम 15 m हो और, जहाँ भूमि विकास नियम की दूरियाँ लागू हों, ऊपर बताए अनुसार मापे गए 9 m या 15 m से कम न हो; जहाँ 1% AEP बाढ़ का विस्तार मानचित्रित किया गया हो, वहाँ वह जोन 2 के लिए निर्णायक है, और जहाँ भूमि विकास नियम, आर्द्रभूमि की 50 m रेखा, कोई विकास योजना या कोई न्यायालय कोई अधिक चौड़ी रेखा निर्धारित करता है, वहाँ वह रेखा तब तक लागू होती है जब तक वह बाध्यकारी है (अध्याय 7)। यह कॉरिडोर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इसे छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत बनाई गई विकास योजनाओं में, जिनमें रायपुर, दुर्ग–भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर की विकास

योजनाएँ सम्मिलित हैं, दर्शाया जाना चाहिए, और T&CP की स्थल रिपोर्ट और चेकलिस्ट पर, जो पहले से नाले की दूरी और WRD का उच्च बाढ़ बिंदु माँगती हैं, और 2018 के संशोधन द्वारा आरंभ किए गए स्थल-निरीक्षण पर जाँचा जाना चाहिए, न कि उसे एक नया NOC बनाया जाए।

आरक्षित पट्टी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के नगरों की ड्रेनें स्वामियों में बँटी हैं, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता। नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें अपने क्षेत्रों की सार्वजनिक ड्रेनें नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत धारण करती हैं, दोनों यथा-अनुकूलित (छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए [TBC])। नवा रायपुर अटल नगर में सड़कों, ड्रेनों, धाराओं और झीलों और जलाशयों के जाल की योजना NRDA ने बनाई, जो 1973 के अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है (23 मई 2022 की उसकी अधिसूचना क्रमांक 4066 वे शक्तियाँ प्रत्यायोजित करती है), और जिसकी विकास योजना क्षेत्र की चार प्रमुख धाराओं को संरक्षित रखती है और उद्यानों को झीलों तक "वर्षा जल वाहक" ("storm water carriers") बनाती है (NRDA, नया रायपुर विकास योजना-2031; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। RDA और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ऐसी स्कीमें बनाते हैं जिनकी ड्रेनें बाद में हस्तांतरित की जाती हैं। भिलाई में इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) के नगर सेवाएँ (Town Services) विभाग द्वारा साफ की जाती हैं, और जुलाई 2025 में भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए संयंत्र को चेतावनी दी (प्रकाशित खबरों के अनुसार); दोनों के बीच औपचारिक विभाजन नहीं मिला [TBC]। उच्च न्यायालय के 2019 के आदेशों के बाद (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 14 फरवरी 2019 का पत्र), बिलासपुर के अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से, जिसकी विकास योजना 2014 में अनुमोदित हुई थी, अब भूमि बेचने, उस पर निर्माण करने या उसका विकास करने के लिए अनुमति माँगने की आवश्यकता नहीं है। WRD नदियों, डैमों, बैराजों और नहरों का धारक है; गाँव के तालाब राज्य सरकार में निहित हैं; और कोयला क्षेत्रों में और बिजली संयंत्रों के आसपास खनन पट्टाधारी, जिनमें SECL है, और बिजली कंपनियाँ, जिनमें NTPC, CSPGCL और BALCO हैं, अपने स्थलों की खदान ड्रेनें, खदान के गड्ढे, ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध धारण करते हैं। शोध के दौरान प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला। इस मैनुअल के प्रयोजनों के लिए, और जब तक राज्य ऐसा कोई नियम जारी नहीं करता [TBC], ड्रेनें इस प्रकार सौंपी जाती हैं: नदियाँ, नदी तल, किनारे और डूब क्षेत्र, और राज्य के डैम, जलाशय और बैराज, जिनमें गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग (Kharang), मनियारी, केलो, कोपरा जलाशय, मोंगरा, अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) और महानदी के बैराज सम्मिलित हैं, उनके गेटों और स्पिलवे, बाढ़ तटबंधों और सिंचाई नहरों सहित, WRD को; किसी शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर की सार्वजनिक ड्रेनें, सार्वजनिक सड़कों के साथ-साथ या उनके नीचे की ड्रेनें और नाले, WRD को सौंपे गए नालों के अतिरिक्त, और उसमें निहित तालाब, उसके नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को, रायपुर में RMC को; नवा रायपुर अटल नगर की सड़कें, ड्रेनें, धाराएँ, झीलें और जलाशय NRDA को; RDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या किसी कॉलोनी विकासकर्ता की किसी स्कीम की ड्रेनें, जब तक वे लिखित रूप में स्थानीय निकाय को हस्तांतरित नहीं की जातीं, उसे बनाने वाले निकाय को; भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें संयंत्र को, और टाउनशिप के बाहर भिलाई की ड्रेनें भिलाई और रिसाली नगर निगमों को [TBC]; भू-राजस्व संहिता की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित गाँव के तालाब कलेक्टर को, सिंचाई और निस्तार (nistar) के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए; पंचायत क्षेत्रों की ड्रेनें ग्राम पंचायत को; किसी खनन पट्टे के भीतर की ड्रेनें, गारलैंड ड्रेनें, मोड़ चैनल, अवसादन तालाब और खदान के गड्ढे पट्टाधारी को, उसकी पर्यावरण स्वीकृति और DGMS के नियमों के अंतर्गत, और किसी बिजली संयंत्र के ऐश पॉन्ड, राखड़ बाँध और संयंत्र की ड्रेनें उसके संचालक को; और राजमार्गों की ड्रेनें PWD या NHAI को (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। खंड 6.9.8(a) के अंतर्गत, WRD की ड्रेन के साथ की आरक्षित पट्टी WRD को हस्तांतरित की जाती है। जहाँ किसी चैनल की स्थिति विवादित हो, वहाँ कॉरिडोर चैनल का अनुसरण करता है, उसके नाम का नहीं: रायपुर में खारून एक नदी भी है और शहर के नालों का प्राप्तकर्ता चैनल भी, जिन नालों का अवरोधन शहर के नए शोधन संयंत्रों के वियर करते हैं (CECB, 2021)। राज्य के किसी भी नगर के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि वाला कोई अनुमोदित नगर जल निकासी मास्टर प्लान नहीं मिला। किसी शहर की ड्रेनों के लिए मिली एकमात्र डिजाइन वर्षा घटना नया रायपुर विकास योजना-2031 की "5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता" ("5 years Maximum rainfall intensity") है, जो एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं (NRDA, 2008); AMRUT के अंतर्गत RMC की वर्षा जल निकासी योजना ने कोई पुनरावृत्ति अवधि, वर्षा तीव्रता या अपवाह गुणांक बताए बिना ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए (RMC, 2015)। जो ड्रेन अपने किनारे छोड़ी गई भूमि में समाने के अनुसार आकार दी गई हो, उसे बड़ा नहीं किया जा सकता, इसीलिए आरक्षित पट्टी अपेक्षित आकार पर आधारित है। जब तक कोई बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान अंगीकृत नहीं हो जाता (खंड 6.9.6(b)), तब तक खंड 6.9.7 का अपेक्षित ड्रेन आकार वह आकार है जो डिजाइनकर्ता इस अध्याय के अंतर्गत परिकलित करता है। यह

मैनुअल पक्के या कच्चे अनुप्रस्थ काट (section) को निर्धारित नहीं करता। इसमें यह अनिवार्य है कि अनुप्रस्थ काट खंड 6.7.3 और अध्याय 9 की वेग सीमाएँ पूरी करे, और कच्चे या वनस्पतियुक्त अनुप्रस्थ काट के लिए पर्याप्त चौड़ी आरक्षित पट्टी ऐसी पट्टी है जो दोनों विकल्प खुले रखती है।

भाष्य. अपेक्षाओं 6.9.2(b)–(e), 6.9.3 और 6.9.4 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। अलग-अलग भूखंडों के चारों ओर चारदीवारी छत्तीसगढ़ में लगभग सर्वत्र है और सतही प्रवाह मार्गों के अवरुद्ध होने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दीवार के ओपनिंग के लिए 50% अवरोध की मान्यता खंड 6.6.3 के जाली अवरोध गुणक के अनुरूप रखी गई है। 3.5 m की पहुँच चौड़ाई इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है, जो एक छोटे खुदाई यंत्र या गाद निकालने वाले वाहन के लिए है। तुलना के लिए, APWA 5600 (2006, 5608.4) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 ft (लगभग 4.6 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अनिवार्य है।

6.10 निचले बिंदुओं और निम्न स्थानों पर जल का रुकना

6.10.1 **लघु घटना.** प्रत्येक निचले बिंदु पर लघु डिजाइन प्रवाह को इनलेट (अवरोध के बाद) द्वारा हटाया जाएगा, और रुके पानी का फैलाव तालिका 6.2 के भीतर रहेगा।

6.10.2 **1% AEP घटना.** प्रत्येक निचले बिंदु पर:

- (a) कैरिजवे के सबसे गहरे बिंदु पर रुके पानी की गहराई 350 mm से अधिक नहीं होगी;
- (b) एक सतही अतिप्रवाह मार्ग का प्रावधान किया जाएगा (उदाहरण के लिए नीचे किए गए कर्ब और फुटपाथ के ऊपर से किसी निर्दिष्ट सतही प्रवाह मार्ग में), ताकि रुके पानी का स्तर अतिप्रवाह स्तर से ऊपर न उठ सके; और
- (c) निचले बिंदु के आसपास भवनों के फर्श स्तर खंड 6.11 का अनुपालन करेंगे।

6.10.3 **पूर्ण-अवरुद्ध जाँच.** निचले बिंदुओं पर 1% AEP में रुके पानी के स्तर की गणना लघु प्रणाली को पूर्ण रूप से अवरुद्ध मानकर और सारे प्रवाह के सतही अतिप्रवाह मार्ग से निकलने की स्थिति में भी की जाएगी। निचले बिंदु के आसपास फर्श स्तर रुके पानी के दोनों स्तरों में से उच्चतर के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे।

6.10.4 **बंद निचले बिंदु.** जहाँ किसी निचले बिंदु का कोई सतही अतिप्रवाह मार्ग न हो, वहाँ इनलेट और वाहिकाएँ (अवरोध के बाद) 1% AEP प्रवाह ले जाएँगी, और अनुमोदन प्राधिकारी इस व्यवस्था पर सहमति देगा।

6.10.5 **सड़क अंडरपास.** सार्वजनिक सड़कों पर अंडरपास और अन्य बंद निचले बिंदु:

- (a) 2% AEP (50-वर्ष) प्रवाह के लिए डिजाइन की गई और 1% AEP प्रवाह पर जाँची गई लघु प्रणाली द्वारा जल निकासी वाले होंगे (जहाँ गुरुत्व से जल निकासी संभव न हो वहाँ अध्याय 9, खंड 9.9 के अंतर्गत पंपिंग सहित);
- (b) निचले बिंदु तक पहुँचने से पहले प्रवाह को रोकने के लिए दोनों पहुँच मार्गों पर पार्श्व इनलेट वाले होंगे;
- (c) जहाँ व्यवहार्य हो, ऊँचे किए गए पहुँच शिखरों (approach crests) द्वारा आसपास की सड़कों से आने वाले प्रवाह से सुरक्षित होंगे; और
- (d) गहराई चिह्नक और स्वचालित चेतावनी या बंद करने वाले संकेत वाले होंगे जो कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर सक्रिय हों।

भाष्य. पूर्ण-अवरुद्ध जाँच, बंद निचले बिंदु का नियम और अंडरपास की अपेक्षाओं का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। रायपुर में फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास 5–6 जुलाई 2026 की वर्षा घटना में जलमग्न हुए, जब टाटीबंध, शंकर नगर और मोवा में घुटनों से कमर तक पानी खड़ा था (प्रकाशित खबरों के अनुसार); इस वर्षा घटना की वर्षा की कोई गहराई नहीं बताई गई [TBC]। सड़कें पहले से ही प्रमुख प्रणाली का काम करती हैं: RMC ने शहर के नेटवर्क के 49% पर वर्षा जल ड्रेनें और 50 m या अधिक के

> सड़क के 11 हिस्से दर्ज किए जो वर्ष में दो या तीन बार जलभराव से ग्रस्त होते हैं (RMC, वर्षा जल निकासी के लिए AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना, 2015)। खंड 6.10.5(d) तालिका 6.2 की सड़क के शीर्ष पर 150 mm की गहराई सीमा को उस बिंदु से जोड़ता है जिस पर यातायात रुक जाना चाहिए।

6.11 भवनों के फर्श स्तर

6.11.1 सबसे निचला आवास योग्य तल, और प्रत्येक ऐसा ओपनिंग जिससे पानी भवन में प्रवेश कर सकता है (दरवाजे, रोशनदान, बेसमेंट के रैंप, लिफ्ट पिट और सेवा प्रवेश), **1% AEP बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर** होगा।

6.11.2 1% AEP बाढ़ स्तर निम्नलिखित में से उच्चतम है:

- (a) भवन से लगी सड़क या सतही प्रवाह मार्ग में 1% AEP प्रमुख प्रणाली का जल स्तर (खंड 6.9 और 6.10, निचले बिंदुओं पर पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित);
- (b) किसी नदी, चैनल, तालाब या जलाशय का 1% AEP बाढ़ स्तर (अध्याय 7); और
- (c) अध्याय 5 के टेलवाटर के साथ 1% AEP स्तर; और
- (d) जहाँ अनुमोदन प्राधिकारी ने खंड 7.3.4 के अंतर्गत 1% AEP बाढ़ गहराई मानचित्र अंगीकार किया हो, वहाँ भूखंड पर भूमि स्तर और मानचित्रित 1% AEP गहराई का योग।

6.11.3 **जहाँ कोई स्तर परिकलित न हो वहाँ डिफॉल्ट.** अध्याय 1 के सीमा-मानों से छोटे भूखंड के लिए, या जहाँ भूखंड के लिए कोई 1% AEP स्तर परिकलित न किया गया हो, सबसे निचला आवास योग्य तल और ओपनिंग कम से कम निम्नलिखित में से उच्चतर पर होंगे:

- (a) **उस सड़क के सबसे ऊँचे शीर्ष स्तर से 0.65 m ऊपर जिसकी ओर भूखंड का अग्रभाग है**; और
- (b) जहाँ कोई अंगीकृत 1% AEP बाढ़ गहराई मानचित्र भूखंड को आच्छादित करता हो, **भूमि स्तर, मानचित्रित 1% AEP गहराई और 0.5 m का योग**।

अनुमोदन प्राधिकारी कोई क्षेत्रीय मानचित्र, जैसे राज्य द्वारा अनुमोदित मानचित्र या मॉडल की गई 1% AEP बाढ़ गहराई का कोई प्रकाशित राष्ट्रीय मानचित्र (उदाहरण के लिए इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas)), तब तक के लिए अंगीकार कर सकता है जब तक कोई स्थानीय अध्ययन उसका स्थान न ले ले। जो मानचित्र तूफानी महोर्मि (storm surge) का मॉडल नहीं करता, उसका उपयोग खंड 6.11.6 के स्थान पर नहीं किया जाएगा।

6.11.4 **बेसमेंट.** प्रत्येक बेसमेंट के रैंप का शिखर और बेसमेंट के प्रत्येक ओपनिंग की देहली (sill) खंड 6.11.1 को पूरा करेगी। बेसमेंट की जल निकासी को नॉन-रिटर्न वाल्व के माध्यम से सतही ड्रेन तक पंप किया जाएगा।

6.11.5 **सेवाएँ.** किसी भवन की सेवा करने वाले विद्युत पैनल, ट्रांसफॉर्मर, स्टैंडबाय जनरेटर, लिफ्ट मशीनरी और पंप खंड 6.11.1 को पूरा करेंगे।

6.11.6 **तटीय पट्टी.** तटीय पट्टी समुद्र तट के साथ उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line) से स्थल की ओर **500 m** के भीतर की भूमि है, जैसा CRZ अधिसूचना, 2019 द्वारा परिभाषित है, और उच्च ज्वार रेखा वही है जो अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में सीमांकित है। जहाँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जोखिम रेखा (Hazard Line) 500 m से अधिक भीतर स्थित हो, वहाँ पट्टी जोखिम रेखा तक विस्तृत होती है। तटीय पट्टी के भीतर, खंड 6.11.1 से 6.11.5 के अतिरिक्त:

- (a) सबसे निचला आवास योग्य तल और प्रत्येक ओपनिंग **तटीय बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर** भी होगा, जो 1% AEP स्थिर जल स्तर (खंड 5.7.3(b), परिशिष्ट 5A) और खंड 5.7.4 की समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के **दोगुने** (अर्थात कम से कम 0.6 m) का योग है, क्योंकि भवनों की डिजाइन आयु 50 वर्ष से अधिक होती है (खंड 5.7.4(c));

- (b) जहाँ भूखंड का अग्रभाग खुले समुद्र तट की ओर हो, वहाँ तटीय बाढ़ स्तर में साइट अध्ययन से लहर उत्थान (wave set-up) सम्मिलित होगा;
- (c) कोई आवास योग्य कक्ष, विद्युत सेवा कक्ष या खंड 6.11.5 में सूचीबद्ध संयंत्र बेसमेंट में नहीं रखा जाएगा; और
- (d) बेसमेंट का प्रत्येक ओपनिंग, रैंप का शिखर और वायु-संचार ओपनिंग खंड 6.11.6(a) को पूरा करेगा।

खंड 6.11.6 ऐसे किसी निर्माण को प्राधिकृत नहीं करता जिसे CRZ अधिसूचना प्रतिषिद्ध करती है। जहाँ दोनों लागू हों, वहाँ अधिक कठोर प्रावधान निर्णायक होगा।

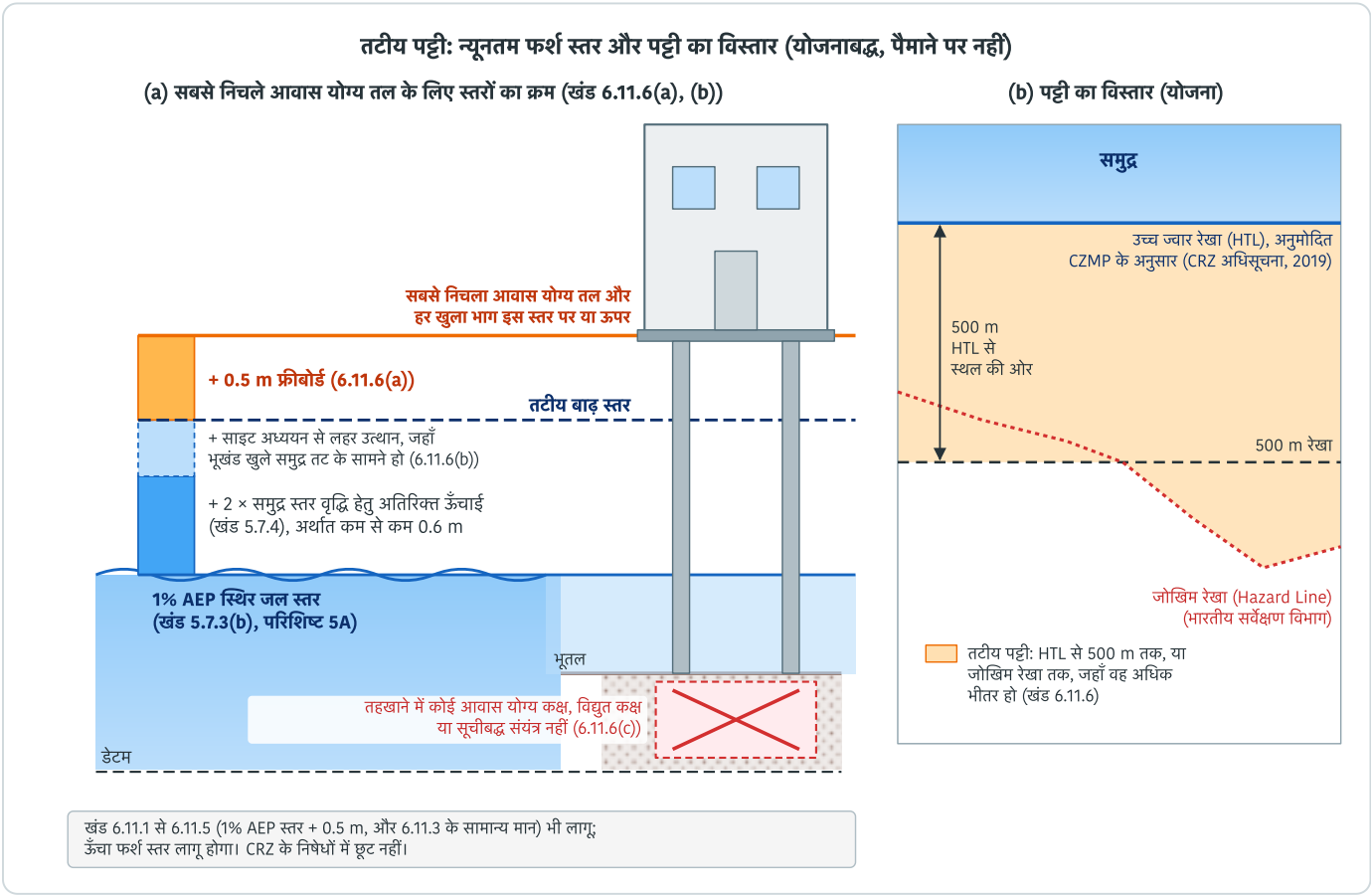

चित्र 6.5 — तटीय पट्टी: 1% AEP स्थिर जल स्तर, समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के दोगुने, भूखंड के खुले समुद्र तट की ओर होने पर लहर उत्थान और 0.5 m फ्रीबोर्ड से बना न्यूनतम फर्श स्तर; और पट्टी का विस्तार, उच्च ज्वार रेखा से 500 m तक या जोखिम रेखा के अधिक भीतर होने पर उस तक (खंड 6.11.6)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CRZ अधिसूचना, 2019 (पैरा 1(i) और Annexure IV) और PUB Singapore, Code of Practice on Surface Water Drainage (7th ed.), cl. 2.1.1 से रूपांतरित।

भाष्य. 1% AEP स्तर से ऊपर 0.5 m का फ्रीबोर्ड DID Malaysia 2008 की जाँच-सूची के अनुसार है (प्लेटफॉर्म और सबसे निचला तल 100-वर्ष ARI + 0.5 m पर)। यह 1% स्तर से 1 ft (लगभग 0.3 m) ऊपर की APWA 5600 (2006, 5601.8 A2) की अपेक्षा से अधिक है। खंड 6.11.3 का 0.65 m का डिफॉल्ट इस अध्याय की अन्य सीमाओं से व्युत्पन्न है, अलग से किसी स्रोत से नहीं लिया गया: सड़क के शीर्ष पर 1% जल स्तर 150 mm तक हो सकता है (तालिका 6.2), और उसमें 0.5 m का फ्रीबोर्ड जुड़ता है। इसका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह उन भूखंडों पर लागू होता है जहाँ कोई बाढ़ स्तर उपलब्ध नहीं है। URDPFI (2015) भी अपने डूब क्षेत्र के जोनिंग (floodplain zoning) में न्यूनतम प्लिंथ स्तरों को बाढ़ की आवृत्ति से जोड़ते हैं, जिसका विवरण अध्याय 7 में है।

खंड 6.11.3(b) किसी छोटे भूखंड को, जहाँ कोई स्थानीय अध्ययन न हो, केवल सड़क के स्तर से अनुमान लगाने के बजाय मानचित्रित 1% AEP गहराई का उपयोग करने देता है। मॉडल किए गए राष्ट्रीय मानचित्र स्थूल (लगभग 30 m) होते हैं, और अधिकांश वर्षा और नदी की बाढ़ का मॉडल करते हैं किंतु तूफानी महोर्मि का नहीं, इसीलिए 6.11.3 में सड़क के शीर्ष की जाँच रखी गई है और खंड 6.11.6 एक अलग तटीय

नियम निर्धारित करता है।

खंड 6.11.6 की तटीय पट्टी CRZ अधिसूचना, 2019 की 500 m रेखा का उपयोग करती है (G.S.R. 37(E), पैरा 1(i): "उच्च ज्वार रेखा से ... स्थल की ओर 500 मीटर तक का भूमि क्षेत्र" ("the land area from High Tide Line ... to 500 meters on the landward side")), क्योंकि प्रत्येक तटीय प्राधिकरण इसे पहले से मानचित्रित करता है और इसके लिए किसी नए सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बाढ़ और तटरेखा परिवर्तन का विस्तार दर्शाने के लिए सीमांकित जोखिम रेखा, जहाँ वह अधिक भीतर स्थित हो, पट्टी का विस्तार करती है (CRZ अधिसूचना, 2019, Annexure IV)। पट्टी तटीय स्तर को वर्षा मानचित्र से नहीं, बल्कि अध्याय 5 के संयुक्त-स्थिति वाले स्थिर जल स्तर से लेती है। उच्चतर मानक परिवेश को दर्शाता है: तटीय बाढ़ समुद्र के साथ उठती है, ज्वार के रहते उसकी निकासी नहीं की जा सकती, और समुद्र के साथ वह और ऊपर उठेगी। सिंगापुर भी यही दृष्टिकोण अपनाता है, अपने दक्षिणी तट पर डेटम से 4.0 m और उत्तरी तट पर 4.5 m के नियत न्यूनतम प्लेटफॉर्म स्तर के साथ, वर्षा बाढ़ स्तर चाहे जो हो (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 2.1.1)। प्रत्येक तटीय राज्य के ज्वार और महोर्मि स्तर उसके तट के साथ इतने अधिक बदलते हैं कि एक नियत स्तर उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह मैनुअल इसके बजाय परिकलित स्थिर जल स्तर का उपयोग करता है। समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के दोगुने का उपयोग खंड 5.7.4(c) की संवेदनशीलता स्थिति को डिजाइन स्थिति के रूप में लागू करता है, क्योंकि ड्रेन के विपरीत, भवन को बाद में आसानी से ऊँचा नहीं किया जा सकता। 6.11.6(c) का बेसमेंट प्रतिबंध इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: तटीय पट्टी में बेसमेंट वर्षा के साथ-साथ समुद्र से भी भरता है, और ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल में उसे पंप करके खाली नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, कोई उच्च ज्वार रेखा नहीं और कोई तटीय विनियमन क्षेत्र नहीं, इसलिए राज्य में तटीय पट्टी रिक्त है और खंड 6.11.6 वहाँ लागू नहीं होता। इसके स्थान पर खंड 6.11.3 और 6.11.4 महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के प्लिंथ और बेसमेंट संबंधी नियम उनके छत्तीसगढ़ पाठ में पढ़े नहीं गए [TBC]। 6 अक्तूबर 2018 के संशोधन ने प्लिंथ स्तर का निरीक्षण और प्लिंथ प्रमाण-पत्र जोड़ा, और नियम 73(3)(क) को प्रतिस्थापित किया, जिसके अंतर्गत 18 m तक ऊँचे भवन के लिए भूखंड की सीमा से 3 m और उससे ऊँचे भवन के लिए 6 m खाली छोड़ने के बाद बेसमेंट अनुमोदित किया जा सकता है; न यह संशोधन और न 29 अप्रैल 2020 का संशोधन कोई प्लिंथ ऊँचाई निर्धारित करता है, निचली या बाढ़-प्रभावित भूमि में बेसमेंट पर रोक लगाता है, या इन दोनों में से किसी को परिभाषित करता है; और 2009 में T&CP संचालनालय ने 10,000 sq ft से कम के बेसमेंटों के लिए अपना अनुमोदन अपेक्षित किया, क्योंकि बेसमेंट के स्थान का दुरुपयोग हो रहा था। नवा रायपुर अटल नगर में विकास योजना सड़क स्तरों को प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 से 1.0 m ऊपर रखती है (NRDA, नया रायपुर विकास योजना-2031), इसलिए सड़क के शीर्ष से खंड 6.11.3 के अंतर्गत निर्धारित तल उससे ऊपर रहता है। खंड 6.11.3, जो जहाँ कोई बाढ़ स्तर परिकलित न किया गया हो वहाँ सबसे निचले आवास योग्य तल और प्रत्येक ओपनिंग को सड़क के शीर्ष से 0.65 m ऊपर रखता है, और खंड 6.11.4, जो वही स्तर, या 1% AEP बाढ़ स्तर से 0.5 m ऊपर का स्तर, बेसमेंट के प्रत्येक रैंप के शिखर और बेसमेंट के प्रत्येक ओपनिंग की सिल पर लागू करता है, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं और भूमि विकास नियम के अतिरिक्त हैं; 2018 का प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96 और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q1) स्थिति, सेटबैक और विचलन जाँचता है पर कोई स्तर नहीं, और उनकी जाँच जोड़ने का स्वाभाविक चरण यही है (अध्याय 10)। तालाबों, झीलों और जलाशयों के पास, नदियों और नालों के साथ और हीराकुंड के बैकवाटर में अध्याय 7 की रेखाएँ भी लागू होती हैं, और कोयला क्षेत्रों में खनन से विक्षुब्ध भूमि पर स्थित भूखंड अपने तल और रैंप के स्तर डिजाइन के लिए किए गए स्तर सर्वेक्षण से लेगा (खंड 5.8.5(e))।

6.12 पुलिया और सड़क क्रॉसिंग

6.12.1 **डिजाइन AEP.** किसी ड्रेन या जलमार्ग के ऊपर सड़क ले जाने वाली पुलिया या पुल उस सड़क वर्ग के लिए तालिका 6.1 का डिजाइन AEP प्रवाह सड़क के ऊपर से बहे बिना, और अध्याय 9, खंड 9.4 की हेडवाटर सीमाओं के भीतर पारित करेगा। जहाँ जलमार्ग राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रॉसिंग हो, वहाँ डिजाइन AEP उस स्पैन के लिए IRC:SP:42-2014 §7.1.4 के AEP से भी कम नहीं होगा। दुर्लभतर AEP निर्णायक होगा।

6.12.2 **जाँच घटना और 1% AEP.** जाँच घटना और 1% AEP घटना पर क्रॉसिंग और सड़क मिलकर प्रवाह पारित करेंगे:

- (a) सड़क के शीर्ष पर ऊपर से बहने की गहराई ≤ 150 mm और सड़क के सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm के साथ;
- (b) तालिका 6.3 की जोखिम सीमाओं के भीतर;
- (c) अधिसूचित निष्क्रमण मार्ग वाली धमनी सड़कों के ऊपर से बिल्कुल भी बहे बिना; और
- (d) किसी प्रतिप्रवाह भवन या संपत्ति सीमा पर 1% AEP बाढ़ स्तर को विद्यमान स्थिति के स्तर से ऊपर उठाए बिना, जब तक प्रभावित स्वामी और अनुमोदन प्राधिकारी सहमत न हों।

6.12.3 **जहाँ ऊपर से बहने की अनुमति नहीं है.** 1% AEP घटना में ऊपर से बहने की अनुमति केवल वहीं है जहाँ संरचना का स्पैन 6 m से कम हो **और** 1% AEP चरम प्रवाह 7 m^3/s से अधिक न हो, जब तक ऊपर से बहने वाले खंड के अनुप्रवाह की ओर सुरक्षा रेलिंग (guard rail) न लगाई गई हो। अन्यथा क्रॉसिंग 1% AEP प्रवाह को ऊपर से बहे बिना पारित करेगी।

6.12.4 **अवरोध जाँच.** 1% AEP जाँच अवरुद्ध इनलेट के साथ दोहराई जाएगी:

- (a) 1.5 m से कम स्पैन या व्यास वाली पुलियों के लिए इनलेट क्षेत्रफल का 50% अवरुद्ध; और
- (b) बड़ी पुलियों के लिए 20% अवरुद्ध।

इस जाँच के परिणाम खंड 6.12.2(a) और (d) को पूरा करेंगे।

6.12.5 **न्यूनतम आकार.** सार्वजनिक सड़कों के नीचे पुलियों का व्यास कम से कम 900 mm होगा, या बॉक्स पुलियों के लिए 900 mm × 900 mm।

6.12.6 **हाइड्रोलिक डिजाइन.** पुलिया का हाइड्रोलिक्स, इनलेट और आउटलेट नियंत्रण, टेलवाटर, सड़क के ऊपर से बहना और आउटलेट सुरक्षा सहित, अध्याय 9, खंड 9.4 और 9.6 के अनुसार होगा।

> **भाष्य.** डिजाइन AEP तालिका 6.1 के हैं। ऊपर से बहने की सीमाएँ तालिका 6.2 की सड़क-गहराई सीमाएँ हैं। खंड 6.12.3 में स्पैन और प्रवाह का सीमा-मान APWA 5600 (2006) का SI रूपांतरण है: ऊपर से बहने की अनुमति केवल वहीं जहाँ संरचना का स्पैन 20 ft से कम हो और 1% चरम प्रवाह 250 cfs या उससे कम हो, जब तक अनुप्रवाह की ओर सुरक्षा बाड़ न लगाई गई हो। IRC:SP:42-2014 (§7.1.4) 2 m तक के स्पैन वाली NH/SH पुलियों के लिए 25-वर्ष और 2–6 m के स्पैन के लिए 50-वर्ष निर्धारित करता है। खंड 6.12.4 के अवरोध प्रतिशत और 900 mm के न्यूनतम आकार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 50% का मान जाली अवरोध गुणक के अनुरूप है।

6.13 छत्तीसगढ़ की निर्माण-पद्धति की अपेक्षाएँ

6.13.1 **ढकी सड़क किनारे की ड्रेन.** जहाँ कोई सड़क किनारे की ड्रेन फुटपाथ बनाने वाली स्लैबों से ढकी हो:

- (a) उसे ढकने की स्लैब के सॉफिट तक मापे गए तालिका 6.7 के फ्रीबोर्ड के साथ खुले चैनल के रूप में डिजाइन किया जाएगा, और उसकी HGL फुटपाथ और इनलेट स्तरों तक मापी जाकर खंड 6.8 को पूरा करेगी;
- (b) सड़क का अपवाह सड़क स्तर पर ड्रेन की दीवार में बने ओपनिंग से प्रवेश करेगा (खंड 6.6.1(b)), प्रत्येक में गाद संप होगा (खंड 6.6.7), और ये खंड 6.6.4 की दूरी पर होंगे;
- (c) फुटपाथ का अपवाह ढक्कन में बने स्लॉट या जालीदार ओपनिंग से प्रवेश करेगा, फुटपाथ पर रुककर नहीं; और
- (d) स्पष्ट अनुप्रस्थ काट (clear section) खंड 6.7.6(c) को पूरा करेगा।

6.13.2 **हटाने योग्य ढक्कन और प्रवेश द्वार.** ढकी ड्रेन में होंगे:

- (a) केंद्र से केंद्र **10 m** से अधिक नहीं की दूरी पर हटाने योग्य ढक्कन पैनल, प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई को ढकने वाला, धँसे हुए उठाने के बिंदुओं सहित, दो कर्मियों द्वारा या हाथ से चलने वाले उठाने के उपकरण से उठाया जा सकने वाला, और फुटपाथ के समतल;
- (b) प्रत्येक संगम, मोड़ और अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (change of section) के स्थान पर, और सीधे खंडों पर केंद्र से केंद्र **30 m** से अधिक नहीं की दूरी पर, कम से कम 0.6 m × 0.6 m के स्पष्ट प्रवेश द्वार वाले निरीक्षण कक्ष; और
- (c) अपने स्थान के यातायात या पैदल भार के लिए निर्धारित ढक्कन (अध्याय 9, खंड 9.11)।

6.13.3 **गाद-जाल.** खंड 6.6.7 के इनलेट संपों के अतिरिक्त, गाद-जाल कक्ष बनाए जाएँगे:

- (a) धमनी सड़क के नीचे की प्रत्येक पुलिया से प्रतिप्रवाह की ओर;
- (b) प्रत्येक पंपिंग स्टेशन और अस्थायी भंडारण सुविधा से प्रतिप्रवाह की ओर; और
- (c) किसी तालाब, नदी या अन्य जलाशय में प्रत्येक आउटफॉल पर (अध्याय 8 द्वारा अपेक्षित स्थूल प्रदूषक जाल सहित)।

प्रत्येक गाद-जाल का आकार परिशिष्ट 6B के तलछट उत्पादन का उपयोग करते हुए निर्धारित सफाइयों के बीच अपेक्षित तलछट रखने के लिए निर्धारित किया जाएगा, और वह गाद निकालने वाले वाहन की पहुँच में होगा।

6.13.4 **कचरा और स्थूल प्रदूषक जालियाँ.** जहाँ कोई खुली ड्रेन किसी ढकी ड्रेन, पाइप या पुलिया में प्रवेश करती है, वहाँ और अध्याय 8 के अंतर्गत आउटफॉल पर जालियाँ लगाई जाएँगी। प्रत्येक जाली:

- (a) अध्याय 9, खंड 9.8 के अंतर्गत डिजाइन की जाएगी;
- (b) में बाईपास या अतिप्रवाह होगा, ताकि पूर्ण रूप से ढकी जाली संपत्तियों या सड़क में इस अध्याय की सीमाओं से अधिक बाढ़ न लाए; और
- (c) की हाइड्रोलिक जाँच उसके 50% क्षेत्रफल को अवरुद्ध मानकर की जाएगी।

6.13.5 **ड्रेन के ऊपर कोई भवन नहीं.** किसी सार्वजनिक ड्रेन के ऊपर अनुमोदित क्रॉसिंग या हटाने योग्य ढक्कन के सिवाय कोई संरचना नहीं बनाई जाएगी। ड्रेन को पार करने वाले दुकानों के अग्रभाग, रैंप और सीढ़ियाँ हटाने योग्य होंगी या ऐसे प्रवेश द्वार छोड़ेंगी जो खंड 6.13.2 को पूरा करें।

6.13.6 **उपयोगिता सेवाएँ.** कोई जल मुख्य पाइप, सीवर, बिजली या दूरसंचार केबल, गैस पाइप या डक्ट किसी ड्रेन के प्रवाह क्षेत्र या फ्रीबोर्ड के साथ-साथ नहीं बिछाई जाएगी, न उससे होकर गुजरेगी। किसी ड्रेन को पार करने वाली उपयोगिता सेवा:

- (a) एक स्लीव के भीतर ढक्कन के सॉफिट से ऊपर या ड्रेन के इनवर्ट से नीचे पार होगी; और
- (b) जल निकासी नक्शे पर अपने स्तर सहित दर्शाई जाएगी।

जहाँ कोई विद्यमान उपयोगिता क्रॉसिंग किसी ड्रेन को अवरुद्ध करती हो, वहाँ उसका क्षेत्रफल, उसमें फँसने वाले कचरे के लिए 50% अवरोध प्रावधान के साथ, उपयोगिता के स्थानांतरित होने तक ड्रेन के अनुप्रस्थ काट (section) से घटाया जाएगा। ड्रेन के पुनर्निर्माण के समय उपयोगिता स्वामी उसे स्थानांतरित करेगा।

6.13.7 **सीवेज.** किसी वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन अनुमत नहीं है (अध्याय 8)। जहाँ ढकी ड्रेन सीवर के पास से गुजरती हैं, वहाँ उन्हें सीलबंद जोड़ों के साथ बनाया जाएगा।

6.13.8 **किनारा सुरक्षा.** फुटपाथ, कैरिजवे या सार्वजनिक खुले स्थान के पास 1.0 m से अधिक गहरी खुली ड्रेन पर रेलिंग या अवरोधक होंगे। किसी भी गहराई की खुली ड्रेन फुटपाथ के आर-पार बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।

6.13.9 **यथा-निर्मित स्तर.** प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन, पाइप और मैनहोल के यथा-निर्मित इनवर्ट स्तरों का सर्वेक्षण करके उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा (अध्याय 10)। इनवर्ट डिजाइन के ±15 mm के भीतर होंगे। जहाँ ऐसा न हो, वहाँ HGL की पुनः जाँच प्रस्तुत की जाएगी।

6.13.10 **गाद निकासी.** सार्वजनिक ड्रेन से प्रत्येक वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले गाद निकाली जाएगी, जैसा अध्याय 10 में निर्धारित है।

भाष्य. खंड 6.13 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे छत्तीसगढ़ की पद्धति के आधार पर निर्धारित करता है। राज्य की अधिकांश शहरी ड्रेनें फुटपाथों के नीचे ढकी सड़क किनारे की ड्रेनें हैं। इन्हें अक्सर स्थल पर ढाली गई सतत स्लैबों और बहुत कम ओपनिंग के साथ बनाया जाता है, इसलिए इन्हें साफ नहीं किया जा सकता और एक ही मौसम में ये गाद और ठोस अपशिष्ट से भर जाती हैं। CPHEEO (2019) के अनुसार खुले चैनलों में "कचरा फेंके जाने की प्रवृत्ति रहती है" ("are prone to the dumping of garbage") (Part A, Ch 2), इसीलिए ड्रेनें ढकी जाती हैं। प्रवेश द्वारों के बिना ढकना समस्या को केवल आँखों से ओझल कर देता है। NDMA (2010) सिफारिश करता है कि मानसून-पूर्व गाद निकासी 31 मार्च तक पूरी हो जाए। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः जगदलपुर में 11–13 जून को, रायपुर और पेंड्रा रोड में 16 जून को और बिलासपुर में 17 जून को पहुँचता है, और सामान्यतः पेंड्रा रोड से 7 अक्तूबर को, बिलासपुर से 8 अक्तूबर को, रायपुर से 9 अक्तूबर को और जगदलपुर से 12–14 अक्तूबर को वापस चला जाता है (IMD, नए सामान्य मान); IMD का मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर राज्य के लिए 10 जून और 15 अक्तूबर लेता है। इसलिए खंड 6.13.10 दक्षिण-पश्चिम मानसून का उल्लेख करता है, और अध्याय 10 में यह अपेक्षा है कि गाद निकासी और ड्रेन कार्य 31 मई तक, या बस्तर संभाग में, जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, 25 मई तक पूरे हों; गेट, फ्लैप गेट, पंप और स्टैंडबाय जनरेटर राज्य में हर स्थान पर सामान्य आगमन से पहले, 10 जून तक, तैयार प्रमाणित किए जाते हैं और परीक्षण के रूप में चलाए जाते हैं (खंड 5.11.5 और 5.12.9); और पंप और गेट अंतिम सामान्य वापसी के बाद, 20 अक्तूबर तक, या बस्तर संभाग में 31 अक्तूबर तक, स्टैंडबाय पर रहते हैं, क्योंकि 1891 और 2014 के बीच राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफानों और अवदाबों में से 21 अक्तूबर में आए (IMD)। बड़ी वर्षा घटनाएँ जून में भी होती हैं: 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm और 30 जून 2007 को रायपुर में 297.0 mm वर्षा दर्ज हुई (IMD)। शोध के दौरान UADD का या किसी नगर निगम का पूरा होने की तिथि वाला गाद निकासी का कोई आदेश नहीं मिला [TBC]; जुलाई 2026 की रायपुर की बाढ़ के बाद निवासियों ने अपर्याप्त गाद निकासी को दोषी ठहराया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए ये तिथियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 का किसी ड्रेन के ऊपर निर्माण पर कोई नियम उसके छत्तीसगढ़ पाठ में पढ़ा नहीं गया [TBC]। यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 भी उसके छत्तीसगढ़ रूप में पढ़ा नहीं गया; अपने मध्य प्रदेश पाठ में वह आयुक्त को यह अपेक्षा करने देता है कि निगम में निहित किसी ड्रेन के ऊपर बनाया गया भवन गिरा दिया जाए (धारा 198) [TBC]। प्राकृतिक ड्रेनें और WRD की ड्रेनें जल निकासी आरक्षित पट्टी (खंड 6.9) वाले खुले चैनल हैं, और उन्हें ढका, डेक किया या उन पर निर्माण नहीं किया जाना चाहिए: रायपुर की ड्रेनें अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह जाने की बात कही गई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जहाँ कोई ड्रेन ढकी हो, वहाँ उस पर खंड 6.13.2 पूर्ण रूप से लागू होता है; जहाँ वह किसी फुटपाथ या कैरिजवे के साथ खुली हो, वहाँ खंड 6.13.8 लागू होता है।

खंड 6.13.7 अभी व्यवहार में नहीं है। जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने NGT को बताया कि सीवरेज प्रणाली केवल बिलासपुर में थी (CECB, 2021); रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अन्य नगरों में सलेज और सेप्टिक टैंक का बहिःस्राव वर्षा जल ड्रेनों और नालों में बहकर खारुन, शिवनाथ और अरपा तक जाता है, और उनके लिए बनाए गए शोधन संयंत्र नालों का उनके आउटफॉल पर अवरोधन करते हैं। खंड 8.9 यह निर्धारित करता है कि कनेक्शन हटाए जाने तक वर्षा जल ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह का सर्वेक्षण और अवरोधन कैसे किया जाए, जिसमें यह नियम भी सम्मिलित है कि अवरोधन ड्रेन की क्षमता को कम नहीं करेगा (खंड 8.9.5(b))।

10 m और 30 m की दूरियों और ±15 mm की सहनसीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। खंड 6.13.6 ड्रेन से होकर गुजरते जल मुख्य पाइपों और केबलों के आम दृश्य का उत्तर है। प्रत्येक ऐसी सेवा कचरा फँसाती है और अनुप्रस्थ काट को कम करती है। पूरे अध्याय में हाथ से प्रवेश के बजाय ढक्कन के ओपनिंग से यांत्रिक सफाई मानी गई है, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) के अनुरूप है।

6.14 आउटफॉल

6.14.1 आउटफॉल अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों के लिए डिजाइन किए जाएँगे। 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉल में फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व होंगे (अध्याय 5 और अध्याय 9, खंड 9.10)।

6.14.2 आउटफॉल सुरक्षा और ऊर्जा क्षय अध्याय 9, खंड 9.6 के अंतर्गत डिजाइन किए जाएँगे। तालाबों और जलाशयों में आउटफॉल अध्याय 7 और 8 को भी पूरा करेंगे।

6.15 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

प्रत्येक वहन प्रस्तुति में एक **वहन डिजाइन रिपोर्ट** (प्रपत्र 6-1) सम्मिलित होगी, जिसमें होंगे:

1. उप-जलग्रहण क्षेत्रों, लघु प्रणाली, इनलेट के स्थानों और 1% AEP घटना के लिए प्रमुख प्रणाली के सतही प्रवाह मार्गों को दर्शाने वाला जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा (खंड 6.3.2);
2. प्रत्येक अवयव के लिए लिया गया भूमि-उपयोग और सड़क-वर्ग AEP (तालिका 6.1), और उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति;
3. अध्याय 2 के वर्षा पत्रक और अध्याय 3 की विधि सहित डिजाइन प्रवाह;
4. लघु, जाँच और 1% घटनाओं के लिए कर्ब चैनल फैलाव, गहराई और D·V की जाँच (तालिका 6.2 और 6.3);
5. स्वच्छ क्षमता, अवरोध गुणक, डिजाइन क्षमता और बाईपास प्रवाह सहित इनलेट अनुसूची (खंड 6.6);
6. n, वेग, तलछट प्रावधान और फ्रीबोर्ड सहित पाइप और ड्रेन डिजाइन तालिकाएँ (खंड 6.7);
7. प्रयुक्त टेलवाटर सहित लघु और जाँच घटनाओं के लिए HGL प्रोफाइल (खंड 6.8);
8. पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित निचले बिंदुओं पर जल रुकने के स्तर (खंड 6.10);
9. प्रत्येक भवन के लिए फर्श-स्तर अनुसूची (खंड 6.11);
10. पुलिया और क्रॉसिंग की गणनाएँ (खंड 6.12 और अध्याय 9); और
11. उपयोगिता-क्रॉसिंग अनुसूची और ढकी ड्रेन के लिए प्रवेश द्वारों का लेआउट (खंड 6.13)।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). *Manual on Storm Water Drainage Systems*, Volume I, Part A: Engineering Design. Tables 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.11, 5.12, 6.2, 11.2, 11.5; §5.3, §5.6.2, Fig. 5.9. https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf
- PUB Singapore (2018, with Addendum No. 3, April 2025). *Code of Practice on Surface Water Drainage*, 7th edition. Clauses 1.1, 2.1.1, 5.1, 5.3, 9.6, 9.7 and Appendix 1 (Drainage Reserve Requirements). https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/Code-of-Practices-and-Submission-Guidelines/Surface-Water-Drainage/Code-of-Practice-on-Surface-Water-Drainage.pdf
- Indian Roads Congress (2013). IRC:SP:50-2013, *Guidelines on Urban Drainage* (First Revision). https://law.resource.org/pub/in/bis/irc/irc.gov.in.sp.050.2013.pdf
- Indian Roads Congress (2014). IRC:SP:42-2014, *Guidelines on Road Drainage* (First Revision). https://law.resource.org/pub/in/bis/irc/irc.gov.in.sp.042.2014.pdf
- Bureau of Indian Standards. IS 7784 (Part 1): 1993, *Code of practice for design of cross drainage works, Part 1: General features* (CPHEEO 2019 Table 5.12 में उद्धृत रूप में)।
- Federal Highway Administration (2024). *Urban Drainage Design Manual*, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th edition, FHWA-HIF-24-006. (3rd edition 2009, FHWA-NHI-10-009.)
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). *Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities* (5601.8, 5604.2, 5608.4). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf ; और Version 2025.01 (Dec 2025)।
- Australian Institute for Disaster Resilience (2014). *Australian Disaster Resilience Guideline 7-3: Technical flood risk management guideline: Flood hazard*. Tables 1 and 2. https://knowledge.aidr.org.au/media/1891/guideline-7-3-technical-flood-risk-management.pdf
- Smith, G.P. and Wasko, C.D. (2012). *Australian Rainfall and Runoff Revision Project 15: Two-dimensional modelling in urban and rural floodplains*. Engineers Australia.
- Ball, J. et al. (eds) (2019). *Australian Rainfall and Runoff: A Guide to Flood Estimation*, Book 6 (Chapters 6 and 7). Commonwealth of Australia (Geoscience Australia).
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). *Submission Checklist for Stormwater Management*; और (2012) *Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA)*, 2nd edition।
- Gupta, K. *Return Period and Rainfall Intensity for Drainage Design in India*. IIT Bombay. https://www.civil.iitb.ac.in/~kgupta/drainagedesign.pdf
- Raipur Municipal Corporation (2015). *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (वर्षा जल निकासी के लिए AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना, दिनांक 4 नवंबर 2015: कवरेज 49%, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें, जलभराव से ग्रस्त सड़क के 11 हिस्से, ₹1,191 करोड़ का प्रस्ताव), RMC की वेबसाइट की एक संग्रहीत प्रति से पढ़ी गई, http://web.archive.org/web/20171026145318/http://nagarnigamraipur.nic.in:80/Document/c27f65b0-87f4-4c1a-8786-a52aca61ecc2__Raipur_%20SLIP_Storm%20water%20drainage_4.11.15.pdf
- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, अध्याय 7–9 (सड़क जल निकासी; प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर सड़क स्तर; IRC:SP:50) और 10 (वर्षा जल निकासी: 5-वर्ष की डिजाइन तीव्रता), NRDA की वेबसाइट की संग्रहीत प्रतियों से पढ़ी गई। https://web.archive.org/web/20150807050828/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf (Chapter_10-12.pdf; अध्याय 7–9 25 जुलाई 2015 के कैप्चर से, Chapter_7-9.pdf)

- Comptroller and Auditor General of India. Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022, Government of Chhattisgarh, Chapter II, *Implementation of AMRUT* (जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज, हरित स्थान; कोई जल निकासी घटक नहीं)। https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Chhattisgarh Environment Conservation Board. NGT O.A. 593/2017 में रिपोर्ट, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (सीवरेज प्रणाली केवल बिलासपुर में; रायपुर के नालों पर शोधन संयंत्र और डायवर्जन वियर)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- India Meteorological Department (2020). 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, *New normal dates of onset/progress and withdrawal of southwest monsoon* (Pai et al.), Table 2 (जगदलपुर, रायपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर), https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf ; Meteorological Centre Raipur, *Monsoon Report 2020* (सामान्य आगमन 10 जून, वापसी 15 अक्तूबर); और *Climate of Chhattisgarh* (2015) (चक्रवाती तूफान और अवदाब 1891–2014; दुर्ग और रायपुर में 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा), https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- समाचार रिपोर्टें: 5–6 जुलाई 2026 के रायपुर के जलभराव पर (The Hitavada), https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/7/6/heavy-monsoon-spell-exposes-civic-flaws-waterlogging-disrupts-traffic-sewage-enters-homes.html , और रायपुर में गाद निकासी और अतिक्रमित ड्रेनों पर (Patrika, 11 जुलाई 2026); सितंबर 2025 में बिलासपुर पर (The Hitavada), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/9/5/rain-exposes-bilaspurs-smart-city-claims.html , और जुलाई 2026 में (The Hitavada; Dainik Jagran); रायपुर के तालाबों पर (Down To Earth, 2015), https://www.downtoearth.org.in/coverage/in-srinagars-footsteps-48224 ; और भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों पर (The Hitavada, 13 जुलाई 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/13/Commissioner-issues-warning-to-BSP-over-poor-drain-cleaning-in-Township.html
- National Disaster Management Authority (2010). *National Guidelines: Management of Urban Flooding*.
- MoHUA / TCPO (2015). *URDPFI Guidelines*, Volume I.
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2019). *Coastal Regulation Zone Notification, 2019*, G.S.R. 37(E), 18 January 2019. Para 1(i) and Annexure IV. https://crz.elaw.in/crz2019.html
- Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh. Amendments to the *Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984* (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन), made under s.85(1) read with s.24(3) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973: No. F 7-27/2017/32 of 6 October 2018 (नियम 73(3)(क), बेसमेंट; नियम 96 और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q1, प्लिंथ प्रमाण-पत्र; भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q, निकटतम प्रमुख ड्रेन की दूरी पूछने वाला स्थल-निरीक्षण प्रपत्र), T&CP की वेबसाइट की एक संग्रहीत प्रति से पढ़ा गया, http://web.archive.org/web/20240302142422/https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/cg-BVN-amendment-6-10-2018.pdf ; और No. F 07-24/2019/32 of 29 April 2020 (कोई जल निकासी विषय-वस्तु नहीं)। समेकित छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया; विरासत में मिला 1984 का पाठ (नियम 50(b) और (f)) मध्य प्रदेश के नियमों की एक तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया। https://www.legitquest.com/act/madhya-pradesh-bhumi-vikas-rules-1984/D2B8
- Directorate of Town and Country Planning, Chhattisgarh. Letter No. 2507/नग्रानि/09 of 30 November 2009 (10,000 sq ft से कम के बेसमेंटों का अनुमोदन); धारा 16 के अंतर्गत रिपोर्ट-प्रपत्र, letter No. 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 of 23 June 2011 (नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्तता; जलभराव; नहर, नाले या नदी से दूरी), https://web.archive.org/web/20160806081555/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_48.PDF ; और checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011 (नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD

का उच्च बाढ़ बिंदु), https://web.archive.org/web/20160806082300/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_90.PDF ; सभी T&CP की वेबसाइट की संग्रहीत प्रतियों से पढ़े गए।

- Housing and Environment Department. Amendment of 17 December 2008, No. एफ 7-26/32/2008 (एकीकृत उपनगर; भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण: किसी बारहमासी नदी के पास नहीं), https://web.archive.org/web/20160806135310/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/dt-17-12-2008.PDF ; और अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम, धारा 7(1) (चार), CG Rajpatra of 26 April 2002, https://web.archive.org/web/20160806081528/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_191.PDF
- Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran. Letter No. 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022 of 21 June 2022, जिसके साथ notification No. 4066 of 23 May 2022 अग्रेषित है (1973 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन), https://web.archive.org/web/20240304202809/https://tcp.cg.gov.in/Circular/CG_TCP_ACT_1973/nava%20raipur-%2021-6-22.pdf ; और Housing and Environment Department letter No. F 07-02/2019/32 of 14 February 2019 (WPC 25/2016 और 2696/2016 में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण), https://web.archive.org/web/20240302142039/https://tcp.cg.gov.in/Circular/General/ARPA-14-2-2019.pdf
- *Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959* (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959), धारा 248 और 251, एक तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ी गई; National Green Tribunal, Central Zone, O.A. 78/2024 (बलौदा के तालाब), कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की रिपोर्ट। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- *Municipal Corporation Act, 1956* और *Municipalities Act, 1961*, छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित (छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए; धाराएँ 1956 के अधिनियम के मध्य प्रदेश पाठ से उद्धृत)।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017*, नियम 4; और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण पर समाचार रिपोर्टें: करबला तालाब पर (The Hitavada, 12 अक्तूबर 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/10/12/wetland-authority-halts-rs-15-cr-work-at-karbala-talab-over-rule-violations.html , नरैया तालाब (Narhaiya Talab) पर (The Hitavada, 27 जुलाई 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/27/toy-train-plan-in-narhaiya-talab-buffer-sparks-probe-by-cswa.html , और झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि पर (The Hitavada, 4 मार्च 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/3/4/CGSWA-intervenes-directs-NRANVP-to-withdraw-Jhanjh-Wetland-tenders.html
- Government of India. *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013*.

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
6A	छत्तीसगढ़ के लिए मानक इनलेट प्रकार और उनके क्षमता वक्र (ढलान पर और निचले बिंदु पर)
6B	गाद-जाल के आकार निर्धारण और तलछट प्रावधान के अंशांकन के लिए तलछट उत्पादन
6C	मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, निरीक्षण कक्ष, गाद संप सहित इनलेट
प्रपत्र 6-1	वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 7

जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक

7.1 प्रयोजन और विस्तार

7.1.1 यह अध्याय जलाशयों (waterbodies) को जल निकासी प्रणाली का भाग मानता है। यह निम्नलिखित के लिए नियम निर्धारित करता है:

- (a) प्रत्येक उस जलाशय की पहचान और मानचित्रण, जिस पर कोई विकास या लोक निर्माण कार्य प्रभाव डालता है;
- (b) जलाशयों के चारों ओर सेटबैक (छोड़ी जाने वाली दूरी) जोन, और प्रत्येक जोन में अनुमत उपयोग;
- (c) बाढ़-प्रवण भूमि में भराई (fill), और जहाँ भराई की अनुमति है वहाँ आवश्यक प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage);
- (d) तालाब शृंखला (tank cascade) सहित तालाब (talab) के भंडारण को डिजाइन भंडारण के रूप में गिनना;
- (e) तालाबों और पोखरों का पुनर्स्थापन और उनसे गाद निकालना;
- (f) आपूर्ति चैनलों (supply channels), अतिरिक्त जल मार्गों (surplus courses), इनलेट और आउटलेट का संरक्षण;
- (g) आर्द्रभूमियाँ, दलदल और ज्वारनदमुख, जिनका अर्थ छत्तीसगढ़ में, जहाँ न कोई तट है और न ज्वारीय जल, बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय है, जो राज्य का पहला रामसर स्थल है, 2017 के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी आर्द्रभूमि (कोई अधिसूचित आर्द्रभूमि नहीं मिली), 2.25 ha से बड़े वे तालाब (talab) और आर्द्रभूमियाँ जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, जैसे रायपुर में करबला तालाब और नरैया तालाब (Narhaiya Talab) और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि (प्रकाशित खबरों के अनुसार), शहरी तालाब और नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय, नदियों के डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ और निचले गड्ढे, खदान झीलें, और राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित तालाब, बाँध (bandh) और डबरियाँ (dabri);
- (h) अतिक्रमण और उसे हटाने से संबंध;
- (i) क्षेत्रीय तालाब भंडारण के लिए एवज शुल्क (fee-in-lieu) अंशदान (अध्याय 4 के साथ); और
- (j) तालाब के बाँधों (tank bunds) और अन्य तटबंधों की सुरक्षा।

7.1.2 यह अध्याय प्रत्येक उस विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर अध्याय 1 के अंतर्गत यह मैनुअल लागू होता है और जो:

- (a) किसी जलाशय से सटा है या पूर्णतः या अंशतः उसके सेटबैक (खंड 7.4) के भीतर स्थित है;
- (b) अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण के विस्तार के भीतर, सीधे या किसी ड्रेन के माध्यम से, किसी जलाशय में पानी छोड़ता है; या
- (c) किसी जलाशय, उसके बाँध, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग में परिवर्तन करता है।

7.1.3 जहाँ कोई कानून या सांविधिक नियम अधिक चौड़ा सेटबैक या अधिक कठोर प्रतिबंध निर्धारित करता है, वहाँ वह कानून लागू होगा (खंड 1.3.3)। इस अध्याय की कोई बात किसी ऐसे कार्य को प्राधिकृत नहीं करती जिसका निषेध छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (धारा 237, 248 और 251), छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और उसके अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम (धारा 7(1)(iv)), आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, या कोई अन्य विधि करती है।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में झीलों, तालाबों या पोखरों के संरक्षण के लिए अलग से कोई अधिनियम नहीं है। इसके तालाब (talab), डबरियाँ (dabri) और जलाशय इसके बजाय राजस्व विधि, नगरपालिका विधि, निवेश विधि और उसके अंतर्गत बने भवन नियमों, आर्द्रभूमि नियमों और न्यायालयों द्वारा संरक्षित होते हैं। गाँवों में, अनधिभोगित भूमि पर स्थित हर वह तालाब जिस पर ग्राम समुदाय सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों का प्रयोग करता था, उन अधिकारों को छीने बिना "6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण" (अर्थात् 6 अप्रैल 1959 से पूर्णतः) निहित हुआ (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251, एक तृतीय-पक्ष प्रति में पढ़ी गई); कलेक्टर निस्तार के प्रयोग के लिए भूमि पृथक रख सकता है, जिसमें तालाब भी आते हैं (धारा 237); और जो व्यक्ति ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करता है उस पर शास्ति लगती है और तहसीलदार उसे संक्षिप्त रूप से बेदखल कर सकता है (धारा 248)। इस मार्ग का प्रयोग हुआ है: नगर पंचायत बलौदा में "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body") भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का कलेक्टर को निर्देश देने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (केंद्रीय क्षेत्र) के 14 नवंबर 2024 के आदेश पर, तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई (O.A. 78/2024, तहसीलदार की 27 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट)। नगरों में, सार्वजनिक तालाब, धाराएँ और ड्रेनें नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थानीय निकाय में निहित होती हैं, जो छत्तीसगढ़ द्वारा अनुकूलित मध्य प्रदेश के अधिनियम हैं। इनके छत्तीसगढ़ पाठ इस मैनुअल के लिए पढ़े नहीं गए; 1956 के अधिनियम का मध्य प्रदेश पाठ सार्वजनिक तालाबों, धाराओं और ड्रेनों को निगम में निहित करता है और निहित तालाब के "किसी अन्य प्रयोजन" ("any other purpose") के लिए उपयोग पर रोक लगाता है (धारा 82), ड्रेनों और शौचालयों को सार्वजनिक जल प्रदाय के लिए प्रयुक्त तालाब से सौ फुट दूर रखता है (धारा 199), और एक पुरानी स्वच्छता-शक्ति बनाए रखता है जो उलटी दिशा में काम करती है, जिसके अंतर्गत किसी स्वामी से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक निजी तालाब को भरने या उसका पानी निकालने की अपेक्षा की जा सकती है (धारा 202), और छत्तीसगढ़ का पाठ भी यही है या नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है [TBC]। **यह मैनुअल प्रत्येक अभिलिखित तालाब को जल निकासी अवसंरचना मानता है।** तालाब जल निकासी प्रणाली में भंडारण और वहन है, और उसे भरना, चाहे स्वच्छता-शक्ति के अंतर्गत हो या अन्यथा, वह भंडारण समाप्त कर देता है; इस मैनुअल के अंतर्गत कोई डिजाइन किसी अभिलिखित तालाब के भरे जाने को न मानेगा, न उस पर निर्भर करेगा, जब तक कि अध्याय 3 से 5 के अंतर्गत जल निकासी आकलन यह न दर्शाए कि उसका भंडारण कहाँ जाता है, और खोए भंडारण की प्रतिपूर्ति खंड 7.6.4 के अंतर्गत न की जाए (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाओं में "अभिलिखित तालाब" देखें)। जो तालाब स्वास्थ्य के लिए जोखिम है, उसका उपचार किया जाना है (गाद निकालना, इनलेट पर जाली लगाना और सीवेज को बाहर रखना, खंड 7.9 और 8.9), उसे भरा नहीं जाना है। निवेश विधि तीन रोकें जोड़ती है। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम ऐसे निर्माण के नियमितीकरण का निषेध करता है जो "जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर" स्थित है, अर्थात् किसी जलाशय या तालाब के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर (धारा 7(1)(iv)); भूमि विकास नियम, 1984 ऐसे भवन स्थल को अस्वीकार करते हैं जो नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्त है, जिसमें विरासत में मिले 1984 के पाठ में जल के निकट के स्थल और वे स्थल आते हैं जिनकी उचित जल निकासी नहीं है (छत्तीसगढ़ का पाठ [TBC]; खंड 7.4, प्रकटन); और एकीकृत उपनगर (integrated township) किसी बारहमासी नदी से लगी भूमि पर स्थित नहीं हो सकते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 17 दिसंबर 2008)। आर्द्रभूमियाँ **छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण** का विषय हैं, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई उसकी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के 17 दिसंबर 2021 के आदेश से पुनर्गठित हुआ (एक अन्य स्रोत 1 जुलाई 2020 बताता है), और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उसका नोडल विभाग है; उसने रायपुर के तालाबों के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि के पास कार्य रुकवाए हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल है। इस मैनुअल के लिए नदियों के डूब क्षेत्रों का जोनिंग करने वाला कोई राज्य कानून या आदेश नहीं मिला, और न किसी नदी के डूब क्षेत्र का WRD द्वारा कोई सीमांकन (खंड 7.4, प्रकटन)। दो विशेषताएँ छत्तीसगढ़ को अलग करती हैं। पहली मैदान का शहरी तालाब समूह है: रायपुर तालाबों का शहर है, जिसमें लगभग 130 तालाब होने की सूचना है, जिनमें से लगभग 37 से 40 बचे हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं), जो कॉलोनी के नालों और अतिप्रवाह मार्गों से जुड़े हैं जो खारुन तक जाते हैं, और उसके छोटे नगर और गाँव निचली कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) भूमि पर तालाबों, बाँधों (bandh) और डबरियों का यही स्वरूप बनाए रखते हैं। दूसरी कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्र और बिजली संयंत्र हैं, जहाँ खदान के गड्ढे और खदान झीलें खनन नियमों और पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत किसी पट्टाधारी के पास रहने वाले जलाशय हैं, ओवरबर्डन डंप अपवाह और तलछट के सबसे बड़े स्रोतों में हैं, और बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड ऐसे राखड़ बाँधों के पीछे रोके जाते हैं जो टूट चुके हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); यह अध्याय इन्हें सूची में लाता है और वे शर्तें निर्धारित करता है जिन पर इन्हें प्राप्तकर्ता जलाशय माना

जा सकता है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। यह अध्याय वे डिजाइन नियम देता है जो जलाशय के भंडारण और वहन का संरक्षण करते हैं। यह उन राजस्व, नगरपालिका, निवेश, खनन और आर्द्रभूमि प्रक्रियाओं का, जो विधि में जलाशयों को अभिलिखित और संरक्षित करती हैं, या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का स्थान नहीं लेता।

7.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
जलाशय (waterbody)	कोई नदी (जैसे महानदी, शिवनाथ, खारुन, अरपा, हसदेव, मांड, केलो, मनियारी, इंद्रावती और सबरी), प्राकृतिक ड्रेन या नाला (nala; नरवा, narwa), नहर, जलाशय (reservoir; jalashay) या बैराज का जलाशय (जैसे गंगरेल (रविशंकर सागर), मिनीमाता बांगो, खारंग (Kharang), मनियारी, केलो डैम और कोपरा जलाशय, और दर्री, मोंगरा और भैंसाझार (Bhaisajhar) के बैराजों के जलाशय), झील (जैसे नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय, जिनमें झांझ भी है), तालाब (talab) या पोखर (जैसे रायपुर में बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, करबला तालाब और नरैया तालाब), बाँध (bandh; मिट्टी के बाँध से रोका गया तालाब, जैसे रायपुर में महाराजबंध), डबरी (dabri; खोदा गया छोटा तालाब), कुंड (kund; दीवार से घिरा या बँधा हुआ छोटा तालाब), दलदल या निचली गीली भूमि, डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि या निचला गड्ढा, खदान का गड्ढा या खदान झील, ऐश पॉन्ड, परित्यक्त खदान या मिट्टी निकालने का गड्ढा (borrow pit), आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग, बारहमासी या मौसमी (जैसा अध्याय 1 में है)।
तालाब (talab)	मिट्टी के बाँध से रोका गया जलाशय, जिसे उसका अपना जलग्रहण क्षेत्र और/या कोई आपूर्ति चैनल पानी देता है, और जिसमें एक सरप्लस वियर और एक या अधिक स्लूइस होते हैं।
तालाब शृंखला (tank cascade)	तालाबों की ऐसी शृंखला जिसमें एक तालाब का अतिरिक्त जल या स्लूइस से निकला प्रवाह अगले तालाब में जाता है (जैसा अध्याय 3 में है)।
तालाब का पूर्ण जल स्तर (FTL)	किसी तालाब के सरप्लस वियर (स्पिलवे, अतिप्रवाह या आउटलेट) का शिखर स्तर, या उसकी नियंत्रक संरचना का स्थायी शिखर। तालाब FTL तक पानी बिना छलके रोके रखता है।
अधिकतम जल स्तर (MWL)	किसी तालाब में वह उच्चतम जल स्तर जब सरप्लस वियर तालाब की डिजाइन बाढ़ को पार कराता है। इस मैनुअल के लिए, यह WRD द्वारा अभिलिखित स्तर और खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ 1% AEP (100-वर्ष) अंतर्वाह के लिए परिकलित स्तर में से जो अधिक हो, वह है (खंड 7.7.4)।
बाँध का शीर्ष स्तर (TBL)	तालाब के बाँध का शिखर स्तर।
जल-फैलाव क्षेत्र (waterspread)	FTL पर तालाब का जलमग्न क्षेत्र।
तालाब का अग्रतट (foreshore)	तालाब के चारों ओर FTL समोच्च रेखा और MWL समोच्च रेखा के बीच की भूमि। जब भी तालाब उफनता है, अग्रतट की भूमि जलमग्न होती है, और यह तालाब के बाढ़ भंडारण का भाग है।
आपूर्ति चैनल (supply channel; feeder channel, नाला, नरवा या नहर)	वह चैनल जो किसी नदी, एनीकट या प्रतिप्रवाह के तालाब से पानी किसी तालाब में लाता है।
अतिरिक्त जल मार्ग (surplus course)	वह चैनल जो सरप्लस वियर के अतिप्रवाह को अगले तालाब, किसी नदी, किसी ड्रेन या समुद्र तक ले जाता है।
स्लूइस (sluice; स्लूइस, स्लूइस गेट या रेगुलेटर)	तालाब के बाँध से होकर नियंत्रित आउटलेट, जो सामान्यतः किसी सिंचाई चैनल में खुलता है।
किनारे का शीर्ष (top of bank)	किसी चैनल के लिए, चैनल के किनारे पर ढलान का टूटना। जहाँ इसकी पहचान न हो सके, वहाँ 50% AEP (2-वर्ष) प्रवाह पर जल सतह का किनारा।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
1% AEP बाढ़ का विस्तार	वह भूमि जो खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ 1% AEP (100-वर्ष) बाढ़ से जलमग्न होती है, जैसा अध्याय 3 और अध्याय 5 की अपेक्षाएँ पूरी करने वाले हाइड्रोलिक मॉडल से, या खंड 7.3.4 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत मानचित्र से ज्ञात हो।
बाढ़ मार्ग (floodway)	जलाशय और उससे सटी वह भूमि जिसे अवरोध से मुक्त रखना आवश्यक है ताकि 1% AEP बाढ़ किसी भी बिंदु पर 1% AEP जल स्तर को **0.1 m** से अधिक बढ़ाए बिना निकल सके (खंड 7.6.1)। तालाब के लिए, MWL से नीचे की समस्त भूमि।
बाढ़ सीमांत क्षेत्र (flood fringe)	1% AEP बाढ़ के विस्तार का वह भाग जो बाढ़ मार्ग के बाहर है।
जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन)	खंड 7.4.3 में परिभाषित भीतरी सेटबैक जोन।
जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)	खंड 7.4.4 में परिभाषित बाहरी सेटबैक जोन।
सेटबैक (setback)	जोन 1 और जोन 2 एक साथ।
प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage)	खुदाई से बनाया गया भंडारण जो खंड 7.6.4 के अंतर्गत भराई के कारण खोए बाढ़ भंडारण का स्थान लेता है।
बाढ़ कुशन (flood cushion)	FTL से नीचे का भंडारण, जिसे किसी दस्तावेजित प्रचालन नियम के अंतर्गत बाढ़ को समाने के लिए खाली रखा जाता है (खंड 7.8)।

छत्तीसगढ़ के शब्द. इस अध्याय में ऊपर के शब्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त हैं (परिशिष्ट 7E भी देखें):

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
तालाब (talab)	वर्षा के अपवाह को भंडारित करने वाला प्राकृतिक या खोदा गया निचला गड्ढा: प्लैट्स में "तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार" ("Pond, pool, tank, reservoir of water"), और शब्दसागर में "जलाशय । सरोवर । पोखरा" (परिशिष्ट 7E)। तालाब खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब (tank) या पोखर (pond) है, जैसे रायपुर में बूढ़ा तालाब, करबला तालाब और नरैया तालाब। अनेक तालाबों में कोई सरप्लस वियर या स्लूइस नहीं होता; जहाँ किसी तालाब में ये नहीं हैं, वहाँ उसका FTL वह स्तर है जिस पर वह किसी नाली (nali), नाले या निचली भूमि में उफनता है, जो सर्वेक्षण से ज्ञात किया जाता है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित गाँव का तालाब, और छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत किसी स्थानीय निकाय में निहित सार्वजनिक तालाब, इस अध्याय के लिए तालाब हैं।
अभिलिखित तालाब (recorded talab)	राजस्व अभिलेखों (ऐसी भूमि के रूप में जो "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body") है, या अन्यथा), स्थानीय निकाय के अभिलेखों, किसी विकास योजना, T&CP की किसी स्थल रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की किसी सूची, या किसी न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष दाखिल किसी सूची में दर्शाया गया तालाब, बाँध, डबरी, कुंड, झील या जलाशय। इस मैनुअल के लिए अभिलिखित तालाब जल निकासी प्रणाली का भाग है। जहाँ उसे पूर्णतः या अंशतः भरने का प्रस्ताव है, जिसमें किसी नगरपालिका अधिनियम की स्वच्छता-शक्ति के अंतर्गत भरना भी शामिल है, वहाँ अध्याय 3 से 5 के अंतर्गत जल निकासी आकलन खोए गए भंडारण और प्रवाह मार्गों को, और प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह की ओर उनके प्रभाव को, दर्शाएगा, और भरने पर निर्भर किसी डिजाइन का अनुमोदन किए जाने से पहले खोए भंडारण का प्रतिस्थापन खंड 7.6.4 के अंतर्गत किया जाएगा। यह परिभाषा और नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।
मानसून जल रेखा (monsoon water line)	मानसून में किसी तालाब, झील, जलाशय या आर्द्रभूमि के पानी का बाहरी किनारा: हाल के वर्षों के मानसून (जुलाई से सितंबर) के दिनांकित चित्रों या सर्वेक्षण से दिखने वाला किनारा और राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किनारा, इनमें से जो बड़ा हो, और जहाँ दोनों में से कोई उपलब्ध न हो, वहाँ MWL समोच्च रेखा। खंड 7.3.3 और 7.13.1 के अंतर्गत किसी तालाब या झील की सीमा उसकी राजस्व अभिलेख सीमा, उसके सर्वेक्षित FTL और उसकी मानसून जल रेखा में से सबसे बड़ी है, और सेटबैक उसी सीमा से मापे जाते हैं। यह परिभाषा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
उच्चतम जल चिह्न; उच्च बाढ़ चिह्न; उच्चतम बाढ़ स्तर (highest water mark; high flood mark; highest flood level)	भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50(b) का विरासत में मिला 1984 का पाठ अपनी दूरियाँ "उच्चतम जल चिह्न" ("the highest water mark") से और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, "औसत उच्च बाढ़ चिह्न" ("average high flood mark") से मापता है (छत्तीसगढ़ का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]); छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण अपने 50 m उच्चतम बाढ़ स्तर से मापता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और इनमें से किसी की परिभाषा नहीं दी गई है। इस मैनुअल के लिए, किसी तालाब, झील, जलाशय या आर्द्रभूमि का उच्चतम जल चिह्न, उच्च बाढ़ चिह्न या उच्चतम बाढ़ स्तर उसके FTL और उसकी मानसून जल रेखा में से जो ऊँचा हो, उससे नीचे नहीं माना जाता है, और किसी चैनल का, उसके किनारे के शीर्ष से नीचे नहीं; जहाँ WRD ने 2011 की T&CP चेकलिस्ट के अंतर्गत स्थल के लिए उच्च बाढ़ बिंदु दिया है, वहाँ रेखा उस बिंदु से नीचे नहीं होती। यह अर्थ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है; यह सांविधिक निर्वचन नहीं है, और कोई न्यायालय या राज्य सरकार नियम का अर्थ अन्यथा लगा सकती है।
शहरी तालाब समूह; तालाब के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल (city talab cluster; talab-locked outfall)	शहरी तालाब समूह किसी नगर के भीतर या उसके निकट तालाबों का ऐसा समूह है जो कॉलोनी के नालों, अतिप्रवाह चैनलों और उनके बीच की निचली भूमि से जुड़ा होता है, और जिसकी जल निकासी किसी नाले से होकर किसी नदी में होती है, जैसे रायपुर के तालाब, जिनकी निकासी खारुन में होती है (चित्र 7.3)। किसी समूह के तालाबों का मॉडल एक शृंखला के रूप में एक साथ बनाया जाता है (खंड 7.7.2)। तालाब के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल किसी तालाब, झील या जलाशय में ऐसा ड्रेन आउटफॉल है जो पानी के उसके FTL या अतिप्रवाह स्तर पर या उससे ऊपर रहते मुक्त रूप से पानी नहीं छोड़ सकता। उसका टेलवाटर जल स्तर है: MWL, या FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज, जैसा अभिरक्षक उन्हें अभिलिखित करता है, या, जहाँ दोनों में से कोई अभिलिखित नहीं है, वहाँ FTL + 0.5 m, जो इस मैनुअल द्वारा निर्धारित मान है (अध्याय 5)।
डबरी; बाँध; कुंड (dabri; bandh; kund)	शब्दसागर में डबरी (dabri) "छोटा गड्ढा या ताल" ("a small pit or pond") है (परिशिष्ट 7E); इस मैनुअल में यह खेत या गाँव का खोदा गया छोटा तालाब है, जैसे राज्य की ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत खोदी गई डबरियाँ। डबरी खंड 7.3 के लिए जलाशय है और खंड 7.7.2 के लिए शृंखला में एक तालाब है, पर उसका भंडारण कभी डिजाइन भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका सर्वेक्षण नहीं होता, उसका कोई आउटलेट नहीं होता और चरम वर्षा घटना के समय तक वह सामान्यतः भरी होती है। बाँध (bandh) एक तटबंध या डैम है (परिशिष्ट 7E), और रायपुर में महाराजबंध और तेलीबांधा जैसे बाँधयुक्त तालाबों का नाम; बाँध (bandh) खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब है और उसका तटबंध (bund) तालाब का बाँध (tank bund) है (खंड 7.14.2)। कुंड (kund) छोटा बँधा हुआ या दीवार से घिरा तालाब है (परिशिष्ट 7E); यह खंड 7.3 के लिए जलाशय है, और जहाँ यह अपवाह प्राप्त करता है वहाँ तालाब (tank) या पोखर (pond)।
नाला; नरवा; नाली (nala; narwa; nali)	नाला (nala) वह चैनल है जो भूमि पर दूर तक जाता है और जिससे होकर वर्षा का पानी किसी नदी में जाता है (परिशिष्ट 7E), जैसे दुर्ग के शंकर और पुलगांव नाले; शब्दसागर नरवा (narwa) को इसी शब्द के रूप में देता है, और यह राज्य के नरवा–गरुवा–घुरुवा–बारी कार्यक्रम का धारा-शब्द है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नाली (nali) छोटी गली या घर की ड्रेन है। 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला हर नाला या नरवा खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत प्राकृतिक चैनल है, उसका रखरखाव चाहे कोई भी करे और वह पक्का, पाइप में बंद या ढका हो या नहीं। प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला; अध्याय 6 इस मैनुअल का कार्यकारी विभाजन देता है, और कौन-से खंड लागू होते हैं, यह परिभाषा तय करती है, स्वामी या नाम नहीं।
निस्तार (nistar)	गाँव की भूमि और जल पर ग्राम समुदाय के सामूहिक उपयोग के अधिकार, जिन्हें किसी तालाब का राज्य सरकार में निहित होना छीनता नहीं है (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और जिनके प्रयोग के लिए कलेक्टर तालाबों सहित भूमि पृथक रख सकता है (धारा 237) (परिशिष्ट 7E)। तालाब के घाटों पर नहाना और कपड़े धोना, और पशुओं को पानी पिलाना, निस्तार उपयोग हैं। किसी तालाब में निस्तार और सिंचाई के अधिकार उसके ऐसे उपयोग हैं जिनका संरक्षण खंड 7.8.2(d) करता है, और इस अध्याय के लिए घाट तालाब का भाग हैं।
कन्हार; डोरसा; मटासी; भाठा (kanhar; dorsa; matasi; bhata)	छत्तीसगढ़ के मैदान के चार पारंपरिक भूमि और मिट्टी वर्ग, सबसे निचली भूमि से सबसे ऊँची तक: कन्हार (kanhar), गहरी काली दरारदार चिकनी मिट्टी (Vertisol); डोरसा (dorsa), चिकनी दोमट, कहीं-कहीं वर्टिक (Alfisol); मटासी (matasi), रेतीली दोमट से गादयुक्त दोमट (Inceptisol); और भाठा (bhata), मुरम या फेरीक्रीट के ऊपर 30 cm से कम गहरी पतली कंकरीली मिट्टी (Entisol) (कृषि-विज्ञान शोधपत्र; परिशिष्ट 7E)। शहरी तालाब और धान की भूमि कन्हार और डोरसा पर स्थित हैं। 1% AEP विस्तार के भीतर कन्हार और मचाए गए धान की निचली भूमि (puddled paddy lowland) खंड 7.6 के अंतर्गत बाढ़ भंडारण है, और कन्हार पर कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं रखी जाती (खंड 8.8.1)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
खदान का गड्ढा; खदान झील (mine void; pit lake)	खदान का गड्ढा किसी कोयला या खनिज पट्टे में खुला छोड़ा गया खुली खदान का उत्खनन है, उसका खनन पूरा हो चुका हो या नहीं; खदान झील वह खदान का गड्ढा है जिसमें पानी भरा हो। खदान का गड्ढा या खदान झील खंड 7.3 के लिए जलाशय है और सूची में अपने पट्टाधारी को अभिरक्षक के रूप में दर्ज करके अभिलिखित की जाती है। यह डिजाइन आउटफॉल **नहीं** है, और इसके भंडारण को खंड 7.7 के अंतर्गत **कभी नहीं** गिना जाता, जब तक कि पट्टाधारी और DGMS लिखित में सम्मति न दें और इसके जल स्तर, अतिप्रवाह स्तर और अतिप्रवाह मार्ग का सर्वेक्षण न हो; तब भी इसे खंड 7.7, 7.8 और 7.14 के अंतर्गत तालाब माना जाता है, इसकी बेंचों और हाईवॉल की स्थिरता की जाँच और एक जल गुणवत्ता योजना के साथ। कोई विकास किसी चालू खदान या खनन कार्य में जल निकासी नहीं करेगा (कोयला खान विनियम, 2017, विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बाड़ से घिरी जिस खदान झील तक जनता की पहुँच नहीं है, उस पर खंड 7.9.4 लागू नहीं होता, पर उसकी बाड़ और चेतावनी संकेतों का रखरखाव पट्टाधारी करता है। यह परिभाषा और नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।
ऐश पॉन्ड; राखड़ बाँध (ash pond; ash dyke)	ऐश पॉन्ड मिट्टी के राखड़ बाँध से रोका गया ऐसा पॉन्ड है जिसमें कोई ताप विद्युत संयंत्र अपनी राख स्लरी के रूप में छोड़ता है, जैसे धनरास में NTPC के, कोरबा पश्चिम में CSPGCL के और कोरबा के पास BALCO के ऐश पॉन्ड। ऐश पॉन्ड खंड 7.3 के लिए जलाशय है, जिसे उसके संचालक को अभिरक्षक के रूप में दर्ज करके अभिलिखित किया जाता है; यह डिजाइन आउटफॉल या डिजाइन भंडारण **कभी नहीं** है, इस मैनुअल के अंतर्गत कोई ड्रेन इसमें पानी नहीं छोड़ती, और इसके बाँध के टूटने का मार्ग मानचित्रित किया जाने वाला खतरा है (अध्याय 5), डिजाइन अंतर्वाह नहीं। कोरबा क्षेत्र में राखड़ बाँधों के 2024 से 2026 में टूटने, या नालों और हसदेव में स्लरी छोड़ने की सूचना है (खंड 7.14, भाष्य)। यह परिभाषा और नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।
ओवरबर्डन डंप; खनन से विक्षुब्ध भूमि (overburden dump; mine-disturbed ground)	ओवरबर्डन डंप किसी खनिज तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान और मिट्टी का ढेर है। खनन से विक्षुब्ध भूमि में ओवरबर्डन डंप, बैकफिल्ड या सुधारी गई खनन भूमि, संघनित खदान बेंच और हॉल रोड, और भू-धंसान भूमि आते हैं; राख से भरी भूमि को भी इसी प्रकार माना जाता है। इस मैनुअल के लिए यह प्रत्येक वर्षा घटना के लिए HSG D है, बिना किसी अंतःस्यंदन क्रेडिट के (अध्याय 3); इससे होने वाला अपवाह किसी शहरी ड्रेन, तालाब या आउटफॉल तक पहुँचने से पहले एक अवसादन बेसिन और स्थिर टो ड्रेनों (गारलैंड ड्रेनों) से होकर गुजरता है (खंड 8.12); और किसी जलाशय के सेटबैक में कोई ओवरबर्डन, खनन मलबा (spoil), राख या गाद नहीं रखी जाती (खंड 7.5.1)।

7.3 जलाशयों की सूची और मानचित्रण

7.3.1 **राज्यव्यापी सूची.** प्राधिकारी, WRD और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ, अपने क्षेत्र के प्रत्येक जलाशय की एक GIS परत (परिशिष्ट 7A) रखेगा। प्रत्येक जलाशय के लिए वह निम्नलिखित अभिलिखित करेगा:

- (a) उसका प्रकार (खंड 7.2), नाम और सर्वे संख्याएँ;
- (b) उसका अभिरक्षक (नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत (जिनमें छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग निहित होते हैं; 1956 के अधिनियम के मध्य प्रदेश पाठ की धारा 82, छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]), NRDA (नवा रायपुर अटल नगर की झीलों, जलाशयों, धाराओं और ड्रेनों के लिए), RDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या कोई कॉलोनी विकासकर्ता (अपनी स्कीम के तालाबों और ड्रेनों के लिए, उनके हस्तांतरित होने तक), भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) (अपनी टाउनशिप के तालाबों और ड्रेनों के लिए), WRD (अपनी नदियों, डैमों, जलाशयों, बैराजों, सिंचाई तालाबों और नहरों के लिए, जैसे गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग और कोपरा जलाशय), कलेक्टर और तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित तालाब, या धारा 237 के अंतर्गत निस्तार के लिए पृथक रखी गई भूमि के लिए), ग्राम पंचायत, कोई खदान पट्टाधारी, जैसे SECL (अपने पट्टे के भीतर किसी खदान के गड्ढे, खदान झील, अवसादन तालाब या गारलैंड ड्रेन के लिए), कोई बिजली कंपनी, जैसे NTPC, CSPGCL या BALCO (किसी ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध के लिए), छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के लिए, या ऐसी आर्द्रभूमि के लिए जिसे वह संरक्षित मानता है), कोई निजी स्वामी, या कोई अन्य निकाय);
- (c) राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित उसकी सीमा;
- (d) तालाबों के लिए: FTL, MWL, TBL, सरप्लस वियर के शिखर की लंबाई और प्रकार, स्लूइस, आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग, प्रत्येक अपने डेटम सहित;
- (e) किसी तालाब शृंखला में उसकी स्थिति, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह के तालाबों सहित;

- (f) जहाँ मानचित्रित हो, 1% AEP बाढ़ का विस्तार; और
- (g) ज्ञात अतिक्रमण, अभिलिखित करने की तिथि सहित।

7.3.2 **परियोजना मानचित्रण.** प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में एक जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) शामिल होगा जिसमें निम्नलिखित सभी जलाशय दर्शाए जाएँगे:

- (a) साइट के भीतर;
- (b) साइट की सीमा से 100 m के भीतर; और
- (c) अनुप्रवाह की ओर, अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण के विस्तार तक।

पत्रक में, (a) और (b) के लिए 1:1,000 या उससे बड़े पैमाने के नक्शे पर, निम्नलिखित दर्शाए जाएँगे:

- राजस्व अभिलेख की सीमा;
- सर्वेक्षित FTL या किनारे का शीर्ष;
- MWL समोच्च रेखा (तालाब) और 1% AEP बाढ़ का विस्तार;
- जोन 1 और जोन 2 (खंड 7.4); और
- प्रत्येक आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, स्लूइस और सरप्लस वियर।

7.3.3 **स्रोत.** जलाशयों की पहचान निम्नलिखित सभी स्रोतों से की जाएगी। जहाँ वे परस्पर विरोधी हों, वहाँ जलाशय का बड़ा विस्तार लागू होगा:

- (a) राजस्व विभाग के राजस्व अभिलेख (खसरा (khasra)) और गाँव के मानचित्र, जिनमें तालाब (talab), डबरियाँ (dabri), नाले और जल से ढकी भूमि अभिलिखित हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित तालाब और धारा 237 के अंतर्गत निस्तार के लिए पृथक रखी गई भूमि, और "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body") वह भूमि सम्मिलित है जिसके अप्राधिकृत कब्जे के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है (जैसे बलौदा में, NGT O.A. 78/2024); छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत किसी नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय में निहित सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग; 1973 के अधिनियम के अंतर्गत किसी विकास योजना में दर्शाए गए जलाशय, नदियाँ और नाले, जैसे रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021, नया रायपुर विकास योजना-2031 और अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033, और T&CP की स्थल रिपोर्टों और चेकलिस्टों (2011) में अभिलिखित जलभराव क्षेत्र, नाले और नालों के लिए छोड़े गए क्षेत्र, WRD द्वारा दिए गए उच्च बाढ़ बिंदुओं सहित; रामसर अभिसमय के अंतर्गत नामित कोपरा जलाशय की, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किसी आर्द्रभूमि की, और उन तालाबों और आर्द्रभूमियों की सीमा जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, उसके द्वारा 8 मई 2023 को निर्देशित रायपुर जिले के जलाशयों के सर्वेक्षण सहित; खदान पट्टाधारियों की खनन योजनाएँ और खदान बंद करने की योजनाएँ, जो खदान के गड्ढे, खदान झीलें, अवसादन तालाब और गारलैंड ड्रेनें दर्शाती हैं; और बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध के लेआउट;
- (b) FTL और MWL के अभिलेखों सहित WRD और ग्राम पंचायत के तालाब रजिस्टर (tank registers);
- (c) प्राधिकारी की सूची (खंड 7.3.1) और न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत प्रकाशित कोई सूची;
- (d) ऐतिहासिक स्थलाकृतिक मानचित्र और उपग्रह चित्र, जिनमें ISRO की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (National Wetland Inventory and Assessment) शामिल है; और
- (e) लाइसेंसधारी सर्वेक्षक द्वारा किया गया साइट सर्वेक्षण, जिसका स्तरांकन खंड 7.3.5 में बताए गए डेटम पर किया गया हो।

7.3.4 **बाढ़ विस्तार मानचित्र.** प्राधिकारी अपने क्षेत्र के लिए 1% AEP बाढ़ विस्तार या बाढ़ गहराई मानचित्र अंगीकार कर सकता है। इस खंड के अंतर्गत अंगीकृत गहराई मानचित्र खंड 6.11 के अंतर्गत फर्श स्तर भी निर्धारित करता है। जहाँ कोई मानचित्र अंगीकृत किया गया है, वहाँ उसका उपयोग किया जाएगा, जब तक कि अध्याय 3 और 5 के अंतर्गत साइट का हाइड्रोलिक अध्ययन बड़ा विस्तार न दर्शाए। जहाँ कोई मानचित्र अंगीकृत नहीं किया गया है, वहाँ आवेदक निम्नलिखित के लिए हाइड्रोलिक अध्ययन द्वारा 1% AEP विस्तार निर्धारित करेगा:

- (a) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (अध्याय 1) में स्थित कोई साइट;

- (b) किसी जलाशय से सटी 1 ha या अधिक की कोई साइट; और
- (c) कोई साइट जहाँ प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे।

अन्य साइटों के लिए खंड 7.4.6 के नियत-चौड़ाई सेटबैक का उपयोग किया जा सकता है।

7.3.5 **डेटम.** इस अध्याय के सभी स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे, जिसका उल्लेख प्रत्येक ड्रॉइंग पर किया जाएगा। जहाँ WRD के अभिलेख किसी स्थानीय या पुराने डेटम का प्रयोग करते हैं, वहाँ परियोजना डेटम में रूपांतरण का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसे बताया जाएगा।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर का कोई 1% AEP बाढ़ मानचित्र नहीं मिला, और नवा रायपुर को छोड़कर किसी भी शहर के लिए शहरी ड्रेनों की कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि प्रकाशित नहीं हुई है; नवा रायपुर की विकास योजना 5-वर्ष की तीव्रता माँगती है (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.1.1)। नदियों के डूब क्षेत्रों का जोनिंग करने वाला कोई राज्य कानून, नियम या WRD का आदेश नहीं मिला, और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में नहीं है जिनके बारे में आदर्श डूब क्षेत्र जोनिंग विधेयक अधिनियमित करने की सूचना है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। निवेश प्रक्रिया बाढ़ की जानकारी माँगती है, पर कोई जानकारी देती नहीं। किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए, 2011 की T&CP चेकलिस्ट "जल संसाधन विभाग से उच्च बाढ़ बिन्दु की जानकारी", अर्थात् WRD से उच्च बाढ़ बिंदु, और WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति माँगती है (क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011); निवेश प्रक्रिया में मिली यह एकमात्र बाढ़-स्तर संबंधी अपेक्षा है। उसी वर्ष का T&CP का स्थल रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है कि भूमि जलभराव क्षेत्र है या नहीं, वह नहर, नाले या नदी के किनारे है या नहीं और कितनी दूरी पर, और नालों के लिए छोड़ा गया क्षेत्र अभिलिखित करता है (क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011); और 6 अक्तूबर 2018 के संशोधन का स्थल-निरीक्षण प्रपत्र पूछता है कि कोई प्रमुख नाला भूखंड के निकट है या नहीं और उसकी निकटतम दूरी क्या है, भूमि विकास नियम, 1984 के ऐसे नियम के अनुपालन के लिए जिसकी संख्या राजपत्र रिक्त छोड़ता है (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q, मद 9)। विरासत में मिला 1984 का पाठ अपेक्षा करता है कि जहाँ स्थल का ढलान 1 में 20 से अधिक हो, वहाँ साइट नक्शे में "किसी भी जलाशय की अनुमानित स्थिति और आकार, बाढ़-प्रभावित क्षेत्र और 0.3 मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएँ" ("the approximate location and size of any water body, flood affected areas and contours at an interval of 0.3 meters") दर्शाई जाएँ (नियम 17(4)(j), उद्धरण-अंश के अनुसार; छत्तीसगढ़ का पाठ [TBC]), पर "बाढ़-प्रभावित क्षेत्र" ("flood affected areas") का मानचित्रण कोई एजेंसी नहीं करती। शहरों की ड्रेनों का पानी लेने वाली कुछ ही नदियों का कोई प्रकाशित बाढ़ स्तर है: CWC छत्तीसगढ़ में चेतावनी और खतरे के स्तर केवल जगदलपुर में इंद्रावती के लिए देता है, और उसके अन्य स्थलों पर अभिलिखित उच्चतम स्तर, जैसे 29 अगस्त 2020 को पथरीडीह (Pathardihi) में खारुन पर 281.68 m, केवल प्रतिलिपियों के माध्यम से ज्ञात हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार; अध्याय 5)। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने 8 मई 2023 को रायपुर जिले के सभी जलाशयों के जिस सर्वेक्षण का निर्देश दिया था, उसके बारे में 2025 में बताया गया कि वह केवल करबला तालाब पर किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और रायपुर के किसी भी तालाब या नवा रायपुर अटल नगर की किसी भी झील का कोई स्तर, क्षेत्रफल या क्षमता किसी आधिकारिक अभिलेख में नहीं मिली। खंड 7.3.4 प्राधिकारी को बाढ़ मानचित्र जारी होने पर उन्हें अंगीकार करने देता है; तब तक आवेदक को बड़ी और बाढ़-संवेदनशील साइटों के लिए 1% AEP विस्तार प्रस्तुत करना होगा, और चेकलिस्ट के अंतर्गत WRD जो उच्च बाढ़ बिंदु देता है वह एक न्यूनतम है, जिससे इस मैनुअल का जलवायु गुणक सहित 1% AEP विस्तार अधिक हो सकता है, पर जिसे वह कभी कम नहीं कर सकता। स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे (खंड 7.3.5), क्योंकि इस मैनुअल के लिए पढ़ा गया कोई स्रोत CWC के स्तरों का, या WRD की जलाशय गेज रिपोर्टों में दिए गए जलाशय के पूर्ण जल स्तरों का, डेटम नहीं बताता। खंड 7.3.3 अभिलिखित और सर्वेक्षित विस्तारों में से बड़े को लागू करता है, क्योंकि राजस्व सीमा और सर्वेक्षित जल-किनारा प्रायः भिन्न होते हैं, और अतिक्रमण से दोनों में से कोई भी घट गया हो सकता है। खंड 7.3.2 की 100 m की खोज-पट्टी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.4 सेटबैक

7.4.1 **वे जलाशय जिन पर सेटबैक लागू होते हैं.** सेटबैक निम्नलिखित पर लागू होते हैं:

- (a) खंड 7.3.1 के अंतर्गत अभिलिखित या खंड 7.3.3 के अंतर्गत पाया गया प्रत्येक जलाशय, उसका आकार कुछ भी हो; और

- (b) प्रत्येक प्राकृतिक चैनल, अभिलिखित हो या नहीं, जो साइट पर **8 ha** या अधिक क्षेत्र की निकासी करता है।

7.4.2 **दो जोन.** सेटबैक के दो जोन हैं, जो चित्र 7.1 में दर्शाए गए हैं:

- **जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन)**, जलाशय के ठीक बगल में; और
- **जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)**, जोन 1 के बाहर।

7.4.3 **जोन 1 की चौड़ाई.** जोन 1 को FTL समोच्च रेखा (तालाब, झीलें और पोखर) से या किनारे के शीर्ष (चैनल) से बाहर की ओर मापा जाता है। जहाँ दोनों लागू हों, वहाँ जिससे अधिक चौड़ा जोन बने उसका उपयोग करें। जोन 1 निम्नलिखित में से **सबसे अधिक** तक विस्तृत होता है:

- (a) **15 m**, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित न्यूनतम (भूमि विकास नियम, 1984 के छत्तीसगढ़ पाठ में जल से कोई सांविधिक दूरी पढ़ी नहीं गई: अनुपयुक्त स्थलों संबंधी उसका नियम 50 1984 के एक ऐसे पाठ से विरासत में मिला है जो उच्चतम जल चिह्न से 9 m और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो, निर्धारित करता है, और छत्तीसगढ़ का पाठ ये दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि होनी है [TBC]; छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उन तालाबों और आर्द्रभूमियों के चारों ओर, जिन्हें वह संरक्षित मानता है, उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m लागू करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); यह मैनुअल प्रत्येक जलाशय पर 15 m लागू करता है; नीचे प्रकटन देखें);
- (b) बाढ़ मार्ग का बाहरी किनारा (खंड 7.6.1); और
- (c) तालाब के लिए, MWL समोच्च रेखा।

7.4.4 **जोन 2 की चौड़ाई.** जोन 2 जोन 1 के बाहरी किनारे से **1% AEP बाढ़ के विस्तार और उसके अतिरिक्त 10 m** तक विस्तृत होता है। जहाँ 1% AEP बाढ़ का विस्तार जोन 1 के भीतर है, वहाँ जोन 2 की चौड़ाई 10 m है।

7.4.5 **सांविधिक और अनुमोदन सेटबैक.** जहाँ कोई कानून, कोई सांविधिक नियम, योजना अनुमति की कोई शर्त, या WRD की किसी नदी, डैम, जलाशय, बैराज या नहर पर या उसके निकट किसी कार्य के लिए WRD का अनुमोदन, या किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए 2011 की T&CP चेकलिस्ट द्वारा माँगा गया WRD का उच्च बाढ़ बिंदु और WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति, किसी ऐसे तालाब या आर्द्रभूमि के, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर किसी कार्य के लिए, या कोपरा जलाशय पर या किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि में किसी विनियमित गतिविधि के लिए, उस प्राधिकरण के विचार या अनुमति, किसी खदान के गड्ढे, खदान झील या खनन कार्य में जल निकासी करने वाले या उसके निकट स्थित किसी कार्य के लिए खदान के पट्टाधारी और DGMS की सम्मति, किसी ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध के निकट किसी कार्य के लिए संचालक की सम्मति, या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोई निर्देश (जैसे खंड 7.4 के प्रकटन में सूचीबद्ध बलौदा के तालाबों संबंधी आदेश) जोन 1 या जोन 2 से अधिक चौड़ा सेटबैक निर्धारित करता है, वहाँ जिन उपयोगों को वह प्रतिबंधित करता है उनके लिए वही अधिक चौड़ा सेटबैक लागू होगा।

7.4.6 **जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक.** जहाँ खंड 7.3.4 हाइड्रोलिक अध्ययन की अपेक्षा नहीं करता और कोई मानचित्र अंगीकृत नहीं किया गया है, वहाँ सेटबैक (जोन 1 और जोन 2), खंड 7.4.3 के अनुसार मापा जाकर, निम्नलिखित से कम नहीं होगा:

तालिका 7.1 — जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक

जलाशय	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1
8 ha से 65 ha क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल	25 m	15 m
65 ha से 20 km² क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल	40 m	15 m
20 km² से अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल, और नदियाँ	50 m	20 m
तालाब, झील या पोखर	MWL समोच्च रेखा + 25 m	MWL समोच्च रेखा तक, और FTL से 15 m से कम नहीं

जलाशय	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1
दलदल, ज्वारनदमुख या पश्चजल	जैसा प्राधिकारी अधिसूचित करे, और 50 m से कम नहीं	15 m

यह तालिका नीति अनुपूरक (परिशिष्ट 1C) का विकल्प S-3 है और खंड 1.7 के अंतर्गत अंगीकार की जा सकती है।

7.4.7 **सभी स्थितियों में न्यूनतम.** इस अध्याय के अंतर्गत कोई सेटबैक, और खंड 1.10 के अंतर्गत कोई विचलन, जोन 1 को 15 m से कम नहीं करेगा (खंड 1.10.3(c))।

> **भाष्य.** 15 m का न्यूनतम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। भूमि विकास नियम, 1984 के छत्तीसगढ़ पाठ में, जिसका मूल या समेकित पाठ नहीं मिला, जल से कोई सांविधिक दूरी पढ़ी नहीं गई। नियम 50 अब भी भवन स्थल की अनुपयुक्तता पर राज्य का नियम है: संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश का 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है कि कोई स्थल इसके अंतर्गत अनुपयुक्त है या नहीं, भूमि जलभराव क्षेत्र है या नहीं, और वह नहर, नाले या नदी के किनारे है या नहीं और कितनी दूरी पर (23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011)। मध्य प्रदेश से विरासत में मिला 1984 का पाठ उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, "औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 मीटर या जलमार्ग की परिभाषित सीमा से 15 मीटर, जो भी अधिक हो" ("9 meters from average high flood mark or 15 meters from the defined boundary of water course, whichever is more") के भीतर भवन स्थल पर रोक लगाता है (नियम 50(b), उद्धरण-अंश के अनुसार); छत्तीसगढ़ का पाठ ये दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि होनी है [TBC]। किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए, 2011 की T&CP चेकलिस्ट WRD से उच्च बाढ़ बिंदु और WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति माँगती है, पर कोई दूरी निर्धारित नहीं करती (क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011)। जिन तालाबों और आर्द्रभूमियों को वह संरक्षित मानता है, उनके चारों ओर, जिनमें रायपुर में करबला तालाब और नरैया तालाब और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य पर आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की रोक लागू करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अपने आप में किसी नाले से कोई दूरी नहीं मिली, और छत्तीसगढ़ में डूब क्षेत्र जोनिंग का कोई कानून नहीं है। इस मैनुअल का 15 m, जो विरासत में मिले नियम 50(b) की बड़ी दूरी है और प्रत्येक तालाब, नाले और जलमार्ग पर लागू की गई है, प्रत्येक जलाशय को एक हाइड्रोलिक कॉरिडोर देता है, और यह इस मैनुअल का प्रस्ताव है, कोई सांविधिक चौड़ाई नहीं (नीचे प्रकटन देखें)। सेटबैक को मानचित्रित 1% AEP विस्तार और एक अतिरिक्त पट्टी तक बढ़ाना Kansas City Metro APWA Section 5600 (2025.01) की दो-जोन संरचना के अनुरूप है:
>
> - APWA का जोन 1 (धारा के किनारे का) किनारे के शीर्ष से मापा जाता है, और उसमें केवल उपयोगिता सेवाओं और सड़कों की क्रॉसिंग अनुमत हैं।
> - APWA का जोन 2, 20–40 एकड़ क्षेत्र की निकासी करने वाली धाराओं के लिए, 1% AEP बाढ़ का विस्तार और उसके अतिरिक्त 10 ft (लगभग 3 m) है।
> - APWA ने 2025.01 में धारा सेटबैक के प्रारंभक मान को 40 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ (लगभग 8 ha) कर दिया।
>
> (MARC, APWA 5600 Policy Supplement, नवंबर 2025.) खंड 7.4.1(b) 8 ha का प्रारंभक मान लेता है। इस मैनुअल की 10 m की अतिरिक्त पट्टी APWA के 10 ft से अधिक चौड़ी है और इसका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाढ़ मानचित्र अधिकतर अमेरिकी मानचित्रों से कम सूक्ष्म हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के शहरी तालाबों के आसपास की कन्हार और डोरसा की निचली भूमियाँ, जहाँ रायपुर, दुर्ग–भिलाई और बिलासपुर बढ़ रहे हैं, समतल हैं, जिनके ढलान 2 से 3% से कम हैं (इसलिए स्तर में छोटी-सी त्रुटि भी बाढ़ के किनारे को बहुत दूर तक खिसका देती है), और यह पट्टी जलाशय के किनारे रखरखाव के लिए पहुँच का स्थान देती है।
>
> खंड 7.4.6 की नियत-चौड़ाई तालिका इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इसकी चैनल चौड़ाइयाँ 2006 के APWA के डिफॉल्ट धारा बफरों से अनुपातित हैं, जो 40 एकड़ से कम, 40–160 एकड़, 160–5,000 एकड़ और 5,000 एकड़ से अधिक जल निकासी क्षेत्रों के लिए 40 ft, 60 ft, 100 ft और 120 ft (12, 18, 30 और 37 m) थे (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)। इन्हें ऊपर की ओर पूर्णांकित किया गया है

और 15 m के न्यूनतम पर सीमित किया गया है। APWA ने नियत-चौड़ाई तालिका इसी कारण दी थी: समुदायों ने आपत्ति की थी कि छोटे जल निकासी क्षेत्रों के लिए 1% विस्तार प्रायः मानचित्रित नहीं होता (MARC Supplement, 2025)। जैसे ही प्राधिकारी मानचित्रित विस्तार अंगीकार करे, इस तालिका को उनसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

URDPFI (2015) 10 वर्ष की आवृत्ति पर जलमग्न होने वाले क्षेत्र को पार्कों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित करता है, और 25 वर्ष के बाढ़ जोन में आवासीय उपयोग की अनुमति केवल स्टिल्ट पर, न्यूनतम प्लिंथ स्तर के साथ और बिना बेसमेंट के देता है। यह अध्याय अधिक कठोर है। यह आवास योग्य भवनों को संपूर्ण 1% AEP विस्तार और अतिरिक्त पट्टी से बाहर रखता है, क्योंकि 1% AEP (100-वर्ष) घटना इस मैनुअल की प्रमुख प्रणाली का मानक है (अध्याय 6)।

छत्तीसगढ़ के भवन नियम अब भी 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले 1984 के नियम हैं, जिनका नाम बदलकर छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 किया गया और जिनमें तब से आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत संशोधन किए हैं; छत्तीसगढ़ का कोई मूल या समेकित पाठ न मुद्रित रूप में मिला, न संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के संग्रहीत पृष्ठों में। नियम 50 अब भी भवन स्थल की अनुपयुक्तता पर राज्य का नियम है: संचालनालय का स्थल रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है "नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्तता तो नहीं है", अर्थात् भूमि नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्त है या नहीं (23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011)। विरासत में मिले 1984 के पाठ में, यह नियम "उच्चतम जल चिह्न से 9 मीटर की दूरी के भीतर" ("within a distance of 9 meters of the highest water mark") और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, "औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 मीटर या जलमार्ग की परिभाषित सीमा से 15 मीटर, जो भी अधिक हो" ("9 meters from average high flood mark or 15 meters from the defined boundary of water course, whichever is more") के भीतर किसी स्थल पर रोक लगाता है (नियम 50(b), मध्य प्रदेश पाठ से लिए गए उद्धरण-अंश के अनुसार); **छत्तीसगढ़ का पाठ ये दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई [TBC]**, और इस मैनुअल के लिए पढ़ा गया 2008 से 2023 तक का कोई संशोधन नियम 50 को नहीं बदलता। नियम दिखाते हैं कि नाले की कोई दूरी मौजूद है, पर उसे बताते नहीं: 6 अक्तूबर 2018 के संशोधन का स्थल-निरीक्षण प्रपत्र पूछता है "क्या नाला (प्रमुख नाला) भूखंड के निकट है या नहीं। यदि हाँ, तो भूखंड से नाले की निकटतम दूरी। (प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम के अनुपालन में होना चाहिए)" ("Is Nalah [Major Drain] adjacent to plot or not. If yes, then nearest distance of nalas from plot. [Proposal should comply with in rule of Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984]"), और नियम की संख्या रिक्त छोड़ी गई है (क्रमांक F 7-27/2017/32, भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q, मद 9)। निवेश विधि की अन्य रेखाओं की कोई चौड़ाई नहीं है। किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए, T&CP WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगता है (चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011); एकीकृत उपनगर किसी बारहमासी नदी से लगी भूमि पर स्थित नहीं हो सकते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण(2)(iii), 17 दिसंबर 2008), और न ऐसी भूमि पर बिना विकास योजना वाले निवेश क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए अनुमति दी जा सकती है (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 2 जनवरी 2013 का आदेश क्रमांक F 7-35/2012/32, पैरा 2.4(iii)); और किसी जलाशय या तालाब के तल या किनारे पर, या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर, बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम, धारा 7(1)(iv))। छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 पढ़ा नहीं गया; उसका मध्य प्रदेश पाठ कोई चौड़ाई नहीं जोड़ता, पर आयुक्त को निगम में निहित ड्रेन के ऊपर बिना अनुमति बना भवन गिरवाने देता है (धारा 198) और ड्रेनों और शौचालयों को सार्वजनिक जल प्रदाय के लिए प्रयुक्त तालाब से सौ फुट दूर रखता है (धारा 199) [TBC]। प्रयोग में सबसे चौड़ी रेखा आर्द्रभूमि की रेखा है। *M.K. Balakrishnan* (2017) और *Anand Arya* (2024) में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत 2.25 ha से बड़े जिन तालाबों और आर्द्रभूमियों को वह "मानित" ("deemed") आर्द्रभूमियाँ मानता है, उनके चारों ओर छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य पर आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 4 की रोक लागू करता है: उसने 30 सितंबर 2025 को रायपुर में करबला तालाब पर लगभग ₹1.5 करोड़ के कार्य रुकवाए, क्योंकि उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर पेवर ब्लॉक बिछाए गए थे; टिकरापारा में नरैया तालाब के बफर में एक टॉय ट्रेन की योजना के कारण जिला आर्द्रभूमि संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर ने जाँच की (2025); और 3 मार्च 2025 को उसने NRDA को नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि के पास प्लॉटेड विकास, तैरते मनोरंजन और ब्रांडेड आवासों की दो निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके बारे में NRDA ने कहा था कि वह संरक्षित जोन नहीं है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। खनन पट्टों की अपनी

रेखाएँ होती हैं: छत्तीसगढ़ की एक कोयला खदान की 13 अगस्त 2024 की पर्यावरण स्वीकृति का मूल्यांकन अभिलेख नदी के किनारे से DGMS की 15 m की दूरी दर्ज करता है, जबकि मूल्यांकन समिति ने 100 m का बफर अपेक्षित किया (स्वीकृति में दर्ज रूप में)। खंड 7.4.7 15 m को हर जगह जोन 1 की न्यूनतम सीमा बनाता है।

प्रकटन. छत्तीसगढ़ में **जल से मीटर में कोई पुष्ट सांविधिक सेटबैक नहीं** है। भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 50 अनुपयुक्त भवन स्थलों पर राज्य का नियम है, पर उसका छत्तीसगढ़ पाठ नहीं मिला; मध्य प्रदेश से विरासत में मिला उसका 1984 का पाठ **उच्चतम जल चिह्न से 9 m और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो** निर्धारित करता है, और **छत्तीसगढ़ का पाठ ये दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि होनी है [TBC]**। व्यवहार में लागू एकमात्र दूरी **उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m** है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत उन तालाबों और आर्द्रभूमियों पर लागू करता है जिन्हें वह संरक्षित मानता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। **कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून, कोई अधिसूचित बाढ़ जोन और किसी नदी के डूब क्षेत्र का WRD द्वारा कोई सीमांकन नहीं मिला**, और न अपने आप में किसी नाले से कोई दूरी। खंड 7.4.3 और 7.4.7 का **15 m न्यूनतम** जोन 1, और तालिका 7.1 में उससे व्युत्पन्न प्रत्येक मान, प्रत्येक तालाब, नाले और जलमार्ग को विरासत में मिले नियम 50(b) की बड़ी चौड़ाई देने के लिए हाइड्रोलिक कॉरिडोर के रूप में **इस मैनुअल द्वारा निर्धारित** है। इसी प्रकार खंड 7.4 के सेटबैक जोन, जोन 2 को नियंत्रित करने वाला 1% AEP विस्तार, "उच्चतम जल चिह्न", "उच्च बाढ़ चिह्न" और "उच्चतम बाढ़ स्तर" की और मानसून जल रेखा की इस मैनुअल की व्याख्याएँ, और खदान के गड्ढों, खदान झीलों और ऐश पॉन्डों पर शर्तें (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ) भी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। ये **इस मैनुअल का प्रस्ताव हैं, कोई सांविधिक चौड़ाई या नियम नहीं**, और किसी सरकारी निकाय ने न इन्हें अंगीकार किया है, न इनका समर्थन किया है। सेटबैक **कॉरिडोर और किसी भी सांविधिक, योजना, आर्द्रभूमि या न्यायालयी रेखा में से बड़ा** लिया जाता है, इसलिए यह मैनुअल तालाबों, नालों और जलमार्गों के किनारे **कानून से अधिक कठोर** है, और कहीं भी कम कठोर नहीं है। जो विद्यमान है, और जहाँ भी वह अधिक चौड़ा या अधिक कठोर है वहाँ लागू होता है (खंड 7.4.5), वह यह है:

- **भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 50 (विरासत में मिला पाठ; छत्तीसगढ़ का पाठ [TBC]).** उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, या किसी प्रमुख जलमार्ग के साथ, औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो, के भीतर कोई भवन स्थल नहीं, और ऐसे स्थल पर कोई भवन नहीं जिसकी उचित जल निकासी नहीं है या जिसकी अच्छी जल निकासी संभव नहीं। जहाँ छत्तीसगढ़ का पाठ इन दूरियों की पुष्टि करता है, वहाँ 15 m जोन 1 की न्यूनतम सीमा के बराबर है और 9 m संकरा है और कभी अकेले लागू नहीं होता; छत्तीसगढ़ के पाठ में या किसी विकास योजना में कोई अधिक चौड़ी दूरी जहाँ लागू होती है वहाँ वही लागू होती है।
- **WRD का उच्च बाढ़ बिंदु और अनापत्ति.** किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए, T&CP WRD से उच्च बाढ़ बिंदु और WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति माँगता है (चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011)। यह कोई चौड़ाई निर्धारित नहीं करता, पर उच्च बाढ़ बिंदु एक ऐसा स्तर है जिससे नीचे जोन 2 कभी समाप्त नहीं होता (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)।
- **निवेश कानून में नदियाँ, जलाशय और प्राकृतिक ड्रेनें.** किसी बारहमासी नदी से लगी भूमि पर कोई एकीकृत उपनगर नहीं (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 17 दिसंबर 2008), और बिना विकास योजना वाले निवेश क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए ऐसी भूमि पर कोई अनुमति नहीं (2 जनवरी 2013 का आदेश); और किसी जलाशय या तालाब के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण का कोई नियमितीकरण नहीं (अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम, धारा 7(1)(iv))।
- **आर्द्रभूमियाँ और कोपरा.** किसी ऐसे तालाब या आर्द्रभूमि के, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कोई कार्य नहीं, जो रायपुर में करबला तालाब और नरैया तालाब पर और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि पर लागू किया गया (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार); नियमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कोई आर्द्रभूमि अधिसूचित नहीं मिली। कोपरा जलाशय, राज्य का पहला रामसर स्थल (210 ha), अपनी रामसर सीमा तक संरक्षित है।
- **राजस्व अभिलेखों में तालाब.** सिंचाई या निस्तार के अधिकारों वाले गाँव के तालाब राज्य सरकार में निहित होते हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), कलेक्टर निस्तार के लिए तालाबों हेतु भूमि पृथक रख सकता है (धारा 237), और भू-अभिलेखों में दर्ज किसी तालाब पर कब्जा अप्राधिकृत कब्जे के रूप में हटाया जाता है (धारा 248), जैसे बलौदा में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर (O.A. 78/2024, 14 नवंबर 2024 का आदेश)। ये जलाशय का संरक्षण करते हैं, बाढ़ कॉरिडोर का नहीं; इस अध्याय के लिए संपूर्ण अभिलिखित और मानसून विस्तार जलाशय है।

- **WRD, खदान और राखड़ बाँध की रेखाएँ.** WRD की नदियों, डैमों, जलाशयों, बैराजों और नहरों पर या उनके निकट के कार्यों के लिए उसका अनुमोदन आवश्यक है; किसी खदान के गड्ढे, खदान झील या खनन कार्य के निकट के कार्यों के लिए पट्टाधारी और DGMS की सम्मति आवश्यक है, और कोई पर्यावरण स्वीकृति किसी नदी से अधिक चौड़ा बफर निर्धारित कर सकती है (जैसे राज्य की एक कोयला खदान की 2024 की एक स्वीकृति में, जो DGMS की 15 m की दूरी और मूल्यांकन समिति द्वारा अपेक्षित 100 m का बफर दर्ज करती है); किसी ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध के निकट के कार्यों के लिए उसके संचालक की सम्मति आवश्यक है।

यह मैनुअल 15 m को न्यूनतम सीमा के रूप में इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि नियमों के छत्तीसगढ़ पाठ में तालाबों और नालों के लिए किसी चौड़ाई की पुष्टि नहीं हुई है; क्योंकि 15 m विरासत में मिले नियम 50(b) की बड़ी दूरी है; क्योंकि यह APWA के उस सबसे छोटे डिफॉल्ट धारा बफर (12 m) से ऊपर है जिससे तालिका 7.1 अनुपातित है; और क्योंकि यह उस रखरखाव मार्ग और गाद निकालने की मशीनों के लिए स्थान छोड़ता है जिनकी नालों को आवश्यकता होती है। कॉरिडोर के कारण अभिलेख में हैं: रायपुर, जिसमें लगभग 130 तालाब होने की सूचना है, के बारे में बताया गया है कि उसमें लगभग 37 से 40 बचे हैं, "सभी ... प्रदूषित और भारी गाद से भरे" ("all ... polluted and heavily silted") (प्रकाशित खबरों के अनुसार; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं); जुलाई 2026 में रायपुर की चौबे कॉलोनी में पाँच तालाब उफनकर घरों में घुस गए, और ड्रेनों के अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह जाने की सूचना मिली (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नगर पालिक निगम रायपुर ने 2015 में अभिलिखित किया कि उसकी वर्षा जल ड्रेनें शहर के 49% भाग को ढकती हैं, कि "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है" ("Capacity of drain is not sufficient"), और कि सड़क के 11 हिस्से वर्ष में दो या तीन बार जलमग्न होते हैं (AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना); और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने करबला तालाब पर और झांझ आर्द्रभूमि पर 50 m की रेखा के भीतर कार्य पाए (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जब तक कोई कानून, नियम, अधिसूचना, विकास योजना या न्यायालय इसे अंगीकार नहीं करता, 15 m का न्यूनतम इस मैनुअल का अनुशंसित मानक है, और ऊपर के सांविधिक, योजना, आर्द्रभूमि और न्यायालयी नियंत्रण ही एकमात्र विधिक न्यूनतम बने रहते हैं। अनुमोदन प्राधिकारियों को प्रत्येक अनुमोदन में बताना चाहिए कि कौन-सा लागू किया गया।

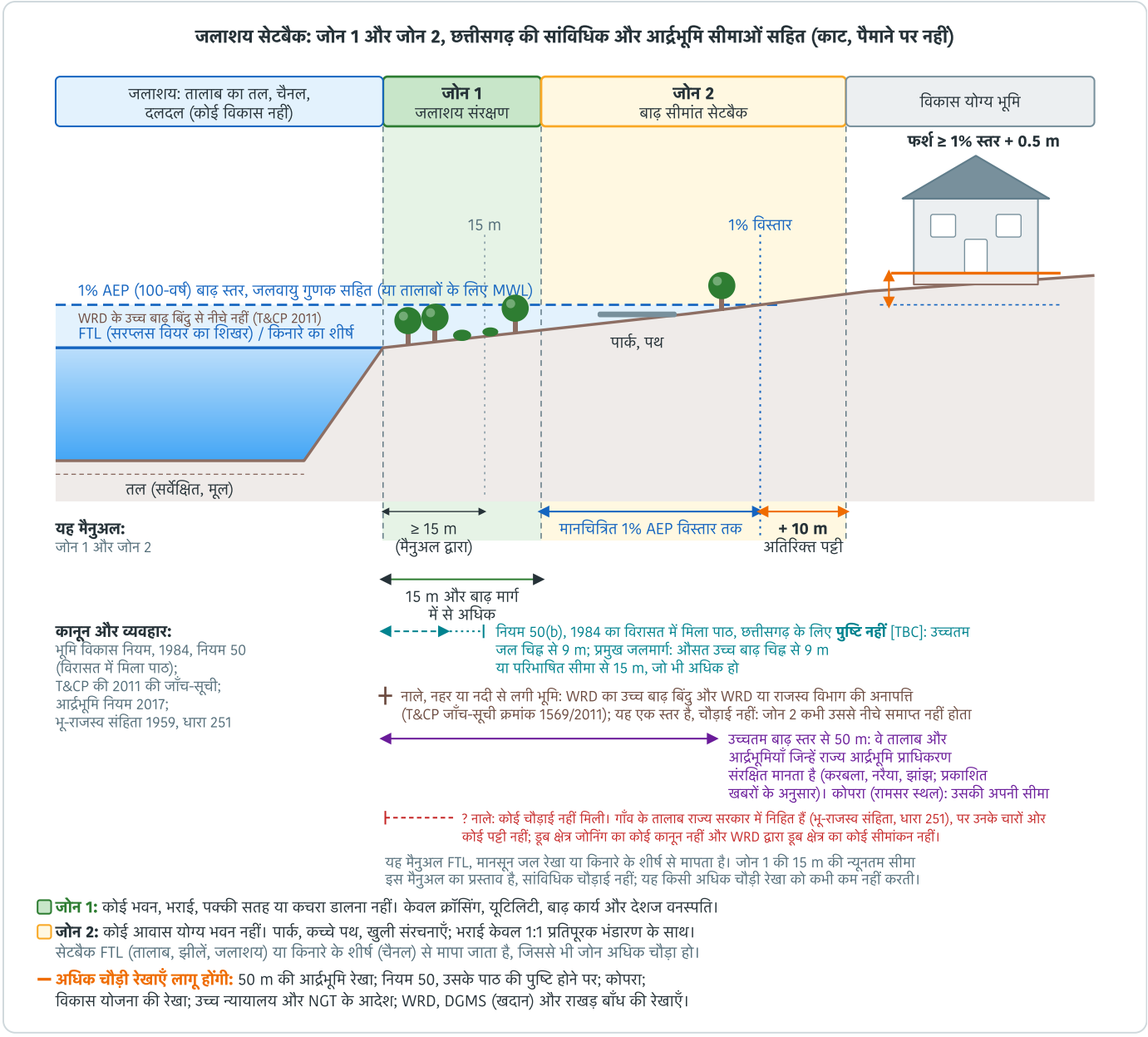

चित्र 7.1 — जलाशय के सेटबैक जोन: किसी तालाब या चैनल की अनुप्रस्थ काट जिसमें FTL, 1% AEP बाढ़ जल स्तर, 15 m न्यूनतम रेखा, जोन 1 और जोन 2 दर्शाए गए हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 Version 2025.01 और Policy Supplement (MARC, 2025) से अनुकूलित।

7.5 प्रत्येक जोन में अनुमत उपयोग

7.5.1 **जोन 1.** जोन 1 में कोई भवन, भराई, पक्की सतह, प्रतिधारक दीवार, सीमा दीवार, चारदीवारी, मिट्टी, मलबे या ठोस अपशिष्ट का ढेर, सामग्री का भंडारण, या निर्माण-चरण का ढेर नहीं रखा जाएगा। केवल निम्नलिखित अनुमत हैं, प्रत्येक अभिरक्षक के NOC के अधीन:

- (a) सड़क, रेल और उपयोगिता क्रॉसिंग जो खंड 7.10.3 की अपेक्षाएँ पूरी करती हों;
- (b) बाढ़ और जल निकासी कार्य: आउटफॉल, इनलेट संरचनाएँ, स्थूल प्रदूषक जाल, स्लूइस, सरप्लस वियर, बाँध का सुदृढ़ीकरण और किनारे का संरक्षण;
- (c) देशज वनस्पति, पौधारोपण और पर्यावास कार्य;
- (d) विद्यमान भूतल स्तर पर कच्चे या पारगम्य फुटपाथ और रखरखाव मार्ग; और

- (e) खंड 7.9 के अंतर्गत जलाशय का पुनर्स्थापन।

7.5.2 **जोन 2.** जोन 2 में कोई आवास योग्य भवन, बेसमेंट, विद्यालय, अस्पताल, ईंधन भंडार या खतरनाक सामग्री का भंडार नहीं रखा जाएगा। निम्नलिखित अनुमत हैं:

- (a) जोन 1 में अनुमत सभी उपयोग;
- (b) पार्क, खेल के मैदान, खुले खेल मैदान और शहरी कृषि;
- (c) खुले किनारों वाली संरचनाएँ (शेल्टर, मंडप) जिनमें प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली कोई दीवार न हो;
- (d) विद्यमान भूतल स्तर पर पारगम्य सतह वाली सतही पार्किंग, जहाँ 1% AEP बाढ़ की गहराई 0.3 m से अधिक न हो;
- (e) अध्याय 4 और 8 के अंतर्गत प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण और जल गुणवत्ता सुविधाएँ, बशर्ते वे बाढ़ मार्ग के बाहर हों और उनके भंडारण को दो बार न गिना जाए (खंड 7.6.5); और
- (f) भराई, केवल (a) से (e) के लिए या आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना के लिए, और केवल खंड 7.6.4 के अंतर्गत प्रतिपूरक भंडारण के साथ।

7.5.3 **बाड़.** जोन 1 और जोन 2 में बाड़ खुली (चेन-लिंक या रेलिंग) होंगी, जिनमें विद्यमान भूतल स्तर से ऊपर कोई प्लिंथ दीवार नहीं होगी, ताकि वे प्रवाह को अवरुद्ध न करें या मलबा न रोकें।

7.5.4 **खुले स्थान का आरक्षण.** जहाँ प्राधिकारी सहमत हो, वहाँ जोन 2 की भूमि को भूमि विकास नियम, 1984 द्वारा अपेक्षित सामुदायिक खुले स्थान में गिना जा सकता है। जोन 1 की भूमि, जैसा प्राधिकारी निर्णय करे, अभिरक्षक को हस्तांतरित की जाएगी या निजी उपयोग से मुक्त रखी जाएगी।

> **भाष्य.** अनुमत उपयोग APWA 2025.01 के अनुरूप हैं: जोन 1 में केवल उपयोगिता सेवाओं और सड़कों की क्रॉसिंग; जोन 2 में रैखिक उपयोगिता सेवाएँ, पगडंडियाँ और खुले किनारों वाली संरचनाएँ; अनुमोदन के बिना किसी भी जोन में कोई सफाई, समतलन, भराई या पक्की सतह नहीं (MARC Supplement, 2025)। खंड 7.5.2 में पार्क और खेल के मैदान जोड़े गए हैं, जो वे उपयोग हैं जिनकी अनुमति URDPFI (2015) 10 वर्ष के बाढ़ जोन में देता है। खंड 7.5.1 और 7.5.3 में दीवारों पर रोक शहरी छत्तीसगढ़ की प्रथा को देखते हुए है: चैनलों और तालाबों के किनारे चारदीवारियाँ बाढ़ में डैम की तरह काम करती हैं, और प्रायः अतिक्रमण की ओर पहला कदम होती हैं। खंड 7.5.2(d) में पार्किंग के लिए 0.3 m की गहराई सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.6 बाढ़ मार्ग, बाढ़ सीमांत क्षेत्र और प्रतिपूरक भंडारण

7.6.1 **बाढ़ मार्ग का निर्धारण.** बाढ़ मार्ग का निर्धारण 1% AEP बाढ़ (जलवायु गुणक के साथ) के हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा, अतिक्रमण विधि (encroachment method) से किया जाएगा: बाढ़ सीमांत क्षेत्र की वहन क्षमता को दोनों किनारों से बराबर-बराबर तब तक हटाया जाता है जब तक 1% AEP जल स्तर 0.1 m न बढ़ जाए। जहाँ बाढ़ मार्ग का निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ संपूर्ण 1% AEP बाढ़ विस्तार को बाढ़ मार्ग माना जाएगा। तालाब के लिए, MWL से नीचे की समस्त भूमि बाढ़ मार्ग है।

7.6.2 **बाढ़ मार्ग में भराई नहीं.** बाढ़ मार्ग के भीतर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे कोई भराई, भवन, तटबंध, ऊँची सड़क या अन्य अवरोध नहीं रखा जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जो खंड 7.5.1(a) और (b) के अंतर्गत जोन 1 में अनुमत हैं। हाइड्रोलिक विश्लेषण द्वारा दर्शाया जाएगा कि वे कार्य आवेदक की भूमि के बाहर, प्रतिप्रवाह या अनुप्रवाह की ओर, 1% AEP जल स्तर को 0.01 m से अधिक नहीं बढ़ाते।

7.6.3 **बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई.** बाढ़ सीमांत क्षेत्र में 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे भराई केवल निम्नलिखित स्थिति में अनुमत है:

- (a) खंड 7.5.2 के अंतर्गत अनुमत उपयोगों के लिए, या सेटबैक के बाहर जहाँ प्राधिकारी ने खंड 7.6.6 के अंतर्गत विकसित सीमांत क्षेत्र (developed-fringe area) अधिसूचित किया है; और

- (b) खंड 7.6.4 के अंतर्गत प्रतिपूरक भंडारण के साथ।

7.6.4 **प्रतिपूरक भंडारण.** जहाँ बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई की जाती है, वहाँ ऐसा प्रतिपूरक भंडारण उपलब्ध कराया जाएगा जो (चित्र 7.2):

- (a) 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे की गई **प्रत्येक 1.0 m^3 भराई के लिए कम से कम 1.0 m^3 भंडारण** का प्रतिस्थापन करे;
- (b) **समतुल्य स्तरों** पर उपलब्ध कराया जाए: सामान्य जल स्तर (या, जहाँ अधिक हो, 50% AEP स्तर) से 1% AEP बाढ़ जल स्तर तक, **0.3 m** से अधिक मोटाई की न होने वाली प्रत्येक ऊँचाई पट्टी (elevation band) में खोए गए आयतन और प्रतिस्थापित आयतन को संतुलित किया जाएगा;
- (c) उसी जलाशय की उसी भाग (reach) में हो, उससे हाइड्रोलिक रूप से जुड़ा हो, और भराई से अधिक अनुप्रवाह की ओर न हो;
- (d) बाढ़ उतरने पर गुरुत्व से स्वतंत्र रूप से जलाशय में वापस खाली हो, बिना पंपिंग के और सामान्य जल स्तर से नीचे किसी स्थायी जल-भंडार के बिना;
- (e) भराई किए जाने से पहले या उसी समय बनाया जाए; और
- (f) प्रसंविदा (covenant) या हस्तांतरण द्वारा सुरक्षित किया जाए ताकि उसे बाद में कभी भरा न जाए।

7.6.5 **दोहरी गणना नहीं.** प्रतिपूरक भंडारण को अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण या प्रतिधारण भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा। 1% AEP बाढ़ विस्तार के भीतर रखे गए अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण भंडारण को केवल 1% AEP बाढ़ जल स्तर से ऊपर के आयतन के लिए गिना जाएगा, जब तक कि संयुक्त घटना का मॉडल (खंड 2.12) यह न दर्शाए कि वह उपलब्ध है।

7.6.6 **विकसित सीमांत क्षेत्र.** प्राधिकारी, मानचित्र द्वारा, 1% AEP बाढ़ विस्तार के भीतर पर बाढ़ मार्ग के बाहर विद्यमान निर्मित भूमि के ऐसे क्षेत्र अधिसूचित कर सकता है जहाँ पुनर्विकास पर जोन 2 लागू करना व्यावहारिक नहीं है। किसी अधिसूचित विकसित सीमांत क्षेत्र में:

- (a) पुनर्विकास का अनुमोदन जोन 2 के प्रतिबंध के बिना किया जा सकता है;
- (b) सबसे निचला आवास योग्य तल और सभी खुले भाग 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर होंगे (अध्याय 6);
- (c) बेसमेंट अनुमत नहीं हैं;
- (d) पुनर्विकास से 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे बाढ़ भंडारण की कोई शुद्ध हानि नहीं होगी (खंड 7.6.4), और इसके लिए स्टिल्ट निर्माण का उपयोग किया जा सकता है; और
- (e) जोन 1 पूर्ण रूप से लागू रहता है।

> **भाष्य.** समतुल्य स्तरों पर 1:1 प्रतिपूरक भंडारण इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। केवल आयतन का संतुलन पर्याप्त नहीं है: सामान्य जल स्तर से नीचे खोदा गया भंडारण बाढ़ आने से पहले ही भरा होता है और बाढ़ में कोई लाभ नहीं देता। ऊपर प्राप्त भंडारण नीचे खोए भंडारण का स्थान नहीं लेता, क्योंकि निचला भंडारण हर बाढ़ में उपयोग होता है और ऊपरी भंडारण केवल सबसे बड़ी बाढ़ में। प्रत्येक ऊँचाई पट्टी के भीतर आयतन का संतुलन दोनों समस्याओं से बचाता है। 0.3 m की पट्टी, क्रॉसिंग के लिए 0.01 m की छूट-सीमा, और खंड 7.6.1 में अतिक्रमण विधि का उपयोग इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं; अतिक्रमण विधि एक-आयामी हाइड्रोलिक मॉडल में बाढ़ मार्ग निर्धारित करने का मानक तरीका है। 1% AEP जल स्तर में वृद्धि पर 0.1 m की सीमा अमेरिका के National Flood Insurance Program द्वारा प्रयुक्त 1 ft (लगभग 0.3 m) से अधिक कठोर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार और डोरसा की निचली भूमियाँ और धान की भूमि, उसके शहरी तालाबों के किनारे, और शिवनाथ, खारुन और अरपा के डूब क्षेत्र समतल हैं, इसलिए स्तर में छोटी-सी वृद्धि भी बाढ़ को बड़े क्षेत्र पर फैला देती है, और एक ही चैनल के किनारे कई छोटे अतिक्रमण मिलकर बड़े हो जाते हैं।
>
> छत्तीसगढ़ में तालाबों और आर्द्रभूमियों के चारों ओर की रेखाएँ शुष्क मौसम की जल रेखा से नहीं, बल्कि एक ऊँचे स्तर से मापी जाती हैं: भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50(b) का विरासत में मिला पाठ "उच्चतम जल चिह्न" ("the highest water mark") और "औसत उच्च बाढ़ चिह्न" ("average high flood mark") से मापता है (छत्तीसगढ़ का पाठ [TBC]), राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण अपने 50 m उच्चतम बाढ़ स्तर से मापता है, और T&CP किसी नाले या नदी के किनारे की भूमि के लिए WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगता है। मैदान पर यह अंतर महत्वपूर्ण है, जहाँ किसी तालाब का शुष्क मौसम का जल-भराव उसके मानसून के फैलाव से बहुत छोटा हो सकता है: रायपुर के बचे हुए तालाबों के बारे में बताया गया है कि वे कुल मिलाकर लगभग 69 ha में फैले हैं और भारी गाद से भरे हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और

बूढ़ा तालाब का भी कोई आधिकारिक क्षेत्रफल नहीं मिला, जिसे लगभग 30 ha का बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए गर्मियों के सिकुड़े किनारे से खींची गई रेखा किसी तालाब के अपने भंडारण के बड़े भाग को निर्माण के लिए खुला छोड़ देगी। यह मैनुअल उसी नियम को हर तालाब, बाँध (bandh) और झील के लिए एक स्तर देता है: उसकी मानसून जल रेखा, और उसका FTL, उसकी सीमा के भाग हैं (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ), और MWL तक का अग्रतट, जो प्रायः कन्हार की धान भूमि होता है, उसका बाढ़ भंडारण है। MWL से नीचे की समस्त भूमि को बाढ़ मार्ग मानने (खंड 7.6.1) का अर्थ है कि किसी तालाब के अग्रतट में कोई नया भवन या भराई अनुमोदित नहीं की जाती।

खंड 7.6.6 की विकसित सीमांत क्षेत्र व्यवस्था इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। रायपुर के बड़े भाग, जैसे उसके तालाबों के आसपास की कॉलोनियाँ, जहाँ जुलाई 2026 में चौबे कॉलोनी में पाँच तालाब उफनकर घरों में घुस गए, और महादेव घाट पर खारुन के किनारे की निचली भूमि, जिसके ऊपर से सितंबर 2026 में पानी बहा (दोनों प्रकाशित खबरों के अनुसार), अरपा के किनारे बिलासपुर के बड़े भाग, और दर्री के बैराज के नीचे हसदेव के किनारे कोरबा के बड़े भाग, जहाँ अगस्त 2024 में बांगो और दर्री के गेट खोले जाने पर मोतीसागरपारा, सीतामणी और इमलीडुग्गू में घर जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार), पहले से ही 1% AEP विस्तार के भीतर हैं। वहाँ पुनर्विकास पर जोन 2 की सर्वव्यापी रोक पुराने, निचले भवनों के स्थान पर बाढ़ स्तर से ऊपर उठाए गए भवन बनाने को रोक देगी। यह व्यवस्था 25 वर्ष के बाढ़ जोन के लिए URDPFI (2015) की पद्धति (स्टिल्ट, न्यूनतम प्लिंथ, बेसमेंट नही) के अनुरूप है, जिसे यहाँ 1% AEP विस्तार पर लागू किया गया है।

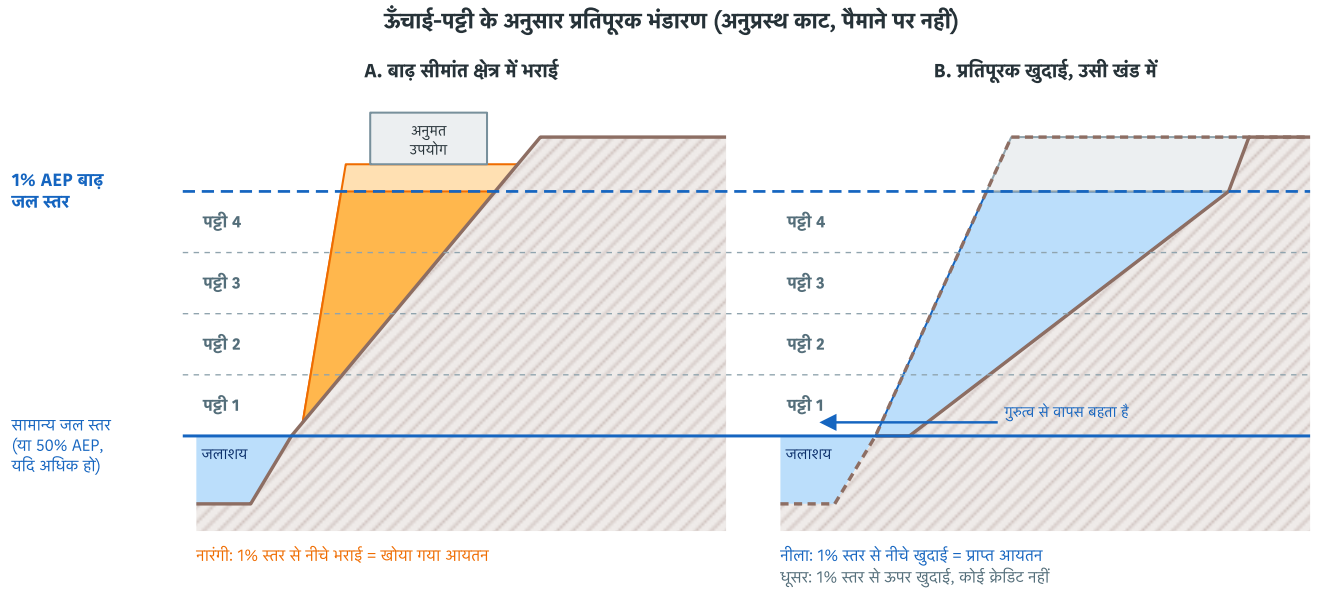

चित्र 7.2 — ऊँचाई पट्टी के अनुसार प्रतिपूरक भंडारण: बाढ़ सीमांत क्षेत्र की अनुप्रस्थ काट, जिसमें 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे की गई भराई और सामान्य जल स्तर (या 50% AEP स्तर) से 1% AEP स्तर तक, 0.3 m से अधिक मोटाई की न होने वाली प्रत्येक पट्टी के भीतर खोदा गया बराबर या अधिक आयतन दर्शाया गया है, और खुदाई गुरुत्व से जलाशय में वापस खाली होती है। पट्टी-दर-पट्टी गणना प्रपत्र 7-3 पर। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, जो खंड 7.6.4 की विधि को दर्शाती है, जो इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.7 डिजाइन भंडारण के रूप में तालाब शृंखलाएँ

छत्तीसगढ़ में तालाबों का कोई अधिनियम नहीं है, और उसके भंडारण कुछ मीटर चौड़ी गाँव की डबरियों (dabri) से लेकर गेटयुक्त डैमों से रोके गए नदी जलाशयों तक हैं। शहरी जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण भंडारण पाँच प्रकार के हैं। पहला मैदान का शहरी और ग्रामीण तालाब (talab), बाँध (bandh), डबरी या कुंड (kund) है, जिसमें सामान्यतः कोई आउटलेट संरचना नहीं होती, जो राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित होता है और राज्य सरकार में निहित होता है (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251) या, किसी नगर में, स्थानीय निकाय में। रायपुर के तालाब इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं: तालाबों का एक समूह, जैसे बूढ़ा तालाब (विवेकानंद सरोवर, लगभग 30 ha का बताया गया), तेलीबांधा, कंकाली, महाराजबंध, करबला और नरैया, जो कॉलोनी के नालों से जुड़े हैं जिनकी निकासी खारुन में होती है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार), और नगर निगम की 2015 की योजना के कार्यों में राजा तालाब के लिए एक वर्षा जल ड्रेन परियोजना भी है (AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना)। ये वे तालाब हैं जिनके लिए चित्र 7.3 और खंड 7.7.2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से किसी का भी कोई स्तर, क्षमता या प्रचालन नियम नहीं मिला। दूसरा नवा रायपुर अटल नगर की झीलों और जलाशयों का जाल है, जिनकी संख्या 55 बताई गई है, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ और खंडवा (Khandawa) झीलें हैं, जिनमें विकास योजना उद्यानों को "वर्षा जल वाहक" ("storm water carriers") बनाती है और अपेक्षा करती है कि वर्षा जल "वर्षा जल निकासी प्रणाली से खोदी गई या प्राकृतिक झीलों/ गर्तों में" ("into dug up or natural lakes/ depressions, from the storm water drainage system") भंडारित किया जाए (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2; संख्या प्रकाशित खबरों के अनुसार); ये NRDA के पास हैं, और इनमें से झांझ आर्द्रभूमि को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। तीसरा WRD के जलाशय और बैराज हैं, जैसे गंगरेल (रविशंकर सागर), मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग, मनियारी, केलो डैम, मोंगरा और भैंसाझार पर अरपा बैराज, और रायपुर के पास के छोटे जलाशय, जैसे कुम्हारी (Kumhari) और पेंड्रावन (Pendrawan), जिनके जलाशय के पूर्ण जल स्तर WRD बताता है (10 अक्तूबर 2024 की जलाशय गेज रिपोर्ट); इनसे छोड़ा गया पानी डिजाइन में अंतर्वाह और टेलवाटर के रूप में आता है (अध्याय 5), और जब तक इनका भंडारण नहीं गिना जाता, ये इन खंडों के लिए तालाब नहीं हैं। बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, जिसे WRD ने 1993 में बनाया और जो राज्य का पहला रामसर स्थल है, घोंघा (Ghonga) में उफनता है, जो मनियारी और शिवनाथ से मिलती है (रामसर सूचना पत्रक)। चौथा शहरी सीमांत के गाँवों की डबरियाँ और खेत के तालाब हैं, जिनका मॉडल जलग्रहण क्षेत्र की विद्यमान संरचनाओं के रूप में बनाया जाता है पर जिन्हें भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। पाँचवाँ कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों और बिजली संयंत्रों के खदान के गड्ढे, खदान झीलें और ऐश पॉन्ड हैं; हसदेव अरण्य और अन्य कोयला क्षेत्रों के खदान के गड्ढों की कोई सूची नहीं मिली, और उन पर खंड 7.2 के बाद की परिभाषाओं के अंतर्गत विचार किया जाता है। खंड 7.7 और 7.8 इनमें से किसी पर भी लागू होते हैं जिसका भंडारण गिना जाता है; कोई भी शहरी तालाब, नवा रायपुर की झील, जलाशय या खदान झील जिसका भंडारण गिना जाना है, स्थानीय निकाय, NRDA, WRD, पट्टाधारी या अन्य अभिरक्षक के साथ, पूर्ण रूप से खंड 7.7.1 के अधीन है, और प्रत्येक तालाब और झील के अभिरक्षक की सूची (परिशिष्ट 7A) के लिए पुष्टि की जाएगी।

7.7.1 **तालाब का भंडारण कब गिना जा सकता है.** किसी तालाब या तालाब शृंखला के भंडारण को डिजाइन भंडारण के रूप में (किसी बेसिन प्लान, क्षेत्रीय सुविधा या खंड 7.11 के अंतर्गत एवज शुल्क योजना में) **केवल** तभी गिना जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) **सर्वेक्षित स्तर.** FTL, MWL, TBL, सरप्लस वियर का शिखर और लंबाई, और स्लूइस के सिल स्तरों का सर्वेक्षण पिछले 5 वर्षों के भीतर खंड 7.3.5 के डेटम पर किया गया हो।
- (b) **जल स्तर–भंडारण वक्र.** पिछले 5 वर्षों के भीतर, या पिछली बार गाद निकालने के बाद, इनमें से जो बाद में हो, जल-फैलाव क्षेत्र और अग्रतट के जल-गहराई (bathymetric) और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण वक्र (stage–storage curve) व्युत्पन्न किया गया हो।
- (c) **प्रचालन नियम.** अभिरक्षक के साथ एक दस्तावेजित प्रचालन नियम पर सहमति हुई हो (खंड 7.8)।
- (d) **अनुरक्षित संरचनाएँ.** सरप्लस वियर, स्लूइस और बाँध का रखरखाव O&M योजना (अध्याय 10) के अंतर्गत किया जाता हो, और नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण में वे सेवा योग्य पाए गए हों।
- (e) **अभिरक्षक की सहमति.** WRD, या अन्य अभिरक्षक, लिखित में सहमति देता है।

जो तालाब (a) से (e) में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता, उसका भंडारण नहीं गिना जाएगा, यद्यपि उस तालाब का मॉडल फिर भी एक विद्यमान संरचना के रूप में बनाया जाएगा (अध्याय 3)।

7.7.2 **मॉडलिंग.** तालाब शृंखलाओं का मॉडल खंड 3.12.5 (प्रत्येक तालाब की स्तर-ताल रूटिंग, सरप्लस वियर और स्लूइस के हेड–प्रवाह दर संबंधों के साथ) और खंड 3.13 (सतत सिमुलेशन) के अंतर्गत बनाया जाएगा। संपूर्ण शृंखला का, सबसे ऊपरी उस तालाब से जिसका अतिरिक्त जल साइट या सुविधा तक पहुँच सकता है, अगली नदी, प्रमुख ड्रेन या समुद्री आउटफॉल तक, एक साथ मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदान पर रायपुर जैसे किसी शहरी समूह का प्रत्येक वह तालाब, जिसे कॉलोनी के नाले और अतिप्रवाह चैनल जोड़ते हैं, अपने FTL या अतिप्रवाह स्तर, MWL और अतिप्रवाह के साथ, वह नाला जिसमें वह उफनता है और वह नदी जिस तक वह नाला पहुँचता है, जैसे रायपुर में खारुन, नदी के स्तर को नाले का टेलवाटर मानते हुए, और समूह की किनारी की धान की निचली भूमि, जो बाढ़ का पानी भंडारित करती है और जिसे भरा नहीं जाना है, शामिल होंगे, जैसा चित्र 7.3 में दर्शाया गया है।

7.7.3 **प्रारंभिक स्तर.** डिजाइन वर्षा घटना के विश्लेषण के लिए प्रत्येक तालाब में प्रारंभिक स्तर **FTL** होगा। इससे निचले प्रारंभिक स्तर का उपयोग केवल ऐसे बाढ़ कुशन प्रचालन नियम के अंतर्गत किया जा सकता है जो खंड 7.8 की अपेक्षाएँ पूरी करता हो।

7.7.4 **डिजाइन अधिकतम स्तर.** जलवायु गुणक के साथ, शृंखला से होकर रूट किए गए 1% AEP अंतर्वाह के लिए:

- (a) परिकलित अधिकतम स्तर MWL (जैसा खंड 7.2 में परिभाषित है) से ऊँचा नहीं होगा; और
- (b) परिकलित अधिकतम स्तर से बाँध के सबसे निचले बिंदु (TBL) तक का फ्रीबोर्ड उस तालाब के लिए WRD के फ्रीबोर्ड मानक से कम नहीं होगा।

जहाँ (a) या (b) पूरा नहीं होता, वहाँ FTL से ऊपर का तालाब भंडारण तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक खंड 7.7.6 के अंतर्गत सरप्लस वियर की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती या बाँध ऊँचा नहीं किया जाता।

7.7.5 **क्रेडिट योग्य आयतन.** किसी तालाब का क्रेडिट योग्य डिजाइन भंडारण प्रारंभिक स्तर (खंड 7.7.3) और खंड 7.7.4 के परिकलित अधिकतम स्तर के बीच का आयतन है, जिसमें से किसी अन्य सुविधा या योजना के लिए पहले से प्रतिबद्ध आयतन घटा दिया जाता है।

7.7.6 **FTL, वियर और बाँधों में परिवर्तन.** कोई सरप्लस वियर का शिखर ऊँचा या नीचा नहीं किया जाएगा, कोई शटर या फॉलिंग बोर्ड नहीं जोड़े जाएँगे, और कोई बाँध ऊँचा नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा या तोड़ा नहीं जाएगा, सिवाय अभिरक्षक द्वारा अनुमोदित ऐसे डिजाइन के अंतर्गत जो:

- (a) खंड 7.7.2 के अंतर्गत शृंखला की रूटिंग करता हो;
- (b) अग्रतट में और प्रतिप्रवाह की ओर बाढ़ स्तरों पर, और अतिरिक्त जल मार्ग में तथा अनुप्रवाह की ओर प्रवाहों पर प्रभाव दर्शाता हो; और
- (c) खंड 7.14 के अंतर्गत बाँध की जाँच करता हो।

> **भाष्य.** यह मैनुअल तीन मूल शर्तों (सर्वेक्षित FTL, दस्तावेजित प्रचालन नियम और अनुरक्षित सरप्लस वियर) के अधीन तालाब शृंखलाओं को डिजाइन भंडारण के रूप में उपयोग करने देता है। खंड 7.7.1 जल स्तर–भंडारण सर्वेक्षण और अभिरक्षक की सहमति जोड़ता है, क्योंकि कोई तालाब वास्तव में कितना भंडारण देता है यह उसके गाद स्तर पर और इस पर निर्भर करता है कि स्लूइस किसके नियंत्रण में हैं। 5 वर्ष का सर्वेक्षण अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।
>
> FTL का प्रारंभिक स्तर खंड 3.12.5 के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ की सबसे बुरी बाढ़ें तब आई हैं जब जलाशय और तालाब पहले से भरे थे। 4 और 5 जुलाई 2026 को रायपुर की चौबे कॉलोनी में पाँच तालाब उफनकर घरों में घुस गए, और आदर्श नगर, डीडी नगर, शंकर नगर और टाटीबंध में पानी भरा रहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 24 से 27 सितंबर 2026 की राज्यव्यापी बाढ़ में, गंगरेल के सभी 14 गेट खुले होने पर, खारुन महादेव घाट, अमलेश्वर और खुडमुड़ा (Khudmuda) में उफनी और अभनपुर में लगभग 2,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); लगभग 3 अक्तूबर 2025 को गंगरेल ने, 348.68 m पर और 99.49% भरा होने पर, 8 गेटों से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और नदी किनारे के 72 गाँवों को सतर्क किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और 24 से 26 अगस्त 2024 को मिनीमाता बांगो ने 6 गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री बैराज ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, और कोरबा में घर जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इस मैनुअल के लिए ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जो दर्शाए कि वर्षा के किसी लंबे दौर में रायपुर के तालाब या नवा रायपुर की झीलें कितने समय तक अपने अतिप्रवाह स्तर पर या उससे ऊपर रहती हैं। जब कोई तालाब भरा होता है, तब

वह FTL से नीचे और कुछ भंडारित नहीं करता, उसमें गिरने वाली कॉलोनी की ड्रेनें और नाले उसके अतिप्रवाह स्तर के विरुद्ध पानी छोड़ते हैं, और उसका अतिप्रवाह उसके नीचे के नाले के प्रवाह में जुड़ता है, जो स्वयं नदी के विरुद्ध पानी छोड़ता है। तालाब शृंखला बाढ़ को एक तालाब से अगले तालाब तक पहुँचाती है, इसलिए जो डिजाइन एक तालाब में भंडारण गिनता है और उसके ऊपर के तालाब से आने वाले अतिरिक्त जल की उपेक्षा करता है, वह लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर आँकेगा। इसीलिए खंड 7.7.2 संपूर्ण शृंखला का मॉडल बनाने की अपेक्षा करता है।

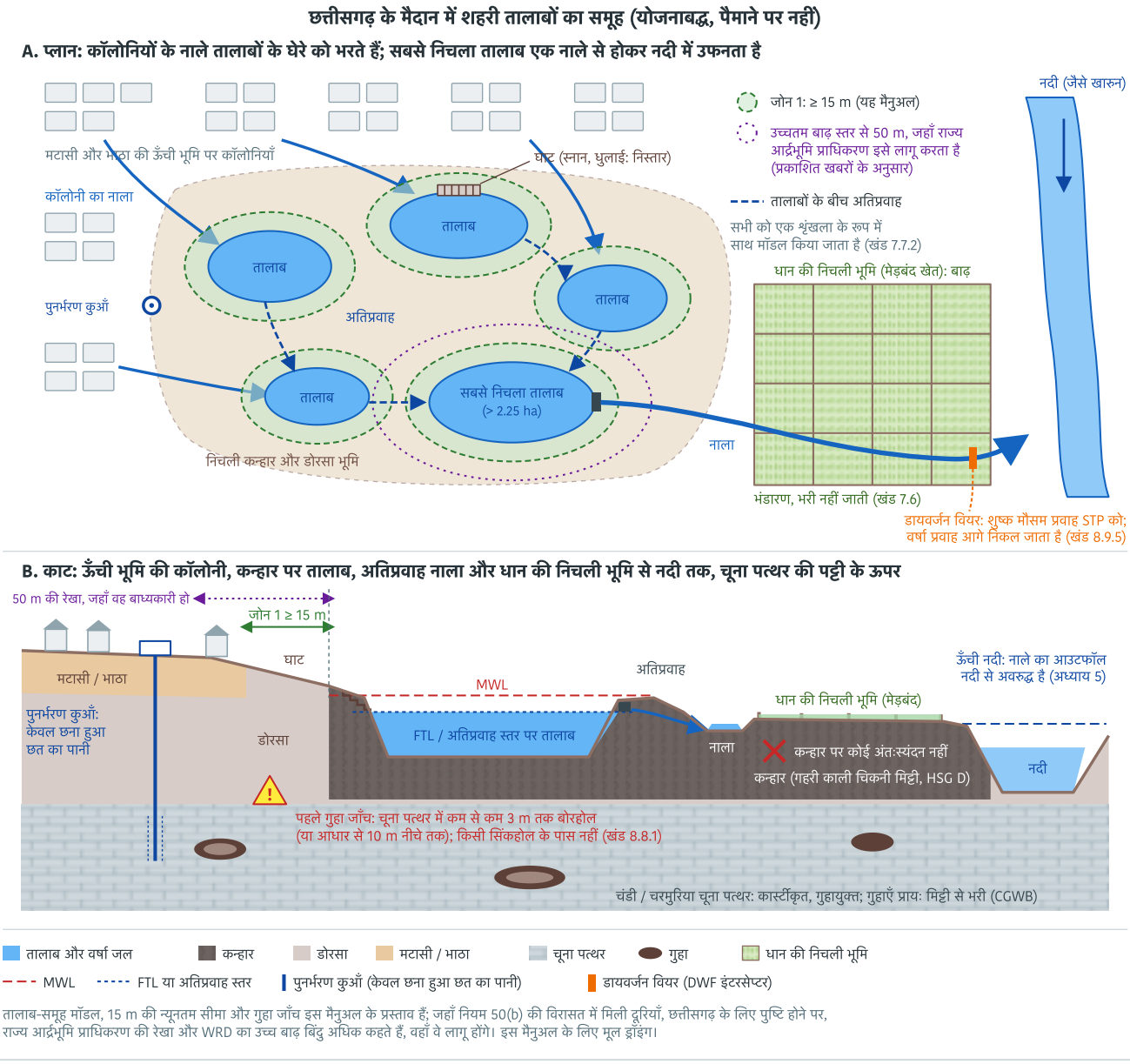

चित्र 7.3 — छत्तीसगढ़ के मैदान पर एक शहरी तालाब समूह (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं; रायपुर जैसा, पर कोई विशेष तालाब, नाला या कॉलोनी नहीं दर्शाई गई)। A: प्लान में, कॉलोनी की ड्रेनें (नाली) और कॉलोनी के नाले निचली कन्हार और डोरसा भूमि पर तालाबों के एक घेरे में जाते हैं; तालाब अतिप्रवाह चैनलों से होकर एक से दूसरे में उफनते हैं, और सबसे निचला तालाब ऐसे नाले में उफनता है जो धान की निचली भूमि की किनारी पट्टी के पास से होकर नदी तक जाता है, जैसे रायपुर में खारुन। तालाबों, नालों और नदी का मॉडल एक शृंखला के रूप में एक साथ बनाया जाता है (खंड 7.7.2); प्रत्येक तालाब का FTL या अतिप्रवाह स्तर और मानसून जल रेखा उसकी सीमा के भाग हैं, जिससे जोन 1 (कम से कम 15 m, इस मैनुअल का प्रस्ताव) और, जहाँ वह लागू हो, उच्चतम बाढ़ स्तर से राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 50 m की रेखा मापी जाती है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। नहाने और कपड़े धोने (निस्तार) के घाट तालाब का भाग बने रहते हैं। धान की निचली भूमि बाढ़ भंडारण है और उसे भरा नहीं जाता (खंड 7.6)। B: काट में, भरा हुआ तालाब अपने अतिप्रवाह स्तर से नीचे और कुछ भंडारित नहीं करता, उसके अंतर्वाही नाले उस स्तर के विरुद्ध पानी छोड़ते हैं, और उसके नीचे का नाला नदी के विरुद्ध पानी छोड़ता है; नदी ऊँची रहने तक नाले का आउटफॉल नदी से अवरुद्ध रहता है (अध्याय 5)। कन्हार पर

कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं रखी जाती। रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चूना पत्थर के ऊपर, जो कार्स्टीकृत और गुहायुक्त है (CGWB), मटासी या भाठा की ऊपरी भूमि पर एक पुनर्भरण कुआँ केवल छना हुआ छत का पानी लेता है, और केवल गुहा जाँच के बाद (खंड 8.8.1)। समूह, 15 m का न्यूनतम और गुहा जाँच इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं; विरासत में मिले नियम 50(b) की दूरियाँ, छत्तीसगढ़ के लिए पुष्टि होने पर, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की रेखा और WRD का उच्च बाढ़ बिंदु, जहाँ वे अधिक कहते हैं, वहाँ लागू होते हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

7.8 प्रचालन नियम और मानसून-पूर्व बाढ़ कुशन

7.8.1 **प्रचालन नियम की विषय-वस्तु.** जिस भी तालाब का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, उसका एक लिखित प्रचालन नियम होगा, जिस पर अभिरक्षक की सहमति हो और जिसे O&M योजना (अध्याय 10) के साथ रखा जाए। उसमें निम्नलिखित बताया जाएगा:

- (a) वर्ष भर भरने, रोके रखने और जल स्तर घटाने के स्तर और तिथियाँ;
- (b) प्रत्येक स्तर पर स्लूइस और रेगुलेटर की सेटिंग;
- (c) स्लूइस और रेगुलेटर कौन संचालित करता है, और पानी छोड़ने का आदेश कौन दे सकता है;
- (d) अधिकतम निकास दर, जो इस प्रकार निर्धारित हो कि छोड़ा गया पानी, अनुप्रवाह के जलग्रहण क्षेत्र के प्रवाह के साथ मिलकर, अनुप्रवाह की ओर भवनों में बाढ़ न लाए;
- (e) पूर्वानुमान और चेतावनी के प्रारंभक (IMD की जिला चेतावनियाँ, CGSDMA के अलर्ट, और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ शहर की पूर्वानुमान प्रणालियाँ) और प्रत्येक प्रारंभक पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ;
- (f) पानी छोड़ने से पहले अनुप्रवाह के ULB और निवासियों से संवाद; और
- (g) रखे जाने वाले अभिलेख: दक्षिण-पश्चिम मानसून में दैनिक स्तर, छोड़ा गया पानी, और गेट की सेटिंग।

7.8.2 **बाढ़ कुशन.** किसी तालाब को बाढ़ कुशन (दक्षिण-पश्चिम मानसून के कुछ भाग के दौरान FTL से नीचे का स्तर) के साथ संचालित किया जा सकता है, और कुशन को खंड 7.7.3 के अंतर्गत गिना जा सकता है, केवल तभी जब:

- (a) तालाब में गेटयुक्त स्लूइस, रेगुलेटर या अन्य नियंत्रणीय आउटलेट हो जो नियम में बताए गए समय में तालाब को कुशन स्तर तक खाली कर सके;
- (b) प्रचालन नियम कुशन स्तर और उसके लागू होने की तिथियाँ नियत करता हो;
- (c) सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) यह दर्शाए कि अभिलेख के कम से कम **90%** दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में कुशन उपलब्ध है, चरम वर्षा घटना से पहले सामान्यतः होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए;
- (d) अभिरक्षक सिंचाई या जल आपूर्ति की उपज की किसी हानि को स्वीकार करता हो, और कोई सहमत क्षतिपूर्ति अभिलिखित हो; और
- (e) कुशन बनाने या पुनः बनाने के लिए आवश्यक छोड़ा जाने वाला पानी खंड 7.8.1(d) की अपेक्षाएँ पूरी करता हो।

7.8.3 **नियंत्रण के बिना भंडारण क्रेडिट नहीं.** जहाँ किसी तालाब में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, वहाँ कोई बाढ़ कुशन नहीं माना जाएगा, पिछली प्रथा जो भी रही हो।

7.8.4 **समन्वय.** WRD के नियंत्रण वाले तालाबों के लिए, प्रचालन नियम WRD का नियम होगा। यह मैनुअल किसी अन्य निकाय को WRD के तालाब का संचालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ के किसी तालाब, शहरी झील या नवा रायपुर के जलाशय के लिए बाढ़ कुशन रखने वाला कोई प्रचालन नियम नहीं मिला, और अधिकांश तालाबों में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, इसलिए खंड 7.8.3 उन पर लागू होता है। नगरों में महत्वपूर्ण नियंत्रित प्रवाह WRD के जलाशयों और बैराजों से छोड़ा गया पानी है। WRD अपने जलाशयों और बैराजों के जलाशय का पूर्ण जल स्तर, सजीव भंडारण (live storage) और स्पिलवे से छोड़ा गया पानी एक दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट में बताता है (10 अक्तूबर 2024 की स्थिति के अनुसार), पर उनके गेट खोलने के स्तर, तिथियाँ और दरें नियत करने वाला कोई नियम नहीं मिला। अक्तूबर 2025 में लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ते समय गंगरेल अपने भंडारण के 99.49% पर था, और 348.70 m के अपने जलाशय के पूर्ण जल स्तर से लगभग 0.02 m नीचे, और

> सितंबर 2026 की बाढ़ में उसके सभी 14 गेट खुले थे; मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज ने अगस्त 2024 में एक साथ पानी छोड़ा और कोरबा में घर जलमग्न कर दिए (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। तिथियों, स्तरों, निकास दरों और नामित संचालक वाले सहमत नियम के बिना किसी तालाब या जलाशय के भंडारण पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अनुप्रवाह की कॉलोनियों को चेतावनी दिए बिना छोड़ा गया पानी स्वयं एक बाढ़ है। खंड 7.8.2 उस सिद्धांत को एक विश्वसनीयता परीक्षण के साथ जाँचे जा सकने वाले नियम में बदलता है, क्योंकि जो कुशन सामान्यतः मानसून की आरंभिक वर्षा से फिर भर जाता है वह बंगाल की खाड़ी से आने वाले जुलाई से सितंबर के किसी मानसून अवदाब में कोई सुरक्षा नहीं देता। खंड 7.8.2(c) में 90% विश्वसनीयता का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।
>
> अधिकांश तालाबों के अन्य उपयोगकर्ता भी हैं। गाँव के तालाब का राज्य सरकार में निहित होना उसमें सिंचाई और निस्तार के अधिकार गाँव के पास ही छोड़ता है (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और वे उपयोग, जैसे तालाब के घाटों पर नहाना, कपड़े धोना और पशुओं को पानी पिलाना, जहाँ भी कोई तालाब उनकी पूर्ति करता है वहाँ जारी रहते हैं। वर्षा घटना से पहले किसी तालाब का जल स्तर घटाने की लागत उसके उपयोगकर्ताओं पर पड़ती है, इसीलिए खंड 7.8.2(d) अपेक्षा करता है कि अभिरक्षक उसे स्वीकार करे।

7.9 पुनर्स्थापन, गाद निकालना और गहरा करना

7.9.1 **कार्य-पूर्व सर्वेक्षण.** गाद निकालने या पुनर्स्थापन से पहले, प्रस्तावक:

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र, अग्रतट, बाँध, वियर और स्लूइस का सर्वेक्षण करेगा (खंड 7.7.1(a) और (b));
- (b) ग्रिड पर परीक्षण गड्ढों (test pits) या ऑगरिंग (augering) से, और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ ऐतिहासिक अभिलेखों से, मूल तल स्तर ज्ञात करेगा; और
- (c) जहाँ तालाब में शहरी अपवाह या सीवेज आता है, वहाँ निपटान की योजना बनाने से पहले गाद का भारी धातुओं और अन्य संदूषकों के लिए परीक्षण करेगा।

7.9.2 **गाद निकालने की सीमा.** गाद निकालने में जमा तलछट को मूल तल स्तर तक हटाया जाएगा। इससे तालाब को मूल तल से नीचे गहरा नहीं किया जाएगा, सिवाय खंड 7.9.3 के अंतर्गत।

7.9.3 **गहरा करना.** मूल तल से नीचे गहरा करना केवल तभी अनुमत है जब कोई जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट यह दर्शाए कि:

- (a) इससे चिकनी मिट्टी या गाद की वह परत नहीं कटेगी जो तालाब में पानी रोके रखती है या किसी जलभृत को प्रदूषित पानी से बचाती है;
- (b) तटीय क्षेत्रों में, इससे खारा पानी तालाब या जलभृत में नहीं खिंचेगा; और
- (c) अतिरिक्त भंडारण फिर से भरेगा और उपयोग होगा, और स्लूइस सिल से नीचे स्थिर नहीं पड़ा रहेगा।

सबसे निचले स्लूइस सिल से नीचे बनाया गया भंडारण बाढ़ भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

7.9.4 **सुरक्षित किनारे.** जहाँ जनता की पहुँच जलाशय के किनारे तक है:

- (a) FTL से 0.5 m ऊपर से FTL से 1.2 m नीचे तक किनारे के ढलान **1V:4H** से अधिक खड़े नहीं होंगे, या FTL से 0.3 m और 0.5 m नीचे के बीच कम से कम 3 m चौड़ी समतल सुरक्षा बेंच उपलब्ध कराई जाएगी; और
- (b) तल में कोई अलग-थलग गहरा गड्ढा या खड़ी कटान नहीं छोड़ी जाएगी।

7.9.5 **भंडारण कम नहीं किया जाएगा.** पुनर्स्थापन से MWL से नीचे का भंडारण कम नहीं होगा। जल-फैलाव क्षेत्र या अग्रतट के भीतर द्वीप, पैदल मार्ग, जल-फैलाव क्षेत्र में बाँध का चौड़ीकरण, रिंग रोड, पार्किंग, भवन और "झील-तट" ("lake-front") प्लेटफॉर्म खोया हुआ भंडारण गिने जाएँगे और खंड 7.6.4 के अंतर्गत उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.9.6 **गाद का निपटान.** निकाली गई गाद को सेटबैक के भीतर, बाँध पर (अनुमोदित बाँध सुदृढ़ीकरण के सिवाय), या किसी बाढ़ मार्ग पर नहीं रखा जाएगा। संदूषित पाई गई गाद का निपटान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) के निर्देशानुसार किया जाएगा।

7.9.7 **इनलेट पर उपचार.** शहरी अपवाह प्राप्त करने वाले तालाब के प्रत्येक पुनर्स्थापन में प्रत्येक इनलेट पर तलछट और स्थूल प्रदूषक नियंत्रण शामिल होगा: तलछट फोरबे (forebay), निर्मित आर्द्रभूमि का इनलेट जोन, या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8), ताकि पुनर्स्थापित भंडारण फिर से गाद से न भर जाए।

7.9.8 **समय.** गाद निकालने का कार्य, और जलाशय को सुरक्षित बनाने का कार्य, प्रत्येक वर्ष **31 मई** तक पूरा किया जाएगा (अध्याय 10)।

> **भाष्य.** नालों या तालाबों से मानसून-पूर्व गाद निकालने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कोई राज्यव्यापी आदेश, और नगर पालिक निगम रायपुर का कोई दिनांकित आदेश, नहीं मिला। जुलाई 2026 की रायपुर की बाढ़ के बाद, निवासियों ने अपर्याप्त गाद निकालने को दोषी ठहराया, और ड्रेनों के अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह जाने की सूचना मिली (प्रकाशित खबरों के अनुसार); भिलाई में, नगर निगम के आयुक्त ने जुलाई 2025 में भिलाई इस्पात संयंत्र को चेतावनी दी कि उसकी टाउनशिप की ड्रेनें 15 जून की समय-सीमा तक साफ नहीं की गई थीं, और उनसे आई जलकुंभी ने जुनवानी (Junwani) और कोसानाला (Kosanala) की पुलियाएँ अवरुद्ध कर दी थीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इस मैनुअल में 31 मई की तिथि (बस्तर संभाग में 25 मई) इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है, जो राज्य में मानसून के सामान्य आगमन से पहले है (जगदलपुर में लगभग 11 से 13 जून, रायपुर में 16 जून और बिलासपुर में 17 जून, IMD की नई सामान्य तिथियाँ, 2020; रायपुर स्थित IMD का मौसम विज्ञान केंद्र 10 जून का प्रयोग करता है)। "क्षमता बढ़ाने" ("increase capacity") के लिए खुदाई पर खंड 7.9.3 लागू होता है; रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चूना पत्थर पर, जिसे CGWB कार्स्टीकृत और गुहायुक्त बताता है, किसी तालाब को गहरा करने से उसका तल नीचे की गुहाओं के लिए भी खुल सकता है (खंड 8.8.1)। 31 मई की समय-सीमा अध्याय 10 की मानसून-पूर्व निरीक्षण तिथि से मेल खाती है। गहरा करने की सीमाएँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। "क्षमता बढ़ाने" ("increase capacity") के लिए तालाबों को गहरा करना आम है, पर इससे गाद और चिकनी मिट्टी की वह परत टूट सकती है जो तालाब में पानी रोके रखती है, प्रदूषित शहरी पानी जलभृत तक पहुँच सकता है, तट की ओर खारा पानी खिंच सकता है, और स्लूइस सिल से नीचे ऐसा भंडारण बनता है जो कभी खाली नहीं होता और बाढ़ में कोई लाभ नहीं देता। खड़े किनारों वाले गहरे गड्ढे डूबने का खतरा भी हैं। खंड 7.9.4 के ढलान और बेंच के मान तालाब-सुरक्षा की सामान्य प्रथा से अनुकूलित हैं; छत्तीसगढ़ में इनका कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है।

7.10 आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, इनलेट और आउटलेट

7.10.1 **प्रमुख प्रणाली का भाग.** आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग प्रमुख जल निकासी प्रणाली (अध्याय 6) का भाग हैं। खंड 7.4 के अंतर्गत जोन 1 और जोन 2 सेटबैक के साथ उनका जलाशयों के रूप में संरक्षण किया जाएगा।

7.10.2 **बंद करना या ढकना नहीं.** कोई आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग बंद नहीं किया जाएगा, भरा नहीं जाएगा, मोड़ा नहीं जाएगा, ढका नहीं जाएगा, उसकी लंबाई में पुलिया में नहीं बदला जाएगा, या सड़क या बंद ड्रेन में नहीं बदला जाएगा, सिवाय अभिरक्षक द्वारा अनुमोदित ऐसे डिजाइन के अंतर्गत जो उसकी 1% AEP क्षमता और रखरखाव के लिए उसकी पहुँच को बनाए रखे या बढ़ाए।

7.10.3 **क्रॉसिंग.** किसी जलाशय, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग की प्रत्येक सड़क, रेल, उपयोगिता या पहुँच क्रॉसिंग:

- (a) अध्याय 9 द्वारा अपेक्षित फ्रीबोर्ड के साथ, 1% AEP प्रवाह (जलवायु गुणक के साथ), या प्रतिप्रवाह के तालाब का उसके MWL पर अतिरिक्त जल, इनमें से जो अधिक हो, पार कराएगी;
- (b) क्रॉसिंग पर जलमार्ग की चौड़ाई को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित या सर्वेक्षित पूरी चैनल चौड़ाई, इनमें से जो अधिक हो, से कम नहीं करेगी;
- (c) चैनल का तल स्तर और ढाल बनाए रखेगी; और
- (d) 1% AEP जल स्तर को खंड 7.6.2 की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाएगी।

7.10.4 **क्षमता.** किसी अतिरिक्त जल मार्ग की डिजाइन क्षमता, MWL पर सरप्लस वियर की प्रवाह दर और उसके अपने जलग्रहण क्षेत्र से 1% AEP प्रवाह, जिन्हें शृंखला मॉडल (खंड 7.7.2) के अनुसार संयोजित किया गया हो, में से अधिक होगी।

7.10.5 **संरचनाओं पर संरक्षण.** सरप्लस वियरों और स्लूइसों के आउटलेट, और जलाशयों में ड्रेनों के आउटफॉल, में अध्याय 9 के अंतर्गत डिजाइन किया गया ऊर्जा क्षय और कटाव से संरक्षण होगा, ताकि उनसे निकलने वाला प्रवाह बाँध, किनारे या चैनल के तल का अपरदन न करे।

7.10.6 **जलाशयों में ड्रेनों के आउटफॉल.** किसी तालाब, चैनल या आर्द्रभूमि में वर्षा जल ड्रेन का आउटफॉल:

- (a) का इनवर्ट प्राप्तकर्ता जलाशय के सामान्य जल स्तर पर या उससे ऊपर होगा, जब तक कि ड्रेन अध्याय 5 के अंतर्गत जलमग्न आउटफॉल के लिए डिजाइन न की गई हो;
- (b) इस प्रकार स्थित और संरेखित होगा कि वह तालाब के बाँध को न काटे या कमजोर न करे;
- (c) में स्थूल प्रदूषक जाल और प्रथम प्रवाह उपचार (अध्याय 8) होगा; और
- (d) सीवेज या शुष्क मौसम प्रवाह (DWF) नहीं ले जाएगा (अध्याय 8)।

भाष्य. यह मैनुअल आपूर्ति चैनलों और अतिरिक्त जल मार्गों का प्रमुख प्रणाली के भाग के रूप में संरक्षण करता है। शहरी क्षेत्रों में ये प्रायः सबसे पहले खो जाते हैं। अतिरिक्त जल मार्ग पुलियों और चारदीवारियों से संकरे कर दिए जाते हैं, और आपूर्ति चैनलों को ढककर सड़कों में बदल दिया जाता है, जिससे तालाब अपने स्रोत से कट जाता है या उसके अतिरिक्त जल के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में नगरों के नाले स्थानीय निकाय में निहित होते हैं, पर प्राकृतिक नालों और नगरपालिका ड्रेनों के बीच का विभाजन लिखित रूप में नहीं है। छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 उनके छत्तीसगढ़ पाठ में पढ़े नहीं गए; 1956 के अधिनियम के मध्य प्रदेश पाठ में, सार्वजनिक धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग निगम में निहित होते हैं (धारा 82), आयुक्त किसी ड्रेन को वैध उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प के साथ "बड़ा करना, मेहराब से ढकना, बंद करना या समाप्त करना" ("enlarge, arch over, discontinue or close up") कर सकता है (धारा 193), और निगम में निहित किसी ड्रेन के ऊपर बिना अनुमति बना भवन गिराया जा सकता है (धारा 198) [TBC]। इस मैनुअल के लिए प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या स्थानीय निकायों की ड्रेनों को WRD की नदियों और नहरों से, अलग करने वाला कोई नियम या आदेश नहीं मिला; अध्याय 6 इस मैनुअल का कार्यकारी विभाजन देता है, जिसके अंतर्गत नदियाँ, डैम, जलाशय, बैराज और नहरें WRD के पास, किसी नगर के भीतर के नाले और ड्रेनें उसके स्थानीय निकाय के पास, नवा रायपुर अटल नगर की धाराएँ और ड्रेनें NRDA के पास, भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें संयंत्र के पास, किसी स्कीम की ड्रेनें हस्तांतरित होने तक उसके निर्माता के पास, और खदान और ऐश पॉन्ड की ड्रेनें पट्टाधारी या संचालक के पास हैं। निवेश विधि नाले को जानती है पर उसे कोई चौड़ाई नहीं देती: T&CP की स्थल रिपोर्ट "नाला क्षेत्र में छोड़ा गया क्षेत्र", अर्थात् नालों के लिए छोड़ा गया क्षेत्र, अभिलिखित करती है (2011), स्थल-निरीक्षण प्रपत्र भूखंड से किसी प्रमुख नाले की दूरी पूछता है (6 अक्तूबर 2018 का संशोधन, भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q, मद 9), और किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम, धारा 7(1)(iv))। अभिलेख नालों के खोने को दर्शाता है। 2015 में रायपुर की वर्षा जल ड्रेनें शहर के 49% भाग को ढकती थीं, और "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("Capacity of drain is not sufficient In rainy season most of the drains are overflowed") (नगर पालिक निगम रायपुर, AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना, 2015); जुलाई 2026 में रायपुर में ड्रेनों के अतिक्रमण से सात या आठ फुट से घटकर चार या पाँच फुट रह जाने की सूचना मिली (प्रकाशित खबरों के अनुसार); रायपुर का घरेलू सीवेज आठ बड़े नालों से होकर खारुन तक पहुँचता बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जो इसलिए ड्रेन होने के साथ-साथ सीवर भी हैं (खंड 8.9); और भिलाई में टाउनशिप की ड्रेनों की जलकुंभी ने 2025 में जुनवानी और कोसानाला की पुलियाएँ अवरुद्ध कर दीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। विरासत में मिला नियम 50 भवन को बिना जल निकासी वाले स्थल से दूर रखता है, और 2018 का प्रपत्र नाले की दूरी अभिलिखित करता है; पर कोई भी नाले को पाइप में बंद, संकरा या ढक दिए जाने के बाद उसकी अभिलिखित चौड़ाई पर नहीं रखता, और यही वह विफलता है जिसे रोकने के लिए खंड 7.10.2 और 7.10.3 लिखे गए हैं। खंड 7.10.3(b) किसी क्रॉसिंग को किसी चैनल को उसकी वर्तमान, अतिक्रमित चौड़ाई तक संकरा करने से रोकता है।

7.11 एवज शुल्क और क्षेत्रीय तालाब भंडारण

7.11.1 जहाँ कोई बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया है, और प्राधिकारी ने नीति अनुपूरक का विकल्प S-5 (खंड 1.7) अंगीकार किया है, वहाँ कोई विकास अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर अस्थायी भंडारण के एवज में शुल्क दे सकता है। यह शुल्क उसी बेसिन में किसी तालाब, पोखर या क्षेत्रीय सुविधा में भंडारण के पुनर्स्थापन या सृजन पर लगाया जाएगा।

7.11.2 एवज शुल्क से वित्तपोषित तालाब भंडारण:

- (a) गिने जाने से पहले खंड 7.7.1 की अपेक्षाएँ पूर्ण रूप से पूरी करेगा;
- (b) योगदान देने वाले विकास के अनुप्रवाह की ओर और उस बाढ़-प्रवण क्षेत्र के प्रतिप्रवाह की ओर होगा जिसकी रक्षा के लिए वह है;
- (c) जिस विकास के लिए वह है उसके अधिभोग से पहले, या बेसिन प्लान द्वारा नियत अवधि के भीतर, बनाया जा चुका होगा या निर्माणाधीन होगा; और
- (d) खंड 10.17 के रजिस्टर में उन विकासों के साथ अभिलिखित किया जाएगा जिन्होंने उसका वित्तपोषण किया, ताकि वही आयतन दो बार न बेचा जाए।

7.11.3 एवज शुल्क निम्नलिखित का स्थान नहीं लेता:

- (a) अध्याय 4 की प्रतिधारण अपेक्षा, जो सदैव साइट पर पूरी की जाती है; या
- (b) अध्याय 8 की जल गुणवत्ता अपेक्षा, जो साइट पर या किसी ऐसी क्षेत्रीय सुविधा में पूरी की जाती है जो उसी अपवाह का तालाब तक पहुँचने से पहले उपचार करती है।

> **भाष्य.** अध्याय 4 मास्टर प्लान वाले बेसिनों में पुनर्स्थापित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के लिए एवज शुल्क का प्रावधान करता है। मलेशिया की 2008 की DID जाँच-सूची साइट पर अस्थायी भंडारण की अनुमति केवल छोटी साइटों के लिए देती थी और बड़े क्षेत्रों के लिए सामुदायिक तालाबों की अपेक्षा करती थी (DID, 2008)। छत्तीसगढ़ में भवन नियमों द्वारा भंडारण का कोई साझा रूप अपेक्षित नहीं है: भूमि विकास नियम, 1984 का वर्षा जल संचयन भूखंड-स्तरीय है (नियम 78(4)) या, किसी एकीकृत उपनगर में, उपनगर-स्तरीय (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण), और नियमों में कोई अस्थायी भंडारण, चरम प्रवाह या "शून्य अपवाह" ("zero runoff") नियम नहीं है। साझा भंडारण का निकटतम विद्यमान रूप नवा रायपुर अटल नगर की झीलों का जाल है, जिनमें विकास योजना अपेक्षा करती है कि वर्षा जल "वर्षा जल निकासी प्रणाली से खोदी गई या प्राकृतिक झीलों/ गर्तों में" ("into dug up or natural lakes/ depressions, from the storm water drainage system") भंडारित किया जाए (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2), और, रायपुर में, स्वयं शहरी तालाब, जिनके संबंध में अक्तूबर 2025 में रायपुर के लिए अनुमोदित शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजना के घटकों में जलाशयों का पुनरुद्धार बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इनमें से कोई भी भंडारण गिनने के लिए तकनीकी मानक निर्धारित नहीं करता। खंड 7.11.2(b) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाढ़-प्रवण क्षेत्र के अनुप्रवाह की ओर का तालाब किसी की रक्षा नहीं करता। खंड 7.11.3 प्रतिधारण को साइट पर रखता है: यह इस मैनुअल की आयतन-नियंत्रण परत है, और कोई क्षेत्रीय तालाब विकसित साइट के नीचे के जलभृत का पुनर्भरण नहीं कर सकता।

7.12 आर्द्रभूमियाँ, दलदल और ज्वारनदमुख

7.12.1 **विस्तार.** यह खंड दलदलों, दलदली भूमियों, पश्चजल, ज्वारनदमुखों, और ज्वारीय खाड़ियों और लैगूनों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

- (a) आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित या छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध आर्द्रभूमियाँ;

- (b) बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, राज्य का पहला रामसर स्थल (स्थल संख्या 2583; 210 ha; रामसर सूचना पत्रक के अनुसार 8 अगस्त 2025 को नामित, और दिसंबर 2025 में घोषित), अपनी रामसर सीमा तक, और 2017 के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी आर्द्रभूमि;
- (c) 2.25 ha से बड़े वे तालाब और आर्द्रभूमियाँ जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, जैसे रायपुर में करबला तालाब और नरैया तालाब और नवा रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि (प्रकाशित खबरों के अनुसार), नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय, और नदियों के डूब क्षेत्रों की दलदली निचली भूमि और गर्त, जैसे महानदी, शिवनाथ, खारुन, अरपा और इंद्रावती के, जो खंड 7.3.4 के 1% AEP विस्तार के भीतर हों (नदी चैनल स्वयं इस अध्याय के शेष भाग के अंतर्गत जलाशय है); और
- (d) कोई अन्य दलदल, आर्द्रभूमि, तालाब, झील या खदान झील जिसे प्राधिकारी अधिसूचित करे, जिसे आर्द्रभूमि प्राधिकरण सूचीबद्ध करे, या जिसके संरक्षण का निर्देश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण दे।

7.12.2 **आर्द्रभूमियों का जल निकास नहीं.** कोई ड्रेन, चैनल, कटान या पंप किसी आर्द्रभूमि का पानी निकालने, उसके सामान्य जल स्तर को घटाने, या उसके गीले रहने की अवधि को कम करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा, सिवाय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत।

7.12.3 **अंतर्वाह.** खंड 7.12.1 की किसी आर्द्रभूमि में पानी छोड़ने वाली प्रत्येक ड्रेन:

- (a) खंड 7.10.6 की अपेक्षाएँ पूरी करेगी;
- (b) आर्द्रभूमि में प्रवेश करने से पहले अपने जलग्रहण क्षेत्र के WQv के लिए जल गुणवत्ता उपचार (अध्याय 8) से होकर गुजरेगी; और
- (c) जहाँ व्यवहार्य हो, एक बिंदु पर पानी छोड़ने के बजाय अपने प्रवाह को वनस्पतियुक्त किनारे पर फैलाएगी।

7.12.4 **हाइड्रोलिक संयोजकता.** किसी आर्द्रभूमि के आर-पार या उसके किनारे की सड़कों, तटबंधों और उपयोगिता कॉरिडोरों में ऐसे खुले मार्ग होंगे जो:

- (a) 1% AEP जल स्तर को खंड 7.6.2 की सीमा से अधिक बढ़ाए बिना 1% AEP प्रवाह पार कराएँ; और
- (b) आर्द्रभूमि के सामान्य जल-विनिमय को, जिसमें ज्वारनदमुखों में ज्वारीय विनिमय शामिल है, बनाए रखें, और खुले मार्ग क्रॉसिंग की लंबाई में फैले हों ताकि आर्द्रभूमि का कोई भाग कट न जाए।

7.12.5 **भंडारण केवल बेसिन स्तर पर गिना जाएगा.** आर्द्रभूमि के भंडारण को बेसिन और क्षेत्रीय मॉडलों में शामिल किया जाएगा। इसे किसी व्यक्तिगत विकास के लिए अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

7.12.6 **ज्वारीय आर्द्रभूमियाँ और ज्वारनदमुख.** ज्वारनदमुखों और ज्वारीय आर्द्रभूमियों के लिए:

- (a) टेलवाटर अध्याय 5 से लिया जाएगा (खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियाँ);
- (b) कार्य प्रवृत्त तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना का भी अनुपालन करेंगे; और
- (c) मुहाना खोलने के कार्य, प्रशिक्षण दीवारें और ड्रेजिंग इस मैनुअल के विस्तार के बाहर हैं और इनके लिए अलग अध्ययन आवश्यक हैं।

7.12.7 **कचरा डालना नहीं.** किसी आर्द्रभूमि या उसके सेटबैक में कोई ठोस अपशिष्ट, निर्माण मलबा या ड्रेजिंग से निकली सामग्री नहीं डाली जाएगी।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ की आर्द्रभूमियाँ छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का विषय हैं, जो O.A. 351/2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई उसकी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के 17 दिसंबर 2021 के आदेश से पुनर्गठित हुआ (एक अन्य स्रोत उसकी स्थापना 1 जुलाई 2020 बताता है), और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उसका नोडल विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड उसका सचिवालय है (उस रिपोर्ट के एक उद्धरण-अंश में देखे गए अनुसार); प्रत्येक जिले में कलेक्टर एक जिला आर्द्रभूमि संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 2017 के नियमों के नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचित कोई आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमियों की कोई प्रकाशित सूची नहीं मिली; प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत 2.25 ha से बड़े तालाबों और आर्द्रभूमियों को "मानित" ("deemed") आर्द्रभूमियाँ मानता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। यह रायपुर के तालाबों का व्यावहारिक नियामक है: इसने 30 सितंबर 2025 को करबला तालाब पर कार्य रुकवाए, नरैया तालाब के बफर में एक टॉय ट्रेन की योजना पर जाँच का आदेश दिया (2025), और 3 मार्च 2025 को NRDA को नवा

रायपुर अटल नगर में झांझ आर्द्रभूमि के पास दो निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया; करबला तालाब पर जुलाई 2023 की एक वन मंडल जाँच रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि वह कभी प्राधिकरण तक नहीं पहुँची, जिसमें बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा और महाराजबंध पर भी इसी प्रकार के निष्कर्ष थे, और रायपुर जिले के हर जलाशय के सर्वेक्षण के उसके 8 मई 2023 के निर्देश के बारे में बताया गया है कि उसका पालन केवल करबला पर हुआ (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोपरा जलाशय, बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में, बिलासपुर से लगभग 10 km पश्चिम में स्थित 210 ha का एक जलाशय, जो 1993 में बना और WRD द्वारा प्रबंधित है, राज्य का पहला रामसर स्थल है (स्थल संख्या 2583): रामसर सूचना पत्रक में उसके नामांकन की तिथि 8 अगस्त 2025 है, और इसकी घोषणा 12 दिसंबर 2025 को हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार); पत्रक कृषि अपवाह और आसपास के क्षेत्र के बढ़ते शहरीकरण और विकास को उसके खतरों में गिनाता है, और राज्य का लक्ष्य 2030 तक 20 रामसर स्थल बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए कोपरा जलाशय, किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि या ऐसे तालाब में या उसके निकट, जिसे प्राधिकरण संरक्षित मानता है, किसी ड्रेन आउटफॉल, गाद निकालने, मार्ग-परिवर्तन या गेट प्रचालन के लिए, जहाँ नियम या उसके निर्देश लागू होते हैं वहाँ प्राधिकरण की अनुमति या विचार, और साथ ही इस अध्याय का अनुपालन, आवश्यक है; जिन तालाबों और झीलों तक वे नहीं पहुँचते, उनके लिए यह अध्याय और राजस्व और नगरपालिका विधि ही एकमात्र नियंत्रण हैं। खंड 7.12.2 एक विशिष्ट जोखिम को लक्ष्य करता है: किसी दलदल के बगल में बाढ़ से राहत देने के लिए बनाई गई ड्रेनें स्वयं दलदल का पानी निकाल सकती हैं, और एक बार सूख जाने पर उस पर अतिक्रमण हो जाता है। सीवेज नालों से होकर छत्तीसगढ़ के तालाबों और नदियों तक पहुँचता है (खंड 8.9, भाष्य)। रायपुर के बूढ़ा तालाब के बारे में बताया गया है कि वह "कई ड्रेन लाइनों" ("several drain lines") से प्रदूषित होता है, रायपुर के बचे हुए तालाबों के बारे में बताया गया है कि वे "प्रदूषित और भारी गाद से भरे" ("polluted and heavily silted") हैं, और शहर का घरेलू सीवेज आठ बड़े नालों से होकर खारुन तक पहुँचता बताया गया है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार); जनवरी 2021 में CECB ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि केवल बिलासपुर में सीवरेज प्रणाली थी; जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय को बताया गया कि बिलासपुर का लगभग 40% सीवेज फिर भी बिना शोधन के अरपा तक पहुँचेगा (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जनवरी 2026 में आदेश दिया कि शंकर और पुलगांव नालों पर, जो दुर्ग का अधिकांश सीवेज शिवनाथ तक ले जाते हैं, शोधन संयंत्र छह महीनों के भीतर पूरे किए जाएँ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए अनेक विद्यमान आउटफॉल अभी खंड 7.10.6(d) और 7.12.3 की अपेक्षाएँ पूरी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में ये प्रत्येक नए आउटफॉल पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं, और किसी तालाब, झील, आर्द्रभूमि या नदी में शुष्क मौसम प्रवाह ले जाने वाला प्रत्येक विद्यमान आउटफॉल, जब तक उसके स्रोत हटाए नहीं जाते, खंड 8.9.4 और 8.9.5 के वार्षिक सर्वेक्षण और अवरोधन के अंतर्गत आता है।

7.13 अतिक्रमण से संबंध

7.13.1 **सीमा.** इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन के लिए, किसी जलाशय की सीमा उसकी राजस्व अभिलेख सीमा और उसके सर्वेक्षित FTL (या किनारे के शीर्ष) में से बड़ी है, जैसा खंड 7.3.3 में है। सेटबैक उसी सीमा से मापे जाते हैं।

7.13.2 **अतिक्रमित भूमि पर निर्भरता नहीं.** कोई डिजाइन:

- (a) जलाशय की सीमा के भीतर अतिक्रमण से घिरी भूमि को भंडारण या वहन के रूप में नहीं गिनेगा, जब तक कि उसे हटाने का आदेश न दिया गया हो और उसके लिए धन उपलब्ध न कराया गया हो; या
- (b) किसी चैनल की अतिक्रमित चौड़ाई को उसकी डिजाइन चौड़ाई नहीं मानेगा।

7.13.3 **अतिक्रमित भागों (reaches) में लोक निर्माण कार्य.** जहाँ कोई सार्वजनिक जल निकासी कार्य किसी अतिक्रमित भाग से होकर गुजरता है:

- (a) उसे जलाशय की पूरी चौड़ाई (खंड 7.13.1) के लिए डिजाइन किया जाएगा;
- (b) जहाँ कार्य बनाए जाने से पहले पूरी चौड़ाई खाली नहीं कराई जा सकती, वहाँ डिजाइन रिपोर्ट में अंतरिम क्षमता और उसके खाली होने तक के बाढ़ जोखिम का उल्लेख किया जाएगा; और
- (c) कार्य इस प्रकार बनाया जाएगा कि पूरी चौड़ाई बाद में उसे दोबारा बनाए बिना पुनर्स्थापित की जा सके।

7.13.4 **सीमा का चिह्नांकन.** किसी जलाशय से सटा प्रत्येक विकास, समापन प्रमाण-पत्र से पहले:

- (a) जोन 1 के बाहरी किनारे को जमीन पर 30 m से अधिक के अंतराल पर और दिशा के प्रत्येक परिवर्तन पर स्थायी सर्वेक्षण चिह्नों से चिह्नित करेगा; और
- (b) सेटबैक जोनों को अनुमोदित लेआउट योजना पर और सेटबैक भूमि वाले प्रत्येक भूखंड के विक्रय दस्तावेजों में दर्शाएगा।

7.13.5 **प्रतिधारक दीवारें.** भूमि की रक्षा या उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी जलाशय के किनारे, जोन 1 के भीतर, कोई प्रतिधारक दीवार, बाँध या तटबंध नहीं बनाया जाएगा, सिवाय अभिरक्षक के अनुमोदन से विद्यमान सार्वजनिक अवसंरचना की रक्षा के लिए।

> **भाष्य.** तालाबों में भराई और निर्माण पर छत्तीसगढ़ के मुख्य नियंत्रण राजस्व विधि, निवेश विधि और न्यायालय हैं। गाँव के तालाब सिंचाई और निस्तार के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए राज्य सरकार में निहित होते हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और जो व्यक्ति अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करता है उस पर शास्ति लगती है और तहसीलदार उसे संक्षिप्त रूप से बेदखल कर सकता है (धारा 248)। यह मार्ग तब काम करता है जब कोई न्यायालय या अधिकरण उसे आगे बढ़ाता है: नगर पंचायत बलौदा (जांजगीर-चांपा जिला) में, "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body") भूमि पर, जिसमें बाबू, नोनी और रामसागर तालाब और अंधारी तालाब (Babu, Noni, Ramsagar ponds, Andhari Talab) भी हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (केंद्रीय क्षेत्र) ने 14 नवंबर 2024 को कलेक्टर को "उचित समय के भीतर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने" ("to ensure the removal of encroachments within the reasonable time") का निर्देश दिया, और तहसीलदार ने बताया कि "छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है जिन्होंने तालाबों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है" ("legal proceedings have been initiated under Section 248 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, against individuals who have unlawfully encroached upon ponds") (O.A. 78/2024, 27 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट)। किसी जलाशय या तालाब के तल या किनारे पर, या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर, बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ का 2002 का अधिनियम, धारा 7(1)(iv)); 2016 और 2022 के बाद के नियमितीकरण अधिनियम और नियम यह रोक बनाए रखते हैं या नहीं, इसकी जाँच नहीं की गई। नगरों में, सार्वजनिक तालाब यथा-अनुकूलित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत स्थानीय निकाय में निहित होते हैं (छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए [TBC])। हानियाँ बताई गई हैं, मापी नहीं गईं: रायपुर में लगभग 130 तालाब होने की सूचना है, जिनमें से आधे 2001 तक समाप्त हो चुके थे और लगभग 37 से 40 बचे हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं, और लगभग 200 का आँकड़ा भी बताया गया है); बिलासपुर में तिफरा के माधो तालाब के अतिक्रमण पर एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष थी (W.P.(PIL) No. 135 of 2017, प्रकाशित खबरों के अनुसार); और अप्रैल 2026 में उच्च न्यायालय ने रायपुर के एक तालाब के प्रदूषण पर एक याचिका को निजी उद्देश्य से प्रेरित मानते हुए ₹50,000 के वाद-व्यय (costs) के साथ खारिज कर दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने करबला तालाब पर और झांझ आर्द्रभूमि के पास उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य रुकवाए हैं (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार), पर रायपुर जिले के जलाशयों का उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। छोटे नगरों को नियंत्रित करने वाला नगरपालिका अधिनियम, 1961, और भू-राजस्व संहिता की अतिक्रमण संबंधी अन्य धाराएँ इस मैनुअल के लिए पढ़ी नहीं गईं। यह मैनुअल किसी को बेदखल नहीं कर सकता। यह डिजाइनों को अतिक्रमण को स्थायी मानने से रोक सकता है (खंड 7.13.2), लोक निर्माण कार्यों को पूरी चौड़ाई तक पुनर्स्थापित करने योग्य बना सकता है (खंड 7.13.3), और सेटबैक को जमीन पर और संपत्ति के दस्तावेजों में दृश्य बना सकता है ताकि नए क्रेता जानें कि वह वहाँ है (खंड 7.13.4)। 30 m का चिह्न-अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.14 तालाब के बाँधों और तटबंधों की सुरक्षा

7.14.1 **बाँध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जाँच.** प्रत्येक तालाब के लिए, और इस मैनुअल के अंतर्गत बनाए गए या परिवर्तित प्रत्येक तटबंध के लिए, डिजाइनकर्ता यह निर्धारित करेगा कि क्या वह बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के अंतर्गत "विनिर्दिष्ट डैम" ("specified dam") है। अधिनियम के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट डैम वह डैम है जो:

- (a) सामान्य नींव क्षेत्र के सबसे निचले बिंदु से डैम के शीर्ष तक मापने पर 15 m से अधिक ऊँचा हो; या
- (b) 10 m और 15 m के बीच ऊँचा हो, जहाँ शिखर की लंबाई 500 m से कम न हो, या जलाशय की क्षमता दस लाख m^3 से कम न हो, या डैम द्वारा सँभाली जाने वाली अधिकतम बाढ़ प्रवाह दर 2,000 m^3/s से कम न हो, या डैम की नींव से संबंधित विशेष रूप से कठिन समस्याएँ हों, या डैम असामान्य डिजाइन का हो।

जहाँ वह विनिर्दिष्ट डैम है, वहाँ इस मैनुअल के अतिरिक्त अधिनियम और राज्य डैम सुरक्षा संगठन की अपेक्षाएँ लागू होंगी।

7.14.2 **जोखिम वर्ग.** प्रत्येक तालाब के बाँध और अस्थायी भंडारण तटबंध को, जो विनिर्दिष्ट डैम नहीं है, एक जोखिम वर्ग दिया जाएगा:

- **उच्च जोखिम:** तटबंध टूटने से कोई आवास योग्य भवन, विद्यालय, अस्पताल, धमनी सड़क या महत्वपूर्ण अवसंरचना जलमग्न हो सकती है।
- **निम्न जोखिम:** कोई अन्य स्थिति।

7.14.3 **उच्च जोखिम वाले तटबंध.** उच्च जोखिम वाले तालाब के बाँधों और तटबंधों के लिए:

- (a) सरप्लस वियर या स्पिलवे खंड 7.7.4(b) के फ्रीबोर्ड के साथ MWL पर 1% AEP अंतर्वाह पार कराएगा, और बाँध के ऊपर से बहे बिना 0.2% AEP (500-वर्ष) अंतर्वाह के लिए उसकी जाँच की जाएगी (जैसा अध्याय 4 में अस्थायी भंडारण बेसिनों के लिए है);
- (b) तटबंध टूटने का विश्लेषण (breach analysis) MWL पर तटबंध टूटने से जलमग्न होने वाले क्षेत्र का मानचित्र बनाएगा;
- (c) तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र के लिए चेतावनी और निष्क्रमण व्यवस्थाओं के साथ एक आपातकालीन कार्य योजना (emergency action plan) तैयार की जाएगी; और
- (d) खंड 10.6 के अंतर्गत डिजाइन प्रमाणित किया जाएगा और उसकी स्वतंत्र जाँच की जाएगी।

7.14.4 **निरीक्षण.** जिस भी तालाब का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, और प्रत्येक उच्च जोखिम वाले तटबंध का, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (31 मई तक) और प्रत्येक भारी वर्षा की घटना के बाद (अध्याय 10) रिसाव, खिसकाव, दरारों, जानवरों के बिलों, बाँध पर पेड़ों, और वियर तथा स्लूइसों के अवरोध के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

7.14.5 **अनधिकृत कटान नहीं.** कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान अभिरक्षक की आपातकालीन प्रक्रिया के सिवाय किसी तालाब के बाँध या सरप्लस वियर को नहीं काटेगा, नीचा नहीं करेगा या नहीं तोड़ेगा।

> **भाष्य.** विनिर्दिष्ट डैम की परिभाषा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 41) से उद्धृत है। अधिनियम "डैम" ("dam") को नदियों या सहायक नदियों के आर-पार पानी रोकने या मोड़ने के लिए बनाई गई कृत्रिम बाधा के रूप में परिभाषित करता है। इसमें बाढ़ तटबंध, डाइक और गाइड बाँध शामिल नहीं हैं। अधिकांश तालाबों और डबरियों के किनारे नीचे हैं और उनसे इनके विनिर्दिष्ट डैम बनने की अपेक्षा नहीं है, पर प्रत्येक बाँध की खंड 7.14.1 के अंतर्गत जाँच की जाएगी। बड़े शहरी तालाबों और बाँधों (bandh), जैसे रायपुर में बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा और महाराजबंध, के बाँध और नवा रायपुर की झीलों के डैम ऐसी ऊँचाइयों के हैं जो इस मैनुअल के लिए नहीं मिलीं; प्रत्येक की जाँच की जाएगी। जहाँ किसी तालाब, बाँध (bandh), झील या खदान झील का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, वहाँ उसका बाँध, डैम या प्रतिधारक बेंच खंड 7.14.2 के लिए तालाब का बाँध है, जब तक कि अधिनियम लागू न हो; खदान झील की हाईवॉल और बेंचों की स्थिरता की भी जाँच की जाती है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। राखड़ बाँध को कभी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, पर जहाँ वह किसी ऐसे ड्रेन, नाले या कॉलोनी के प्रतिप्रवाह की ओर स्थित है जिस पर कोई डिजाइन निर्भर है, वहाँ उसके टूटने के मार्ग का खतरे के रूप में मानचित्रण किया जाता है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ; अध्याय 5)। जो तालाब का बाँध किसी नदी या सहायक नदी के आर-पार नहीं है, वह अधिनियम के अंतर्गत "डैम" ("dam") है या नहीं, यह उसके पाठ से स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में नगरों के लिए महत्वपूर्ण

तटबंध WRD के जलाशयों के डैम और बैराज और बिजली संयंत्रों के राखड़ बाँध हैं। सितंबर 2026 में एक राज्यव्यापी बाढ़ में, जिसमें प्रकाशित खबरों के अनुसार आठ लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 16,000 लोगों को बचाया गया, गंगरेल के सभी 14 गेट खुले थे; अक्तूबर 2025 में गंगरेल ने लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और नदी किनारे के 72 गाँवों को सतर्क किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और अगस्त 2024 में मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज से छोड़े गए पानी ने कोरबा में घर जलमग्न कर दिए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राखड़ बाँध विफल हुए हैं: कोरबा के पास धनरास में NTPC का राखड़ बाँध जुलाई 2024 में टूटा बताया गया है, जिससे लगभग 16 ha धान को क्षति पहुँची; झाबू और नवागांव के पास CSPGCL के कोरबा पश्चिम संयंत्र का राखड़ बाँध 19 अप्रैल 2026 को टूटा, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई; और BALCO के राखड़ बाँध की स्लरी बेलगिरी (रुकबहरी) नाले (Belgari (Rukbahari) nala) और हसदेव तक पहुँचने की सूचना है (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार; CECB से सत्यापित किया जाना है)। किसी तालाब के बाँध, शहरी जलाशय या राखड़ बाँध के लिए कोई तटबंध टूटने का मानचित्र या आपातकालीन कार्य योजना नहीं मिली, और शहरी बाढ़ के लिए कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना नहीं मिली। टूटा हुआ या ऊपर से बहा हुआ बाँध अपने नीचे की कॉलोनियों को जलमग्न कर देता है, टूटा हुआ राखड़ बाँध नालों में स्लरी भेजता है, और बिना घोषणा के छोड़ा गया पानी भी कॉलोनियों को जलमग्न करता है, इसीलिए खंड 7.14.3 उच्च जोखिम वाले तटबंधों के लिए तटबंध टूटने का मानचित्रण और आपातकालीन कार्य योजना माँगता है। उच्च जोखिम वाले तालाबों के लिए जोखिम वर्ग, तटबंध टूटने का विश्लेषण और आपातकालीन कार्य योजना इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। वे अस्थायी भंडारण बेसिनों के लिए अध्याय 4 की अपेक्षा (आउटलेट अवरुद्ध होने पर 1% AEP स्पिलवे, उच्च जोखिम वाले बेसिनों के लिए 0.2% AEP) को उन तालाबों तक विस्तारित करते हैं जिन्हें डिजाइन भंडारण के रूप में गिना जाता है।

7.15 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

खंड 7.1.2 के अंतर्गत किसी विकास या कार्य की प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. खंड 7.3.2 के अंतर्गत **जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1)**, सेटबैक जोनों और उनके आधार (मानचित्रित विस्तार, हाइड्रोलिक अध्ययन या नियत चौड़ाई) के साथ;
2. जहाँ खंड 7.3.4 अपेक्षा करता है, वहाँ 1% AEP विस्तार और बाढ़ मार्ग का हाइड्रोलिक अध्ययन;
3. जहाँ बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई प्रस्तावित है, वहाँ ऊँचाई पट्टी के अनुसार **प्रतिपूरक भंडारण गणना (प्रपत्र 7-3)**;
4. गिने जाने वाले किसी भी तालाब भंडारण के लिए: **तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक (प्रपत्र 7-2)**, खंड 7.7.1 के सर्वेक्षण, जल स्तर–भंडारण वक्र, प्रचालन नियम, शृंखला मॉडल के परिणामों और अभिरक्षक की सहमति के साथ;
5. जोन 1 में किसी क्रॉसिंग, आउटफॉल या कार्य के लिए: अभिरक्षक का NOC और खंड 7.6.2 या 7.10.3 का हाइड्रोलिक विश्लेषण;
6. पुनर्स्थापन या गाद निकालने के लिए: खंड 7.9 का कार्य-पूर्व सर्वेक्षण, गाद परीक्षण और जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट; और
7. किसी भी तटबंध के लिए: खंड 7.14 की बाँध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जाँच और जोखिम वर्ग।

7.16 समीक्षा और अद्यतन

7.16.1 इस अध्याय की समीक्षा मैनुअल के शेष भाग के साथ की जाएगी (अध्याय 1)। खंड 7.4.6 की नियत-चौड़ाई तालिका की समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के लिए 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार किए जाने के 2 वर्ष के भीतर भी की जाएगी।

7.16.2 जहाँ प्राधिकारी नए 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार करता है, वहाँ वे अंगीकरण के **6 माह** बाद की नई प्रस्तुतियों पर लागू होंगे, जब तक कि प्राधिकारी अन्यथा अधिसूचित न करे।

संदर्भ (अध्याय)

- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department. Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984) (यथासंशोधित), Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973) की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत बनाए गए। **छत्तीसगढ़ का मूल और समेकित पाठ नहीं मिला**; नियम 17, 50 और 51 अपने विरासत में मिले 1984 के पाठ में उद्धृत हैं, जो केवल मध्य प्रदेश के नियमों के एक विधिक डेटाबेस उद्धरण-अंश के माध्यम से पढ़ा गया (https://www.legitquest.com/act/madhya-pradesh-bhumi-vikas-rules-1984/D2B8), और छत्तीसगढ़ के लिए इनकी पुष्टि की जानी है। T&CP संचालनालय की साइट की संग्रहीत प्रतियों से पढ़े गए संशोधन: 17 दिसंबर 2008 का क्रमांक एफ 7-26/32/2008 (एकीकृत उपनगर, परिशिष्ट ण), उसी तिथि का CG Rajpatra (Asadharan), पृ. 782(3)–782(9); 17 फरवरी 2009 का क्रमांक 318/1193/32/2006 (नियम 78(4) और परिशिष्ट ढ); 6 अक्तूबर 2018 का क्रमांक F 7-27/2017/32 (नियम 73(3), प्लिंथ प्रमाण-पत्र, निरीक्षण प्रपत्र, परिशिष्ट Q), राजपत्र पृ. 820(1)–820(35); और 29 अप्रैल 2020 का क्रमांक F 07-24/2019/32। https://web.archive.org/web/20160806135310id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/dt-17-12-2008.PDF ; https://web.archive.org/web/20240302142422id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/cg-BVN-amendment-6-10-2018.pdf
- Directorate of Town and Country Planning, Chhattisgarh. धारा 16 के अंतर्गत रिपोर्ट-प्रपत्र, 23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 (नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्तता; जलभराव; नहर, नाले या नदी से दूरी; नालों के लिए छोड़ा गया क्षेत्र)। https://web.archive.org/web/20160806081555id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_48.PDF ; और चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011, परिशिष्ट 01, मद 15 (नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD का उच्च बाढ़ बिंदु; पत्र पर 16 जून 2010 की तिथि है, पर वह 7 जून 2011 की एक बैठक का उल्लेख करता है)। https://web.archive.org/web/20160806082300id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_90.PDF
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department. 1973 के अधिनियम की धारा 73(2) के अंतर्गत 2 जनवरी 2013 का आदेश क्रमांक F 7-35/2012/32, पैरा 2.4(iii) (बारहमासी नदी के किनारे कोई अनुमति नहीं)। https://web.archive.org/web/20160806081823id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/02-1-2013.PDF
- Government of Chhattisgarh. Act of 2002 on the regularisation of unauthorised development (छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण), 26 अप्रैल 2002 का CG Rajpatra, पृ. 210(2), धारा 7(1)(iv) (चार)। https://web.archive.org/web/20160806081528id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_191.PDF
- Government of Chhattisgarh. Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959) (धारा 237, 248 और 251), केवल एक तृतीय-पक्ष हिन्दी प्रति में पढ़ी गई। https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html
- Government of Chhattisgarh. Municipal Corporation Act, 1956 (नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956) और Municipalities Act, 1961 (नगरपालिका अधिनियम, 1961), यथा-अनुकूलित (छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए; धाराएँ 1956 के अधिनियम के मध्य प्रदेश पाठ से उद्धृत, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/madhya-pradesh/1956/1956MP23.pdf ; अनुकूलन CAG द्वारा अभिलिखित रूप में, https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2020/8_Chapter-I_CG_PA_74_CAA_5-04-22-062df9e9a9b08a7.59481257.pdf)।
- Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (NRDA). *Naya Raipur Development Plan-2031* (2008), §§10.3, 10.3.1.1 और 10.3.2। संग्रहीत: https://web.archive.org/web/20150807050828/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf ; 21 जून 2022 का NRDA का पत्र क्रमांक 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022, जो 23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066 अग्रेषित

करता है, https://web.archive.org/web/20240304202809id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/CG_TCP_ACT_1973/nava%20raipur-%2021-6-22.pdf

- Raipur Municipal Corporation. *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (AMRUT, 4 नवंबर 2015), निगम की वेबसाइट की एक संग्रहीत प्रति में पढ़ा गया (26 अक्तूबर 2017 का Wayback capture)।
- National Green Tribunal (Central Zone). O.A. 78/2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh* (बलौदा के तालाब), 14 नवंबर 2024 का आदेश और जिला दंडाधिकारी (District Magistrate), जांजगीर-चांपा की तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- Chhattisgarh State Wetland Authority. NGT O.A. 351/2019 में रिपोर्ट (गठन; केवल एक खोज-अंश में देखी गई)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATISGARH%20WETLAND%20AUTH%20IN%20OA%20NO.%20351%20of%202019%20(RAJA%20MUZAFFAR%20BHAT%20VS%20STATE%20OF%20JAMMU%20&%20KASHMIR).pdf
- Ramsar Convention. Ramsar Information Sheet, Site No. 2583, Kopra Jalashay, India (रामसर सूचना पत्रक, कोपरा जलाशय)। https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/IN2583RIS_2512_en.pdf
- Water Resources Department, Chhattisgarh. Daily Tank Gauge Report (दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट), 10 अक्तूबर 2024। https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. छत्तीसगढ़ की एक कोयला खदान के लिए 13 अगस्त 2024 की पर्यावरण स्वीकृति, File No. J-11015/72/2016-IA.II(M) (गारलैंड ड्रेनों, अवसादन संपों और जल चैनलों पर मानक शर्तें; उसमें दर्ज DGMS और मूल्यांकन समिति की नदी से दूरियाँ)। https://mahagenco.in/Content/File_pdf/EnvClearance/2.EC_Gare%20Palma%20Sector%20II%20Coal%20Mine%20Project_13.08.2024.pdf
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset and withdrawal of the southwest monsoon (तालिका 2)। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- Government of India. The Dam Safety Act, 2021 (Act 41 of 2021) (बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021)। https://www.casemine.com/act/in/626f9167714d58ef62b50d09 ; CWC, Specified Dam. https://rrssd.cwc.gov.in/specified-dam
- MoHUA (2015). Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, Vol I. https://web.archive.org/web/2022/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement (Section 5600, Version 2025.01). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (§5605.3 stream buffers). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- तालाबों, आर्द्रभूमियों और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत): करबला तालाब पर The Hitavada (12 अक्तूबर 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/10/12/wetland-authority-halts-rs-15-cr-work-at-karbala-talab-over-rule-violations.html ; नरैया तालाब पर (27 जुलाई 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/27/toy-train-plan-in-narhaiya-talab-buffer-sparks-probe-by-cswa.html ; झांझ आर्द्रभूमि पर (4 मार्च 2025),

https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/3/4/CGSWA-intervenes-directs-NRANVP-to-withdraw-Jhanjh-Wetland-tenders.html ; रायपुर की झीलों पर Down To Earth (15 जनवरी 2015), https://www.downtoearth.org.in/coverage/in-srinagars-footsteps-48224 ; रायपुर की झीलों का एक अध्ययन (India Water Portal), https://oldiwp.indiawaterportal.org/sites/default/files/iwp2/ninad_bodhankar_study_on_lakes_in_raipur.pdf ; खारुन पर YourStory (फरवरी 2017), https://yourstory.com/2017/02/kharun-river-raipur/ ; रामसर स्थल के रूप में कोपरा जलाशय की घोषणा की रिपोर्टें (The Hitavada, 13 दिसंबर 2025) और माधो तालाब, तिफरा (W.P.(PIL) No. 135 of 2017) और रायपुर के एक तालाब (अप्रैल 2026) पर उच्च न्यायालय की याचिकाओं की रिपोर्टें (केवल खोज-अंशों में देखी गईं); डूब क्षेत्र जोनिंग कानून अधिनियमित करने वाले राज्यों पर Indian Bureaucracy, https://www.indianbureaucracy.com/?p=367158

- बाढ़ों, छोड़े गए पानी और ड्रेनों की रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत): जुलाई 2026 में रायपुर पर The Hitavada, https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/7/6/heavy-monsoon-spell-exposes-civic-flaws-waterlogging-disrupts-traffic-sewage-enters-homes.html ; सितंबर 2026 की बाढ़ पर Daily Pioneer, https://dailypioneer.com/india/chhattisgarh-floods-eight-killed-16000-rescued ; सितंबर 2026 में खारुन पर NewKerala.com, https://www.newkerala.com/news/a/heavy-rain-triggers-flood-like-situation-chhattisgarh-kharun-river-839.htm ; अक्तूबर 2025 में गंगरेल से छोड़े गए पानी पर Patrika, https://www.patrika.com/dhamtari-news/55000-cusecs-of-water-released-from-gangrel-into-the-mahanadi-river-19996945 ; मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज पर The Hitavada (26 अगस्त 2024), https://www.thehitavada.com/Encyc/2024/8/26/Hasdeo-Bango-Dam-projectin-Korba-put-on-high-alert.html ; भिलाई टाउनशिप की ड्रेनों पर The Hitavada (13 जुलाई 2025), https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/7/13/Commissioner-issues-warning-to-BSP-over-poor-drain-cleaning-in-Township.html ; रायपुर की ड्रेनों पर Patrika (11 जुलाई 2026, केवल एक खोज-अंश में देखा गया); धनरास (2024), कोरबा पश्चिम (19 अप्रैल 2026) और BALCO (2025–2026) में राखड़ बाँध टूटने की रिपोर्टें (SANDRP और The Hitavada; CECB से सत्यापित किया जाना है); और रायपुर के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजना की रिपोर्टें (अक्तूबर 2025, केवल एक खोज-अंश में देखी गईं)।
- Platts, J. T. (1884). *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English*. London: W. H. Allen; और Dasa, Syamasundara (1965–1975). *Hindi Shabdasagara* (श्यामसुंदर दास, *हिंदी शब्दसागर*). Kashi: Nagari Pracarini Sabha; दोनों Digital South Asia Library, University of Chicago पर ऑनलाइन (देखा गया 7 नवंबर 2026)। https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/platts/ ; https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/dasa-hindi/
- छत्तीसगढ़ के मैदान की मिट्टी के वर्ग: Mandal et al. (2018), *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4): 2208–2214 (दुर्ग जिला), https://phytojournal.com/archives/2018/vol7issue4/PartAK/7-3-513-438.pdf ; Wakode et al. (2017), *Agropedology* 27(2): 167–176 (रायपुर का ढलान-अनुक्रम), https://krishi.icar.gov.in/jspui/bitstream/123456789/36673/1/99_Minerology%20of%20soils.pdf ; और Mandal et al., *Journal of Soil and Water Conservation*, https://epubs.icar.org.in/index.php/JSWC/article/view/120633
- Government of India. Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017); Coastal Regulation Zone Notification, 2019।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय
7A	राज्यव्यापी जलाशय GIS परत और सूची के क्षेत्र
7B	नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका (विकल्प S-3, परिशिष्ट 1C के साथ)

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय
7C	तालाब प्रचालन नियम का टेम्पलेट, बाढ़ कुशन सहित
7D	गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश
7E	जलाशयों और मिट्टी के हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली
प्रपत्र 7-1	जलाशय पत्रक
प्रपत्र 7-2	तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक
प्रपत्र 7-3	प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार)

अध्याय 8

जल गुणवत्ता और पुनर्भरण

8.1 उद्देश्य और विस्तार

8.1.1 यह अध्याय किसी साइट या सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली से निकलने वाले वर्षा जल (stormwater) की गुणवत्ता और भूजल पुनर्भरण (recharge) के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) जल गुणवत्ता आयतन (WQv) और जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह;
- (b) उपचार शृंखला (treatment train), और सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों (BMP) का चयन और डिजाइन;
- (c) अंतःस्यंदन (infiltration) और भूजल पुनर्भरण के मानदंड;
- (d) वर्षा जल ड्रेन से सीवेज (sewage) और शुष्क मौसम प्रवाह (DWF) को बाहर रखना;
- (e) जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल पर स्थूल प्रदूषक जाल (GPT), प्रथम प्रवाह (first flush) उपचार और जालियाँ;
- (f) वर्षा जल संचयन (RWH) का प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण के साथ तालमेल;
- (g) निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण; और
- (h) निगरानी (monitoring)।

8.1.2 यह अध्याय ऐसे प्रत्येक विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर अध्याय 4 लागू होता है (अध्याय 1)। खंड 8.9 (सीवेज) और 8.12 (निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण) ऐसे प्रत्येक विकास पर, जिसके लिए भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन आवश्यक है, और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी कार्य पर, उसके आकार की परवाह किए बिना, लागू होते हैं।

8.1.3 अध्याय 4 के अंतर्गत प्रतिधारण (retention) जल गुणवत्ता नियंत्रण का पहला और पसंदीदा रूप है। साइट पर रोका गया अपवाह पूरी तरह उपचारित माना जाता है। इस अध्याय का शेष भाग WQv के उस अंश पर लागू होता है जो रोका नहीं गया है।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) एकमात्र भारतीय मैनुअल है जो वर्षा जल की गुणवत्ता को कुछ विस्तार से समझाता है। इसका अध्याय 9 अमेरिका की घटना माध्य सांद्रताएँ (event mean concentrations) उद्धृत करता है, परंतु सावधान करता है कि "भारतीय संदर्भ में ये मान कहीं अधिक होंगे" ("in an Indian context the values would be much higher"), क्योंकि ड्रेन में मानव मल (night soil), मूत्र और खाद्य अपशिष्ट आते हैं, और वह कोई भारतीय संख्यात्मक मानदंड निर्धारित नहीं करता (CPHEEO 2019, Part A §9.5)। इसका अध्याय 10 जल-संवेदी शहरी डिजाइन, LID और SuDS उपचार शृंखलाओं का वर्णन करता है (CPHEEO 2019, Part A Ch. 10)। यह अध्याय उस मार्गदर्शन को अपेक्षाओं में बदलता है। यह MARC/APWA BMP Manual (2012) की उपचार पद्धति का अनुसरण करता है, जो अब APWA 5600 (2025.01) में मिला दिया गया है, और उष्णकटिबंधीय और अमेरिकी तुलना-मानकों के रूप में मलेशिया की 3-माह ARI जल गुणवत्ता वर्षा घटना (MSMA 2, 2012) और जॉर्जिया के जल गुणवत्ता आयतन (GSMM, 2016) को लेता है।

8.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
जल गुणवत्ता आयतन (WQv)	अपवाह का वह आयतन जिसे रोकना या उपचारित करना आवश्यक है, जो जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई से निकाला जाता है (खंड 8.4)।
जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई (P_wq)	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (परिशिष्ट 2E, खंड 2.10) और 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई (परिशिष्ट 8A) में से जो अधिक हो।
3-माह ARI गहराई	24-घंटे की वह वर्षा गहराई जो औसतन वर्ष में चार बार बराबर होती है या पार होती है, जो दीर्घकालिक दैनिक अभिलेख की आंशिक-अवधि श्रृंखला से निकाली जाती है।
जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह (Q_wq)	3-माह ARI वर्षा घटना से चरम प्रवाह, जिसका उपयोग प्रवाही युक्तियों (flow-through devices) और विपथन संरचनाओं के आकार निर्धारण में किया जाता है (खंड 8.4.5)।
WQv के लिए अपवाह गुणांक (Rv)	छोटी वर्षा घटनाओं के लिए आयतनी अपवाह गुणांक, Rv = 0.05 + 0.009·I।
BMP	सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति (best management practice): कोई संरचनात्मक या गैर-संरचनात्मक उपाय जो प्रदूषक भार या अपवाह आयतन घटाता है।
उपचार श्रृंखला	स्रोत से साइट और क्षेत्रीय स्तर तक, क्रम में लगी दो या अधिक BMP (खंड 8.5)।
पूर्व-उपचार (pretreatment)	ऐसी BMP जो अपवाह के किसी फिल्टर या अंतःस्यंदन BMP तक पहुँचने से पहले मोटी तलछट, कचरा और तेल हटाती है।
प्रथम प्रवाह	अपवाह घटना का आरंभिक भाग, जिसमें सामान्यतः तलछट, कचरे और तेल की सांद्रता सबसे अधिक होती है।
स्थूल प्रदूषक जाल (GPT)	ऐसी युक्ति जो कचरा, प्लास्टिक, वनस्पति और मोटी तलछट, सामान्यतः लगभग 5 mm से बड़ी, पकड़ती है।
शुष्क मौसम प्रवाह (DWF)	किसी वर्षा जल ड्रेन में वह प्रवाह जब कम से कम 72 घंटे से वर्षा न हुई हो। पृथक वर्षा जल प्रणाली में DWF सीवेज, सलेज, भूजल के रिसाव या अवैध निस्सरण का प्रमाण है।
अवैध जुड़ाव (cross-connection)	कोई भी पाइप, चैनल या छिद्र जिससे सीवेज या सलेज (रसोई, स्नानघर और कपड़े धोने के स्थान का गंदा पानी) किसी वर्षा जल ड्रेन में प्रवेश करे।
अंतःस्यंदन सुविधा	ऐसी सुविधा जो अपवाह को भूमि की सतह के नीचे, या किसी गड्ढे में, संचित करने और मिट्टी में सोखने देने के लिए डिजाइन की गई हो: अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन, बिना लाइनर वाला बायोरिटेंशन, खुले आधार वाला पारगम्य पेवमेंट, सोख गड्ढे (soakaways), पुनर्भरण गड्ढे और पुनर्भरण कुएँ।
मौसमी उच्चतम भूजल स्तर	खंड 3.10.2 में परिभाषित अनुसार: दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में उच्चतम स्तर।
हॉटस्पॉट (hotspot)	ऐसा भूमि उपयोग जिसमें रिसाव या दूषित अपवाह का उच्च जोखिम हो (खंड 8.8.8)।
सेवा स्तर (LoS) / मूल्य श्रेणी (VR)	खंड 8.6 की अंक प्रणाली, जो MARC/APWA BMP Manual (2012) से ली गई है।

8.3 उद्देश्य और चिंता के प्रदूषक

8.3.1 इस मैनुअल के अंतर्गत वर्षा जल उपचार का लक्ष्य होगा:

- (a) कचरा, प्लास्टिक और अन्य स्थूल प्रदूषकों को किसी जलाशय तक पहुँचने से पहले हटाना;
- (b) निलंबित तलछट को, और उस पर लदी धातुओं, पोषक तत्वों और तेल को, हटाना;

- (c) सीवेज और सलेज को वर्षा जल ड्रेन और जलाशयों से बाहर रखना;
- (d) जहाँ मिट्टी और भूजल की गहराई अनुमति दें, भूजल को प्रदूषित किए बिना उसका पुनर्भरण करना; और
- (e) निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट के निस्सरण को रोकना।

8.3.2 डिजाइन में प्रत्येक साइट के लिए निम्नलिखित प्रदूषकों का, और जहाँ लागू हों वहाँ खंड 8.8.8 के हॉटस्पॉट प्रदूषकों का, समाधान किया जाएगा:

तालिका 8.1 — चिंता के प्रदूषक, स्रोत और प्राथमिक नियंत्रण

प्रदूषक	छत्तीसगढ़ के नगरों में मुख्य स्रोत	प्राथमिक नियंत्रण
स्थूल प्रदूषक (प्लास्टिक, कचरा, वनस्पति)	सड़कें, बाजार, ड्रेन में खुले में कचरा फेंकना	स्रोत पर संग्रहण; GPT और जालियाँ (खंड 8.10)
निलंबित तलछट	निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें और किनारे की पटरियाँ, सड़क की घिसाई, ड्रेन की गाद	अपरदन और तलछट नियंत्रण (खंड 8.12); पूर्व-उपचार; निस्यंदन
तेल, ग्रीस और ईंधन	सड़कें, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, वर्कशॉप, बस डिपो	हॉटस्पॉट पर तेल-ग्रिट पृथक्कारी; बायोरिटेंशन
रोगाणु और कार्बनिक भार (BOD)	सीवेज और सलेज के अवैध जुड़ाव, पशु अपशिष्ट	बाहर रखना और DWF अवरोधन (खंड 8.9)
पोषक तत्व (N, P)	सीवेज, उर्वरक, खाद्य अपशिष्ट, डिटर्जेंट	बाहर रखना; बायोरिटेंशन; आर्द्रभूमि
भारी धातुएँ	सड़कें, छतें, औद्योगिक प्रांगण	निस्यंदन; अवसादन

> **भाष्य.** खंड 8.3 में स्थूल प्रदूषक और सीवेज सबसे पहले रखे गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शहरी जलाशयों के प्रदूषण में इन्हीं का प्रभुत्व है, और क्योंकि यदि इन्हें हटाया न जाए तो कोई भी उपचार BMP लंबे समय तक काम नहीं करती। CPHEEO (2019) बताता है कि भारतीय ड्रेन मानव मल, मूत्र और खाद्य अपशिष्ट ले जाती हैं (Part A §9.5)। अपनी WSUD प्रक्रिया में वह TSS, कुल नाइट्रोजन, कुल फॉस्फोरस और स्थूल प्रदूषकों को मुख्य प्रदूषकों के रूप में सूचीबद्ध करता है (Part A Ch. 10)। AMRUT 2.0 "वर्षा जल ड्रेन के माध्यम से ऐसे जलाशय में जिसमें सीवेज/बहिःस्राव नहीं आ रहा हो" ("through storm water drains into water body"; "which is not receiving sewage/effluent") वर्षा जल के संचयन का वित्तपोषण करता है (लोक सभा अतारांकित प्रश्न AU1419), जो तभी काम करता है जब पहले सीवेज को ड्रेन से बाहर रखा जाए।

8.4 जल गुणवत्ता आयतन और डिजाइन प्रवाह

8.4.1 **जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई.** जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई है:

$$P_{wq} = \max(P_{ret}, P_{3m})$$

जहाँ:

- P_{ret} = साइट के जोन के लिए प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (परिशिष्ट 2E, खंड 2.10), mm; और
- P_{3m} = साइट के जोन के लिए 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई (परिशिष्ट 8A), mm।

8.4.2 **जल गुणवत्ता आयतन.** WQv की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> WQv = (P_wq / 1000) × Rv × A

जहाँ:

- WQv, m^3 में है;
- A = योगदान देने वाला क्षेत्र, m^2;
- Rv = 0.05 + 0.009·I; और
- I = खंड 3.9 के जुड़ाव नियमों के बाद, योगदान देने वाले क्षेत्र का अपारगम्य प्रतिशत (0–100)।

ऊपर दिए गए Rv रूप का उपयोग केवल 0.5 ha से कम की साइटों के लिए और टियर B सरलीकृत विधि (खंड 4.14) के अंतर्गत किया जा सकता है। यह वही सीमा है जो प्रतिधारण आयतन के लिए है (खंड 4.4.2)। अन्य सभी साइटों के लिए WQv की गणना SCS-CN विधि से की जाएगी, जैसे प्रतिधारण आयतन की की जाती है: WQv (m^3) = 10 × Q_wq × A, जहाँ Q_wq (mm) प्रत्येक उप-भाग के लिए P_wq से SCS-CN अपवाह है और A, ha में है।

8.4.3 **जलवायु गुणक.** खंड 2.8 का जलवायु गुणक P_wq पर लागू नहीं किया जाएगा। P_ret और P_3m सामान्य वर्षा के आवृत्ति सांख्यिकी मान हैं, AEP डिजाइन गहराइयाँ नहीं।

8.4.4 **प्रतिधारण द्वारा पूरा किया गया WQv.** अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर रोका गया आयतन WQv में पूरा गिना जाता है। जहाँ रोका गया आयतन WQv के बराबर या उससे अधिक है, वहाँ उस क्षेत्र के लिए किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है, सिवाय:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण सुविधा में आने वाले अंतर्वाह के पूर्व-उपचार के (खंड 8.5.3);
- (b) हॉटस्पॉट नियंत्रणों के (खंड 8.8.8); और
- (c) खंड 8.10 की आउटफॉल संबंधी अपेक्षाओं के, जहाँ साइट का पानी किसी जलाशय में गिरता है।

8.4.5 **जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह.** प्रवाही युक्तियाँ (स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, तेल-ग्रिट पृथक्कारी, GPT) और ऑफ-लाइन BMP के लिए विपथन वियर, Q_wq के लिए आकारित किए जाएँगे। Q_wq की गणना योगदान देने वाले क्षेत्र के सांद्रण समय पर 3-माह ARI तीव्रता से की जाएगी:

- (a) रेशनल विधि से, जहाँ अध्याय 3 इसकी अनुमति देता है (कोई एकल तत्व जो 16 ha से अधिक की निकासी न करता हो); या
- (b) किसी हाइड्रोग्राफ विधि के चरम के रूप में, जिसमें खंड 2.9.1 के ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक कालिक वितरण के साथ 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई ली जाती है।

8.4.6 **बाइपास.** Q_wq से अधिक प्रवाह, पहले से पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना, प्रवाही और ऑफ-लाइन उपचार युक्तियों को बाइपास करेंगे। बाइपास लघु या प्रमुख प्रणाली का भाग होगा (अध्याय 6)।

8.4.7 **खाली होने का समय.** जहाँ WQv को किसी विस्तारित अस्थायी भंडारण (extended detention) BMP (वेट पॉन्ड, निर्मित आर्द्रभूमि या शुष्क विस्तारित अस्थायी भंडारण बेसिन) में रोका जाता है, वहाँ उसे **24–48 घंटों** में छोड़ा जाएगा (अध्याय 4)।

> **भाष्य.** WQv की गहराई 3-माह ARI वर्षा घटना से अपवाह या प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई, इनमें से जो अधिक हो, है। 3-माह ARI मलेशिया की जल गुणवत्ता डिजाइन वर्षा घटना है (MSMA 2, 2012)। मलेशिया की 2008 की जाँच-सूची ने इसकी गहराई लगभग 40 mm बताई और कहा कि यह 24-घंटे की वर्षा घटनाओं के अपवाह आयतन का 90% या अधिक पकड़ती है (DID, 2008)। छत्तीसगढ़ के मान की गणना की जानी है (परिशिष्ट 8A)। जॉर्जिया अपना WQv 1.2 इंच (लगभग 30 mm) से अपवाह के रूप में निर्धारित करता है, जो

औसत वर्ष में 85% वर्षा घटनाओं को समेटने वाली गहराई है, और विकास-पश्चात औसत वार्षिक TSS भार के 80% को हटाने की अपेक्षा करता है (GSMM 2016, Vol 1, Standard #4)। कैनसस सिटी की जल गुणवत्ता वर्षा घटना 1.37-इंच (लगभग 35 mm) की वह घटना है जो वर्ष में सभी 24-घंटे की वर्षा घटनाओं के अपवाह का 90% तक उत्पन्न करती है (MARC BMP Manual, 2012)।

Rv सूत्र MARC/APWA BMP Manual (2012) से है, जो Rv = 0.05 + 0.009·I के साथ WQv = P × Rv की गणना करता है। SCS कर्व नंबर के स्थान पर Rv का उपयोग इसलिए किया जाता है कि CN विधि पारगम्य भूमि पर छोटी वर्षा घटनाओं से अपवाह को बहुत कम आँकती है। जलवायु गुणक लागू न करने (खंड 8.4.3) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल ऐसा इसलिए करता है कि वह P_wq को प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई की तरह सामान्य वर्षा का एक सांख्यिकी मान मानता है। बड़े प्रवाहों का बाइपास और 24–48 घंटे में खाली होना अध्याय 4 के अनुसार है; MARC (2012) WQv के कम से कम 40 घंटे के विस्तारित अस्थायी भंडारण की अपेक्षा करता था।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. 80% अपारगम्य आवरण वाली 1.0 ha की साइट के लिए, 50 mm का P_wq मानते हुए:

- Rv = 0.05 + 0.009 × 80 = 0.77
- WQv = (50 / 1000) × 0.77 × 10,000 = 385 m^3

8.5 उपचार श्रृंखला और पूर्व-उपचार

8.5.1 **उपचार श्रृंखला.** जल गुणवत्ता नियंत्रण को चित्र 8.1 में दर्शाए गए क्रम में एक उपचार श्रृंखला के रूप में डिजाइन किया जाएगा:

- (a) भूखंड पर **स्रोत नियंत्रण**: छत के अपवाह को RWH में ले जाना, वर्षा उद्यान, पारगम्य पक्की सतह, अपारगम्य क्षेत्रों को असंबद्ध करना, और इनलेट पर गाद-जाल;
- (b) **साइट नियंत्रण**: बायोरिटेंशन, स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, अंतःस्यंदन, हॉटस्पॉट पर तेल-ग्रिट पृथक्कारी, वेट पॉन्ड और विस्तारित अस्थायी भंडारण; और
- (c) सार्वजनिक जल निकासी के लिए **क्षेत्रीय नियंत्रण**: आउटफॉल पर GPT और DWF इंटरसेप्टर, तालाबों के इनलेट पर निर्मित आर्द्रभूमि, और क्षेत्रीय तालाब।

8.5.2 कोई विकास (a) और (b) के माध्यम से साइट पर WQv पूरा करेगा। (c) के अंतर्गत क्षेत्रीय नियंत्रण किसी विकास के WQv में केवल तभी गिने जा सकते हैं जब उसी अपवाह का उपचार करने वाली क्षेत्रीय सुविधा किसी अधिसूचित बेसिन प्लान (खंड 7.11) के अंतर्गत बनाई जा चुकी हो।

8.5.3 **पूर्व-उपचार.** प्रत्येक बायोरिटेंशन सेल, अंतःस्यंदन सुविधा, बाहर से आने वाला अपवाह (run-on) प्राप्त करने वाले पारगम्य पेवमेंट, वेट पॉन्ड और निर्मित आर्द्रभूमि में प्रत्येक संकेंद्रित अंतर्वाह पर पूर्व-उपचार होगा। पूर्व-उपचार कोई तलछट फोरबे (forebay), घास फिल्टर पट्टी, गाद-जाल या स्वामित्वाधीन युक्ति होगी जो अपने योगदान देने वाले क्षेत्र के **WQv का कम से कम 10%** रोके, या प्रवाही युक्तियों के लिए Q_wq के लिए आकारित हो।

8.5.4 पूर्व-उपचार ऐसा होगा कि मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना उसकी सफाई की जा सके।

भाष्य. उपचार श्रृंखला CPHEEO (2019, Part A §10.2.3, SuDS उपचार श्रृंखला) और CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015) का अनुसरण करती है। यह इस मैनुअल की प्राथमिकताओं का क्रम भी है: संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन (अध्याय 1)। 10% फोरबे आयतन का कोई भारतीय पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह अमेरिकी मैनुअलों में फोरबे के आकार निर्धारण का एक सामान्य नियम है। छत्तीसगढ़ में कच्ची पटरियाँ, निर्माण स्थल और ड्रेन की गाद भारी तलछट भार लाते हैं। पूर्व-उपचार के बिना बायोरिटेंशन और अंतःस्यंदन सुविधाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं, प्रायः एक या दो वर्ष के भीतर।

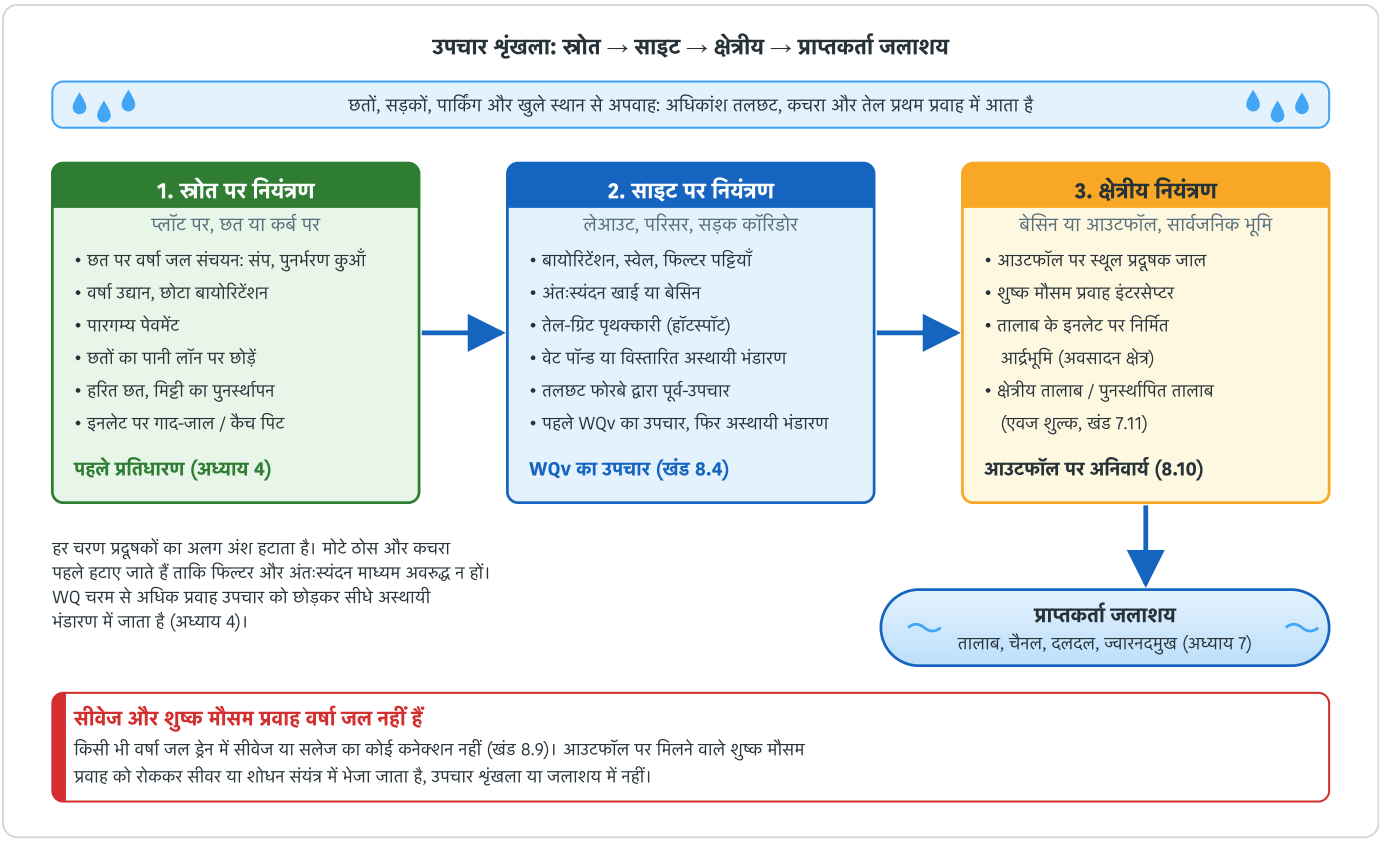

चित्र 8.1 — उपचार शृंखला: प्राप्तकर्ता जलाशय से पहले स्रोत, साइट और क्षेत्रीय नियंत्रण, सीवेज और शुष्क मौसम प्रवाह को प्रणाली से बाहर रखते हुए। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015, और MARC/APWA, Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality, 2012 से अनुकूलित।

8.6 BMP का चयन: सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी

8.6.1 **विधि.** टियर A क्षेत्रों में प्रत्येक साइट के लिए BMP का चयन इस खंड की सेवा स्तर (LoS) विधि से किया जाएगा। टियर B क्षेत्रों में खंड 8.6.5 का सरलीकृत मार्ग अपनाया जा सकता है।

8.6.2 **आवश्यक सेवा स्तर.** ऐसी साइट के लिए जो पुनर्विकास नहीं है, आवश्यक LoS विकास-पूर्व से विकास-पश्चात स्थिति तक कर्व नंबर में परिवर्तन (ΔCN) पर निर्भर करता है (अध्याय 3):

तालिका 8.2 — पुनर्विकास से भिन्न साइटों के लिए आवश्यक सेवा स्तर

ΔCN	प्रभाव	आवश्यक LoS
17 या अधिक	उच्च	8
7 से 16	मध्यम	7
4 से 6	निम्न	6
1 से 3	न्यूनतम	5

पुनर्विकास (साइट के 20% या अधिक पर विद्यमान अपारगम्य आवरण) के लिए आवश्यक LoS परिशिष्ट 8B से लिया जाएगा।

8.6.3 **मूल्य श्रेणी.** WQv का उपचार करने वाली प्रत्येक BMP की तालिका 8.3 से एक मूल्य श्रेणी (VR) होती है। साइट की संयुक्त VR, साइट के प्रत्येक भाग की सेवा करने वाली BMP की VR का क्षेत्र-भारित औसत है। उपचार शृंखलाओं को परिशिष्ट 8B के अंतर्गत संयुक्त VR मिलती है। संयुक्त VR आवश्यक LoS के बराबर या उससे अधिक होगी।

8.6.4 **मूल्य श्रेणी की शर्तें.** कोई BMP अपनी VR केवल तभी अर्जित करती है जब:

- (a) वह उसे क्रेडिट किए गए क्षेत्र के WQv (या प्रवाही युक्तियों के लिए Q_wq) के लिए आकारित हो;
- (b) वह खंड 8.7 की और, अंतःस्यंदन के लिए, खंड 8.8 की डिजाइन अपेक्षाएँ पूरी करे; और
- (c) उसमें खंड 8.5.3 के अंतर्गत पूर्व-उपचार हो।

8.6.5 **टियर B सरलीकृत मार्ग.** टियर B क्षेत्रों में, खंड 8.6.3 की अपेक्षा पूरी हुई मानी जाती है जहाँ साइट का पूरा WQv या तो:

- (a) अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर रोका जाता है; या
- (b) खंड 8.7 और 8.8 के अंतर्गत डिजाइन किए गए, पूर्व-उपचार सहित, किसी बायोरिटेंशन सेल, वर्षा उद्यान या अंतःस्यंदन सुविधा द्वारा उपचारित किया जाता है।

तालिका 8.3 — BMP की मूल्य श्रेणियाँ और छत्तीसगढ़ में उपयुक्तता

BMP	VR (MARC 2012)	हटाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक	आयतन में कमी / भूजल पुनर्भरण	मटासी (matasi) ऊपरी भूमि, नदी की रेत	लैटेराइट / कठोर चट्टान	कन्हार (kanhar) या डोरसा (dorsa) निचली भूमि, खनन से विक्षुब्ध भूमि या राख / ऊँचा भूजल स्तर	छत्तीसगढ़ संबंधी टिप्पणियाँ
देशज वनस्पति (संरक्षित)	9.25	सभी	उच्च	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	केवल संरक्षित, अछूते क्षेत्र के लिए गिनी जाती है
वर्षा उद्यान / अंतःस्यंदन	9.0	तलछट, धातुएँ, तेल, पोषक तत्व	उच्च	उपयुक्त, यदि 1.0 m की दूरी पूरी हो	सशर्त (परीक्षण)	अनुपयुक्त	मच्छर नियंत्रण: 48 h के भीतर खाली हो
बायोरिटेंशन	8.5	तलछट, धातुएँ, तेल, पोषक तत्व	मध्यम-उच्च (बिना लाइनर); निम्न (लाइनरयुक्त)	उपयुक्त	उपयुक्त, अंडरड्रेन सहित	लाइनरयुक्त, अंडरड्रेन सहित	माध्यम का स्रोत और फॉस्फोरस की मात्रा विनिर्दिष्ट की जानी है
पारगम्य पेवमेंट	7.5	तलछट, धातुएँ, तेल	मध्यम-उच्च	उपयुक्त	सशर्त	केवल लाइनरयुक्त	जहाँ बाहर से आने वाला अपवाह भारी गाद लाता हो वहाँ नहीं
विस्तारित अस्थायी भंडारण आर्द्रभूमि	7.0	तलछट, पोषक तत्व, धातुएँ	निम्न	सशर्त (जल संतुलन)	उपयुक्त	उपयुक्त	तालाबों के इनलेट पर उपयोगी (खंड 7.9.7)
माध्यम / रेत फिल्टर	6.0	तलछट, धातुएँ	निम्न	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त (लाइनरयुक्त)	बार-बार सफाई आवश्यक
विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण (वेट पॉन्ड)	5.0	तलछट, धातुएँ, कुछ पोषक तत्व	निम्न	सशर्त (जल संतुलन)	उपयुक्त	उपयुक्त	शुष्क ऋतु का जल संतुलन (खंड 8.7.8)

BMP	VR (MARC 2012)	हटाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक	आयतन में कमी / भूजल पुनर्भरण	मटासी (matasi) ऊपरी भूमि, नदी की रेत	लैटेराइट / कठोर चट्टान	कन्हार (kanhar) या डोरसा (dorsa) निचली भूमि, खनन से विक्षुब्ध भूमि या राख / ऊँचा भूजल स्तर	छत्तीसगढ़ संबंधी टिप्पणियाँ
वनस्पति फिल्टर पट्टी	5.0	तलछट	निम्न–मध्यम	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	अधिकतर पूर्व-उपचार के रूप में
देशज वनस्पति स्वेल	4.0	तलछट, तेल	निम्न–मध्यम	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	जहाँ Q_wq पर वेग अधिक हो वहाँ नहीं
विस्तारित शुष्क अस्थायी भंडारण	4.0	मोटी तलछट	निम्न	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	अस्थायी भंडारण के साथ मिलाएँ (अध्याय 4)
स्वामित्वाधीन / हाइड्रोडायनामिक युक्तियाँ	3.0–5.0	मोटी तलछट, तेल, कचरा	कोई नहीं	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	VR केवल सत्यापित परीक्षण आँकड़ों से
संकेत-पट (जन शिक्षा)	+0.25	—	—	—	—	—	संयुक्त VR में जोड़ी जाती है

VR स्तंभ MARC/APWA BMP Manual (2012) की Table 4.4 से है। उपयुक्तता के स्तंभों और टिप्पणियों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

> **भाष्य.** LoS और VR विधि MARC/APWA Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality (2012), Tables 4.2 और 4.4 से है। VR में International Stormwater BMP Database की बहिःस्राव TSS सांद्रताओं पर आधारित जल गुणवत्ता अंक को आयतन में कमी, तापमान, और तेल तथा तैरती वस्तुओं के अंकों के साथ जोड़ा जाता है। यह विधि छत्तीसगढ़ के लिए दो कारणों से उपयुक्त है। यह आयतन में कमी और संरक्षण को पुरस्कृत करती है, जो भूजल पुनर्भरण में भी सहायक हैं। साथ ही, समीक्षक जल गुणवत्ता मॉडलिंग के बिना इसकी जाँच कर सकता है। इसकी कमजोरी यह है कि अंक अमेरिकी आँकड़ों से आते हैं। छत्तीसगढ़ का वर्षा जल उन अंकों के पीछे के अमेरिकी अपवाह से अधिक कचरा और अधिक सीवेज ले जाता है (CPHEEO 2019, §9.5), इसलिए यह मैनुअल GPT और DWF को बाहर रखने की अपेक्षा अलग से करता है (खंड 8.9 और 8.10) और किसी VR को उनका स्थान नहीं लेने देता।

8.7 BMP डिजाइन सारांश

8.7.1 **सामान्य.** प्रत्येक BMP को नीचे दी गई अपेक्षाओं और परिशिष्ट 8D (BMP डिजाइन पत्रक) के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। जहाँ चिह्नित है, वहाँ दिए गए आयाम **अनुशंसित प्रारंभिक मान** हैं; डिजाइनकर्ता किसी भी विचलन का औचित्य बताएगा। प्रत्येक BMP को Q_wq से अधिक प्रवाहों के सुरक्षित निकास (खंड 8.4.6) के लिए डिजाइन किया जाएगा और उसमें रखरखाव के लिए पहुँच होगी (अध्याय 10)।

8.7.2 **बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान** (चित्र 8.2)।

- (a) मल्च (mulch) के ऊपर सतही जल रुकने की गहराई **300 mm** से अधिक नहीं, अधिकतम जल रुकने के स्तर पर अतिप्रवाह के साथ।
- (b) सतह पर रुका जल **48 घंटों** के भीतर निकल जाए।
- (c) 600–900 mm गहरा फिल्टर माध्यम: कम महीन कणों और कम फॉस्फोरस वाली इंजीनियर्ड बलुई दोमट (परिशिष्ट 8D), 50–75 mm की मल्च परत के साथ।

- (d) माध्यम के नीचे एक संक्रमण (चोकर, choker) परत और एक बजरी जल निकासी परत।
- (e) जहाँ मूल मिट्टी की डिजाइन अंतःस्यंदन दर (खंड 8.8.4), (b) को पूरा करने के लिए आवश्यक दर से कम हो, या जहाँ सेल लाइनरयुक्त हो, वहाँ एक छिद्रित अंडरड्रेन।
- (f) बिना लाइनर वाले सेल खंड 8.8 के अंतःस्यंदन मानदंड पूरे करेंगे। जो सेल उन्हें पूरा नहीं कर सकते, और हॉटस्पॉट पर स्थित सेल, लाइनरयुक्त होंगे।
- (g) पौधे: देशज या प्राकृतिकीकृत प्रजातियाँ जो जलभराव और लंबी शुष्क अवधि दोनों सह सकें।

8.7.3 **वनस्पति स्वेल.**

- (a) समलंबी या परवलयिक काट, जिसके पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े न हों।
- (b) अनुदैर्ध्य ढलान 0.5% से 4%, अधिक खड़े ढलान पर चेक डैम के साथ।
- (c) Q_wq पर प्रवाह की गहराई घास की ऊँचाई से अधिक नहीं, और Q_wq पर वेग 0.3 m/s से अधिक नहीं।
- (d) 1% AEP प्रवाह (या बाइपास) स्वेल का अपरदन नहीं करेगा (अध्याय 9 के अनुमेय वेग)।
- (e) जहाँ अनुदैर्ध्य ढलान 1% से कम हों या उप-मृदा में जल निकासी कमजोर हो, वहाँ फिल्टर माध्यम सहित अंडरड्रेनयुक्त ("शुष्क") स्वेल।

8.7.4 **वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ.**

- (a) केवल परत प्रवाह प्राप्त करें, जहाँ प्रवाह संकेंद्रित होकर आता हो वहाँ समतल प्रसारक (level spreader) के साथ।
- (b) प्रवाह की दिशा में लंबाई कम से कम 5 m, और ढलान 1% से 8%।
- (c) मुख्यतः बायोरिटेंशन, अंतःस्यंदन और स्वेल के लिए पूर्व-उपचार के रूप में उपयोग।

8.7.5 **पारगम्य पेवमेंट.**

- (a) अपारगम्य क्षेत्रों से आने वाले अपवाह का क्षेत्र पारगम्य क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं, और कच्चे या अपरदित हो रहे क्षेत्रों से कोई अपवाह नहीं।
- (b) स्वच्छ, खुले श्रेणीकरण वाले एग्रीगेट का आधार जलाशय (base reservoir), जो अपने रिक्त स्थानों में WQv का अपना हिस्सा रोक सके।
- (c) खुला (अंतःस्यंदन करने वाला) आधार केवल जहाँ खंड 8.8 पूरा हो; अन्यथा अंडरड्रेन के साथ लाइनरयुक्त, और तब केवल निस्यंदन के रूप में गिना जाए।
- (d) सड़क प्राधिकारी के मानकों के अनुसार यातायात भार के लिए संरचनात्मक डिजाइन।
- (e) हॉटस्पॉट पर नहीं, और जहाँ सतह को अपारगम्य सामग्री से पुनः बिछाया जाएगा वहाँ नहीं।

8.7.6 **अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन** (चित्र 8.3)।

- (a) हर स्थिति में खंड 8.5.3 के अंतर्गत पूर्व-उपचार।
- (b) खाइयाँ स्वच्छ धुले एग्रीगेट से भरी हों, जिसका रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट हो, जो पार्श्वों और ऊपर जियोटेक्सटाइल में लिपटा हो और रेत के आधार पर हो।
- (c) प्रत्येक खाई के आधार तक एक प्रेक्षण कुआँ।
- (d) भंडारण आयतन = WQv (या अध्याय 4 का प्रतिधारण आयतन, जहाँ अधिक हो), जो रिक्त स्थानों में रोका जाए; डिजाइन अंतःस्यंदन दर पर 72 घंटों के भीतर खाली हो।
- (e) सतह के स्तर पर लघु या प्रमुख प्रणाली में अतिप्रवाह।
- (f) योगदान देने वाले क्षेत्र के स्थिर होने तक सेवा में न लाई जाए (अध्याय 10)।

8.7.7 **वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण).**

- (a) कम से कम WQv का स्थायी जल-भंडार (permanent pool), और उसके ऊपर WQv का विस्तारित अस्थायी भंडारण, जो 24–48 घंटों में छोड़ा जाए।
- (b) प्रत्येक इनलेट पर एक तलछट फोरबे (खंड 8.5.3)।
- (c) प्रवाह मार्ग का लंबाई-चौड़ाई अनुपात कम से कम 3:1, बिना शॉर्ट-सर्किट प्रवाह के।
- (d) स्थायी जल-भंडार की गहराई 1.0–2.5 m, सुरक्षा बेंच के साथ (खंड 7.9.4)।
- (e) शुष्क ऋतु का जल संतुलन (खंड 8.7.8)।
- (f) अध्याय 4 का अस्थायी भंडारण विस्तारित अस्थायी भंडारण स्तर के ऊपर हो सकता है।

8.7.8 **स्थायी जल-भंडार के लिए जल संतुलन.** वेट पॉन्ड और आर्द्रभूमियों के लिए, IMD वर्षा और पैन वाष्पन का उपयोग करते हुए मासिक जल संतुलन द्वारा यह दर्शाया जाएगा कि वे 10 वर्षों में सबसे शुष्क वर्ष में भी स्थायी जल-भंडार के आयतन का कम से कम 50% (या आर्द्रभूमि की न्यूनतम गहराई) बनाए रखते हैं। उन्हें भूजल, पेयजल या सीवेज से नहीं भरा जाएगा। जहाँ संतुलन विफल हो, वहाँ उसके स्थान पर शुष्क विस्तारित अस्थायी भंडारण बेसिन या छोटे स्थायी जल-भंडार वाली निर्मित आर्द्रभूमि का उपयोग किया जाएगा।

8.7.9 **निर्मित आर्द्रभूमियाँ.**

- (a) इनलेट पर एक अवसादन तालाब (फोरबे), जिसके बाद एक उथला वनस्पतियुक्त वृहत्पादप क्षेत्र (macrophyte zone)।
- (b) सामान्य जल स्तर के ऊपर WQv का विस्तारित अस्थायी भंडारण, जो 24–48 घंटों में छोड़ा जाए, और विस्तारित अस्थायी भंडारण की गहराई 0.5 m से अधिक नहीं।
- (c) प्रवाह मार्ग का लंबाई-चौड़ाई अनुपात कम से कम 3:1, प्रवाह को फैलाने के लिए प्रवाह मार्ग के आर-पार गहरे क्षेत्रों के साथ।
- (d) उच्च-प्रवाह बाइपास, ताकि बाढ़ वृहत्पादप क्षेत्र को न खुरचे।
- (e) जहाँ किसी तालाब (tank) के इनलेट पर बनाई जाए, वहाँ आर्द्रभूमि तालाब के सेटबैक के भीतर किंतु उसके जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर होगी, और उसके भंडारण को तालाब के भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

8.7.10 **स्थूल प्रदूषक जाल.**

- (a) Q_wq के उपचार के लिए आकारित, और 1% AEP तक के सभी प्रवाह पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना निकल जाएँ।
- (b) लगभग 5 mm तक के स्थूल प्रदूषकों को पकड़ें।
- (c) हेड हानि ड्रेन की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में सम्मिलित हो (अध्याय 9), जाली को **50% अवरुद्ध** मानते हुए।
- (d) पकड़ी गई सामग्री के लिए भंडारण O&M योजना के सफाई अंतराल के लिए आकारित हो, और अध्याय 10 की 3-मासिक सफाई से कम नहीं।
- (e) सक्शन या ग्रैब द्वारा सफाई के लिए वाहन की पहुँच।

8.7.11 **तेल-ग्रिट पृथक्कारी.**

- (a) खंड 8.8.8 के उन हॉटस्पॉट पर आवश्यक जिनमें ईंधन या तेल का संबंध है: ईंधन स्टेशन, वाहन वर्कशॉप और धुलाई स्थल, बस और ट्रक डिपो, और 50 से अधिक स्थानों वाले पार्किंग क्षेत्र।
- (b) उच्च-प्रवाह बाइपास के साथ, Q_wq के लिए आकारित।
- (c) एकमात्र उपचार के रूप में उपयोग नहीं किए जाएँगे: जहाँ साइट को 5 से अधिक VR की आवश्यकता हो वहाँ इनके बाद एक निस्यंदन BMP होगी।

8.7.12 **गाद-जाल और कैच पिट.**

- (a) कच्ची भूमि से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक इनलेट पर, और किसी BMP या जलाशय में गिरने वाली प्रत्येक ड्रेन के इनलेट पर।
- (b) आउटलेट इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे एक संप।

- (c) गाद-जाल केवल पूर्व-उपचार हैं और कोई VR अर्जित नहीं करते।

भाष्य. डिजाइन सारांश MARC/APWA BMP Manual (2012), Georgia Stormwater Management Manual (2016, Vol 2), CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015) और PUB सिंगापुर के ABC Waters Design Guidelines पर आधारित हैं। आयाम उन मैनुअलों के विशिष्ट मान हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में इनका अंशांकन नहीं किया गया है। तीन स्थानीय मुद्दे स्रोत मैनुअलों से परिवर्तन के कारण हैं:

- **मच्छर.** छत्तीसगढ़ में डेंगू स्थानिक है। बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यानों में सतह पर रुका जल 48 घंटों के भीतर निकल जाना चाहिए (खंड 8.7.2(b)), जो मच्छर के लार्वा के विकसित होने के समय से काफी कम है। यह खंड 8.4.7 के WQv के 24–48 घंटे में खाली होने के अनुरूप है।
- **शुष्क ऋतुएँ.** छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून में होती है: राज्य का सामान्य मान 1,268.1 mm प्रति वर्ष है, जिसमें से लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर तक होती है और केवल जुलाई और अगस्त में ही लगभग 58% वर्षा होती है, और जिलों के सामान्य मान कबीरधाम, बेमेतरा और बलौदा बाजार में लगभग 1,010–1,040 mm से लेकर बस्तर में 1,575.7 mm और दंतेवाड़ा में 1,839.3 mm तक हैं, जिनमें रायपुर में 1,129.3 mm, दुर्ग में 1,061.5 mm, बिलासपुर में 1,110.5 mm और कोरबा में 1,354.1 mm है (IMD, *Climate of Chhattisgarh*, 2015, 1961–2010 के सामान्य मान)। मानसून अब जगदलपुर में लगभग 11 से 13 जून को, रायपुर में लगभग 16 जून को और बिलासपुर में लगभग 17 जून को आता है, और पेंड्रा रोड से लगभग 7 अक्तूबर तक, रायपुर से लगभग 9 अक्तूबर तक और जगदलपुर से लगभग 12 से 14 अक्तूबर तक वापस चला जाता है (IMD, आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ, 2020)। अक्तूबर से मानसून तक तालाबों (talab) और डबरियों (dabri) का जल स्तर, जब तक उन्हें पानी न मिले, गिर जाता है, और नगरों में किसी तालाब को मिलने वाला पानी प्रायः सीवेज होता है, क्योंकि नाले (nala) उसे ले जाते हैं (खंड 8.9, भाष्य)। जिस वेट पॉन्ड या निर्मित आर्द्रभूमि का जल संतुलन (खंड 8.7.8) अपने ही जलग्रहण क्षेत्र के अपवाह से शुष्क महीनों में उसका स्थायी जल-भंडार बनाए नहीं रख सकता, उसका उपयोग नहीं किया जाना है; भाठा (bhata) और मटासी (matasi) की ऊपरी भूमि पर और मैदान के अपेक्षाकृत शुष्क पश्चिम में खंड 8.7 के शुष्क रूप (बायोरिटेंशन, स्वेल, जहाँ खंड 8.8.1 अनुमति दे वहाँ पुनर्भरण, और विस्तारित शुष्क अस्थायी भंडारण) ही व्यावहारिक विकल्प हैं। खंड 8.7.8 BMP पर लागू होता है, जिन्हें सीवेज से, पंप से निकाले गए खदान के पानी से या ऐश पॉन्ड के पानी से नहीं भरा जाएगा; तालाब, बाँध (bandh), डबरियाँ, झीलें, जलाशय और खदान झीलें अध्याय 7 के अंतर्गत जलाशय हैं और किसी विकास के लिए उपचार के रूप में उपयोग नहीं किए जाने हैं। सूख जाने वाले वेट पॉन्ड ठहरे हुए गड्ढे बन जाते हैं या उनमें कचरा फेंका जाने लगता है। खंड 8.7.8 जल संतुलन की अपेक्षा करता है और सीवेज से भरने पर रोक लगाता है, जो शहरी तालाबों को "भरा" ("full") रखने की एक आम प्रथा है।
- **कचरा और गाद.** GPT और गाद-जाल वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य माने गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ड्रेन भारी मात्रा में कचरा और गाद ले जाती हैं। जालियों के लिए 50% अवरोध गुणक अध्याय 6 के जाली इनलेट अवरोध गुणक से मेल खाता है।

तेल-ग्रिट पृथक्कारियों के लिए 50 स्थानों की सीमा-मान, GPT का 5 mm का पकड़ आकार, स्वेल का 0.3 m/s वेग और इस खंड के अन्य आयामों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

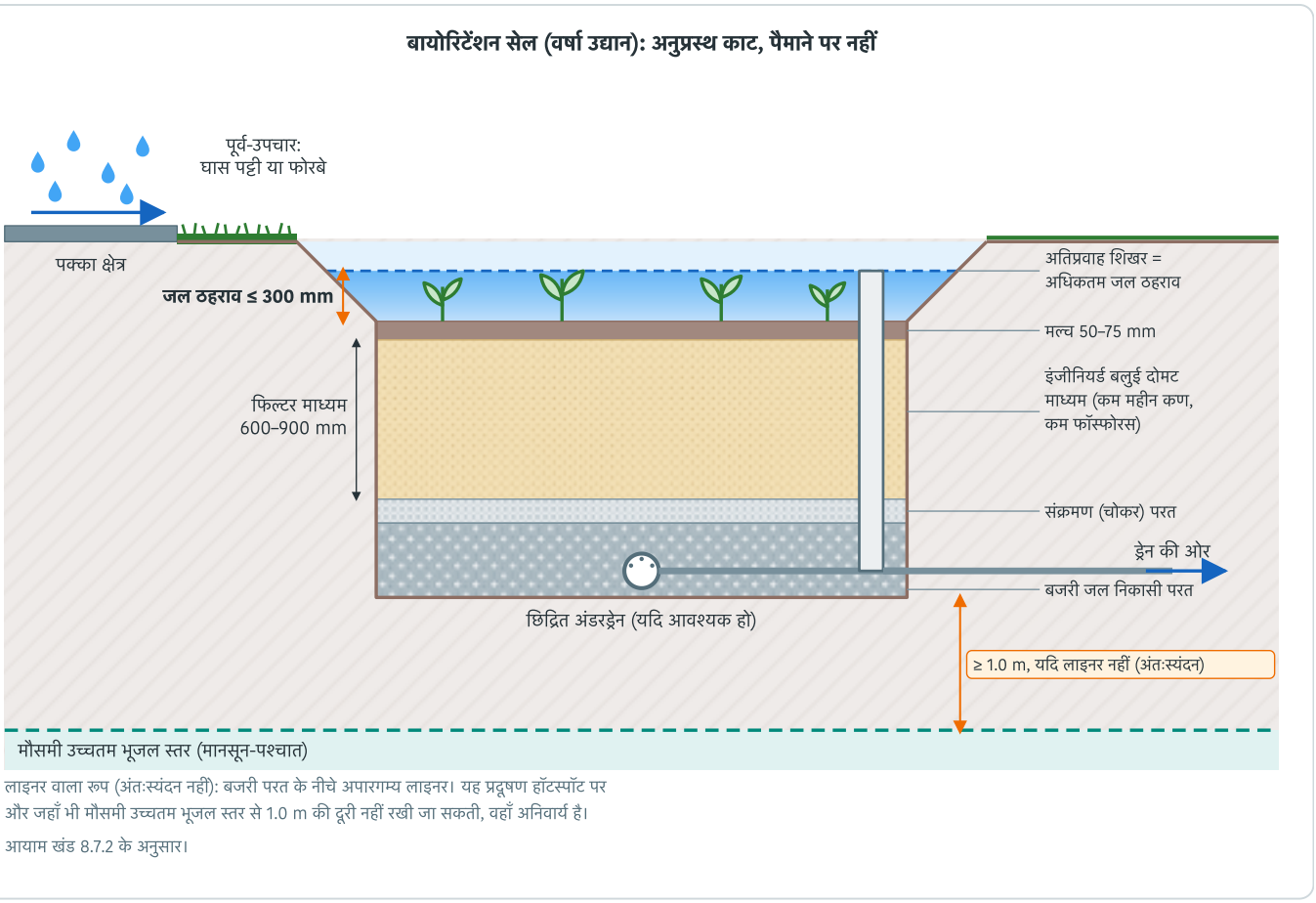

चित्र 8.2 — बायोरिटेंशन सेल (वर्षा उद्यान) की काट: पूर्व-उपचार, सतह पर रुका जल, फिल्टर माध्यम, संक्रमण और बजरी परतें, अंडरड्रेन, अतिप्रवाह, और बिना लाइनर वाले सेल के लिए मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से 1.0 m की दूरी। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/APWA, Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality, 2012, और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

8.8 अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड

8.8.1 **भूजल से दूरी.** अंतःस्यंदन सुविधा केवल वहीं अनुमत है जहाँ **मौसमी उच्चतम भूजल स्तर सुविधा के आधार से कम से कम 1.0 m नीचे** हो। छत्तीसगढ़ में इसका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तटीय रेतीला क्षेत्र नहीं है (खंड 8.8.9)। इस खंड के लिए मौसमी उच्चतम भूजल स्तर मानसून-पश्चात का उच्चतम स्तर (सितंबर से नवंबर) है; 2023 में राज्य के लगभग 76% निगरानी कुओं में मानसून-पश्चात भूजल स्तर भूमि से 5 m के भीतर था (CGWB)। **जहाँ जलभृत पर दबाव है, वहाँ पहले पुनर्भरण.** राज्य स्तर पर भूजल का दोहन 2024 के आकलन में दोहन योग्य संसाधन का 47.32% था, परंतु पाँच विकासखंड गंभीर (critical) थे, जिनमें रायपुर जिले का धरसीवां 93.51% पर था, और पास के गुरूर, नवागढ़, बेमेतरा और बेरला, और 21 अर्ध-गंभीर (semi-critical) थे, जिनमें दुर्ग, धमधा और राजनांदगांव हैं (CGWB)। उन विकासखंडों में, और सामान्यतः रायपुर और दुर्ग-भिलाई के शहरी क्षेत्रों में, जहाँ भी यह खंड पूरा होता है, वहाँ पूर्व-उपचार सहित पुनर्भरण प्रतिधारण पूरा करने का पहला साधन है। **चूना पत्थर की पट्टी.** रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर का, जिससे रायपुर को पानी मिलता है, वर्णन CGWB कार्स्टीकृत और गुहायुक्त के रूप में करता है, जिसमें संस्तरण के साथ विलयन गुहाएँ हैं, जो प्रायः चिकनी मिट्टी से भरी होती हैं, और जिसकी क्षेत्रीय पारगम्यता (field permeability) 4 से 65 m प्रति दिन है; इसमें प्रवेश करने वाला पानी, जो कुछ भी वह साथ ले जाए उसके साथ, तेजी से जलभृत तक पहुँचता है, और संकेंद्रित पुनर्भरण किसी गुहा की चिकनी मिट्टी को बहा सकता है। इस पट्टी में (रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले, और जहाँ भी कोई बोरहोल चूना पत्थर पाए), **गुहा जाँच** (cavity check) के बिना कोई पुनर्भरण कुआँ, पुनर्भरण शाफ्ट, बोरवेल पुनर्भरण या 1.5 m से अधिक गहरी अंतःस्यंदन सुविधा नहीं बनाई जाती: सुविधा पर एक बोरहोल लॉग (borehole log), जो चूना पत्थर में कम से कम 3 m तक या सुविधा के आधार से 10 m नीचे तक, इनमें से जो कम हो, ले जाया गया हो, या किसी जल-भूवैज्ञानिक (hydrogeologist) द्वारा

व्याख्यायित भूभौतिकीय सर्वेक्षण (geophysical survey), जो उस गहराई के भीतर कोई खुली या चिकनी मिट्टी से भरी गुहा न दर्शाए, और किसी ज्ञात सिंकहोल या धँसाव (collapse) के 30 m के भीतर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं; ऐसी प्रत्येक सुविधा केवल फिल्टर किया गया छत का पानी या किसी फिल्टर करने वाली BMP से गुजर चुका अपवाह प्राप्त करती है (खंड 8.8.10(b)), और इस पट्टी में किसी ईंधन स्टेशन, वाहन कार्यशाला, सीमेंट संयंत्र, खदान (quarry), औद्योगिक प्रांगण या भारी यातायात वाली सड़क का कोई अपवाह पुनर्भरण में नहीं ले जाया जाता। **कोई पुनर्भरण नहीं.** निम्नलिखित में कोई अंतःस्यंदन सुविधा, पुनर्भरण गड्ढा, पुनर्भरण कुआँ या पुनर्भरण शाफ्ट किसी भी प्रकार का अपवाह प्राप्त नहीं करेगा, खंड 8.11.3(c) में छत के पानी के लिए दिया गया अपवाद लागू नहीं होता, और प्रतिधारण या WQv के लिए किसी अंतःस्यंदन या पुनर्भरण का क्रेडिट नहीं दिया जाता; वहाँ प्रतिधारण उपयोग के लिए भंडारण, सतही उपायों और अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण से पूरा किया जाता है: (i) **कन्हार** (kanhar), निचली भूमि की गहरी काली चिकनी मिट्टी (HSG D), भूजल की गहराई चाहे जो हो, क्योंकि यह मिट्टी सूखने पर फटती है, गीली होने पर बंद हो जाती है और वहाँ पाई जाती है जहाँ भूजल स्तर उथला है; (ii) नदियों के डूब क्षेत्र, और तालाबों (talab), बाँधों (bandh), डबरियों (dabri), झीलों और जलाशयों के तल और अग्रतट (foreshore); (iii) डोरसा (dorsa) और मचाई गई (puddled) धान की निचली भूमि, जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से इस दूरी के भीतर है; (iv) खनन से विक्षुब्ध भूमि (ओवरबर्डन डंप, पुनर्भरित या सुधारी गई खनन भूमि, संघनित खदान बेंच और हॉल रोड, और भू-धंसान भूमि), ऐश पॉन्ड, राखड़ बाँध और राख से भरी भूमि, किसी चालू खदान का निर्जलीकरण क्षेत्र (dewatering zone), जैसा पट्टाधारी की खनन योजना या जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उसे दर्शाती है (कोरबा कोयला क्षेत्र की गेवरा और कुसमुंडा खदानों के आसपास अवनमन (drawdown) लगभग 1.2 km तक पहुँचने की सूचना है), और किसी खदान के गड्ढे के किनारे से 50 m के भीतर की भूमि, जब तक कोई भू-तकनीकी जाँच यह न दर्शाए कि वह स्थिर है; (v) ऐसी भूमि जहाँ भूजल सतह पर बहता है, जैसे रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और कोरिया के गोंडवाना क्षेत्रों के स्वतः प्रवाही कुओं (flowing wells) से; और (vi) कोई अन्य साइट जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से इस दूरी के भीतर है। **गुणवत्ता.** जांजगीर-चांपा, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और सूरजपुर जिलों के नमूनों में 1.5 mg/L से अधिक फ्लोराइड पाया गया, 20 जिलों में, जिनमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर हैं, लगभग 11% नमूनों में 45 mg/L से अधिक नाइट्रेट, और कोरबा, कोरिया और रायगढ़ के नमूनों में आर्सेनिक (CGWB); पहले राजनांदगांव जिले में रहे अंबागढ़ चौकी विकासखंड के कौड़ीकसा (Kaudikasa) के कुओं में आर्सेनिक अधिक है (CGWB)। फ्लोराइड वाले जिलों में पुनर्भरण कुएँ का उपयोग केवल साइट पर भूजल की गुणवत्ता की जाँच के बाद ही किया जाता है, और पुनर्भरित जलभृत से वापस निकाले गए पानी का पेयजल के रूप में किसी भी उपयोग से पहले परीक्षण किया जाता है; अंबागढ़ चौकी विकासखंड में किसी भी प्रकार का अनुपचारित अपवाह, छत के पानी सहित, किसी पुनर्भरण कुएँ, बोरवेल, पुनर्भरण शाफ्ट या इंजेक्शन कुएँ (injection well) में तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक किसी जल-भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट यह पुष्ट न करे कि लक्षित जलभृत आर्सेनिक-प्रभावित नहीं है और उसे हानि नहीं होगी; और कोई भी खदान का पानी, ऐश पॉन्ड का पानी, औद्योगिक अपवाह या सीवेज-युक्त अपवाह किसी पुनर्भरण संरचना में नहीं ले जाया जाता। जहाँ पुनर्भरण किसी कुएँ या शाफ्ट के माध्यम से दरारयुक्त या गुहायुक्त चट्टान में होता है, वहाँ किसी जल-भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट भूजल स्तर की गहराई और प्राप्तकर्ता क्षेत्र की पुष्टि करेगी, और यह पुष्ट करेगी कि 30 m के भीतर पेयजल के किसी कुएँ को हानि नहीं होगी। ये सीमाएँ, और गुहा जाँच, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। मौसमी उच्चतम भूजल स्तर खंड 3.10.2 के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

8.8.2 **अन्य दूरी.** अंतःस्यंदन सुविधा का आधार आधार-शैल (bedrock) या किसी अपारगम्य परत से भी कम से कम 1.0 m ऊपर होगा, जब तक कि सुविधा खंड 8.8.10 के अंतर्गत किसी विदरित या अपक्षयित चट्टानी जलभृत के पुनर्भरण के लिए डिजाइन न की गई हो।

8.8.3 **अंतःस्यंदन परीक्षण.** अंतःस्यंदन दर सुविधा के प्रस्तावित आधार स्तर पर मापी जाएगी:

- (a) बेसिन, बायोरिटेंशन और पारगम्य पेवमेंट के लिए डबल-रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर परीक्षण (ASTM D3385) द्वारा;
- (b) खाइयों, सोख गड्ढों, पुनर्भरण गड्ढों और पुनर्भरण कुओं के लिए फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन परीक्षण (उदाहरण के लिए BRE Digest 365) द्वारा;
- (c) **प्रति सुविधा कम से कम 2 परीक्षण**, और अंतःस्यंदन आधार क्षेत्र के प्रति 100 m^2 या खाई की लंबाई के प्रति 50 m पर कम से कम 1 परीक्षण; और
- (d) भू-तकनीकी परीक्षण में सक्षम व्यक्ति द्वारा, परिणाम अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2) पर दर्ज करते हुए।

शुष्क ऋतु में किए गए परीक्षणों के साथ परीक्षण के समय का भूजल स्तर और खंड 8.8.1 का मौसमी उच्चतम स्तर बताया जाएगा।

8.8.4 **डिजाइन अंतःस्यंदन दर.** डिजाइन अंतःस्यंदन दर, मापी गई दर को सुरक्षा गुणक से भाग देने पर प्राप्त दर है:

- (a) **2.0**, जहाँ परीक्षण खंड 8.8.3(c) को पूरा करते हों और परिणामों में 2 गुने से अधिक का अंतर न हो; और
- (b) अन्यथा **3.0**।

8.8.5 **न्यूनतम दरें.**

- (a) पूर्ण अंतःस्यंदन (बिना अंडरड्रेन) केवल जहाँ डिजाइन दर कम से कम **13 mm/h** हो।
- (b) आंशिक अंतःस्यंदन, अंडरड्रेन सहित, जहाँ डिजाइन दर 3 mm/h से 13 mm/h हो। केवल 72 घंटों के भीतर अंतःस्यंदित होने वाला आयतन प्रतिधारण के रूप में क्रेडिट किया जाता है।
- (c) जहाँ डिजाइन दर 3 mm/h से कम हो वहाँ कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं।

8.8.6 **अंतःस्यंदन सुविधाओं के लिए सेटबैक.** सड़कों, पार्किंग या अन्य पक्की सतहों से अपवाह प्राप्त करने वाली अंतःस्यंदन सुविधाएँ कम से कम निम्नलिखित दूरी पर होंगी:

- (a) भवन की नींव से **3 m**, और बेसमेंट से **5 m**;
- (b) संपत्ति की सीमा से **1.5 m**, जब तक कि पड़ोसी लिखित रूप में सहमत न हो;
- (c) पेयजल कुएँ या बोरवेल से **30 m**;
- (d) सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढे (soak pit) से **15 m**; और
- (e) 1V:3H से अधिक खड़े ढलान के शिखर से **6 m**, जब तक कि कोई भू-तकनीकी रिपोर्ट यह न दर्शाए कि ढलान स्थिर रहता है।

पुनर्भरण संरचनाओं में जाने वाले केवल छत के अपवाह पर केवल (a) और (b), और खंड 8.11.3, लागू होते हैं।

8.8.7 **खाली होना और सत्यापन.** प्रत्येक अंतःस्यंदन सुविधा डिजाइन दर पर **72 घंटों** के भीतर खाली होगी (अध्याय 4), और निर्माण के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा (खंड 10.9.3)।

8.8.8 **हॉटस्पॉट.** निम्नलिखित से अपवाह का उपचार के बिना अंतःस्यंदन नहीं किया जाएगा, और जहाँ (d) या (e) लागू हो वहाँ बिल्कुल भी अंतःस्यंदन नहीं किया जाएगा:

- (a) ईंधन स्टेशन;
- (b) वाहन वर्कशॉप, धुलाई स्थल, और बस तथा ट्रक डिपो;
- (c) औद्योगिक प्रांगण और लदान क्षेत्र जहाँ खतरनाक सामग्री संभाली या संग्रहीत की जाती है;
- (d) ठोस अपशिष्ट अंतरण स्टेशन और लैंडफिल क्षेत्र; और
- (e) ऐसी भूमि जो दूषित ज्ञात हो या जिसके दूषित होने का संदेह हो।

(a) से (c) के लिए उपचार में किसी भी अंतःस्यंदन से पहले एक तेल-ग्रिट पृथक्कारी और एक लाइनरयुक्त निस्यंदन BMP सम्मिलित होगी।

8.8.9 **रेतीले तटीय जलभृत.** यह खंड केवल तटीय रेतीले जलभृतों पर लागू होता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जलभृत नहीं है, इसलिए राज्य में इस खंड का कोई प्रभाव नहीं है; इसे केवल इसलिए रखा गया है कि खंड संख्याएँ अपरिवर्तित रहें। नदी-तलों की रेत, जैसे महानदी, शिवनाथ, खारुन और अरपा के तलों की, और बड़ी नदियों के किनारे का जलोढ़ तटीय रेतीले क्षेत्र नहीं हैं: वहाँ खंड 8.8.1 पूरी तरह लागू होता है, और मद (d) की घटी हुई दूरी लागू नहीं होती। तटीय रेतीले क्षेत्रों में:

- (a) जहाँ कहीं खंड 8.8.1 पूरा होता है, वहाँ प्रतिधारण और WQv पूरा करने का पसंदीदा साधन अंतःस्यंदन है;
- (b) वर्षा जल ड्रेन भूजल स्तर को नीचे करने के लिए डिजाइन नहीं की जाएँगी: मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से नीचे के इनवर्ट जलरोधी होंगे, ऐसे रिसाव छिद्रों या उप-मृदा ड्रेन के बिना जो भूजल को आउटफॉल में छोड़ें, जब तक कि कोई जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट यह न दर्शाए कि मीठे पानी के जलभृत को कोई हानि नहीं है;

- (c) भूजल को वर्षा जल ड्रेन में दीर्घकालिक रूप से पंप करना (उदाहरण के लिए बेसमेंट का निर्जलीकरण) अनुमोदित नहीं किया जाएगा; और
- (d) अधिसूचित तटीय रेतीले क्षेत्रों में, **केवल छत के अपवाह** का अंतःस्यंदन मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से कम से कम **0.5 m** की दूरी के साथ किया जा सकता है, बशर्ते भूजल उभार (mounding) की जाँच यह दर्शाए कि उभार सुविधा के आधार से कम से कम 0.3 m नीचे रहता है और आसपास की नींवों या बेसमेंटों तक नहीं पहुँचता। कोई अन्य अपवाह इस घटी हुई दूरी का उपयोग नहीं कर सकता;
- (e) जहाँ न तो 1.0 m की दूरी और न ही खंड (d) पूरा किया जा सके, वहाँ साइट ऐसे सतही प्रतिधारण का उपयोग करेगी जो भूमि के नीचे अंतःस्यंदन न करे (उदाहरण के लिए उथले वनस्पतियुक्त गड्ढे, छतों के पानी को लॉन पर छोड़ना, और पुनः उपयोग), और अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण का।

8.8.10 **लैटेराइट और कठोर चट्टान के क्षेत्र.** लैटेराइट और कठोर चट्टान वाले भूभाग में (उदाहरण के लिए बस्तर पठार का ग्रेनाइट-नीस (granite-gneiss) और लैटेराइट, जैसा जगदलपुर और कांकेर के आसपास, और उत्तरी पहाड़ियों का, जैसा अंबिकापुर और जशपुरनगर के आसपास, छत्तीसगढ़ के मैदान की भाठा (bhata) ऊपरी भूमि, मुरम और फेरीक्रीट (ferricrete) के ऊपर की पतली बजरीदार मिट्टी, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा कोयला क्षेत्रों का गोंडवाना बलुआ पत्थर और शेल, और छत्तीसगढ़ के मैदान का चूना पत्थर और शेल, जैसा रायपुर, दुर्ग–भिलाई और राजनांदगांव के आसपास, जहाँ चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर कार्स्टीकृत और गुहायुक्त है (खंड 8.8.1), और जहाँ भूजल मुख्यतः अपक्षयित क्षेत्र, दरारों और विलयन गुहाओं में रहता है):

- (a) परीक्षण सुविधा के आधार पर, किसी सतही पपड़ी या कठोर परत (hardpan) के नीचे, किए जाएँगे;
- (b) अपक्षयित या विदरित चट्टान में पुनर्भरण केवल छत के अपवाह के लिए, या किसी निस्यंदन BMP से होकर आए अपवाह के लिए, अनुमत है, क्योंकि दरारें बहुत कम उपचार करती हैं; और
- (c) ढलानों पर या उनके ऊपर अंतःस्यंदन के लिए ढलान की स्थिरता की जाँच की जाएगी।

8.8.11 **डेल्टा की चिकनी मिट्टी और काली कपास मिट्टी.** छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) निचली भूमि और मचाई गई (puddled) धान भूमि में, तालाबों (talab), बाँधों (bandh), डबरियों (dabri) और जलाशयों के गाद भरे तलों में, नदियों के डूब क्षेत्रों में, ऐश पॉन्डों में, और ओवरबर्डन डंपों, संघनित खदान बेंचों और खनन से विक्षुब्ध अन्य भूमि में, और फैलने वाली काली कपास मिट्टी (black cotton soil) में:

- (a) अंतःस्यंदन सुविधाएँ प्रायः खंड 8.8.5 में विफल होंगी, और जहाँ मृदा सर्वेक्षण (अध्याय 3) HSG D दर्शाए वहाँ उनका परीक्षण आवश्यक नहीं है; और
- (b) जहाँ फैलने वाली मिट्टी पर भवनों के निकट अंतःस्यंदन का उपयोग किया जाए, वहाँ खंड 8.8.6(a) का सेटबैक दोगुना किया जाएगा।

> **भाष्य.** भूजल से 1.0 m की दूरी इस मैनुअल की एक मूल अपेक्षा है। इस खंड के अन्य मान (आधार-शैल से 1.0 m की दूरी, परीक्षणों की संख्या, सुरक्षा गुणक, न्यूनतम दरें और सेटबैक) अमेरिकी और ब्रिटिश व्यवहार के विशिष्ट मान हैं और इनका छत्तीसगढ़ में कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है। खंड 8.8.6(c) में कुएँ का सेटबैक पक्की सतहों से अपवाह पर लागू होता है, छत के पानी पर नहीं। छत्तीसगढ़ में RWH का व्यवहार छत के पानी को खुले कुओं और पुनर्भरण कुओं में ले जाता है, और खंड 8.11 उस व्यवहार को बनाए रखता है।
>
> छत्तीसगढ़ के लिए जलविज्ञानीय मृदा समूहों का कोई राज्यव्यापी मानचित्र नहीं मिला, और प्रत्येक अंतःस्यंदन डिजाइन के लिए खंड 8.8.3 के परीक्षण आवश्यक हैं; नीचे दी गई मिट्टियाँ, भूविज्ञान, गहराइयाँ और श्रेणियाँ कृषि विज्ञान के शोध-पत्रों से, राज्य के लिए CGWB के आकलनों, तथ्य-पत्रक (factsheet) और जिला रिपोर्टों से, और एक क्षेत्र अध्ययन से ली गई हैं। राज्य के लगभग 87% भाग के नीचे समेकित (कठोर) चट्टान है (CGWB, 2024): बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों के नीचे ग्रेनाइट-नीस, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और कोरिया का गोंडवाना बलुआ पत्थर, शेल और कोयला, जहाँ भूजल कभी-कभी सतह पर बहता है और 50 °C तक गर्म हो सकता है, और छत्तीसगढ़ के मैदान के नीचे छत्तीसगढ़ सुपरग्रुप के चूना पत्थर, डोलोमाइट और शेल, जिनके चूना पत्थरों का वर्णन CGWB "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous") के रूप में करता है, और जिनकी क्षेत्रीय पारगम्यता 4 से 65 m प्रति दिन है। रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी में चरमुरिया चूना पत्थर में "संस्तरण तल के साथ विलयन गुहाएँ बहुत सामान्य हैं और ये गुहायुक्त क्षेत्र चिकनी मिट्टी से भरे हैं" ("solution cavities along the bedding plane is very common and these cavernous zones are filled with clay

material"), चंडी चूना पत्थर की गुहाओं में जिप्सम है, और गुंडरदेही शेल "जलरोधी परत (aquiclude) का काम करती है" ("acts as an aquiclude") (CGWB, राजनांदगांव जिला रिपोर्ट); चंडी चूना पत्थर वह मुख्य जलभृत है जिससे रायपुर को पानी मिलता है। मैदान पर मिट्टियाँ ढलान का अनुसरण करती हैं, शिखरों की पतली भाठा (bhata) से मटासी (matasi) और डोरसा (dorsa) होते हुए निचली भूमि की गहरी कन्हार (kanhar) चिकनी मिट्टी तक; दुर्ग जिले में मटासी लगभग 44% भूमि पर है, डोरसा लगभग 41%, कन्हार लगभग 9% और भाठा लगभग 5% पर (Mandal et al., 2018)। कन्हार "40 से 50 प्रतिशत चिकनी मिट्टी वाली भारी मिट्टी है ... पारगम्यता सामान्यतः कम है" ("heavy soil with clay content of 40 to 50 percent ... The permeability is generally low") (CGWB, राजनांदगांव); रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के रेतीली दोमट वाले एक ऊपरी भूमि के खेत पर डबल-रिंग परीक्षणों (double-ring tests) से 7.3 और 7.6 mm/h की मूल अंतःस्यंदन दरें (basic infiltration rates) मिलीं (Ranjan और Singh, 2018), जबकि उप-क्षेत्र 3(d) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट में डिजाइन हानि 1.5 से 3.5 mm/h है। 2023 में मानसून के बाद राज्य के लगभग 76% निगरानी कुओं में भूजल स्तर भूमि से 5 m के भीतर था, और लगभग 18% में 2 m के भीतर (CGWB)। राज्य कुल मिलाकर अपने भूजल का आधे से कम निकालता है (2024 के आकलन में 47.32%), परंतु शिवनाथ के मैदान पर दबाव है: रायपुर जिले का धरसीवां (93.51%), गुरूर, नवागढ़, बेमेतरा और बेरला गंभीर थे, और दुर्ग, धमधा और राजनांदगांव 21 अर्ध-गंभीर विकासखंडों में थे (CGWB); 2026 में कोई विकासखंड गंभीर न होने की एक खबर सत्यापित नहीं हुई। कोरबा कोयला क्षेत्र में छह खुली खदानों में प्रतिदिन लगभग 7,500 से 13,700 m^3 पानी आने की सूचना है, और कुसमुंडा और गेवरा खदानों से अवनमन (drawdown) लगभग 1.2 km तक पहुँचता है (Singh et al., 2023, सारांश के अनुसार), और हसदेव एक भ्रंश (fault) के माध्यम से खदान के पानी से जुड़ी बताई गई है (2018 का समस्थानिक (isotope) अध्ययन, सारांश के अनुसार)। इस मैनुअल के अंतरिम मृदा समूह इन्हीं से निकलते हैं: कन्हार D, डोरसा C (जहाँ वर्टिक (vertic) हो या मचाया हुआ धान हो वहाँ D), मटासी B (जहाँ उथली या मचाई गई हो वहाँ C), भाठा C (जहाँ चट्टान या फेरीक्रीट 50 cm के भीतर हो वहाँ D, कभी A नहीं), बस्तर की गहरी पठारी मिट्टियाँ B और उसकी पहाड़ी मिट्टियाँ D, उत्तरी पहाड़ियों की लाल और पीली मिट्टियाँ और लैटेराइट B या C, शहरी भराव C या D, और ओवरबर्डन डंप, खनन से विक्षुब्ध भूमि और ऐश पॉन्ड प्रत्येक वर्षा घटना के लिए D, अंतःस्यंदन के किसी क्रेडिट के बिना (अध्याय 3)।

इसलिए राज्य को अलग-अलग स्थानों पर विपरीत नियमों की आवश्यकता है। मैदान के गंभीर और अर्ध-गंभीर विकासखंडों में पुनर्भरण पहले आता है, पूर्व-उपचार सहित (खंड 8.8.1); परंतु उसे ग्रहण करने वाला चूना पत्थर गुहायुक्त है और रायपुर के कुओं को पानी देता है, इसलिए वहाँ पुनर्भरण केवल फिल्टर किया गया पानी लेता है और गुहा जाँच के बाद ही होता है। कन्हार पर, निचली धान भूमि और तालाबों के तलों पर, डूब क्षेत्रों पर, खनन से विक्षुब्ध भूमि और राख पर, किसी खदान के निर्जलीकरण क्षेत्र में और जहाँ भी मौसमी भूजल स्तर खंड 8.8.1 की दूरी के भीतर है, कोई अंतःस्यंदन उपयोग नहीं किया जाता, और प्रतिधारण उपयोग के लिए भंडारण और सतही उपायों से, और अस्थायी भंडारण से पूरा किया जाता है। छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 अधिसूचित होने पर राज्य को "अति-दोहित/गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में" वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण लागू कराने देता है (धारा 7), परंतु उसे प्रवृत्त करने वाली, या उसके अंतर्गत कोई क्षेत्र अधिसूचित करने वाली, कोई अधिसूचना नहीं मिली। हर जगह, सड़कों और खुली भूमि का अपवाह सतही प्रणालियों में जाता है और कभी भी सीधे किसी पुनर्भरण कुएँ, बोरवेल या शाफ्ट में नहीं (खंड 8.11.3(b)), और जहाँ खंड 8.8.1 ऐसा कहता है वहाँ फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट की जाँच की जाती है। खंड 8.8.9 का छत्तीसगढ़ में, जहाँ कोई तट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है।

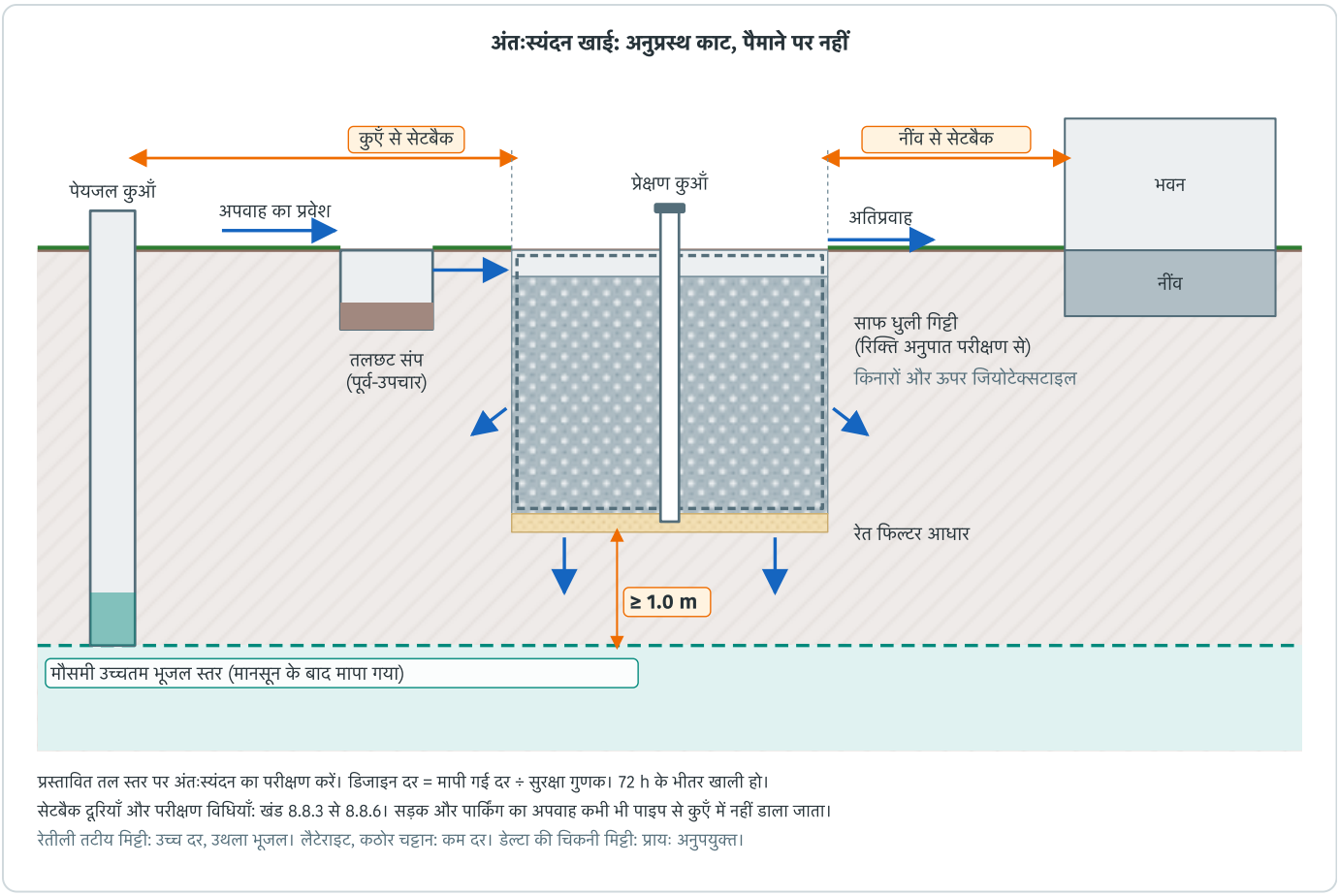

चित्र 8.3 — अंतःस्यंदन खाई की काट: पूर्व-उपचार संप, जियोटेक्सटाइल में एग्रीगेट से भरी खाई, प्रेक्षण कुआँ, अतिप्रवाह, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से 1.0 m की न्यूनतम दूरी, और कुओं तथा नींवों से सेटबैक। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Georgia Stormwater Management Manual, 2016 (Vol 2), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

8.9 सीवेज के अवैध जुड़ाव और शुष्क मौसम प्रवाह

8.9.1 **वर्षा जल ड्रेन में सीवेज नहीं.** कोई भी सीवेज या सलेज (रसोई, स्नानघर और कपड़े धोने के स्थान का गंदा पानी), सेप्टिक टैंक का बहिःस्राव, या व्यापारिक बहिःस्राव (trade effluent) किसी भी पाइप, चैनल या छिद्र द्वारा किसी वर्षा जल ड्रेन से जोड़ा नहीं जाएगा या उसमें छोड़ा नहीं जाएगा।

8.9.2 **अनुमोदन की शर्त.** समापन प्रमाण-पत्र से पहले, आवेदक, प्राधिकारी या सीवरेज एजेंसी की उपस्थिति में किए गए डाई या धुआँ परीक्षण द्वारा, यह दर्शाएगा कि साइट पर सीवेज और सलेज का प्रत्येक निकास किसी सीवर में या किसी अनुमोदित साइट-स्थित प्रणाली में जाता है, और कोई भी निकास वर्षा जल ड्रेन में नहीं जाता। साइट पर कोई भी विद्यमान अवैध जुड़ाव अनुमोदन की शर्त के रूप में हटाया जाएगा, पुनर्विकास पर और विद्यमान भवनों में परिवर्धन पर भी।

8.9.3 **जहाँ सीवर नहीं है.** जहाँ कोई सीवर उपलब्ध नहीं है, वहाँ सीवेज और सलेज किसी अनुमोदित साइट-स्थित या विकेंद्रीकृत शोधन प्रणाली में जाएँगे। ऐसी प्रणाली का शोधित बहिःस्राव केवल छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) और ड्रेन के स्वामी की लिखित सम्मति से ही किसी वर्षा जल ड्रेन में छोड़ा जा सकता है।

8.9.4 **सार्वजनिक ड्रेन: DWF सर्वेक्षण.** टियर A क्षेत्र में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) जलाशयों में गिरने वाले अपने वर्षा जल ड्रेन आउटफॉल का शुष्क मौसम प्रवाह के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले, सर्वेक्षण करेगा, और निम्नलिखित दर्ज करेगा:

- (a) DWF वाले आउटफॉल;
- (b) DWF की अनुमानित दर; और
- (c) अनुरेखण, CCTV, डाई या धुआँ परीक्षण द्वारा पाए गए प्रतिप्रवाह स्रोत।

परिणाम खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।

8.9.5 **DWF अवरोधन.** जब तक स्रोत हटाए नहीं जाते, DWF ले जाने वाले जलाशय के प्रत्येक आउटफॉल पर एक DWF इंटरसेप्टर (DWF interceptor) होगा जो:

- (a) DWF को किसी सीवर या शोधन संयंत्र की ओर मोड़े;
- (b) लघु या प्रमुख घटना (अध्याय 6) के लिए वर्षा जल ड्रेन की क्षमता को कम न करे, और उसके वियर या विपथन की हेड हानियाँ हाइड्रोलिक डिजाइन में सम्मिलित हों (अध्याय 9);
- (c) विपथन से पहले उसमें एक जाली हो; और
- (d) स्रोत जुड़ावों को हटाने का विकल्प न हो।

8.9.6 **सीवेज अतिप्रवाह.** कोई नया सीवेज अतिप्रवाह, आपातकालीन बाइपास या पंपिंग स्टेशन अतिप्रवाह किसी वर्षा जल ड्रेन या जलाशय में छोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा, सिवाय वहाँ जहाँ सीवरेज एजेंसी यह दर्शाए कि कोई विकल्प नहीं है, और तब भी केवल जाली लगाकर और अतिप्रवाह की आवृत्ति बताते हुए।

> **भाष्य.** सीवेज जुड़ावों का निषेध और अनुमोदन की शर्त के रूप में विद्यमान अवैध जुड़ावों को हटाना इस मैनुअल की मूल अपेक्षाएँ हैं, और खंड 1.10.3 उनसे किसी विचलन की अनुमति नहीं देता। वर्षा जल ड्रेन में सीवेज छत्तीसगढ़ में शहरी जल निकासी की सबसे बड़ी जल गुणवत्ता समस्या है। यह इस अध्याय के हर अन्य उपाय को निष्फल कर देता है: वर्षा जल के लिए डिजाइन की गई BMP पर अत्यधिक भार पड़ता है, GPT कीचड़ से भर जाते हैं, और प्राप्तकर्ता तालाब और चैनल सीवेज के लैगून बन जाते हैं। CPHEEO (2019) बताता है कि भारतीय ड्रेन मानव मल और मूत्र ले जाती हैं (Part A §9.5)। DWF अवरोधन (खंड 8.9.5) एक अंतरिम उपाय है। यह स्रोतों का पता लगाए जाने और उन्हें हटाए जाने तक जलाशय की रक्षा करता है, परंतु यदि स्रोत संबंधी काम न किया जाए तो यह स्थायी बन सकता है, इसीलिए खंड 8.9.4 का वार्षिक सर्वेक्षण और प्रकाशन आवश्यक है। वार्षिक सर्वेक्षण की आवृत्ति इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।
>
> छत्तीसगढ़ में ड्रेनें सीवेज ले जाती हैं। जनवरी 2021 में CECB ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि सीवेज उत्पादन का आकलन केवल बिलासपुर के लिए किया जा सका, "क्योंकि सीवरेज प्रणाली केवल बिलासपुर में है" ("as the sewerage system exists in Bilaspur only"), और कि उसके 73.1 MLD के तीन सीवेज शोधन संयंत्र 6.1 MLD का शोधन कर रहे थे; अन्यत्र सेप्टिक बहिःस्राव और सलेज खुले नालों (nala) में बहकर खारुन, शिवनाथ और अरपा तक जाते हैं (CECB, जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट, O.A. 593/2017 में दाखिल)। राज्य का उत्तर नाले पर अवरोधन रहा है: रायपुर में, जिसका घरेलू सीवेज आठ बड़े नालों से होकर खारुन तक पहुँचता बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), चंदनीडीह (75 MLD), कारा (35 MLD) और निमोरा (90 MLD) के शोधन संयंत्र नालों पर डायवर्जन वियरों (diversion weirs) के साथ बनाए जा रहे थे (CECB, 2021), और खबर है कि उनमें से कुछ काम नहीं करते, जिससे अनुपचारित सीवेज अब भी नदी में जाता है (मार्च 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार); दुर्ग में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 16 जनवरी 2026 को आदेश दिया कि शंकर और पुलगांव नालों के शोधन संयंत्र, जो नाले नगर का अधिकांश सीवेज शिवनाथ तक ले जाते हैं, छह महीनों के भीतर पूरे किए जाएँ, और तब तक अंतरिम शोधन किया जाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और बिलासपुर में उच्च न्यायालय ने जनवरी 2025 में सुना कि नए संयंत्रों के बाद भी शहर का लगभग 40% सीवेज बिना शोधन के अरपा तक पहुँचेगा (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। समझा जाता है कि छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 मध्य प्रदेश के वे प्रावधान बनाए रखता है जो आयुक्त को सीवेज और वर्षा जल के लिए अलग ड्रेनों की अपेक्षा करने देते हैं (मध्य प्रदेश पाठ की धारा 196 और 204), परंतु उसका छत्तीसगढ़ पाठ

पढ़ा नहीं गया [TBC]। रायपुर के डायवर्जन वियर खंड 8.9.5 के अंतर्गत DWF इंटरसेप्टर हैं, और खंड 8.9.5(b) उन पर पूरी तरह लागू होता है: प्रत्येक का आकार उसके नाले के मापे गए शुष्क मौसम प्रवाह से निर्धारित किया जाता है, वह लघु और प्रमुख घटनाओं के लिए नाले की क्षमता को कम नहीं करता या अपने पीछे बाढ़ स्तर नहीं बढ़ाता, और अपनी क्षमता से अधिक वर्षा प्रवाह को नाले में नीचे की ओर नदी तक जाने देता है, कभी भी शोधन संयंत्र में या वापस कॉलोनियों में नहीं।

8.10 जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल: प्रथम प्रवाह, स्थूल प्रदूषक जाल और जालियाँ

8.10.1 **अपेक्षा.** किसी जलाशय में गिरने वाले प्रत्येक नए वर्षा जल ड्रेन आउटफॉल में, और ऐसी ड्रेन पर, जिसे पुनर्निर्मित, चौड़ा या विस्तारित किया जाता है, प्रत्येक विद्यमान आउटफॉल में निम्नलिखित होंगे:

- (a) खंड 8.7.10 के अंतर्गत डिजाइन किया गया एक GPT; और
- (b) प्रथम प्रवाह उपचार: खंड 8.7 की BMP द्वारा योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के WQv (या Q_wq) का उपचार, या तो योगदान देने वाली साइटों पर या आउटफॉल पर।

8.10.2 **जहाँ आउटफॉल पर उपचार व्यावहारिक नहीं है.** जहाँ किसी सार्वजनिक आउटफॉल पर भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रथम प्रवाह उपचार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

- (a) Q_wq के लिए आकारित कोई स्वामित्वाधीन प्रथम प्रवाह या हाइड्रोडायनामिक युक्ति; या
- (b) जलाशय के सेटबैक (खंड 7.5.1(b)) के भीतर, जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर, कोई उपचार आर्द्रभूमि या फोरबे।

8.10.3 **जालियाँ और कचरा-रोधी जालियाँ.** आउटफॉल, पुलिया के इनलेट और पंप संप पर लगी जालियाँ:

- (a) हाइड्रोलिक क्षमता के लिए **50% अवरोध** मानकर डिजाइन की जाएँगी;
- (b) उनमें अतिप्रवाह या बाइपास मार्ग होगा ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली संपत्ति को जलमग्न न करे;
- (c) उनकी छड़ों के बीच की दूरी खतरे के अनुसार चुनी जाएगी: कचरा पकड़ने के लिए कम दूरी, और जहाँ अवरोध से बाढ़ आएगी वहाँ अधिक दूरी; और
- (d) वे किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म से साफ की जा सकेंगी, और वहाँ तक वाहन की पहुँच होगी।

8.10.4 **विद्यमान आउटफॉल.** प्रत्येक ULB जलाशयों में गिरने वाले अपने विद्यमान आउटफॉल पर GPT और DWF इंटरसेप्टर लगाने का एक कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसकी शुरुआत पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाबों और अधिसूचित आर्द्रभूमियों (खंड 7.12) में गिरने वाले आउटफॉल से होगी, और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रगति की रिपोर्ट देगा।

भाष्य. यह मैनुअल जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल पर प्रथम प्रवाह उपचार और स्थूल प्रदूषक जाल की अपेक्षा करता है। स्थूल प्रदूषक छत्तीसगढ़ के जलाशयों में प्रदूषण का सबसे अधिक दिखाई देने वाला रूप हैं, और प्लास्टिक ड्रेन और पुलियों को भी अवरुद्ध करते हैं, जो जल गुणवत्ता को बाढ़ से जोड़ता है। जाली का 50% अवरोध अध्याय 6 के जाली इनलेट अवरोध गुणक से मेल खाता है। खंड 8.10.3(c) बड़ी ड्रेन पर महीन जालियों के विरुद्ध चेतावनी देता है, जो वर्षा घटना के पहले घंटे में ही अवरुद्ध हो जाती हैं और वही बाढ़ लाती हैं जिसे रोकने के लिए वे लगाई गई थीं।

8.11 वर्षा जल संचयन का एकीकरण

8.11.1 **RWH की अनिवार्यता जारी है.** छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 द्वारा अपेक्षित वर्षा जल संचयन (नियम 78(4), जिसके बारे में बताया गया है कि वह 1973 के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निवेश क्षेत्रों वाले नगरों में "500 वर्ग मी. से अधिक आकार के भूखंड वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए" ("for all types of buildings having plot size more than 500 sq. mt.") वर्षा या छत के जल का संचयन अनिवार्य बनाता है (8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर), भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की प्रणालियों द्वारा; 17 फरवरी 2009 का संशोधन नियम में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, जहाँ स्वामी प्रणाली का निर्माण और रखरखाव नहीं करता वहाँ प्राधिकारी को प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति अधिरोपित करने देता है, भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-2 के फिल्टर को बारीक पत्थर और बारीक रेत की परत में बदलता है, और भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-4 के रूप में एक भंडारण टंकी जोड़ता है, परंतु नियम का छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया और सीमा की पुष्टि की जानी है [TBC]; और वह वर्षा जल संचयन जिसे भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण किसी एकीकृत उपनगर (integrated township) में अनिवार्य बनाता है), सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मई 2016 के आदेश द्वारा 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतों वाले राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के भवनों में अपेक्षित वर्षा जल संचयन के साथ, और नया रायपुर विकास योजना-2031 (§10.3.2) द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में प्रत्येक विकास पर अपेक्षित वर्षा जल संचयन के साथ, खंड 8.8.1 की सीमाओं के अधीन लागू रहता है (अध्याय 1)। यह खंड निर्धारित करता है कि इस मैनुअल के अंतर्गत RWH संरचनाओं को कैसे गिना जाए।

8.11.2 **तीन भिन्न कार्य.** डिजाइनकर्ता ड्रॉइंग और गणनाओं में निम्नलिखित को अलग-अलग रखेगा:

- (a) **संचयन**: उपयोग के लिए भंडारण (संप और टैंक);
- (b) **पुनर्भरण**: पुनर्भरण गड्ढे, खाइयाँ, शाफ्ट और कुएँ जो पानी को भूमि में पहुँचाते हैं; और
- (c) **अस्थायी भंडारण**: ऑरिफिस आउटलेट वाला ऐसा भंडारण जो वर्षा घटना के आरंभ में खाली हो (अध्याय 4)।

8.11.3 **पुनर्भरण संरचनाएँ.**

- (a) छत का अपवाह किसी फिल्टर या अवसादन कक्ष के बाद पुनर्भरण कुओं, खुले कुओं, पुनर्भरण गड्ढों और शाफ्टों में ले जाया जा सकता है।
- (b) सड़कों, पार्किंग और अन्य पक्के क्षेत्रों का अपवाह किसी कुएँ, बोरवेल या पुनर्भरण शाफ्ट में सीधे नहीं ले जाया जाएगा। उसका पुनर्भरण केवल ऐसी अंतःस्यंदन सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है जो खंड 8.8 को पूरा करे, पूर्व-उपचार सहित।
- (c) पुनर्भरण संरचनाएँ खंड 8.8.1 की भूजल से दूरी पूरी करेंगी, जो गड्ढे के आधार या फिल्टर माध्यम के तल से मापी जाएगी, सिवाय उन पुनर्भरण कुओं के जो केवल छना हुआ छत का पानी प्राप्त करते हैं।

8.11.4 **प्रतिधारण और WQv के लिए क्रेडिट.** कोई पुनर्भरण संरचना अध्याय 4 के प्रतिधारण आयतन और WQv में केवल तभी गिनी जाती है जब:

- (a) उसकी अंतःस्यंदन दर का परीक्षण खंड 8.8.3 के अंतर्गत किया गया हो;
- (b) वह डिजाइन दर पर 72 घंटों के भीतर खाली हो जाए; और
- (c) उसमें पूर्व-उपचार हो।

संचयन संप प्रतिधारण में केवल तभी गिना जाता है जब उसकी सामग्री का उपयोग, जल निकासी रिपोर्ट में बताई गई माँग द्वारा, 72 घंटों के भीतर हो जाए (अध्याय 4)।

8.11.5 **अस्थायी भंडारण के रूप में कोई क्रेडिट नहीं.** RWH भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, जब तक कि वह एक समर्पित आयतन न हो जो वर्षा घटना आने पर खाली हो और जिसमें आउटलेट हो। प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून (JJAS) डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में RWH संप **भरे हुए** माने जाते हैं (अध्याय 4)।

8.11.6 **अतिप्रवाह.** प्रत्येक RWH संरचना में एक अतिप्रवाह होगा जो सतह के स्तर पर साइट की जल निकासी में पानी छोड़े, कभी भी पड़ोसी भूखंड पर या किसी सीवर में नहीं।

8.11.7 **सार्वजनिक स्थानों में सतही अपवाह का पुनर्भरण.** सड़कों, मध्य पट्टियों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पुनर्भरण खाइयाँ, शाफ्ट और अंतःस्रवण गड्ढे (percolation pits), भारी यातायात वाली सड़कों के लिए हॉटस्पॉट नियमों सहित, खंड 8.8 को पूरी तरह पूरा करेंगे, और प्रत्येक इनलेट पर उनमें एक GPT या गाद-जाल होगा।

भाष्य. RWH भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, यह नियम अध्याय 4 में निर्धारित है। छत्तीसगढ़ के भवन नियम वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी अस्थायी भंडारण का नियम निर्धारित नहीं करता। बताया गया है कि भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4) 1973 के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निवेश क्षेत्रों वाले नगरों में "500 वर्ग मी. से अधिक आकार के भूखंड वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा/छत जल संचयन के उपायों के अनिवार्य कार्यान्वयन का" ("for mandatory implementation of Rain / Roof Water Harvesting measures for all types of buildings having plot size more than 500 sq. mt.") प्रावधान करता है (8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर); आवास एवं पर्यावरण विभाग का 23 नवंबर 2009 का एक पत्र पुष्टि करता है कि नियम 78(4) वर्षा जल संचयन के नियोजन मानक विस्तार से निर्धारित करता है (पत्र क्रमांक 2940/1445/32/2009)। नियम का छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया। 17 फरवरी 2009 का संशोधन नियम 78(4) में अंक "500" और "300" यह बताए बिना प्रतिस्थापित करता है कि वे किसका स्थान लेते हैं, इसलिए उससे यह नहीं पढ़ा जा सकता कि भूखंड की सीमा 500 m^2 है या 300 m^2 [TBC]; वह यह जोड़ता है कि जहाँ स्वामी प्रावधान के अनुसार प्रणाली का निर्माण और रखरखाव नहीं करता वहाँ प्राधिकारी प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-2 के "गोल पत्थर" (पीवल्स) के स्थान पर तल सतह पर गहराई के 50% तक बारीक पत्थर की परत और मध्य सतह पर गहराई के 20% तक बारीक रेत रखता है, और परिशिष्ट ढ-4 के रूप में मकान के उपांतीय खुले भाग में एक भूमिगत टंकी जोड़ता है, जिसमें वर्षा का पानी भी छोड़ा जाए, कपड़े धोने, फर्श साफ करने और बगीचे के लिए (क्रमांक 318/1193/32/2006, मद 25 से 27)। भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ के विकल्प नियत विधियाँ हैं, आकार निर्धारण की कोई पद्धति नहीं। 2018 का समापन निरीक्षण प्रपत्र पूछता है "क्या स्थल पर नियम के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित है" ("whether Rain water harvesting system installed at site as per rule") (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q2, मद 14)। एकीकृत उपनगरों में वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रित जल का पुनः उपयोग अनिवार्य है (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण(1)(च), 2008)। 30 मार्च 2017 के एक प्रारूप में 100 m^2 से बड़े भूखंडों पर भवनों के लिए वर्षा जल संचयन, बड़े भूखंडों के लिए "कठोर सतह में कमी" ("Reduction of Hardscape"), और मनोरंजक खुले स्थानों के कम से कम 20% भाग को कच्चा (बिना पक्का) रखने का प्रावधान था (प्रारूप नियम 79-C से 79-G); वे प्रावधान अंतिम नियमों में बचे या नहीं, यह नहीं मिला। राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के भवनों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 1,500 sq ft से अधिक की छत वाले प्रत्येक नए भवन में और 5,000 sq ft से अधिक की प्रत्येक मौजूदा पक्की छत पर, विभागों के अपने बजट से, वर्षा जल संचयन का आदेश दिया (31 मई 2016 का आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5)। नवा रायपुर अटल नगर में "प्रत्येक विकास के स्तर पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य है" ("Rain Water Harvesting is mandatory at individual development level") (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2)। खबर है कि नगर पालिक निगम रायपुर ने विकासकर्ताओं से प्रत्येक टाउनशिप में कम से कम 50 पुनर्भरण गड्ढे बनाने को कहा, और जिले ने 2016 में वर्षा जल संचयन स्थापित न करने के लिए 18 बिल्डरों और 7 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 राज्य को अधिसूचित गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण लागू कराने देगा (धारा 7), परंतु वह प्रवृत्त नहीं पाया गया है। ये नियम पुनर्भरण गड्ढे का कोई परीक्षण, सड़क के अपवाह से जलभृत की कोई सुरक्षा और वर्षा घटना से पहले खाली रहने वाला कोई भंडारण निर्धारित नहीं करते। मैदान के गंभीर और अर्ध-गंभीर विकासखंडों में, जिनमें धरसीवां (रायपुर), दुर्ग और धमधा हैं, RWH का मुख्य कार्य पुनर्भरण है (खंड 8.11.2(b)), ऐसे गड्ढे या कुएँ के माध्यम से जो चूना पत्थर तक पहुँचने की स्थिति में खंड 8.8.1 की गुहा जाँच में सफल रहा हो; कन्हार पर, डूब क्षेत्रों और तालाबों के तलों पर, गीली निचली भूमि पर, और खनन से विक्षुब्ध भूमि, राख या किसी निर्जलीकरण क्षेत्र पर, उपयोग के लिए संचयन पहले आता है, और पुनर्भरण का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 8.8.1)। RWH जल आपूर्ति और पुनर्भरण का काम करता है। हफ्तों की वर्षा के बाद जुलाई से सितंबर का बंगाल की खाड़ी से आने वाला कोई मानसून अवदाब आने तक वह प्रायः भरा होता है, या उसकी मिट्टी संतृप्त होती है, इसीलिए उसे अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जा सकता।

खंड 8.11.3(b) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि सड़क का अपवाह तेल, धातुएँ और रोगाणु ले जाता है। पुनर्भरण शाफ्ट या बोरवेल उस मिट्टी को बाइपास कर देता है जो अन्यथा उसे छानती, और उसे सीधे उस जलभृत तक पहुँचा देता है जो आसपास के कुओं को पानी देता है। CGWB का *Manual on Artificial Recharge of Ground Water* (2007)

> पुनर्भरण संरचनाओं के प्रकार और फिल्टर डिजाइन देता है; यह मैनुअल स्रोत जल पर प्रतिबंध जोड़ता है।

8.12 निर्माण चरण में अपरदन और तलछट नियंत्रण

8.12.1 **ESC योजना. 0.1 ha** या अधिक भूमि विक्षोभ वाले प्रत्येक विकास के लिए, और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी या सड़क कार्य के लिए, एक अपरदन और तलछट नियंत्रण (ESC) योजना होगी, जो जल निकासी रिपोर्ट के साथ अनुमोदित की जाएगी। उसमें दर्शाया जाएगा:

- (a) सफाई, मिट्टी के काम और स्थिरीकरण का क्रम;
- (b) प्रत्येक चरण में खुला क्षेत्र;
- (c) खंड 8.12.3 के उपाय, उनके स्थानों और आकारों के साथ;
- (d) अंतःस्यंदन और प्रतिधारण क्षेत्रों की सुरक्षा (अध्याय 10);
- (e) सामग्री के ढेर, कंक्रीट धुलाई और ईंधन भंडारण के स्थान; और
- (f) निरीक्षण और रखरखाव की अनुसूची।

8.12.2 **मानसून के अनुसार समय.** मिट्टी के काम की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि:

- (a) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान खुला क्षेत्र यथासंभव छोटा हो;
- (b) सभी पूरे हो चुके मिट्टी के काम **31 मई** तक वनस्पति, मल्च, मैटिंग या पक्की सतह द्वारा स्थिर कर दिए जाएँ; और
- (c) 10 जून और 20 अक्तूबर के बीच खुले किसी भी क्षेत्र की सफाई से पहले वहाँ तलछट नियंत्रण लगा दिए जाएँ।

8.12.3 **उपाय.**

- (a) परत प्रवाह प्राप्त करने वाले विक्षुब्ध क्षेत्रों के निचले ढलान वाले किनारे पर **गाद बाड़ (silt fence)**, जिसमें प्रत्येक बाड़ तक बहने वाला क्षेत्र परिशिष्ट 8E में निर्धारित अनुसार सीमित हो।
- (b) 2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्रों से संकेंद्रित प्रवाह के लिए **तलछट जाल (sediment traps)**।
- (c) 2 ha से अधिक के विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए **तलछट बेसिन (sediment basins)**। आउटलेट के नीचे भंडारण आयतन कम से कम 50% AEP (2-वर्ष) 24-घंटे की वर्षा घटना से अपवाह और जल निकासी क्षेत्र के **प्रति हेक्टेयर 250 m³**, इनमें से जो अधिक हो, होगा, और उसमें सतह से पानी निकालने वाला जल-निष्कासन आउटलेट होगा।
- (d) साइट से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यमान ड्रेन इनलेट पर **इनलेट सुरक्षा**।
- (e) **स्थिरीकृत निर्माण निकास**, जहाँ वाहन सार्वजनिक सड़कों पर आते हैं वहाँ पहिया धुलाई के साथ।
- (f) **सामग्री के ढेर** किसी भी जलाशय सेटबैक के जोन 1 (अध्याय 7) के बाहर, किसी भी ड्रेन से कम से कम 10 m दूर, और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ढके हुए।
- (g) **निर्जलीकरण** का पानी किसी तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर जाए, कभी भी सीधे किसी ड्रेन या जलाशय में पंप न किया जाए।
- (h) **कंक्रीट धुलाई** लाइनरयुक्त गड्ढे में, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं।

8.12.4 **अस्थायी कार्यों के लिए डिजाइन वर्षा घटना.** अस्थायी ESC उपाय 1.0 के जलवायु गुणक (खंड 2.8.2) के साथ अध्याय 2 की वर्षा का उपयोग करते हैं।

8.12.5 **निरीक्षण.** ESC उपायों का निरीक्षण साप्ताहिक और प्रत्येक भारी वर्षा घटना (अध्याय 10 में परिभाषित अनुसार) के 24 घंटों के भीतर किया जाएगा, 48 घंटों के भीतर मरम्मत की जाएगी, और तलछट से आधा भर जाने पर सफाई की जाएगी।

8.12.6 **हटाना.** अस्थायी उपाय केवल तभी हटाए जाएँगे जब उन तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए। तलछट नियंत्रण के लिए उपयोग की गई किसी भी स्थायी सुविधा से तलछट उसके यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले हटाई जाएगी (अध्याय 10)।

भाष्य. 0.1 ha की सीमा-मान अध्याय 1 की प्रयोज्यता सीमा-मान है। 250 m³/ha का तलछट बेसिन आयतन, US EPA Construction General Permit का, निकासी किए गए प्रति एकड़ 3,600 ft³ का न्यूनतम मान है, जिसे SI में बदला गया है (US EPA, 2022 CGP); CGP विकल्प के रूप में 2-वर्ष, 24-घंटे के अपवाह की अनुमति देता है। यह मैनुअल दोनों में से अधिक की अपेक्षा करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 2-वर्ष 24-घंटे की गहराइयाँ अधिक हैं और निर्माण स्थल प्रायः दक्षिण-पश्चिम मानसून भर खुले छोड़ दिए जाते हैं। जाल और बेसिन के बीच 2 ha का विभाजन, 31 मई की स्थिरीकरण तिथि, ढेर की 10 m की दूरी और निरीक्षण की आवृत्ति का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 31 मई की तिथि अध्याय 10 की मानसून-पूर्व समय-सीमा से मेल खाती है। निर्माण की तलछट प्रदूषक होने के साथ-साथ बाढ़ का प्रत्यक्ष खतरा भी है: यह ड्रेन, पुलियों और तालाबों को भर देती है, और छत्तीसगढ़ में यह शहर के तालाबों (talab), नवा रायपुर की झीलों और उन जलाशयों में जम जाती है जिन्हें नाले (nala) पानी देते हैं (खंड 7.9, भाष्य)। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों में यह भार अधिक है, ओवरबर्डन डंपों, हॉल रोड और खदान बेंचों से, और यह खदान की पर्यावरण स्वीकृति से शासित होता है: राज्य की एक कोयला खदान के लिए 13 अगस्त 2024 की एक पर्यावरण स्वीकृति ऐसी गारलैंड ड्रेनों की अपेक्षा करती है जो "खदान स्थलों से लगे क्षेत्र में चरम आकस्मिक वर्षा और अधिकतम निस्सरण के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन रखते हुए डिजाइन की गई" ("designed keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine sites") हों, जो पुनरावृत्ति अवधि नहीं है, "सतही अपवाह की गाद के उचित निथारने के लिए पर्याप्त प्रतिधारण अवधि" ("adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff") वाले एक संप की, यह कि "ड्रेनों से नियमित रूप से, विशेषकर मानसून के बाद, गाद निकाली जाएगी" ("the drains shall be regularly desilted particularly after monsoon"), और यह कि स्थल के आसपास के प्रमुख जल चैनलों में परिवर्तन न किया जाए (शर्तें 3.6 से 3.8)। बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड दूसरा भार जोड़ते हैं: खबर है कि उनके राखड़ बाँध 2024 में धनरास में और अप्रैल 2026 में कोरबा पश्चिम में टूटे, और कि BALCO के राखड़ बाँध की स्लरी बेलगिरी नाले (Belgari nala) और हसदेव तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार; CECB से सत्यापित किया जाना है)। इस मैनुअल के लिए छत्तीसगढ़ की खदानों, डंपों या ऐश पॉन्डों से अपवाह या रिसाव की गुणवत्ता का कोई मापन पढ़ा नहीं गया, इसलिए अम्लीय जल निकासी (acid drainage) और राख से निक्षालन (leaching) को न तो मान लिया गया है और न ही उनकी संभावना से इनकार किया गया है; जहाँ किसी खदान, डंप, खदान झील या ऐश पॉन्ड से अपवाह या रिसाव अम्लीय या संदूषित पाया जाए, वहाँ उसका उपचार और निस्सरण CECB से प्राप्त सम्मति के अंतर्गत पट्टाधारी या संचालक का दायित्व है, और उसे प्रत्येक वर्षा जल ड्रेन, BMP और पुनर्भरण संरचना से बाहर रखा जाता है।

8.13 निगरानी

8.13.1 **आउटफॉल की निगरानी.** प्रत्येक टियर A प्राधिकारी जलाशयों में गिरने वाले अपने आउटफॉल के एक प्रतिनिधि समूह पर जल गुणवत्ता की निगरानी करेगा, जिसमें पेयजल तालाब या अधिसूचित आर्द्रभूमि में गिरने वाला प्रत्येक आउटफॉल सम्मिलित होगा। निगरानी में सम्मिलित होगा:

- (a) शुष्क मौसम में नमूना संग्रह (खंड 8.9.4), वर्ष में कम से कम एक बार, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले; और
- (b) सूचक आउटफॉल के एक समूह पर प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून में कम से कम तीन घटनाओं का वर्षा के समय नमूना संग्रह।

8.13.2 **प्राचल.** कम से कम: TSS, BOD, COD, फीकल कोलीफॉर्म, कुल नाइट्रोजन, कुल फॉस्फोरस, तेल और ग्रीस, और औद्योगिक जलग्रहण क्षेत्रों के लिए भारी धातुएँ। परिणामों की तुलना प्राप्तकर्ता जलाशय के निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग के लिए CPCB के जल गुणवत्ता मानदंडों से की जाएगी।

8.13.3 **स्थूल प्रदूषकों के अभिलेख.** प्रत्येक सफाई पर प्रत्येक GPT और जाली से हटाई गई सामग्री का द्रव्यमान या आयतन O&M अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा (अध्याय 10)।

8.13.4 **BMP के प्रदर्शन की निगरानी.** राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति BMP के प्रदर्शन का अंशांकन कार्यक्रम चलाएगी और उसके परिणामों से तालिका 8.3 और परिशिष्ट 8C को संशोधित करेगी।

8.13.5 **प्रकाशन.** निगरानी के परिणाम खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।

> **भाष्य.** इस मैनुअल के लिए शोध के दौरान छत्तीसगढ़ में वर्षा जल की गुणवत्ता की निगरानी का कोई कार्यक्रम नहीं मिला, और CPHEEO (2019) कोई भारतीय लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। खंड 8.13 की निगरानी तालिका 8.3 के अंशांकन और यह दर्शाने के लिए आवश्यक न्यूनतम है कि DWF अवरोधन और स्रोत हटाने का काम प्रभावी है या नहीं। प्राचलों की सूची CPHEEO की WSUD प्रक्रिया में बताए गए मुख्य प्रदूषकों (TSS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और स्थूल प्रदूषक) का अनुसरण करती है, जिसमें सीवेज संदूषण के कारण BOD और फीकल कोलीफॉर्म जोड़े गए हैं। निगरानी की आवृत्तियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

8.14 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. **जल गुणवत्ता पत्रक (प्रपत्र 8-1)**: P_ret, P_3m और P_wq; प्रत्येक जल निकासी क्षेत्र के लिए WQv और Q_wq; अध्याय 4 के अंतर्गत रोका गया आयतन; और प्रत्येक क्षेत्र की सेवा करने वाली BMP;
2. टियर A के लिए: LoS गणना (ΔCN, आवश्यक LoS) और संयुक्त VR (खंड 8.6);
3. पूर्व-उपचार सहित, खंड 8.7 और परिशिष्ट 8D के अनुसार प्रत्येक BMP का डिजाइन;
4. अंतःस्यंदन और पुनर्भरण के लिए: **अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2)**, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर और उसका स्रोत, डिजाइन दर, खाली होने का समय, और खंड 8.8.6 के सेटबैक;
5. सीवेज और सलेज जुड़ाव योजना और खंड 8.9.2 का डाई या धुआँ परीक्षण अभिलेख;
6. किसी जलाशय में गिरने वाले किसी भी आउटफॉल के लिए GPT और प्रथम प्रवाह डिजाइन (खंड 8.10);
7. संचयन, पुनर्भरण और अस्थायी भंडारण को अलग-अलग दर्शाता RWH लेआउट (खंड 8.11); और
8. ESC योजना (खंड 8.12)।

8.15 समीक्षा और अद्यतन

8.15.1 इस अध्याय की समीक्षा मैनुअल के शेष भाग के साथ की जाएगी (अध्याय 1)। तालिका 8.3 की समीक्षा तब भी की जाएगी जब खंड 8.13.4 का अंशांकन कार्यक्रम रिपोर्ट दे, और किसी भी स्थिति में अधिसूचना के 5 वर्षों के भीतर।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A: Engineering Design (§9.5, Ch. 10). https://web.archive.org/web/2024/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/VolumeI-Part%20A-Engineering-Design.pdf
- Mid-America Regional Council and Kansas City Metro Chapter APWA (2012). Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality (Tables 4.2–4.6). https://www.marc.org/sites/default/files/2022-05/Best_Management_Practices_for_Stormwater_Quality.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01; MARC factsheet and Supplement. https://www.marc.org/document/apwa-5600-manual-factsheet ; https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, 2016 Edition, Vols 1–2. https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA), 2nd Edition. https://did.sarawak.gov.my/web/attachment/show/?docid=clRsMlRycU1lNnFRcnl3eDZnNkJMdz09OjpY0au0UPvQ9zUHVWRMbCKX
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- CIRIA (2015). The SuDS Manual (C753). London: CIRIA.
- PUB, Singapore's National Water Agency. Active, Beautiful, Clean Waters Design Guidelines (वर्तमान संस्करण)।
- Central Ground Water Board (2007). Manual on Artificial Recharge of Ground Water. Ministry of Water Resources, Government of India.
- US Environmental Protection Agency (2022). NPDES Construction General Permit (तलछट बेसिन का आकार निर्धारण)।
- ASTM D3385. Standard Test Method for Infiltration Rate of Soils in Field Using Double-Ring Infiltrometer.
- BRE Digest 365. Soakaway Design. Building Research Establishment, UK.
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department. Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984; नियम 78(4) और परिशिष्ट ढ और ण), और 17 दिसंबर 2008, 17 फरवरी 2009 (क्रमांक 318/1193/32/2006, राजपत्र पृ. 124(10), मद 25 से 28) और 6 अक्तूबर 2018 (परिशिष्ट Q2) के संशोधन (अध्याय 7 के संदर्भ); 30 मार्च 2017 का प्रारूप संशोधन क्रमांक F 7-15/2016/32 (प्रारूप नियम 79-C से 79-G), https://web.archive.org/web/20171116141458id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/BVN_31-3-2017.pdf ; और सरकारी कार्यालयों और आवास में वर्षा जल संचयन पर 23 नवंबर 2009 का पत्र क्रमांक 2940/1445/32/2009, https://web.archive.org/web/20130721022041id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Circular/Final%20Circular/Rainwater%20Harvesting.pdf
- Rajya Sabha. राज्यों में वर्षा जल संचयन पर 8 जुलाई 2019 का उत्तर (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4); केवल एक खोज सारांश में देखा गया)।
- Government of Chhattisgarh, General Administration Department. सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन पर 31 मई 2016 का आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5। https://web.archive.org/web/20171116144752id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/General/rainwater%20harvesting.pdf

- Government of Chhattisgarh. Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022; धारा 1(3), 2(u), 7 और 21)। https://cgwrd.in/water-allotment-system/docs/20220712_Ground%20Water%20Act_English.pdf
- NRDA. *Naya Raipur Development Plan-2031* (2008), §10.3.2 (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Chhattisgarh Environment Conservation Board. NGT O.A. 593/2017 में रिपोर्ट, O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (सीवेज उत्पादन, सीवेज शोधन संयंत्र और डायवर्जन वियर)। https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Central Ground Water Board. *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh, 2024* और दिसंबर 2024 का राज्य तथ्य-पत्रक (दोहन का चरण, विकासखंडों की श्रेणियाँ, भूजल स्तर की गहराई, गुणवत्ता, भूविज्ञान); रायपुर (लगभग 2007), दुर्ग (लगभग 2007) और राजनांदगांव (लगभग 2012) की जिला रिपोर्टें; अंबागढ़ चौकी विकासखंड में आर्सेनिक पर विशेष अध्ययन।
- India Meteorological Department (2015). *Climate of Chhattisgarh* (Climatological Summaries of States Series No. 22; 1961–2010 के सामान्य मान)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf ; IMD (2020), दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Mandal et al. (2018), *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4): 2208–2214 (दुर्ग जिले के मृदा वर्ग) (अध्याय 7 के संदर्भ); Ranjan और Singh (2018), *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 7(4): 574–582 (रायपुर में अंतःस्यंदन); Singh et al. (2023), *Environment, Development and Sustainability* (कोरबा कोयला क्षेत्र में खदानों का निर्जलीकरण; केवल सारांश में पढ़ा गया); और हसदेव और खदान के पानी का 2018 का एक समस्थानिक अध्ययन, *Environmental Earth Sciences* (केवल सारांश में पढ़ा गया)।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 13 अगस्त 2024 की पर्यावरण स्वीकृति, फाइल संख्या J-11015/72/2016-IA.II(M), छत्तीसगढ़ की एक कोयला खदान के लिए (शर्तें 3.6 से 3.8) (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- वर्षा जल संचयन, सीवेज और राख की खबरें (द्वितीयक स्रोत): नगर पालिक निगम रायपुर के बिल्डरों को निर्देश पर The Realty Today, https://therealtytoday.com/news/raipur-municipal-corporation-rmc-directs-builders-to-construct-50-rainwater-harvesting-pits-each ; रायपुर जिले में बिल्डरों और औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई पर India Environment Portal (2016), https://indiaenvironmentportal.org.in/news-clippings/18-builders-7-industrial-units-in-raipur-district-to-face-action ; खारुन पर The Hitavada (15 मार्च 2026), https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/3/15/concern-raised-over-kharun-river-pollution.html ; अरपा पर India Legal (20 जनवरी 2025), https://indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/chhattisgarh-high-court-directs-bilaspur-municipal-corporation-to-clean-up-arpa-river-pollution/ ; दुर्ग के नालों पर Down To Earth का न्यायालय सार (20 जनवरी 2026), https://www.downtoearth.org.in/environment/daily-court-digest-major-environment-orders-january-20-2026 ; खारुन पर YourStory (2017) (अध्याय 7 के संदर्भ); और राखड़ बाँधों के टूटने की खबरें (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Platts, J. T. (1884). *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (परिशिष्ट 8D में पौधों के नाम, पृ. 39, 229, 267, 372, 489, 531, 569, 626, 740, 801, 821, 828, 849, 926, 1101, 1132, 1152 और 1168)। https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/platts/
- AMRUT 2.0 के स्वीकार्य घटकों पर संसद का उत्तर AU1419। https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2988692/1/AU1419_tzCIvw.pdf

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
8A	जोन के अनुसार 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई और IDF
8B	पुनर्विकास के लिए LoS तालिका और उपचार शृंखला की संयुक्त VR
8C	छत्तीसगढ़ में BMP के प्रदर्शन का अंशांकन
8D	BMP डिजाइन पत्रक, माध्यम विनिर्देश, पौधों की सूचियाँ
8E	अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण
प्रपत्र 8-1	जल गुणवत्ता पत्रक
प्रपत्र 8-2	अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख

अध्याय 9

संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन

9.1 उद्देश्य और विस्तार

9.1.1 यह अध्याय लघु और प्रमुख प्रणालियों (अध्याय 6) में, प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं (अध्याय 4) में, आउटफॉलों (अध्याय 5) पर और जलाशयों (अध्याय 7) पर प्रयुक्त संरचनाओं के हाइड्रोलिक डिजाइन की विधियाँ निर्धारित करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) पाइप और बॉक्स ड्रेन (खंड 9.3);
- (b) पुलियाएँ (culverts) (खंड 9.4);
- (c) खुले चैनल (खंड 9.5);
- (d) ऊर्जा क्षयकारी (energy dissipators), आउटलेट संरक्षण और ड्रॉप संरचनाएँ (खंड 9.6);
- (e) अस्थायी भंडारण की आउटलेट संरचनाएँ (खंड 9.7);
- (f) कचरा-रोधी जालियाँ (trash racks) और जालियाँ (screens) (खंड 9.8);
- (g) पंप और संप (खंड 9.9);
- (h) ज्वार-रोधी गेट (tide gates), फ्लैप गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व (खंड 9.10);
- (i) इनलेट और जालियाँ (gratings) (खंड 9.11);
- (j) मैनहोल, संगम कक्ष (junction chambers) और प्रवेश व्यवस्था (खंड 9.12); और
- (k) सामग्री और स्थायित्व (durability), जिसमें तटीय और लवणीय अनावरण सम्मिलित है (खंड 9.13)।

9.1.2 **संरचनात्मक डिजाइन इस मैनुअल के विस्तार से बाहर है।** संरचनाओं का संरचनात्मक डिजाइन लागू भारतीय मानकों और IRC संहिताओं के अनुसार किया जाएगा, उदाहरण के लिए IS 456 (सादा और प्रबलित कंक्रीट), IS 458 (कंक्रीट पाइप), IRC:SP:13 (छोटे पुल और पुलियाएँ) और IRC की पुल संहिताएँ। जहाँ यह अध्याय किसी संरचनात्मक मानक का उल्लेख करता है, वहाँ वह केवल स्थायित्व (खंड 9.13) या हाइड्रोलिक निष्पादन के लिए करता है।

9.1.3 डिजाइन प्रवाह, डिजाइन AEP और सेवा स्तर की सीमाएँ अध्याय 2 से 7 से ली जाती हैं। यह अध्याय उन्हें नहीं बदलता।

> **भाष्य.** APWA Section 5600 संरचनाओं की अधिकांश हाइड्रोलिक्स को इनलेट और मैनहोल (5604), बंद पाइप प्रणालियों (5606), अभियांत्रिक चैनलों (5607) और अस्थायी भंडारण (5608) संबंधी अपने खंडों में रखता है। CPHEEO (2019) इन्हें अध्याय 5, 6, 8 और 11 में फैलाता है। यह अध्याय इन्हें एक स्थान पर एकत्र करता है और उन विधियों के लिए, जिन्हें भारतीय संहिताएँ पर्याप्त विस्तार से नहीं समेटतीं, अमेरिकी संघीय राजमार्ग प्रशासन (US Federal Highway Administration, FHWA) के हाइड्रोलिक परिपत्रों का संदर्भ देता है: पुलियाओं के लिए HDS-5, ऊर्जा क्षयकारियों के लिए HEC-14, इनलेट और प्रवेश छिद्रों (access holes) के लिए HEC-22, और पंपिंग स्टेशनों के लिए HEC-24। उद्धृत FHWA संस्करण वे हैं जो अक्तूबर 2026 तक FHWA हाइड्रोलिक्स पुस्तकालय में सूचीबद्ध थे।

9.2 सामान्य अपेक्षाएँ

9.2.1 **टेलवाटर (tailwater).** जो भी संरचना किसी ऐसी नदी, नाले (nala), तालाब (talab), जलाशय, बैराज के जलाशय या खदान के गड्ढे में पानी छोड़ती है जिसका जल स्तर आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है, उसका विश्लेषण अध्याय 5 की इन टेलवाटर स्थितियों के साथ किया जाएगा: लघु और प्रमुख प्रणाली के डिजाइन के लिए खंड 5.6 का गैर-ज्वारीय टेलवाटर; खंड 5.8 का नदी का पश्चजल प्रभाव (riverine backwater), जिसमें प्रतिप्रवाह के किसी डैम या बैराज से छोड़े गए पानी से आने वाली बाढ़ सम्मिलित है, जैसे महानदी पर गंगरेल (रविशंकर सागर) और उसके नीचे के बैराज, हसदेव पर मिनीमाता बांगो और दर्री पर हसदेव बैराज, शिवनाथ पर मोंगरा बैराज, अरपा पर अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज, खारंग (खूंटाघाट) (Kharang (Khutaghat)) और केलो डैम, और रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों में महानदी और मांड के निचले नदी-भागों में ओडिशा के हीराकुंड जलाशय का बैकवाटर; जहाँ भी प्राप्तकर्ता जल आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है वहाँ खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check), जो रायपुर की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो खारुन में या शहर के तालाबों में गिरते हैं, दुर्ग और भिलाई की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो शिवनाथ और उसके नालों में गिरते हैं, बिलासपुर की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो अरपा में गिरते हैं, कोरबा की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो दर्री के नीचे हसदेव में गिरते हैं, रायगढ़ की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो केलो में गिरते हैं, जगदलपुर की उन ड्रेनों और नालों के लिए, जो इंद्रावती में गिरते हैं, और नवा रायपुर की उन ड्रेनों के लिए, जो उसकी झीलों और जलाशयों में गिरती हैं, लागू स्थिति है; किसी जलाशय, बैराज के जलाशय, झील या तालाब में आउटफॉल के लिए, उसका अधिकतम जल स्तर, या उसका पूर्ण जल स्तर जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge), जैसा अध्याय 5 निर्धारित करता है, या, जहाँ इनमें से कोई प्रकाशित नहीं है, पूर्ण जल स्तर और 0.5 m (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित); किसी खदान के गड्ढे या खदान झील में आउटफॉल के लिए, जिसकी अनुमति यह मैनुअल केवल पट्टाधारी और DGMS की सम्मति से देता है, उस गड्ढे का सर्वेक्षित अतिप्रवाह स्तर (spill level) और वह स्तर जिस तक वह 72-घंटे का डिजाइन आयतन धारण करने पर पहुँचता है, कभी भी खाली माना गया भंडारण नहीं; आउटफॉल के अनुप्रवाह में किसी स्लूइस, अवरोधन वियर (interception weir), एनीकट (anicut), चेक डैम, तालाब के आउटलेट वियर या पंपिंग स्टेशन द्वारा ड्रेन में रोका गया जल स्तर, जिनमें वे डायवर्जन वियर (diversion weir) भी हैं जो रायपुर के नालों का पानी उसके सीवेज शोधन संयंत्रों तक ले जाते हैं, जिसे उसके गेट-बंद स्तर, उसके वियर के शिखर या उसके पंपों के प्रारंभ स्तर पर एक नियत नियंत्रण के रूप में लिया जाएगा; और खंड 2.12 की संयुक्त स्थिति। जगदलपुर में स्तर इंद्रावती पर CWC स्थल के हैं (चेतावनी स्तर 539.49 m, खतरे का स्तर 540.80 m; उच्चतम बाढ़ स्तर 544.891 m, 26 सितंबर 2026, जिसने 1973 के 544.68 m का स्थान लिया; CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार); समाचार माध्यमों में प्रकाशित किसी स्थानीय गेज के पाठ्यांक, जो किसी अन्य शून्य पर हैं, उनके साथ कभी मिलाए नहीं जाते। रायपुर के नीचे पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन के लिए केवल एक उच्चतम बाढ़ स्तर मिला है, 281.68 m (29 अगस्त 2020, प्रकाशित खबरों के अनुसार), कोई चेतावनी या खतरे का स्तर नहीं। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो छत्तीसगढ़ में किसी भी आउटफॉल पर नदी, जलाशय, बैराज या खदान के गड्ढे का डिजाइन जल स्तर निर्धारित करता हो; जब तक ऐसा स्तर प्रकाशित नहीं होता, अध्याय 5 के स्तर लागू होंगे।

9.2.2 **जलवायु गुणक.** डिजाइन प्रवाहों में खंड 2.8 का जलवायु गुणक सम्मिलित किया जाएगा।

9.2.3 **रखरखाव के लिए प्रवेश.** प्रत्येक संरचना खंड 9.12 और अध्याय 10 की विधियों द्वारा निरीक्षण और सफाई के लिए सुलभ होगी, और जहाँ भी व्यवहार्य हो, सीमित स्थानों (confined spaces) में मनुष्य के प्रवेश के बिना।

9.2.4 **डिजाइन आयु.** संरचनाओं का डिजाइन कंक्रीट और चिनाई कार्यों के लिए कम से कम 50 वर्ष की सेवा आयु के लिए, और यांत्रिक तथा विद्युत उपकरणों के लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा आयु के लिए किया जाएगा, जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हो।

9.2.5 **अवरोध.** जहाँ कोई संरचना मलबे से अवरुद्ध हो सकती है, वहाँ उसकी जाँच इस अध्याय में निर्धारित अवरुद्ध स्थिति में की जाएगी, और उस स्थिति के लिए एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग उपलब्ध होगा (अध्याय 6, खंड 6.3.2)।

> **भाष्य.** खंड 9.2.4 के डिजाइन आयु मानों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल उन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि यह तय करने के लिए उनकी आवश्यकता है कि जलवायु गुणक कब लागू होता है (खंड 2.8.2 इसे 25 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले घटकों पर लागू करता है)।

9.3 पाइप और बॉक्स ड्रेन

9.3.1 **क्षमता और खुरदरापन.** पाइप और बॉक्स ड्रेन की क्षमता की गणना मैनिंग समीकरण (Manning's equation) द्वारा अध्याय 6 की तालिका 6.6 के डिजाइन n के साथ की जाएगी। प्रीकास्ट या स्थल पर ढाली गई (cast-in-situ) RCC बॉक्स ड्रेनों के लिए डिजाइन n कम से कम 0.015 होगा।

9.3.2 **आंशिक रूप से भरा प्रवाह.** आंशिक रूप से भरे वृत्ताकार पाइपों में गहराई, वेग और प्रवाह दर की गणना वृत्ताकार अनुप्रस्थ काटों (circular sections) के हाइड्रोलिक-तत्व संबंधों (hydraulic-element relationships) से की जाएगी (उदाहरण के लिए CPHEEO 2019, तालिका 5.5)। डिजाइन प्रवाह पर खंड 6.7.3 का न्यूनतम वेग लागू होता है।

9.3.3 **दाब प्रवाह.** जहाँ कोई पाइप पूरा भरकर या सरचार्ज में चलता है, वहाँ HGL की गणना अध्याय 6 के खंड 6.8 के अंतर्गत घर्षण और संरचना हानियों के साथ की जाएगी।

9.3.4 **खड़ी ढलान वाले पाइप.** जहाँ किसी पाइप में डिजाइन प्रवाह अतिक्रांतिक (supercritical) है (फ्रूड संख्या 1 से अधिक), वहाँ डिजाइनकर्ता:

- (a) किसी भी हाइड्रोलिक जंप (hydraulic jump) का स्थान निर्धारित करेगा और दर्शाएगा कि वह पाइप की लंबाई में नहीं, बल्कि उसे समाहित करने के लिए डिजाइन की गई संरचना में होता है;
- (b) जहाँ जंप पाइप को बंद कर सकता है, वहाँ वायु निकास (air venting) का प्रावधान करेगा; और
- (c) खंड 6.7.3(b) के अधिकतम वेग का पालन करेगा।

9.3.5 **आकार और दिशा में परिवर्तन.**

- (a) पाइप का आकार अनुप्रवाह की ओर घटेगा नहीं।
- (b) पाइप केवल मैनहोल या संगम कक्षों पर ही जुड़ेंगे, सिवाय इसके कि इनलेट कनेक्शन 1,200 mm या उससे बड़े पाइपों से कारखाने में बने जंक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
- (c) एक ही संरचना में 90° से अधिक के दिशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

9.3.6 **उत्प्लावन.** उच्च भूजल वाले क्षेत्रों में पाइपों और बॉक्स ड्रेनों की उत्प्लावन (flotation) के लिए जाँच की जाएगी (अध्याय 6, खंड 6.7.7)।

> **भाष्य.** बॉक्स ड्रेनों के लिए 0.015 का डिजाइन n इस मैनुअल द्वारा तालिका 6.6 के "सामान्य" (fair) कंक्रीट मान के अनुरूप निर्धारित किया गया है। खंड 9.3.4 और 9.3.5 FHWA HEC-22 और अन्य मैनुअलों की सामान्य पद्धति का अनुसरण करते हैं। पाइप की लंबाई के भीतर जंप दाब के झटके (pressure surges) पैदा करता है और मैनहोल के ढक्कन उड़ा सकता है।

9.4 पुलियाएँ

9.4.1 **विधि.** पुलियाओं का डिजाइन FHWA *Hydraulic Design of Highway Culverts*, HDS-5, संस्करण 3 (2012) की विधियों द्वारा, या उन्हें लागू करने वाले सॉफ्टवेयर (उदाहरण के लिए FHWA HY-8) द्वारा किया जाएगा। डिजाइन हेडवाटर इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (HWi) और आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (HWo) में से **अधिक** होता है।

9.4.2 **इनलेट नियंत्रण.** HWi की गणना वास्तव में निर्मित बैरल (barrel) के आकार, सामग्री और इनलेट किनारे की स्थिति के लिए HDS-5 के इनलेट-नियंत्रण समीकरणों या नोमोग्राफों से की जाएगी।

9.4.3 **आउटलेट नियंत्रण.** HWo की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> HWo = ho + H − L·S

> H = [1 + ke + (19.63 n² L) / R^1.33] · V² / 2g (SI इकाइयाँ, पूर्ण बैरल)

> ho = TW और (dc + D)/2 में से जो अधिक हो

जहाँ ho नियंत्रण के लिए प्रयुक्त आउटलेट जल गहराई (m) है, H बैरल में कुल हेड हानि (m) है, L बैरल की लंबाई (m) है, S बैरल का ढलान (m/m) है, ke प्रवेश हानि गुणांक (तालिका 9.1) है, n बैरल का खुरदरापन है, R हाइड्रोलिक त्रिज्या (m) है, V बैरल में वेग (m/s) है, TW आउटलेट इनवर्ट के ऊपर टेलवाटर की गहराई (m) है, dc क्रांतिक गहराई (m) है और D बैरल की ऊँचाई (rise) (m) है। आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत आंशिक रूप से भरे बैरलों का विश्लेषण HDS-5 में निर्धारित पश्चजल गणना (backwater calculation) द्वारा किया जाएगा।

तालिका 9.1 — प्रवेश हानि गुणांक ke (आउटलेट नियंत्रण, पूर्ण या आंशिक रूप से भरा)

बैरल और इनलेट	ke
कंक्रीट पाइप, भराई से बाहर निकला हुआ, सॉकेट (ग्रूव) सिरा	0.2
कंक्रीट पाइप, भराई से बाहर निकला हुआ, सीधा कटा सिरा	0.5
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल या विंगवॉल सहित हेडवॉल, सॉकेट सिरा	0.2
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल या विंगवॉल सहित हेडवॉल, चौकोर किनारा	0.5
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल, गोलाई वाला प्रवेश (त्रिज्या = D/12)	0.2
कंक्रीट पाइप, भराई के ढलान के अनुरूप तिरछा कटा (mitred)	0.7
कंक्रीट पाइप, बेवल किए गए किनारे	0.2
नालीदार धातु पाइप (corrugated metal pipe), भराई से बाहर निकला हुआ	0.9
RCC बॉक्स, तटबंध के समानांतर हेडवॉल, तीन ओर चौकोर किनारा	0.5
RCC बॉक्स, तटबंध के समानांतर हेडवॉल, तीन किनारे गोल या बेवल किए गए	0.2
RCC बॉक्स, बैरल से 30°–75° पर विंगवॉल, चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.4
RCC बॉक्स, बैरल से 10°–25° पर विंगवॉल, चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.5
RCC बॉक्स, समानांतर विंगवॉल (पार्श्वों का विस्तार), चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.7

स्रोत: FHWA HDS-5 (2012), प्रवेश हानि गुणांक तालिका (Appendix C)।

9.4.4 **टेलवाटर.** TW निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:

- (a) डिजाइन प्रवाह पर अनुप्रवाह चैनल में सामान्य (normal) या पश्चजल गहराई; और
- (b) ज्वारीय या नदी के पश्चजल क्षेत्र के भीतर की पुलियाओं के लिए, खंड 9.2.1 का टेलवाटर स्तर।

9.4.5 **हेडवाटर की सीमाएँ.** अध्याय 6 की तालिका 6.1 के डिजाइन AEP पर:

- (a) HW/D 1.2 से अधिक नहीं होगा;
- (b) हेडवाटर, प्रतिप्रवाह फलक पर सड़क के शोल्डर (shoulder) के किनारे से कम से कम 0.3 m नीचे होगा; और
- (c) हेडवाटर किसी भी प्रतिप्रवाह भवन या संपत्ति की सीमा पर जल स्तर को अध्याय 6 के खंड 6.12.2(d) की सीमाओं से ऊपर नहीं उठाएगा।

9.4.6 **सड़क के ऊपर से बहना.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में सड़क के ऊपर से होने वाले प्रवाह की गणना चौड़े शिखर वाले वियर (broad-crested weir) के समीकरण से की जाएगी:

> Qr = Cd · L · h^1.5

जहाँ Qr सड़क के ऊपर से होने वाला प्रवाह (m^3/s) है, L ऊपर से बहने वाले खंड की लंबाई (m) है और h सड़क के शिखर के ऊपर हेडवाटर की गहराई (m) है। Cd सड़क की सतह और h तथा सड़क की चौड़ाई के अनुपात के लिए HDS-5 से लिया जाएगा, और यह 1.66 (SI) से अधिक नहीं होगा। पुलिया के प्रवाह और ऊपर से होने वाले प्रवाह को एक साझा हेडवाटर पर संतुलित किया जाएगा। ऊपर से बहने की गहराइयाँ और जोखिम अध्याय 6 के खंड 6.12 का पालन करेंगे।

9.4.7 **आउटलेट वेग.** डिजाइन AEP पर और 1% AEP पर आउटलेट वेग की गणना की जाएगी और आउटलेट को खंड 9.6 के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा।

9.4.8 **बैरल और मलबा.**

- (a) मलबा-प्रवण शहरी ड्रेनों में बहु-बैरल पुलियाओं से बचा जाएगा। जहाँ उनका उपयोग किया जाता है, वहाँ एक बैरल शुष्क मौसम प्रवाह को वहन करेगा, और इनलेट पर मलबा-फिन (debris fin) या विक्षेपक (deflector) होगा।
- (b) पुलियाएँ अध्याय 6 के खंड 6.12.4 और 6.12.5 के न्यूनतम आकार और अवरोध जाँच का पालन करेंगी।
- (c) पुलिया के इनवर्ट ड्रेन के तल से मेल खाएँगे। उन्हें तल से ऊपर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इससे प्रतिप्रवाह की ओर गाद और पानी रुकता है।

9.4.9 **हेडवॉल और कट-ऑफ.** इनलेट और आउटलेट पर हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें होंगी, जिनका डिजाइन पाइपिंग (piping) और नींव के कटाव (undermining) को रोकने के लिए किया गया हो।

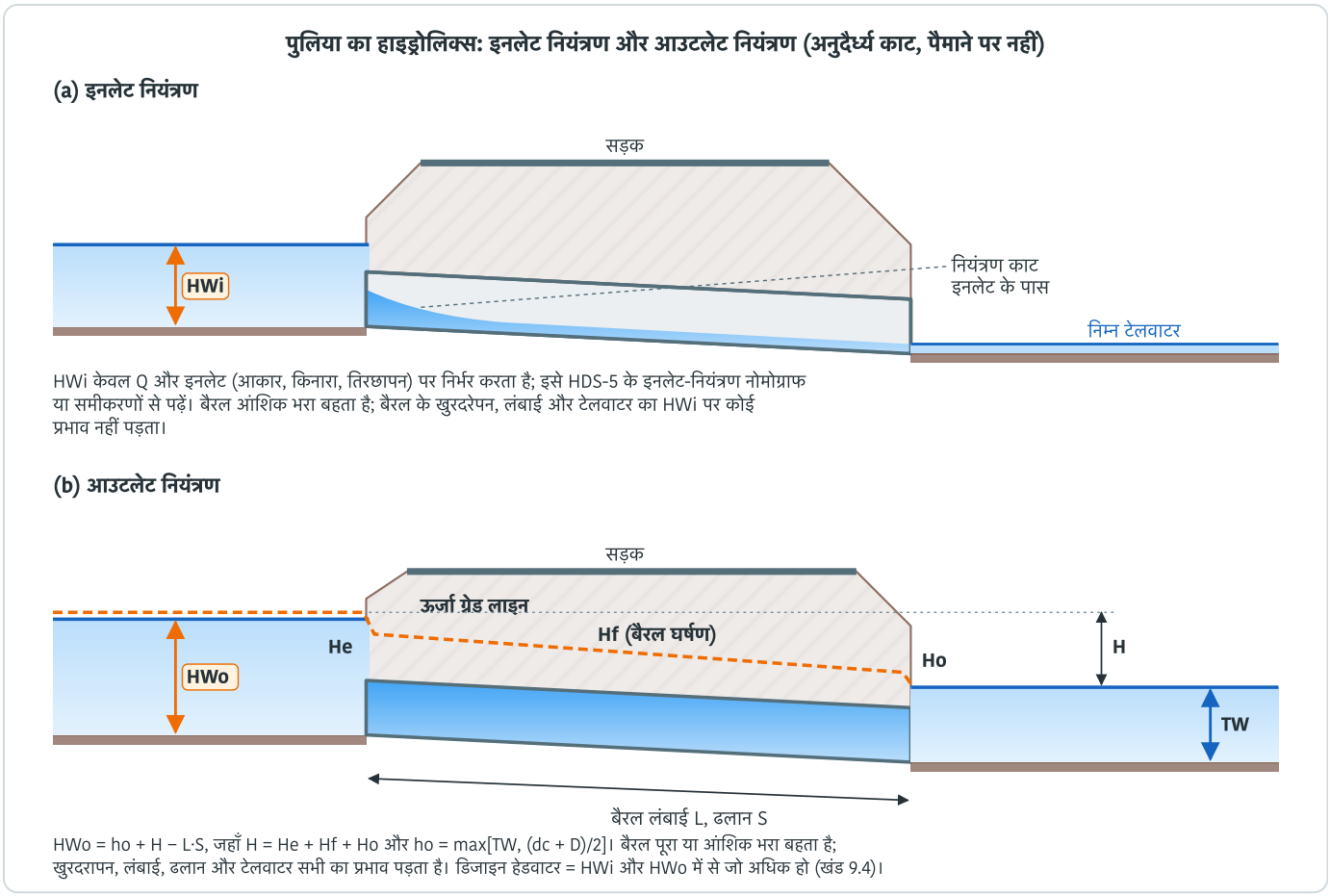

चित्र 9.1 — पुलिया की हाइड्रोलिक्स: इनलेट नियंत्रण और आउटलेट नियंत्रण। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Highway Culverts, HDS-5 (3rd ed., 2012) से अनुकूलित।

> **भाष्य.** HDS-5 (संस्करण 3, FHWA-HIF-12-026, अप्रैल 2012) ने HEC-5, HEC-10 और HEC-13 की पुलिया डिजाइन सामग्री को एक में मिलाया और यह FHWA का वर्तमान पुलिया मैनुअल है। खंड 9.4.3 का आउटलेट-नियंत्रण समीकरण SI इकाइयों में HDS-5 का ऊर्जा समीकरण है: घर्षण गुणांक 19.63, 2g के बराबर है। तालिका 9.1 के ke मान HDS-5 से लिए गए हैं। वियर गुणांक की 1.66 (SI) की सीमा, ऊपर से बहने की गणनाओं के लिए APWA 5600 (2006) की C ≤ 3.0 (US इकाइयाँ) की सीमा का रूपांतरण है। खंड 9.4.5 की हेडवाटर सीमाएँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं: HW/D ≤ 1.2 यह सुनिश्चित करता है कि डिजाइन घटना पर इनलेट जलमग्न-ऑरिफिस प्रवाह (submerged-orifice flow) में अधिक दूर तक न चले, जहाँ प्रवाह में छोटी वृद्धि से हेडवाटर में बड़ी वृद्धि होती है। खंड 9.4.8(c) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; इसे इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ किसी पुरानी पुलिया के ऊपर सड़क दोबारा बनाई जाती है, वहाँ ऊँचे किए गए पुलिया इनवर्ट आम हैं, और वे प्रतिप्रवाह की ओर पानी और गाद रोक कर रखते हैं।

9.5 खुले चैनल

9.5.1 **प्रवाह की गणना.** खुले चैनलों का डिजाइन एकसमान प्रवाह के लिए मैनिंग समीकरण द्वारा, तालिका 6.6 के n के साथ किया जाएगा। जहाँ टेलवाटर, पुल, पुलियाएँ, मोड़ या अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (changes of section) जल स्तरों को प्रभावित करते हैं, वहाँ जल स्तरों की गणना क्रमशः परिवर्ती प्रवाह (gradually varied flow; standard step) विश्लेषण द्वारा की जाएगी; रायपुर की उन ड्रेनों पर, जो खारुन में और शहर के तालाबों (talab) में गिरती हैं, दुर्ग और भिलाई, बिलासपुर और कोरबा की उन ड्रेनों पर, जो ऐसे बैराजों और डैमों के नीचे शिवनाथ, अरपा और

हसदेव में गिरती हैं जिनके गेट उनके जल स्तर निर्धारित करते हैं, रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों के उन निचले आउटफॉलों पर, जिन तक हीराकुंड का बैकवाटर पहुँच सकता है, एनीकटों (anicut), चेक डैमों और सीवेज शोधन संयंत्रों के डायवर्जन वियरों द्वारा रोके गए नालों (nala) पर, और ड्रॉप संरचनाओं से सीढ़ीदार बनाए गए बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों के खड़े ढलान वाले नालों पर, यही सामान्य स्थिति है।

9.5.2 **प्रवाह व्यवस्था.** डिजाइन प्रवाह पर फ्रूड संख्या 0.8 से अधिक नहीं होगी (CPHEEO 2019, §5.3), जब तक कि चैनल का डिजाइन अतिक्रांतिक ढलवाँ चैनल (supercritical chute) के रूप में न किया गया हो। किसी भी चैनल में डिजाइन प्रवाह पर 0.8 और 1.2 के बीच फ्रूड संख्या वाले प्रवाह की अनुमति नहीं है।

9.5.3 **अनुमेय वेग.** डिजाइन प्रवाह पर माध्य वेग तालिका 9.2 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 9.2 — चैनलों में अधिकतम अनुमेय माध्य वेग

अस्तर या मिट्टी	अधिकतम वेग (m/s)	स्रोत
कंक्रीट अस्तर	3.0	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
रिपरैप अस्तर	1.8	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
घास का अस्तर	1.2	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
स्थिरीकृत मिट्टी का चैनल (संशोधित प्राकृतिक चैनल)	2.0, या क्रांतिक वेग यदि वह कम हो	CPHEEO 2019 §5.10.3
कच्चा, महीन रेत	0.46	Fortier और Scobey (1926), स्वच्छ जल
कच्चा, बलुई दोमट	0.53	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, गादयुक्त दोमट (silt loam)	0.61	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, सख्त दोमट (firm loam)	0.76	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, कड़ी चिकनी मिट्टी (stiff clay)	1.14	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, महीन बजरी	0.76	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, मोटी बजरी	1.22	उपर्युक्त के अनुसार

लचीले अस्तरों (वनस्पति, रिपरैप, जियोसिंथेटिक) का डिजाइन इसके स्थान पर FHWA HEC-15, *Design of Roadside Channels with Flexible Linings*, संस्करण 3 (2005) की अनुमेय अपरूपण प्रतिबल विधि (permissible shear stress method) द्वारा किया जा सकता है।

9.5.4 **अनुदैर्ध्य ढलान.** अभियांत्रिक चैनलों में अनुदैर्ध्य ढलान प्राकृतिक अस्तरों के लिए 0.4% और कंक्रीट अस्तरों के लिए 0.2% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि ड्रॉप संरचनाओं (खंड 9.6.6) या ढलवाँ चैनल का प्रावधान न किया गया हो (CPHEEO 2019, तालिका 5.11)।

9.5.5 **फ्रीबोर्ड और मोड़.** फ्रीबोर्ड अध्याय 6 की तालिका 6.7 का पालन करेगा, और उसे मोड़ों पर अधि-उन्नयन (superelevation) सहित जल स्तर के ऊपर मापा जाएगा। मोड़ की त्रिज्याएँ अध्याय 6 के खंड 6.7.10 का पालन करेंगी।

9.5.6 **पार्श्व ढलान.** जब तक कोई संरचनात्मक या भू-तकनीकी डिजाइन अधिक खड़े ढलान का समर्थन न करे:

- (a) कच्चे मिट्टी के चैनलों के पार्श्व ढलान 1V:2H से अधिक खड़े नहीं होंगे; और
- (b) घास वाले जिन चैनलों की घास काटी जाती है, उनके पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े नहीं होंगे।

9.5.7 **अल्प-प्रवाह चैनल.** 3 m या अधिक तल चौड़ाई वाले चैनलों में एक निर्धारित अल्प-प्रवाह चैनल (low-flow channel) होगा, जो खंड 6.7.3 के स्व-सफाई वेग पर शुष्क मौसम प्रवाह को वहन करे।

9.5.8 **संक्रमण.** अनुप्रस्थ काट में परिवर्तनों पर क्रमिक संक्रमणों (transitions) का उपयोग किया जाएगा। अतिक्रांतिक प्रवाह में अचानक विस्तार और संकुचन की अनुमति नहीं है।

9.5.9 **उच्च भूजल में अस्तर.** उच्च भूजल या ज्वारीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में पक्के चैनलों में फिल्टर सहित रिसाव छिद्र होंगे, या उनका डिजाइन चैनल खाली होने की स्थिति में उत्थान का प्रतिरोध करने के लिए किया जाएगा।

9.5.10 **प्राकृतिक चैनल.** जहाँ संभव हो, प्राकृतिक चैनलों को संरक्षित किया जाएगा (CPHEEO 2019, §5.10.3 की टिप्पणी; अध्याय 7)। जहाँ किसी प्राकृतिक चैनल में परिवर्तन करना आवश्यक हो, वहाँ उसकी क्षमता अध्याय 6 के डिजाइन AEP का पालन करेगी और उसके वेग तालिका 9.2 का पालन करेंगे।

> **भाष्य.** पक्के चैनलों के वेग और ढलान CPHEEO (2019) तालिका 5.11 के मान हैं। कच्ची मिट्टी के मान स्वच्छ जल के लिए Fortier और Scobey (1926) के प्रचलित अनुमेय वेग हैं, जैसा कि Chow (1959) में दिए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ में आम मिट्टियों के लिए दिए गए हैं (छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार (kanhar), डोरसा (dorsa), मटासी (matasi) और भाठा (bhata) मिट्टियाँ, निचली भूमि की गहरी काली चिकनी मिट्टी से लेकर ऊपरी भूमि पर मुरम और फेरीक्रीट (ferricrete) के ऊपर की पतली बजरीदार मिट्टी तक, बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों की लाल और पीली मिट्टी और लैटेराइट, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के गोंडवाना कोयला क्षेत्रों की बलुआ पत्थर और शेल वाली मिट्टी, उन पर स्थित खनन से विक्षुब्ध भूमि, ओवरबर्डन डंपों और ऐश पॉन्डों सहित, और बड़ी नदियों के किनारे का जलोढ़)। 0.8 और 1.2 के बीच फ्रूड संख्याओं पर प्रतिबंध, क्रांतिक प्रवाह से बचने की CPHEEO की सलाह का विस्तार है, जहाँ जल सतह "अस्थिर और लहरदार हो जाती है" (becomes unstable and wavy) (§5.3)। यह विस्तार इस मैनुअल द्वारा किया गया है। पार्श्व ढलान और अल्प-प्रवाह चैनल भी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अनेक शहरी चैनल तब तक सीवेज-मिश्रित शुष्क मौसम प्रवाह वहन करते हैं जब तक अध्याय 8 के अनुसार सीवेज के अवैध जुड़ाव (cross-connections) हटा नहीं दिए जाते। तब चौड़ा समतल तल अपनी पूरी चौड़ाई में कीचड़ (sludge) जमा करता है, और अल्प-प्रवाह चैनल शुष्क मौसम प्रवाह को संकेंद्रित रखता है।

9.6 ऊर्जा क्षयकारी, आउटलेट संरक्षण और ड्रॉप संरचनाएँ

9.6.1 **कब आवश्यक है.** प्रत्येक पाइप, पुलिया और चैनल के उस आउटलेट पर, जहाँ डिजाइन AEP या 1% AEP पर आउटलेट वेग तालिका 9.2 में प्राप्तकर्ता चैनल के अनुमेय वेग से अधिक है, और किसी कच्चे चैनल, तालाब या जलाशय में प्रत्येक आउटलेट पर, आउटलेट संरक्षण या ऊर्जा क्षयकारी का प्रावधान किया जाएगा।

9.6.2 **विधि.** ऊर्जा क्षयकारियों और आउटलेट संरक्षण का डिजाइन FHWA HEC-14, *Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels*, संस्करण 3 (2006) की विधियों द्वारा किया जाएगा, और क्षयकारी का प्रकार उसकी प्रयोज्यता की सीमा के आधार पर चुना जाएगा।

9.6.3 **रिपरैप एप्रन.** समतल एप्रन पर पानी छोड़ने वाले वृत्ताकार आउटलेट के लिए, रिपरैप के माध्यिका आकार (median size) की गणना HEC-14 के एप्रन समीकरण से की जाएगी:

```
D50 = 0.2 · D · [Q / (g^0.5 · D^2.5)]^(4/3) · (D / TW)
```

जहाँ D50 पत्थर का माध्यिका आकार (m) है, D पुलिया का व्यास या ऊँचाई (m) है, Q डिजाइन प्रवाह दर (m^3/s) है, g = 9.81 m/s^2 है और TW टेलवाटर की गहराई (m) है। जहाँ TW ज्ञात न हो, वहाँ उसे 0.4D लिया जाएगा।

एप्रन की लंबाई और मोटाई HEC-14 की रिपरैप-वर्ग तालिका (तालिका 9.3) के अनुसार होगी। आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D होगी और वह अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती जाएगी।

तालिका 9.3 — रिपरैप वर्ग और एप्रन के आयाम (HEC-14)

वर्ग	D50 (mm)	एप्रन की लंबाई	एप्रन की मोटाई
1	125	4D	3.5 D50
2	150	4D	3.3 D50
3	250	5D	2.4 D50
4	350	6D	2.2 D50
5	500	7D	2.0 D50
6	550	8D	2.0 D50

स्रोत: FHWA HEC-14 (2006), §10.2 और Table 10.1, जैसा कि राज्य-एजेंसी डिजाइन वर्कशीटों में दिया गया है। जहाँ गणना किया गया D50 वर्ग 6 से अधिक हो, वहाँ रिपरैप बेसिन या संरचनात्मक स्टिलिंग बेसिन का उपयोग किया जाएगा।

9.6.4 **रिपरैप फिल्टर और श्रेणीकरण.** रिपरैप को दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर रखा जाएगा। पत्थर कोणीय, टिकाऊ और इस प्रकार श्रेणीकृत होंगे कि खंड 9.6.3 का D50 पूरा हो।

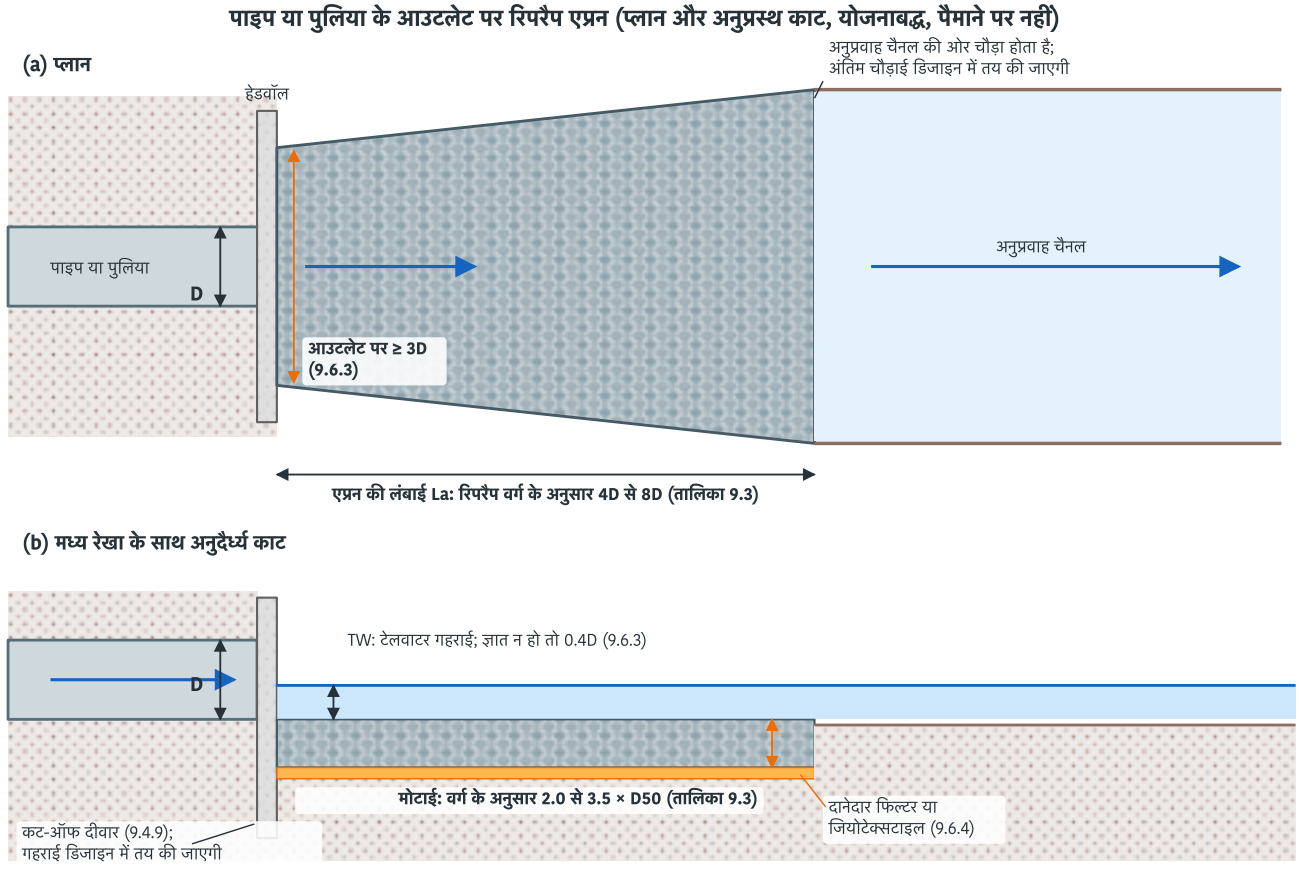

चित्र 9.2 — पाइप या पुलिया के आउटलेट पर रिपरैप एप्रन: आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D, अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती हुई; लंबाई और मोटाई तालिका 9.3 से; पत्थर दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर (खंड 9.6.3 और 9.6.4)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels, HEC-14 (3rd ed., 2006), §10.2 से अनुकूलित।

9.6.5 **स्टिलिंग बेसिन.** जहाँ वेग या फ्रूड संख्याएँ रिपरैप एप्रनों और बेसिनों की सीमा से अधिक हों, वहाँ संरचनात्मक स्टिलिंग बेसिन या आघात बेसिन (impact basin) का डिजाइन HEC-14 से, या उसमें वर्णित US Bureau of Reclamation के बेसिन प्रकारों से किया जाएगा।

9.6.6 **ड्रॉप संरचनाएँ.** ड्रॉप संरचनाओं का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ अन्यथा चैनल का ढलान खंड 9.5.4 या तालिका 9.2 की वेग सीमा से अधिक हो जाएगा।

- (a) सीधे ऊर्ध्वाधर ड्रॉप के लिए ड्रॉप संख्या (drop number) $D = q^2 / (g\,h^3)$ की गणना की जाएगी, जहाँ q इकाई प्रवाह दर (m^2/s) है और h ड्रॉप की ऊँचाई (m) है। कुंड (pool) की ज्यामिति Rand (1955) संबंधों से निर्धारित की जाएगी: ड्रॉप लंबाई Ld/h = 4.30 D^0.27; कुंड की गहराई Yp/h = 1.00 D^0.22; अनुगामी गहराइयाँ (sequent depths) y1/h = 0.54 D^0.425 और y2/h = 1.66 D^0.27।
- (b) अवरोधक-युक्त ढलवाँ चैनलों (baffled chutes) और सीढ़ीदार ड्रॉप (stepped drops) का डिजाइन HEC-14 या US Bureau of Reclamation की विधियों द्वारा किया जाएगा।
- (c) किसी सार्वजनिक ड्रेन में एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप की ऊँचाई 1.5 m से अधिक नहीं होगी। ड्रॉप पर अध्याय 6 के खंड 6.13.8 के अंतर्गत किनारे का सुरक्षा प्रावधान होगा।

9.6.7 **तटीय और समुद्र-तट आउटफॉल.** समुद्र-तटों पर या ज्वारनदमुखों (estuaries) में गिरने वाले आउटफॉलों को लहरों की क्रिया और कटाव (scour) से संरक्षित किया जाएगा। जहाँ तटीय रेत (littoral sand) आउटफॉल को बंद कर सकती है, वहाँ आउटफॉल का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि उसे मशीन द्वारा फिर से खोला जा सके, और जल निकासी प्रणाली की जाँच अध्याय 5 के अंतर्गत आउटफॉल बंद होने की स्थिति में की जाएगी।

> **भाष्य.** HEC-14 (संस्करण 3, FHWA-NHI-06-086, जुलाई 2006) FHWA का वर्तमान ऊर्जा-क्षयकारी मैनुअल है। एप्रन समीकरण और वर्ग तालिका HEC-14 §10.2 (Equation 10.4 और Table 10.1) से हैं। समीकरण और तालिका यहाँ उसी रूप में दी गई हैं जैसे वे द्वितीयक डिजाइन दस्तावेजों (टेनेसी की एक पुस्तिका और एक राज्य-एजेंसी की रिपरैप वर्कशीट) में दी गई हैं। 3D एप्रन चौड़ाई भी उन्हीं स्रोतों से है। Purdue के एक अध्ययन (JTRP) ने पाया कि HEC-14 की एप्रन विधि अपनी प्रयोज्यता की सीमा के भीतर कुछ हद तक सुरक्षित पक्ष की (conservative) है। Rand (1955) के ड्रॉप संबंध मानक हैं और Chow (1959) में दिए गए हैं। एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप पर 1.5 m की सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे शहरी ड्रेनों में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है।

9.7 अस्थायी भंडारण की आउटलेट संरचनाएँ

9.7.1 **प्राथमिक आउटलेट.** अस्थायी भंडारण सुविधा का प्राथमिक आउटलेट:

- (a) अध्याय 4 की निकास दरें और खाली होने के समय उत्पन्न करेगा;
- (b) पंप वाली सुविधाओं (खंड 9.9) को छोड़कर, यांत्रिक पुर्जों या संचालक की कार्रवाई के बिना काम करेगा;
- (c) में **50 mm** से छोटा कोई ऑरिफिस नहीं होगा, और प्रत्येक ऑरिफिस कचरा जाली (trash screen) द्वारा संरक्षित होगा (खंड 9.8.5); और
- (d) सतह से सफाई के लिए सुलभ होगा।

9.7.2 **ऑरिफिस.** ऑरिफिस प्रवाह की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> Q = Cd · A · (2 g h)^0.5

जहाँ A ऑरिफिस का क्षेत्रफल (m²) है और h ऑरिफिस के केंद्रक पर हेड (m) है, या जहाँ ऑरिफिस जलमग्न हो वहाँ प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह जल स्तरों का अंतर है। पतली प्लेट में तीक्ष्ण किनारे वाले ऑरिफिस के लिए Cd 0.60 होगा। किनारे की अन्य स्थितियों के लिए प्रकाशित परीक्षित मानों का उपयोग किया जाएगा।

9.7.3 **वियर.** वियर प्रवाह की गणना Q = Cw · L · H^1.5 के रूप में की जाएगी, जिसमें:

- (a) तीक्ष्ण शिखर वाले आयताकार वियर: Cw = 1.84 (SI), प्रत्येक सिरे के संकुचन के लिए प्रभावी लंबाई 0.1 H घटाई जाएगी;
- (b) V-नॉच वियर: Q = 1.38 · tan(θ/2) · H^2.5 (SI), जहाँ θ नॉच का कोण है; और
- (c) चौड़े शिखर वाले वियर और स्पिलवे शिखर: Cw = 1.44 से 1.70 (SI), शिखर के आकार और हेड के लिए प्रकाशित तालिकाओं से चुना गया।

जलमग्न वियरों को प्रकाशित संबंधों से जलमग्नता के लिए संशोधित किया जाएगा।

9.7.4 **जल स्तर–प्रवाह दर संबंध (stage–discharge rating).** बहु-चरणीय आउटलेटों (राइजर में ऑरिफिस और वियर, आउटलेट पाइप सहित) के लिए डिजाइनकर्ता प्रत्येक जल स्तर पर, प्रत्येक संभव नियंत्रण (प्रत्येक ऑरिफिस, प्रत्येक वियर, राइजर का शिखर, और इनलेट तथा आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत आउटलेट पाइप) के अंतर्गत प्रवाह दर की गणना करेगा और **सबसे छोटा** संयुक्त मान लेगा। यह संबंध आउटलेट इनवर्ट से लेकर आपातकालीन स्पिलवे के शिखर और डिजाइन हेड तक तालिकाबद्ध किया जाएगा।

9.7.5 **टेलवाटर.** संबंधों की गणना खंड 9.2.1 के टेलवाटर के साथ की जाएगी। जहाँ प्राप्तकर्ता जलाशय आउटलेट से ऊपर उठ सकता है, वहाँ आउटलेट पर खंड 9.10 के अंतर्गत फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व होगा, और भंडारण अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच का पालन करेगा।

9.7.6 **आपातकालीन स्पिलवे.** आपातकालीन स्पिलवे, प्राथमिक आउटलेट को अवरुद्ध और प्रारंभ में बेसिन को भरा हुआ मानकर, 1% AEP अंतर्वाह को तटबंध के शिखर तक **0.3 m** फ्रीबोर्ड के साथ निकालेगा। उच्च-जोखिम बेसिनों की 0.2% AEP अंतर्वाह के लिए भी जाँच की जाएगी (अध्याय 4)।

9.7.7 **तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट पाइप.** तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट पाइपों में पाइप के साथ-साथ पाइपिंग को रोकने के लिए फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर, और फैला हुआ (flared) या हेडवॉल वाला इनलेट होगा।

9.7.8 **भँवर-रोधी.** जिन राइजर आउटलेटों में राइजर शिखर के ऊपर डिजाइन हेड राइजर के व्यास से अधिक है, उनमें भँवर-रोधी प्लेट (anti-vortex plate) होगी।

> **भाष्य.** कचरा जाली सहित 50 mm का न्यूनतम ऑरिफिस, आपातकालीन स्पिलवे का मानदंड और खाली होने के समय इस मैनुअल के मूल मानदंड हैं (अध्याय 4)। न्यूनतम ऑरिफिस APWA 5600 (2006, 5608.4) के 3 इंच (लगभग 75 mm) के न्यूनतम से छोटा है। यह छोटे स्थलों पर अध्याय 4 के मिश्रित-आवृत्ति नियम की कम निकास दरों को संभव बनाता है, और एक अच्छी जाली (खंड 9.8.5) पर निर्भर करता है। "कोई यांत्रिक पुर्जा नहीं" का नियम APWA 5600 (2006, 5608.4) का अनुसरण करता है, जो अपेक्षा करता है कि प्राथमिक आउटलेट बिना देखरेख के काम करे। ऑरिफिस और वियर गुणांक पाठ्यपुस्तकों के मानक मान हैं (उदाहरण के लिए Brater और King, *Handbook of Hydraulics*; Chow 1959)। 1.84 का तीक्ष्ण-शिखर गुणांक और 0.1H का सिरा-संकुचन संशोधन SI इकाइयों में फ्रांसिस सूत्र (Francis formula) है। चौड़े शिखर की 1.44–1.70 की सीमा, आमतौर पर तालिकाबद्ध की जाने वाली 2.6–3.1 की US सीमा का SI समतुल्य है। खंड 9.7.7 और 9.7.8 डैम और अस्थायी भंडारण की सामान्य पद्धति का अनुसरण करते हैं।

9.8 कचरा-रोधी जालियाँ और जालियाँ

9.8.1 **कहाँ आवश्यक है.** कचरा-रोधी जालियों या जालियों का प्रावधान किया जाएगा:

- (a) जहाँ कोई खुली ड्रेन 30 m से अधिक लंबे पाइप, ढकी ड्रेन या पुलिया में प्रवेश करती है (अध्याय 6, खंड 6.13.4);
- (b) अस्थायी भंडारण के प्रत्येक आउटलेट ऑरिफिस पर (खंड 9.7.1);
- (c) प्रत्येक पंप संप के इनलेट पर (खंड 9.9); और
- (d) जलाशयों में आउटफॉलों पर, अध्याय 8 के स्थूल प्रदूषक जाल के भाग के रूप में।

9.8.2 **वाहिका-प्रवेश जालियाँ.** वाहिकाओं (conduits) और पुलियाओं के प्रवेश पर जालियों में:

- (a) छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी (clear bar spacing) 75 mm से कम नहीं और वाहिका के सबसे छोटे आंतरिक आयाम के आधे से अधिक नहीं होगी;
- (b) सकल क्षेत्रफल वाहिका के अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल का कम से कम 4 गुना होगा;
- (c) डिजाइन प्रवाह पर, जाली के 50% अवरुद्ध होने की स्थिति में, जाली से होकर माध्य वेग 1.0 m/s से अधिक नहीं होगा; और
- (d) जहाँ जाली को हाथ से रेक (rake) किया जाना है, वहाँ उसका झुकाव 1V:2H से अधिक खड़ा नहीं होगा, और उसके साथ कार्य मंच (working platform) और रेलिंग होगी।

9.8.3 **हेड हानि.** स्वच्छ जाली से होकर हेड हानि की गणना किर्शमर समीकरण (Kirschmer equation) से की जाएगी:

> $h_r = \beta \cdot (t / b)^{(4/3)} \cdot (V^2 / 2g) \cdot \sin\theta$

जहाँ t छड़ की मोटाई है, b छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी है, V पहुँच वेग (approach velocity) है, θ क्षैतिज से जाली का कोण है, और β छड़ आकृति गुणक (bar shape factor) है (तीक्ष्ण किनारे वाली आयताकार छड़ों के लिए 2.42; वृत्ताकार छड़ों के लिए 1.79)। HGL और हेडवाटर की जाँच जाली को **50% अवरुद्ध** मानकर की जाएगी (हेड हानि आधे खुले क्षेत्रफल के साथ गणना की गई)।

9.8.4 **अवरुद्ध होने पर अतिप्रवाह.** प्रत्येक जाली के लिए एक अतिप्रवाह मार्ग होगा, ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली भवनों को जलमग्न न करे या अध्याय 6 की सीमाओं से अधिक न हो।

9.8.5 **अस्थायी भंडारण आउटलेट की जालियाँ.** अस्थायी भंडारण ऑरिफिसों के ऊपर की जालियों के छिद्र उनके द्वारा संरक्षित ऑरिफिस से छोटे होंगे, और उनका खुला क्षेत्रफल ऑरिफिस के क्षेत्रफल का कम से कम 10 गुना होगा।

9.8.6 **पंप संप की जालियाँ.** पंपिंग स्टेशन के इनलेटों पर छड़ जालियों (bar screens) की स्पष्ट दूरी, पंप निर्माता द्वारा बताए गए उस सबसे बड़े ठोस से छोटी होगी जिसे पंप निकाल सकते हैं। जालियाँ हटाए जा सकने वाले मॉड्यूलों में बनाई जाएँगी, और जहाँ डिजाइन अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो, वहाँ यांत्रिक रूप से रेक की जाने वाली जाली का उपयोग किया जाएगा।

9.8.7 **सुरक्षा.** लंबी वाहिकाओं के प्रवेश पर जालियाँ लोगों को भीतर खिंच जाने से रोकेंगी। उनका डिजाइन पूरी तरह अवरुद्ध जाली के द्रवस्थैतिक भार (hydrostatic load) के लिए किया जाएगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019, §8.3.1.3) पंपिंग स्टेशन की छड़ जालियों का वर्णन "लगभग 58 mm" (approximately 58 mm) की दूरी वाली, मॉड्यूलों में बनी, और अवरुद्ध होने की स्थिति के लिए आपातकालीन अतिप्रवाह वाली जालियों के रूप में करता है। खंड 9.8.6 उसी पद्धति का अनुसरण करता है, किंतु दूरी को पंप के ठोस-निकास आकार से जोड़ता है, जो पंप के अनुसार भिन्न होता है। 50% अवरोध की जाँच अध्याय 6 के जाली अवरोध गुणक से मेल खाती है। किर्शमर समीकरण और उसके आकृति गुणक मानक हैं (Kirschmer 1926, जैसा

> कि हाइड्रोलिक पुस्तिकाओं में दिया गया है)। जाली की दूरी, क्षेत्रफल अनुपात, जाली से होकर वेग, 30 m की वाहिका लंबाई का प्रारंभक मान, ऑरिफिसों के लिए जाली का 10× क्षेत्रफल और यांत्रिक रेकिंग के लिए 1 m^3/s का प्रारंभक मान — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

9.9 पंप और संप

9.9.1 **पंपिंग का उपयोग कब हो.** पंपिंग का उपयोग केवल वहीं किया जाएगा जहाँ गुरुत्व जल निकासी अध्याय 5 और 6 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती, उदाहरण के लिए सड़क अंडरपास (अध्याय 6, खंड 6.10.5), बेसमेंट, निचले क्षेत्र और वे आउटफॉल जो अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के अंतर्गत ज्वार से अवरुद्ध हैं।

9.9.2 **डिजाइन अंतर्वाह और भंडारण.** स्टेशन का डिजाइन जलग्रहण क्षेत्र और किसी भी प्रतिप्रवाह भंडारण से रूट किए गए अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ के साथ किया जाएगा। पंप क्षमता और भंडारण एक साथ चुने जाएँगे:

- (a) स्टेशन उस घटक के डिजाइन AEP को पूरा करेगा जिसकी वह सेवा करता है (अंडरपासों के लिए, 1% AEP जाँच सहित 2% AEP);
- (b) जहाँ स्टेशन किसी ज्वारीय आउटफॉल की सेवा करता है, वहाँ भंडारण और पंप मिलकर, ज्वार-अवरोध की अवधि (डिफॉल्ट: 6 h प्रत्येक के दो लगातार उच्च ज्वार) तक आउटफॉल के सीमित रहने की स्थिति में, 48 h के डिजाइन आयतन को रोकेंगे, जैसा कि अध्याय 5 में अपेक्षित है; और
- (c) पंपों का चयन, निम्नतम टेलवाटर के सामने निम्नतम संप स्तर से लेकर उच्चतम टेलवाटर (HAT और महोर्मि और 0.3 m) तक स्थैतिक हेड की पूरी सीमा के लिए किया जाएगा।

9.9.3 **वेट वेल का आयतन.** वेट वेल का प्रभावी आयतन (पंप-बंद स्तर और सबसे निचले पंप-प्रारंभ स्तर के बीच) निम्नलिखित में से सबसे बड़ा होगा:

- (a) जहाँ परिवर्ती गति ड्राइव (variable-speed drives) और स्वचालित नियंत्रण लगे हों, वहाँ न्यूनतम अंतर्वाह के 5 मिनट (CPHEEO 2019, §8.3.3);
- (b) अन्यथा, चरम अंतर्वाह के 10 से 15 मिनट, या पंप निर्माता के न्यूनतम चक्र समय (cycle time) के लिए आवश्यक आयतन, $V = Q \cdot t$ से (CPHEEO 2019, Eq. 8.1); और
- (c) स्थिर-गति पंपों के लिए, प्रत्येक पंप के लिए आयतन $V = \Theta \cdot q / 4$, जहाँ Θ मोटर निर्माता द्वारा अनुशंसित न्यूनतम चक्र समय है और q पंप क्षमता है (FHWA HEC-24, 2001)।

9.9.4 **कार्यरत और स्टैंडबाय.**

- (a) जहाँ व्यवहार्य हो, कार्यरत पंप एक ही आकार के होंगे (CPHEEO 2019, §8.3.3)।
- (b) स्टैंडबाय क्षमता कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर होगी, और कार्यरत पंपों की संख्या के 50% से कम नहीं होगी।
- (c) कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ स्वचालित रूप से बारी-बारी से बदलेंगी।

9.9.5 **पंप का प्रकार.** पंप ठोस-वहन (solids-handling; नॉन-क्लॉग) प्रकार के होंगे, जो रेत और मलबे वाले वर्षा जल के लिए उपयुक्त हों। अक्षीय-प्रवाह (axial-flow) पंपों का उपयोग केवल खंड 9.8.6 का पालन करने वाली जाली के पीछे किया जाएगा, क्योंकि वे मलबे को नहीं संभाल सकते (CPHEEO 2019, §8.3.2)।

9.9.6 **संप और इनटेक का डिजाइन.** संप की ज्यामिति, पंपों के बीच की दूरी, न्यूनतम जलमग्नता और पहुँच प्रवाह की स्थितियाँ पंप निर्माता की अपेक्षाओं और ANSI/HI 9.8 (Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design) के अनुसार होंगी। जहाँ कोई पंप 1 m^3/s से अधिक हो, या जहाँ संप ANSI/HI 9.8 की मानक ज्यामिति का पालन नहीं करता, वहाँ भौतिक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन किया जाएगा। आसन्न पंपों या मोटरों के बीच न्यूनतम स्पष्ट स्थान छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए 0.6 m और बड़ी इकाइयों के लिए 1.0 m है (CPHEEO 2019, §8.2.5)।

9.9.7 **गाद और जालियाँ.** वेट वेल के प्रतिप्रवाह में गाद-जाल और छड़ जाली का प्रावधान किया जाएगा (खंड 9.8.6; अध्याय 6, खंड 6.13.3)।

9.9.8 **नियंत्रण और निगरानी.**

- (a) पंपों का नियंत्रण एक प्राथमिक स्तर सेंसर (अल्ट्रासोनिक, रडार या दाब) द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ एक स्वतंत्र फ्लोट-स्विच बैक-अप होगा।
- (b) उच्च-स्तर और पंप-खराबी के अलार्म टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को भेजे जाएँगे।
- (c) संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज की जाएगी और कम से कम 5 वर्ष तक रखी जाएगी।

9.9.9 **विद्युत आपूर्ति.**

- (a) स्टेशन में दो स्वतंत्र विद्युत स्रोत होंगे: ग्रिड आपूर्ति और एक स्टैंडबाय जनरेटर (या दूसरा स्वतंत्र ग्रिड फीडर), जो सभी कार्यरत पंपों को एक साथ चला सके (CPHEEO 2019, §2.4.2.3(j))।
- (b) सभी कार्यरत पंपों के कम से कम **72 घंटे** के निरंतर संचालन के लिए ईंधन स्थल पर, खंड 9.9.10 के बाढ़ स्तर से ऊपर, संग्रहीत किया जाएगा।
- (c) स्टैंडबाय विद्युत पर परिवर्तन (changeover) स्वचालित होगा।

9.9.10 **स्टेशन का बाढ़ से संरक्षण.** विद्युत और नियंत्रण कक्ष का फर्श, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर होंगे (अध्याय 6, खंड 6.11)। रखरखाव वाहनों के लिए स्टेशन तक पहुँच 1% AEP घटना में उपयोग योग्य बनी रहेगी।

9.9.11 **निस्सरण.** प्रत्येक पंप का अपना राइजिंग मेन होगा, या जहाँ मेन मिलते हैं वहाँ एक नॉन-रिटर्न वाल्व और एक पृथक्करण वाल्व (isolating valve) होगा। राइजिंग मेन खंड 9.10 के अंतर्गत फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व लगे डिलीवरी कक्ष (delivery chamber) या आउटफॉल में पानी छोड़ेंगे। निस्सरण पाइपिंग का आकार किसी मान्यताप्राप्त घर्षण सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा (CPHEEO 2019, §8.3.9)।

9.9.12 **आपातकालीन कनेक्शन.** प्रत्येक स्टेशन में एक पक्का खड़ा होने का स्थान (hard-standing area) और मोबाइल पंपों के लिए डिलीवरी कक्ष में पानी छोड़ने हेतु त्वरित-युग्मन कनेक्शन (quick-coupling connection) होगा।

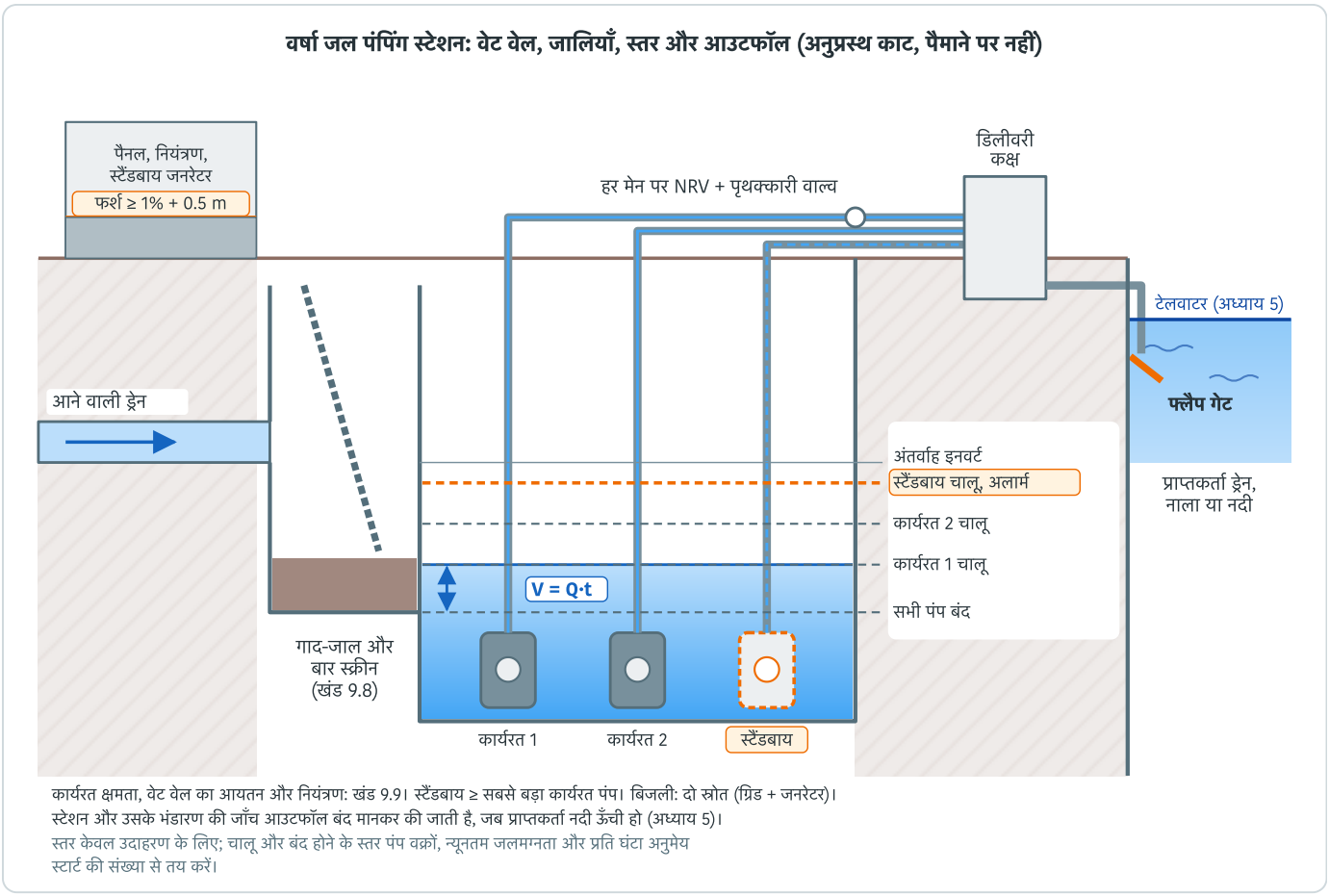

चित्र 9.3 — वर्षा जल पंपिंग स्टेशन: वेट वेल, जालियाँ, स्तर और आउटफॉल। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Chapter 8, और FHWA, Highway Stormwater Pump Station Design, HEC-24 (2001) से अनुकूलित।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) का अध्याय 8 वर्षा जल पंपिंग को समेटता है: वेट वेल का आकार निर्धारण (§8.3.3), पंपों के प्रकार (§8.3.2), कचरा जालियाँ (§8.3.1.3), स्थान की अपेक्षाएँ (§8.2.5) और "बिजली बंद होने के दौरान आपातकालीन संचालन के लिए स्टैंडबाय के रूप में" (as standby for emergency operation during failure of electricity) जनरेटर सेटों की आवश्यकता (§2.4.2.3)। यह "कार्यरत पंप इकाइयों के न्यूनतम 50%" (minimum 50% of the duty pump units) की स्टैंडबाय इकाइयों की अनुशंसा करता है। खंड 9.9.4(b) अधिक कठोर है: स्टैंडबाय कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर होगा, ताकि सबसे बड़ा पंप सेवा से बाहर होने पर भी स्टेशन अपनी डिजाइन क्षमता पूरी करे। यह अधिक कठोर नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। FHWA HEC-24 (*Highway Stormwater Pump Station Design*, FHWA-NHI-01-007, 2001) FHWA का पंपिंग स्टेशन मैनुअल है। 72 h का ईंधन भंडारण इस मैनुअल द्वारा अध्याय 2 की 72 h की डिजाइन वर्षा घटना के अनुरूप निर्धारित किया गया है। मॉडल अध्ययन का प्रारंभिक मान, टेलीमेट्री और आँकड़े रखने की अपेक्षाएँ, और आपातकालीन कनेक्शन — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

9.10 ज्वार-रोधी गेट, फ्लैप गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व

9.10.1 **कहाँ आवश्यक है.** जिस भी आउटफॉल का इनवर्ट प्राप्तकर्ता जलाशय के 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे है, उस पर फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व का प्रावधान किया जाएगा (अध्याय 5)।

9.10.2 **प्रकार.** स्वीकार्य युक्तियाँ हैं:

- (a) कब्जेदार फ्लैप गेट (ढलवाँ लोहा, तन्य लोहा (ductile iron), स्टेनलेस स्टील, HDPE या कंपोजिट);
- (b) इलास्टोमेरिक इन-लाइन या पाइप-सिरे वाले चेक वाल्व (डकबिल प्रकार); और
- (c) द्वितीयक बंद-व्यवस्था के रूप में, हाथ से या मोटर से चलने वाले पेनस्टॉक या स्लूइस गेट।

9.10.3 **द्वितीयक बंद-व्यवस्था.** 900 mm या उससे बड़े आउटफॉलों पर, और पंप या भंडारण प्रणाली की सेवा करने वाले प्रत्येक आउटफॉल पर, फ्लैप गेट के प्रतिप्रवाह में पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग खाँचा होगा, ताकि गेट का रखरखाव किया जा सके, और गेट के खुला अटक जाने की स्थिति में बैक-अप के रूप में भी।

9.10.4 **हाइड्रोलिक्स.** खुली स्थिति में युक्ति से होकर हेड हानि निर्माता के परीक्षित आँकड़ों से ली जाएगी और HGL में सम्मिलित की जाएगी (अध्याय 6, खंड 6.8.7)। फ्लैप गेट छोटे हेड अंतर पर खुलेंगे (CPHEEO 2019, §6.3.10.1)।

9.10.5 **रेत और मलबा.** समुद्र-तट, ज्वारनदमुख और क्रीक (creek) के उन आउटफॉलों पर जहाँ रेत या मलबा गेट को खुला या बंद रख सकता है:

- (a) गेट को सतह से प्रवेश वाले कक्ष में रखा जाएगा, या इलास्टोमेरिक चेक वाल्वों का उपयोग किया जाएगा; और
- (b) मानसून ऋतु के दौरान प्रत्येक उच्च ज्वार या महोर्मि घटना के बाद गेट का निरीक्षण किया जाएगा (अध्याय 10)।

9.10.6 **सामग्री.** कब्जे, पिन, कड़ियाँ और फिक्सिंग संक्षारण-रोधी सामग्री की होंगी (CPHEEO 2019, §6.3.10.1)। तटीय और ज्वारीय स्थानों में इसका अर्थ ग्रेड 316 का स्टेनलेस स्टील, कांस्य या कोई अधात्विक सामग्री है (खंड 9.13)।

9.10.7 **गेटों के पीछे भंडारण.** जहाँ वर्षा घटना के दौरान गेट बंद होते हैं, वहाँ उनके पीछे का भंडारण या पंपिंग अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच का पालन करेगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019, §6.3.10.1) ज्वारीय जल में गिरने वाले आउटफॉलों पर फ्लैप गेट और बाढ़ गेटों का वर्णन करता है। यह उल्लेख करता है कि "यदि गेट बंद रहने के दौरान पंपिंग से बचना हो तो पर्याप्त भंडारण आवश्यक हो सकता है" (adequate storage may be necessary if pumping is to be avoided during the closure of the gate) और कब्जे के पिन और कड़ियाँ "संक्षारण-रोधी सामग्री की होनी चाहिए" (should be of corrosion-resistant materials)। छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य में कोई आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध नहीं होता, और खंड 9.6.7, 9.9.2(b), 9.10.5 और 9.13.6 के समुद्र-तट, ज्वारनदमुख, ज्वारीय और तटीय प्रावधान, तथा तालिका 9.5 की तटीय और ज्वारीय पंक्तियाँ, लागू नहीं होतीं; खंड 9.9.2(c) में उच्चतम टेलवाटर अध्याय 5 का नदी, जलाशय या बैराज के जलाशय का उच्चतम जल स्तर है। खंड 9.13.3 के आक्रामक भूमि संबंधी परीक्षण (aggressive-ground tests) कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों की संरचनाओं पर फिर भी किए जाने चाहिए, जहाँ खदान का पानी, ओवरबर्डन डंपों से आने वाला अपवाह और ऐश पॉन्डों का पानी सल्फेट ले जा सकता है या अम्लीय हो सकता है, और रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी चूना पत्थर पर भी, जिसकी गुहाओं में जिप्सम है (CGWB) (इस मैनुअल का पाठ; छत्तीसगढ़ में खदान के पानी या ऐश पॉन्ड के पानी के रसायन का कोई सर्वेक्षण नहीं मिला)। 1% स्थिर जल स्तर से नीचे गेट फिर भी आवश्यक हैं, क्योंकि राज्य के शहरों के आउटफॉल ऐसी नदियों में समाप्त होते हैं जिन्हें डैमों और बैराजों से छोड़ा गया पानी ऊँचा बनाए रखता है, बैराज के जलाशयों में और तालाबों (talab) में। महानदी पर गंगरेल (रविशंकर सागर), जिसका स्पिलवे 17,230 m^3/s के लिए डिजाइन किया गया था (CWC, बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 2009), ने अक्तूबर 2025 में अपने 14 में से आठ गेटों से लगभग 55,000 क्यूसेक (लगभग 1,560 m^3/s) पानी छोड़ा, जब नदी किनारे के 72 गाँवों को सतर्क किया गया, और सितंबर 2026 में अपने सभी 14 गेट खोले (प्रकाशित खबरों के अनुसार); हसदेव पर मिनीमाता बांगो (स्पिलवे 24,000 m^3/s) ने अगस्त 2024 में छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक (लगभग 850 m^3/s) पानी छोड़ा, जबकि कोरबा के ऊपर दर्री पर हसदेव बैराज (स्पिलवे 19,820 m^3/s) से लगभग 20,000 क्यूसेक पानी निकला और कोरबा में घर जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और फिर हसदेव ने कटघोरा (313.58 m, 20 जुलाई 2026) और बांगोडैम (Bangodam) (303.5 m, 17 अगस्त 2026) पर नए उच्चतम बाढ़ स्तर बनाए (CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। दुर्ग और भिलाई के प्रतिप्रवाह में शिवनाथ को मोंगरा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 337.150 m) रोकता है, बिलासपुर में अरपा को अरपा भैंसाझार बैराज (302.000 m) और रायगढ़ में केलो को केलो डैम (233.000 m) (WRD की 10 अक्तूबर 2024 की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट), और बिलासपुर जिले में खारंग (खूंटाघाट) का स्पिलवे 994 m^3/s का है

(CWC, 2009)। इन डैमों और बैराजों के स्पिलवे और गेट WRD के कार्य हैं, जो बाँध सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं, इस अध्याय के अनुसार नहीं, परंतु उनके प्रचालन स्तर और उनसे छोड़ा गया पानी इस अध्याय की सीमा-स्थितियाँ (boundary conditions) हैं, और उनमें से किसी के लिए कोई निकास नियम, स्पिलवे रेटिंग या गेट प्रचालन का अभिलेख नहीं मिला। उनके नीचे गिरने वाली शहर की ड्रेन तब तक बंद रहती है जब तक छोड़ा गया पानी नदी को आउटफॉल से ऊपर रखता है, इसलिए उसे एक फ्लैप गेट, एक पेनस्टॉक, और खंड 9.9 और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के अंतर्गत आकार दिए गए भंडारण या पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है; छत्तीसगढ़ में किसी शहरी ड्रेन पर कोई पंपिंग स्टेशन प्रलेखित नहीं मिला। रायपुर में ड्रेनें अपने नालों (nala) से होकर खारुन तक पहुँचती हैं, अनेक शहर के तालाबों के रास्ते; पथरीडीह पर खारुन 29 अगस्त 2020 को 281.68 m के उच्चतम बाढ़ स्तर तक उठी, जो 1994 के उसके निशान से 2.47 m ऊपर था, और सितंबर 2024 और सितंबर 2026 में महादेव घाट पर सड़क के ऊपर से बही (प्रकाशित खबरों के अनुसार), परंतु उसके लिए कोई चेतावनी या खतरे का स्तर नहीं मिला है। रायपुर के चंदनीडीह, कारा और निमोरा के नए सीवेज शोधन संयंत्र नालों का प्रवाह डायवर्जन वियरों से लेते हैं (CECB, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को रिपोर्ट, जनवरी 2021), और गोवर्धन नाला महादेव घाट के एनीकट (anicut) पर खारुन में मिलता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); ऐसा प्रत्येक वियर या एनीकट अनुप्रस्थ काट का एक भाग घेरता है और प्रतिप्रवाह में एक स्तर नियत करता है, इसलिए उसका शिखर खंड 9.2.1 में एक नियत नियंत्रण है, और नाले की वर्षा-प्रवाह क्षमता पर उसके प्रभाव की जाँच खंड 8.9.5 और अध्याय 6 की HGL के अंतर्गत की जाती है। नवा रायपुर में ड्रेनें और पार्क झीलों और जलाशयों के एक नेटवर्क तक जाते हैं, जिनकी संख्या 55 बताई गई है, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh) और खंडवा (Khandawa) हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और विकास योजना सड़कों को प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5–1.0 m ऊपर रखती है (NRDA, 2008); प्रत्येक झील का आउटलेट इसी प्रकार एक नियत नियंत्रण है। जगदलपुर में ड्रेनें इंद्रावती में गिरती हैं, जो 26 सितंबर 2026 को CWC स्थल पर 544.891 m के नए उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुँची, जो उसके 540.80 m के खतरे के स्तर से लगभग 4.1 m ऊपर है (CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार); उसी दिन खतरे से 4.26 m ऊपर का समाचार माध्यमों का आँकड़ा किसी अन्य शून्य वाले स्थानीय गेज पर पढ़ा गया था, इसलिए दोनों शृंखलाओं को कभी मिलाया नहीं जाता, और प्रतिप्रवाह में ओडिशा की ऊपरी इंद्रावती परियोजना (Upper Indravati project) के निकास नियम नहीं मिले। पूर्व में ओडिशा का हीराकुंड जलाशय राज्य में बैकवाटर फैलाता है, जो अपने पूर्ण स्तर पर छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों को आंशिक रूप से डुबोता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और अगस्त 2020 में कलमा (Kalma) और सूरजगढ़ पर महानदी ने और कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड ने 202.43 m, 201.06 m और 220.4 m के नए उच्चतम बाढ़ स्तर बनाए (CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों के निचले आउटफॉलों की जाँच नदी के साथ-साथ जलाशय के स्तर के विरुद्ध भी की जाती है। मैदान पर ढलान हल्के हैं, पूरे नवा रायपुर में 0–5% (NRDA, 2008), और अधिकांश चैनलों में वेग के बजाय पश्चजल और गाद का जमाव निर्णायक होते हैं; बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों में नाले ग्रेनाइट-नीस और लैटेराइट पर तीव्र ढलान से गिरते हैं, इसलिए जहाँ भी ढलान खंड 9.5.4 की सीमाओं से अधिक है वहाँ ड्रॉप संरचनाएँ (खंड 9.6.6), सीढ़ीदार या अवरोधक-युक्त ढलवाँ चैनल (stepped or baffled chutes) और स्टिलिंग बेसिन (खंड 9.6.5) आवश्यक हैं, और बैलाडीला पर्वतश्रेणी और सरगुजा और जशपुर की पहाड़ी ढलानों के नीचे के क्रॉसिंगों की खंड 9.4.8 के अंतर्गत गोलाश्मों और मलबे के लिए जाँच की जानी चाहिए (इस मैनुअल का पाठ)। जालियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने गेट, क्योंकि नाले गाद, ठोस अपशिष्ट और सीवेज ले जाते हैं: जनवरी 2021 में बिलासपुर राज्य का एकमात्र शहर था जिसमें सीवरेज प्रणाली थी (CECB); रायपुर की जल निकासी योजना ड्रेनों के अवरुद्ध होने को, उनकी संख्या और आकार के साथ, शहर के जलभराव का मुख्य कारण बताती है (RMC, 2015); जुलाई 2026 की बाढ़ के बाद रायपुर के निवासियों ने अपर्याप्त गाद निकासी और अतिक्रमण से लगभग 7–8 ft से 4–5 ft तक संकरी हुई ड्रेनों को दोषी ठहराया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और 2025 में भिलाई टाउनशिप की ड्रेनों से आई जलकुंभी ने जुनवानी (Junwani) और कोसानाला (Kosanala) नालों की पुलियाओं को अवरुद्ध कर दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए छत्तीसगढ़ के किसी नाले पर लगी कचरा-रोधी जाली की जाँच खंड 9.8.4 की अवरुद्ध स्थिति में की जाती है। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों में खदान स्थल और ओवरबर्डन डंप तलछट के सबसे बड़े स्रोत हैं, और कोयला खदानों की पर्यावरण स्वीकृतियाँ गारलैंड ड्रेनों का आकार "चरम आकस्मिक वर्षा के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन" ("at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall") के साथ निर्धारित करती हैं और ऐसे संपों की अपेक्षा करती हैं जो गाद का अवसादन करें (MoEFCC, गारे पाल्मा सेक्टर II, रायगढ़ जिला, 2024 की स्वीकृति), जो पुनरावृत्ति अवधि नहीं है। जहाँ इस मैनुअल की कोई ड्रेन किसी ओवरबर्डन डंप या खदान स्थल से अपवाह प्राप्त करती है, वहाँ पट्टाधारी की गारलैंड ड्रेन, स्थिर टो ड्रेन और तलछट बेसिन सार्वजनिक आउटफॉल से प्रतिप्रवाह की ओर होंगे, और बेसिन कम से कम खंड 8.12.3(c) का आयतन धारण करेगा, उसका आउटलेट खंड 9.7 के अंतर्गत और उसकी जाली खंड 9.8 के अंतर्गत होगी और उसका स्पिलवे 1% AEP अंतर्वाह को निकालेगा (खंड 9.7.6) (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित); कोई भी सार्वजनिक ड्रेन किसी चालू खदान में पानी नहीं छोड़ेगी, जिसके मुहानों को कोयला खान विनियम, 2017 उच्चतम

बाढ़ स्तर से कम से कम 1.5 m ऊपर रखने की अपेक्षा करते हैं (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार); और कोई खदान का गड्ढा या खदान झील किसी सार्वजनिक ड्रेन का पानी केवल पट्टाधारी और DGMS की सम्मति से और अपने स्तर, अतिप्रवाह और हाईवॉल की स्थिरता के सर्वेक्षण के साथ प्राप्त करता या करती है, कभी भी खाली माने गए भंडारण के रूप में नहीं। कोरबा में खदानों का निर्जलीकरण छह खदानों से प्रतिदिन लगभग 7,500–13,700 m^3 पानी निकालता है, जिसका अवनमन (drawdown) गड्ढों से लगभग 1.2 km तक पहुँचता है, और हसदेव एक भ्रंश (fault) के माध्यम से खदान के पानी से जुड़ी पाई गई है (2018 और 2023 के शोध-पत्र, प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए गड्ढों के पास भूमि के स्तरों और ढालों का सर्वेक्षण डिजाइन के समय किया जाता है। राखड़ बाँध एक ऐसा खतरा हैं जिसे यह मैनुअल चिह्नित करता है पर जिसका डिजाइन नहीं करता। कोरबा के बिजली घरों के ऐश पॉन्ड टूट चुके हैं: जुलाई 2024 में NTPC का लगभग 420 ha का धनरास राखड़ बाँध, जिससे लगभग 16 ha धान को क्षति पहुँची, और 19 अप्रैल 2026 को झाबू (Jhabu) और नवागांव (Nawagaon) के पास CSPGCL के हसदेव ताप विद्युत गृह का राखड़ बाँध, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जबकि BALCO के राखड़ बाँध संख्या 6 की स्लरी बेलगिरी नाले (Belgari nala) और हसदेव तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार; CECB से सत्यापित किया जाना है)। राखड़ बाँध, उसकी डिकैंट संरचना (decant) और उसकी टो ड्रेनों का डिजाइन और रखरखाव उसका स्वामी ऐसे कार्यों के मानकों के अनुसार करता है, इस अध्याय के अनुसार नहीं; कोई सार्वजनिक ड्रेन किसी ऐश पॉन्ड में पानी नहीं छोड़ेगी या उसके भंडारण पर निर्भर नहीं करेगी; और किसी राखड़ बाँध के अनुप्रवाह में स्थित ड्रेन, पुलिया या आउटफॉल की जाँच स्वामी द्वारा मानचित्रित राखड़ बाँध टूटने के प्रवाह-मार्ग के विरुद्ध की जाती है, उसके स्थल-चयन और अध्याय 11 के BSMP के लिए एक खतरे के रूप में, डिजाइन अंतर्वाह के रूप में नहीं (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर की ड्रेनों पर स्थित स्लूइस, फ्लैप गेट, अवरोधन वियरों, एनीकटों, चेक डैमों, झीलों के आउटलेटों और पंपिंग स्टेशनों की, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों सहित, कोई सूची, गंगरेल, मिनीमाता बांगो, हसदेव बैराज, खारंग या मोंगरा, अरपा भैंसाझार और केलो के कार्यों के गेटों का कोई प्रचालन नियम, और किसी भी आउटफॉल पर नदी, जलाशय या खदान के गड्ढे का कोई डिजाइन स्तर सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं मिला। खंड 9.10.3 और 9.10.5 इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित किए गए हैं कि जो फ्लैप गेट, स्लूइस या पेनस्टॉक विफल हो जाए, या गाद, ठोस अपशिष्ट या मलबे से खुला अटक जाए, वह बाढ़ में चल रही नदी, जलाशय या तालाब को वापस ड्रेन नेटवर्क में आने देता है, और जो बंद अटक जाए वह उसे अवरुद्ध कर देता है। छत्तीसगढ़ के नाले गाद, ठोस अपशिष्ट और सीवेज अपने आउटफॉलों तक ले जाते हैं: जनवरी 2021 में बिलासपुर एकमात्र शहर था जिसमें सीवरेज प्रणाली थी (CECB, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को रिपोर्ट), रायपुर का सीवेज उसके नालों से होकर खारुन तक पहुँचता है, जिनका अवरोधन नए शोधन संयंत्र डायवर्जन वियरों से करते हैं, दुर्ग का सीवेज शंकर और पुलगांव नालों से होकर शिवनाथ तक पहुँचता है (राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 16 जनवरी 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार), रायपुर की जल निकासी योजना ड्रेनों के अवरुद्ध होने को, उनकी संख्या और आकार के साथ, शहर के जलभराव का मुख्य कारण बताती है (RMC, 2015), और 2025 में भिलाई टाउनशिप की ड्रेनों से आई जलकुंभी ने जुनवानी और कोसानाला नालों की पुलियाओं को अवरुद्ध कर दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए गेट, उसकी जाली और उसके पास का अवरोधन वियर एक ही मलबे के संपर्क में रहते हैं और उन्हें एक साथ साफ रखा जाना होगा; और ये खंड इसलिए भी निर्धारित हैं कि सितंबर 2026 में जगदलपुर पर इंद्रावती अपने खतरे के स्तर से लगभग 4.1 m ऊपर उठी (CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और गंगरेल से, मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज से और शिवनाथ और अरपा के बैराजों से छोड़ा गया पानी नदियों को कई दिनों तक ऊँचा बनाए रख सकता है, जिससे रिसने वाला या अटका हुआ गेट पूरी बाढ़ के दौरान उसके संपर्क में रह सकता है।

9.11 इनलेट और जालियाँ

9.11.1 **हाइड्रोलिक्स.** इनलेट की क्षमता, उनके बीच की दूरी और अवरोध अध्याय 6 के खंड 6.6 के अनुसार होंगे।

9.11.2 **भार वर्ग.** जालियाँ, ढक्कन और फ्रेम अपने स्थान के यातायात के लिए निर्धारित होंगे। भार वर्ग IS 1726 (ढलवाँ लोहे के मैनहोल ढक्कन और फ्रेम) या EN 124 (गली टॉप और मैनहोल टॉप) के होंगे, कम से कम:

- (a) कैरिजवे और मध्य पट्टियाँ (medians): EN 124 वर्ग D400 या समतुल्य भारी-शुल्क IS वर्ग;
- (b) कर्ब से 0.5 m के भीतर कर्ब-किनारे के चैनल इनलेट: वर्ग C250 या समतुल्य; और
- (c) फुटपाथ और साइकिल ट्रैक: वर्ग B125 या समतुल्य।

9.11.3 **जाली का पैटर्न.**

- (a) कैरिजवे, साइकिल ट्रैक और फुटपाथों में जालियों में यात्रा की दिशा के समानांतर 25 mm से अधिक चौड़े छिद्र नहीं होंगे।
- (b) परीक्षित क्षमता आँकड़ों के बिना जाली प्रकारों का मूल्यांकन FHWA HEC-22 (2024) की वियर और ऑरिफिस विधियों द्वारा, अध्याय 6 के अवरोध गुणकों के साथ किया जाएगा।

9.11.4 **कर्ब छिद्र.** कर्ब-छिद्र इनलेटों (kerb-opening inlets) में स्पष्ट छिद्र की ऊँचाई कम से कम 100 mm और लंबाई कम से कम 1.0 m होगी। जहाँ कोई कर्ब इनलेट किसी ढकी ड्रेन की दीवार से होकर पानी छोड़ता है (अध्याय 6, खंड 6.13.1), वहाँ छिद्र सड़क के स्तर पर होगा।

9.11.5 **सुरक्षा.** सार्वजनिक भूमि पर जालियाँ और ढक्कन अपने फ्रेम से कब्जेदार या तालाबंद होंगे, ताकि उन्हें किसी औजार के बिना हटाया न जा सके।

9.11.6 **इनलेट कक्ष.** इनलेट कक्षों में अध्याय 6 के खंड 6.6.7 का गाद संप होगा, और उनका आकार ऐसा होगा कि संप को सक्शन या ग्रैब मशीन से खाली किया जा सके।

> **भाष्य.** NDMA (2010, §4.13) जल निकासी इनलेटों के लिए ढलवाँ लोहे की जालियों हेतु IS 5961 का उल्लेख करता है। भार वर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त EN 124 वर्गों पर आधारित हैं। समानांतर छिद्रों पर 25 mm की सीमा साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित है। APWA 5600 (2006, 5604.2) कर्ब छिद्रों के लिए कम से कम 4 फुट (लगभग 1.2 m) लंबाई और 6 इंच (लगभग 150 mm) स्पष्ट ऊँचाई की अपेक्षा करता है। खंड 9.11.4 छत्तीसगढ़ के नगरों में आम संकरी सड़कों और नीचे कर्बों के अनुरूप छोटे न्यूनतम मान निर्धारित करता है।

9.12 मैनहोल, संगम कक्ष और प्रवेश व्यवस्था

9.12.1 **स्थान और दूरी.** मैनहोल अध्याय 6 के खंड 6.7.11 और तालिका 6.8 के स्थानों और दूरियों पर बनाए जाएँगे। जहाँ पाइप मानक मैनहोल के लिए बहुत बड़े हों, वहाँ सतह तक राइजर वाले संगम कक्ष का उपयोग किया जाएगा (CPHEEO 2019, §11.3.7.3)।

9.12.2 **न्यूनतम आंतरिक आकार.** मैनहोलों के आंतरिक आयाम कम से कम तालिका 9.4 के अनुसार होंगे (CPHEEO 2019, §11.3.7.6):

तालिका 9.4 — मैनहोलों का न्यूनतम आंतरिक आकार

आकृति और गहराई	न्यूनतम आंतरिक आकार
आयताकार, गहराई 0.9 m से कम	900 mm × 800 mm
आयताकार, गहराई 0.9–2.5 m	1,200 mm × 900 mm
वृत्ताकार, गहराई 0.9 m से अधिक और 1.65 m तक	900 mm व्यास
वृत्ताकार, गहराई 1.65 m से अधिक और 2.30 m तक	1,200 mm व्यास
वृत्ताकार, गहराई 2.30 m से अधिक और 6.0 m तक	1,500 mm व्यास
वृत्ताकार, गहराई 6.0 m से अधिक और 9.0 m तक	1,800 mm व्यास

मैनहोल इतना बड़ा भी होगा कि उसमें जुड़ा सबसे बड़ा पाइप और उसके प्रत्येक ओर की बेंचिंग समा सके।

9.12.3 **प्रवेश द्वार.** सार्वजनिक ड्रेनों पर मैनहोलों और निरीक्षण कक्षों का स्पष्ट प्रवेश द्वार कम से कम 600 mm होगा, ताकि सफाई उपकरण नीचे उतारे जा सकें।

9.12.4 **ड्रॉप.** जहाँ आने वाले और जाने वाले इनवर्ट का अंतर 0.6 m से अधिक हो, वहाँ ड्रॉप कनेक्शन का प्रावधान किया जाएगा। 0.6 m से कम होने पर, अंतर को आने वाले पाइप के ढलान या बेंचिंग को समायोजित करके पूरा किया जाएगा (CPHEEO 2019, §11.3.7.5)। जहाँ पाइप का आकार बदलता है, वहाँ मैनहोल के आर-पार इनवर्ट ड्रॉप व्यासों के अंतर का कम से कम निम्नलिखित भाग होगा (CPHEEO 2019, तालिका 11.6):

- 400 mm से कम की वाहिकाएँ: आधा;
- 400 mm से 900 mm: दो-तिहाई;
- 900 mm से अधिक: चार-पाँचवाँ।

9.12.5 **बेंचिंग.** मैनहोल के फर्श की बेंचिंग कम से कम बाहर जाने वाले पाइप के शीर्ष (crown) तक की जाएगी, और प्रत्येक आने वाले पाइप से प्रवाह को दिशा देने के लिए चैनल बनाए जाएँगे।

9.12.6 **सरचार्ज.** उन मेन पर मैनहोल, जहाँ 1% AEP का HGL ढक्कन से ऊपर उठ सकता है (अध्याय 6, खंड 6.8.4), बोल्ट से कसे, तालाबंद या कब्जेदार ढक्कनों वाले होंगे, जिनका डिजाइन उस दाब के लिए किया गया हो।

9.12.7 **यांत्रिक सफाई.** मैनहोल, कक्ष और ढकी ड्रेनें सतह से मशीन (सक्शन, जेटिंग, ग्रैब या रोबोटिक उपकरण) द्वारा सफाई के लिए डिजाइन की जाएँगी। जहाँ स्थिर सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, वे संक्षारण-रोधी, आवरणयुक्त (encapsulated) सामग्री की होंगी।

> **भाष्य.** आकार और ड्रॉप की अपेक्षाएँ CPHEEO (2019) के अध्याय 11 से हैं। 600 mm का प्रवेश द्वार, बेंचिंग का नियम और बोल्ट से कसे ढक्कन इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। यांत्रिक सफाई के लिए डिजाइन करना *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013) के अंतर्गत खतरनाक हाथ से सफाई पर प्रतिबंध का समर्थन करता है।

9.13 सामग्री और स्थायित्व

9.13.1 **अनावरण वर्ग.** कंक्रीट संरचनाओं का डिजाइन IS 456: 2000, तालिका 3 के अनावरण वर्ग (exposure class) के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तालिका 9.5 के न्यूनतम वर्ग लागू होते हैं, जब तक कि कोई स्थल अन्वेषण अधिक गंभीर स्थिति न दर्शाए:

तालिका 9.5 — छत्तीसगढ़ के स्थानों के लिए न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग

स्थान	न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग
अंतर्देशीय ड्रेनें और संरचनाएँ	मध्यम (Moderate)
तटीय वातावरण में ड्रेनें और संरचनाएँ, और कोई भी ड्रेन जो सीवेज-मिश्रित प्रवाह ले जाती है या ले जा सकती है	गंभीर (Severe)
समुद्री जल की फुहार के संपर्क में, या लवणीय या आक्रामक भूजल के संपर्क में संरचनाएँ	अति गंभीर (Very severe)
ज्वारीय क्षेत्र में संरचनाएँ	चरम (Extreme)

9.13.2 **कंक्रीट.** न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड, अधिकतम जल–सीमेंट अनुपात, न्यूनतम सीमेंट मात्रा और प्रबलन पर नाममात्र आवरण (nominal cover) अनावरण वर्ग के लिए IS 456 के अनुसार होंगे। पाठक की सुविधा के लिए: IS 456 प्रबलित कंक्रीट के न्यूनतम ग्रेड M25 (मध्यम), M30 (गंभीर), M35 (अति गंभीर) और M40 (चरम), और नाममात्र आवरण क्रमशः 30, 45, 50 और 75 mm निर्धारित करता है।

9.13.3 **आक्रामक भूमि.** तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में प्रत्येक संरचना पर भूजल और मिट्टी का क्लोराइड और सल्फेट के लिए परीक्षण किया जाएगा। सीमेंट का प्रकार और कंक्रीट मिश्रण IS 456 के अंतर्गत परिणामों के अनुरूप चुना जाएगा।

9.13.4 **सीवेज-मिश्रित प्रवाह.** जो पाइप और ढकी ड्रेनें सीवेज-मिश्रित प्रवाह ले जाती हैं या ले जा सकती हैं, उन्हें सल्फाइड (शीर्ष) संक्षारण (sulphide crown corrosion) से, त्याज्य कंक्रीट मोटाई (sacrificial concrete thickness), संक्षारण-रोधी अस्तर या गैर-कंक्रीट पाइप सामग्री द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

9.13.5 **पाइप.** कंक्रीट पाइप IS 458 का पालन करेंगे, और उनका वर्ग संरचनात्मक डिजाइन द्वारा चुना जाएगा। अन्य पाइप सामग्री (उदाहरण के लिए तन्य लोहा, HDPE या संरचित-दीवार प्लास्टिक पाइप) लागू भारतीय मानक का पालन करेंगी और अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगी।

9.13.6 **धातु कार्य.** तट से 5 km के भीतर, और सभी ज्वारीय और लवणीय स्थानों में:

- (a) फिक्सिंग, कब्जे, सीढ़ियाँ, रेलिंग और जाली के फ्रेम ग्रेड 316 के स्टेनलेस स्टील, या सुरक्षात्मक लेप सहित हॉट-डिप जस्तीकृत (hot-dip galvanised) स्टील, या किसी अधात्विक सामग्री के होंगे; और
- (b) असमान धातुओं को एक-दूसरे से पृथक रखा जाएगा।

9.13.7 **चिनाई.** टियर A निकायों में नई सार्वजनिक ड्रेनें प्रबलित या सादे कंक्रीट में होंगी। टियर B निकायों में ड्रेनों के लिए ईंट या पत्थर की चिनाई का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब गीले फलक पर उसका पलस्तर किया गया हो और वह तालिका 6.6 के n मान का पालन करे।

> **भाष्य.** IS 456 के अनावरण वर्ग और ग्रेड तथा आवरण के मान सुविधा के लिए IS 456: 2000 (तालिकाएँ 3, 5 और 16) से उद्धृत हैं। मानक ही प्रभावी है, और डिजाइनकर्ता उसके वर्तमान संशोधन का उपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानों को अनावरण वर्ग देना, सल्फाइड-संक्षारण की अपेक्षा और टियर A निकायों में नई चिनाई ड्रेनों पर प्रतिबंध — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। जिन ड्रेनों में सीवेज के अवैध जुड़ाव होते हैं (एक आम स्थिति, अध्याय 8), वे हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करती हैं, जो जल रेखा से ऊपर असंरक्षित कंक्रीट पर आक्रमण करती है।

9.14 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

प्रत्येक संरचना का डिजाइन एक **हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट** (प्रपत्र 9-1) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यथा लागू निम्नलिखित होंगे:

1. पुलिया की गणनाएँ (HDS-5 या HY-8 आउटपुट), HWi, HWo, आउटलेट वेग, टेलवाटर, ऊपर से बहने और अवरोध जाँच सहित;
2. चैनल की जल-सतह प्रोफाइल, वेग, फ्रूड संख्याएँ और फ्रीबोर्ड;
3. आउटलेट संरक्षण और क्षयकारी का डिजाइन, रिपरैप के आकार निर्धारण सहित;
4. अस्थायी भंडारण आउटलेट की जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आपातकालीन स्पिलवे की जाँच;
5. 50% अवरुद्ध जाँच सहित जाली और कचरा-रोधी जाली का डिजाइन;
6. पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, भंडारण, पंप वक्र और प्रणाली वक्र, वेट वेल का आयतन, नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच;
7. हेड-हानि आँकड़ों सहित गेट और वाल्व का चयन;
8. इनलेट, जाली और ढक्कन के भार वर्ग; और
9. अनावरण वर्ग और सामग्री का विवरण (खंड 9.13)।

संदर्भ (अध्याय)

- Federal Highway Administration (2012). *Hydraulic Design of Highway Culverts*, Hydraulic Design Series No. 5, 3rd edition, FHWA-HIF-12-026.
- Federal Highway Administration (2006). *Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels*, Hydraulic Engineering Circular No. 14, 3rd edition, FHWA-NHI-06-086.
- Federal Highway Administration (2005). *Design of Roadside Channels with Flexible Linings*, Hydraulic Engineering Circular No. 15, 3rd edition, FHWA-IF-05-114.
- Federal Highway Administration (2024). *Urban Drainage Design Manual*, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th edition, FHWA-HIF-24-006.
- Federal Highway Administration (2001). *Highway Stormwater Pump Station Design*, Hydraulic Engineering Circular No. 24, FHWA-NHI-01-007.
- FHWA Hydraulics Engineering publications listing. https://www.fhwa.dot.gov/Engineering/hydraulics/library_listing.cfm
- MoHUA / CPHEEO (2019). *Manual on Storm Water Drainage Systems*, Volume I, Part A: Engineering Design. §2.4.2.3, §5.3, Tables 5.5, 5.11, 5.12, §6.3.10.1, Chapter 8, Chapter 11. https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). *Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities* (5604.2, 5608.4); और Version 2025.01 (Dec 2025)।
- Bureau of Indian Standards. IS 456: 2000, *Plain and Reinforced Concrete — Code of Practice* (Tables 3, 5 और 16)।
- Bureau of Indian Standards. IS 458, *Precast Concrete Pipes (with and without Reinforcement) — Specification* (वर्तमान संशोधन)।
- Bureau of Indian Standards. IS 1726, *Cast Iron Manhole Covers and Frames*; IS 5961, *Cast Iron Gratings for Drainage Purposes*; IS 12592, *Precast Concrete Manhole Covers and Frames* (वर्तमान संशोधन)।
- European Committee for Standardization. EN 124, *Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas*.
- Hydraulic Institute. ANSI/HI 9.8, *Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design* (वर्तमान संस्करण)।
- Indian Roads Congress. IRC:SP:13, *Guidelines for the Design of Small Bridges and Culverts* (वर्तमान संशोधन)।
- Chow, V.T. (1959). *Open-Channel Hydraulics*. McGraw-Hill. (Fortier और Scobey 1926 के अनुमेय वेग; Rand 1955 के ड्रॉप संबंध।)
- Fortier, S. and Scobey, F.C. (1926). Permissible canal velocities. *Transactions of the ASCE* 89.
- Rand, W. (1955). Flow geometry at straight drop spillways. *Proceedings of the ASCE* 81.
- Brater, E.F. and King, H.W. *Handbook of Hydraulics*. McGraw-Hill.
- Tennessee Department of Environment and Conservation (2026). *Erosion Prevention and Sediment Control Handbook*, §4.3.6 Riprap Apron (HEC-14 का एप्रन समीकरण और तालिका दी गई है)। https://www.tn.gov/content/dam/tn/environment/water/stormwater/epsc-handbook/dwr-npdes-sop-g-16-erosion-prevention-sediment-control-handbook-01092026-4.3.6%20-riprap-apron.pdf
- Purdue University Joint Transportation Research Program. Study of riprap apron design at culvert outlets. https://docs.lib.purdue.edu/jtrp/1704
- CIRIA (2019). *Culvert, screen and outfall manual*, C786. London: CIRIA.

- National Disaster Management Authority (2010). *National Guidelines: Management of Urban Flooding*, §4.13.
- Government of India. *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013)।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
9A	SI इकाइयों में HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक और पुलिया का हल किया गया उदाहरण
9B	मानक ड्रॉइंग: हेडवॉल, रिपरैप एप्रन, ड्रॉप संरचनाएँ, कचरा-रोधी जालियाँ, अस्थायी भंडारण राइजर
9C	पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची और मानक नियंत्रण पद्धति
प्रपत्र 9-1	हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 10

प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन

10.1 उद्देश्य और विस्तार

10.1.1 यह अध्याय बताता है कि इस मैनुअल का अनुपालन किस प्रकार दर्शाया, जाँचा, निर्मित, कार्यशील रखा और प्रवर्तित किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) प्रस्तुति (submittal) के चरण और उनकी विषय-वस्तु (खंड 10.3–10.4);
- (b) अनुपालन कैलकुलेटर (compliance calculator) (खंड 10.5);
- (c) पेशेवर प्रमाणन और समीक्षा (खंड 10.6–10.7);
- (d) निर्माण के दौरान निरीक्षण और यथा-निर्मित (as-built) प्रमाणन (खंड 10.8–10.9);
- (e) रखरखाव घोषणा-पत्र, O&M योजनाएँ, निरीक्षण और पहुँच (खंड 10.10–10.13);
- (f) सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण (खंड 10.14);
- (g) प्रवर्तन (खंड 10.15); और
- (h) निगरानी, घटना-पश्चात समीक्षा और आँकड़ों का प्रकाशन (खंड 10.16–10.17)।

10.1.2 यह अध्याय ऐसे प्रत्येक विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर खंड 1.5.2 के अंतर्गत अध्याय 4 और 5 लागू होते हैं। खंड 10.3.1 (चरण 0), 10.15 और 10.17 उस विकास पर भी लागू होते हैं जो केवल खंड 1.5.4 के अधीन है।

भाष्य. जिस मानदंड की अनुमोदन के समय जाँच न हो, जिसे अनुमोदन के अनुसार न बनाया जाए और जिसका बाद में रखरखाव न हो, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। छत्तीसगढ़ में विफलता मानदंडों के अभाव की है और उन ड्रेनों की है जो आवश्यकता के साथ नहीं बढ़ पाई हैं। UADD, T&CP, किसी नगर निगम या किसी विकास प्राधिकरण का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो किसी शहर की वर्षा जल ड्रेनों के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक बताता हो, सिवाय नवा रायपुर के लिए NRDA के 5-वर्ष के मानदंड के (अध्याय 11)। रायपुर की अपनी 2015 की योजना ने पाया कि "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है" ("Capacity of drain is not sufficient") और कि "बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" ("In rainy season most of the drains are overflowed"), कि ड्रेनें 100% के मानक (benchmark) के विरुद्ध शहर के 49% भाग को ही कवर करती थीं, और उसने 2020 तक पूर्ण कवरेज तक पहुँचने के लिए ₹1,191 करोड़ के जल निकासी कार्य प्रस्तावित किए, बिना कोई डिजाइन आधार बताए (RMC, 2015); कोई स्रोत यह नहीं दर्शाता कि वह लक्ष्य पूरा हुआ, और राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा (मार्च 2022 को समाप्त वर्ष) में ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं है। अनुमोदन का मार्ग इस अध्याय का स्वरूप निर्धारित करता है। छत्तीसगढ़ ने 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले नियमों को नहीं बदला: वह अब भी छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में ही संशोधन करता है, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं और जिनमें आवास एवं पर्यावरण विभाग ने संशोधन किए हैं, अन्य के साथ 17 फरवरी 2009 की अधिसूचना क्रमांक 318/1193/32/2006 (वर्षा जल संचयन), 6 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना क्रमांक F 7-27/2017/32 और 29 अप्रैल 2020 की अधिसूचना क्रमांक F 07-24/2019/32 द्वारा, जिनमें से कोई भी जल निकासी, साइट-स्तरीय या अस्थायी भंडारण संबंधी नियम नहीं जोड़ती; सितंबर और दिसंबर 2025 के प्रारूप और अक्तूबर 2026 का भूमि उपयोगों का पुनर्वर्गीकरण प्रकाशित खबरों में बताए गए हैं, पर पढ़े नहीं गए। छत्तीसगढ़ में यथा-प्रचलित भूमि विकास नियम के मूल और समेकित पाठ नहीं मिले। नियम 50 अब भी विकास के लिए अनुपयुक्त भूमि का नियम है: T&CP का रिपोर्ट-प्रपत्र पूछता है कि भूमि नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्त है या नहीं, वह जलभराव से ग्रस्त है

या नहीं और वह नहर, नाले या नदी से कितनी दूरी पर है, और उसकी चेकलिस्ट नाले, नहर, नदी या जलप्रवाह से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगती है (2011 के T&CP संचालनालय के पत्र); पर मध्य प्रदेश में बने 1984 के पाठ की 9 m और 15 m की रेखाओं (उच्चतम जल चिह्न से 9 m, या किसी प्रमुख जलमार्ग के पास औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो) की छत्तीसगढ़ के लिए पुष्टि नहीं हुई [TBC]। जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002, धारा 7(1), यथा-अधिनियमित; बाद के अधिनियमों ने यह रोक बनाए रखी या नहीं, इसकी जाँच नहीं की गई)। विकास अनुमति T&CP अधिनियम के अंतर्गत देता है, और भवन अनुमति नगर निगम (रायपुर में RMC), नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत देती है; नवा रायपुर में NRDA (अब नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण) उसी अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, और उसने 23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066 द्वारा उस अधिनियम की धारा 69 से 69-ग तक के अंतर्गत अपनी अधिकांश शक्तियाँ अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्यायोजित कीं; और राज्य के विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यों के लिए धारा 27 और 28 के अंतर्गत T&CP की सहमति आवश्यक है (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 23 नवंबर 2009 का पत्र)। 2018 के संशोधन ने प्लिंथ स्तर की जाँच और प्लिंथ प्रमाण-पत्र (नियम 96) जोड़ा, जिसका प्रपत्र स्थिति, सेटबैक और विचलन जाँचता है पर कोई स्तर या जल निकासी की मद नहीं; एक स्थल-निरीक्षण प्रपत्र जोड़ा, जो पूछता है कि कोई प्रमुख नाला ("नाला (प्रमुख नाला)" ("Nalah [Major Drain]")) भूखंड के निकट है या नहीं और यदि है तो उसकी निकटतम दूरी क्या है, और यह कि प्रस्ताव भूमि विकास नियम के अनुपालन में हो; और एक समापन प्रपत्र जोड़ा, जो पूछता है कि नियम के अनुसार वर्षा जल संचयन स्थापित है या नहीं और जल निकासी लाइन अंतिम निपटान तक जुड़ी है या नहीं। नियम 78(4) के अंतर्गत, भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की प्रणालियों द्वारा, वर्षा जल संचयन अपेक्षित है, और जहाँ प्रणाली न बनाई जाए और उसका रखरखाव न हो वहाँ प्राधिकारी प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति लगा सकता है (17 फरवरी 2009 का संशोधन); भूखंड की सीमा 500 m^2 बताई गई है (2019 का राज्य सभा का उत्तर), पर 2009 का संशोधन नियम में अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है, बिना यह बताए कि सीमा कौन-सी है, और नियम का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]। एकीकृत उपनगरों (integrated townships) में वर्षा जल संचयन और सीवेज शोधन संयंत्र अनिवार्य हैं (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2008)। 2017 के हरित भवन के एक प्रारूप नियम (नियम 79-C) में 100 m^2 से बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन अपेक्षित होता और मनोरंजन हेतु खुले स्थान का कम से कम 20% भाग बिना पक्की सतह के रखा जाता, पर उसका अंतिम पाठ नहीं मिला। राज्य के भवन सामान्य प्रशासन विभाग के 31 मई 2016 के आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5 के अंतर्गत आते हैं, जो प्रत्येक विभाग और उपक्रम के 1,500 sq ft से अधिक की छत वाले निर्माणाधीन भवनों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करता है, और 5,000 sq ft से अधिक की पक्की छत वाले मौजूदा भवनों पर उसकी अपेक्षा करता है। छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 राज्य को अधिसूचित गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण लागू कराने की शक्ति देता है, पर यह केवल राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होता है, और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली है। कोई भी नियम न तो जल निकासी रिपोर्ट माँगता है, न चरम अपवाह को सीमित करता है, न साइट पर अस्थायी भंडारण अनिवार्य करता है और न "शून्य अपवाह" ("zero runoff") की शर्त लगाता है। इसलिए इस अध्याय की वर्षा जल संबंधी प्रत्येक मद इस प्रकार लिखी गई है कि अभिलेख पर दर्ज वास्तुकार या अभियंता उसे प्रपत्र 1-1, 2-1, 10-2 और 10-3 पर प्रमाणित कर सके, और प्राधिकारी विकास अनुमति के समय लेआउट के साथ, भवन नक्शे के साथ, प्लिंथ स्तर के निरीक्षण के समय, जहाँ निकटतम प्रमुख नाले की दूरी पहले से दर्ज होती है, और समापन पर वर्षा जल संचयन के साथ उसकी जाँच कर सके। यह अध्याय यही प्रक्रिया है।

10.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस अध्याय में अर्थ
प्रस्तुति (submittal)	खंड 10.3 के किसी एक चरण में प्राधिकारी के पास जमा किए गए दस्तावेजों का समूह।
जल निकासी रिपोर्ट	खंड 10.4 द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक (चरण 1) या अंतिम (चरण 2) रिपोर्ट।

शब्द	इस अध्याय में अर्थ
वर्षा जल सुविधा	इस मैनुअल द्वारा अपेक्षित कोई भी प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, जल गुणवत्ता, वहन, पंपिंग, गेट या आउटफॉल घटक, चाहे सार्वजनिक हो या निजी।
रोक बिंदु (hold point)	निर्माण का वह चरण जिस पर, जब तक प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता पेशेवर उसका निरीक्षण न कर ले, कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा (खंड 10.8)।
यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र	खंड 10.9 का वह प्रमाण-पत्र कि सुविधा अनुमोदन के अनुसार बनाई गई है और डिजाइन के अनुसार कार्य करती है।
स्वामी	वह व्यक्ति या निकाय जो रखरखाव घोषणा-पत्र के अंतर्गत किसी सुविधा के लिए उत्तरदायी है, या हस्तांतरित परिसंपत्ति के लिए ULB।
O&M योजना	खंड 10.11 की प्रचालन और रखरखाव योजना।
सुविधा रजिस्टर	खंड 10.17 का सुविधाओं का सार्वजनिक रजिस्टर।

अन्य शब्द खंड 1.4 में परिभाषित हैं।

10.3 प्रस्तुति के चरण

10.3.1 प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित चरणों में की जाएँगी, जो छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुमोदन पदों से जुड़े हैं (तालिका 10.1):

तालिका 10.1 — प्रस्तुति के चरण और उनसे जुड़े अनुमोदन

चरण	प्रस्तुति	कब	संबद्ध अनुमोदन
0	**आवेदन-पूर्व** बैठक और **प्रपत्र 1-1** (प्रयोज्यता निर्धारण)	योजना अनुमति या लेआउट आवेदन से पहले	कोई नहीं (परामर्शी अभिलेख)
1	**प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट**	योजना अनुमति या लेआउट आवेदन के साथ	योजना अनुमति / लेआउट अनुमोदन
2	**अंतिम जल निकासी डिजाइन**	भवन अनुमति से पहले, या जहाँ अनुमति योजना अनुमति के साथ ही जारी होती है वहाँ कार्य प्रारंभ से पहले	भवन अनुमति / कार्य प्रारंभ
3	रोक बिंदुओं पर **निर्माण निरीक्षण**	निर्माण के दौरान	कोई नहीं (अभिलेख फाइल किए जाते हैं)
4	**यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र** और सत्यापन परीक्षण	समापन प्रमाण-पत्र से पहले	समापन / अधिभोग प्रमाण-पत्र
5	पंजीकृत **रखरखाव घोषणा-पत्र**, या सार्वजनिक परिसंपत्तियों का **हस्तांतरण**	समापन प्रमाण-पत्र से पहले या उसके साथ	समापन प्रमाण-पत्र; परिसंपत्ति को स्वीकार करना
6	**वार्षिक घोषणाएँ** और निरीक्षण रिपोर्ट	समापन के बाद प्रति वर्ष	सतत अनुपालन

10.3.2 **चरण 0 अनिवार्य है** निम्नलिखित के लिए:

- (a) 2 ha या अधिक की साइटें;
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में स्थित साइटें;
- (c) विचलन, अधित्याग, क्षेत्रीय सुविधा या एवज शुल्क (fee-in-lieu) प्रस्तावित करने वाली साइटें; और
- (d) ज्वारीय आउटफॉल में जल निकासी करने वाली या किसी जलाशय से सटी साइटें।

अन्य साइटों के लिए चरण 0 वैकल्पिक है, और प्रपत्र 1-1 चरण 1 के साथ जमा किया जाता है।

10.3.3 **संयुक्त चरण.** बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों से बाहर 1 ha से कम की साइटों के लिए प्राधिकारी चरण 1 और 2 को एक ही प्रस्तुति के रूप में स्वीकार कर सकता है।

10.3.4 **लोक निर्माण कार्य.** किसी लोक निर्माण कार्य के लिए चरण 1 DPR का जल निकासी भाग है और चरण 2 निविदा ड्रॉइंग का जल निकासी भाग है। जब तक संबंधित चरण की खंड 10.7 के अंतर्गत समीक्षा न हो जाए, संस्वीकृति प्राधिकारी कार्य को संस्वीकृति नहीं देगा और न उसकी निविदा आमंत्रित करेगा।

10.3.5 **अनुमोदन के बाद परिवर्तन.** चरण 2 के बाद अपारगम्य क्षेत्र, स्तर, भंडारण, आउटलेट या आउटफॉल को बदलने वाला कोई भी परिवर्तन, अनुपालन कैलकुलेटर फिर से चलाकर, उस परिवर्तन के निर्माण से पहले पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

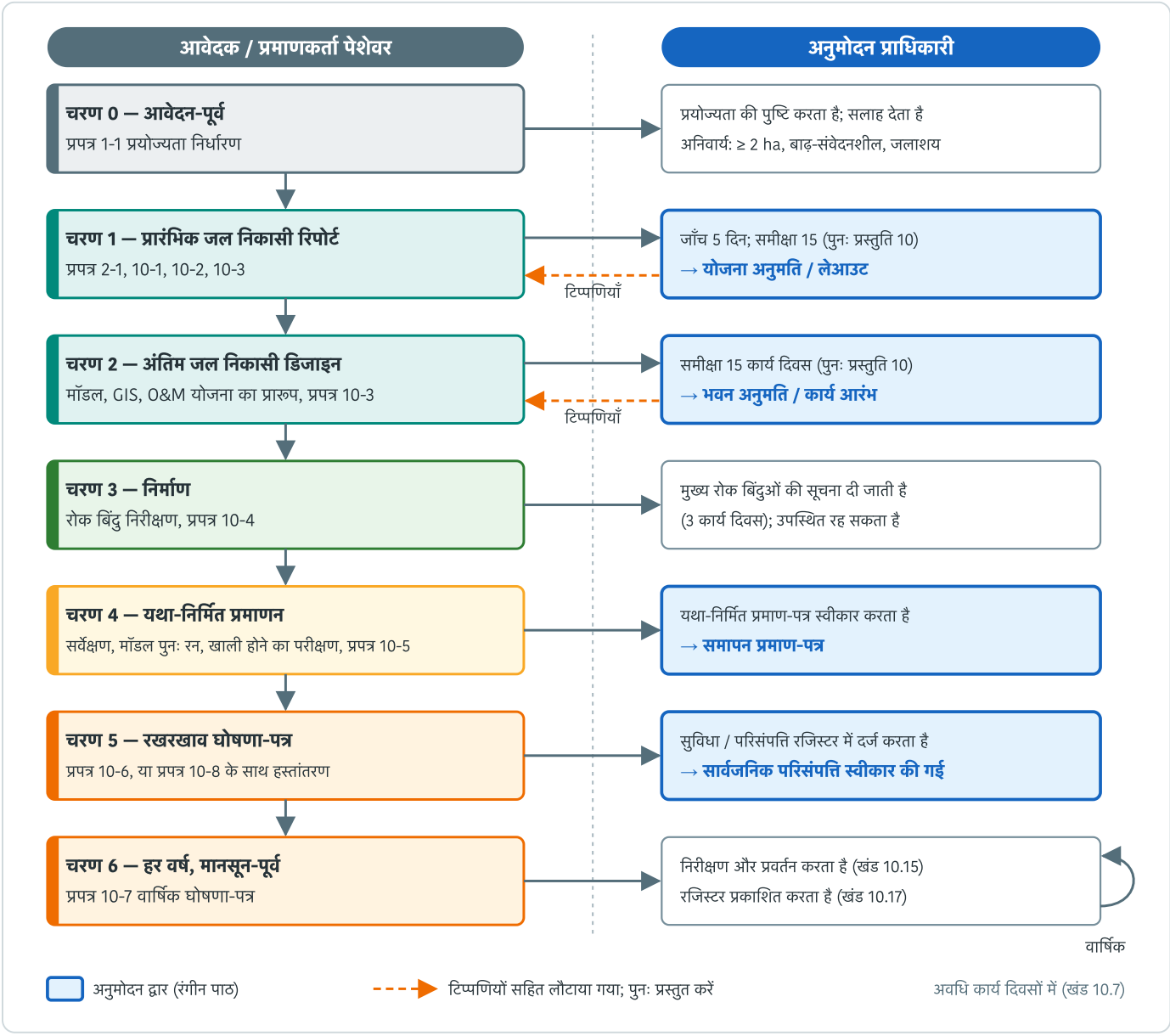

चित्र 10.1 — प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन का कार्यप्रवाह (खंड 10.3–10.10)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

भाष्य. ये चरण प्रारंभिक और अंतिम वर्षा जल अध्ययन, निर्माण निरीक्षण और रखरखाव अनुबंधों के APWA 5600 के क्रम (APWA 5600, 2006, §5608 और §5609) का पालन करते हैं, जिसे भूमि विकास नियम, 1984 के उन पदों पर बैठाया गया है जिनका पालन छत्तीसगढ़ का आवेदक पहले से करता है। चरण 4 को समापन प्रमाण-पत्र से जोड़ना MBBL 2016 के RWH मॉडल का अनुसरण है, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र से पहले निरीक्षण अपेक्षित है (MBBL 2016, §9.6)। खंड 10.3.2 और 10.3.3 की 2 ha और 1 ha की सीमाओं का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

10.4 अपेक्षित विषय-वस्तु और जाँच-सूचियाँ

10.4.1 **प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट (चरण 1).** रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

- (a) प्रपत्र 1-1 और, जहाँ लागू हो, प्रपत्र 1-2 (विचलन / अधित्याग अनुरोध);
- (b) विद्यमान और प्रस्तावित स्तरों, अपारगम्य क्षेत्रों, और साइट की ओर तथा साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाओं के साथ साइट नक्शा;
- (c) मिट्टी (HSG), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम या परीक्षण योजना (अध्याय 3);
- (d) खंड 2.13 की अपेक्षा के अनुसार भरा गया **डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1)**;
- (e) विकास-पूर्व स्थिति और जलवैज्ञानिक विधि (अध्याय 3);
- (f) खंड 1.2 का पदानुक्रम किस प्रकार लागू किया गया है: संरक्षित क्षेत्र, प्रतिधारण विधि, अस्थायी भंडारण की अवधारणा और वहन;
- (g) अनुपालन कैलकुलेटर (खंड 10.5) से प्राप्त प्रारंभिक प्रतिधारण, जल गुणवत्ता और अस्थायी भंडारण आयतन, तथा निकास दरें;
- (h) अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार और टेलवाटर स्थिति (अध्याय 5);
- (i) जलाशय, सेटबैक और 1% AEP स्तर (अध्याय 6 और 7); और
- (j) सुविधाओं और रखरखाव पहुँच के लिए आरक्षित भूमि (खंड 10.13)।

10.4.2 **अंतिम जल निकासी डिजाइन (चरण 2).** अंतिम डिजाइन में, अद्यतन की गई चरण 1 की विषय-वस्तु के अतिरिक्त, निम्नलिखित होंगे:

- (a) खंड 2.5.2 की प्रत्येक भंडारण अवधि और अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित प्रत्येक AEP के लिए अंतिम गणनाएँ, जिनमें अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच भी सम्मिलित है;
- (b) प्रत्येक सुविधा के लिए जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर तालिकाएँ, और आपातकालीन स्पिलवे का डिजाइन (अध्याय 4);
- (c) वहन घटकों, इनलेट और संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन (अध्याय 6 और 9);
- (d) जल गुणवत्ता डिजाइन, और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ प्रथम प्रवाह (first flush) युक्ति या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8);
- (e) प्रत्येक सुविधा की निर्माण ड्रॉइंग, विवरण और विनिर्देश;
- (f) निर्माण का क्रम, जिसमें प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों को तलछट और संघनन (compaction) से बचाना सम्मिलित है (खंड 10.8.3);
- (g) रोक-बिंदु अनुसूची (खंड 10.8);
- (h) O&M योजना का प्रारूप (खंड 10.11) और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (खंड 10.10);
- (i) मॉडल इनपुट फाइलें और खंड 10.4.4 के GIS आँकड़े; और
- (j) खंड 10.6 के प्रमाण-पत्र।

10.4.3 **जाँच-सूची.** प्रत्येक प्रस्तुति में **जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची (प्रपत्र 10-1)** सम्मिलित होगी, जिसमें खंड 10.4.1–10.4.2 की प्रत्येक मद के लिए वह पृष्ठ या शीट दर्शाई जाएगी जहाँ उस पर विचार किया गया है, या वह कारण जिससे वह लागू नहीं होती। प्राधिकारी पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र 10-1 के बिना किसी प्रस्तुति की तकनीकी समीक्षा आरंभ नहीं करेगा।

10.4.4 **डिजिटल प्रस्तुति.**

- (a) रिपोर्ट और ड्रॉइंग खोज-योग्य (searchable) PDF के रूप में प्रस्तुत की जाएँगी।
- (b) जलवैज्ञानिक और हाइड्रोलिक मॉडल उनके मूल, चलाने योग्य फॉर्मेट में (उदाहरण के लिए SWMM .inp, HEC-HMS या HEC-RAS प्रोजेक्ट फाइलें), प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के संस्करण के साथ, प्रस्तुत किए जाएँगे।
- (c) सुविधाएँ, आउटफॉल, प्रवाह मार्ग और जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ GIS आँकड़ों (GeoPackage या shapefile) के रूप में, WGS 84 (EPSG:4326) में या लागू UTM जोन (पूरे राज्य के लिए 44N, जशपुरनगर और जशपुर जिले के पूर्वी भाग सहित, जो जोन 45N में पड़ते हैं) में, परिशिष्ट 10B में सूचीबद्ध गुणों (attributes) के साथ प्रस्तुत की जाएँगी।
- (d) स्तर किसी नामित ऊर्ध्वाधर डेटम के सापेक्ष बताए जाएँगे। प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC के गेजों के नदी डेटमों से, WRD के डैम, बैराज, जलाशय और तालाब (tank) स्तरों से और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तरों से, और किसी खदान के गड्ढे में आउटफॉल के लिए, अध्याय 5 में प्रयुक्त पट्टाधारी के खदान सर्वेक्षण से, इसका संबंध बताया जाएगा।

10.4.5 **प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्रों का सारांश** (तालिका 10.2):

तालिका 10.2 — प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्र

प्रपत्र	शीर्षक	चरण
1-1	प्रयोज्यता निर्धारण	0 या 1
1-2	विचलन / अधित्याग अनुरोध	1
2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक	1, 2
10-1	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची	1, 2
10-2	अनुपालन कैलकुलेटर सारांश	1, 2, 4
10-3	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र	1, 2
10-4	रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख	3
10-5	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र	4
10-6	रखरखाव घोषणा-पत्र	5
10-7	वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट	6
10-8	परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र	5

> **भाष्य.** चलाने योग्य मॉडल और GIS आँकड़े देने में आवेदक का खर्च बहुत कम है, और इनसे प्राधिकारी कार्य की जाँच कर सकता है और बाद में निजी भंडारण का शहर-व्यापी चित्र बना सकता है। छत्तीसगढ़ में अपनी शहरी ड्रेनों के लिए कोई अधिसूचित डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि या डिजाइन वर्षा घटना नहीं है। राज्य में एकमात्र स्पष्ट शहरी डिजाइन वर्षा घटना नया रायपुर विकास योजना-2031 (NRDA, 2008) में है, जो कहती है कि "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system") (§10.3.1.1), अपेक्षा करती है कि कोई भी नदी तटबंध 100-वर्ष की बाढ़ से सुरक्षित हो, सड़कों को प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.5–1.0 m ऊपर रखती है, सड़क जल निकासी के लिए IRC SP-50 का पालन करती है, और रायपुर क्षेत्र के IMD आँकड़ों से तैयार 2, 5, 10 और 50 वर्षों के लिए वर्षा तीव्रता और सांद्रण समय (time of concentration) का एक चार्ट देती है (योजना का चित्र 10.1), बिना किसी समीकरण, अभिलेख-अवधि या विधि के; यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। AMRUT के अंतर्गत रायपुर की वर्षा जल निकासी योजना (RMC, 2015) 49% कवरेज, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें और सड़क के 11 हिस्से दर्ज करती है जो वर्ष में दो या तीन बार जलमग्न होते हैं, और ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित करती है, पर कोई पुनरावृत्ति अवधि,

तीव्रता या अपवाह गुणांक नहीं बताती; और राज्य में AMRUT ने जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज तथा हरित स्थलों का वित्तपोषण किया, इसलिए उसकी CAG लेखापरीक्षा (मार्च 2022 को समाप्त वर्ष) में ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं है। रायपुर स्मार्ट सिटी के जल निकासी कार्यों का, और बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा और भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनों का डिजाइन आधार नहीं मिला। ये आँकड़े इतिहास हैं, डिजाइन आधार नहीं। IMD के राष्ट्रीय IDF अध्ययन (Das et al. 2022) में छत्तीसगढ़ का कोई केंद्र नहीं है, IMD के एक पुराने अध्ययन (Ram Babu et al., 1979) में रायपुर के स्थिरांक केवल एक खोज-अंश में देखे गए हैं और असत्यापित हैं, और छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर के लिए उपयोग योग्य स्थिरांकों वाला कोई केंद्र-IDF प्रकाशित नहीं हुआ है; NRDA का चार्ट केवल आँख से पढ़ा जा सकता है। अभिलेख पर दर्ज अल्पकालिक तीव्र बौछारें, कांकेर में एक घंटे में 79 mm (26 जून 1974) और जगदलपुर में 80 mm (CWC), CWC के अनुपातों से मिलने वाले 1-घंटे के मानों से नीचे हैं, जबकि 24-घंटे के रिकॉर्ड, जिनमें 4 अगस्त 1910 को रायपुर में 370.3 mm और 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm सम्मिलित हैं, CWC प्लेटों की 100-वर्ष की गहराइयों से अधिक हैं (IMD; इस मैनुअल का पठन)। इसलिए राज्य के डिजाइन मान उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) और 3(c) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्टों (Flood Estimation Reports) के हैं, अध्याय 2 के अंतरिम प्रावधानों के साथ, और प्रत्येक प्रस्तुति को अपना डिजाइन आधार स्वयं बताना होगा। प्रपत्र 2-1 और प्रपत्र 10-2 यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक डिजाइन अपने इनपुट स्पष्ट रूप से बताए।

10.5 अनुपालन कैलकुलेटर

10.5.1 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति एक **अनुपालन कैलकुलेटर** जारी करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी: एक संस्करण-नियंत्रित स्प्रेडशीट या वेब टूल, जो किसी दी गई साइट के लिए:

- (a) खंड 1.5 के प्रयोज्यता परीक्षण लागू करता है;
- (b) परिशिष्ट 2E की गहराई से प्रतिधारण आयतन, और जल गुणवत्ता आयतन (अध्याय 8) की गणना करता है;
- (c) संरक्षित क्षेत्रों और प्रतिधारित आयतन के क्रेडिट को अस्थायी भंडारण के विरुद्ध लागू करता है (अध्याय 4);
- (d) डिजाइन सहायिका मार्ग (खंड 1.7, S-1) पर, इकाई-भंडारण तालिकाओं से प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन देता है;
- (e) विकल्प S-2 पर, प्रत्येक AEP के लिए साइट की अनुमेय प्रवाह दर देता है; और
- (f) **अनुपालन कैलकुलेटर सारांश (प्रपत्र 10-2)** तैयार करता है।

10.5.2 **उपयोग.**

- (a) चरण 1, 2 और 4 की प्रत्येक प्रस्तुति में कैलकुलेटर के वर्तमान संस्करण से तैयार प्रपत्र 10-2 सम्मिलित होगा।
- (b) डिजाइन सहायिका मार्ग पर, कैलकुलेटर ही एकमात्र भंडारण गणना हो सकता है।
- (c) डिजाइन सहायिका मार्ग के बाहर, कैलकुलेटर एक सारांश और प्रारंभिक छँटाई जाँच (screening check) है। यह अध्याय 3 के हाइड्रोग्राफ विश्लेषण का स्थान नहीं लेता। जहाँ मॉडल का परिणाम कैलकुलेटर की छँटाई जाँच से, कैलकुलेटर मार्गदर्शिका में बताई गई सहनसीमा से अधिक भिन्न हो, वहाँ रिपोर्ट उसका कारण स्पष्ट करेगी।

10.5.3 **संस्करण नियंत्रण.** कैलकुलेटर अपने प्रत्येक आउटपुट में अपना संस्करण अभिलिखित करेगा। खंड 2.14.2 के अनुरूप, नया संस्करण जारी होने के 6 महीने बाद से नई प्रस्तुतियों पर लागू होता है। कोई प्रस्तुति चरण 1 से 4 तक एक ही संस्करण का उपयोग करेगी, जब तक कि आवेदक बाद के किसी संस्करण को न चुने।

10.5.4 **खुलापन.** कैलकुलेटर, उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उसमें दी गई प्रत्येक तालिका का स्रोत निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा।

भाष्य. मिड-अमेरिका रीजनल काउंसिल (Mid-America Regional Council) ने APWA 5600 संस्करण 2025.01 के साथ एक अनुपालन कैलकुलेटर (Compliance Calculator, .xlsm) और कैलकुलेटर आरंभ मार्गदर्शिका (Calculator Start-Up Guide) जारी की, साथ ही साइट गतिविधि योजना का एक टेम्पलेट और नीति अनुपूरक (Policy Supplement) भी (MARC का वर्षा जल प्रबंधन वेब

पेज, 2025)। कैलकुलेटर क्रेडिट वाले स्तरित मानक को संख्याओं के एक सुसंगत समूह में बदल देता है, जिसकी समीक्षक शीघ्र जाँच कर सकता है। सिंगापुर बहुत सरल नियम से ऐसा ही प्रभाव प्राप्त करता है: 4 h तक की 10-वर्ष की वर्षा घटनाओं के लिए 0.55 का एक ही अनुमेय C मान, जिसे सूत्र द्वारा लागू किया जाता है (PUB Code of Practice, cl. 7.1.5)। छत्तीसगढ़ का कैलकुलेटर विशेष रूप से टियर B प्राधिकारियों के काम आता है, जहाँ वही पूरी गणना हो सकता है।

10.6 पेशेवर प्रमाणन

10.6.1 **हस्ताक्षर कौन कर सकता है.** जल निकासी रिपोर्ट और डिजाइन जलविज्ञान और हाइड्रोलिक्स में सक्षम पंजीकृत पेशेवर (खंड 1.4) द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए जाएँगे। निम्नलिखित में से किसी के लिए, हस्ताक्षरकर्ता ऐसा सिविल अभियंता होगा जो प्राधिकारी या T&CP द्वारा **वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional) के रूप में सूचीबद्ध** हो:

- (a) 1 ha या अधिक की टियर A साइटें;
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में स्थित कोई भी साइट;
- (c) तटबंध वाली कोई भी सुविधा, या 0.2% AEP के लिए जाँचा गया उच्च-जोखिम बेसिन (अध्याय 4); और
- (d) पंप द्वारा संचालित कोई भी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा।

10.6.2 **सूचीबद्धता के मानदंड** T&CP द्वारा जारी किए जाएँगे और उनमें सिविल अभियांत्रिकी की डिग्री, जल निकासी डिजाइन का प्रासंगिक अनुभव, और इस मैनुअल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना सम्मिलित होगा।

10.6.3 **प्रमाण-पत्र.** हस्ताक्षरकर्ता **पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3)** भरेगा, जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि:

- (a) डिजाइन इस मैनुअल का अनुपालन करता है, सिवाय उन विचलनों के जो सूचीबद्ध और अनुमोदित हैं;
- (b) वर्षा, मिट्टी और टेलवाटर के इनपुट वही हैं जो प्रपत्र 2-1 और 10-2 में अभिलिखित हैं; और
- (c) प्रस्तुत मॉडल वही परिणाम देते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं।

10.6.4 **स्वतंत्र जाँच.** खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं की जाँच ऐसे दूसरे सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा की जाएगी जो डिजाइनकर्ता से स्वतंत्र हो। वह पेशेवर प्रपत्र 10-3 पर जाँचकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

10.6.5 **मिथ्या प्रमाणन.** मिथ्या या लापरवाही से दिया गया प्रमाण-पत्र खंड 10.15 के अंतर्गत अपराध है।

> **भाष्य.** सिंगापुर की अपेक्षा है कि चरम प्रवाह नियंत्रण के लिए प्रयुक्त उसकी ABC Waters डिजाइन विशेषताओं का समर्थन ऐसा ABC Waters Professional करे जो Professional Engineer (Civil) भी हो (PUB Detention Tank Guide, 2024)। भारत में सिंगापुर के समान पेशेवर अभियंताओं का कोई सांविधिक रजिस्टर नहीं है, इसलिए यह खंड भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत पंजीकरण का उपयोग करता है और अधिक जोखिम वाले मामलों के लिए सूचीबद्धता जोड़ता है। 1 ha की सीमा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.7 समीक्षा प्रक्रिया और समय-सीमाएँ

10.7.1 **पूर्णता जाँच.** प्राधिकारी प्रत्येक प्रस्तुति की प्रपत्र 10-1 के आधार पर **5 कार्य दिवसों** के भीतर जाँच करेगा और या तो उसे समीक्षा के लिए स्वीकार करेगा या छूटी हुई मदों की सूची के साथ लौटा देगा।

10.7.2 **तकनीकी समीक्षा.** प्राधिकारी तकनीकी समीक्षा पूरी करेगा और अनुमोदन, सशर्त अनुमोदन या टिप्पणियों की एक ही समेकित सूची निम्नलिखित अवधि के भीतर जारी करेगा:

- (a) पहली प्रस्तुति के लिए, स्वीकार किए जाने के **15 कार्य दिवसों** के भीतर; और
- (b) पुनः प्रस्तुति के लिए, स्वीकार किए जाने के **10 कार्य दिवसों** के भीतर।

10.7.3 **कोई नई टिप्पणी नहीं.** पुनः प्रस्तुति पर, प्राधिकारी उन विषयों पर नई टिप्पणियाँ नहीं करेगा जो अपरिवर्तित थे और जिन पर पिछली समीक्षा में टिप्पणी नहीं की गई थी, जब तक कि वह विषय सुरक्षा को प्रभावित न करता हो।

10.7.4 **समीक्षा क्षमता.** टियर B प्राधिकारी, या अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति में टियर A प्राधिकारी, T&CP की सूची से किसी सूचीबद्ध समीक्षक की सेवा ले सकता है। सूचीबद्ध समीक्षक ने उसी साइट पर कार्य न किया हो। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी ही रहता है।

10.7.5 **समवर्ती अनापत्तियाँ.** जहाँ WRD की नदियों, डैमों, बैराजों, जलाशयों, तालाबों (tanks) या नहरों में से किसी पर कार्य के लिए या उसमें जल छोड़ने के लिए, जिनमें गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, मोंगरा और अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज, खारंग (Kharang), केलो डैम और कोपरा जलाशय भी हैं, WRD की अनुमति, किसी नगरपालिका ड्रेन से जुड़ने या उस पर निर्माण करने के लिए आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अनुमति (छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961), किसी राज्य विभाग या स्थानीय प्राधिकारी के कार्य के लिए आवश्यक T&CP की सहमति (नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, धारा 27 और 28), किसी ऐसे तालाब या आर्द्रभूमि के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर किसी कार्य पर, जिसे वह संरक्षित मानता है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के विचार, और किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि में या कोपरा जलाशय पर किसी विनियमित गतिविधि के लिए उसका अनुमोदन, राज्य में निहित किसी तालाब पर कार्य के लिए कलेक्टर की सम्मति (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), किसी खदान के गड्ढे या खदान झील में जल छोड़ने के लिए या किसी खनन पट्टे को पार करने वाली ड्रेन के लिए पट्टाधारी और DGMS की वह सम्मति जो यह मैनुअल अपेक्षित करता है, प्राप्तकर्ता ड्रेन के स्वामी या संचालक निकाय की सम्मति जहाँ वह निकाय प्राधिकारी नहीं है (उदाहरण के लिए नवा रायपुर में NRDA, या अपनी टाउनशिप में भिलाई इस्पात संयंत्र), या किसी अन्य एजेंसी की सहमति अपेक्षित हो (अध्याय 7), वहाँ प्राधिकारी प्रस्तुति को उसी दिन अग्रेषित करेगा जिस दिन वह समीक्षा के लिए स्वीकार की जाती है, और समीक्षा की अवधियाँ साथ-साथ चलेंगी।

10.7.6 **अनुमति की समय-सीमाओं से तालमेल.** खंड 10.7.1–10.7.2 की अवधियाँ सरकार द्वारा योजना अनुमति और भवन अनुमति के लिए निर्धारित समग्र समय-सीमाओं के भीतर चलती हैं और उन्हें नहीं बढ़ातीं।

10.7.7 **कारण.** अस्वीकार करने के प्रत्येक निर्णय में और प्रत्येक शर्त में इस मैनुअल के उस खंड का उल्लेख किया जाएगा जिस पर वह आधारित है।

> **भाष्य.** समीक्षा की अवधियों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। टिप्पणियों की एक ही समेकित सूची और "कोई नई टिप्पणी नहीं" का नियम अभियांत्रिकी समीक्षा की सामान्य अच्छी पद्धति के अनुरूप हैं।

10.8 निर्माण निरीक्षण

10.8.1 **रोक बिंदु.** अनुमोदित रोक-बिंदु अनुसूची (प्रपत्र 10-4) में कम से कम निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण, अंतःस्यंदन और अस्थायी भंडारण सुविधा का खोदा गया तल, कोई माध्यम, लाइनर या संरचना रखे जाने से पहले;
- (b) आउटलेट संरचना, ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली, पीछे भराई (backfill) से पहले या सुविधा को पहली बार भरने देने से पहले;
- (c) खंड 10.9.3 के अंतःस्यंदन परीक्षण;
- (d) आउटफॉल, फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व, अनुप्रवाह कनेक्शन किए जाने से पहले; और
- (e) पंप और नियंत्रण, चालू करते (commissioning) समय।

10.8.2 प्रत्येक रोक बिंदु का निरीक्षण प्रमाणकर्ता पेशेवर द्वारा किया जाएगा और उसे दिनांकित, जियोटैग किए गए फोटो के साथ प्रपत्र 10-4 पर अभिलिखित किया जाएगा। खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, रोक बिंदु (a) और (b) की सूचना प्राधिकारी को कम से कम 3 कार्य दिवस पहले दी जाएगी, और प्राधिकारी उपस्थित हो सकता है।

10.8.3 **निर्माण के दौरान सुरक्षा.**

- (a) प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों को निर्माण यातायात और सामग्री के ढेरों से बाड़ लगाकर अलग रखा जाएगा।
- (b) अंतःस्यंदन सुविधाओं को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक उनकी ओर बहने वाला क्षेत्र स्थिर न कर दिया जाए।
- (c) अस्थायी तलछट नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किसी भी सुविधा से यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले तलछट हटाया जाएगा।

चित्र 10.2 — अनुमोदन से यथा-निर्मित प्रमाणन और हस्तांतरण तक निर्माण के रोक बिंदु, प्रत्येक पद पर प्रयुक्त प्रपत्र सहित (खंड 10.8–10.10 और 10.14)। रोक बिंदुओं पर वही अक्षर हैं जो खंड 10.8.1 में हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, APWA Section 5600 (2006), §5608 के निर्माण-निरीक्षण और रखरखाव-अनुबंध क्रम से रूपांतरित।

> **भाष्य.** अंतःस्यंदन सुविधाएँ प्रायः निर्माण के दौरान ही विफल होती हैं, जब वे चालू होने से पहले ही संघनित हो जाती हैं या गाद से भर जाती हैं। रोक बिंदु (a) और (c) इसी विफलता को लक्ष्य करते हैं। 3 दिन की सूचना इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.9 यथा-निर्मित प्रमाणन

10.9.1 समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले, प्रमाणकर्ता पेशेवर **यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-5)** निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करेगा:

- (a) लाइसेंसधारी सर्वेक्षक द्वारा किया गया यथा-निर्मित सर्वेक्षण, जिसमें प्रत्येक सुविधा के स्तर, भंडारण आयतन, आउटलेट के आयाम और इनवर्ट, तथा आउटफॉल हों;
- (b) यथा-निर्मित मानों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर को, और जहाँ मॉडल का उपयोग किया गया था वहाँ मॉडल को, फिर से चलाने के परिणाम;
- (c) पूर्ण रोक-बिंदु अभिलेख (प्रपत्र 10-4); और
- (d) अंतिम O&M योजना और निष्पादित रखरखाव घोषणा-पत्र या हस्तांतरण दस्तावेज (खंड 10.10 और 10.14)।

10.9.2 **स्वीकार्यता.** यथा-निर्मित सुविधा तब स्वीकार की जाती है जब:

- (a) प्रत्येक डिजाइन स्तर पर यथा-निर्मित भंडारण आयतन अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित आयतन से कम न हो;
- (b) आउटलेट के आयाम और इनवर्ट अनुमोदित डिजाइन से मेल खाते हों; और
- (c) फिर से चलाने पर अध्याय 4 और 5 के प्रत्येक मानदंड का अनुपालन दिखे।

किसी भी विचलन को ठीक किया जाएगा, या खंड 10.3.5 के अंतर्गत अनुपालक के रूप में पुनः प्रमाणित किया जाएगा।

10.9.3 **सत्यापन परीक्षण.** अंतःस्यंदन पर निर्भर प्रत्येक प्रतिधारण सुविधा का निर्माण के बाद परीक्षण किया जाएगा, यह दिखाने के लिए कि वह अध्याय 4 की अपेक्षा के अनुसार **72 घंटों** के भीतर खाली हो जाती है। पंप द्वारा संचालित सुविधाओं का परीक्षण उनके डिजाइन ड्यूटी बिंदु (duty point) पर किया जाएगा। ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों का खुलना और सील होना दिखाया जाएगा।

10.9.4 प्राधिकारी तब तक समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक प्रपत्र 10-5 स्वीकार न कर लिया जाए।

> **भाष्य.** 72 घंटे में प्रतिधारण का खाली होना अध्याय 4 का मानदंड है। यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि इसका परीक्षण केवल निर्माण-पूर्व परीक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय निर्माण के बाद किया जाए, क्योंकि निर्माण के दौरान होने वाला संघनन अंतःस्यंदन दरों को डिजाइन मानों से बहुत नीचे ला सकता है।

10.10 रखरखाव घोषणा-पत्र और प्रसंविदाएँ

10.10.1 **घोषणा-पत्र.** प्रत्येक निजी वर्षा जल सुविधा का स्वामी समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले **रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6)** निष्पादित करेगा। घोषणा-पत्र:

- (a) प्रत्येक सुविधा, उसके स्थान और अनुमोदित O&M योजना की पहचान करेगा;
- (b) स्वामी और हक-उत्तराधिकारियों को O&M योजना के अनुसार सुविधा का प्रचालन, निरीक्षण और रखरखाव करने के लिए बाध्य करेगा;
- (c) प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए, और खंड 10.15 के अंतर्गत चूक की दशा में कार्य (works in default) कराने के लिए, प्रवेश का अधिकार देगा;
- (d) प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना सुविधा को हटाने, भरने, ढकने, छोटा करने या उसके उपयोग में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करेगा; और
- (e) इस प्रकार पंजीकृत किया जाएगा कि वह भूमि के साथ चलता रहे और क्रेताओं को प्रकट किया जाए।

10.10.2 **अनेक स्वामियों वाले विकास.** अपार्टमेंट, लेआउट और गेटेड सोसाइटियों के लिए, घोषणा-पत्र में उस संघ या निकाय का नाम होगा जो विकासकर्ता द्वारा हस्तांतरण के बाद उत्तरदायी होगा। जब तक वह निकाय विधिवत गठित न हो जाए और घोषणा-पत्र को लिखित रूप में स्वीकार न कर ले, तब तक विकासकर्ता उत्तरदायी रहता है।

10.10.3 **वार्षिक घोषणा.** टियर A क्षेत्र में स्थित किसी सुविधा का, और कहीं भी स्थित पंप द्वारा संचालित किसी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा का प्रत्येक स्वामी प्रति वर्ष **31 मई** तक **वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 10-7)** प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट पर स्वामी के, और खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के लिए किसी सूचीबद्ध पेशेवर के भी, हस्ताक्षर होंगे। इसमें यह बताया जाएगा कि खंड 10.12 का मानसून-पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है और कोई भी दोष ठीक कर दिए गए हैं।

10.10.4 **अंतरण.** विक्रय या अंतरण पर, विक्रेता घोषणा-पत्र और नवीनतम प्रपत्र 10-7 प्रकट करेगा। क्रेता अंतरण की तारीख से दायित्व ग्रहण करता है।

> **भाष्य.** सिंगापुर की अपेक्षा है कि पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण प्रणालियों के स्वामी PUB के पास वार्षिक घोषणाएँ और दस्तावेज फाइल करें (PUB Detention Tank Guide, Code of Practice §13.2 का उल्लेख करते हुए)। Code of Practice के परिशिष्ट संख्या 3 (Addendum No. 3, 16 अप्रैल 2025) ने Sewerage and Drainage Act में संशोधनों के बाद बाढ़ अवरोधों और पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए वार्षिक रखरखाव घोषणाएँ आरंभ कीं। APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए सुखाधिकार और रखरखाव के प्रावधान अपेक्षित थे। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत घोषणा-पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोडियम के नीचे और बेसमेंटों में बने अस्थायी भंडारण टैंकों को भवन में अधिभोग के बाद पार्किंग या भंडारण में बदलना आसान होता है। 31 मई की तारीख इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई है कि वह दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) से पहले पड़े, जब छत्तीसगढ़ की अधिकांश चरम वर्षा होती है।

10.11 O&M योजनाएँ

10.11.1 प्रत्येक वर्षा जल सुविधा की एक O&M योजना होगी, जिसका चरण 2 पर अनुमोदन किया जाएगा और चरण 4 पर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (a) प्रत्येक सुविधा की सूची और नक्शा, डिजाइन स्तरों, आयतनों और आउटलेट विवरण के साथ;
- (b) नियमित कार्य और उनकी आवृत्ति: निरीक्षण, मलबा और तलछट हटाना, वनस्पति की देखभाल, जाली की सफाई;
- (c) तलछट हटाने का प्रारंभक मान (trigger), जो गहराई के रूप में या डिजाइन आयतन के प्रतिशत के रूप में बताया गया हो;
- (d) प्रपत्र 10-7 से मेल खाती निरीक्षण जाँच-सूचियाँ;
- (e) पंप द्वारा संचालित प्रणालियों, गेटों और वाल्वों के लिए: प्रचालन नियम, परीक्षण अनुसूची, स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति, और चक्रवात या भारी वर्षा की चेतावनी पर की जाने वाली कार्रवाई;
- (f) रुके हुए पानी और मच्छरों के प्रजनन को रोकने की कार्रवाई, जो अध्याय 4 के खाली होने के समय के अनुरूप हो;
- (g) सीमित स्थानों, गहरे पानी और सार्वजनिक पहुँच के लिए सुरक्षा उपाय;
- (h) पहुँच मार्ग और आवश्यक उपकरण (खंड 10.13);
- (i) वार्षिक लागत का प्राक्कलन और उसका भुगतान कौन करेगा; और
- (j) रखे जाने वाले अभिलेख, और कितने समय तक।

10.11.2 **सार्वजनिक सुविधाएँ.** किसी ULB या विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं के लिए, O&M योजना परिसंपत्ति रजिस्टर (खंड 10.14.3) में सम्मिलित की जाएगी और वार्षिक रखरखाव बजट से वित्तपोषित की जाएगी।

भाष्य. छत्तीसगढ़ में मानसून-पूर्व गाद निकालने की तिथि निर्धारित करने वाला कोई राज्य आदेश नहीं है: UADD, RMC या CGSDMA का तिथि वाला कोई आदेश नहीं मिला, और CGSDMA की कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना या शहरी बाढ़ योजना नहीं मिली। जुलाई 2026 की रायपुर की बाढ़ों के बाद निवासियों ने अपर्याप्त गाद-सफाई और अतिक्रमण से संकरी हुई ड्रेनों को दोषी ठहराया, और खबर है कि नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त कचरे से अवरुद्ध ड्रेनों पर नाराज हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ड्रेनें कई हाथों में हैं: नगरपालिका ड्रेनों के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें; नवा रायपुर में NRDA; अपनी टाउनशिप में भिलाई इस्पात संयंत्र का नगर सेवाएँ (Town Services) विभाग, जिसे जुलाई 2025 में, 15 जून की समय-सीमा चूक जाने के बाद, भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए चेतावनी दी (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नदियों, डैमों और बैराजों के लिए WRD; और अपने पट्टों पर कोयला कंपनियाँ, जिनकी स्वीकृति की शर्तें गारलैंड ड्रेनों और संपों से नियमित रूप से गाद निकालना अपेक्षित करती हैं (MoEFCC, गारे पाल्मा सेक्टर II की स्वीकृति, 2024)। नदियाँ डैमों के प्रचालन से चलती हैं: अक्तूबर 2025 में गंगरेल से पानी छोड़े जाने से पहले नदी किनारे के 72 गाँवों को अलर्ट दिए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); ओडिशा में हीराकुंड के गेट अगस्त 2020 और सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर खोले गए, और अगस्त 2022 में खबर थी कि राज्य ने ओडिशा को सूचित करने से पहले महानदी पर अपने बैराज खोल दिए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। छत्तीसगढ़ के किसी भी नगर के किसी स्लूइस, फ्लैप गेट, अवरोधन वियर (interception weir) या पंपिंग स्टेशन का ऐसा कोई प्रचालन नियम, जो उसे नदी के जल स्तर, किसी डैम या बैराज से छोड़े गए पानी या वर्षा चेतावनी से जोड़ता हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं मिला। इस मैनुअल के प्रत्येक गेट और पंप के लिए एक लिखित नियम आवश्यक है कि चेतावनी जारी होने पर क्या किया जाएगा।

10.12 निरीक्षण की आवृत्तियाँ

10.12.1 **स्वामी द्वारा निरीक्षण.** स्वामी सुविधाओं का निरीक्षण कम से कम तालिका 10.3 के अनुसार करेंगे:

तालिका 10.3 — स्वामी द्वारा निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्तियाँ

सुविधा का प्रकार	नियमित	मानसून-पूर्व (31 मई तक; बस्तर में 25 मई तक)	भारी वर्षा की घटना के बाद
प्रतिधारण / अंतःस्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण	मासिक परीक्षण रन	हाँ, पूर्ण ड्यूटी परीक्षण के साथ	हाँ
फ्लैप / ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व	प्रत्येक 3 महीने	हाँ, सील परीक्षण के साथ	हाँ
स्थूल प्रदूषक जाल / प्रथम प्रवाह युक्ति	प्रत्येक 3 महीने	हाँ	हाँ
निजी ड्रेन और इनलेट	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	—

इस खंड के प्रयोजन के लिए भारी वर्षा की घटना वह दिन है जिस दिन निकटतम अनुमोदित वर्षामापी IMD की "भारी वर्षा" (heavy rainfall) श्रेणी के बराबर या उससे अधिक वर्षा अभिलिखित करे, या वह दिन जिसके लिए जिले हेतु रेड अलर्ट जारी किया गया हो। छत्तीसगढ़ में, स्लूइसों, फ्लैप गेटों, नॉन-रिटर्न वाल्वों और पंप द्वारा संचालित सुविधाओं का, जलाशयों, बैराज के जलाशयों और तालाबों में गिरने वाले आउटफॉलों पर और उन आउटफॉलों पर स्थित स्लूइसों और गेटों सहित जिन्हें खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, इंद्रावती या हीराकुंड का बैकवाटर बंद कर सकते हैं,

मानसून-पूर्व निरीक्षण, पंप ड्यूटी और गेट सील परीक्षणों सहित, **31 मई** तक, और बस्तर संभाग में **25 मई** तक, पूरा किया जाएगा; इन सुविधाओं को, उनके स्टैंडबाय जनरेटरों सहित, **10 जून** तक तैयार प्रमाणित किया जाएगा, जो IMD रायपुर द्वारा प्रयुक्त सामान्य आगमन तिथि है और 11–17 जून के नए सामान्य आगमन से पहले पड़ती है, और किसी नदी या जलाशय में गिरने वाले आउटफॉल पर स्थित प्रत्येक गेट को पूरा खोलकर और पूरा बंद करके चलाया जाएगा। इसके बाद पंप, उनकी स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति और गेट, मासिक परीक्षण रन के साथ, 7–15 अक्तूबर की सामान्य वापसी के बाद **20 अक्तूबर** तक, और बस्तर संभाग में **31 अक्तूबर** तक, मानसून स्टैंडबाय पर रखे जाएँगे, और प्रतिप्रवाह में किसी डैम या बैराज द्वारा विनियमित नदी में गिरने वाले आउटफॉल पर, यदि वह बाद में हो तो, तब तक जब तक डैम से पानी छोड़ना बंद न हो जाए और नियंत्रक गेज (governing gauge) पर नदी, जहाँ खतरे का स्तर प्रकाशित है वहाँ, अपने खतरे के स्तर से नीचे न आ जाए।

10.12.2 **प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण.** प्राधिकारी निम्नलिखित का निरीक्षण करेगा:

- (a) 1,000 m² या अधिक की साइट पर स्थित, या खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सुविधा, कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रति वर्ष; और
- (b) अन्य सुविधाओं में से कम से कम 10% का यादृच्छिक नमूना, प्रति वर्ष।

10.12.3 प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणाम सुविधा रजिस्टर (खंड 10.17) में दर्ज किए जाएँगे।

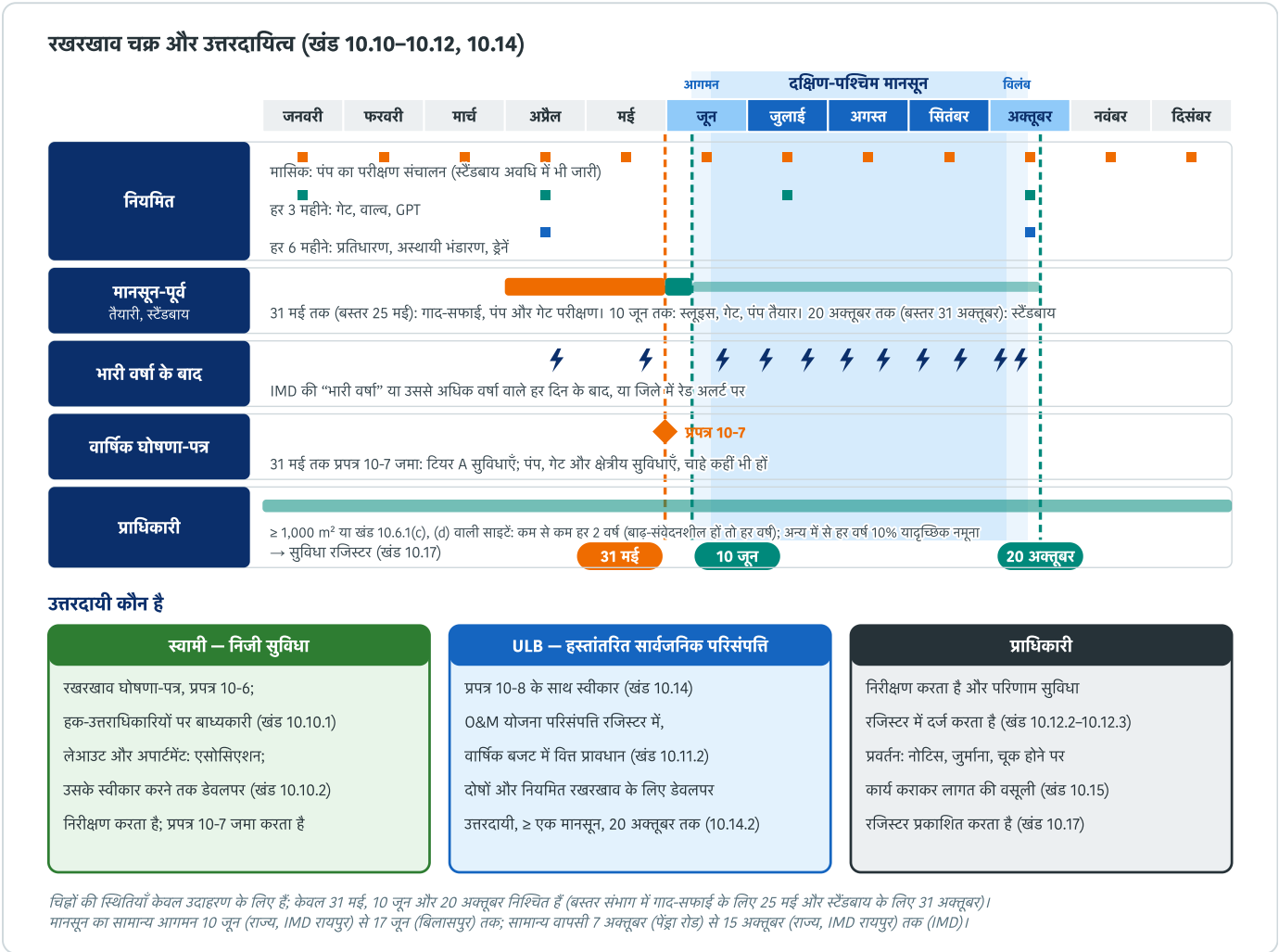

चित्र 10.3 — वार्षिक रखरखाव चक्र और उत्तरदायी कौन है: नियमित, मानसून-पूर्व (31 मई तक) और घटना-पश्चात निरीक्षण, वार्षिक घोषणा (प्रपत्र 10-7) और प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण (खंड 10.10–10.12 और 10.14)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। समय दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) के अनुसार है; वर्ष के भीतर चिह्नों की स्थिति केवल उदाहरण के लिए है।

भाष्य. खंड 10.12.2 का विभाजन RWH के लिए MBBL 2016 की निरीक्षण व्यवस्था का अनुसरण करता है, जिसमें 1,000 m² से बड़े भवनों की 100% निगरानी और उससे छोटे भवनों की 10% यादृच्छिक जाँच अपेक्षित है (MBBL 2016, §9.6)। तालिका 10.3 के निरीक्षण अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 31 मई की अंतिम तिथि इस मैनुअल द्वारा जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के लिए निर्धारित की गई है: IMD रायपुर राज्य के लिए 10 जून को सामान्य आगमन तिथि मानता है, और नए सामान्य मान जगदलपुर में 11–13 जून, कोंडागांव में 14 जून, रायपुर और पेंड्रा रोड में 16 जून और बिलासपुर में 17 जून हैं (IMD, 1961–2019 के सामान्य मान); 2020 में मानसून 12 जून को आया और 2024 में 8 जून को सुकमा से होकर राज्य में प्रवेश किया (IMD रायपुर)। बड़ी वर्षा जून में होती है: 30 जून 2001 को जशपुरनगर में 365.0 mm, 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm और 30 जून 2007 को रायपुर में 297.0 mm (IMD)। राज्य का दक्षिण भाग पहले ही अधिक आर्द्र हो जाता है, जगदलपुर में 11 जून से आगमन और 11 मई 1990 को बैलाडीला में 207.0 mm (IMD) के साथ, इसलिए यह मैनुअल बस्तर संभाग में 25 मई निर्धारित करता है। गाद निकालने की कोई राज्य या नगरपालिका अंतिम तिथि नहीं मिली; यह मैनुअल गाद निकालने, मानसून-पूर्व निरीक्षण और वार्षिक घोषणा के लिए 31 मई लेता है। NDMA (2010) राष्ट्रीय स्तर पर मानसून-पूर्व गाद निकालने के लिए 31 मार्च निर्धारित करता है; यह मैनुअल 31 मई तक की अनुमति देता है ताकि शुष्क मौसम का कार्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्लूइसों, फ्लैप गेटों, पंपों और उनके स्टैंडबाय जनरेटरों को सबसे पहली सामान्य आगमन तिथि, 10 जून, तक तैयार प्रमाणित किया जाना होगा। मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पेंड्रा रोड में 7 अक्तूबर और रायपुर में 9 अक्तूबर से लेकर जगदलपुर में 12–14 अक्तूबर तक है (IMD, 1971–2019 के सामान्य मान), और IMD रायपुर 15 अक्तूबर लेता है; 1891 से 2014 तक राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफानों और अवदाबों में से 21 अक्तूबर में आए, बस्तर से होकर अधिक दक्षिणी मार्गों पर, और अक्तूबर की वर्षा घटनाएँ अभिलेख पर हैं, 8 अक्तूबर 1994 को पेंड्रा रोड में 228.1 mm, 1 अक्तूबर 1961 को अंबिकापुर में 206.0 mm और 8 अक्तूबर 1900 को रायपुर में 148.6 mm (IMD); इसलिए पंपों और गेटों को 20 अक्तूबर तक, और बस्तर संभाग में 31 अक्तूबर तक, स्टैंडबाय पर रखा जाता है (चित्र 10.3), और डैम या बैराज द्वारा विनियमित नदी में गिरने वाले आउटफॉल पर, यदि वह बाद में हो तो, तब तक जब तक पानी छोड़ना बंद न हो जाए और नदी अपने खतरे के स्तर से नीचे न आ जाए। तालिका 10.3 के घटना-पश्चात निरीक्षण वर्ष के किसी भी समय की वर्षा घटनाओं को सम्मिलित करते हैं।

10.13 रखरखाव के लिए पहुँच

10.13.1 प्रत्येक सुविधा तक निरीक्षण और रखरखाव के लिए स्थायी पहुँच होगी, जो अनुमोदित ड्रॉइंग पर दर्शाई गई हो और रखरखाव घोषणा-पत्र द्वारा या, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, सुखाधिकार या भूमि अंतरण द्वारा सुरक्षित हो।

10.13.2 **सतही सुविधाएँ.** बेसिनों, तालाबों और खुले चैनलों में इनलेट, आउटलेट और तल तक वाहन पहुँच मार्ग, और कम से कम एक ओर रखरखाव पट्टी होगी। बेसिनों में उतरने वाले रैंप तलछट हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी के उपयुक्त होंगे।

10.13.3 **भूमिगत सुविधाएँ.** टैंकों में निम्नलिखित होंगे:

- (a) इनलेट, आउटलेट और प्रत्येक कक्ष के ऊपर प्रवेश द्वार;
- (b) स्थायी सीढ़ियाँ या पायदान, और सीमित स्थान में प्रवेश के लिए संवातन;
- (c) तलछट हटाने के लिए संप या निचला बिंदु; और
- (d) हाथ से सफाई के लिए पर्याप्त ऊँचाई (headroom)।

10.13.4 **आउटलेट.** ऑरिफिस और जालियाँ ऐसी हों कि भरी हुई सुविधा में प्रवेश किए बिना उनकी सफाई के लिए उन तक पहुँचा जा सके।

10.13.5 पहुँच मार्गों पर ऐसा निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसी बाड़ नहीं लगाई जाएगी या पार्किंग के लिए उनका ऐसा उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे पहुँच बाधित हो।

भाष्य. APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 फुट (लगभग 4.5 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अपेक्षित थी। छत्तीसगढ़ के शहरों में भूखंडों के आकार के कारण प्रत्येक साइट पर एक नियत चौड़ाई लागू करना कठिन है, इसलिए यह मैनुअल कार्यात्मक अपेक्षाएँ निर्धारित करता है। परिशिष्ट 10C में रखरखाव पहुँच के आयाम दिए गए हैं।

10.14 सार्वजनिक परिसंपत्तियों का ULB को हस्तांतरण

10.14.1 ड्रेन, सड़कें, खुले स्थान की सुविधाएँ, क्षेत्रीय सुविधाएँ और अन्य वर्षा जल परिसंपत्तियाँ, जिन्हें कोई विकासकर्ता ULB को अंतरण के लिए बनाता है, केवल तभी हस्तांतरित की जाएँगी जब:

- (a) यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (खंड 10.9) स्वीकार कर लिया गया हो;
- (b) सुविधा की सफाई कर दी गई हो, और पाइपों और पुलियों का भीतर से निरीक्षण (उदाहरण के लिए CCTV द्वारा या हाथ से प्रवेश करके) कर लिया गया हो, और उसका अभिलेख सौंप दिया गया हो;
- (c) भूमि, या उस पर सुखाधिकार, ULB को अंतरित कर दिया गया हो;
- (d) O&M योजना, ड्रॉइंग, GIS आँकड़े और वारंटियाँ सौंप दी गई हों; और
- (e) **परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-8)** पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हों।

10.14.2 **दोष दायित्व.** विकासकर्ता हस्तांतरण के बाद ऐसी दोष दायित्व अवधि तक दोषों और नियमित रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहेगा जिसमें कम से कम **10 जून से 20 अक्तूबर तक (बस्तर संभाग में 31 अक्तूबर तक) एक पूरा मानसून मौसम,** सम्मिलित हो। ULB इस अवधि के लिए प्रतिभूति जमा राशि रख सकता है।

10.14.3 **परिसंपत्ति रजिस्टर.** स्वीकार करने पर, ULB परिसंपत्ति को अपने GIS जल निकासी परिसंपत्ति रजिस्टर में और खंड 10.17 के सुविधा रजिस्टर में दर्ज करेगा।

10.14.4 **निजी सुविधाएँ.** कोई निजी सुविधा अपने रखरखाव घोषणा-पत्र के अंतर्गत स्वामी के उत्तरदायित्व में रहती है, जब तक कि ULB इस खंड के अंतर्गत उसे औपचारिक रूप से स्वीकार न कर ले।

भाष्य. NDMA (2010) ड्रेनों की GIS सूची की अपेक्षा करता है। हस्तांतरण के समय विकासकर्ता से GIS आँकड़े माँगने से, शहर के बढ़ने के साथ, ULB पर कोई लागत डाले बिना वह सूची बनती जाती है। दोष अवधि एक मानसून तक फैली है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जल निकासी के अनेक दोष केवल पहले दक्षिण-पश्चिम मानसून में ही सामने आते हैं।

10.15 प्रवर्तन

10.15.1 **अपराध.** निम्नलिखित इस मैनुअल के उल्लंघन हैं:

- (a) जहाँ अनुमोदित जल निकासी डिजाइन अपेक्षित है, वहाँ उसके बिना निर्माण करना;
- (b) किसी सुविधा का अनुमोदन से भिन्न निर्माण करना;
- (c) अनुमोदन के बिना किसी सुविधा को हटाना, भरना, ढकना, छोटा करना या उसके उपयोग में परिवर्तन करना;
- (d) किसी सुविधा का रखरखाव न करना, या प्रपत्र 10-7 प्रस्तुत न करना;
- (e) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज का कनेक्शन;

- (f) जलाशय के सेटबैक या भराई-निषिद्ध जोन में निर्माण या भराई करना (अध्याय 7);
- (g) किसी प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख प्रणाली के प्रवाह मार्ग को अवरुद्ध करना; और
- (h) मिथ्या या लापरवाही से किया गया प्रमाणन।

10.15.2 **क्रमिक कार्रवाई.** प्राधिकारी निम्नलिखित क्रम में कार्रवाई करेगा, और जहाँ पहले का पद विफल हो या जहाँ उल्लंघन गंभीर हो वहाँ बाद के पद पर जाएगा (तालिका 10.4):

तालिका 10.4 — प्रवर्तन की क्रमिक कार्रवाई

पद	कार्रवाई
1	लिखित नोटिस, जिसमें उल्लंघन, भंग किया गया खंड, सुधारात्मक उपाय और अनुपालन की अवधि बताई गई हो।
2	जो विकास अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए कार्य-रोक आदेश, या समापन प्रमाण-पत्र रोकना।
3	लागू अधिनियम या नियमों के अंतर्गत शास्ति।
4	प्राधिकारी द्वारा चूक की दशा में कार्य, जिसकी लागत स्वामी से वसूल की जाएगी।
5	सार्वजनिक प्रणाली से निजी ड्रेन कनेक्शन काटना, जहाँ इससे दूसरों के लिए कोई खतरा न हो।
6	प्रमाणकर्ता पेशेवर की पंजीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट, और सूचीबद्ध सूची से निलंबन।

10.15.3 **तत्काल कार्रवाई.** जहाँ कोई उल्लंघन मानसून के दौरान जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालता है, वहाँ प्राधिकारी तुरंत चूक की दशा में कार्य करा सकता है और लागत बाद में वसूल कर सकता है।

10.15.4 **प्रतिभूति जमा.** खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, प्राधिकारी चूक की दशा में कार्य की लागत पूरी करने हेतु प्रतिभूति जमा या बैंक गारंटी की माँग कर सकता है, जो यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार होने के बाद लौटाई जाएगी।

10.15.5 **अभिलेख.** इस खंड के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस और कार्रवाई सुविधा रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

> **भाष्य.** शास्तियों का उल्लेख सामान्य रूप से किया गया है। यह मैनुअल स्वयं अपराध या जुर्माने सृजित नहीं कर सकता, और शक्तियाँ उन अधिनियमों से आती हैं जिनके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 बनाए गए हैं, और नगरपालिका अधिनियमों से। क्रमिक पद इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। छत्तीसगढ़ में न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण नदियों, तालाबों (tanks) और नालों के व्यावहारिक नियामक बन गए हैं। अधिकरण की केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने जांजगीर-चांपा के कलेक्टर को बलौदा में भू-अभिलेखों में दर्ज तालाबों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया (O.A. 78/2024 में 14 नवंबर 2024 का आदेश), और तहसीलदार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की (27 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट); जनवरी 2026 में अधिकरण ने आदेश दिया कि शंकर और पुलगांव नालों द्वारा शिवनाथ तक ले जाए जाने वाले दुर्ग के सीवेज के शोधन संयंत्र छह महीनों के भीतर पूरे किए जाएँ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अरपा के प्रदूषण की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि नए संयंत्रों के बाद भी बिलासपुर का लगभग 40% सीवेज अशोधित रहेगा (जनवरी 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और मई 2026 में खारुन, शिवनाथ और अरपा के प्रदूषण को "व्यवस्थागत विफलता" ("systematic failure") कहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार); WPC 25/2016 और 2696/2016 में उसके 22 जनवरी 2019 के आदेशों के बाद, राज्य ने निर्णय लिया कि बिलासपुर में भूमि बेचने, उस पर निर्माण करने या उसका विकास करने के लिए अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी (आवास एवं पर्यावरण विभाग का 14 फरवरी 2019 का पत्र)। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने रायपुर में करबला तालाब पर उसके उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य रुकवाए (सितंबर 2025), नरैया तालाब (Narhaiya Talab) के बफर में टॉय-ट्रेन की एक योजना की जाँच का आदेश दिया (2025) और NRDA को नवा रायपुर में झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि के पास भूखंडों की निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया (मार्च 2025) (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। वर्षा जल संचयन मामला-दर-मामला लागू कराया गया है: रायपुर जिले में 18 बिल्डरों और 7 औद्योगिक इकाइयों पर इसे न

बनाने के लिए कार्रवाई हुई (2016), और नगर पालिक निगम रायपुर ने बिल्डरों को प्रत्येक टाउनशिप में कम से कम 50 पुनर्भरण गड्ढे बनाने का निर्देश दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कानूनों में वास्तविक शक्तियाँ हैं: जो स्वामी वर्षा जल संचयन न बनाए और उसका रखरखाव न करे, उस पर प्राधिकारी प्रति 100 m^2 निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति लगा सकता है (भूमि विकास नियम, नियम 78(4), 2009 में यथासंशोधित); जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (2002 का नियमितीकरण अधिनियम, धारा 7(1)); निस्तार के लिए दर्ज तालाब राज्य में निहित हैं (भू-राजस्व संहिता, धारा 251), और उन पर अनधिकृत कब्जे का उत्तर संक्षिप्त बेदखली है (धारा 248); और छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम और नगरपालिका अधिनियम उन मध्य प्रदेश अधिनियमों की जल निकासी और तालाब संबंधी शक्तियाँ रखते हैं जिनसे वे निकले हैं (उनके छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए)। इससे पता चलता है कि नियमित प्रवर्तन के बिना नियम का प्रभाव बहुत कम होता है, और कि जहाँ राज्य ने रेखा नहीं खींची, वहाँ न्यायालयों, अधिकरण और आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने खींची है। पेशेवर जवाबदेही (पद 6) प्रायः स्वामियों पर जुर्माने से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति पर कार्य करती है जो डिजाइन पर हस्ताक्षर करता है।

10.16 निगरानी और घटना-पश्चात समीक्षा

10.16.1 **निगरानी नेटवर्क.** टियर A प्राधिकारी अपने मुख्य आउटफॉलों और क्षेत्रीय सुविधाओं पर स्व-अभिलेखी वर्षामापी और जल स्तर गेज का अनुरक्षण करेंगे, या उन तक पहुँच रखेंगे। आँकड़े 15 मिनट या उससे कम के अंतराल पर संग्रहीत किए जाएँगे।

10.16.2 **घटना रिपोर्ट.** किसी ULB क्षेत्र में भवनों में पानी भरने वाली किसी भी घटना के बाद, ULB **3 महीने** के भीतर एक संक्षिप्त घटना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित अभिलिखित होंगे:

- (a) निकटतम अनुमोदित वर्षामापियों पर वर्षा, अवधि के अनुसार, अध्याय 2 की डिजाइन गहराइयों की तुलना में;
- (b) प्राप्तकर्ता नदी (पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन, शिवनाथ, अरपा, बांगोडैम (Bangodam) या कटघोरा पर हसदेव, केलो, राजिम, कलमा (Kalma) या सूरजगढ़ पर महानदी, या जगदलपुर के CWC स्थल पर इंद्रावती) का या प्राप्तकर्ता जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब का, और जहाँ गेज लगा हो वहाँ आउटफॉल पर, जल स्तर, प्रत्येक किसी नामित डेटम पर, और स्थानीय गेज का कोई भी पाठ्यांक CWC के स्तरों से अलग रखा जाए; आउटफॉल पर और उसके प्रतिप्रवाह की ओर ड्रेन पर स्थित प्रत्येक स्लूइस, फ्लैप गेट, अवरोधन वियर और पंपिंग स्टेशन की स्थिति, प्रत्येक पंप के चलने के घंटों और विद्युत आपूर्ति के किसी व्यवधान के साथ; और प्राप्तकर्ता स्तर निर्धारित करने वाले किसी भी डैम या बैराज, जैसे गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, मोंगरा या अरपा भैंसाझार बैराज, खारंग या केलो डैम, के गेटों का खुलना और उनसे छोड़ा गया पानी, और जहाँ हीराकुंड जलाशय का बैकवाटर आउटफॉल तक पहुँचता है वहाँ उस जलाशय का स्तर;
- (c) जलमग्न स्थान, गहराइयाँ और अवधियाँ, और जहाँ संभव हो वहाँ बाढ़ चिह्नों का सर्वेक्षण;
- (d) सार्वजनिक और निरीक्षित निजी सुविधाओं का कार्य-प्रदर्शन, जिसमें अवरुद्ध आउटलेट, विफल पंप या बंद गेट सम्मिलित हैं; और
- (e) अनुशंसित कार्रवाइयाँ।

10.16.3 **घटना-पश्चात समीक्षा.** जहाँ कोई घटना राज्य में दो या अधिक अनुमोदित वर्षामापियों पर 1% AEP की 24-घंटे या 72-घंटे की डिजाइन गहराई से अधिक हो जाती है (खंड 2.14.1), वहाँ CGSDMA, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति के साथ, **12 महीने** के भीतर घटना-पश्चात समीक्षा का नेतृत्व करेगा। यह समीक्षा आकलन करेगी कि इस मैनुअल के मानदंड पर्याप्त थे या नहीं, और खंड 1.12 की समीक्षा में योगदान देगी।

10.16.4 **सुविधाओं के कार्य-प्रदर्शन का नमूना परीक्षण.** प्राधिकारी, कम से कम प्रत्येक 5 वर्ष में, निजी प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं के एक नमूने की एक मानसून भर निगरानी करेगा, यह परखने के लिए कि वे डिजाइन के अनुसार कार्य करती हैं या नहीं।

भाष्य. घटना-पश्चात समीक्षा का प्रारंभक वही समीक्षा प्रारंभक है जो खंड 2.14.1 में पहले से निर्धारित है। छत्तीसगढ़ की बाढ़ें तकनीकी समीक्षाओं द्वारा जाँची जाने के बजाय IMD, CWC और समाचार माध्यमों द्वारा दर्ज की गई हैं। रायपुर का रिकॉर्ड दिन, 4 अगस्त 1910 को 370.3 mm, 1901 से वेधशाला के अभिलेख में सर्वाधिक है (IMD); 30 जून 2007 को रायपुर में 297.0 mm वर्षा दर्ज हुई और उसके

निचले क्षेत्रों से 6,000 से अधिक लोगों को हटाया गया (IMD; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 28–29 अगस्त 2020 को बंगाल की खाड़ी के एक अवदाब से अकलतरा में 282.7 mm वर्षा हुई (IMD रायपुर), पथरीडीह पर खारुन, कलमा और सूरजगढ़ पर महानदी और कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड ने नए उच्चतम बाढ़ स्तर बनाए (CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार), 11,942 घर क्षतिग्रस्त हुए और 219 राहत शिविर खोले गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 25–28 अगस्त 2025 को बस्तर संभाग की बाढ़ों में आठ लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 495 घर और 16 पुलियाएँ और पुल क्षतिग्रस्त हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जुलाई 2026 में रायपुर के अंडरपास और निचली कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं और पाँच तालाब उफनकर घरों में घुस गए, जबकि वर्षा की कोई गहराई नहीं बताई गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और बिलासपुर में एक स्रोत के अनुसार एक दिन में 28 cm और दूसरे के अनुसार 415.6 mm वर्षा होने की खबर थी, एक विरोधाभास जिसे IMD ने हल नहीं किया है। 24–27 सितंबर 2026 को राज्य भर में आई बाढ़ों में आठ लोगों की मृत्यु हुई और 571 गाँवों में 22,377 लोग प्रभावित हुए, गंगरेल के सभी 14 गेट खोले गए, खारुन महादेव घाट पर उफनी और जगदलपुर में इंद्रावती ने नया उच्चतम बाढ़ स्तर बनाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अतीत के रिकॉर्ड इनसे भी बड़े हैं: 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm, 12 अगस्त 2004 को कोरबा में 358.0 mm और 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm (IMD)। किसी भी बाढ़ घटना की कोई समीक्षा, और किसी नगर निगम, NRDA या CGSDMA द्वारा रखा गया बाढ़ के विस्तार, गहराई या अवधि का कोई अभिलेख नहीं मिला। NDMA (2010) ने श्रेणी I, II और III शहरों में "प्रत्येक 4 वर्ग km में 1" ("1 in every 4 sq km") स्वचालित वर्षामापी की अपेक्षा की थी। खंड 10.16.1 केवल वहीं वर्षामापी माँगता है जहाँ वे डिजाइन और समीक्षा के काम आते हैं। रिपोर्ट और नमूना परीक्षण के अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

10.17 आँकड़ों का प्रकाशन

10.17.1 प्रत्येक प्राधिकारी किसी सार्वजनिक वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा, और कम से कम प्रत्येक तिमाही में उन्हें अद्यतन करेगा:

- (a) एक **सुविधा रजिस्टर**: इस मैनुअल के अंतर्गत अनुमोदित प्रत्येक सुविधा का स्थान, प्रकार, डिजाइन आयतन, निकास दर, स्वामी, यथा-निर्मित स्वीकार्यता की तारीख और नवीनतम निरीक्षण परिणाम;
- (b) प्रत्येक अनुमोदित जल निकासी रिपोर्ट का सारांश, प्रपत्र 2-1 और 10-2 के साथ;
- (c) विचलनों और अधित्यागों का रजिस्टर (खंड 1.10);
- (d) नीति अनुपूरक के अंतर्गत अंगीकृत विकल्प (खंड 1.7);
- (e) प्रवर्तन कार्रवाइयाँ (खंड 10.15.5); और
- (f) घटना रिपोर्ट और घटना-पश्चात समीक्षाएँ (खंड 10.16)।

10.17.2 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति अनुपालन कैलकुलेटर, सभी परिशिष्ट, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र और सुविधा रजिस्टरों का राज्य-स्तरीय सारांश मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित करेगी।

10.17.3 किसी निगमित स्वामी या संघ के नाम के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएँगे। महत्वपूर्ण अवसंरचना के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील विवरण, कारण अभिलिखित करके, रोके जा सकते हैं।

10.17.4 प्रकाशित आँकड़े मशीन द्वारा पठनीय (उदाहरण के लिए CSV और GeoPackage) होंगे और Government Open Data Licence – India या किसी समकक्ष मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाएँगे।

भाष्य. यहाँ पारदर्शिता अपने आप में एक डिजाइन मानदंड है। छत्तीसगढ़ के कुछ जल निकासी अभिलेख सार्वजनिक हैं, यद्यपि राज्य की अधिकांश वेबसाइटें केवल संग्रहीत प्रतियों में पढ़ी जा सकीं: छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के 2018 और 2020 के संशोधन, वर्षा जल संचयन पर सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश और रायपुर और अरपा की विकास योजनाओं की अनुमोदन अधिसूचनाएँ (T&CP की वेबसाइट पर); नया रायपुर विकास योजना-2031 के अध्याय और रायपुर की 2015 की AMRUT वर्षा जल निकासी योजना; भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 और WRD की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्टें; AMRUT की CAG लेखापरीक्षा; राष्ट्रीय हरित अधिकरण को CECB और जिला प्रशासन की रिपोर्टें; IMD का *Climate of Chhattisgarh* और मौसम विज्ञान

केंद्र, रायपुर की मानसून रिपोर्टें; CGWB के भूजल आकलन; और कोपरा जलाशय का रामसर सूचना पत्रक। बहुत-सी अन्य सामग्री सार्वजनिक रूप से नहीं मिल सकी: भूमि विकास नियम का समेकित पाठ; नगर पालिक निगम और नगरपालिका अधिनियमों के छत्तीसगढ़ पाठ; NRDA की जल निकासी रिपोर्ट, झीलों के स्तर और विकास विनियम; रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई या कोरबा की किसी भी वर्षा जल ड्रेन का डिजाइन आधार; रायपुर की किसी पुनरीक्षित विकास योजना का अनुमोदन; कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना या शहरी बाढ़ योजना; जगदलपुर को छोड़कर राज्य के किसी भी CWC स्थल के चेतावनी और खतरे के स्तर; WRD के डैमों और बैराजों के प्रचालन नियम; किसी भी नगर के स्लूइसों, अवरोधन वियरों और पंपिंग स्टेशनों की सूची; भू-जल अधिनियम को प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना; राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अंतर्गत आर्द्रभूमियों की सूची; और अरपा और खारुन पर उच्च न्यायालय के आदेशों के पाठ। इनपुट और सुविधाओं के अभिलेख प्रकाशित करने से जनता, शोधकर्ता और अन्य एजेंसियाँ यह जाँच सकती हैं कि शहर का बढ़ता निजी भंडारण वास्तव में मौजूद है। मुक्त फॉर्मेट की अपेक्षा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.18 इस अध्याय की समीक्षा

10.18.1 इस अध्याय की समीक्षा खंड 1.12 के अंतर्गत मैनुअल के साथ की जाएगी। दो समीक्षाओं के बीच, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति खंड 10.5.3 के अंतर्गत प्रपत्रों और अनुपालन कैलकुलेटर को संशोधित कर सकती है।

संदर्भ (अध्याय)

- Chhattisgarh Environment Conservation Board (2021). Report in O.A. No. 593 of 2017 before the National Green Tribunal, with the monthly progress report of January 2021 in O.A. No. 673 of 2018 (sewerage only in Bilaspur; the diversion weirs of the Raipur treatment plants). https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act 2022, ss.1(3), 2(u), 7 and 21 (English text). https://cgwrd.in/water-allotment-system/docs/20220712_Ground%20Water%20Act_English.pdf
- Comptroller and Auditor General of India (2025). Report No. 4 of 2025, *Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022*, Government of Chhattisgarh, Chapter II: Implementation of AMRUT. https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Das, S.K. et al. (2022). Isopluvial analysis and intensity–duration–frequency curves for different cities in India. *MAUSAM* 73(4), 887–898 (no Chhattisgarh station). https://metnet.imd.gov.in/docs/mausamdocs/173412_F.pdf
- Government of Chhattisgarh, General Administration Department (2016). Order No. F 9-22/2016/1/5 of 31 May 2016, rainwater harvesting in government buildings (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20171116144752id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/General/rainwater%20harvesting.pdf
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2008). Notification No. एफ 7-26/32/2008 of 17 December 2008 amending the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 (rule 94-क and Appendix ण, integrated townships) (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20160806135310id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/dt-17-12-2008.PDF
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2009). Notification No. 318/1193/32/2006 of 17 February 2009 amending the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984, Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) of 17 February 2009, p. 124(10), items 25–27 (rule 78(4) and Appendix ढ) (Wayback copies). http://web.archive.org/web/20240302135736id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/Image0004.PDF ; http://web.archive.org/web/20160806082242id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_74.PDF
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2009). Letter No. 2940/1445/32/2009 of 23 November 2009 (concurrence under ss.27 and 28 of the Adhiniyam; rainwater harvesting under rule 78(4)) (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20130721022041id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/Circular/Final%20Circular/Rainwater%20Harvesting.pdf
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2018). Notification No. F 7-27/2017/32 of 6 October 2018 amending the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 (rule 73(3), the plinth certificate and the site-inspection forms) (Wayback copy).

http://web.archive.org/web/20240302142422id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/Bhoomi_Vikas_Niyam%20_1984_Amendment/cg-BVN-amendment-6-10-2018.pdf

- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2019). Letter No. F 07-02/2019/32 of 14 February 2019 to the Arpa Special Area Development Authority (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20240302142039id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/General/ARPA-14-2-2019.pdf
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2020). Notification No. F 07-24/2019/32 of 29 April 2020 amending the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 (Wayback copy of the T&CP website, capture of 2 March 2024).
- Government of Chhattisgarh, Directorate of Town and Country Planning (2011). Letter No. 1680/TCR-2/ नग्रानि./2011 of 23 June 2011 (report format: rule 50, waterlogged land, distance from canal, nala or river), http://web.archive.org/web/20160806081555id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_48.PDF ; and checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011 (WRD's high flood point for land next to a nala, canal or river), http://web.archive.org/web/20160806082300id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_90.PDF (Wayback copies)
- Government of Chhattisgarh (2002). Act on the regularisation of unauthorised development, Chhattisgarh Rajpatra of 26 April 2002, s.7(1) (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20160806081528id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_191.PDF
- India Meteorological Department (2015). *Climate of Chhattisgarh*, Climatological Summaries of States Series No. 22 (district tables of heaviest rainfall in 24 hours; storms and depressions, 1891–2014). https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- India Meteorological Department (2020). Press release of 15 May 2020: new normal dates of onset and withdrawal of the south-west monsoon (Pai et al.), Table 2 (Chhattisgarh stations). https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)* (Chhattisgarh stations). https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department, Meteorological Centre Raipur. *Monsoon Report, Chhattisgarh* (2020, 2023 and 2024).
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, §5608 (easements, maintenance, submittals) and §5609 (plan requirements). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mid-America Regional Council (2025). Stormwater management page: 2025 Stormwater Standards Manual, Compliance Calculator, Calculator Start-Up Guide, Policy Supplement. https://www.marc.org/environment/environment-plans/stormwater-management
- PUB Singapore (2018, with Addendum No. 3 of 16 Apr 2025). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. https://info.corenet.gov.sg/docs/default-source/pub-circulars/pub-circular_cop-7th-ed-addendum-no-3_16-apr-2025.pdf?sfvrsn=5a2c1e1a_2

- PUB Singapore (2024). On-site Stormwater Detention Tank Technical Guide. https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/detentionTank.pdf
- PUB Singapore (11 Nov 2024). Amendments to Sewerage and Drainage Act (press release). https://www.pub.gov.sg/Resources/News-Room/PressReleases/2024/11/Amendments-to-Sewerage-and-Drainage-Act
- MoHUA (2016). Model Building Bye-Laws, Chapter 9, §9.6. https://web.archive.org/web/2022/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf
- National Disaster Management Authority (2010). National Guidelines on Management of Urban Flooding. https://sdma.goa.gov.in/sites/default/files/2022-05/management_urban_flooding.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2024). Environmental clearance, File No. J-11015/72/2016-IA.II(M) of 13 August 2024 (Gare Palma Sector II, Chhattisgarh; the standard coal-mine conditions on garland drains, sumps and desilting, conditions 3.6–3.11). https://mahagenco.in/Content/File_pdf/EnvClearance/2.EC_Gare%20Palma%20Sector%20II%20Coal%20Mine%20Project_13.08.2024.pdf
- Coal Mines Regulations 2017, regulation 149 (danger from surface water; as reported, Gazette text not read).
- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, Chapters 7–9 (road drainage) and 10–12 (§10.3, storm water drainage, and Figure 10.1) (Wayback copies). http://web.archive.org/web/20150807050828id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf ; http://web.archive.org/web/20150725225409id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_7-9.pdf
- Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (2022). Letter No. 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022 of 21 June 2022, forwarding notification No. 4066 of 23 May 2022 under the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20240304202809id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/CG_TCP_ACT_1973/nava%20raipur-%2021-6-22.pdf
- Raipur Municipal Corporation (2015). *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (AMRUT), dated 4 November 2015 (Wayback copy of nagarnigamraipur.nic.in, capture of 26 October 2017).
- Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, sections 248 and 251 (third-party copy). https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html
- National Green Tribunal, Central Zone. O.A. No. 78 of 2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh*: factual and action-taken report of the District Magistrate, Janjgir-Champa (January 2025). https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- National Green Tribunal, Central Zone. Order of 16 January 2026 on the discharge of Durg's sewage to the Seonath (*Amarchand Surana*; as reported). https://www.downtoearth.org.in/environment/daily-court-digest-major-environment-orders-january-20-2026
- Central Water Commission (2019). Daily flood situation reports and advisories (warning and danger levels of the Indravati at Jagdalpur; seen as search extracts). https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsitrep-advisories-29072019_1.pdf
- South Asia Network on Dams, Rivers and People (2020–2026). Posts on new high flood levels at CWC sites in Chhattisgarh (the Kharun at Pathardihi, the Indravati at Jagdalpur, the Hasdeo at Bangodam and Katghora; transcriptions of CWC data). https://sandrp.in/

- Rajya Sabha (2019). Reply of 8 July 2019 on rainwater harvesting (rule 78(4) of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984; seen as a search summary).
- The Hitavada, Down To Earth, The Daily Pioneer, Patrika, The Week, India Legal, OneIndia, The Tribune and Drishti (2007–2026). Reports of the floods of 2007, 2020, 2025 and 2026, the Gangrel, Bango and Hirakud releases, Raipur's drains and desilting, the Bhilai township drains, the State Wetland Authority's orders, the High Court's hearings on the Arpa and the Kharun, and the rainwater harvesting drives in Raipur (secondary sources; addresses not retained).

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
10A	अनुपालन कैलकुलेटर और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
10B	GIS आँकड़ों का विनिर्देश और गुण स्कीमा
10C	रखरखाव पहुँच के आयाम
10D	सुविधा के प्रकार के अनुसार आदर्श O&M योजनाएँ
10E	वर्षा जल डिजाइन पेशेवरों और समीक्षकों की सूचीबद्धता के मानदंड
प्रपत्र 10-1	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची
प्रपत्र 10-2	अनुपालन कैलकुलेटर सारांश
प्रपत्र 10-3	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 10-4	रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख
प्रपत्र 10-5	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 10-6	रखरखाव घोषणा-पत्र
प्रपत्र 10-7	वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट
प्रपत्र 10-8	परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक (अध्याय 2)

अध्याय 11

बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान

11.1 प्रयोजन और विस्तार

11.1.1 अध्याय 2 से 10 एक समय में एक परियोजना को नियंत्रित करते हैं। यह अध्याय उस प्लान की अपेक्षाएँ निर्धारित करता है जो इन परियोजनाओं को एक साथ जोड़ता है: **बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)**। किसी शहर या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक जल निकासी बेसिन के लिए एक BSMP तैयार किया जाता है। किसी शहर के BSMP का समूह मिलकर उसका **शहर वर्षा जल मास्टर प्लान** बनाता है।

11.1.2 BSMP:

- (a) विद्यमान और भविष्य की स्थितियों में बेसिन के बाढ़ जोखिम का मानचित्रण करेगा;
- (b) वह सेवा स्तर निर्धारित करेगा जो जल निकासी प्रणाली के प्रत्येक भाग को प्राप्त करना होगा (खंड 11.6);
- (c) उस सेवा स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक कार्यों, भंडारण और भूमि की पहचान करेगा, और उन्हें प्राथमिकता क्रम में रखेगा (खंड 11.7 और 11.8);
- (d) सांविधिक भूमि उपयोग योजना में क्षेत्रीय भंडारण, तालाब (talab) और तालाब (tank) पुनर्स्थापन, और प्रमुख प्रवाह मार्गों के लिए भूमि आरक्षित करेगा (खंड 11.9);
- (e) वे बेसिन-विशिष्ट इनपुट निर्धारित करेगा जिन पर अध्याय 4 के अंतर्गत साइट डिजाइन निर्भर करते हैं: क्षेत्रीय सुविधाएँ, एवज शुल्क (fee-in-lieu) की इकाई दर, और अध्याय 4 से अधिक कठोर कोई बेसिन निकास दर (खंड 11.8.3); और
- (f) बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करेगा (खंड 4.5.4)।

11.1.3 **साइट डिजाइन से संबंध.** साइट मानदंड (अध्याय 4 से 8) लागू होते हैं, चाहे BSMP विद्यमान हो या नहीं। BSMP अपने बेसिन के लिए साइट मानदंडों को **अधिक कठोर** बना सकता है। वह उन्हें शिथिल नहीं करेगा, सिवाय खंड 4.13 और 4.5.6 के क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क मार्गों के माध्यम से।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ के शहरों में जल निकासी के प्रस्ताव हैं, किंतु एक अपवाद को छोड़कर डिजाइन मानक वाली कोई प्रकाशित जल निकासी योजना नहीं है। अपवाद नवा रायपुर है: नया रायपुर विकास योजना-2031 (NRDA, 2008) नई राजधानी को उसकी चार मुख्य धाराओं के साथ चार जलग्रहण क्षेत्रों में बाँटती है, जिन धाराओं को वह बनाए रखती है, और अपेक्षा करती है कि विद्यमान चैनलों का पुनर्वास किया जाए और कि "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" ("5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system") (§10.3.1.1), कि कोई भी नदी तटबंध 100-वर्ष की बाढ़ से सुरक्षित हो, कि सड़कें प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5–1.0 m ऊपर हों और IRC SP-50 का पालन करें, और कि वर्षा जल ड्रेनों का वर्षा जल खोदी गई या प्राकृतिक झीलों और गर्तों में भंडारित किया जाए; वह रायपुर क्षेत्र के IMD आँकड़ों से 2, 5, 10 और 50 वर्षों के लिए तीव्रता और सांद्रण समय का एक चार्ट देती है, जो केवल आँख से पढ़ा जा सकता है, और नए शहर के 55 जलाशय, जिनमें सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh) और खंडवा (Khandawa) हैं, उसके भंडारण के रूप में बताए गए हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। यह राज्य में एकमात्र स्पष्ट शहरी डिजाइन वर्षा घटना है, और यह एक शहर की योजना है, राज्य का मानक नहीं। AMRUT के अंतर्गत रायपुर की वर्षा जल निकासी योजना (RMC, 2015) दर्ज करती है कि ड्रेनें शहर के 49% भाग को कवर करती हैं, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें हैं, सड़क के 11 हिस्से वर्ष में दो या तीन बार जलमग्न होते हैं और ड्रेनों की क्षमता "पर्याप्त नहीं" ("not sufficient") है, और ₹1,191 करोड़ के कार्य प्रस्तावित करती है, पर कोई

पुनरावृत्ति अवधि या तीव्रता नहीं बताती; राज्य में AMRUT ने बाद में जल निकासी का कोई वित्तपोषण नहीं किया, और NDMA के कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर के लिए ₹222.22 करोड़ की एक शहरी बाढ़ जोखिम परियोजना, जो 1 अक्तूबर 2025 को अनुमोदित हुई, उसके मानदंडों के बिना बताई गई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। रायपुर की विकास योजना, रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021, 5 अप्रैल 2008 को अनुमोदित हुई, और 2031 तक की पुनरीक्षित योजना, जो 2022 में जलाशयों पर बल देते हुए प्रस्तुत की गई, का अनुमोदन नहीं मिला। बिलासपुर में अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 2033 तक की विकास योजना, जो 10 फरवरी 2014 को अनुमोदित हुई, जनवरी 2019 के उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद काफी हद तक किनारे कर दी गई, जब राज्य ने भूमि की बिक्री, निर्माण और विकास के लिए प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी। भिलाई की टाउनशिप की योजना और जल निकासी भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) अपने नगर सेवाएँ (Town Services) विभाग के माध्यम से करता है, भिलाई और रिसाली नगर निगमों की ड्रेनों के साथ-साथ, और उनके बीच ड्रेनों का कोई प्रकाशित विभाजन नहीं है। कोई प्रकाशित दस्तावेज छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर के वर्षा जल ड्रेन नेटवर्क के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि निर्धारित नहीं करता। यह अध्याय वह डिजाइन वर्षा घटना, सेवा स्तर, भंडारण और बफर मानदंड देता है जिनकी ऐसी योजना को आवश्यकता होती है, अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाओं और खंड 11.6 के सेवा स्तरों के साथ; इसे UADD, आवास एवं पर्यावरण विभाग, T&CP, NRDA, RDA, किसी नगर निगम, भिलाई इस्पात संयंत्र, WRD या किसी अन्य निकाय द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। साइट-स्तरीय मैनुअल बेसिन-स्तरीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता: तालाबों का खोया हुआ भंडारण; शहर के नाले, जो खारुन, शिवनाथ, अरपा और हसदेव तक तब पहुँचते हैं जब बैराजों और डैमों से छोड़ा गया पानी उन्हें ऊँचा रखता है; नाले जो सीवेज को अपने आउटफॉलों तक और तालाबों में ले जाते हैं; भरे गए या अतिक्रमित तालाब, जैसे रायपुर में, जहाँ कभी बताए गए 130 या अधिक में से लगभग 40 बचे हैं; कोयला क्षेत्रों में खदान के गड्ढों, ओवरबर्डन डंपों और ऐश पॉन्ड से बदले हुए जलग्रहण क्षेत्र; एक नगर निगम, NRDA, भिलाई इस्पात संयंत्र, WRD और कोयला और बिजली कंपनियों के बीच बँटी हुई एक ही ड्रेन; और ऐसी ड्रेनें जो अपने आप में पर्याप्त हैं किंतु अगले भाग (reach) पर अधिक भार डालती हैं। तुलनीय मैनुअल साइट मानदंडों को बेसिन योजना के साथ जोड़ते हैं:

- डेनवर का Mile High Flood District प्रमुख जल निकासी मार्गों के मास्टर प्लान तैयार करता है जो क्षेत्रीय सुविधाएँ और निकास दरें निर्धारित करते हैं।
- कैनसस सिटी APWA के मानदंड क्षेत्रीय जलसंभर अध्ययनों (MARC) पर आधारित हैं।
- इंग्लैंड की सतही जल प्रबंधन योजनाएँ (Defra, Surface Water Management Plan Technical Guidance, 2010) तैयारी, जोखिम आकलन, विकल्पों और कार्यान्वयन की चरणबद्ध पद्धति निर्धारित करते हैं।
- मलेशिया का MSMA शहरी क्षेत्रों के लिए जल निकासी मास्टर प्लान की अपेक्षा करता है।

यह अध्याय उस पद्धति को छत्तीसगढ़ के अनुरूप ढालता है: मैदानों, पठार और पहाड़ियों वाले ऐसे राज्य के लिए जिसके शहरी नाले डैमों और बैराजों द्वारा रोकी गई नदियों तक जाते हैं, जैसे रायपुर में, जहाँ नाले और तालाब खारुन में जल निकासी करते हैं, दुर्ग और भिलाई में मोंगरा बैराज के नीचे शिवनाथ पर, बिलासपुर में भैंसाझार (Bhaisajhar) बैराज पर अरपा पर, कोरबा में मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज के नीचे हसदेव पर, और रायगढ़ में केलो पर, जबकि हीराकुंड का बैकवाटर रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों के निचले आउटफॉलों तक पहुँचता है और जगदलपुर में इंद्रावती ने 2026 में नया उच्चतम बाढ़ स्तर बनाया; एक नियोजित राजधानी, नवा रायपुर, के लिए, जिसकी जल निकासी राज्य की एकमात्र स्पष्ट शहरी डिजाइन वर्षा घटना पर झीलों और जलाशयों के एक जाल में होती है; भरे गए या अतिक्रमित तालाबों के लिए, जिनमें से रायपुर में कभी बताए गए 130 या अधिक में से लगभग 40 बचे हैं, और एक ऐसे आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए जो अब उनके चारों ओर 50 m की रेखा लागू करता है; कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों और बिजली घरों के लिए, जहाँ खदान के गड्ढे, ओवरबर्डन डंप और राखड़ बाँध जलग्रहण क्षेत्रों और उनके खतरों को बदलते हैं; सीवेज ले जाने वाले उन नालों के लिए, जिन्हें रायपुर के नए शोधन संयंत्रों पर वियरों द्वारा अवरोधित किया जाता है और जो दुर्ग में अधिकरण के आदेशों के अधीन हैं; नगर निगमों में निहित ड्रेनों, NRDA की ड्रेनों और झीलों, भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप और WRD की नदियों, डैमों और बैराजों के लिए, जबकि प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई आदेश नहीं है; ऐसे राज्य के लिए जिसमें डूब क्षेत्र जोनिंग का कोई कानून और कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है; ऐसे राज्य के लिए जिसमें नवा रायपुर को छोड़कर किसी भी शहर की ड्रेनों के लिए कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि प्रकाशित नहीं है; रायपुर के धरसीवां विकासखंड और शिवनाथ के मैदान के नीचे गंभीर स्थिति वाले कठोर-चट्टानी और कार्स्ट जलभृतों के लिए, जिनमें मानसून के बाद

> भूजल स्तर सतह के निकट रहता है; और ऐसे दक्षिण-पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी के अवदाबों के लिए जिनके अभिलिखित दैनिक मान CWC के प्लेटों की 100-वर्ष की गहराइयों से अधिक हैं: 4 अगस्त 1910 को रायपुर में 370.3 mm और 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm (IMD)।

11.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
बेसिन (basin)	खंड 11.3 के अंतर्गत चिह्नित, समुद्र, किसी नदी या किसी प्रमुख जलाशय में एक आउटफॉल की ओर जल निकासी करने वाली भूमि।
बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)	इस अध्याय के अंतर्गत एक बेसिन के लिए तैयार की गई योजना।
अग्रणी प्राधिकारी (Lead Authority)	BSMP तैयार करने के लिए उत्तरदायी निकाय (खंड 11.4)।
सेवा स्तर (LoS)	बाढ़ के संबंध में वह कार्य-निष्पादन जो जल निकासी प्रणाली के किसी भाग को प्राप्त करना होगा, AEP और परिणाम के रूप में व्यक्त (खंड 11.6)।
बाढ़ जोखिम मानचित्र	किसी निर्दिष्ट AEP और परिदृश्य के लिए बाढ़ के विस्तार, गहराई, वेग और जोखिम वर्ग (H1–H6, अध्याय 6) का मानचित्र।
क्षेत्रीय सुविधा (regional facility)	BSMP में चिह्नित, एक से अधिक विकास को सेवा देने वाला भंडारण, वहन या आउटफॉल कार्य।
पूंजीगत सुधार कार्यक्रम (CIP)	BSMP में कार्यों की प्राथमिकता-क्रमित, लागत-सहित सूची (खंड 11.8.4)।

11.3 योजना इकाई: बेसिन, वार्ड नहीं

11.3.1 BSMP **जलवैज्ञानिक बेसिन के अनुसार** तैयार किए जाएँगे, वार्ड, जोन या स्थानीय निकाय की सीमा के अनुसार नहीं। जहाँ कोई बेसिन स्थानीय निकायों की सीमाओं को पार करता है, वहाँ एक BSMP पूरे बेसिन को समाविष्ट करेगा।

11.3.2 बेसिन की सीमाएँ खंड 11.5.2 के डिजिटल उन्नयन मॉडल से चिह्नित की जाएँगी, और ड्रेन नेटवर्क, सड़क तटबंधों, नहरों और तालाबों के आपूर्ति चैनलों से उनकी जाँच की जाएगी। बेसिनों के बीच के मोड़ (diversions), चाहे नहर, ड्रेन या अतिरिक्त जल मार्ग द्वारा हों, मानचित्रित किए जाएँगे और मॉडल में दर्शाए जाएँगे।

11.3.3 छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर का बेसिन सीमांकन प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन शहरी क्षेत्रों के बेसिनों की पहचान साक्ष्यों से होती है, उनके लिए बेसिन कम से कम निम्नलिखित हैं:

- **रायपुर, खारुन:** रायपुर और बिरगांव के वे जलग्रहण क्षेत्र जो शहर के नालों से होकर **खारुन** में जल निकासी करते हैं, जिनमें शहर के **तालाब** (बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, करबला, नरैया (Narhaiya), महाराजबंध और अन्य) भंडारण के रूप में हों, **चंदनीडीह, कारा और निमोरा** के शोधन संयंत्रों के डायवर्जन वियर और **महादेव घाट** का एनीकट 1D नेटवर्क में हों, उनके सीवेज अवरोधन मानचित्रित हों (खंड 8.9.5), और **पथरीडीह** (Pathardihi) पर खारुन का स्तर सीमा-स्थिति हो;
- **नवा रायपुर:** नया रायपुर विकास योजना-2031 की चार मुख्य धाराओं के चार जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें शहर की झीलें और जलाशय, जिनमें **सेंध**, **झांझ** और **खंडवा** हैं, भंडारण और आउटफॉल के रूप में हों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 50 m की रेखा दर्शाई गई हो, और प्रत्येक धारा को प्राप्त करने वाली नदी सीमा-स्थिति हो;

- **दुर्ग और भिलाई:** दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा के वे जलग्रहण क्षेत्र जो **शिवनाथ** में जल निकासी करते हैं, जिनमें **शंकर** और **पुलगांव** नाले और भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें 1D नेटवर्क में हों, उनके सीवेज अवरोधन मानचित्रित हों, और **मोंगरा** बैराज के नीचे शिवनाथ का स्तर सीमा-स्थिति हो;
- **बिलासपुर, अरपा:** बिलासपुर के वे जलग्रहण क्षेत्र जो **अरपा** में जल निकासी करते हैं, जिनमें **अरपा भैंसाझार** बैराज के जलाशय का स्तर और उससे छोड़ा गया पानी सीमा-स्थितियाँ हों, और शहर के पश्चिम में स्थित **कोपरा जलाशय** अपने जलग्रहण क्षेत्र के साथ दर्शाया गया हो;
- **कोरबा, हसदेव:** कोरबा के वे जलग्रहण क्षेत्र जो **दर्री** बैराज के नीचे **हसदेव** में जल निकासी करते हैं, जिनमें **मिनीमाता बांगो** और दर्री से छोड़ा गया पानी अंतर्वाह हो और बांगोडैम (Bangodam) और कटघोरा पर स्तर सीमा-स्थितियाँ हों, आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति हो, खदान के गड्ढे केवल वहीं भंडारण के रूप में दर्शाए गए हों जहाँ पट्टाधारी और DGMS सम्मति दें और उनके स्तरों और अतिप्रवाहों का सर्वेक्षण हुआ हो, ओवरबर्डन डंप तलछट स्रोतों के रूप में हों, और धनरास, हसदेव ताप विद्युत गृह और BALCO के राखड़ बाँधों के टूटने के प्रवाह मार्ग खतरों के रूप में दर्शाए गए हों;
- **रायगढ़, केलो:** रायगढ़ के वे जलग्रहण क्षेत्र जो **केलो डैम** के नीचे **केलो** में जल निकासी करते हैं, जिनमें रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों के निचले आउटफॉलों के लिए **महानदी** और **मांड** के और **हीराकुंड** के बैकवाटर के स्तर सीमा-स्थितियाँ हों; और
- **जगदलपुर, इंद्रावती:** जगदलपुर के वे जलग्रहण क्षेत्र जो **इंद्रावती** में जल निकासी करते हैं, जिनमें CWC के जगदलपुर स्थल पर स्तर (चेतावनी 539.49 m, खतरा 540.80 m, उच्चतम बाढ़ स्तर 544.891 m) सीमा-स्थिति हो और आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति हो।

अन्य टियर A निकाय, जिनमें राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर और चिरमिरी हैं, उन्हें समाविष्ट करने वाले पहले BSMP में अपने बेसिन परिभाषित करेंगे। जहाँ WRD, CWC, DGMS, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या किसी न्यायालय के पास कोई उच्चतम बाढ़ स्तर, जलाशय का पूर्ण जल स्तर, किसी तालाब या आर्द्रभूमि के आसपास की रेखा, या किसी डैम, बैराज, स्लूइस या पंपिंग स्टेशन का प्रचालन नियम है, वहाँ BSMP अपनी सीमा-स्थितियाँ उससे लेगा और उन स्तरों को अपने 1% AEP मानचित्र के सापेक्ष दर्शाएगा।

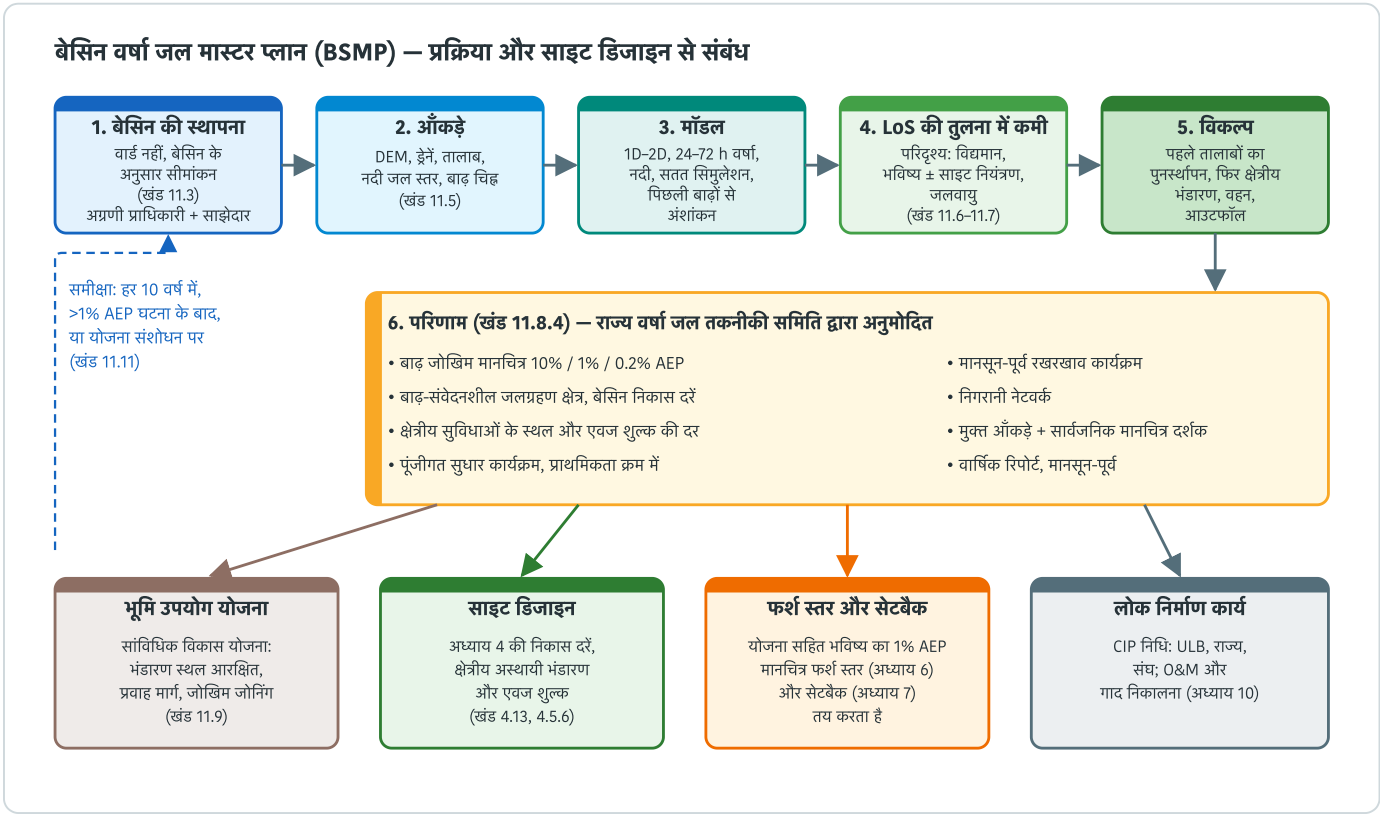

चित्र 11.1 — बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान की प्रक्रिया और साइट डिजाइन से उसके संबंध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। चरण-संरचना Defra, Surface Water Management Plan Technical Guidance (2010), और Mile High Flood District की मास्टर प्लान पद्धति पर आधारित है।

> **भाष्य.** पानी वार्ड की सीमाओं का पालन नहीं करता। वार्ड-दर-वार्ड ड्रेन योजना समस्या को अगले वार्ड तक, और अगले स्थानीय निकाय तक, पहुँचा सकती है। छत्तीसगढ़ में एक ही नाला किसी नदी तक पहुँचने के मार्ग में कई हाथों से गुजर सकता है। मध्य प्रदेश के अधिनियमों से अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 किसी शहर की सार्वजनिक ड्रेनें और तालाब उसके स्थानीय निकाय में निहित करते हैं (उनके छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए); NRDA नवा रायपुर की ड्रेनों और झीलों की योजना बनाता और उनका निर्माण करता है; भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी टाउनशिप की जल निकासी करता है, जिसकी ड्रेनें साफ करने के लिए भिलाई नगर निगम को उसे चेतावनी देनी पड़ी है (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार); सिंचाई या निस्तार के लिए दर्ज तालाब (tanks) कलेक्टर के अधीन राज्य में निहित हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251); WRD नदियों, डैमों, बैराजों और जलाशयों का धारक है; और कोयला कंपनियाँ और बिजली घर अपनी भूमि पर ड्रेनों, गड्ढों, डंपों और ऐश पॉन्ड के धारक हैं। कोई भी नियम प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग नहीं करता (जैसा यह मैनुअल अभिलेख को पढ़ता है)। नाले इन सीमाओं के पार सीवेज ले जाते हैं: जनवरी 2021 में बिलासपुर सीवरेज प्रणाली वाला एकमात्र शहर था, और रायपुर के नए संयंत्र डायवर्जन वियरों के माध्यम से नालों का प्रवाह लेते हैं (CECB); दुर्ग का सीवेज शंकर और पुलगांव नालों से होकर शिवनाथ तक पहुँचता है (राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार); और बिलासपुर के लगभग 40% सीवेज के नए संयंत्रों के बाद भी अशोधित रहने की आशंका थी (उच्च न्यायालय, 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। यह खंड बेसिन को योजना इकाई बनाता है, ताकि एक ही मॉडल प्रत्येक नाले को उसके शीर्ष से नदी तक ले जाए, चाहे प्रत्येक भाग का स्वामी कोई भी हो, और ताकि अवरोधन कार्यों का परीक्षण उन नालों की क्षमता के सापेक्ष हो जिनकी वे टैपिंग करते हैं (अध्याय 8, खंड 8.9.5)।

11.4 कौन तैयार करेगा, और कब

11.4.1 **अग्रणी प्राधिकारी.**

- नगर निगम वाले शहर के बेसिनों के लिए: **नगर निगम** (रायपुर में **RMC**; अन्यत्र बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी और चिरमिरी के नगर निगम), जिसमें छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक ड्रेनें और तालाब निहित हैं, **T&CP** के साथ संयुक्त रूप से, जो वह विकास योजना तैयार करता है जिसमें BSMP सम्मिलित किया जाता है (खंड 11.9); UADD के निर्देश के अनुसार दोनों में से कोई भी प्लान तैयार कर सकता है। नवा रायपुर में अपने पूरे क्षेत्र और अपनी झीलों और जलाशयों के लिए अग्रणी प्राधिकारी **NRDA** है, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। जहाँ कोई बेसिन निगम की सीमा से आगे तक फैला है, वहाँ बेसिन के अन्य स्थानीय निकाय, RDA और NRDA भागीदार हैं, और एक BSMP पूरे बेसिन को समाविष्ट करता है (खंड 11.3.1); जो बेसिन रायपुर से नवा रायपुर में, या इसके विपरीत, जल निकासी करता है, उसका एक ही BSMP होता है।
- प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या स्थानीय निकायों की ड्रेनों को WRD की नदियों, डैमों और बैराजों से, अलग करने वाला कोई आदेश नहीं मिला; जब तक ऐसा आदेश नहीं बनता, यह मैनुअल प्रत्येक BSMP के भीतर भागों (reaches) को निम्नानुसार सौंपता है, जिसमें प्रत्येक निकाय उन भागों और कार्यों के लिए, जिनका वह स्वामी है या जिन्हें वह चलाता है, और उन पर CIP के अंशों के लिए अग्रणी प्राधिकारी है: नदियों, डैमों, बैराजों और जलाशयों और उनके गेटों और उनसे छोड़े जाने वाले पानी के लिए, जिनमें गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, मोंगरा और अरपा भैंसाझार बैराज, खारंग (Kharang) और केलो डैम हैं, **WRD**; अपने पट्टे के भीतर खदान के गड्ढों, खदान झीलों, ओवरबर्डन डंपों, गारलैंड ड्रेनों और तलछट बेसिनों के लिए, **DGMS** के साथ, **कोयला कंपनी या अन्य पट्टाधारी**, और अपने ऐश पॉन्ड, राखड़ बाँधों और उनके टूटने के प्रवाह मार्गों के लिए **बिजली कंपनी** (NTPC, CSPGCL, BALCO या कोई अन्य); अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए, उन तालाबों और आर्द्रभूमियों की 50 m की रेखाओं के लिए जिन्हें वह संरक्षित मानता है और, WRD को प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में साथ लेकर, राज्य के रामसर स्थल **कोपरा जलाशय** के लिए **छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण**; उसमें निहित ड्रेनों,

नालों और सार्वजनिक तालाबों के लिए **नगर निगम**, **नगर पालिका परिषद** या **नगर पंचायत**; नवा रायपुर में **NRDA**; अपनी टाउनशिप की ड्रेनों के लिए, जब तक नगर निगमों के साथ उनका उत्तरदायित्व तय नहीं हो जाता, **भिलाई इस्पात संयंत्र**; अपनी स्कीमों की ड्रेनों के लिए, उनके हस्तांतरित होने तक, **RDA** और **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल**; बेसिन के नगरपालिका सीमाओं से बाहर के भागों में भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य में निहित तालाबों (tanks) के लिए **कलेक्टर**; और अपनी सड़कों की ड्रेनों के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और NHAI।

- टियर B निकायों में: अग्रणी प्राधिकारी को UADD नामित करता है। किसी साझा नदी-भाग, जलाशय या तालाब में जल निकासी करने वाले बेसिनों को एक जिला-स्तरीय प्लान में समूहित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण से प्रत्येक ऐसे BSMP पर परामर्श किया जाएगा जिसका बेसिन किसी ऐसे तालाब या आर्द्रभूमि में, जिसे वह संरक्षित मानता है, या कोपरा जलाशय में जल निकासी करता है; CGSDMA और जिला प्रशासन से प्रत्येक BSMP पर; छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रत्येक ऐसे BSMP पर जो किसी नदी या तालाब तक सीवेज ले जाने वाले, या किसी खदान, डंप या ऐश पॉन्ड से अपवाह प्राप्त करने वाले, किसी नाले पर कार्य प्रस्तावित करता है; और ओडिशा के साथ साझा किसी नदी, जैसे राज्य के बैराजों के नीचे या हीराकुंड के बैकवाटर के भीतर महानदी, या इंद्रावती, पर आउटफॉल वाले बेसिन के लिए, WRD के माध्यम से उस राज्य के जल संसाधन विभाग से।

WRD प्रत्येक ऐसे BSMP में भागीदार होगा जिसमें उसके नियंत्रण वाली कोई नदी, नहर या तालाब सम्मिलित है।

11.4.2 **BSMP कब आवश्यक है.**

- (a) प्रत्येक टियर A निकाय इस मैनुअल के प्रभावी होने के **3 वर्ष** के भीतर अपने पूरे क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले BSMP का अनुमोदन करेगा।
- (b) निम्नलिखित से पहले BSMP आवश्यक है:
  - खंड 4.13 के अंतर्गत कोई क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क स्वीकार किया जाए;
  - खंड 4.5.6.3 के अंतर्गत रखा गया कोई शुल्क व्यय किया जाए; और
  - खंड 11.8.3 के अंतर्गत कोई बेसिन-विशिष्ट निकास दर लागू की जाए।
- (c) टियर B निकाय वहाँ BSMP तैयार करेगा जहाँ उसका अग्रणी प्राधिकारी, या राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति, भवनों या धमनी सड़कों में बार-बार बाढ़ पाती है।

11.4.3 **तैयारी.** BSMP बेसिन-स्तरीय मॉडलिंग के अनुभव वाले, वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional; अध्याय 10) के रूप में सूचीबद्ध किसी अभियंता द्वारा, या उसके निर्देशन में, तैयार किए जाएँगे।

11.5 आँकड़े और सर्वेक्षण

11.5.1 प्रत्येक BSMP तालिका 11.1 के आँकड़े एकत्र और प्रकाशित (खंड 11.10) करेगा:

तालिका 11.1 — BSMP के लिए न्यूनतम आँकड़े और सर्वेक्षण

आँकड़े	न्यूनतम अपेक्षा
भू-भाग	LiDAR या फोटोग्रामिति से डिजिटल उन्नयन मॉडल, शहरी क्षेत्रों में 0.15 m RMSE या बेहतर ऊर्ध्वाधर सटीकता के साथ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम से जुड़ा हुआ
ड्रेन नेटवर्क	सभी सार्वजनिक ड्रेन, पुलियों और आउटफॉलों की सूची, इनवर्ट स्तरों, आकारों, स्थिति और गाद की गहराई के साथ; 600 mm से बड़ी निजी ड्रेन
जलाशय	अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक तालाब (tank), तालाब (talab), पोखर और दलदल का सर्वेक्षण: FTL, MWL, बाँध का स्तर, जल स्तर–भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल, अतिक्रमण

आँकड़े	न्यूनतम अपेक्षा
नदियाँ और नहरें	200 m से अधिक नहीं के अंतराल पर और प्रत्येक संरचना पर अनुप्रस्थ काट
आउटफॉल, नदियाँ, जलाशय, बैराज और खदान के गड्ढे	प्रत्येक स्तर के डेटम का नाम; निकटतम CWC गेज पर प्राप्तकर्ता नदी के चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तरों और उसके अभिलिखित चरमों (जगदलपुर में इंद्रावती पर चेतावनी स्तर 539.49 m, खतरे का स्तर 540.80 m और उच्चतम बाढ़ स्तर 544.891 m, 26 सितंबर 2026; पथरीडीह पर खारुन पर उच्चतम बाढ़ स्तर 281.68 m, 29 अगस्त 2020, जहाँ कोई चेतावनी या खतरे का स्तर नहीं मिला; CWC के स्तर, प्रकाशित खबरों के अनुसार) के सापेक्ष आउटफॉल के इनवर्ट स्तर, और कोई भी स्थानीय गेज एक अलग शृंखला के रूप में रखा जाए; जलाशयों, बैराज के जलाशयों और तालाबों में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए, WRD या अभिरक्षक से जलाशय का पूर्ण जल स्तर, अधिकतम जल स्तर और स्पिलवे और स्लूइस के आँकड़े (उदाहरण के लिए WRD की 10 अक्तूबर 2024 की जलाशय गेज रिपोर्ट में अरपा भैंसाझार बैराज के लिए 302.000 m, मोंगरा बैराज के लिए 337.150 m और केलो डैम के लिए 233.000 m के जलाशय के पूर्ण जल स्तर), यह बताते हुए कि किसका उपयोग किया गया है; गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग और शिवनाथ, अरपा और महानदी पर बने बैराजों से छोड़े गए पानी के अभिलेख; राज्य के भीतर हीराकुंड के बैकवाटर का विस्तार; भंडारण के रूप में प्रस्तावित किसी भी खदान के गड्ढे के लिए, DGMS की सम्मति के साथ, उसके स्तर, अतिप्रवाह और हाईवॉल की स्थिरता का पट्टाधारी का सर्वेक्षण; उनके स्वामियों द्वारा मानचित्रित राखड़ बाँधों के टूटने के प्रवाह मार्ग; जहाँ बाध्यकारी हों वहाँ नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए दिए गए WRD के उच्च बाढ़ बिंदु, पुष्टि होने पर छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 की रेखाएँ, और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 50 m की रेखा; और आउटफॉलों पर स्लूइस, फ्लैप गेट, अवरोधन वियर, एनीकट, चेक डैम, झीलों के निकास और पंपिंग स्टेशन, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों के साथ
वर्षा और स्तर	सभी उपलब्ध वर्षामापी (IMD, जिसमें रायपुर (1901 से) और रायपुर (माना) हवाई अड्डे पर उसकी वेधशालाएँ, जगदलपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, चांपा, जशपुरनगर, कांकेर और राजनांदगांव के उसके केंद्र, और मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर द्वारा सूचित स्वचालित मौसम केंद्र और वर्षामापी सम्मिलित हैं; राज्य के जिला और तहसील वर्षामापी, जिनके अभिलेख IMD *Climate of Chhattisgarh* में सारणीबद्ध करता है; CWC और WRD के वर्षामापी और नदी गेज, जिनमें WRD के डैमों और बैराजों पर स्थित गेज सम्मिलित हैं; रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कृषि-मौसम वेधशाला; और नगर निगमों, NRDA और स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा रखे गए कोई भी गेज) और जल स्तर के अभिलेख, जिनमें 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की घटनाओं के अभिलेख सम्मिलित हैं
बाढ़ के साक्ष्य	पिछली घटनाओं के सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न और मानचित्रित बाढ़ विस्तार, सार्वजनिक रिपोर्टों सहित
भूमि उपयोग	विद्यमान भूमि उपयोग और अपारगम्यता; सांविधिक विकास योजना से भविष्य का भूमि उपयोग
मिट्टी और भूजल	HSG मानचित्र (परिशिष्ट 3A); मौसमी उच्चतम भूजल स्तर; जलभृत और पुनर्भरण क्षेत्र
सीवर से अंतःक्रिया	ज्ञात सीवेज के अवैध जुड़ाव, ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह, और ठोस अपशिष्ट हॉटस्पॉट

भाष्य. 0.15 m सटीकता का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि छत्तीसगढ़ के मैदान पर, जहाँ ढलानें मंद हैं (पूरे नवा रायपुर में 0–5%, NRDA) और कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की निचली भूमियाँ, तालाब और खारुन, शिवनाथ और अरपा के डूब क्षेत्र तय करते हैं कि पानी कहाँ ठहरता है, और रायपुर के तालाबों और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के किनारों के आसपास, जहाँ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लागू उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा तय करती है कि क्या बनाया जा सकता है, भूमि स्तर में छोटी-सी त्रुटि भी बाढ़ की सीमा को बहुत दूर खिसका देती है, और BSMP से प्राप्त 1% विस्तार फर्श स्तर (अध्याय 6) और सेटबैक (अध्याय 7) निर्धारित करता है। पिछले बाढ़ चिह्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मॉडल। 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की घटनाएँ छत्तीसगढ़ के पास उपलब्ध सर्वोत्तम अंशांकन आँकड़े हैं, और अधिकांश साक्ष्य तस्वीरों, समाचार रिपोर्टों और निवासियों के अभिलेखों में हैं, जिन्हें नष्ट होने से पहले एकत्र किया जाना चाहिए।

11.6 सेवा स्तर

11.6.1 प्रत्येक BSMP निम्नलिखित न्यूनतम सेवा स्तर लेगा। BSMP अधिक कठोर स्तर ले सकता है।

तालिका 11.2 — न्यूनतम सेवा स्तर

तत्व	न्यूनतम सेवा स्तर
लघु प्रणाली	अध्याय 6 की डिजाइन AEP (तालिका 6.1)
आवास योग्य भवन	1% AEP (100-वर्ष) घटना में फर्श स्तर से ऊपर कोई बाढ़ नहीं
महत्वपूर्ण सुविधाएँ (अस्पताल, आपातकालीन सेवाएँ, उप-केंद्र, जल और सीवेज संयंत्र)	0.2% AEP (500-वर्ष) घटना में सुविधा में कोई बाढ़ नहीं; 1% AEP घटना में पहुँच सड़क चलने योग्य
निष्क्रमण मार्ग और धमनी सड़कें	1% AEP घटना में चलने योग्य (जोखिम वर्ग H2 या बेहतर, अध्याय 6)
रुके जल की निकासी का समय	10% AEP (10-वर्ष) घटना में वर्षा रुकने के **6 घंटे** के भीतर सड़कों से सतही जल हट जाए
तालाब (tank) और तालाब (talab) का भंडारण	सबसे पहले उपलब्ध सर्वेक्षण के सापेक्ष मापा गया, बेसिन में MWL से नीचे बाढ़ भंडारण की कोई शुद्ध हानि नहीं
आउटफॉल	अध्याय 5 की संयुक्त और आउटफॉल-बंद स्थितियों में कार्यशील

भाष्य. भवनों और सड़कों के स्तर अध्याय 6 को दोहराते हैं, ताकि बेसिन प्लान और साइट डिजाइन एक ही परिणाम का लक्ष्य रखें। महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए 0.2% AEP, रुके जल की निकासी का 6 घंटे का समय और तालाबों के भंडारण के लिए शुद्ध हानि नहीं का नियम, इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। निकासी का समय उस बात को दर्शाता है जिस पर निवासी वर्षा घटना के बाद सबसे अधिक ध्यान देते हैं। शुद्ध हानि नहीं का नियम भंडारण की उस हानि को दर्शाता है जिसकी खबरें तो हैं किंतु माप नहीं हुआ। विधि में छत्तीसगढ़ के तालाब (tanks) अधिकांशतः सार्वजनिक हैं: सिंचाई या निस्तार (nistar) के अधिकारों वाली भूमि पर स्थित गाँवों के तालाब 6 अप्रैल 1959 को राज्य में निहित हुए (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), कलेक्टर निस्तार के लिए तालाबों हेतु भूमि पृथक रख सकता है (धारा 237), और भू-अभिलेखों में दर्ज किसी तालाब पर अतिक्रमण को अनधिकृत कब्जे के रूप में हटाया जाता है (धारा 248), जैसा 2024–25 में बलौदा में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश (O.A. 78/2024) के अंतर्गत हुआ; किसी शहर के भीतर सार्वजनिक तालाब यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम और नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत स्थानीय निकाय में निहित होते हैं (उनके छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए); और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण उन तालाबों और आर्द्रभूमियों के उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्यों पर रोक लगाता है जिन्हें वह संरक्षित मानता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय, 1993 में बना और WRD द्वारा प्रबंधित 210 ha का जलाशय, राज्य का पहला रामसर स्थल है (रामसर सूचना पत्रक में नामांकन की तिथि 8 अगस्त 2025; घोषणा दिसंबर 2025 में, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। फिर भी हानियाँ स्पष्ट दिखती हैं: तालाबों के शहर रायपुर में कभी लगभग 130 या अधिक तालाब होने की खबर है, जिनमें से लगभग 40 बचे हैं, कुल लगभग 69 ha, सभी प्रदूषित और गाद से भरे (प्रकाशित खबरों के अनुसार; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं); रायपुर जिले के हर जलाशय के सर्वेक्षण का 8 मई 2023 का एक निर्देश केवल करबला तालाब पर लागू किए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने करबला तालाब पर उसके उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्य पाए और उन्हें रुकवाया (2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। शहरों से परे गाँवों के तालाब (talab), बाँध (bandh) और डबरियाँ (dabri) हैं, और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत खोदे गए खेत-तालाब। किसी नगर निगम के भीतर किसी तालाब या जलाशय के भंडारण का कोई सर्वेक्षण नहीं मिला, और रायपुर के किसी भी तालाब या नवा रायपुर की किसी भी झील का कोई स्तर या क्षमता प्रकाशित नहीं हुई है।

11.7 मॉडलिंग और परिदृश्य

11.7.1 **मॉडल.** प्रत्येक BSMP निम्नलिखित के युग्मित 1D–2D हाइड्रोलिक मॉडल का उपयोग करेगा:

- लघु प्रणाली;
- प्रमुख (सतही) प्रणाली;
- नदियाँ, नहरें और तालाब; और
- आउटफॉल।

विधियाँ अध्याय 3 के अनुसार होंगी। ज्वारीय और नदी सीमा-स्थितियाँ अध्याय 5 के अनुसार होंगी।

11.7.2 **डिजाइन वर्षा घटनाएँ.** मॉडल अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए, जिनमें 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ सम्मिलित हैं, कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए चलाया जाएगा। क्षेत्रीय न्यूनीकरण खंड 2.7.3 के अंतर्गत लागू किया जाएगा।

11.7.3 **सतत सिमुलेशन.** तालाब श्रृंखलाओं वाले बेसिनों को सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) द्वारा भी चलाया जाएगा, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ IMD के संपूर्ण ग्रिड दैनिक अभिलेख का, और कम से कम 30 वर्ष का, उपयोग करते हुए, जिसे परिशिष्ट 2D के कालिक वितरणों द्वारा विभाजित किया गया हो। इससे पता चलता है कि डिजाइन वर्षा घटनाओं के आने पर तालाब कितने भरे हैं, और भारी वर्षा कितनी बार बंद आउटफॉल के साथ घटित होती है। खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति का उपयोग किया जा सकता है: एक सरलीकृत भंडारण मॉडल पूरे अभिलेख के लिए चलाया जाता है, और खंड 11.7.1 का युग्मित 1D–2D मॉडल केवल डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए, सतत रन से प्राप्त तालाब स्तरों से आरंभ करके, चलाया जाता है। पूर्ण 1D–2D मॉडल का सतत रन आवश्यक नहीं है।

11.7.4 **परिदृश्य.** प्रत्येक BSMP कम से कम निम्नलिखित का मॉडल बनाएगा:

- (a) **विद्यमान:** विद्यमान भूमि उपयोग, नेटवर्क, तालाब और आउटफॉल;
- (b) **भविष्य, अनियंत्रित:** सांविधिक विकास योजना के अंतर्गत भविष्य का भूमि उपयोग, बिना किसी साइट नियंत्रण के;
- (c) **भविष्य, नियंत्रित:** अध्याय 4 के साइट नियंत्रणों के साथ भविष्य का भूमि उपयोग;
- (d) **भविष्य, योजना सहित:** परिदृश्य (c) और CIP के कार्य; और
- (e) **जलवायु:** परिदृश्य (a) और (d), खंड 2.8 के जलवायु गुणकों के साथ, जिनका उपयोग बिना परिवर्तन के किया जाता है: छत्तीसगढ़ के लिए डिजाइन गुणक वाला भारी वर्षा का कोई प्रक्षेपण नहीं मिला; जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (2014) के सारांश के अनुसार वह मानसून के कुल योग में गिरावट पाती है, जबकि महानदी के मैदान के केंद्रों पर अधिकतम 1- और 5-दिवसीय वर्षा 1971–2021 के दौरान बढ़ी बताई गई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और केंद्र-अभिलेख, 4 अगस्त 1910 को रायपुर में 370.3 mm, 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm, 12 अगस्त 2004 को कोरबा में 358.0 mm और 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm (IMD), वहाँ CWC प्लेटों की 100-वर्ष की 24-घंटे की गहराइयों से अधिक हैं (इस मैनुअल का पठन), जो गुणकों को बनाए रखने का कारण है, उन्हें घटाने का नहीं।

11.7.5 **अंशांकन.** मॉडल का अंशांकन और वैधीकरण खंड 3.15 के अंतर्गत किया जाएगा, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों वहाँ 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की घटनाओं में से कम से कम दो का उपयोग करते हुए।

BSMP मॉडल: खंड 11.7 द्वारा अपेक्षित तत्व (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं)

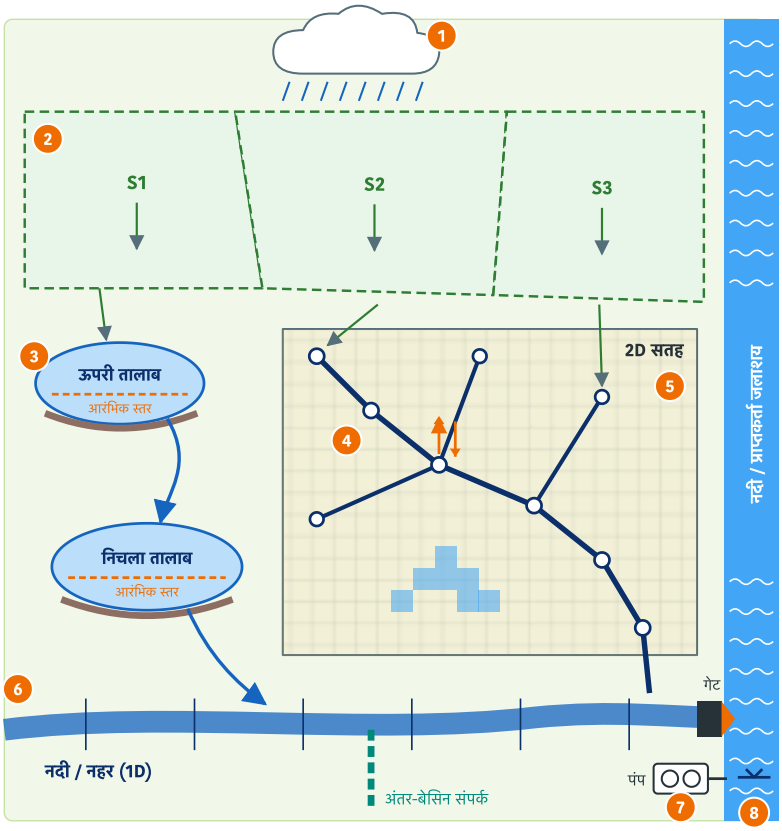

1. **डिजाइन वर्षा** — अध्याय 2 की वर्षा घटनाएँ, 24, 48, 72 h सहित; 50%, 10%, 1%, 0.2% AEP; क्षेत्रीय न्यूनीकरण (खंड 2.7.3, 11.7.2)
2. **उप-जलग्रहण क्षेत्र** — अध्याय 3 की विधियों से अपवाह; खंड 11.7.4 के हर परिदृश्य (a)–(e) के लिए भूमि उपयोग
3. **तालाब और पोखर** — सर्वेक्षित FTL, MWL, जल स्तर–भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर (खंड 11.5.1); आरंभिक स्तर सतत रन से (खंड 3.13.5, 11.7.3)
4. **1D ड्रेन नेटवर्क** — लघु प्रणाली: सर्वेक्षित इनवर्ट और गाद सहित ड्रेनें, पाइप और पुलियाँ (खंड 11.5.1)
5. **2D सतह** — DEM पर प्रमुख (सतही) प्रणाली, 0.15 m RMSE या बेहतर; इनलेट और मैनहोल पर 1D के साथ आदान-प्रदान
6. **नदियाँ और नहरें (1D)** — अधिकतम 200 m के अंतर पर और हर संरचना पर अनुप्रस्थ काट; बेसिनों के बीच के डायवर्जन मानचित्रित (खंड 11.3.2)
7. **आउटफॉल** — स्लूइस, फ्लैप गेट और पंप; अध्याय 5 की संयोगी और आउटफॉल-बंद स्थितियाँ
8. **अनुप्रवाह सीमा** — नदी (CWC या WRD गेज) या झील का जल स्तर (MWL या FTL + सरचार्ज), अध्याय 5 के अनुसार

जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों, कम से कम दो बड़ी पिछली बाढ़ घटनाओं से अंशांकन और वैधीकरण करें (खंड 11.7.5)।

चित्र 11.2 — खंड 11.7 द्वारा अपेक्षित BSMP मॉडल के तत्व: उप-जलग्रहण क्षेत्र, 1D ड्रेन और चैनल नेटवर्क, 2D सतह, सतत सिमुलेशन से प्राप्त आरंभिक स्तरों वाले तालाब (tank) और तालाब (talab), और आउटफॉल पर ज्वारीय या नदी सीमा-स्थिति (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, युग्मित 1D–2D शहरी बाढ़ मॉडलिंग की सामान्य पद्धति पर आधारित।

> **भाष्य.** परिदृश्य (b) की परिदृश्य (c) से तुलना दर्शाती है कि साइट नियम अपने आप क्या प्राप्त करते हैं। परिदृश्य (d) दर्शाता है कि सार्वजनिक कार्य क्या जोड़ते हैं। यह तुलना बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों को अधिसूचित करने (खंड 4.5.4) और अधिक कठोर बेसिन निकास दर निर्धारित करने (खंड 11.8.3) का साक्ष्य-आधार भी है।

11.8 विकल्प, आउटपुट और पूंजीगत सुधार कार्यक्रम

11.8.1 **विकल्पों का पदानुक्रम.** विकल्पों पर निम्नलिखित क्रम में विचार किया जाएगा, जो खंड 1.2 के पदानुक्रम का बेसिन-स्तरीय रूप है:

1. **भंडारण का संरक्षण और पुनर्स्थापन:** तालाब (talab), तालाब (tank), दलदल और डूब क्षेत्र, जिसमें मूल तल तक गाद निकालना और अतिक्रमित क्षेत्र को वापस प्राप्त करना सम्मिलित है (अध्याय 7);
2. **क्षेत्रीय प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण**, मॉडलिंग द्वारा ऐसे स्थानों पर जहाँ निकास मुख्य धारा के चरम के साथ न मिले (खंड 4.13);
3. ड्रेन, नहरों और पुलियों का **वहन** उन्नयन;
4. **आउटफॉल कार्य:** खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो और इंद्रावती में गिरने वाले आउटफॉलों पर स्लूइस और फ्लैप गेट; जहाँ कोई आउटफॉल बाढ़ग्रस्त नदी, बैराज के जलाशय या हीराकुंड के बैकवाटर से बंद हो सकता है, वहाँ पंपिंग स्टेशन और उनके पीछे का भंडारण; ऐसे अवरोधन वियर जो रायपुर और दुर्ग के नालों का शुष्क मौसम प्रवाह उनकी वर्षा जल क्षमता लिए बिना सीवेज शोधन संयंत्रों तक ले

जाएँ; ओवरबर्डन डंपों और खदान स्थलों के नीचे तलछट बेसिन और टो ड्रेनें (toe drains); और प्राप्तकर्ता स्तर निर्धारित करने वाले गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग और मोंगरा और अरपा भैंसाझार बैराजों के गेटों के प्रचालन नियम, जो WRD के साथ सहमत हों;

5. जहाँ कार्य सेवा स्तर तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ **संपत्ति-स्तरीय सुरक्षा**; और
6. **गैर-संरचनात्मक उपाय:** बाढ़ चेतावनी (उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर द्वारा जारी IMD की जिला वर्षा चेतावनियाँ और नाउकास्ट, CWC के बाढ़ पूर्वानुमान और उसके स्थलों पर नदी के जल स्तर, जिनमें जगदलपुर में इंद्रावती का जल स्तर उसके चेतावनी और खतरे के स्तरों के सापेक्ष सम्मिलित है, गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, मोंगरा और अरपा भैंसाझार बैराजों और खारंग से पानी छोड़े जाने की अनुप्रवाह के नगरों और गाँवों को सूचना, और जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष), बाढ़ जोखिम जोनिंग, आपातकालीन योजना और जन सूचना।

11.8.2 **विकल्पों का आकलन.** प्रत्येक विकल्प का आकलन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- बाढ़ जोखिम में कमी (बाढ़ से प्रभावित भवन और लोग; अपेक्षित वार्षिक क्षति);
- पूंजीगत लागत और 30 वर्ष की रखरखाव लागत;
- आवश्यक भूमि;
- शिवनाथ के मैदान के गंभीर और अर्ध-गंभीर विकासखंडों में, जिनमें धरसीवां (रायपुर), दुर्ग और धमधा हैं, भूजल पुनर्भरण पर, जहाँ रायपुर को पानी देने वाला चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर कार्स्टीकृत और गुहायुक्त है, मानसून-पश्चात उथले भूजल स्तर पर, जो लगभग चार में से तीन कुओं में 5 m के भीतर है, उन कन्हार (kanhar) चिकनी मिट्टियों पर जो एक बार गीली होने के बाद कोई पुनर्भरण नहीं लेतीं, कोरबा कोयला क्षेत्र में खदान के निर्जलीकरण पर, और भूजल की, जिसमें राज्य के कुछ भागों में फ्लोराइड और नाइट्रेट और अंबागढ़ चौकी में आर्सेनिक है, और अपवाह जिन नदियों, जलाशयों और तालाबों तक पहुँचता है उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव (अध्याय 8);
- अनुप्रवाह बेसिनों और प्राप्तकर्ता नदी, जलाशय या तालाब पर प्रभाव; और
- लाभ किसे होता है।

11.8.3 **बेसिन निकास दरें.** जहाँ परिदृश्य (c) सेवा स्तर को पूरा नहीं करता, वहाँ BSMP AEP और उप-जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार, अध्याय 4 से अधिक कठोर, बेसिन-विशिष्ट **साइट की अनुमेय प्रवाह दर** ($m^3/s/ha$) निर्धारित कर सकता है। यह दर खंड 4.5.4 की अधिसूचना प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी होती है।

11.8.4 **आउटपुट.** प्रत्येक BSMP निम्नलिखित तैयार करेगा:

- (a) 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, विद्यमान और भविष्य-योजना-सहित, बाढ़ जोखिम मानचित्र (विस्तार, गहराई, वेग, जोखिम वर्ग)। **1% AEP भविष्य-योजना-सहित मानचित्र** फर्श स्तरों (अध्याय 6) और सेटबैक (अध्याय 7) के लिए संदर्भ मानचित्र बन जाता है;
- (b) अनुशंसित बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र और कोई बेसिन निकास दरें (खंड 4.5.4 और 11.8.3);
- (c) क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, भंडारण आयतनों, भूमि की आवश्यकताओं और उनके द्वारा सेवित साइटों के साथ;
- (d) बेसिन के लिए एवज शुल्क की इकाई दर (खंड 4.13.3);
- (e) **पूंजीगत सुधार कार्यक्रम**: प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार प्राथमिकता-क्रमित कार्य, लागत, चरणबद्धता और एजेंसी के साथ;
- (f) मानसून-पूर्व **रखरखाव कार्यक्रम**: गाद निकालना, गेट और पंप का परीक्षण, और तालाबों के प्रचालन नियम (अध्याय 10); और
- (g) निगरानी की आवश्यकताएँ: नए वर्षामापी, स्तर संवेदक और बाढ़ चिह्न सर्वेक्षण बिंदु।

> **भाष्य.** भंडारण का पुनर्स्थापन पहले आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के शहरों के अनेक आउटफॉल सबसे अधिक वर्षा वाले सप्ताहों में बंद या सीमित रहते हैं, और क्योंकि अकेला वहन आवश्यकता के साथ नहीं चल पाया है। पथरीडीह पर खारुन अगस्त 2020 में लगभग 46 घंटे तक अपने 1994 के निशान से ऊपर रही और 2024 और 2026 में महादेव घाट पर सड़क के ऊपर से बही, सितंबर 2026 में गंगरेल ने अपने सभी 14 गेट खोले, अगस्त 2024 में मिनीमाता बांगो और दर्री बैराज ने एक साथ कोरबा की ओर पानी छोड़ा (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और पूर्व में हीराकुंड का बैकवाटर राज्य के भीतर तक पहुँचता है। रायपुर कभी अपना अपवाह अपने तालाबों में रोकता था, और शहर में बताए गए 130 या अधिक तालाबों में से लगभग 40 बचे हैं, कुल लगभग 69 ha (प्रकाशित खबरों के अनुसार; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं), जबकि नवा

रायपुर की योजना विपरीत सिद्धांत पर बनी, जिसमें उसकी वर्षा जल ड्रेनें और उद्यान उसकी झीलों और जलाशयों तक जाते हैं (NRDA, 2008)। अकेला वहन काम नहीं आया: रायपुर की 2015 की योजना ने पाया कि उसकी ड्रेनें क्षमता में अपर्याप्त और अवरुद्ध हैं, और 2020 तक पूर्ण कवरेज तक पहुँचने का प्रस्ताव किया (RMC, 2015), किंतु जुलाई 2026 में उसकी निचली कॉलोनियाँ और अंडरपास फिर जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। बिना बताए गए डिजाइन आधार वाली ड्रेनों के लिए वर्षा घटनाएँ बड़ी हैं: IMD ने रायपुर में एक दिन में 370.3 mm (4 अगस्त 1910), राजनांदगांव में 392.0 mm (21 सितंबर 1965) और कोरबा में 358.0 mm (12 अगस्त 2004) दर्ज की है, जो वहाँ CWC प्लेटों की 100-वर्ष की 24-घंटे की गहराइयों से अधिक है (IMD; इस मैनुअल का पठन)। अकेले वहन के उन्नयन पानी को और तेजी से ऐसे आउटफॉल तक पहुँचाते हैं जिसे बाढ़ग्रस्त खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव या इंद्रावती, अपने पूर्ण स्तर पर रोका गया किसी बैराज का जलाशय या कोई जलाशय, या हीराकुंड का बैकवाटर बंद कर सकता है, या जो अपने स्लूइस, अवरोधन वियर या पंपिंग स्टेशन की क्षमता से सीमित है। छत्तीसगढ़ में भूजल शिवनाथ के मैदान पर पुनर्भरण और हर जगह सावधानी की माँग करता है। 2024 में राज्य का दोहन का चरण 47.32% था, उसके 146 विकासखंडों में से 120 सुरक्षित, 21 अर्ध-गंभीर और 5 गंभीर थे, जिनमें रायपुर जिले का धरसीवां 93.51% पर और पास के गुरूर, नवागढ़, बेमेतरा और बेरला हैं; दुर्ग, धमधा और राजनांदगांव अर्ध-गंभीर थे (CGWB, 2024); 2026 में कोई विकासखंड गंभीर न होने की एक समाचार रिपोर्ट सत्यापित नहीं हुई है। राज्य का लगभग 87% कठोर चट्टान है, और रायपुर को पानी देने वाले चंडी चूना पत्थर को, उसी पट्टी के चरमुरिया चूना पत्थर के साथ, "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous") बताया गया है (CGWB), इसलिए वहाँ पुनर्भरण, अपवाह जो कुछ भी साथ लाए उसके साथ, जलभृत तक तेजी से पहुँचता है, और उसके लिए गुहा जाँच आवश्यक है। किंतु मानसून के बाद लगभग 76% कुओं में भूजल स्तर भूमि से 5 m के भीतर रहता है (CGWB, 2023), इसलिए कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की निचली भूमियों पर पुनर्भरण जलभराव बढ़ाता है। गुणवत्ता भी पुनर्भरण को सीमित करती है: आठ जिलों के नमूनों में फ्लोराइड 1.5 mg/l से अधिक है और लगभग 11% नमूनों में नाइट्रेट 45 mg/l से अधिक है, अंबागढ़ चौकी विकासखंड के कौड़ीकसा (Kaudikasa) में और कोरबा, कोरिया और रायगढ़ के नमूनों में आर्सेनिक पाया जाता है (CGWB), और कोरबा कोयला क्षेत्र में खदान का निर्जलीकरण गड्ढों के आसपास भूजल स्तर को नीचे खींचता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 राज्य को अधिसूचित गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में पुनर्भरण लागू कराने की शक्ति देगा, किंतु उसे प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली है। भूमि विकास नियम का वर्षा जल संचयन नियम 500 m^2 बताई गई भूखंड-सीमा से ऊपर पुनर्भरण गड्ढों या भंडारण की अपेक्षा करता है (नियम 78(4) और भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ढ, 2009 में यथासंशोधित; सीमा [TBC]), भूजल स्तर की गहराई या भूमि का ध्यान रखे बिना। इसीलिए पुनर्भरण, जलभराव, कार्स्ट, खनन से विक्षुब्ध भूमि और भूजल की गुणवत्ता, सभी आकलन के मानदंड हैं। यह मैनुअल परियोजनाओं को प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार क्रमित करता है, ताकि सीमित बजट पहले वहाँ लगे जहाँ सबसे अधिक लोग सुरक्षित होते हैं।

11.9 भूमि उपयोग योजना के साथ एकीकरण

11.9.1 अनुमोदित BSMP को सांविधिक भूमि उपयोग योजना में सम्मिलित किया जाएगा: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुमोदित विकास योजनाएँ, जिनमें रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 और उसका स्थान लेने वाली योजना और दुर्ग–भिलाई की विकास योजना हैं; उसी अधिनियम के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की योजनाएँ, जिनमें नया रायपुर विकास योजना-2031 और, जहाँ वह अब भी लागू है, अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033 हैं; और उनके अंतर्गत और छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत विकास अनुमति प्राप्त लेआउट। विशेष रूप से:

- (a) क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, पुनर्स्थापित तालाब बाढ़ भंडारण, और प्रमुख प्रवाह मार्ग प्लान में **आरक्षित** किए जाएँगे;
- (b) 1% AEP जोखिम मानचित्र दर्शाया जाएगा, और उस पर अध्याय 7 के सेटबैक लागू किए जाएँगे;
- (c) 1% AEP घटना में जोखिम वर्ग H5–H6 की भूमि को नए आवासीय विकास के लिए जोन नहीं किया जाएगा; और
- (d) किसी बेसिन के भीतर लेआउटों के खुले स्थान, जहाँ संभव हो, इस प्रकार स्थित होने चाहिए कि वे BSMP में दर्शाए गए प्रमुख प्रवाह मार्गों या क्षेत्रीय भंडारण का भाग बनें।

11.9.2 जहाँ किसी BSMP के अनुमोदन से पहले कोई भूमि उपयोग योजना संशोधित की जाती है, वहाँ योजना प्राधिकरण सर्वोत्तम उपलब्ध बाढ़ मानचित्रण का उपयोग करेगा और BSMP को लंबित के रूप में अभिलिखित करेगा।

> **भाष्य.** छत्तीसगढ़ नियम द्वारा बहुत कम जल रेखाएँ खींचता है, और उनमें सबसे चौड़ी आर्द्रभूमि प्राधिकरण से आई है। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 50 अब भी विकास के लिए अनुपयुक्त भूमि का नियम है, किंतु उसका छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया: 1984 में बने रूप में वह उच्चतम जल चिह्न से 9 m के भीतर, या किसी प्रमुख जलमार्ग के पास औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या उसकी परिभाषित सीमा से 15 m के भीतर, जो भी अधिक हो, निर्माण पर रोक लगाता है, बिना किसी भी चिह्न को परिभाषित किए, और इन रेखाओं की छत्तीसगढ़ के लिए पुष्टि नहीं हुई [TBC]। T&CP की चेकलिस्ट नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD या राजस्व विभाग की अनापत्ति और WRD से उच्च बाढ़ बिंदु माँगती है (2011); एकीकृत उपनगर किसी बारहमासी नदी के तट पर स्थित नहीं हो सकते और अपने क्षेत्रफल में जल स्रोत नहीं जोड़ सकते (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, 2008 और 2018); और जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने निर्माण का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता (2002 का नियमितीकरण अधिनियम, धारा 7(1))। 2018 से स्थल-निरीक्षण प्रपत्र भूमि विकास नियम के अनुपालन के लिए यह दर्ज करता है कि कोई प्रमुख नाला भूखंड के निकट है या नहीं और उसकी दूरी क्या है, किंतु कोई भी प्रपत्र या नियम यह नहीं पूछता कि बाढ़ की सीमा कैसे खींची जाती है। निस्तार के लिए दर्ज तालाब (tanks) राज्य में निहित हैं (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251), और उन पर अतिक्रमण को अनधिकृत कब्जे के रूप में हटाया जाता है (धारा 248), जैसा 2024 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अंतर्गत बलौदा में हुआ। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 2.25 ha से बड़ी आर्द्रभूमियों को "मानित" ("deemed") आर्द्रभूमियाँ मानता है और उनके उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कार्यों पर रोक लगाता है, यही रेखा उसने 2025 में रायपुर में करबला और नरैया तालाबों पर और नवा रायपुर में झांझ आर्द्रभूमि पर लागू की (प्रकाशित खबरों के अनुसार), यद्यपि अधिसूचित आर्द्रभूमियों की कोई सूची नहीं मिली है। नवा रायपुर में विकास योजना 100-वर्ष की बाढ़ से सुरक्षित नदी तटबंधों और प्रेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.5–1.0 m ऊपर सड़कों की अपेक्षा करती है (NRDA, 2008)। डूब क्षेत्र जोनिंग का कोई कानून नहीं है, कोई अधिसूचित बाढ़ जोन नहीं है और WRD ने राज्य की किसी भी नदी के डूब क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया है। ये जलमार्ग, तालाब और आर्द्रभूमि की रेखाएँ हैं, जल निकासी-बाढ़ की रेखाएँ नहीं; अध्याय 7 का हाइड्रोलिक कॉरिडोर और सेटबैक जोन इस मैनुअल का प्रस्ताव हैं, और जहाँ भूमि विकास नियम की रेखाएँ या आर्द्रभूमि की 50 m की रेखा बाध्यकारी हों और अधिक चौड़ी हों, वहाँ वे लागू होती हैं। BSMP विकास योजनाओं को वह 1% AEP जल निकासी-बाढ़ मानचित्र, और अध्याय 7 की बफर चौड़ाइयाँ, देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। खुले स्थान की भूमि का भंडारण या प्रवाह मार्ग के रूप में उपयोग करने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए अपनाता है कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 पहले से ही लेआउट में सामुदायिक खुला स्थान (नियम 47; छत्तीसगढ़ का प्रतिशत देखा नहीं गया), किसी एकीकृत उपनगर के कम से कम 10% भाग को उद्यान और खेल के मैदान के रूप में (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण, यथासंशोधित) और नियम 78(4) के अंतर्गत वर्षा जल संचयन अपेक्षित करते हैं, और नया रायपुर विकास योजना-2031 अपेक्षा करती है कि वर्षा जल निकासी प्रणाली का वर्षा जल खोदी गई या प्राकृतिक झीलों और गर्तों में भंडारित किया जाए और प्रत्येक विकास के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य करती है (§10.3.2), किंतु कोई भी नियम अस्थायी भंडारण या चरम अपवाह की सीमा निर्धारित नहीं करता; किसी लेआउट के खुले स्थान में रखा गया भंडारण इन्हीं दायित्वों पर आधारित है, और चूँकि वह भूमि अब भी खुले स्थान के रूप में काम करती है, इसलिए भंडारण को खुले स्थान के रूप में उपयोग योग्य बना रहना होगा। इसे प्रवाह मार्ग पर रखने में विकासकर्ता का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता और बेसिन को वह भंडारण मिल जाता है जिसे अन्यथा उसे खरीदना पड़ता।

11.10 परामर्श और प्रकाशन

11.10.1 BSMP का प्रारूप कम से कम **60 दिन** के लिए जन सुझावों हेतु प्रकाशित किया जाएगा, प्रत्येक प्रभावित स्थानीय निकाय में सार्वजनिक बैठकों के साथ।

11.10.2 अनुमोदन के बाद, निम्नलिखित को मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित किया जाएगा:

- मॉडल फाइलें;

- बाढ़ जोखिम मानचित्र;
- खंड 11.5.1 के आँकड़े, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों के विवरण को छोड़कर; और
- CIP।

इन्हें एक सार्वजनिक मानचित्र दर्शक (map viewer) पर भी दर्शाया जाएगा।

> **भाष्य.** मानचित्रों का प्रकाशन खरीदारों, ऋणदाताओं, बीमाकर्ताओं और निवासियों को निर्माण या खरीद से पहले बाढ़ जोखिम देखने देता है। मॉडल का प्रकाशन डिजाइनकर्ताओं को प्राधिकारी वाली ही सीमा-स्थितियों का उपयोग करने देता है, ताकि साइट डिजाइन और बेसिन प्लान सुसंगत रहें। यह अध्याय 10 की प्रकाशन पद्धति से मेल खाता है।

11.11 अनुमोदन, समीक्षा और रिपोर्टिंग

11.11.1 **अनुमोदन.** BSMP का अनुमोदन, मॉडल और जन सुझावों की समीक्षा के बाद, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (अध्याय 1) द्वारा किया जाएगा।

11.11.2 **समीक्षा.** प्रत्येक BSMP की समीक्षा की जाएगी:

- प्रत्येक **10 वर्ष** में;
- बेसिन में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक की किसी घटना के **2 वर्ष** के भीतर (खंड 2.14); और
- जब सांविधिक भूमि उपयोग योजना संशोधित की जाए।

11.11.3 **वार्षिक रिपोर्ट.** अग्रणी प्राधिकारी प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (31 मई तक) वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित दर्शाए जाएँगे:

- CIP की प्रगति;
- एवज शुल्क की खाता-बही (खंड 4.13.4);
- पूरा किया गया रखरखाव; और
- सेवा स्तरों की तुलना में कोई बाढ़।

11.12 अंतरिम व्यवस्थाएँ

11.12.1 जब तक किसी बेसिन के लिए BSMP का अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक:

- (a) अध्याय 4 से 8 के सभी साइट मानदंड पूर्ण रूप से लागू होते हैं;
- (b) खंड 4.13 के अंतर्गत क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क उपलब्ध नहीं हैं, सिवाय खंड 4.5.6.3 के अंतर्गत शुल्क रखने के;
- (c) फर्श स्तर और सेटबैक सर्वोत्तम उपलब्ध मानचित्रण का, और जहाँ कोई मानचित्रण नहीं है वहाँ अध्याय 6 और 7 की विधियों का, उपयोग करते हैं; और
- (d) सार्वजनिक ड्रेन परियोजनाओं में बेसिन-स्तरीय जाँच सम्मिलित की जाएगी कि उनका आउटफॉल और अनुप्रवाह भाग (reaches) अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों में डिजाइन प्रवाह ले सकते हैं।

संदर्भ (अध्याय)

- Central Ground Water Board (2024). *Dynamic Ground Water Resources of Chhattisgarh, 2024* (stage of extraction, block categories, depth to water and the karstified limestone aquifers), and the factsheet of December 2024 (quality).
- Central Ground Water Board. District groundwater brochures for Raipur, Durg and Rajnandgaon (kanhar soils; the Chandi and Charmuria limestone; depth to water).
- Central Water Commission (2009). *National Register of Large Dams* (Chhattisgarh: spillway capacities of Minimata Bango, the Hasdeo barrage, Gangrel and Kharang; Wayback copy).
- Chhattisgarh Environment Conservation Board (2021). Report in O.A. No. 593 of 2017 before the National Green Tribunal, with the monthly progress report of January 2021 in O.A. No. 673 of 2018. https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20CHHATTISGARH%20ENVIRONMENT%20CONSERVATION%20BOARD%20IN%20OA%20NO.%20593%20of%202017%20(PARYAVARAN%20SURAKSHA%20SAMITI%20&%20ANR.%20VS%20U.O.I.%20&%20ORS).pdf
- Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, sections 237, 248 and 251 (third-party copy). https://vidhijudicial.com/धारा-233-से-254-अध्याय-18-छत्तीसगढ़-भू-राजस्व-संहिता,-1959.html
- Comptroller and Auditor General of India (2025). Report No. 4 of 2025, Government of Chhattisgarh (year ended 31 March 2022), Chapter II: Implementation of AMRUT. https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/9_Chapter_II-0687a1a6b75cdf5.10923258.pdf
- Defra (2010). *Surface Water Management Plan Technical Guidance*. Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.
- Mile High Flood District (Denver). Master planning programme और Urban Storm Drainage Criteria Manual।
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement; KC Metro APWA Section 5600, Version 2025.01.
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). *Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA)*, 2nd ed.
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2008). Approval of the Raipur Development Plan (Revised) 2021, No. 706/2286/32/2007 of 5 April 2008, Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) No. 104 of 7 April 2008 (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20160417174311id_/http://tcp.cg.gov.in/vikasyojna/RAIPUR/dev/RAIPUR/raipur_18&19.PDF
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2014). Approval of the Arpa Special Area Development Authority Development Plan 2033, No. F 7-3/2014/32 of 10 February 2014 (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20150824162751id_/http://tcp.cg.gov.in:80/vikasyojna/BILASPUR/dev/ARPA/Arpa.PDF ; and letter No. F 07-02/2019/32 of 14 February 2019 (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20240302142039id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/General/ARPA-14-2-2019.pdf
- Government of Chhattisgarh, Directorate of Town and Country Planning (2011). Checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011 (WRD's high flood point for land next to a nala, canal or river) (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20160806082300id_/http://tcp.cg.gov.in:80/Circular/CG_TCP_ACT_1973/T_90.PDF
- Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department (2008, 2009). Amendments of 17 December 2008 (Appendix ण, integrated townships) and 17 February 2009 (rule 78(4)) to the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984; order No. F 7-17/2021/32 of 23 December 2021 (rule 47, community open space)

(Wayback copies of the T&CP website).

- Naya Raipur Development Authority (2008). *Naya Raipur Development Plan-2031*, Chapters 1–3 (site, streams, soils and groundwater) and 10–12 (§10.3, storm water drainage) (Wayback copies). http://web.archive.org/web/20150806193442id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_1-3.pdf ; http://web.archive.org/web/20150807050828id_/http://nayaraipur.gov.in/sites/default/files/Chapter_10-12.pdf
- Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (2022). Letter No. 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022 of 21 June 2022, forwarding notification No. 4066 of 23 May 2022 (Wayback copy). http://web.archive.org/web/20240304202809id_/https://tcp.cg.gov.in/Circular/CG_TCP_ACT_1973/nava%20raipur-%2021-6-22.pdf
- Raipur Municipal Corporation (2015). *Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage* (AMRUT), dated 4 November 2015 (Wayback copy of nagarnigamraipur.nic.in, capture of 26 October 2017).
- Water Resources Department, Chhattisgarh (2024). *Daily Tank Gauge Report*, 10 October 2024 (full reservoir levels of the State's dams and barrages). https://cgwrd.in/phocadownload/userupload/eedd4/Tank%20Gauge%2010-10-2024.pdf
- Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act 2022 (English text). https://cgwrd.in/water-allotment-system/docs/20220712_Ground%20Water%20Act_English.pdf
- National Green Tribunal, Central Zone. O.A. No. 78 of 2024, *Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh*: factual and action-taken report of the District Magistrate, Janjgir-Champa (January 2025). https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/13.1.25%20OA%2078-24-REPORT.pdf
- Ramsar Convention. Ramsar Information Sheet, Site no. 2583, Kopra Jalashay. https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/IN2583RIS_2512_en.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2017). Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, rule 4.
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)* (Chhattisgarh stations), and *Climate of Chhattisgarh* (2015). https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20%20Chhattisgarh.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Action Plan on Climate Change portal. Summary of the Chhattisgarh State Action Plan on Climate Change (2014) (seen as a summary).
- South Asia Network on Dams, Rivers and People (2020–2026). Posts on new high flood levels at CWC sites in Chhattisgarh (transcriptions of CWC data). https://sandrp.in/
- The Hitavada, Down To Earth, India Water Portal, The Daily Pioneer, Patrika, India Legal and Drishti (2015–2026). Reports of Raipur's talabs, the State Wetland Authority's orders at Karbala, Narhaiya and Jhanjh, Nava Raipur's lakes, the draft Raipur development plan 2031, the NDMA urban flood project for Raipur, the High Court's hearings on the Arpa, the Bhilai township drains, the ash-dyke breaches at Korba and the Kopra announcement (secondary sources; addresses not retained).

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
11A	BSMP की संदर्भ-शर्तों का टेम्पलेट

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
11B	टियर A निकायों के लिए बेसिनों की सूचियाँ और सीमाएँ
11C	छत्तीसगढ़ के भवन प्रकारों के लिए गहराई–क्षति वक्र
11D	BSMP आँकड़ों और मॉडल के प्रकाशन का मानक
प्रपत्र 11-1	वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट

अध्याय 1 के परिशिष्ट

नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण

ये परिशिष्ट अध्याय 1 के लिए हैं। इनमें वे सूचियाँ और मानचित्र हैं जो परिभाषित करते हैं कि मैनुअल कहाँ लागू होता है, नीति अनुपूरक का और उन विधिक लिखतों का आदर्श पाठ है जिनके माध्यम से मैनुअल को प्रभाव दिया जा सकेगा, और वे दो प्रपत्र हैं जिन्हें आवेदक अध्याय 1 के अंतर्गत दाखिल करता है। यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है: आदर्श विधिक पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत है और प्रवृत्त नहीं है, और प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं। "तैयार किया जाना है" के रूप में चिह्नित परिशिष्ट बताता है कि उसे किन आँकड़ों की आवश्यकता है और उसके प्रकाशित होने तक किस नियम का उपयोग किया जाए (खंड 1.11.5)।

परिशिष्ट 1A — टियर A प्राधिकारियों की सूची, नगर निगमों, रायपुर के निवेश क्षेत्र और नवा रायपुर अटल नगर के विशेष क्षेत्र की सीमाओं सहित

अध्याय 1 के खंड 1.6.1 से 1.6.5 के लिए।

1A.1 खंड 1.6.1 प्राधिकारी के वर्ग के आधार पर टियर A को परिभाषित करता है। तालिका 1A.1 वर्गों को, और खंड में नामित प्राधिकारियों को, उसी रूप में प्रस्तुत करती है जैसे अध्याय 1 उन्हें परिभाषित करता है। तालिका 1A.1 में न आने वाला प्रत्येक प्राधिकारी टियर B है (खंड 1.6.2)।

तालिका 1A.1 — खंड 1.6.1 में परिभाषित टियर A प्राधिकारी

मद	टियर A प्राधिकारी	खंड
(a)	नगर पालिक निगम रायपुर (RMC)	1.6.1(a)
(b)	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत रायपुर के निवेश क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी, जिसमें संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जहाँ वह विकास अनुमति देता है, अपने स्कीम क्षेत्रों में RDA, और उस क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें सम्मिलित हैं	1.6.1(b)
(b)	NRDA, 1973 के अधिनियम के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने विशेष क्षेत्र में	1.6.1(b)
(c)	छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम (नगर पालिक निगम, Nagar Palik Nigam): बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव और रायगढ़ (CAG द्वारा राज्य के 14 नगर निगमों में नामित), और भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, धमतरी और चिरमिरी (पुष्टि की जानी है [TBC])	1.6.1(c)
(c)	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश और 1973 के अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रत्येक विकास प्राधिकरण, जहाँ वह किसी नगर निगम के निवेश क्षेत्र के भीतर विकास अनुमति देता है	1.6.1(c)
—	ऐसा टियर B प्राधिकारी जो परिषद संकल्प द्वारा टियर A का विकल्प चुनता है, या जिसे सरकार टियर A के रूप में अधिसूचित करती है	1.6.4

1A.2 टियर चाहे जो हो, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में डिजाइन-सहायिका मार्ग और खंड 1.7 के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं (खंड 1.6.5; परिशिष्ट 1B)।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राज्य के प्रत्येक नगर निगम और प्रत्येक विकास प्राधिकरण की, और रायपुर के निवेश क्षेत्र और नवा रायपुर अटल नगर के विशेष क्षेत्र के भीतर के प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी की नामवार पूरी सूची होगी, वह तिथि जिससे प्रत्येक टियर A है, और उन क्षेत्रों की सीमाएँ मानचित्र और GIS परत के रूप में। इसके लिए 1973 के अधिनियम के अंतर्गत विकास योजनाओं के अधिसूचित निवेश क्षेत्र, जिनमें 5 अप्रैल 2008 को अनुमोदित रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 और दुर्ग-भिलाई की विकास योजना हैं, और NRDA का विशेष क्षेत्र (T&CP, आवास एवं पर्यावरण विभाग, NRDA); RDA के, जिसके गठन का इस मैनुअल के लिए सत्यापन नहीं हुआ, और अन्य विकास प्राधिकरणों के स्कीम क्षेत्र [TBC]; नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की वर्तमान सूची और सीमाएँ (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग; CAG 14 नगर निगम बताता है और उनमें से नौ के नाम देता है, और अन्य पाँच का सत्यापन नहीं हुआ [TBC]); और जिला और तहसील सीमाएँ (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग), जिनमें से अनेक 2012 से नए जिलों के गठन के साथ बदल गई हैं, आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक टियर का निर्णय खंड 1.6.1 के वर्गों के आधार पर किया जाता है और उसे प्रपत्र 1-1 पर दर्ज किया जाता है, और प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में उसकी पुष्टि करता है (खंड 1.5.9)।

तालिका 1A.2 — टियर A प्राधिकारियों का रजिस्टर (ढाँचा)

क्र.	प्राधिकारी	वर्ग (नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विकास प्राधिकरण / संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश / अन्य)	जिला	आधार (खंड 1.6.1(a), (b), (c) या 1.6.4)	टियर A कब से (तिथि)	अधिसूचना या संकल्प का संदर्भ
1						
2						
3						

1A.3 नगर निगमों, रायपुर के निवेश क्षेत्र और नवा रायपुर के विशेष क्षेत्र की सीमा का मानचित्र, उसमें दर्शाई गई अधिसूचना की तिथि सहित, मशीन-पठनीय फॉर्मेट में मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.17.4)।

परिशिष्ट 1B — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र

अध्याय 1 के खंड 1.4, 1.6.5 और 1.10.3(d), तथा अध्याय 4 के खंड 4.5.3 और 4.5.4 के लिए।

1B.1 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध हैं। तालिका 1B.1 उस सूची को दोहराती है। इस परिशिष्ट के मानचित्र और परिशिष्ट 4A की सीमाएँ एक ही आँकड़ा-समूह हैं और साथ-साथ जारी किए जाएँगे।

तालिका 1B.1 — खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र

मद	जलग्रहण क्षेत्र	अध्याय 4 में वर्णित विस्तार
(a)	खारुन के नालों पर रायपुर की निचली कॉलोनियाँ	रायपुर और बिरगांव के उन नालों और ड्रेनों के जलग्रहण क्षेत्र जो खारुन में गिरते हैं, उन पर स्थित तालाबों (talab) और उनमें पानी छोड़ने वाली निचली कॉलोनियों सहित। शहर का सीवेज और वर्षा जल लगभग आठ बड़े नालों (nala) से होकर खारुन तक पहुँचता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जिनका अब चंदनीडीह, कारा और निमोरा के शोधन संयंत्रों के लिए डायवर्जन वियरों द्वारा अवरोधन किया जाता है (CECB, 2021); RMC ने सड़क के 11 हिस्से दर्ज किए जिनमें वर्ष में दो-तीन बार बाढ़ आती है, और ड्रेनों का कवरेज 49% (RMC, 2015); जुलाई 2026 में मोवा, शंकर नगर, टाटीबंध, चौबे कॉलोनी, जहाँ पाँच तालाब उफनकर घरों में घुस गए, और फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन का उच्चतम बाढ़ स्तर 281.68 m (29 अगस्त 2020) है और कोई प्रकाशित चेतावनी या खतरे का स्तर नहीं है (CWC के आँकड़े, SANDRP द्वारा लिखित रूप में)

मद	जलग्रहण क्षेत्र	अध्याय 4 में वर्णित विस्तार
(b)	अरपा पर बिलासपुर	बिलासपुर की वह भूमि जिसका पानी अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 302.000 m, WRD) और खूंटाघाट (Khutaghat) पर खारंग (Kharang) जलाशय के नीचे अरपा में जाता है, जिसमें सरकंडा और नदी के किनारों की अन्य निचली कॉलोनियाँ सम्मिलित हैं, जो सितंबर 2025 में जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जुलाई 2026 में 24 घंटों में 28 cm बताई गई वर्षा से शहर में बाढ़ आई, और उसी वर्षा घटना के लिए 415.6 mm की एक अन्य रिपोर्ट का समाधान नहीं हुआ है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); बिलासपुर पर अरपा का कोई गेज स्तर नहीं मिला [TBC]
(c)	शिवनाथ के नालों पर दुर्ग–भिलाई	दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली की वह भूमि जिसका पानी शंकर और पुलगांव नालों और जुड़वाँ नगरों के अन्य नालों से होकर शिवनाथ (Seonath; Shivnath) में जाता है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की ड्रेनें सम्मिलित हैं, जिनके जुनवानी (Junwani) और कोसानाला (Kosanala) की पुलियों पर अवरुद्ध होने पर भिलाई नगर निगम ने जुलाई 2025 में चेतावनी दी (प्रकाशित खबरों के अनुसार); NGT ने जनवरी 2026 में शंकर और पुलगांव नालों पर दुर्ग के शोधन संयंत्रों को छह महीनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); प्रतिप्रवाह में शिवनाथ पर मोंगरा बैराज का जलाशय का पूर्ण जल स्तर 337.150 m है (WRD); दुर्ग पर शिवनाथ का कोई गेज स्तर नहीं मिला [TBC]
(d)	बांगो और दर्री के नीचे कोरबा	कोरबा की वह भूमि जिसका पानी मिनीमाता बांगो डैम (स्पिलवे क्षमता 24,000 m^3/s) और दर्री पर हसदेव बैराज (19,820 m^3/s) के नीचे हसदेव में जाता है (CWC, NRLD 2009); बांगो के छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक और दर्री से 20,000 क्यूसेक छोड़े गए पानी से अगस्त 2024 में मोतीसागरपारा (Motisagarpada), सीतामणी (Seetamani) और इमलीडुग्गू (Imliduggu) में घर जलमग्न हुए, और जुलाई और अगस्त 2026 में हसदेव ने कटघोरा पर 313.58 m और बांगोडैम (Bangodam) पर 303.5 m के नए उच्चतम स्तर बनाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); बिजली संयंत्रों के राखड़ बाँध और नदी के किनारे के खदान के गड्ढे अध्याय 5 के अंतर्गत मानचित्रित किए जाने वाले बाढ़ खतरे हैं
(e)	हीराकुंड के बैकवाटर में रायगढ़–सारंगढ़	रायगढ़ और सारंगढ़ की वह भूमि जिसका पानी ओडिशा में हीराकुंड जलाशय के बैकवाटर के प्रभाव क्षेत्र के भीतर केलो, मांड या महानदी में जाता है, जिस बैकवाटर में, प्रकाशित खबरों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 33 गाँव आंशिक रूप से डूबे रहते हैं; अगस्त 2019 में रायगढ़ में केलो उफनी, और अगस्त 2020 में कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड 220.4 m और सूरजगढ़ पर महानदी 201.06 m तक पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार); रायगढ़ के ऊपर केलो डैम का जलाशय का पूर्ण जल स्तर 233.000 m है (WRD); राज्य के भीतर बैकवाटर का विस्तार मानचित्रित नहीं है [TBC]
(f)	इंद्रावती पर जगदलपुर	जगदलपुर की वह भूमि जिसका पानी इंद्रावती में जाता है, जिसके CWC स्थल का चेतावनी स्तर 539.49 m और खतरे का स्तर 540.80 m है (CWC के 2019 के परामर्श, खोज-अंशों के रूप में देखे गए) और जो 26 सितंबर 2026 को 9 जुलाई 1973 के 544.68 m से ऊपर, 544.891 m के नए उच्चतम स्तर पर पहुँची (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नदी ओडिशा से निकलती है, जहाँ उसके ऊपरी भागों पर बने डैम शहर तक पहुँचने वाले प्रवाह का नियमन करते हैं, और उनसे छोड़े गए पानी पर इस मैनुअल के लिए शोध नहीं किया गया [TBC]
(g)	अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र	खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में तालिका 1B.1 के प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र का ऐसे पैमाने पर मानचित्र होगा जो यह तय करने के लिए उपयुक्त हो कि कोई भूखंड उसके भीतर है या नहीं, और वही सीमाएँ GIS परत के रूप में। इसके लिए डिजिटल उन्नयन मॉडल और ड्रेन नेटवर्क से खींची गई जलग्रहण क्षेत्र सीमाएँ (रायपुर, बिरगांव, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर के नगर निगम, अपनी टाउनशिप के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग); नगर की ड्रेनें और नाले, उनके आउटफॉल, नए शोधन संयंत्रों के अवरोधन वियर और एक बताए गए डेटम पर उनके स्तर (नगर निगम); गंगरेल, मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग (Kharang), अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) और मोंगरा बैराज और केलो डैम के जलाशय के पूर्ण जल स्तर, अधिकतम जल स्तर और गेट प्रचालन के नियम, और हीराकुंड जलाशय और राज्य के भीतर उसके बैकवाटर के स्तर (WRD, और उसके माध्यम से ओडिशा सरकार); पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन, बांगोडैम (Bangodam) और कटघोरा पर हसदेव, कुरुभाठा (Kurubhata) पर मांड, सूरजगढ़ पर महानदी और जगदलपुर पर इंद्रावती के CWC स्तर, जहाँ चेतावनी और खतरे के स्तर हों वहाँ उनके सहित, और बिलासपुर पर अरपा और दुर्ग पर शिवनाथ का कोई भी गेज; राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब (कलेक्टर); और 2007, 2020, 2024, 2025 और 2026 में जलमग्न हुई भूमि (कलेक्टर, CGSDMA, नगर निगम) आवश्यक हैं। नवा रायपुर अटल नगर, जिसकी धाराओं और झीलों की योजना NRDA ने भंडारण के जाल के रूप में बनाई; शिवनाथ पर राजनांदगांव; गंगरेल के नीचे धमतरी और राजिम; अंबिकापुर; और अगस्त 2025 में जलमग्न हुए बस्तर संभाग के नगर (प्रकाशित खबरों के अनुसार), अपनी जलग्रहण सीमाओं और बाढ़ अभिलेख के दस्तावेजित हो जाने पर खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए संभावित हैं [TBC]। नदियों के डूब क्षेत्र, आर्द्रभूमियों के चारों ओर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लागू की जाने वाली 50 m की रेखा और राज्य सरकार में निहित गाँव के तालाब इस सूची से नहीं, बल्कि अध्याय 7 और वहाँ बाध्यकारी लिखतों से शासित हैं। इसके प्रकाशित होने तक प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में, उपलब्ध सर्वोत्तम सीमा के आधार पर, यह निर्णय करता है कि कोई साइट किसी सूचीबद्ध जलग्रहण क्षेत्र में है या नहीं, और निर्णय तथा उसका आधार प्रपत्र 1-1 पर और जल निकासी रिपोर्ट में दर्ज किए जाते हैं (खंड 1.5.9 और 1.11.5)।

तालिका 1B.2 — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र परत के गुण (ढाँचा)

क्षेत्र (Field)	विषय-वस्तु	इकाई या फॉर्मेट
catchment_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	पाठ
name	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	पाठ
basis	खंड 4.5.3.2 की मद (a) से (f), या खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना	पाठ
notification_ref	राजपत्र अधिसूचना क्रमांक, जहाँ अधिसूचित हो	पाठ
notified_on	अधिसूचना की तिथि	तिथि
applies_from	वह तिथि जिससे नियम आवेदनों पर लागू होता है (खंड 4.5.4.2, पद 5)	तिथि
boundary_source	सीमा का स्रोत और तिथि	पाठ
area_km2	जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल	km^2

परिशिष्ट 1C — नीति अनुपूरक: विकल्प S-1 से S-5 का पाठ और आदर्श परिषद संकल्प

अध्याय 1 के खंड 1.6.3, 1.6.5 और 1.7.1 से 1.7.3 के लिए।

> **सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.** नीचे दिया गया पाठ दर्शाता है कि खंड 1.7 का नीति अनुपूरक किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, जब तक और जब तक कि इसे सरकार द्वारा जारी न किया जाए और खंड 1.7.3 के अंतर्गत किसी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंगीकार न किया जाए।

भाग 1 — सामान्य प्रावधान

P1.1 **दायरा.** यह अनुपूरक छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल (मैनुअल) की उन अपेक्षाओं के लिए, जिनका नाम प्रत्येक विकल्प में दिया गया है, विकल्प S-1 से S-5 निर्धारित करता है। कोई विकल्प किसी अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी) के क्षेत्र में केवल उस तिथि से लागू होता है जिस तिथि को प्राधिकारी उसे P1.3 के अंतर्गत अंगीकार करता है।

P1.2 **कोई निचला मानदंड नहीं.** कोई विकल्प मैनुअल के किसी मानदंड को नीचे नहीं करता। S-1 और S-2 उसी मानदंड को पूरा करने की सरलीकृत विधियाँ हैं (खंड 1.7.3(a))।

P1.3 **अंगीकरण.**

- (a) कोई टियर B प्राधिकारी भाग 3 के रूप में परिषद संकल्प द्वारा विकल्प अंगीकार करता है, और संकल्प के 30 दिनों के भीतर उसकी एक प्रति राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (समिति) को भेजता है।
- (b) कोई टियर A प्राधिकारी विकल्प केवल तभी अंगीकार करता है जब समिति ने लिखित रूप में सहमति दे दी हो।
- (c) प्राधिकारी अपने द्वारा अंगीकृत विकल्पों को अपनी वेबसाइट पर और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित करता है।

P1.4 **प्रतिधारण.** कोई विकल्प प्रतिधारण की अपेक्षा (परिशिष्ट 2E की गहराई) का स्थान नहीं लेता, सिवाय वहाँ के जहाँ S-5 के अंतर्गत एवज शुल्क उसी बेसिन में समतुल्य प्रतिधारण का वित्तपोषण करता है (खंड 1.7.3(d))।

P1.5 **तालिकाएँ.** S-1, S-2 और S-3 द्वारा प्रयुक्त तालिकाएँ वे हैं जो समिति द्वारा जारी की गई हैं, और मैनुअल के अध्याय 2 के साथ उनकी समीक्षा की जाती है (खंड 1.7.3(e) और 2.14)। जो विकल्प किसी तालिका पर निर्भर है, उसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह तालिका जारी न हो जाए।

P1.6 **अभिलेख.** विकल्प का उपयोग करने वाला आवेदक उसे प्रपत्र 1-1 पर और जल निकासी रिपोर्ट में, उस संकल्प या सहमति सहित जिसके अंतर्गत उसे अंगीकार किया गया था, बताता है।

भाग 2 — विकल्प

S-1 — भंडारण के लिए डिजाइन-सहायिका मार्ग

S-1.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 3 के अंतर्गत हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा भंडारण का आकार निर्धारण।

S-1.2 *विकल्प:* प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन परिशिष्ट 4B के लिए जारी इकाई-भंडारण तालिकाओं (m^3 प्रति ha, वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और अपारगम्य अंश के अनुसार) और अनुपालन कैलकुलेटर से, खंड 4.14.2 की विधि द्वारा, लिए जा सकते हैं।

S-1.3 *पात्रता:* बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर 2 ha या उससे छोटी साइटें, और उनके भीतर 0.5 ha या उससे छोटी साइटें (तालिका 1.2; खंड 4.14.1)।

S-1.4 *शर्तें:* प्रयुक्त विकास-पश्चात अपारगम्यता वही होगी जो अनुमोदित नक्शों पर दर्शाई गई है; खंड 4.14.2 के आउटलेट, स्पिलवे, RWH लेखांकन और सुरक्षा प्रावधान लागू होते हैं; अनुपालन कैलकुलेटर एकमात्र गणना हो सकता है (तालिका 1.1)।

S-2 — साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)

S-2.1 *प्रतिस्थापित करता है:* साइट के लिए गणना की गई निकास दर Q_post(T) ≤ 0.9 × Q_pre(T) (खंड 2.11.2)।

S-2.2 *विकल्प:* प्रत्येक AEP के लिए निकास दर, साइट के जोन और AEP के लिए तालिकाबद्ध इकाई-क्षेत्र निकास दर को साइट क्षेत्र से गुणा करके, ली जा सकती है। तालिकाबद्ध दरें 0.9 × Q_pre नियम से व्युत्पन्न हैं (तालिका 1.2)।

S-2.3 *पात्रता:* बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र के बाहर कोई भी साइट।

S-2.4 *शर्तें:* तब भंडारण का आकार इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि वह PSD पर खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि को धारण कर सके; अध्याय 4 के खाली होने के समय, न्यूनतम ऑरिफिस और स्पिलवे के नियम बिना परिवर्तन लागू होते हैं।

S-3 — नियत-चौड़ाई जलाशय सेटबैक

S-3.1 *प्रतिस्थापित करता है:* मानचित्रित 1% AEP बाढ़ विस्तार और अतिरिक्त मार्जिन तक बढ़ाया गया जलाशय सेटबैक (अध्याय 7)।

S-3.2 *विकल्प:* जहाँ कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, वहाँ सेटबैक खंड 7.4.6 की तालिका (और परिशिष्ट 7B) में जलाशय के वर्ग के लिए दी गई नियत चौड़ाई होगा, जिसे खंड 7.4.3 के अनुसार मापा जाएगा।

S-3.3 *पात्रता:* ऐसे जलाशय जिनका कोई मानचित्रित 1% AEP विस्तार नहीं है।

S-3.4 *शर्तें:* इस विकल्प के अंतर्गत कोई सेटबैक खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से कम नहीं होता (खंड 1.10.3(c)); अध्याय 7 का भराई-निषिद्ध जोन लागू होता है; जहाँ बाद में कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित और अंगीकृत हो जाता है, वहाँ मानचित्रित सेटबैक नए आवेदनों पर लागू होता है।

S-4 — अनुप्रवाह स्क्रीनिंग जाँच-सूची

S-4.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 5 के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा अनुप्रवाह विश्लेषण।

S-4.2 *विकल्प:* आवेदक अनुप्रवाह क्षमता और ज्ञात बाढ़ की एक स्क्रीनिंग जाँच-सूची पूरी करता है, जिसमें कम से कम खंड 5.3.4 की शर्तें सम्मिलित हों: कि प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन के पास उसके लघु-प्रणाली डिजाइन प्रवाह (अध्याय 6) के लिए दस्तावेजित क्षमता है, और कि अनुप्रवाह में 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज नहीं है। अध्याय 5 के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल केवल वहीं अपेक्षित है जहाँ स्क्रीनिंग विफल हो।

S-4.3 *पात्रता:* 1 ha से छोटी साइटें, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर, जो ज्वारीय आउटफॉल में पानी न छोड़ती हों।

S-4.4 *शर्तें:* जाँच-सूची पर वही पंजीकृत पेशेवर हस्ताक्षर करता है जो जल निकासी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है (खंड 10.6); बाढ़-प्रवण स्थान वे हैं जो स्थानीय निकाय, कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, CGSDMA, जिला बाढ़ नियंत्रण कक्षों या WRD द्वारा दर्ज किए गए हैं (खंड 5.3.3(d))।

S-5 — क्षेत्रीय भंडारण के लिए एवज शुल्क

S-5.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर अस्थायी भंडारण।

S-5.2 *विकल्प:* अस्थायी भंडारण की अपेक्षा का पूरा या कुछ भाग, बेसिन प्लान में चिह्नित किसी क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के लिए एवज शुल्क द्वारा पूरा किया जा सकता है (खंड 4.13.1)।

S-5.3 *पात्रता:* ऐसे बेसिन की साइटें जिसके लिए बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो (तालिका 1.2)।

S-5.4 *शर्तें:*

- (a) खंड 4.13.2 की शर्तें लागू होती हैं, जिनमें क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब के प्रचालन में आने तक साइट पर अंतरिम अस्थायी भंडारण, और साइट पर प्रतिधारण तथा WQv उपचार सम्मिलित हैं;

- (b) शुल्क की गणना खंड 4.13.3 के अंतर्गत की जाती है और उसे पृथक रखे गए बेसिन खाते में रखा जाता है;
- (c) क्रेडिट दिया गया आयतन और शुल्क खंड 4.13.4 की सार्वजनिक खाता-बही में दर्ज किए जाते हैं; और
- (d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क केवल उतना ही उपलब्ध है जितना खंड 1.10.3(d) अनुमति देता है।

भाग 3 — आदर्श परिषद संकल्प

> **सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.**

संकल्प संख्या _____, _____ (नगर निगम (नगर पालिक निगम) / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का नाम), दिनांक _____

विषय: छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल के नीति अनुपूरक के अंतर्गत विकल्पों का अंगीकरण।

परिषद, नगर आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी की दिनांक _____ की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, और यह नोट करते हुए कि:

- (i) छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल और उसके नीति अनुपूरक को _____ (लिखत और तिथि) द्वारा प्रभाव दिया गया है;
- (ii) यह स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 1.6 के अंतर्गत टियर B / टियर A प्राधिकारी है; और
- (iii) टियर A प्राधिकारी के लिए, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति ने _____ को (संदर्भ _____) सहमति दी,

संकल्प करती है:

1. मैनुअल के खंड 1.7.3 की शर्तों के अंतर्गत, अपने क्षेत्र में नीति अनुपूरक के निम्नलिखित विकल्पों को अंगीकार करना:

तालिका 1C.1 — इस संकल्प द्वारा अंगीकृत विकल्प

विकल्प	अंगीकृत (हाँ / नहीं)	वह क्षेत्र जिस पर लागू (पूरा क्षेत्र, या वार्ड / जोन)	कब से लागू (तिथि)
S-1 डिजाइन-सहायिका मार्ग			
S-2 साइट की अनुमेय प्रवाह दर			
S-3 नियत-चौड़ाई सेटबैक			
S-4 अनुप्रवाह स्क्रीनिंग जाँच-सूची			
S-5 एवज शुल्क			

2. कि कोई अंगीकृत विकल्प बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में लागू नहीं होगा, सिवाय उतने के जितना मैनुअल अनुमति देता है (खंड 1.6.5);
3. कि इस संकल्प की एक प्रति 30 दिनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजी जाए;
4. कि अंगीकृत विकल्प स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँ और खंड 10.17 के रजिस्टर में दर्ज किए जाएँ; और
5. कि खंड 1.7.3(e) की तालिकाओं के संशोधित होने पर इस संकल्प की समीक्षा की जाए।

महापौर / अध्यक्ष: _____ नगर आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी: _____ तिथि: _____

परिशिष्ट 1D — भूमि विकास नियम, 1984 का आदर्श संशोधन और आदर्श ULB उपविधि

अध्याय 1 के खंड 1.3.1, 1.3.4, 1.11 और 1.12 के लिए।

सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं. यह पाठ एक तरीका दर्शाता है जिससे खंड 1.3.1 के लिखतों का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। नियम और धारा संख्याएँ रिक्त छोड़ी गई हैं।

प्रारूपण टिप्पणी D1D.1. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के वे नियम क्रमांक जिन पर नया नियम और शर्तें अंतःस्थापित की जाएँगी, और छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और नगरपालिका और पंचायत अधिनियमों की सक्षमकारी धाराएँ, सरकार के विधि सलाहकारों द्वारा पुष्ट की जानी हैं। यहाँ उनमें से कोई भी नहीं बताई गई है।

भाग A — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में आदर्श संशोधन

A.1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

- (1) इन नियमों को छत्तीसगढ़ भूमि विकास (वर्षा जल प्रबंधन) संशोधन नियम, _____ कहा जा सकेगा।
- (2) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन के छह महीने बाद की तिथि को प्रवृत्त होंगे (खंड 1.11.1)।

A.2 **नए नियम का अंतःस्थापन.** छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि विकास नियमों के नियम [_____] के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

नियम [_____]. वर्षा जल प्रबंधन.

(1) *परिभाषाएँ.* इस नियम में, "मैनुअल" से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपने परिशिष्टों और संशोधनों सहित, छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल अभिप्रेत है; अन्य शब्दों के वही अर्थ हैं जो मैनुअल के खंड 1.4 में दिए गए हैं।

(2) *प्रयोग.* यह नियम ऐसे प्रत्येक विकास पर लागू होता है जिसके लिए इन नियमों के अंतर्गत योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन अपेक्षित है।

(3) *अपवाह नियंत्रण.* जहाँ किसी विकास में, उसकी विकास की साझा योजना पर, 0.1 ha या अधिक का भूमि विक्षोभ, या 500 m^2 या अधिक का नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र सम्मिलित है, वहाँ वह विकास मैनुअल के अध्याय 4 और 5 (प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण) का अनुपालन करेगा।

(4) *प्रत्येक विकास के लिए प्रावधान.* प्रत्येक विकास, उसका आकार चाहे जो हो, मैनुअल के खंड 1.5.4 का अनुपालन करेगा: वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन नहीं; फर्श स्तर; जलाशय सेटबैक और भराई-निषिद्ध जोन; और किसी जल निकासी मार्ग में कोई अवरोध नहीं।

(5) *छूट.* उपनियम (3) के सीमा-मानों से नीचे अपने ही भूखंड पर एकल आवास, और सड़क का ऐसा रैखिक पुनः सतह बिछाना जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र नहीं जुड़ता, उपनियम (3) से छूट प्राप्त हैं, किंतु उपनियम (4) से या इन नियमों के वर्षा जल संचयन प्रावधानों से नहीं।

(6) *अनुमोदन की शर्तें.* सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रदान नहीं करेगा:

- (a) योजना अनुमति या लेआउट अनुमोदन, जब तक मैनुअल के अंतर्गत प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट स्वीकार न कर ली गई हो;
- (b) भवन अनुमति, या निर्माण आरंभ करने की अनुमति, जब तक अंतिम जल निकासी डिजाइन स्वीकार न कर लिया गया हो; या
- (c) समापन प्रमाण-पत्र, जब तक यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार न कर लिया गया हो और रखरखाव घोषणा-पत्र पंजीकृत न हो गया हो, या सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित न कर दी गई हों,

उस विकास के लिए जिस पर उपनियम (3) लागू होता है (मैनुअल, खंड 10.3)।

(7) *प्रमाणन.* जल निकासी रिपोर्टों और डिजाइनों पर किसी पंजीकृत पेशेवर के, और जहाँ मैनुअल का खंड 10.6.1 ऐसी अपेक्षा करता है वहाँ किसी सूचीबद्ध वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional) के भी, हस्ताक्षर होंगे।

(8) *वर्षा जल संचयन.* इस नियम की कोई बात इन नियमों के वर्षा जल संचयन प्रावधानों में परिवर्तन नहीं करती।

(9) *विचलन और अधित्याग.* सक्षम प्राधिकारी विचलन या अधित्याग केवल मैनुअल के खंड 1.10 के आधारों पर और उसकी प्रक्रिया द्वारा प्रदान कर सकेगा, और प्रत्येक निर्णय प्रकाशित करेगा।

(10) *संक्रमण.* इस नियम के प्रारंभ से पहले पूर्ण रूप से दाखिल किए गए आवेदन, और टियर B प्राधिकारी, मैनुअल के खंड 1.11 द्वारा शासित होते हैं।

भाग B — आदर्श ULB उपविधि

B.1 **नाम और प्रारंभ.** इन उपविधियों को _____ (स्थानीय निकाय का नाम) वर्षा जल प्रबंधन उपविधियाँ, _____ कहा जा सकेगा। ये _____ को प्रवृत्त होंगी।

B.2 **मैनुअल का अंगीकरण.** सरकार द्वारा यथा अधिसूचित छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्रत्येक विकास; और

- (b) स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित प्रत्येक जल निकासी, सड़क, पुलिया, जलाशय और बाढ़-शमन कार्य, जिसमें उसकी अपनी ड्रेनें और सड़कें सम्मिलित हैं (खंड 1.3.1(b))।

B.3 **लोक निर्माण कार्य.** B.2(b) के अंतर्गत किसी कार्य की प्रत्येक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और संविदा, खंड 1.11 की तिथियों से, मैनुअल के अनुपालन की अपेक्षा करेगी (खंड 1.3.4)।

B.4 **टियर और विकल्प.** स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 1.6 के अंतर्गत टियर _____ प्राधिकारी है। स्थानीय निकाय द्वारा अंगीकृत नीति अनुपूरक के विकल्प अनुसूची में, प्रत्येक के अंगीकरण वाले संकल्प सहित, सूचीबद्ध हैं।

B.5 **प्रस्तुतियाँ और समीक्षा.** प्रस्तुतियाँ मैनुअल के खंड 10.3 के चरणों में की जाएँगी और खंड 10.7 की अवधियों के भीतर उनकी समीक्षा की जाएगी।

B.6 **रखरखाव, निरीक्षण और प्रवर्तन.** रखरखाव घोषणा-पत्र, निरीक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण और प्रवर्तन मैनुअल के खंड 10.10 से 10.15 के अनुसार होंगे।

B.7 **प्रकाशन.** स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 10.17 के रजिस्टर और रिपोर्टें प्रकाशित करेगा।

B.8 **समीक्षा.** जब भी मैनुअल में खंड 1.12 के अंतर्गत संशोधन किया जाए, इन उपविधियों की समीक्षा की जाएगी।

तालिका 1D.1 — अनुसूची: अंगीकृत विकल्प (ढाँचा)

विकल्प	संकल्प संख्या और तिथि	समिति की सहमति (केवल टियर A)	कब से लागू	क्षेत्र

प्रपत्र 1-1 — प्रयोज्यता निर्धारण

अध्याय 1 के खंड 1.5.1 से 1.5.9 और 1.6, तथा अध्याय 10 के खंड 10.3 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. आवेदन-पूर्व बैठक (चरण 0) में या प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट (चरण 1) के साथ, खंड 10.3.2 की अपेक्षा के अनुसार, दाखिल किया जाता है।

तालिका 1F.1 — प्रपत्र 1-1: प्रयोज्यता निर्धारण

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. आवेदक और साइट	
A1	आवेदक (स्वामी, विकासकर्ता या विभाग)	_____
A2	साइट का पता और सर्वे संख्याएँ	_____
A3	साइट के निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर)	_____
A4	अनुमोदन प्राधिकारी (खंड 1.4)	_____
A5	प्राधिकारी का टियर: A / B (खंड 1.6; परिशिष्ट 1A)	_____
A6	माँगा गया अनुमोदन: योजना अनुमति / भवन अनुमति / लेआउट अनुमोदन / लोक निर्माण कार्य (DPR)	_____
A7	विकास का प्रकार: भवन / लेआउट / उप-विभाजन / सड़क / पक्की सतह / भूमि उपयोग परिवर्तन / अन्य (खंड 1.4)	_____
A8	वह चरण जिस पर यह प्रपत्र दाखिल किया गया: चरण 0 / चरण 1 (खंड 10.3)	_____
	B. आच्छादन (खंड 1.5.1)	
B1	भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत अनुमोदन की अपेक्षा वाला विकास — 1.5.1(a): हाँ / नहीं	_____
B2	किसी ULB, राज्य विभाग, बोर्ड या राज्य उपक्रम द्वारा लोक निर्माण कार्य — 1.5.1(b): हाँ / नहीं	_____
B3	प्राधिकारी के अनुमोदन या अनापत्ति की आवश्यकता वाला किसी केंद्रीय एजेंसी का कार्य — 1.5.1(c): हाँ / नहीं	_____
	C. विकास की साझा योजना पर क्षेत्र (खंड 1.4, 1.5.5)	
C1	सम्मिलित चरण, भूखंड और उप-विभाजन (एक लेआउट अनुमोदन या एक स्वामित्व)	_____
C2	कुल साइट क्षेत्र (ha)	_____
C3	भूमि विक्षोभ (ha)	_____
C4	विद्यमान अपारगम्य क्षेत्र (m^2)	_____
C5	नया अपारगम्य क्षेत्र (m^2)	_____
C6	प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, सबग्रेड तक हटाकर पुनः बनाया गया (m^2)	_____
C7	नया और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, C5 + C6 (m^2)	_____
C8	RWH अनिवार्यता के लिए भूखंड क्षेत्र (m^2) (खंड 1.5.3)	_____
	D. सीमा-मान और छूट	

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
D1	0.1 ha या अधिक भूमि विक्षोभ — 1.5.2(a): हाँ / नहीं	_____
D2	500 m² या अधिक नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र — 1.5.2(b): हाँ / नहीं	_____
D3	पुनर्विकास (साइट पर विद्यमान अपारगम्य आवरण) — 1.5.6: हाँ / नहीं	_____
D4	खंड 4.5.6 का सीमित पुनर्विकास मार्ग प्रस्तावित: हाँ / नहीं	_____
D5	रैखिक लोक निर्माण कार्य: पार किए गए प्रत्येक जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र में जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र तालिका 1F.2 में दिया गया — 1.5.7: हाँ / नहीं / लागू नहीं	_____
D6	दावा की गई छूट — 1.5.8(a) सीमा-मानों से नीचे एकल आवास / 1.5.8(b) बिना अतिरिक्त अपारगम्य क्षेत्र के पुनः सतह बिछाना / कोई नहीं	_____
D7	RWH अनिवार्यता लागू (भूमि विकास नियम, 1984, नियम 78(4): 500 m² बताई गई सीमा से बड़े भूखंड पर भवन [TBC]; 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छत वाला शासकीय भवन (सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश)) — 1.5.3: हाँ / नहीं	_____
	E. साइट की स्थितियाँ	
E1	साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में (परिशिष्ट 1B; खंड 4.5.3): नहीं / हाँ — नाम	_____
E2	प्रयुक्त जलग्रहण क्षेत्र सीमा का स्रोत	_____
E3	साइट के लिए 1% AEP स्तर मानचित्रित या निर्धारण योग्य (खंड 1.5.4(b)): हाँ / नहीं; स्रोत	_____
E4	साइट पर या उससे लगा जलाशय (खंड 1.5.4(c); अध्याय 7): नहीं / हाँ — नाम	_____
E5	साइट को पार करता प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख-प्रणाली प्रवाह मार्ग (खंड 1.5.4(d)): नहीं / हाँ	_____
E6	साइट का पानी ज्वारीय आउटफॉल में जाता है (खंड 10.3.2(d)): हाँ / नहीं	_____
E7	विचलन, अधित्याग, क्षेत्रीय सुविधा या एवज शुल्क प्रस्तावित (खंड 10.3.2(c)): नहीं / हाँ — प्रपत्र 1-2 संलग्न	_____
	F. निर्धारण	
F1	परिणाम: (i) अध्याय 4 और 5 लागू, खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता सहित; (ii) केवल खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता (सीमा-मानों से नीचे); (iii) 1.5.8 के अंतर्गत छूट प्राप्त, खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता फिर भी लागू	_____
F2	खंड 10.3.2 के अंतर्गत चरण 0 अनिवार्य: हाँ (मद (a) से (d) बताएँ) / नहीं	_____
F3	भंडारण विधि: हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) / डिजाइन-सहायिका मार्ग S-1 (खंड 1.7, जहाँ अंगीकृत हो और साइट पात्र हो)	_____
F4	नीति अनुपूरक के अन्य विकल्प जिन पर निर्भरता है (S-2 से S-5), अंगीकार करने वाले संकल्प सहित	_____
F5	टियर B का चरणबद्ध आरंभ लागू (खंड 1.11.3): हाँ / नहीं	_____
	G. घोषणा	
G1	मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और विकास की संपूर्ण साझा योजना को आच्छादित करती है। आवेदक: नाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____
G2	तैयारकर्ता (पंजीकृत पेशेवर, खंड 1.4): नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____
	H. प्राधिकारी के लिए (खंड 1.5.9)	
H1	निर्धारण की पुष्टि / सुधार	_____
H2	सुधार और कारण	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
H3	अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

तालिका 1F.2 — प्रपत्र 1-1: जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र, रैखिक कार्य (खंड 1.5.7)

पार किया गया जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र	चेनेज से – तक	जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र (m²)	500 m² या अधिक (हाँ / नहीं)	भंडारण स्थान: मार्गाधिकार / क्षेत्रीय सुविधा

प्रपत्र 1-2 — विचलन / अधित्याग अनुरोध

अध्याय 1 के खंड 1.10 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट के साथ दाखिल किया जाता है (खंड 1.10.4(a)), संबंधित प्रत्येक अपेक्षा के लिए एक प्रपत्र।

तालिका 1F.3 — प्रपत्र 1-2: विचलन / अधित्याग अनुरोध

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. आवेदक और साइट	
A1	आवेदक	_____
A2	साइट का पता और निर्देशांक	_____
A3	प्रपत्र 1-1 का संदर्भ और तिथि	_____
A4	प्राधिकारी का टियर: A / B	_____
A5	साइट क्षेत्र (ha)	_____
A6	साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में: हाँ / नहीं	_____
	B. अनुरोध	
B1	प्रकार: संख्यात्मक अपेक्षा से विचलन (1.10.1) / अध्याय 4 के अस्थायी भंडारण का अधित्याग (1.10.2)	_____
B2	मैनुअल का संबंधित खंड	_____
B3	मैनुअल द्वारा अपेक्षित मान	_____
B4	प्रस्तावित मान या व्यवस्था	_____
	C. ऐसे विषय जिनमें विचलन या अधित्याग नहीं हो सकता (खंड 1.10.3) — पुष्टि करें कि अनुरोध इनमें से किसी से संबंधित नहीं है	
C1	(a) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज कनेक्शन	संबंधित नहीं: _____
C2	(b) अध्याय 6 का सबसे निचला आवास योग्य तल स्तर	संबंधित नहीं: _____
C3	(c) खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से नीचे जलाशय सेटबैक, या अध्याय 7 के भराई-निषिद्ध जोन में भराई या निर्माण	संबंधित नहीं: _____
C4	(d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिधारण, सिवाय खंड 1.7 के अंतर्गत एवज शुल्क द्वारा	संबंधित नहीं: _____
	D. विचलन: आधार (खंड 1.10.1(a))	
D1	साइट की स्थिति: उच्च भूजल स्तर / दूषित मिट्टी / चट्टान / अपेक्षित सुविधा के लिए बहुत छोटी साइट / अन्य	_____
D2	साक्ष्य (परीक्षण, सर्वेक्षण, नक्शे), संदर्भों सहित	_____
D3	आकलित विकल्प और प्रत्येक के अव्यवहार्य होने का कारण	_____
	E. विचलन: समान निष्पादन या कमी की पूर्ति (खंड 1.10.1(b))	
E1	प्रयुक्त अनुप्रवाह बिंदु (अध्याय 5)	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
E2	उस बिंदु पर पूर्ण अनुपालन के साथ और विचलन के साथ निष्पादन (चरम प्रवाह, जल स्तर)	_____
E3	या: कमी की पूर्ति उसी जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क या साइट से बाहर के कार्यों द्वारा — आयतन (m^3), कार्य या शुल्क	_____
	F. अस्थायी भंडारण का अधित्याग: आधार (खंड 1.10.2)	
F1	साइट सीधे समुद्र में / ऐसे ज्वारीय नदी-भाग में जिसके अनुप्रवाह में कोई बाढ़-प्रवण संपत्ति नहीं है, पानी छोड़ती है	_____
F2	यह दर्शाने वाला विश्लेषण कि बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति को बदतर नहीं बनाता — संदर्भ	_____
F3	प्रतिधारण फिर भी पूर्ण रूप से उपलब्ध: हाँ	_____
	G. संलग्नक (खंड 1.10.4(a))	
G1	खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित रिपोर्ट	_____
G2	प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट	_____
	H. प्रमाणन और घोषणा	
H1	प्रमाणकर्ता (पंजीकृत पेशेवर; जहाँ खंड 10.6.1 लागू हो वहाँ सूचीबद्ध पेशेवर): नाम, पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____
H2	आवेदक: नाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____
	I. प्राधिकारी के लिए (खंड 1.10.4)	
I1	राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजा गया (टियर B, 1 ha या उससे बड़ी साइट): हाँ / नहीं; तिथि	_____
I2	निर्णय: प्रदान किया गया / शर्तों सहित प्रदान किया गया / अस्वीकार किया गया	_____
I3	कारण और शर्तें	_____
I4	सार्वजनिक रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या (खंड 10.17)	_____
I5	टिप्पणी: विचलन अनुमोदन के साथ जुड़ा रहता है और अनुमोदन व्यपगत होने पर व्यपगत हो जाता है (खंड 1.10.4(d))	—
I6	अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

अध्याय 2 के परिशिष्ट

डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ

ये परिशिष्ट अध्याय 2 के सहायक हैं। परिशिष्ट 2A से 2E में वे राज्यव्यापी वर्षा तालिकाएँ रखी जाएँगी जिनका उल्लेख अध्याय 2 में है: बेंचमार्क जाँच और जोन मानचित्र, उप-दैनिक अनुपात, ग्रिड-से-बिंदु गुणक, वर्षा का कालिक वितरण (temporal pattern) और प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)। प्रत्येक के लिए NIH-DHAARA और IMD के अभिलेखों का ऐसा विश्लेषण आवश्यक है जो इस मैनुअल के लिए अभी नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्येक को "तैयार किया जाना है" के रूप में चिह्नित किया गया है और उसमें उसकी प्रस्तावित रूपरेखा (layout) तथा उसके प्रकाशित होने तक लागू नियम दिया गया है (खंड 1.11.5)। प्रपत्र 2-1 डिजाइन वर्षा पत्रक (Design Rainfall Sheet) का प्रारूप प्रपत्र है, जिसे प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति (submittal) में सम्मिलित करना अनिवार्य है (खंड 2.13)। यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 2A — बेंचमार्क बिंदुओं पर NIH-DHAARA बनाम IMD केंद्र और IMD ग्रिड आँकड़ों की जाँच; जोन मानचित्र

अध्याय 2 के खंड 2.3.1 से 2.3.5 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राज्य भर के बेंचमार्क बिंदुओं (benchmark points) पर NIH-DHAARA की डिजाइन गहराइयों की तुलना IMD के दीर्घकालिक दैनिक केंद्र अभिलेखों के आवृत्ति विश्लेषण से और IMD के ग्रिड दैनिक आँकड़ों (gridded data; परिशिष्ट 2C से बिंदु मानों में परिवर्तित) के आवृत्ति विश्लेषण से की जाएगी, 24 घंटे और उससे अधिक की अवधियों के लिए तथा तालिका 2.1 के AEP के लिए। इसमें वर्षा जोन (rainfall zones) का वह मानचित्र भी होगा जिसका उपयोग परिशिष्ट 2B, 2C और 2E तथा अध्याय 4 की टियर B तालिकाएँ करती हैं। इसके लिए बेंचमार्क निर्देशांकों पर NIH-DHAARA मान (NIH), IMD के दैनिक और स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge) केंद्रों के अभिलेख तथा IMD के ग्रिड वर्षा आँकड़े (IMD), राज्य के वर्षामापी अभिलेख (जिलों और तहसीलों के वे वर्षामापी जिनकी रीडिंग IMD *Climate of Chhattisgarh* में सारणीबद्ध करता है, WRD के उसके डैमों और बैराजों पर स्थित वर्षामापी, और रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कृषि-मौसम वेधशाला [TBC]), और जिला तथा बेसिन सीमाएँ (भारतीय सर्वेक्षण विभाग, WRD) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन गहराइयाँ खंड 2.3.1 के अंतर्गत NIH-DHAARA से ली जाती हैं, खंड 2.3.3 की प्रति-जाँचें प्रपत्र 2-1 में दर्ज की जाती हैं, और किसी साइट का जोन वही होता है जिस पर प्राधिकारी से सहमति हुई हो और जो प्रपत्र 2-1 में दर्ज हो।

तालिका 2A.1 — डिजाइन गहराइयों की बेंचमार्क तुलना (ढाँचा)

बेंचमार्क बिंदु	IMD केंद्र ID	अक्षांश, देशांतर	अभिलेख के वर्ष	अवधि (h)	AEP	NIH-DHAARA (mm)	IMD केंद्र विश्लेषण (mm)	IMD ग्रिड, बिंदु मान (mm)	NIH-DHAARA / IMD केंद्र	टिप्पणियाँ
				24						

बेंचमार्क बिंदु	IMD केंद्र ID	अक्षांश, देशांतर	अभिलेख के वर्ष	अवधि (h)	AEP	NIH-DHAARA (mm)	IMD केंद्र विश्लेषण (mm)	IMD ग्रिड, बिंदु मान (mm)	NIH-DHAARA / IMD केंद्र	टिप्पणियाँ
				48						
				72						

2A.1 नीचे दिए गए जोन नाम वे कार्यकारी नाम हैं जिनका उपयोग अध्याय 4 के टियर B तालिका टेम्पलेट में किया गया है (खंड 4.14.2)। उनकी सीमाएँ, और यह कि क्या और जोन आवश्यक हैं, इस परिशिष्ट के विश्लेषण से निर्धारित किए जाने हैं।

तालिका 2A.2 — वर्षा जोन (ढाँचा)

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
CG-Z1 महानदी का मैदान	छत्तीसगढ़ का मैदान और उसकी उत्तरी और दक्षिणी किनारी पट्टियाँ, CWC उप-क्षेत्र 3(d) में, महानदी और ब्राह्मणी बेसिन (खंड 2.3.6(b)); राजनांदगांव और खैरागढ़ की वैनगंगा की ओर 3(f) में और कवर्धा की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी 3(c) में स्थित है; जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र ऊँचे जोन का मान लेते हैं	Raipur (Obsy) 42875 (दैनिक अभिलेख 1901–2012), Raipur (Mana) (A) 11203 (1979–2012), Durg 42876 (1969–2012), Rajnandgaon 11204 (1981–2008), Champa 42783 (1945–2012), Raigarh 42884 (1950–2012), Kanker 42953 (1927–2008), Pendra Road 42779 (1903–2012)	जिलों के वार्षिक सामान्य मान लगभग 1,010–1,390 mm (कबीरधाम 1,011.2, दुर्ग 1,061.5, बिलासपुर और बालोद 1,110.5, रायपुर 1,129.3, धमतरी 1,187.6, महासमुंद 1,205.7, रायगढ़ 1,321.2, कोरबा 1,354.1 mm; IMD, 1961–2010)। FER 3(d) में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 200–360 mm, मुंगेली और कवर्धा के ऊपर 200 mm से कम के एक बंद क्षेत्र से गरियाबंद में लगभग 360 mm तक, और ओडिशा की सीमा पर 440 mm से अधिक का एक बंद क्षेत्र; 1-घंटे का अनुपात 0.39, जो राज्य में सबसे अधिक है। खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत योग्य और 100-वर्ष की गहराई को प्लेटों से ऊपर बढ़ाने वाले अभिलेख: Raipur (Obsy) 42875, 370.3 mm (4 Aug 1910); Korba (23 वर्ष), 358.0 mm (12 Aug 2004); Champa 42783, 347.2 mm (26 Jul 1947) (IMD)। जिला वर्षामापियों के अधिक अभिलेख, जिनके अभिलेख की अवधि की पुष्टि नहीं हुई है, जिनमें Rajnandgaon 392.0 mm (21 Sep 1965) और Durg 337.0 mm (15 Jun 2004) सम्मिलित हैं, पुष्टि होने तक बाहर रखे गए हैं: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC]। NIH-DHAARA की 50-वर्ष 24-घंटे गहराई रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायगढ़ में प्लेटों के निकट, और दुर्ग–भिलाई, कोरबा, नवा रायपुर और महासमुंद में अधिक

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-A रायपुर–दुर्ग–भिलाई–राजनांदगांव मैदान (शिवनाथ–खारुन, चूना पत्थर)	रायपुर, बिरगांव, नवा रायपुर अटल नगर, अभनपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, कुम्हारी, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, बेमेतरा, बालोद, धमधा, सिमगा और बलौदा बाजार; सीमाएँ [TBC]	Raipur (Obsy), Raipur (Mana), Durg, Rajnandgaon; नवा रायपुर अटल नगर के लिए NRDA का चार्ट (केवल प्रति-जाँच, खंड 2.3.6(g))	FER में 50-वर्ष 24-घंटे दुर्ग और भिलाई में लगभग 240–280 mm और रायपुर, नवा रायपुर और राजनांदगांव में 280–320 mm। अभिलेख: Raipur (Obsy) 370.3 mm (4 Aug 1910; उसी वर्षा घटना में Kurud 381.0 mm और Arang 318.0 mm), खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत योग्य; Raipur (Mana) 273.0 mm (30 Jun 2007) और Durg (Obsy) 260.4 mm (13 Aug 2006), प्लेटों से कम; Rajnandgaon 392.0 mm (21 Sep 1965), Dongargarh 359.4 mm (1 Aug 1959), Durg 337.0 mm (15 Jun 2004) और Bhilai 288.3 mm (19 Aug 1939), पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC] (IMD)। रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी का कार्स्टीकृत, गुहायुक्त चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर; मैदान पर कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa), ऊपरी भूमि पर मटासी (matasi) और भाठा (bhata); भूजल की दृष्टि से गंभीर (critical) विकासखंड धरसींवां (रायपुर), गुरूर, नवागढ़ (Nawagarh), बेमेतरा और बेरला (CGWB, 2024)। प्राप्तकर्ता जल (receiving waters): खारुन (पथरीडीह (Pathardihi) पर उच्चतम स्तर 281.68 m, 2020; कोई चेतावनी या खतरे का स्तर नहीं), शिवनाथ (मोंगरा बैराज, जलाशय का पूर्ण जल स्तर 337.150 m), रायपुर के तालाब (talab) और नवा रायपुर की झीलें
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-B बिलासपुर–मुंगेली–कवर्धा (अरपा–मनियारी–हांप)	बिलासपुर, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा और पंडरिया; कवर्धा की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी उप-क्षेत्र 3(c) में है; सीमाएँ [TBC]	Pendra Road (निकटतम लंबा अभिलेख, लगभग 90 km उत्तर में); बिलासपुर का जिला वर्षामापी, जिसके अभिलेख की अवधि IMD से प्राप्त की जानी है [TBC]	मैदान का सबसे सूखा भाग (कबीरधाम 1,011.2 mm) और FER प्लेटों की सबसे निचली पट्टी: 50-वर्ष 24-घंटे बिलासपुर में लगभग 200–240 mm, 200 mm से कम के एक बंद क्षेत्र के किनारे पर। अभिलेख: Bilaspur 277.0 mm (29 Jun 2005), Pendra Road 262.1 mm (18 Aug 1953) (IMD); जुलाई 2026 में बिलासपुर में 24 घंटों में 28 cm, और 415.6 mm, बताई गई वर्षा अनसुलझी है (प्रकाशित खबरों के अनुसार) [TBC]। चूना पत्थर और शेल, बिलासपुर में लगभग 30 m तक जलोढ़ के साथ; तखतपुर और बिल्हा (Belha) अर्ध-गंभीर (CGWB, 2024)। प्राप्तकर्ता जल: अरपा (भैंसाझार (Bhaisajhar) बैराज, जलाशय का पूर्ण जल स्तर 302.000 m; खारंग (Kharang), स्पिलवे 994 m^3/s), मनियारी (मनियारी (Maniyari) पर उच्चतम स्तर 236.23 m, 2022) और हांप (Hamp); कोपरा जलाशय (रामसर)

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-C कोरबा–जांजगीर–चांपा–रायगढ़ (हसदेव–मांड–केलो कोयला क्षेत्र)	कोरबा, कटघोरा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, चांपा, जांजगीर, अकलतरा, सक्ती, रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार और सारंगढ़; सीमाएँ [TBC]	Champa, Raigarh; कोरबा का जिला वर्षामापी (23 वर्ष)	FER में 50-वर्ष 24-घंटे कोरबा और चांपा में लगभग 240–280 mm और रायगढ़ में लगभग 320 mm (अनुमानित [TBC])। अभिलेख: Korba 358.0 mm (12 Aug 2004) और Champa 347.2 mm (26 Jul 1947), खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत योग्य; Raigarh (IMD केंद्र 42884) 315.2 mm (25 Aug 1970), प्लेट से कम; Janjgir 385.4 mm (16 Jun 1994), Raigarh 360.9 mm (10 Jul 1958) और Kharsiya 340.2 mm (7 Sep 2003), पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC]; Akaltara 282.7 mm, 28 Aug 2020 को (IMD); Kathgora का 24 Nov 1958 का 433.6 mm खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत बाहर रखा गया है [TBC]। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, स्वतः प्रवाही कुओं, खदानों में जल-अंतर्वाह और गेवरा और कुसमुंडा के चारों ओर लगभग 1.2 km के अवनमन शंकुओं के साथ (प्रकाशित खबरों के अनुसार); बिजली संयंत्रों के राखड़ बाँध, जिनके टूटने की खबरें 2024–2026 में आईं। प्राप्तकर्ता जल: मिनीमाता बांगो और दर्री के नीचे हसदेव (उच्चतम स्तर बांगोडैम (Bangodam) 303.5 m और कटघोरा 313.58 m, 2026), मांड (कुरुभाठा (Kurubhata) 220.4 m, 2020), केलो डैम (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 233.000 m) के नीचे केलो और महानदी (कलमा (Kalma) 202.43 m, सूरजगढ़ 201.06 m, 2020), रायगढ़ और सारंगढ़ के निचले आउटफॉलों पर हीराकुंड के बैकवाटर के साथ
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-D दक्षिण-पूर्वी मैदान (धमतरी–महासमुंद–गरियाबंद–राजिम)	धमतरी, कुरुद, महासमुंद, सरायपाली, बसना, पिथौरा, राजिम, गरियाबंद और आरंग का पूर्वी भाग; सीमाएँ [TBC]	Kanker (निकटतम लंबा अभिलेख); Raipur (Obsy); धमतरी और महासमुंद के जिला वर्षामापी [TBC]	FER प्लेटों पर मैदान की सबसे अधिक वर्षा वाली पट्टी: 50-वर्ष 24-घंटे धमतरी में लगभग 320 mm, महासमुंद और राजिम में 320–360 mm और गरियाबंद में लगभग 360 mm, ओडिशा की सीमा पर 440 mm से अधिक के एक बंद क्षेत्र के साथ; मैदान में NIH-DHAARA का सबसे ऊँचा सेल, महासमुंद, 380 mm। अभिलेख: Saraipali 508.3 mm और Basna 453.0 mm (29 Aug 2003), Kurud 381.0 mm (4 Aug 1910) और Dhamtari 313.2 mm (IMD), सभी पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC]; इस उप-भाग का कोई अभिलेख अभी योग्य नहीं है। धमतरी में लगभग 70 m तक जलोढ़; धमतरी, कुरुद, बसना और पिथौरा अर्ध-गंभीर। प्राप्तकर्ता जल: गंगरेल के नीचे महानदी (रविशंकर सागर, जलाशय का पूर्ण जल स्तर 348.700 m, 14 गेट, स्पिलवे 17,230 m^3/s), पैरी (मालगांव (Malgaon) पर उच्चतम स्तर 329.33 m, 2026) और कोडार (Kodar)
CG-Z2 बस्तर पठार	दक्षिण का बस्तर पठार और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र, CWC उप-क्षेत्र 3(g) (इंद्रावती) और 3(f) (सबरी और गोदावरी) में (खंड 2.3.6(b)); जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र ऊँचे जोन का मान लेते हैं	Jagdalpur 43041 (दैनिक अभिलेख 1910–2012), Kanker 42953 (1927–2008), Bailadila 43093 (1977–2002)	राज्य के सबसे अधिक वर्षा वाले जिले (बस्तर 1,575.7 mm, दंतेवाड़ा 1,839.3 mm; IMD)। FER 3(g) में 50-वर्ष 24-घंटे जगदलपुर में लगभग 240–280 mm, उसके पश्चिम में इंद्रावती घाटी के ऊपर 200 mm से कम के एक बंद क्षेत्र के साथ; 1-घंटे का अनुपात 0.32 (3(g), 3(f))। यहाँ NIH-DHAARA अधिक (जगदलपुर 340, दंतेवाड़ा 342, सुकमा 355 mm)। राज्य में सबसे पहले आगमन (जगदलपुर 11–13 जून) और सबसे देर से वापसी (12–14 अक्तूबर); मानसून-पूर्व वर्षा घटनाएँ (बैलाडीला 207.0 mm, 11 May 1990) (IMD)

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
CG-Z2 बस्तर पठार: CG-E बस्तर पठार और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र	जगदलपुर, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, किरंदुल और बचेली (बैलाडीला), बीजापुर, भोपालपटनम, सुकमा, कोंटा, पखांजूर और कांकेर जिले का दक्षिणी भाग; 3(g) और 3(f) के बीच की रेखा पर जगदलपुर (खंड 2.3.6(b)); सीमाएँ [TBC]	Jagdalpur, Bailadila; जगदलपुर, परलकोट (Paralkote), भोपालपटनम और सुकमा पर FER के स्व-अभिलेखी वर्षामापी (1969–1986)	अभिलेख: Jagdalpur 43041, 259.7 mm (17 Jun 1974), और Bailadila 43093, 292.4 mm (18 Jun 1999), प्लेटों से कम; Bijapur 362.0 mm (26 Jul 1988), Dantewada 355.0 mm (31 Aug 1976), Konta 340.0 mm और Sukma 325.0 mm (3–4 Aug 2006), पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC] (IMD); स्व-अभिलेखी वर्षामापी के अधिकतम मान: जगदलपुर पर 1 घंटे में 80.0 mm और भोपालपटनम पर 3 घंटे में 145.5 mm (8 Aug 1974) (CWC FER 3(g))। बस्तर क्रेटॉन (craton) का ग्रेनाइट-नीस, बैलाडीला लौह संरचना (iron formation) और लैटेराइट; कम उपज वाले क्रिस्टलीय जलभृत। प्राप्तकर्ता जल: जगदलपुर पर इंद्रावती (CWC चेतावनी स्तर 539.49 m, खतरे का स्तर 540.80 m, 26 Sep 2026 को उच्चतम स्तर 544.891 m), जो ओडिशा से निकलती है; चिंदनार (Chindnar) पर इंद्रावती, सोनारपाल (Sonarpal) पर नारंगी, तालनार (Talnar) और कोंटा पर सबरी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)
CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ	उत्तरी पर्वत-श्रेणियाँ, CWC उप-क्षेत्र 1(d) (रिहंद, कन्हार और गोपद, सोन की ओर) और 3(d) (हसदेव और मांड के उद्गम क्षेत्र, जशपुर की ईब और ब्राह्मणी की ओर) में (खंड 2.3.6(b)); जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र ऊँचे जोन का मान लेते हैं	Ambikapur 42693 (दैनिक अभिलेख 1951–2012), Jashpurnagar 42790 (1965–2012), Pendra Road 42779 (1903–2012)	जिलों के वार्षिक सामान्य मान लगभग 1,190–1,490 mm (बलरामपुर 1,191.5, कोरिया 1,212.0, सूरजपुर 1,301.0, सरगुजा 1,386.9, जशपुर 1,486.9 mm; IMD)। FER 1(d) में 50-वर्ष 24-घंटे अंबिकापुर के चारों ओर 280 mm से अधिक की एक बंद समोच्च रेखा; 3(d) में मनेंद्रगढ़ और जशपुरनगर में लगभग 200–280 mm, अनसुलझा [TBC]; 1-घंटे का अनुपात 0.37 (1(d))। यहाँ NIH-DHAARA कम (अंबिकापुर 249, मनेंद्रगढ़ 217, जशपुर 208 mm)। अक्तूबर की वर्षा घटनाएँ (अंबिकापुर 206.0 mm, 1 Oct 1961; पेंड्रा रोड 228.1 mm, 8 Oct 1994) (IMD)
CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ: CG-F उत्तरी पहाड़ियाँ (सरगुजा–कोरिया–जशपुर)	अंबिकापुर, बिश्रामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर, जशपुरनगर, कुनकुरी, पत्थलगांव और मैनपाट; जशपुरनगर और जशपुर जिले का पूर्वी भाग UTM जोन 45N में है; सीमाएँ [TBC]	Ambikapur, Jashpurnagar	अभिलेख: Jashpurnagar 42790, 365.0 mm (30 Jun 2001), खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत योग्य; Ambikapur 42693, 206.0 mm (1 Oct 1961), केंद्र का सर्वाधिक दैनिक मान; Samaria (सूरजपुर) 540.0 mm (13 Aug 2003), Ambikapur (जिला वर्षामापी) 341.6 mm (27 Jun 1945), Baikunthpur 326.4 mm (4 Jul 1915) और Ramanujganj 320.0 mm (11 Sep 1987), पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी: IMD द्वारा उसके वर्षामापी पर कम से कम 20 वर्ष के दैनिक अभिलेख की पुष्टि हो जाने पर प्रत्येक को खंड 2.3.6(h) की जाँच में स्वीकार किया जाता है [TBC] (IMD)। IMD द्वारा पुष्टि किए जाने तक खंड 2.3.6(h) के अंतर्गत बाहर रखे गए [TBC]: Wadrafnagar 917.2 mm (8 Sep 2003; लगभग 10 वर्षों का एक वर्षामापी), Ambikapur 456.7 mm (24 Jul 1991; IMD के केंद्र-चरम मानों द्वारा खंडित, 23 Jul 1991 को 174.0 mm) और Bharatanagar 301.0 mm (9 Jan 1995)। गोंडवाना कोयला क्षेत्र (बिश्रामपुर, चिरमिरी, बैकुंठपुर और हसदेव अरण्य); मैनपाट और जशपुर के ट्रैप पर लैटेराइट। प्राप्तकर्ता जल: रिहंद और कन्हार, हसदेव के उद्गम क्षेत्र, और ईब और शंख; प्रकाशित स्तरों वाला कोई CWC स्थल नहीं मिला [TBC]

परिशिष्ट 2B — जोनवार उप-दैनिक अनुपात P(t)/P(24h): NIH-DHAARA (घंटेवार आँकड़ों पर आधारित) बनाम एक-तिहाई नियम

अध्याय 2 के खंड 2.6.1 से 2.6.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में परिशिष्ट 2A के प्रत्येक जोन के लिए NIH-DHAARA से, जो घंटेवार अभिलेखों से व्युत्पन्न है, t-घंटे और 24-घंटे की डिजाइन गहराई के अनुपात तालिकाबद्ध किए जाएँगे और उनकी तुलना IMD Das et al. (2022) से निकलने वाले अनुपातों तथा एक-तिहाई नियम (one-third rule) से की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जोन के प्रतिनिधि बिंदुओं पर प्रत्येक अवधि के लिए NIH-DHAARA गहराइयाँ (NIH), IMD के स्व-अभिलेखी वर्षामापी आँकड़े और Das et al. (2022) के IDF मान (IMD) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक उप-दैनिक गहराइयाँ सीधे NIH-DHAARA से या किसी अनुमोदित केंद्र IDF से पढ़ी जाती हैं (खंड 2.6.1)। जहाँ केवल दैनिक गहराइयाँ उपलब्ध हों, वहाँ वे अनुपात लिए जाते हैं जिन पर प्राधिकारी से सहमति हुई हो, जो छत्तीसगढ़ में खंड 2.3.6 के अनुपात हैं: तालिका 2B.1 में साइट के उप-क्षेत्र के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के अनुपात, जो प्रत्येक AEP पर जैसे हैं वैसे ही, बिना किसी निरपेक्ष न्यूनतम सीमा के, खंड 2.3.6(h) की अभिलेख जाँच से पहले की 24-घंटे की गहराई पर लागू किए जाते हैं (खंड 2.6.2), और ये प्रपत्र 2-1 में दर्ज किए जाते हैं। एक-तिहाई नियम का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 2.6.4)।

2B.1 तालिका 2B.1 की पहली पंक्ति में एक-तिहाई नियम P(t) = P(24)·(t/24)^(1/3) के अनुपात केवल तुलना के लिए दिए गए हैं। 1, 3, 6 और 12 h के मान वे हैं जो खंड 2.6 के भाष्य में बताए गए हैं; 2 h का मान उसी सूत्र से परिकलित किया गया है। जब तक यह परिशिष्ट संबंधित जोन के लिए इस नियम की पुष्टि न करे, तब तक इसका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाएगा (खंड 2.6.4)।

तालिका 2B.1 — जोनवार अनुपात P(t)/P(24h) (डाँचा)

जोन	स्रोत	1 h	2 h	3 h	6 h	12 h	24 h
सभी (केवल संदर्भ के लिए, डिजाइन के लिए नहीं)	एक-तिहाई नियम	0.35	0.44	0.50	0.63	0.79	1.00
CG-Z1 (CG-A से CG-D) और CG-Z3 (CG-F, हसदेव, मांड, ईब और ब्राह्मणी की ओर)	CWC FER 3(d), 10-वर्ष आधार (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(f))	0.39		0.61	0.76	0.86	1.00
CG-Z2 (CG-E, इंद्रावती की ओर, जगदलपुर सहित)	CWC FER 3(g), 10-वर्ष आधार (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(f))	0.32		0.50	0.635	0.80	1.00
CG-Z2 (CG-E, सबरी और गोदावरी की ओर: सुकमा, कोंटा; और जगदलपुर, जो प्रत्येक अवधि पर 3(g) और 3(f) में से अधिक मान लेता है) और CG-Z1 (CG-A की वैनगंगा की ओर)	CWC FER 3(f), 10-वर्ष आधार (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(f))	0.32		0.52	0.65	0.79	1.00
CG-Z3 (CG-F, सोन की ओर, अंबिकापुर सहित)	CWC FER 1(d), 50-वर्ष (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(f))	0.37		0.58	0.70	0.89	1.00
CG-Z1 (CG-B, कवर्धा की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी; 3(d) के अनुपातों में से अधिक के साथ प्रयुक्त, खंड 2.3.6(b))	CWC FER 3(c), 10-वर्ष आधार (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(f))	0.34		0.50	0.63	0.79	1.00

जोन	स्रोत	1 h	2 h	3 h	6 h	12 h	24 h
CG-Z1 (CG-A का किनारा): Kanker	CWC FER 3(d), अनुलग्नक 4.4: 1969–1980 के स्व-अभिलेखी वर्षामापी अधिकतम मान, उसी अभिलेख के 24-घंटे अधिकतम मान के अनुपात के रूप में (अलग-अलग वर्षा घटनाएँ, केवल तुलना के लिए; 3(g) की रिपोर्ट में 1-घंटे का मान 75.3 mm)	0.34		0.49	0.69	0.75	1.00
CG-Z1 (CG-A): नवा रायपुर अटल नगर	NRDA का चार्ट, नया रायपुर विकास योजना-2031, Fig. 10.1 (कोई 1-घंटे या 24-घंटे का बिंदु नहीं, इसलिए 24 घंटे से कोई अनुपात नहीं बनाया जा सकता; आँख से पढ़ी गई 50-वर्ष की गहराइयाँ 3 h पर लगभग 120 mm और 6 h पर 138 mm; केवल प्रति-जाँच, खंड 2.3.6(g))	—		—	—	—	—
CG-Z1 (CG-A): रायपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, रायपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.20	0.34			0.80	1.00
CG-Z1 (CG-A): नवा रायपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, नवा रायपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.22	0.37			0.79	1.00
CG-Z1 (CG-A): दुर्ग	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, दुर्ग सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.20	0.35			0.83	1.00
CG-Z1 (CG-B): बिलासपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, बिलासपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.27	0.41			0.77	1.00
CG-Z1 (CG-C): कोरबा	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, कोरबा सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.25	0.42			0.83	1.00
CG-Z1 (CG-C): रायगढ़	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, रायगढ़ सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.25	0.39			0.79	1.00
CG-Z1 (CG-D): महासमुंद	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, महासमुंद सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.20	0.34			0.82	1.00
CG-Z2 (CG-E): जगदलपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, जगदलपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.25	0.43			0.84	1.00
CG-Z3 (CG-F): अंबिकापुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, अंबिकापुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.25	0.39			0.78	1.00

2B.2 नियत प्रेक्षण अंतरालों (fixed observation windows) की गहराइयों को खंड 2.6.3 के गुणकों से वास्तविक-अंतराल गहराइयों में परिवर्तित किया जाता है, जो तालिका 2B.2 में दोहराए गए हैं। ये WMO (हर्शफील्ड) के मानक मान हैं और अनंतिम नहीं हैं।

तालिका 2B.2 — नियत-अंतराल समायोजन गुणक (खंड 2.6.3)

अवधि में नियत प्रेक्षण अंतरालों की संख्या	गुणक
1	1.13
2	1.04
3–4	1.02

परिशिष्ट 2C — ग्रिड-से-बिंदु गुणक

अध्याय 2 के खंड 2.7.1 और 2.7.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में वे गुणक दिए जाएँगे जो ग्रिड-औसत डिजाइन गहराइयों (उदाहरण के लिए 0.25° सेल से) को जोन, अवधि और AEP के अनुसार बिंदु गहराइयों में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए IMD के ग्रिड वर्षा आँकड़ों और प्रत्येक सेल के भीतर IMD तथा राज्य के वर्षामापियों (IMD, WRD, और राज्य के जिलों और तहसीलों के वे वर्षामापी जिनके अभिलेख IMD सारणीबद्ध करता है [TBC]) के युग्मित आवृत्ति विश्लेषण, परिशिष्ट 2A के बेंचमार्क बिंदु, और गुणक व्युत्पन्न करने की एक घोषित विधि आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन गहराइयाँ NIH-DHAARA से या किसी अनुमोदित केंद्र IDF से बिंदु मानों के रूप में ली जाती हैं (खंड 2.3.1 और 2.3.2)। ग्रिड-औसत मानों का उपयोग डिजाइन गहराइयों के रूप में तब तक नहीं किया जाता जब तक प्राधिकारी से सहमत कोई रूपांतरण प्रपत्र 2-1 में दर्ज न हो (खंड 1.11.5)।

2C.1 खंड 2.7 के भाष्य से स्पष्ट है कि ये गुणक क्यों महत्वपूर्ण हैं, और छत्तीसगढ़ में पुनर्विश्लेषण (reanalysis) के सेल दोनों दिशाओं में त्रुटि करते हैं। जशपुर में NIH-DHAARA का IMDAA सेल (लगभग 12 km) 50-वर्ष 24-घंटे की गहराई लगभग 208 mm और 100-वर्ष की गहराई लगभग 233 mm देता है, जबकि जशपुरनगर के वर्षामापी पर 30 जून 2001 को 365.0 mm दर्ज हुई; अंबिकापुर में सेल का 50-वर्ष का मान, लगभग 249 mm, CWC प्लेट की 280 mm से अधिक की बंद समोच्च रेखा से कम है और 27 जून 1945 को अंबिकापुर में दर्ज 341.6 mm से भी कम है; और कांकेर में सेल का मान, लगभग 247 mm, 280–320 mm के प्लेट मान से कम है। दुर्ग में सेल का मान, लगभग 333 mm, 240–280 mm के प्लेट मान से अधिक है, और जगदलपुर में उसका लगभग 340 mm का मान 240–280 mm के प्लेट मान से और केंद्र के 259.7 mm (17 जून 1974) के अभिलेख से, दोनों से, अधिक है। सेलों की 50-वर्ष 1-घंटे की गहराइयाँ, लगभग 54–85 mm, उनकी 24-घंटे की गहराइयों की 0.20–0.29 हैं, और रायपुर में 62.7 mm, जबकि 3(d) की प्लेटों और अनुपातों से लगभग 109–125 mm मिलता है (NIH-DHAARA, 7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD; CWC)। इस प्रकार के मान ग्रिड-औसत मान हैं और बिंदु गहराइयों के रूप में किसी भी उपयोग से पहले इन गुणकों की आवश्यकता होती है; खंड 2.3.6 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इनका उपयोग डिजाइन गहराइयों के रूप में तब तक नहीं किया जाता जब तक यह परिशिष्ट और परिशिष्ट 2A प्रकाशित न हो जाएँ।

तालिका 2C.1 — ग्रिड-से-बिंदु गुणक (ढाँचा)

जोन	ग्रिड उत्पाद और सेल का आकार	अवधि (h)	AEP	गुणक (बिंदु / ग्रिड)	प्रयुक्त केंद्र	अभिलेख के वर्ष
		24				
		48				
		72				

परिशिष्ट 2D — छत्तीसगढ़ के वर्षा कालिक वितरण (हफ वक्र)

अध्याय 2 के खंड 2.9.3 और 2.9.4 के लिए, और अध्याय 11 के खंड 11.7.3 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में छत्तीसगढ़ की वर्षा घटनाओं के आयामहीन समय-वितरण (संचयी, mass) वक्र, Huff (1967) द्वारा प्रस्तुत रूप में, जोन, वर्षा-अवधि वर्ग और चतुर्थक (quartile) के अनुसार, घोषित प्रायिकता स्तरों पर दिए जाएँगे। इसके लिए स्व-अभिलेखी वर्षामापियों और स्वचालित मौसम केंद्रों (IMD, मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर के अधीन राज्य में IMD के स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षामापी, और WRD के और नगर निगमों, NRDA और स्मार्ट सिटी कंपनियों के कोई स्व-अभिलेखी वर्षामापी [TBC]) से वर्षा घटनाओं के हायटोग्राफ आवश्यक हैं, जिन्हें एक घोषित नियम से स्वतंत्र वर्षा घटनाओं में अलग किया गया हो, और उनमें CWC रिपोर्टों के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों द्वारा कांकेर (26 जून 1974 और 18 सितंबर 1980), जगदलपुर और भोपालपटनम (8 अगस्त 1974) पर दर्ज वर्षा घटनाएँ, 15 जून 2004 की दुर्ग की वर्षा घटना, 12 अगस्त 2004 की कोरबा की, 29–30 जून 2005 की बिलासपुर की, 30 जून 2007 की रायपुर की, 28–29 अगस्त 2020 की ऊपरी महानदी की, 26–27 अगस्त 2025 की बस्तर की और 24–27 सितंबर 2026 की राज्यव्यापी वर्षा घटना सम्मिलित हों। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन वर्षा घटनाओं में खंड 2.9.1 का ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक पैटर्न और खंड 2.9.2 का 48- और 72-घंटे का पैटर्न उपयोग किया जाता है; 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के वक्रों का उपयोग खंड 2.9.1 के अंतर्गत संवेदनशीलता रन (sensitivity run) के साथ किया जा सकता है (खंड 2.9.4)। SCS टाइप वितरणों का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 2.9.3)। सतत सिमुलेशन (खंड 11.7.3) में दैनिक अभिलेखों के विभाजन (disaggregation) के लिए विधि पर प्राधिकारी से सहमति ली जाती है और उसे दर्ज किया जाता है (खंड 1.11.5)।

तालिका 2D.1 — वर्षा घटना के समय के संचयी अंश के सापेक्ष वर्षा गहराई का संचयी अंश (ढाँचा, प्रत्येक जोन, अवधि वर्ग और चतुर्थक के लिए एक तालिका)

वर्षा घटना के समय का अंश	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
10% प्रायिकता वक्र	0										1.0
50% प्रायिकता वक्र	0										1.0
90% प्रायिकता वक्र	0										1.0

2D.1 प्रत्येक तालिका में जोन, अवधि वर्ग, चतुर्थक (वर्षा घटना का वह चौथाई भाग जिसमें सबसे अधिक वर्षा हुई), विश्लेषित वर्षा घटनाओं की संख्या और अभिलेख की अवधि बताई जाएगी।

संदर्भ: Huff, F.A. (1967). Time distribution of rainfall in heavy storms. *Water Resources Research* 3(4), 1007–1019.

परिशिष्ट 2E — जोनवार प्रतिधारण शततमक गहराइयाँ

अध्याय 2 के खंड 2.8.3 और 2.10.1 से 2.10.2, अध्याय 4 के खंड 4.4 और अध्याय 8 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में परिशिष्ट 2A के प्रत्येक जोन के लिए प्रतिधारण डिजाइन गहराई P_R दी जाएगी: वह 24-घंटे की वर्षा गहराई जो दीर्घकालिक अभिलेख में वर्षा वाले दिनों (≥ 2.5 mm) में से 90% दिनों में पार नहीं होती (खंड 2.10.1)। इसके लिए प्रत्येक जोन के केंद्रों के लंबे दैनिक अभिलेख (IMD, WRD, और राज्य के जिलों और तहसीलों के वे वर्षामापी जिनके अभिलेख IMD सारणीबद्ध करता है [TBC]) और, जहाँ केंद्र कम हों वहाँ, परिशिष्ट 2C के गुणकों सहित IMD के ग्रिड आँकड़े आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक P_R की गणना खंड 2.10.1 की परिभाषा से, प्राधिकारी से सहमत किसी केंद्र के दीर्घकालिक दैनिक अभिलेख से, 2E.1 के पदों के अनुसार की जाती है, और उसे प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है (खंड 1.11.5)।

2E.1 **दैनिक अभिलेख से P_R की गणना।**

1. केंद्र के पूरे अभिलेख की दैनिक (24-घंटे) वर्षा शृंखला लें।
2. केवल 2.5 mm या अधिक वर्षा वाले दिन (वर्षा वाले दिन, wet days) रखें।
3. वर्षा वाले दिनों की गहराइयों को क्रमबद्ध करें और वह गहराई लें जो उनमें से 90% में पार नहीं होती (90वाँ शततमक)।
4. जलवायु गुणक (खंड 2.8.3) या नियत-अंतराल गुणक न लगाएँ; P_R दैनिक सामान्य वर्षा का एक सांख्यिकीय मान है, AEP डिजाइन गहराई नहीं।
5. केंद्र, अभिलेख की अवधि, वर्षा वाले दिनों की संख्या और P_R को प्रपत्र 2-1 में दर्ज करें।

तालिका 2E.1 — जोनवार प्रतिधारण गहराई P_R (ढाँचा)

जोन	प्रयुक्त केंद्र या ग्रिड सेल	अभिलेख की अवधि	वर्षा वाले दिनों की संख्या (≥ 2.5 mm)	P_R, 90वाँ शततमक (mm)	जारी करने की तिथि
CG-Z1 महानदी का मैदान					
CG-Z2 बस्तर पठार					
CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ					

प्रपत्र 2-1 — डिजाइन वर्षा पत्रक

अध्याय 2 के खंड 2.3 से 2.13 के लिए, और अध्याय 10 के खंड 10.4.1(d) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति के लिए एक पत्रक। पद अध्याय 2 के चित्र 2.3 के अनुसार हैं।

तालिका 2F.1 — प्रपत्र 2-1: साइट, स्रोत और वर्षा घटनाएँ

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. साइट (खंड 2.13, मद 1)	
A1	परियोजना और साइट	_____
A2	साइट के निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर, दशमलव डिग्री)	_____
A3	वर्षा जोन (परिशिष्ट 2A, या प्राधिकारी से सहमति के अनुसार)	_____
A4	योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल (km^2) (खंड 2.7)	_____
A5	डिजाइन आयु: 25 वर्ष से अधिक / अस्थायी कार्य, 5 वर्ष या कम (खंड 2.8.2)	_____
A6	आउटफॉल ज्वारीय या नदी के पश्चजल (backwater) प्रभाव में: हाँ / नहीं (खंड 2.5.3, 2.12)	_____
	B. स्रोत (खंड 2.3, 2.3.5; मद 2)	
B1	NIH-DHAARA: संस्करण या उपयोग की तिथि	_____
B2	जिन निर्देशांकों के मान निकाले गए	_____
B3	निकाले गए मानों का स्क्रीनशॉट या निर्यात संलग्न: संदर्भ	_____
B4	प्रयुक्त केंद्र IDF (खंड 2.3.2): नहीं / हाँ — केंद्र, ID, साइट से दूरी (km)	_____
B5	केंद्र IDF: स्व-अभिलेखी वर्षामापी आँकड़ों के वर्ष (30 या अधिक); प्रकाशित या अनुमोदित करने वाला	_____
B6	केंद्र IDF: वर्षामापी और साइट के बीच भू-भाग या तटीय अनावरण में परिवर्तन: कोई नहीं / वर्णन करें	_____
	C. AEP और अवधियाँ (खंड 2.4, 2.5)	
C1	डिजाइन किए गए अवयव और उनके AEP (तालिका 2.1)	_____
C2	वहन: Tc और डिजाइन अवधि (10 मिनट से कम नहीं) (खंड 2.5.1)	_____
C3	भंडारण: {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} में से जाँची गई अवधियाँ; 24, 48 और 72 h सम्मिलित (खंड 2.5.2)	_____
C4	प्रत्येक भंडारण अवयव के लिए प्राप्त क्रांतिक अवधि	_____
	D. रूपांतरण	
D1	उप-दैनिक गहराइयाँ: सीधे पढ़ी गईं / परिशिष्ट 2B के अनुपातों से / प्राधिकारी से सहमत अनुपातों से (खंड 2.6.1, 2.6.2)	_____
D2	लगाया गया नियत-अंतराल गुणक: कोई नहीं (वास्तविक-अंतराल स्रोत) / 1.13 / 1.04 / 1.02 (खंड 2.6.3)	_____
D3	ग्रिड-से-बिंदु गुणक: आवश्यक नहीं (बिंदु स्रोत) / परिशिष्ट 2C / सहमत मान (खंड 2.7.1)	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
D4	ARF: 1.0 (10 km² या कम; एकल-साइट भंडारण) / CWC वक्र / अंतर्वेशित (खंड 2.7.2–2.7.4)	_____
D5	जलवायु गुणक: 1.20 (≤ 6 h) और 1.10 (> 6–72 h) / 1.0 अस्थायी कार्य / खंड 2.8.4 के अंतर्गत प्रक्षेपित गहराइयाँ	_____
	E. प्रति-जाँचें (खंड 2.3.3; मद 4)	
E1	1–24 h के लिए IMD Das et al. (2022) के मान: तालिका 2F.2 में दर्ज	_____
E2	CWC उप-क्षेत्र 3(d) / 3(g) / 3(f) / 1(d) / 3(c) का 24-घंटे का बिंदु मान, 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्र: प्रयुक्त उप-क्षेत्र	_____
E3	किसी AEP के लिए CWC न्यूनतम सीमा निर्णायक: नहीं / हाँ — AEP	_____
	F. प्रतिधारण गहराई (खंड 2.10)	
F1	P_R (mm) और स्रोत: परिशिष्ट 2E का जोन मान / परिशिष्ट 2E, 2E.1 के अंतर्गत परिकलित — केंद्र और अवधि	_____
F2	P_R पर कोई जलवायु गुणक नहीं लगाया गया (खंड 2.8.3): पुष्टि	_____
	G. डिजाइन वर्षा घटनाएँ (खंड 2.9, 2.11, 2.12; मद 5 और 6)	
G1	24 h तक की वर्षा घटनाएँ: ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक, चरम 50% पर; समय पद (≤ Tc/3 और ≤ 15 मिनट)	_____
G2	48 और 72 h की वर्षा घटनाएँ: खंड 2.9.2 के अंतर्गत निर्मित (तालिका 2F.3)	_____
G3	प्रयुक्त अन्य पैटर्न: कोई नहीं / परिशिष्ट 2D / संवेदनशीलता रन सहित CWC FER (खंड 2.9.3, 2.9.4)	_____
G4	प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के हायटोग्राफ तालिका और आलेख के रूप में संलग्न: संदर्भ	_____
G5	AMC: कन्हार या डोरसा की धान की निचली भूमि पर, तालाब में पानी छोड़ने वाली और घाटी-तल की साइटों पर 1 जुलाई–30 सितंबर की प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि चाहे जो हो, और किसी जलाशय या बैराज के जलाशय, हीराकुंड के बैकवाटर, किसी खदान के गड्ढे या अपने CWC चेतावनी स्तर पर या उससे ऊपर की किसी नदी में पानी छोड़ने वाले जलग्रहण क्षेत्रों में किसी भी समय, III; किसी अन्य साइट या समय पर 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद आने वाली या उसे अपने भीतर रखने वाली वर्षा घटना के लिए III; अन्यथा II (खंड 2.11.4)	_____
G6	विकास-पूर्व स्थिति: अविकसित खुली भूमि (greenfield), मानचित्रित HSG के लिए अच्छी स्थिति में खुली भूमि (खंड 2.11.5)	_____
G7	निकास मानदंड: मानक, Q_post ≤ 0.9 × Q_pre (खंड 2.11.2) / बाढ़-संवेदनशील, मिश्रित-आवृत्ति नियम (खंड 2.11.3)	_____
G8	चलाई गई टेलवाटर संयुक्त स्थितियाँ (खंड 2.12): स्थिति (a) MHWS + समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई; स्थिति (b) 1% AEP स्थिर जल स्तर + समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के साथ 10% AEP 48 h वर्षा घटना; निर्णायक स्थिति	_____
	H. तैयारकर्ता	
H1	मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए मान वही हैं जो निकाले गए और प्रस्तुति में प्रयुक्त हुए। नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____

डिजाइन गहराई = स्रोत गहराई × नियत-अंतराल गुणक × ग्रिड-से-बिंदु गुणक × ARF × जलवायु गुणक। जहाँ डिजाइन गहराई उसी AEP के लिए CWC न्यूनतम सीमा से कम हो, वहाँ न्यूनतम सीमा ली जाती है (खंड 2.3.3)।

तालिका 2F.2 — प्रपत्र 2-1: गहराई तालिका (खंड 2.13, मद 3)

AEP (T-वर्ष)	अवधि	स्रोत गहराई (mm)	नियत-अंतराल गुणक	ग्रिड-से-बिंदु गुणक	ARF	जलवायु गुणक	डिजाइन गहराई (mm)	IMD Das et al. (2022) (mm)	CWC न्यूनतम सीमा (mm)	ली गई गहराई (mm)

AEP (T-वर्ष)	अवधि	स्रोत गहराई (mm)	नियत-अंतराल गुणक	ग्रिड-से-बिंदु गुणक	ARF	जलवायु गुणक	डिजाइन गहराई (mm)	IMD Das et al. (2022) (mm)	CWC न्यूनतम सीमा (mm)	ली गई गहराई (mm)

तालिका 2F.3 — प्रपत्र 2-1: 48- और 72-घंटे की वर्षा घटना का निर्माण (खंड 2.9.2)

AEP (T-वर्ष)	अवधि (h)	कुल डिजाइन गहराई (mm)	24 h डिजाइन गहराई, अंतिम 24 h (mm)	शेष (mm)	अंतिम 24 h से पहले के घंटे	अंतिम 24 h से पहले एकसमान तीव्रता (mm/h)
	48				24	
	72				48	

अध्याय 3 के परिशिष्ट

जलवैज्ञानिक विधियाँ

ये परिशिष्ट अध्याय 3 के लिए हैं। परिशिष्ट 3C में सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ दी गई हैं, और प्रपत्र 3-1 और 3-2 खंड 3.17 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। परिशिष्ट 3A, 3B, 3D और 3E के लिए सर्वेक्षण, गेजिंग या प्रकाशित रिपोर्टों के ऐसे आँकड़े आवश्यक हैं जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; प्रत्येक में अभिप्रेत रूपरेखा और अध्याय 3 का वह अंतरिम नियम दिया गया है जो उसके प्रकाशित होने तक लागू रहता है। ये प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 3A — छत्तीसगढ़ की मृदा शृंखला से HSG की मिलान-सूची; मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का मानचित्र

अध्याय 3 के खंड 3.7 और 3.10 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में (a) छत्तीसगढ़ में मानचित्रित प्रत्येक मृदा शृंखला से उसके जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG) की मिलान-सूची (lookup), निकासी वाली और बिना निकासी वाली दोनों अवस्थाओं में, और (b) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) में मौसमी उच्चतम भूजल स्तर की गहराई का मानचित्र होगा। इसके लिए NBSS&LUP और छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के साथ) [TBC] के शृंखला मानचित्र उनके पैमानों सहित, प्रत्येक शृंखला के लिए मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत तक की गहराई, और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड तथा जल संसाधन विभाग के प्रेक्षण कुओं के अभिलेख आवश्यक हैं, जिनके साथ छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि में, शहरों पर खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी और इंद्रावती के डूब क्षेत्रों में, रायपुर के तालाबों (talab) और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के आसपास की भूमि में, और रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड के बैकवाटर में पीजोमीटर भी हों। इसके प्रकाशित होने तक अध्याय 3 के अंतरिम नियमों का उपयोग करें: NEH Part 630, Ch. 7 के मानदंडों द्वारा मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत या भूजल स्तर तक की गहराई से HSG निर्धारित करें (खंड 3.7.2); जहाँ भी प्रतिधारण अंतःस्यंदन पर निर्भर है, वहाँ साइट अंतःस्यंदन परीक्षणों द्वारा उसका सत्यापन करें (खंड 3.7.3); मौसमी उच्चतम भूजल स्तर साइट के पीजोमीटरों, परीक्षण गड्ढों या निकटतम प्रेक्षण कुएँ से लें (खंड 3.10.2); और जहाँ भी वह स्तर भू-सतह से 0.6 m के भीतर हो, वहाँ HSG D दें (खंड 3.10.1)।

तालिका 3A.1 — मृदा शृंखला से HSG की मिलान-सूची (रूपरेखा)

मृदा शृंखला	जिला (जिले)	वर्गिकी वर्ग	सतही बनावट	संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता (mm/h)	अपारगम्य परत तक की गहराई (m)	HSG, निकासी वाली	HSG, बिना निकासी वाली	स्रोत मानचित्र और पैमाना

तालिका 3A.2 — मानचित्रण इकाईवार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (रूपरेखा)

मानचित्रण इकाई या ग्रिड सेल	प्रयुक्त प्रेक्षण कुएँ	जून–सितंबर के अभिलेख के वर्ष	जून–सितंबर का उच्चतम स्तर, भूतल से नीचे (m)	भूतल से 0.6 m के भीतर (खंड 3.10.1)?	आँकड़ों का स्रोत

परिशिष्ट 3B — छत्तीसगढ़ का CN अंशांकन और पूरक भू-आवरण (दरारदार कन्हार परती, मेड़बंद धान, तालाब और जलाशय के तल, भाठा और लैटेराइट परत, ओवरबर्डन डंप और ऐश पॉन्ड, बस्तर और उत्तर के वन और झाड़ी)

अध्याय 3 के खंड 3.8 और 3.15 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में (a) छत्तीसगढ़ के जलग्रहण क्षेत्रों में प्रेक्षित वर्षा और अपवाह के सापेक्ष अंशांकित कर्व नंबर, तालिका 3.5 के TR-55 मानों से तुलना सहित, और (b) उन भू-आवरणों के कर्व नंबर होंगे जो तालिका 3.5 में सूचीबद्ध नहीं हैं: छत्तीसगढ़ के मैदान की निचली भूमि की कन्हार (kanhar), जब तक वह मानसून के आरंभ में सूखी और दरारदार हो; कन्हार और डोरसा (dorsa) की निचली भूमि के मेड़बंद धान के खेत, जिनकी मेड़ें पानी को खेत पर तब तक रोके रखती हैं जब तक उनके ऊपर से पानी न बहने लगे; तालाबों (talab), डबरियों (dabri) और जलाशयों के तल, जैसे रायपुर के तालाब और नवा रायपुर के जलाशय, जो वर्षा घटना के आरंभ में सूखे या जोते हुए हों; मुरम या फेरीक्रीट के ऊपर पतली मिट्टी वाली खुली भाठा (bhata) ऊपरी भूमि, और बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों की लैटेराइट परत और खुली चट्टान; कोरबा, रायगढ़ और उत्तरी कोयला क्षेत्रों के ओवरबर्डन डंप, बैकफिल्ड खनन भूमि, संघनित खदान बेंच और हॉल रोड, और बिजली घरों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध, जो पानी तेजी से बहा देते हैं और भारी तलछट ले जाते हैं; और बस्तर पठार और सरगुजा, कोरिया और जशपुर की पहाड़ियों के साल वन, झाड़ी और घास भूमि। इसके लिए ज्ञात आवरण और मृदा वाले छोटे गेज किए गए जलग्रहण क्षेत्रों के युग्मित वर्षा–अपवाह अभिलेख आवश्यक हैं, जो WRD के गेजिंग स्थलों, कृषि अनुसंधान केंद्रों और तालाब गेजों से प्राप्त हों और घटनावार तथा पूर्ववर्ती नमी के अनुसार विश्लेषित हों। इसके प्रकाशित होने तक: प्रत्येक साइट के लिए विकास-पूर्व संदर्भ अच्छी दशा वाला खुला स्थान ही रहता है (खंड 3.3.2), इसलिए ये आवरण विकास-पूर्व रन में नहीं आते; साइट के बाहर की विद्यमान स्थितियों के लिए तालिका 3.5 या TR-55 की निकटतम आवरण पंक्ति का, जोती गई भूमि की पंक्तियों सहित (खंड 3.8.3(c)), उपयोग करें, और चुनी गई पंक्ति और उसका कारण प्रपत्र 3-1 में बताएँ; डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में खड़े पानी के नीचे की भूमि को बिना किसी हानि के जल सतह के रूप में मॉडल किया जाता है (तालिका 3.5; खंड 3.10.4(b))। इन डिफॉल्ट मानों से किसी भी विचलन के लिए खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन अपेक्षित है (खंड 3.15.1(d))।

तालिका 3B.1 — पूरक भू-आवरण, AMC II (रूपरेखा)

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D	Ia अनुपात	आधार (जलग्रहण क्षेत्र, घटनाएँ, वर्ष)
मैदान की निचली भूमि की कन्हार परती, वर्षा घटना के आरंभ (15 जुलाई से पहले) में सूखी और दरारदार						
मेड़बंद धान का खेत (कन्हार या डोरसा), मेड़ की ऊँचाई दर्ज						

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D	Ia अनुपात	आधार (जलग्रहण क्षेत्र, घटनाएँ, वर्ष)
तालाब, डबरी या जलाशय का तल, वर्षा घटना के आरंभ में सूखा या जोता हुआ						
खुली भाठा ऊपरी भूमि, मुरम या फेरीक्रीट पर पतली मिट्टी						
लैटेराइट परत और खुली चट्टान, बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियाँ						
ओवरबर्डन डंप, बैकफिल्ड खनन भूमि, संघनित बेंच या हॉल रोड (कोरबा, रायगढ़ और उत्तरी कोयला क्षेत्र)						
किसी बिजली घर का ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध						
बस्तर पठार और सरगुजा, कोरिया और जशपुर की पहाड़ियों के साल वन, झाड़ी और घास भूमि						
अन्य (बताएँ)						

तालिका 3B.2 — CN अंशांकन जलग्रहण क्षेत्र (रूपरेखा)

जलग्रहण क्षेत्र	जिला	क्षेत्रफल (km²)	प्रमुख HSG और आवरण	प्रयुक्त घटनाएँ	तालिका 3.5 का CN	अंशांकित CN	अंशांकित ÷ तालिका 3.5

परिशिष्ट 3C — सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ

अध्याय 3 के खंड 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 और 3.16 के लिए।

प्रयोजन. खंड 3.16.1 में सूचीबद्ध न किया गया सॉफ्टवेयर नीचे दी गई पाँच समस्याओं के परिणाम दोहराएगा (खंड 3.16.3)। प्रत्येक समस्या पूरी तरह विनिर्दिष्ट है और केवल अध्याय 3 की विधियों और तालिकाओं का उपयोग करती है, इसलिए प्रत्येक उत्तर की जाँच हाथ से की जा सकती है। स्वीकार्यता की सहनसीमा प्रत्येक सारणीबद्ध परिणाम पर ±5% है, जो खंड 3.16.2 की समतुल्यता सीमा है; बंद-रूप (closed-form) परिणामों (समस्याएँ 3C-1 से 3C-4) के लिए सॉफ्टवेयर को दर्शाए गए पूर्णांकन तक मेल खाना चाहिए। प्रस्तुति में नीचे दिए गए प्रत्येक उत्तर के साथ सॉफ्टवेयर का परिणाम दर्ज किया जाएगा।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इनपुट (क्षेत्रफल, तीव्रताएँ, वर्षा की गहराइयाँ, ढलान और बेसिन) केवल परीक्षण के लिए चुने गए हैं। ये किसी भी साइट के डिजाइन आँकड़े नहीं हैं।

समस्या 3C-1 — रेशनल विधि से चरम प्रवाह (खंड 3.5)

इनपुट. एक इनलेट में पानी छोड़ने वाला 2.0 ha का जलग्रहण क्षेत्र: 1.2 ha कंक्रीट फर्श और छतें, C = 0.90 (तालिका 3.2, 0.80–0.95 का ऊपरी आधा भाग); 0.8 ha रेतीली मृदा पर लॉन, औसत ढलान, C = 0.15 (तालिका 3.2, 0.10–0.15 का ऊपरी आधा भाग)। डिजाइन AEP 1% (100-वर्ष)। Tc पर वर्षा की तीव्रता, जलवायु गुणक सहित: i = 120 mm/h।

भाग (b): एक अलग 0.5 ha का पूरी तरह पक्का जलग्रहण क्षेत्र, C = 0.90, डिजाइन AEP 1%, i = 150 mm/h।

तालिका 3C.1 — समस्या 3C-1 का हल

पद	गणना	परिणाम
संयुक्त C (खंड 3.5.4)	(1.2 × 0.90 + 0.8 × 0.15) / 2.0	0.60
आवृत्ति गुणक (तालिका 3.3)	1% AEP	Cf = 1.25
C · Cf (≤ 1.0)	0.60 × 1.25	0.75
चरम प्रवाह (खंड 3.5.1)	0.75 × 120 × 2.0 / 360	**Q = 0.500 m³/s**
भाग (b): C · Cf	0.90 × 1.25 = 1.125, 1.0 तक सीमित (खंड 3.5.3)	1.00
भाग (b): चरम प्रवाह	1.00 × 150 × 0.5 / 360	**Q = 0.208 m³/s**

समस्या 3C-2 — खंड विधि द्वारा सांद्रण समय (खंड 3.6)

इनपुट. विकास-पूर्व प्रवाह मार्ग: अविकसित खुली भूमि पर परत प्रवाह, n = 0.15 (खंड 3.6.3), L = 30 m, S = 0.01; P2 (50% AEP की 24-घंटे की वर्षा, बिना जलवायु गुणक) = 80 mm। उथला संकेंद्रित प्रवाह, कच्ची सतह, L = 200 m, S = 0.01। चैनल प्रवाह, L = 400 m, पूर्ण-तट वेग V = 1.0 m/s (दिया गया)।

तालिका 3C.2 — समस्या 3C-2 का हल

खंड	गणना	यात्रा समय
परत प्रवाह (खंड 3.6.2(a))	0.091 × (0.15 × 30)^0.8 / (80^0.5 × 0.01^0.4) = 0.2138 h	12.83 min
उथला संकेंद्रित (खंड 3.6.2(c))	V = 4.918 × 0.01^0.5 = 0.4918 m/s; 200 / (3,600 × 0.4918) = 0.1130 h	6.78 min
चैनल (खंड 3.6.2(d))	400 / (3,600 × 1.0) = 0.1111 h	6.67 min
Tc (खंड 3.6.1; ≥ 10 min)	12.83 + 6.78 + 6.67	**26.27 min**
पश्चता समय (खंड 3.6.5)	0.6 × 26.27	15.76 min

समस्या 3C-3 — SCS-CN अपवाह की गहराई, AMC और Ia संवेदनशीलता (खंड 3.8)

इनपुट. HSG C पर विकास-पूर्व संदर्भ: AMC II पर CN = 74 (तालिका 3.5), पूरा पारगम्य। संचयी वर्षा P = 100 mm; दूसरी स्थिति P = 25 mm।

तालिका 3C.3 — समस्या 3C-3 का हल

स्थिति	S (mm)	Ia (mm)	अपवाह Q (mm), P = 100 mm	अपवाह Q (mm), P = 25 mm
(a) AMC II, Ia = 0.2S: S = 25,400 / 74 − 254	89.24	17.85	**39.38**	**0.53**
(b) AMC III, Ia = 0.2S: CN(III) = 23 × 74 / (10 + 0.13 × 74) = 86.75	38.80	7.76	**64.93**	—

स्थिति	S (mm)	Ia (mm)	अपवाह Q (mm), P = 100 mm	अपवाह Q (mm), P = 25 mm
(c) AMC II, Ia = 0.05S: S0.05 = 25.4 × 1.33 × (89.24 / 25.4)^1.15	143.31	7.17	**36.49**	**1.97**

अपवाह Q = (P − Ia)² / (P − Ia + S) है। स्थिति (c) 100 mm पर स्थिति (a) से कम किंतु 25 mm पर अधिक अपवाह देती है, जैसा खंड 3.8.5 और चित्र 3.3 में बताया गया है।

समस्या 3C-4 — अपारगम्य क्षेत्र का अलग बनाम संयुक्त निरूपण, और SCS इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम (खंड 3.9 और 3.11.2)

इनपुट, भाग (a). एक साइट जो 50% प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (CN 98) और 50% HSG B पर खुला स्थान (CNp = 61) है, AMC II, Ia = 0.2S, P = 25 mm।

इनपुट, भाग (b). A = 2.5 km² का एक उप-भाग, Tc = 1.0 h और गणना अंतराल Δt = 0.1 h के साथ।

तालिका 3C.4 — समस्या 3C-4 का हल

पद	गणना	परिणाम
(a) अपारगम्य आधा भाग (खंड 3.9.2)	S = 5.18 mm, Ia = 1.04 mm; Q = 23.96² / (23.96 + 5.18)	19.70 mm
(a) पारगम्य आधा भाग	S = 162.39 mm, Ia = 32.48 mm > P	0 mm
(a) क्षेत्र-भारित अपवाह, अलग उप-भाग	0.5 × 19.70 + 0.5 × 0	**9.85 mm**
(a) संयुक्त CN (खंड 3.9.4)	61 + 0.50 × (98 − 61)	79.5
(a) संयुक्त CN से अपवाह	S = 65.50 mm, Ia = 13.10 mm; Q = 11.90² / (11.90 + 65.50)	**1.83 mm**
(b) अंतराल की जाँच (खंड 3.11.3(a))	0.133 × 1.0 = 0.133 h ≥ Δt = 0.1 h	संतुष्ट
(b) पश्चता समय और चरम तक समय (खंड 3.11.2)	tL = 0.6 × 1.0 = 0.60 h; tp = 0.1 / 2 + 0.60	tp = 0.65 h
(b) इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम, Q = 1 mm	0.208 × 2.5 × 1 / 0.65	**qp = 0.800 m³/s प्रति mm**

भाग (a) खंड 3.9 के भाष्य की तुलना (लगभग 9.9 mm बनाम 1.8 mm) को दोहराता है।

समस्या 3C-5 — स्तर-ताल (modified Puls) भंडारण रूटिंग (खंड 3.12.1)

इनपुट. ऊर्ध्वाधर किनारों और 500 m² के प्लान क्षेत्रफल वाला एक अस्थायी भंडारण बेसिन, तालिका 3C.5 के जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध के साथ। त्रिभुजाकार अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ: t = 0 पर 0, t = 30 min पर 0.50 m³/s तक रैखिक रूप से बढ़ता हुआ, t = 90 min पर 0 तक रैखिक रूप से घटता हुआ। t = 0 पर बेसिन खाली। रूटिंग अंतराल Δt = 10 min (600 s)। कोई टेलवाटर नहीं।

तालिका 3C.5 — समस्या 3C-5 का जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध

जल स्तर (m)	भंडारण S (m³)	बहिर्वाह O (m³/s)
0.0	0	0.00

जल स्तर (m)	भंडारण S (m³)	बहिर्वाह O (m³/s)
0.5	250	0.05
1.0	500	0.10
1.5	750	0.15
2.0	1,000	0.20
2.5	1,250	0.25

विधि. भंडारण-सूचक (storage-indication) समीकरण (I1 + I2) + (2S1/Δt − O1) = (2S2/Δt + O2) है। तालिका से O = S / 5,000 (S m³ में, O m³/s में) मिलता है, इसलिए 2S/Δt + O = 17.667 O और 2S/Δt − O = 15.667 O, और प्रत्येक पद O2 = [(I1 + I2) + 15.667 O1] / 17.667 है। तालिका 3C.5 में रैखिक अंतर्वेशन करने वाला सॉफ्टवेयर यही परिणाम देगा।

तालिका 3C.6 — समस्या 3C-5 का रूट किया गया बहिर्वाह

समय (min)	अंतर्वाह I (m³/s)	बहिर्वाह O (m³/s)	भंडारण (m³)	जल स्तर (m)
0	0.0000	0.0000	0.0	0.000
10	0.1667	0.0094	47.2	0.094
20	0.3333	0.0367	183.3	0.367
30	0.5000	0.0797	398.4	0.797
40	0.4167	0.1226	612.8	1.226
50	0.3333	0.1511	755.7	1.511
60	0.2500	0.1670	835.2	1.670
70	0.1667	**0.1717**	**858.6**	**1.717**
80	0.0833	0.1664	832.1	1.664
90	0.0000	0.1523	761.5	1.523
120	0.0000	0.1062	531.1	1.062
180	0.0000	0.0517	258.3	0.517

परिणाम. 70 min पर चरम बहिर्वाह 0.172 m³/s; चरम भंडारण 859 m³; चरम जल स्तर 1.72 m। 0.50 m³/s का अंतर्वाह चरम घटकर अपने मान का 34% रह जाता है।

तालिका 3C.7 — आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेंचमार्क परिणाम

समस्या	परिणाम	बेंचमार्क	सॉफ्टवेयर का परिणाम	अंतर (%)	±5% के भीतर?
3C-1	Q, मुख्य स्थिति (m³/s)	0.500			
3C-1	Q, भाग (b) (m³/s)	0.208			
3C-2	Tc (min)	26.27			

समस्या	परिणाम	बेंचमार्क	सॉफ्टवेयर का परिणाम	अंतर (%)	±5% के भीतर?
3C-3	Q, स्थिति (a), P = 100 mm (mm)	39.38			
3C-3	Q, स्थिति (b), P = 100 mm (mm)	64.93			
3C-3	Q, स्थिति (c), P = 100 mm (mm)	36.49			
3C-3	Q, स्थिति (c), P = 25 mm (mm)	1.97			
3C-4	अपवाह, अलग उप-भाग (mm)	9.85			
3C-4	अपवाह, संयुक्त CN (mm)	1.83			
3C-4	qp (m^3/s प्रति mm)	0.800			
3C-5	चरम बहिर्वाह (m^3/s)	0.172			
3C-5	चरम भंडारण (m^3)	859			

परिशिष्ट 3D — समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक का अध्ययन

अध्याय 3 के खंड 3.11.5 और 3.15 के लिए।

> **छत्तीसगढ़ में अपेक्षित नहीं.** छत्तीसगढ़ भू-आबद्ध है और उसमें कोई समतल तटीय मैदान नहीं है, इसलिए राज्य की कोई भूमि खंड 3.11.5(a) की शर्त पूरी नहीं करती, और मानक गुणक 484 (PRF' = 0.208) सारी भूमि पर लागू होता है (खंड 3.11.5)। मैदान की कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि, नदियों के डूब क्षेत्र और तालाबों (talab) और जलाशयों के किनारे कहीं-कहीं समतल हैं, किंतु तटीय मैदान नहीं हैं; उनकी धीमी प्रतिक्रिया को कम चरम दर गुणक से नहीं, बल्कि भंडारण, मेड़बंद खेतों और पश्चजल (खंड 3.10.4 और 3.12.4) से दर्शाया जाता है, जबकि बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियाँ तीव्र प्रतिक्रिया देती हैं। यह परिशिष्ट और तालिका 3D.1 की रूपरेखा केवल इसलिए रखी गई है ताकि परिशिष्टों की संख्या न बदले।

तालिका 3D.1 — अंशांकित चरम दर गुणक (रूपरेखा)

जलग्रहण क्षेत्र	क्षेत्रफल (km^2)	औसत ढलान (m/m)	जल निकासी की स्थिति	प्रयुक्त घटनाएँ	अंशांकित PRF (US प्रचलित इकाइयाँ)	PRF' (SI)	प्रयोज्यता का परास

परिशिष्ट 3E — उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) और 3(c) के लिए CWC SUH प्राचल, हल किए गए उदाहरण के साथ

अध्याय 3 के खंड 3.4.3 और 3.11.4 के लिए।

तैयार किया जाना है। इस परिशिष्ट में CWC उप-क्षेत्र 3(d) (Mahanadi), 3(g) (Indravati), 3(f) (Lower Godavari), 1(d) (Sone) और 3(c) (Upper Narmada and Tapi) के लिए संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ प्राचलों, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, हानि दर, आधार प्रवाह, क्षेत्रीय न्यूनीकरण और समय वितरण के समाश्रयण संबंध सारणीबद्ध किए जाएँगे, प्रत्येक के साथ बाढ़ आकलन रिपोर्ट का संदर्भ होगा, और एक जलग्रहण क्षेत्र के लिए हल किया गया उदाहरण होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ को सम्मिलित करने वाली पाँच CWC बाढ़ आकलन रिपोर्टें आवश्यक हैं: Mahanadi उप-क्षेत्र 3(d) की रिपोर्ट (संशोधित, M-3(d)/R-3/25/1996, फरवरी 1997), जो महानदी बेसिन को, जो राज्य का लगभग 56% है, और जशपुर में ब्राह्मणी के उद्गम क्षेत्रों को सम्मिलित करती है, जिनमें रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, कवर्धा और जशपुरनगर आते हैं; Indravati उप-क्षेत्र 3(g) की रिपोर्ट (I/21/1992, जिसके आवरण पर I-21/1993 है), जो बस्तर पठार पर इंद्रावती को सम्मिलित करती है, जिसमें जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर आते हैं; Lower Godavari उप-क्षेत्र 3(f) की रिपोर्ट (संशोधित, LG-3(f)/R-2/24/1995), जो सबरी और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र को, जिसमें सुकमा और कोंटा आते हैं, और राजनांदगांव जिले की वैनगंगा की ओर की किनारी पट्टी को सम्मिलित करती है; Sone उप-क्षेत्र 1(d) की रिपोर्ट (S/15/1987), जो उत्तर में रिहंद, कन्हार नदी और गोपद को सम्मिलित करती है, जिनमें अंबिकापुर, बिश्रामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर आते हैं; और Upper Narmada and Tapi उप-क्षेत्र 3(c) की रिपोर्ट (संशोधित, UNT-3(c)/R-6/46/2002), जो कवर्धा और राजनांदगांव जिलों में लगभग 744 km² की केवल एक किनारी पट्टी को सम्मिलित करती है, जिसमें कोई नगर नहीं है (अध्याय 3 के संदर्भ देखें); साथ ही 3(f) रिपोर्ट की प्लेटें और अनुलग्नक, जो पढ़ी गई प्रति में नहीं थे, 3(g) के इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध, जो केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़े गए, 3(f) की हानि दर, जो 3(f) रिपोर्ट में 2 mm/h मुद्रित है किंतु 3(g) रिपोर्ट में 5 और 2 mm/h उद्धृत है, 1(d) की हानि दर और चरम तक के समय का घातांक, 3(d) का हानि-दर वक्र, जो केवल आँख से पढ़ा गया है, पाँचों रिपोर्टों की क्षेत्रीय न्यूनीकरण और समय-वितरण तालिकाएँ, और छत्तीसगढ़ के भीतर उप-क्षेत्रों की सीमाएँ, जिनमें जगदलपुर (3(g)/3(f)), अंबिकापुर (1(d)/3(d)), कांकेर (3(d)/3(g)) और राजनांदगांव–खैरागढ़ (3(d)/3(f)) की सीमाएँ सम्मिलित हैं, जिनकी पुष्टि अभी रिपोर्टों की पृष्ठ-छवियों और सूचकांक मानचित्रों पर की जानी है [TBC]; इन सबको लिप्यंतरित करके प्रकाशित रिपोर्टों से जाँचा गया हो, और सर्वेक्षण या DEM से मापे गए भू-आकृतिक प्राचलों वाला एक जलग्रहण क्षेत्र भी आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक सभी SUH इनपुट सीधे लागू बाढ़ आकलन रिपोर्ट से लें (खंड 3.11.4(a)), खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ खंड 2.3.3(b) और 2.7.3 की 24-घंटे की डिजाइन वर्षा लागू करें (खंड 3.11.4(b)), विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के परिणाम के साथ SUH का परिणाम प्रस्तुत करें (खंड 3.11.4(c)), और जहाँ हाइड्रोग्राफ मॉडल कम 1% AEP चरम प्रवाह देता है, वहाँ या तो खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन द्वारा उसे उचित ठहराएँ या SUH का चरम प्रवाह लें (खंड 3.11.4(d))।

तालिका 3E.1 — उप-क्षेत्रवार SUH संबंध (रूपरेखा)

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 3(d) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(g) का संबंध (इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से) [TBC]	उप-क्षेत्र 3(f) का संबंध
इकाई वर्षा के केंद्र से चरम तक का समय	tp	h	tp = 1.757 (L·Lc/√S)^0.261	tp = 0.353 (L·Lc/√S)^0.45	tp = 0.348 (L·Lc/√S)^0.454 (रिपोर्ट की तालिका L·Lc/S मुद्रित करती है; टिप्पणी देखें) [TBC]
प्रति इकाई क्षेत्र चरम प्रवाह दर	qp	m³/s प्रति km²	qp = 1.260 tp^−0.725	qp = 1.968 tp^−0.842	qp = 1.842 tp^−0.804

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 3(d) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(g) का संबंध (इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से) [TBC]	उप-क्षेत्र 3(f) का संबंध
चरम के 50% पर UH की चौड़ाई	W50	h	W50 = 1.974 qp^−1.104	W50 = 2.30 qp^−1.018	W50 = 2.353 qp^−1.005
चरम के 75% पर UH की चौड़ाई	W75	h	W75 = 0.961 qp^−1.125	W75 = 1.356 qp^−1.007	W75 = 1.351 qp^−0.992 (स्कैन में घातांक हाथ से संशोधित) [TBC]
चरम के 50% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR50	h	WR50 = 1.150 qp^−0.829	WR50 = 0.954 qp^−1.078	WR50 = 0.936 qp^−1.047
चरम के 75% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR75	h	WR75 = 0.527 qp^−0.932	WR75 = 0.581 qp^−1.035	WR75 = 0.579 qp^−1.004
UH की आधार चौड़ाई	TB	h	TB = 5.411 tp^0.826	TB = 4.572 tp^0.90	TB = 4.589 tp^0.894
इकाई अवधि	tr	h	1	1	1
डिजाइन वर्षा घटना की अवधि	TD	h	TD = 1.1 tp (इससे रिपोर्ट के सभी 16 जलग्रहण क्षेत्रों पर TD = TB की अपेक्षा अधिक 50-वर्ष का चरम प्रवाह मिला)	TD = 1.1 tp [TBC]	TD = 1.1 tp
डिजाइन हानि दर	—	mm/h	वर्षा घटना की अवधि के साथ घटती है (रिपोर्ट का Fig. 13): 3-घंटे की वर्षा घटना के लिए लगभग 3.5, जो लगभग 13 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के लिए घटकर 1.5 हो जाती है, वक्र से आँख से पढ़ी गई [TBC]; हल किया गया उदाहरण 8-घंटे की वर्षा घटना के लिए 2.1 लेता है	75 km² से बड़े जलग्रहण क्षेत्रों पर 5 और छोटे पर 2 (मुद्रित "0.5 cm/hr" और "0.2 cm/hr"), जिन्हें रिपोर्ट उप-क्षेत्र 3(f) के मानों के रूप में उद्धृत करती है; टिप्पणी देखें	2 (मुद्रित "0.2 cm/hr"); टिप्पणी देखें [TBC]
डिजाइन आधार प्रवाह	—	m³/s प्रति km²	0.10	0.06	0.05
t-घंटे और 24-घंटे की वर्षा का अनुपात	—	—	10-वर्ष, 6 स्व-अभिलेखी वर्षामापियों से: 1 h 0.390; 3 h 0.610; 6 h 0.760; 9 h 0.820; 12 h 0.860; 15 h 0.880; 18 h 0.920; 24 h 1.000	10-वर्ष, 11 स्व-अभिलेखी वर्षामापियों से: 1 h 0.320; 3 h 0.500; 6 h 0.635; 9 h 0.730; 12 h 0.800; 15 h 0.864; 18 h 0.917; 24 h 1.000	10-वर्ष: 1 h 0.32; 3 h 0.52; 6 h 0.65; 9 h 0.73; 12 h 0.79; 15 h 0.85; 18 h 0.91; 24 h 1.00
24-घंटे की वर्षा का समय वितरण	—	संचयी अंश	रिपोर्ट में 28 स्व-अभिलेखी वर्षामापियों पर 2,688 वर्षा घटनाओं से व्युत्पन्न; लिप्यंतरित नहीं किया गया [TBC]	[TBC]	[TBC]

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 3(d) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(g) का संबंध (इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से) [TBC]	उप-क्षेत्र 3(f) का संबंध
1-दिवसीय से 24-घंटे की वर्षा में रूपांतरण	—	गुणक	1.15	1.15	1.15
क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक	ARF	—	लिप्यंतरित नहीं किया गया; हल किया गया उदाहरण 194 km² पर 8-घंटे की वर्षा घटना के लिए 0.9144 लेता है [TBC]	[TBC]	पढ़ी गई प्रति में अनुपस्थित एक अनुलग्नक में [TBC]
छत्तीसगढ़ के नगरों पर 50-वर्ष की 24-घंटे की बिंदु वर्षा (कोष्ठक में 100-वर्ष)	—	mm	प्लेट 9 (प्लेट 10): बिलासपुर लगभग 200–240 (240–280); दुर्ग, भिलाई और कोरबा लगभग 240–280 (280–320); रायपुर और नवा रायपुर लगभग 280–320 (320–360); राजनांदगांव लगभग 280 (लगभग 320); कांकेर लगभग 280–320; धमतरी लगभग 320; रायगढ़ लगभग 320, प्लेट 10 की उस 360 रेखा से अनुमानित जो केलो पुल से होकर गुजरती है (लगभग 360); महासमुंद और राजिम लगभग 320–360, गरियाबंद–नुआपाड़ा (Nuapada) सीमा पर एक बंद ">440" क्षेत्र के साथ; मनेंद्रगढ़ और जशपुरनगर लगभग 200–280, अनसुलझा [TBC]	प्लेट 10 (प्लेट 11): जगदलपुर लगभग 240–280 (240–280, 280 के निकट), शहर के पश्चिम में इंद्रावती घाटी के ऊपर एक "<200" क्षेत्र के साथ, और रेखाएँ कोरापुट की ओर ऊपर उठती हैं	पढ़ी गई प्रति में प्लेटें नहीं हैं; सुकमा लगभग 200–240, 3(g) की प्लेट के किनारे पर [TBC]
छत्तीसगढ़ में गेज किए गए जलग्रहण क्षेत्र	—	—	प्रयुक्त 16 में से 5: रायगढ़ पर केलो (पुल 121, 1,150 km²), अकलतरा के पास लीलागर (Lilagar) (पुल 12, 666 km²), राजनांदगांव के पास परीं (Parri) (पुल 332(ii), 225 km²), बोराई (Borai) (पुल 69, 173 km²) और करवार (Karwar) (पुल 59(b), 136 km²); चार और सूचीबद्ध किंतु प्रयुक्त नहीं	कोई नहीं: रिपोर्ट का अपना कोई गेज किया गया जलग्रहण क्षेत्र नहीं था	पढ़ी गई प्रति से ज्ञात नहीं [TBC]
जलग्रहण क्षेत्र जिन पर संबंध लागू होते हैं	A	km²	25–1,000; विवेक के साथ 5,000 तक	[TBC]	25–1,000, उससे ऊपर विवेक के साथ
रिपोर्ट का संदर्भ	—	—	Table 3.3 (p. 13), §3.5 (p. 14), §3.6 (p. 15), अनुलग्नक 3.1 (p. 49), अनुलग्नक 4.3 और 4.4 (pp. 58–60), अनुलग्नक 5.2 और Fig. 13	§3.3 से §3.5 (pp. 12–13), अनुलग्नक 4.4 (p. 50)	[TBC]

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(d) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(c) का संबंध
इकाई वर्षा के केंद्र से चरम तक का समय	tp	h	tp = 0.314 (L/√S)^1.012 (घातांक संबंध तालिका में 1.102 और हल किए गए उदाहरण और डिजाइन वर्षा घटना के सूत्र में 1.012 मुद्रित है; टिप्पणी देखें) [TBC]	tp = 0.995 (L·Lc/√S)^0.2654
प्रति इकाई क्षेत्र चरम प्रवाह दर	qp	m³/s प्रति km²	qp = 1.664 tp^−0.965	qp = 1.665 tp^−0.71678
चरम के 50% पर UH की चौड़ाई	W50	h	W50 = 2.534 qp^−0.976	W50 = 1.9145 qp^−1.2582
चरम के 75% पर UH की चौड़ाई	W75	h	W75 = 1.478 qp^−0.860	W75 = 1.1102 qp^−1.2088

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(d) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(c) का संबंध
चरम के 50% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR50	h	WR50 = 1.091 qp^−0.750	WR50 = 0.7060 qp^−1.3859
चरम के 75% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR75	h	WR75 = 0.672 qp^−0.719	WR75 = 0.45314 qp^−1.3916
UH की आधार चौड़ाई	TB	h	TB = 5.526 tp^0.866	TB = 5.04537 tp^0.71637
इकाई अवधि	tr	h	1	1
डिजाइन वर्षा घटना की अवधि	TD	h	TD = 1.1 tp = 0.345 (L/√S)^1.012, निकटतम घंटे तक पूर्णांकित	TD = 1.1 tp, घंटे तक पूर्णांकित
डिजाइन हानि दर	—	mm/h	2.5 (मुद्रित "0.25 cm/hr की बहुलक हानि दर" ("modal loss rate of 0.25 cm/hr"); एक अंश प्रकाशीय अक्षर पहचान से "0.45cm/hr" पढ़ा जाता है, जिसकी जाँच पृष्ठ की छवि से की जानी है [TBC])	1 (मुद्रित "1 mm/hr")
डिजाइन आधार प्रवाह	—	m^3/s प्रति km^2	पढ़ी गई प्रति में नहीं मिला; 340.64 km^2 पर हल किए गए उदाहरण का 15.33 m^3/s लगभग 0.045 दर्शाता है [TBC]	0.05
t-घंटे और 24-घंटे की वर्षा का अनुपात	—	—	50-वर्ष: 1 h 0.37; 3 h 0.58; 6 h 0.70; 9 h 0.80; 12 h 0.89; 15 h 0.94; 18 h 0.98 (केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़ा गया [TBC]); 24 h 1.00	10-वर्ष: 1 h 0.34; 3 h 0.50; 6 h 0.63; 9 h 0.72; 12 h 0.79; 15 h 0.86; 18 h 0.91; 24 h 1.00
24-घंटे की वर्षा का समय वितरण	—	संचयी अंश	2–3, 4–6, 7–12, 13–18 और 19–24 घंटे की वर्षा घटनाओं के लिए Fig. 12(a)–(e) के औसत वक्र, और Table A-2 के गुणांक; लिप्यंतरित नहीं किए गए [TBC]	रिपोर्ट का अनुलग्नक 4.3; लिप्यंतरित नहीं किया गया [TBC]
1-दिवसीय से 24-घंटे की वर्षा में रूपांतरण	—	गुणक	1.15	1.15
क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक	ARF	—	Table 6 (p. 70), प्रकाशीय अक्षर पहचान से: 50 km^2, 1 h पर 80%, 3 h पर 88%, 6 और 12 h पर 93% और 24 h पर 97%; 100 km^2, 73, 82, 88, 90 और 95%; 800 km^2 तक के आँकड़ों वाले जलग्रहण क्षेत्रों से, जिनका उससे ऊपर सावधानी से उपयोग किया जाना है [TBC]	रिपोर्ट का अनुलग्नक 4.4 और Fig. 12(a); लिप्यंतरित नहीं किए गए [TBC]
छत्तीसगढ़ के नगरों पर 50-वर्ष की 24-घंटे की बिंदु वर्षा (कोष्ठक में 100-वर्ष)	—	mm	प्लेट 9 (प्लेट 10): अंबिकापुर और बिश्रामपुर लगभग 280, एक ">280" क्षेत्र में (लगभग 320, एक ">320" क्षेत्र में), सीमा-रेखा अंबिकापुर के ठीक पूर्व में; सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ की ओर कम	पढ़ा नहीं गया: राज्य का कोई नगर इस उप-क्षेत्र में नहीं है
जलग्रहण क्षेत्र जिन पर संबंध लागू होते हैं	A	km^2	25–1,500 के लिए अनुशंसित, विवेक के साथ 5,000 तक उपयोग योग्य	[TBC]
रिपोर्ट का संदर्भ	—	—	संबंध तालिका (p. 40), हल किया गया उदाहरण (pp. 15–23), डिजाइन वर्षा घटना (p. 49), वर्षा अनुपात (p. 50), हानि दर (pp. 84–88)	रेलवे पुल संख्या 930 (Railway Bridge No. 930) का हल किया गया उदाहरण; प्लेट 9 और 10

टिप्पणी: संबंध वैसे ही हैं जैसे छत्तीसगढ़ को सम्मिलित करने वाली पाँच CWC रिपोर्टों (अध्याय 3 के संदर्भ) में मुद्रित हैं; L मुख्य धारा की लंबाई km में है, Lc जलग्रहण क्षेत्र के केंद्रक (centroid) के निकटतम बिंदु तक की लंबाई km में, S समतुल्य ढलान m/km में और A जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल km² में। उप-क्षेत्र 3(d) के संबंध, हानि वक्र, आधार प्रवाह और वर्षा अनुपात, और 3(g) की हानि दरें, आधार प्रवाह और वर्षा अनुपात, स्कैन प्रतियों से पढ़े गए और इस मैनुअल के उस संस्करण के लिए पृष्ठ-छवियों से जाँचे गए जो उन उप-क्षेत्रों के शेष भाग को सम्मिलित करता है; 3(g) के इकाई हाइड्रोग्राफ संबंध केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़े गए और उनकी पुष्टि पृष्ठ-छवियों से की जानी है [TBC]; 1(d) और 3(c) की प्रविष्टियाँ उस संस्करण के लिए पढ़ी गईं जो उन उप-क्षेत्रों के शेष भाग को सम्मिलित करता है; और 3(f) की प्रविष्टियाँ 1995 की संशोधित रिपोर्ट के मुख्य पाठ से हैं, जिसके अनुलग्नक और प्लेटें पढ़ी गई प्रति में नहीं थीं। 50-वर्ष और 100-वर्ष की बिंदु वर्षाएँ छत्तीसगढ़ के लिए पुनः प्रस्तुत (re-rendered) समवर्षा प्लेटों से आँख से पढ़ी गईं और लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक सही हैं; 3(d) की रिपोर्ट की प्लेट 9 पर रायगढ़ के निकट 50-वर्ष की समोच्च रेखाओं पर मान अंकित नहीं हैं। उपयोग से पहले मुद्रण की कई समस्याएँ सुलझाई जानी हैं [TBC]। 3(g) की रिपोर्ट का अपना कोई गेज किया गया जलग्रहण क्षेत्र नहीं था और उसने उप-क्षेत्र 3(f) के संबंध और हानि दरें उसी रूप में अपनाईं जैसी वे 1995 के संशोधन से पहले थीं; इसी कारण उसका स्तंभ 3(f) के स्तंभ से भिन्न है, और इसी कारण उसकी उद्धृत "3(f)" हानि दरें, 5 और 2 mm/h, संशोधित 3(f) रिपोर्ट के 2 mm/h से भिन्न हैं। प्रत्येक स्तंभ का उपयोग केवल उसके अपने उप-क्षेत्र में किया जाएगा। उप-क्षेत्र 3(f) में रिपोर्ट की तालिका tp पद को L·Lc/S मुद्रित करती है, जबकि उसका पाठ L·Lc/√S लेता है, जो यहाँ दिया गया रूप है। उप-क्षेत्र 1(d) में संबंध तालिका tp = 0.314 (L/√S)^1.102 मुद्रित करती है, किंतु हल किया गया उदाहरण "0.314 (34.94/√3.70)^1.012 = 5.90 hrs" की गणना करता है और डिजाइन वर्षा घटना का सूत्र TD = 0.345 (L/√S)^1.012 है; यह मैनुअल 1.012 लेता है और रिपोर्ट की जाँच होने तक 1.102 को मुद्रण-त्रुटि मानता है। 1997 की 3(d) रिपोर्ट ने अपने 1982 के संस्करण का हानि वक्र बनाए रखा, यद्यपि उसके द्वारा जाँची गई 28 नई घटनाएँ वक्र से काफी बाहर हैं, और वक्र आँख से पढ़ा गया [TBC]। वर्षा अनुलग्नकों की अपनी समस्याएँ हैं: 3(d) के अनुलग्नक 4.4 में चांपा की पंक्ति की अवधियाँ क्रम से बाहर मुद्रित हैं (1-घंटे और 6-घंटे के मानों से कम 12-घंटे का मान, और फरवरी की एक तिथि), और उसका उपयोग नहीं किया जाता; 3(g) के अनुलग्नक 4.4 में जगदलपुर के 1-घंटे और 3-घंटे के अधिकतम मान दोनों 80.0 mm मुद्रित हैं, ऐसी तिथि पर जो फरवरी पढ़ी जाती है; और 26 जून 1974 का कांकेर का 1-घंटे का अधिकतम मान 3(d) के अनुलग्नक में 79 mm और 3(g) के अनुलग्नक में 75.3 mm है। 3(d) का हल किया गया उदाहरण (सोंढूर (Sondur) के पास रेलवे पुल 385, 194 km², L = 39.36 km, Lc = 15.13 km, S = 4.36 m/km) सीमा के ठीक पार ओडिशा में, छत्तीसगढ़ से निकलने वाली एक नदी पर, स्थित है; संबंध tp = 7.68 h देते हैं, जिसे रिपोर्ट 7.5 h तक पूर्णांकित करती है, और 32.0 cm की 50-वर्ष की 24-घंटे की बिंदु वर्षा, 0.780 के 8-घंटे के अनुपात, 0.9144 के ARF, 0.21 cm/h की हानि और 19.40 m³/s के आधार प्रवाह के साथ रिपोर्ट 1,086.5 m³/s का 50-वर्ष का चरम प्रवाह देती है, जो लगभग 5.6 m³/s प्रति km² है। 1(d) और 3(c) के हल किए गए उदाहरण राज्य के बाहर हैं। डिजाइन हानि दरें, अर्थात 3(d) का 3.5 से 1.5 mm/h का वक्र, 3(g) में 5 और 2 mm/h, 3(f) में 2 mm/h, 1(d) में 2.5 mm/h और 3(c) में 1 mm/h, पूरे ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों की बाढ़ों पर फिट किए गए φ-सूचकांक हैं; वे मृदा की अंतःस्यंदन क्षमताएँ नहीं हैं और उनका उपयोग HSG निर्धारित करने (खंड 3.7) या अंतःस्यंदन उपायों का आकार निर्धारित करने (अध्याय 4) के लिए नहीं किया जाता। 3(d) का वक्र रायपुर में मटासी (matasi) जैसी रेतीली दोमट पर मापी गई 7.3–7.6 mm/h की मूल अंतःस्यंदन दर से दो से पाँच गुना कम है (खंड 3.7 का भाष्य), क्योंकि वह ऐसे जलग्रहण क्षेत्रों की मानसून बाढ़ों पर फिट किया गया था जिनकी कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की धान की निचली भूमि पहले से गीली थी। रिपोर्टें रेलवे और सड़क पुलों पर गेज किए गए ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों से व्युत्पन्न की गई थीं, जिनमें से कोई भी शहरी नहीं है। छत्तीसगढ़ में वे उन ग्रामीण नालों (nala) और नदियों पर लागू होती हैं जो शहर की सीमाओं में प्रवेश करती हैं, जैसे रायपुर के ऊपर खारुन और उसके सहायक नाले, नवा रायपुर की धाराएँ, बिलासपुर के ऊपर अरपा, रायगढ़ के ऊपर केलो, जो स्वयं 3(d) के गेज किए गए जलग्रहण क्षेत्रों में से एक है, राजनांदगांव के पास पर्री (Parri), शिवनाथ के मैदान से दुर्ग और भिलाई पहुँचने वाले नाले, कोयला क्षेत्र से कोरबा पहुँचने वाली धाराएँ, और पठार से जगदलपुर और अंबिकापुर पहुँचने वाले नाले; वे शहरी जलग्रहण क्षेत्रों का मॉडल नहीं हैं। जहाँ कोई शहरी जलग्रहण क्षेत्र 25–5,000 km² के भीतर है, वहाँ SUH की गणना केवल उसकी प्राकृतिक स्थिति के तुलना-मानक के रूप में की जाती है (खंड 3.11.4), और जलग्रहण क्षेत्र का डिजाइन स्वयं अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा के साथ खंड 3.4 की विधियों से किया जाता है। राजिम और उसके नीचे महानदी, दुर्ग पर शिवनाथ, कोरबा पर हसदेव और जगदलपुर पर इंद्रावती शहरों पर 5,000 km² के निकट या उससे ऊपर हो सकती हैं [TBC]; 5,000 km² से ऊपर के नदी-भाग खंड 3.11.4 के बाहर हैं (खंड 3.4.5), और गंगरेल, बांगो, दर्री, भैंसाझार (Bhaisajhar) और मोंगरा बैराजों और ओडिशा में इंद्रावती के डैमों के नीचे बाढ़ छोड़े गए पानी से निर्धारित होती है (अध्याय 5)। अनुपातों का उपयोग SUH के TD से छोटी अवधियों की तीव्रताएँ निकालने के लिए नहीं किया जाना है (अध्याय 2): 3(d) के अनुपातों से रायपुर में 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराई लगभग 109–125 mm है, जबकि राज्य में स्व-अभिलेखी वर्षामापियों द्वारा दर्ज सबसे बड़ी विश्वसनीय 1-घंटे की वर्षाएँ कांकेर में 79 mm और जगदलपुर में 80 mm हैं (3(d) और 3(g) की रिपोर्टों का अनुलग्नक 4.4), और अध्याय 2 इस अंतर से निपटता है। 24 घंटे पर स्थिति उलटी है: रायपुर (4 अगस्त 1910 को 370.3 mm), राजनांदगांव (21 सितंबर 1965 को 392.0 mm),

कोरबा (12 अगस्त 2004 को 358.0 mm) और दुर्ग (15 जून 2004 को 337.0 mm) ने 100-वर्ष के प्लेट मानों से अधिक वर्षा दर्ज की है (IMD), इसलिए प्लेट मान खंड 2.3.3 के अंतर्गत न्यूनतम सीमा हैं, अधिकतम सीमा नहीं। बेसिनवार उप-क्षेत्र, प्लेटों से आँख से पढ़े गए और रिपोर्टों के सूचकांक मानचित्रों पर जिनकी पुष्टि की जानी है [TBC]: 3(d), शिवनाथ, खारुन, अरपा, हसदेव, मांड और केलो सहित महानदी, और जशपुर में ब्राह्मणी के उद्गम क्षेत्र (रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, राजिम, कांकेर, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, मनेंद्रगढ़ और जशपुर जिले का अधिकांश भाग); 3(g), इंद्रावती (जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा की इंद्रावती की ओर, बीजापुर और कांकेर जिले की कोटरी की ओर); 3(f), सबरी और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र (सुकमा, कोंटा और बीजापुर जिले का दक्षिणी भाग) और राजनांदगांव और खैरागढ़ की वैनगंगा की ओर की किनारी पट्टी; 1(d), रिहंद, कन्हार नदी और गोपद (अंबिकापुर, बिश्रामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज और वाड्रफनगर); और 3(c), कवर्धा और राजनांदगांव जिलों की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी। राज्य का कोई भाग उप-क्षेत्र 3(e) में नहीं है। उप-क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र के आउटफॉल से चुना जाता है, उसके जिले से नहीं: जगदलपुर 3(g)/3(f) रेखा पर स्थित है और उसका पानी इंद्रावती में जाता है, इसलिए उसके जलग्रहण क्षेत्र 3(g) में हैं, जबकि शहर के दक्षिण की वह भूमि जिसका पानी सबरी में जाता है 3(f) में है; अंबिकापुर 1(d) के ठीक भीतर स्थित है, और दक्षिण में मांड या हसदेव में पानी छोड़ने वाले जलग्रहण क्षेत्र 3(d) में हैं; और कांकेर 3(d) में है, उसकी कोटरी की ओर 3(g) में। जहाँ कोई जलग्रहण क्षेत्र दो उप-क्षेत्रों की सीमा के आर-पार पानी छोड़ता है, या उसका आउटफॉल किसी सीमा के निकट है, जैसे जगदलपुर, अंबिकापुर, कांकेर और राजनांदगांव–खैरागढ़ में, वहाँ यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि SUH की गणना प्रत्येक उप-क्षेत्र के प्राचलों से की जाए और अधिक 1% AEP चरम प्रवाह लिया जाए, जब तक कि खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन दूसरे का समर्थन न करे।

तालिका 3E.2 — हल किए गए उदाहरण की रूपरेखा (रूपरेखा)

पद	विषय-वस्तु	खंड
1	सर्वेक्षण या DEM से जलग्रहण क्षेत्रफल, मुख्य धारा की लंबाई, केंद्रक तक की लंबाई और समतुल्य ढलान	3.11.4(a)
2	तालिका 3E.1 से SUH प्राचल और आलेखित इकाई हाइड्रोग्राफ	3.11.4(a)
3	डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, जलवायु गुणक सहित बिंदु और क्षेत्रीय 24-घंटे की वर्षा, समय वितरण	3.11.4(a), (b)
4	डिजाइन हानि दर के बाद प्रभावी वर्षा; SUH के साथ संवलन; आधार प्रवाह जोड़ा गया	3.11.4(a)
5	विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के चरम प्रवाह से 1% AEP चरम प्रवाह की तुलना	3.11.4(c), (d)

प्रपत्र 3-1 — जलवैज्ञानिक गणना सारांश

अध्याय 3 के खंड 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10–3.13, 3.15–3.17 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक प्रस्तुति के लिए एक प्रपत्र। भाग H में सूचीबद्ध दस्तावेज संलग्न करें।

A. परियोजना

तालिका 3F.1 — प्रपत्र 3-1: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम और आवेदक	
A2. स्थान (गाँव या वार्ड, सर्वे संख्याएँ, जिला)	
A3. साइट का क्षेत्रफल (ha) और तुलना बिंदुओं (POC) की संख्या	
A4. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 2.11.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 2.11.3)	
A5. डिजाइन वर्षा पत्रक का संदर्भ (प्रपत्र 2-1)	

B. विधि और सॉफ्टवेयर (खंड 3.4, 3.11, 3.12, 3.16)

तालिका 3F.2 — प्रपत्र 3-1: विधि और सॉफ्टवेयर

क्षेत्र	प्रविष्टि
B1. प्रत्येक गणना का प्रयोजन (वहन, भंडारण, तुलना, जलग्रहण क्षेत्र अध्ययन)	
B2. प्रत्येक प्रयोजन के लिए योगदान देने वाला क्षेत्र (ha या km²)	
B3. प्रयुक्त विधि और तालिका 3.1 की वह पंक्ति जो इसकी अनुमति देती है	
B4. विधि के चयन का कारण	
B5. सॉफ्टवेयर और संस्करण; SWMM या HEC पर बने पैकेजों के लिए इंजन और संस्करण (खंड 3.16.1, 3.16.2)	
B6. अन्य सॉफ्टवेयर के लिए: परिशिष्ट 3C के बेंचमार्क परिणाम संलग्न (तालिका 3C.7) और खंड 3.16.2 की 5% तुलना	
B7. अपवाह रूपांतरण (खंड 3.11.1)	
B8. गणना अंतराल Δt (h), सबसे छोटे उप-भाग के 0.133 Tc और हायटोग्राफ समय पद के साथ (खंड 3.11.3(a))	
B9. भंडारण रूटिंग और चैनल रूटिंग की विधियाँ (खंड 3.12.1, 3.12.2)	
B10. डायनेमिक-वेव रूटिंग अपेक्षित है? यदि हाँ, तो खंड 3.12.4 की कौन-सी स्थिति	
B11. CWC SUH तुलना-मानक अपेक्षित है (25–5,000 km², खंड 3.11.4)? परिणाम का संदर्भ	
B12. सतत सिमुलेशन अपेक्षित है (खंड 3.13.1)? प्रयुक्त अभिलेख और तालाबों के प्रारंभिक स्तर (खंड 3.13.5)	

क्षेत्र	प्रविष्टि
B13. अंशांकन अपेक्षित है (खंड 3.15.1)? अंशांकन रिपोर्ट का संदर्भ	

C. मृदा और भूजल (खंड 3.3.3(b), 3.7, 3.10)

तालिका 3F.3 — प्रपत्र 3-1: मृदा और भूजल

क्षेत्र	प्रविष्टि
C1. HSG का स्रोत मानचित्र, पैमाना और प्रयुक्त मिलान-सूची (खंड 3.7.1, परिशिष्ट 3A) या NEH Part 630, Ch. 7 के अनुसार निर्धारण (खंड 3.7.2)	
C2. अंतःस्यंदन परीक्षण: संख्या, स्थान, गहराइयाँ, परिणाम (खंड 3.7.3)	
C3. मौसमी उच्चतम भूजल स्तर: भूतल से नीचे गहराई और स्रोत (खंड 3.10.2)	
C4. 0.6 m के भीतर के क्षेत्र जिन्हें HSG D दिया गया (खंड 3.10.1)	
C5. विक्षुब्ध पारगम्य क्षेत्र और लागू की गई HSG कमी (खंड 3.3.3(b))	

D. उप-भाग और स्थितिवार प्राचल (खंड 3.3, 3.5, 3.8, 3.9; खंड 3.17 की मद 4)

तालिका 3F.4 — प्रपत्र 3-1: उप-भाग और स्थितिवार प्राचल

उप-क्षेत्र	स्थिति (पूर्व / पश्चात)	क्षेत्रफल (ha)	अपारगम्य: छतें / पक्की सतह / सड़कें (ha)	DCIA (ha)	असंबद्ध (ha)	HSG	CN, AMC II	CN, AMC III (पारगम्य भाग)	C और Cf (यदि रेशनल)	Tc (min)

E. सांद्रण समय की कार्य-पत्रिका (खंड 3.6)

प्रत्येक उप-भाग और स्थिति के लिए एक कार्य-पत्रिका।

तालिका 3F.5 — प्रपत्र 3-1: सांद्रण समय की कार्य-पत्रिका

खंड	प्रवाह का प्रकार	सतह और n (तालिका 3.4)	L (m)	S (m/m)	P2 (mm)	V (m/s)	Tt (min)
1	परत					—	
2	उथला संकेंद्रित				—		
3	चैनल या पाइप				—		
	Tc (10 min से कम नहीं)						

E1. क्या विकास-पश्चात Tc विकास-पूर्व Tc से कम है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें (खंड 3.6.6): _____

F. वर्षा और हानियाँ (खंड 3.8.4, 3.8.5, 3.11.5, 3.12, 3.3.5)

तालिका 3F.6 — प्रपत्र 3-1: वर्षा, हानियाँ और प्रारंभिक स्तर

क्षेत्र	प्रविष्टि
F1. चलाए गए AEP और अवधियाँ; लगाया गया जलवायु गुणक (अध्याय 2)	
F2. प्रत्येक अवधि के लिए प्रयुक्त AMC (खंड 3.8.4)	
F3. डिजाइन रनों के लिए Ia अनुपात; Ia = 0.05S संवेदनशीलता रन किया गया (खंड 3.8.5)	
F4. प्रयुक्त चरम दर गुणक; यदि 484 से कम है, तो परिशिष्ट 3D का मान और वह भूमि जिस पर यह लागू है (खंड 3.11.5)	
F5. प्रत्येक तालाब या जलाशय का प्रारंभिक जल स्तर, और उसका आधार (खंड 3.12.5, 3.13.5)	
F6. साइट के बाहर से आने वाला अपवाह: वहन के लिए और तुलना के लिए माना गया भूमि उपयोग (खंड 3.3.5)	
F7. आनुषंगिक भंडारण गिना गया? यदि हाँ, तो प्राधिकारी की स्वीकार्यता (खंड 3.12.3)	

G. विचलन

तालिका 3F.7 — प्रपत्र 3-1: अध्याय 3 से विचलन

क्र.	जिस खंड से विचलन किया गया	अध्याय 3 के मान के स्थान पर प्रयुक्त मान	औचित्य
1			
2			

H. संलग्नक (खंड 3.17)

तालिका 3F.8 — प्रपत्र 3-1: संलग्नक

मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	संदर्भ
H1. विकास-पूर्व और विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्र मानचित्र, उप-भागों, Tc प्रवाह मार्गों, POC और साइट के बाहर से आने वाले अपवाह के साथ		
H2. HSG मानचित्र, भूजल स्तर के आँकड़े और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम		
H3. प्राचल तालिकाएँ (भाग D) और Tc कार्य-पत्रिकाएँ (भाग E)		
H4. डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और हायटोग्राफ		
H5. हाइड्रोग्राफ तालिकाएँ और आलेख; जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ; रूट किए गए बहिर्वाह; चरम जल स्तर		
H6. प्रत्येक POC के लिए प्रपत्र 3-2		
H7. अंशांकन रिपोर्ट (खंड 3.15)		

मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	संदर्भ
H8. मूल मॉडल इनपुट और आउटपुट फाइलें (खंड 3.16.4)		

I. उत्तरदायी अभियंता का कथन (खंड 3.17 की मद 10)

मैं कथन करता/करती हूँ कि इस प्रस्तुति में छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 3 की विधियों और प्राचलों का उपयोग किया गया है, और प्रत्येक विचलन भाग G में सूचीबद्ध है और उसका औचित्य दिया गया है।

तालिका 3F.9 — प्रपत्र 3-1: उत्तरदायी अभियंता का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
संगठन	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 3-2 — विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना

अध्याय 3 के खंड 3.8.5, 3.11.5 और 3.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक तुलना बिंदु (POC) के लिए एक प्रपत्र। प्रवाह m^3/s में, आयतन m^3 में।

A. तुलना बिंदु (खंड 3.14.2)

तालिका 3F.10 — प्रपत्र 3-2: तुलना बिंदु

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. POC का पहचानकर्ता और स्थान	
A2. POC की ओर बहने वाला क्षेत्र: साइट (ha) और साइट के बाहर से आने वाला अपवाह (ha)	
A3. साइट के बाहर से आने वाला अपवाह साइट के भंडारण से होकर गुजरता है? (खंड 3.14.2(c))	
A4. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 2.11.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 2.11.3)	
A5. लगाया गया टेलवाटर, खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियों सहित (खंड 3.14.9(c))	
A6. केवल बाढ़-संवेदनशील: सभी अवधियों में 10% AEP का सबसे बड़ा विकास-पूर्व चरम प्रवाह, खंड 2.11.3 की सीमा (खंड 3.14.7)	
A7. केवल बाढ़-संवेदनशील: विकास-पूर्व क्रांतिक अवधि पर 50% AEP का विकास-पूर्व चरम प्रवाह (खंड 2.11.3)	

B. चरम प्रवाह (खंड 3.14.7–3.14.10)

सीमा: मानक जलग्रहण क्षेत्रों के लिए समान AEP और अवधि के लिए 0.9 × Q_pre (खंड 3.14.10(a)); बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए सीमाएँ A6 (1% AEP के लिए) और A7 (50% AEP के लिए) (खंड 3.14.10(b))।

तालिका 3F.11 — प्रपत्र 3-2: AEP और अवधिवार चरम प्रवाह

AEP	अवधि (h)	AMC	Q_pre	Q_post, अनियंत्रित	Q_post, रूट किया गया	सीमा	पूरी हुई?
50% (2-वर्ष)	1	II					
50% (2-वर्ष)	2	II					
50% (2-वर्ष)	3	II					
50% (2-वर्ष)	6	II					
50% (2-वर्ष)	12	III					
50% (2-वर्ष)	24	III					
50% (2-वर्ष)	48	III					
50% (2-वर्ष)	72	III					

AEP	अवधि (h)	AMC	Q_pre	Q_post, अनियंत्रित	Q_post, रूट किया गया	सीमा	पूरी हुई?
10% (10-वर्ष)	1	II					
10% (10-वर्ष)	2	II					
10% (10-वर्ष)	3	II					
10% (10-वर्ष)	6	II					
10% (10-वर्ष)	12	III					
10% (10-वर्ष)	24	III					
10% (10-वर्ष)	48	III					
10% (10-वर्ष)	72	III					
1% (100-वर्ष)	1	II					
1% (100-वर्ष)	2	II					
1% (100-वर्ष)	3	II					
1% (100-वर्ष)	6	II					
1% (100-वर्ष)	12	III					
1% (100-वर्ष)	24	III					
1% (100-वर्ष)	48	III					
1% (100-वर्ष)	72	III					

C. आयतन और भंडारण (खंड 3.14.8–3.14.10)

तालिका 3F.12 — प्रपत्र 3-2: आयतन और भंडारण

AEP	निर्णायक अवधि (h)	अपवाह आयतन, विकास-पूर्व	अपवाह आयतन, विकास-पश्चात अनियंत्रित	प्रतिधारण आयतन	आवश्यक अस्थायी भंडारण	भंडारण में चरम जल स्तर (m)
50% (2-वर्ष)						
10% (10-वर्ष)						
1% (100-वर्ष)						

C1. भंडारण के लिए निर्णायक अवधि, और 24, 48 और 72 h के परिणाम (खंड 3.14.10): _____

D. संवेदनशीलता रन (खंड 3.8.5, 3.14.11)

तालिका 3F.13 — प्रपत्र 3-2: संवेदनशीलता रन

रन	निर्णायक वर्षा घटना (AEP, अवधि)	Q_post, रूट किया गया, में परिवर्तन (%)	आवश्यक भंडारण में परिवर्तन (%)	लागू प्रतिधारण आयतन या WQv (खंड 3.8.5(c))
Ia = 0.05S				
मानक चरम दर गुणक (केवल जहाँ कम गुणक प्रयुक्त किया गया है)				—

E. संबद्ध जाँचें (खंड 3.14.12)

तालिका 3F.14 — प्रपत्र 3-2: संबद्ध जाँचें

जाँच	परिणाम	प्रस्तुति में संदर्भ
खाली होने का समय (अध्याय 4)		
न्यूनतम ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली (अध्याय 4)		
आपातकालीन स्पिलवे (अध्याय 4)		
आउटफॉल-बंद भंडारण जाँच (अध्याय 5)		
अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5)		

F. उत्तरदायी अभियंता का कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह तुलना खंड 3.14 की प्रक्रिया द्वारा, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रनों में उन्हीं डिजाइन वर्षा घटनाओं के साथ, की गई है, और मानदंड पूरा करने के लिए किसी भी अपवाह को एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में नहीं मोड़ा गया है (खंड 3.14.2(b))।

तालिका 3F.15 — प्रपत्र 3-2: उत्तरदायी अभियंता का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
तिथि	

अध्याय 4 के परिशिष्ट

साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण

ये परिशिष्ट अध्याय 4 के लिए हैं। परिशिष्ट 4C, खंड 4.6.7 के उदाहरण पर आधारित, रूटिंग तालिकाओं सहित टियर A का एक पूर्ण हल किया गया उदाहरण है। परिशिष्ट 4B में टियर B की तालिकाओं की संरचना, अनंतिम नियत निकास गुणांक और अध्याय 4 के ऑरिफिस समीकरण से गणना की गई एक मानक ऑरिफिस तालिका दी गई है; जिन मानों के लिए NIH-DHAARA गहराइयों की आवश्यकता है, वे अभी निकाले जाने हैं। परिशिष्ट 4A के लिए GIS और भूजल आँकड़ों की आवश्यकता है जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; इसमें अभिप्रेत रूपरेखा और अध्याय 4 के अंतरिम नियम दिए गए हैं। प्रपत्र 4-1 से 4-3 खंड 4.17 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। ये प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 4A — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ (GIS); उथले भूजल के जोन का मानचित्र

अध्याय 4 के खंड 4.5.3, 4.5.4 और 4.12 के लिए।

4A.1 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ.** ये जलग्रहण क्षेत्र वे हैं जो खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध हैं, साथ ही खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र। उनके मानचित्र और GIS परत वही आँकड़ा समुच्चय है जो परिशिष्ट 1B का है, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र सूचीबद्ध हैं और परत के गुणों (attributes) की रूपरेखा दी गई है। दोनों परिशिष्ट एक साथ जारी किए जाएँगे।

4A.2 **उथले भूजल के जोन का मानचित्र.** यह मानचित्र उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ खंड 4.12 लागू होता है: छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) वाली धान की निचली भूमि, जहाँ मानसून में भूजल स्तर सतह के निकट उठ आता है; खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी और इंद्रावती और उनकी सहायक नदियों के डूब क्षेत्र; तालाबों (talab), जलाशयों और बैराज के जलाशयों के तल और किनारे, जिनमें रायपुर के तालाब और नवा रायपुर की झीलें सम्मिलित हैं; और रायगढ़ और सारंगढ़ में हीराकुंड का बैकवाटर; और कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष के किसी भी समय भूजल स्तर सतह से 3 m के भीतर रहता है (खंड 4.12.1)।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में (a) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ GIS परत के रूप में और ऐसे पैमाने के मानचित्रों के रूप में होंगी जो यह तय करने के लिए उपयुक्त हों कि कोई भूखंड उनके भीतर है या नहीं, और (b) खंड 4.12.1 के उथले भूजल के जोन का मानचित्र होगा, जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान और उसके बाद मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई दी गई हो। इसके लिए आवश्यक हैं: डिजिटल उन्नयन मॉडल और जल निकासी नेटवर्क (WRD, NRSC, भारतीय सर्वेक्षण विभाग) से बेसिन और उप-बेसिन की सीमाएँ; WRD के डैमों, जलाशयों और बैराजों के जलाशय के पूर्ण जल स्तर, जिनमें रविशंकर सागर (गंगरेल), मिनीमाता बांगो, दर्री पर हसदेव बैराज, खारंग (Kharang), मनियारी, केलो, अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज और मोंगरा बैराज सम्मिलित हैं, और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तर; नाले, नहर या नदी से लगी भूमि के लिए WRD द्वारा दिए जाने वाले उच्च बाढ़ बिंदु (संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की 2011 की चेकलिस्ट); राज्य के भीतर हीराकुंड जलाशय और उसके बैकवाटर का विस्तार; छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में और विकास योजनाओं में दर्ज तालाब और नाले; उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की वह रेखा जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण रायपुर के तालाबों और झांझ (Jhanjh) आर्द्रभूमि के चारों ओर लागू करता है; कोपरा जलाशय रामसर स्थल की सीमा; कोयला और बिजली कंपनियों (SECL, NTPC, CSPGCL, BALCO और अन्य) के पट्टा-मानचित्र, उनके खदान के गड्ढों, ओवरबर्डन डंपों, ऐश पॉन्डों और राखड़ बाँधों सहित; नगर सीमाएँ (संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, NRDA, RDA, नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें, और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग); CGSDMA के पास उपलब्ध बाढ़ मानचित्र; CGWB और जल संसाधन विभाग के प्रेक्षण कुओं के अभिलेख; और मृदा सर्वेक्षण मानचित्रों (NBSS&LUP, छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के साथ) [TBC]) से छत्तीसगढ़ के मैदान की कन्हार, डोरसा, मटासी (matasi) और भाठा (bhata) मिट्टियों, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर पट्टी, बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियों की मिट्टियों, लैटेराइट और चट्टान, और कोयला क्षेत्रों के ओवरबर्डन डंपों, खनन से विक्षुब्ध भूमि और ऐश पॉन्डों का विस्तार। इसके प्रकाशित होने तक: (a) खंड 4.5.3.2 में नामित जलग्रहण क्षेत्र लागू होते हैं, और कोई साइट उनमें से किसी में है या नहीं, यह परिशिष्ट 1B में निर्धारित तरीके से तय और दर्ज किया जाता है; और (b) प्रत्येक साइट, जिस पर खंड 4.12.1 लागू हो सकता है, अपना डिजाइन भूजल स्तर एक जून–नवंबर ऋतु में साइट के पीजोमीटर पाठ्यांकों से, या उनके न होने पर, निकटतम CGWB या राज्य के प्रेक्षण कुएँ के स्तर में 0.5 m जोड़कर और किसी आसन्न नदी, नाले, तालाब, जलाशय या खदान के गड्ढे के डिजाइन बाढ़ स्तर से निर्धारित करती है (खंड 4.12.1(b))। पीजोमीटर पाठ्यांकों के बिना कन्हार और डोरसा वाली धान की निचली भूमि, तालाबों और नदियों के डूब क्षेत्रों के किनारों और हीराकुंड के बैकवाटर में उत्प्लावन जाँच के लिए डिजाइन भूजल स्तर विद्यमान भूमि स्तर है (खंड 4.12.1)।

तालिका 4A.1 — उथले भूजल जोन परत के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र (Field)	विषय-वस्तु	इकाई या प्रारूप
zone_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	पाठ (text)
zone_class	कन्हार या डोरसा वाली धान की निचली भूमि; नदी का डूब क्षेत्र (खारुन, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, केलो, महानदी, इंद्रावती या अन्य); तालाब, जलाशय या बैराज के जलाशय का तल और किनारा (रायपुर के तालाब, नवा रायपुर की झीलें या अन्य); हीराकुंड का बैकवाटर (रायगढ़, सारंगढ़); सतह से 3 m के भीतर भूजल वाला अन्य क्षेत्र (खंड 4.12.1)	पाठ (text)
shgw_depth_m	भूमि के नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई, दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु	m
shgw_basis	प्रयुक्त कुएँ या पीजोमीटर, और अभिलेख की अवधि	पाठ (text)
tidal_influence	क्या भूजल स्तर किसी आसन्न ज्वारीय जलाशय का अनुसरण करता है (खंड 4.12.1(b))	हाँ / नहीं (yes / no)
source	आँकड़ों की स्रोत एजेंसी और दिनांक	पाठ (text)

क्षेत्र (Field)	विषय-वस्तु	इकाई या प्रारूप
geometry	जोन की सीमा	बहुभुज (polygon)

परिशिष्ट 4B — टियर B तालिकाएँ: PSD और SSR (तालिका 4.3), प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R, मानक आउटलेट आकार; पुष्ट नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)

अध्याय 4 के खंड 4.4.6.3, 4.14.1, 4.14.2 और 4.14.4 से 4.14.6 के लिए।

4B.1 इस परिशिष्ट में चार तालिकाएँ होंगी। इस प्रारूप में उनकी स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 4B.1 — परिशिष्ट 4B की विषय-वस्तु और उसकी स्थिति

तालिका	विषय-वस्तु	खंड	इस प्रारूप में स्थिति
4B.2	टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD) और साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR), तालिका 4.3 के मान	4.14.2	तैयार किया जाना है
4B.3	प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R	4.4.6.3	तैयार किया जाना है; प्रकाशन तक C_R = 0
4B.4	मानक आउटलेट आकार	4.14.2 पद 4, 4.14.6	इस परिशिष्ट में खंड 4.6.5.2 के ऑरिफिस समीकरण से गणना की गई
4B.5	नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (तालिका 4.3A)	4.14.4	तालिका 4.3A के अनंतिम मान; पुष्ट मान तैयार किए जाने हैं

4B.2 PSD और SSR (तालिका 4.3)

तैयार किया जाना है. यह तालिका प्रत्येक वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और विकास-पश्चात अपारगम्यता के लिए, मानक और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों हेतु, 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए PSD और SSR, तालिका 4.3 की रूपरेखा में देगी। इसके लिए आवश्यक हैं: प्रत्येक जोन के लिए जलवायु गुणक सहित NIH-DHAARA डिजाइन गहराइयाँ (अध्याय 2, परिशिष्ट 2A), परिशिष्ट 2B के उप-दैनिक अनुपात, और तालिका 4.1 के प्रत्येक AEP और अवधि के लिए खंड 4.6 की पूर्ण विधि द्वारा मानक साइटों के एक समुच्चय की रूटिंग। प्रत्येक PSD निर्णायक निकास सीमा और प्रत्येक SSR प्रति हेक्टेयर निर्णायक भंडारण होगा, ऐसे मार्जिन के साथ कि सरलीकृत विधि कभी भी रूटिंग से सस्ती न पड़े। इसके प्रकाशित होने तक, टियर B साइटें खंड 4.6 का, या जहाँ साइट 1 ha या उससे कम हो वहाँ खंड 4.14.3 के नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करती हैं (खंड 4.14.1 और 4.14.3)।

तालिका 4B.2 — टियर B PSD और SSR (तालिका 4.3 की रूपरेखा)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), मानक	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m³/ha), मानक	SSR (m³/ha), बाढ़-संवेदनशील
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-A रायपुर–दुर्ग–भिलाई–राजनांदगांव मैदान (शिवनाथ–खारुन, चूना पत्थर)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-B बिलासपुर–मुंगेली–कवर्धा (अरपा–मनियारी–हांप)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-C कोरबा–जांजगीर–चांपा–रायगढ़ (हसदेव–मांड–केलो कोयला क्षेत्र)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-D दक्षिण-पूर्वी मैदान (धमतरी–महासमुंद–गरियाबंद–राजिम)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
CG-Z2 बस्तर पठार: CG-E बस्तर पठार और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ: CG-F उत्तरी पहाड़ियाँ (सरगुजा–कोरिया–जशपुर)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—

4B.3 प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R

तैयार किया जाना है. यह तालिका प्रत्येक वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और प्रतिधारण पद्धति की डिजाइन अंतःस्यंदन दर या खाली होने की दर के लिए C_R देगी (खंड 4.4.3 और 4.4.6.3)। इसके लिए NIH-DHAARA गहराइयों के साथ खंड 2.5.2 के अवधियों के पूर्ण समुच्चय की रूटिंग आवश्यक है, जिसमें प्रतिधारण पद्धति को खंड 4.4.6.2 के अनुसार मॉडल किया गया हो, और क्रेडिट को प्रदान किए गए प्रति घन मीटर प्रतिधारण पर निर्णायक भंडारण में कमी के रूप में व्यक्त किया गया हो। इसके प्रकाशित होने तक, **C_R = 0** (खंड 4.4.6.3)।

तालिका 4B.3 — प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R (रूपरेखा)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	डिजाइन अंतःस्यंदन या खाली होने की दर (mm/h)	C_R (–)

4B.4 मानक आउटलेट आकार

4B.4.1 तालिका 4B.4, 5 mm के अंतराल पर, वह सबसे बड़ा वृत्ताकार ऑरिफिस देती है जिसकी प्रवाह दर किसी दिए गए हेड पर किसी दी गई अनुमेय प्रवाह दर से अधिक नहीं होती। इसकी गणना खंड 4.6.5.2 के प्रवाह गुणांक के साथ ऑरिफिस समीकरण से की गई है:

> $Q = 0.60 \times (\pi\, d^2 / 4) \times \sqrt{(2\, g\, H)}$

जहाँ Q प्रवाह दर (m^3/s) है, d ऑरिफिस का व्यास (m) है, g = 9.81 m/s^2 है और H जल स्तर से ऑरिफिस के केंद्र तक हेड (m) है। आकारों को **नीचे** की ओर पूर्णांकित किया गया है, ताकि ऑरिफिस कभी भी अनुमेय प्रवाह दर से अधिक न निकाले। जहाँ गणना किया गया आकार 50 mm से कम है, वहाँ खंड 4.8.2 का 50 mm का न्यूनतम आकार दिखाया गया है; खंड 4.5.5.1 के अंतर्गत इसे अनुपालन करता हुआ माना जाता है।

4B.4.2 तालिका मुक्त निस्सरण (free discharge) मानती है। जहाँ टेलवाटर ऑरिफिस से ऊपर उठ सकता है (खंड 4.6.6), वहाँ H प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह जल स्तरों का अंतर है और ऑरिफिस की जाँच रूटिंग द्वारा की जाएगी। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 4B जारी करते समय इस तालिका को प्रतिस्थापित कर सकती है।

तालिका 4B.4 — दिए गए हेड पर अनुमेय प्रवाह दर के लिए ऑरिफिस का सबसे बड़ा व्यास (mm) (Cd = 0.60, मुक्त निस्सरण)

अनुमेय प्रवाह दर (L/s)	H = 0.5 m	H = 1.0 m	H = 1.5 m	H = 2.0 m
5	55	50	50	50
10	80	65	60	55
15	100	80	75	70
20	115	95	85	80
30	140	115	105	100
50	180	150	135	130
75	225	185	170	155
100	260	215	195	180
150	315	265	240	225
200	365	305	275	260
300	450	375	340	315

जाँच: H = 1.0 m पर 50 L/s के लिए, क्षेत्रफल 0.050 / (0.60 × √(2 × 9.81 × 1.0)) = 0.0188 m^2 है, इसलिए d = √(4 × 0.0188 / π) = 0.155 m, जिसे नीचे की ओर पूर्णांकित करके 150 mm किया गया।

4B.5 नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)

4B.5.1 तालिका 4B.5 में तालिका 4.3A के अनंतिम गुणांक दोहराए गए हैं। इनका उपयोग अभी नियत-गुणांक मार्ग के अंतर्गत किया जा सकता है (खंड 4.14.4)।

तालिका 4B.5 — नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (अनंतिम, तालिका 4.3A)

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_10	C_2	खंड	स्थिति
A (रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली)	0.05	0.02	4.14.4	अनंतिम
B	0.08	0.03	4.14.4	अनंतिम
C	0.15	0.08	4.14.4	अनंतिम
D (चिकनी मिट्टी, खराब जल निकासी वाली)	0.25	0.15	4.14.4	अनंतिम

तैयार किया जाना है. पुष्ट गुणांक तालिका 4B.5 को प्रतिस्थापित करेंगे। इनके लिए प्रत्येक जोन की NIH-DHAARA गहराइयाँ और खंड 3.3 के अविकसित खुली भूमि (greenfield) के कर्व नंबर आवश्यक हैं, जैसा कि खंड 4.14 के भाष्य में वर्णित है। इनके प्रकाशित होने तक, तालिका 4.3A के अनंतिम मान लागू होते हैं।

परिशिष्ट 4C — पूर्ण रूटिंग तालिकाओं सहित हल किया गया उदाहरण (टियर A)

अध्याय 4 के खंड 4.4 से 4.9, 4.15 और 4.17 के लिए।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण खंड 4.6.7 के उदाहरण को आगे बढ़ाता है। इसके इनपुट रायपुर में खारुन की ओर बहने वाली किसी कॉलोनी के लिए विश्वसनीय लगने हेतु कल्पित हैं; ये NIH-DHAARA मान नहीं हैं और इनका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाएगा। भाग 1 में एक परीक्षण आउटलेट (trial outlet) के लिए इनपुट, हाइड्रोग्राफ और रूटिंग क्रमवार दिए गए हैं। भाग 2 में पाया गया है कि परीक्षण आउटलेट खंड 4.8.3 के अवरोध के साथ खाली होने की जाँच में विफल रहता है, और उसे तालिका 4.2 में बताए गए आउटलेट में संशोधित किया गया है। भाग 3 में स्पिलवे, आउटलेट, सुरक्षा और प्रतिधारण की जाँचें पूरी की गई हैं। रायपुर में खारुन में गिरने वाले एक नाले में जाने वाले आउटफॉल पर इसी सुविधा के लिए अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच परिशिष्ट 5C में है।

भाग 1 — इनपुट, हाइड्रोग्राफ और रूटिंग (खंड 4.6.1 से 4.6.4)

4C.1 **इनपुट.**

तालिका 4C.1 — इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान	आधार
साइट का क्षेत्रफल A	2.0 ha (0.02 km^2), एक आउटफॉल	खंड 4.6.7
जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग	बाढ़-संवेदनशील (खंड 4.5.3)	खंड 4.6.7
भूमि आवरण और कर्व नंबर, AMC II	विकास-पूर्व: पूर्णतः पारगम्य, CN 70। विकास-पश्चात, दो उप-भागों के रूप में: CN 98 पर 1.57 ha प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र, और CN 70 पर 0.43 ha पारगम्य खुला स्थान (विकास-पूर्व जैसी ही मिट्टी)। अपारगम्य अंश f = (92 − 70) / (98 − 70) = 0.786, इसलिए क्षेत्र-भारित CN 92 है	खंड 3.9.2, 4.6.7

मद	मान	आधार
AMC III में रूपांतरण	केवल पारगम्य क्षेत्र, 12 h और उससे लंबी वर्षा घटनाओं के लिए: CN_III = 23·CN / (10 + 0.13·CN) = 84.3। अपारगम्य CN 98 का रूपांतरण नहीं किया जाता	खंड 3.8.4
प्रारंभिक हानि	Ia = 0.2S; संवेदनशीलता रन के रूप में Ia = 0.05S	खंड 3.8.5
सांद्रण समय Tc	विकास-पूर्व 45 min; विकास-पश्चात 15 min, दोनों उप-भागों के लिए प्रयुक्त, क्योंकि खुला स्थान छोटा है और उसी साइट प्रणाली से जल निकासी करता है	खंड 4.6.7
इकाई हाइड्रोग्राफ	SCS त्रिकोणीय; tL = 0.6 Tc; tp = Δt/2 + tL; आधार 2.67 tp	खंड 3.6.5, 3.11.2
समय पद Δt	5 min (= विकास-पश्चात साइट का Tc/3)	खंड 4.6.2, पद 8
24-घंटे की गहराइयाँ, 2-, 10-, 100-वर्ष	110, 200, 350 mm, जलवायु गुणक सहित मानी गई	खंड 4.6.7
छोटी अवधियाँ	P(t) = P24 · (t/24)^0.40 (कल्पित अनुपात समुच्चय, परिशिष्ट 2B नहीं)	खंड 4.6.7
48-घंटे और 72-घंटे की गहराइयाँ	1.25 और 1.40 × P24, अंतिम दिन 24-घंटे की गहराई के साथ	खंड 4.6.7, 2.9.2
भंडारण	खुला, ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला, 2,500 m² प्लान क्षेत्रफल, खोदा गया, बिना तटबंध, जनता के लिए सुलभ नहीं	खंड 4.6.7
परीक्षण आउटलेट	चरण 1 (Stage 1): फर्श पर 120 mm ऑरिफिस। चरण 2: 470 mm ऑरिफिस, इनवर्ट फर्श से 0.533 m ऊपर। चरण 3 नहीं	इस परिशिष्ट के लिए परीक्षण; भाग 2 में इसे संशोधित किया गया है
आउटफॉल	किसी प्राप्तकर्ता ड्रेन में मुक्त आउटफॉल, जिसका स्तर आउटलेट इनवर्ट से नीचे रहता है	उदाहरणार्थ इनपुट

उदाहरण खंड 3.8.4 और 3.9.2 का अनुसरण करता है: प्रत्येक उप-भाग के अपवाह की गणना अलग से की जाती है और रूटिंग से पहले दोनों को जोड़ा जाता है।

4C.2 **डिजाइन वर्षा.** तालिका 4C.2 में गहराइयाँ दी गई हैं। उदाहरण के लिए, 100-वर्ष 6-घंटे की गहराई 350 × (6/24)^0.40 = 350 × 0.574 = 201.0 mm है।

तालिका 4C.2 — डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	1	2	3	6	12	24	48	72
50% AEP (2-वर्ष)	30.9	40.7	47.9	63.2	83.4	110.0	137.5	154.0
10% AEP (10-वर्ष)	56.1	74.0	87.1	114.9	151.6	200.0	250.0	280.0
1% AEP (100-वर्ष)	98.2	129.5	152.3	201.0	265.3	350.0	437.5	490.0

4C.3 **हायटोग्राफ.** 24 h तक की वर्षा घटनाएँ 5-मिनट के खंडों में ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि का उपयोग करती हैं, जिसमें चरम खंड वर्षा घटना के मध्य में होता है (खंड 2.9.1)। 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ 24-घंटे की गहराई से अधिक गहराई को पहले 24 या 48 h में समान रूप से फैलाती हैं और 24-घंटे की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना को अंतिम दिन रखती हैं (खंड 2.9.2)। 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना के लिए: पहले 48 h के लिए (490.0 − 350.0) / 576 खंड = 0.243 mm प्रति 5 मिनट; अंतिम दिन का 5-मिनट का चरम खंड 350 × (5/1440)^0.40 = 36.3 mm है, 60:00–60:05 h पर।

4C.4 **हानियाँ.** तालिका 4C.3 में S = 25,400/CN − 254 (mm) और Ia = 0.2S दिए गए हैं। वर्षा की गहराई P के लिए अपवाह की गहराई P > Ia होने पर Q = (P − Ia)² / (P − Ia + S) है, और अन्यथा शून्य।

तालिका 4C.3 — कर्व नंबर और हानियाँ (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	AMC	CN	S (mm)	Ia = 0.2S (mm)
विकास-पूर्व	II (अवधियाँ ≤ 6 h)	70	108.9	21.8
विकास-पूर्व	III (अवधियाँ ≥ 12 h)	84.3	47.3	9.5
विकास-पश्चात पारगम्य खुला स्थान (0.43 ha)	II (अवधियाँ ≤ 6 h)	70	108.9	21.8
विकास-पश्चात पारगम्य खुला स्थान (0.43 ha)	III (अवधियाँ ≥ 12 h)	84.3	47.3	9.5
विकास-पश्चात प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (1.57 ha)	सभी अवधियाँ (रूपांतरित नहीं)	98	5.2	1.0

जाँच: 100-वर्ष 24 h, विकास-पश्चात। अपारगम्य: Q = (350.0 − 1.0)² / (350.0 − 1.0 + 5.2) = 343.9 mm। पारगम्य, AMC III: Q = (350.0 − 9.5)² / (350.0 − 9.5 + 47.3) = 299.0 mm। साइट: 0.786 × 343.9 + 0.214 × 299.0 = 334.2 mm। तालिका 4C.4 के विकास-पश्चात स्तंभ ये क्षेत्र-भारित साइट गहराइयाँ हैं।

तालिका 4C.4 — वर्षा घटना के अपवाह की गहराई Q, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	AMC	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात	100-वर्ष विकास-पश्चात
1	II	0.7	20.1	8.2	41.3	79.2
2	II	2.8	28.2	16.9	57.2	108.5
3	II	5.1	34.2	24.5	69.0	130.2
6	II	11.4	47.5	42.9	94.7	177.1
12	III	45.0	70.5	106.6	137.2	249.9
24	III	68.4	96.4	152.6	185.1	334.2
48	III	93.5	123.3	201.0	234.7	421.5
72	III	108.9	139.6	230.3	264.5	473.9

इस 2.0 ha साइट के लिए अपवाह का आयतन 10 × Q × A = 20 × Q m³ है: उदाहरण के लिए, 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना के लिए 9,478 m³। रूट किए गए हाइड्रोग्राफ 0.5% तक कम वहन करते हैं, क्योंकि 5-मिनट की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना अंतिम दिन 350.0 mm के बजाय 349.5 mm रखती है।

4C.5 **इकाई हाइड्रोग्राफ.** प्रत्येक 5-मिनट के खंड में अपवाह (विकास-पश्चात साइट के लिए, दोनों उप-भागों का योग) को तालिका 4C.5 के त्रिकोणीय इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ संवलित (convolved) किया जाता है। चरम qp = 0.208 × A × Q / tp है, जिसमें A km² में और Q = 1 mm है (खंड 3.11.2)।

तालिका 4C.5 — इकाई हाइड्रोग्राफ के प्राचल (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	Tc (h)	tL = 0.6 Tc (h)	tp = Δt/2 + tL (h)	आधार 2.67 tp (h)	qp (L/s प्रति mm अपवाह)
विकास-पूर्व	0.75	0.45	0.492	1.313	8.5
विकास-पश्चात	0.25	0.15	0.192	0.512	21.7

4C.6 **निकास सीमाएँ (खंड 4.5.3).** साइट बाढ़-संवेदनशील है, इसलिए मिश्रित-आवृत्ति नियम लागू होता है। 100-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 10-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है: **356 L/s** (72 h; तालिका 4.2)। 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है: **180 L/s** (72 h)। प्रत्येक सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है (खंड 4.5.3.1)।

4C.7 **जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर.** बेसिन ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला है, इसलिए भंडारण S = 2,500 × h (m³), जहाँ h फर्श के ऊपर जल स्तर (m) है। आउटलेट की प्रवाह दर Cd = 0.60 के साथ खंड 4.6.5.2 का अनुसरण करती है:

- चरण 1, h ≥ d के लिए: Q1 = 0.60 × A1 × √(2g (h − d/2))। h < d के लिए (ऑरिफिस आंशिक रूप से भरा), हेड को d/2 लिया जाता है और परिणाम को h/d से गुणा किया जाता है।
- चरण 2 की गणना तब से की जाती है जब पानी उसके केंद्र से ऊपर हो: Q2 = 0.60 × A2 × √(2g (h − z2 − d2/2)), जहाँ z2 उसका इनवर्ट है। उसके केंद्र से नीचे उसके प्रवाह की उपेक्षा की जाती है, जिससे भंडारण थोड़ा अधिक आँका जाता है।

तालिका 4C.6 — जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, परीक्षण आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जल स्तर h (m)	भंडारण (m³)	चरण 1, 120 mm (L/s)	चरण 2, 470 mm (L/s)	कुल (L/s)
0.00	0	0.0	0.0	0.0
0.06	150	3.7	0.0	3.7
0.12	300	7.4	0.0	7.4
0.20	500	11.2	0.0	11.2
0.30	750	14.7	0.0	14.7
0.40	1,000	17.5	0.0	17.5
0.50	1,250	19.9	0.0	19.9
0.60	1,500	22.1	0.0	22.1
0.70	1,750	24.0	0.0	24.0
0.80	2,000	25.9	83.0	108.9
0.90	2,250	27.5	167.8	195.3
1.00	2,500	29.1	222.3	251.4
1.10	2,750	30.7	265.8	296.5
1.20	3,000	32.1	303.2	335.3
1.30	3,250	33.5	336.4	369.9
1.40	3,500	34.8	366.7	401.5

h = 1.00 m पर जाँच: Q1 = 0.60 × 0.01131 × √(19.62 × 0.94) = 0.0291 m³/s; Q2 = 0.60 × 0.1735 × √(19.62 × (1.00 − 0.533 − 0.235)) = 0.2223 m³/s।

4C.8 **रूटिंग.** प्रत्येक वर्षा घटना की रूटिंग स्तर-ताल सातत्य (level-pool continuity) द्वारा की जाती है (खंड 4.6.1): प्रत्येक 5-मिनट के पद में भंडारण में परिवर्तन अंतर्वाह आयतन घटा बहिर्वाह आयतन के बराबर होता है। गणना में प्रत्येक 5-मिनट के पद के लिए छह 50-सेकंड के उप-पद प्रयुक्त किए गए। तालिका 4C.7 की प्रत्येक पंक्ति की जाँच हाथ से ΔS ≈ (Ī − Ō) × 300 s के रूप में की जा सकती है, जहाँ Ī दिखाए गए समय पर समाप्त होने वाले 5-मिनट के पद में माध्य अंतर्वाह है और Ō पद के आरंभ और अंत के बहिर्वाहों का माध्य है। उदाहरण के लिए, 60:15 और 60:20 के बीच: ΔS = 2,853.0 − 2,613.3 = 239.7 m³, और (1.0891 − (0.2655 + 0.3069)/2) × 300 = 240.9 m³।

तालिका 4C.7 — परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, चरम के आसपास (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h:min)	पद में वर्षा (mm)	अंतर्वाह I (L/s)	बहिर्वाह O (L/s)	भंडारण S (m³)	जल स्तर h (m)
60:00	8.44	286.3	169.5	2,164.0	0.866
60:05	36.33	354.2	184.1	2,216.9	0.887
60:10	11.61	703.3	218.0	2,367.1	0.947
60:15	6.88	1,066.0	265.5	2,613.3	1.045
60:20	5.23	1,089.1	306.9	2,853.0	1.141
60:25	4.34	897.5	334.8	3,025.0	1.210
60:30	3.77	653.2	349.9	3,117.6	1.247
60:35	3.36	403.6	353.8	**3,132.9**	**1.253**
60:40	3.05	301.5	352.3	3,117.3	1.247
60:45	2.81	254.8	348.6	3,088.7	1.235
60:50	2.61	224.9	343.7	3,052.4	1.221
60:55	2.45	203.3	337.9	3,011.3	1.205

भंडारण 60:35 पर समाप्त होने वाले पद के अंत में सबसे अधिक है। अगले पद में माध्य अंतर्वाह (302 L/s) बहिर्वाह (लगभग 352 L/s) से कम है, इसलिए भंडारण घटता है।

तालिका 4C.8 — परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, प्रति घंटा (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h)	संचयी वर्षा (mm)	अंतर्वाह (L/s)	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
12	35.0	14	8	0.130	325
24	70.0	15	12	0.215	536
36	105.0	16	14	0.264	660
48	140.0	16	15	0.294	736

समय (h)	संचयी वर्षा (mm)	अंतर्वाह (L/s)	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
54	181.7	47	19	0.469	1,172
57	213.5	69	23	0.623	1,559
59	248.5	120	91	0.789	1,971
60	293.3	286	170	0.866	2,164
61	378.0	187	332	1.187	2,967
62	399.3	106	237	0.968	2,421
63	414.5	80	142	0.829	2,072
66	446.9	51	52	0.771	1,927
72	489.5	33	33	0.768	1,920
84	489.5	0	18	0.405	1,012
96	489.5	0	10	0.167	418
108	489.5	0	4	0.058	146

रूट किया गया बहिर्वाह आयतन अंतर्वाह आयतन (लगभग 9,470 m³) के बराबर है: अस्थायी भंडारण आयतन को विलंबित करता है, किंतु उसे हटाता नहीं।

4C.9 **परिणाम, परीक्षण आउटलेट.** तालिका 4C.9 में परीक्षण आउटलेट के लिए चरम, अधिकतम जल स्तर और खाली होने के समय दिए गए हैं।

तालिका 4C.9 — परीक्षण आउटलेट (120 mm और 470 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	2-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	10-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	100-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष भंडारण (m³)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, स्वच्छ (h)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	9	0.15	15	0.30	22	0.59	1,468	27.2	54.2
2	11	0.20	18	0.42	89	0.79	1,966	28.3	57.0
3	13	0.24	20	0.50	135	0.82	2,058	29.3	59.1
6	15	0.31	23	0.64	190	0.89	2,229	31.1	63.4
12	17	0.40	49	0.77	279	1.06	2,647	36.2	69.2
24	19	0.45	87	0.79	334	1.20	2,991	42.8	75.4
48	20	0.51	144	0.83	353	1.25	3,129	42.5	72.7
72	20	0.52	147	0.84	354	1.25	**3,133**	42.5	71.9

खाली होने का समय 10-वर्ष के अधिकतम भंडारण के समय से तब तक मापा जाता है जब तक उस भंडारण का 90% निकल नहीं जाता (खंड 4.7.1)।

भाग 2 — जाँचें और आउटलेट का संशोधन (खंड 4.5, 4.7 और 4.8)

4C.10 **निकास सीमाएँ.** अस्थायी भंडारण के बाद 100-वर्ष का प्रत्येक चरम 356 L/s पर या उससे नीचे है, और अस्थायी भंडारण के बाद 2-वर्ष का प्रत्येक चरम 180 L/s की 2-वर्ष सीमा से बहुत नीचे है। दोनों सीमाएँ पूरी होती हैं। 2-वर्ष के चरमों की तुलना प्रत्येक अवधि के लिए विकास-पूर्व चरमों से अलग-अलग नहीं की जाती: बाढ़-संवेदनशील साइट के लिए 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का एकल सबसे बड़ा चरम है (खंड 4.5.3.1)।

4C.11 **खाली होना.** खंड 4.8.3 अपेक्षित करता है कि खाली होने की जाँच करते समय अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को **50% अवरुद्ध** माना जाए। 120 mm ऑरिफिस को उसके आधे क्षेत्रफल पर मानने से, 10-वर्ष के भंडारण के 90% को निकलने में 54 से 75 h लगते हैं (तालिका 4C.9), जबकि खंड 4.7.1 की सीमा 48 घंटे है। **परीक्षण आउटलेट विफल रहता है।** स्वच्छ ऑरिफिस के साथ यह लगभग 42 h में खाली हो जाता।

4C.12 **संशोधित आउटलेट.** अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को 10 mm के अंतराल पर तब तक बढ़ाया गया जब तक प्रत्येक अवधि के लिए अवरुद्ध स्थिति में खाली होने का समय 48 h के भीतर नहीं आ गया, और फिर चरण 2 का आकार फिर से निर्धारित किया गया ताकि 100-वर्ष की सीमा अब भी पूरी हो। परिणाम:

- चरण 1: फर्श पर **170 mm** ऑरिफिस;
- चरण 2: **460 mm** ऑरिफिस, इनवर्ट फर्श से 0.53 m ऊपर (केंद्र 0.76 m पर);
- चरण 3 नहीं।

बड़ा अल्प-प्रवाह ऑरिफिस बार-बार होने वाली वर्षा घटनाओं में अधिक पानी निकालता है। यहाँ यह स्वीकार्य है क्योंकि बाढ़-संवेदनशील साइट की 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है (खंड 4.5.3.1)। माना गया है कि WQv का उपचार प्रतिप्रवाह में एक अलग पद्धति में किया जाता है (अध्याय 8), इसलिए चरण 1 से WQv को 24–48 h तक रोकने की अपेक्षा नहीं है (खंड 4.6.5.1); जहाँ चरण 1 WQv भी निकालता है, वहाँ खंड 4.7.2 की भी जाँच करनी होगी।

तालिका 4C.10 — जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जल स्तर h (m)	भंडारण (m³)	चरण 1, 170 mm (L/s)	चरण 2, 460 mm (L/s)	कुल (L/s)
0.00	0	0.0	0.0	0.0
0.085	213	8.8	0.0	8.8
0.17	425	17.6	0.0	17.6
0.30	750	28.0	0.0	28.0
0.40	1,000	33.9	0.0	33.9
0.50	1,250	38.9	0.0	38.9
0.60	1,500	43.3	0.0	43.3
0.70	1,750	47.3	0.0	47.3
0.76	1,900	49.6	0.0	49.6
0.80	2,000	51.0	88.3	139.3
0.90	2,250	54.5	165.3	219.7
1.00	2,500	57.7	216.4	274.1

जल स्तर h (m)	भंडारण (m^3)	चरण 1, 170 mm (L/s)	चरण 2, 460 mm (L/s)	कुल (L/s)
1.10	2,750	60.8	257.5	318.3
1.17	2,925	62.8	282.8	345.6
1.20	3,000	63.7	293.0	356.7
1.30	3,250	66.5	324.6	391.1

तालिका 4C.11 — संशोधित आउटलेट (170 mm और 460 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	2-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	10-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष भंडारण (m^3)	100-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	100-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष भंडारण (m^3)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	15	0.14	28	0.29	734	42	0.57	1,426	31.3
2	20	0.19	34	0.40	990	79	0.76	1,911	32.1
3	22	0.22	37	0.46	1,147	139	0.80	1,999	32.8
6	25	0.26	41	0.56	1,386	194	0.86	2,154	34.2
12	30	0.33	46	0.68	1,692	276	1.01	2,512	39.0
24	32	0.37	49	0.75	1,870	320	1.11	2,766	45.3
48	34	0.40	82	0.77	1,913	343	1.17	**2,913**	44.8
72	34	0.41	84	0.77	1,915	343	1.16	2,911	44.7

निष्कर्ष:

- **100-वर्ष की सीमा:** अस्थायी भंडारण के बाद सबसे बड़ा चरम 343 L/s ≤ 356 L/s। पूरी होती है।
- **2-वर्ष की सीमा:** अस्थायी भंडारण के बाद सबसे बड़ा चरम 34 L/s ≤ 180 L/s। पूरी होती है।
- **खाली होना:** अवरुद्ध स्थिति में खाली होने का सबसे लंबा समय 45.3 h ≤ 48 h (खंड 4.7.1)। पूरा होता है।
- **निर्णायक भंडारण: 2,913 m^3** (100-वर्ष, 48 h), **1.17 m** के अधिकतम जल स्तर पर। बड़ा अल्प-प्रवाह ऑरिफिस लंबी वर्षा घटनाओं में आरंभ में अधिक पानी निकालता है, इसलिए संशोधित आउटलेट को परीक्षण आउटलेट से लगभग 220 m^3 कम भंडारण की आवश्यकता होती है। खंड 4.6.7 की तालिका 4.2 इसी संशोधित डिजाइन को दर्शाती है।
- **निर्णायक वर्षा घटनाएँ (खंड 4.6.2, पद 12):** भंडारण के लिए, 100-वर्ष 48-घंटे की वर्षा घटना; चरण 1 के लिए, 10-वर्ष 24-घंटे की वर्षा घटना (खाली होना); चरण 2 के लिए, 100-वर्ष 48-घंटे की वर्षा घटना (सीमा)।

भाग 3 — संवेदनशीलता, प्रतिधारण, स्पिलवे, आउटलेट का विवरण और सुरक्षा

4C.13 **Ia = 0.05S संवेदनशीलता (खंड 3.8.5).** S को S0.05 = 25.4 × 1.33 × (S0.20 / 25.4)^1.15 के रूप में रूपांतरित करने पर, निर्णायक 100-वर्ष 48-घंटे का रन 2,898 m^3 भंडारण और 341 L/s का चरम देता है, जो डिफॉल्ट रन से थोड़ा कम है। विकास-पूर्व 10-वर्ष का चरम, और इसलिए 100-वर्ष की सीमा, घटकर 344 L/s हो जाती है। डिजाइन डिफॉल्ट रन पर आधारित है (खंड 3.8.5(c)); संवेदनशीलता के परिणाम प्रपत्र 3-2 पर बताए जाते हैं।

4C.14 **प्रतिधारण और प्रतिधारण क्रेडिट (खंड 4.4.2 और 4.4.6).** उदाहरणार्थ प्रतिधारण गहराई P_R = 40 mm के साथ, Q_R की गणना प्रत्येक उप-भाग के लिए AMC II पर की जाती है, क्योंकि प्रतिधारण के लिए संयुक्त CN का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 3.9.4)। अपारगम्य, CN 98: S = 5.2 mm, Ia = 1.0 mm, $Q_R = (40 - 1.0)^2 / (40 - 1.0 + 5.2)$ = 34.4 mm। पारगम्य, CN 70: S = 108.9 mm, Ia = 21.8 mm, $Q_R = (40 - 21.8)^2 / (40 - 21.8 + 108.9)$ = 2.6 mm। RRV = 10 × (34.4 × 1.571 + 2.6 × 0.429) = **552 m³**। प्रतिधारण को एक ऐसे भंडार के रूप में मॉडल किया गया है जो वर्षा घटना के आरंभ में खाली है और भरने तक सारा अपवाह पकड़ लेता है, और वर्षा घटना के दौरान कोई अंतःस्यंदन नहीं होता (खंड 4.4.6.2)।

तालिका 4C.12 — रूटिंग द्वारा प्रतिधारण क्रेडिट, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

100-वर्ष वर्षा घटना	प्रतिधारण के बिना भंडारण (m³)	प्रतिधारण सहित भंडारण (m³)	कमी (m³)
24 h	2,766	2,628	138
48 h	2,913	2,906	7
72 h	2,911	2,911	0

निर्णायक भंडारण 2,913 से घटकर 2,906 m³ हो जाता है, इसलिए प्रतिधारण क्रेडिट 7 m³ है, जो RRV का लगभग 1% है। प्रतिधारण अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए फिर भी पूरा आवश्यक है (खंड 4.4.1, अध्याय 8)।

4C.15 **आपातकालीन स्पिलवे (खंड 4.9).** सुविधा खोदी गई है और बिना तटबंध की है, इसलिए खंड 4.9.7 लागू होता है: अतिप्रवाह मार्ग को स्पिलवे माना जाता है और उसे खंड 4.9.1 का पालन करना होगा।

- डिजाइन प्रवाह: 1% AEP का चरम अंतर्वाह, 1,089 L/s, आउटलेट अवरुद्ध और बेसिन शिखर तक भरा होने पर।
- शिखर: आउटलेट काम करते हुए 1% AEP का अधिकतम जल स्तर 1.17 m है; अनुशंसित 0.15 m अंतर (खंड 4.9.3) के साथ शिखर **1.35 m** पर रखा गया है।
- शिखर की लंबाई: Q = C × L × H^1.5 वाला चौड़े शिखर का वियर, C = 1.7 (SI इकाइयों में चौड़े शिखर वाले वियर के लिए एक उदाहरणार्थ गुणांक; खंड 4.6.5.2 आकार के अनुरूप गुणांक अपेक्षित करता है)। L = 4.0 m के साथ: H = (1.089 / (1.7 × 4.0))^(2/3) = 0.295 ≈ **0.30 m**।
- स्पिलवे के बहते समय अधिकतम स्तर: 1.35 + 0.30 = 1.65 m। 0.3 m फ्रीबोर्ड (खंड 4.9.1) के साथ, दीवारों का शीर्ष फर्श से कम से कम **1.95 m** ऊपर है।
- स्पिलवे भवनों से दूर, 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग में पानी छोड़ता है (खंड 4.9.4)।

4C.16 **आउटलेट का विवरण (खंड 4.8).**

तालिका 4C.13 — आउटलेट की जाँचें, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	अपेक्षा	मान	परिणाम
न्यूनतम ऑरिफिस	≥ 50 mm (खंड 4.8.2)	170 mm	पूरी होती है
जाली की छड़ों के बीच की दूरी	≤ सबसे छोटे छिद्र का आधा और ≥ 25 mm (खंड 4.8.3)	≤ 85 mm	75 mm पर रखी गई
जाली का खुला क्षेत्रफल	≥ 10 × संरक्षित क्षेत्रफल (खंड 4.8.3)	दोनों ऑरिफिसों के चारों ओर एक जाली के लिए 10 × (0.0227 + 0.1662) m² = 1.89 m²	≥ 1.89 m² प्रदान करें
भँवर-रोधी, चरण 1	हेड > 1.5 d होने पर आवश्यक (खंड 4.8.4)	हेड 1.08 m तक > 0.26 m	आवश्यक

मद	अपेक्षा	मान	परिणाम
भँवर-रोधी, चरण 2	हेड > 1.5 d होने पर आवश्यक (खंड 4.8.4)	केंद्र के ऊपर हेड 0.41 m तक < 0.69 m	आवश्यक नहीं
पृथक्करण	> 1 ha की सेवा करने वाली सुविधा (खंड 4.8.6)	2.0 ha की सेवा करती है	स्टॉप-लॉग खाँचा या पेनस्टॉक, सामान्यतः खुला
आउटलेट बैरल	≥ 300 mm (खंड 4.8.5)	343 L/s के लिए अध्याय 9 के अंतर्गत आकार निर्धारित	डिजाइन किया जाना है

4C.17 **सुरक्षा (खंड 4.15).** 10-वर्ष की गहराई (0.77 m) जनता के लिए सुलभ भंडारण की 0.45 m की सीमा (खंड 4.15.1(a)) से अधिक है, इसलिए सुविधा जनता के लिए खुली नहीं है। इसकी ऊर्ध्वाधर दीवारें 0.6 m से ऊँची हैं और स्पिलवे के बहते समय गहराई 1.2 m से अधिक है, इसलिए ताला लगाने योग्य गेट सहित कम से कम 1.2 m ऊँची, न चढ़ी जा सकने वाली बाड़ आवश्यक है (खंड 4.15.3)। संकेत-पट और गहराई चिह्न लगाए गए हैं (खंड 4.15.5)।

4C.18 **डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं).**

तालिका 4C.14 — संशोधित डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान
भंडारण	2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल; 1.17 m के 1% AEP अधिकतम स्तर पर 2,913 m^3
चरण 1	फर्श पर 170 mm ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और भँवर-रोधी प्लेट सहित
चरण 2	460 mm ऑरिफिस, इनवर्ट 0.53 m
स्पिलवे	शिखर 1.35 m, लंबाई 4.0 m, अधिकतम स्तर 1.65 m
दीवारों का शीर्ष	फर्श से ≥ 1.95 m ऊपर
100-वर्ष चरम निकास	343 L/s (सीमा 356 L/s)
2-वर्ष चरम निकास	34 L/s (सीमा 180 L/s)
10-वर्ष खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध	45.3 h (सीमा 48 h)
प्रतिधारण	RRV 552 m^3 अतिरिक्त रूप से प्रदान; क्रेडिट 7 m^3
अभी जाँच की जानी है	रायपुर में खारुन में गिरने वाले एक नाले में जाने वाले आउटफॉल पर आउटफॉल-बंद जाँच (परिशिष्ट 5C); अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5); भूजल और उत्प्लावन (खंड 4.12); WQv (अध्याय 8)

प्रपत्र 4-1 — साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट

अध्याय 4 के खंड 4.3 से 4.17 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक साइट के लिए एक प्रपत्र। जहाँ साइट से एक से अधिक आउटफॉल में जल निकासी होती है, वहाँ प्रत्येक आउटफॉल के लिए भाग E से J भरें (खंड 4.5.1.3)। खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटें भाग F और G के स्थान पर प्रपत्र 4-2 संलग्न करती हैं; नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करने वाली साइटें भाग F और G के स्थान पर प्रपत्र 4-3 संलग्न करती हैं (खंड 4.17)।

A. साइट और मार्ग

तालिका 4F.1 — प्रपत्र 4-1: साइट और मार्ग

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम और आवेदक	
A2. स्थान (गाँव या वार्ड, सर्वे संख्याएँ, जिला)	
A3. अनुमोदन प्राधिकारी और टियर (टियर A / टियर B)	
A4. साइट का क्षेत्रफल, भूमि विक्षोभ और नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र (ha, ha, m^2) (खंड 4.1.2)	
A5. आउटफॉलों की संख्या (खंड 4.5.1.3)	
A6. आकार निर्धारण का मार्ग: पूर्ण विधि (खंड 4.6) / टियर B तालिकाएँ (खंड 4.14.2) / नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3)	
A7. क्या सीमित पुनर्विकास मार्ग (खंड 4.5.6) का उपयोग किया गया? यदि हाँ, तो बाधा विवरण (Constraint Statement), विद्यमान स्थिति का मॉडल और कमी तथा शुल्क की गणना संलग्न करें	

B. इनपुट (खंड 4.17, मद 1)

तालिका 4F.2 — प्रपत्र 4-1: इनपुट

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
B1. डिजाइन वर्षा पत्रक का संदर्भ (प्रपत्र 2-1)	
B2. जलवैज्ञानिक गणना सारांश का संदर्भ (प्रपत्र 3-1)	
B3. प्रत्येक उप-भाग का HSG और उसकी पुष्टि करने वाले परीक्षण (खंड 4.6.2, पद 1)	
B4. विकास-पूर्व स्थिति और CN (खंड 4.5.1.2)	
B5. प्रत्येक उप-भाग का विकास-पश्चात CN, और विकास-पूर्व तथा विकास-पश्चात Tc	
B6. रूटिंग विधि और सॉफ्टवेयर, संस्करण सहित; समय पद (खंड 4.6.1, 4.6.2)	

C. उपायों का क्रम (खंड 4.3.1; खंड 4.17, मद 2)

तालिका 4F.3 — प्रपत्र 4-1: उपायों का क्रम

पद	डिजाइन क्या करता है	यह पद इससे अधिक क्यों नहीं कर सकता
1. संरक्षण		
2. प्रतिधारण		
3. अस्थायी भंडारण		
4. वहन		

D. प्रतिधारण (खंड 4.4; खंड 4.17, मद 3 और 4)

तालिका 4F.4 — प्रपत्र 4-1: प्रतिधारण

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
D1. प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R (mm) और जोन (परिशिष्ट 2E)	
D2. उप-भागवार अपवाह की गहराई Q_R (mm) और RRV (m^3) (खंड 4.4.2)	
D3. प्रतिधारण पद्धतियाँ और प्रदान किया गया आयतन (m^3)	
D4. अंतःस्यंदन परीक्षण: संख्या, स्थान और गहराइयाँ, मापी गई दरें (mm/h) (खंड 4.4.3(a))	
D5. डिजाइन अंतःस्यंदन दर (mm/h), मापी गई दर के आधे से अधिक नहीं (खंड 4.4.3(b))	
D6. प्रत्येक पद्धति के आधार के नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई (m), कम से कम 1.0 m (खंड 4.4.3(c))	
D7. पुनः उपयोग की माँग की गणना, जहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग द्वारा है (खंड 4.4.3)	
D8. प्रतिधारण के खाली होने का समय (h), 72 h से अधिक नहीं (खंड 4.4.5)	
D9. RRV में कमी (m^3), यदि कोई हो, जिसे WQv माना गया (खंड 4.4.4.2)	
D10. प्रतिधारण के बिना और उसके साथ निर्णायक भंडारण, और प्रतिधारण क्रेडिट (m^3) (खंड 4.4.6)	
D11. संरक्षण क्रेडिट के क्षेत्र और प्रसंविदा का संदर्भ (खंड 4.4.7)	

E. निकास मानदंड (खंड 4.5; खंड 4.17, मद 5)

तालिका 4F.5 — प्रपत्र 4-1: निकास मानदंड

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E1. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 4.5.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 4.5.3), परिशिष्ट 4A के मानचित्र के अंश सहित	
E2. AEP-वार निकास सीमाएँ (L/s), और वह अवधि जो प्रत्येक सीमा निर्धारित करती है	
E3. क्या खंड 4.5.5 का उपयोग किया गया (50 mm ऑरिफिस को अनुपालन करता हुआ माना गया, या अल्प-अवधि 2-वर्ष की छूट)? 2-वर्ष की कोई भी अधिकता बताएँ	

F. परिणाम (खंड 4.6; खंड 4.17, मद 6)

प्रत्येक अवधि के लिए तालिका 4.2 के प्रारूप में एक पंक्ति भरें। भंडारण, प्रत्येक आउटलेट चरण और स्पिलवे के लिए निर्णायक स्थिति चिह्नित करें (खंड 4.6.2, पद 12)।

तालिका 4F.6 — प्रपत्र 4-1: अवधिवार परिणाम (L/s; m^3)

अवधि (h)	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	100-वर्ष विकास-पश्चात, अनियंत्रित	100-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	प्रयुक्त 100-वर्ष भंडारण
1							
2							
3							
6							
12							
24							
48							
72							

G. सुविधा, खाली होना और आउटलेट (खंड 4.7, 4.8, 4.10; खंड 4.17, मद 7 से 9)

तालिका 4F.7 — प्रपत्र 4-1: सुविधा, खाली होना और आउटलेट

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
G1. सुविधा का प्रकार (खंड 4.10) और प्रदान किया गया भंडारण (m^3)	
G2. जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आलेख; निर्णायक स्थितियों के लिए अंतर्वाह और बहिर्वाह हाइड्रोग्राफ (संलग्न करें)	
G3. 10-वर्ष खाली होना: अधिकतम संग्रहीत आयतन का 90% निकलने का समय (h), अल्प-प्रवाह ऑरिफिस 50% अवरुद्ध होने पर (खंड 4.7.1, 4.8.3)	
G4. WQv निकास समय (h), 24 से 48 h (खंड 4.7.2)	
G5. ज्वारीय आउटफॉल: ज्वारीय टेलवाटर के साथ खाली होना, और पंप द्वारा कोई खाली करना (खंड 4.7.4)	
G6. प्रत्येक आउटलेट चरण: प्रकार, आकार (mm), इनवर्ट स्तर (m)	
G7. कचरा-रोधी जालियाँ: छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी (mm) और खुला क्षेत्रफल (m^2) (खंड 4.8.3)	
G8. भँवर-रोधी युक्तियाँ (खंड 4.8.4); आउटलेट बैरल का व्यास और रिसाव नियंत्रण (खंड 4.8.5); पृथक्करण (खंड 4.8.6)	
G9. स्वामित्वाधीन युक्तियाँ: प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र और न्यूनतम स्पष्ट छिद्र (खंड 4.6.5.3)	

H. स्पिलवे, फ्रीबोर्ड और तटबंध (खंड 4.9; खंड 4.17, मद 10)

तालिका 4F.8 — प्रपत्र 4-1: स्पिलवे और फ्रीबोर्ड

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
H1. जोखिम वर्गीकरण, कारणों सहित (खंड 4.9.2)	
H2. 1% AEP चरम अंतर्वाह (L/s); उच्च-जोखिम सुविधाओं के लिए 0.2% AEP चरम अंतर्वाह (L/s)	
H3. आउटलेट काम करते हुए 1% AEP अधिकतम जल स्तर (m); स्पिलवे शिखर स्तर (m) (खंड 4.9.3)	
H4. स्पिलवे या अतिप्रवाह मार्ग: प्रकार, आयाम, आउटलेट अवरुद्ध होने पर अधिकतम स्तर (m)	
H5. तटबंध के शिखर या दीवार के शीर्ष तक फ्रीबोर्ड (m), कम से कम 0.3 m (खंड 4.9.1)	
H6. स्पिलवे का स्थान और निस्सरण मार्ग (खंड 4.9.4)	
H7. तटबंध की ऊँचाई (m); 2 m से अधिक होने पर भू-तकनीकी रिपोर्ट (खंड 4.9.6)	

I. RWH का लेखा, भूजल और उत्प्लावन (खंड 4.11, 4.12; खंड 4.17, मद 11 और 12)

तालिका 4F.9 — प्रपत्र 4-1: RWH, भूजल और उत्प्लावन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
I1. प्रदान किया गया RWH भंडारण (m^3), प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा माना गया (खंड 4.11.2)	
I2. संयुक्त RWH और अस्थायी भंडारण टैंक: जोन स्तर और अस्थायी भंडारण ऑरिफिस का स्तर (खंड 4.11.3); टैंक के काट संलग्न करें	
I3. डिजाइन भूजल स्तर और उसका आधार (खंड 4.12.1)	
I4. लाइनरयुक्त या बिना लाइनर का भंडारण; डिजाइन भूजल स्तर से नीचे का आयतन नहीं गिना गया (खंड 4.12.2)	
I5. उत्प्लावन का सुरक्षा गुणक, कम से कम 1.2 (खंड 4.12.3)	

J. अनुप्रवाह, टेलवाटर, सुरक्षा और रखरखाव (खंड 4.17, मद 13 और 14)

तालिका 4F.10 — प्रपत्र 4-1: अनुप्रवाह, टेलवाटर, सुरक्षा और रखरखाव

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
J1. अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट (प्रपत्र 5-1) या सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (प्रपत्र 5-2) का संदर्भ	
J2. रूटिंग में प्रयुक्त टेलवाटर, और जहाँ टेलवाटर निर्णायक है वहाँ फ्लैप गेट (खंड 4.6.6)	
J3. जनता की पहुँच, 10% और 1% AEP वर्षा घटनाओं में गहराइयाँ, ढलान, बाड़, जालियाँ, संकेत-पट और गहराई चिह्न (खंड 4.15)	
J4. रखरखाव घोषणा-पत्र के प्रारूप का संदर्भ (अध्याय 10)	

K. पंजीकृत पेशेवर का कथन (खंड 10.6)

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 4 के अंतर्गत तैयार की गई है, कि बताए गए परिणाम प्रस्तुत मॉडलों द्वारा पुनः प्राप्त होते हैं, और कि अध्याय 4 से प्रत्येक विचलन उसके कारण सहित सूचीबद्ध है। पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न है।

तालिका 4F.11 — प्रपत्र 4-1: पंजीकृत पेशेवर का कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
सूचीबद्धता संख्या, जहाँ खंड 10.6.1 इसकी अपेक्षा करता है	
संगठन	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 4-2 — टियर B साइट पत्रक

अध्याय 4 के खंड 4.4.6.3, 4.14.1 और 4.14.2 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. यह पत्रक खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटों के लिए साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट (प्रपत्र 4-1) की मद 6 और 7 का स्थान लेता है। इसका उपयोग तालिका 4.3 के परिशिष्ट 4B में प्रकाशित होने के बाद ही किया जा सकता है; तब तक, टियर B साइटें खंड 4.6 का, या 1 ha या उससे छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करती हैं (खंड 4.14.1 और 4.14.3)।

A. पात्रता (खंड 4.14.1)

तालिका 4F.12 — प्रपत्र 4-2: पात्रता

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
A1. स्थानीय निकाय (टियर B)	
A2. साइट का क्षेत्रफल A (ha): बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर 2 ha या कम; उनके भीतर 0.5 ha या कम	
A3. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक या बाढ़-संवेदनशील (परिशिष्ट 4A)	

B. तालिका 4.3 के मान (खंड 4.14.2, पद 1)

तालिका 4F.13 — प्रपत्र 4-2: तालिका 4.3 से लिए गए मान

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
B1. वर्षा जोन (परिशिष्ट 2A)	
B2. जलवैज्ञानिक मृदा समूह	
B3. विकास-पश्चात अपारगम्यता (%)	
B4. PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	
B5. PSD 100-वर्ष (L/s/ha), जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए	
B6. SSR (m^3/ha), जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए	

C. भंडारण और निकास (खंड 4.14.2, पद 2 और 3)

तालिका 4F.14 — प्रपत्र 4-2: भंडारण और निकास

पंक्ति	राशि	गणना	मान
C1	प्रदान किया गया RRV (m^3)	खंड 4.4	
C2	C_R	परिशिष्ट 4B; प्रकाशन तक 0	

पंक्ति	राशि	गणना	मान
C3	V_credit (m³)	C2 × C1 (खंड 4.4.6.3)	
C4	आवश्यक भंडारण V (m³)	B6 × A − C3	
C5	प्रदान किया गया भंडारण (m³)	ड्रॉइंग से	
C6	Q_PSD,2 (L/s)	B4 × A	
C7	Q_PSD,100 (L/s)	B5 × A	

D. आउटलेट और अन्य प्रावधान (खंड 4.14.2, पद 4 और 5)

तालिका 4F.15 — प्रपत्र 4-2: आउटलेट और अन्य प्रावधान

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
D1. अल्प-प्रवाह ऑरिफिस: परिशिष्ट 4B की आउटलेट तालिका से व्यास (mm), हेड (m), कम से कम 50 mm	
D2. ऊपरी नियंत्रण: प्रकार, आकार और स्तर	
D3. स्पिलवे या अतिप्रवाह (खंड 4.9)	
D4. RWH का लेखा (खंड 4.11)	
D5. सुरक्षा प्रावधान (खंड 4.15)	

E. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए मान साइट के जोन, मृदा समूह, अपारगम्यता और जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए परिशिष्ट 4B से लिए गए हैं, और कि ड्रॉइंग पर दिखाए गए भंडारण और आउटलेट उनसे मेल खाते हैं।

तालिका 4F.16 — प्रपत्र 4-2: कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

प्रपत्र 4-3 — नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7)

अध्याय 4 के खंड 4.14.3 से 4.14.7 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. यह पत्रक नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करने वाली साइटों के लिए साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट (प्रपत्र 4-1) की मद 6 और 7 का स्थान लेता है। इसे प्रत्येक उस बिंदु के लिए भरें जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है (खंड 4.14.4)। चित्र 4.3 विधि दर्शाता है।

A. पात्रता (खंड 4.14.3)

तालिका 4F.17 — प्रपत्र 4-3: पात्रता

जाँच	हाँ / नहीं
A1. साइट का क्षेत्रफल 1 ha या कम	
A2. डिजाइन में तालाब या जलाशय का भंडारण नहीं गिना गया है (खंड 4.14.3(a))	
A3. साइट का कोई भाग किसी जलाशय के सेटबैक के भीतर नहीं है (खंड 4.14.3(b))	
A4. साइट से जल निकासी किसी ऐसी तालाब शृंखला में नहीं होती जिसका भंडारण किसी अनुप्रवाह डिजाइन में गिना गया हो (खंड 4.14.3(c))	

B. निकास सीमाएँ (खंड 4.14.4)

तालिका 4F.18 — प्रपत्र 4-3: निकास सीमाएँ

पंक्ति	राशि	स्रोत या गणना	मान
B1	साइट का क्षेत्रफल A (ha)	सर्वेक्षण	
B2	प्रत्येक जलवैज्ञानिक मृदा समूह का क्षेत्रफल (ha)	खंड 3.7	
B3	C_10 और C_2, क्षेत्र-भारित	तालिका 4.3A	
B4	i_10 और i_2 (mm/h), 15-मिनट की अवधि, जलवायु गुणक सहित	प्रपत्र 2-1; खंड 2.8	
B5	Q_cap,10 (L/s)	2.78 × C_10 × i_10 × A	
B6	Q_cap,2 (L/s)	2.78 × C_2 × i_2 × A	
B7	संगत जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर (L/s), जहाँ कोई सीमा उससे छोटी हो (खंड 4.5.5.1)	ऑरिफिस समीकरण, खंड 4.6.5.2	

C. आयतनी गुणांक (खंड 4.14.5)

तालिका 4F.19 — प्रपत्र 4-3: आयतनी गुणांक C_v

पंक्ति	राशि	मान
C1	तालिका 3.2 का संयुक्त C (प्रत्येक परास का ऊपरी आधा)	

पंक्ति	राशि	मान
C2	1% AEP के लिए तालिका 3.3 का Cf	
C3	12 h से कम अवधियों के लिए C_v (C1 × C2)	
C4	12 h या अधिक अवधियों के लिए C_v, प्रत्येक पारगम्य सतह के लिए C 0.50 से कम नहीं	

D. भंडारण (खंड 4.14.5)

प्रत्येक अवधि के लिए: अंतर्वाह = 10 × C_v × P(d) × A (m^3); निकास = 1.8 × Q_cap × d (m^3); अंतर = अंतर्वाह − निकास। V_100 और V_2 सबसे बड़े अंतर हैं; V दोनों में से बड़ा है।

तालिका 4F.20 — प्रपत्र 4-3: अवधिवार भंडारण

d (h)	P_100(d) (mm)	100-वर्ष अंतर्वाह (m^3)	1.8 × Q_cap,10 × d (m^3)	100-वर्ष अंतर (m^3)	P_2(d) (mm)	2-वर्ष अंतर्वाह (m^3)	1.8 × Q_cap,2 × d (m^3)	2-वर्ष अंतर (m^3)
1								
2								
3								
6								
12								
24								
48								
72								

तालिका 4F.21 — प्रपत्र 4-3: आवश्यक और प्रदान किया गया भंडारण

पंक्ति	राशि	मान
D1	V_100 (m^3) और निर्णायक अवधि	
D2	V_2 (m^3) और निर्णायक अवधि	
D3	V = D1 और D2 में से बड़ा (m^3)	
D4	प्रदान किया गया भंडारण (m^3)	

E. आउटलेट, प्रतिधारण और अन्य जाँचें (खंड 4.14.3, 4.14.6, 4.14.7)

तालिका 4F.22 — प्रपत्र 4-3: आउटलेट, प्रतिधारण और अन्य जाँचें

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E1. अल्प-प्रवाह ऑरिफिस: व्यास (mm) और इनवर्ट; भंडारण में V_2 पूरा भरा होने पर प्रवाह दर (L/s), Q_cap,2 से अधिक नहीं	

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E2. ऊपरी ऑरिफिस या वियर: आकार और स्तर; V के शीर्ष पर कुल निकास (L/s), Q_cap,10 से अधिक नहीं	
E3. V के अतिरिक्त प्रदान किया गया खंड 4.4 का प्रतिधारण आयतन (m^3); कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं लिया गया	
E4. खाली होना (खंड 4.7), कचरा-रोधी जालियाँ (खंड 4.8), स्पिलवे (खंड 4.9): प्रपत्र 4-1 के भाग G और H का संदर्भ	
E5. अनुप्रवाह और टेलवाटर जाँचें (अध्याय 5) और जल गुणवत्ता (अध्याय 8): संदर्भ	

F. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि साइट खंड 4.14.3 की पात्रता शर्तों को पूरा करती है और कि ऊपर दी गई सीमाओं, भंडारण और आउटलेटों की गणना खंड 4.14.4 से 4.14.7 के अनुसार की गई है।

तालिका 4F.23 — प्रपत्र 4-3: कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

अध्याय 5 के परिशिष्ट

अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण

ये परिशिष्ट अध्याय 5 के लिए हैं। परिशिष्ट 5C, परिशिष्ट 4C की उदाहरणार्थ सुविधा के लिए, खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच का हल किया गया उदाहरण है। परिशिष्ट 5A और 5B के लिए ज्वार, महोर्मि, सर्वेक्षण और नदी संबंधी ऐसे आँकड़ों की आवश्यकता है जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; प्रत्येक में बताया गया है कि अध्याय पहले से क्या निर्धारित करता है, अभिप्रेत रूपरेखा दी गई है और अध्याय 5 का वह अंतरिम नियम बताया गया है जो उसके प्रकाशित होने तक लागू रहेगा। प्रपत्र 5-1 और 5-2 खंड 5.14 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। ये प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 5A — ज्वारीय डेटम (CD और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम के सापेक्ष MSL, MHWS, HAT), तटीय खंडवार महोर्मि प्रावधान और 1% स्थिर जल स्तर

अध्याय 5 के खंड 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 और 5.12 के लिए।

5A.1 तालिका 5A.1 दर्शाती है कि इस परिशिष्ट के मान तालिका 5.1 के डिजाइन टेलवाटर स्तरों में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई खंड 5.7.4 द्वारा निर्धारित है और इस परिशिष्ट पर निर्भर नहीं है।

तालिका 5A.1 — डिजाइन टेलवाटर (तालिका 5.1) में परिशिष्ट 5A के मानों का उपयोग

डिजाइन स्थिति	टेलवाटर	प्रयुक्त परिशिष्ट 5A के मान	अध्याय का मान
लघु प्रणाली डिजाइन	MHWS + SLA	MHWS	SLA ≥ +0.3 m (खंड 5.7.4)
प्रमुख प्रणाली और भंडारण डिजाइन	HAT + महोर्मि + SLA	HAT; 10% AEP महोर्मि (खंड 5.7.3(a))	SLA ≥ +0.3 m
संयुक्त स्थिति (खंड 2.12(b))	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA	1% AEP स्थिर जल स्तर (खंड 5.7.3(b))	SLA ≥ +0.3 m
डेटम रूपांतरण	चार्ट डेटम से परियोजना डेटम	चार्ट डेटम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम तक का अंतर (खंड 5.7.2(b))	—

छत्तीसगढ़ के लिए तैयार नहीं. छत्तीसगढ़ का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य के किसी आउटफॉल का ज्वारीय टेलवाटर नहीं है, और इस परिशिष्ट में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई सामग्री नहीं है (खंड 5.1.4)। इसकी तालिकाएँ खाली रखी गई हैं, ताकि परिशिष्ट और तालिका संख्याएँ इस मैनुअल के अन्य संस्करणों से मेल खाएँ। प्रपत्र 5-1 की पंक्तियाँ F1 से F7 "लागू नहीं" के रूप में भरी जाती हैं, और टेलवाटर पंक्तियाँ F8 से F10 के अंतर्गत व्युत्पन्न किया जाता है; हीराकुंड के बैकवाटर में स्थित आउटफॉल के लिए पंक्ति F10 खंड 5.8.5(d) के स्तर दर्ज करती है, और किसी खदान के गड्ढे, खदान झील या ऐश पॉन्ड में गिरने वाले आउटफॉल के लिए खंड 5.8.5(e) की सम्मतियाँ और सर्वेक्षण।

तालिका 5A.2 — तटीय खंडवार ज्वारीय डेटम, महोर्मि और स्थिर जल स्तर (रूपरेखा)

तटीय खंड	संदर्भ बंदरगाह और ज्वार सारणी का संस्करण	MSL (m CD)	MHWS (m CD)	HAT (m CD)	CD से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का डेटम (m)	10% AEP महोर्मि (m)	1% AEP स्थिर जल स्तर (m CD)	लहर उत्थान (m), खुले समुद्र वाले आउटफॉल	स्रोत

परिशिष्ट 5B — प्रमुख ड्रेन, नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग, और रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख; मानचित्र

अध्याय 5 के खंड 5.2, 5.3, 5.8 और 5.13 के लिए।

5B.1 तालिका 5B.1 उन जलाशयों को सूचीबद्ध करती है जिनका नाम अध्याय 5 में पहले से दिया गया है। यह पूर्ण नहीं है: परिशिष्ट में प्रत्येक नदी-भाग का विस्तार, राज्य की अन्य नदियाँ, नहरें और मुख, और एक मानचित्र जोड़ा जाएगा।

तालिका 5B.1 — अध्याय 5 में नामित जलाशय

जलाशय	क्षेत्र	किस रूप में सूचीबद्ध	खंड
रायपुर में खारुन, महादेव घाट और Pathardihi गेज के पास से होकर शिवनाथ तक; रायपुर के नाले, जिनमें गोवर्धन नाला सम्मिलित है	रायपुर	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग और प्रमुख ड्रेनें; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 281.68 m (Pathardihi, 29 अगस्त 2020; उससे पहले 12 जुलाई 1994 का 279.21 m) से कम नहीं; CWC का कोई खतरे या चेतावनी स्तर नहीं मिला [TBC]; महादेव घाट पर बाढ़ के निशान (सितंबर 2024 और 2026) का सर्वेक्षण किया जाना है; डेटम [TBC]	5.2, 5.8.1, 5.8.5
मोंगरा बैराज के नीचे राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई पर शिवनाथ; दुर्ग के शंकर और पुलगांव नाले; Andhiyar Khore पर हांप (Hamp)	राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा	नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग और प्रमुख ड्रेनें; नगरों के पास शिवनाथ पर CWC का कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर अपेक्षित; Andhiyar Khore पर हांप अंतरित 260.2 m (12 अगस्त 2022) से कम नहीं; मोंगरा से छोड़ा गया पानी सम्मिलित	5.2, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
शिवनाथ पर मोंगरा बैराज	राजनांदगांव	बैराज के जलाशय के आउटफॉल; WRD द्वारा पुष्टि किए जाने तक टेलवाटर 337.65 m (FRL 337.150 m + 0.5 m), या यदि अधिक हो तो बैराज पर नदी स्तर [TBC]	5.8.3, 5.8.5
अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) बैराज के नीचे बिलासपुर पर अरपा; बिलासपुर के नाले	बिलासपुर	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग और प्रमुख ड्रेनें; CWC का कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर अपेक्षित (जुलाई 2026 के बाढ़ के निशान); भैंसाझार से छोड़ा गया पानी सम्मिलित	5.2, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
अरपा भैंसाझार बैराज; खारंग (खूंटाघाट) जलाशय (Kharang (Khutaghat)); कोपरा जलाशय	बिलासपुर	बैराज के जलाशय और जलाशय के आउटफॉल; WRD द्वारा पुष्टि किए जाने तक टेलवाटर 302.50 m (भैंसाझार, FRL 302.000 m + 0.5 m) और 294.61 m (खारंग, FRL 294.110 m + 0.5 m) [TBC]; कोपरा जलाशय एक रामसर स्थल (8 अगस्त 2025), किसी बताए गए डेटम पर कोई स्तर नहीं मिला [TBC], WRD का FTL या सर्वेक्षित शिखर अपेक्षित	5.8.3, 5.8.5

जलाशय	क्षेत्र	किस रूप में सूचीबद्ध	खंड
मनियारी डैम के नीचे Maniyari पर मनियारी नदी (Maniari)	मुंगेली	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 236.23 m (13 अगस्त 2022) से कम नहीं; जलाशय का टेलवाटर 358.64 m (FRL 358.140 m + 0.5 m) [TBC]	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
मिनीमाता बांगो डैम और दर्री पर हसदेव बैराज के नीचे कोरबा पर हसदेव; कोरबा के नाले	कोरबा	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग और प्रमुख ड्रेनें; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 313.58 m (Katghora, 20 जुलाई 2026) और 303.5 m (Bangodam, 17 अगस्त 2026) से कम नहीं; कोई खतरे का स्तर नहीं मिला [TBC]; बांगो और दर्री से छोड़ा गया पानी सम्मिलित (लगभग 30,000 और 20,000 क्यूसेक, 26 अगस्त 2024, प्रकाशित खबरों के अनुसार)	5.2, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
मिनीमाता बांगो जलाशय; दर्री पर हसदेव बैराज	कोरबा	जलाशय और बैराज के जलाशय के आउटफॉल; WRD द्वारा पुष्टि किए जाने तक टेलवाटर 360.16 m (बांगो, FRL 359.660 m + 0.5 m) [TBC]; दर्री के लिए कोई स्तर नहीं मिला [TBC], WRD का जलाशय स्तर या सर्वेक्षित शिखर अपेक्षित	5.8.3, 5.8.5
धमतरी और राजिम पर गंगरेल डैम के नीचे महानदी, समोदा (Samoda) से कलमा (Kalma) तक के बैराजों के पास से होकर, Kalma और Surajgarh पर; Malgaon पर पैरी	धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़	नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 202.43 m (Kalma) और 201.06 m (Surajgarh) (दोनों 29 अगस्त 2020) और 329.33 m (Malgaon, 30 जुलाई 2026) से कम नहीं; कोई खतरे का स्तर नहीं मिला [TBC]; Rajim, Seorinarayan या Basantpur पर कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; राजिम के नीचे कम से कम 120 घंटे का अवरोध; गंगरेल और बैराजों से छोड़ा गया पानी सम्मिलित	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय; महानदी के बैराज (समोदा, शिवरीनारायण (Seorinarayan), बसंतपुर (Basantpur), मिरौनी (Mirauni), साराडीह (Saradiha), कलमा)	धमतरी; महानदी का नदी-भाग	जलाशय और बैराज के जलाशय के आउटफॉल; WRD द्वारा पुष्टि किए जाने तक टेलवाटर 349.20 m (गंगरेल, FRL 348.700 m + 0.5 m) [TBC]; बैराजों के शिखर और जलाशय के स्तर नहीं मिले [TBC]	5.8.3, 5.8.5
Kurubhata पर मांड	रायगढ़	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 220.4 m (28 अगस्त 2020) से कम नहीं; कम से कम 120 घंटे का अवरोध	5.8.1, 5.8.5
केलो डैम के नीचे रायगढ़ पर केलो	रायगढ़	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; CWC का कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर अपेक्षित; जलाशय का टेलवाटर 233.50 m (FRL 233.000 m + 0.5 m) [TBC]; केलो डैम से छोड़ा गया पानी सम्मिलित	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
हीराकुंड जलाशय (ओडिशा) का बैकवाटर	रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़	जलाशय के बैकवाटर वाले आउटफॉल; टेलवाटर नदी स्तर और जलाशय स्तर (MWL, FRL + सरचार्ज या FRL + 0.5 m) में से अधिक, जिसे बैकवाटर में ऊपर तक ले जाया गया हो; हीराकुंड के स्तर WRD के माध्यम से ओडिशा से प्राप्त किए जाने हैं [TBC]; तब तक 628.5 ft (लगभग 191.6 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार) से नीचे नहीं; उससे नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद	5.8.5
ओडिशा के डैमों के नीचे Jagdalpur और Chindnar पर इंद्रावती; Sonarpal पर नारंगी	बस्तर, दंतेवाड़ा	नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 544.891 m (Jagdalpur, 26 सितंबर 2026; उससे पहले 9 जुलाई 1973 का 544.68 m), 340.49 m (Chindnar) और 543.43 m (Sonarpal) (दोनों 26 सितंबर 2026) से कम नहीं; Jagdalpur पर खतरे का स्तर 540.80 m, चेतावनी स्तर 539.49 m (CWC); स्थानीय गेज के पाठ्यांक डिजाइन के लिए प्रयुक्त नहीं [TBC]; ओडिशा के डैमों से छोड़े गए पानी का विवरण WRD के माध्यम से प्राप्त किया जाना है [TBC]	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5

जलाशय	क्षेत्र	किस रूप में सूचीबद्ध	खंड
Talnar और Odinaguda (कोंटा) पर सबरी	सुकमा	नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 213.81 m (Talnar, 26 सितंबर 2026) और 71.64 m (Odinaguda, 10 सितंबर 2024) से कम नहीं; कोंटा पर गोदावरी का बैकवाटर (2022, प्रकाशित खबरों के अनुसार)	5.8.1, 5.8.5
रायपुर के तालाब (जिनमें बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, कंकाली, महाराजबंध, करबला और नरैया (Narhaiya) सम्मिलित हैं) और अन्य नगरों के तालाब	रायपुर और अन्य नगर	तालाब आउटफॉल; कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; अतिप्रवाह स्तर और शीर्ष; अभिरक्षक की सम्मति (अभिरक्षक [TBC]); जहाँ लागू हो वहाँ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 50 m की रेखा; भू-राजस्व संहिता की धारा 251 के अंतर्गत निहित तालाब कलेक्टर को	5.8.5
नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय (जिनमें सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh) और खंडवा (Khandawa) सम्मिलित हैं) और उन्हें जोड़ने वाली चार प्रमुख धाराएँ	रायपुर	झील आउटफॉल और प्रमुख ड्रेनें; कोई स्तर नहीं मिला [TBC]; NRDA की सम्मति; अतिप्रवाह स्तर और शीर्ष; NRDA के अभिलेखों के बिना अतिप्रवाह स्तर से नीचे कोई भंडारण क्रेडिट नहीं; झांझ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए एक मानित आर्द्रभूमि (प्रकाशित खबरों के अनुसार)	5.2, 5.8.5
कोरबा, मांड–रायगढ़ और सरगुजा कोयला क्षेत्रों के खदान के गड्ढे, खदान झीलें और चालू खदानें; कोरबा और रायगढ़ के बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध	कोरबा, रायगढ़, सरगुजा	पट्टाधारी और DGMS, या ऐश पॉन्ड के संचालक, की लिखित सम्मति और स्तर, अतिप्रवाह और अतिप्रवाह मार्ग के सर्वेक्षण के बिना डिजाइन आउटफॉल नहीं; किसी चालू खदान या ऐश पॉन्ड में कोई जल निकासी नहीं; राखड़ बाँध टूटने का मार्ग खतरे के रूप में मानचित्रित	5.8.5
WRD की सिंचाई नहरें; नगर निगमों और अन्य शहरी स्थानीय निकायों, RDA, NRDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप की 1.0 m या अधिक चौड़ी ड्रेनें; खदानों की गारलैंड ड्रेनें; ऐश पॉन्ड की ड्रेनें	छत्तीसगढ़	प्रमुख ड्रेन; स्वामी की सम्मति, डिजाइन जल स्तर और फ्लैप गेट	5.2, 5.8.5
गंगरेल, मिनीमाता बांगो, खारंग, मनियारी और केलो डैम; दर्री पर हसदेव बैराज, मोंगरा और अरपा भैंसाझार बैराज और महानदी के बैराज; ओडिशा में इंद्रावती पर स्थित डैम; हीराकुंड (ओडिशा)	महानदी, हसदेव, अरपा, शिवनाथ, केलो और मनियारी नदी (Maniari); इंद्रावती	छोड़ा गया पानी और गेट प्रचालन नदी के स्तरों में सम्मिलित किए जाने हैं (प्रचालन नियम और छोड़े गए पानी के अभिलेख [TBC])	5.8.3, 5.8.5
रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख	छत्तीसगढ़ में कोई नहीं	लागू नहीं (खंड 5.1.4)	5.13.1

तैयार किया जाना है. यह परिशिष्ट (a) प्रत्येक बेसिन प्लान की प्रमुख ड्रेनें, (b) नदी आउटफॉल वाले वे नदी-भाग (reaches) जहाँ पश्चजल का मॉडल बनाया जाएगा, उनकी प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह सीमाओं और उनके डिजाइन बाढ़ स्तरों के स्रोत के साथ, और (c) मौसमी रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख और खाड़ी प्रवेश, सबसे हाल के मानसून-पूर्व रेत अवरोध शिखर स्तरों और WRD के किसी मुख-रखरखाव कार्यक्रम के साथ, सूचीबद्ध करेगा और मानचित्र पर दर्शाएगा। इसके लिए WRD के नदी और नहर अभिलेख, डिजाइन और अभिलिखित बाढ़ स्तर, जलाशय प्रचालन नियम, मुख की स्थिति, ड्रेजिंग और रेत अवरोध काटने के अभिलेख और मानसून-पूर्व रेत अवरोध सर्वेक्षण (WRD), RMC और अन्य स्थानीय निकायों की ड्रेन सूचियाँ, बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11), और भारतीय सर्वेक्षण विभाग और NRSC का आधार मानचित्रण आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक: प्रत्येक नदी, WRD की नहर, रायपुर में खारुन और उसकी ओर बहने वाले शहर के नाले, जिनमें महादेव घाट पर गोवर्धन नाला सम्मिलित है, नवा रायपुर अटल नगर की झीलों और जलाशयों को जोड़ने वाली धाराएँ और चैनल, शिवनाथ और दुर्ग के शंकर और पुलगांव नाले, भिलाई और उसकी इस्पात संयंत्र टाउनशिप के नाले, बिलासपुर में अरपा और उसकी ओर बहने वाले नाले, हसदेव और कोरबा के नाले, रायगढ़ में केलो, जगदलपुर में इंद्रावती, WRD की कोई ड्रेन या नहर, किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद, किसी नगर पंचायत, RDA, NRDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित या धारित कोई ड्रेन जिसकी भीतरी चौड़ाई 1.0 m या अधिक हो, किसी खदान की गारलैंड ड्रेनें और मोड़ चैनल, किसी ऐश पॉन्ड की ड्रेनें, वर्षा जल प्राप्त करने वाली कोई सिंचाई नहर और प्रत्येक ज्वारीय खाड़ी प्रमुख ड्रेन है (खंड 5.2); तालिका 5B.1 के जलाशय नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग हैं (खंड 5.8.1); और तटीय राज्यों की नदियों के मुख (छत्तीसगढ़ में कोई नहीं) दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरंभ में बंद माने जाते हैं, जब तक कि WRD अन्यथा प्रमाणित न करे (खंड 5.13.2)।

तालिका 5B.2 — परिशिष्ट 5B की परतों के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र	विषय-वस्तु	इकाई या प्रारूप
feature_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	text
name	ड्रेन, नदी, नहर, खाड़ी या मुख का नाम	text
category	प्रमुख ड्रेन; नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; रेत अवरोध से बंद होने के अधीन मुख	text
clause	अध्याय 5 का वह खंड जिसके अंतर्गत यह सूचीबद्ध है	text
reach_limits	नदी-भाग की प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह सीमाएँ	text
design_flood_level_source	WRD का डिजाइन या अभिलिखित उच्चतम बाढ़ स्तर, या हाइड्रोलिक मॉडल (खंड 5.8.2)	text
reservoir_release	प्रतिप्रवाह का जलाशय या तालाब और उसका प्रचालन नियम, यदि कोई हो (खंड 5.8.3)	text
bar_crest_level	मुखों के लिए, सबसे हाल का मानसून-पूर्व रेत अवरोध शिखर स्तर	m (भारतीय सर्वेक्षण विभाग का डेटम)
mouth_programme	WRD का मुख-रखरखाव कार्यक्रम और प्रमाणन (खंड 5.13.2)	text
source	स्रोत एजेंसी और तिथि	text
geometry	रेखा (ड्रेन और नदी-भाग) या बिंदु (मुख)	line / point

परिशिष्ट 5C — हल किया गया उदाहरण: रायपुर में खारुन में जल निकासी करने वाले किसी नाले पर स्थित एक साइट के लिए आउटफॉल-बंद जाँच

अध्याय 5 के खंड 5.9, 5.10, 5.11 और 5.12 तथा अध्याय 4 के खंड 4.6.6 के लिए।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच को परिशिष्ट 4C की संशोधित अस्थायी भंडारण सुविधा पर लागू करता है। साइट, उसके स्तर और उसकी प्राप्तकर्ता ड्रेन विधि को दर्शाने के लिए कल्पित हैं। किसी ज्वारीय स्तर का उपयोग नहीं किया गया है: ज्वार केवल तालिका 5C.1 के उन उदाहरणार्थ कथनों के माध्यम से आता है कि प्राप्तकर्ता ड्रेन साइट के आउटलेट से ऊपर है या नीचे।

इनपुट

5C.1 साइट परिशिष्ट 4C की 2.0 ha की बाढ़-संवेदनशील साइट है। यह अपने आउटलेट कक्ष और एक फ्लैप गेट के माध्यम से एक सार्वजनिक वर्षा जल ड्रेन में पानी छोड़ती है जो रायपुर में खारुन की ओर बहने वाले एक नाले से मिलती है, जिसका स्तर तब बढ़ता है जब नाला भरकर बहता है और जब खारुन ऊँची होती है, जैसे वह अगस्त 2020 में पथरीडीह (Pathardihi) पर और सितंबर 2026 में महादेव घाट पर थी, इसलिए खंड 5.10.1 सुविधा पर लागू होता है। विधि को दर्शाने के लिए, यह उदाहरण खंड 5.10.3 की 6 घंटे की दो अवरोध अवधियों का उपयोग करता है, जैसा इस मैनुअल के तटीय संस्करण करते हैं। छत्तीसगढ़ में नदी से अवरुद्ध आउटफॉल का, खंड 5.8.5 के अंतर्गत, कम से कम 72 घंटे का, या महानदी पर 120 घंटे का, एकल अवरोध होता है, और किसी जलाशय, बैराज के जलाशय, तालाब (talab) या हीराकुंड के बैकवाटर के डिजाइन स्तर से नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद रहता है, इसलिए इनमें से प्रत्येक स्थिति में सुविधा को वर्षा घटना का पूरा आयतन संगृहीत या पंप करना होगा (खंड 5.9.4); इसके लिए इस उदाहरण में दर्शाए गए से अधिक भंडारण, या पंपिंग, चाहिए। रूटिंग, खंड 5.10.4 का आयतन संतुलन और आकलन वही रहते हैं।

तालिका 5C.1 — इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान	आधार
सुविधा	परिशिष्ट 4C की संशोधित सुविधा: 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर दीवारें; तल पर 170 mm ऑरिफिस; 460 mm ऑरिफिस, इनवर्ट 0.53 m	परिशिष्ट 4C, तालिका 4C.14
वर्षा घटना	1% AEP, 48 h, चरम दिन अंत में, AMC III; 72 h भी चलाई गई	खंड 5.10.2
अंतर्वाह	परिशिष्ट 4C के विकास-पश्चात 1% AEP हाइड्रोग्राफ (48 h: 8,420 m^3; 72 h: 9,468 m^3)	परिशिष्ट 4C
कनेक्शन पर प्राप्तकर्ता ड्रेन के स्तर, J1, J2 और J3	साइट आउटलेट के इनवर्ट से नीचे (ड्रेन के स्वामी के मॉडल से)	उदाहरणार्थ इनपुट
प्रत्येक अवरोध अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता ड्रेन	पानी साइट आउटलेट के इनवर्ट से ऊपर लौट आता है, इसलिए साइट पानी नहीं छोड़ सकती	उदाहरणार्थ इनपुट; खंड 5.10.3(b)
साइट आउटलेट पर फ्लैप गेट	आउटलेट कक्ष में ऑरिफिस इनवर्टों से 0.15 m नीचे रखा गया, ताकि अवरोध अवधियों के बाहर उसका खुलाव हेड और हेड हानि ऑरिफिस नियंत्रण को प्रभावित न करें	उदाहरणार्थ इनपुट; प्रमाणित वक्र से पुष्टि की जानी है (खंड 5.11.2)
अवरोध अवधियाँ	6 h की दो, आरंभ 12.4 h के अंतर पर (अर्ध-दैनिक ज्वार)	खंड 5.10.3(a)
पंप	कोई नहीं	—

5C.2 **तालिका 5.2 की स्थितियाँ.** चूँकि J1, J2 और J3 में प्राप्तकर्ता ड्रेन साइट आउटलेट से नीचे रहती है (तालिका 5C.1), इसलिए ये स्थितियाँ परिशिष्ट 4C के मुक्त-आउटफॉल परिणाम देती हैं: J2 में 1% AEP अधिकतम जल स्तर **1.17 m** (2,913 m^3) है, और J3 (10% AEP, 48 h) में यह 0.77 m है। R1 और R2 लागू नहीं होतीं, क्योंकि साइट किसी नदी में जल निकासी नहीं करती। J4, अर्थात आउटफॉल-बंद जाँच, नीचे हल की गई है।

अवरोध अवधियाँ (खंड 5.10.3)

5C.3 48 घंटे की वर्षा घटना के अंतिम 24 घंटों का चरम 1-घंटे का ब्लॉक 35:35–36:35 h है, जिसमें 98.2 mm वर्षा है (तालिका 4C.2 की 1-घंटे की गहराई)। दो रन किए जाते हैं:

- **रन A:** पहली अवधि उस ब्लॉक पर केंद्रित है: 33:05–39:05 h; दूसरी 12.4 h बाद आरंभ होती है: 45:29–51:29 h।
- **रन B:** पहली अवधि उस ब्लॉक पर आरंभ होती है: 35:35–41:35 h; दूसरी: 47:59–53:59 h।

72 घंटे की वर्षा घटना के लिए, प्रत्येक समय 24 h बाद है।

5C.4 प्रत्येक अवधि के भीतर गुरुत्व निकास शून्य है। अवधियों के बाहर आउटलेट तालिका 4C.10 के ऑरिफिसों से पानी छोड़ता है। रूटिंग वही स्तर-ताल रूटिंग है जो परिशिष्ट 4C में है।

परिणाम

तालिका 5C.2 — आउटफॉल-बंद जाँच के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

वर्षा घटना	रन	अवरोध अवधियाँ (h:min)	अधिकतम जल स्तर (m)	अधिकतम भंडारण (m^3)	अधिकतम का समय (h:min)	किसी अवधि के बाद सबसे बड़ा निकास (L/s)
1% AEP, 48 h	A	33:05–39:05; 45:29–51:29	2.01	5,019	39:05	566
1% AEP, 48 h	B	35:35–41:35; 47:59–53:59	**2.10**	**5,238**	41:35	584
1% AEP, 72 h	A	57:05–63:05; 69:29–75:29	2.00	5,012	63:05	565
1% AEP, 72 h	B	59:35–65:35; 71:59–77:59	2.09	5,233	65:35	584

48 घंटे की वर्षा घटना का रन B निर्णायक है। पहली अवधि आउटलेट को ठीक उसी समय बंद करती है जब वर्षा का चरम आता है, इसलिए पूरा चरम संगृहीत होता है। दूसरी अवधि तब आती है जब सुविधा लगभग 0.7 m तक, चरण 2 के ऑरिफिस से नीचे, खाली हो चुकी होती है, और उसका प्रभाव कम होता है।

5C.5 **आयतन संतुलन (खंड 5.10.4).** तालिका 5C.3 रन B के लिए संतुलन देती है। प्रत्येक अवधि में बहिर्वाह सांतत्य द्वारा ज्ञात किया जाता है: बहिर्वाह = आरंभ में भंडारण + अंतर्वाह − अंत में भंडारण।

तालिका 5C.3 — आयतन संतुलन, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h:min)	अंतर्वाह (m^3)	गुरुत्व बहिर्वाह (m^3)	पंप किया गया (m^3)	आरंभ में भंडारण (m^3)	अंत में भंडारण (m^3)
0:00–35:35, अवधि 1 से पहले	3,817	2,213	0	0	1,604
35:35–41:35, अवधि 1	3,634	0	0	1,604	5,238
41:35–47:59, अवधियों के बीच	941	4,423	0	5,238	1,756
47:59–53:59, अवधि 2	28	0	0	1,756	1,784

अवधि (h:min)	अंतर्वाह (m³)	गुरुत्व बहिर्वाह (m³)	पंप किया गया (m³)	आरंभ में भंडारण (m³)	अंत में भंडारण (m³)
53:59 के बाद	0	1,784	0	1,784	0
कुल	8,420	8,420	0	—	—

अवधि 1 के लिए जाँच: V_inflow = 3,634 m³ ≤ V_storage available + V_pumped + V_gravity = (5,238 − 1,604) + 0 + 0 = 3,634 m³। इसलिए सुविधा को **5,238 m³** भंडारण चाहिए, जिसकी पुष्टि रूटिंग करती है।

तालिका 5C.4 — जल स्तर–समय आलेख, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h)	अंतर्वाह (L/s)	आउटलेट	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
24	20	खुला	18	0.18	445
28	39	खुला	24	0.25	621
32	59	खुला	32	0.36	906
34	85	खुला	37	0.47	1,166
36	286	बंद	0	0.78	1,944
38	106	बंद	0	1.73	4,321
40	66	बंद	0	1.96	4,904
42	51	खुला	529	1.79	4,472
44	42	खुला	204	0.87	2,181
46	37	खुला	49	0.74	1,854
48	33	खुला	47	0.70	1,756
50	0	बंद	0	0.71	1,784
54	0	बंद	0	0.71	1,784
56	0	खुला	43	0.58	1,459
60	0	खुला	32	0.37	921
66	0	खुला	16	0.16	397
72	0	खुला	7	0.06	162

आकलन

5C.6 **खंड 5.10.4(a).** परिशिष्ट 4C की सुविधा J2 में 1.17 m तक पहुँचती है, और उसके स्पिलवे का शिखर 1.35 m पर है (परिशिष्ट 4C)। आउटफॉल-बंद जाँच में जल स्तर 2.10 m तक पहुँचता है, इसलिए स्पिलवे काम करने लगेगा। **परिशिष्ट 4C की सुविधा जाँच में विफल होती है।**

5C.7 **उपाय.** यहाँ पंपिंग (खंड 5.12) सहायक नहीं है: अवरोध अवधियों के दौरान प्राप्तकर्ता ड्रेन स्वयं बंद होती है, और उसमें पंप करने से उसका स्तर बढ़ेगा, जिसकी अनुमति खंड 5.12.3 नहीं देता। उपाय अधिक भंडारण है। 2,500 m^2 का प्लान क्षेत्रफल और परिशिष्ट 4C के आउटलेट रखते हुए:

- सुविधा को **2.10 m** के जल स्तर तक 5,238 m^3 धारण करना होगा;
- स्पिलवे का शिखर उस जल स्तर से ऊपर, खंड 4.9.3 में अनुशंसित 0.15 m की दूरी के साथ, रखा जाता है: **2.25 m**;
- परिशिष्ट 4C के 4.0 m स्पिलवे (हेड 0.30 m) के साथ, स्पिलवे के बहते समय अधिकतम स्तर 2.55 m है, और 0.3 m फ्रीबोर्ड के साथ दीवारों का शीर्ष तल से कम से कम **2.85 m** ऊपर है।

इसलिए आउटफॉल-बंद जाँच भंडारण का निर्धारण करती है: निकास दर जाँचों से प्राप्त 2,913 m^3 की तुलना में 5,238 m^3, लगभग 80% अधिक। बड़ा प्लान क्षेत्रफल सुविधा को उथला बना देगा; तब आउटलेट, निकास सीमाओं और खाली होने के समय की पुनः जाँच करनी होगी, क्योंकि जल स्तर–प्रवाह दर संबंध बदल जाता है।

5C.8 **अवरोध के बाद निकास.** पहली अवधि समाप्त होने पर, संगृहीत पानी लगभग 2 m के हेड पर, 584 L/s तक की दर से छोड़ा जाता है। यह 356 L/s की 100-वर्ष की निकास सीमा से अधिक है। खंड 5.10.4 इसकी अनुमति देता है, क्योंकि निकास ऐसी ड्रेन में पहुँचता है जो स्वयं अभी-अभी फिर खुली है, और अपेक्षा करता है कि इसे अनुप्रवाह विश्लेषण (खंड 5.4 और 5.9) के J4 रन में सम्मिलित किया जाए और प्रपत्र 5-1 के भाग H में रिपोर्ट किया जाए।

5C.9 **वर्षा घटना के बाद खाली होना (खंड 5.10.5).** J1 ज्वारीय वक्र साइट आउटलेट से नीचे रहता है (तालिका 5C.1), इसलिए परिशिष्ट 4C का खाली होने का समय लागू होता है: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध रहने पर 10-वर्ष के भंडारण के 90% के लिए 45.3 h, जो खंड 4.7 की 48 घंटे की सीमा के भीतर है। रन B में, अधिकतम J4 भंडारण का 90% अधिकतम के 22.6 h बाद छोड़ दिया जाता है।

5C.10 **अन्य अपेक्षाएँ.**

- साइट आउटलेट के फ्लैप गेट का निरीक्षण और प्रचालन प्रत्येक वर्ष 10 जून से पहले और प्रत्येक ऐसी घटना के बाद किया जाता है जिसमें वह वर्षा प्रवाह के विरुद्ध बंद हुआ (खंड 5.11.5)।
- गहरी सुविधा की उत्प्लावन (flotation) के लिए जाँच डिजाइन भूजल स्तर पर भूजल के साथ की जाती है; कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) मिट्टी वाली धान की निचली भूमि में, तालाबों और नदियों के डूब क्षेत्रों के किनारों पर और हीराकुंड के बैकवाटर में पीजोमीटर पाठ्यांकों के बिना वह स्तर विद्यमान भूमि स्तर है (खंड 4.12.1 और 4.12.3)।
- परिशिष्ट 4C की बाड़ और संकेत-पट गहरी सुविधा पर लागू होते हैं (खंड 4.15)।

तालिका 5C.5 — सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान
निर्णायक स्थिति	J4, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (पहली अवधि चरम 1-घंटे के ब्लॉक पर आरंभ)
आवश्यक भंडारण	5,238 m^3 (परिशिष्ट 4C का निकास दर डिजाइन: 2,913 m^3)
अधिकतम जल स्तर	2.10 m, 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल के साथ
स्पिलवे का शिखर	2.25 m
दीवारों का शीर्ष	तल से ≥ 2.85 m ऊपर
किसी अवरोध अवधि के बाद सबसे बड़ा निकास	584 L/s, अनुप्रवाह J4 रन में सम्मिलित किया जाना है
खाली होने का समय	परिशिष्ट 4C का परिणाम लागू; अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध रहने पर 45.3 h

---

प्रपत्र 5-1 — अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट

अध्याय 5 के खंड 5.3 से 5.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक परियोजना के लिए एक रिपोर्ट। खंड 5.3.4 को पूरा करने वाली 0.5 ha से कम की साइटें, जहाँ प्राधिकारी इसे स्वीकार करे, इसके स्थान पर प्रपत्र 5-2 प्रस्तुत कर सकती हैं। उल्लिखित नक्शे, मॉडल फाइलें और हाइड्रोग्राफ संलग्न करें।

A. परियोजना

तालिका 5F.1 — प्रपत्र 5-1: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम, आवेदक और स्थान	
A2. परियोजना का प्रकार: अध्याय 4 के अंतर्गत साइट; अध्याय 6 के अंतर्गत जल निकासी परियोजना; क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या तालाब पुनर्स्थापन (खंड 5.1.2)	
A3. साइट या परियोजना का क्षेत्रफल (ha) और आउटफॉल	
A4. साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट का संदर्भ (प्रपत्र 4-1), जहाँ लागू हो	

B. विश्लेषण का विस्तार (खंड 5.3; खंड 5.14, मद 1)

तालिका 5F.2 — प्रपत्र 5-1: विश्लेषण बिंदु

बिंदु	स्थान	प्रकार (खंड 5.3.3 (a) से (e))	योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (ha)	उसके % के रूप में परियोजना क्षेत्र

तालिका 5F.3 — प्रपत्र 5-1: अंतिम बिंदु

क्षेत्र	प्रविष्टि
B1. अंतिम बिंदु और कारण: 10% बिंदु, तालाब (tank) या तालाब (talab), या प्रमुख ड्रेन या समुद्र (खंड 5.3.1 (a) से (c))	
B2. जहाँ अंतिम बिंदु कोई तालाब (tank) या तालाब (talab) है: अधिकतम जल स्तर (m) में और सरप्लस वियर की प्रवाह दर (m^3/s) में परिवर्तन; स्तर बढ़ने पर वियर के नीचे विश्लेषण जारी रखना (खंड 5.3.2)	
B3. विश्लेषण के विस्तार का नक्शा, जिसमें साइट, प्रत्येक बिंदु उसके योगदान देने वाले क्षेत्र और प्रतिशत के साथ, और अंतिम बिंदु दर्शाए गए हों (संलग्न करें)	

C. मॉडल (खंड 5.4.4; खंड 5.14, मद 2)

तालिका 5F.4 — प्रपत्र 5-1: मॉडल

क्षेत्र	प्रविष्टि
C1. सॉफ्टवेयर और संस्करण; जलवैज्ञानिक और हाइड्रोलिक विधियाँ (खंड 5.4.4)	
C2. नेटवर्क का योजनाबद्ध चित्र, ड्रेन और क्रॉसिंग के सर्वेक्षण स्रोतों के साथ (संलग्न करें)	
C3. साइट से बाहर के क्षेत्रों का भूमि उपयोग और CN (वर्तमान भूमि उपयोग)	
C4. सम्मिलित प्रतिप्रवाह अस्थायी भंडारण, इस साक्ष्य के साथ कि वह निर्मित, अनुरक्षित और दस्तावेजित है	
C5. जहाँ उपलब्ध हो, अंशांकन या वैधीकरण के साक्ष्य	
C6. चलाए गए परिदृश्य: विद्यमान, परियोजना सहित, और जहाँ प्राधिकारी अपेक्षा करे वहाँ भविष्य (खंड 5.4.1)	
C7. चलाई गई वर्षा घटनाएँ: AEP और अवधियाँ, AMC और क्षेत्रीय न्यूनीकरण (खंड 5.4.3)	

D. प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर परिणाम (खंड 5.4.2; खंड 5.14, मद 3)

प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, AEP और अवधि के लिए एक पंक्ति भरें। E = विद्यमान; P = परियोजना सहित।

तालिका 5F.5 — प्रपत्र 5-1: विश्लेषण बिंदुवार परिणाम

बिंदु	AEP	अवधि (h)	चरम प्रवाह E / P (m^3/s)	चरम तक समय E / P (h)	अधिकतम जल स्तर E / P (m)	चरम वेग E / P (m/s)	जलमग्नता की अवधि E / P (h)

E. स्वीकार्यता (खंड 5.5; खंड 5.14, मद 4)

तालिका 5F.6 — प्रपत्र 5-1: स्वीकार्यता मानदंड

मानदंड	क्या प्रत्येक बिंदु पर पूरा हुआ?	जहाँ पूरा नहीं हुआ, वहाँ अपनाया गया उपाय (खंड 5.5.3)
E1. भवनों, सबसे निचले खुले भागों और कैरिजवे पर 1% AEP जल स्तर में वृद्धि ≤ 10 mm (खंड 5.5.1(a))		
E2. कोई भवन नए सिरे से जलमग्न नहीं; कोई भवन या सड़क नए सिरे से अध्याय 6 की सीमाओं में विफल नहीं (खंड 5.5.1(b))		
E3. प्रत्येक तत्व की लघु प्रणाली AEP पर या 1% AEP पर चरम प्रवाह विद्यमान से अधिक नहीं (खंड 5.5.1(c))		
E4. पक्के चैनलों में वेग अस्तर की सीमा के भीतर, अधिकतम 3.0 m/s (खंड 5.5.1(d))		

मानदंड	क्या प्रत्येक बिंदु पर पूरा हुआ?	जहाँ पूरा नहीं हुआ, वहाँ अपनाया गया उपाय (खंड 5.5.3)
E5. कच्चे चैनलों में 50% और 10% AEP का वेग 10% से अधिक नहीं बढ़ा (खंड 5.5.1(e))		
E6. धमनी या आपातकालीन मार्गों पर सड़क बंद रहने की अवधि में परिवर्तन (खंड 5.5.2)		
E7. क्या समय संबंधी अपवाद का अनुरोध किया गया (खंड 5.5.4)? पूरी की गई शर्तें बताएँ		

F. टेलवाटर की व्युत्पत्ति (खंड 5.6 से 5.8; खंड 5.14, मद 5)

तालिका 5F.7 — प्रपत्र 5-1: टेलवाटर की व्युत्पत्ति

क्षेत्र	प्रविष्टि
F1. ज्वार सारणी का संस्करण और बंदरगाह, या बंदरगाह प्राधिकरण का स्रोत (खंड 5.7.2(a))	
F2. MHWS, HAT और MSL (चार्ट डेटम से ऊपर m)	
F3. चार्ट डेटम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बेंचमार्क और परियोजना डेटम तक संबंध: अंतर (m) और स्रोत (खंड 5.7.2(b))	
F4. ज्वारनदमुख, खाड़ी या नहर में आउटफॉल: प्रयुक्त स्तर और खुले तट के स्तरों से विचलन का कोई साक्ष्य (खंड 5.7.2(c))	
F5. 10% AEP महोर्मि और 1% AEP स्थिर जल स्तर: मान, स्रोत, विधि और अभिलेख की अवधि (खंड 5.7.3)	
F6. खुले समुद्र की ओर वाले आउटफॉलों के लिए लहर उत्थान (खंड 5.7.3(d))	
F7. SLA (m), कम से कम +0.3 m; डिजाइन आयु; 50 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु के लिए SLA की दोगुनी पर संवेदनशीलता रन (खंड 5.7.4)	
F8. गैर-ज्वारीय टेलवाटर: प्राप्तकर्ता प्रणाली का स्तर और स्रोत (खंड 5.6.2, 5.6.3)	
F9. नदी के स्तर और स्रोत; सम्मिलित जलाशय या तालाब से छोड़ा गया पानी (खंड 5.8.2, 5.8.3)	

क्षेत्र	प्रविष्टि
F10. नदी से अवरुद्ध आउटफॉल, जलाशय, बैराज और तालाब के आउटफॉल, डैमों और बैराजों के नीचे की नदियाँ, हीराकुंड का बैकवाटर, खदान के गड्ढे, ऐश पॉन्ड और अन्य निकायों की नहरें या ड्रेनें: प्रत्येक गेट और पंपिंग स्टेशन के संचालक की पहचान, गेट की सिल, किनारे या तटबंध का शिखर, स्थापित क्षमता, प्रचालन स्तर और गेट बंद करने का स्तर प्राप्त किए गए, प्रत्येक स्तर को निकटतम CWC या WRD गेज के डेटम से जोड़कर; आउटफॉल पर 1% AEP नदी स्तर, किसी प्रकाशित अध्ययन से या मॉडल से, डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी के साथ, जो आउटफॉल तक अंतरित निकटतम CWC गेज के अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं (जगदलपुर पर 544.891 m, पथरीडीह (खारुन) पर 281.68 m, कलमा पर 202.43 m, और खंड 5.8.5(a) के अन्य स्तर), प्रयुक्त प्रोफाइल के साथ, या, जहाँ कोई गेज स्तर नहीं है (दुर्ग और भिलाई के पास शिवनाथ, बिलासपुर पर अरपा, रायगढ़ पर केलो, नगरों के नाले), मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित बाढ़ स्तर और उसका स्रोत; स्थानीय गेज का कोई पाठ्यांक (जगदलपुर पर इंद्रावती) डिजाइन स्तर के रूप में प्रयुक्त नहीं; 10% AEP नदी स्तर, जो जहाँ उपलब्ध हो वहाँ अंतरित CWC खतरे के स्तर से कम नहीं (जगदलपुर पर 540.80 m); गेट के पीछे की ड्रेन की रूटिंग उसके संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र और वर्तमान भंडारण के साथ, पंपिंग की उपलब्धता की पुष्टि (केवल स्थायी पंप, स्थापित क्षमता घटा सबसे बड़े पंप से अधिक नहीं), डिजाइन नदी स्तर पर प्रचालन योग्य पंप; कम से कम 72 घंटे का, या राजिम से हीराकुंड के बैकवाटर तक महानदी पर और कुरुभाठा के नीचे मांड पर 120 घंटे का, या, यदि अधिक हो, किसी डैम या बैराज के नीचे अभिलिखित सबसे बड़े निकास की अवधि का, एकल नदी अवरोध, और उसका स्रोत; गेट की विफलता और कटाव की जाँचें; किसी जलाशय, बैराज के जलाशय या तालाब के आउटफॉल के लिए, अभिरक्षक की सम्मति, जहाँ अपेक्षित हो वहाँ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अनुमति, MWL या FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (जहाँ दोनों में से कोई प्रकाशित न हो वहाँ FTL + 0.5 m, जैसे गंगरेल 349.20 m, बांगो 360.16 m, अरपा भैंसाझार 302.50 m और मोंगरा 337.65 m; तालाब या झील के लिए अतिप्रवाह स्तर और शीर्ष; बैराज पर, यदि अधिक हो, नदी स्तर), उससे नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना गया, जलाशय FTL या अतिप्रवाह स्तर पर आरंभ, अभिरक्षक के लिखित नियम के बिना किसी गेट प्रचालन का क्रेडिट नहीं; किसी डैम या बैराज के नीचे के आउटफॉल के लिए, अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी के साथ डिजाइन वर्षा घटना, छोड़े गए पानी को वर्षा घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद रखकर; हीराकुंड के बैकवाटर में स्थित आउटफॉल के लिए, नदी स्तर और WRD के माध्यम से ओडिशा से प्राप्त जलाशय स्तर में से अधिक, और जब तक वह प्राप्त न हो, 628.5 ft (लगभग 191.6 m) से नीचे नहीं; किसी खदान के गड्ढे, खदान झील या ऐश पॉन्ड के लिए, पट्टाधारी और DGMS की या ऐश पॉन्ड के संचालक की लिखित सम्मति, सर्वेक्षित स्तर, अतिप्रवाह स्तर और अतिप्रवाह मार्ग, स्थिरता विवरण, यह विवरण कि साइट का कोई भाग किसी चालू खदान या ऐश पॉन्ड में जल निकासी नहीं करता, और राखड़ बाँध टूटने का मानचित्रित मार्ग; WRD की सम्मति और भवन नियमों, आर्द्रभूमि, राजस्व अभिलेख और न्यायालयों की रेखाओं की जाँच; स्वामी की सम्मति, अनुमत दर, डिजाइन जल स्तर या परिकलित चैनल स्तर, और फ्लैप गेट (खंड 5.8.5)	

G. संयुक्त स्थितियाँ (खंड 5.9; खंड 5.14, मद 6)

तालिका 5F.8 — प्रपत्र 5-1: संयुक्त स्थितियों के परिणाम

स्थिति	वर्षा	प्रयुक्त टेलवाटर (m, परियोजना डेटम)	लागू?	निर्णायक परिणाम (भंडारण, स्तर, पाइप का आकार या पंप की क्षमता)
J1				
J2				
J3				
J4				
R1				
R2				

H. आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10; खंड 5.14, मद 7)

तालिका 5F.9 — प्रपत्र 5-1: आउटफॉल-बंद जाँच

क्षेत्र	प्रविष्टि
H1. जाँच लागू होने का कारण (खंड 5.10.1)	
H2. वर्षा घटना: AEP, 48 h और 72 h, AMC III (खंड 5.10.2)	

क्षेत्र	प्रविष्टि
H3. अवरोध की अवधि और आधार: 6 घंटे की दो अवधियों का डिफॉल्ट, या साइट अध्ययन (खंड 5.10.6); रेत अवरोध से बंद होने के लिए विस्तार (खंड 5.13.5)	
H4. दोनों रनों की अवरोध अवधियाँ (आरंभ और समाप्ति का समय) (खंड 5.10.3(d))	
H5. प्रत्येक सुविधा में अधिकतम जल स्तर, उसके 1% AEP अधिकतम जल स्तर की तुलना में (खंड 5.10.4(a))	
H6. लघु और प्रमुख प्रणालियों में अधिकतम जल स्तर, अध्याय 6 की सीमाओं की तुलना में (खंड 5.10.4(b))	
H7. संपत्ति कनेक्शन: सरचार्ज स्तर, या लगाए गए नॉन-रिटर्न वाल्व (खंड 5.10.4(c))	
H8. जल स्तर–समय आलेख (संलग्न करें)	
H9. वर्षा घटना के बाद J1 ज्वारीय वक्र के अंतर्गत खाली होना, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पंपिंग (खंड 5.10.5)	

तालिका 5F.10 — प्रपत्र 5-1: प्रत्येक अवरोध अवधि के लिए आयतन संतुलन (खंड 5.10.4)

अवधि	अंतर्वाह (m³)	गुरुत्व बहिर्वाह (m³)	पंप किया गया (m³)	आरंभ में भंडारण (m³)	अंत में भंडारण (m³)
अवधि 1 से पहले					
अवधि 1					
अवधियों के बीच					
अवधि 2					
अवधि 2 के बाद					

I. गेट और वाल्व (खंड 5.11; खंड 5.14, मद 8)

तालिका 5F.11 — प्रपत्र 5-1: फ्लैप गेटों, ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों की अनुसूची

स्थान	प्रकार	आकार (mm)	इनवर्ट (m, परियोजना डेटम)	प्रमाणित हेड–प्रवाह दर आँकड़े (संदर्भ)	स्टॉप-लॉग या पेनस्टॉक (आउटफॉल > 600 mm)

J. पंप द्वारा संचालित आउटफॉल (खंड 5.12; खंड 5.14, मद 9)

तालिका 5F.12 — प्रपत्र 5-1: पंप द्वारा संचालित आउटफॉल

क्षेत्र	प्रविष्टि
J1. पंपिंग की आवश्यकता का कारण (खंड 5.12.1)	
J2. J2 टेलवाटर के स्थैतिक हेड पर कार्यरत क्षमता (m³/s); स्टैंडबाय क्षमता (खंड 5.12.2)	
J3. प्राप्तकर्ता जलाशय के जल स्तर पर प्रभाव (खंड 5.12.3)	

क्षेत्र	प्रविष्टि
J4. विद्युत आपूर्ति: दो स्वतंत्र आपूर्तियाँ, या 72 h के ईंधन के साथ स्टैंडबाय उत्पादन; स्वचालित परिवर्तन (खंड 5.12.4)	
J5. विद्युत पैनलों, नियंत्रणों, जनरेटरों और ईंधन का स्तर, 1% AEP बाढ़ जल स्तर + 0.5 m और HAT + महोर्मि + SLA + 0.5 m में से अधिक की तुलना में (खंड 5.12.5)	
J6. निकास व्यवस्था (खंड 5.12.6); नियंत्रण, अलार्म और लॉगिंग (खंड 5.12.7); जालियाँ (खंड 5.12.8)	

K. रेत अवरोध (खंड 5.13; खंड 5.14, मद 10)

तालिका 5F.13 — प्रपत्र 5-1: रेत अवरोध संबंधी धारणा

क्षेत्र	प्रविष्टि
K1. संबंधित नदी मुख या खाड़ी प्रवेश	
K2. मुख बंद माना गया, या WRD का प्रमाणन संलग्न करके खुला (खंड 5.13.2)	
K3. सबसे हाल के मानसून-पूर्व सर्वेक्षण से रेत अवरोध का शिखर स्तर (m) और बंद-मुख टेलवाटर (खंड 5.13.3)	
K4. जहाँ आवश्यक हो, अवरोध की अवधि का विस्तार (खंड 5.13.5)	

L. निरीक्षण और रखरखाव (खंड 5.14, मद 11)

तालिका 5F.14 — प्रपत्र 5-1: निरीक्षण और रखरखाव

क्षेत्र	प्रविष्टि
L1. 10 जून से पहले और बंद होने की घटनाओं के बाद गेट और वाल्व का निरीक्षण (खंड 5.11.5)	
L2. 10 जून से पहले पंपों के परीक्षण रन (खंड 5.12.9)	
L3. रखरखाव योजना के लिए अन्य अपेक्षाएँ (अध्याय 10)	

M. पंजीकृत पेशेवर का कथन (खंड 10.6)

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह रिपोर्ट *छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 5 के अंतर्गत तैयार की गई है, कि रिपोर्ट किए गए परिणाम प्रस्तुत मॉडलों द्वारा पुनः प्राप्त होते हैं, और कि अध्याय 5 से प्रत्येक विचलन उसके कारण के साथ सूचीबद्ध है। पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न है।

तालिका 5F.15 — प्रपत्र 5-1: पंजीकृत पेशेवर का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
सूचीबद्धता संख्या, जहाँ खंड 10.6.1 अपेक्षा करता है	

क्षेत्र	प्रविष्टि
संगठन	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 5-2 — सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें)

अध्याय 5 के खंड 5.3.4 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. 0.5 ha से कम की साइटों के लिए। प्राधिकारी इस विवरण को पूर्ण विश्लेषण के स्थान पर केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब भाग B का प्रत्येक उत्तर "हाँ" हो। अन्यथा प्रपत्र 5-1 प्रस्तुत करें।

A. साइट

तालिका 5F.16 — प्रपत्र 5-2: साइट

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम, आवेदक और स्थान	
A2. साइट का क्षेत्रफल (ha), 0.5 ha से कम	
A3. प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन: नाम या संदर्भ, प्रकार और आकार	
A4. साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट का संदर्भ (प्रपत्र 4-1)	

B. शर्तें (खंड 5.3.4)

तालिका 5F.17 — प्रपत्र 5-2: शर्तें

शर्त	हाँ / नहीं	साक्ष्य
B1. प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन की अपने लघु प्रणाली डिजाइन प्रवाह के लिए दस्तावेजित क्षमता है (अध्याय 6)		
B2. साइट के आउटफॉल से अनुप्रवाह की ओर 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज नहीं है। जाँचे गए अभिलेख: स्थानीय निकाय, RMC, CGSDMA, WRD (खंड 5.3.3(d))		
B3. साइट किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी नहीं करती		

C. मार्ग का नक्शा

तालिका 5F.18 — प्रपत्र 5-2: संलग्नक

संलग्नक	संलग्न?
C1. साइट के आउटफॉल से अनुप्रवाह की ओर 500 m तक जल निकासी मार्ग का नक्शा, प्राप्तकर्ता ड्रेन और किसी भी दर्ज बाढ़-प्रवण स्थान के साथ	
C2. ड्रेन की क्षमता के अभिलेख की प्रति या संदर्भ	

D. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि साइट ऊपर दर्शाए अनुसार खंड 5.3.4 की शर्तों को पूरा करती है, और कि सूचीबद्ध अभिलेखों की जाँच कर ली गई है।

तालिका 5F.19 — प्रपत्र 5-2: कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

अध्याय 6 के परिशिष्ट

लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ

ये परिशिष्ट अध्याय 6 के सहायक हैं। परिशिष्ट 6A (मानक इनलेट और उनके क्षमता वक्र) और परिशिष्ट 6B (तलछट उत्पादन) के लिए ऐसे परीक्षण और सर्वेक्षण आँकड़े आवश्यक हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; प्रत्येक में बताया गया है कि उसमें क्या होगा और उसके प्रकाशित होने तक कौन-सा अंतरिम नियम लागू होगा। परिशिष्ट 6C में ऐसी मानक ड्रॉइंग दी गई हैं जिनमें केवल वे आयाम हैं जो अध्याय 6 और अध्याय 9 पहले से निर्धारित करते हैं; प्रत्येक अन्य आयाम "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित है। प्रपत्र 6-1 एक प्रारूप प्रपत्र है: इसमें वही सूचीबद्ध है जिसकी अपेक्षा खंड 6.15 करता है, और यह उसमें कुछ नहीं जोड़ता।

परिशिष्ट 6A — छत्तीसगढ़ के लिए मानक इनलेट प्रकार और उनके क्षमता वक्र (ढलान पर और निचले बिंदु पर)

अध्याय 6 के खंड 6.6.1 से 6.6.7 और अध्याय 9 के खंड 9.11 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिए मानक इनलेट प्रकारों की एक छोटी सूची होगी (कर्ब ओपनिंग इनलेट (kerb-opening inlet), जाली इनलेट (grate inlet) और संयुक्त इनलेट (combination inlet), जिनमें ढकी ड्रेन की दीवार में सड़क स्तर पर बना ओपनिंग भी सम्मिलित है) और प्रत्येक प्रकार के लिए ढलान पर (on grade) और निचले बिंदु (sag) पर क्षमता वक्र होंगे। इसके लिए सड़क-स्वामी एजेंसियों से सहमत मानक इनलेट ज्यामितियों का एक नियत समूह, और उन ज्यामितियों के रेटिंग परीक्षण (प्रयोगशाला में या पूर्ण पैमाने पर), या प्रत्येक ज्यामिति के लिए परीक्षणों से जाँची गई HEC-22 गणनाएँ आवश्यक हैं (आँकड़े और संभावित स्रोत: लोक निर्माण विभाग (PWD), NHAI और नगर पालिक निगम रायपुर के मानक विवरण, NIT रायपुर, IIT भिलाई या अन्य हाइड्रोलिक प्रयोगशालाएँ, निर्माताओं की परीक्षित रेटिंग)। इसके प्रकाशित होने तक वास्तव में प्रस्तावित इनलेट की स्वच्छ क्षमता की गणना FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से या उसी ज्यामिति के लिए निर्माता की परीक्षित रेटिंग से करें (खंड 6.6.2), उसे तालिका 6.5 के अवरोध गुणकों से घटाएँ (खंड 6.6.3), और तालिका 6A.1 की अंतरिम अपेक्षाएँ पूरी करें।

तालिका 6A.1 — परिशिष्ट 6A के प्रकाशित होने तक इनलेट के लिए अंतरिम अपेक्षाएँ (अध्याय 6 और 9 से)

मद	अपेक्षा	खंड
सार्वजनिक सड़कों पर इनलेट का प्रकार	कर्ब ओपनिंग या संयुक्त इनलेट, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी किसी स्थान के लिए केवल-जाली इनलेट स्वीकार न करे	6.6.1(a)
इनलेट का स्तर	ओपनिंग सड़क स्तर पर; जहाँ व्यवहार्य हो, कर्ब चैनल अवनमन (gutter depression)	6.6.1(b)
स्वच्छ क्षमता	FHWA HEC-22 (4th ed., 2024) या उसी ज्यामिति के लिए निर्माता की परीक्षित रेटिंग; CPHEEO §5.6.2 के समीकरण केवल प्रति-जाँच के लिए	6.6.2
अवरोध, ढलान पर	जाली 50%; कर्ब ओपनिंग 10%	6.6.3, तालिका 6.5

मद	अपेक्षा	खंड
अवरोध, निचले बिंदु पर	जाली 50%; कर्ब ओपनिंग 20%	6.6.3, तालिका 6.5
दूरी	प्रत्येक कर्ब चैनल खंड (gutter run) के शीर्ष से क्रमिक गणना द्वारा; कर्बयुक्त सड़कों पर 30 m से अधिक नहीं	6.6.4
कर्ब ओपनिंग का आकार	स्पष्ट ऊँचाई कम से कम 100 mm; लंबाई कम से कम 1.0 m	9.11.4
जाली का पैटर्न	यातायात की दिशा के समानांतर ओपनिंग 25 mm से अधिक चौड़ी नहीं	9.11.3(a)
भार वर्ग	कैरिजवे और मीडियन में D400; कर्ब से 0.5 m के भीतर C250; फुटपाथ और साइकिल ट्रैक में B125 (या समतुल्य IS वर्ग)	9.11.2
कनेक्शन पाइप	कम से कम 300 mm व्यास; ऐसी ढलान जिससे इनलेट के डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s वेग मिले	6.6.6
गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा, सतह से साफ करने योग्य	6.6.7, 9.11.6

परिशिष्ट की प्रस्तावित रूपरेखा तालिका 6A.2 से 6A.4 में दी गई है।

तालिका 6A.2 — मानक इनलेट प्रकारों का रजिस्टर (ढाँचा)

प्रकार कोड	विवरण	जाली का आकार या कर्ब ओपनिंग (mm)	कर्ब चैनल अवनमन (mm)	भार वर्ग	मानक ड्रॉइंग
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 6A.3 — ढलान पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)

अनुप्रस्थ ढलान Sx (m/m)	अनुदैर्ध्य ढलान SL (m/m)	कर्ब चैनल प्रवाह Q (L/s)	फैलाव T (m)	स्वच्छ स्थिति में ग्रहीत प्रवाह (L/s)	अवरोध के बाद डिजाइन ग्रहीत प्रवाह (L/s)	बाईपास प्रवाह (L/s)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 6A.4 — निचले बिंदु पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)

इनलेट पर रुके जल की गहराई (mm)	स्वच्छ क्षमता (L/s)	अवरोध गुणक (तालिका 6.5)	डिजाइन क्षमता (L/s)	प्रवाह की स्थिति (वियर, ऑरिफिस या संक्रमण)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 6B — गाद-जाल के आकार निर्धारण और तलछट प्रावधान के अंशांकन के लिए तलछट उत्पादन

अध्याय 6 के खंड 6.7.4, 6.7.8, 6.13.3 और 6.13.10 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में छत्तीसगढ़ की शहरी ड्रेनों के लिए भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (sediment yield) होगा, खंड 6.13.3 के गाद-जाल (silt trap) का आकार निर्धारित करने के लिए, और मापी गई गाद गहराइयों के सापेक्ष खंड 6.7.8 के तलछट प्रावधान का अंशांकन होगा। इसके लिए गाद निकालने (desilting) के अभिलेख (ड्रेन की प्रति लंबाई और प्रति जलग्रहण क्षेत्र हटाया गया आयतन या द्रव्यमान, तिथियों सहित), दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले और बाद के गाद-गहराई सर्वेक्षण, और जलग्रहण क्षेत्र के भूमि उपयोग और मिट्टी के आँकड़े आवश्यक हैं (आँकड़े और संभावित स्रोत: नगर पालिक निगम रायपुर और अन्य शहरी स्थानीय निकायों के गाद निकालने के अभिलेख, चैनलों के लिए WRD के अभिलेख, NRSC से भूमि आवरण, छत्तीसगढ़ मृदा सर्वेक्षण और NBSS&LUP से मिट्टी, IMD से वर्षा)। इसके प्रकाशित होने तक प्रत्येक गाद-जाल का आकार निर्धारित सफाइयों के बीच अपेक्षित तलछट के डिजाइनकर्ता द्वारा बताए गए अनुमान से तय करें, जो उसी ड्रेन या उसी स्थानीय निकाय की समान ड्रेनों के गाद निकालने के अभिलेखों पर आधारित हो, और मानी गई सफाई अवधि बताएँ; यह अवधि खंड 6.13.10 की वार्षिक मानसून-पूर्व गाद निकासी से अधिक लंबी नहीं होगी। इनलेट के गाद संप कम से कम 300 mm गहरे रहेंगे (खंड 6.6.7), और खंड 6.7.8 का तलछट प्रावधान बिना परिवर्तन के लागू होगा।

प्रस्तावित विधि एक सरल आयतन संतुलन है, जिसका प्रत्येक पद डिजाइन में बताया जाएगा:

> $V_{trap} = Y \cdot A \cdot t_c$

जहाँ V_{trap} जाल के आउटलेट इनवर्ट के नीचे का तलछट भंडारण आयतन (m^3) है, Y जलग्रहण क्षेत्र के भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के लिए तलछट उत्पादन (m^3/ha प्रति वर्ष, प्रकाशित होने पर तालिका 6B.2 से) है, A जाल की ओर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल (ha) है, और t_c निर्धारित सफाई अवधि (वर्ष) है। परिशिष्ट में बताया जाएगा कि क्या कोई सुरक्षा मार्जिन जोड़ा जाता है।

तालिका 6B.1 — अध्याय 6 द्वारा पहले से निर्धारित तलछट प्रावधान (अनंतिम, अंशांकन किया जाना है)

अवयव	इनवर्ट पर तलछट प्रावधान	खंड
खुली और ढकी ड्रेन	75 mm और स्पष्ट आंतरिक गहराई के 10% में से जो अधिक हो	6.7.8(a)
600 mm या अधिक व्यास के पाइप	आंतरिक व्यास का 5%	6.7.8(b)
600 mm से कम के पाइप	कोई प्रावधान नहीं; खंड 6.7.3(a) का न्यूनतम वेग लागू	6.7.8(c)
ड्रेन और पाइप जो न्यूनतम वेग तक नहीं पहुँच सकते	प्रावधान दोगुना; यांत्रिक गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान	6.7.4(b), (c)
इनलेट के गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे	6.6.7

तालिका 6B.2 — भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (ढाँचा)

भूमि उपयोग या जलग्रहण क्षेत्र का प्रकार	ड्रेन का प्रकार	तलछट उत्पादन Y (m^3/ha प्रति वर्ष)	स्थूल घनत्व (t/m^3)	स्थानीय निकाय और प्रयुक्त अभिलेख	अभिलेख के वर्ष
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 6B.3 — तलछट प्रावधान का अंशांकन (ढाँचा)

ड्रेन या पाइप ID	स्पष्ट आंतरिक गहराई या व्यास (mm)	खंड 6.7.8 के अंतर्गत प्रावधान (mm)	मानसून-पूर्व गाद निकासी से पहले मापी गई गाद गहराई (mm)	मानसून के अंत में मापी गई गाद गहराई (mm)	मापी गई गहराई और प्रावधान का अनुपात
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 6C — मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, निरीक्षण कक्ष, गाद संप सहित इनलेट

अध्याय 6 के खंड 6.6, 6.7.6 से 6.7.10 और 6.13 के लिए, और अध्याय 9 के खंड 9.11 और 9.12 के लिए।

नीचे दी गई ड्रॉइंग योजनाबद्ध मानक ड्रॉइंग हैं। इनमें केवल वे आयाम दिखाए गए हैं जो अध्याय 6 और अध्याय 9 निर्धारित करते हैं। दीवार और स्लैब की मोटाई, सुदृढ़ीकरण (reinforcement), कंक्रीट ग्रेड और कंक्रीट आवरण (cover), कक्षों के प्लान आकार और फ्रेम के विवरण की डिजाइन में पुष्टि की जानी है: ये संरचनात्मक डिजाइन (खंड 9.1.2) और खंड 9.13 के अनावरण वर्ग से आते हैं। तालिका 6C.1 में दिखाए गए आयाम और उनके स्रोत खंड सूचीबद्ध हैं।

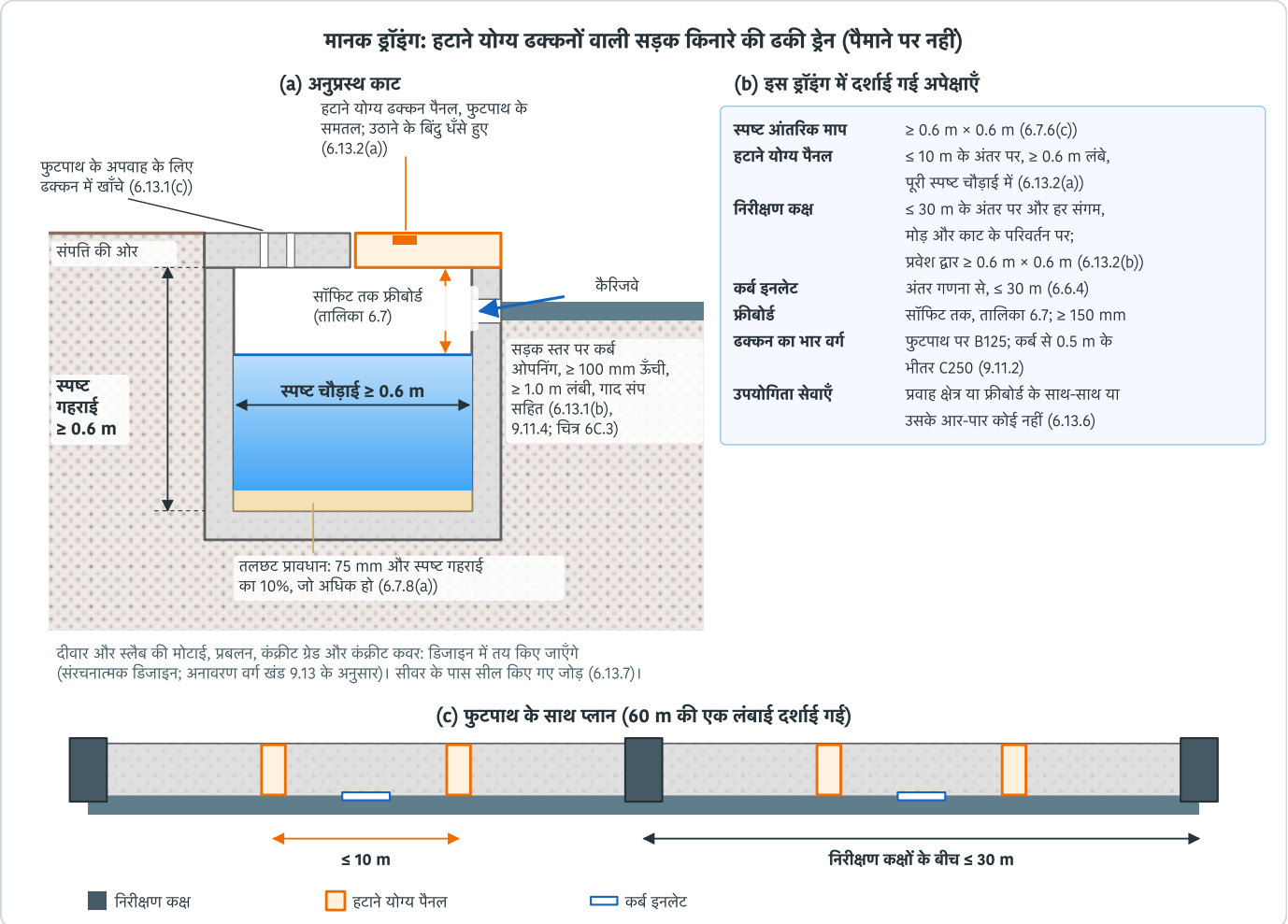

चित्र 6C.1 — मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, सड़क स्तर पर कर्ब इनलेट, फुटपाथ में स्लॉट, सॉफिट तक फ्रीबोर्ड और तलछट प्रावधान, तथा फुटपाथ के साथ ढक्कन पैनलों और निरीक्षण कक्षों का प्लान। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Chapter 5, और IRC:SP:50-2013 से रूपांतरित।

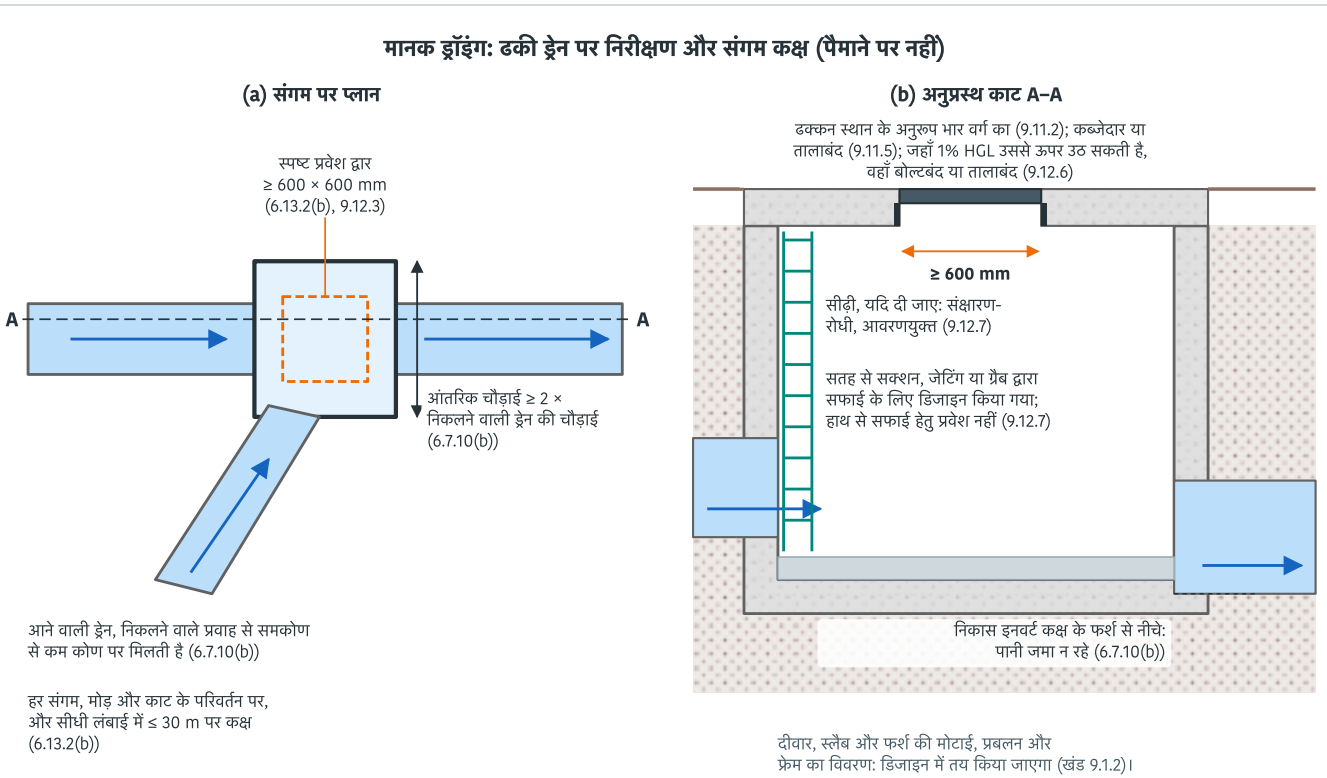

चित्र 6C.2 — मानक ड्रॉइंग: ढकी ड्रेन पर निरीक्षण और संगम कक्ष, स्पष्ट प्रवेश द्वार, संगम की चौड़ाई, आने वाली ड्रेन का प्रवेश कोण, कक्ष के फर्श से नीचे जाने वाला इनवर्ट, और ढक्कन की अपेक्षाओं सहित। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), §5.3.4 और Chapter 11 से रूपांतरित।

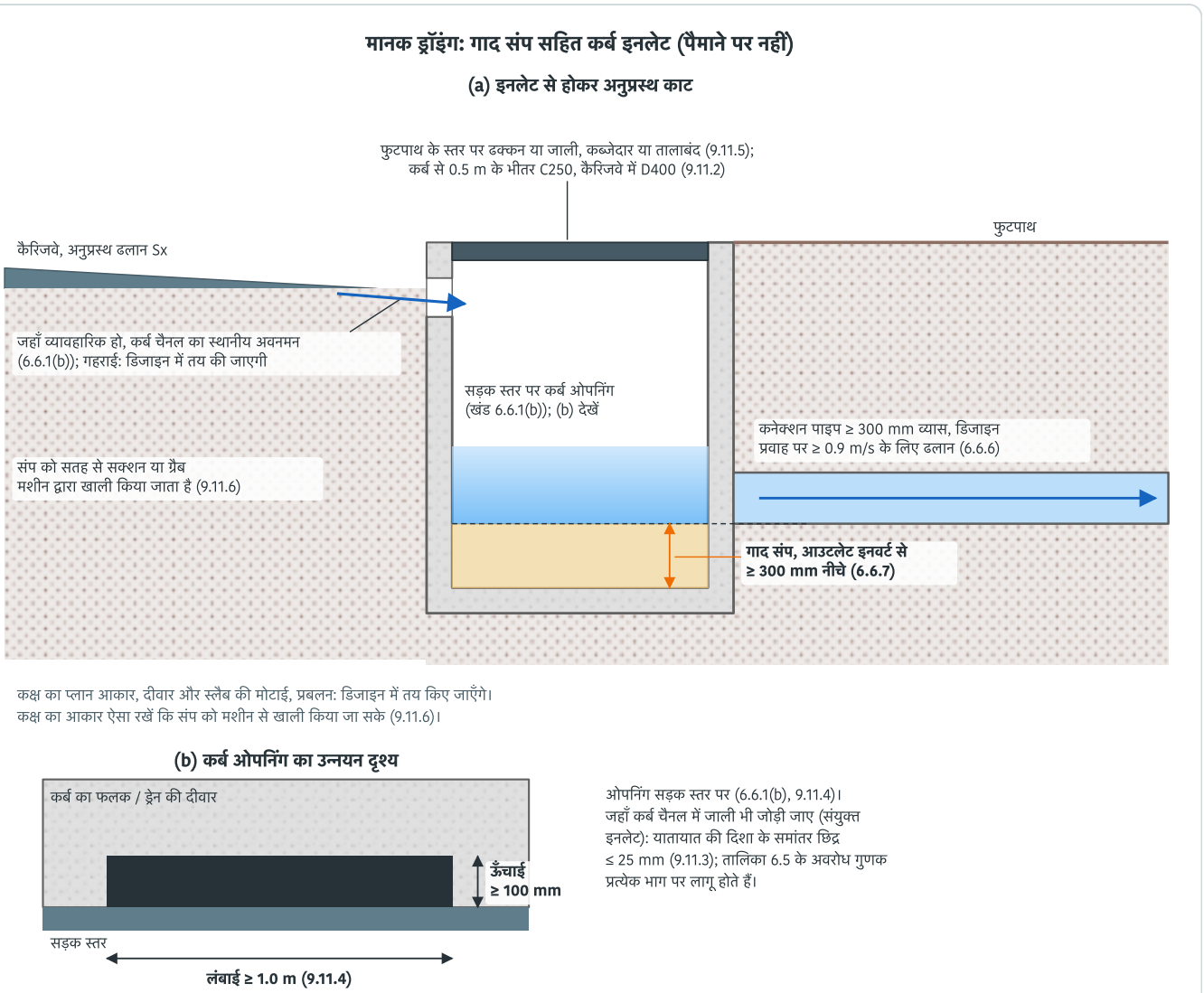

चित्र 6C.3 — मानक ड्रॉइंग: सड़क स्तर पर गाद संप, कनेक्शन पाइप और ढक्कन सहित कर्ब इनलेट, और कर्ब ओपनिंग का उन्नयन (elevation)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Figure 5.9, और FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (4th ed., 2024) से रूपांतरित।

तालिका 6C.1 — मानक ड्रॉइंग पर आयाम और उनके स्रोत खंड

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
6C.1	ढकी सार्वजनिक ड्रेन का स्पष्ट आंतरिक आकार	कम से कम 0.6 m चौड़ी और 0.6 m गहरी	6.7.6(c)
6C.1	ढक्कन के सॉफिट तक फ्रीबोर्ड	तालिका 6.7; किसी भी सड़क किनारे की ड्रेन के लिए 150 mm से कम नहीं	6.7.9, 6.13.1(a)
6C.1	तलछट प्रावधान	75 mm और स्पष्ट गहराई के 10% में से जो अधिक हो	6.7.8(a)
6C.1	हटाने योग्य ढक्कन पैनल	केंद्र से केंद्र 10 m से अधिक नहीं; प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई को ढकने वाला; धँसे हुए उठाने के बिंदु; फुटपाथ के समतल	6.13.2(a)
6C.1	फुटपाथ का अपवाह	ढक्कन में स्लॉट या जालीदार ओपनिंग के माध्यम से	6.13.1(c)

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
6C.1	कर्ब इनलेट	ड्रेन की दीवार में सड़क स्तर पर ओपनिंग, प्रत्येक में गाद संप; दूरी गणना द्वारा, 30 m से अधिक नहीं	6.13.1(b), 6.6.4
6C.1, 6C.2	निरीक्षण कक्ष	प्रत्येक संगम, मोड़ और खंड-परिवर्तन पर, और सीधे खंडों पर केंद्र से केंद्र 30 m से अधिक नहीं	6.13.2(b)
6C.2	स्पष्ट प्रवेश द्वार	कम से कम 0.6 m × 0.6 m (600 mm)	6.13.2(b), 9.12.3
6C.2	संगम कक्ष	आंतरिक चौड़ाई बाहर जाने वाली ड्रेन की चौड़ाई से कम से कम दोगुनी; आने वाली ड्रेन समकोण से कम कोण पर; बाहर जाने वाला इनवर्ट कक्ष के फर्श से नीचे	6.7.10(b)
6C.2	ढक्कन	स्थान के अनुसार भार वर्ग; कब्जेदार या ताला-बंद; जहाँ 1% AEP HGL ढक्कन से ऊपर उठ सकती है वहाँ बोल्ट से कसे या ताला-बंद	9.11.2, 9.11.5, 9.12.6
6C.2	सफाई	सतह से मशीन द्वारा; सीढ़ियाँ, जहाँ लगाई जाएँ, संक्षारण-रोधी और आवरणयुक्त	9.12.7
6C.3	कर्ब ओपनिंग	सड़क स्तर पर; स्पष्ट ऊँचाई कम से कम 100 mm; लंबाई कम से कम 1.0 m	6.6.1(b), 9.11.4
6C.3	गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे; सक्शन या ग्रैब मशीन से खाली किया जाए	6.6.7, 9.11.6
6C.3	कनेक्शन पाइप	कम से कम 300 mm व्यास; डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s	6.6.6
6C.3	संयुक्त इनलेट में जाली	यातायात के समानांतर ओपनिंग 25 mm से अधिक चौड़ी नहीं; प्रत्येक भाग पर तालिका 6.5 का अवरोध	9.11.3, 6.6.3
सभी	दीवार और स्लैब की मोटाई, सुदृढ़ीकरण, कंक्रीट ग्रेड और कंक्रीट आवरण, कक्ष का प्लान आकार, कर्ब चैनल अवनमन की गहराई	डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.1.2, 9.13

प्रपत्र 6-1 — वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 6 के खंड 6.15 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सांविधिक उपयोग के लिए नहीं।

इस जाँच-सूची को वहन डिजाइन रिपोर्ट के आरंभ में संलग्न करें। प्रत्येक मद के लिए हाँ, नहीं या लागू नहीं लिखें, और वह ड्रॉइंग या पृष्ठ लिखें जहाँ वह दिखाया गया है।

भाग A — परियोजना

तालिका 6F.1 — प्रपत्र 6-1, भाग A: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
परियोजना का नाम और स्थान	_____
स्थानीय निकाय, और टियर A या टियर B (अध्याय 1)	_____
आवेदक	_____
डिजाइनकर्ता (नाम और पंजीकरण)	_____
सेवित कुल जलग्रहण क्षेत्र (ha)	_____
10% AEP लघु प्रणाली के लिए उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति (खंड 6.4.4)	_____
खंड 6.11.6 की तटीय पट्टी के भीतर (हाँ / नहीं)	_____
तिथि और संशोधन	_____

भाग B — खंड 6.15 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

तालिका 6F.2 — प्रपत्र 6-1, भाग B: खंड 6.15 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

क्र.	मद	खंड	प्रस्तुत (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
1	जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा: उप-जलग्रहण क्षेत्र, लघु प्रणाली, इनलेट के स्थान और 1% AEP प्रमुख प्रणाली के सतही प्रवाह मार्ग	6.3.2		
2	प्रत्येक अवयव के लिए लिया गया भूमि-उपयोग और सड़क-वर्ग AEP, और उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति	तालिका 6.1, 6.4.4		
3	अध्याय 2 के वर्षा पत्रक और अध्याय 3 की विधि सहित डिजाइन प्रवाह	6.3.4		
4	लघु, जाँच और 1% घटनाओं के लिए कर्ब चैनल फैलाव, गहराई और D·V की जाँच	तालिका 6.2, 6.3		
5	इनलेट अनुसूची: स्वच्छ क्षमता, अवरोध गुणक, डिजाइन क्षमता और बाईपास प्रवाह	6.6		
6	पाइप और ड्रेन डिजाइन तालिकाएँ: n, वेग, तलछट प्रावधान और फ्रीबोर्ड	6.7		

क्र.	मद	खंड	प्रस्तुत (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
7	लघु और जाँच घटनाओं के लिए HGL प्रोफाइल, प्रयुक्त टेलवाटर सहित	6.8		
8	निचले बिंदुओं पर जल रुकने के स्तर, पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित	6.10		
9	प्रत्येक भवन के लिए फर्श-स्तर अनुसूची	6.11		
10	पुलिया और क्रॉसिंग की गणनाएँ (प्रपत्र 9-1 सहित)	6.12, अध्याय 9		
11	उपयोगिता-क्रॉसिंग अनुसूची और ढकी ड्रेन के लिए प्रवेश द्वारों का लेआउट	6.13		

भाग C — डिजाइन आधार

तालिका 6F.3 — प्रपत्र 6-1, भाग C: डिजाइन आधार

क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
लिया गया लघु प्रणाली डिजाइन AEP	_____	तालिका 6.1
सड़क वर्ग और सड़क जल निकासी तथा क्रॉसिंग के लिए डिजाइन / जाँच AEP	_____	तालिका 6.1, 6.4.2
वर्षा का स्रोत और लगाया गया जलवायु गुणक	_____	6.3.4, अध्याय 2
विधि: रेशनल विधि (जलग्रहण क्षेत्र ≤ 16 ha, एकल अवयव) या रूटिंग सहित हाइड्रोग्राफ विधि	_____	6.3.4(a), (b)
प्रयुक्त न्यूनतम सांद्रण समय (10 मिनट से कम नहीं)	_____	6.3.4(c)
HGL के लिए आउटफॉल पर टेलवाटर (ज्वारीय आउटफॉल पर MHWS + 0.3 m, या प्राप्तकर्ता का स्तर)	_____	6.8.2
प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों के बीच प्रवाह का कोई स्थानांतरण (6.3.5 के अंतर्गत स्वीकार किए जाने के सिवाय कोई नहीं)	_____	6.3.5

भाग D — अनुपालन जाँचें

तालिका 6F.4 — प्रपत्र 6-1, भाग D: अनुपालन जाँचें

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D1	प्रत्येक इनलेट, निचले बिंदु, पाइप, ड्रेन, पुलिया और भंडारण अवयव का 1% AEP सतही मार्ग है	नक्शे पर दर्शाया गया	6.3.2	
D2	प्रमुख प्रणाली का प्रवाह = 1% AEP चरम प्रवाह घटा अवरोध के बाद लघु प्रणाली की क्षमता	प्रत्येक बिंदु पर परिकलित	6.3.3	
D3	लघु घटना में फैलाव	तालिका 6.2	6.5.2	
D4	जाँच और 1% घटनाओं में गहराई	सड़क के शीर्ष पर ≤ 150 mm; सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm	तालिका 6.2	
D5	स्थान के अनुसार प्रवाह जोखिम (D·V)	तालिका 6.3	6.5.3	
D6	इनलेट अवरोध गुणक लगाए गए	तालिका 6.5	6.6.3	
D7	कर्बयुक्त सड़कों पर इनलेट की दूरी	≤ 30 m	6.6.4(a)	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D8	निचले बिंदु के इनलेट की डिजाइन क्षमता ≥ पहुँचने वाला लघु डिजाइन प्रवाह; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ पार्श्व इनलेट	—	6.6.5	
D9	इनलेट कनेक्शन पाइप और गाद संप	≥ 300 mm व्यास, ≥ 0.9 m/s; संप ≥ 300 mm	6.6.6, 6.6.7	
D10	मैनिंग n न्यूनतम डिजाइन मानों से कम नहीं	तालिका 6.6	6.7.2	
D11	लघु डिजाइन प्रवाह पर न्यूनतम वेग	ड्रेन 0.6 m/s; पाइप 0.9 m/s	6.7.3(a)	
D12	अधिकतम वेग और फ्रूड संख्या	पक्की ड्रेन और पाइप 3.0 m/s; Fr ≤ 0.8	6.7.3(b), (d)	
D13	जहाँ न्यूनतम वेग प्राप्त न हो सके: वेग दर्ज, तलछट प्रावधान दोगुना, गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान	—	6.7.4	
D14	पाइप का आकार पूर्ण-भरे पाइप की क्षमता के लिए, 0.95-गहराई के चरम के लिए नहीं	—	6.7.5	
D15	न्यूनतम आकार	पाइप 300 mm (सार्वजनिक मुख्य पाइप 450 mm); खुली ड्रेन का तल 0.3 m; ढकी सार्वजनिक ड्रेन 0.6 m × 0.6 m	6.7.6	
D16	पाइप के ऊपर मिट्टी का आवरण; जहाँ भूजल पाइप के शीर्ष से 1 m के भीतर हो वहाँ उत्प्लावन जाँच	≥ 0.6 m; कैरिजवे के नीचे ≥ 0.9 m	6.7.7	
D17	क्षमता में तलछट प्रावधान	6.7.8 के मान	6.7.8	
D18	फ्रीबोर्ड, मोड़ों पर अधि-उन्नयन सहित	तालिका 6.7	6.7.9	
D19	मोड़ों की त्रिज्या और संगम संप	6.7.10	6.7.10	
D20	सीधे खंडों पर मैनहोल की दूरी	तालिका 6.8	6.7.11	
D21	लघु घटना में HGL इनलेट रिम और मैनहोल ढक्कन से नीचे	≥ 0.3 m	6.8.3	
D22	भूमि से ऊपर सरचार्ज हो सकने वाले मैनहोल: बोल्ट से कसे या ताला-बंद ढक्कन	—	6.8.4	
D23	सॉफिट मिलाए गए या बाहर जाने वाला सॉफिट नीचे; बाहर जाने वाला इनवर्ट सबसे निचले आने वाले इनवर्ट से ऊपर नहीं	—	6.8.6	
D24	गेट और वाल्व की हानियाँ HGL में सम्मिलित; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ निजी कनेक्शनों पर नॉन-रिटर्न वाल्व	—	6.8.7, 6.8.8	
D25	सड़कों से बाहर सतही प्रवाह मार्ग: चौड़ाई, स्वामित्व, कोई बाधा नहीं, सतत ढलान	≥ 1% शीर्ष चौड़ाई + प्रत्येक ओर 0.5 m, ≥ 3.0 m	6.9.2	
D26	मानचित्रित प्रवाह मार्गों के आर-पार चारदीवारी: ओपनिंग 50% अवरोध पर 1% प्रवाह पारित करें	—	6.9.3	
D27	≥ 2 m शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन के साथ पहुँच पट्टी	≥ 3.5 m, ≤ 500 m पर सड़क से जुड़ी	6.9.4	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D28	जहाँ अपेक्षित हो वहाँ जल निकासी आरक्षित पट्टी: चौड़ाई, अलग भूखंड, कोई संरचना नहीं, चिह्नक, सेवाएँ, 2 m स्थिरता जाँच	तालिका 6.9	6.9.6–6.9.8	
D29	1% घटना में निचले बिंदु पर जल का रुकना, अतिप्रवाह मार्ग, और पूर्ण-अवरुद्ध जाँच	सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm	6.10.2, 6.10.3	
D30	बंद निचले बिंदु और सड़क अंडरपास	6.10.4, 6.10.5	6.10.4, 6.10.5	
D31	फर्श स्तर	≥ 1% AEP स्तर + 0.5 m; जहाँ कोई स्तर परिकलित न हो वहाँ 6.11.3 के डिफॉल्ट	6.11.1–6.11.3	
D32	बेसमेंट और भवन सेवाएँ	6.11.4, 6.11.5	6.11.4, 6.11.5	
D33	तटीय पट्टी: फर्श ≥ 1% स्थिर जल स्तर + 2 × SLA (+ जहाँ लागू हो लहर उत्थान) + 0.5 m; बेसमेंट में कोई कक्ष या संयंत्र नहीं	—	6.11.6	
D34	पुलिया: डिजाइन AEP, ऊपर से बहना, 50% / 20% अवरोध जाँच, न्यूनतम आकार	≥ 900 mm	6.12	
D35	ढकी ड्रेन: हटाने योग्य पैनल और निरीक्षण कक्ष	≤ 10 m; ≤ 30 m	6.13.1, 6.13.2	
D36	गाद-जाल, बाईपास सहित जाली और 50% अवरोध जाँच	—	6.13.3, 6.13.4	
D37	ड्रेन के ऊपर कोई भवन नहीं; प्रवाह क्षेत्र या फ्रीबोर्ड में कोई उपयोगिता सेवा नहीं; विद्यमान क्रॉसिंग 50% अवरोध सहित घटाई गईं	—	6.13.5, 6.13.6	
D38	कोई सीवेज कनेक्शन नहीं; सीवर के पास सीलबंद जोड़; 1.0 m से अधिक गहरी खुली ड्रेन पर किनारा सुरक्षा	—	6.13.7, 6.13.8	
D39	आउटफॉल: टेलवाटर, 1% स्थिर जल स्तर से नीचे फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व, आउटलेट सुरक्षा	—	6.14	

भाग E — विचलन

तालिका 6F.5 — प्रपत्र 6-1, भाग E: विचलन

खंड	पूरी न की गई अपेक्षा	कारण और प्रस्तावित विकल्प	अनुमोदनकर्ता और तिथि
_____	_____	_____	_____

भाग F — हस्ताक्षर

रिपोर्ट एक पंजीकृत पेशेवर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाएगी, और पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न किया जाएगा (अध्याय 10 के खंड 10.6.1 और 10.6.3)। जहाँ कोई संरचना जल निकासी आरक्षित पट्टी के किनारे से 2 m के भीतर स्थित हो, वहाँ स्थिरता डिजाइन पर एक योग्य संरचनात्मक अभियंता के हस्ताक्षर भी होंगे (खंड 6.9.8(f))।

तालिका 6F.6 — प्रपत्र 6-1, भाग F: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या	हस्ताक्षर	तिथि
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____	_____
संरचनात्मक अभियंता (खंड 6.9.8(f), जहाँ लागू हो)	_____	_____	_____	_____

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

अध्याय 7 के परिशिष्ट

जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक

ये परिशिष्ट अध्याय 7 के लिए हैं। इनमें सूची के क्षेत्रों का विनिर्देश, नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका, प्रचालन नियम का एक टेम्पलेट, गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश, जलाशयों और मिट्टी के हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्दों की शब्दावली, और वे तीन प्रपत्र दिए गए हैं जिनकी अपेक्षा खंड 7.15 करता है। जहाँ कोई परिशिष्ट अभी पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ वह यह बताता है और तब तक उपयोग किया जाने वाला नियम देता है। प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं; टेम्पलेट और आदर्श पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु हैं और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 7A — राज्यव्यापी जलाशय GIS परत और सूची के क्षेत्र

अध्याय 7 के खंड 7.3.1, 7.3.3 और 7.3.5 के लिए।

तैयार किया जाना है। इस परिशिष्ट में खंड 7.3.1 द्वारा अपेक्षित जलाशयों की राज्यव्यापी GIS परत होगी, जिसे प्रत्येक प्राधिकारी WRD और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ तैयार करेगा। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है: राजस्व विभाग के राजस्व अभिलेख (खसरा (khasra)) और गाँव के मानचित्र, जिनमें तालाब (talab), डबरियाँ (dabri), नाले और जल से ढकी भूमि अभिलिखित हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित तालाब और धारा 237 के अंतर्गत निस्तार (nistar) के लिए पृथक रखी गई भूमि, और "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body") वह भूमि सम्मिलित है जिसके अप्राधिकृत कब्जे के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है (जैसे बलौदा में, NGT O.A. 78/2024); छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत किसी नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय में निहित सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग; 1973 के अधिनियम के अंतर्गत किसी विकास योजना में दर्शाए गए जलाशय, नदियाँ और नाले, जैसे रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021, नया रायपुर विकास योजना-2031 और अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033, और T&CP की स्थल रिपोर्टों और चेकलिस्टों (2011) में अभिलिखित जलभराव क्षेत्र, नाले और नालों के लिए छोड़े गए क्षेत्र, WRD द्वारा दिए गए उच्च बाढ़ बिंदुओं सहित; रामसर अभिसमय के अंतर्गत नामित कोपरा जलाशय की, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किसी आर्द्रभूमि की, और उन तालाबों और आर्द्रभूमियों की सीमा जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, उसके द्वारा 8 मई 2023 को निर्देशित रायपुर जिले के जलाशयों के सर्वेक्षण सहित; खदान पट्टाधारियों की खनन योजनाएँ और खदान बंद करने की योजनाएँ, जो खदान के गड्ढे, खदान झीलें, अवसादन तालाब और गारलैंड ड्रेनें दर्शाती हैं; और बिजली संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध के लेआउट; FTL और MWL के साथ WRD और ग्राम पंचायत के तालाब रजिस्टर; एक साझा डेटम पर सर्वेक्षित स्तर; ISRO की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (NRSC); भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्र; और न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत प्रकाशित जलाशयों की कोई सूची। इसके प्रकाशित होने तक, प्रत्येक आवेदक खंड 7.3.3 के सभी स्रोतों से जलाशयों की पहचान करता है, जिसमें बड़ा विस्तार लागू होता है, और उन्हें जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर अभिलिखित करता है।

नीचे दिया गया क्षेत्र-विनिर्देश पूर्ण है। इसे इस प्रकार लिखा गया है कि अध्याय जिस भी क्षेत्र की अपेक्षा करता है (खंड 7.3.1(a) से (g)) उसका एक परिभाषित नाम, प्रकार और स्रोत हो, और वही क्षेत्र किसी परियोजना के प्रपत्र 7-1 से भरे जा सकें।

7A.1 परतें

- **WB_POLY** — प्रत्येक जलाशय के लिए एक बहुभुज: राजस्व अभिलेख की सीमा (खंड 7.3.1(c))।
- **WB_FTL** — सर्वेक्षित FTL समोच्च रेखा (तालाब, झीलें, पोखर) या किनारे का शीर्ष (चैनल), बहुभुज या रेखा के रूप में।
- **WB_MWL** — प्रत्येक तालाब की MWL समोच्च रेखा, बहुभुज के रूप में।
- **WB_FLOOD** — जहाँ मानचित्रित हो, 1% AEP बाढ़ का विस्तार (खंड 7.3.1(f)), जहाँ निर्धारित हो वहाँ बाढ़ मार्ग सहित (खंड 7.6.1)।
- **WB_STRUCT** — सरप्लस वियरों, स्लूइसों, रेगुलेटरों, इनलेटों और ड्रेन आउटफॉलों के बिंदु।
- **WB_LINK** — आपूर्ति चैनलों, अतिरिक्त जल मार्गों और किसी शृंखला में तालाबों के बीच के संपर्कों की रेखाएँ (खंड 7.3.1(e))।
- **WB_ENCR** — ज्ञात अतिक्रमणों के बहुभुज, प्रत्येक अभिलिखित करने की तिथि सहित (खंड 7.3.1(g))।
- **WB_SETBACK** — जोन 1 और जोन 2 के बहुभुज (खंड 7.4), ऊपर की परतों से व्युत्पन्न।

सभी परतों में जलाशय पहचानकर्ता (WB_ID) होगा ताकि उन्हें जोड़ा जा सके। सभी स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे (खंड 7.3.5), जिसका नाम परत के मेटाडेटा में दिया जाएगा।

तालिका 7A.1 — जलाशय सूची के गुण क्षेत्र (WB_POLY)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई / डोमेन	अनिवार्य	विषय-वस्तु	खंड
WB_ID	पाठ	जिला कोड + क्रम संख्या	हाँ	अद्वितीय पहचानकर्ता, कभी दोबारा उपयोग नहीं	7.3.1
WB_NAME	पाठ	—	हाँ	राजस्व और WRD अभिलेखों के अनुसार नाम, स्थानीय नाम सहित	7.3.1(a)
WB_NAME_HI	पाठ	देवनागरी लिपि	हाँ	हिन्दी में नाम	7.3.1(a)
WB_TYPE	कोड	तालिका 7A.2	हाँ	जलाशय का प्रकार	7.2, 7.3.1(a)
SURVEY_NOS	पाठ	गाँव, सर्वे और उप-विभाजन संख्याएँ	हाँ	जलाशय की राजस्व सर्वे संख्याएँ	7.3.1(a)
VILLAGE	पाठ	—	हाँ	राजस्व गाँव, तहसील और जिला	7.3.1(a)
CUSTODIAN	कोड	तालिका 7A.2	हाँ	अभिरक्षक निकाय	7.3.1(b)
AREA_REC	संख्या	ha	हाँ	राजस्व अभिलेख सीमा के भीतर का क्षेत्रफल	7.3.1(c)
AREA_FTL	संख्या	ha	तालाब	FTL पर जल-फैलाव क्षेत्र, सर्वेक्षित	7.2, 7.3.1(d)
FTL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	तालाब का पूर्ण जल स्तर	7.3.1(d)
MWL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	अधिकतम जल स्तर (खंड 7.2 की परिभाषा)	7.3.1(d)
MWL_BASIS	कोड	WRD का अभिलेख / परिकलित 1% AEP	तालाब	MWL के लिए कौन-सा मान लागू है	7.2
TBL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	बाँध का शीर्ष स्तर, सबसे निचला बिंदु	7.3.1(d)
WEIR_CREST	संख्या	m (डेटम)	तालाब	सरप्लस वियर का शिखर स्तर	7.3.1(d)
WEIR_LEN	संख्या	m	तालाब	सरप्लस वियर के शिखर की लंबाई	7.3.1(d)
WEIR_TYPE	पाठ	—	तालाब	सरप्लस वियर का प्रकार (उदाहरण के लिए नियत शिखर, शटर या फॉलिंग बोर्ड सहित)	7.3.1(d)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई / डोमेन	अनिवार्य	विषय-वस्तु	खंड
SLUICE_N	पूर्णांक	—	तालाब	स्लूइसों की संख्या; विवरण WB_STRUCT में	7.3.1(d)
SUPPLY_CH	पाठ	WB_ID(s)	तालाब	तालाब को पानी देने वाले आपूर्ति चैनल	7.3.1(d)
SURPLUS_CS	पाठ	WB_ID(s)	तालाब	तालाब से निकलने वाले अतिरिक्त जल मार्ग	7.3.1(d)
UPSTR_WB	पाठ	WB_ID(s)	शृंखलाएँ	शृंखला में प्रतिप्रवाह के तालाब	7.3.1(e)
DNSTR_WB	पाठ	WB_ID	शृंखलाएँ	अनुप्रवाह का तालाब, नदी, ड्रेन या समुद्री आउटफॉल	7.3.1(e)
CATCH_AREA	संख्या	ha	चैनल	भाग (reach) के अनुप्रवाह छोर पर जल निकासी क्षेत्र (खंड 7.4.1(b) और तालिका 7.1 के 8 ha प्रारंभक मान के लिए)	7.4.1
DATUM	पाठ	—	हाँ	सभी स्तरों का डेटम; WRD के किसी पुराने डेटम से रूपांतरण	7.3.5
LEVEL_DATE	तिथि	—	तालाब	स्तर सर्वेक्षण की तिथि	7.7.1(a)
SSC_DATE	तिथि	—	तालाब	नवीनतम जल स्तर–भंडारण सर्वेक्षण की तिथि	7.7.1(b)
FLOOD_SRC	कोड	अंगीकृत मानचित्र / साइट अध्ययन / कोई नहीं	हाँ	1% AEP विस्तार का स्रोत	7.3.4
FLOODWAY	कोड	निर्धारित / संपूर्ण 1% विस्तार / MWL से नीचे	हाँ	बाढ़ मार्ग का आधार	7.6.1
ENCR_KNOWN	कोड	हाँ / नहीं	हाँ	ज्ञात अतिक्रमण; विवरण WB_ENCR में	7.3.1(g)
CREDITED	कोड	हाँ / नहीं	तालाब	खंड 7.7 के अंतर्गत गिना गया भंडारण, योजना के संदर्भ सहित	7.7.1
WETLAND	कोड	अधिसूचित / सूचीबद्ध / अन्य	आर्द्रभूमियाँ	खंड 7.12.1 के अंतर्गत स्थिति	7.12.1
SOURCES	पाठ	—	हाँ	प्रयुक्त स्रोत, खंड 7.3.3(a) से (e) की सूची में से	7.3.3
UPDATED	तिथि	—	हाँ	अंतिम संपादन की तिथि, और किसके द्वारा	7.3.1

तालिका 7A.2 — कोड सूचियाँ

कोड सूची	मान	खंड
WB_TYPE	नदी; प्राकृतिक ड्रेन या नाला (नरवा); नहर; जलाशय (reservoir; jalashay) या बैराज का जलाशय; झील; तालाब या पोखर; बाँध (bandh); डबरी (खोदा गया छोटा तालाब); कुंड; दलदल या निचली गीली भूमि; डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि या गर्त; खदान का गड्ढा या खदान झील; ऐश पॉन्ड; परित्यक्त खदान या मिट्टी निकालने का गड्ढा; आपूर्ति चैनल; अतिरिक्त जल मार्ग	7.2
CUSTODIAN	नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत (यथा-अनुकूलित नगरपालिका अधिनियम); NRDA (नवा रायपुर अटल नगर); RDA, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या विकासकर्ता (हस्तांतरित होने तक); भिलाई इस्पात संयंत्र (टाउनशिप); WRD (संभाग); कलेक्टर या तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार (भू-राजस्व संहिता की धारा 237, 251); ग्राम पंचायत; खदान का पट्टाधारी (SECL या अन्य; DGMS); बिजली कंपनी (NTPC, CSPGCL, BALCO या अन्य; ऐश पॉन्ड); छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (आर्द्रभूमि) या WRD (कोपरा रामसर स्थल); निजी स्वामी; अन्य (नाम)	7.3.1(b)
संरचना (WB_STRUCT)	सरप्लस वियर; स्लूइस; रेगुलेटर; इनलेट; ड्रेन आउटफॉल; स्थूल प्रदूषक जाल; क्रॉसिंग	7.3.1(d), 7.10
अतिक्रमण (WB_ENCR)	भवन; भराई; सड़क; दीवार; कचरा डालना; खेती; अन्य — प्रत्येक अभिलिखित करने की तिथि, क्षेत्रफल (m^2) और स्रोत सहित	7.3.1(g), 7.13

तालिका 7A.3 — संरचनाओं के गुण क्षेत्र (WB_STRUCT)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	विषय-वस्तु	खंड
STR_ID	पाठ	—	अद्वितीय पहचानकर्ता	7.3.1(d)
WB_ID	पाठ	—	सेवित जलाशय	7.3.1(d)
STR_TYPE	कोड	तालिका 7A.2	संरचना का प्रकार	7.3.1(d)
CREST_SILL	संख्या	m (डेटम)	वियर का शिखर या स्लूइस का सिल स्तर	7.7.1(a)
LENGTH_SIZE	पाठ	m	वियर के शिखर की लंबाई, या स्लूइस के खुले भाग का आकार	7.7.1(a)
GATED	कोड	हाँ / नहीं	नियंत्रणीय आउटलेट (बाढ़ कुशन के लिए आवश्यक, खंड 7.8.2(a))	7.8.2
CONDITION	कोड	सेवा योग्य / दोषपूर्ण	नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण का परिणाम, तिथि सहित	7.7.1(d), 7.14.4

परिशिष्ट 7B — नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका (विकल्प S-3, परिशिष्ट 1C के साथ)

अध्याय 7 के खंड 7.3.4, 7.4.3, 7.4.6 और 7.4.7 के लिए, और नीति अनुपूरक (परिशिष्ट 1C) के विकल्प S-3 के लिए।

7B.1 तालिका का उपयोग कब किया जा सकता है

नियत-चौड़ाई सेटबैक का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ निम्नलिखित सभी लागू हों:

- (a) प्राधिकारी ने जलाशय के लिए 1% AEP बाढ़ विस्तार मानचित्र अंगीकार नहीं किया है (खंड 7.3.4);
- (b) खंड 7.3.4 आवेदक से हाइड्रोलिक अध्ययन द्वारा 1% AEP विस्तार निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करता: साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में नहीं है, किसी जलाशय से सटी 1 ha या अधिक की साइट नहीं है, और प्राधिकारी ने अध्ययन की माँग नहीं की है; और
- (c) जलाशय ऐसा है जिस पर सेटबैक लागू होते हैं (खंड 7.4.1): कोई भी अभिलिखित या पाया गया जलाशय, और साइट पर 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला कोई भी प्राकृतिक चैनल।

जहाँ कोई प्राधिकारी खंड 1.7 के अंतर्गत विकल्प S-3 अंगीकार करता है, वहाँ नीचे की तालिका S-3 तालिका है। खंड 1.7.3(e) S-3 तालिका को राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान करता है। इसके जारी होने तक, मान खंड 7.4.6 के हैं, जिन्हें यहाँ बिना परिवर्तन दोहराया गया है।

तालिका 7B.1 — जलाशय वर्ग के अनुसार नियत-चौड़ाई सेटबैक (विकल्प S-3)

जलाशय वर्ग	साइट पर जल निकासी क्षेत्र	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1	कहाँ से मापा जाए
चैनल, छोटा	8 ha से 65 ha	25 m	15 m	किनारे का शीर्ष (खंड 7.4.3)
चैनल, मध्यम	65 ha से 20 km²	40 m	15 m	किनारे का शीर्ष
चैनल, बड़ा, और नदियाँ	20 km² से अधिक	50 m	20 m	किनारे का शीर्ष
तालाब, झील या पोखर	कोई भी	MWL समोच्च रेखा + 25 m	MWL समोच्च रेखा तक, और FTL से 15 m से कम नहीं	FTL समोच्च रेखा (जोन 1); MWL समोच्च रेखा (कुल)

जलाशय वर्ग	साइट पर जल निकासी क्षेत्र	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1	कहाँ से मापा जाए
दलदल, ज्वारनदमुख या पश्चजल	कोई भी	जैसा प्राधिकारी अधिसूचित करे, और 50 m से कम नहीं	15 m	खंड 7.13.1 की जलाशय सीमा

मान खंड 7.4.6 (तालिका 7.1) से। जोन 2 कुल सेटबैक में से जोन 1 घटाकर है।

7B.2 लागू करने के नियम

- (a) **मापन.** नक्शे पर क्षैतिज रूप से, खंड 7.13.1 की सीमा से बाहर की ओर मापें: राजस्व अभिलेख सीमा और सर्वेक्षित FTL (या किनारे का शीर्ष) में से जो बड़ा हो। जहाँ FTL और किनारे का शीर्ष दोनों लागू हों, वहाँ जिससे अधिक चौड़ा जोन बने उसका उपयोग करें (खंड 7.4.3)।
- (b) **जल निकासी क्षेत्र.** किसी चैनल के लिए, साइट से सटे भाग (reach) के अनुप्रवाह छोर पर जल निकासी क्षेत्र का उपयोग करें। जहाँ कोई भाग साइट के भीतर किसी वर्ग-सीमा को पार करता है, वहाँ साइट के भीतर के पूरे भाग पर अधिक चौड़ा सेटबैक लागू करें।
- (c) **दोनों किनारे.** सेटबैक किसी चैनल के प्रत्येक किनारे पर और किसी तालाब, झील, पोखर या दलदल के चारों ओर लागू होता है।
- (d) **इस मैनुअल द्वारा निर्धारित न्यूनतम.** जोन 1 कभी 15 m से कम नहीं होता (खंड 7.4.7)। अधिक चौड़ा सांविधिक या अनुमोदन सेटबैक उन उपयोगों के लिए लागू होता है जिन्हें वह प्रतिबंधित करता है (खंड 7.4.5)।
- (e) **दोनों में से अधिक कठोर.** जहाँ स्वेच्छा से हाइड्रोलिक अध्ययन किया जाता है, वहाँ सेटबैक तालिका 7B.1 और खंड 7.4.3 तथा 7.4.4 में से अधिक चौड़ा होता है।
- (f) **अभिलेख.** सेटबैक का आधार (नियत चौड़ाई) जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर और अनुमोदन में बताया जाएगा (खंड 7.4, प्रकटन)।
- (g) **समीक्षा.** प्राधिकारी द्वारा 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार किए जाने के 2 वर्ष के भीतर तालिका की समीक्षा की जाएगी (खंड 7.16.1)।

7B.3 चैनल चौड़ाइयों का स्रोत

चैनल चौड़ाइयाँ इस मैनुअल द्वारा 2006 के कैनसस सिटी APWA के डिफॉल्ट धारा बफरों के संदर्भ में निर्धारित की गईं, ऊपर की ओर पूर्णांकित की गईं और 15 m के न्यूनतम पर सीमित की गईं (खंड 7.4.6, भाष्य)। अध्याय में उद्धृत स्रोत मान ये हैं:

तालिका 7B.2 — खंड 7.4.6 में उद्धृत स्रोत बफर (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)

जल निकासी क्षेत्र (स्रोत, एकड़)	लगभग SI समतुल्य	स्रोत बफर
40 ac से कम	16 ha से कम	40 ft (12 m)
40–160 ac	16–65 ha	60 ft (18 m)
160–5,000 ac	65 ha – 20 km²	100 ft (30 m)
5,000 ac से अधिक	20 km² से अधिक	120 ft (37 m)

तालिका 7B.1 में 65 ha और 20 km² की वर्ग-सीमाएँ 160 ac और 5,000 ac के SI समतुल्य हैं। 8 ha की निचली सीमा APWA 2025.01 का 20 एकड़ का प्रारंभक मान है (खंड 7.4.1(b))।

परिशिष्ट 7C — तालाब प्रचालन नियम का टेम्पलेट, बाढ़ कुशन सहित

अध्याय 7 के खंड 7.7.1(c), 7.7.3, 7.8 और 7.14.4 के लिए।

सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं. WRD के नियंत्रण वाले तालाबों के लिए, प्रचालन नियम WRD का नियम है (खंड 7.8.4); यह टेम्पलेट वह विषय-वस्तु बताता है जिसकी अपेक्षा खंड 7.8 करता है, ताकि अभिरक्षक के नियम की इससे जाँच की जा सके। वर्गाकार कोष्ठकों में दिया गया पाठ प्रत्येक तालाब के लिए पूरा किया जाना है।

7C.1 पहचान

1. तालाब: [नाम, परिशिष्ट 7A का WB_ID, गाँव, तहसील, जिला]।
2. अभिरक्षक: [WRD संभाग / ULB / ग्राम पंचायत / अन्य]।
3. शृंखला में स्थिति: प्रतिप्रवाह के तालाब [ ]; अनुप्रवाह का तालाब, नदी या ड्रेन [ ]।
4. डेटम: [ ]। सर्वेक्षित स्तर (खंड 7.7.1(a)), सर्वेक्षण की तिथि [ ]: FTL [ ] m; MWL [ ] m; TBL (सबसे निचला बिंदु) [ ] m; सरप्लस वियर का शिखर [ ] m, लंबाई [ ] m; स्लूइस सिल [ ] m।
5. जल स्तर–भंडारण वक्र (खंड 7.7.1(b)): सर्वेक्षण की तिथि [ ]; अनुसूची 1 के रूप में संलग्न।
6. नियंत्रणीय आउटलेट (खंड 7.8.2(a)): [गेटयुक्त स्लूइस / रेगुलेटर / कोई नहीं]; FTL पर क्षमता [ ] m^3/s।

7C.2 प्रयोजन और प्राथमिकता

7. तालाब [[ ] ha के कमान क्षेत्र की सिंचाई / पेयजल आपूर्ति / पुनर्भरण / बाढ़ भंडारण] के लिए है। सिंचाई और जल आपूर्ति प्राथमिक बनी रहती हैं जब तक कि अभिरक्षक अन्यथा अभिलिखित न करे (खंड 7.8.2(d))।

7C.3 वर्ष भर के स्तर और तिथियाँ (खंड 7.8.1(a))

8. तालाब का संचालन तालिका 7C.1 के स्तरों के अनुसार किया जाएगा।

तालिका 7C.1 — अवधि के अनुसार नियम स्तर (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

अवधि	लक्ष्य स्तर (m)	ऊपरी सीमा (m)	निचली सीमा (m)	प्रयोजन
[1 जनवरी – तिथि]	[ ]	FTL	[ ]	सिंचाई / आपूर्ति के लिए पानी रोके रखना
[तिथि – कुशन अवधि का आरंभ]	[ ]	FTL	[ ]	पानी रोके रखना
[बाढ़ कुशन अवधि, यदि कोई हो]	कुशन स्तर [ ]	कुशन स्तर [ ]	[ ]	बाढ़ कुशन (खंड 7.8.2)
[कुशन अवधि का अंत – 31 दिसंबर]	[ ]	FTL	[ ]	फिर से भरना

9. जहाँ कोई बाढ़ कुशन नहीं रखा जाता, वहाँ डिजाइन के लिए प्रारंभिक स्तर FTL है (खंड 7.7.3) और कुशन अवधि वाली पंक्ति हटा दी जाती है।

7C.4 बाढ़ कुशन (खंड 7.8.2)

10. कुशन स्तर: [ ] m, जो FTL से [ ] m नीचे है, जिससे अनुसूची 1 के अनुसार [ ] m^3 का कुशन आयतन मिलता है।
11. तिथियाँ: कुशन [ ] से [ ] तक लागू होता है।
12. जल स्तर घटाना: तालाब का जल स्तर [आउटलेट] से होकर [ ] घंटों में FTL से कुशन स्तर तक घटाया जा सकता है, ऐसे निकास के साथ जो पैरा 18 की अधिकतम निकास दर से अधिक न हो।
13. विश्वसनीयता: अभिलेख [वर्ष] पर सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) दर्शाता है कि कुशन [ ]% दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में उपलब्ध है, जो कम से कम 90% होगा। सिमुलेशन रिपोर्ट अनुसूची 2 है।

14. उपज: अभिरक्षक अनुसूची 3 में बताई गई सिंचाई या आपूर्ति उपज की हानि [और वहाँ अभिलिखित क्षतिपूर्ति] स्वीकार करता है।
15. जहाँ तालाब में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, वहाँ यह भाग लागू नहीं होता और कोई बाढ़ कुशन नहीं माना जाता (खंड 7.8.3)।

7C.5 पानी छोड़ना (खंड 7.8.1(b) से (d))

16. प्रत्येक स्तर पर स्लूइस और रेगुलेटर की सेटिंग: तालिका 7C.2।
17. संचालक: स्लूइस और रेगुलेटर [पद] द्वारा संचालित किए जाते हैं। [ ] m^3/s से अधिक पानी छोड़ने का आदेश केवल [पद] द्वारा, या आपात स्थिति में [पद] द्वारा, दिया जा सकता है।
18. अधिकतम निकास दर: [ ] m^3/s। यह दर, अनुप्रवाह के जलग्रहण क्षेत्र के प्रवाह के साथ मिलकर, अनुप्रवाह की ओर भवनों में बाढ़ नहीं लाती (अनुसूची 4 में अनुप्रवाह की जाँच दी गई है)।
19. कोई व्यक्ति अभिरक्षक की आपातकालीन प्रक्रिया के सिवाय बाँध या सरप्लस वियर को नहीं काटेगा, नीचा नहीं करेगा या नहीं तोड़ेगा (खंड 7.14.5)।

तालिका 7C.2 — स्तर के अनुसार आउटलेट की सेटिंग (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

तालाब का स्तर (m)	स्लूइस 1	स्लूइस 2	रेगुलेटर	अपेक्षित बहिर्वाह (m^3/s)	टिप्पणियाँ
कुशन स्तर से नीचे	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
कुशन स्तर से FTL तक	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
FTL (वियर से पानी छलकना आरंभ)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
FTL से ऊपर MWL तक	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	TBL तक फ्रीबोर्ड की जाँच करें (खंड 7.7.4(b))

7C.6 पूर्वानुमान, चेतावनियाँ और संवाद (खंड 7.8.1(e) और (f))

20. प्रारंभक और कार्रवाइयाँ तालिका 7C.3 में हैं।
21. इस नियम के अंतर्गत कोई भी पानी छोड़ने से पहले, संचालक अनुप्रवाह के ULB और जिला प्रशासन को, और अनुसूची 5 में बताए गए साधनों से निवासियों को, जहाँ पूर्वानुमान अनुमति दे वहाँ पानी छोड़ने से कम से कम [ ] घंटे पहले सूचित करेगा।

तालिका 7C.3 — प्रारंभक और कार्रवाइयाँ (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

प्रारंभक	स्रोत	कार्रवाई	किसके द्वारा
जलग्रहण क्षेत्र के लिए IMD की जिला भारी वर्षा की चेतावनी	IMD	गेज हर [ ] घंटे पढ़ें; जाँचें कि आउटलेट अवरोध-मुक्त हैं; पुष्टि करें कि तालाब अपने नियम स्तर पर या उससे नीचे है	[ ]
IMD या CGSDMA का रेड अलर्ट	IMD, CGSDMA	अधिकतम निकास दर के भीतर, नियम स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक पानी छोड़ना आरंभ करें; अनुप्रवाह के निकायों को सूचित करें (पैरा 21)	[ ]
शहर की पूर्वानुमान प्रणाली की चेतावनी, जहाँ उपलब्ध हो	[ ]	[ ]	[ ]
तालाब का स्तर FTL तक पहुँचता है	गेज	प्रति घंटे बहिर्वाह अभिलिखित करें; बाँध और वियर का निरीक्षण करें	[ ]
तालाब का स्तर [MWL − [ ] m] तक पहुँचता है	गेज	आपातकालीन प्रक्रिया; किसी आपातकालीन कार्य योजना के तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र को चेतावनी (खंड 7.14.3(c))	[ ]

7C.7 अभिलेख और समीक्षा (खंड 7.8.1(g))

22. दक्षिण-पश्चिम मानसून (10 जून से 20 अक्तूबर) के दौरान संचालक प्रतिदिन अभिलिखित करेगा: तालाब का स्तर, छोड़ा गया प्रत्येक पानी (समय, दर और अवधि), और गेट की प्रत्येक सेटिंग। दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाहर, अभिलेख [साप्ताहिक] रखे जाएँगे।
23. अभिलेख O&M योजना (अध्याय 10) के साथ रखे जाएँगे और माँगे जाने पर प्राधिकारी को दिए जाएँगे।
24. तालाब का निरीक्षण दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (31 मई तक) और प्रत्येक भारी वर्षा की घटना के बाद किया जाएगा (खंड 7.14.4)।
25. इस नियम की समीक्षा ऐसी किसी भी घटना के बाद की जाएगी जिसमें तालाब [ ] m से ऊपर के स्तर पर उफना, वियर, स्लूइसों या बाँध में किसी भी परिवर्तन के बाद (खंड 7.7.6), और हर स्थिति में मैनुअल की समीक्षा के साथ।

अनुसूचियाँ: 1 जल स्तर–भंडारण वक्र; 2 सतत सिमुलेशन रिपोर्ट; 3 उपज और क्षतिपूर्ति; 4 अधिकतम निकास की अनुप्रवाह जाँच; 5 संवाद सूची।

परिशिष्ट 7D — गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश

अध्याय 7 के खंड 7.7.1(b), 7.9 और 7.14.4 के लिए।

यह विनिर्देश खंड 7.9 के अंतर्गत किसी तालाब, पोखर या अन्य जलाशय से गाद निकालने, उसके पुनर्स्थापन या उसे गहरा करने के प्रत्येक कार्य पर लागू होता है। मान अध्याय 7 के हैं। जहाँ अध्याय कोई मान निर्धारित नहीं करता, वहाँ उसे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित किया गया है और उसे कार्यों के डिजाइन में बताया जाएगा।

7D.1 कार्य-पूर्व सर्वेक्षण (खंड 7.9.1)

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र, अग्रतट (MWL समोच्च रेखा तक), बाँध, सरप्लस वियर और स्लूइसों का **स्थलाकृतिक और जल-गहराई (बैथिमेट्रिक) सर्वेक्षण**, खंड 7.3.5 के डेटम पर स्तरांकित। सर्वेक्षण ग्रिड और बिंदु घनत्व: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
- (b) **मूल तल स्तर**, ग्रिड पर परीक्षण गड्ढों या ऑगरिंग से (ग्रिड अंतराल की पुष्टि डिजाइन में की जानी है), और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ ऐतिहासिक अभिलेखों से ज्ञात किया जाए। प्रत्येक गड्ढे के लॉग में गाद की मोटाई, मूल तल का स्तर, और उसके नीचे चिकनी मिट्टी या गाद की कोई परत दर्शाई जाएगी।
- (c) जहाँ तालाब में शहरी अपवाह या सीवेज आता है, वहाँ **गाद परीक्षण**: (b) के गड्ढों से नमूने, जिनका निपटान की योजना बनाने से पहले भारी धातुओं और अन्य संदूषकों के लिए परीक्षण किया जाए। प्राचल और सीमाएँ वे होंगी जिनका निर्देश छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) दे।
- (d) **संरचनाएँ:** बाँध (रिसाव, खिसकाव, दरारें, जानवरों के बिल, पेड़), सरप्लस वियर और स्लूइसों की स्थिति, जैसा खंड 7.14.4 में है।
- (e) (a) के सर्वेक्षण से **विद्यमान जल स्तर–भंडारण वक्र**।

7D.2 खुदाई की सीमाएँ (खंड 7.9.2 और 7.9.3)

- (a) गाद निकालने में जमा तलछट को 7D.1(b) के मूल तल स्तर तक हटाया जाता है, उससे अधिक गहरा नहीं।
- (b) मूल तल से नीचे गहरा करना केवल ऐसी जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ जो खंड 7.9.3(a) से (c) में से प्रत्येक को दर्शाए।
- (c) सबसे निचले स्लूइस सिल से नीचे बनाया गया भंडारण बाढ़ भंडारण नहीं है, और संशोधित जल स्तर–भंडारण वक्र में उसे ऐसे नहीं दर्शाया जाएगा।
- (d) खुदाई बाँध के निचले सिरे (toe) से डिजाइन में पुष्टि की जाने वाली दूरी तक दूर रहेगी, ताकि बाँध की स्थिरता कम न हो।

7D.3 किनारे और सुरक्षा (खंड 7.9.4)

जहाँ जनता की पहुँच किनारे तक है:

- (a) **FTL से 0.5 m ऊपर** से **FTL से 1.2 m नीचे** तक किनारे के ढलान **1V:4H** से अधिक खड़े न हों; या
- (b) **FTL से 0.3 m और 0.5 m नीचे** के बीच कम से कम **3 m** चौड़ी समतल सुरक्षा बेंच हो; और
- (c) तल में कोई अलग-थलग गहरा गड्ढा या खड़ी कटान न छोड़ी जाए। मिट्टी निकालने के गड्ढों को तल के बराबर फिर से समतल किया जाएगा।

7D.4 भंडारण कम नहीं होगा (खंड 7.9.5)

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र या अग्रतट के भीतर द्वीप, पैदल मार्ग, जल-फैलाव क्षेत्र में बाँध का चौड़ीकरण, रिंग रोड, पार्किंग, भवन और झील-तट प्लेटफॉर्म खोया हुआ भंडारण हैं।
- (b) खोए हुए भंडारण की प्रतिपूर्ति प्रपत्र 7-3 का उपयोग करते हुए, पट्टी-दर-पट्टी, समतुल्य स्तरों पर प्रतिपूरक भंडारण द्वारा की जाएगी।

7D.5 गाद का प्रबंधन और निपटान (खंड 7.9.6)

- (a) निकाली गई सामग्री को सेटबैक के भीतर, बाँध पर (अनुमोदित बाँध सुदृढ़ीकरण के सिवाय), या किसी बाढ़ मार्ग पर नहीं रखा जाएगा।
- (b) संदूषित गाद का निपटान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) के निर्देशानुसार किया जाएगा।
- (c) ढुलाई मार्ग और अस्थायी ढेर खंड 8.12 के निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण के नियमों की अपेक्षाएँ पूरी करेंगे, जिसमें ढेर जोन 1 के बाहर रखना शामिल है।

7D.6 इनलेट (खंड 7.9.7)

शहरी अपवाह लाने वाले प्रत्येक इनलेट पर अध्याय 8 (परिशिष्ट 8D) के अंतर्गत डिजाइन किया गया तलछट फोरबे, निर्मित आर्द्रभूमि का इनलेट जोन या स्थूल प्रदूषक जाल होगा।

7D.7 समय (खंड 7.9.8)

गाद निकालने का कार्य, और जलाशय को सुरक्षित बनाने का कार्य, **31 मई** तक पूरा किया जाएगा। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कोई खुदाई खुली नहीं छोड़ी जाएगी, और कोई स्लूइस या वियर विघटित अवस्था में नहीं छोड़ा जाएगा।

7D.8 समापन अभिलेख

- (a) यथा-निर्मित सर्वेक्षण और संशोधित जल स्तर–भंडारण वक्र। यह वही वक्र है जिसकी अपेक्षा खंड 7.7.1(b) "पिछली बार गाद निकालने के बाद" करता है।
- (b) हटाया गया आयतन, उसके निपटान का स्थल, और गाद परीक्षण के परिणाम।
- (c) बाँध, वियर, स्लूइसों और इनलेट कार्यों के फोटोग्राफ।
- (d) सूची के अभिलेख का अद्यतन (परिशिष्ट 7A: SSC_DATE, LEVEL_DATE, CONDITION)।

तालिका 7D.1 — गाद निकालने और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए रोक बिंदु

रोक बिंदु	जाँच	खंड
1. खुदाई से पहले	कार्य-पूर्व सर्वेक्षण, गड्ढों के लॉग, गाद परीक्षण, और गहरा करने की स्थिति में जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	7.9.1, 7.9.3
2. मूल तल तक पहुँचना	गड्ढों के लॉग से स्तरों की जाँच; अनुमोदन के बिना मूल तल से नीचे कोई खुदाई नहीं	7.9.2
3. किनारों का निर्माण	7D.3 के अनुसार किनारे के ढलान या सुरक्षा बेंच	7.9.4
4. इनलेट कार्य	फोरबे, आर्द्रभूमि का इनलेट जोन या GPT निर्मित	7.9.7
5. समापन (31 मई तक)	यथा-निर्मित सर्वेक्षण, जल स्तर-भंडारण वक्र, गाद निपटान का अभिलेख	7.9.8, 7.7.1(b)

परिशिष्ट 7E — जलाशयों और मिट्टी के हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली

अध्याय 7 के खंड 7.2 और खंड 7.3 के लिए।

नीचे दिए गए शब्द छत्तीसगढ़ में जलाशयों, ड्रेनों और भूमि के लिए हिन्दी शब्द हैं, और जहाँ प्रयोग में हैं वहाँ छत्तीसगढ़ी शब्द, जो देवनागरी में और, जहाँ प्लैट्स (Platts) देते हैं, उर्दू लिपि में दिए गए हैं। इनमें से कई शब्द तालाबों, जलाशयों और नालों के नामों में आते हैं (बूढ़ा तालाब, महाराजबंध, कोपरा जलाशय, शंकर नाला)। प्रत्येक जलाशय के लिए राजस्व, WRD, नगरपालिका या खदान के अभिलेख में प्रयुक्त नाम को सूची (परिशिष्ट 7A) में इस मैनुअल के शब्द के साथ अभिलिखित किया जाना चाहिए। तालिका 7E.1 से 7E.3 में केवल वे शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ की पुष्टि J. T. Platts, *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (1884) में, या श्यामसुंदर दास (Syamasundara Dasa), *हिंदी शब्दसागर* (*Hindi Shabdasagara*) (1965–1975) में, दोनों डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी पर उपलब्ध रूप में, या किसी कानून में हुई; अर्थ प्लैट्स के अंग्रेजी अर्थ-विवरण हैं (उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, उनके हिन्दी अनुवाद के साथ), या शब्दसागर का अनुवाद, डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी द्वारा दर्शाए गए पृष्ठ के साथ, और आधुनिक प्रयोग अधिक सीमित या अधिक व्यापक हो सकता है। **इस मैनुअल के लिए कोई छत्तीसगढ़ी शब्दकोश नहीं देखा गया।** मैदान की मिट्टी के चार वर्ग, जो दोनों में से किसी शब्दकोश में नहीं हैं, तालिका 7E.4 में कृषि-विज्ञान शोधपत्रों से लिए गए अपने अर्थों के साथ दिए गए हैं; ढोढ़ी (dhodi), और हर वह अन्य शब्द जिसके अर्थ या क्षेत्रीय प्रयोग की पुष्टि नहीं हुई, तालिका 7E.5 में अभी असत्यापित के रूप में दिए गए हैं। आधुनिक राजस्व, WRD और नगरपालिका प्रयोग के साथ और किसी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की सहायता से इस सूची का विस्तार राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा किया जाना है।

छत्तीसगढ़ में तालाब (tank) या पोखर (pond) के लिए इस मैनुअल का शब्द **तालाब (talab)** है: यह राज्य के अपने शहरी स्रोतों (बूढ़ा तालाब, करबला तालाब, नरैया तालाब (Narhaiya Talab)), राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के आदेशों और भू-राजस्व संहिता की धारा 251 के शीर्षक ("तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना") का शब्द है, और प्लैट्स इसका अर्थ-विवरण "तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार" ("Pond, pool, tank, reservoir of water") देते हैं; डबरी (dabri) खोदे गए छोटे तालाब का नाम है, जो शहरी अस्थायी भंडारण के लिए बहुत छोटा है; और बाँध (bandh) तटबंध या डैम के लिए सही शब्द है और महाराजबंध और तेलीबांधा जैसे बाँधयुक्त तालाबों का नाम है, पर रोजमर्रा की बोली में इसका अर्थ हड़ताल या बंद भी है, इसलिए अपने आप में अस्थायी भंडारण तालाब के लिए यह कमजोर शब्द है। इस मैनुअल में डबरी, बाँध, कुंड, नाला, नरवा और निस्तार अपने-अपने अर्थ बनाए रखते हैं।

तालिका 7E.1 — जलाशय

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
तालाब / تلاب (tālāb; talab)	"तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार (= talā'o; तुलना करें tāl)" ("Pond, pool, tank, reservoir of water [= talā'o ; cf. tāl]"); शब्दसागर में, "जलाशय । सरोवर । पोखरा ।"	प्लैट्स, पृ. 306; शब्दसागर, पृ. 2071	तालाब (tank या pond), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
डबरी (ḍabrī; dabri)	शब्दसागर में, "छोटा गड्ढा या ताल"; प्लैट्स का डबरी एक भिन्न शब्द है, "मिट्टी का पानी का बर्तन, प्याला, कटोरा" ("An earthen water-vessel, a cup, bowl")	शब्दसागर, पृ. 1938; प्लैट्स, पृ. 564	डबरी (खोदा गया छोटा तालाब; खंड 7.3 के लिए जलाशय, भंडारण नहीं गिना जाता), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें
डबरा (ḍabrā; dabra)	शब्दसागर में, "छिछला लंबा गड्ढा जिसमें पानी जमा रहे । कुंड । हौज । ... वह नीची भूमि का टूकड़ा जिसमें पानी लगता हो"; प्लैट्स संबंधित शब्द डाबर का अर्थ "निचली या खोखली भूमि जहाँ पानी एकत्र होता है (= ḍabrā ...), दलदल, दलदली भूमि, जलकुंड, पोखरी, छोटा तालाब, गड्ढा, तालाब" ("Low or hollow ground where water collects [= ḍabrā ...], a marsh, swamp, a pool, puddle, a small pond, pit, tank") देते हैं	शब्दसागर, पृ. 1938; प्लैट्स (पृष्ठ दर्ज नहीं)	तालाब (tank या pond), या निचली गीली भूमि (खंड 7.12)
कुंड (kuṇḍ; kund)	शब्दसागर में (कुंड ३), "छोटा बँधा हुआ जलाशय । बहुत छोटा तालाब ।"	शब्दसागर, पृ. 964	कुंड (tank या pond, जहाँ वह अपवाह प्राप्त करता है), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें

तालिका 7E.2 — चैनल, तटबंध और प्रणाली के भाग

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
नाला / نالا (nālā; nala, nallah, nullah)	शब्दसागर में, "पृथ्वी पर लकीर के रूप में दूर तक गया हुआ गड्ढा जिससे होकर बरसाती पानी किसी नदी आदि में जाता है । जलप्रणाली ।"	शब्दसागर, पृ. 2596	प्राकृतिक ड्रेन या नाला, खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें। छत्तीसगढ़ में यह शब्द प्राकृतिक जलधाराओं और सीवेज ले जाने वाली बड़ी ड्रेनों दोनों के लिए आता है, जैसे दुर्ग के शंकर और पुलगांव नाले; शब्द नहीं, परिभाषा तय करती है कि यह अध्याय किस पर लागू होगा
नरवा (narvā; narwa)	शब्दसागर में (नरवा २), "[हिं० नाला] दे० 'नाला'", अर्थात् नाला ही	शब्दसागर, पृ. 2541	प्राकृतिक ड्रेन या नाला; नरवा राज्य के नरवा–गरुवा–घुरुवा–बारी कार्यक्रम का धारा-शब्द है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)
नाली (nālī; nali)	नाला का लघु रूप, छोटा चैनल	शब्दसागर, नाला के अंतर्गत	ड्रेन (लघु प्रणाली); जहाँ वह सीवेज या सलेज को किसी वर्षा जल ड्रेन में ले जाती है, वहाँ अवैध जुड़ाव (cross-connection) (खंड 8.9)
बाँध, बँधा / باندھ (bāṅdh, baṅdhā; bandh, bund)	"... तटबंध; डैम" ("... embankment; dam"); शब्दसागर में, बाढ़ रोकने के लिए किसी नदी या तालाब के किनारे बनाया गया मिट्टी या पत्थर का तटबंध	प्लैट्स, पृ. 127; शब्दसागर, पृ. 3433	तालाब का बाँध या डैम (खंड 7.14); बाँधयुक्त तालाब (bandh) तालाब है, और उसका तटबंध तालाब का बाँध (खंड 7.14.2)

तालिका 7E.3 — सांविधिक शब्द

शब्द	अर्थ
निस्तार (nistar)	ग्राम समुदाय द्वारा गाँव की भूमि और तालाबों के सामूहिक उपयोग के अधिकार। अनधिभोगित भूमि पर स्थित ऐसा तालाब जिस पर समुदाय सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करता था, उन अधिकारों को छीने बिना 6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित होता है (छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 251, "तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना"), और कलेक्टर निस्तार के लिए भूमि पृथक रख सकता है, जिसमें तालाब भी आते हैं (धारा 237); खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें
तालाब (tank (Land Revenue Code))	धारा 251 के अंतर्गत राज्य सरकार में निहित तालाब में उसके तटबंधों के वृक्ष सम्मिलित हैं, पर उन पर बने भवन या मंदिर नहीं (धारा 251 का स्पष्टीकरण, एक तृतीय-पक्ष प्रति में पढ़े गए रूप में)

शब्द	अर्थ
अप्राधिकृत कब्जा (unauthorised occupation (Land Revenue Code))	"अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति", अर्थात् बिना अधिकार के भूमि पर कब्जा करने के लिए शास्ति, तहसीलदार द्वारा संक्षिप्त बेदखली सहित (धारा 248), जिसका प्रयोग भू-अभिलेखों में दर्ज तालाबों पर अतिक्रमण के विरुद्ध हुआ (NGT O.A. 78/2024)
जलाशय (jalāśay; jalashay)	जलाशय (reservoir) या जल निकाय (water body): अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर छत्तीसगढ़ के 2002 के अधिनियम का शब्द, जो वहाँ नियमितीकरण पर रोक लगाता है जहाँ निर्माण "जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर" (on the bed or edge of a jalashay or on a natural drain) है (धारा 7(1)(iv)), और कोपरा जलाशय का नाम; शब्दसागर इसका प्रयोग तालाब का अर्थ बताने में करता है (पृ. 2071)। इस मैनुअल में जलाशय (jalashay) खंड 7.2 के अंतर्गत जलाशय (reservoir) या तालाब (tank) है, और "प्राकृतिक जल निकास" प्राकृतिक ड्रेन
उच्चतम जल चिह्न; औसत उच्च बाढ़ चिह्न (highest water mark; average high flood mark) (छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, नियम 50(b), विरासत में मिला पाठ)	वे स्तर जिनसे विरासत में मिली 9 m और 15 m की दूरियाँ मापी जाती हैं; परिभाषित नहीं, और छत्तीसगढ़ का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]। इस मैनुअल की व्याख्या खंड 7.2 के बाद की परिभाषाओं में है
उच्च बाढ़ बिन्दु (high flood point)	वह स्तर जो T&CP किसी नाले, नहर, नदी या जलमार्ग से लगी भूमि के लिए WRD से माँगता है (चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011, मद 15); परिभाषित नहीं
नाला (प्रमुख ड्रेन) (nalah (major drain))	2018 का निरीक्षण प्रपत्र पूछता है "क्या नाला (प्रमुख नाला) भूखंड के निकट है या नहीं" ("Is Nalah [Major Drain] adjacent to plot or not") और उसकी निकटतम दूरी पूछता है (6 अक्तूबर 2018 का संशोधन, भूमि विकास नियम का परिशिष्ट Q, मद 9); परिभाषित नहीं

तालिका 7E.4 — छत्तीसगढ़ के मैदान की मिट्टी और भूमि के वर्ग

ये चार शब्द इन अर्थों में प्लैट्स या शब्दसागर में नहीं हैं; इनके अर्थ मैदान पर हुए कृषि-विज्ञान के शोधपत्रों से लिए गए हैं (दुर्ग जिले के लिए Mandal et al., 2018; रायपुर के पास एक ढलान-अनुक्रम (toposequence) के लिए Wakode et al., 2017), और स्थानीय नाम मृदा वर्गीकरण से एक-एक करके मेल नहीं खाते। इस मैनुअल में इनका प्रयोग अध्याय 3 के मृदा समूहों और खंड 8.8.1 की अंतःस्यंदन सीमाओं के लिए भूमि वर्गों के रूप में किया गया है।

शब्द	कृषि-विज्ञान शोधपत्रों में अर्थ	शब्दकोश जाँच	मैनुअल में उपयोग
कन्हार (kanhār; kanhar)	निचली भूमि की गहरी काली चिकनी मिट्टी, 150 cm से अधिक गहरी, ढलान 2% से कम (Vertisol); CGWB की एक जिला रिपोर्ट में, "40 से 50 प्रतिशत चिकनी मिट्टी की मात्रा वाली भारी मिट्टी ... पारगम्यता सामान्यतः कम है ... स्थानीय रूप से कन्हार कहलाती है" ("heavy soil with clay content of 40 to 50 percent ... The permeability is generally low ... locally known as Kanhar")	प्लैट्स का कन्हार एक असंबद्ध शब्द है (पृ. 856); शब्दसागर में नहीं	HSG D; कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं (खंड 8.8.1); 1% AEP विस्तार में होने पर बाढ़ भंडारण (खंड 7.6)
डोरसा (ḍorsā; dorsa)	निचले ढलान की रेतीली चिकनी दोमट से चिकनी दोमट, 80 से 150 cm गहरी (Alfisol; कहीं-कहीं वर्टिक, और रायपुर के पास Vertisol के रूप में वर्गीकृत)	नहीं मिला	HSG C, या जहाँ वर्टिक हो या मचाया हुआ धान हो वहाँ D (अध्याय 3)
मटासी (maṭāsī; matasi)	मध्य ढलान की रेतीली दोमट से गादयुक्त दोमट, 30 से 80 cm गहरी (Inceptisol)	नहीं मिला (निकटतम मुख्य शब्द, मटियार, चिकनी मिट्टी वाली भूमि है, शब्दसागर, पृ. 3746)	HSG B, या जहाँ मुरम पर उथली हो या मचाई गई हो वहाँ C (अध्याय 3)

शब्द	कृषि-विज्ञान शोधपत्रों में अर्थ	शब्दकोश जाँच	मैनुअल में उपयोग
भाठा (bhāṭhā; bhata)	ऊपरी भूमि की कंकरीली मिट्टी, मुरम या फेरीक्रीट पर 30 cm से कम गहरी, सघन (Entisol)	शब्दसागर: "१. दे० 'भाटा' । २. गर्त । गड्ढा । ३. पत्थर", और भाटा ३, "पथरीली भूमि" (पृ. 3639); प्लैट्स भाटा, "= bhāṭhā" (पृ. 177)	HSG C, या जहाँ चट्टान या फेरीक्रीट 50 cm के भीतर हो वहाँ D; कभी A नहीं (अध्याय 3)

तालिका 7E.5 — अभी असत्यापित शब्द

निम्नलिखित शब्द छत्तीसगढ़ के जलाशयों के लिए प्रयोग में हैं, पर इस मैनुअल के लिए किए गए शोध के दौरान प्लैट्स, शब्दसागर या किसी आधिकारिक स्रोत में उनके अर्थ या क्षेत्रीय प्रयोग की पुष्टि नहीं हुई। सत्यापित होने तक इनका प्रयोग किसी अभिलेख या ड्रॉइंग में परिभाषित शब्दों के रूप में नहीं किया जाएगा।

शब्द	बताया गया अर्थ या प्रयोग	स्थिति
ढोढ़ी, ढोंढी (ḍhoṛhī, ḍhoṅḍhī; dhodi)	झरने से भरने वाला छोटा गड्ढा या रिसाव का छोटा जलकुंड	शब्दसागर (चार वर्तनियाँ) या प्लैट्स में नहीं मिला; स्रोतहीन
छत्तीसगढ़ी प्रयोग में नरवा (narwa in Chhattisgarhi usage)	धारा या मौसमी जलमार्ग, जैसे नरवा-गरुवा-घुरुवा-बारी कार्यक्रम में	शब्दकोशीय अर्थ (= नाला) तालिका 7E.2 में है; छत्तीसगढ़ी अर्थ किसी क्षेत्रीय शब्दकोश में जाँचा नहीं गया
छत्तीसगढ़ की योजनाओं में डबरी (dabri in Chhattisgarh's schemes)	ग्रामीण कार्यक्रमों के अंतर्गत खोदा गया खेत या गाँव का तालाब	शब्दकोशीय अर्थ तालिका 7E.1 में है; योजनाओं में आकार और रूप पढ़े नहीं गए
शहरी तालाब के अर्थ में बाँध (bandh as a city tank)	बाँधयुक्त तालाब, जैसे महाराजबंध और तेलीबांधा नामों में	शब्दकोशीय अर्थ (तटबंध, डैम) तालिका 7E.2 में है; नामों वाले अर्थ की पुष्टि नहीं हुई
बूढ़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर (Budha Talab, Vivekananda Sarovar)	बूढ़ापारा, रायपुर के बड़े तालाब के नाम	आधिकारिक नाम की पुष्टि नहीं हुई
तालाब, नाला और मिट्टी के वर्गों के छत्तीसगढ़ी रूप (Chhattisgarhi forms of talab, nala and the soil classes)	क्षेत्रीय शब्द और वर्तनियाँ	किसी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में जाँचा नहीं गया

यह मैनुअल तालिका 7E.1 और 7E.2 के अंतिम स्तंभ के शब्दों का, तालिका 7E.4 के भूमि वर्गों का, और खंड 7.2 के बाद परिभाषित छत्तीसगढ़ के शब्दों का उपयोग करता है।

प्रपत्र 7-1 — जलाशय पत्रक

अध्याय 7 के खंड 7.3.2, 7.4 और 7.15(1) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक जलाशय के लिए एक पत्रक। खंड 7.3.2 का नक्शा 1:1,000 या उससे बड़े पैमाने पर संलग्न करें।

तालिका 7F.1 — प्रपत्र 7-1, भाग A: परियोजना और जलाशय

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना का नाम और प्राधिकारी की फाइल संख्या	_____	—
A2	जलाशय का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी) और सूची ID (परिशिष्ट 7A), यदि कोई हो	_____	7.3.1
A3	जलाशय का प्रकार (खंड 7.2)	_____	7.2
A4	स्थिति: साइट के भीतर / साइट की सीमा से 100 m के भीतर / अध्याय 5 के विस्तार के भीतर अनुप्रवाह की ओर	_____	7.3.2
A5	सर्वे संख्याएँ और गाँव	_____	7.3.1(a)
A6	अभिरक्षक	_____	7.3.1(b)
A7	जाँचे गए स्रोत (चिह्न लगाएँ): राजस्व अभिलेख (खसरा) और गाँव के मानचित्र (भू-राजस्व संहिता की धारा 237, 248, 251), नगरपालिका के तालाब और ड्रेन अभिलेख, विकास योजनाएँ और T&CP की स्थल रिपोर्टें और चेकलिस्टें (2011), WRD के उच्च बाढ़ बिंदु, कोपरा रामसर, आर्द्रभूमि और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की सीमाएँ, खनन और खदान बंद करने की योजनाएँ, ऐश पॉन्ड के लेआउट □; WRD / ग्राम पंचायत के रजिस्टर □; प्राधिकारी की सूची या न्यायालय की सूची □; ऐतिहासिक मानचित्र और चित्र, NWIA सहित □; साइट सर्वेक्षण □	_____	7.3.3
A8	जहाँ स्रोत परस्पर विरोधी हों: कौन-सा विस्तार लागू है (बड़ा)	_____	7.3.3
A9	सभी स्तरों का डेटम, और WRD के किसी डेटम से रूपांतरण	_____	7.3.5

तालिका 7F.2 — प्रपत्र 7-1, भाग B: स्तर और विशेषताएँ

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
B1	FTL (तालाब, झीलें, पोखर) या किनारे का शीर्ष (चैनल), m	_____	7.2
B2	MWL (तालाब), m, और आधार (WRD का अभिलेख या परिकलित 1% AEP)	_____	7.2
B3	TBL, सबसे निचला बिंदु (तालाब), m	_____	7.3.1(d)
B4	1% AEP बाढ़ जल स्तर, m, और स्रोत (अंगीकृत मानचित्र / हाइड्रोलिक अध्ययन / उपलब्ध नहीं)	_____	7.3.4
B5	साइट पर जल निकासी क्षेत्र (चैनल), ha	_____	7.4.1(b)
B6	आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, स्लूइस और सरप्लस वियर नक्शे पर दर्शाए गए (हाँ / नहीं)	_____	7.3.2
B7	ज्ञात अतिक्रमण, अभिलिखित करने की तिथि सहित	_____	7.3.1(g)

तालिका 7F.3 — प्रपत्र 7-1, भाग C: सेटबैक

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	सेटबैक का आधार: मानचित्रित विस्तार / हाइड्रोलिक अध्ययन / नियत चौड़ाई (परिशिष्ट 7B)	_____	7.15(1)
C2	क्या खंड 7.3.4 (a) / (b) / (c) के अंतर्गत हाइड्रोलिक अध्ययन अपेक्षित है?	_____	7.3.4
C3	बाढ़ मार्ग का बाहरी किनारा, FTL या किनारे के शीर्ष से m, और उसका निर्धारण कैसे किया गया	_____	7.6.1
C4	जोन 1 की चौड़ाई, m (15 m, बाढ़ मार्ग का किनारा, MWL समोच्च रेखा में से सबसे अधिक)	_____	7.4.3
C5	जोन 2 की चौड़ाई, m (1% AEP विस्तार + 10 m तक, या 10 m)	_____	7.4.4
C6	अधिक चौड़ा सांविधिक या अनुमोदन सेटबैक, यदि कोई हो, और उसका स्रोत	_____	7.4.5
C7	लागू किया गया सेटबैक: मैनुअल का मानक / अधिक चौड़ी सांविधिक या अनुमोदन रेखा: भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 50 के अंतर्गत कोई दूरी, उसके छत्तीसगढ़ पाठ की पुष्टि होने पर (विरासत में मिला 1984 का पाठ: किसी प्रमुख जलमार्ग के औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो [TBC]), या किसी विकास योजना में विहित दूरी; किसी ऐसे तालाब या आर्द्रभूमि के, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण संरक्षित मानता है, या किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के, उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m; कोपरा जलाशय (रामसर स्थल) की सीमा; WRD, DGMS (खदान) या राखड़ बाँध की रेखा; न्यायालय या अधिकरण की कोई रेखा; या अन्य (बताएँ कौन-सी)	_____	7.4, प्रकटन
C8	जोन 1 और जोन 2 में प्रस्तावित उपयोग, और जोन 1 में किसी भी कार्य के लिए अभिरक्षक का NOC	_____	7.5, 7.15(5)
C9	बाढ़ सीमांत क्षेत्र में प्रस्तावित भराई (हाँ / नहीं); यदि हाँ, तो प्रपत्र 7-3 संलग्न	_____	7.6.3
C10	जोन 1 के सीमा चिह्नों की स्थितियाँ दर्शाई गईं (30 m से अधिक दूरी पर नहीं)	_____	7.13.4

तालिका 7F.4 — प्रपत्र 7-1, भाग D: तैयारकर्ता

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या (खंड 10.6)	_____
हस्ताक्षर और तिथि	_____
स्तरों के लिए लाइसेंसधारी सर्वेक्षक (नाम, लाइसेंस संख्या)	_____

प्रपत्र 7-2 — तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक

अध्याय 7 के खंड 7.7, 7.8, 7.11, 7.14 और 7.15(4) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक उस तालाब के लिए एक पत्रक जिसका भंडारण गिना जाता है। जो भंडारण भाग B की किसी भी मद को पूरा नहीं करता, उसे नहीं गिना जाएगा (खंड 7.7.1)।

तालिका 7F.5 — प्रपत्र 7-2, भाग A: तालाब और योजना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	तालाब का नाम और सूची ID (परिशिष्ट 7A); अभिरक्षक	_____	7.3.1
A2	वह योजना जिसमें भंडारण गिना जाता है: बेसिन प्लान / क्षेत्रीय सुविधा / एवज शुल्क (S-5)	_____	7.7.1, 7.11
A3	मॉडल की गई शृंखला: सबसे ऊपरी तालाब _____ से आउटफॉल _____ तक	_____	7.7.2
A4	डेटम	_____	7.3.5

तालिका 7F.6 — प्रपत्र 7-2, भाग B: भंडारण गिनने की शर्तें

क्र.	शर्त	तिथि / संदर्भ	पूरी हुई (हाँ / नहीं)	खंड
B1	FTL, MWL, TBL, वियर का शिखर और लंबाई, स्लूइस सिल पिछले 5 वर्षों के भीतर सर्वेक्षित	_____	_____	7.7.1(a)
B2	5 वर्षों के भीतर, या पिछली बार गाद निकालने के बाद, इनमें से जो बाद में हो, जल-गहराई और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण वक्र	_____	_____	7.7.1(b)
B3	अभिरक्षक के साथ सहमत दस्तावेजित प्रचालन नियम (परिशिष्ट 7C)	_____	_____	7.7.1(c), 7.8
B4	वियर, स्लूइस और बाँध O&M योजना के अंतर्गत; नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण में सेवा योग्य पाए गए	_____	_____	7.7.1(d), 7.14.4
B5	अभिरक्षक की लिखित सहमति	_____	_____	7.7.1(e)

तालिका 7F.7 — प्रपत्र 7-2, भाग C: स्तर और क्रेडिट योग्य आयतन

क्र.	मद	मान	खंड
C1	प्रारंभिक स्तर: FTL, या खंड 7.8.2 की अपेक्षाएँ पूरी करने वाले नियम के अंतर्गत कुशन स्तर, m	_____	7.7.3
C2	यदि कुशन का उपयोग किया जाता है: नियंत्रणीय आउटलेट (प्रकार) और खाली होने का समय, h	_____	7.8.2(a)
C3	यदि कुशन का उपयोग किया जाता है: सतत सिमुलेशन से विश्वसनीयता, दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं का % (≥ 90%)	_____	7.8.2(c)
C4	परिकलित अधिकतम स्तर, जलवायु गुणक के साथ 1% AEP अंतर्वाह शृंखला से होकर रूट किया गया, m	_____	7.7.4
C5	MWL, m; क्या C4 ≤ MWL है?	_____	7.7.4(a)
C6	C4 से TBL तक फ्रीबोर्ड, m; WRD का फ्रीबोर्ड मानक, m; पूरा हुआ?	_____	7.7.4(b)
C7	जल स्तर–भंडारण वक्र से C1 और C4 के बीच का भंडारण, m^3	_____	7.7.5

क्र.	मद	मान	खंड
C8	किसी अन्य सुविधा या योजना के लिए पहले से प्रतिबद्ध आयतन, m^3	_____	7.7.5
C9	क्रेडिट योग्य आयतन = C7 − C8, m^3	_____	7.7.5
C10	खंड 10.17 के अंतर्गत रजिस्टर की प्रविष्टि (एवज शुल्क भंडारण)	_____	7.11.2(d)

तालिका 7F.8 — प्रपत्र 7-2, भाग D: बाँध की सुरक्षा

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
D1	बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट डैम? ऊँचाई, शिखर की लंबाई, क्षमता, अधिकतम बाढ़ प्रवाह दर	_____	7.14.1
D2	जोखिम वर्ग: उच्च / निम्न	_____	7.14.2
D3	उच्च जोखिम: वियर फ्रीबोर्ड के साथ MWL पर 1% AEP पार कराता है; तटबंध के ऊपर से बहे बिना 0.2% AEP की जाँच	_____	7.14.3(a)
D4	उच्च जोखिम: तटबंध टूटने का विश्लेषण और आपातकालीन कार्य योजना (संदर्भ)	_____	7.14.3(b), (c)
D5	उच्च जोखिम: खंड 10.6 के अंतर्गत स्वतंत्र जाँच (नाम)	_____	7.14.3(d)

तालिका 7F.9 — प्रपत्र 7-2, भाग E: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर और तिथि
डिजाइनकर्ता (खंड 10.6)	_____	_____
स्वतंत्र जाँचकर्ता, जहाँ खंड 7.14.3(d) लागू हो	_____	_____
अभिरक्षक की सहमति (खंड 7.7.1(e))	_____	_____

प्रपत्र 7-3 — प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार)

अध्याय 7 के खंड 7.6.3 से 7.6.5, 7.9.5 और 7.15(3) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

विधि

1. **निचली सीमा** नियत करें: जलाशय का सामान्य जल स्तर, या जहाँ अधिक हो वहाँ 50% AEP (2-वर्ष) स्तर (खंड 7.6.4(b))।
2. **ऊपरी सीमा** नियत करें: 1% AEP बाढ़ जल स्तर (जलवायु गुणक के साथ)।
3. इस परास को **0.3 m से अधिक मोटाई की न होने वाली पट्टियों** में बाँटें। सबसे ऊपरी पट्टी पतली हो सकती है।
4. किसी पट्टी की सीमा पर प्रत्येक स्तर z के लिए, नक्शे पर मापें:
    - A_fill(z): भराई के आधार-क्षेत्र का वह क्षेत्रफल जहाँ विद्यमान भूतल z से नीचे है; और
    - A_cut(z): खुदाई का वह क्षेत्रफल जहाँ तैयार भूतल z से नीचे है और विद्यमान भूतल z से ऊपर था (नया जलमग्न क्षेत्र)।
5. प्रत्येक पट्टी के लिए, औसत छोर-क्षेत्रफल विधि (average end-area method) से: V = (A(z_bottom) + A(z_top)) / 2 × पट्टी की मोटाई। यह भराई (खोया आयतन) और खुदाई (प्राप्त आयतन) दोनों के लिए करें।
6. **प्रत्येक पट्टी की जाँच करें:** प्राप्त आयतन ≥ खोया आयतन। एक पट्टी का अधिशेष दूसरी पट्टी की कमी की पूर्ति नहीं करता (खंड 7.6.4(b))।
7. भाग C में खंड 7.6.4(c) से (f) की अन्य शर्तों की जाँच करें।

अध्याय 7 का चित्र 7.2 यह विधि दर्शाता है।

तालिका 7F.10 — प्रपत्र 7-3, भाग A: स्तर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	जलाशय, भाग (reach), और सूची ID	_____	7.6.4(c)
A2	सामान्य जल स्तर, m; 50% AEP स्तर, m; निचली सीमा (दोनों में अधिक), m	_____	7.6.4(b)
A3	जलवायु गुणक के साथ 1% AEP बाढ़ जल स्तर, m (ऊपरी सीमा)	_____	7.6.4(b)
A4	पट्टी की मोटाई, m (≤ 0.3) और पट्टियों की संख्या	_____	7.6.4(b)
A5	डेटम	_____	7.3.5

तालिका 7F.11 — प्रपत्र 7-3, भाग B: पट्टी-दर-पट्टी संतुलन

पट्टी	से (m)	तक (m)	A_fill तल (m²)	A_fill शीर्ष (m²)	खोया आयतन (m³)	A_cut तल (m²)	A_cut शीर्ष (m²)	प्राप्त आयतन (m³)	प्राप्त ≥ खोया?
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

पट्टी	से (m)	तक (m)	A_fill तल (m²)	A_fill शीर्ष (m²)	खोया आयतन (m³)	A_cut तल (m²)	A_cut शीर्ष (m²)	प्राप्त आयतन (m³)	प्राप्त ≥ खोया?
कुल					_____			_____	

आवश्यकतानुसार पंक्तियाँ जोड़ें।

तालिका 7F.12 — प्रपत्र 7-3, भाग C: अन्य शर्तें

क्र.	शर्त	पूरी हुई (हाँ / नहीं) और साक्ष्य	खंड
C1	भराई बाढ़ सीमांत क्षेत्र में है, बाढ़ मार्ग में नहीं, और अनुमत उपयोग के लिए है	_____	7.6.2, 7.6.3
C2	खुदाई उसी जलाशय की उसी भाग में है, हाइड्रोलिक रूप से जुड़ी है, और भराई से अधिक अनुप्रवाह की ओर नहीं है	_____	7.6.4(c)
C3	बाढ़ उतरने पर खुदाई गुरुत्व से खाली होती है; कोई पंपिंग नहीं; सामान्य जल स्तर से नीचे कोई स्थायी जल-भंडार नहीं	_____	7.6.4(d)
C4	खुदाई भराई से पहले, या उसी समय, बनाई गई	_____	7.6.4(e)
C5	प्रसंविदा या हस्तांतरण ताकि उसे कभी भरा न जाए (संदर्भ)	_____	7.6.4(f)
C6	अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण या प्रतिधारण के रूप में नहीं गिना गया	_____	7.6.5
C7	डिजाइनकर्ता के हस्ताक्षर (खंड 10.6) और तिथि	_____	10.6

हल किया गया उदाहरण

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. किसी चैनल के बाढ़ सीमांत क्षेत्र में स्थित एक साइट को जोन 2 के एक अनुमत उपयोग (खंड 7.5.2) के लिए भराई के एक चबूतरे की आवश्यकता है। निवेश मान कल्पित हैं।

- सामान्य जल स्तर 10.00 m; 50% AEP स्तर 9.80 m। निचली सीमा = 10.00 m (दोनों में अधिक)।
- 1% AEP बाढ़ जल स्तर 11.20 m। परास 1.20 m, इसलिए 0.30 m की चार पट्टियाँ।
- भराई का आधार-क्षेत्र 1,600 m^2 है। आधार-क्षेत्र में विद्यमान भूतल 10.00 m से 11.20 m तक समान रूप से उठता है, इसलिए प्रत्येक स्तर से नीचे आधार-क्षेत्र का क्षेत्रफल है: 10.00 m पर 0 m^2; 10.30 m पर 400 m^2; 10.60 m पर 800 m^2; 10.90 m पर 1,200 m^2; 11.20 m पर 1,600 m^2।
- खुदाई चैनल के बगल में ढलानदार कटान है, जिसका तल 10.00 m पर है। प्रत्येक स्तर से नीचे नया जलमग्न क्षेत्र (पहला प्रयास) है: 10.00 m पर 300 m^2; 10.30 m पर 900 m^2; 10.60 m पर 1,100 m^2; 10.90 m पर 1,500 m^2; 11.20 m पर 1,500 m^2।

पद 1 — खोया आयतन, पट्टी-दर-पट्टी (V = औसत क्षेत्रफल × 0.3 m):

- पट्टी 1: (0 + 400) / 2 × 0.3 = 60 m^3
- पट्टी 2: (400 + 800) / 2 × 0.3 = 180 m^3
- पट्टी 3: (800 + 1,200) / 2 × 0.3 = 300 m^3
- पट्टी 4: (1,200 + 1,600) / 2 × 0.3 = 420 m^3
- कुल: 960 m^3

पद 2 — प्राप्त आयतन, पहला प्रयास:

तालिका 7F.13 — हल किया गया उदाहरण: पहला प्रयास (उदाहरणार्थ)

पट्टी	से (m)	तक (m)	खोया आयतन (m^3)	A_cut तल (m^2)	A_cut शीर्ष (m^2)	प्राप्त आयतन (m^3)	प्राप्त ≥ खोया?
1	10.00	10.30	60	300	900	180	हाँ
2	10.30	10.60	180	900	1,100	300	हाँ
3	10.60	10.90	300	1,100	1,500	390	हाँ
4	10.90	11.20	420	1,500	1,500	450	हाँ
कुल			960			1,320	

हर पट्टी जाँच में सफल है। ध्यान दें कि केवल कुल आयतन का संतुलन किसी विफलता को छिपा देगा यदि, उदाहरण के लिए, कटान को अधिक गहरा और संकरा बनाया जाए: मान लीजिए डिजाइनकर्ता इसके बजाय ऐसा कटान प्रस्तावित करता है जिसके नए जलमग्न क्षेत्र 10.00 m पर 1,400 m^2, 10.30 m पर 1,400 m^2, 10.60 m पर 1,000 m^2, 10.90 m पर 600 m^2 और 11.20 m पर 200 m^2 हैं।

तालिका 7F.14 — हल किया गया उदाहरण: अधिक गहरा, संकरा कटान (उदाहरणार्थ)

पट्टी	से (m)	तक (m)	खोया आयतन (m^3)	A_cut तल (m^2)	A_cut शीर्ष (m^2)	प्राप्त आयतन (m^3)	प्राप्त ≥ खोया?
1	10.00	10.30	60	1,400	1,400	420	हाँ
2	10.30	10.60	180	1,400	1,000	360	हाँ
3	10.60	10.90	300	1,000	600	240	**नहीं**
4	10.90	11.20	420	600	200	120	**नहीं**
कुल			960			1,140	

कुल प्राप्त आयतन (1,140 m^3) कुल खोए आयतन (960 m^3) से अधिक है, पर पट्टी 3 और 4 में 60 m^3 और 300 m^3 की कमी है। नीचे के अधिशेष को इनके विरुद्ध नहीं गिना जा सकता: निचला भंडारण हर बाढ़ में जल्दी भर जाता है और तब उपलब्ध नहीं होता जब भराई शिखर के निकट भंडारण छीन लेती है। यह डिजाइन खंड 7.6.4(b) में विफल है और इसे फिर से ढलानदार बनाया जाना होगा ताकि ऊपरी पट्टियाँ कम से कम उतना प्राप्त करें जितना वे खोती हैं, जैसा पहले प्रयास में है।

अध्याय 8 के परिशिष्ट

जल गुणवत्ता और पुनर्भरण

ये परिशिष्ट अध्याय 8 के पूरक हैं। इनमें जल गुणवत्ता के लिए वर्षा तालिकाओं का ढाँचा, सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी की विधि का विस्तृत विवरण, BMP अंशांकन कार्यक्रम का ढाँचा, प्रत्येक BMP के लिए डिजाइन पत्रक, निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण, और वे दो प्रपत्र दिए गए हैं जिनकी अपेक्षा खंड 8.14 करता है। परिशिष्ट 8A और 8C के लिए ऐसे आँकड़े आवश्यक हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; वे यह बात स्पष्ट करते हैं और तब तक उपयोग किया जाने वाला नियम देते हैं। प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं।

परिशिष्ट 8A — जोन के अनुसार 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई और IDF

अध्याय 8 के खंड 8.2, 8.4.1 और 8.4.5 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में अध्याय 2 के प्रत्येक वर्षा जोन के लिए 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई P_3m और Q_wq के लिए प्रयुक्त 3-माह ARI तीव्रता–अवधि संबंध होंगे। इसके लिए दीर्घकालिक दैनिक और उप-दैनिक वर्षा अभिलेख (IMD केंद्र और ग्रिड आँकड़े, अध्याय 2 के प्राथमिक स्रोत के रूप में NIH के साथ) आवश्यक हैं, जिनका विश्लेषण आंशिक-अवधि श्रृंखला के रूप में किया जाए। इसके प्रकाशित होने तक, डिजाइनकर्ता साइट के जोन के लिए उपलब्ध सबसे लंबे दैनिक अभिलेख से P_3m की गणना, औसतन वर्ष में चार बार बराबर होने वाली या पार होने वाली 24-घंटे की गहराई के रूप में (खंड 8.2), करेगा, जल गुणवत्ता पत्रक (प्रपत्र 8-1) पर अभिलेख, उसकी अवधि और विधि बताएगा, और P_wq = max (P_ret, P_3m) (खंड 8.4.1) का उपयोग करेगा। जलवायु गुणक लागू नहीं किया जाता (खंड 8.4.3)।

8A.1 परिशिष्ट तैयार करने में प्रयुक्त की जाने वाली विधि

- (a) जहाँ उपलब्ध हों, कम से कम 30 वर्षों के दैनिक अभिलेखों का उपयोग करें (जैसे अध्याय 2 में केंद्र IDF के लिए)।
- (b) 24-घंटे की गहराइयों की आंशिक-अवधि श्रृंखला बनाएँ, जिसमें स्वतंत्र घटनाएँ कम से कम एक शुष्क दिन से अलग हों।
- (c) सीमा-मान ऐसा चुनें कि उससे ऊपर की घटनाओं की संख्या का औसत प्रति वर्ष चार हो; P_3m वही सीमा-मान है।
- (d) 10 मिनट से 24 घंटे तक की अवधियों के लिए 3-माह ARI तीव्रताएँ उप-दैनिक अभिलेखों से, या दैनिक मान से अनुमापन की अध्याय 2 की विधि से, निकालें, और बताएँ कि कौन-सी विधि अपनाई गई।
- (e) जलवायु गुणक लागू न करें (खंड 8.4.3)।

तालिका 8A.1 — जोन के अनुसार जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराइयाँ (ढाँचा)

जोन (अध्याय 2)	प्रतिनिधि केंद्र या ग्रिड	अभिलेख (वर्ष)	P_ret, परिशिष्ट 2E (mm)	P_3m (mm)	P_wq = max (mm)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

जोन (अध्याय 2)	प्रतिनिधि केंद्र या ग्रिड	अभिलेख (वर्ष)	P_ret, परिशिष्ट 2E (mm)	P_3m (mm)	P_wq = max (mm)
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8A.2 — अवधि के अनुसार 3-माह ARI तीव्रता (ढाँचा)

जोन	10 min (mm/h)	15 min (mm/h)	30 min (mm/h)	1 h (mm/h)	2 h (mm/h)	6 h (mm/h)	24 h (mm/h)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8B — पुनर्विकास के लिए LoS तालिका और उपचार शृंखला की संयुक्त VR

अध्याय 8 के खंड 8.6.2 से 8.6.5 के लिए।

8B.1 पुनर्विकास के लिए आवश्यक सेवा स्तर

तैयार किया जाना है. इस भाग में पुनर्विकास साइटों (साइट के 20% या अधिक पर विद्यमान अपारगम्य आवरण, खंड 8.6.2) के लिए आवश्यक सेवा स्तर दिया जाएगा। MARC/APWA BMP Manual (2012, Table 4.3) विक्षुब्ध क्षेत्र के भीतर अपारगम्य आवरण के प्रतिशत से पुनर्विकास LoS निर्धारित करता है; छत्तीसगढ़ के मान राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किए जाने और स्थानीय पुनर्विकास मामलों पर जाँचे जाने हैं। इसके प्रकाशित होने तक, किसी पुनर्विकास साइट के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र हेतु आवश्यक LoS **6** है। जहाँ विद्यमान स्थिति से विकास-पश्चात स्थिति तक CN में परिवर्तन पर लागू की गई तालिका 8.2 उच्चतर LoS देती है, वहाँ वह उच्चतर LoS लागू होता है। यह अंतरिम मान इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। जो पुनर्विकास साइट अध्याय 4 के अंतर्गत अपना पूरा WQv साइट पर रोकती है, उसे उस क्षेत्र के लिए पूर्व-उपचार, हॉटस्पॉट नियंत्रणों और आउटफॉल संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है (खंड 8.4.4)।

तालिका 8B.1 — पुनर्विकास के लिए आवश्यक LoS (ढाँचा)

विक्षुब्ध क्षेत्र के भीतर विद्यमान अपारगम्य आवरण (%)	अपारगम्य आवरण में परिवर्तन	आवश्यक LoS
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8B.2 संयुक्त मूल्य श्रेणी: क्षेत्र-भारित विधि

किसी साइट की संयुक्त VR, साइट के प्रत्येक भाग की सेवा करने वाली BMP की VR का क्षेत्र-भारित औसत है (खंड 8.6.3):

> VR_site = Σ (A_i × VR_i) / Σ A_i + VR_signage

जहाँ:

- A_i = साइट के भाग i का क्षेत्रफल, ha;
- VR_i = भाग i की सेवा करने वाली BMP की मूल्य श्रेणी (तालिका 8.3), जो केवल तभी गिनी जाती है जब BMP पूरे A_i के लिए खंड 8.6.4 को पूरा करे;
- Σ A_i = पूरी साइट का क्षेत्रफल: साइट का प्रत्येक भाग किसी एक BMP को, या संरक्षित देशज वनस्पति को, सौंपा जाता है; जिस भाग की सेवा कोई BMP नहीं करती उसे VR_i = 0 के साथ दर्ज किया जाता है; और
- VR_signage = 0.25 जहाँ जन शिक्षा के संकेत-पट लगाए गए हों (तालिका 8.3), अन्यथा 0।

साइट अनुपालन करती है जहाँ VR_site ≥ आवश्यक LoS (खंड 8.6.3)।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. 1.0 ha की एक साइट जो पुनर्विकास नहीं है, ΔCN = 18 के साथ। आवश्यक LoS = 8 (तालिका 8.2)।

तालिका 8B.2 — हल किया गया उदाहरण: संयुक्त VR (उदाहरणार्थ)

भाग	क्षेत्रफल A_i (ha)	BMP	VR_i (तालिका 8.3)	A_i × VR_i
बायोरिटेंशन में जाने वाली छतें और पक्की सतह	0.60	बायोरिटेंशन	8.5	5.100
कार पार्क	0.25	पारगम्य पेवमेंट	7.5	1.875
सीमा के साथ संरक्षित पट्टी	0.15	देशज वनस्पति (संरक्षित)	9.25	1.388
कुल	1.00			8.363

- क्षेत्र-भारित VR = 8.363 / 1.00 = 8.36
- संकेत-पट लगाए गए: + 0.25
- VR_site = 8.61 ≥ 8। साइट अनुपालन करती है।

पारगम्य पेवमेंट के बिना (कार पार्क का पानी बिना उपचार के जाता है, VR = 0): (5.100 + 0 + 1.388) / 1.00 + 0.25 = 6.74 < 8। साइट अनुपालन नहीं करेगी।

8B.3 उपचार शृंखलाएँ

तैयार किया जाना है. इस भाग में क्रम में लगी BMP (उपचार शृंखला) की संयुक्त VR दी जाएगी, जो MARC/APWA BMP Manual (2012, Table 4.6) की पद्धति का अनुसरण करेगी, और जिसके मानों की पुष्टि छत्तीसगढ़ के लिए खंड 8.13.4 के अंशांकन कार्यक्रम (परिशिष्ट 8C) द्वारा की जानी है। इसके प्रकाशित होने तक, साइट के प्रत्येक भाग को शृंखला की उस एक BMP की VR का क्रेडिट मिलता है जो उस भाग के लिए खंड 8.6.4 को पूरा करती है, सामान्यतः निस्सरण से पहले की अंतिम BMP, और क्रम में लगी BMP के लिए कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्रेडिट की गई BMP से प्रतिप्रवाह की ओर स्थित पूर्व-उपचार युक्तियाँ, गाद-जाल और तेल-ग्रिट पृथक्कारी अपनी कोई VR अर्जित नहीं करते (खंड 8.6.4(c), 8.7.11(c) और 8.7.12(c))।

तालिका 8B.3 — उपचार शृंखलाओं की संयुक्त VR (ढाँचा)

पहली BMP	दूसरी BMP	संयुक्त VR	शर्तें
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8C — छत्तीसगढ़ में BMP के प्रदर्शन का अंशांकन

अध्याय 8 के खंड 8.6.3, 8.13 और 8.15.1 के लिए।

> **तैयार किया जाना है.** इस परिशिष्ट में राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति के BMP प्रदर्शन अंशांकन कार्यक्रम (खंड 8.13.4) की रिपोर्ट होगी: छत्तीसगढ़ में बनी BMP के लिए मापी गई अंतर्वाह और बहिर्वाह सांद्रताएँ और आयतन, और उनसे निकलने वाली संशोधित मूल्य श्रेणियाँ। इसके लिए कई दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में BMP की वर्षा के समय की निगरानी, CPCB की विधियों के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण, और खंड 10.17 के अंतर्गत प्रकाशित खंड 8.13.1 की आउटफॉल निगरानी आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक, तालिका 8.3 (MARC/APWA 2012) की मूल्य श्रेणियाँ लागू होती हैं, और कोई स्वामित्वाधीन युक्ति केवल सत्यापित परीक्षण आँकड़ों से ही VR अर्जित करती है (तालिका 8.3)।

नीचे दिए गए ढाँचे वे न्यूनतम अभिलेख निर्धारित करते हैं जो कार्यक्रम रखेगा, ताकि विभिन्न प्राधिकारियों के परिणामों को एक साथ मिलाया जा सके।

तालिका 8C.1 — निगरानी स्थल रजिस्टर (ढाँचा)

स्थल ID	BMP का प्रकार (तालिका 8.3)	स्थान और प्राधिकारी	जलग्रहण क्षेत्र (ha)	अपारगम्य (%)	मिट्टी और भूजल की स्थिति	चालू करने की तिथि	पूर्व-उपचार
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8C.2 — घटना अभिलेख (ढाँचा; खंड 8.13.2 के प्राचल)

स्थल ID	घटना की तिथि	वर्षा (mm)	अंतर्वाह आयतन (m^3)	बहिर्वाह आयतन (m^3)	TSS अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	BOD अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	COD अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	फीकल कोलीफॉर्म अंतर्वाह / बहिर्वाह (MPN/100 mL)	TN अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	TP अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	तेल और ग्रीस अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	भारी धातुएँ (औद्योगिक जलग्रहण क्षेत्र)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8C.3 — प्रदर्शन सारांश और प्रस्तावित VR (ढाँचा)

BMP का प्रकार	स्थल	घटनाएँ	आयतन में कमी (%)	बहिःस्राव TSS की माध्यिका (mg/L)	अन्य निष्कर्ष	तालिका 8.3 में VR	प्रस्तावित VR
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8D — BMP डिजाइन पत्रक, माध्यम विनिर्देश, पौधों की सूचियाँ

अध्याय 8 के खंड 8.5, 8.7, 8.8 और 8.11 के लिए।

प्रत्येक डिजाइन पत्रक एक BMP के लिए अध्याय 8 की अपेक्षाओं को एकत्र करता है। खंड 8.7.1 में "अनुशंसित प्रारंभिक मान" के रूप में चिह्नित मानों से औचित्य के साथ विचलन किया जा सकता है। जो मान मैनुअल निर्धारित नहीं करता, वे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित हैं; डिजाइनकर्ता उन्हें बताएगा और उनका औचित्य देगा। प्रत्येक BMP के लिए यह भी आवश्यक है: WQv या Q_wq के लिए आकार निर्धारण (खंड 8.6.4(a)), पूर्व-उपचार (खंड 8.5.3), Q_wq से अधिक प्रवाहों के लिए सुरक्षित बाइपास (खंड 8.4.6) और रखरखाव के लिए पहुँच (अध्याय 10)।

8D.1 डिजाइन पत्रक

तालिका 8D.1 — पूर्व-उपचार (सभी BMP)

मद	अपेक्षा	खंड
कहाँ आवश्यक	प्रत्येक बायोरिटेंशन सेल, अंतःस्यंदन सुविधा, बाहर से आने वाला अपवाह प्राप्त करने वाला पारगम्य पेवमेंट, वेट पॉन्ड और निर्मित आर्द्रभूमि, प्रत्येक संकेंद्रित अंतर्वाह पर	8.5.3
प्रकार	तलछट फोरबे, घास फिल्टर पट्टी, गाद-जाल या स्वामित्वाधीन युक्ति	8.5.3
आकार	अपने योगदान देने वाले क्षेत्र के WQv का कम से कम 10% रोके; या Q_wq के लिए आकारित (प्रवाही युक्तियाँ)	8.5.3
पहुँच	मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना साफ की जा सके	8.5.4
गाद-जाल और कैच पिट	कच्ची भूमि से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक इनलेट पर, और किसी BMP या जलाशय में गिरने वाली प्रत्येक ड्रेन के इनलेट पर; आउटलेट इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे संप; कोई VR अर्जित नहीं करते	8.7.12

तालिका 8D.2 — बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान (चित्र 8.2)

मद	अपेक्षा	खंड
जल रुकने की गहराई	मल्च के ऊपर ≤ 300 mm, अधिकतम जल रुकने के स्तर पर अतिप्रवाह के साथ	8.7.2(a)
रुके जल का खाली होना	48 h के भीतर	8.7.2(b)
फिल्टर माध्यम	600–900 mm इंजीनियर्ड बलुई दोमट, कम महीन कण, कम फॉस्फोरस (तालिका 8D.12)	8.7.2(c)
मल्च	50–75 mm	8.7.2(c)
संक्रमण (चोकर) और बजरी जल निकासी परतें	आवश्यक; मोटाई और श्रेणीकरण की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.7.2(d)
अंडरड्रेन	छिद्रित; जहाँ डिजाइन अंतःस्यंदन दर 48 h में खाली होने की अपेक्षा पूरी न कर सके, या जहाँ लाइनरयुक्त हो, वहाँ आवश्यक; व्यास की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.7.2(e)

मद	अपेक्षा	खंड
लाइनर	जहाँ खंड 8.8 पूरा न हो सके, और हॉटस्पॉट पर, आवश्यक	8.7.2(f)
पौधे	देशज या प्राकृतिकीकृत, जलभराव और लंबी शुष्क अवधि सहने वाले (तालिकाएँ 8D.13 और 8D.14)	8.7.2(g)
VR	8.5 (वर्षा उद्यान / अंतःस्यंदन 9.0)	तालिका 8.3

तालिका 8D.3 — वनस्पति स्वेल

मद	अपेक्षा	खंड
काट	समलंबी या परवलयिक; पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े नहीं	8.7.3(a)
अनुदैर्ध्य ढलान	0.5% से 4%; अधिक खड़े ढलान पर चेक डैम	8.7.3(b)
Q_wq पर प्रवाह	गहराई घास की ऊँचाई से अधिक नहीं; वेग ≤ 0.3 m/s	8.7.3(c)
1% AEP या बाइपास प्रवाह	कोई अपरदन नहीं (अध्याय 9 के अनुमेय वेग)	8.7.3(d)
अंडरड्रेनयुक्त ("शुष्क") स्वेल	जहाँ ढलान < 1% हो या उप-मृदा में जल निकासी कमजोर हो; फिल्टर माध्यम तालिका 8D.12 के अनुसार	8.7.3(e)
VR	4.0 (देशज वनस्पति स्वेल)	तालिका 8.3

तालिका 8D.4 — वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
अंतर्वाह	केवल परत प्रवाह; जहाँ प्रवाह संकेंद्रित होकर आए वहाँ समतल प्रसारक	8.7.4(a)
प्रवाह की दिशा में लंबाई	≥ 5 m	8.7.4(b)
ढलान	1% से 8%	8.7.4(b)
उपयोग	मुख्यतः बायोरिटेंशन, अंतःस्यंदन और स्वेल के लिए पूर्व-उपचार	8.7.4(c)
VR	5.0	तालिका 8.3

तालिका 8D.5 — पारगम्य पेवमेंट

मद	अपेक्षा	खंड
बाहर से आने वाला अपवाह	अपारगम्य क्षेत्र ≤ 2 × पारगम्य क्षेत्र; कच्चे या अपरदित हो रहे क्षेत्रों से कोई अपवाह नहीं	8.7.5(a)
आधार जलाशय	स्वच्छ खुले श्रेणीकरण वाला एग्रीगेट, जो अपने रिक्त स्थानों में WQv का अपना हिस्सा रोके; रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट	8.7.5(b)
खुला (अंतःस्यंदन करने वाला) आधार	केवल जहाँ खंड 8.8 पूरा हो; अन्यथा अंडरड्रेन के साथ लाइनरयुक्त और केवल निस्यंदन के रूप में गिना जाए	8.7.5(c)
संरचना	सड़क प्राधिकारी के मानकों के अनुसार यातायात भार के लिए डिजाइन	8.7.5(d)
अपवर्जन	हॉटस्पॉट पर नहीं; जहाँ इसे अपारगम्य सामग्री से पुनः बिछाया जाएगा वहाँ नहीं	8.7.5(e)

मद	अपेक्षा	खंड
VR	7.5	तालिका 8.3

तालिका 8D.6 — अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन (चित्र 8.3)

मद	अपेक्षा	खंड
पूर्व-उपचार	सदैव (तालिका 8D.1)	8.7.6(a)
भराई	स्वच्छ धुला एग्रीगेट, रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट; पार्श्वों और ऊपर जियोटेक्सटाइल; रेत का आधार	8.7.6(b)
प्रेक्षण कुआँ	प्रत्येक खाई के आधार तक	8.7.6(c)
भंडारण	रिक्त स्थानों में रोका गया WQv (या अध्याय 4 का प्रतिधारण आयतन, यदि अधिक हो)	8.7.6(d)
खाली होना	डिजाइन अंतःस्यंदन दर पर 72 h के भीतर खाली	8.7.6(d), 8.8.7
अतिप्रवाह	सतह के स्तर पर, लघु या प्रमुख प्रणाली में	8.7.6(e)
चालू करना	योगदान देने वाले क्षेत्र के स्थिर होने तक सेवा में नहीं	8.7.6(f)
मानदंड	खंड 8.8 के सभी (तालिका 8D.11)	8.8

तालिका 8D.7 — वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण)

मद	अपेक्षा	खंड
स्थायी जल-भंडार	≥ WQv	8.7.7(a)
विस्तारित अस्थायी भंडारण	जल-भंडार के ऊपर WQv, 24–48 h में छोड़ा जाए	8.7.7(a), 8.4.7
फोरबे	प्रत्येक इनलेट पर	8.7.7(b)
प्रवाह मार्ग	लंबाई-चौड़ाई ≥ 3:1; कोई शॉर्ट-सर्किट प्रवाह नहीं	8.7.7(c)
जल-भंडार की गहराई	1.0–2.5 m, सुरक्षा बेंच के साथ (खंड 7.9.4)	8.7.7(d)
जल संतुलन	IMD वर्षा और पैन वाष्पन से मासिक संतुलन: 10 वर्षों में सबसे शुष्क वर्ष में भी जल-भंडार के आयतन का ≥ 50% बना रहे; भूजल, पेयजल या सीवेज से नहीं भरा जाए	8.7.8
बाढ़ के लिए अस्थायी भंडारण	अध्याय 4 का अस्थायी भंडारण विस्तारित अस्थायी भंडारण स्तर के ऊपर हो सकता है	8.7.7(f)
VR	5.0	तालिका 8.3

तालिका 8D.8 — निर्मित आर्द्रभूमियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
विन्यास	इनलेट पर अवसादन तालाब (फोरबे), फिर उथला वृहत्पादप क्षेत्र	8.7.9(a)
विस्तारित अस्थायी भंडारण	सामान्य जल स्तर के ऊपर WQv, 24–48 h में छोड़ा जाए; गहराई ≤ 0.5 m	8.7.9(b)

मद	अपेक्षा	खंड
प्रवाह मार्ग	लंबाई-चौड़ाई ≥ 3:1; प्रवाह मार्ग के आर-पार गहरे क्षेत्र	8.7.9(c)
बाइपास	उच्च-प्रवाह बाइपास ताकि बाढ़ वृहत्पादप क्षेत्र को न खुरचे	8.7.9(d)
तालाब के इनलेट पर	तालाब के सेटबैक के भीतर, उसके जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर; तालाब के भंडारण के रूप में नहीं गिना जाए	8.7.9(e)
जल संतुलन	वेट पॉन्ड के समान (आर्द्रभूमि की न्यूनतम गहराई बनी रहे)	8.7.8
VR	7.0 (विस्तारित अस्थायी भंडारण आर्द्रभूमि)	तालिका 8.3

तालिका 8D.9 — स्थूल प्रदूषक जाल और आउटफॉल की जालियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
उपचार प्रवाह	Q_wq; 1% AEP तक के सभी प्रवाह पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना निकलें	8.7.10(a)
पकड़ का आकार	लगभग 5 mm तक	8.7.10(b)
हेड हानि	ड्रेन की HGL में (अध्याय 9), जाली 50% अवरुद्ध	8.7.10(c), 8.10.3(a)
भंडारण	O&M सफाई अंतराल के लिए; 3-मासिक सफाई से कम नहीं	8.7.10(d)
पहुँच	सक्शन या ग्रैब सफाई के लिए वाहन की पहुँच; सफाई के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म	8.7.10(e), 8.10.3(d)
अवरुद्ध जाली	अतिप्रवाह या बाइपास मार्ग ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली संपत्ति को जलमग्न न करे	8.10.3(b)
छड़ों के बीच की दूरी	खतरे के अनुसार चुनी जाए: कचरा पकड़ने के लिए कम, जहाँ अवरोध से बाढ़ आएगी वहाँ अधिक; डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.10.3(c)

तालिका 8D.10 — तेल-ग्रिट पृथक्कारी

मद	अपेक्षा	खंड
कहाँ	ईंधन स्टेशन; वाहन वर्कशॉप और धुलाई स्थल; बस और ट्रक डिपो; 50 से अधिक स्थानों वाले पार्किंग क्षेत्र	8.7.11(a)
आकार निर्धारण	Q_wq, उच्च-प्रवाह बाइपास के साथ	8.7.11(b)
अकेले नहीं	जहाँ साइट को 5 से अधिक VR की आवश्यकता हो वहाँ इसके बाद निस्यंदन BMP; हॉटस्पॉट पर किसी भी अंतःस्यंदन से पहले लाइनरयुक्त निस्यंदन BMP	8.7.11(c), 8.8.8

तालिका 8D.11 — अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड (सभी अंतःस्यंदन BMP)

मद	अपेक्षा	खंड
भूजल से दूरी	मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से ≥ 1.0 m नीचे (अधिसूचित तटीय रेत में केवल छत का अपवाह: उभार जाँच के साथ ≥ 0.5 m, उभार आधार से ≥ 0.3 m नीचे)	8.8.1, 8.8.9(d)
आधार-शैल या अपारगम्य परत	आधार ≥ 1.0 m ऊपर, जब तक कि खंड 8.8.10 के अंतर्गत चट्टानी जलभृत के पुनर्भरण के लिए डिजाइन न हो	8.8.2

मद	अपेक्षा	खंड
परीक्षण	बेसिन, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट के लिए डबल-रिंग (ASTM D3385); खाइयों, सोख गड्ढों, गड्ढों, कुओं के लिए फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन (उदाहरण के लिए BRE Digest 365); प्रति सुविधा ≥ 2 और आधार के प्रति 100 m^2 या खाई के प्रति 50 m पर ≥ 1; प्रपत्र 8-2	8.8.3
डिजाइन दर	मापी गई दर ÷ 2.0 (परीक्षण 8.8.3(c) को पूरा करें और उनमें 2 गुने से अधिक का अंतर न हो), अन्यथा ÷ 3.0	8.8.4
न्यूनतम दरें	≥ 13 mm/h पूर्ण अंतःस्यंदन; 3–13 mm/h आंशिक, अंडरड्रेन सहित, क्रेडिट केवल 72 h के भीतर अंतःस्यंदित आयतन के लिए; < 3 mm/h कोई क्रेडिट नहीं	8.8.5
सेटबैक (पक्की सतहों से अपवाह)	नींव 3 m, बेसमेंट 5 m; संपत्ति की सीमा 1.5 m; पेयजल कुआँ या बोरवेल 30 m; सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढा 15 m; 1V:3H से अधिक खड़े ढलान का शिखर 6 m	8.8.6
फैलने वाली मिट्टी	नींव से सेटबैक दोगुना	8.8.11(b)
खाली होना	डिजाइन दर पर 72 h के भीतर खाली; निर्माण के बाद परीक्षण	8.8.7
हॉटस्पॉट	उपचार के बिना कोई अंतःस्यंदन नहीं; अपशिष्ट स्थलों और दूषित भूमि पर बिल्कुल नहीं	8.8.8
सड़क का अपवाह	कभी भी किसी कुएँ, बोरवेल या पुनर्भरण शाफ्ट में सीधे नहीं ले जाया जाए	8.11.3(b)

8D.2 बायोरिटेंशन के खाली होने की जाँच

48 घंटे में रुके जल का खाली होना (खंड 8.7.2(b)) और खंड 8.8.5 की न्यूनतम दरें मिलकर तय करती हैं कि किसी सेल को अंडरड्रेन की आवश्यकता है या नहीं।

- अधिकतम जल रुकने की गहराई को 48 h में खाली करने के लिए आवश्यक दर = 300 mm / 48 h = 6.25 mm/h।
- डिजाइन दर ≥ 13 mm/h: पूर्ण अंतःस्यंदन, बिना अंडरड्रेन, बशर्ते खंड 8.8 पूरा हो।
- डिजाइन दर 6.25 mm/h से 13 mm/h तक: रुका जल समय पर निकल जाता है, परंतु खंड 8.8.5(b) लागू होता है, इसलिए अंडरड्रेन आवश्यक है।
- डिजाइन दर 6.25 mm/h से कम: रुका जल अंतःस्यंदन द्वारा 48 h में नहीं निकल सकता; अंडरड्रेन आवश्यक है (खंड 8.7.2(e)), और 3 mm/h से कम पर कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं दिया जाता।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. किसी प्रस्तावित सेल के आधार पर दो परीक्षण 30 mm/h और 22 mm/h देते हैं। दोनों परिणामों में 30 / 22 = 1.36 गुने का अंतर है, जो 2 से अधिक नहीं है, और परीक्षणों की संख्या खंड 8.8.3(c) को पूरा करती है, इसलिए सुरक्षा गुणक 2.0 है। कम परिणाम लेते हुए, डिजाइन दर = 22 / 2.0 = 11 mm/h। यह 6.25 mm/h से अधिक है, इसलिए रुका जल 300 / 11 = 27 h में, 48 h के भीतर, निकल जाता है। यह 13 mm/h से कम है, इसलिए सेल अंडरड्रेन सहित आंशिक-अंतःस्यंदन डिजाइन है (खंड 8.8.5(b))।

8D.3 फिल्टर माध्यम विनिर्देश

तालिका 8D.12 — बायोरिटेंशन फिल्टर माध्यम और परतें

परत	अध्याय 8 की अपेक्षा	डिजाइन में पुष्टि किए जाने वाले मान
मल्च	50–75 mm (खंड 8.7.2(c)); कटी हुई कठोर लकड़ी या इसी प्रकार की कार्बनिक मल्च जो जल रुकने की गहराई पर तैरकर न बहे	सामग्री और स्रोत

परत	अध्याय 8 की अपेक्षा	डिजाइन में पुष्टि किए जाने वाले मान
फिल्टर माध्यम	कम महीन कणों और कम फॉस्फोरस वाली 600–900 mm इंजीनियर्ड बलुई दोमट (खंड 8.7.2(c))	कण आकार श्रेणीकरण; महीन कणों (गाद + चिकनी मिट्टी) की सीमा; कार्बनिक पदार्थ की मात्रा; फॉस्फोरस की सीमा; संघनित माध्यम की संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता; प्रत्येक खेप के लिए स्रोत और परीक्षण प्रमाण-पत्र
संक्रमण (चोकर) परत	माध्यम और बजरी के बीच, माध्यम को बजरी में बहने से रोकने के लिए (खंड 8.7.2(d))	मोटाई और श्रेणीकरण, माध्यम और बजरी से मेल खाते हुए
बजरी जल निकासी परत	संक्रमण परत के नीचे, अंडरड्रेन को घेरे हुए (खंड 8.7.2(d))	मोटाई, श्रेणीकरण, धुली हुई
अंडरड्रेन	जहाँ खंड 8.7.2(e) लागू हो वहाँ छिद्रित पाइप, सफाई द्वारों (cleanouts) के साथ	व्यास, ढलान, छिद्रण, आउटलेट स्तर
लाइनर	जहाँ खंड 8.7.2(f) लागू हो (खंड 8.8 पूरा न हो सके; हॉटस्पॉट)	लाइनर का प्रकार और सुरक्षा

माध्यम का बिछाने से पहले परीक्षण किया जाएगा, और उसे भारी संघनन के बिना परतों में बिछाया जाएगा। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को इस परिशिष्ट की समीक्षा करते समय, रेत और कम्पोस्ट के स्थानीय स्रोतों के साथ, श्रेणीकरण, महीन कणों, कार्बनिक पदार्थ और फॉस्फोरस की संख्यात्मक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए।

8D.4 पौधों की सूचियाँ

नीचे दी गई सूचियाँ **सांकेतिक** हैं। इनमें ऐसी प्रजातियों के नाम हैं जो मध्य भारत में देशज हैं या लंबे समय से प्राकृतिकीकृत हैं और गीली और शुष्क दोनों प्रकार की अवधियाँ सहने के लिए जानी जाती हैं, या, जहाँ अंकित है, केवल शुष्क ऊपरी भूमि के लिए; वर्षा जल के लिए रोपण पर छत्तीसगढ़ के किसी स्रोत पर इस मैनुअल के लिए शोध नहीं किया गया। हिन्दी या उर्दू नाम केवल वहीं दिए गए हैं जहाँ जे. टी. प्लैट्स (J. T. Platts), *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (1884, डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी द्वारा उपलब्ध कराए गए रूप में), उस प्रजाति या नामित पौधे के लिए नाम देता है, पृष्ठ सहित; डैश का अर्थ है कि किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई। प्लैट्स प्रायः पुराने वानस्पतिक नामों का उपयोग करता है, जो टिप्पणियों में दिए गए हैं। किसी छत्तीसगढ़ी नाम की जाँच नहीं की गई। अंतिम चयन की पुष्टि साइट की मिट्टी और भूजल स्तर के लिए किसी उद्यान विशेषज्ञ (horticulturist) या राज्य वन विभाग से की जाएगी। कन्हार (kanhar) और डोरसा (dorsa) की निचली भूमि पर और तालाब (talab) के किनारों पर स्थित साइटों के लिए ऐसी प्रजातियाँ चाहिए जो भारी, फटने वाली चिकनी मिट्टी सह सकें, जो मानसून में पानी में डूबी रहती है और उसके बाद कठोर और सूखी हो जाती है; भाठा (bhata) और मटासी (matasi) की ऊपरी भूमि पर और लैटेराइट पर स्थित साइटों के लिए ऐसी प्रजातियाँ जो मुरम या चट्टान के ऊपर की शुष्क, पतली मिट्टी सह सकें; और ओवरबर्डन डंपों के आधार (toe), तलछट बेसिनों के किनारों और ऐश पॉन्डों के किनारों के लिए ऐसी प्रजातियाँ जो ढीले, अनुपजाऊ खनन मलबे (spoil) को बाँध सकें।

तालिका 8D.13 — बायोरिटेंशन, स्वेल और फिल्टर पट्टियों के लिए सांकेतिक पौधे

उपयोग	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, बायोरिटेंशन के किनारे, डंप के आधार	*Chrysopogon zizanioides* (vetiver)	ख़स / خس (k̲has)	गहरी जड़ों वाली गुच्छेदार घास; बाढ़ और सूखा सहती है; पार्श्व ढलानों, तालाब (talab) के किनारों और ओवरबर्डन डंपों के आधार (toe) पर मिट्टी बाँधती है। प्लैट्स: "एक सुगंधित घास, *Andropogon muricatum* (जिसकी जड़ों से *taṭṭīs* बनाई जाती हैं)" ("A fragrant grass, *Andropogon muricatum* (from the roots of which *taṭṭīs* are made)") (पृ. 489), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है
स्वेल और फिल्टर पट्टियाँ (घास का मैदान)	*Cynodon dactylon* (Bermuda grass)	दूब / دوب (dūb)	नीची घास; सूखा, आवागमन और अल्पकालिक बाढ़ सहती है। प्लैट्स: "बेंट घास, पैनिक घास, *Panicum dactylon*, या *Cynodon dactylon*" ("Bent grass, panic grass, *Panicum dactylon*, or *Cynodon dactylon*") (पृ. 531)

उपयोग	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
डूब क्षेत्र की साइटों पर स्वेल और किनारे	*Saccharum spontaneum*	कास / کاس (kās)	नदी की रेत की देशज ऊँची घास; किनारों को बाँधती है; जहाँ यह किसी चैनल में बाधा डाले वहाँ काट दी जाए। प्लैट्स: "घास की एक प्रजाति, जिससे रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं, *Saccharum spontaneum*" ("A species of grass, of which ropes, &c. are made, *Saccharum spontaneum*") (पृ. 801)
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास वृक्ष	*Syzygium cumini*	जामुन, जामन / جامن (jāmun, jāman)	देशज; गीली भूमि सहता है। प्लैट्स: "वृक्ष *Eugenia jambelana*, या *Syzygium jambolanum*, और उसका फल" ("The tree *Eugenia jambelana*, or *Syzygium jambolanum*, and its fruit") (पृ. 372)
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास वृक्ष	*Millettia pinnata* (syn. *Pongamia pinnata*)	करंज / کرنج (karanj)	देशज; जलभराव और सूखा सहता है। प्लैट्स *Galedupa arborea* का नाम देता है, जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है, परंतु उसी शब्द के अंतर्गत फीवर-नट *Caesalpinia bonducella* का भी (पृ. 828); आपूर्तिकर्ता से प्रजाति की पुष्टि करें। जड़ों को अंडरड्रेन से दूर रखें
बायोरिटेंशन, स्वेल और चैनलों के पास वृक्ष	*Terminalia arjuna*	अर्जुन / ارجن (arjun)	नदी किनारे का देशज वृक्ष; मौसमी बाढ़ सहता है। प्लैट्स: "एक विशेष वृक्ष, *Terminalia alata glabra*" ("a certain tree, *Terminalia alata glabra*") (पृ. 39); यह नाम इसी प्रजाति के लिए है, इसकी पुष्टि प्लैट्स में नहीं हुई
वेट पॉन्ड के पास और निचली भूमि की साइटों पर वृक्ष	*Neolamarckia cadamba* (syn. *Anthocephalus cadamba*)	कदम्ब / کدمب (kadamb)	देशज; गीली भूमि सहता है। प्लैट्स: "वृक्ष *Nauclea cadamba*" ("The tree *Nauclea cadamba*") (पृ. 821), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है; प्लैट्स संस्कृत रूप देता है, और बोलचाल के रूप kadam की जाँच नहीं की गई
भाठा और लैटेराइट के किनारों, स्वेल के किनारों और डंप के आधार पर वृक्ष	*Butea monosperma* (palash)	पलाश / پلاش (palāś); ढाक / ڈھاک (ḍhāk)	देशज; अनुपजाऊ, कठोर और मौसमी रूप से गीली भूमि सहता है। प्लैट्स: "वृक्ष *Butea frondosa*" ("the tree *Butea frondosa*") (पृ. 267) और "*Butea frondosa* (पर्याय *palās*...)" ("The *Butea frondosa* [syn. *palās*...]") (पृ. 569), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है
केवल शुष्क ऊपरी किनारों पर वृक्ष (गीले क्षेत्र में नहीं)	*Shorea robusta* (sal)	साल / سال (sāl)	देशज वन वृक्ष; जलभराव नहीं सहता, इसलिए केवल स्वेल और फिल्टर पट्टियों के ऊपरी किनारों पर और 50% AEP स्तर से ऊपर के किनारों पर लगाया जाता है, कन्हार पर कभी नहीं। प्लैट्स: "साल वृक्ष, *Shorea robusta*, और उसकी लकड़ी" ("The saul tree, *Shorea robusta*, and its wood") (पृ. 626)
केवल शुष्क ऊपरी किनारों पर वृक्ष (गीले क्षेत्र में नहीं)	*Madhuca longifolia* var. *latifolia* (mahua)	महुआ / مہوا (mahu'ā)	देशज; सूखा-सहिष्णु; शुष्क किनारों और ऊपरी भूमि के किनारों पर लगाया जाता है, बायोरिटेंशन सेल में नहीं। प्लैट्स: "वृक्ष *Bassia latifolia*, और उसका फूल" ("The tree *Bassia latifolia*, and its flower") (पृ. 1101), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है
डूब क्षेत्र की साइटों पर चैनलों के पास वृक्ष	*Dalbergia sissoo*	शीशम / شیشم (śīśam)	नदी तट का वृक्ष, व्यापक रूप से रोपित। प्लैट्स: "वृक्ष *Dalbergia sisu*, और उसकी लकड़ी" ("The tree *Dalbergia sisu*, and its wood") (पृ. 740)
वेट पॉन्ड और चैनलों के पास वृक्ष	*Ficus racemosa* (syn. *F. glomerata*)	गूलर / گولر (gūlar)	धाराओं के किनारों का देशज अंजीर। प्लैट्स: "जंगली अंजीर, *Ficus glomerata*" ("The wild fig, *Ficus glomerata*") (पृ. 926)। जड़ों को अंडरड्रेन, पाइपों और दीवारों से दूर रखें
बायोरिटेंशन (फूलदार, गीले क्षेत्र)	*Canna indica*	—	प्राकृतिकीकृत; जलभराव सहता है; भारत में निर्मित आर्द्रभूमियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है

तालिका 8D.14 — निर्मित आर्द्रभूमियों और वेट पॉन्ड के लिए सांकेतिक पौधे

क्षेत्र	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Typha* spp. (e.g. *T. domingensis*, syn. *T. angustata*)	—	देशज; तेजी से फैलता है और समय-समय पर कटाई आवश्यक है। प्लैट्स में किसी हिन्दी नाम की पुष्टि नहीं हुई: पटेर (paṭer), जो कभी-कभी इसके लिए प्रयुक्त होता है, प्लैट्स में *Cyperus* के अर्थ में दिया गया है (पृ. 229)
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Phragmites karka*	नल / نل (nal); नरसल / نرسل (narsal)	देशज सरकंडा; तेजी से बढ़ता है; नालों (nala) और चैनलों से, जहाँ यह प्रवाह में बाधा डाले, बाहर रखें। प्लैट्स: "सरकंडे की एक प्रजाति, *Amphidonax karka*, या *Arundo karka*" ("A species of reed, *Amphidonax karka*, or *Arundo karka*") (पृ. 1152) और "सरकंडे की एक बड़ी प्रजाति, *Arundo karka*" ("A large species of reed, *Arundo karka*") (पृ. 1132)
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Canna indica*	—	तालिका 8D.13 के अनुसार
खुला जल और गहरे क्षेत्र	*Nelumbo nucifera* (lotus)	कमल / کمل (kamal)	देशज; केवल स्थायी जल-भंडार के लिए। प्लैट्स: "कमल, *Nelumbium speciosum*" ("The lotus, *Nelumbium speciosum*") (पृ. 849)
खुला जल और गहरे क्षेत्र	*Nymphaea nouchali* (blue water lily)	नीलोफ़र / نیلوفر (nīlofar)	देशज; केवल स्थायी जल-भंडार के लिए। प्लैट्स: "नीली कुमुदिनी, *Nymphæa cyanea*" ("the blue water-lily, *Nymphæa cyanea*") (पृ. 1168), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है

तालिका 8D.15 — न लगाई जाने वाली प्रजातियाँ

वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	कारण
Eichhornia crassipes (water hyacinth)	—	आक्रामक; तालाबों (talab), झीलों, नालों (nala) और जालियों को अवरुद्ध करती है; भिलाई में टाउनशिप की ड्रेनों से आई जलकुंभी ने 2025 में जुनवानी (Junwani) और कोसानाला (Kosanala) की पुलियाओं को अवरुद्ध कर दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)
Prosopis juliflora	—	तालाबों के तलों, तटबंधों, ड्रेन के किनारों और खनन मलबे पर आक्रामक
Ipomoea carnea	—	तालाबों और चैनलों में आक्रामक; प्रवाह में बाधा डालती है
Lantana camara	—	वनों के किनारों और खनन भूमि पर आक्रामक; स्वेल या किनारों के लिए नहीं

परिशिष्ट 8E — अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण

अध्याय 8 के खंड 8.12 के लिए।

नीचे दिए गए विवरण प्रत्येक उपाय की व्यवस्था दर्शाते हैं। मैनुअल द्वारा निर्धारित आयाम दिए गए हैं। जो आयाम मैनुअल निर्धारित नहीं करता, वे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित हैं और ESC योजना पर दर्शाए जाएँगे (खंड 8.12.1)। अस्थायी उपाय अध्याय 2 की वर्षा और 1.0 के जलवायु गुणक के साथ डिजाइन किए जाते हैं (खंड 8.12.4)।

तालिका 8E.1 — उपायों का चयन (खंड 8.12.3)

स्थिति	उपाय	विवरण
किसी विक्षुब्ध क्षेत्र से उसके निचले ढलान वाले किनारे के साथ निकलने वाला परत प्रवाह	गाद बाड़	चित्र 8E.1
2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्र से संकेंद्रित प्रवाह	तलछट जाल	चित्र 8E.2
2 ha से अधिक का विक्षुब्ध क्षेत्र	सतही जल-निष्कासन आउटलेट वाला तलछट बेसिन	चित्र 8E.2
साइट का अपवाह प्राप्त करने वाला विद्यमान ड्रेन इनलेट	इनलेट सुरक्षा	चित्र 8E.4
सार्वजनिक सड़क पर वाहनों का निकास	पहिया धुलाई के साथ स्थिरीकृत निर्माण निकास	चित्र 8E.3
सामग्री के ढेर	किसी भी जलाशय सेटबैक के जोन 1 के बाहर; किसी भी ड्रेन से ≥ 10 m; दक्षिण-पश्चिम मानसून में ढके हुए	चित्र 8E.1 की टिप्पणियाँ
निर्जलीकरण	तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर; कभी भी सीधे किसी ड्रेन या जलाशय में पंप नहीं	चित्र 8E.2 की टिप्पणियाँ
कंक्रीट धुलाई	लाइनरयुक्त गड्ढा; कभी भी किसी ड्रेन में नहीं	चित्र 8E.3 की टिप्पणियाँ

8E.1 गाद बाड़

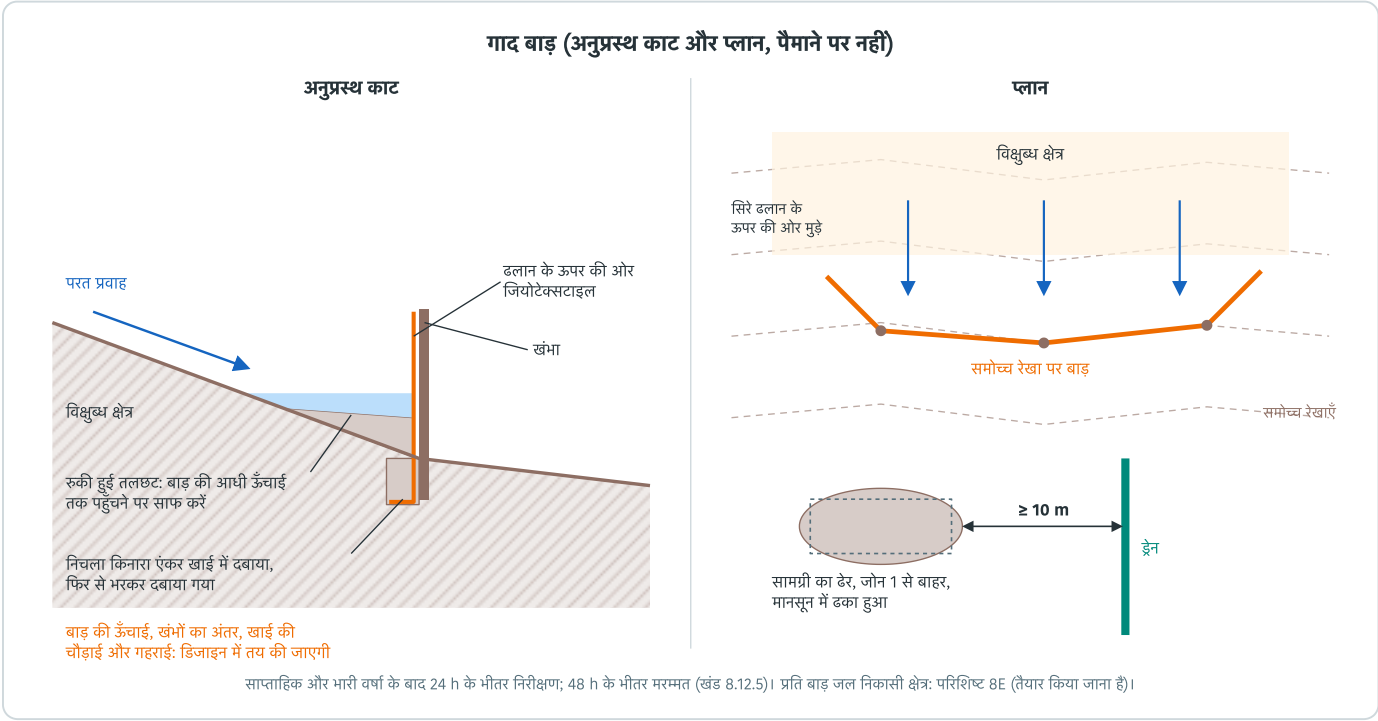

चित्र 8E.1 — गाद बाड़: काट, जिसमें खूँटों पर जियोटेक्सटाइल दर्शाया गया है जिसका निचला किनारा ऊपरी ढलान की ओर एक एंकर खाई में दबा है, और योजना, जिसमें बाड़ को समोच्च रेखा पर, सिरों पर मोड़ के साथ, दर्शाया गया है। मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

तैयार किया जाना है. खंड 8.12.3(a) प्रत्येक गाद बाड़ तक बहने वाले क्षेत्र की सीमा के लिए इस परिशिष्ट का संदर्भ देता है। वह सीमा, और बाड़ के ऊपर ढलान की अधिकतम लंबाई, छत्तीसगढ़ की वर्षा के लिए राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जानी हैं। उनके प्रकाशित होने तक, सामान्य अमेरिकी व्यवहार से ली गई निम्नलिखित अंतरिम सीमाएँ लागू होती हैं (US EPA, Stormwater Best Management Practice fact sheet: Silt Fence):

- जल निकासी क्षेत्र: बाड़ के प्रति 30 m पर **0.1 ha** से अधिक नहीं;
- बाड़ के ऊपर ढलान की लंबाई: 2% से कम ढलान पर 30 m, 2–5% पर 23 m, 5–10% पर 15 m, 10–20% पर 8 m और 20% से अधिक खड़े ढलान पर 5 m से अधिक नहीं;
- जहाँ कहीं प्रवाह संकेंद्रित होकर आता हो, या कोई सीमा पूरी न की जा सके, वहाँ उसके स्थान पर तलछट जाल (चित्र 8E.2) का उपयोग किया जाता है।

डिजाइनकर्ता ESC योजना पर प्रत्येक बाड़ द्वारा सेवित जल निकासी क्षेत्र और ढलान की लंबाई दर्शाएगा।

टिप्पणियाँ:

1. विक्षुब्ध क्षेत्र के निचले ढलान वाले किनारे पर समोच्च रेखा के साथ लगाएँ, कभी भी संकेंद्रित प्रवाह मार्ग के आर-पार नहीं।
2. सिरों को ऊपरी ढलान की ओर मोड़ें ताकि पानी उनके चारों ओर से न बह सके।
3. साप्ताहिक और प्रत्येक भारी वर्षा घटना के 24 घंटों के भीतर निरीक्षण करें; 48 घंटों के भीतर मरम्मत करें; जमाव बाड़ की आधी ऊँचाई तक पहुँचने पर तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)।
4. केवल तभी हटाएँ जब उस तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए (खंड 8.12.6)।
5. सामग्री के ढेर: जोन 1 के बाहर, किसी भी ड्रेन से कम से कम 10 m दूर, और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ढके हुए (खंड 8.12.3(f))।

8E.2 तलछट जाल और तलछट बेसिन

सतही जल-निष्कासन आउटलेट सहित तलछट बेसिन (अनुप्रस्थ काट, पैमाने पर नहीं)

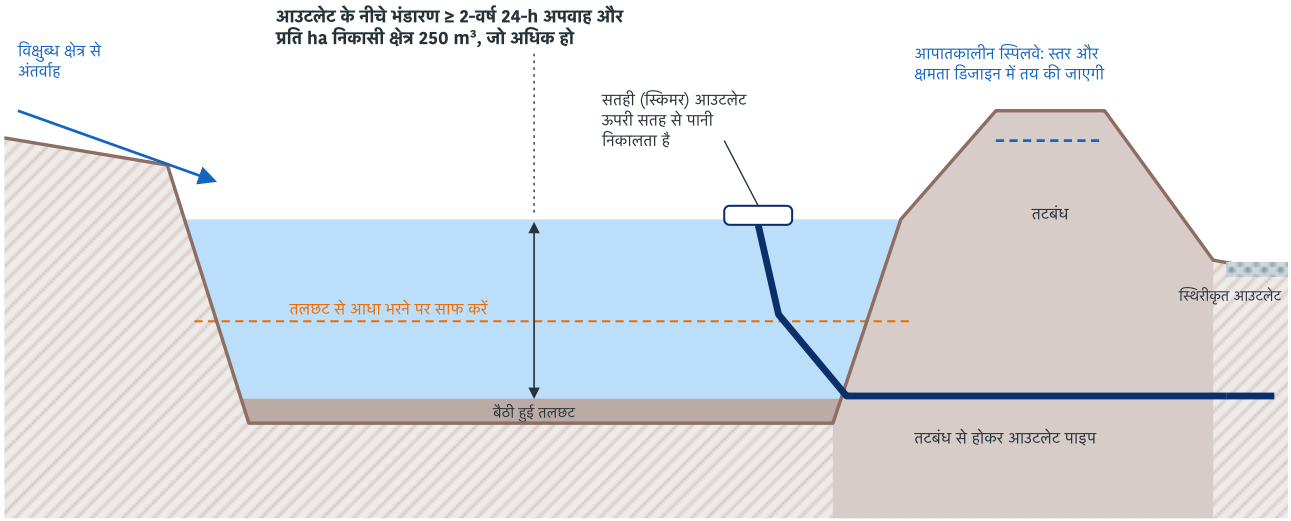

तलछट जाल: 2 ha तक का विक्षुब्ध क्षेत्र। तलछट बेसिन: 2 ha से अधिक (खंड 8.12.3(b), (c))।
डिजाइन वर्षा अध्याय 2 से, जलवायु गुणक 1.0 (खंड 8.12.4)। खुदाई का जल-निष्कासन बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर जाता है।

चित्र 8E.2 — तलछट जाल या बेसिन की काट: अंतर्वाह, आउटलेट के नीचे भंडारण आयतन, जल-भंडार के ऊपरी भाग से पानी निकालने वाला सतही जल-निष्कासन आउटलेट (स्किमर), आपातकालीन स्पिलवे, और भंडारण के आधे पर तलछट सफाई स्तर। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022) से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. **तलछट जाल:** 2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्रों से संकेंद्रित प्रवाह के लिए (खंड 8.12.3(b))। भंडारण आयतन, गहराई और आउटलेट: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
2. **तलछट बेसिन:** 2 ha से अधिक के विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए। आउटलेट के नीचे भंडारण ≥ (a) 50% AEP (2-वर्ष) 24-घंटे की वर्षा घटना से अपवाह और (b) जल निकासी क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 250 m^3 में से जो अधिक हो (खंड 8.12.3(c))।
3. जल-निष्कासन आउटलेट सतह से पानी निकालता है (खंड 8.12.3(c))।
4. आपातकालीन स्पिलवे और उसकी क्षमता: डिजाइन में पुष्टि की जानी है। जहाँ बेसिन एक स्थायी अस्थायी भंडारण सुविधा भी हो, वहाँ अध्याय 4 के स्पिलवे नियम लागू होते हैं।
5. तलछट से आधा भर जाने पर सफाई करें (खंड 8.12.5)। किसी भी स्थायी सुविधा से उसके यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले तलछट हटाएँ (खंड 8.12.6)।
6. खुदाई का निर्जलीकरण किसी तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर होगा (खंड 8.12.3(g))।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. एक तलछट बेसिन 3.0 ha विक्षुब्ध भूमि की सेवा करता है। 100 mm की 2-वर्ष 24-घंटे की वर्षा (जलवायु गुणक 1.0, खंड 8.12.4) और अध्याय 2 की पूर्ववर्ती नमी स्थिति के अंतर्गत खुली संघनित भूमि के लिए 86 का कर्व नंबर मानें।

- $S = 25{,}400 / 86 - 254 = 41.35$ mm; $I_a = 0.2S = 8.27$ mm
- $Q = (P - I_a)^2 / (P - I_a + S) = (100 - 8.27)^2 / (100 - 8.27 + 41.35) = 8{,}414 / 133.08 = 63.2$ mm
- (a) अपवाह आयतन = $10 \times Q \times A = 10 \times 63.2 \times 3.0 = 1{,}896$ m^3
- (b) 250 m^3/ha × 3.0 ha = 750 m^3
- आउटलेट के नीचे आवश्यक भंडारण = max (1,896, 750) = 1,896 m^3। यहाँ 2-वर्ष का अपवाह निर्णायक है।

8E.3 स्थिरीकृत निर्माण निकास और कंक्रीट धुलाई

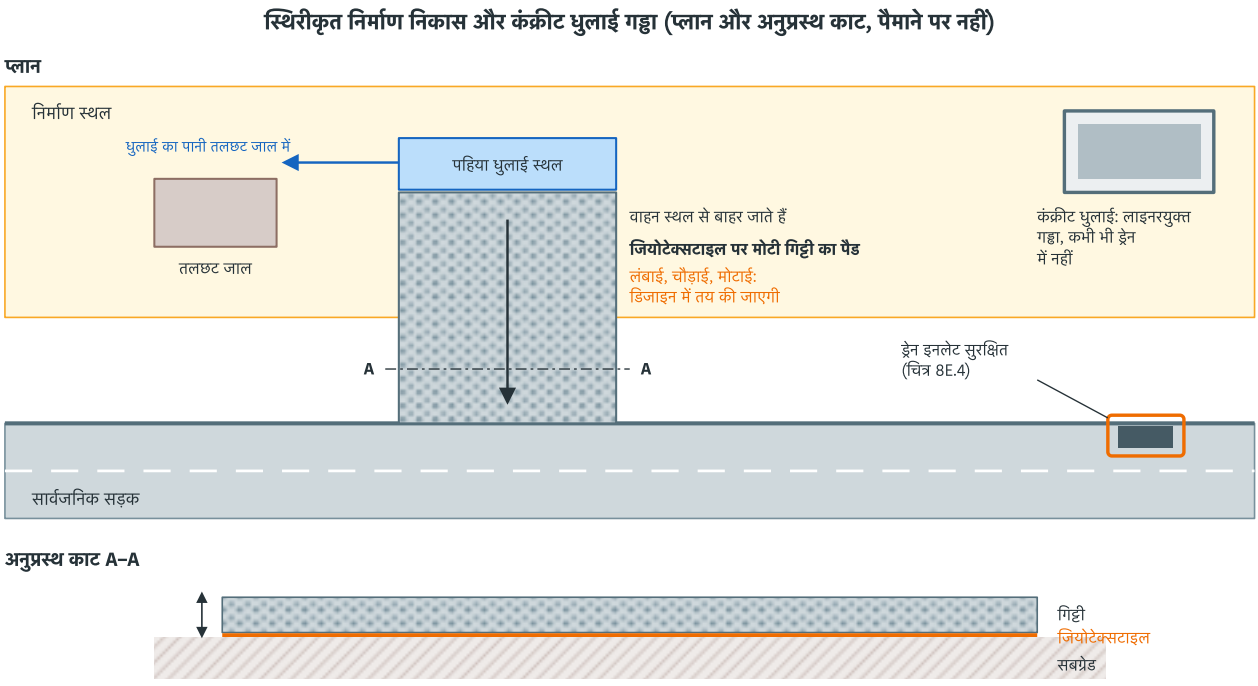

खंड 8.12.3(e) और (h)। सार्वजनिक सड़क पर आई तलछट को हर कार्य दिवस के अंत में झाड़कर हटाएँ।

चित्र 8E.3 — स्थिरीकृत निर्माण निकास: प्लान और काट, जिसमें साइट और सार्वजनिक सड़क के बीच जियोटेक्सटाइल पर मोटे एग्रीगेट का पैड, तलछट जाल में पानी छोड़ने वाला पहिया-धुलाई स्थल, और लाइनरयुक्त कंक्रीट धुलाई गड्ढा दर्शाया गया है। मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022) से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. प्रत्येक उस बिंदु पर लगाएँ जहाँ वाहन साइट से सार्वजनिक सड़क पर निकलते हैं, पहिया धुलाई के साथ (खंड 8.12.3(e))।
2. पैड की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और एग्रीगेट का आकार: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
3. धुलाई का पानी किसी तलछट जाल या बेसिन में जाए, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं।
4. कंक्रीट धुलाई लाइनरयुक्त गड्ढे में, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं (खंड 8.12.3(h))।
5. सार्वजनिक सड़क पर आई किसी भी तलछट को प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में साफ करें।

8E.4 इनलेट सुरक्षा

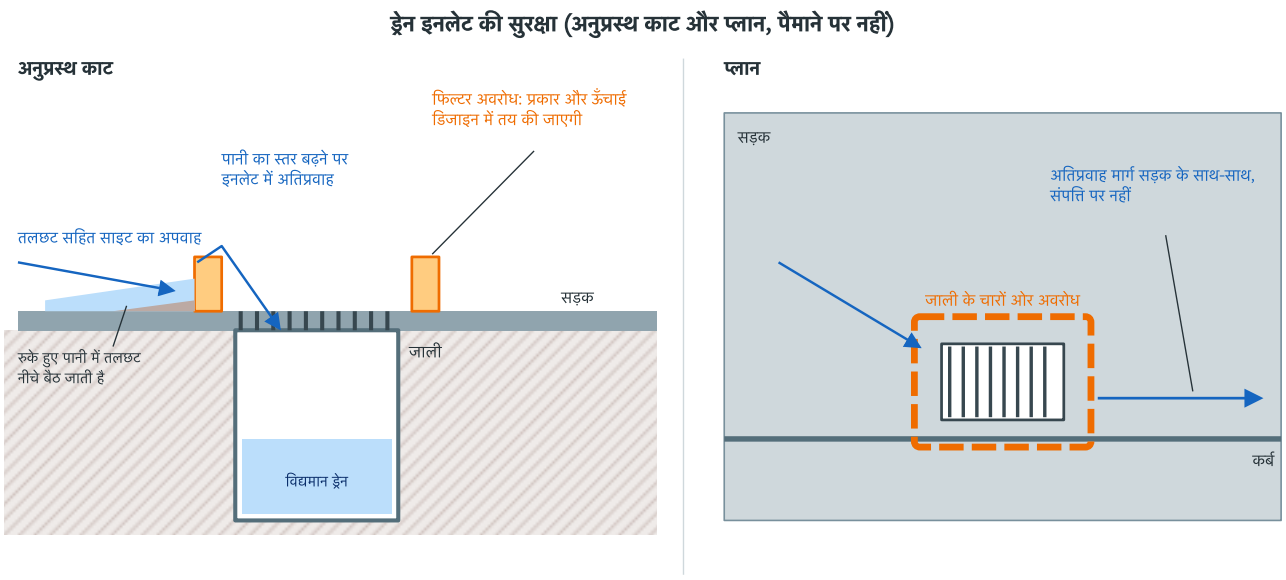

खंड 8.12.3(d)। हर भारी वर्षा के बाद तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)। सुरक्षा व्यवस्था से इनलेट अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।

चित्र 8E.4 — किसी विद्यमान ड्रेन इनलेट पर इनलेट सुरक्षा: जाली या कर्ब इनलेट के चारों ओर एक फिल्टर अवरोध, अतिप्रवाह मार्ग के साथ ताकि रुका पानी सड़क या संपत्ति को जलमग्न न करे। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. साइट से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यमान ड्रेन इनलेट पर (खंड 8.12.3(d))।
2. सुरक्षा इनलेट को अवरुद्ध नहीं करनी चाहिए: उसके पीछे रुका पानी इनलेट में या सड़क के साथ अतिप्रवाहित हो सकना चाहिए।
3. अवरोध का प्रकार और ऊँचाई: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
4. प्रत्येक भारी वर्षा घटना के बाद तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)।

8E.5 समय और निरीक्षण

तालिका 8E.2 — ESC का समय और निरीक्षण (खंड 8.12.2 और 8.12.5)

मद	अपेक्षा
पूरे हो चुके मिट्टी के काम	31 मई तक वनस्पति, मल्च, मैटिंग या पक्की सतह द्वारा स्थिर
10 जून और 20 अक्तूबर के बीच साफ किया गया क्षेत्र	सफाई से पहले तलछट नियंत्रण लगे हों
दक्षिण-पश्चिम मानसून में खुला क्षेत्र	यथासंभव छोटा
निरीक्षण	साप्ताहिक, और प्रत्येक भारी वर्षा घटना के 24 h के भीतर (अध्याय 10)
मरम्मत	48 h के भीतर
सफाई	तलछट से आधा भर जाने पर
हटाना	केवल तब जब उपाय तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए

प्रपत्र 8-1 — जल गुणवत्ता पत्रक

अध्याय 8 के खंड 8.4, 8.6 और 8.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

तालिका 8F.1 — प्रपत्र 8-1, भाग A: साइट और वर्षा

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना का नाम और प्राधिकारी की फाइल संख्या	_____	—
A2	टियर (A / B) और साइट का क्षेत्रफल, ha	_____	8.6.1
A3	वर्षा जोन (अध्याय 2)	_____	8.4.1
A4	P_ret, mm (परिशिष्ट 2E)	_____	8.4.1
A5	P_3m, mm (परिशिष्ट 8A, या अंतरिम गणना: अभिलेख, वर्ष, विधि)	_____	8.4.1
A6	P_wq = max (P_ret, P_3m), mm (बिना जलवायु गुणक)	_____	8.4.1, 8.4.3
A7	WQv विधि: SCS-CN, या Rv (केवल < 0.5 ha की साइटें और टियर B सरलीकृत विधि)	_____	8.4.2
A8	पुनर्विकास (विद्यमान अपारगम्य ≥ 20%)?	_____	8.6.2

तालिका 8F.2 — प्रपत्र 8-1, भाग B: जल निकासी क्षेत्र के अनुसार जल गुणवत्ता आयतन और प्रवाह

क्षेत्र ID	क्षेत्रफल (ha)	अपारगम्य I (%)	Q_wq अपवाह गहराई (mm) या Rv	WQv (m^3)	Q_wq (m^3/s)	रोका गया आयतन, अध्याय 4 (m^3)	न रोका गया WQv (m^3)	क्षेत्र की सेवा करने वाली BMP	पूर्व-उपचार
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
कुल	_____			_____		_____	_____		

तालिका 8F.3 — प्रपत्र 8-1, भाग C: सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी (टियर A)

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
C1	विकास-पूर्व CN; विकास-पश्चात CN; ΔCN	_____	8.6.2
C2	आवश्यक LoS (तालिका 8.2, या पुनर्विकास के लिए परिशिष्ट 8B)	_____	8.6.2
C3	संयुक्त VR (परिशिष्ट 8B की गणना संलग्न)	_____	8.6.3
C4	संयुक्त VR ≥ आवश्यक LoS?	_____	8.6.3
C5	टियर B: खंड 8.6.5 के अंतर्गत अपनाया गया मार्ग (a) साइट पर रोका गया / (b) बायोरिटेंशन, वर्षा उद्यान या अंतःस्यंदन	_____	8.6.5

तालिका 8F.4 — प्रपत्र 8-1, भाग D: अन्य प्रस्तुतियाँ (खंड 8.14)

क्र.	मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	खंड
D1	खंड 8.7 और परिशिष्ट 8D के अनुसार BMP डिजाइन, पूर्व-उपचार सहित	_____	8.14(3)
D2	अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर और स्रोत, डिजाइन दर, खाली होने का समय, सेटबैक	_____	8.14(4)
D3	सीवेज और सलेज जुड़ाव योजना; डाई या धुआँ परीक्षण अभिलेख	_____	8.9.2, 8.14(5)
D4	किसी जलाशय में गिरने वाले किसी भी आउटफॉल के लिए GPT और प्रथम प्रवाह डिजाइन	_____	8.10, 8.14(6)
D5	संचयन, पुनर्भरण और अस्थायी भंडारण को अलग-अलग दर्शाता RWH लेआउट	_____	8.11, 8.14(7)
D6	ESC योजना	_____	8.12, 8.14(8)
D7	हॉटस्पॉट नियंत्रण, जहाँ खंड 8.8.8 लागू हो	_____	8.8.8

तालिका 8F.5 — प्रपत्र 8-1, भाग E: तैयारकर्ता

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या (खंड 10.6)	_____
हस्ताक्षर और तिथि	_____

प्रपत्र 8-2 — अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख

अध्याय 8 के खंड 8.8.1 से 8.8.7 और 8.11.4 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रति सुविधा एक अभिलेख। परीक्षण स्थानों को दर्शाने वाला एक नक्शा, और प्रत्येक परीक्षण के पाठ्यांक, संलग्न करें।

तालिका 8F.6 — प्रपत्र 8-2, भाग A: सुविधा

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना और सुविधा ID; सुविधा का प्रकार	_____	8.8.3
A2	अंतःस्यंदन आधार क्षेत्रफल (m^2) या खाई की लंबाई (m)	_____	8.8.3(c)
A3	सुविधा का प्रस्तावित आधार स्तर, m (डेटम)	_____	8.8.3
A4	अपवाह का स्रोत: केवल छत / पक्की सतहें / मिश्रित; हॉटस्पॉट (हाँ / नहीं)	_____	8.8.6, 8.8.8
A5	भूमि की स्थिति: रेतीला तटीय / लैटेराइट या कठोर चट्टान / डेल्टा की चिकनी मिट्टी या काली कपास मिट्टी / अन्य	_____	8.8.9–8.8.11

तालिका 8F.7 — प्रपत्र 8-2, भाग B: परीक्षण

परीक्षण सं.	स्थान (ग्रिड संदर्भ)	तिथि	विधि: डबल-रिंग (ASTM D3385) / फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन (उदाहरण के लिए BRE Digest 365)	परीक्षण स्तर, m	परीक्षण के समय भूजल स्तर, m	मापी गई दर (mm/h)
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परीक्षणों की न्यूनतम संख्या: प्रति सुविधा 2, और आधार क्षेत्र के प्रति 100 m^2 या खाई के प्रति 50 m पर 1 (खंड 8.8.3(c))।

तालिका 8F.8 — प्रपत्र 8-2, भाग C: डिजाइन दर और खाली होना

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
C1	किए गए परीक्षणों की संख्या; आवश्यक संख्या	_____	8.8.3(c)
C2	उच्चतम और न्यूनतम मापी गई दरें; अनुपात (उच्चतम ÷ न्यूनतम)	_____	8.8.4
C3	सुरक्षा गुणक: 2.0 (परीक्षण 8.8.3(c) को पूरा करें और अनुपात ≤ 2) या 3.0	_____	8.8.4
C4	डिजाइन दर = प्रयुक्त मापी गई दर ÷ सुरक्षा गुणक, mm/h (बताएँ कि कौन-सी मापी गई दर प्रयुक्त हुई)	_____	8.8.4
C5	श्रेणी: ≥ 13 mm/h पूर्ण अंतःस्यंदन / 3–13 mm/h अंडरड्रेन सहित आंशिक / < 3 mm/h कोई क्रेडिट नहीं	_____	8.8.5
C6	अंतःस्यंदित किए जाने वाले पानी की गहराई, mm; खाली होने का समय = गहराई ÷ डिजाइन दर, h (≤ 72 h)	_____	8.8.7

तालिका 8F.9 — प्रपत्र 8-2, भाग D: दूरी और सेटबैक

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
D1	मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, m, और उसका स्रोत (खंड 3.10.2)	_____	8.8.1
D2	सुविधा के आधार से मौसमी उच्चतम भूजल स्तर तक की दूरी, m (≥ 1.0; अधिसूचित तटीय रेत में केवल छत के अपवाह के लिए उभार जाँच के साथ ≥ 0.5)	_____	8.8.1, 8.8.9(d)
D3	आधार के नीचे आधार-शैल या अपारगम्य परत की गहराई, m (≥ 1.0, जब तक खंड 8.8.10 लागू न हो)	_____	8.8.2
D4	इनसे दूरियाँ: नींव / बेसमेंट / संपत्ति की सीमा / पेयजल कुआँ या बोरवेल / सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढा / 1V:3H से अधिक खड़े ढलान का शिखर, m	_____	8.8.6
D5	फैलने वाली मिट्टी: नींव से सेटबैक दोगुना किया गया?	_____	8.8.11(b)

तालिका 8F.10 — प्रपत्र 8-2, भाग E: घोषणा

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
परीक्षणकर्ता: नाम, भू-तकनीकी परीक्षण में योग्यता, संगठन	_____
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि परीक्षण बताए गए स्थानों और स्तरों पर, बताई गई विधियों से किए गए, और संलग्न पाठ्यांक पूर्ण हैं। हस्ताक्षर और तिथि	_____
डिजाइनकर्ता (खंड 10.6): नाम और हस्ताक्षर	_____

अध्याय 9 के परिशिष्ट

संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन

ये परिशिष्ट अध्याय 9 के लिए हैं। परिशिष्ट 9A में SI इकाइयों में FHWA HDS-5 के इनलेट-नियंत्रण समीकरण, सामान्य इनलेटों के प्रकाशित गुणांकों के साथ, और पुलिया का एक पूर्ण हल किया गया उदाहरण दिया गया है। परिशिष्ट 9B में मानक ड्रॉइंग दी गई हैं, जिनमें केवल वे आयाम हैं जो अध्याय 9 और अध्याय 6 पहले से निर्धारित करते हैं; अन्य प्रत्येक आयाम पर "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" अंकित है। परिशिष्ट 9C पंपिंग स्टेशन डिजाइन की जाँच-सूची है, जिसमें खंड 9.9 से ली गई एक मानक नियंत्रण पद्धति (control philosophy) है। प्रपत्र 9-1 एक प्रारूप प्रपत्र है: यह वही सूचीबद्ध करता है जो खंड 9.14 अपेक्षित करता है, और उसमें कुछ नहीं जोड़ता।

परिशिष्ट 9A — SI इकाइयों में HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक और पुलिया का हल किया गया उदाहरण

अध्याय 9 के खंड 9.4.1 से 9.4.7 और अध्याय 6 के खंड 6.12 के लिए।

9A.1 इनलेट-नियंत्रण समीकरण

FHWA *Hydraulic Design of Highway Culverts*, HDS-5, संस्करण 3 (2012), Appendix A में तीन इनलेट-नियंत्रण समीकरण दिए गए हैं। SI इकाइयों में:

> अजलमग्न, रूप 1: $HWi/D = Hc/D + K \cdot [Ku \cdot Q / (A \cdot D^{0.5})]^M + Ks \cdot S$

> अजलमग्न, रूप 2: $HWi/D = K \cdot [Ku \cdot Q / (A \cdot D^{0.5})]^M$

> जलमग्न: $HWi/D = c \cdot [Ku \cdot Q / (A \cdot D^{0.5})]^2 + Y + Ks \cdot S$

जहाँ HWi इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत इनलेट इनवर्ट के ऊपर हेडवाटर की गहराई (m) है, D बैरल की आंतरिक ऊँचाई (rise) (m) है, Hc क्रांतिक गहराई पर विशिष्ट हेड (specific head), $dc + Vc^2/2g$ (m) है, Q प्रवाह दर (m^3/s) है, A बैरल का पूर्ण अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल (m^2) है, S बैरल का ढलान (m/m) है, K, M, c और Y तालिका 9A.1 के स्थिरांक हैं, SI इकाइयों में Ku = 1.811 (US इकाइयों में 1.0) है, और Ks ढलान संशोधन है: −0.5, या तिरछे कटे (mitred) इनलेटों के लिए +0.7।

कौन सा समीकरण लागू होगा, यह $X = Ku \cdot Q / (A \cdot D^{0.5})$ पर निर्भर करता है:

- $X \le 3.5$: अजलमग्न समीकरण (तालिका 9A.1 में दिए अनुसार रूप 1 या रूप 2);
- $X \ge 4.0$: जलमग्न समीकरण;

- 3.5 < X < 4.0 (संक्रमण): FHWA HY-8 का उपयोग करें, जो HDS-5 के संक्रमण को लागू करता है। जहाँ हाथ से गणना की जाती है, वहाँ अजलमग्न और जलमग्न परिणामों में से उच्चतर लें। यह इस परिशिष्ट द्वारा किया गया एक सुरक्षित पक्ष का सरलीकरण है, HDS-5 का नियम नहीं।

तालिका 9A.1 — सामान्य इनलेटों के लिए HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक

बैरल	इनलेट किनारा	रूप	K	M	c	Y
वृत्ताकार कंक्रीट	हेडवॉल सहित चौकोर किनारा	1	0.0098	2.0	0.0398	0.67
वृत्ताकार कंक्रीट	हेडवॉल सहित ग्रूव (सॉकेट) सिरा	1	0.0018	2.0	0.0292	0.74
वृत्ताकार कंक्रीट	बाहर निकला हुआ ग्रूव (सॉकेट) सिरा	1	0.0045	2.0	0.0317	0.69
वृत्ताकार नालीदार धातु	हेडवॉल	1	0.0078	2.0	0.0379	0.69
वृत्ताकार नालीदार धातु	ढलान के अनुरूप तिरछा कटा	1	0.0210	1.33	0.0463	0.75
वृत्ताकार नालीदार धातु	बाहर निकला हुआ	1	0.0340	1.50	0.0553	0.54
आयताकार बॉक्स	30° से 75° पर फैली विंगवॉल	1	0.026	1.0	0.0347	0.81
आयताकार बॉक्स	90° और 15° पर फैली विंगवॉल	1	0.061	0.75	0.0400	0.80
आयताकार बॉक्स	0° पर विंगवॉल (पार्श्वों का विस्तार)	1	0.061	0.75	0.0423	0.82
आयताकार बॉक्स	19 mm (3/4 इंच) चैम्फर सहित 90° हेडवॉल	2	0.515	0.667	0.0375	0.79
आयताकार बॉक्स	45° बेवल सहित 90° हेडवॉल	2	0.495	0.667	0.0314	0.82
आयताकार बॉक्स	33.7° बेवल सहित 90° हेडवॉल	2	0.486	0.667	0.0252	0.865

स्रोत: FHWA HDS-5 (2012), Appendix A, Table A.1 (गुणांक विमाहीन हैं और Ku = 1.811 के साथ SI इकाइयों में लागू होते हैं)। मानों की जाँच HIF-12-026, Table A.1 (चार्ट और स्केल संख्या 1/1–1/3, 2/1–2/3, 8/1–8/3 और 10/1–10/3) से की गई। जहाँ HDS-5 का कोई बाद का संस्करण भिन्न हो, वहाँ बाद की तालिका प्रभावी होगी। आउटलेट नियंत्रण के लिए प्रवेश हानि गुणांक अध्याय 9 की तालिका 9.1 में हैं।

9A.2 हल किया गया उदाहरण: संग्राहक सड़क के नीचे पाइप पुलिया

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। नीचे दिए गए इनपुट विधि दिखाने के लिए कल्पित हैं; परिणाम किसी भी स्थल के लिए डिजाइन मान नहीं हैं।

इनपुट.

तालिका 9A.2 — हल किए गए उदाहरण के इनपुट

मद	मान	स्रोत
सड़क वर्ग	संग्राहक सड़क; डिजाइन AEP 4% (25-वर्ष), जाँच घटना 2% (50-वर्ष), और 1% AEP जाँच	तालिका 6.1, खंड 6.12.2
डिजाइन प्रवाह, 4% AEP	1.80 m^3/s (जलवायु गुणक सहित)	उदाहरणार्थ
जाँच प्रवाह, 2% AEP	2.20 m^3/s	उदाहरणार्थ

मद	मान	स्रोत
1% AEP प्रवाह	3.00 m^3/s	उदाहरणार्थ
बैरल	कॉलर जोड़ों वाला एक 1,200 mm RCC पाइप, n = 0.015	तालिका 6.6
इनलेट	हेडवॉल सहित चौकोर किनारा: ke = 0.5; K = 0.0098, M = 2.0, c = 0.0398, Y = 0.67, रूप 1	तालिकाएँ 9.1 और 9A.1
लंबाई और ढलान	L = 20.0 m; S = 0.005 (इनलेट इनवर्ट 20.00 m, आउटलेट इनवर्ट 19.90 m, स्थानीय डेटम)	उदाहरणार्थ
इनलेट पर सड़क के स्तर	शोल्डर का किनारा 22.00 m; सड़क के शिखर का निम्नतम बिंदु 22.10 m	उदाहरणार्थ
आउटलेट इनवर्ट के ऊपर टेलवाटर, TW	1.80 m^3/s पर 0.60 m; 2.20 m^3/s पर 0.70 m; 3.00 m^3/s पर 0.85 m (अनुप्रवाह चैनल में सामान्य गहराई)	उदाहरणार्थ; खंड 9.4.4
प्राप्तकर्ता चैनल	कच्चा, बलुई दोमट	तालिका 9.2

न्यूनतम आकार: 1,200 mm ≥ 900 mm (खंड 6.12.5)। स्पैन 1.5 m से कम है, इसलिए अवरोध जाँच में इनलेट क्षेत्रफल का 50% अवरुद्ध माना जाता है (खंड 6.12.4(a))।

पद 1 — बैरल के गुण. $A = \pi \cdot 1.2^2 / 4 = 1.131\ m^2$; पूर्ण-बैरल हाइड्रोलिक त्रिज्या $R = D/4 = 0.300$ m; $D^{0.5} = 1.095$।

पद 2 — क्रांतिक गहराई. प्रत्येक प्रवाह के लिए, dc वृत्ताकार खंड की क्रांतिक-प्रवाह शर्त $Q^2 \cdot T / (g \cdot Ac^3) = 1$ से परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है, जहाँ Ac और T गहराई dc पर प्रवाह क्षेत्रफल और शीर्ष चौड़ाई हैं।

तालिका 9A.3 — क्रांतिक गहराई और विशिष्ट हेड (D = 1.2 m)

Q (m^3/s)	dc (m)	Ac (m^2)	T (m)	Vc = Q/Ac (m/s)	Hc = dc + $Vc^2/2g$ (m)	Hc/D
1.80	0.737	0.728	1.168	2.471	1.048	0.873
2.20	0.817	0.820	1.119	2.683	1.184	0.987
3.00	0.952	0.962	0.972	3.118	1.447	1.206

पद 3 — इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर. $X = 1.811 \cdot Q / (1.131 \times 1.095) = 1.462 \cdot Q$।

तालिका 9A.4 — इनलेट-नियंत्रण हेडवाटर

Q (m^3/s)	X	समीकरण	HWi/D	HWi (m)
1.80	2.631	अजलमग्न, रूप 1: $0.873 + 0.0098 \times 2.631^2 - 0.5 \times 0.005 = 0.873 + 0.068 - 0.003$	0.939	1.127
2.20	3.216	अजलमग्न, रूप 1: $0.987 + 0.0098 \times 3.216^2 - 0.003 = 0.987 + 0.101 - 0.003$	1.085	1.302
3.00	4.385	जलमग्न: $0.0398 \times 4.385^2 + 0.67 - 0.003 = 0.765 + 0.67 - 0.003$	1.433	1.719

पद 4 — आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (खंड 9.4.3)। घर्षण पद $19.63 \cdot n^2 \cdot L / R^{1.33} = 19.63 \times 0.015^2 \times 20.0 / 0.300^{1.33} = 0.0883 / 0.2016 = 0.438$ है, इसलिए $H = (1 + 0.5 + 0.438) \cdot V^2/2g = 1.938 \cdot V^2/2g$। $L \cdot S = 20.0 \times 0.005 = 0.100$ m।

तालिका 9A.5 — आउटलेट-नियंत्रण हेडवाटर

Q (m³/s)	V = Q/A (m/s)	V²/2g (m)	H (m)	(dc + D)/2 (m)	TW (m)	ho (m)	HWo = ho + H − L·S (m)
1.80	1.592	0.129	0.250	0.969	0.60	0.969	1.119
2.20	1.945	0.193	0.374	1.009	0.70	1.009	1.283
3.00	2.653	0.359	0.695	1.076	0.85	1.076	1.671

पद 5 — निर्णायक हेडवाटर (खंड 9.4.1): HWi और HWo में से अधिक।

तालिका 9A.6 — निर्णायक हेडवाटर और जाँचें

घटना	Q (m³/s)	HWi (m)	HWo (m)	नियंत्रण	HW (m)	HW स्तर (m)	HW/D
डिजाइन, 4% AEP	1.80	1.127	1.119	इनलेट	1.127	21.13	0.94
जाँच, 2% AEP	2.20	1.302	1.283	इनलेट	1.302	21.30	1.09
1% AEP	3.00	1.719	1.671	इनलेट	1.719	21.72	1.43

पद 6 — डिजाइन AEP पर हेडवाटर की सीमाएँ (खंड 9.4.5):

- (a) HW/D = 0.94 ≤ 1.2। अनुपालन करता है।
- (b) HW स्तर 21.13 m ≤ शोल्डर का किनारा 22.00 m − 0.30 m = 21.70 m। अनुपालन करता है।
- (c) प्रतिप्रवाह भवनों और संपत्ति सीमाओं पर जल स्तरों की तुलना खंड 6.12.2(d) के अंतर्गत विद्यमान स्थिति से की जाती है। इसके लिए प्रतिप्रवाह सर्वेक्षण आवश्यक है और यह यहाँ नहीं दिखाया गया है।

पद 7 — सड़क के ऊपर से बहना (खंड 6.12.2, 6.12.3 और 9.4.6)। 1% AEP हेडवाटर स्तर, 21.72 m, सड़क के निम्नतम शिखर, 22.10 m, से नीचे है, इसलिए जाँच घटना या 1% AEP घटना में सड़क के ऊपर से पानी नहीं बहता। यदि हेडवाटर शिखर से अधिक होता, तो ऊपर से होने वाले प्रवाह Qr = Cd · L · h^1.5 (Cd ≤ 1.66) को पुलिया के प्रवाह के साथ एक साझा हेडवाटर पर संतुलित किया जाता, और ऊपर से बहने की गहराई की जाँच खंड 6.12.2(a) के विरुद्ध की जाती।

पद 8 — आउटलेट वेग (खंड 9.4.7)। इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत, आउटलेट वेग बैरल में सामान्य गहराई पर वेग होता है। बैरल की पूर्ण-प्रवाह क्षमता (1/n) · A · R^(2/3) · S^0.5 = (1/0.015) × 1.131 × 0.448 × 0.0707 = 2.39 m³/s है।

- 1.80 m³/s: सामान्य गहराई 0.778 m, आउटलेट वेग 2.32 m/s।
- 2.20 m³/s: सामान्य गहराई 0.908 m, आउटलेट वेग 2.40 m/s।
- 3.00 m³/s: पूर्ण-प्रवाह क्षमता से अधिक, इसलिए आउटलेट पर बैरल पूरा भरकर बहता है; वेग = Q/A = 2.65 m/s।

प्राप्तकर्ता चैनल कच्चा, बलुई दोमट है, जिसका अनुमेय वेग 0.53 m/s है (तालिका 9.2), इसलिए आउटलेट संरक्षण आवश्यक है (खंड 9.6.1)। बैरल के सभी वेग 3.0 m/s से कम हैं (खंड 6.7.3(b))।

पद 9 — रिपरैप एप्रन (खंड 9.6.3; चित्र 9.2)। D50 = 0.2 · D · [Q / (g^0.5 · D^2.5)]^(4/3) · (D/TW), जिसमें g^0.5 · D^2.5 = 3.132 × 1.577 = 4.941।

तालिका 9A.7 — रिपरैप एप्रन का आकार निर्धारण

Q (m³/s)	TW (m)	Q / (g^0.5 · D^2.5)	[ ]^(4/3)	D50 (m)
1.80	0.60	0.364	0.260	0.2 × 1.2 × 0.260 × 2.00 = 0.125

Q (m^3/s)	TW (m)	Q / (g^0.5 · D^2.5)	[ ]^(4/3)	D50 (m)
2.20	0.70	0.445	0.340	0.2 × 1.2 × 0.340 × 1.71 = 0.140
3.00	0.85	0.607	0.514	0.2 × 1.2 × 0.514 × 1.41 = 0.174

खंड 9.4.7 अपेक्षित करता है कि आउटलेट को डिजाइन AEP और 1% AEP के लिए संरक्षित किया जाए, इसलिए यहाँ एप्रन का आकार सबसे बड़े D50, 0.174 m, के लिए निर्धारित किया गया है। तालिका 9.3 से, वर्ग 2 (D50 = 150 mm) बहुत छोटा है, इसलिए **वर्ग 3** (D50 = 250 mm) का उपयोग किया गया है:

- एप्रन की लंबाई 5D = 5 × 1.2 = 6.0 m;
- एप्रन की मोटाई 2.4 × D50 = 2.4 × 0.25 = 0.60 m;
- आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D = 3.6 m, अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती हुई;
- पत्थर दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर रखे गए (खंड 9.6.4)।

पद 10 — अवरोध जाँच (खंड 6.12.4(a))। इनलेट क्षेत्रफल के 50% अवरुद्ध होने की स्थिति में 1% AEP प्रवाह के लिए पद 3 से 7 दोहराए जाते हैं, और परिणामों को खंड 6.12.2(a) और (d) का पालन करना होगा। यह मैनुअल अभी आंशिक रूप से अवरुद्ध इनलेट को दर्शाने का कोई मानक तरीका निर्धारित नहीं करता, इसलिए यह जाँच HY-8 में या अनुमोदन प्राधिकारी के साथ सहमत किसी विधि द्वारा की जाती है। इसे यहाँ हल नहीं किया गया है।

तालिका 9A.8 — हल किए गए उदाहरण का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जाँच	परिणाम	खंड
न्यूनतम आकार	1,200 mm ≥ 900 mm	6.12.5
डिजाइन HW/D	0.94 ≤ 1.2	9.4.5(a)
शोल्डर के किनारे से नीचे डिजाइन HW	21.13 m ≤ 21.70 m	9.4.5(b)
जाँच घटना और 1% घटना में ऊपर से बहना	नहीं (21.72 m < 22.10 m)	6.12.2, 9.4.6
आउटलेट संरक्षण	वर्ग 3 रिपरैप एप्रन, 6.0 m लंबा, 0.60 m मोटा, आउटलेट पर 3.6 m चौड़ा	9.6.1, 9.6.3
अवरोध जाँच	HY-8 में या किसी सहमत विधि द्वारा की जानी है	6.12.4

परिशिष्ट 9B — मानक ड्रॉइंग: हेडवॉल, रिपरैप एप्रन, ड्रॉप संरचनाएँ, कचरा-रोधी जालियाँ, अस्थायी भंडारण राइजर

अध्याय 9 के खंड 9.4, 9.6, 9.7 और 9.8 के लिए।

नीचे दी गई ड्रॉइंग योजनाबद्ध मानक ड्रॉइंग हैं। इनमें केवल वे आयाम और नियम दिखाए गए हैं जो अध्याय 9 और अध्याय 6 निर्धारित करते हैं। संरचनात्मक आयाम, प्रबलन, नींव और फिक्सिंग की डिजाइन में पुष्टि की जानी है (खंड 9.1.2)। रिपरैप एप्रन की मानक ड्रॉइंग अध्याय 9 का चित्र 9.2 है, जिसके आयाम तालिका 9.3 से हैं; उसे यहाँ दोहराया नहीं गया है। तालिका 9B.1 में दिखाए गए आयाम और उनके स्रोत खंड सूचीबद्ध हैं।

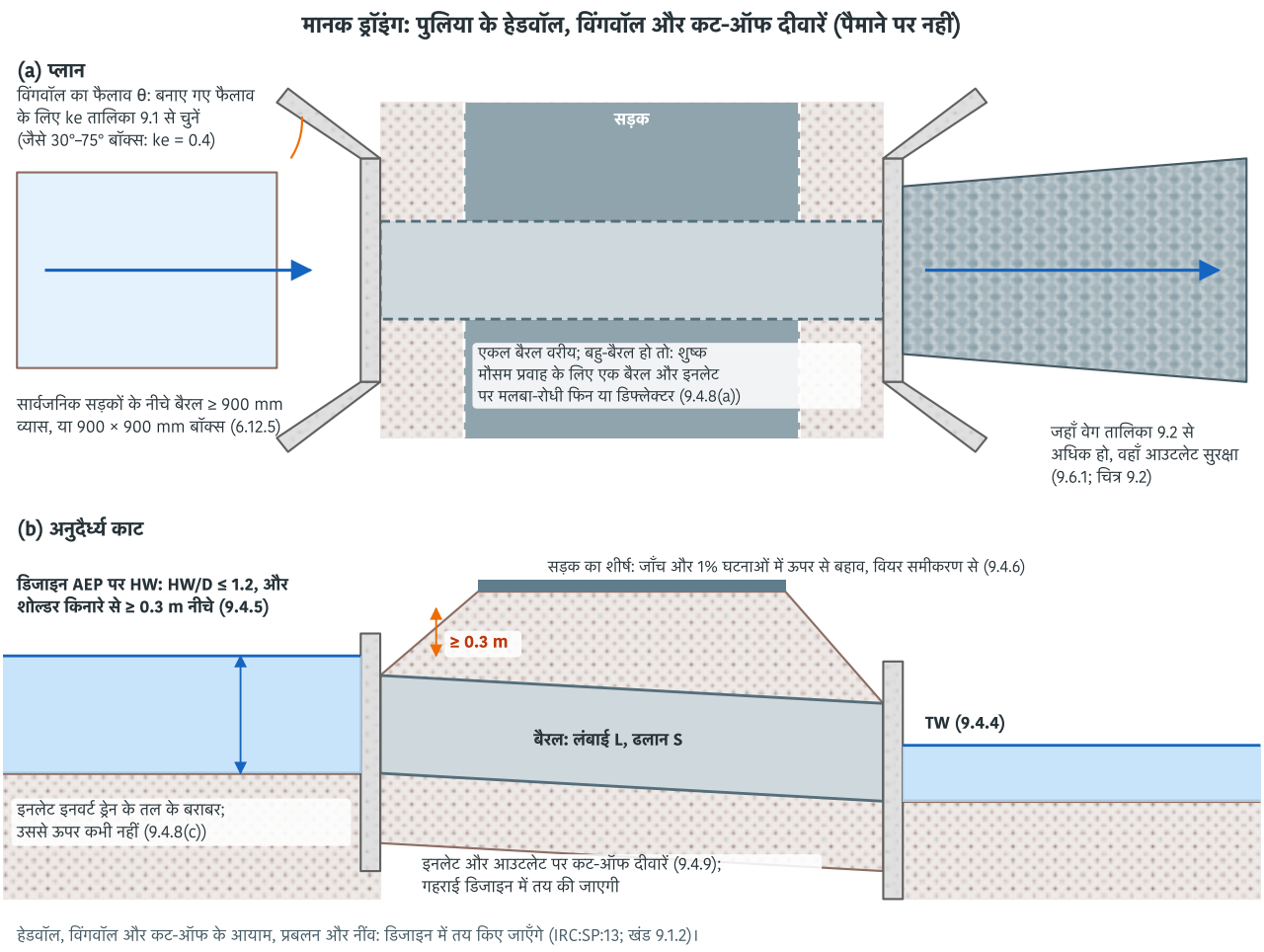

चित्र 9B.1 — मानक ड्रॉइंग: पुलिया के हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें, प्लान और अनुदैर्ध्य काट में, हेडवाटर की सीमाओं, इनवर्ट के नियम और मलबा संबंधी प्रावधानों के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Highway Culverts, HDS-5 (3rd ed., 2012) से अनुकूलित।

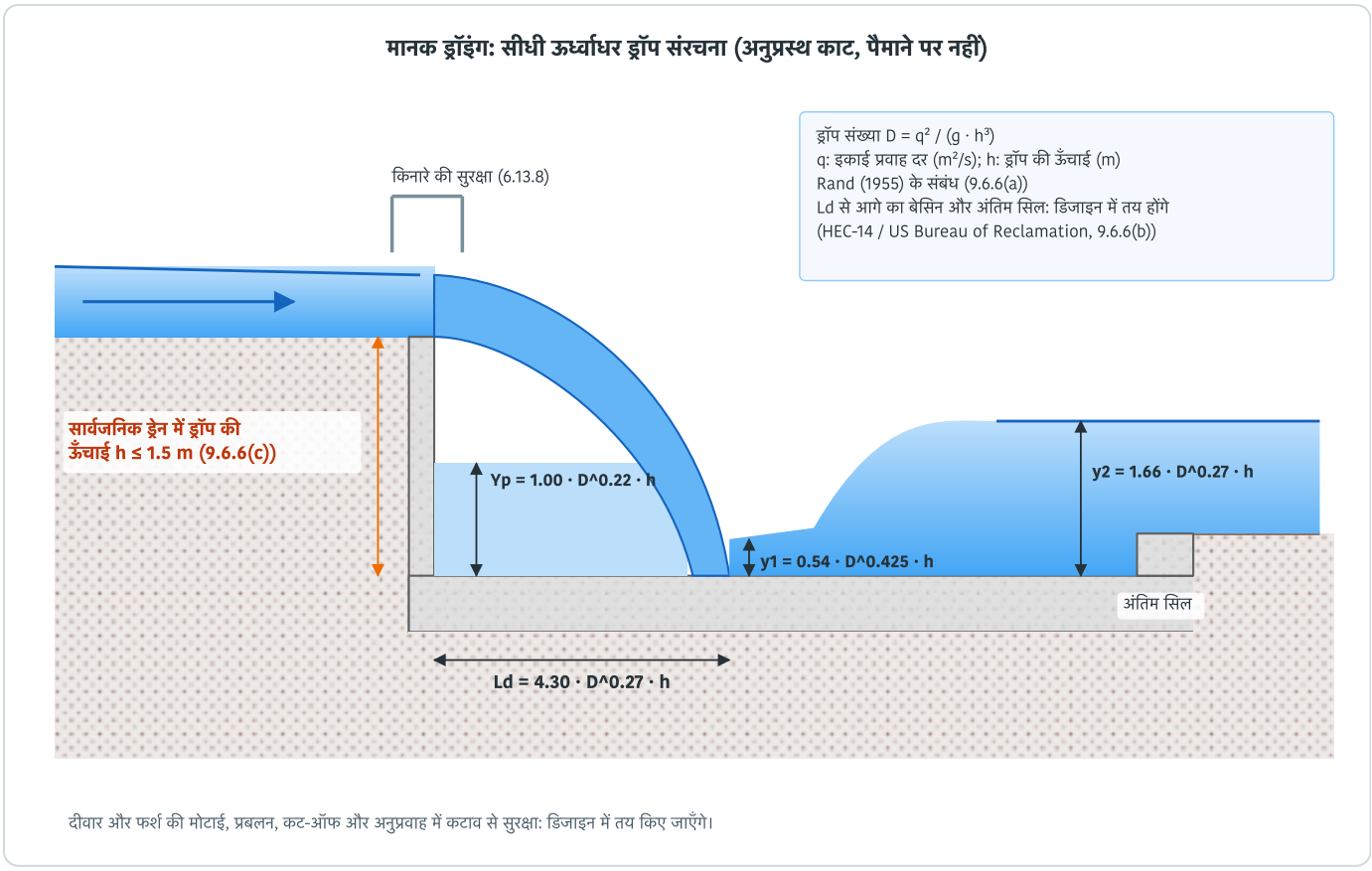

चित्र 9B.2 — मानक ड्रॉइंग: Rand (1955) की कुंड ज्यामिति और 1.5 m की ऊँचाई सीमा सहित सीधी ऊर्ध्वाधर ड्रॉप संरचना। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Chow, Open-Channel Hydraulics (1959), और FHWA, HEC-14 (3rd ed., 2006) से अनुकूलित।

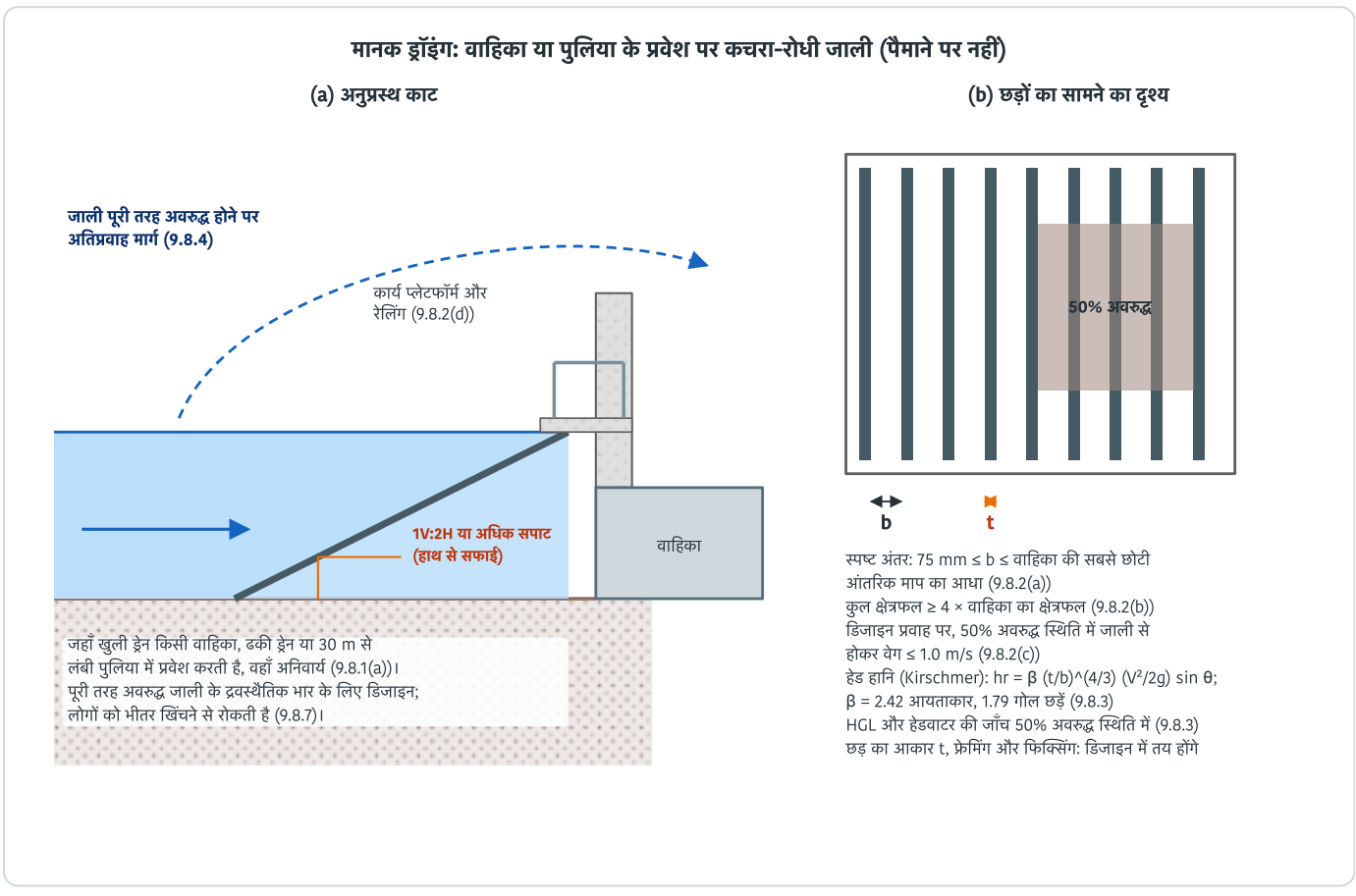

चित्र 9B.3 — मानक ड्रॉइंग: वाहिका या पुलिया के प्रवेश पर कचरा-रोधी जाली, काट और सामने के दृश्य में, छड़ों की दूरी, क्षेत्रफल, वेग, ढलान और अतिप्रवाह की अपेक्षाओं के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CIRIA, Culvert, screen and outfall manual, C786 (2019), और CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), §8.3.1.3 से अनुकूलित।

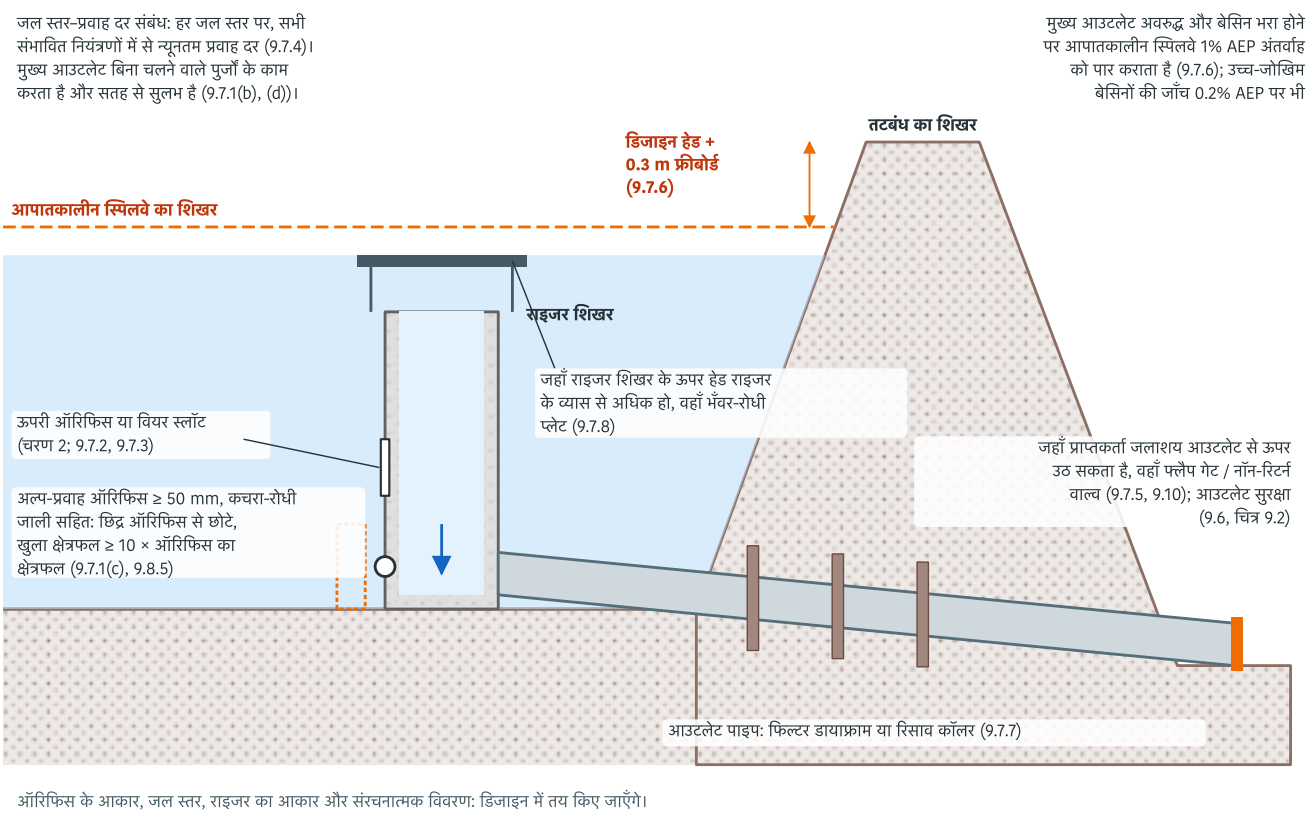

चित्र 9B.4 — मानक ड्रॉइंग: अस्थायी भंडारण बेसिन का आउटलेट राइजर, जाली सहित अल्प-प्रवाह ऑरिफिस, ऊपरी चरण, भँवर-रोधी प्लेट, तटबंध से होकर आउटलेट पाइप, फ्लैप गेट और आपातकालीन स्पिलवे के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 (2006, 5608.4) से अनुकूलित।

तालिका 9B.1 — मानक ड्रॉइंग पर आयाम और नियम तथा उनके स्रोत खंड

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
9B.1	सार्वजनिक सड़कों के नीचे पुलिया का न्यूनतम आकार	900 mm व्यास, या 900 mm × 900 mm बॉक्स	6.12.5
9B.1	डिजाइन AEP पर हेडवाटर	HW/D ≤ 1.2; प्रतिप्रवाह फलक पर शोल्डर के किनारे से कम से कम 0.3 m नीचे	9.4.5
9B.1	प्रवेश हानि गुणांक	निर्मित इनलेट के लिए तालिका 9.1 से (उदाहरण के लिए 30°–75° पर विंगवॉल वाले बॉक्स के लिए 0.4)	9.4.3
9B.1	इनवर्ट	ड्रेन के तल से मेल खाएँ; उससे ऊपर कभी नहीं	9.4.8(c)
9B.1	बहु-बैरल पुलियाएँ	मलबा-प्रवण ड्रेनों में इनसे बचा जाए; जहाँ उपयोग हो, शुष्क मौसम प्रवाह के लिए एक बैरल और मलबा-फिन या विक्षेपक	9.4.8(a)
9B.1	हेडवॉल, विंगवॉल, कट-ऑफ दीवारें	आवश्यक; आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.4.9

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
9B.1	सड़क के ऊपर से बहना	Qr = Cd · L · h^1.5, Cd ≤ 1.66	9.4.6
चित्र 9.2	रिपरैप एप्रन	आउटलेट पर चौड़ाई ≥ 3D, चैनल की ओर फैलती हुई; लंबाई और मोटाई तालिका 9.3 से; फिल्टर या जियोटेक्सटाइल	9.6.3, 9.6.4
9B.2	सार्वजनिक ड्रेन में एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप	ऊँचाई h ≤ 1.5 m; किनारे का सुरक्षा प्रावधान	9.6.6(c), 6.13.8
9B.2	कुंड की ज्यामिति	D = $q^2/(g\ h^3)$; Ld/h = 4.30 D^0.27; Yp/h = 1.00 D^0.22; y1/h = 0.54 D^0.425; y2/h = 1.66 D^0.27	9.6.6(a)
9B.2	Ld से आगे बेसिन, अंतिम सिल	डिजाइन में पुष्टि की जानी है (HEC-14 या US Bureau of Reclamation)	9.6.6(b)
9B.3	कहाँ आवश्यक है	जहाँ कोई खुली ड्रेन 30 m से अधिक लंबी वाहिका, ढकी ड्रेन या पुलिया में प्रवेश करती है	9.8.1(a)
9B.3	छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी b	75 mm से कम नहीं और वाहिका के सबसे छोटे आंतरिक आयाम के आधे से अधिक नहीं	9.8.2(a)
9B.3	जाली का सकल क्षेत्रफल	वाहिका के क्षेत्रफल का कम से कम 4 गुना	9.8.2(b)
9B.3	जाली से होकर वेग	50% अवरुद्ध होने पर डिजाइन प्रवाह पर 1.0 m/s से अधिक नहीं	9.8.2(c)
9B.3	झुकाव	जहाँ हाथ से रेक किया जाए वहाँ 1V:2H से अधिक खड़ा नहीं; कार्य मंच और रेलिंग	9.8.2(d)
9B.3	हेड हानि और अवरुद्ध जाँच	किर्शमर समीकरण; 50% अवरुद्ध होने पर HGL और हेडवाटर की जाँच	9.8.3
9B.3	अतिप्रवाह और सुरक्षा	पूरी तरह अवरुद्ध जाली के लिए अतिप्रवाह मार्ग; पूर्ण द्रवस्थैतिक भार के लिए डिजाइन	9.8.4, 9.8.7
9B.4	अल्प-प्रवाह ऑरिफिस	50 mm से छोटा नहीं; ऑरिफिस से छोटे छिद्रों और ऑरिफिस के क्षेत्रफल के कम से कम 10 गुना खुले क्षेत्रफल वाली कचरा जाली	9.7.1(c), 9.8.5
9B.4	ऑरिफिस और वियर प्रवाह	Q = Cd · A · (2gh)^0.5, तीक्ष्ण किनारे के लिए Cd = 0.60; खंड 9.7.3 के वियर गुणांक	9.7.2, 9.7.3
9B.4	जल स्तर–प्रवाह दर संबंध	प्रत्येक जल स्तर पर प्रत्येक संभव नियंत्रण की सबसे छोटी प्रवाह दर	9.7.4
9B.4	भँवर-रोधी प्लेट	जहाँ राइजर शिखर के ऊपर डिजाइन हेड राइजर के व्यास से अधिक हो	9.7.8
9B.4	तटबंध से होकर आउटलेट पाइप	फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर; फैला हुआ या हेडवॉल वाला इनलेट	9.7.7
9B.4	फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व	जहाँ प्राप्तकर्ता जलाशय आउटलेट से ऊपर उठ सकता है	9.7.5, 9.10
9B.4	आपातकालीन स्पिलवे	प्राथमिक आउटलेट अवरुद्ध और बेसिन भरा होने पर 1% AEP अंतर्वाह को तटबंध के शिखर तक 0.3 m फ्रीबोर्ड के साथ निकालता है; उच्च-जोखिम बेसिनों के लिए 0.2% AEP जाँच	9.7.6
सभी	संरचनात्मक आयाम, प्रबलन, नींव, छड़ों के आकार, ऑरिफिस के आकार और चरणों के स्तर	डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.1.2

परिशिष्ट 9C — पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची और मानक नियंत्रण पद्धति

अध्याय 9 के खंड 9.8.6, 9.9 और 9.10 के लिए, अध्याय 6 के खंड 6.10.5 और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के साथ।

9C.1 डिजाइन जाँच-सूची

यह जाँच-सूची खंड 9.14, मद 6 की पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

तालिका 9C.1 — पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची

क्र.	मद	अपेक्षा	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)
1	पंपिंग की आवश्यकता	गुरुत्व जल निकासी अध्याय 5 और 6 को पूरा नहीं कर सकती; कारण बताया गया	9.9.1	
2	अंतर्वाह	जलग्रहण क्षेत्र और किसी भी प्रतिप्रवाह भंडारण से रूट किया गया अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ	9.9.2	
3	डिजाइन मानक	सेवा किए जाने वाले घटक का डिजाइन AEP; अंडरपासों के लिए, 1% AEP जाँच सहित 2% AEP	9.9.2(a), 6.10.5(a)	
4	ज्वारीय आउटफॉल	ज्वार-अवरोध की अवधि (डिफॉल्ट: 6 h प्रत्येक के दो उच्च ज्वार) तक आउटफॉल सीमित रहने पर भंडारण और पंप मिलकर 48 h का डिजाइन आयतन रोकते हैं	9.9.2(b), अध्याय 5	
5	हेड की सीमा	पंपों का चयन निम्नतम टेलवाटर के सामने निम्नतम संप स्तर से उच्चतम टेलवाटर (HAT + महोर्मि + 0.3 m) तक; पंप और प्रणाली वक्र प्रस्तुत	9.9.2(c), 9.14	
6	वेट वेल का आयतन	इनमें से सबसे बड़ा: न्यूनतम अंतर्वाह के 5 मिनट (परिवर्ती गति और स्वचालित नियंत्रण); चरम अंतर्वाह के 10 से 15 मिनट, या निर्माता का न्यूनतम चक्र आयतन; प्रत्येक स्थिर-गति पंप के लिए $V = \Theta \cdot q / 4$	9.9.3	
7	कार्यरत पंप	जहाँ व्यवहार्य हो, एक ही आकार	9.9.4(a)	
8	स्टैंडबाय	कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर, और कार्यरत पंपों की संख्या के 50% से कम नहीं	9.9.4(b)	
9	बारी-बारी से परिवर्तन	कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ स्वचालित रूप से बारी-बारी से बदलती हैं	9.9.4(c)	
10	पंप का प्रकार	ठोस-वहन (नॉन-क्लॉग); अक्षीय-प्रवाह केवल खंड 9.8.6 का पालन करने वाली जाली के पीछे	9.9.5	
11	संप और इनटेक	निर्माता की अपेक्षाएँ और ANSI/HI 9.8; स्पष्ट स्थान 0.6 m (छोटी और मध्यम) या 1.0 m (बड़ी इकाइयाँ)	9.9.6	
12	मॉडल अध्ययन	जहाँ कोई पंप 1 m^3/s से अधिक हो या संप ANSI/HI 9.8 की ज्यामिति से भिन्न हो, वहाँ भौतिक मॉडल	9.9.6	
13	गाद-जाल और जाली	वेट वेल के प्रतिप्रवाह में; जाली की दूरी पंपों के ठोस-आकार से छोटी; हटाए जा सकने वाले मॉड्यूल; जहाँ अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो वहाँ यांत्रिक रेकिंग	9.9.7, 9.8.6	
14	जाली का अतिप्रवाह	जाली पूरी तरह अवरुद्ध होने पर अतिप्रवाह मार्ग	9.8.4	
15	स्तर नियंत्रण	स्वतंत्र फ्लोट-स्विच बैक-अप सहित प्राथमिक स्तर सेंसर (अल्ट्रासोनिक, रडार या दाब)	9.9.8(a)	
16	अलार्म	उच्च-स्तर और पंप-खराबी के अलार्म टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को	9.9.8(b)	
17	अभिलेख	संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज और कम से कम 5 वर्ष तक रखी गई	9.9.8(c)	

क्र.	मद	अपेक्षा	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)
18	विद्युत स्रोत	ग्रिड आपूर्ति और साथ में स्टैंडबाय जनरेटर या दूसरा स्वतंत्र फीडर, जो सभी कार्यरत पंपों को एक साथ चला सके	9.9.9(a)	
19	ईंधन	सभी कार्यरत पंपों के लिए कम से कम 72 h, खंड 9.9.10 के बाढ़ स्तर से ऊपर संग्रहीत	9.9.9(b)	
20	परिवर्तन	स्टैंडबाय विद्युत पर स्वचालित परिवर्तन	9.9.9(c)	
21	बाढ़ से संरक्षण	विद्युत और नियंत्रण कक्ष का फर्श, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर; 1% AEP घटना में वाहनों की पहुँच उपयोग योग्य	9.9.10	
22	निस्सरण	अलग राइजिंग मेन, या जहाँ मेन मिलते हैं वहाँ नॉन-रिटर्न और पृथक्करण वाल्व; फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व सहित डिलीवरी कक्ष या आउटफॉल; मेन का आकार किसी मान्यताप्राप्त घर्षण सूत्र से	9.9.11	
23	गेट	1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉलों पर फ्लैप या ज्वार-रोधी गेट; 900 mm या उससे बड़े आउटफॉलों और प्रत्येक पंप वाले आउटफॉल के लिए प्रतिप्रवाह में पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग खाँचा; हेड हानि परीक्षित आँकड़ों से	9.10.1, 9.10.3, 9.10.4	
24	आउटफॉल पर रेत और मलबा	समुद्र-तट, ज्वारनदमुख और क्रीक के आउटफॉलों पर सतह से प्रवेश वाले कक्ष में गेट, या इलास्टोमेरिक चेक वाल्व	9.10.5	
25	आपातकालीन कनेक्शन	मोबाइल पंपों के लिए डिलीवरी कक्ष में पक्का खड़ा होने का स्थान और त्वरित-युग्मन कनेक्शन	9.9.12	
26	सामग्री	खंड 9.13 का अनावरण वर्ग; तट से 5 km के भीतर ग्रेड 316 का स्टेनलेस स्टील, जस्तीकृत और लेपित स्टील, या अधात्विक फिक्सिंग	9.13	
27	डिजाइन आयु	सिविल कार्यों के लिए कम से कम 50 वर्ष और यांत्रिक तथा विद्युत उपकरणों के लिए 25 वर्ष	9.2.4	
28	अंडरपास स्टेशन	कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर गहराई चिह्न और स्वचालित चेतावनी या बंद करने के संकेत	6.10.5(d)	
29	प्रमाणन	किसी सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा डिजाइन और किसी स्वतंत्र सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा जाँच	10.6.1(d), 10.6.4	

9C.2 मानक नियंत्रण पद्धति

यह खंड 9.9 के अंतर्गत डिजाइन किए गए वर्षा जल पंपिंग स्टेशन के लिए मानक नियंत्रण पद्धति है। डिजाइनकर्ता इसे स्टेशन के अनुरूप ढालता है और डिजाइन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करता है। "अनुशंसित" अंकित मद अच्छी पद्धति हैं जिनकी अध्याय 9 अपेक्षा नहीं करता; अन्य सभी किसी खंड को दोहराते हैं।

तालिका 9C.2 — नियंत्रण स्तर (मान डिजाइन में निर्धारित किए जाने हैं)

स्तर	निर्धारण का नियम	खंड
पंप बंद	पंप निर्माता और ANSI/HI 9.8 द्वारा अपेक्षित न्यूनतम जलमग्नता से नीचे नहीं	9.9.6
कार्यरत पंप 1 प्रारंभ	पंप-बंद स्तर से कम से कम खंड 9.9.3 के वेट वेल के प्रभावी आयतन जितना ऊपर	9.9.3
कार्यरत पंप 2, 3 … प्रारंभ	कार्यरत पंप 1 प्रारंभ के ऊपर क्रमबद्ध; अंतराल की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.9.2
उच्च-स्तर अलार्म	कार्यरत पंप के उच्चतम प्रारंभ स्तर से ऊपर; डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.9.8(b)

स्तर	निर्धारण का नियम	खंड
फ्लोट बैक-अप उच्च	स्वतंत्र फ्लोट; कार्यरत पंपों को प्रारंभ करता है	9.9.8(a)
फ्लोट बैक-अप निम्न	स्वतंत्र फ्लोट; पंपों को बंद करता है	9.9.8(a)

1. **सामान्य (स्वचालित) संचालन.** जैसे ही वेट वेल का स्तर कार्यरत पंप 1 के प्रारंभ स्तर तक उठता है, अग्रणी पंप (lead pump) प्रारंभ होता है। यदि स्तर उठता रहता है, तो प्रत्येक अगला कार्यरत पंप अपने प्रारंभ स्तर पर प्रारंभ होता है। स्तर पंप-बंद स्तर तक गिरने पर पंप बंद हो जाते हैं। यह क्रम प्राथमिक स्तर सेंसर नियंत्रित करता है (खंड 9.9.8(a))।
2. **कार्यरत भूमिका का चक्रण.** अग्रणी पंप, प्रत्येक पंप-डाउन चक्र के बाद या डिजाइन में निर्धारित चलने के घंटों के अनुसार, स्वचालित रूप से बदलता है, ताकि कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ बारी-बारी से बदलें और घिसाव बँट जाए (खंड 9.9.4(c))।
3. **पंप खराबी.** जो पंप ट्रिप हो जाता है या प्रारंभ नहीं होता, उसे लॉक-आउट कर दिया जाता है। अगला उपलब्ध पंप, स्टैंडबाय पंप सहित, उसका स्थान लेता है, और पंप-खराबी का अलार्म टेलीमेट्री द्वारा भेजा जाता है (खंड 9.9.4(b) और 9.9.8(b))।
4. **स्तर सेंसर की विफलता.** यदि प्राथमिक सेंसर विफल हो जाता है, या फ्लोट स्विचों से असहमत होता है, तो नियंत्रण स्वतंत्र फ्लोट बैक-अप को चला जाता है: फ्लोट-उच्च स्तर पर कार्यरत पंप चलते हैं, और फ्लोट-निम्न स्तर पर वे बंद हो जाते हैं। एक अलार्म भेजा जाता है (खंड 9.9.8(a), (b))।
5. **विद्युत विफलता.** आपूर्ति स्वचालित रूप से स्टैंडबाय जनरेटर या दूसरे फीडर पर बदल जाती है (खंड 9.9.9(c))। अनुशंसित: जनरेटर पर प्रारंभिक भार सीमित करने के लिए, परिवर्तन के बाद पंप एक-एक करके पुनः प्रारंभ हों।
6. **उच्च स्तर.** उच्च-स्तर अलार्म स्तर पर टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को अलार्म भेजा जाता है (खंड 9.9.8(b))। अंडरपास पर चेतावनी या बंद करने के संकेत कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर सक्रिय होते हैं (खंड 6.10.5(d))।
7. **आउटफॉल और गेट.** राइजिंग मेन फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व लगे डिलीवरी कक्ष या आउटफॉल में पानी छोड़ते हैं (खंड 9.9.11)। फ्लैप गेट किसी नियंत्रण कार्रवाई के बिना हेड अंतर के अधीन खुलते और बंद होते हैं। प्रतिप्रवाह पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग केवल रखरखाव के लिए, या फ्लैप गेट के खुला अटक जाने पर बंद किए जाते हैं (खंड 9.10.3)। अनुशंसित: पेनस्टॉक की स्थिति नियंत्रण पैनल पर दिखाई जाए और दर्ज की जाए।
8. **ज्वार-अवरुद्ध संचालन.** जहाँ आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध है, वहाँ भंडारण और पंपिंग मिलकर ज्वार-अवरोध की अवधि तक 48 h का डिजाइन आयतन रोकते हैं (खंड 9.9.2(b) और अध्याय 5)। जहाँ स्टेशन में गुरुत्व आउटफॉल भी है, वहाँ ज्वार उतरने पर फ्लैप गेट से होकर गुरुत्व निस्सरण फिर से प्रारंभ हो जाता है।
9. **जालियाँ.** यांत्रिक रूप से रेक की जाने वाली जालियाँ (जहाँ अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो वहाँ आवश्यक, खंड 9.8.6) स्वचालित रूप से चलाई जाती हैं। अनुशंसित: रेकिंग एक टाइमर द्वारा और जाली के आर-पार स्तर अंतर द्वारा प्रारंभ की जाए, और अंतर अधिक बने रहने पर अलार्म हो।
10. **हाथ से संचालन.** अनुशंसित: पैनल पर प्रत्येक पंप के लिए हैंड–ऑफ–ऑटो चयनकर्ता हो, और हैंड मोड में भी फ्लोट बैक-अप का उच्च-स्तर प्रारंभ सक्रिय रहे।
11. **मोबाइल पंप.** जब स्थिर पंप सेवा से बाहर हों या क्षमता से अधिक भार में हों, तो मोबाइल पंप त्वरित-युग्मन कनेक्शन से होकर डिलीवरी कक्ष में पानी छोड़ते हैं (खंड 9.9.12)।
12. **अभिलेख.** संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज की जाती है और कम से कम 5 वर्ष तक रखी जाती है (खंड 9.9.8(c))। अनुशंसित: अलार्म, पंपों के प्रारंभ और बंद होने, और परिवर्तन भी दर्ज किए जाएँ।
13. **परीक्षण.** नियंत्रण, फ्लोट, अलार्म, टेलीमेट्री, परिवर्तन व्यवस्था और जनरेटर का परीक्षण अध्याय 10 के मानसून-पूर्व निरीक्षण (खंड 10.12) में किया जाता है, और परिणाम वार्षिक रखरखाव घोषणा (प्रपत्र 10-7; खंड 10.10.3) में बताए जाते हैं।

प्रपत्र 9-1 — हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 9 के खंड 9.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सांविधिक उपयोग के लिए नहीं।

यह जाँच-सूची हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट के आगे संलग्न करें। प्रत्येक मद के लिए हाँ, नहीं या लागू नहीं, और वह ड्रॉइंग या पृष्ठ दर्ज करें जहाँ वह दिखाया गया है।

भाग A — परियोजना

तालिका 9F.1 — प्रपत्र 9-1, भाग A: परियोजना

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
परियोजना का नाम और स्थान	_____
स्थानीय निकाय, और टियर A या टियर B (अध्याय 1)	_____
आवेदक	_____
डिजाइनकर्ता (नाम और पंजीकरण)	_____
सम्मिलित संरचनाएँ (पुलियाएँ, चैनल, क्षयकारी, आउटलेट, जालियाँ, पंप, गेट, इनलेट, मैनहोल)	_____
प्रयुक्त टेलवाटर स्थितियाँ: MHWS, HAT + महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई, संयुक्त स्थिति (खंड 9.2.1)	_____
दिनांक और संशोधन	_____

भाग B — खंड 9.14 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

तालिका 9F.2 — प्रपत्र 9-1, भाग B: खंड 9.14 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

क्र.	मद	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
1	पुलिया की गणनाएँ (HDS-5 या HY-8 आउटपुट), HWi, HWo, आउटलेट वेग, टेलवाटर, ऊपर से बहने और अवरोध जाँच सहित	9.4, 6.12		
2	चैनल की जल-सतह प्रोफाइल, वेग, फ्रूड संख्याएँ और फ्रीबोर्ड	9.5		
3	आउटलेट संरक्षण और क्षयकारी का डिजाइन, रिपरैप के आकार निर्धारण सहित	9.6		
4	अस्थायी भंडारण आउटलेट की जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आपातकालीन स्पिलवे की जाँच	9.7		
5	50% अवरुद्ध जाँच सहित जाली और कचरा-रोधी जाली का डिजाइन	9.8		
6	पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, भंडारण, पंप और प्रणाली वक्र, वेट वेल का आयतन, नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच (परिशिष्ट 9C सहित)	9.9		
7	हेड-हानि आँकड़ों सहित गेट और वाल्व का चयन	9.10		
8	इनलेट, जाली और ढक्कन के भार वर्ग	9.11		

क्र.	मद	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
9	अनावरण वर्ग और सामग्री का विवरण	9.13		

भाग C — अनुपालन जाँचें

तालिका 9F.3 — प्रपत्र 9-1, भाग C: अनुपालन जाँचें

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / NA)
C1	डिजाइन प्रवाहों में जलवायु गुणक सम्मिलित	खंड 2.8	9.2.2	
C2	जहाँ मलबा अवरुद्ध कर सकता है वहाँ अवरुद्ध स्थिति की जाँच; सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग	—	9.2.5	
C3	पाइप और बॉक्स ड्रेन: डिजाइन n (बॉक्स ड्रेन ≥ 0.015); अतिक्रांतिक पाइप: जंप किसी संरचना में, वायु निकास	—	9.3.1, 9.3.4	
C4	पाइप का आकार अनुप्रवाह की ओर नहीं घटता; जोड़ केवल मैनहोल या संगम कक्षों पर; 90° से अधिक का दिशा परिवर्तन नहीं	—	9.3.5	
C5	पुलिया का डिजाइन हेडवाटर = HWi और HWo में से अधिक	—	9.4.1	
C6	डिजाइन AEP पर पुलिया का हेडवाटर	HW/D ≤ 1.2; शोल्डर के किनारे से ≥ 0.3 m नीचे	9.4.5	
C7	सड़क के ऊपर से बहने का वियर गुणांक	Cd ≤ 1.66	9.4.6	
C8	पुलिया के इनवर्ट ड्रेन के तल से मेल खाते हैं; हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें	—	9.4.8(c), 9.4.9	
C9	डिजाइन प्रवाह पर चैनल की फ्रूड संख्या	≤ 0.8; 0.8 और 1.2 के बीच कोई नहीं	9.5.2	
C10	चैनल का वेग	तालिका 9.2	9.5.3	
C11	अभियांत्रिक चैनलों में चैनल का ढलान	प्राकृतिक ≤ 0.4%, कंक्रीट ≤ 0.2%, या ड्रॉप / ढलवाँ चैनल	9.5.4	
C12	पार्श्व ढलान; जहाँ तल चौड़ाई ≥ 3 m वहाँ अल्प-प्रवाह चैनल; उत्थान या रिसाव छिद्र	—	9.5.6, 9.5.7, 9.5.9	
C13	जहाँ आउटलेट वेग तालिका 9.2 से अधिक हो वहाँ आउटलेट संरक्षण	तालिका 9.3 का एप्रन, या बेसिन	9.6.1, 9.6.3	
C14	एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप की ऊँचाई	≤ 1.5 m	9.6.6(c)	
C15	अस्थायी भंडारण का प्राथमिक आउटलेट: कोई गतिशील पुर्जा नहीं; न्यूनतम ऑरिफिस	जाली सहित ≥ 50 mm	9.7.1	
C16	आपातकालीन स्पिलवे	1% AEP, आउटलेट अवरुद्ध, बेसिन भरा, 0.3 m फ्रीबोर्ड; उच्च-जोखिम बेसिनों के लिए 0.2% AEP	9.7.6	
C17	तटबंध से होकर आउटलेट पाइप; जहाँ आवश्यक हो वहाँ भँवर-रोधी प्लेट	—	9.7.7, 9.7.8	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / NA)
C18	वाहिका-प्रवेश जालियाँ	दूरी 75 mm से वाहिका के सबसे छोटे आयाम के आधे तक; क्षेत्रफल ≥ 4×; 50% अवरुद्ध होने पर ≤ 1.0 m/s	9.8.2	
C19	अस्थायी भंडारण ऑरिफिस की जालियाँ	छिद्र ऑरिफिस से छोटे; खुला क्षेत्रफल ≥ 10×	9.8.5	
C20	पंपिंग स्टेशन	परिशिष्ट 9C की जाँच-सूची पूर्ण	9.9	
C21	1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉलों पर गेट; द्वितीयक बंद-व्यवस्था; संक्षारण-रोधी फिटिंग	—	9.10	
C22	जाली के भार वर्ग, समानांतर छिद्र ≤ 25 mm, कर्ब छिद्र ≥ 100 mm × 1.0 m, तालाबंद ढक्कन	—	9.11	
C23	मैनहोल के आकार (तालिका 9.4), 600 mm प्रवेश द्वार, ड्रॉप, बेंचिंग, सरचार्ज ढक्कन	—	9.12	
C24	अनावरण वर्ग (तालिका 9.5); तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में क्लोराइड और सल्फेट परीक्षण; सल्फाइड से संरक्षण; तट से 5 km के भीतर धातु कार्य	—	9.13	

भाग D — विचलन

तालिका 9F.4 — प्रपत्र 9-1, भाग D: विचलन

खंड	पूरी न की गई अपेक्षा	कारण और प्रस्तावित विकल्प	अनुमोदनकर्ता और दिनांक
_____	_____	_____	_____

भाग E — हस्ताक्षर

रिपोर्ट किसी पंजीकृत पेशेवर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाएगी, और पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न किया जाएगा (अध्याय 10 के खंड 10.6.1 और 10.6.3)। तटबंध वाली सुविधा, उच्च-जोखिम बेसिन, पंप वाली सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा के लिए, हस्ताक्षरकर्ता एक सूचीबद्ध वर्षा जल डिजाइन पेशेवर होगा, और एक दूसरा, स्वतंत्र सूचीबद्ध पेशेवर जाँचकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करेगा (खंड 10.6.1(c), (d) और 10.6.4)।

तालिका 9F.5 — प्रपत्र 9-1, भाग E: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या	हस्ताक्षर	दिनांक
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____	_____
स्वतंत्र जाँचकर्ता (खंड 10.6.4, जहाँ लागू हो)	_____	_____	_____	_____

अध्याय 10 के परिशिष्ट

प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन

ये परिशिष्ट अध्याय 10 के लिए हैं। इनमें अनुपालन कैलकुलेटर का विनिर्देश और उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा, GIS आँकड़ों का विनिर्देश, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित रखरखाव पहुँच के आयाम, प्रत्येक प्रकार की सुविधा के लिए आदर्श O&M योजनाएँ, सूचीबद्धता के आदर्श मानदंड, और अध्याय 10 द्वारा अपेक्षित आठ प्रपत्र दिए गए हैं। डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) अध्याय 2 के परिशिष्टों में है। ये प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं। आदर्श पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु हैं और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 10A — अनुपालन कैलकुलेटर और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

अध्याय 10 के खंड 10.4.1(g), 10.5 और 10.9.1(b) के लिए।

> **स्थिति.** अनुपालन कैलकुलेटर अभी अस्तित्व में नहीं है। खंड 10.5.1 की अपेक्षा है कि राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति इसे जारी करे और इसका अनुरक्षण करे। यह परिशिष्ट वह विनिर्देश है जिसे कैलकुलेटर पूरा करेगा, और उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा है। जब तक कैलकुलेटर जारी नहीं होता, डिजाइनकर्ता अध्याय 4, 5 और 8 की गणनाओं से प्रपत्र 10-2 हाथ से भरता है, कैलकुलेटर संस्करण के रूप में "जारी नहीं" (not issued) लिखता है, और गणनाएँ संलग्न करता है।

10A.1 सामान्य अपेक्षाएँ

कैलकुलेटर:

- (a) एक स्प्रेडशीट या वेब टूल होगा, जो अपनी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उसमें दी गई प्रत्येक तालिका के स्रोत के साथ निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.5.4);
- (b) प्रत्येक आउटपुट पृष्ठ और प्रत्येक निर्यात की गई फाइल पर अपना संस्करण क्रमांक और जारी होने की तारीख छापेगा (खंड 10.5.3);
- (c) संस्करणों का एक सार्वजनिक लॉग रखेगा। नया संस्करण जारी होने के 6 महीने बाद से नई प्रस्तुतियों पर लागू होता है; कोई प्रस्तुति चरण 1 से चरण 4 तक एक ही संस्करण रखती है, जब तक कि आवेदक बाद के किसी संस्करण को न चुने (खंड 10.5.3);
- (d) एक समय में एक साइट के लिए कार्य करेगा, जिसमें एक या अधिक जल निकासी क्षेत्र हों और प्रत्येक अपने आउटफॉल में पानी छोड़ता हो (खंड 4.5.1.3);
- (e) कभी भी ऐसा मान लागू नहीं करेगा जिसे मैनुअल ने प्रकाशित नहीं किया है। जहाँ उसे आवश्यक कोई तालिका जारी नहीं हुई है (उदाहरण के लिए परिशिष्ट 4B की तालिका 4.3, या परिशिष्ट 1C की S-2 प्रवाह दर तालिकाएँ), वहाँ कैलकुलेटर मान का अनुमान लगाने के बजाय उस मार्ग को "उपलब्ध नहीं" (not available) दिखाएगा; और
- (f) अपने इनपुट और परिणाम प्रपत्र 10-2 के साथ-साथ मशीन द्वारा पठनीय फाइल (CSV या JSON) के रूप में भी निर्यात करेगा, ताकि प्राधिकारी उन्हें सुविधा रजिस्टर में लोड कर सके (खंड 10.17.1(b))।

10A.2 इनपुट

तालिका 10A.1 — कैलकुलेटर के इनपुट

क्र.	इनपुट	इकाई	स्रोत
I1	प्राधिकारी, टियर (A या B) और फाइल संख्या	—	खंड 1.6
I2	साइट का क्षेत्रफल; भूमि विक्षोभ का क्षेत्रफल	ha	खंड 1.5.2
I3	नया अपारगम्य क्षेत्र; प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र; ध्वस्तीकरण से पहले का विद्यमान अपारगम्य क्षेत्र	m^2	खंड 1.5.2, 1.5.6, 4.5.6.1
I4	विकास का प्रकार: नया, पुनर्विकास, रैखिक लोक निर्माण कार्य, एकल आवास	—	खंड 1.5.6–1.5.8
I5	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (हाँ / नहीं), और अनुमोदित BSMP वाला बेसिन (हाँ / नहीं)	—	खंड 4.5.3, 4.13, 11.12
I6	वर्षा जोन	—	परिशिष्ट 2A
I7	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R; 3-महीने ARI की 24-घंटे की गहराई P_3m	mm	परिशिष्ट 2E, 8A
I8	अवधि (1–72 h) और AEP के अनुसार डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, जलवायु गुणक सहित, जैसी प्रपत्र 2-1 पर अभिलिखित हैं	mm	खंड 2.5, 2.8, 2.13
I9	15-मिनट की तीव्रताएँ i_10 और i_2, जलवायु गुणक सहित (केवल नियत-गुणांक मार्ग)	mm/h	खंड 4.14.4
I10	जल निकासी क्षेत्र: प्रत्येक के लिए क्षेत्रफल, भूमि आवरण, अपारगम्य प्रतिशत, HSG और कर्व नंबर, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात	ha, %, —	खंड 3.3, 3.7, 3.9
I11	पंजीकृत प्रसंविदा के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र	ha	खंड 4.4.7
I12	प्रत्येक प्रतिधारण पद्धति के तल से नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई	m	खंड 4.4.3(c), 8.8
I13	प्रत्येक पद्धति पर मापी गई अंतःस्यंदन दर	mm/h	खंड 4.4.3
I14	पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराया गया प्रतिधारण आयतन; जहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग द्वारा है वहाँ पुनः उपयोग की माँग	m^3, m^3/d	खंड 4.4.3, 4.4.5
I15	मार्ग: पूर्ण हाइड्रोग्राफ विधि (खंड 4.6); डिजाइन सहायिका S-1 (खंड 4.14.2); PSD S-2 (खंड 1.7); नियत-गुणांक (खंड 4.14.3); सीमित पुनर्विकास (खंड 4.5.6)	—	खंड 1.7, 4.5.6, 4.6, 4.14
I16	पूर्ण विधि के लिए: प्रत्येक AEP और अवधि के लिए मॉडल परिणाम — विकास-पूर्व और विकास-पश्चात चरम, प्रयुक्त भंडारण, रूटिंग द्वारा प्राप्त प्रतिधारण क्रेडिट	m^3/s, m^3	खंड 4.4.6.2, 4.6
I17	आउटलेट: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का व्यास या स्लॉट का न्यूनतम आयाम; रूटिंग से खाली होने का समय	mm, h	खंड 4.7, 4.8.2
I18	आउटफॉल: ज्वारीय या गैर-ज्वारीय; आउटफॉल-बंद जाँच का परिणाम	—	अध्याय 5
I19	बेसिन के लिए अधिसूचित एवज शुल्क की इकाई दर, जहाँ वह मार्ग लागू हो	₹/m^3	खंड 4.13.3
I20	प्रस्तुति का चरण (1, 2 या 4) और, चरण 4 पर, I14, I16 और I17 के यथा-निर्मित मान	—	खंड 10.5.2, 10.9.1(b)

10A.3 खंड के अनुसार गणनाएँ

तालिका 10A.2 — कैलकुलेटर द्वारा की जाने वाली गणनाएँ

पद	गणना	खंड
C1	**प्रयोज्यता.** अध्याय 4 और 5 वहाँ लागू होते हैं जहाँ विकास की साझा योजना पर भूमि विक्षोभ ≥ 0.1 ha हो या नया और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र मिलाकर ≥ 500 m² हो। छूटों की रिपोर्ट करें। यह चिह्नित करें कि सार्वभौमिक प्रावधान हर आकार पर लागू होते हैं, और यह कि RWH छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78(4) की सीमा से बड़े भूखंडों पर बने भवनों पर, जो सीमा 500 m² बताई गई है (2019 का राज्य सभा का उत्तर; 17 फरवरी 2009 का संशोधन अंक "500" और "300" प्रतिस्थापित करता है और सीमा [TBC] है), भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ (N) की प्रणालियों द्वारा, 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतों वाले सरकारी भवनों पर (सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश), एकीकृत उपनगरों पर (भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ण) और नवा रायपुर में प्रत्येक विकास पर (नया रायपुर विकास योजना-2031, §10.3.2) लागू होता है; पूर्व-उपचार सहित पुनर्भरण का क्रेडिट केवल गंभीर और अर्ध-गंभीर शहरी विकासखंडों (रायपुर जिले का धरसींवां, दुर्ग और धमधा) में जल-भूवैज्ञानिक की जाँच के बाद दिया जाता है, रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी के चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर में गुहा जाँच के साथ और जहाँ भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक हों वहाँ उनकी जाँच के साथ, और कन्हार (kanhar) पर, डूब क्षेत्रों पर, जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर अध्याय 8 की भूजल से दूरी (separation) के भीतर है वहाँ, खनन से विक्षुब्ध भूमि, ओवरबर्डन डंपों या ऐश पॉन्ड पर, या किसी खदान के निर्जलीकरण क्षेत्र के भीतर बिल्कुल नहीं।	1.5.2–1.5.8
C2	**प्रक्रिया संबंधी संकेत.** चरण 0 अनिवार्य (≥ 2 ha, बाढ़-संवेदनशील, विचलन या क्षेत्रीय मार्ग, ज्वारीय आउटफॉल या जलाशय); चरण 1 और 2 संयुक्त किए जा सकते हैं (< 1 ha, बाढ़-संवेदनशील नहीं); सूचीबद्ध हस्ताक्षरकर्ता अपेक्षित; स्वतंत्र जाँच अपेक्षित।	10.3.2, 10.3.3, 10.6.1, 10.6.4
C3	**मार्ग की पात्रता.** टियर B सरलीकृत विधि: ≤ 2 ha, या बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में ≤ 0.5 ha, और केवल तालिका 4.3 प्रकाशित होने के बाद। नियत-गुणांक मार्ग: ≤ 1 ha और खंड 4.14.3 के अपवर्जनों में से कोई नहीं। सीमित पुनर्विकास: विद्यमान ≥ 60% अपारगम्य और ≤ 1 ha। क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क: केवल अनुमोदित BSMP वाले बेसिन में।	4.5.6.1, 4.13.1, 4.14.1, 4.14.3, 11.12.1(b)
C4	**प्रतिधारण आयतन.** RRV = 10 × Q_R × A, जहाँ Q_R प्रत्येक उप-भाग के लिए AMC II पर P_R से SCS-CN अपवाह है, जिसे सभी उप-भागों पर जोड़ा जाता है। Ia = 0.2S और Ia = 0.05S के परिणामों में से बड़ा परिणाम निर्णायक होता है। Rv रूप (RRV = 10 × P_R × Rv × A, Rv = 0.05 + 0.009 × I) केवल < 0.5 ha की साइटों और टियर B विधि के लिए दिया जाता है। कोई जलवायु गुणक नहीं।	4.4.2, 3.8.5(c), 2.8.3
C5	**संरक्षण क्रेडिट.** संरक्षित क्षेत्रों को विकास-पश्चात स्थिति में उनके विकास-पूर्व CN पर मॉडल किया जाता है।	4.4.7
C6	**प्रतिधारण जाँच.** डिजाइन अंतःस्यंदन दर ≤ मापी गई दर का आधा; भूजल तल से ≥ 1.0 m नीचे; प्रतिधारित आयतन का डिजाइन दर पर (या बताई गई पुनः उपयोग की माँग द्वारा) 72 h के भीतर खाली होना। जो पद्धति किसी भी जाँच में विफल हो उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता; किसी भी कमी की रिपोर्ट की जाती है और उसे WQv माना जाता है।	4.4.3–4.4.5, 4.4.6.4
C7	**जल गुणवत्ता आयतन.** P_wq = max(P_ret, P_3m); WQv = SCS-CN द्वारा 10 × Q_wq × A, या < 0.5 ha की साइटों और टियर B विधि के लिए (P_wq / 1000) × Rv × A (A m² में)। प्रतिधारित आयतन WQv में पूरा गिना जाता है। कोई जलवायु गुणक नहीं।	8.4.1–8.4.4, 3.8.5(c)
C8	**प्रतिधारण क्रेडिट.** टियर A: रूटिंग द्वारा प्राप्त क्रेडिट दर्ज किया जाता है (I16); कैलकुलेटर इसकी गणना नहीं करता। टियर B: V_credit = C_R × उपलब्ध कराया गया RRV, जहाँ परिशिष्ट 4B प्रकाशित होने तक C_R = 0 है।	4.4.6
C9	**डिजाइन सहायिका मार्ग (S-1).** V = SSR × A − V_credit; 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए Q_PSD,T = PSD_T × A, तालिका 4.3 से। तालिका 4.3 प्रकाशित होने तक "उपलब्ध नहीं" दिखाया जाता है।	1.7.2, 4.14.2
C10	**साइट की अनुमेय प्रवाह दर (S-2).** प्रत्येक AEP के लिए Q = PSD (m³/s/ha) × A, S-2 तालिकाओं से। जब तक वे जारी नहीं होतीं, "उपलब्ध नहीं" दिखाया जाता है।	1.7.2, 1.7.3(e)

पद	गणना	खंड
C11	**नियत-गुणांक मार्ग.** Q_cap,10 = 2.78 × C_10 × i_10 × A और Q_cap,2 = 2.78 × C_2 × i_2 × A (L/s); V_100 और V_2 = d = 1 से 72 h के लिए [10 × C_v × P(d) × A − 1.8 × Q_cap × d] का d पर अधिकतम मान, जहाँ d ≥ 12 h के लिए पारगम्य C ≥ 0.50; V = max(V_100, V_2); प्रतिधारण बिना क्रेडिट के जोड़ा जाता है। गुणांक तालिका 4.3A (अनंतिम) से।	4.14.4–4.14.7
C12	**निकास दर की छँटाई जाँच (पूर्ण विधि).** प्रत्येक AEP और अवधि के लिए: Q_post ≤ 0.9 × Q_pre (मानक), या दो मिश्रित-आवृत्ति सीमाएँ (बाढ़-संवेदनशील)। निर्णायक अवधि और मार्जिन की रिपोर्ट करें।	4.5.2, 4.5.3
C13	**सीमित पुनर्विकास.** प्रत्येक अवधि पर 2-, 10- और 100-वर्ष के लिए Q_post ≤ 0.5 × Q_existing; कमी का आयतन = अविकसित खुली भूमि (greenfield) का भंडारण − उपलब्ध कराया गया भंडारण; शुल्क = कमी × इकाई दर।	4.5.6.2, 4.5.6.3
C14	**न्यूनतम ऑरिफिस.** < 50 mm के किसी भी ऑरिफिस को चिह्नित करें। जहाँ कोई सीमा संबंधित चरण पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम हो, वहाँ "50 mm ऑरिफिस अनुपालक माना गया" (50 mm orifice deemed to comply) रिपोर्ट करें।	4.5.5.1, 4.8.2
C15	**खाली होना.** अस्थायी भंडारण के खाली होने (10-वर्ष के संग्रहीत आयतन का 90% 48 h के भीतर), WQv के निकास समय (24–48 h) और प्रतिधारण के खाली होने के समय (≤ 72 h) की रिपोर्ट करें।	4.7
C16	**एवज शुल्क.** शुल्क = साइट पर अपेक्षित अस्थायी भंडारण आयतन × अधिसूचित इकाई दर।	4.13.3
C17	**मॉडल की छँटाई जाँच.** जहाँ पूर्ण विधि का उपयोग किया गया है, वहाँ मॉडल परिणामों (I16) की तुलना कैलकुलेटर के छँटाई मानों (C9 से C11, जहाँ उपलब्ध हों) से करें और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में बताई गई सहनसीमा से अधिक अंतर को चिह्नित करें।	10.5.2(c)
C18	**यथा-निर्मित पुनः गणना.** चरण 4 पर, यथा-निर्मित मानों के साथ C4 से C17 दोहराएँ और चरण 2 से प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट करें।	10.9.1(b), 10.9.2

10A.4 आउटपुट

कैलकुलेटर निम्नलिखित तैयार करता है:

- (a) भरा हुआ **प्रपत्र 10-2**, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर कैलकुलेटर का संस्करण और जारी होने की तारीख हो;
- (b) तालिका 10A.1 और 10A.2 के प्रत्येक इनपुट और परिणाम का मशीन द्वारा पठनीय निर्यात; और
- (c) उठाए गए संकेतों (C1 से C3, C6, C14, C17) की सूची, प्रत्येक के साथ वह खंड जिस पर वह आधारित है (खंड 10.7.7)।

10A.5 जारी करने से पहले परीक्षण

प्रत्येक बार जारी करने से पहले राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति जाँच करेगी कि कैलकुलेटर, पूर्णांकन की सीमा के भीतर, मैनुअल के उन हल किए गए उदाहरणों को दोहराता है जो उसी विधि का उपयोग करते हैं, जिनमें खंड 4.6.7 और 4.14 के उदाहरणार्थ उदाहरण, और जहाँ लागू हों वहाँ परिशिष्ट 3C की बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ सम्मिलित हैं। परीक्षण के परिणाम संस्करण लॉग के साथ प्रकाशित किए जाएँगे।

10A.6 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

1. कैलकुलेटर का उद्देश्य, स्थिति और सीमाएँ: डिजाइन सहायिका मार्ग के बाहर यह एक सारांश और प्रारंभिक छँटाई जाँच है (खंड 10.5.2(c))।
2. वर्तमान संस्करण कैसे प्राप्त करें, और खंड 10.5.3 का संस्करण नियम।
3. तालिका 10A.1 का प्रत्येक इनपुट, और मैनुअल तथा उसके परिशिष्टों में वह कहाँ मिलेगा।
4. तालिका 10A.2 की प्रत्येक गणना, उसके समीकरण और खंड के साथ।

5. पद C17 में प्रयुक्त सहनसीमा, और उसके पार होने पर जल निकासी रिपोर्ट को क्या स्पष्ट करना होगा (खंड 10.5.2(c))।
6. प्रपत्र 10-2 को कैसे पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर कैसे करें, और क्या संलग्न करें।
7. प्रत्येक मार्ग के लिए कम से कम एक हल किया गया उदाहरण, जिस पर "केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं" अंकित हो।
8. कैलकुलेटर की प्रत्येक तालिका के स्रोत (खंड 10.5.4), और संस्करण लॉग।

परिशिष्ट 10B — GIS आँकड़ों का विनिर्देश और गुण स्कीमा

अध्याय 10 के खंड 10.4.4, 10.14.1(d), 10.14.3 और 10.17 के लिए।

10B.1 फॉर्मेट और संदर्भ प्रणालियाँ

- (a) **फॉर्मेट.** प्रति प्रस्तुति एक OGC GeoPackage (.gpkg) को वरीयता दी जाती है। Shapefile भी स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्येक परत के लिए एक, सभी घटक फाइलों के साथ zip किए हुए। क्षेत्रों (fields) के नाम तालिका 10B.2 से 10B.6 के अनुसार होंगे; shapefile में नाम 10 वर्णों तक सीमित होते हैं, और नीचे दिए गए नाम इस सीमा का पालन करते हैं।
- (b) **क्षैतिज संदर्भ.** WGS 84 भौगोलिक (EPSG:4326), या पूरे राज्य के लिए WGS 84 / UTM जोन 44N (EPSG:32644), जिसमें जशपुरनगर और जशपुर जिले का पूर्वी भाग भी सम्मिलित है, जो जोन 45N में पड़ते हैं, जिसमें भी साइट आती हो (खंड 10.4.4(c))। सभी परतों के लिए एक ही प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- (c) **ऊर्ध्वाधर संदर्भ.** सभी स्तर मीटर में, किसी नामित ऊर्ध्वाधर डेटम के सापेक्ष होंगे, जो मेटाडेटा में बताया गया हो। मेटाडेटा में उस डेटम का, प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC के गेजों के नदी डेटमों से, WRD के डैम, बैराज, जलाशय और तालाब (tank) स्तरों से और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तरों से, और किसी खदान के गड्ढे में आउटफॉल के लिए, अध्याय 5 में प्रयुक्त पट्टाधारी के खदान सर्वेक्षण से संबंध भी बताया जाएगा (खंड 10.4.4(d))।
- (d) **परिशुद्धता.** स्थितियाँ साइट सर्वेक्षण या अनुमोदित ड्रॉइंग से ली जाएँगी। चरण 4 पर और हस्तांतरण के समय, स्थितियाँ और स्तर यथा-निर्मित सर्वेक्षण से लिए जाएँगे (खंड 10.9.1(a))।
- (e) **फाइल का नाम.** `<Authority file number>_<stage>_<yyyymmdd>.gpkg`, उदाहरण के लिए `RMC-BP-2026-0123_S2_20261015.gpkg`।
- (f) **पहचानकर्ता.** प्रत्येक फीचर का एक पहचानकर्ता होता है जो प्रस्तुति के भीतर अद्वितीय हो (FAC_ID, OUT_ID, CAT_ID, FLP_ID)। प्राधिकारी स्वीकार करने पर इन्हें रजिस्टर पहचानकर्ताओं से बदल देता है और उनकी मैपिंग आवेदक को लौटा देता है।

10B.2 परतें

तालिका 10B.1 — परतें

परत	ज्यामिति	विषय-वस्तु	कब अपेक्षित
SW_SITE	बहुभुज (polygon)	साइट की सीमा	चरण 1, 2, 4
SW_CATCH	बहुभुज	साइट की ओर और साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात (खंड 10.4.1(b))	चरण 1, 2, 4
SW_FAC	बहुभुज (5 m से छोटी दबी हुई मदों के लिए बिंदु)	प्रत्येक वर्षा जल सुविधा: इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन किया गया प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, जल गुणवत्ता, पंपिंग, गेट, वहन घटक	चरण 2, 4; हस्तांतरण
SW_OUTF	बिंदु	साइट से प्रत्येक आउटफॉल, और प्रत्येक सार्वजनिक आउटफॉल	चरण 1, 2, 4; हस्तांतरण

परत	ज्यामिति	विषय-वस्तु	कब अपेक्षित
SW_FLOW	रेखा	साइट से होकर और साइट से निकलने वाले प्रमुख प्रणाली के प्रवाह मार्ग, और प्राकृतिक जल निकासी मार्ग (खंड 10.15.1(g))	चरण 1, 2, 4
SW_CONV	रेखा	अध्याय 6 के अंतर्गत डिजाइन की गई ड्रेन और पाइप	लोक निर्माण कार्यों के लिए चरण 4; हस्तांतरण
SW_META	तालिका (ज्यामिति नहीं)	तालिका 10B.6 का मेटाडेटा	प्रत्येक चरण

10B.3 गुण स्कीमा

प्रकार: T = पाठ, I = पूर्णांक, R = वास्तविक संख्या, D = तारीख (ISO 8601, yyyy-mm-dd)। "अनिवार्य" उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो खाली नहीं छोड़े जाएँगे; अन्य क्षेत्र जहाँ लागू हों वहाँ भरे जाते हैं।

तालिका 10B.2 — SW_FAC (सुविधाएँ) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
FAC_ID	T	—	हाँ	सुविधा का पहचानकर्ता	10B.1(f)
FAC_TYPE	T	—	हाँ	तालिका 10B.7 का कोड	खंड 4.10, तालिका 10.3
FAC_NAME	T	—		ड्रॉइंग पर दिया गया नाम	—
OWNER_TYP	T	—	हाँ	PRIVATE / ASSOC / DEVELOPER / ULB / DEPT	खंड 10.10, 10.14
OWNER_NM	T	—	हाँ	केवल निगमित स्वामी या संघ का नाम; किसी व्यक्ति के लिए "निजी व्यक्ति" (private individual) (खंड 10.17.3)	खंड 10.17.3
CTRL_AREA	R	ha	हाँ	सुविधा की ओर बहने वाला क्षेत्र	खंड 4.5.1.3
V_RET	R	m^3		उपलब्ध कराया गया प्रतिधारण आयतन	खंड 4.4
V_WQ	R	m^3		उपलब्ध कराया गया जल गुणवत्ता आयतन	खंड 8.4
V_DET	R	m^3		शीर्ष डिजाइन स्तर पर अस्थायी भंडारण आयतन	खंड 4.6
Q_2	R	L/s		50% AEP (2-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
Q_10	R	L/s		10% AEP (10-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
Q_100	R	L/s		1% AEP (100-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
ORIF_MM	R	mm		अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का व्यास या स्लॉट का न्यूनतम आयाम	खंड 4.8.2
INV_OUT	R	m		आउटलेट का इनवर्ट स्तर	खंड 10.9.1(a)
TWL_DES	R	m		शीर्ष डिजाइन जल स्तर	खंड 10.9.2(a)
SPILL_LV	R	m		स्पिलवे या अतिप्रवाह का शिखर स्तर	खंड 4.9
PUMPED	T	—	हाँ	Y / N	खंड 10.10.3
REGIONAL	T	—	हाँ	Y / N	खंड 4.13

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
EMPANEL	T	—	हाँ	Y / N: खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधा	खंड 10.6.1
STATUS	T	—	हाँ	तालिका 10B.8 का कोड	खंड 10.17.1(a)
APPR_DATE	D	—		चरण 2 के अनुमोदन की तारीख	खंड 10.3
ASB_DATE	D	—		यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाने की तारीख	खंड 10.9
DECL_REF	T	—		रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6) का पंजीकरण संदर्भ	खंड 10.10.1(e)
HAND_DATE	D	—		परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-8) की तारीख	खंड 10.14
LAST_INSP	D	—		नवीनतम निरीक्षण की तारीख	खंड 10.12
INSP_RES	T	—		तालिका 10B.9 का कोड	खंड 10.17.1(a)
OUT_ID	T	—	हाँ	वह आउटफॉल जिसमें सुविधा पानी छोड़ती है	—

तालिका 10B.3 — SW_OUTF (आउटफॉल) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
OUT_ID	T	—	हाँ	आउटफॉल का पहचानकर्ता	10B.1(f)
RECEIVER	T	—	हाँ	प्राप्तकर्ता ड्रेन, चैनल, जलाशय या समुद्र, नाम सहित	खंड 4.5.1.3
RECV_TYPE	T	—	हाँ	PUBLIC_DRAIN / CANAL / RIVER / TANK / SEA / OTHER	अध्याय 5
INV_LEVEL	R	m	हाँ	आउटफॉल का इनवर्ट स्तर	खंड 10.9.1(a)
SIZE_MM	R	mm	हाँ	व्यास, या ड्रॉइंग में लिखे अनुसार चौड़ाई × ऊँचाई	अध्याय 6
TIDAL	T	—	हाँ	Y / N	अध्याय 5
GATE_TYPE	T	—		NONE / FLAP / TIDE / DUCKBILL / PENSTOCK / NRV	खंड 5.11, 9.10
GATE_REQ	T	—	हाँ	Y / N: इनवर्ट 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे	खंड 5.11.1
GPT	T	—		Y / N: स्थूल प्रदूषक जाल लगा है	खंड 8.10.1
Q_100	R	L/s		1% AEP की डिजाइन प्रवाह दर	अध्याय 5

तालिका 10B.4 — SW_CATCH (जलग्रहण क्षेत्र) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
CAT_ID	T	—	हाँ	जलग्रहण क्षेत्र का पहचानकर्ता	10B.1(f)
CONDITION	T	—	हाँ	PRE / POST / EXTERNAL (साइट से बाहर की वह भूमि जिसका पानी साइट से होकर बहता है)	खंड 10.4.1(b)
AREA_HA	R	ha	हाँ	क्षेत्रफल	—
IMPERV_PC	R	%	हाँ	अपारगम्य प्रतिशत	खंड 3.9
HSG	T	—	हाँ	A / B / C / D, या मिश्रित, क्षेत्र के अंश NOTES में	खंड 3.7

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
CN	R	—		कर्व नंबर, AMC II	अध्याय 3
OUT_ID	T	—	हाँ	वह आउटफॉल जिसमें इसका पानी जाता है	खंड 4.5.1.3
FLOODSENS	T	—	हाँ	Y / N	खंड 4.5.3
NOTES	T	—		मुक्त पाठ	—

तालिका 10B.5 — SW_FLOW और SW_CONV (प्रवाह मार्ग और वहन) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
FLP_ID	T	—	हाँ	रेखा का पहचानकर्ता	10B.1(f)
LINE_TYPE	T	—	हाँ	OVERLAND / NATURAL / OPEN_DRAIN / COVERED_DRAIN / PIPE / CULVERT	अध्याय 6
US_LEVEL	R	m		प्रतिप्रवाह की ओर का इनवर्ट या भूमि स्तर	अध्याय 6
DS_LEVEL	R	m		अनुप्रवाह की ओर का इनवर्ट या भूमि स्तर	अध्याय 6
SIZE_MM	R	mm		पाइप का व्यास, या ड्रेन की चौड़ाई (गहराई NOTES में)	खंड 6.7.6
Q_DES	R	L/s		डिजाइन प्रवाह दर	अध्याय 6
AEP_DES	T	—		डिजाइन AEP, उदाहरण के लिए "10%" या "1%"	खंड 6.4
RESERVE_M	R	m		जल निकासी आरक्षित पट्टी की चौड़ाई, जहाँ लागू हो	खंड 6.9.7
NOTES	T	—		मुक्त पाठ	—

तालिका 10B.6 — मेटाडेटा (SW_META)

क्षेत्र	विषय-वस्तु
FILE_NO	प्राधिकारी की फाइल संख्या
STAGE	1, 2, 4 या HANDOVER
H_CRS	क्षैतिज संदर्भ प्रणाली का EPSG कोड
V_DATUM	ऊर्ध्वाधर डेटम का नाम
TIDE_REL	ऊर्ध्वाधर डेटम का, अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC के गेजों के नदी डेटमों से, WRD के डैम, बैराज, जलाशय और तालाब (tank) स्तरों से और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तरों से, और किसी खदान के गड्ढे में आउटफॉल के लिए पट्टाधारी के खदान सर्वेक्षण से संबंध (उदाहरण के लिए, साइट डेटम पर MSL = x.xx m)
SURVEYOR	सर्वेक्षक का नाम और लाइसेंस संख्या
SURV_DATE	सर्वेक्षण की तारीख
PREP_BY	प्रमाणकर्ता पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या
CALC_VER	अनुपालन कैलकुलेटर का संस्करण (परिशिष्ट 10A), या "जारी नहीं"
DATE	फाइल तैयार किए जाने की तारीख

10B.4 कोड सूचियाँ

तालिका 10B.7 — सुविधा के प्रकार के कोड (FAC_TYPE)

कोड	सुविधा	तालिका 10.3 की निरीक्षण पंक्ति
RET_SOAK	सोख गड्ढा, पुनर्भरण गड्ढा या शाफ्ट	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_TRENCH	अंतःस्यंदन खाई या बेसिन	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_BIO	बायोरिटेंशन या वर्षा उद्यान	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_PERM	पारगम्य पेवमेंट	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_REUSE	पुनः उपयोग द्वारा प्रतिधारण (माँग सहित टैंक)	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_BASIN	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_OSR	खुले स्थान, पार्क या खेल के मैदान में बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_ROOF	छत पर अस्थायी भंडारण	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PODIUM	पोडियम या लैंडस्केप डेक पर अस्थायी भंडारण	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PARK	पार्किंग स्थल में अस्थायी भंडारण	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_TANK	भूमिगत टैंक या वॉल्ट, गुरुत्व आउटलेट	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PUMP	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण या पंपिंग स्टेशन	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण
WQ_POND	वेट पॉन्ड (wet pond) या निर्मित आर्द्रभूमि	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
WQ_SWALE	स्वेल या फिल्टर पट्टी	निजी ड्रेन और इनलेट
WQ_GPT	स्थूल प्रदूषक जाल, प्रथम प्रवाह युक्ति या तेल-ग्रिट पृथक्कारी	स्थूल प्रदूषक जाल / प्रथम प्रवाह युक्ति
GATE	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व	फ्लैप / ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व
CONV	निजी ड्रेन, इनलेट या पुलिया	निजी ड्रेन और इनलेट

तालिका 10B.8 — स्थिति के कोड (STATUS)

कोड	अर्थ
PROPOSED	चरण 1 या चरण 2 की प्रस्तुति में
APPROVED	चरण 2 अनुमोदित; अभी निर्मित नहीं
ASBUILT	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया (खंड 10.9)
HANDEDOVER	ULB द्वारा स्वीकार किया गया (खंड 10.14)
ALTERED	प्राधिकारी के अनुमोदन से परिवर्तित (खंड 10.3.5)
REMOVED	प्राधिकारी के अनुमोदन से हटाया गया

तालिका 10B.9 — निरीक्षण परिणाम के कोड (INSP_RES)

कोड	अर्थ
OK	डिजाइन के अनुसार कार्यशील; कोई दोष नहीं
MINOR	दोष पाया गया और ठीक किया गया; तारीख निरीक्षण अभिलेख में
MAJOR	भंडारण, आउटलेट या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला दोष; नोटिस जारी किया गया (खंड 10.15.2, पद 1)
NOACCESS	निरीक्षण नहीं किया जा सका
NOTFOUND	सुविधा लुप्त, भरी हुई, ढकी हुई या उसका उपयोग बदला हुआ (खंड 10.15.1(c))

10B.5 सुविधा रजिस्टर का उद्धरण

खंड 10.17.1(a) का सार्वजनिक सुविधा रजिस्टर SW_FAC का एक उद्धरण है: FAC_ID, FAC_TYPE, स्थान (केंद्रक), V_DET (और V_RET, V_WQ), Q_100 (और Q_2, Q_10), OWNER_NM, ASB_DATE, LAST_INSP और INSP_RES। यह खंड 10.17.4 के लाइसेंस के अंतर्गत CSV और GeoPackage के रूप में प्रकाशित किया जाता है। व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते (खंड 10.17.3)।

परिशिष्ट 10C — रखरखाव पहुँच के आयाम

अध्याय 10 के खंड 10.13 के लिए।

खंड 10.13 पहुँच को कार्य के आधार पर निर्धारित करता है। यह परिशिष्ट उन पहुँच आयामों को एकत्र करता है जिन्हें मैनुअल अन्य अध्यायों में पहले से निर्धारित करता है, और उन आयामों की सूची देता है जिन्हें वह निर्धारित नहीं करता। जहाँ कोई आयाम मैनुअल द्वारा निर्धारित नहीं है, वहाँ डिजाइनकर्ता उसे ड्रॉइंग पर बताएगा, दिखाएगा कि वह O&M योजना में नामित मशीनरी और उपकरणों के उपयुक्त है (खंड 10.11.1(h)), और उस पर "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" (to be confirmed in design) अंकित करेगा।

तालिका 10C.1 — मैनुअल द्वारा निर्धारित पहुँच आयाम

घटक	अपेक्षा	खंड
2 m या अधिक शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन	एक किनारे पर कम से कम 3.5 m चौड़ी रखरखाव पहुँच पट्टी, जो अधिकतम 500 m के अंतराल पर किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी हो	6.9.4
जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ	अपेक्षित ड्रेन आकार के आधार पर चौड़ाई तालिका 6.9 से कम नहीं; जहाँ खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी अधिक चौड़ी हो, वहाँ अधिक चौड़ाई निर्णायक होगी	6.9.7
ढकी ड्रेन, न्यूनतम खंड-काट	0.6 m × 0.6 m स्पष्ट	6.7.6
ढकी ड्रेन, हटाने योग्य ढक्कन	अधिकतम 10 m के केंद्र-अंतर पर पैनल, प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई पर फैला हुआ, जिसे दो कर्मी या हाथ से चलने वाली युक्ति उठा सके	6.13.2(a)
ढकी ड्रेन, निरीक्षण कक्ष	प्रत्येक संगम, मोड़ और खंड-काट परिवर्तन पर, और सीधी लंबाई में अधिकतम 30 m के केंद्र-अंतर पर, कम से कम 0.6 m × 0.6 m का स्पष्ट द्वार	6.13.2(b)
सार्वजनिक ड्रेनों पर मैनहोल और निरीक्षण कक्ष	स्पष्ट प्रवेश द्वार कम से कम 600 mm	9.12.3
सार्वजनिक सड़कों पर इनलेट कक्ष	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा गाद संप, जिसे सतह से साफ किया जा सके	6.6.7

घटक	अपेक्षा	खंड
भूमिगत टैंक और वॉल्ट	आउटलेट कक्ष के ऊपर और प्रत्येक इनलेट के ऊपर प्रवेश द्वार; 500 m^2 से बड़े टैंकों में अधिकतम 30 m की दूरी पर; फर्श का आउटलेट पर स्थित संप की ओर कम से कम 1% ढलान	4.10.2(b), (c)
1 ha से अधिक क्षेत्र की सेवा करने वाले अस्थायी भंडारण आउटलेट	आउटलेट को पृथक करने का साधन (स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक)	4.8.6
आउटफॉल गेट	600 mm से बड़े आउटफॉलों पर (अध्याय 5) और 900 mm या अधिक के या पंप अथवा भंडारण प्रणाली की सेवा करने वाले आउटफॉलों पर (अध्याय 9) प्रतिप्रवाह की ओर स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक; गेट कक्ष सभी ज्वार स्थितियों में सुलभ, उसका प्रवेश HAT + महोर्मि + समुद्र स्तर वृद्धि के अतिरिक्त प्रावधान से ऊपर	5.11.3(d), (e); 9.10.3
पंपिंग स्टेशन	1% AEP घटना में उपयोग योग्य रखरखाव वाहन पहुँच; मोबाइल पंपों के लिए पक्का स्थान और त्वरित-युग्मन (quick-coupling) कनेक्शन; पास-पास के पंपों या मोटरों के बीच 0.6 m (छोटी और मध्यम इकाइयाँ) या 1.0 m (बड़ी इकाइयाँ) का स्पष्ट स्थान	9.9.6, 9.9.10, 9.9.12
पूर्व-उपचार युक्तियाँ	मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना साफ की जा सकें	8.5.4
आउटफॉलों, पुलिया इनलेटों और पंप संपों पर जालियाँ	किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म से साफ की जा सकें, वाहन पहुँच के साथ	8.10.3(d)
अंतःस्यंदन खाइयाँ	प्रत्येक खाई के तल तक प्रेक्षण कुआँ	8.7.6(c)
सार्वजनिक रूप से सुलभ भंडारण	किनारे की ढलान 4H:1V से अधिक तीव्र नहीं, और परिधि के कम से कम एक-चौथाई भाग पर 6H:1V या उससे सपाट	4.15.1(c)
आर्द्र बेसिन	कम से कम 3 m चौड़ी सुरक्षा बेंच, सामान्य जल स्तर से 0.3 m से अधिक नीचे नहीं	4.15.2
बाड़	जहाँ खंड 4.15.3 अपेक्षित करता है, कम से कम 1.2 m ऊँची, चढ़ी न जा सकने वाली, ताला लगने योग्य गेट के साथ	4.15.3

तालिका 10C.2 — मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए पहुँच आयाम (डिजाइन में पुष्टि की जानी है)

घटक	डिजाइनकर्ता क्या बताएगा	कार्य निर्धारित करने वाला खंड
किसी बेसिन, तालाब या खुले चैनल के इनलेट, आउटलेट और तल तक वाहन पहुँच मार्ग	O&M योजना की मशीनरी के लिए चौड़ाई, ढाल, मुड़ने का स्थान और डिजाइन भार	10.13.2
बेसिन या तालाब के किनारे रखरखाव पट्टी	कम से कम एक ओर की चौड़ाई	10.13.2
बेसिन में उतरने वाला रैंप	तलछट हटाने वाली मशीनरी के लिए चौड़ाई, ढाल और सतह	10.13.2
निजी टैंकों के प्रवेश द्वार	इनलेट, आउटलेट और प्रत्येक कक्ष के ऊपर प्रत्येक द्वार का स्पष्ट आकार	10.13.3(a)
सीढ़ियाँ और पायदान	प्रकार और अंतराल; सीमित स्थान में प्रवेश के लिए संवातन	10.13.3(b)
भूमिगत टैंकों में ऊँचाई (headroom)	हाथ से सफाई के लिए स्पष्ट ऊँचाई	10.13.3(d)
ऑरिफिस और जालियों तक पहुँच	भरी हुई सुविधा में प्रवेश किए बिना आउटलेट को कैसे साफ किया जाता है	10.13.4

> **भाष्य.** APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 फुट (लगभग 4.5 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अपेक्षित थी। मैनुअल ने निजी साइटों के लिए कोई नियत चौड़ाई नहीं ली, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शहरों में भूखंडों के आकार बहुत भिन्न होते हैं (खंड 10.13, भाष्य)। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 6C और 9B की मानक ड्रॉइंग जारी करते समय तालिका 10C.2 में मानक मान जोड़ सकती है।

परिशिष्ट 10D — सुविधा के प्रकार के अनुसार आदर्श O&M योजनाएँ

अध्याय 10 के खंड 10.11, 10.12 और 10.13 के लिए।

नीचे दी गई आदर्श योजनाएँ आरंभ बिंदु हैं। डिजाइनकर्ता इन्हें प्रत्येक सुविधा के अनुसार ढालता है और "_____" से चिह्नित मदें भरता है। निरीक्षण की आवृत्तियाँ तालिका 10.3 की न्यूनतम आवृत्तियाँ हैं; कोई योजना अधिक बार निरीक्षण निर्धारित कर सकती है, कम कभी नहीं। जहाँ यह परिशिष्ट कोई मान डिजाइनकर्ता पर छोड़ता है, वहाँ मैनुअल उसे निर्धारित नहीं करता।

10D.1 प्रत्येक O&M योजना की विषय-वस्तु

प्रत्येक योजना में खंड 10.11.1 की मदें होंगी:

तालिका 10D.1 — O&M योजना की विषय-वस्तु

मद	विषय-वस्तु	खंड
1	प्रत्येक सुविधा की सूची और नक्शा, डिजाइन स्तरों, आयतनों और आउटलेट विवरण के साथ (SW_FAC, परिशिष्ट 10B से)	10.11.1(a)
2	नियमित कार्य और उनकी आवृत्ति (तालिका 10D.2 से 10D.8)	10.11.1(b)
3	तलछट हटाने का प्रारंभक मान, गहराई (mm) के रूप में या डिजाइन आयतन के प्रतिशत के रूप में: _____	10.11.1(c)
4	प्रपत्र 10-7 से मेल खाती निरीक्षण जाँच-सूची	10.11.1(d)
5	पंपों, गेटों और वाल्वों के लिए: प्रचालन नियम, परीक्षण अनुसूची, स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति, और चक्रवात या भारी वर्षा की चेतावनी पर की जाने वाली कार्रवाई	10.11.1(e)
6	रुके हुए पानी और मच्छरों के प्रजनन के विरुद्ध कार्रवाई, जो खंड 4.7 के खाली होने के समय के अनुरूप हो	10.11.1(f)
7	सुरक्षा: सीमित स्थान, गहरा पानी, सार्वजनिक पहुँच	10.11.1(g)
8	पहुँच मार्ग और उपकरण (परिशिष्ट 10C)	10.11.1(h)
9	वार्षिक लागत का प्राक्कलन (₹ _____ प्रति वर्ष) और उसका भुगतान कौन करेगा	10.11.1(i)
10	रखे जाने वाले अभिलेख, और कितने समय तक: _____ वर्ष (पंप के अभिलेख कम से कम 5 वर्ष, खंड 9.9.8(c))	10.11.1(j)

10D.2 आदर्श योजनाएँ

तालिका 10D.2 — प्रतिधारण और अंतःस्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
सतह, इनलेट, पूर्व-उपचार और अतिप्रवाह का निरीक्षण	प्रत्येक 6 महीने; 31 मई से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	कोई अवरोध नहीं; अतिप्रवाह मार्ग खुला	तालिका 10.3
प्रेक्षण कुएँ पर या सतह पर खाली होने की जाँच	वर्षा के बाद प्रत्येक निरीक्षण पर	वर्षा समाप्त होने के 72 h के भीतर खाली हो जाए; यदि नहीं, तो अवरोध (clogging) की जाँच करें	4.4.5, 8.7.6(c)
पूर्व-उपचार (फोरबे, फिल्टर पट्टी, गाद-जाल) की सफाई	जब तलछट का प्रारंभक मान (मद 3) पहुँच जाए	मुख्य BMP को छेड़े बिना पूर्व-उपचार की सफाई	8.5.3, 8.5.4
बायोरिटेंशन: मल्च, पौधे, जल का रुकना	प्रत्येक 6 महीने	रुका हुआ पानी 48 h के भीतर निकल जाए; मृत पौधे बदले जाएँ; मल्च 50–75 mm	8.7.2
पारगम्य पेवमेंट: सतह	प्रत्येक 6 महीने	झाड़ू या वैक्यूम से सफाई; अपारगम्य सामग्री से पुनः सतह नहीं बिछाई जाए	8.7.5(e)
योगदान देने वाले क्षेत्र को स्थिर रखना	प्रत्येक निरीक्षण	खुली मिट्टी स्थिर की गई; तलछट बहकर नहीं आ रहा	10.8.3(b)
सुविधा को यथास्थान और उपयोग में रखना	प्रत्येक निरीक्षण	अनुमोदन के बिना भरी, ढकी, पक्की या उस पर निर्माण नहीं किया गया	10.10.1(d)

तालिका 10D.3 — सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
इनलेट, आउटलेट, ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और स्पिलवे का निरीक्षण	प्रत्येक 6 महीने; 31 मई से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	ऑरिफिस और जाली खुली; स्पिलवे अवरोध-मुक्त	तालिका 10.3, 4.8, 4.9
मलबा और तलछट हटाना	जब तलछट का प्रारंभक मान पहुँच जाए, और घटनाओं के बाद	डिजाइन आयतन बहाल	10.11.1(c)
जाँचना कि बेसिन खाली होता है	वर्षा के बाद	किसी निचले बिंदु पर 72 h से अधिक पानी नहीं रुकता	4.15.7
वनस्पति	योजना में निर्धारित अनुसार	घास कटी हुई; तटबंधों पर या आउटलेट क्षेत्र में कोई काष्ठीय वृद्धि नहीं	10.11.1(b)
सुरक्षा सुविधाएँ	प्रत्येक 6 महीने	हिन्दी और अंग्रेजी में संकेत-पट और गहराई चिह्न यथास्थान; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ बाड़ और गेट मजबूत	4.15.3, 4.15.5
तटबंध (यदि कोई हो)	प्रत्येक 6 महीने और घटनाओं के बाद	कोई दरार, खिसकाव, रिसाव या जानवरों के बिल नहीं	4.9.6

तालिका 10D.4 — भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
प्रवेश द्वारों से निरीक्षण: इनलेट, आउटलेट, ऑरिफिस, जाली, संप, वेंट	प्रत्येक 6 महीने; 31 मई से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	खुले; वेंट खुले	तालिका 10.3, 4.10.2
संप और फर्श की सफाई	जब तलछट का प्रारंभक मान पहुँच जाए	फर्श से पानी बिना रुकावट संप की ओर बहता है	4.10.2(c)
इनलेट गाद-जाल या GPT	प्रत्येक 3 महीने (GPT के लिए तालिका 10.3 की पंक्ति)	साफ किया गया	4.10.2(e)

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
अतिप्रवाह मार्ग	प्रत्येक निरीक्षण	आउटलेट अवरुद्ध होने पर कार्य करता है; सतही प्रवाह मार्ग तक का रास्ता अवरोध-मुक्त	4.9.5
सीमित स्थान में प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश	रखरखाव घोषणा-पत्र में बताई गई प्रवेश प्रक्रिया का पालन; बाद में ढक्कन बंद करके ताला लगाया गया	4.15.6
स्थान का उपयोग	प्रत्येक निरीक्षण	पार्किंग या भंडारण के लिए उपयोग नहीं; आयतन कम नहीं किया गया	10.10.1(d)

तालिका 10D.5 — पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
प्रत्येक पंप, कार्यरत और स्टैंडबाय, का परीक्षण रन	मासिक	प्रत्येक पंप स्तर नियंत्रण पर चालू होता है; भूमिकाएँ बारी-बारी से बदलती हैं	तालिका 10.3, 9.9.4(c)
पूर्ण ड्यूटी परीक्षण	31 मई से पहले	स्टेशन अपना डिजाइन ड्यूटी बिंदु प्राप्त करता है	तालिका 10.3, 10.9.3
स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति	मासिक, परीक्षण रन के साथ; 31 मई से पहले पूर्ण परीक्षण	स्वचालित परिवर्तन (changeover) कार्य करता है; साइट पर सभी कार्यरत पंपों के लिए कम से कम 72 h का ईंधन	9.9.9
स्तर सेंसर, फ्लोट बैक-अप, अलार्म, टेलीमेट्री	मासिक	उच्च-स्तर और खराबी के अलार्म नियंत्रण कक्ष तक पहुँचते हैं	9.9.8
जालियाँ और गाद-जाल	प्रत्येक 3 महीने और घटनाओं के बाद	साफ	9.9.7
अभिलेख	निरंतर	संप स्तर, चलने के घंटे और विद्युत स्थिति दर्ज; कम से कम 5 वर्ष तक रखे जाएँ	9.9.8(c)
चेतावनी पर कार्रवाई	IMD की भारी वर्षा या चक्रवात चेतावनी पर	योजना में लिखी गई कार्रवाइयाँ: _____ (उदाहरण के लिए साइट पर कर्मचारी, ईंधन भरा गया, मोबाइल पंप कनेक्शन जाँचा गया)	10.11.1(e), 9.9.12

तालिका 10D.6 — फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
निरीक्षण और संचालन	प्रत्येक 3 महीने; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	कम हेड पर खुलता है; कोई मलबा, रेत या वनस्पति उसे रोके नहीं हुए	तालिका 10.3, 9.10.4
सील परीक्षण	31 मई से पहले	प्राप्तकर्ता जलाशय के विरुद्ध सील होता है	तालिका 10.3, 10.9.3
समुद्र तट, ज्वारनदमुख और खाड़ी (creek) के आउटफॉल	मानसून ऋतु में प्रत्येक उच्च ज्वार या महोर्मि घटना के बाद	रेत और मलबा हटाया गया	9.10.5(b)
पृथक्करण	31 मई से पहले	स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक संचालन योग्य	9.10.3
कब्जे, पिन और फिक्सिंग	31 मई से पहले	ऐसा कोई क्षरण नहीं जो गेट का काम रोक दे	9.10.6

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
संपत्ति के नॉन-रिटर्न वाल्व	प्रत्येक 3 महीने	सफाई छिद्र (cleaning eye) सुलभ; वाल्व सील होता है	5.11.4

तालिका 10D.7 — स्थूल प्रदूषक जाल या प्रथम प्रवाह युक्ति

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
निरीक्षण और खाली करना	प्रत्येक 3 महीने; 31 मई से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	संग्रह कक्ष भरने से पहले खाली किया गया; बाईपास खुला	तालिका 10.3, 8.4.6
जालियाँ	प्रत्येक निरीक्षण	साफ; अतिप्रवाह मार्ग खुला	8.10.3(b)
निपटान	प्रत्येक सफाई	सामग्री किसी प्राधिकृत ठोस अपशिष्ट सुविधा में ले जाई गई	—

तालिका 10D.8 — निजी ड्रेन और इनलेट

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
ड्रेनों, इनलेटों और गाद संपों का निरीक्षण और सफाई	प्रत्येक 6 महीने; 31 मई से पहले	गाद और मलबे से मुक्त	तालिका 10.3
सीवेज कनेक्शनों की जाँच	प्रत्येक निरीक्षण	कोई नहीं; सीवेज का कोई भी अवैध जुड़ाव (cross-connection) हटाया गया	1.5.4, 8.9
सतही प्रवाह मार्ग	प्रत्येक निरीक्षण	दीवारों, भराई या रखी गई सामग्री से अवरुद्ध नहीं	6.9.2, 10.15.1(g)

परिशिष्ट 10E — वर्षा जल डिजाइन पेशेवरों और समीक्षकों की सूचीबद्धता के मानदंड

अध्याय 10 के खंड 10.6, 10.7.4 और 11.4.3 के लिए।

> *सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.* खंड 10.6.2 सूचीबद्धता के मानदंड जारी करने का कार्य T&CP को सौंपता है। नीचे दिया गया पाठ एक आदर्श है। "[ ]" के रूप में दर्शाए गए मान सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने हैं; मैनुअल उन्हें निर्धारित नहीं करता।

10E.1 आदर्श मानदंड

1. **सूचियाँ.** सक्षम प्राधिकारी तीन सार्वजनिक सूचियाँ रखेगा:
   - (a) **वर्षा जल डिजाइन पेशेवर**, जो खंड 10.6.1 के अंतर्गत डिजाइनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और खंड 10.6.4 के अंतर्गत स्वतंत्र जाँचकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं;
   - (b) **सूचीबद्ध समीक्षक**, जो खंड 10.7.4 के अंतर्गत किसी प्राधिकारी के लिए प्रस्तुतियों की समीक्षा कर सकते हैं; और

    - (c) **बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता** (basin modelling endorsement), जो ऐसे वर्षा जल डिजाइन पेशेवर के पास होती है जो खंड 11.4.3 के अंतर्गत BSMP तैयार कर सकता है या उसका निर्देशन कर सकता है।
2. **सूची (a) के लिए पात्रता.** आवेदक:
    - (a) सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखेगा (खंड 10.6.2);
    - (b) छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत पेशेवर के रूप में पंजीकृत होगा (खंड 1.4);
    - (c) स्नातक होने के बाद जल निकासी डिजाइन में कम से कम [ ] वर्ष का अनुभव रखेगा, जो कम से कम [ ] परियोजनाओं की सूची द्वारा, प्रत्येक में आवेदक की भूमिका सहित, दर्शाया गया हो (खंड 10.6.2); और
    - (d) आवेदन से पहले के [ ] वर्षों के भीतर इस मैनुअल पर मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होगा (खंड 10.6.2)।
3. **सूची (b) के लिए पात्रता.** सूची (a) के समान, कम से कम [ ] वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम [ ] वर्ष इस मैनुअल या किसी समकक्ष मानक के अंतर्गत जल निकासी के डिजाइन या समीक्षा में हों।
4. **बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (c).** ऐसा वर्षा जल डिजाइन पेशेवर जो कम से कम [ ] अध्ययनों पर अंशांकन सहित बेसिन-स्तरीय 1D–2D मॉडलिंग का अनुभव दर्शाए (खंड 11.4.3)।
5. **जाँचकर्ता की स्वतंत्रता.** खंड 10.6.4 के अंतर्गत जाँचकर्ता न तो डिजाइनकर्ता की फर्म या आवेदक द्वारा नियोजित होगा, न उसका भागीदार होगा, और उसने डिजाइन पर कार्य न किया हो।
6. **समीक्षक का हित-संघर्ष.** कोई सूचीबद्ध समीक्षक ऐसी साइट की समीक्षा नहीं करेगा जिस पर समीक्षक ने, या समीक्षक की फर्म ने, किसी भी हैसियत में कार्य किया हो (खंड 10.7.4), और कोई समीक्षा स्वीकार करने से पहले अपने किसी अन्य हित की घोषणा करेगा। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी ही रहता है (खंड 10.7.4)।
7. **आवेदन.** आवेदन में डिग्री और पंजीकरण का प्रमाण, संदर्भों सहित परियोजना सूची, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, और यह हस्ताक्षरित घोषणा सम्मिलित होगी कि दी गई जानकारी सत्य है।
8. **अवधि और नवीकरण.** सूचीबद्धता [ ] वर्षों के लिए वैध है। नवीकरण के लिए निरंतर व्यवसाय का, और मैनुअल के संशोधन के बाद जारी किसी पुनश्चर्या प्रशिक्षण का, साक्ष्य अपेक्षित है (खंड 1.12)।
9. **निलंबन और हटाया जाना.** सक्षम प्राधिकारी किसी सूचीबद्ध व्यक्ति को मिथ्या या लापरवाही से दिए गए प्रमाण-पत्र के बाद (खंड 10.6.5), तालिका 10.4 के पद 6 के अंतर्गत रिपोर्ट पर, या पंजीकरण समाप्त होने पर निलंबित कर सकता है या सूची से हटा सकता है। उस व्यक्ति को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक निलंबन और हटाया जाना सूची पर प्रकाशित किया जाएगा।
10. **प्रकाशन.** सूचियाँ प्रकाशित की जाएँगी और अद्यतन रखी जाएँगी, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पंजीकरण संख्या, सूची, योग्यता-मान्यता और वैधता की तारीख हो।

प्रपत्र 10-1 — जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 10 के खंड 10.4.1 से 10.4.4 और 10.7.1 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1 और चरण 2 की प्रत्येक प्रस्तुति के साथ जमा करें। प्रत्येक मद के लिए वह पृष्ठ या शीट बताएँ जहाँ उस पर विचार किया गया है, या वह कारण जिससे वह लागू नहीं होती। प्राधिकारी पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र 10-1 के बिना तकनीकी समीक्षा आरंभ नहीं करता (खंड 10.4.3)।

तालिका 10F.1 — प्रपत्र 10-1, भाग A: प्रस्तुति

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	प्राधिकारी और फाइल संख्या	_____
A2	साइट का नाम और पता; सर्वे संख्याएँ	_____
A3	चरण: 1 / 2 / संयुक्त 1 और 2 (खंड 10.3.3) / लोक निर्माण कार्य की DPR या निविदा (खंड 10.3.4)	_____
A4	आवेदक	_____
A5	प्रमाणकर्ता पेशेवर (नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या)	_____

तालिका 10F.2 — प्रपत्र 10-1, भाग B: चरण 1 की विषय-वस्तु (खंड 10.4.1)

क्र.	मद	खंड	पृष्ठ / शीट	लागू नहीं: कारण
B1	प्रपत्र 1-1; जहाँ विचलन या अधित्याग माँगा गया हो वहाँ प्रपत्र 1-2	10.4.1(a)	_____	_____
B2	साइट नक्शा: विद्यमान और प्रस्तावित स्तर, अपारगम्य क्षेत्र, साइट की ओर और साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ	10.4.1(b)	_____	_____
B3	मिट्टी (HSG), मौसमी उच्चतम भूजल, अंतःस्यंदन परीक्षण या परीक्षण योजना	10.4.1(c)	_____	_____
B4	डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1)	10.4.1(d)	_____	_____
B5	विकास-पूर्व स्थिति और जलवैज्ञानिक विधि	10.4.1(e)	_____	_____
B6	उपायों का क्रम: संरक्षित क्षेत्र, प्रतिधारण विधि, अस्थायी भंडारण की अवधारणा, वहन	10.4.1(f)	_____	_____
B7	प्रारंभिक प्रतिधारण, WQ और अस्थायी भंडारण आयतन और निकास दरें, प्रपत्र 10-2 के साथ	10.4.1(g)	_____	_____
B8	अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार और टेलवाटर स्थिति	10.4.1(h)	_____	_____
B9	जलाशय, सेटबैक और 1% AEP स्तर	10.4.1(i)	_____	_____
B10	सुविधाओं और रखरखाव पहुँच के लिए आरक्षित भूमि	10.4.1(j)	_____	_____
B11	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3)	10.4.5	_____	_____

तालिका 10F.3 — प्रपत्र 10-1, भाग C: चरण 2 की विषय-वस्तु (खंड 10.4.2)

क्र.	मद	खंड	पृष्ठ / शीट	लागू नहीं: कारण
C1	अद्यतन की गई चरण 1 की विषय-वस्तु (भाग B)	10.4.2	_____	_____
C2	प्रत्येक भंडारण अवधि और AEP के लिए अंतिम गणनाएँ, आउटफॉल-बंद जाँच के साथ	10.4.2(a)	_____	_____
C3	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर तालिकाएँ; आपातकालीन स्पिलवे का डिजाइन	10.4.2(b)	_____	_____
C4	वहन, इनलेट और संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन	10.4.2(c)	_____	_____
C5	जल गुणवत्ता डिजाइन; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ प्रथम प्रवाह युक्ति या GPT	10.4.2(d)	_____	_____
C6	प्रत्येक सुविधा की निर्माण ड्रॉइंग, विवरण और विनिर्देश	10.4.2(e)	_____	_____
C7	निर्माण का क्रम, प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ	10.4.2(f)	_____	_____
C8	रोक-बिंदु अनुसूची (प्रपत्र 10-4, भाग A)	10.4.2(g)	_____	_____
C9	O&M योजना का प्रारूप और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (प्रपत्र 10-6)	10.4.2(h)	_____	_____
C10	मॉडल इनपुट फाइलें और GIS आँकड़े	10.4.2(i)	_____	_____
C11	प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3, डिजाइनकर्ता द्वारा और, जहाँ अपेक्षित हो, जाँचकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)	10.4.2(j)	_____	_____

तालिका 10F.4 — प्रपत्र 10-1, भाग D: डिजिटल प्रस्तुति (खंड 10.4.4)

क्र.	मद	खंड	उपलब्ध कराया गया (हाँ / नहीं)	विवरण
D1	खोज-योग्य PDF के रूप में रिपोर्ट और ड्रॉइंग	10.4.4(a)	_____	_____
D2	मूल, चलाने योग्य फॉर्मेट में मॉडल; सॉफ्टवेयर का नाम और संस्करण	10.4.4(b)	_____	_____
D3	परिशिष्ट 10B के अनुसार GIS आँकड़े; क्षैतिज संदर्भ प्रणाली (EPSG कोड)	10.4.4(c)	_____	_____
D4	ऊर्ध्वाधर डेटम का नाम दिया गया; अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC के गेजों के नदी डेटमों से, WRD के डैम, बैराज, जलाशय और तालाब (tank) स्तरों से और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तरों से, और किसी खदान के गड्ढे में आउटफॉल के लिए पट्टाधारी के खदान सर्वेक्षण से संबंध	10.4.4(d)	_____	_____

तालिका 10F.5 — प्रपत्र 10-1, भाग E: घोषणा और पूर्णता जाँच

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि यह जाँच-सूची पूर्ण और सही है। प्रमाणकर्ता पेशेवर: नाम, हस्ताक्षर, तारीख	_____
प्राधिकारी के लिए: प्राप्ति की तारीख	_____
पूर्णता जाँच की तारीख (5 कार्य दिवसों के भीतर, खंड 10.7.1)	_____
परिणाम: समीक्षा के लिए स्वीकार / लौटाया गया	_____
लौटाए जाने पर छूटी हुई मदें	_____
अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर	_____

प्रपत्र 10-2 — अनुपालन कैलकुलेटर सारांश

अध्याय 10 के खंड 10.4.1(g), 10.5 और 10.9.1(b) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1, 2 और 4 की प्रस्तुतियों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर (परिशिष्ट 10A) द्वारा तैयार किया जाता है। जब तक कैलकुलेटर जारी नहीं होता, इसे हाथ से भरें और A3 में "जारी नहीं" लिखें। जहाँ साइट के एक से अधिक आउटफॉल हों, वहाँ प्रत्येक जल निकासी क्षेत्र के लिए एक स्तंभ।

तालिका 10F.6 — प्रपत्र 10-2, भाग A: साइट और मार्ग

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या, चरण (1 / 2 / 4)	_____	10.5.2(a)
A2	साइट का क्षेत्रफल, ha; भूमि विक्षोभ, ha; नया + प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, m^2	_____	1.5.2
A3	कैलकुलेटर का संस्करण और जारी होने की तारीख	_____	10.5.3
A4	टियर (A / B); बाढ़-संवेदनशील (हाँ / नहीं); बेसिन के लिए अनुमोदित BSMP (हाँ / नहीं)	_____	1.6, 4.5.3, 11.12
A5	मार्ग: पूर्ण विधि / S-1 / S-2 / नियत-गुणांक / सीमित पुनर्विकास / क्षेत्रीय या एवज शुल्क	_____	1.7, 4.5.6, 4.13, 4.14
A6	कैलकुलेटर द्वारा उठाए गए संकेत (सूची)	_____	परिशिष्ट 10A.4

तालिका 10F.7 — प्रपत्र 10-2, भाग B: वर्षा और मिट्टी

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
B1	वर्षा जोन; प्रपत्र 2-1 का संदर्भ	_____	2.13
B2	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R, mm; 3-महीने ARI की गहराई P_3m, mm	_____	2.10, 8.4.1
B3	लागू किया गया जलवायु गुणक (≤ 6 h; > 6–72 h)	_____	2.8
B4	उप-भाग के अनुसार HSG; मौसमी उच्चतम भूजल, तल से m नीचे	_____	3.7, 4.4.3
B5	मापी गई और डिजाइन अंतःस्यंदन दरें, mm/h	_____	4.4.3

तालिका 10F.8 — प्रपत्र 10-2, भाग C: आयतन

क्र.	मात्रा	अपेक्षित (m^3)	उपलब्ध कराया गया (m^3)	खंड
C1	प्रतिधारण आयतन (RRV)	_____	_____	4.4.2
C2	जल गुणवत्ता आयतन (WQv)	_____	_____	8.4.2
C3	अस्थायी भंडारण के विरुद्ध प्रतिधारण क्रेडिट	_____	—	4.4.6
C4	अस्थायी भंडारण आयतन	_____	_____	4.6, 4.14
C5	एवज शुल्क या क्षेत्रीय आयतन, और शुल्क (₹)	_____	_____	4.5.6.3, 4.13.3

तालिका 10F.9 — प्रपत्र 10-2, भाग D: निकास दरें (प्रत्येक आउटफॉल)

AEP	Q_pre या सीमा (L/s)	Q_post (L/s)	निर्णायक अवधि (h)	मानदंड पूरा (हाँ / नहीं)	खंड
50% (2-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5
10% (10-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5
1% (100-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5

तालिका 10F.10 — प्रपत्र 10-2, भाग E: आउटलेट, खाली होना और चरणों की तुलना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
E1	अल्प-प्रवाह ऑरिफिस, mm (न्यूनतम 50 mm)	_____	4.8.2
E2	अस्थायी भंडारण: 10-वर्ष के संग्रहीत आयतन का 90% छोड़ने का समय, h (≤ 48 h)	_____	4.7.1
E3	WQv का निकास समय, h (24–48 h)	_____	4.7.2
E4	प्रतिधारण के खाली होने का समय, h (≤ 72 h)	_____	4.7.3
E5	क्या मॉडल परिणाम कैलकुलेटर की छँटाई जाँच से मार्गदर्शिका की सहनसीमा से अधिक भिन्न है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट का वह भाग जो इसे स्पष्ट करता है	_____	10.5.2(c)
E6	केवल चरण 4: चरण 2 के मानों से परिवर्तन (सूची), और क्या प्रत्येक मानदंड अब भी पूरा होता है	_____	10.9.2
E7	द्वारा तैयार (नाम, पंजीकरण संख्या), हस्ताक्षर, तारीख	_____	10.6.3(b)

प्रपत्र 10-3 — पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.6.1 से 10.6.5 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1 और चरण 2 की प्रत्येक प्रस्तुति के साथ डिजाइनकर्ता द्वारा, और खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के लिए स्वतंत्र जाँचकर्ता द्वारा भी, हस्ताक्षरित।

तालिका 10F.11 — प्रपत्र 10-3, भाग A: परियोजना और हस्ताक्षरकर्ता

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या, चरण	_____	—
A2	इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आने वाली साइट और सुविधाएँ	_____	—
A3	डिजाइनकर्ता: नाम, योग्यता, भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या	_____	10.6.1
A4	सूचीबद्धता संख्या, जहाँ अपेक्षित हो, और कारण: टियर A ≥ 1 ha / बाढ़-संवेदनशील / तटबंध या उच्च-जोखिम बेसिन / पंप द्वारा संचालित, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा	_____	10.6.1(a)–(d)
A5	अनुमोदित विचलन या अधित्याग (प्रपत्र 1-2 के संदर्भ), या "कोई नहीं"	_____	10.6.3(a)

तालिका 10F.12 — प्रपत्र 10-3, भाग B: डिजाइनकर्ता का प्रमाण-पत्र

क्र.	मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि:	आद्याक्षर
B1	डिजाइन छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल का अनुपालन करता है, सिवाय A5 में सूचीबद्ध विचलनों के, जिनका अनुमोदन हो चुका है	_____
B2	वर्षा, मिट्टी और टेलवाटर के इनपुट वही हैं जो प्रपत्र 2-1 और प्रपत्र 10-2 पर अभिलिखित हैं	_____
B3	प्रस्तुत मॉडल वही परिणाम देते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं	_____
B4	मैं समझता/समझती हूँ कि मिथ्या या लापरवाही से दिया गया प्रमाण-पत्र खंड 10.15 के अंतर्गत उल्लंघन है	_____

तालिका 10F.13 — प्रपत्र 10-3, भाग C: स्वतंत्र जाँचकर्ता का प्रमाण-पत्र (खंड 10.6.4)

क्र.	क्षेत्र या कथन	प्रविष्टि
C1	जाँचकर्ता: नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या	_____
C2	मैं डिजाइनकर्ता और आवेदक से स्वतंत्र हूँ और मैंने इस डिजाइन पर कार्य नहीं किया है	_____
C3	मैंने सूचीबद्ध सुविधाओं की जाँच की है: _____, और मैं भाग B के प्रमाण-पत्र से सहमत हूँ	_____
C4	वे विषय जिन पर मैं सहमत नहीं हूँ, यदि कोई हों	_____

तालिका 10F.14 — प्रपत्र 10-3, भाग D: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____

भूमिका	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
स्वतंत्र जाँचकर्ता (जहाँ अपेक्षित हो)	_____	_____	_____

प्रपत्र 10-4 — रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख

अध्याय 10 के खंड 10.4.2(g), 10.8 और 10.9.3 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. भाग A रोक-बिंदु अनुसूची है, जिसका अनुमोदन चरण 2 पर होता है। भाग B प्रत्येक रोक बिंदु पर, दिनांकित, जियोटैग किए गए फोटो के साथ भरा जाता है (खंड 10.8.2)। जब तक भाग B पर हस्ताक्षर न हो जाएँ, कार्य किसी रोक बिंदु से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चित्र 10.2 देखें।

तालिका 10F.15 — प्रपत्र 10-4, भाग A: रोक-बिंदु अनुसूची

रोक बिंदु	सुविधा (FAC_ID)	कार्य का चरण	नियोजित तारीख	प्राधिकारी को सूचना भेजी गई (तारीख)*	प्राधिकारी उपस्थित (हाँ / नहीं)
(a) खोदा गया तल, माध्यम, लाइनर या संरचना से पहले	_____	_____	_____	_____	_____
(b) आउटलेट संरचना, ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली, पीछे भराई या पहली बार भरने से पहले	_____	_____	_____	_____	_____
(c) अंतःस्यंदन और सत्यापन परीक्षण (खंड 10.9.3)	_____	_____	_____	—	_____
(d) आउटफॉल, फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व, अनुप्रवाह कनेक्शन से पहले	_____	_____	_____	—	_____
(e) पंप और नियंत्रण, चालू करते समय	_____	_____	_____	—	_____
प्राधिकारी द्वारा जोड़े गए अन्य रोक बिंदु	_____	_____	_____	_____	_____

* खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, रोक बिंदु (a) और (b) की कम से कम 3 कार्य दिवस पहले सूचना (खंड 10.8.2)।

तालिका 10F.16 — प्रपत्र 10-4, भाग B: निरीक्षण अभिलेख (प्रत्येक रोक बिंदु के लिए एक)

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
B1	रोक बिंदु और सुविधा	_____
B2	निरीक्षण की तारीख और समय; मौसम	_____
B3	निरीक्षणकर्ता (प्रमाणकर्ता पेशेवर); उपस्थित अन्य व्यक्ति	_____
B4	जिस अनुमोदित ड्रॉइंग और संशोधन से मिलान किया गया	_____
B5	पाए गए स्तर, आयाम और सामग्री, अनुमोदित मानों की तुलना में	_____
B6	(a) के लिए: प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्र यातायात और सामग्री के ढेरों से सुरक्षित (खंड 10.8.3(a))	_____
B7	(b) के लिए: ऑरिफिस का आकार और इनवर्ट; जाली यथास्थान	_____
B8	(c) के लिए: अंतःस्यंदन परीक्षण का परिणाम और खाली होने का समय (≤ 72 h); पंप का ड्यूटी बिंदु; गेट का खुलना और सील होना	_____
B9	(d) और (e) के लिए: गेट का प्रकार, बैठाव और परीक्षण; पंप चालू करने का अभिलेख	_____
B10	फोटो के संदर्भ (दिनांकित, जियोटैग किए गए)	_____

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
B11	परिणाम: आगे बढ़ने की अनुमति दी गई / नहीं दी गई; अपेक्षित सुधारात्मक कार्य	_____
B12	सुधारात्मक कार्य की जाँच (तारीख, किसके द्वारा)	_____
B13	प्रमाणकर्ता पेशेवर के हस्ताक्षर, तारीख	_____

प्रपत्र 10-5 — यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.9 और 10.3.5 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. समापन प्रमाण-पत्र से पहले जमा किया जाता है। प्राधिकारी तब तक समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक यह प्रपत्र स्वीकार न कर लिया जाए (खंड 10.9.4)।

तालिका 10F.17 — प्रपत्र 10-5, भाग A: परियोजना और सर्वेक्षण

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या; चरण 2 के अनुमोदन का संदर्भ और तारीख	_____	—
A2	लाइसेंसधारी सर्वेक्षक: नाम, लाइसेंस संख्या, सर्वेक्षण की तारीख	_____	10.9.1(a)
A3	ऊर्ध्वाधर डेटम	_____	10.4.4(d)
A4	परिशिष्ट 10B के अनुसार यथा-निर्मित GIS आँकड़े (फाइल का नाम)	_____	10.4.4(c)

तालिका 10F.18 — प्रपत्र 10-5, भाग B: अनुमोदित बनाम यथा-निर्मित (प्रत्येक सुविधा के लिए एक खंड)

मद	अनुमोदित	यथा-निर्मित	स्वीकार (हाँ / नहीं)	खंड
प्रत्येक डिजाइन स्तर पर भंडारण आयतन, m^3	_____	_____	_____	10.9.2(a)
आउटलेट के आयाम (ऑरिफिस, वियर), mm	_____	_____	_____	10.9.2(b)
आउटलेट और आउटफॉल के इनवर्ट, m	_____	_____	_____	10.9.2(b)
स्पिलवे या अतिप्रवाह स्तर, m	_____	_____	_____	4.9
प्रतिधारण आयतन, m^3	_____	_____	_____	4.4

तालिका 10F.19 — प्रपत्र 10-5, भाग C: पुनः गणना और परीक्षण

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	यथा-निर्मित मानों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर की पुनः गणना: संस्करण, और प्रपत्र 10-2 (चरण 4) संलग्न	_____	10.9.1(b)
C2	यथा-निर्मित मानों के साथ मॉडल को फिर से चलाना (जहाँ मॉडल का उपयोग किया गया था): फाइल का नाम	_____	10.9.1(b)
C3	पुनः गणना पर अध्याय 4 और 5 का प्रत्येक मानदंड पूरा (हाँ / नहीं; जो पूरे नहीं हुए उनकी सूची)	_____	10.9.2(c)
C4	अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण: मापा गया खाली होने का समय, h (≤ 72 h)	_____	10.9.3
C5	पंप: ड्यूटी बिंदु प्राप्त (हेड पर प्रवाह)	_____	10.9.3
C6	ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व: खुलना और सील होना दिखाया गया	_____	10.9.3
C7	विचलन, और उन्हें कैसे ठीक किया गया या खंड 10.3.5 के अंतर्गत पुनः प्रमाणित किया गया	_____	10.9.2

तालिका 10F.20 — प्रपत्र 10-5, भाग D: संलग्नक और प्रमाण-पत्र

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
D1	पूर्ण रोक-बिंदु अभिलेख (प्रपत्र 10-4)	_____
D2	अंतिम O&M योजना	_____
D3	निष्पादित रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6) या हस्तांतरण दस्तावेज (प्रपत्र 10-8)	_____
D4	मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सूचीबद्ध सुविधाएँ, C7 में बताए गए को छोड़कर, अनुमोदन के अनुसार बनाई गई हैं और डिजाइन के अनुसार कार्य करती हैं। प्रमाणकर्ता पेशेवर: नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तारीख	_____
D5	प्राधिकारी के लिए: स्वीकार / लौटाया गया; अधिकारी, तारीख	_____

प्रपत्र 10-6 — रखरखाव घोषणा-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.10.1, 10.10.2, 10.10.4 और 10.13.1 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं. प्रत्येक निजी वर्षा जल सुविधा के स्वामी द्वारा समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले निष्पादित, और इस प्रकार पंजीकृत कि वह भूमि के साथ चलता रहे।

> **प्रारूपण टिप्पणी D10A.1.** वह लिखत जिसके अंतर्गत यह घोषणा-पत्र पंजीकृत किया जाता है, और वह अधिनियम जो प्राधिकारी को प्रवेश का अधिकार और चूक की दशा में कार्य कराने की शक्ति देता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने हैं। यह प्रपत्र किसी कानून की धाराओं का उल्लेख नहीं करता।

तालिका 10F.21 — प्रपत्र 10-6, भाग A: पक्षकार और भूमि

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	स्वामी (घोषणाकर्ता): नाम और पता; कंपनी या संघ के लिए, उसकी पंजीकरण संख्या	_____
A2	प्राधिकारी	_____
A3	भूमि: सर्वे संख्याएँ, गाँव, तहसील, जिला; विस्तार	_____
A4	अनुमोदन का संदर्भ (फाइल संख्या, चरण 2 के अनुमोदन की तारीख)	_____
A5	अनेक स्वामियों वाले विकास के लिए: वह संघ या निकाय जो विकासकर्ता के बाद दायित्व सँभालता है (खंड 10.10.2)	_____

तालिका 10F.22 — प्रपत्र 10-6, भाग B: सुविधाओं की अनुसूची

सुविधा (FAC_ID)	प्रकार	संलग्न नक्शे पर स्थान	डिजाइन आयतन (m³)	आउटलेट	O&M योजना का संदर्भ
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

आदर्श घोषणा. मैं/हम, भाग A में नामित स्वामी, अपने लिए और भूमि के प्रत्येक हक-उत्तराधिकारी के लिए, घोषणा और वचन देता/देते हैं:

1. भाग B की प्रत्येक सुविधा का अनुमोदित O&M योजना के अनुसार प्रचालन, निरीक्षण और रखरखाव करने का, और खंड 10.12 के निरीक्षण करने का (खंड 10.10.1(b));
2. प्राधिकारी, उसके अधिकारियों और उसके ठेकेदारों को प्रत्येक सुविधा और नक्शे पर दर्शाए गए पहुँच मार्ग के निरीक्षण के लिए, और खंड 10.15 के अंतर्गत चूक की दशा में कार्य करने के लिए, प्रवेश का अधिकार देने का, जिसकी लागत स्वामी से वसूल की जा सकेगी (खंड 10.10.1(c));
3. प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी सुविधा को न हटाने, न भरने, न ढकने, न छोटा करने या उसके उपयोग में परिवर्तन न करने का, या उसके पहुँच मार्ग को अवरुद्ध न करने का (खंड 10.10.1(d), 10.13.5);
4. जहाँ खंड 10.10.3 लागू हो, प्रति वर्ष 31 मई तक वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 10-7) जमा करने का;
5. भूमिगत टैंकों के लिए, यहाँ बताई गई सीमित स्थान में प्रवेश की प्रक्रिया का पालन करने का: _____ (खंड 4.15.6);

6. भूमि या उसके किसी भाग के विक्रय या अंतरण पर, यह घोषणा-पत्र और नवीनतम प्रपत्र 10-7 क्रेता को प्रकट करने का, जो अंतरण की तारीख से ये दायित्व ग्रहण करता है (खंड 10.10.4); और
7. अनेक स्वामियों वाले विकास के लिए, कि विकासकर्ता तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक A5 में नामित निकाय विधिवत गठित न हो जाए और इस घोषणा-पत्र को लिखित रूप में स्वीकार न कर ले (खंड 10.10.2)।

तालिका 10F.23 — प्रपत्र 10-6, भाग C: निष्पादन और पंजीकरण

क्षेत्र	प्रविष्टि
स्वामी: हस्ताक्षर, नाम, तारीख	_____
साक्षी 1: हस्ताक्षर, नाम, पता	_____
साक्षी 2: हस्ताक्षर, नाम, पता	_____
A5 में नामित संघ या निकाय द्वारा स्वीकार (गठित होने पर): हस्ताक्षर, तारीख	_____
पंजीकरण: कार्यालय, दस्तावेज संख्या, तारीख	_____
प्राधिकारी के लिए: प्राप्त किया और सुविधा रजिस्टर में दर्ज किया; अधिकारी, तारीख	_____

प्रपत्र 10-7 — वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट

अध्याय 10 के खंड 10.10.3, 10.11.1(d) और 10.12 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. टियर A क्षेत्र में स्थित किसी सुविधा के प्रत्येक स्वामी से, और कहीं भी स्थित पंप द्वारा संचालित किसी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा के प्रत्येक स्वामी से, प्रति वर्ष **31 मई** तक देय (खंड 10.10.3)। चित्र 10.3 देखें।

तालिका 10F.24 — प्रपत्र 10-7, भाग A: स्वामी और सुविधाएँ

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	रिपोर्टिंग वर्ष (1 जून से 31 मई)	_____
A2	स्वामी या संघ; रखरखाव घोषणा-पत्र का पंजीकरण संदर्भ	_____
A3	सम्मिलित सुविधाएँ (FAC_ID और प्रकार)	_____
A4	खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली कोई सुविधा (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो भाग E अपेक्षित है	_____

तालिका 10F.25 — प्रपत्र 10-7, भाग B: वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षण (तालिका 10.3)

सुविधा	नियमित निरीक्षण (तारीखें)	मानसून-पूर्व निरीक्षण (तारीख)	भारी वर्षा की घटनाओं के बाद (तारीखें)	पंप के मासिक परीक्षण रन (संख्या)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 10F.26 — प्रपत्र 10-7, भाग C: मानसून-पूर्व जाँच-सूची (प्रत्येक सुविधा के लिए एक)

क्र.	मद	दशा (OK / दोष)	दोष और उसे ठीक करने की तारीख
C1	इनलेट, पूर्व-उपचार और गाद-जाल खुले	_____	_____
C2	ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और आउटलेट खुले; ऑरिफिस का आकार अपरिवर्तित	_____	_____
C3	तलछट O&M योजना के प्रारंभक मान से नीचे	_____	_____
C4	भंडारण आयतन कम नहीं हुआ; कोई भराई, ढकना या उपयोग में परिवर्तन नहीं	_____	_____
C5	अतिप्रवाह और स्पिलवे मार्ग खुला	_____	_____
C6	प्रतिधारण 72 h के भीतर खाली होता है (प्रेक्षण कुआँ या सतह)	_____	_____
C7	पंप: पूर्ण ड्यूटी परीक्षण; स्टैंडबाय पंप और स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति का परीक्षण; साइट पर 72 h का ईंधन	_____	_____
C8	अलार्म और टेलीमेट्री का परीक्षण	_____	_____
C9	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व: संचालित और सील परीक्षण किया गया	_____	_____

क्र.	मद	दशा (OK / दोष)	दोष और उसे ठीक करने की तारीख
C10	सुरक्षा: ढक्कनों पर ताले, बाड़, संकेत-पट और गहराई चिह्न यथास्थान	_____	_____
C11	पहुँच मार्ग खुले और पार्किंग के लिए उपयोग नहीं	_____	_____

तालिका 10F.27 — प्रपत्र 10-7, भाग D: स्वामी की घोषणा

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि खंड 10.12 का मानसून-पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है, पाए गए दोषों को भाग C में सूचीबद्ध अनुसार ठीक कर दिया गया है, और सुविधाओं का अनुमोदित O&M योजना के अनुसार रखरखाव किया जा रहा है। स्वामी: नाम, हस्ताक्षर, तारीख	_____

तालिका 10F.28 — प्रपत्र 10-7, भाग E: सूचीबद्ध पेशेवर (खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाएँ)

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैंने सूचीबद्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया है और भाग C की पुष्टि करता/करती हूँ। नाम, सूचीबद्धता संख्या, हस्ताक्षर, तारीख	_____

तालिका 10F.29 — प्रपत्र 10-7, भाग F: प्राधिकारी के लिए

क्षेत्र	प्रविष्टि
प्राप्ति की तारीख; समय पर (31 मई तक) हाँ / नहीं	_____
सुविधा रजिस्टर में दर्ज (खंड 10.17), तारीख	_____
अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो (खंड 10.15)	_____

प्रपत्र 10-8 — परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. जब किसी विकासकर्ता द्वारा बनाई गई ड्रेन, खुले स्थान की सुविधाएँ, क्षेत्रीय सुविधाएँ या अन्य वर्षा जल परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित की जाती हैं, तब विकासकर्ता और ULB द्वारा हस्ताक्षरित।

तालिका 10F.30 — प्रपत्र 10-8, भाग A: परिसंपत्ति और पक्षकार

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	विकासकर्ता: नाम और पता	_____
A2	ULB	_____
A3	लेआउट या परियोजना, अनुमोदन का संदर्भ	_____
A4	हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ (FAC_ID, प्रकार, लंबाई या आयतन), नक्शे के साथ	_____

तालिका 10F.31 — प्रपत्र 10-8, भाग B: हस्तांतरण की शर्तें (खंड 10.14.1)

क्र.	शर्त	पूरी (हाँ / नहीं)	संदर्भ या तारीख
B1	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-5) स्वीकार किया गया	_____	_____
B2	सुविधा की सफाई की गई; पाइपों और पुलियों का भीतर से निरीक्षण (CCTV या हाथ से प्रवेश) किया गया, अभिलेख सौंपा गया	_____	_____
B3	भूमि, या उस पर सुखाधिकार, ULB को अंतरित	_____	_____
B4	O&M योजना, ड्रॉइंग, GIS आँकड़े (परिशिष्ट 10B) और वारंटियाँ सौंपी गईं	_____	_____

तालिका 10F.32 — प्रपत्र 10-8, भाग C: दोष दायित्व और रजिस्टर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	दोष दायित्व अवधि: _____ से _____ तक (हस्तांतरण के बाद कम से कम 10 जून से 20 अक्तूबर तक (बस्तर संभाग में 31 अक्तूबर तक) एक पूरा मानसून मौसम सम्मिलित)	_____	10.14.2
C2	इस अवधि में दोषों और नियमित रखरखाव के लिए विकासकर्ता उत्तरदायी	_____	10.14.2
C3	ULB द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा राशि, ₹, और उसे लौटाने की तारीख	_____	10.14.2
C4	ULB के GIS जल निकासी परिसंपत्ति रजिस्टर और सुविधा रजिस्टर में दर्ज: तारीख	_____	10.14.3

तालिका 10F.33 — प्रपत्र 10-8, भाग D: हस्ताक्षर

पक्षकार	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख
विकासकर्ता	_____	_____	_____

पक्षकार	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख
प्रमाणकर्ता पेशेवर	_____	_____	_____
ULB	_____	_____	_____

अध्याय 11 के परिशिष्ट

बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान

ये परिशिष्ट अध्याय 11 के लिए हैं। इनमें बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP) के लिए संदर्भ-शर्तों (terms of reference) का टेम्पलेट, बेसिन सूची और सीमा परत की रूपरेखा, गहराई–क्षति वक्रों की रूपरेखा और विधि, BSMP के आँकड़ों और मॉडलों के प्रकाशन का मानक, और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट का प्रपत्र दिया गया है। परिशिष्ट 11B और 11C के लिए ऐसे आँकड़ों की आवश्यकता है जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; इनमें यह बताया गया है और इस बीच उपयोग किया जाने वाला नियम दिया गया है। टेम्पलेट और प्रपत्र सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ और प्रारूप प्रपत्र हैं, और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 11A — BSMP की संदर्भ-शर्तों का टेम्पलेट

अध्याय 11 के खंड 11.1 से 11.12 के लिए।

> *सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.* अग्रणी प्राधिकारी प्रत्येक बेसिन के लिए इस टेम्पलेट को अनुकूलित करता है। "[ ]" में दी गई मदें अग्रणी प्राधिकारी द्वारा भरी जानी हैं। खंडों के संदर्भ इस मैनुअल के हैं, जिसका परामर्शदाता पूर्ण रूप से पालन करेगा।

11A.1 पृष्ठभूमि और प्रयोजन

1. [अग्रणी प्राधिकारी] *छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* के अध्याय 11 के अंतर्गत [नाम] बेसिन के लिए बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान तैयार करने का आशय रखता है।
2. BSMP (खंड 11.1.2):
    - (a) विद्यमान और भविष्य की स्थितियों में बेसिन के बाढ़ जोखिम का मानचित्रण करेगा;
    - (b) जल निकासी प्रणाली के प्रत्येक भाग के लिए सेवा स्तर निर्धारित करेगा;
    - (c) उस सेवा स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक कार्यों, भंडारण और भूमि की पहचान करेगा, उनकी लागत आँकेगा और उन्हें प्राथमिकता क्रम में रखेगा;
    - (d) क्षेत्रीय भंडारण, तालाब (talab) और तालाब (tank) पुनर्स्थापन और प्रमुख प्रवाह मार्गों के लिए सांविधिक भूमि उपयोग योजना में आरक्षित की जाने वाली भूमि की पहचान करेगा;
    - (e) साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट निर्धारित करेगा: क्षेत्रीय सुविधाएँ, एवज शुल्क की इकाई दर, और अध्याय 4 से अधिक कठोर कोई बेसिन निकास दर; और
    - (f) बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करेगा।
3. BSMP बेसिन के लिए अध्याय 4 से 8 के साइट मानदंडों को अधिक कठोर बना सकता है। वह उन्हें शिथिल नहीं करेगा, सिवाय खंड 4.13 और 4.5.6 के क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क मार्गों के माध्यम से (खंड 11.1.3)।

11A.2 ग्राहक, भागीदार और अध्ययन क्षेत्र

1. **ग्राहक:** [अग्रणी प्राधिकारी] (खंड 11.4.1)।
2. **भागीदार:** WRD, जहाँ भी बेसिन में उसके नियंत्रण वाली कोई नदी, नहर या तालाब सम्मिलित है, और [अन्य स्थानीय निकाय, RDA या T&CP, CGSDMA] (खंड 11.4.1)।
3. **अध्ययन क्षेत्र:** [आउटफॉल] की ओर जल निकासी करने वाला संपूर्ण [नाम] बेसिन, जैसा खंड 11.3 के अंतर्गत चिह्नित है, जिसमें ग्राहक की सीमाओं से बाहर के भाग भी सम्मिलित हैं (खंड 11.3.1)। अनंतिम सीमा [परिशिष्ट 11B / संलग्न मानचित्र] में है। परामर्शदाता कार्य 2 में इसकी पुष्टि करेगा।
4. **अन्य बेसिनों से संबंध:** [उदाहरण के लिए प्राप्तकर्ता नदी, जलाशय या तालाब का कॉरिडोर]। नहर, ड्रेन या अतिरिक्त जल मार्ग द्वारा बेसिनों के बीच के मोड़ मानचित्रित किए जाएँगे और मॉडल में दर्शाए जाएँगे (खंड 11.3.2)।

11A.3 दल

1. अध्ययन का नेतृत्व वर्षा जल डिजाइन पेशेवर के रूप में सूचीबद्ध ऐसा अभियंता करेगा जिसके पास परिशिष्ट 10E की बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (basin modelling endorsement) हो (खंड 11.4.3)।
2. दल में कम से कम निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: [एक जलविज्ञानी; एक हाइड्रोलिक मॉडलर; जहाँ बेसिन का ज्वारीय आउटफॉल हो वहाँ एक तटीय या ज्वार विशेषज्ञ; एक GIS और सर्वेक्षण प्रमुख; एक नियोजक; एक लागत अभियंता; एक सामुदायिक सहभागिता प्रमुख]। ग्राहक प्रत्येक की न्यूनतम योग्यताएँ और अनुभव निर्धारित करता है।

11A.4 कार्य

कार्य 1 — आरंभ. बेसिन में विद्यमान अध्ययनों, आँकड़ों और परियोजनाओं की समीक्षा करें। तालिका 11.1 के सापेक्ष आँकड़ों की सूची, कमियों की सूची, सर्वेक्षण योजना, परामर्श योजना और कार्य कार्यक्रम तैयार करें। आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कार्य 2 — आँकड़े और सर्वेक्षण. तालिका 11.1 की प्रत्येक मद को एकत्र करें, जहाँ अनुपलब्ध हो वहाँ सर्वेक्षण करें, और गुणवत्ता की जाँच करें (खंड 11.5.1):

- (a) भू-भाग: LiDAR या फोटोग्रामिति से DEM, शहरी क्षेत्रों में 0.15 m RMSE या बेहतर ऊर्ध्वाधर सटीकता के साथ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम से जुड़ा हुआ, सटीकता परीक्षण की रिपोर्ट के साथ;
- (b) ड्रेन नेटवर्क: प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन, पुलिया और आउटफॉल, इनवर्ट स्तरों, आकारों, स्थिति और गाद की गहराई के साथ; 600 mm से बड़ी निजी ड्रेन;
- (c) जलाशय: अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक तालाब (tank), तालाब (talab), पोखर और दलदल: FTL, MWL, बाँध का स्तर, जल स्तर–भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल और अतिक्रमण, परिशिष्ट 7A के क्षेत्रों में;
- (d) नदियाँ और नहरें: 200 m से अधिक नहीं के अंतराल पर और प्रत्येक संरचना पर अनुप्रस्थ काट;
- (e) आउटफॉल, नदियाँ, जलाशय, बैराज और खदान के गड्ढे: किसी नामित डेटम पर आउटफॉल के इनवर्ट स्तर, निकटतम CWC गेज पर प्राप्तकर्ता नदी (जगदलपुर में इंद्रावती, पथरीडीह (Pathardihi) पर खारुन, हसदेव, महानदी या कोई अन्य नदी) के चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तरों और उसके अभिलिखित चरमों के सापेक्ष, और कोई भी स्थानीय गेज एक अलग शृंखला के रूप में रखा जाए; जलाशयों, बैराज के जलाशयों और तालाबों में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए, WRD या अभिरक्षक से जलाशय का पूर्ण जल स्तर, अधिकतम जल स्तर और स्पिलवे और स्लूइस के आँकड़े, प्रकाशित मानों के बीच किसी भी विरोध के साथ; प्राप्तकर्ता स्तर निर्धारित करने वाले डैमों और बैराजों से छोड़े गए पानी के अभिलेख, और हीराकुंड के बैकवाटर का विस्तार; भंडारण के रूप में प्रस्तावित किसी भी खदान के गड्ढे के लिए, DGMS की सम्मति के साथ, उसके स्तर, अतिप्रवाह और स्थिरता का पट्टाधारी का सर्वेक्षण; राखड़ बाँधों के टूटने के प्रवाह मार्ग; जहाँ बाध्यकारी हों वहाँ छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 की जलमार्ग रेखाएँ और आर्द्रभूमि की रेखाएँ; और आउटफॉलों पर स्लूइस, फ्लैप गेट, अवरोधन वियर, एनीकट, चेक डैम, झीलों के निकास और पंपिंग स्टेशन, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों के साथ;

- (f) वर्षा और जल स्तर: सभी उपलब्ध अभिलेख (IMD, जिसमें रायपुर (1901 से) और रायपुर (माना) हवाई अड्डे पर उसकी वेधशालाएँ, जगदलपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, चांपा, जशपुरनगर, कांकेर और राजनांदगांव के उसके केंद्र, और मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर द्वारा सूचित स्वचालित मौसम केंद्र और वर्षामापी सम्मिलित हैं; राज्य के जिला और तहसील वर्षामापी, जिनके अभिलेख IMD *Climate of Chhattisgarh* में सारणीबद्ध करता है; CWC और WRD के वर्षामापी और नदी गेज, जिनमें WRD के डैमों और बैराजों पर स्थित गेज सम्मिलित हैं; रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कृषि-मौसम वेधशाला; और नगर निगमों, NRDA और स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा रखे गए कोई भी गेज), जिनमें 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की घटनाएँ सम्मिलित हैं;
- (g) बाढ़ के साक्ष्य: पिछली घटनाओं के सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न और मानचित्रित विस्तार, सार्वजनिक रिपोर्टों, तस्वीरों और निवासियों के अभिलेखों सहित;
- (h) भूमि उपयोग: विद्यमान भूमि उपयोग और अपारगम्यता; सांविधिक विकास योजना से भविष्य का भूमि उपयोग;
- (i) मिट्टी और भूजल: HSG मानचित्र (परिशिष्ट 3A या खंड 3.7.2), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, जलभृत और पुनर्भरण क्षेत्र; और
- (j) सीवर से अंतःक्रिया: ज्ञात अवैध जुड़ाव, ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह, ठोस अपशिष्ट हॉटस्पॉट।

बेसिन की सीमा और बेसिनों के बीच के मोड़ों की पुष्टि करें (खंड 11.3.2)। आँकड़ा रिपोर्ट और परिशिष्ट 11D के प्रारूपों में आँकड़े प्रस्तुत करें।

कार्य 3 — मॉडल निर्माण. लघु प्रणाली, प्रमुख (सतही) प्रणाली, नदियों, नहरों और तालाबों, और आउटफॉलों का युग्मित 1D–2D हाइड्रोलिक मॉडल बनाएँ (खंड 11.7.1; चित्र 11.2)। अध्याय 3 की विधियों और अध्याय 5 की ज्वारीय और नदी सीमा-स्थितियों का उपयोग करें। अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाएँ, जिनमें 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ सम्मिलित हैं, कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, खंड 2.7.3 के अंतर्गत क्षेत्रीय न्यूनीकरण के साथ चलाएँ (खंड 11.7.2)। जहाँ बेसिन में तालाब शृंखलाएँ हैं, वहाँ खंड 3.13 के अंतर्गत सतत सिमुलेशन चलाएँ, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ IMD के संपूर्ण ग्रिड दैनिक अभिलेख के साथ, और कम से कम 30 वर्ष का, जिसे परिशिष्ट 2D के कालिक वितरणों द्वारा विभाजित किया गया हो। खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति का उपयोग किया जा सकता है: सतत रन से प्राप्त तालाबों के आरंभिक स्तर और पूर्ववर्ती स्थितियाँ डिजाइन वर्षा घटना के रनों को दी जाती हैं (खंड 11.7.3)।

कार्य 4 — अंशांकन और वैधीकरण. खंड 3.15 के अंतर्गत मॉडल का अंशांकन और वैधीकरण करें, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों वहाँ 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की घटनाओं में से कम से कम दो का उपयोग करते हुए (खंड 11.7.5)। खंड 3.15.4 के कार्य-निष्पादन माप और खंड 3.15.6 की औचित्य जाँच की रिपोर्ट दें।

कार्य 5 — परिदृश्य और जोखिम मानचित्र. खंड 11.7.4 के परिदृश्यों का मॉडल बनाएँ: (a) विद्यमान; (b) भविष्य, अनियंत्रित; (c) भविष्य, नियंत्रित; (d) भविष्य, योजना सहित; और (e) जलवायु, (a) और (d) पर लागू। 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, विद्यमान और भविष्य-योजना-सहित, विस्तार, गहराई, वेग और जोखिम वर्ग (H1–H6, अध्याय 6) के बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करें (खंड 11.8.4(a))।

कार्य 6 — सेवा स्तर का आकलन. परिदृश्यों (a), (c) और (d) की तुलना तालिका 11.2 के सेवा स्तरों से और ग्राहक द्वारा लिए गए किसी अधिक कठोर स्तर से करें (खंड 11.6.1)। प्रत्येक कमी का मानचित्रण करें।

कार्य 7 — विकल्प. खंड 11.8.1 के क्रम में विकल्प विकसित करें: भंडारण का संरक्षण और पुनर्स्थापन; मॉडलिंग द्वारा स्थित क्षेत्रीय प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण; वहन; आउटफॉल कार्य; संपत्ति-स्तरीय सुरक्षा; गैर-संरचनात्मक उपाय। प्रत्येक विकल्प का आकलन खंड 11.8.2 के मानदंडों पर करें: बाढ़ जोखिम में कमी (बाढ़ से प्रभावित भवन और लोग, और परिशिष्ट 11C का उपयोग करके अपेक्षित वार्षिक क्षति); पूंजीगत लागत और 30 वर्ष की रखरखाव लागत; आवश्यक भूमि; शिवनाथ के मैदान के गंभीर और अर्ध-गंभीर विकासखंडों में, जिनमें धरसीवां (रायपुर), दुर्ग और धमधा हैं, भूजल पुनर्भरण पर, जहाँ रायपुर को पानी देने वाला चंडी और चरमुरिया चूना पत्थर कार्स्टीकृत और गुहायुक्त है, मानसून-पश्चात उथले भूजल स्तर पर, जो लगभग चार में से तीन कुओं में 5 m के भीतर है, उन कन्हार (kanhar) चिकनी मिट्टियों पर जो एक बार गीली होने के बाद कोई पुनर्भरण नहीं लेतीं, कोरबा कोयला क्षेत्र में खदान के निर्जलीकरण पर, और भूजल की, जिसमें राज्य के कुछ भागों में फ्लोराइड और नाइट्रेट और अंबागढ़ चौकी में आर्सेनिक है, और अपवाह जिन नदियों, जलाशयों और तालाबों तक पहुँचता है उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव; अनुप्रवाह बेसिनों और प्राप्तकर्ता नदी, जलाशय या तालाब पर प्रभाव; और लाभ किसे होता है।

कार्य 8 — साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट. जहाँ परिदृश्य (c) सेवा स्तर को पूरा नहीं करता, वहाँ AEP और उप-जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार बेसिन निकास दरें ($m^3/s/ha$) प्रस्तावित करें (खंड 11.8.3)। खंड 4.5.4.1 के साक्ष्य के साथ, बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करें। क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थलों की, भंडारण आयतनों, भूमि की आवश्यकताओं और उनके द्वारा सेवित साइटों के साथ, पहचान करें, और भूमि, निर्माण और 10 वर्ष के रखरखाव सहित एवज शुल्क की इकाई दर की गणना करें (खंड 4.13.3, 11.8.4(c), (d))।

कार्य 9 — पूंजीगत सुधार कार्यक्रम. कार्यों को प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार, लागत, चरणबद्धता और उत्तरदायी एजेंसी के साथ, प्राथमिकता क्रम में रखें (खंड 11.8.4(e))।

कार्य 10 — रखरखाव और निगरानी. मानसून-पूर्व रखरखाव कार्यक्रम तैयार करें: गाद निकालना, गेट और पंप का परीक्षण, और तालाबों के प्रचालन नियम (खंड 11.8.4(f); अध्याय 7 और 10)। निगरानी की आवश्यकताएँ निर्दिष्ट करें: नए वर्षामापी, स्तर संवेदक और बाढ़ चिह्न सर्वेक्षण बिंदु (खंड 11.8.4(g); खंड 10.16.1)।

कार्य 11 — भूमि उपयोग के साथ एकीकरण. खंड 11.9.1 द्वारा अपेक्षित, सांविधिक भूमि उपयोग योजना के लिए सामग्री तैयार करें: आरक्षित किए जाने वाले स्थल; अध्याय 7 के सेटबैक के साथ 1% AEP जोखिम मानचित्र; 1% AEP घटना में जोखिम वर्ग H5–H6 की भूमि; और खुले स्थानों के वे स्थान जो प्रवाह मार्गों या क्षेत्रीय भंडारण का भाग बन सकते हैं।

कार्य 12 — परामर्श. BSMP का प्रारूप कम से कम 60 दिन के लिए जन सुझावों हेतु, प्रत्येक प्रभावित स्थानीय निकाय में सार्वजनिक बैठकों के साथ, प्रकाशित करें (खंड 11.10.1)। सुझावों और उत्तरों का लॉग रखें।

कार्य 13 — अंतिम BSMP और प्रकाशन. परामर्श के बाद BSMP को संशोधित करें। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए, समीक्षा हेतु मॉडल सहित, पैकेज तैयार करें (खंड 11.11.1)। आँकड़े, मॉडल, मानचित्र और CIP परिशिष्ट 11D के अंतर्गत प्रकाशित करें (खंड 11.10.2)।

11A.5 सुपुर्दगी योग्य सामग्री

तालिका 11A.1 — सुपुर्दगी योग्य सामग्री

क्र.	सुपुर्दगी योग्य सामग्री	कार्य	देय (आरंभ से महीने)
D1	आरंभिक रिपोर्ट, आँकड़ों की सूची और सर्वेक्षण योजना	1	[ ]
D2	आँकड़ा रिपोर्ट और आँकड़ा समूह (परिशिष्ट 11D)	2	[ ]
D3	मॉडल निर्माण रिपोर्ट और मॉडल फाइलें	3	[ ]
D4	अंशांकन और वैधीकरण रिपोर्ट	4	[ ]
D5	परिदृश्यों के परिणाम, जोखिम मानचित्र और सेवा स्तर का आकलन	5, 6	[ ]
D6	विकल्प रिपोर्ट, साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट के साथ	7, 8	[ ]
D7	परामर्श के लिए प्रारूप CIP सहित BSMP का प्रारूप	9–12	[ ]
D8	अंतिम BSMP, परामर्श लॉग, अनुमोदन पैकेज और मुक्त आँकड़ों का विमोचन	13	[ ]

11A.6 स्वामित्व और प्रकाशन

इन शर्तों के अंतर्गत तैयार किए गए सभी आँकड़े, मॉडल, मानचित्र और रिपोर्टें अग्रणी प्राधिकारी के स्वामित्व में हैं और परिशिष्ट 11D के अंतर्गत प्रकाशित की जाएँगी। परामर्शदाता किसी ऐसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आँकड़ा लाइसेंस या प्रारूप का उपयोग नहीं करेगा जो प्रकाशन को रोकता हो, या जो किसी तीसरे पक्ष को बताए गए सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ मॉडल को फिर से चलाने से रोकता हो।

परिशिष्ट 11B — टियर A निकायों के लिए बेसिनों की सूचियाँ और सीमाएँ

अध्याय 11 के खंड 11.3 और 11.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में प्रत्येक टियर A निकाय के बेसिनों की सूची होगी, खंड 11.3.2 के अंतर्गत चिह्नित बेसिन सीमाओं की GIS परत के साथ। इसके लिए टियर A निकायों की सूची (परिशिष्ट 1A); खंड 11.5.1 की सटीकता वाला DEM, जिसका कोयला क्षेत्रों में, जहाँ खनन भूमि को बदलता है, पुनः हवाई सर्वेक्षण किया गया हो; ड्रेन के स्वामी प्रत्येक निकाय का ड्रेन नेटवर्क (नगर निगम, NRDA, भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप, RDA और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, नालों पर सीवेज अवरोधनों के साथ); WRD की नदियाँ, डैम, बैराज और जलाशय, किसी बताए गए डेटम पर उनके जलाशय के पूर्ण जल स्तरों, स्पिलवे, गेटों और प्रचालन नियमों के साथ; गंगरेल, मिनीमाता बांगो, हसदेव बैराज, खारंग (Kharang) और मोंगरा, अरपा भैंसाझार (Arpa Bhaisajhar) और केलो के कार्यों से छोड़े गए पानी के अभिलेख; राज्य के भीतर हीराकुंड के बैकवाटर का विस्तार; कोयला पट्टों पर खदान के गड्ढे, खदान झीलें, ओवरबर्डन डंप और गारलैंड ड्रेनें, उनके सर्वेक्षित स्तरों के साथ; ऐश पॉन्ड और उनके राखड़ बाँधों के टूटने के प्रवाह मार्ग; तालाब और नवा रायपुर की झीलें, उनके स्तरों और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 50 m की रेखाओं के साथ; और भू-अभिलेखों में दर्ज तालाब (tanks) आवश्यक हैं (अन्य संभावित स्रोत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग, CWC, CGWB, DGMS, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और जिला भू-अभिलेख)। छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर का कोई बेसिन मानचित्र नहीं मिला। परिशिष्ट के प्रकाशित होने तक, खंड 11.3.3 में नामित रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर के बेसिन कम से कम वे हैं जो वहाँ नामित हैं; अन्य टियर A निकाय अपने पहले BSMP में अपने बेसिन परिभाषित करते हैं (खंड 11.3.3); और अनुमोदित BSMP के बिना प्रत्येक बेसिन में खंड 11.12 की अंतरिम व्यवस्थाएँ लागू होती हैं।

तालिका 11B.1 — खंड 11.3.3 में नामित बेसिन (अनंतिम)

टियर A निकाय या क्षेत्र	बेसिन	अध्याय 11 से टिप्पणी
रायपुर और बिरगांव (RMC, बिरगांव नगर निगम)	शहर के नालों से होकर खारुन में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र	भंडारण के रूप में तालाब; 1D नेटवर्क में चंदनीडीह, कारा और निमोरा संयंत्रों के डायवर्जन वियर और महादेव घाट का एनीकट; सीमा के रूप में पथरीडीह पर खारुन
नवा रायपुर (NRDA)	नया रायपुर विकास योजना-2031 की चार मुख्य धाराओं के चार जलग्रहण क्षेत्र	भंडारण और आउटफॉल के रूप में झीलें और जलाशय (सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh), खंडवा (Khandawa) और अन्य); आर्द्रभूमि की 50 m की रेखा दर्शाई गई
दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा (नगर निगम, भिलाई इस्पात संयंत्र)	शिवनाथ में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र, शंकर और पुलगांव नालों सहित	टाउनशिप की ड्रेनें और सीवेज अवरोधन मानचित्रित; सीमा के रूप में मोंगरा बैराज के नीचे शिवनाथ
बिलासपुर (नगर निगम)	अरपा में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र	सीमा के रूप में अरपा भैंसाझार बैराज का स्तर और उससे छोड़ा गया पानी; कोपरा जलाशय दर्शाया गया

टियर A निकाय या क्षेत्र	बेसिन	अध्याय 11 से टिप्पणी
कोरबा (नगर निगम, कोयला और बिजली कंपनियाँ)	दर्री बैराज के नीचे हसदेव में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र	अंतर्वाह के रूप में बांगो और दर्री से छोड़ा गया पानी; सीमा के रूप में बांगोडैम (Bangodam) और कटघोरा के स्तर; आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति; खदान के गड्ढे केवल पट्टाधारी और DGMS की सम्मति से; राखड़ बाँध टूटने के मार्ग दर्शाए गए
रायगढ़ (नगर निगम)	केलो डैम के नीचे केलो में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र	निचले आउटफॉलों के लिए सीमा के रूप में महानदी, मांड और हीराकुंड के बैकवाटर के स्तर
जगदलपुर (नगर निगम)	इंद्रावती में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र	सीमा के रूप में CWC के जगदलपुर स्तर; आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति
राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर और चिरमिरी सहित अन्य टियर A निकाय	पहले BSMP में परिभाषित किए जाने हैं	खंड 11.3.3

तालिका 11B.2 — बेसिन सीमा परत के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र	प्रकार	विषय-वस्तु
BASIN_ID	Text	बेसिन का पहचानकर्ता
NAME_EN, NAME_HI	Text	अंग्रेजी और हिन्दी में बेसिन का नाम
TIER_A	Text	बेसिन में टियर A निकाय या निकाय
OUTFALL	Text	समुद्र, नदी या प्रमुख जलाशय में आउटफॉल (खंड 11.2)
AREA_KM2	Real	बेसिन का क्षेत्रफल, km^2
LEAD_AUTH	Text	अग्रणी प्राधिकारी (खंड 11.4.1)
PARTNERS	Text	भागीदार, जहाँ लागू हो वहाँ WRD सहित
LINKS	Text	अन्य बेसिनों में और उनसे मोड़ (खंड 11.3.2)
BSMP_STAT	Text	None / in preparation / draft published / approved (कोई नहीं / तैयारी में / प्रारूप प्रकाशित / अनुमोदित)
BSMP_DATE	Date	वर्तमान BSMP के अनुमोदन की तिथि
REVIEW_DUE	Date	अगली समीक्षा की तिथि (खंड 11.11.2)

परिशिष्ट 11C — छत्तीसगढ़ के भवन प्रकारों के लिए गहराई–क्षति वक्र

अध्याय 11 के खंड 11.8.2 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में खंड 11.8.2 के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक क्षति की गणना में उपयोग के लिए, छत्तीसगढ़ के शहरों के मुख्य भवन प्रकारों के, संरचना और सामग्री दोनों के, गहराई–क्षति वक्र होंगे। इसके लिए भवन-प्रकार वर्गीकरण और भवन स्टॉक के आँकड़े (जनगणना की आवास तालिकाएँ, संपत्ति-कर अभिलेख, अग्रणी प्राधिकारी का GIS), 4 अगस्त 1910 (रायपुर का 370.3 mm का रिकॉर्ड दिन, केवल वर्षा), अगस्त 2020 (रायपुर में खारुन और ऊपरी महानदी), अगस्त 2025 (बस्तर संभाग) और सितंबर 2026 (राज्यव्यापी, जगदलपुर में इंद्रावती और रायपुर में खारुन के साथ) की बाढ़ों के क्षति सर्वेक्षण और दावे (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और CGSDMA के क्षति आकलन, बीमाकर्ता), और प्रतिस्थापन लागतें (लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूचियाँ) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक, प्रत्येक BSMP अपने द्वारा प्रयुक्त गहराई–क्षति संबंध और उनका स्रोत बताएगा, और प्रत्येक विकल्प के लिए बाढ़ से प्रभावित भवनों और लोगों में कमी की रिपोर्ट देगा (खंड 11.8.2), जो वक्रों पर निर्भर नहीं है।

तालिका 11C.1 — गहराई–क्षति वक्र (रूपरेखा, प्रत्येक भवन प्रकार के लिए एक तालिका)

फर्श स्तर से ऊपर पानी की गहराई (m)	0	0.25	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
संरचना की क्षति (प्रतिस्थापन लागत का %)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
सामग्री की क्षति (सामग्री के मूल्य का %)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
भवन प्रकार, स्रोत और लागतों का वर्ष	_____						

11C.1 विकल्पों के आकलन में उपयोग

अपेक्षित वार्षिक क्षति (EAD) की गणना प्रत्येक परिदृश्य के लिए मॉडल की गई AEP पर क्षतियों से की जाती है। वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकताओं $P_1 > P_2 > \ldots$ पर क्षतियाँ $D_1, D_2, \ldots$ होने पर, खंड 11.7.2 के कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के परिणामों का उपयोग करते हुए:

> $$EAD \approx \Sigma \tfrac{1}{2} \times (D_i + D_{(i+1)}) \times (P_i - P_{(i+1)})$$

परिदृश्य (c) और परिदृश्य (d) के बीच, या विकल्पों के बीच, EAD में कमी वह जोखिम-न्यूनीकरण लाभ है जिसका उपयोग कार्यों को प्रति रुपया क्रमित करने के लिए किया जाता है (खंड 11.8.4(e))। BSMP बताएगा कि 0.2% AEP से आगे और 50% AEP से नीचे की क्षतियों को किस प्रकार लिया गया।

परिशिष्ट 11D — BSMP आँकड़ों और मॉडल के प्रकाशन का मानक

अध्याय 11 के खंड 11.5.1 और 11.10, और अध्याय 10 के खंड 10.17 के लिए।

11D.1 क्या प्रकाशित किया जाता है, और कब

तालिका 11D.1 — प्रकाशित की जाने वाली मदें

मद	प्रारूप	प्रारूप चरण पर (खंड 11.10.1)	अनुमोदन पर (खंड 11.10.2)
BSMP रिपोर्ट, सेवा स्तर के आकलन और विकल्पों के साथ	खोज योग्य PDF	हाँ	हाँ, अंतिम
बाढ़ जोखिम मानचित्र: खंड 11.8.4(a) की प्रत्येक AEP और परिदृश्य के लिए विस्तार, गहराई, वेग, जोखिम वर्ग	GeoTIFF रास्टर; विस्तार GeoPackage बहुभुजों के रूप में भी	हाँ	हाँ
पूंजीगत सुधार कार्यक्रम	CSV और PDF	प्रारूप	हाँ
बेसिन निकास दरें, अनुशंसित बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र, क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, एवज शुल्क की इकाई दर	GeoPackage और CSV	हाँ	हाँ
तालिका 11.1 के आँकड़े (भू-भाग, ड्रेन, जलाशय, अनुप्रस्थ काट, नदी, जलाशय, बैराज और खदान के गड्ढे के स्तर और आउटफॉल संरचनाएँ, वर्षा और स्तर, बाढ़ के साक्ष्य, भूमि उपयोग, मिट्टी और भूजल, सीवर से अंतःक्रिया)	GeoTIFF (भू-भाग); GeoPackage (विशेषताएँ); CSV (तालिकाएँ और समय-शृंखलाएँ)	सारांश	हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों के विवरण को छोड़कर
मॉडल फाइलें: मूल (native), चलाने योग्य, सभी सीमा-स्थिति, वर्षा और नियंत्रण फाइलों, सॉफ्टवेयर के नाम और संस्करण, और रन लॉग के साथ	मूल प्रारूप, जिप किया हुआ	नहीं	हाँ
अंशांकन और वैधीकरण रिपोर्ट	खोज योग्य PDF	हाँ	हाँ
सुझावों और उत्तरों का परामर्श लॉग	PDF या CSV	—	हाँ

11D.2 प्रारूप और संदर्भ

- (a) रास्टर आँकड़े GeoTIFF में होंगे, अधिमानतः cloud-optimised, सेल आकार बताते हुए। वेक्टर आँकड़े GeoPackage में होंगे। तालिकाएँ और समय-शृंखलाएँ UTF-8 में CSV होंगी, शीर्ष पंक्ति के साथ और स्तंभों के नामों में इकाइयों के साथ।
- (b) क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ परिशिष्ट 10B.1(b) और (c) के अनुसार होंगे। स्तरों वाले प्रत्येक आँकड़ा समूह में ऊर्ध्वाधर डेटम और अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC के गेजों के नदी डेटमों से, WRD के डैम, बैराज, जलाशय और तालाब (tank) स्तरों से और नवा रायपुर की झीलों और जलाशयों के स्तरों से, और किसी खदान के गड्ढे में आउटफॉल के लिए पट्टाधारी के खदान सर्वेक्षण से उसका संबंध बताया जाएगा।
- (c) समय भारतीय मानक समय में, ISO 8601 (yyyy-mm-ddThh:mm+05:30) के रूप में लिखा जाएगा। इकाइयाँ SI होंगी।
- (d) जोखिम मानचित्र फाइलों का नाम `<basin>_<scenario>_<AEP>_<variable>.tif` होगा, जहाँ scenario खंड 11.7.4 का a से e है, AEP को 50, 10, 1 या 0p2 लिखा जाता है, और variable depth, velocity, hazard या extent है; उदाहरण के लिए `kharun_d_1_depth.tif`।
- (e) जलाशय संबंधी आँकड़ों में परिशिष्ट 7A के क्षेत्रों का उपयोग होगा। सुविधा और आउटफॉल संबंधी आँकड़ों में परिशिष्ट 10B के क्षेत्रों का उपयोग होगा।

11D.3 मेटाडेटा

प्रत्येक प्रकाशित आँकड़ा समूह में निम्नलिखित होंगे: शीर्षक; विवरण; अग्रणी प्राधिकारी; स्रोत और विधि; संग्रह की तिथि; सटीकता (DEM के लिए, मापी गई ऊर्ध्वाधर RMSE); क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ; जहाँ प्रासंगिक हो, परिदृश्य और AEP; BSMP का संस्करण; लाइसेंस; और संपर्क।

11D.4 रोकना और व्यक्तिगत आँकड़े

- (a) महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील विवरण रोके जा सकते हैं, जिसका कारण अभिलिखित और प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.17.3, 11.10.2)। बाढ़ जोखिम मानचित्र और मॉडल फिर भी प्रकाशित किए जाएँगे; केवल संवेदनशील गुण हटाए जाते हैं।
- (b) व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएँगे (खंड 10.17.3)। निवासियों से एकत्र किए गए बाढ़ के साक्ष्य नामों या संपर्क विवरणों के बिना प्रकाशित किए जाएँगे, जब तक कि संबंधित व्यक्ति सम्मति न दे।

11D.5 लाइसेंस, दर्शक और संस्करण

- (a) प्रकाशित आँकड़े और मॉडल Government Open Data Licence – India या किसी समतुल्य मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाएँगे (खंड 10.17.4)।
- (b) जोखिम मानचित्र, क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल और CIP एक सार्वजनिक मानचित्र दर्शक पर भी दर्शाए जाएँगे (खंड 11.10.2)।
- (c) प्रत्येक अनुमोदित BSMP पर संस्करण संख्या और तिथि होगी। प्रतिस्थापित संस्करण, प्रतिस्थापित के रूप में चिह्नित करके, उपलब्ध रहेंगे, ताकि उनके अंतर्गत अनुमोदित डिजाइनों की जाँच की जा सके।
- (d) प्रकाशित मॉडल पैकेज ऐसा होगा कि बताए गए सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ कोई तीसरा पक्ष प्रकाशित परिणामों को पुनः प्राप्त कर सके। डिजाइनकर्ता बेसिन में साइट डिजाइनों के लिए इसकी सीमा-स्थितियों का उपयोग कर सकते हैं (खंड 11.10, भाष्य)।

प्रपत्र 11-1 — वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट

अध्याय 11 के खंड 11.11.3 के लिए, अध्याय 4 के खंड 4.5.6.3 और 4.13.4 के साथ।

प्रारूप प्रपत्र — छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. अनुमोदित BSMP वाले प्रत्येक बेसिन के लिए अग्रणी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले, **31 मई** तक, प्रकाशित (खंड 11.11.3)।

तालिका 11F.1 — प्रपत्र 11-1, भाग A: बेसिन और योजना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	बेसिन; अग्रणी प्राधिकारी; भागीदार	_____
A2	BSMP का संस्करण और अनुमोदन की तिथि	_____
A3	रिपोर्टिंग वर्ष (1 जून से 31 मई)	_____
A4	प्रकाशन की तिथि (31 मई तक) और वेब पता	_____

तालिका 11F.2 — प्रपत्र 11-1, भाग B: CIP की प्रगति

CIP क्रम	कार्य	एजेंसी	CIP में लागत (₹)	इस वर्ष व्यय (₹)	अब तक व्यय (₹)	स्थिति	अपेक्षित समापन
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.3 — प्रपत्र 11-1, भाग C: एवज शुल्क की खाता-बही (खंड 4.5.6.3(c) और 4.13.4)

क्षेत्रीय सुविधा या तालाब	साइटों को क्रेडिट किया गया आयतन (m^3)	उपलब्ध कराया गया आयतन (m^3)	प्राप्त शुल्क (₹)	व्यय किया गया शुल्क (₹)	रखा गया शुल्क, प्राप्ति के वर्ष के साथ
_____	_____	_____	_____	_____	_____
बेसिन का योग: देय और उपलब्ध कराया गया आयतन	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.4 — प्रपत्र 11-1, भाग D: पूरा किया गया रखरखाव (खंड 11.8.4(f))

क्र.	मद	नियोजित	किया गया	समापन की तिथि
D1	ड्रेन और नहरों से गाद निकालना (लंबाई, km; आयतन, m^3)	_____	_____	_____
D2	तालाब (tank) और तालाब (talab) से गाद निकालना और पुनर्स्थापन (तालाब, संख्या; पुनर्स्थापित भंडारण, m^3)	_____	_____	_____
D3	गेट परीक्षण (गेटों की संख्या)	_____	_____	_____
D4	पंपिंग स्टेशन के कार्यरत परीक्षण (स्टेशनों की संख्या)	_____	_____	_____

क्र.	मद	नियोजित	किया गया	समापन की तिथि
D5	अभिरक्षक के साथ समीक्षा किए गए तालाब प्रचालन नियम (संख्या)	_____	_____	_____
D6	जोड़ी गई निगरानी: वर्षामापी, स्तर संवेदक, बाढ़ चिह्न बिंदु (खंड 11.8.4(g))	_____	_____	_____

तालिका 11F.5 — प्रपत्र 11-1, भाग E: सेवा स्तरों की तुलना में बाढ़

घटना (तिथियाँ)	डिजाइन गहराइयों की तुलना में वर्षा (खंड 10.16.2(a))	सेवा स्तर का तत्व (तालिका 11.2)	स्थान	पूरा हुआ (हाँ / नहीं)	घटना रिपोर्ट का संदर्भ (खंड 10.16.2)
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.6 — प्रपत्र 11-1, भाग F: समीक्षा की प्रारंभक घटनाएँ और हस्ताक्षर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
F1	इस वर्ष बेसिन में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक की घटना (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो 2 वर्ष के भीतर समीक्षा देय (खंड 11.11.2)	_____
F2	इस वर्ष सांविधिक भूमि उपयोग योजना संशोधित (हाँ / नहीं) (खंड 11.11.2)	_____
F3	अगली 10-वर्षीय समीक्षा देय (तिथि)	_____
F4	अग्रणी प्राधिकारी का अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

शब्दावली (अंग्रेजी – हिन्दी)

इस मैनुअल में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के हिन्दी रूप नीचे दिए गए हैं; संक्षिप्त रूप (AEP, CN, IDF, HSG, UADD, T&CP, WRD, PHED, RMC, RDA, NRDA, NRANVP, SADA, SUDA, CECB, CGSDMA, GAD, BSP, SECL, NTPC, CSPGCL, BALCO, DGMS, IGKV, CGWA, NGT आदि) अंग्रेजी में ही रखे गए हैं (छत्तीसगढ़ के अधिनियम, नियम और निकाय चालू पाठ में अपने हिन्दी नाम से लिखे जाते हैं — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, नगर पालिक निगम रायपुर), और † चिह्न वाली प्रविष्टियाँ केवल छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा-शैली मध्य प्रदेश की है, जिससे राज्य नवंबर 2000 में बना (शासन, प्राधिकरण, संभाग, विकासखंड, तहसील, कलेक्टर, क्रमांक; बोर्ड के लिए मंडल; भूमि विकास नियम के प्रावधान के लिए नियम N): जहाँ छत्तीसगढ़ का आधिकारिक रूप मध्य प्रदेश संस्करण से मेल खाता है, वहाँ वही रूप है, और झारखंड और बिहार संस्करणों के रूप (प्राधिकार, पदाधिकारी, प्रखंड, अंचल, प्रमंडल, पर्षद, उपविधि N, ज्ञापांक) छत्तीसगढ़ में नहीं आते।

English	हिन्दी
Stormwater	वर्षा जल (stormwater; सीवेज नहीं, मल-जल नहीं, तूफानी पानी नहीं)
Floodwater	बाढ़ का पानी
Stormwater drainage	वर्षा जल निकासी (stormwater drainage)
Stormwater drain / storm water drain (SWD)	वर्षा जल ड्रेन (SWD)
Drain	ड्रेन (drain; स्त्रीलिंग; इस मैनुअल में सदा वर्षा जल की ड्रेन — सीवर अलग शब्द है; नाली (nali) केवल जहाँ अंग्रेजी में nali है)
Nala (natural or cut drainage channel)	नाला (nala; प्राकृतिक या खोदा गया जल निकासी चैनल; ड्रेन से अलग शब्द)
Natural drain; nala; narwa †	प्राकृतिक ड्रेन; नाला; नरवा (natural drain; 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला हर नाला या नरवा खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत प्राकृतिक चैनल है, उसका रखरखाव चाहे कोई भी करे और वह पक्का, पाइप में बंद या ढका हो या नहीं — "whoever maintains it and whether or not it is lined, piped or covered" → उसका रखरखाव चाहे कोई भी करे और वह पक्का, पाइप में बंद या ढका हो या नहीं)। छत्तीसगढ़ में "नाला" प्राकृतिक जलधारा और सीवेज ले जाने वाली बड़ी ड्रेन दोनों के लिए आता है ("In Chhattisgarh the word covers both natural watercourses and large drains that carry sewage" → छत्तीसगढ़ में यह शब्द प्राकृतिक जलधाराओं और सीवेज ले जाने वाली बड़ी ड्रेनों दोनों के लिए आता है): जहाँ अंग्रेजी में nala है वहाँ नाला, जहाँ drain है वहाँ ड्रेन, जहाँ narwa है वहाँ नरवा; "No rule dividing natural nalas from municipal drains was found" → प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला (मध्य प्रदेश संस्करण का वाक्य); "in Raipur a nala is a storm drain, a sewer and a feeder to a treatment plant at once" → रायपुर में एक नाला एक साथ वर्षा जल ड्रेन, सीवर और शोधन संयंत्र का पोषक है; 2018 के निरीक्षण प्रपत्र का "Nalah (Major Drain)" → नाला (प्रमुख नाला) — प्रपत्र का अपना हिन्दी पाठ "क्या नाला (प्रमुख नाला) स्थल के निकट है" (अंग्रेजी उद्धरण का अनुवाद इसी रूप में)
Drainage (the system, the work)	जल निकासी / जल निकासी प्रणाली (drainage)
Drainage area	जल निकासी क्षेत्र (drainage area)

English	हिन्दी
Drain / municipal drain / drains vested in the Corporation (Municipal Corporation Act, 1956, Madhya Pradesh text: ss.193, 198, 199, 204) †	ड्रेन / नगरपालिका ड्रेन (municipal drain) / निगम में निहित ड्रेन — इन धाराओं का छत्तीसगढ़ पाठ इस मैनुअल के लिए पढ़ा नहीं गया; अंग्रेजी उनके मध्य प्रदेश पाठ से उद्धृत करती है, इसलिए हर उद्धरण इस मैनुअल का अनुवाद है, अंग्रेजी मूल कोष्ठक में, और "[TBC]" वैसे ही: धारा 193 "enlarge, arch over, discontinue or close up" → "बड़ा करना, मेहराब से ढकना, बंद करना या समाप्त करना" (वैध उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प सहित; "with a substitute for lawful users" → वैध उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प के साथ) / धारा 198: निगम में निहित ड्रेन के ऊपर बिना अनुमति बना भवन गिराया जा सकता है ("may be pulled down" → गिराया जा सकता है) / धारा 199: सार्वजनिक जल प्रदाय के तालाब से ड्रेनें और शौचालय सौ फुट दूर ("a hundred feet" → सौ फुट) / धारा 204: आयुक्त सीवेज और वर्षा जल के लिए अलग ड्रेनों की अपेक्षा कर सकता है / "into any place, whether within or without the limits of the Corporation" → "निगम की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी भी स्थान में" — मध्य प्रदेश संस्करण की पंक्ति "Sections of the MMC Act cited" के अनुवाद यहाँ भी, केवल अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ का; "cesspool" आए तो सदा मलकूप
Public tanks vest in the Corporation (s.82, Madhya Pradesh text) / tanks vest in the State (Land Revenue Code, s.251) / private talab filled by order †	धारा 82 (मध्य प्रदेश पाठ, छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]): सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग निगम में निहित होते हैं, और निहित तालाब "any other purpose" → "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा (मध्य प्रदेश संस्करण का रूप) / भू-राजस्व संहिता की धारा 251: शीर्षक अंग्रेजी जैसा देवनागरी में हूबहू — "तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना"; "6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण" (स्रोत का हिन्दी उद्धरण; अंग्रेजी "vest in the State from 6 April 1959" → 6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित होते हैं) / "an older sanitary power that runs the other way, under which an owner may be required to fill up a private tank" → एक पुरानी स्वच्छता-शक्ति जो उलटी दिशा में काम करती है, जिसके अंतर्गत किसी स्वामी से निजी तालाब भरवाने की अपेक्षा की जा सकती है; "a private talab can be lost by order" → कोई निजी तालाब आदेश से समाप्त हो सकता है
Dry-weather flow (DWF)	शुष्क मौसम प्रवाह (DWF: वर्षा न होने के समय का प्रवाह, मुख्यतः सीवेज और सलेज)
Design manual	डिजाइन मैनुअल
Manual (this Manual)	मैनुअल (यह मैनुअल; पुल्लिंग)
Guidelines (NDMA, URDPFI)	दिशानिर्देश (guidelines)
Design / designed / designer	डिजाइन / डिजाइन किया गया / डिजाइनकर्ता (designer); नक्शा नहीं, अभिकल्प नहीं
Clause / Clauses	खंड / खंड
Commentary	भाष्य
Note	टिप्पणी
Chapter	अध्याय
Annex / Annexes to Chapter N	परिशिष्ट / अध्याय N के परिशिष्ट
Supplement	अनुपूरक (छत्तीसगढ़ मैनुअल में कोई अनुपूरक नहीं है)
Form	प्रपत्र
Figure / Table	चित्र / तालिका
References / Sources	संदर्भ / स्रोत
Draft v1.0	प्रारूप संस्करण 1.0

English	हिन्दी
Illustrative — not design values	केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं
To be prepared	तैयार किया जाना है
Preserve · Retain · Detain · Convey · Maintain	संरक्षण · प्रतिधारण · अस्थायी भंडारण · वहन · रखरखाव
Retention	प्रतिधारण (retention: अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपवाह को स्थायी रूप से हटाना)
Detention	अस्थायी भंडारण (detention: नियंत्रित आउटलेट के साथ अपवाह का अस्थायी भंडारण)
Required retention volume (RRV)	आवश्यक प्रतिधारण आयतन (RRV)
Retention depth	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)
Retention credit	प्रतिधारण क्रेडिट (retention credit)
Storage / volume	भंडारण (storage) / आयतन (volume)
Runoff	अपवाह (runoff)
Peak discharge / peak flow	चरम प्रवाह दर (peak discharge) / चरम प्रवाह (peak flow)
Discharge (rate of flow) / flow	प्रवाह दर (discharge) / प्रवाह
Discharge (to discharge into a drain, nala, river, talab or lake)	(में) छोड़ना / (में) गिरना (ड्रेन, नाले, नदी, तालाब या झील में; † "which empty into the same nalas" (भिलाई) → जो उन्हीं नालों में गिरती हैं; "carry most of the city's sewage to the Seonath" (दुर्ग के नाले) → शहर का अधिकांश सीवेज शिवनाथ में ले जाते हैं)
Release rate	निकास दर (release rate)
Permissible site discharge (PSD)	साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)
Site storage requirement (SSR)	साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR)
Site / plot	साइट (site) / भूखंड (plot)
Pre-development / post-development	विकास-पूर्व स्थिति / विकास-पश्चात स्थिति
Existing condition	विद्यमान स्थिति
Greenfield	अविकसित खुली भूमि (greenfield)
Development / redevelopment	विकास / पुनर्विकास
Impervious area	अपारगम्य क्षेत्र (impervious area)
Pervious surface	पारगम्य सतह (pervious surface)

English	हिन्दी
New or replaced impervious area	नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र
Land disturbance	भूमि विक्षोभ (land disturbance: सफाई, समतलन, खुदाई, भराई या पक्का करना)
Fill / filling / filling of ponds	भराई (fill) / भरना / तालाबों की भराई
Rainfall depth / intensity	वर्षा की गहराई (mm, rainfall depth) / वर्षा की तीव्रता
Intensity–duration–frequency (IDF)	तीव्रता–अवधि–आवृत्ति (IDF)
Depth–duration–frequency (DDF)	गहराई–अवधि–आवृत्ति (DDF)
Annual exceedance probability (AEP)	वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP)
Return period (e.g. 100-yr) / average recurrence interval (ARI)	पुनरावृत्ति अवधि (return period; जैसे 1% AEP (100-वर्ष)) / औसत पुनरावृत्ति अंतराल (ARI)
Point rainfall / rain gauge	बिंदु वर्षा (point rainfall) / वर्षामापी (rain gauge)
Telemetric rain gauge / automatic weather station (AWS)	टेलीमेट्रिक वर्षामापी / स्वचालित मौसम केंद्र (AWS)
Storm / storm event	वर्षा (storm; तूफान या आँधी नहीं) / वर्षा घटना (storm event)
Burst (of rain) / short intense burst	तीव्र बौछार (burst) / अल्पकालिक तीव्र बौछार
Design rainfall	डिजाइन वर्षा (design rainfall)
Design storm	डिजाइन वर्षा घटना (design storm)
Hyetograph	हायटोग्राफ (वर्षा–समय आलेख)
Hydrograph	हाइड्रोग्राफ (प्रवाह–समय आलेख)
Critical duration	क्रांतिक अवधि (critical duration)
Temporal pattern	वर्षा का कालिक वितरण (temporal pattern)
Alternating block method	ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि (alternating block method)
Areal reduction factor (ARF)	क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक (ARF)
Climate factor (CF)	जलवायु गुणक (CF)
Factor / coefficient	गुणक / गुणांक

English	हिन्दी
South-west monsoon (JJAS)	दक्षिण-पश्चिम मानसून (JJAS: जून–सितंबर)
Monsoon season / pre-monsoon / post-monsoon	मानसून ऋतु / मानसून-पूर्व / मानसून-पश्चात
Onset / withdrawal (of the monsoon)	आगमन (onset) / वापसी (withdrawal)
Rain outside the monsoon / western disturbance / thunderstorm / dust storm	मानसून के बाहर की वर्षा / पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) / गरज के साथ बौछार (thunderstorm) / आँधी (dust storm)
Depression (weather) / deep depression / low-pressure area / monsoon depression	अवदाब (depression) / गहरा अवदाब / कम दबाव का क्षेत्र / मानसून अवदाब (monsoon depression; "मानसूनी अवदाब" या "मानसून का अवदाब" नहीं; "a south-west monsoon depression" → दक्षिण-पश्चिम मानसून का एक अवदाब)
Cyclone / severe cyclonic storm / super cyclonic storm	चक्रवात (cyclone) / प्रचंड चक्रवाती तूफान / महाचक्रवात (super cyclonic storm)
Storms and depressions (IMD weather systems)	चक्रवाती तूफान और अवदाब ("storms and depressions" → चक्रवाती तूफान (storms) और अवदाब; पुल्लिंग) — IMD का "storm" एक मौसम प्रणाली (चक्रवाती तूफान) है, इसलिए यहाँ तूफान ठीक है; वर्षा घटना के अर्थ में storm सदा वर्षा / वर्षा घटना, तूफान कभी नहीं; "चक्रवाती प्रणालियाँ" नहीं
Antecedent moisture condition (AMC)	पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC; अध्याय 2 और 3 में; किसी नगर निगम के अर्थ में नहीं)
Curve number (CN)	कर्व नंबर (CN)
Hydrologic soil group (HSG)	जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG)
Initial abstraction	प्रारंभिक हानि (initial abstraction)
Time of concentration (Tc)	सांद्रण समय (Tc)
Runoff coefficient (C)	अपवाह गुणांक (C)
Rational Method	रेशनल विधि (Rational Method)
Unit hydrograph / synthetic unit hydrograph (SUH)	इकाई हाइड्रोग्राफ (unit hydrograph) / संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (SUH)
Peak rate factor (PRF)	चरम दर गुणक (PRF)
Routing	रूटिंग (प्रवाह-भंडारण गणना)
Continuous simulation	सतत सिमुलेशन (continuous simulation)

English	हिन्दी
Calibration / validation	अंशांकन (calibration) / वैधीकरण (validation)
Model (hydrologic, hydraulic)	मॉडल (model)
Catchment	जलग्रहण क्षेत्र (catchment)
Contributing catchment	योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (contributing catchment)
Uncontrolled catchment	अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र (uncontrolled catchment)
Basin	बेसिन (basin: एक आउटफॉल की ओर बहने वाला क्षेत्र)
Basins and catchments named in the Manual †	महानदी, शिवनाथ, खारुन, अरपा, मनियारी, हसदेव, मांड, केलो, पैरी, इंद्रावती, नारंगी, सबरी, गोदावरी, रिहंद, कन्हार, गोपद, सोन, ईब, ब्राह्मणी, कोटरी, नर्मदा और वैनगंगा के बेसिन — "the Mahanadi basin, 56% of the State" → महानदी बेसिन, राज्य का 56%; "the Wainganga side of Rajnandgaon and Khairagarh" → राजनांदगांव और खैरागढ़ की वैनगंगा की ओर; "the Narmada fringe of Kawardha" → कवर्धा की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी; "the Ib and the Brahmani side of Jashpur" → जशपुर की ईब और ब्राह्मणी की ओर; अध्याय 11 के बेसिन-शीर्ष (खंड 11.3.3; अंग्रेजी की तरह बोल्ड और कोलन): **रायपुर, खारुन: / नवा रायपुर: / दुर्ग और भिलाई: / बिलासपुर, अरपा: / कोरबा, हसदेव: / रायगढ़, केलो: / जगदलपुर, इंद्रावती:** — परिशिष्ट 11B की तालिका में वही नाम बिना बोल्ड और कोलन, निकायों के साथ; "the four catchments of the four main streams of the Naya Raipur Development Plan-2031" → नया रायपुर विकास योजना-2031 की चार मुख्य धाराओं के चार जलग्रहण क्षेत्र; "No basin delineation has been published for any Chhattisgarh city" → छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर का बेसिन सीमांकन प्रकाशित नहीं हुआ है
Flood-sensitive catchment	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (flood-sensitive catchment)
Upstream / downstream	प्रतिप्रवाह (upstream) / अनुप्रवाह (downstream)
Downstream analysis / analysis point	अनुप्रवाह विश्लेषण / विश्लेषण बिंदु (analysis point)
Tailwater	टेलवाटर (tailwater: आउटफॉल के अनुप्रवाह की ओर का जल स्तर)
Tide / high tide / low tide	ज्वार-भाटा (tide) / ज्वार / भाटा (तटीय शब्द; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
Spring tide / neap tide	वृहत् ज्वार (spring tide) / लघु ज्वार (neap tide)
Tide-locked outfall	ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल (tide-locked outfall)
River-locked outfall / lake-locked outfall	नदी से अवरुद्ध आउटफॉल (river-locked outfall: नदी ऊँची होने पर गुरुत्व से पानी नहीं छोड़ सकता — अध्याय 5 और परिशिष्ट 5 की साझा पंक्तियों का रूप; पहले की पंक्ति का "नदी के जल स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल" पाठ में कहीं प्रयुक्त नहीं) / झील के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल (lake-locked outfall) / † **तालाब के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल** (talab-locked outfall: खंड 7.2 के बाद की परिभाषा — तालाब, झील या जलाशय में ऐसा ड्रेन आउटफॉल जो पानी के FTL या अतिप्रवाह स्तर पर या उससे ऊपर रहते मुक्त रूप से नहीं छोड़ सकता) / † बैराज के जलाशय के आउटफॉल (barrage-pond outfalls; "barrage pond" → बैराज का जलाशय — मोंगरा, अरपा भैंसाझार, दर्री और महानदी के बैराज)
River stage / stage hydrograph	नदी का जल स्तर (river stage) / जल स्तर–समय आलेख (stage hydrograph)
Storm surge / surge	तूफानी महोर्मि (storm surge)
Sea-level allowance (SLA)	समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (SLA; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)

English	हिन्दी
MHWS / HAT	वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) / उच्चतम खगोलीय ज्वार (HAT)
Astronomical tide	खगोलीय ज्वार (astronomical tide)
Extreme sea level (ESL)	चरम समुद्र स्तर (ESL)
Outfall	आउटफॉल (outfall: जहाँ ड्रेन का पानी अंत में गिरता है)
Gated outfall / pumped outfall / gravity outfall / regulated outfall	गेटयुक्त आउटफॉल (gated outfall) / पंप द्वारा संचालित आउटफॉल (pumped outfall) / गुरुत्व आउटफॉल (gravity outfall) / रेगुलेटरयुक्त आउटफॉल (regulated outfall)
Outlet / inlet	आउटलेट (निकास) / इनलेट (प्रवेश)
Flap gate / tide gate	फ्लैप गेट (एकदिशी गेट) / ज्वार-रोधी गेट (tide gate)
Gate (of a regulator, barrage, sluice or outfall)	गेट (gate)
Crest gate / sluice gate	क्रेस्ट गेट (crest gate) / स्लूइस गेट (sluice gate)
Non-return valve	नॉन-रिटर्न वाल्व (उलटा प्रवाह रोकने वाला वाल्व)
Backflow (from the river into a drain)	उलटा प्रवाह (backflow: नदी से ड्रेन में)
Sand bar / sand spit / lagoon mouth	रेत अवरोध (sand bar) / रेत जिह्वा (sand spit) / लैगून मुख (तटीय शब्द)
Minor system / major system	लघु प्रणाली (minor system) / प्रमुख प्रणाली (major system)
Major drain	प्रमुख ड्रेन (major drain)
Trunk drain	ट्रंक ड्रेन (trunk drain)
Overland flow path	सतही प्रवाह मार्ग (overland flow path)
Spread (street)	सड़क पर पानी का फैलाव (spread, T)
Kerb inlet / grate inlet / gully pit	कर्ब इनलेट / जाली इनलेट (grate inlet) / गली पिट (gully pit)
Clogging factor	अवरोध गुणक (clogging factor)
Hydraulic grade line (HGL)	हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL)
Manhole / access chamber	मैनहोल / निरीक्षण कक्ष (access chamber)
Culvert	पुलिया (culvert)
Pipe / box drain	पाइप (pipe) / बॉक्स ड्रेन (box drain)
Open channel / channel	खुला चैनल (open channel) / चैनल (channel)

English	हिन्दी
Open drain / covered drain	खुली ड्रेन / ढकी ड्रेन (covered drain: ऊपर स्लैब, उस पर फुटपाथ)
Side drain (road) / roadside drain	सड़क किनारे की ड्रेन (side drain, roadside drain)
Cross drain / cross-drainage works	क्रॉस ड्रेन (cross drain) / क्रॉस-ड्रेनेज कार्य (cross-drainage works)
Waterlogging / waterlogging spot / waterlogged	जलभराव (waterlogging) / जलभराव स्थल / जलभराव से ग्रस्त (waterlogged; जलमग्न नहीं — जलमग्न = inundated, flooded) — † छत्तीसगढ़ संस्करण में भी जलभराव (पुनः प्रयुक्त पंक्तियों का रूप; जलजमाव नहीं); "11 road stretches that flood two or three times a year" (नगर पालिक निगम रायपुर, 2015) → सड़क के 11 हिस्से जिनमें वर्ष में दो-तीन बार बाढ़ आती है; "the waterlogging of Raipur on 5–6 July 2026" → 5–6 जुलाई 2026 को रायपुर में जलभराव; "were waterlogged" → जलभराव से ग्रस्त हुए
Canal / irrigation canal / drainage channel	नहर (canal; nahar) / सिंचाई नहर / जल निकासी चैनल (drainage channel)
Freeboard	फ्रीबोर्ड (अतिरिक्त ऊँचाई)
Silt trap / sediment / silt	गाद-जाल (silt trap) / तलछट (sediment) / गाद (silt)
Trash rack / screen	कचरा-रोधी जाली (trash rack) / जाली (screen)
Orifice / weir	ऑरिफिस (छिद्र) / वियर (weir)
Dams, reservoirs and barrages named in the Manual †	**डैम** (dam; संरचना) और **जलाशय** (reservoir; रुका जल) — साझा नियम: dam = डैम, बाँध केवल bund/bandh (समाचार माध्यम "गंगरेल बांध" लिखते हैं, इस मैनुअल में गंगरेल डैम) / **बैराज** (barrage; साझा रूप — छत्तीसगढ़ के समाचार माध्यमों का "बराज" नहीं) / **गंगरेल डैम** (Gangrel; महानदी पर, धमतरी) और उसका जलाशय **रविशंकर सागर** (Ravishankar Sagar; "R.S. Sagar" रोमन वैसे ही; "Ravishankar Sagar (Gangrel) reservoir" → रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय; "all 14 gates of Gangrel were opened" → गंगरेल के सभी 14 गेट खोले गए) / **मिनीमाता बांगो डैम** (Minimata Bango; "Hasdeo Bango" → हसदेव बांगो; हसदेव पर, कोरबा; "Bango" अकेला → बांगो) / **दर्री बैराज** (Darri; "the Hasdeo barrage at Darri" → दर्री पर हसदेव बैराज; "the Darri (Hasdeo) barrage" → दर्री (हसदेव) बैराज) / **मोंगरा बैराज** (Mongra; शिवनाथ पर; WRD की गेज रिपोर्ट का "Mogra" → मोगरा, केवल Names अनुच्छेद में) / **अरपा भैंसाझार बैराज** (Arpa Bhaisajhar; "Bhaisajhar" → भैंसाझार; वर्तनी सत्यापित नहीं, रोमन कोष्ठक सहित) / **खारंग जलाशय** (Kharang; "Kharang (Khutaghat)" → खारंग (खूंटाघाट); वर्तनी सत्यापित नहीं) / **मनियारी डैम** (Maniyari dam, मनियारी नदी (Maniari) पर — दोनों अंग्रेजी वर्तनियाँ एक ही हिन्दी, रोमन कोष्ठक से अलग जहाँ दोनों साथ आएँ) / **केलो डैम** (Kelo dam; रायगढ़ के ऊपर) / कुम्हारी और पेंड्रावन जलाशय (Kumhari, Pendrawan; रायपुर जिला; वर्तनी सत्यापित नहीं) / महानदी के बैराज: समोदा (Samoda), शिवरीनारायण (Seorinarayan), बसंतपुर (Basantpur), मिरौनी (Mirauni), साराडीह (Saradiha), कलमा (Kalma) — "the barrages on the Mahanadi from Samoda to Kalma" → समोदा से कलमा तक महानदी के बैराज (वर्तनियाँ सत्यापित नहीं, प्रत्येक फाइल में पहली बार रोमन सहित) / **हीराकुंड जलाशय** (Hirakud; ओडिशा में; "the Hirakud backwater" → हीराकुंड का बैकवाटर, † पंक्ति देखें) / इंद्रावती पर ओडिशा के डैम ("the dams on the Indravati in Odisha" → ओडिशा में इंद्रावती के डैम) / **कोपरा जलाशय** (Kopra Jalashay; नाम में जलाशय, इसलिए "Kopra Jalashay reservoir" नहीं लिखें; † रामसर पंक्ति देखें) — "spillways designed for 24,000 m^3/s and 19,820 m^3/s" → 24,000 m^3/s और 19,820 m^3/s के लिए डिजाइन किए गए स्पिलवे; CWC का *National Register of Large Dams* (2009) → CWC का बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर (शीर्षक संदर्भों में अंग्रेजी में)
Riser (outlet structure)	राइजर (खड़ी आउटलेट संरचना)
Emergency spillway / spillway	आपातकालीन स्पिलवे (emergency spillway) / स्पिलवे (spillway)

English	हिन्दी
Embankment (river, flood)	तटबंध (embankment; नदी या बाढ़ तटबंध) — तालाब या झील का बाँध bund है (बाँध), डैम dam
Bund (bandh)	बाँध (bund; परिशिष्ट 7E में bandh: "embankment; dam"; डैम के लिए डैम लिखें)
Dabri; bandh; kund (definitions after Clause 7.2) †	**डबरी** (dabri: खेत या गाँव का खोदा गया छोटा तालाब; स्त्रीलिंग; बहुवचन डबरियाँ, तिर्यक डबरियों; शब्दसागर का अर्थ उद्धरण में हूबहू "छोटा गड्ढा या ताल" — अंग्रेजी "a small pit or pond" उसका अनुवाद है, इसलिए हिन्दी में केवल शब्दसागर का पाठ, अंग्रेजी कोष्ठक में; "its storage is never counted as design storage" → उसका भंडारण कभी डिजाइन भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता) / **बाँध** (bandh: तटबंध या डैम, और रायपुर में महाराजबंध और तेलीबांधा जैसे बाँधयुक्त तालाबों का नाम; पुल्लिंग; "a bandh is a tank under Clause 7.2 and its bund a tank bund" → बाँध (bandh) खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब है और उसका तटबंध तालाब का बाँध (tank bund); "it also means a strike or shutdown in everyday speech" → रोजमर्रा की बोली में इसका अर्थ हड़ताल या बंद भी है) / **कुंड** (kund: छोटा बँधा हुआ या दीवार से घिरा तालाब; पुल्लिंग; शब्दसागर का अर्थ उद्धरण में हूबहू "छोटा बँधा हुआ जलाशय । बहुत छोटा तालाब ।") — परिभाषा-शीर्ष "Dabri; bandh; kund" → डबरी; बाँध; कुंड
Dam / check dam	डैम (dam) / चेक डैम (check dam)
Drawdown time	खाली होने का समय (drawdown time)
Pump / sump / wet well	पंप / संप / वेट वेल (wet well)
Permanent pump / portable pump / mobile pump	स्थायी पंप / पोर्टेबल पंप (portable pump) / मोबाइल पंप (mobile pump)
Pumping station / drainage pumping station	पंपिंग स्टेशन (pumping station) / जल निकासी पंपिंग स्टेशन
Storm water pumping station (SWPS)	वर्षा जल पंपिंग स्टेशन (SWPS)
Tank (talab) †	**तालाब** (talab; tank) — छत्तीसगढ़ मैनुअल का local_tank_term (local_tank_term = talab, बहुवचन talabs), मध्य प्रदेश संस्करण का नियम: पुल्लिंग ("तालाब भरता है", "तालाब का बाँध"); बहुवचन तालाब, तिर्यक तालाबों; "tank (talab)", "tanks (talabs)" → तालाब (talab); "talabs" → तालाब; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार तालाब (talab); परिभाषा तालिका का "Talab (तालाब)" → तालाब (talab)। अकेला "tank" भी साझा नियम के अनुसार तालाब — जहाँ अंग्रेजी tank और talab को एक ही वाक्य में अलग शब्दों की तरह रखती है वहाँ रोमन कोष्ठक से अलग करें (तालाब (tank), तालाब (talab)), जैसा पुनः प्रयुक्त पंक्तियाँ लिखती हैं; अकेला "pond" → तालाब (pond), सूचियों में साझा पोखर; "ponds" (समाचार, NGT: "five ponds in one colony", "130 ponds") → तालाब; टैंक केवल निर्मित टंकी के लिए (सेप्टिक टैंक, RWH टैंक, भूमि विकास नियम के परिशिष्ट ढ-4 की "भूमिगत जल भंडार टंकी" → भूमिगत भंडारण टंकी); जोहड़, आहर, डोभा, पोखर (मुख्य शब्द के रूप में) नहीं
Tank (in the shared chapters)	तालाब (tank; टैंक नहीं) — "(tank)" प्रत्येक अनुच्छेद में केवल पहली बार; उसी अनुच्छेद में आगे केवल तालाब; बहुवचन अंग्रेजी जैसा: तालाब (tanks), तालाबों (tanks)
Lake / jheel	झील (lake; jheel); नामों में प्रचलित हिन्दी नाम रखें
Lake / the lakes and reservoirs of Nava Raipur Atal Nagar †	झील (lake; स्त्रीलिंग) — **नवा रायपुर अटल नगर की झीलें और जलाशय** ("a network of some 55 lakes and reservoirs" → लगभग 55 झीलों और जलाशयों का जाल; "55 of them as reported" → प्रकाशित खबरों के अनुसार उनमें से 55): सेंध (Sendh), झांझ (Jhanjh; "the Jhanjh wetland" → झांझ आर्द्रभूमि) और खंडवा (Khandawa) — "the Sendh, Jhanjh and Khandawa lakes" → सेंध, झांझ और खंडवा झीलें (वर्तनियाँ सत्यापित नहीं, रोमन कोष्ठक सहित); "the parks ... as storm water carriers" → उद्यान ... "storm water carriers" के रूप में → "वर्षा जल वाहक" ("storm water carriers"); "into dug up or natural lakes/ depressions, from the storm water drainage system" → "वर्षा जल निकासी प्रणाली से खोदी गई या प्राकृतिक झीलों/ गर्तों में" ("into dug up or natural lakes/ depressions, from the storm water drainage system") — "the city's lakes" → शहर की झीलें
Pond	तालाब (pond) / पोखर (pokhar)

English	हिन्दी
Talab / dabri / dabra / kund / bandh / nala / narwa / nali / anicut / nistar (Chhattisgarh terms) †	**तालाब** (talab; पुल्लिंग; जैसे रायपुर का बूढ़ा तालाब) / **डबरी** (dabri; ऊपर की पंक्ति) / **डबरा** (dabra: छिछला लंबा गड्ढा या नीची गीली भूमि; पुल्लिंग; केवल परिशिष्ट 7E में) / **कुंड** (kund) / **बाँध** (bandh) / **नाला** (nala) / **नरवा** (narwa: नाला; राज्य के नरवा–गरुवा–घुरुवा–बारी कार्यक्रम का धारा-शब्द, प्रकाशित खबरों के अनुसार; पुल्लिंग; बहुवचन नरवे; "Narwa–Garuwa–Ghuruwa–Bari programme" → नरवा–गरुवा–घुरुवा–बारी कार्यक्रम, en dash वैसे ही) / **नाली** (nali; स्त्रीलिंग; केवल जहाँ अंग्रेजी nali लिखती है) / **एनीकट** (anicut: नदी के आर-पार बना वियर; पुल्लिंग; "an anicut (a weir across a river)" → एनीकट (नदी के आर-पार वियर); "the anicut at Mahadev Ghat" → महादेव घाट का एनीकट) / **निस्तार** (nistar; † पंक्ति देखें) — अंग्रेजी के इटैलिक (*talab*, *dabri*, *kund*, *bandh*, *nala*, *narwa*, *nali*, *anicut*, *nistar*) हिन्दी में देवनागरी शब्द पर रखें; मुख्य-पाठ का शब्द-वाक्य: "Hindi and Chhattisgarhi terms used in the text, such as *talab* (तालाब, …)" → पाठ में प्रयुक्त हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्द, जैसे *तालाब* (talab; …) — देवनागरी आगे, रोमन कोष्ठक में, पहले के संस्करणों की तरह
Kanhar; dorsa; matasi; bhata (definitions after Clause 7.2; Table 7E.4) †	**कन्हार** (kanhar: निचली भूमि की गहरी काली दरारदार चिकनी मिट्टी, Vertisol; स्त्रीलिंग के अर्थ में "कन्हार मिट्टी" — शब्द स्वयं पुल्लिंग: "कन्हार पर कोई अंतःस्यंदन सुविधा नहीं"; नदी कन्हार (Kanhar river, उत्तर में) अलग: कन्हार नदी) / **डोरसा** (dorsa: निचले ढलान की चिकनी दोमट, Alfisol) / **मटासी** (matasi: मध्य ढलान की रेतीली से गादयुक्त दोमट, Inceptisol) / **भाठा** (bhata: ऊँची भूमि की 30 cm से कम पतली कंकरीली मिट्टी, मुरम या फेरीक्रीट पर, Entisol) — "from the lowest ground to the highest" → सबसे निचली भूमि से सबसे ऊँची तक; "from the ridges to the valley floors" → ढलान के शिखरों से घाटी-तलों तक; "cracked kanhar fallow" → दरारदार कन्हार परती; "bunded paddy" → मेड़बंद धान; "paddy lowland" → धान की निचली भूमि; "puddled paddy" → मचाया हुआ धान (puddled paddy); Vertisol, Alfisol, Inceptisol, Entisol, Typic Haplustert रोमन में; "no dictionary source was found for *matasi*, *dorsa* or *kanhar* in this sense" → इस अर्थ में *मटासी*, *डोरसा* या *कन्हार* का कोई शब्दकोश-स्रोत नहीं मिला; "*bhata* is given only as stony ground" → *भाठा* केवल पथरीली भूमि के रूप में मिलता है; "Local names do not map one-to-one onto soil taxonomy" → स्थानीय नाम मृदा वर्गीकरण से एक-एक करके मेल नहीं खाते
"Chhattisgarh terms." (label after Clause 7.2) / Chapter 7 Disclosure and its list heads †	**छत्तीसगढ़ के शब्द.** ("The following terms are used in this chapter in addition to those above (see also Annex 7E):" → इस अध्याय में ऊपर के शब्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त हैं (परिशिष्ट 7E भी देखें):) / **प्रकटन.** (Disclosure.) और उसके बोल्ड अंश और सूची-शीर्ष: **जल से मीटर में कोई पुष्ट सांविधिक सेटबैक नहीं** (no confirmed statutory setback in metres from water) / **उच्चतम जल चिह्न से 9 m और, किसी प्रमुख जलमार्ग के लिए, औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 m या परिभाषित सीमा से 15 m, जो भी अधिक हो / छत्तीसगढ़ का पाठ ये दूरियाँ रखता है या नहीं, इसकी पुष्टि होनी है [TBC] / उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m / कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून, कोई अधिसूचित बाढ़ जोन और किसी नदी के डूब क्षेत्र का WRD द्वारा कोई सीमांकन नहीं मिला / 15 m न्यूनतम / इस मैनुअल द्वारा निर्धारित / इस मैनुअल का प्रस्ताव, कोई सांविधिक चौड़ाई या नियम नहीं / कॉरिडोर और किसी भी सांविधिक, योजना, आर्द्रभूमि या न्यायालयी रेखा में से बड़ा / कानून से अधिक कठोर** (stricter than statute) / **भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 50 (विरासत में मिला पाठ; छत्तीसगढ़ का पाठ [TBC]). / WRD का उच्च बाढ़ बिंदु और अनापत्ति. / निवेश कानून में नदियाँ, जलाशय और प्राकृतिक ड्रेनें. / आर्द्रभूमियाँ और कोपरा. / राजस्व अभिलेखों में तालाब. / WRD, खदान और राखड़ बाँध की रेखाएँ.** (WRD, mine and ash-dyke lines.) — रोमन "CGBVN 1984" कभी नहीं; बोल्ड के भीतर का पूर्ण विराम ASCII
Talab (definition after Clause 7.2) / recorded talab / "recorded as a pond, a water body" †	तालाब ("Talab (तालाब)" → तालाब (talab); परिभाषा में प्लैट्स का अंग्रेजी अर्थ उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, हिन्दी अनुवाद सहित, और शब्दसागर का पाठ हूबहू "जलाशय । सरोवर । पोखरा" — अंग्रेजी जो देवनागरी देती है वह वैसी ही) / **अभिलिखित तालाब** (recorded talab; इस मैनुअल की परिभाषा: राजस्व अभिलेखों, स्थानीय निकाय के अभिलेखों, किसी विकास योजना, T&CP की स्थल रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की सूची, या किसी न्यायालय या NGT के समक्ष दाखिल सूची में दर्शाया गया तालाब, बाँध, डबरी, कुंड, झील या जलाशय; "including under a sanitary power of a Municipal Act" → किसी नगरपालिका अधिनियम की स्वच्छता-शक्ति के अंतर्गत भी) / "recorded as a pond, a water body" (राजस्व अभिलेख; NGT) → "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" — "spill level" → अतिप्रवाह स्तर; "spill path" → अतिप्रवाह मार्ग; "spills to a nali, a nala or low ground" → किसी नाली, नाले या निचली भूमि में उफनता है; "surplus weir" → अतिरिक्त जल वियर (surplus weir)
Kund (temple or village pool)	कुंड (kund)
Tank cascade	तालाब शृंखला (tank cascade)

English	हिन्दी
Bund / tank bund	बाँध (bund) / तालाब का बाँध (tank bund)
Outer (protective) bund	बाहरी (सुरक्षा) बाँध (outer / protective bund)
Top bund level (TBL)	बाँध का शीर्ष स्तर (TBL)
Surplus weir	सरप्लस वियर (surplus weir: तालाब भरने पर अतिरिक्त पानी निकालने वाला वियर; overflow)
Tank surplussing (spilling over the surplus weir or to the street)	तालाब का उफनना (surplussing)
Sluice / sluice gate / sluice regulator / vented sluice	स्लूइस (sluice) / स्लूइस गेट / स्लूइस रेगुलेटर / वेंटयुक्त स्लूइस (vented sluice)
Sill (of a sluice) / sluice barrel / sluice rating	सिल (sill: स्लूइस का तल स्तर) / स्लूइस बैरल / स्लूइस का हेड–प्रवाह दर संबंध (sluice rating)
Regulator / barrage	रेगुलेटर (regulator; पुल्लिंग) / बैराज (barrage)
River-locked outfalls / reservoir, barrage and talab outfalls / the local gauge at Jagdalpur / rivers below dams and barrages / the Hirakud backwater / mine voids and ash ponds (Clause 5.8.5) †	5.8.5 का बोल्ड शीर्ष: **नदी से अवरुद्ध आउटफॉल, जलाशय, बैराज और तालाब के आउटफॉल, डैमों और बैराजों के नीचे की नदियाँ, हीराकुंड का बैकवाटर, खदान के गड्ढे और ऐश पॉन्ड, WRD की सम्मति, और नहरों और अन्य निकायों की ड्रेनों में निस्सरण.** / उप-शीर्ष: **नदी से अवरुद्ध आउटफॉल.** / **डिजाइन नदी स्तर.** / **बिना गेज स्तर वाली नदियाँ.** / **जगदलपुर का स्थानीय गेज.** (The local gauge at Jagdalpur.) / **10% AEP स्तर.** / **टेलवाटर.** / **नदी अवरोध.** / **गेट की विफलता और कटाव.** / **जलाशय, बैराज के जलाशय और तालाब के आउटफॉल.** / **सम्मति.** / **डिजाइन स्तर.** / **नामित जलाशय और बैराज.** / **बंद आउटफॉल.** / **डैमों और बैराजों के नीचे की नदियाँ.** / **हीराकुंड का बैकवाटर.** / **खदान के गड्ढे, ऐश पॉन्ड और चालू खदानें.** / **डिजाइन आउटफॉल नहीं.** / **चालू खदान में कोई जल निकासी नहीं.** / **जहाँ सम्मति दी गई है.** / **राखड़ बाँध का टूटना.** (Ash-dyke breach.) / **खनन से विक्षुब्ध भूमि.** / **WRD की सम्मति; योजना, आर्द्रभूमि और न्यायालय की रेखाएँ.** / **WRD के चैनल, सिंचाई नहरें और अन्य निकायों की ड्रेनें.** — **No tidal outfalls in Chhattisgarh.** → **छत्तीसगढ़ में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं.**; "the highest recorded level at the nearest CWC gauge on the same river, transferred to the outfall" → उसी नदी पर निकटतम CWC गेज का अभिलिखित उच्चतम स्तर, आउटफॉल तक स्थानांतरित; "as transcribed from CWC's data" → CWC के आँकड़ों की प्रतिलिपि के अनुसार; "none read in a CWC site sheet" → किसी को भी CWC स्थल-पत्रक में नहीं पढ़ा गया
Supply channel (feeder channel, nala or nahar)	आपूर्ति चैनल (supply channel, feeder channel)
Surplus course	अतिरिक्त जल मार्ग (surplus course)
Primary / secondary / tertiary drain	प्राथमिक / द्वितीयक / तृतीयक ड्रेन (primary / secondary / tertiary drain)
Anicut	एनीकट (anicut)
Full tank level (FTL) / maximum water level (MWL)	तालाब का पूर्ण जल स्तर (FTL) / अधिकतम जल स्तर (MWL)
Full reservoir level (FRL)	जलाशय का पूर्ण जल स्तर (FRL)

English	हिन्दी
Levels in feet (Hirakud 628.5 ft) / datum not stated / local gauge readings †	फुट में बताए गए स्तर वैसे ही, मीटर में नहीं बदले जाते, सिवाय जहाँ अंग्रेजी स्वयं मीटर मान देती है ("not below 628.5 ft (about 191.6 m, as reported)" → 628.5 ft (प्रकाशित खबरों के अनुसार लगभग 191.6 m) से नीचे नहीं) / "No source read states the datum of either set" → पढ़े गए किसी स्रोत में किसी भी समूह का डेटम नहीं बताया गया; "levels are quoted as reported [TBC]" → स्तर प्रकाशित खबरों के अनुसार उद्धृत हैं [TBC]; "no level on a stated datum found" → किसी बताए गए डेटम पर कोई स्तर नहीं मिला / जगदलपुर के स्थानीय गेज के पाठ्यांक: "12.56 m, "4.26 metres above the danger mark"" → 12.56 m, "खतरे के निशान से 4.26 मीटर ऊपर" ("4.26 metres above the danger mark"); "treats the local gauge as an alert level only" → स्थानीय गेज को केवल सतर्कता स्तर मानता है; "544.891 m" और तीन दशमलव वाले WRD के FRL ("348.700 m", "302.000 m") अंक वैसे ही
Waterspread	जल-फैलाव क्षेत्र (waterspread)
Foreshore	तालाब का अग्रतट (foreshore: FTL और MWL के बीच की भूमि)
Tank bed	तालाब का तल (tank bed)
Revenue boundary (of a tank)	तालाब की राजस्व सीमा
Command area	कमान क्षेत्र (command area)
Top of bank	किनारे का शीर्ष (top of bank)
Flood / the floods and storms named in the Manual †	बाढ़ (flood) / 4 अगस्त 1910 को रायपुर (वेधशाला) में 370.3 mm ("the city's record" → शहर का रिकॉर्ड; "the same storm gave Kurud 381.0 mm and Arang 318.0 mm" → उसी वर्षा घटना में कुरुद में 381.0 mm और आरंग में 318.0 mm); 21 सितंबर 1965 को राजनांदगांव में 392.0 mm; 12 अगस्त 2004 को कोरबा में 358.0 mm; 15 जून 2004 को दुर्ग में 337.0 mm; 30 जून 2007 को रायपुर (वेधशाला) में 297.0 mm और माना (A) में 273.0 mm; 8 अक्तूबर 1994 को पेंड्रा रोड में 228.1 mm; 1 अक्तूबर 1961 को अंबिकापुर में 206.0 mm; 11 मई 1990 को बैलाडीला में 207.0 mm / "Bay depressions" → बंगाल की खाड़ी के अवदाब; "100 storms and depressions that affected the State from 1891 to 2014" → 1891 से 2014 तक राज्य को प्रभावित करने वाले 100 चक्रवाती तूफान और अवदाब (साझा: वर्षा घटना के अर्थ में storm तूफान नहीं) / **सितंबर 2026 की राज्यव्यापी बाढ़** ("eight people were reported dead, about 16,000 rescued and more than 22,000 affected in 571 villages" → प्रकाशित खबरों के अनुसार आठ लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 16,000 लोगों को बचाया गया और 571 गाँवों में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए; "the Kharun overflowed at Mahadev Ghat" → खारुन महादेव घाट पर उफनी) / जुलाई 2026, बिलासपुर ("28 cm in a day; another report put it at 415.6 mm, and IMD has confirmed neither" → एक दिन में 28 cm; एक अन्य रिपोर्ट ने इसे 415.6 mm बताया, और IMD ने दोनों में से किसी की पुष्टि नहीं की) / 4–5 जुलाई 2026, रायपुर (चौबे कॉलोनी; फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास) / अगस्त 2024, कोरबा (बांगो और दर्री से पानी छोड़ा गया) / अगस्त 2020, महानदी और खारुन / अगस्त 2025 की बस्तर की बाढ़ ("had killed eight people, as reported" → प्रकाशित खबरों के अनुसार आठ लोगों की जान गई थी) / 26 सितंबर 2026, इंद्रावती, जगदलपुर (544.891 m) / 1994 ("21 of the State's 27 districts had excessive rain" → राज्य के 27 में से 21 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई)
Floodway / flood fringe	बाढ़ मार्ग (floodway) / बाढ़ सीमांत क्षेत्र (flood fringe)
Floodplain / floodplain zoning	डूब क्षेत्र (floodplain) / डूब क्षेत्र का जोनिंग (floodplain zoning)

English	हिन्दी
Lines set by the rules, the plans, the Wetland Authority and the courts in Chhattisgarh: Rule 50(b) distances / WRD high flood point / wetland 50 m line / NRDA road levels †	**नियम 50(b) की दूरियाँ** (विरासत में मिला 1984 का पाठ, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित; छत्तीसगढ़ का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]) — मध्य प्रदेश संस्करण के अनुवाद: "9 meters from average high flood mark or 15 meters from the defined boundary of water course, whichever is more" → "औसत उच्च बाढ़ चिह्न से 9 मीटर या जलमार्ग की परिभाषित सीमा से 15 मीटर, जो भी अधिक हो"; "within a distance of 9 meters of the highest water mark" → "उच्चतम जल चिह्न से 9 मीटर की दूरी के भीतर" (अंग्रेजी मूल कोष्ठक में; "meters" उद्धरण में मीटर) / "the highest water mark" → उच्चतम जल चिह्न; "average high flood mark" → औसत उच्च बाढ़ चिह्न; "high flood mark" → उच्च बाढ़ चिह्न — तीनों HFL (उच्चतम बाढ़ स्तर) से अलग; "a site that is not properly drained or is incapable of being well drained" (नियम 50(f)) → ऐसा स्थल जिसकी उचित जल निकासी नहीं है या जिसकी अच्छी जल निकासी संभव नहीं / **WRD का उच्च बाढ़ बिंदु** (high flood point; T&CP की 2011 की चेकलिस्ट का शब्द — जहाँ अंग्रेजी चेकलिस्ट का अनुवाद उद्धृत करे वहाँ मूल हिन्दी हूबहू: "जल संसाधन विभाग से उच्च बाढ़ बिन्दु की जानकारी" (बिन्दु स्रोत की वर्तनी), चालू पाठ में उच्च बाढ़ बिंदु) / **आर्द्रभूमि की 50 m रेखा** ("the 50 m from the highest flood level of the Wetlands Rules" → आर्द्रभूमि नियमों की उच्चतम बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा; नियमों का "mean high flood level" → औसत उच्च बाढ़ स्तर; "applied ... to wetlands of more than 2.25 ha as "deemed" wetlands" → 2.25 ha से बड़ी आर्द्रभूमियों पर "मानित" ("deemed") आर्द्रभूमियों के रूप में लागू) / नया रायपुर विकास योजना-2031: "safe against 100 yrs frequency flood" → "100 वर्ष की आवृत्ति की बाढ़ से सुरक्षित"; "at least 0.5 to 1.0 m above the observed high flood level" → "प्रेक्षित उच्च बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 से 1.0 m ऊपर" / "waterway line" → जलमार्ग रेखा; "The waterway line was never confirmed." (बोल्ड) → **जलमार्ग रेखा की कभी पुष्टि नहीं हुई।**
Flood storage	बाढ़ भंडारण
1% AEP flood extent / flood level	1% AEP बाढ़ का विस्तार / बाढ़ जल स्तर
Flood line / flood map	बाढ़ रेखा (flood line) / बाढ़ मानचित्र
Setback / buffer	सेटबैक (छोड़ी जाने वाली दूरी) / बफर (सुरक्षा पट्टी)
Zone 1 / Zone 2	जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन) / जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)
Statutory clearances / statutory distances	सांविधिक दूरियाँ (statutory clearances)
Compensatory storage	प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage)
Flood cushion	बाढ़ कुशन (FTL से नीचे खाली रखा गया भंडारण)
Water quality volume (WQv)	जल गुणवत्ता आयतन (WQv)
Water quality rainfall depth / design flow	जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई (P_wq) / जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह (Q_wq)
Treatment train	उपचार शृंखला (treatment train)
Bioretention / rain garden	बायोरिटेंशन (पौधों और मिट्टी से पानी छानने वाला गड्ढा) / वर्षा उद्यान (rain garden)
Swale	स्वेल (घास से ढका उथला चैनल, swale)
Grass filter strip / bio-swale	घास फिल्टर पट्टी (filter strip) / बायो-स्वेल (bio-swale)
Permeable pavement	पारगम्य पेवमेंट (permeable pavement)
Infiltration trench	अंतःस्यंदन खाई (infiltration trench)

English	हिन्दी
Constructed wetland	निर्मित आर्द्रभूमि (constructed wetland)
Gross pollutant trap (GPT)	स्थूल प्रदूषक जाल (GPT)
Infiltration / recharge	अंतःस्यंदन (infiltration) / भूजल पुनर्भरण (recharge)
Groundwater / seasonal high groundwater table / shallow water table / groundwater separation / groundwater-clearance check	भूजल / मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (seasonal high groundwater table) / उथला भूजल स्तर / भूजल से दूरी (groundwater separation; खंड 8.8.1) / **भूजल से दूरी की जाँच** (groundwater-clearance check; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में; "Groundwater clearance first" → पहले भूजल से दूरी की जाँच; "a groundwater check shows" → भूजल से दूरी की जाँच दर्शाए) — एक ही रूप; "भूजल दूरी की जाँच" या "भूजल से पर्याप्त दूरी" नहीं
Rainwater harvesting (RWH)	वर्षा जल संचयन (RWH)
Percolation pit / recharge bore / recharge trench	अंतःस्रवण गड्ढा (percolation pit) / पुनर्भरण बोर (recharge bore) / पुनर्भरण खाई (recharge trench)
Rainwater storage tank	वर्षा जल भंडारण टैंक
Sewage cross-connection / points where sewage enters storm drains / points where storm water enters sewers	सीवेज का अवैध जुड़ाव (cross-connection) / वे बिंदु जहाँ सीवेज वर्षा जल ड्रेन में मिलता है / वे बिंदु जहाँ वर्षा जल सीवर में जाता है
Sewage in the nalas and rivers / diversion weirs / cross-connection †	नालों में सीवेज: "through eight big canals" (रायपुर का सीवेज खारुन तक; समाचार) → "आठ बड़ी नहरों के माध्यम से" ("through eight big canals"; उद्धरण में canals → नहरें, जैसा स्रोत; अन्यत्र अंग्रेजी "eight large nalas" → आठ बड़े नाले) / **डायवर्जन वियर** (diversion weir; "the city's new treatment plants at Chandanidih, Kara and Nimora draw it off through diversion weirs built on the nalas" → शहर के चंदनीडीह, कारा और निमोरा के नए शोधन संयंत्र नालों पर बने डायवर्जन वियरों से उसे खींच लेते हैं) / CECB का NGT को कथन: "as the sewerage system exists in Bilaspur only" → "क्योंकि सीवरेज प्रणाली केवल बिलासपुर में है" / "about 40% of Bilaspur's sewage would still reach the Arpa untreated" → बिलासपुर का लगभग 40% सीवेज फिर भी बिना शोधन के अरपा तक पहुँचेगा / "Durg's treatment plants on the Shankar and Pulgaon nalas" → शंकर और पुलगांव नालों पर दुर्ग के शोधन संयंत्र / "several drain lines" (बूढ़ा तालाब) → "कई ड्रेन लाइनें"; "polluted and heavily silted" (रायपुर के तालाब) → "प्रदूषित और भारी गाद से भरे" / सीवेज का अवैध जुड़ाव (cross-connection)
Erosion and sediment control (ESC)	अपरदन और तलछट नियंत्रण (ESC)
Fee-in-lieu	एवज शुल्क (fee-in-lieu)
Regional detention / regional facility	क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण / क्षेत्रीय सुविधा (regional facility)
Constrained redevelopment site	सीमित पुनर्विकास साइट
Basin Stormwater Master Plan (BSMP)	बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)

English	हिन्दी
City stormwater master plan / drainage master plan	शहर वर्षा जल मास्टर प्लान / जल निकासी मास्टर प्लान (drainage master plan)
Drainage plans and projects named in the Manual: Raipur's AMRUT SLIP for storm water drainage (2015) / the ₹1,191 crore project / Raja Talab storm-drain project †	नगर पालिक निगम रायपुर की AMRUT सेवा-स्तर सुधार योजना (SLIP), वर्षा जल निकासी (4 नवंबर 2015; "Sector-wise SLIP template: Storm Water Drainage" संदर्भों में अंग्रेजी) — "storm drain coverage at 49%, about 480 km of pucca drains" → वर्षा जल ड्रेनों का कवरेज 49%, लगभग 480 km पक्की ड्रेनें; "proposed a drainage project of ₹1,191 crore" → ₹1,191 करोड़ की जल निकासी परियोजना प्रस्तावित की; "it states no return period, design rainfall or runoff coefficient" → यह कोई पुनरावृत्ति अवधि, डिजाइन वर्षा या अपवाह गुणांक नहीं बताती; उद्धरण "Capacity of drain is not sufficient In rainy season most of the drains are overflowed" → "ड्रेन की क्षमता पर्याप्त नहीं है बरसात के मौसम में अधिकांश ड्रेनें उफनती हैं" (स्रोत की तरह विराम-चिह्न के बिना; अंग्रेजी मूल कोष्ठक में); "choking of darins [sic]" → "ड्रेनों का अवरुद्ध होना" ("choking of darins [sic]") / राजा तालाब (Raja Talab) की वर्षा जल ड्रेन परियोजना
Level of service (LoS) / Value Rating (VR)	सेवा स्तर (LoS) / मूल्य श्रेणी (VR)
Flood hazard map / hazard class	बाढ़ जोखिम मानचित्र / जोखिम वर्ग (H1–H6)
Capital Improvement Programme (CIP)	पूंजीगत सुधार कार्यक्रम (CIP)
Approving Authority (the Authority)	अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी)
Competent authority	सक्षम प्राधिकारी (competent authority)
Development authority / Planning Authority	विकास प्राधिकरण (development authority) / योजना प्राधिकरण (Planning Authority; "planning authority" छोटे अक्षरों में भी — "the planning authority shall use the best available flood mapping" → योजना प्राधिकरण उपलब्ध सर्वोत्तम बाढ़ मानचित्रण का उपयोग करेगा; आयोजना प्राधिकारी, योजना प्राधिकारी नहीं) — † छत्तीसगढ़ में राज्य के अधिनियम के अंतर्गत बने निकाय भी प्राधिकरण हैं (रायपुर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण — सत्यापित; झारखंड का प्राधिकार नहीं): † पंक्ति देखें
Development area / planning area / Master Plan area	विकास क्षेत्र / योजना क्षेत्र (planning area) / मास्टर प्लान क्षेत्र
Applicant	आवेदक
Urban local body (ULB)	शहरी स्थानीय निकाय (ULB; छत्तीसगढ़ में नगर निगम (नगर पालिक निगम), नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत — † पंक्ति देखें)
Urban Administration and Development Department (UADD) / Housing and Environment Department / Directorate of Town and Country Planning (T&CP) †	**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग** (UADD; पुल्लिंग; राज्य के जनसंपर्क और समाचार माध्यमों का रूप, सत्यापित नहीं; "नगरीय" विभाग के नाम में सही) — "the State's nodal department for AMRUT" → AMRUT के लिए राज्य का नोडल विभाग / **आवास एवं पर्यावरण विभाग** (Housing and Environment Department; सत्यापित — भूमि विकास नियम की संशोधन-अधिसूचनाएँ इसी के नाम से; "Makes the amendments to the CGBVN 1984 under section 85" → धारा 85 के अंतर्गत भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन करता है) / **संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश** (Directorate of Town and Country Planning, T&CP; पुल्लिंग; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप; संचालनालय के पत्रों की संख्याओं में "नग्रानि" सत्यापित; "its regional offices at Raipur, Bilaspur, Durg, Korba, Jagdalpur, Rajnandgaon, Dhamtari, Raigarh and Ambikapur" → रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ और अंबिकापुर में उसके क्षेत्रीय कार्यालय; "the Directorate" → संचालनालय; "site report" → स्थल रिपोर्ट; "checklist" → चेकलिस्ट; "concurrence of T&CP under ss.27–28" → धारा 27–28 के अंतर्गत T&CP की सहमति)

English	हिन्दी
Local body / local authority	स्थानीय निकाय / स्थानीय प्राधिकारी (local authority)
Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council / Cantonment Board / Gram Panchayat	नगर निगम / नगरपालिका / नगर पालिका परिषद (Municipal Council; † छत्तीसगढ़ में Nagar Palika Parishad, मध्य प्रदेश संस्करण की तरह — अकेला "Municipal Council" भी नगर पालिका परिषद; † पंक्ति देखें) / छावनी बोर्ड / ग्राम पंचायत
Municipal Corporation (Nagar Palik Nigam) / Nagar Palika Parishad (Municipal Council) / Nagar Panchayat (the ULBs of Chhattisgarh) †	**नगर निगम** (Municipal Corporation; पुल्लिंग; निकायों के अपने नाम में **नगर पालिक निगम** — CG राजपत्र-सूची का रूप "नगर पालिक निगम भिलाई", "नगर पालिक निगम रिसाली"; "a Municipal Corporation (Nagar Palik Nigam)" → नगर निगम (नगर पालिक निगम, Nagar Palik Nigam)) / **नगर पालिका परिषद** (Nagar Palika Parishad; Municipal Council; तीन शब्द; स्त्रीलिंग; CG राजपत्र-सूची में "नगर पालिका परिषद" और "परिषद्" दोनों — यहाँ परिषद) / **नगर पंचायत** (Nagar Panchayat; स्त्रीलिंग; "Nagar Panchayat Baloda" → नगर पंचायत बलौदा) — "Nagar Palika Parishads and Nagar Panchayats" (tier_b_bodies) → नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें; "The State has 14 Municipal Corporations" → राज्य में 14 नगर निगम हैं; "were chosen for AMRUT" → AMRUT के लिए चुने गए; "the other five are taken to be ... [TBC]" → अन्य पाँच ... माने गए हैं [TBC]; झारखंड का नगर परिषद (अकेला) और अधिसूचित क्षेत्र समिति नहीं
Raipur Municipal Corporation (RMC) / the other Municipal Corporations (Bilaspur, Durg, Bhilai, Bhilai-Charoda, Risali, Birgaon, Rajnandgaon, Korba, Raigarh, Jagdalpur, Ambikapur, Dhamtari, Chirmiri) †	**नगर पालिक निगम रायपुर** (RMC; CG राजपत्र-सूची का क्रम "नगर पालिक निगम <नगर>"; पुल्लिंग; "RMC is the Raipur Municipal Corporation, not ready-mixed concrete" → RMC नगर पालिक निगम रायपुर है, रेडी-मिक्स्ड कंक्रीट नहीं; "the Corporation" → नगर निगम; "RMC's Commissioner" → नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त) / अन्य: नगर पालिक निगम बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, धमतरी और चिरमिरी — चालू पाठ में "the Bhilai Municipal Corporation" → भिलाई नगर निगम भी स्वीकार्य, पर एक फाइल में एक ही रूप; "the Bhilai and Risali Municipal Corporations" → भिलाई और रिसाली नगर निगम; "Birgaon Municipal Corporation" → बिरगांव नगर निगम
Commissioner (of a Municipal Corporation) / Chief Municipal Officer / Mayor / Chief Executive Officer (NRANVP) †	**आयुक्त** (Commissioner; "the Commissioner of the Bhilai Municipal Corporation" → भिलाई नगर निगम के आयुक्त; "the Commissioner may require" (अधिनियम) → आयुक्त अपेक्षा कर सकता है; पुल्लिंग; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप — झारखंड का नगर आयुक्त केवल यदि अंग्रेजी Municipal Commissioner लिखे) / **मुख्य नगरपालिका अधिकारी** (Chief Municipal Officer, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का; "पदाधिकारी" नहीं; झारखंड का कार्यपालक पदाधिकारी नहीं) / महापौर (Mayor) / **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (Chief Executive Officer, NRANVP या किसी प्राधिकरण का; छत्तीसगढ़ के समाचार माध्यमों का रूप; "delegates to its Chief Executive Officer the powers of a special area development authority" → अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करती है)
Raipur Development Authority (RDA) / NRDA, Naya Raipur Development Authority / Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (NRANVP) / Special Area Development Authority (SADA) / Arpa Special Area Development Authority / Chhattisgarh Housing Board †	**रायपुर विकास प्राधिकरण** (RDA; पुल्लिंग; समाचार माध्यमों का रूप; "RDA is the Raipur Development Authority" → RDA रायपुर विकास प्राधिकरण है; "the law under which it was constituted was not verified" → जिस कानून के अंतर्गत इसका गठन हुआ उसकी पुष्टि नहीं हुई) / **NRDA** (चालू पाठ में NRDA रोमन, जैसा अंग्रेजी "called NRDA in this Manual"; पूरा नाम **नया रायपुर विकास प्राधिकरण** (Naya Raipur Development Authority) — पुराना नाम) / **नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण** (Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran, NRANVP; वर्तमान नाम; समाचार माध्यमों और प्राधिकरण का रूप; अंग्रेजी का रोमन नाम Names अनुच्छेद में कोष्ठक में वैसे ही) / **विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** (Special Area Development Authority, SADA; 1973 के अधिनियम की धारा 64–69; अधिनियम में "विशेष क्षेत्र प्राधिकारी"; "the powers of a special area development authority under ss.69 to 69-ग" → धारा 69 से 69-ग तक के अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियाँ — 69-क, 69-ख, 69-ग के देवनागरी अक्षर स्रोत की तरह) / **अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण**, बिलासपुर (Arpa Special Area Development Authority; सत्यापित — आवास एवं पर्यावरण विभाग का 2019 का पत्र; "Arpa special-area authority" → अरपा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण; "its permission was no longer needed" → उसकी अनुमति अब आवश्यक नहीं रही) / **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल** (Chhattisgarh Housing Board; पुल्लिंग; समाचार माध्यमों का रूप; Board = मंडल) — सभी प्राधिकरण, प्राधिकार नहीं

English	हिन्दी
State Urban Development Agency (SUDA) / Smart City companies (Raipur Smart City) †	**राज्य शहरी विकास अभिकरण** (SUDA; पुल्लिंग; राज्य के समाचारों का रूप; "SUDA, Chhattisgarh" → राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़) / स्मार्ट सिटी कंपनियाँ ("Smart City companies" → स्मार्ट सिटी कंपनियाँ; "Raipur Smart City" → रायपुर स्मार्ट सिटी; "Raipur's Smart City" → रायपुर की स्मार्ट सिटी)
Bhilai Steel Plant (BSP, SAIL) / Town Services / the township / two drainage regimes †	**भिलाई इस्पात संयंत्र** (Bhilai Steel Plant, BSP; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL) का; पुल्लिंग) / **नगर सेवाएँ** (Town Services; "the plant's Town Services" → संयंत्र का नगर सेवाएँ विभाग; पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में) / टाउनशिप (township; "the township of the Bhilai Steel Plant" → भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप; "the steel-plant township" → इस्पात संयंत्र की टाउनशिप) — "Bhilai has two drainage regimes" → भिलाई में जल निकासी की दो व्यवस्थाएँ हैं; "the Commissioner of the Bhilai Municipal Corporation was reported to have warned the plant over uncleaned township drains" → प्रकाशित खबरों के अनुसार भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने टाउनशिप की साफ न की गई ड्रेनों के लिए संयंत्र को चेतावनी दी; "water hyacinth" → जलकुंभी; "the Junwani and Kosanala culverts" → जुनवानी और कोसानाला की पुलियाएँ (वर्तनी सत्यापित नहीं)
Municipal Commissioner / Mayor / Councillor / Chairperson	नगर आयुक्त / महापौर / पार्षद / अध्यक्ष
Chief Engineer / Superintending Engineer / Executive Engineer / Assistant Engineer / Junior Engineer	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
Ward	वार्ड (ward)
State Stormwater Technical Committee	राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति
Master plan / Development Plan	मास्टर प्लान (master plan; † छत्तीसगढ़ में केवल जल निकासी के मास्टर प्लान (BSMP, शहर का वर्षा जल मास्टर प्लान) और जहाँ अंग्रेजी master plan लिखे — "the approved master plan or development plan" → अनुमोदित मास्टर प्लान या विकास योजना) / विकास योजना (Development Plan; † छत्तीसगढ़ के नगरों की सांविधिक भूमि-उपयोग योजना, 1973 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदित: रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021, नया रायपुर विकास योजना-2031, अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033 — † पंक्ति देखें; मध्य प्रदेश संस्करण की तरह)
Development plans: Raipur Development Plan (Revised) 2021 / Naya Raipur Development Plan-2031 / Arpa Special Area Development Plan 2033 / draft for 2031 / approval notification †	**रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021** (Raipur Development Plan (Revised) 2021; सत्यापित — अनुमोदन अधिसूचना का रूप; "approved in 2008" → 2008 में अनुमोदित; "notification No. 706/2286/32/2007 of 5 April 2008 (... first page only)" → 5 अप्रैल 2008 की अधिसूचना क्रमांक 706/2286/32/2007 (... केवल पहला पृष्ठ)) / **नया रायपुर विकास योजना-2031** (Naya Raipur Development Plan-2031; NRDA, 2008; हाइफन अंग्रेजी जैसा; नाम में नया, नवा नहीं — योजना का अपना नाम; "Fig. 10.1" वैसा ही; उद्धरण "5 years Maximum rainfall intensity should be taken for design of system" → "प्रणाली के डिजाइन के लिए 5 वर्ष की अधिकतम वर्षा तीव्रता ली जानी चाहिए" (अंग्रेजी मूल कोष्ठक में); "Rainfall intensity Vs Time of Concentration Curve for the New Capital City of Chhattisgarh (Based on IMD Data)" — चार्ट का शीर्षक अंग्रेजी में; "Rain Water Harvesting is mandatory at individual development level" → "प्रत्येक विकास के स्तर पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य है") / **अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास योजना 2033** (सत्यापित; "Arpa Special Area Development Plan 2033" → अरपा विशेष क्षेत्र विकास योजना 2033; "approved on 10 February 2014" → 10 फरवरी 2014 को अनुमोदित) / "a draft for 2031 that emphasises water bodies was discussed in 2022, and its approval was not found" → जलाशयों पर बल देने वाले 2031 के प्रारूप पर 2022 में चर्चा हुई, और उसका अनुमोदन नहीं मिला / अनुमोदन अधिसूचना (approval notification); "under s.19" → धारा 19 के अंतर्गत
Zone (land use) / zoning	जोन (जैसे आवासीय जोन) / जोनिंग (zoning)

English	हिन्दी
No-construction zone / No Development Zone	निर्माण-निषिद्ध जोन (no-construction zone) / विकास-निषिद्ध जोन (No Development Zone)
Natural hazard prone area / flood-prone area	प्राकृतिक आपदा-प्रवण क्षेत्र / बाढ़-प्रवण क्षेत्र
Open space	खुला स्थान (open space)
Variance / waiver	विचलन (variance) / अधित्याग (waiver)
Maintenance declaration	रखरखाव घोषणा-पत्र (maintenance declaration)
Maintenance	रखरखाव
Operation and maintenance (O&M) / O&M plan	प्रचालन और रखरखाव (O&M) / O&M योजना
As-built / as-built certificate	यथा-निर्मित (as-built) नक्शा / यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र
Registered professional	पंजीकृत पेशेवर (registered professional)
Tier A / Tier B	टियर A / टियर B
Policy supplement	नीति अनुपूरक (policy supplement: अंगीकरणीय वैकल्पिक खंड)
Council resolution / model council resolution	परिषद संकल्प (council resolution) / आदर्श परिषद संकल्प
State (in this Manual) †	राज्य (इस मैनुअल में छत्तीसगढ़) — "the State" को एक पक्ष के रूप में ("vest in the State") → राज्य सरकार ("vest in the State from 6 April 1959" → 6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में निहित); "State of Chhattisgarh" (मामले का पक्ष) अंग्रेजी मामले-नाम में वैसे ही
State Government, Government (in this Manual) †	राज्य सरकार, सरकार (इस मैनुअल में छत्तीसगढ़ शासन; स्त्रीलिंग — पुनः प्रयुक्त पंक्तियाँ और 1973 के अधिनियम का हिन्दी पाठ "राज्य सरकार" लिखते हैं: "राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है"; राज्य सरकार को राज्य शासन में न बदलें; संघ के निकाय — CWC, CGWB, CGWA, IMD, NIH, NHAI, DGMS, SoI — राज्य सरकार का भाग नहीं)
Shall / should / may	...करेगा, ...किया जाएगा (अनिवार्य) / ...चाहिए (सिफारिश) / ...सकता है, ...सकेगा (अनुमति)
Shall not	...नहीं करेगा, ...नहीं किया जाएगा (अनिवार्य निषेध)

अतिरिक्त शब्द

English	हिन्दी
Applicability / adoption / adopt	प्रयोज्यता (applicability) / अंगीकरण / अंगीकार करना (केवल सरकार, प्राधिकारी, समिति, अधिकरण, अधिनियम, नियम या विनियम द्वारा औपचारिक अंगीकरण के लिए, और इस मैनुअल के अंगीकरण टियर के लिए; मान के लिए लेना, विधि के लिए अपनाना)

English	हिन्दी
Has not been adopted, notified or endorsed by	... द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है
No legal force / in force / not in force	कोई विधिक बल नहीं / प्रवृत्त / प्रवृत्त नहीं
Approve / approval / approved	अनुमोदन करना / अनुमोदन / अनुमोदित
Endorse / endorsement / endorsed	समर्थन करना / समर्थन / समर्थित (पृष्ठांकन नहीं)
Consent / concurrence / agree	सम्मति (consent) / सहमति (concurrence) / सहमत होना
Consent (WRD, the custodian of a talab or reservoir, NRDA, the mine's lessee and DGMS, the ash-pond operator) †	सम्मति ("custodian's consent" → अभिरक्षक की सम्मति; "NRDA's consent" → NRDA की सम्मति; "a void is not a design outfall unless the mine's lessee and DGMS consent" → कोई खदान का गड्ढा तब तक डिजाइन आउटफॉल नहीं है जब तक खदान का पट्टाधारी और DGMS सम्मति न दें; "the written consent of the lessee and DGMS, or of the ash-pond operator" → पट्टाधारी और DGMS, या ऐश पॉन्ड के संचालक, की लिखित सम्मति; "Where consent is given" → जहाँ सम्मति दी गई है; "owner's consent" → स्वामी की सम्मति) — "Custodian concurrence" → अभिरक्षक की सहमति; T&CP की धारा 27–28 की "concurrence" → सहमति; WRD या राजस्व विभाग की "no-objection" → अनापत्ति
Sanction / sanctioned / sanctioning authority	संस्वीकृति / संस्वीकृत / संस्वीकृति प्राधिकारी (स्वीकृति या स्वीकृत अकेले नहीं)
Permission / building permit / planning permission / permissible	अनुमति / भवन अनुमति (building permit) / योजना अनुमति / अनुमेय
Credit / retention credit / preservation credit / tank storage credit	क्रेडिट / प्रतिधारण क्रेडिट / संरक्षण क्रेडिट / तालाब भंडारण क्रेडिट
Notification / notified / Gazette	अधिसूचना / अधिसूचित / राजपत्र
Chhattisgarh Gazette (Extraordinary) / CG Rajpatra / Gazette notification / Gazette of India †	**छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण)** (Chhattisgarh Gazette (Extraordinary); सत्यापित — राजपत्र का पृष्ठ-शीर्ष "छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2009"; **गजट नहीं**) — "CG Rajpatra (Asadharan)" (संदर्भों में) अंग्रेजी जैसा; चालू पाठ में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण); "CG Rajpatra, 26 April 2002" → छत्तीसगढ़ राजपत्र, 26 अप्रैल 2002; "Gazette p. 124(10), items 25–28" → राजपत्र पृ. 124(10), मद 25–28; "published in the CG Rajpatra on 3 June 2022" → 3 जून 2022 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित; "the Gazette leaves the rule number blank" → राजपत्र नियम की संख्या रिक्त छोड़ता है; "the Gazette text was not read [TBC]" → राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]; "the Government Press, Rajnandgaon" → शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव / राजपत्र अधिसूचना / भारत का राजपत्र
Government Order / office order / circular / order / resolution	सरकारी आदेश (केवल दिल्ली संस्करण के साझा वाक्यों में; छत्तीसगढ़ शासन के विभाग का Order: आदेश — † पंक्ति देखें) / कार्यालय आदेश (office order) / परिपत्र / आदेश / संकल्प
Act / Rules / rule / Regulation / Code / Bill	अधिनियम / नियम (केंद्रीय Rules) / नियम / विनियम / संहिता / विधेयक († छत्तीसगढ़ के नियम: छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 और छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 — नियमावली नहीं; भूमि विकास नियम का क्रमांकित प्रावधान "Rule 78(4)", "rule 50(b)", "r. 73(3)(क)" → नियम 78(4), नियम 50(b), नियम 73(3)(क); कोयला खान विनियम, 2017 का "reg. 149" → विनियम 149; छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 — संहिता; नीचे की † पंक्तियाँ देखें)
Bye-laws / bye-law	उपविधियाँ / उपविधि
Section / sub-section (of an Act; s.)	धारा / उपधारा
Article (of the Constitution) / Schedule	अनुच्छेद / अनुसूची

English	हिन्दी
Para (of a plan, report, order or judgment) / Annexure (of a notification, order or affidavit) / Appendix (of a cited report)	पैरा (किसी निर्णय, आदेश या रिपोर्ट का para 6 → पैरा 6; "§5.2.2" वैसा ही; † "§10.3", "§10.3.2" (नया रायपुर विकास योजना-2031) वैसे ही) / अनुलग्नक (Annexure; परिशिष्ट नहीं; CRZ अधिसूचना का Annexure IV → अनुलग्नक IV; किसी रिपोर्ट, जैसे CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट, का Annexure या Annex भी अनुलग्नक — संदर्भ-प्रविष्टि के अनुवादित टिप्पण में भी ("Annex 4.4" → अनुलग्नक 4.4), ताकि वह इस मैनुअल के परिशिष्ट से न टकराए; केवल अंग्रेजी में रखे गए ग्रंथसूची-अंश में Annexure वैसे ही) — Schedule के लिए अनुसूची / Appendix (अंग्रेजी में ही) — † छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम के परिशिष्ट (Appendix ढ (N), ढ-2, ढ-4, ण, Q, Q1, Q2) सदा "भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ढ" आदि, ताकि वे इस मैनुअल के परिशिष्ट से न टकराएँ († पंक्ति देखें); राजपत्र की "items 25–28" → मद 25–28; T&CP की चेकलिस्ट का "Appendix 01, item 15" → Appendix 01, मद 15
Amendment / amended / as amended / compendium	संशोधन / संशोधित / यथा संशोधित / संकलन (compendium)
Definition (in a rule or an Act) †	परिभाषा (भूमि विकास नियम का नियम 2 इस मैनुअल के लिए पढ़ा नहीं गया: "The r.2 definitions were not read" → नियम 2 की परिभाषाएँ पढ़ी नहीं गईं; "The Niyam define no water body, watercourse, nala or highest flood level in any amendment read" → पढ़े गए किसी संशोधन में भूमि विकास नियम किसी जलाशय, जलमार्ग, नाले या उच्चतम बाढ़ स्तर को परिभाषित नहीं करते; भू-जल अधिनियम, 2022 की धारा 2(u) → धारा 2(u))
General Clauses Act, 1897	साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897)
Union territory / Union (body of the Union)	संघ राज्यक्षेत्र (Union territory; दिल्ली संस्करण और CPHEEO के "राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार" का रूप — केंद्र शासित प्रदेश नहीं) / संघ (संघ का निकाय; † "a body of the Union, such as the Central Water Commission (CWC), the Central Ground Water Board (CGWB) or the Directorate General of Mines Safety (DGMS)" → संघ का कोई निकाय, जैसे केंद्रीय जल आयोग (CWC), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) या खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS))
Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 / CGBVN 1984 / the Bhumi Vikas Niyam / the Niyam / the building rules (building_rules_abbr, building_rules_short) †	**छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984** (सत्यापित — हर संशोधन-अधिसूचना का रूप: "छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन"; "छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984" केवल उद्धरण में) — अध्याय में पहली बार और संदर्भों में पूरा शीर्षक; अन्यत्र **भूमि विकास नियम, 1984** (वर्ष सहित: "CGBVN 1984", "the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984") या **भूमि विकास नियम** ("the Bhumi Vikas Niyam", "the Niyam", "the 1984 rules", "the building rules" जब इन्हीं का अर्थ हो) — पुल्लिंग बहुवचन: "भूमि विकास नियम ... अपेक्षा करते हैं", "भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4)"; "as amended" → यथासंशोधित; "inherited from Madhya Pradesh in 2000" → 2000 में मध्य प्रदेश से विरासत में मिले; "retitled" → नए शीर्षक से; "Madhya Pradesh replaced its own 1984 rules with the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which do not apply in Chhattisgarh" → मध्य प्रदेश ने अपने 1984 के नियमों के स्थान पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 बनाए, जो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होते; "the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 ... (third-party copy of the Madhya Pradesh text)" → मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 ... (मध्य प्रदेश पाठ की तृतीय-पक्ष प्रति) — चालू पाठ, तालिकाओं, प्रपत्रों और चित्रों में रोमन "CGBVN 1984" कभी नहीं (केवल संक्षिप्त रूपों की तालिका के पहले स्तंभ में); भवन उपविधि, भवन संहिता, नियमावली नहीं; "Model CGBVN 1984 amendment" → भूमि विकास नियम, 1984 का आदर्श संशोधन; "Part A — Model amendment to the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984" → भाग A — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में आदर्श संशोधन

English	हिन्दी
Rule number of the CGBVN 1984 (Rule 50; Rule 50(b) and (f); Rule 51; Rule 78(4) and its new clause (क); r.73(3)(क); Rule 96; r.17(4)(j); rules 79-C to 79-G; r.47; "rule" in the model text of Annex 1D) †	**नियम N** (पुल्लिंग; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप): "Rule 78(4)", "rule 78(4)", "r.78(4)" → नियम 78(4); "Rule 50(b) and (f)" → नियम 50(b) और (f); "rule 73(3)(क)" → नियम 73(3)(क) (देवनागरी अक्षर स्रोत की तरह); "rules 79-C to 79-G" → नियम 79-C से 79-G; "r. 17(4)(j), as extracted" → नियम 17(4)(j), उद्धरण-अंश के अनुसार; पूरा रूप "भूमि विकास नियम, 1984 का नियम 78(4)" जहाँ वाक्य स्वयं नियमों का नाम न ले; "a rule whose number the Gazette leaves blank" → ऐसा नियम जिसकी संख्या राजपत्र रिक्त छोड़ता है; "sub-rule" → उपनियम — खंड (इस मैनुअल), धारा (अधिनियम), उपविधि, विनियम, कोड नहीं; परिशिष्ट 1D भाग A के आदर्श पाठ का "rule" → नियम, "sub-rule (3)" → उपनियम (3), "these rules" → इन नियमों (यहाँ उपकरण स्वयं नियम है, इसलिए कोई स्रोत-असंगति नहीं)
Notification and file numbers of the Government of Chhattisgarh (एफ 7-26/32/2008; 318/1193/32/2006; F 7-15/2016/32; F 7-27/2017/32; F 07-24/2019/32; 1680/TCR-2/नग्रानि./2011; 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011; 706/2286/32/2007; F 7-3/2014/32; F 07-02/2019/32; 4808/5(1)/BPS/NRANVP/2022; 4066; F 9-22/2016/1/5; 2940/1445/32/2009; F 7-35/2012/32; RULE/170/2025-HOUSING) †	संख्याएँ हूबहू — देवनागरी अंश (एफ, नग्रानि., स्टेनो) और रोमन अक्षर, अंक, कोष्ठक, बिंदु, स्लैश और हाइफन स्रोत की तरह; कभी लिप्यंतरण नहीं ("No. एफ 7-26/32/2008" और "No. F 7-27/2017/32" — एक में देवनागरी एफ, दूसरे में रोमन F, जैसा अंग्रेजी देती है; बदलें नहीं); "No." → क्रमांक ("notification No. 4066 of 23 May 2022" → 23 मई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4066; "letter No. 1680/TCR-2/नग्रानि./2011 of 23 June 2011" → 23 जून 2011 का पत्र क्रमांक 1680/TCR-2/नग्रानि./2011; "checklist No. 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011" → चेकलिस्ट क्रमांक 1569/स्टेनो/नग्रानि./2011; "order No. F 9-22/2016/1/5" → आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5; "draft No. F 7-15/2016/32 of 30 March 2017" → 30 मार्च 2017 का प्रारूप क्रमांक F 7-15/2016/32) — संदर्भ-सूचियों में अंग्रेजी "No." वैसे ही
Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973; the 1973 Adhiniyam; the Adhiniyam) / Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975 †	**छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973** (क्रमांक 23 सन् 1973; सत्यापित — हर भूमि विकास नियम संशोधन का पाठ "छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973)"; "the 1973 Adhiniyam" → 1973 का अधिनियम; "the Adhiniyam" → अधिनियम; पुल्लिंग) — "s.85(1) read with s.24(3)" → धारा 24(3) के साथ पठित धारा 85(1); "ss.19, 24, 27–28, 30, 64–69 and 85" → धारा 19, 24, 27–28, 30, 64–69 और 85; "ss.69 to 69-ग" → धारा 69 से 69-ग; "s.73(2)" → धारा 73(2); "planning area" → निवेश क्षेत्र (अधिनियम का शब्द, मध्य प्रदेश संस्करण की तरह); "development permission" → विकास अनुमति; "its sections were read only as cited in notifications and letters [TBC]" → उसकी धाराएँ केवल अधिसूचनाओं और पत्रों में उद्धृत रूप में पढ़ी गईं [TBC] / **छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975** (शीर्षक अधिनियम के अनुरूप, असत्यापित) / 2010 का अध्यादेश और 2002 का संशोधन अधिनियम: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 / (संशोधन) अधिनियम, 2002 — केवल यदि अंग्रेजी नाम ले
Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (Chhattisgarh Nagar Palik Nigam Adhiniyam; the Corporation Act; the Municipal Corporation Act; the 1956 Act; the Municipal Acts) †	**छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956** (CG राजपत्र-सूची का शीर्षक "छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956" — तीन शब्द "नगर पालिक निगम", मध्य प्रदेश के "नगरपालिक निगम" से भिन्न; पुल्लिंग) — संक्षेप में नगर पालिक निगम अधिनियम; "the 1956 Act" → 1956 का अधिनियम; "the Municipal Acts" (1956 और 1961 के दोनों) → नगरपालिका अधिनियम (बहुवचन संदर्भ से: "दोनों नगरपालिका अधिनियम"); "as adapted in Chhattisgarh" → छत्तीसगढ़ में यथा-अनुकूलित; "both are Madhya Pradesh Acts as adapted by Chhattisgarh" → दोनों छत्तीसगढ़ द्वारा अनुकूलित मध्य प्रदेश के अधिनियम हैं; "their Chhattisgarh texts were not read" → उनके छत्तीसगढ़ पाठ पढ़े नहीं गए; "the Madhya Pradesh text of the 1956 Act" → 1956 के अधिनियम का मध्य प्रदेश पाठ (मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956)
Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (Chhattisgarh Nagar Palika Adhiniyam) / colonisers' rules †	**छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961** (प्रचलित शीर्षक, सत्यापित नहीं; CAG के एक अंश का "नगरपालिकाएं" रूप प्रयुक्त नहीं; नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए; इस मैनुअल के लिए पढ़ा नहीं गया) — "the Chhattisgarh Nagar Palik Nigam Adhiniyam and Nagar Palika Adhiniyam" → छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम / "the colonisers' rules made under them" → उनके अंतर्गत बने कॉलोनाइजर नियम ("A memo of RMC of 2011" → नगर पालिक निगम रायपुर का 2011 का ज्ञापन; "read from a poor scan [TBC]" → खराब स्कैन से पढ़ा गया [TBC])

English	हिन्दी
Chhattisgarh Act of 2002 on the regularisation of unauthorised development, s.7(1)(चार) / s. 7(1)(iv) †	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 (शोध-टिप्पणी का शीर्षक-रूप "अनधिकृत विकास का नियमितिकरण"; पूरा आधिकारिक शीर्षक देखा नहीं गया — इस मैनुअल का रूप; "the State's Act of 2002 on the regularisation of unauthorised development" → अनधिकृत विकास के नियमितीकरण पर राज्य का 2002 का अधिनियम) — धारा 7(1)(चार) (अंग्रेजी जहाँ "(iv)" लिखती है वहाँ (iv), जहाँ "(चार)" वहाँ (चार) — स्रोत जैसा); उद्धरण जो अंग्रेजी देवनागरी में देती है, हूबहू: "जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर" और "प्राकृतिक जल निकास"; अंग्रेजी अनुवाद "on the bed or edge of a jalashay or on a natural drain" कोष्ठक में वैसे ही; "bars regularising a building on the bed or edge of a reservoir or on a natural drain" → जलाशय के तल या किनारे पर या किसी प्राकृतिक ड्रेन पर बने भवन के नियमितीकरण पर रोक लगाता है; "district regularisation authority" → जिला नियमितीकरण प्राधिकारी (अधिनियम का शब्द)
Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (LRC; the Land Revenue Code; the Code) / ss.237, 248, 251 †	**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959** (Hindi शीर्षक एक तृतीय-पक्ष हिन्दी प्रति में देखा गया; स्त्रीलिंग; संक्षेप में भू-राजस्व संहिता; "the Code" → संहिता; "LRC ss. 237, 251" → भू-राजस्व संहिता की धारा 237, 251; "(third-party copy)" → (तृतीय-पक्ष प्रति)) — धारा 251 का शीर्षक हूबहू "तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना" (अंग्रेजी इसे देवनागरी में देती है); "6 अप्रैल 1959 से राज्य सरकार में पूर्णरूपेण" (हूबहू); "Explanation to s. 251" → धारा 251 का स्पष्टीकरण ("includes the trees on its embankments, but not buildings or temples on them" → उसके तटबंधों के वृक्ष सम्मिलित हैं, पर उन पर बने भवन या मंदिर नहीं) / धारा 248 का शीर्षक हूबहू "अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति"; NGT में तहसीलदार की रिपोर्ट का उद्धरण "legal proceedings have been initiated under Section 248 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, against individuals who have unlawfully encroached upon ponds" → "छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है जिन्होंने तालाबों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है" (अंग्रेजी मूल कोष्ठक में) / धारा 237: कलेक्टर द्वारा निस्तार के लिए भूमि पृथक रखना ("the Collector may set land apart, including tanks" → कलेक्टर तालाबों सहित भूमि पृथक रख सकता है) / "unoccupied land" → अनधिभोगित भूमि (मध्य प्रदेश संस्करण का शब्द)
Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 / State Ground Water Management and Regulatory Authority †	**छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022** (WRD के वेबसाइट पर उपलब्ध हिन्दी पाठ ("संशोधित प्रारूप") का शीर्षक; शीर्षक में "भू-जल" हाइफन सहित, पर चालू पाठ में साझा शब्द भूजल; पुल्लिंग; "the Ground Water Act of 2022" → 2022 का भू-जल अधिनियम) — "s.7 (enforce RWH in notified stressed areas)" → धारा 7; "in over-exploited/critical blocks and stressed urban areas" → "अति-दोहित/गंभीर विकासखंडों और दबावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में"; "it comes into force only on a date notified by the State" → यह केवल राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होता है; "no notification bringing the Act into force was found" → अधिनियम को प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली / **छत्तीसगढ़ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण** (State Ground Water Management and Regulatory Authority; धारा 3 के उसी पाठ का नाम; पुल्लिंग; "provides for ... but no notification ... was found" → का प्रावधान करता है ... पर कोई अधिसूचना नहीं मिली)
Coal Mines Regulations, 2017 / regulation 149 †	**कोयला खान विनियम, 2017** (DGMS की हिन्दी सूचनाओं का रूप, झारखंड संस्करण में सत्यापित) — "reg. 149", "regulation 149" → विनियम 149; "the lowest point at which surface water could enter a mine is to stand at least 1.5 m above the highest flood level" → जिस सबसे निचले बिंदु से सतही जल किसी खदान में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम बाढ़ स्तर से कम से कम 1.5 m ऊपर होना चाहिए; "(regulation 149, as reported [TBC])" → (विनियम 149, प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC]); "Gazette text not read [TBC]" → राजपत्र का पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]; "the danger of inundation" → जलमग्नता का खतरा

English	हिन्दी
South Eastern Coalfields Limited (SECL) / Coal India / NTPC / CSPGCL / BALCO / DGMS / Ministry of Coal †	**साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (SECL; "the subsidiary of Coal India that holds most of the State's coal mines" → कोल इंडिया की वह अनुषंगी कंपनी जिसके पास राज्य की अधिकांश कोयला खदानें हैं) / कोल इंडिया लिमिटेड / **NTPC लिमिटेड** (NTPC Limited; "formerly National Thermal Power Corporation" → पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) / **छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड** (CSPGCL; पंजीकृत नाम का लिप्यंतरण) / **भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड** (BALCO, कोरबा) / खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS; संघ का निकाय) / कोयला मंत्रालय — "a coal or power company" → कोई कोयला या बिजली कंपनी; "the coal and power companies" → कोयला और बिजली कंपनियाँ; "the power companies hold the ash ponds and ash dykes of their plants" → बिजली कंपनियों के पास उनके संयंत्रों के ऐश पॉन्ड और राखड़ बाँध हैं; "CSPGCL's Hasdeo Thermal Power Station" → CSPGCL का हसदेव ताप विद्युत गृह (Korba West → कोरबा पश्चिम); "NTPC's Dhanras dyke" → NTPC का धनरास राखड़ बाँध
Environmental clearance (EC) of mines and power stations / standard conditions / garland drains and settling ponds †	पर्यावरण स्वीकृति (EC; "the conditions of environmental clearances and mining plans" → पर्यावरण स्वीकृतियों और खनन योजनाओं की शर्तें) / मानक शर्तें / उद्धरण "at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine sites" → "खदान स्थलों से लगे क्षेत्र में चरम आकस्मिक वर्षा और अधिकतम निस्सरण के ऊपर कम से कम 50% सुरक्षा मार्जिन" (छोटे रूप भी इसी अनुवाद से; अंग्रेजी मूल कोष्ठक में); "which is not a return period" → जो पुनरावृत्ति अवधि नहीं है; "no alteration of major water channels" → प्रमुख जल चैनलों में कोई परिवर्तन नहीं; "adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff" → "सतही अपवाह की गाद के उचित निथारने के लिए पर्याप्त प्रतिधारण अवधि" / "clearance for Gare Palma Sector II, Raigarh district, 2024" → गारे पाल्मा सेक्टर II, रायगढ़ जिला, 2024 की स्वीकृति / गारलैंड ड्रेन / अवसादन तालाब (settling pond)
WRD as the State groundwater agency (state_groundwater_agency) / CGWB / permissions to draw groundwater †	जल संसाधन विभाग (WRD) — इस मैनुअल में राज्य की भूजल एजेंसी भी ("is named in this Manual as the State groundwater agency" → इस मैनुअल में राज्य की भूजल एजेंसी के रूप में नामित है) / केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) / केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) / भूजल निकालने की अनुमतियाँ — झारखंड का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नहीं
Dam Safety Act, 2021 / specified dam / National Register of Large Dams †	बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021; साझा) / "specified dam" → "विनिर्दिष्ट बाँध" (अधिनियम का शब्द; उद्धरण में) / CWC का बड़े डैमों का राष्ट्रीय रजिस्टर (*National Register of Large Dams*, 2009; संदर्भों में अंग्रेजी; NRLD रोमन) — **Dam Safety Act screening.** → **बाँध सुरक्षा अधिनियम के लिए जाँच.**
State disaster management plan / urban flood plan or SOP of CGSDMA (none found) / District Disaster Management Authorities †	राज्य आपदा प्रबंधन योजना / CGSDMA की शहरी बाढ़ योजना या SOP ("no State disaster management plan or urban flood plan of it was found" → उसकी कोई राज्य आपदा प्रबंधन योजना या शहरी बाढ़ योजना नहीं मिली) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ("the District Disaster Management Authorities" → जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)
Chhattisgarh Act numbers (No. 23 of 1973; Act 18 of 2022; Bhumi Vikas Niyam amendments) †	मध्य प्रदेश संस्करण का रूप: क्रमांक 23 सन् 1973 (1973 के अधिनियम का, सत्यापित "क्र. 23 सन् 1973") / "Chhattisgarh Act No. 18 of 2022" (भू-जल अधिनियम; केवल यदि अंग्रेजी दे) → छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2022 (राजपत्र का एक सारांश; असत्यापित) — केंद्रीय अधिनियमों के लिए साझा रूप (Act 41 of 2021 → 2021 का अधिनियम संख्या 41); झारखंड का "झारखंड अधिनियम संख्या 07, 2012" रूप नहीं

English	हिन्दी
Quotations from the Bhumi Vikas Niyam and its forms (Hindi and English texts) †	भूमि विकास नियम के संशोधन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे; जहाँ अंग्रेजी देवनागरी देती है वहाँ हूबहू ("नियम 50 के अंतर्गत अनुपयुक्तता तो नहीं है"; "नाला क्षेत्र में छोड़ा गया क्षेत्र"; "नियम 78 के उपनियम (4) में अंक '500' तथा अंक "300" प्रतिस्थापित किया जावे" — स्रोत के उद्धरण-चिह्न, "जावे" और विराम वैसे ही), और जहाँ अंग्रेजी किसी अंग्रेजी रूप को उद्धृत करती है वहाँ इस मैनुअल का अनुवाद, अंग्रेजी मूल कोष्ठक में: 2018 के प्रपत्र "Is Nalah (Major Drain) adjacent to plot or not. If yes, then nearest distance of nalas from plot. (Proposal should comply with in rule of Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984)" → "क्या नाला (प्रमुख नाला) भूखंड के निकट है या नहीं। यदि हाँ, तो भूखंड से नाले की निकटतम दूरी। (प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम के अनुपालन में होना चाहिए)" (स्रोत की त्रुटि "comply with in rule" कोष्ठक की अंग्रेजी में वैसे ही; "in compliance with" → "के अनुपालन में") / "whether Rain water harvesting system installed at site as per rule" → "क्या स्थल पर नियम के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित है" / "Sewer line/ Drainage line connected up to final diposal" → "सीवर लाइन/ ड्रेनेज लाइन अंतिम निपटान तक जुड़ी" ("up to final diposal" की त्रुटि अंग्रेजी में वैसे ही) / विरासत में मिले 1984 पाठ (मध्य प्रदेश): "effectively drained by surface water drain or other means" (नियम 51) → "सतही जल ड्रेन या अन्य साधनों से प्रभावी रूप से जल निकासी"; "the approximate location and size of any water body, flood affected areas and contours at an interval of 0.3 meters" (नियम 17(4)(j)) → "किसी भी जलाशय की अनुमानित स्थिति और आकार, बाढ़-प्रभावित क्षेत्र और 0.3 मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएँ"; "flood affected areas" → "बाढ़-प्रभावित क्षेत्र"; 2017 का प्रारूप "Reduction of Hardscape" → "कठोर सतह में कमी" ("Reduction of Hardscape")
Rainwater harvesting of the Bhumi Vikas Niyam (Rule 78(4); Appendix ढ (N); ढ-2; ढ-4; penalty) / GAD order of 31 May 2016 / green-building draft of 2017 †	वर्षा जल संचयन (RWH) / नियम 78(4) / **भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ढ** (Appendix ढ (N); "by the recipes of Appendix ढ (N)" → परिशिष्ट ढ (N) की विधियों से; "Appendix ढ-2" → परिशिष्ट ढ-2; "Appendix ढ-4" → परिशिष्ट ढ-4 — परिशिष्ट-अक्षर देवनागरी में स्रोत की तरह, और हर बार "भूमि विकास नियम का" के साथ, ताकि इस मैनुअल के परिशिष्ट 4A आदि से भ्रम न हो) — "a filter bed of fine stone and sand" → बारीक पत्थर और रेत का फिल्टर तल; "round pebbles" ("गोल पत्थर" (पीवल्स) के स्थान पर) → "गोल पत्थर"; "an underground storage tank" → भूमिगत भंडारण टंकी / दंड: "a penalty of up to ₹1,000 a year for every 100 m² of built-up area where the system is not built or kept" → जहाँ प्रणाली न बनाई जाए या उसका रखरखाव न हो वहाँ प्रति 100 m² निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ष ₹1,000 तक की शास्ति (2009 के संशोधन का मूल हिन्दी, जहाँ अंग्रेजी उसका अनुवाद उद्धृत करे: "प्राधिकारी प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर अधिकतम रूपये 1000 (एक हजार) प्रतिवर्ष के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा") / "the threshold is not confirmed [TBC]" → सीमा की पुष्टि नहीं हुई [TBC]; राज्य सभा का उद्धरण "for all types of buildings having plot size more than 500 sq. mt." → "500 वर्ग मी. से अधिक आकार के भूखंड वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए" / सामान्य प्रशासन विभाग का 31 मई 2016 का आदेश ("roofs of more than 1,500 sq ft (new) or 5,000 sq ft (existing)" → 1,500 sq ft (नए) या 5,000 sq ft (मौजूदा) से अधिक की छतें) / 2017 का हरित भवन प्रारूप (green-building draft; नियम 79-C से 79-G; "was not found in final form" → अंतिम रूप में नहीं मिला)
Model Building Bye-Laws 2016 (MBBL)	आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016 (MBBL)
Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017	आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
Disaster Management Act, 2005 / Dam Safety Act, 2021	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 / बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021)
Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

English	हिन्दी
Official Languages Act, 1963	राजभाषा अधिनियम, 1963
Collector / Tahsildar / Chief Secretary / Secretary / Chief Minister / Minister †	**कलेक्टर** (Collector; छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आधिकारिक शब्द — भू-राजस्व संहिता की धारा 237 का शीर्षक "... कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना"; "the Collectors" → कलेक्टर; "the Collector of Janjgir-Champa" → जांजगीर-चांपा के कलेक्टर; "the Collector's action-taken report" → कलेक्टर की की गई कार्रवाई की रिपोर्ट; झारखंड का उपायुक्त, बिहार का समाहर्त्ता या जिला पदाधिकारी, UP का जिलाधिकारी नहीं) / **तहसीलदार** (Tahsildar; "the Tahsildar at Baloda" → बलौदा के तहसीलदार; "summary eviction by the Tehsildar" → तहसीलदार द्वारा संक्षिप्त बेदखली; अंग्रेजी की दोनों वर्तनियाँ Tahsildar/Tehsildar → तहसीलदार) / मुख्य सचिव / सचिव ("Secretary, GAD" → सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग) / मुख्यमंत्री / मंत्री — District Magistrate केवल NGT के O.A. 78/2024 की संदर्भ-प्रविष्टि में आता है (जांजगीर-चांपा के जिला दंडाधिकारी की तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट): हिन्दी संपर्क-पाठ वाली संदर्भ-प्रविष्टियों में सदा **जिला दंडाधिकारी (District Magistrate), जांजगीर-चांपा** (अध्याय 1, 4, 7); अध्याय 10 और 11 की पूर्णतः अंग्रेजी संदर्भ-प्रविष्टियों में अंग्रेजी ही; चालू पाठ में वही अधिकारी कलेक्टर है / SDM, Divisional Commissioner, Patwari अंग्रेजी में नहीं हैं; हों तो पूछें (छत्तीसगढ़ के रूप: अनुविभागीय अधिकारी, संभागायुक्त, पटवारी)
CGSDMA alerts / flood control rooms / SOP †	CGSDMA के अलर्ट / बाढ़ नियंत्रण कक्ष ("the district flood control rooms" → जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष) / SOP (मानक संचालन प्रक्रिया)
District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
AMRUT / SLIP / Smart City / Narwa-Garuwa-Ghuruwa-Bari programme / State Action Plan on Climate Change / NDMA's Urban Flood Risk Management Programme †	AMRUT (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) / सेवा-स्तर सुधार योजना (SLIP; "service-level improvement plan" → सेवा-स्तर सुधार योजना) / स्मार्ट सिटी मिशन / नरवा-गरुवा-घुरुवा-बारी कार्यक्रम (Narwa-Garuwa-Ghuruwa-Bari programme; "as reported" वैसे ही) / जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना ("Chhattisgarh State Action Plan" → छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना; शीर्षक संदर्भों में अंग्रेजी) / NDMA का शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम ("NDMA's Urban Flood Risk Management Programme")
Model Flood Plain Zoning Bill / flood plain zoning Act	आदर्श बाढ़ मैदान जोनिंग विधेयक (Model Flood Plain Zoning Bill) / बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम
State Water Policy / State Action Plan on Climate Change	राज्य जल नीति / जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
CRZ Notification 2011 / 2019	CRZ अधिसूचना, 2011 / 2019 (तटीय; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
Building permit / layout approval / NOC	भवन अनुमति / लेआउट अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)
Layout / sub-division / landscape plan	लेआउट (layout) / उप-विभाजन / लैंडस्केप योजना
Completion certificate / occupancy certificate	समापन प्रमाण-पत्र / अधिभोग प्रमाण-पत्र
Floor area ratio (FAR) / covered area / plinth area / basement	तल क्षेत्र अनुपात (FAR) / आच्छादित क्षेत्र / प्लिंथ क्षेत्र / तहखाना (basement) — दिल्ली, UP, बिहार और मध्य प्रदेश संस्करणों का साझा रूप; † **छत्तीसगढ़ संस्करण में सर्वत्र बेसमेंट**, हरियाणा और झारखंड की तरह (अधिकांश पुनः प्रयुक्त पंक्तियाँ झारखंड की हैं और बेसमेंट लिखती हैं; मध्य प्रदेश से पुनः प्रयुक्त किसी पंक्ति का तहखाना बेसमेंट में बदला जाएगा; नीचे की † पंक्ति देखें)

English	हिन्दी
Localities and places of the cities named in the Manual †	रायपुर: महादेव घाट (Mahadev Ghat; "ghat" → घाट), अमलेश्वर (Amleshwar), खुडमुड़ा (Khudmuda; वर्तनी सत्यापित नहीं), अमनपुर, पथरीडीह (Pathardihi; CWC स्थल; वर्तनी सत्यापित नहीं, रोमन कोष्ठक सहित), फाफाडीह और गुढ़ियारी (Fafadih, Gudhiyari; "the Fafadih and Gudhiyari underpasses" → फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास), चौबे कॉलोनी (Chaubey Colony), टाटीबंध (Tatibandh), शंकर नगर (Shankar Nagar), मोवा (Mowa), बूढ़ापारा (Budhapara), पुरानी बस्ती (Purani Basti), सदर बाजार (Sadar Bazar), टिकरापारा (Tikrapara), चंदनीडीह, कारा और निमोरा (Chandanidih, Kara, Nimora; शोधन संयंत्र), बिरगांव, रेलवे स्टेशन / बिलासपुर: सरकंडा (Sarkanda), अभिषेक विहार (Abhishek Vihar), तिफरा (Tifra), आदर्श नगर, डीडी नगर (DD Nagar) / भिलाई और दुर्ग: जुनवानी (Junwani), कोसानाला (Kosanala), कुम्हारी / कोरबा: मोतीसागरपारा (Motisagarpada; अंग्रेजी की वर्तनी "-pada"), सीतामणी (Seetamani), इमलीडुग्गू (Imliduggu), धनरास (Dhanras), झाबू और नवागांव (Jhabu, Nawagaon), कोरबा पश्चिम (Korba West) / जांजगीर-चांपा: बलौदा (Baloda; नगर पंचायत) / राजनांदगांव जिला (पूर्व): अंबागढ़ चौकी विकासखंड का कौड़ीकसा (Kaudikasa) — वर्तनी सत्यापित न होने वाले नाम हर बार रोमन कोष्ठक सहित
Watertight (walls and floor of a basement)	जलरोधी (watertight)
Public work / works / detailed project report (DPR) / tender / estimate	लोक निर्माण कार्य / कार्य / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) / निविदा / प्राक्कलन
Department (Government) / Division / Circle / Sub-division (office)	विभाग / मंडल (Division) / परिमंडल (Circle) / उपमंडल — † छत्तीसगढ़ के विभागों के कार्यालयों के लिए संभाग (Division) और उपसंभाग (Sub-division), मध्य प्रदेश की तरह ("जल संसाधन संभाग", सत्यापित); राजस्व संभाग भी संभाग ("the Bastar division" → बस्तर संभाग); छत्तीसगढ़ में मंडल बोर्ड का शब्द है (छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल), इसलिए Division के लिए नहीं; झारखंड का प्रमंडल, अंचल, अवर प्रमंडल नहीं (नीचे की † पंक्ति "Division" देखें)
Government of Chhattisgarh †	**छत्तीसगढ़ शासन** (सत्यापित — शासन के पत्रों और अधिनियम-पाठों का शीर्ष, जैसे जल संसाधन विभाग के भू-जल अधिनियम के हिन्दी पाठ का "छत्तीसगढ़ शासन / जल संसाधन विभाग" और आवास एवं पर्यावरण विभाग के 2009 के पत्र का "मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन"; मध्य प्रदेश संस्करण के "मध्यप्रदेश शासन" का समकक्ष; पुल्लिंग: "छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकार नहीं किया है", "छत्तीसगढ़ शासन का आदेश") — केवल जहाँ अंग्रेजी "the Government of Chhattisgarh" कहती है; "the State Government", "the Government" → राज्य सरकार, सरकार; "all departments of the Government" (सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश) → शासन के समस्त विभाग; संदर्भ-सूची का "Government of Chhattisgarh." अंग्रेजी में वैसे ही; छत्तीसगढ़ सरकार नहीं
Chhattisgarh (as a place, in the Manual's title and in official names) / Madhya Pradesh (until November 2000) / neighbours / Chhattisgarhi †	**छत्तीसगढ़** — एक शब्द, ड़ के साथ (NFC में ड + नुक्ता); स्थान, इस मैनुअल का शीर्षक (छत्तीसगढ़ वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल) और सभी आधिकारिक नामों में एक ही रूप; "CG" ("CG Rajpatra", "CG-Z1") संदर्भ और कोड में रोमन; छ.ग., छ0ग0 केवल उद्धरण या संख्या में जो अंग्रेजी देवनागरी में देती है / **मध्य प्रदेश** ("Chhattisgarh was part of Madhya Pradesh until November 2000" → छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का भाग था; "name its districts as districts of "Madhya Pradesh" (one annex of a CWC report spells it "Madhaya Pradesh")" → उसके जिलों को "मध्य प्रदेश" के जिलों के रूप में लिखते हैं (CWC की एक रिपोर्ट का एक अनुलग्नक इसे "Madhaya Pradesh" लिखता है); मध्य प्रदेश के अधिनियमों के नाम में मध्यप्रदेश एक शब्द, मध्य प्रदेश संस्करण की तरह) / पड़ोसी: ओडिशा (हीराकुंड; इंद्रावती के डैम; "Odisha's" → ओडिशा के), झारखंड ("Brahmani/Sankh" केवल यदि अंग्रेजी नाम ले), उत्तर प्रदेश (रिहंद), तेलंगाना और आंध्र प्रदेश (गोदावरी; कोंटा पर बैकवाटर), महाराष्ट्र — केवल जहाँ अंग्रेजी नाम लेती है / भाषा: **छत्तीसगढ़ी** (Chhattisgarhi; "Hindi and Chhattisgarhi terms" → हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्द; "No Chhattisgarhi dictionary was consulted" → कोई छत्तीसगढ़ी शब्दकोश नहीं देखा गया)
Government of India / State Government	भारत सरकार / राज्य सरकार

English	हिन्दी
Chief Secretary / Secretary (of a Department)	मुख्य सचिव / सचिव
Water Resources Department, Chhattisgarh (WRD; Jal Sansadhan Vibhag) / WRD division / Irrigation Department / Daily Tank Gauge Report †	**जल संसाधन विभाग** (WRD; पुल्लिंग; सत्यापित; "WRD (Jal Sansadhan Vibhag)" → WRD (जल संसाधन विभाग)) — "holds the State's rivers, dams, barrages and reservoirs" → राज्य की नदियों, डैमों, बैराजों और जलाशयों का धारक है; "WRD (division)" → WRD (संभाग); "WRD division" → WRD संभाग (सत्यापित "जल संसाधन संभाग"); "Irrigation Department" (2011 की चेकलिस्ट; उद्धरण) → सिंचाई विभाग / "WRD, Daily Tank Gauge Report of 10 October 2024" → WRD की 10 अक्तूबर 2024 की दैनिक जलाशय गेज रिपोर्ट (*Daily Tank Gauge Report* संदर्भों में अंग्रेजी) / "high flood point from WRD" → WRD से उच्च बाढ़ बिंदु
Releases from Gangrel, Bango and the barrages / the Hirakud backwater / dams in Odisha †	छोड़ा गया पानी / निकास (releases; "Bango released about 30,000 cusecs (850 m^3/s) through six gates and Darri about 20,000 cusecs" → बांगो ने छह गेटों से लगभग 30,000 क्यूसेक (850 m^3/s) और दर्री ने लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा; "Gangrel and barrage releases included" → गंगरेल और बैराजों से छोड़ा गया पानी सम्मिलित; "operating rules and release records [TBC]" → प्रचालन नियम और निकास के अभिलेख [TBC]) / **हीराकुंड का बैकवाटर** (Hirakud backwater; "the backwater of the Hirakud reservoir in Odisha, which partly submerges 33 villages in Chhattisgarh, as reported" → ओडिशा में हीराकुंड जलाशय का बैकवाटर, जो प्रकाशित खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 33 गाँवों को आंशिक रूप से डुबोता है; "carried up the backwater" → बैकवाटर में ऊपर तक ले जाया गया; "Hirakud's levels to be obtained through WRD from Odisha [TBC]" → हीराकुंड के स्तर WRD के माध्यम से ओडिशा से प्राप्त किए जाने हैं [TBC]; "the Hirakud gates were opened at the State's request" → राज्य के अनुरोध पर हीराकुंड के गेट खोले गए) — DVC/DVRRC की पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ में नहीं
Public Works Department (PWD) / NHAI / Indian Railways †	लोक निर्माण विभाग (PWD) / NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) / भारतीय रेल — "road and rail owners" → सड़क और रेल के स्वामी
Revenue and Disaster Management Department / General Administration Department (GAD) / Public Health Engineering Department (PHED) †	**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग** (Revenue and Disaster Management Department; revenue_dept; पुल्लिंग; राज्य के राजपत्र-सूचियों का विभाग-नाम; "the Collectors and the tehsil offices" → कलेक्टर और तहसील कार्यालय) / **सामान्य प्रशासन विभाग** (GAD; पुल्लिंग; "GAD, Chhattisgarh" → सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़) / **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग** (PHED; मध्य प्रदेश संस्करण में सत्यापित रूप; "PHED, Chhattisgarh" → लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़)
Tehsil / tehsil office / revenue village / district administration / Gram Panchayat †	**तहसील** (tehsil; revenue_subdivision; जिले का राजस्व उप-भाग, तहसीलदार के अधीन; स्त्रीलिंग; "a tehsil is the revenue subdivision of a district, under a Tahsildar, who hears cases of encroachment on public land and tanks" → तहसील जिले का राजस्व उप-भाग है, एक तहसीलदार के अधीन, जो सार्वजनिक भूमि और तालाबों पर अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई करता है; "the land records of the tehsil" → तहसील के भू-अभिलेख; "tehsil rain gauges" → तहसील वर्षामापी) / तहसील कार्यालय / राजस्व ग्राम / जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत — झारखंड का अंचल और अंचल अधिकारी नहीं
Forest and Climate Change Department / Department of Agriculture / State Biodiversity Board / Forest Division †	**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** (Forest and Climate Change Department; आर्द्रभूमि प्राधिकरण का नोडल विभाग, प्रकाशित खबरों के अनुसार; आधिकारिक हिन्दी नाम सत्यापित नहीं) / छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग ("Chhattisgarh Department of Agriculture") / राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Board) / वन मंडल (Forest Division; वन विभाग की इकाई का प्रचलित नाम — छत्तीसगढ़ में भी "वनमंडल", यहाँ दो शब्द; WRD के संभाग से अलग)

English	हिन्दी
Block (administrative and CGWB) / critical blocks / Dharsiwa †	**विकासखंड** (block; पुल्लिंग; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप) — "five blocks of the plain around Raipur, Balod and Bemetara are critical" → रायपुर, बालोद और बेमेतरा के आसपास मैदान के पाँच विकासखंड गंभीर (critical) हैं; "Dharsiwa in Raipur district at 93.51%" → रायपुर जिले का धरसीवां, 93.51% पर; "the Ambagarh Chowki block" → अंबागढ़ चौकी विकासखंड; "over-exploited/critical blocks" (अधिनियम) → "अति-दोहित/गंभीर विकासखंड" — प्रखंड (बिहार, झारखंड) नहीं; ब्लॉक केवल समय-खंड या विधि के नाम में (ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि, 1-घंटे का ब्लॉक) / आकलन इकाई (assessment unit)
Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) / the Central and State Pollution Control Boards †	**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल** (CECB; पुल्लिंग; राज्य के हिन्दी समाचारों और जनसंपर्क का रूप; **Board = मंडल**, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजभाषा-शैली; बोर्ड या पर्षद नहीं) — "CECB told the NGT" → CECB ने NGT को बताया; "the State's pollution control board" → राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सामान्य अर्थ, अंग्रेजी के शब्दों में) / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
Chhattisgarh State Disaster Management Authority (CGSDMA) / District Disaster Management Authority †	**छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** (CGSDMA; पुल्लिंग; राज्य की राजपत्र-सूची का शीर्षक "छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन"; "reported to have been constituted in 2007" → प्रकाशित खबरों के अनुसार 2007 में गठित) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Chhattisgarh State Wetland Authority (the State Wetland Authority; the Authority) / District Wetland Conservation Committee †	**छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण** (Chhattisgarh State Wetland Authority; पुल्लिंग; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत; आधिकारिक हिन्दी नाम सत्यापित नहीं — समाचार "राज्य वेटलैंड प्राधिकरण" लिखते हैं, पर इस मैनुअल में wetland सदा आर्द्रभूमि; "the Authority" जब इसी का अर्थ हो → आर्द्रभूमि प्राधिकरण) — "reconstituted by an order of the General Administration Department of 17 December 2021 according to its report to the National Green Tribunal in O.A. 351/2019" → O.A. 351/2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दी गई उसकी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के 17 दिसंबर 2021 के आदेश से पुनर्गठित; "halted works at Karbala Talab" → करबला तालाब पर कार्य रुकवाए; "a probe was ordered at Narhaiya Talab" → नरैया तालाब पर जाँच का आदेश दिया गया; "directed NRDA to withdraw tenders for plots and residences beside the Jhanjh wetland" → NRDA को झांझ आर्द्रभूमि के पास भूखंडों और आवासों की निविदाएँ वापस लेने का निर्देश दिया; "the working regulator of Raipur's talabs" → रायपुर के तालाबों का व्यावहारिक नियामक / **जिला आर्द्रभूमि संरक्षण समिति** (District Wetland Conservation Committee; "the Collector chairs" → कलेक्टर अध्यक्ष हैं)
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya (IGKV), Raipur / NIT Raipur / IIT Bhilai / Chhattisgarh Council of Science and Technology / CSWCRTI, Dehradun / Geological Survey of India †	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (IGKV) / NIT रायपुर / IIT भिलाई / छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Chhattisgarh Council of Science and Technology) / केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून (Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute) / भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) / NIH, रुड़की — लेखकों के नाम रोमन में
Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) / Ministry of Urban Development (MoUD, former)	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) / शहरी विकास मंत्रालय (MoUD, पूर्ववर्ती)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
Central Water Commission (CWC)	केंद्रीय जल आयोग (CWC)
Central Ground Water Board (CGWB) / Central Ground Water Authority (CGWA)	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) / केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA)

English	हिन्दी
India Meteorological Department (IMD) / Meteorological Centre Raipur / Climate of Chhattisgarh (IMD, 2015) †	भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) / **मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर** ("IMD's Raipur centre", "IMD Raipur", "IMD Meteorological Centre Raipur" → IMD का रायपुर केंद्र / IMD रायपुर / IMD मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर; संदर्भों में अंग्रेजी; "IMD's Raipur centre uses 10 June and 15 October" → IMD का रायपुर केंद्र 10 जून और 15 अक्तूबर लेता है) / *Climate of Chhattisgarh* (शीर्षक अंग्रेजी में, इटैलिक; "Climatological Summaries of States Series No. 22, 2015" वैसा ही) / *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations* (अंग्रेजी) / "new normals" → नए सामान्य मान (Pai et al., 2020)
National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की
National Disaster Management Authority (NDMA)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
National Green Tribunal (NGT)	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
Comptroller and Auditor General of India (CAG)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)
Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO)	केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO)
Indian Roads Congress (IRC)	इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC)
Survey of India (SoI) / National Hydrographic Office (NHO) / ISRO	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI) / राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO) / ISRO
No coast / landlocked †	"Chhattisgarh has no coast and no tidal reach" → छत्तीसगढ़ का कोई तट और कोई ज्वारीय नदी-भाग नहीं है; **No tidal outfalls in Chhattisgarh.** → **छत्तीसगढ़ में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं.**; "River mouths subject to sand-bar closure: None in Chhattisgarh" → बालू-अवरोध से बंद होने वाले नदी-मुख: छत्तीसगढ़ में कोई नहीं; भू-आबद्ध (landlocked)
NHAI / IIT Roorkee / ICAR / NBSS&LUP	NHAI / IIT रुड़की / ICAR / NBSS&LUP
ADB / CSE / AMRUT / URDPFI / APWA / PUB / MSMA / CIRIA	संक्षिप्त रूप वैसे ही; CSE = विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment); AMRUT = अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
Supreme Court / High Court / Tribunal	उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय / अधिकरण (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, और NGT की केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल: † पंक्ति देखें)
Bench (of a court)	पीठ
Judgment / order / direction / PIL / writ petition (W.P.(C)) / original application (O.A.) / execution application (E.A.) / contempt / affidavit / compliance report / status report	निर्णय / आदेश / निर्देश / जनहित याचिका / रिट याचिका (W.P.(C)) / मूल आवेदन (O.A.) / निष्पादन आवेदन (E.A.) / अवमानना / शपथ-पत्र / अनुपालन रिपोर्ट / स्थिति रिपोर्ट
Police complaint	पुलिस शिकायत
Performance audit / audit / CAG report	निष्पादन लेखापरीक्षा / लेखापरीक्षा / CAG की रिपोर्ट
Custodian (of a waterbody)	अभिरक्षक (custodian)

English	हिन्दी
Revenue records / survey number / village / tehsil / district	राजस्व अभिलेख / सर्वे संख्या (survey number) / गाँव (राजस्व ग्राम) / तहसील (tehsil; † छत्तीसगढ़ में जिले का राजस्व उप-भाग, तहसीलदार के अधीन; स्त्रीलिंग — नीचे की पंक्ति देखें) / जिला
Nistar / nistar rights / ghats / Gram Panchayat / village tanks †	**निस्तार** (nistar: गाँव की भूमि और जल पर ग्राम समुदाय के सामूहिक उपयोग के अधिकार; पुल्लिंग; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप; "rights of irrigation or nistar" → सिंचाई या निस्तार के अधिकार; "Bathing and washing at a talab's ghats, and watering cattle, are nistar uses" → तालाब के घाटों पर नहाना और कपड़े धोना, और पशुओं को पानी पिलाना, निस्तार उपयोग हैं; "the ghats used for bathing and washing (nistar) stay part of the talab" → नहाने और कपड़े धोने (निस्तार) के घाट तालाब का भाग बने रहते हैं; अंग्रेजी का इटैलिक *nistar* रखें; उद्धरण में शोध-पाठ की तरह "निस्तार (nistar)") / घाट (ghat) / ग्राम पंचायत / गाँव के तालाब (village tanks; "tanks over which a village exercised rights of irrigation or nistar vested in the State on 6 April 1959" → जिन तालाबों पर गाँव सिंचाई या निस्तार के अधिकारों का प्रयोग करता था वे 6 अप्रैल 1959 को राज्य सरकार में निहित हुए)
Colony / colonies across the lines of drainage / underpasses / integrated township †	कॉलोनी / "cities whose new colonies, underpasses and roads lie across the natural lines of drainage" → ऐसे शहर जिनकी नई कॉलोनियाँ, अंडरपास और सड़कें जल निकासी की प्राकृतिक रेखाओं के आर-पार हैं / **एकीकृत उपनगर** (integrated township; भूमि विकास नियम के 2008 के संशोधन का अपना शब्द, "एकीकृत उपनगर"; "integrated townships may not be sited on the bank of a perennial river" → एकीकृत उपनगर किसी बारहमासी नदी के तट पर स्थित नहीं हो सकते — अंग्रेजी जहाँ परिशिष्ट ण का पाठ उद्धृत करे वहाँ मूल हिन्दी हूबहू: "परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में स्थित हो तथा बारामासी नदी के तट से लगे हो" (स्रोत की वर्तनी))
Acre / hectare (ha)	एकड़ / हेक्टेयर (ha)
Map / plan (drawing) / plan (scheme)	मानचित्र / नक्शा (drawing) / योजना (scheme) — पूरा नियम नीचे "Plan" की पंक्तियों में
Waterbody	जलाशय (waterbody) — चालू पाठ में waterbody के लिए सदा जलाशय; † "The Niyam define no water body" → भूमि विकास नियम किसी जलाशय (water body) को परिभाषित नहीं करते; NGT के आदेश का "recorded as a pond, a water body" → "तालाब, जलाशय के रूप में दर्ज" ("recorded as a pond, a water body"); 2002 के नियमितीकरण अधिनियम और कोपरा जलाशय का जलाशय वही शब्द (परिशिष्ट 7E की तालिका 7E.3); "turned into sprawling water bodies" (समाचार) → "फैले हुए जलाशयों में बदल गया"
Marsh / swamp / wetland / mudflat	दलदल (marsh) / दलदली भूमि (swamp) / आर्द्रभूमि (wetland) / कीचड़ वाला मैदान (mudflat)
Floodplain wetland / depression (land)	डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि / निचला गड्ढा (depression)
Ramsar site of Chhattisgarh: Kopra Jalashay (site 2583; 210 ha) †	**कोपरा जलाशय** (Kopra Jalashay; रामसर स्थल संख्या 2583; 210 ha; बिलासपुर के पास; WRD का 1993 में बना जलाशय) — "the State's first Ramsar site" → राज्य का पहला रामसर स्थल; "with a designation date of 8 August 2025 on its Ramsar information sheet (it was announced in December 2025)" → उसके रामसर सूचना पत्रक पर नामांकन की तिथि 8 अगस्त 2025 (इसकी घोषणा दिसंबर 2025 में हुई); "overflows to the Ghonga, which joins the Maniyari and the Seonath" → घोंघा (Ghonga; वर्तनी सत्यापित नहीं) में उफनता है, जो मनियारी और शिवनाथ से मिलता है; "Ramsar Information Sheet, site 2583" संदर्भों में अंग्रेजी; "the Kopra Ramsar site" → कोपरा रामसर स्थल
Revenue records / land records / survey numbers †	राजस्व अभिलेख / भू-अभिलेख (land records; "the land records of the tehsil" → तहसील के भू-अभिलेख) / सर्वे संख्याएँ — "Name as in Revenue and WRD records, with local name" → राजस्व और WRD के अभिलेखों के अनुसार नाम, स्थानीय नाम सहित; "a pond recorded in the revenue record" → राजस्व अभिलेख में दर्ज तालाब; छत्तीसगढ़ की अंग्रेजी में खसरा, खतियान, शामलात नहीं

English	हिन्दी
Nala / narwa / nali (Chhattisgarh terms in running text); the nalas of Durg and Raipur †	नाला (nala; पुल्लिंग; "the Shankar and Pulgaon nalas" → शंकर और पुलगांव नाले; "the Goverdhan nala" → गोवर्धन नाला; "colony nalas" → कॉलोनी के नाले) / नरवा (narwa; पुल्लिंग; बहुवचन नरवे) / नाली (nali; स्त्रीलिंग; केवल जहाँ अंग्रेजी nali लिखती है: "colony drains (nali)" → कॉलोनी की ड्रेनें (नाली)) — "nala reserves" → नाला आरक्षित पट्टियाँ; "natural nalas" → प्राकृतिक नाले; "major nala" → प्रमुख नाला
Soils and rocks of Chhattisgarh: Chhattisgarh Supergroup limestone (Chandi, Charmuria) / karst / cavity / sinkhole / Bastar granite and gneiss / laterite / murram / ferricrete / Gondwana coal measures / trap of Mainpat / shrink–swell soils †	**चूना पत्थर** (limestone; "the limestone, dolomite and shale of the Chhattisgarh Supergroup" → छत्तीसगढ़ सुपरग्रुप के चूना पत्थर, डोलोमाइट और शेल) / **चंडी / चरमुरिया चूना पत्थर** (Chandi, Charmuria limestone) / **कार्स्ट / कार्स्टीकृत** (karst, karstified) — CGWB उद्धरण "Karstified and Cavernous" → "कार्स्टीकृत और गुहायुक्त" ("Karstified and Cavernous"); "solution cavities along the bedding plane is very common and these cavernous zones are filled with clay material" → "संस्तरण तल के साथ विलयन गुहाएँ बहुत सामान्य हैं और ये गुहायुक्त क्षेत्र चिकनी मिट्टी से भरे हैं" (स्रोत का व्याकरण अंग्रेजी में वैसे ही); "filled with clay material" → "चिकनी मिट्टी से भरे" / **गुहा** (cavity; "a cavity check" → गुहा जाँच) / **सिंकहोल** (sinkhole) / बस्तर ग्रेनाइट और नीस (Bastar granite, gneiss) / लैटेराइट (laterite; पुल्लिंग) / मुरम (murram) / फेरीक्रीट (ferricrete) / गोंडवाना कोयला संस्तर (Gondwana coal measures) / मैनपाट और जशपुर का ट्रैप ("laterite on the trap of Mainpat and Jashpur" → मैनपाट और जशपुर के ट्रैप पर लैटेराइट) / फूलने-सिकुड़ने वाली मिट्टियाँ (shrink–swell soils) / "acts as an aquiclude" → "जलरोधी परत (aquiclude) का काम करती है" / "hard rock" → कठोर चट्टान ("About 87% of the State is hard rock" → राज्य का लगभग 87% कठोर चट्टान है)
Plain / plateau / hills / paddy plain / bunded fields / paddy lowland †	**छत्तीसगढ़ का मैदान** (Chhattisgarh plain) / **धान का मैदान** (paddy plain; "a flat paddy plain whose clay seals once wet" → एक समतल धान का मैदान जिसकी चिकनी मिट्टी भीगने पर बंद हो जाती है) / **मेड़बंद खेत** (bunded fields; "laid out in bunded paddy fields" → मेड़बंद धान के खेतों में बँटा) / **धान की निचली भूमि** (paddy lowland; "paddy-lowland fringe" → धान की निचली भूमि की किनारी पट्टी) / **बस्तर पठार** (Bastar plateau) / **उत्तरी पहाड़ियाँ** (northern hills) / **मैकल पर्वतमाला** (Maikal range) — "gentle slopes (0–5% at Naya Raipur)" → हल्के ढलान (नया रायपुर में 0–5%)
Mine void / pit lake / working mine / lessee / opencast (definitions after Clause 7.2) †	**खदान का गड्ढा** (mine void; पुल्लिंग; बहुवचन खदान के गड्ढे; झारखंड संस्करण का निर्णय) / **खदान झील** (pit lake; स्त्रीलिंग) / चालू खदान (working mine; "an active mine or working" → कोई सक्रिय खदान या कार्यस्थल) / पट्टाधारी (lessee; "recorded … with its lessee as custodian" → उसके पट्टाधारी को अभिरक्षक के रूप में दर्ज करके) / खनन पट्टा / खुली खदान (opencast) — "in the coalfields of Korba, Raigarh and Surguja a mine void is the pit left by opencast mining" → कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्रों में खदान का गड्ढा खुली खदान के खनन से छूटा गड्ढा है; परिभाषा के **नहीं** और **कभी नहीं** बोल्ड; "a fenced pit lake to which the public has no access" → बाड़ से घिरी खदान झील जिस तक जनता की पहुँच नहीं; "benches and highwalls" → बेंच और हाईवॉल; "the Korba, Mand-Raigarh and Surguja coalfields" → कोरबा, मांड-रायगढ़ और सरगुजा कोयला क्षेत्र; "Kusmunda and Gevra" → कुसमुंडा और गेवरा; "drawdown cones about 1.2 km wide" → लगभग 1.2 km चौड़े अवनमन शंकु; mine dewatering → खदान का निर्जलीकरण (जल-निकासी नहीं)
Overburden (OB) / overburden dump / mine-disturbed ground / garland drain / sediment basin (definitions after Clause 7.2) †	**ओवरबर्डन** (overburden, OB; पुल्लिंग; "OB is overburden in the coalfields" → OB कोयला क्षेत्रों में ओवरबर्डन है) / **ओवरबर्डन डंप** (overburden dump, OB dump; "the heap of rock and soil removed to reach the coal" → कोयले तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान और मिट्टी का ढेर) / **खनन से विक्षुब्ध भूमि** (mine-disturbed ground; "ground filled with ash is treated in the same way" → राख से भरी भूमि को भी इसी प्रकार माना जाता है) / गारलैंड ड्रेन (garland drain; "toe drains (garland drains)" → टो ड्रेनें (गारलैंड ड्रेनें)) / अवसादन बेसिन (sediment basin) / बैकफिल्ड या सुधारी गई खनन भूमि, संघनित बेंच और हॉल रोड

English	हिन्दी
Ash pond / ash dyke / ash dam / fly ash / slurry / dyke breach (definitions after Clause 7.2) †	**ऐश पॉन्ड** (ash pond; पुल्लिंग; ओवरबर्डन डंप की तरह अंग्रेजी का ऋण-शब्द, ताकि तालाब (talab) से कभी न टकराए; "Ash pond; ash dyke" → ऐश पॉन्ड; राखड़ बाँध; "the ash ponds of NTPC at Dhanras, of CSPGCL at Korba West and of BALCO near Korba" → धनरास में NTPC के, कोरबा पश्चिम में CSPGCL के और कोरबा के पास BALCO के ऐश पॉन्ड; "the ash-pond operator" → ऐश पॉन्ड का संचालक; "drains of ash ponds" → ऐश पॉन्ड की ड्रेनें) / **राखड़ बाँध** (ash dyke; और अंग्रेजी का "ash dam" भी; पुल्लिंग; छत्तीसगढ़ का अपना शब्द — 2006 के धनरास के टूटने पर लोक सभा के हिन्दी अभिलेख और कोरबा के समाचार "राखड़ बांध" / "राखड़ डैम" लिखते हैं; यहाँ मानक वर्तनी बाँध; "an earthen ash dyke" → मिट्टी का राखड़ बाँध; "slurry from BALCO's ash dam" → BALCO के राखड़ बाँध की स्लरी) / **फ्लाई ऐश** (fly ash) / **स्लरी** (slurry) / **राखड़ बाँध का टूटना** (dyke breach; "breached" → टूट गया; "the path of a breach of its dyke is a hazard to be mapped, not a design inflow" → उसके बाँध के टूटने का मार्ग मानचित्रित किया जाने वाला खतरा है, डिजाइन अंतर्वाह नहीं; "ash-dyke breach paths" → राखड़ बाँध टूटने के मार्ग; **Ash-dyke breach.** → **राखड़ बाँध का टूटना.**) — "Ash pond or ash dyke of a power station" (परिशिष्ट 3B) → किसी बिजली घर का ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध
Eco-cultural asset / protected monument	पर्यावरण-सांस्कृतिक धरोहर (eco-cultural asset) / संरक्षित स्मारक
Water-sensitive urban design (WSUD)	जल-संवेदी शहरी डिजाइन (WSUD)
Zero discharge / zero run-off	शून्य निस्सरण (zero discharge) / शून्य अपवाह (zero run-off)
Aquaculture pond / fishery	मत्स्य पालन तालाब / मत्स्य क्षेत्र
River / stream / streamlet	नदी / धारा (stream) / छोटी धारा
Water course	जलमार्ग (water course)
Abandoned quarry / mine pit / borrow pit	परित्यक्त खदान (abandoned quarry) / खदान का गड्ढा / मिट्टी निकालने का गड्ढा (borrow pit)
Reservoir margin	जलाशय का किनारा
Filled-up tank	भरा जा चुका तालाब (filled-up tank)
Backwater (river, below a barrage)	पश्चजल (backwater)
Open well / tube well / borewell	खुला कुआँ / नलकूप (tube well) / बोरवेल
Natural levee	प्राकृतिक तटबंध (natural levee)
High flood level (HFL) / high flood level (without the abbreviation) / mean high flood level / "normal high flood level"	उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) — "high flood level" का अर्थ HFL ही है, इसलिए वह भी सदा उच्चतम बाढ़ स्तर ("उच्च बाढ़ स्तर" नहीं) / औसत उच्च बाढ़ स्तर (mean high flood level, आर्द्रभूमि नियम) / "सामान्य उच्च बाढ़ स्तर" ("normal high flood level", केवल उद्धरण में)
Danger level / warning level / evacuation level	खतरे का स्तर (danger level) / चेतावनी स्तर (warning level) / निष्क्रमण स्तर (evacuation level; "जल निकासी" से अलग)

English	हिन्दी
River gauges and flood forecasting sites named in the Manual (CWC) / the local gauge at Jagdalpur †	इंद्रावती: जगदलपुर (CWC का बाढ़ पूर्वानुमान स्थल; "warning level of 539.49 m (539.50 m in one advisory) and a danger level of 540.80 m" → चेतावनी स्तर 539.49 m (एक परामर्श में 539.50 m) और खतरे का स्तर 540.80 m; "highest flood level, 544.68 m of 9 July 1973" → उच्चतम बाढ़ स्तर, 9 जुलाई 1973 का 544.68 m), चिंदनार (Chindnar) / नारंगी: सोनारपाल (Sonarpal) / सबरी: तालनार (Talnar), ओडिनगुडा (Odinaguda; कोंटा) / खारुन: पथरीडीह (Pathardihi; रायपुर) / हसदेव: कटघोरा (Katghora), बांगोडैम (Bangodam; CWC स्थल का एक-शब्द नाम) / महानदी: कलमा (Kalma), सूरजगढ़ (Surajgarh), राजिम, शिवरीनारायण, बसंतपुर / मांड: कुरुभाठा (Kurubhata) / मनियारी: मनियारी (Maniyari) / हांप: अंधियारखोर (Hamp, Andhiyar Khore) / पैरी: मालगांव (Malgaon) — तालिकाओं (5B.1) और संदर्भों में स्थल-नाम रोमन, चालू पाठ में देवनागरी; वर्तनी सत्यापित नहीं (Chindnar, Sonarpal, Talnar, Odinaguda, Pathardihi, Bangodam, Kurubhata, Andhiyar Khore, Hamp) तो हर फाइल में पहली बार रोमन कोष्ठक सहित / "the local gauge" → स्थानीय गेज; "WL and DL are CWC's warning and danger levels" → WL और DL CWC के चेतावनी और खतरे के स्तर हैं
Displaced (people) / evacuation	विस्थापित / निष्क्रमण
Rivers named in the Manual †	**महानदी**, **शिवनाथ** (Seonath; अंग्रेजी के Sheonath और Shivnath रूप — Names अनुच्छेद में रोमन वैसे ही: "the **Seonath** is also written **Sheonath** and **Shivnath**, the form of many State and court documents" → **शिवनाथ** (Seonath) को **Sheonath** और **Shivnath** भी लिखा जाता है, जो राज्य और न्यायालयों के अनेक दस्तावेजों का रूप है), **खारुन** (Kharun; स्त्रीलिंग, नदी), **अरपा**, **मनियारी** (Maniari; "the **Maniari** Maniyari" → मनियारी (Maniari; Maniyari)), **हसदेव** (Hasdeo; "Hasdo" आए तो वही), **मांड** (Mand), **केलो** (Kelo), **पैरी** (Pairi), **हांप** (Hamp; वर्तनी सत्यापित नहीं), **इंद्रावती**, **नारंगी** (Narangi), **सबरी** (Sabari), **गोदावरी**, **रिहंद** (Rihand), **कन्हार** (Kanhar; नदी — मिट्टी कन्हार से अलग: कन्हार नदी), **गोपद** (Gopad), **सोन**, **ईब** (Ib), **ब्राह्मणी**, **कोटरी** (Kotri), **नर्मदा**, **वैनगंगा**; छोटी धाराएँ (CWC FER के जलग्रहण): लीलागर (Lilagar), परीं (Parri), बोराई (Borai), करवार (Karwar) — वर्तनी सत्यापित नहीं, रोमन सहित; घोंघा (Ghonga) — सभी नदियाँ स्त्रीलिंग ("खारुन महादेव घाट पर उफनी")
Nalas and drains named in the Manual †	शंकर नाला और पुलगांव नाला (Shankar, Pulgaon; दुर्ग), गोवर्धन नाला (Goverdhan nala; रायपुर), बेलगिरी (रुकबहरी) नाला (Belgari (Rukbahari) nala; कोरबा; वर्तनी सत्यापित नहीं — रोमन कोष्ठक सहित) — "the four major streams" (नवा रायपुर) → चार प्रमुख धाराएँ; अंग्रेजी में nala है तो नाला, drain है तो ड्रेन, narwa है तो नरवा
Wetlands named in the Manual / no notified wetland †	कोपरा जलाशय (ऊपर देखें); झांझ आर्द्रभूमि (Jhanjh wetland; नवा रायपुर); करबला तालाब और नरैया तालाब (Karbala Talab, Narhaiya Talab; रायपुर; "deemed" wetlands → "मानित" आर्द्रभूमियाँ) — "no wetland notified under those Rules was found" → उन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित कोई आर्द्रभूमि नहीं मिली; "the marshy low land and depressions of the river floodplains" → नदियों के डूब क्षेत्रों की दलदली निचली भूमि और गर्त
Talabs, lakes and reservoirs named in the Manual †	रायपुर: **बूढ़ा तालाब** (Budha Talab; विवेकानंद सरोवर, Vivekananda Sarovar; बूढ़ापारा में; "reported at about 30 ha" → प्रकाशित खबरों के अनुसार लगभग 30 ha; "The official name was not confirmed" → आधिकारिक नाम की पुष्टि नहीं हुई — तालिका 7E.5 का देवनागरी "बूढ़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर" हूबहू), तेलीबांधा (Telibandha), कंकाली तालाब (Kankali), महाराजबंध (Maharajbandh), करबला तालाब (Karbala Talab), नरैया तालाब (Narhaiya Talab; वर्तनी सत्यापित नहीं), राजा तालाब (Raja Talab) / बिलासपुर: माधो तालाब, तिफरा (Madho Talab, Tifra) / बलौदा (जांजगीर-चांपा): बाबू, नोनी और रामसागर तालाब और अंधारी तालाब (Babu, Noni, Ramsagar ponds, Andhari Talab; वर्तनी सत्यापित नहीं) / नवा रायपुर: सेंध, झांझ, खंडवा — "Raipur is reported to have had about 130 ponds, of which 37 to 40 remain, about 69 ha in all; the counts conflict" → प्रकाशित खबरों के अनुसार रायपुर में लगभग 130 तालाब थे, जिनमें से 37 से 40 बचे हैं, कुल लगभग 69 ha; गिनतियाँ परस्पर विरोधी हैं; "69.239 ha" वैसे ही; नाम में तालाब हो तो "Talab" के लिए अलग शब्द न जोड़ें ("Karbala Talab" → करबला तालाब)

English	हिन्दी
Regions of the State †	**छत्तीसगढ़ का मैदान** (Chhattisgarh plain; "the basin of the upper Mahanadi and the Seonath around Raipur, Durg–Bhilai, Bilaspur and Rajnandgaon" → रायपुर, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव के आसपास ऊपरी महानदी और शिवनाथ का बेसिन) / **बस्तर पठार** (Bastar plateau; "the Bastar division on the Indravati and the Sabari" → इंद्रावती और सबरी पर बस्तर संभाग) / **उत्तरी पहाड़ियाँ** (northern hills: सरगुजा, कोरिया और जशपुर) / **मैकल पर्वतमाला** (Maikal range) / कोयला क्षेत्र: कोरबा, मांड–रायगढ़, सरगुजा, हसदेव अरण्य (Hasdeo-Arand), बिश्रामपुर, चिरमिरी, बैकुंठपुर / रायपुर–दुर्ग–राजनांदगांव पट्टी (belt; चूना पत्थर) / गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र (Godavari frontage) — "The names describe regions, not administrative units, except where a district bears the same name" → ये नाम क्षेत्रों का वर्णन करते हैं, प्रशासनिक इकाइयों का नहीं, सिवाय जहाँ किसी जिले का वही नाम हो; en dash वैसा ही
Cities, towns and districts named in the Manual †	रायपुर, बिरगांव, नवा रायपुर अटल नगर (Nava Raipur Atal Nagar; "Naya Raipur" → नया रायपुर, "Nava Raipur" → नवा रायपुर, "Atal Nagar" → अटल नगर — अंग्रेजी जैसा रूप; "called Naya Raipur in its development plan of 2008" → 2008 की अपनी विकास योजना में नया रायपुर कहा गया), अभनपुर, आरंग, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली, कुम्हारी, धमधा, बेमेतरा, बेरला, बालोद, गुरूर, गुंडरदेही, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, सिमगा, बलौदा बाजार (Baloda Bazar), गरियाबंद, महासमुंद, सरायपाली, बसना, पिथौरा, धमतरी, कुरुद, राजिम, बिलासपुर, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा (Kawardha; कबीरधाम जिला), पंडरिया, पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा रोड, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, कटघोरा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, चांपा, जांजगीर, जांजगीर-चांपा, अकलतरा, सक्ती, रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, सारंगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर, कांकेर, पखांजूर (Pakhanjur; अंग्रेजी का एक "Pankhajur" वही स्थान — रोमन जैसा दिया गया), अंतागढ़, दंतेवाड़ा, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, बीजापुर, भोपालपटनम, सुकमा, कोंटा, अंबिकापुर, सरगुजा, बिश्रामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, बैकुंठपुर, जशपुर, जशपुरनगर (Jashpur Nagar; IMD का Jashpurnagar — एक शब्द), कुनकुरी, पत्थलगांव, मैनपाट, भरतपुर — वर्तनी सत्यापित नहीं वाले छोटे स्थान (लखोली, सांडी, पलारी, भरतनगर (Bharatanagar), समरिया (Samaria)) रोमन कोष्ठक सहित; "a clause that names a district must be checked against the current list" → जिस खंड में किसी जिले का नाम है उसे वर्तमान सूची से जाँचना होगा
IMD observatories and stations in Chhattisgarh †	Raipur (Obsy) (42875; चालू पाठ में रायपुर (वेधशाला); "Obsy" तालिकाओं में रोमन), Raipur (Mana) (A) / Mana (A) (11203; चालू पाठ में माना (A), "also called Raipur (Mana)" → जिसे रायपुर (माना) भी कहा जाता है), Durg (42876) और Durg (Obsy) ("whose records differ" → जिनके अभिलेख भिन्न हैं), Rajnandgaon (11204), Champa (42783), Raigarh (42884), Kanker (42953), Pendra Road (42779), Jagdalpur (43041), Bailadila (43093), Ambikapur (42693), Jashpurnagar (42790) — तालिकाओं, IMD केंद्र-संख्या वाली सूचियों और "Records:" सूचियों में रोमन, जिले देवनागरी में ("Samaria (Surajpur) 540.0 mm (13 Aug 2003)" → Samaria (सूरजपुर) 540.0 mm (13 Aug 2003)); चालू पाठ में देवनागरी; "Raipur has two IMD observatories about 15 km apart" → रायपुर में लगभग 15 km की दूरी पर IMD की दो वेधशालाएँ हैं; "the district gauge" → जिला वर्षामापी; "district gauges excluded pending confirmation" → पुष्टि होने तक बाहर रखे गए जिला वर्षामापी

English	हिन्दी
Old names and variant spellings †	शिवनाथ (Seonath; Sheonath, Shivnath) / कटघोरा (Katghora; Kathghora, Kathgora) / शिवरीनारायण (Seorinarayan; Sheorinarayan) / वाड्रफनगर (Wadrafnagar; Wardafnagar) / जशपुरनगर (Jashpur Nagar; Jashpurnagar) / मनेंद्रगढ़ (Manendragarh; IMD की तालिकाओं में Mahendragarh) / मनियारी (Maniari; Maniyari) / सरगुजा (Surguja; Sarguja, Sirguja) / कबीरधाम (Kabirdham; Kawardha) / रविशंकर सागर (Ravishankar Sagar; R.S. Sagar) = गंगरेल / मिनीमाता बांगो (Minimata Bango; Hasdeo Bango) / दर्री (हसदेव) बैराज (Darri (Hasdeo) barrage) / मोंगरा (Mongra; WRD की गेज रिपोर्ट में Mogra) / नवा रायपुर अटल नगर (Nava Raipur Atal Nagar; Naya Raipur, Nava Raipur, Atal Nagar) / NRDA (NRANVP) — Names अनुच्छेद का ढाँचा: "**Katghora** is written Kathghora or Kathgora" → **कटघोरा** (Katghora) को Kathghora या Kathgora लिखा जाता है; "This Manual uses the first form and keeps the others where a title, a source or a station uses them" → यह मैनुअल पहला रूप लेता है और अन्य रूप वहाँ रखता है जहाँ कोई शीर्षक, स्रोत या केंद्र उनका प्रयोग करता है
Dam / reservoir / release (from a barrage) / cusec	डैम (dam) / जलाशय (reservoir) / छोड़ा गया पानी (release) / क्यूसेक
Travel time (of releases)	पहुँचने का समय (travel time)
Rule level / reservoir regulation rules	नियम स्तर (rule level) / जलाशय विनियमन नियम
Embankment breach / bund breach / regulator failure	तटबंध का टूटना / बाँध का टूटना / रेगुलेटर का ढहना
Landslide / slip	भूस्खलन / खिसकाव
Submergence / submerged	जलमग्नता / जलमग्न
Low-lying land / low-lying area	निचली भूमि / निचला क्षेत्र (low-lying area)
Urban flooding / flooding hotspots	शहरी बाढ़ (urban flooding) / जलभराव हॉटस्पॉट
Encroachment / eviction / desilting	अतिक्रमण / बेदखली / गाद निकालना (desilting)
Dredging	ड्रेजिंग (dredging)
Restoration / revival / renovation / deepening (of a tank)	पुनर्स्थापन / पुनरुद्धार (revival) / नवीकरण / गहरा करना
Demarcation	सीमांकन
Operating rule / rule curve / gate operation schedule	प्रचालन नियम (operating rule) / नियम वक्र (rule curve) / गेट प्रचालन अनुसूची
Gate operator / written rule	गेट संचालक / लिखित नियम
Stage–storage relationship	जल स्तर–भंडारण संबंध
Gauge (water level) / tide gauge	गेज (water level gauge) / ज्वार गेज
Pre-monsoon inspection / inspection / pre-monsoon works / post-event inspection	मानसून-पूर्व निरीक्षण / निरीक्षण / मानसून-पूर्व कार्य / घटना-पश्चात निरीक्षण

English	हिन्दी
Heavy-rainfall warning / red alert / orange alert / forecast / nowcast / bulletin	भारी वर्षा की चेतावनी / रेड अलर्ट / ऑरेंज अलर्ट / पूर्वानुमान / नाउकास्ट (nowcast) / बुलेटिन
Heavy-rain day / extremely heavy rainfall	भारी वर्षा वाला दिन / अत्यधिक भारी वर्षा
Early-warning system / evacuation / relief camp	पूर्व चेतावनी प्रणाली / निष्क्रमण / राहत शिविर
Flash flood / cloudburst	आकस्मिक बाढ़ (flash flood) / बादल फटना (cloudburst)
Electrocution	करंट लगना (electrocution)
Drowning	डूबना
Mixed-frequency rule	मिश्रित-आवृत्ति नियम (mixed-frequency rule)
Coincident (river flood and local rain) / joint probability / joint case	संयोगी (coincident) / संयुक्त प्रायिकता / संयुक्त स्थिति
Still-water level	स्थिर जल स्तर (still-water level)
Chart datum (CD) / mean sea level (MSL)	चार्ट डेटम (CD) / माध्य समुद्र तल (MSL)
Datum / project datum / GTS datum / benchmark	डेटम / परियोजना डेटम / GTS डेटम / बेंचमार्क ("an unstated datum" → किसी अनिर्दिष्ट डेटम; आधार-तल नहीं)
Tide tables / tidal range	ज्वार सारणियाँ (tide tables) / ज्वारीय परास (tidal range) (तटीय; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
Sea-level rise	समुद्र स्तर वृद्धि
Tide-lock / lock window	ज्वार-अवरोध (tide-lock) / अवरोध अवधि (lock window)
Perigean spring tide / wave set-up	उपभू वृहत् ज्वार (perigean spring tide) / लहर उत्थान (wave set-up)
Coastal band / coastal platform level	तटीय पट्टी / तटीय प्लेटफॉर्म स्तर (तटीय; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
High Tide Line (HTL) / Hazard Line	उच्च ज्वार रेखा (HTL) / जोखिम रेखा (Hazard Line)
Coastal Regulation Zone (CRZ) / Coastal Zone Management Plan (CZMP)	तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) / तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)
Ecologically sensitive area (CRZ-I)	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (CRZ-I)
Invert	इनवर्ट (invert: ड्रेन या पाइप का भीतरी तल)
Headwater	हेडवाटर (headwater: संरचना के प्रतिप्रवाह की ओर का जल स्तर)
Inlet control / outlet control	इनलेट नियंत्रण / आउटलेट नियंत्रण
Energy dissipator / stilling basin / riprap / apron / drop structure	ऊर्जा क्षयकारी (energy dissipator) / स्टिलिंग बेसिन / रिपरैप (riprap) / एप्रन / ड्रॉप संरचना

English	हिन्दी
Duty pump / standby pump / rising main / flood-immune electrics	कार्यरत पंप (duty pump) / स्टैंडबाय पंप / राइजिंग मेन (rising main) / बाढ़-सुरक्षित विद्युत व्यवस्था
Penstock / stop-log	पेनस्टॉक / स्टॉप-लॉग
Radial gate	रेडियल गेट
Surcharge	सरचार्ज (surcharge: पाइप या ड्रेन का क्षमता से अधिक भरना; झील या जलाशय के लिए भी यही शब्द — FTL से ऊपर बाढ़ का शीर्ष: "the surcharge of the design flood" → डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge); "FTL plus the design-flood surcharge" → FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज; अधिभार नहीं)
Ponding / waterlogging	जल का रुकना (ponding) / जलभराव (waterlogging)
Check event	जाँच घटना (check event)
Sediment allowance	तलछट प्रावधान (sediment allowance: क्षमता गणना में गाद से भरा माना गया भाग)
Gutter / kerb / crown (road)	कर्ब चैनल (gutter; गटर नहीं) / कर्ब (kerb) / सड़क का शीर्ष (crown)
Carriageway / footpath	कैरिजवे (carriageway) / फुटपाथ
Sag / trapped sag	निचला बिंदु (sag) / बंद निचला बिंदु (trapped sag: जहाँ से सतह पर कोई अतिप्रवाह मार्ग नहीं)
Arterial / collector / local road	धमनी सड़क (arterial) / संग्राहक सड़क (collector) / स्थानीय सड़क
Underpass / bridge / flyover / railway bridge / tunnel / Metro	अंडरपास / पुल / फ्लाईओवर / रेलवे पुल / सुरंग (tunnel) / मेट्रो
Easement	सुखाधिकार (easement)
Drainage reserve / corridor	जल निकासी आरक्षित पट्टी (drainage reserve) / कॉरिडोर
High-density area / Class I city	उच्च-घनत्व क्षेत्र / श्रेणी I शहर (1 लाख या अधिक जनसंख्या)
Sheet flow / shallow concentrated flow	परत प्रवाह (sheet flow) / उथला संकेंद्रित प्रवाह
Lag time	पश्चता समय (lag time)
Directly connected impervious area (DCIA)	प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (DCIA)
Disconnected impervious area	असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्र
Point of comparison (POC)	तुलना बिंदु (POC)
Permanent pool	स्थायी जल-भंडार (permanent pool)
Multi-stage outlet / low-flow orifice	बहु-चरणीय आउटलेट (multi-stage outlet) / अल्प-प्रवाह ऑरिफिस
Detention basin / detention pond / retention pond / wet pond / sediment basin	अस्थायी भंडारण बेसिन (detention basin) / अस्थायी भंडारण तालाब (detention pond) / प्रतिधारण तालाब / वेट पॉन्ड (wet pond; "गीला तालाब" या "आर्द्र तालाब" नहीं) / **आर्द्र बेसिन** (wet basin; खंड 4.10.7, 4.15.2; "wet detention basins" → आर्द्र अस्थायी भंडारण बेसिन — परिशिष्ट 10C और तालिका 3.5 की साझा पंक्तियों का "गीले बेसिन" / "गीले अस्थायी भंडारण बेसिन" इस संस्करण में आर्द्र बेसिन किया गया; आगे के संस्करण भी यही लिखें) / तलछट बेसिन
Combined tank (Clause 4.11.3)	संयुक्त टैंक (combined tank)

English	हिन्दी
Best management practice (BMP)	सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति (BMP)
Pretreatment	पूर्व-उपचार (pretreatment)
First flush	प्रथम प्रवाह (first flush)
Sewage / sewer / sewerage / sullage / waste water / septic tank	सीवेज / सीवर / सीवरेज प्रणाली / सलेज (रसोई और स्नानघर का गंदा पानी) / अपशिष्ट जल / सेप्टिक टैंक
Sewage treatment plant (STP) / effluent / faecal sludge	सीवेज शोधन संयंत्र (STP) / बहिःस्राव (effluent) / मल कीचड़ (faecal sludge)
Million gallons a day (MGD)	मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD)
Illicit discharge	अवैध निस्सरण (illicit discharge)
Hotspot (land use) / land use	हॉटस्पॉट (प्रदूषक भूमि उपयोग) / भूमि उपयोग
Forebay / underdrain / filter media / geotextile	फोरबे (forebay) / अंडरड्रेन (underdrain) / फिल्टर माध्यम / जियोटेक्सटाइल
Infiltration facility / soakaway	अंतःस्यंदन सुविधा / सोख गड्ढा (soakaway)
Recharge pit / recharge well / recharge shaft	पुनर्भरण गड्ढा / पुनर्भरण कुआँ / पुनर्भरण शाफ्ट
Hydrogeological report	जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट
Aquifer / confined aquifer	जलभृत (aquifer) / परिरुद्ध जलभृत
Soils: alluvium / older alluvium / kankar / sand / silt / clay / sandy loam / loam	मिट्टी: जलोढ़ (alluvium) / पुराना जलोढ़ (older alluvium) / कंकड़ (kankar) / रेत / गाद (silt) / चिकनी मिट्टी (clay) / बलुई दोमट (sandy loam) / दोमट (loam)
Soil series / soil orders (Inceptisols, Entisols …) / weathered rock	मृदा शृंखला (soil series) / मृदा गण (soil orders; नाम रोमन में) / अपक्षयित चट्टान
Supplementary land covers (Annex 3B): cracked kanhar fallow / bunded paddy / talab, dabri or reservoir bed / bare bhata upland / laterite crust and rock outcrop / overburden dump, backfilled mine land, compacted bench or haul road / ash pond or ash dyke / sal forest, scrub and grassland †	मैदान की निचली भूमि की कन्हार परती, वर्षा घटना के आरंभ (15 जुलाई से पहले) में सूखी और दरारदार / मेड़बंद धान का खेत (कन्हार या डोरसा), मेड़ की ऊँचाई दर्ज / तालाब, डबरी या जलाशय का तल, वर्षा घटना के आरंभ में सूखा या जोता हुआ / खुली भाठा ऊपरी भूमि, मुरम या फेरीक्रीट पर पतली मिट्टी / लैटेराइट परत और खुली चट्टान, बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियाँ / ओवरबर्डन डंप, बैकफिल्ड खनन भूमि, संघनित बेंच या हॉल रोड (कोरबा, रायगढ़ और उत्तरी कोयला क्षेत्र) / किसी बिजली घर का ऐश पॉन्ड या राखड़ बाँध / बस्तर पठार और सरगुजा, कोरिया और जशपुर की पहाड़ियों के साल वन, झाड़ी और घास भूमि — परिशिष्ट 3B का शीर्षक: छत्तीसगढ़ का CN अंशांकन और पूरक भू-आवरण (दरारदार कन्हार परती, मेड़बंद धान, तालाब और जलाशय के तल, भाठा और लैटेराइट परत, ओवरबर्डन डंप और ऐश पॉन्ड, बस्तर और उत्तर के वन और झाड़ी)
Slope / velocity / depth	ढलान / वेग / गहराई
Contour	समोच्च रेखा (contour)
Lined / unlined (channel or drain) / lining	पक्का (lined; आवश्यकता हो तो अस्तरयुक्त) / कच्चा (unlined) / अस्तर (lining) — चैनल या ड्रेन की सतह के लिए
Retaining wall / weep hole	प्रतिधारक दीवार (retaining wall) / रिसाव छिद्र (weep hole)

English	हिन्दी
Dewatering	**निर्जलीकरण** (dewatering) — भूमि से पानी निकालना: खदान का निर्जलीकरण (mine dewatering), निर्जलीकरण क्षेत्र (dewatering zone), बेसमेंट का निर्जलीकरण, खुदाई का निर्जलीकरण (dewatering of excavations; "Dewatering discharges" → निर्जलीकरण का पानी); जल-निकासी नहीं / **जल-निष्कासन** केवल सतह के पानी को बाहर निकालने के लिए: तलछट बेसिन का सतही जल-निष्कासन आउटलेट (surface dewatering outlet, skimmer), पोर्टेबल जल-निष्कासन पंप (portable dewatering pumps, बाढ़ के पानी के लिए) — छत्तीसगढ़ संगति-जाँच का निर्णय
Submittal / hold point	प्रस्तुति (submittal) / रोक बिंदु (hold point)
Drainage report (preliminary / final)	जल निकासी रिपोर्ट (प्रारंभिक / अंतिम)
Stormwater facility / facility register / owner	वर्षा जल सुविधा / सुविधा रजिस्टर / स्वामी
Handover / handed-over asset	हस्तांतरण (handover) / हस्तांतरित परिसंपत्ति
Compliance / compliance calculator	अनुपालन / अनुपालन कैलकुलेटर (compliance calculator)
Design aid / simplified method / unit-storage tables	डिजाइन सहायिका / सरलीकृत विधि / इकाई-भंडारण तालिकाएँ
Fixed-coefficient route / release cap	नियत-गुणांक मार्ग (fixed-coefficient route) / निकास सीमा (release cap)
Two-step approach	दो-पदीय पद्धति (step = पद)
Defects liability period / stop-work order	दोष दायित्व अवधि / कार्य-रोक आदेश
Constraint Statement	बाधा विवरण (Constraint Statement)
Ring-fenced account / public ledger	पृथक रखा गया खाता (ring-fenced account) / सार्वजनिक खाता-बही (public ledger)
Lead Authority	अग्रणी प्राधिकारी (Lead Authority)
Critical facilities / evacuation routes	महत्वपूर्ण सुविधाएँ (critical facilities) / निष्क्रमण मार्ग
Expected annual damage / depth–damage curve	अपेक्षित वार्षिक क्षति / गहराई–क्षति वक्र
Digital elevation model (DEM) / drone and DGPS survey / LiDAR	डिजिटल उन्नयन मॉडल (DEM) / ड्रोन और DGPS सर्वेक्षण / LiDAR
GIS layer	GIS परत
UTM zone 44N (EPSG:32644) / 45N (EPSG:32645) †	UTM जोन 44N (EPSG:32644) — "the applicable UTM zone (44N statewide, including Jashpur Nagar and the eastern part of Jashpur district)" → लागू UTM जोन (पूरे राज्य के लिए 44N, जशपुरनगर और जशपुर जिले के पूर्वी भाग सहित); "Jashpur Nagar and the east of Jashpur district lie in UTM zone 45N" → जशपुरनगर और जशपुर जिले का पूर्वी भाग UTM जोन 45N में हैं
Hydrology / hydrologic / hydraulic	जलविज्ञान / जलवैज्ञानिक / हाइड्रोलिक (hydraulic)
Design life	डिजाइन आयु
Inflow / outflow	अंतर्वाह (inflow) / बहिर्वाह (outflow)

English	हिन्दी
Stage (water level) / stage (outlet tier; submittal stage; phase)	जल स्तर (stage) / चरण (outlet tier; प्रस्तुति का चरण; phased = चरणबद्ध) — step के लिए चरण नहीं, पद
Crest (weir, spillway, riser) / crest level	शिखर (crest) / शिखर स्तर
Obvert	ऑबवर्ट (obvert: पाइप का भीतरी शीर्ष)
Flotation	उत्प्लावन (flotation)
Backwater (hydraulic)	पश्चजल प्रभाव (backwater)
Back flow (in drains)	उलटा प्रवाह (back flow)
Uniform flow / critical flow / critical depth	एकसमान प्रवाह / क्रांतिक प्रवाह / क्रांतिक गहराई
Supercritical (flow) / Froude number	अतिक्रांतिक (supercritical) / फ्रूड संख्या
Superelevation	अधि-उन्नयन (superelevation)
Anti-vortex device	भँवर-रोधी युक्ति (anti-vortex device)
Outfall-closed check	आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check)
Sub-daily (rainfall, ratios)	उप-दैनिक (sub-daily)
One-third rule	एक-तिहाई नियम
Grid-to-point factor	ग्रिड-से-बिंदु गुणक (grid-to-point factor)
Subzone (CWC) / Flood Estimation Report (FER) / plate	उप-क्षेत्र (subzone) / बाढ़ आकलन रिपोर्ट (FER) / प्लेट
CWC subzones covering Chhattisgarh: 3(d) Mahanadi / 3(g) Indravati / 3(f) Lower Godavari / 1(d) Sone / 3(c) Upper Narmada †	उप-क्षेत्र 3(d) Mahanadi (चालू पाठ में महानदी; "for the Mahanadi basin, 56% of the State" → महानदी बेसिन के लिए, राज्य का 56%) / उप-क्षेत्र 3(g) Indravati (चालू पाठ में इंद्रावती) / उप-क्षेत्र 3(f) Lower Godavari (चालू पाठ में निचली गोदावरी) / उप-क्षेत्र 1(d) Sone (चालू पाठ में सोन) / उप-क्षेत्र 3(c) Upper Narmada (चालू पाठ में ऊपरी नर्मदा; "a small fringe of 3(c) Upper Narmada, with no city" → 3(c) ऊपरी नर्मदा की एक छोटी किनारी पट्टी, जिसमें कोई शहर नहीं) — तालिकाओं और संदर्भों में उप-क्षेत्र का नाम रोमन; रिपोर्ट संख्याएँ (M-3(d)/R-3/25/1996, I/21/1992, I-21/1993, LG-3(f)/R-2/24/1995, S/15/1987) वैसे ही; "plates read by eye" → प्लेटें आँख से पढ़ी गईं
Meteorological subdivision	मौसम विज्ञान उप-मंडल (meteorological subdivision)
Sensitivity run	संवेदनशीलता रन (sensitivity run)
Worked example	हल किया गया उदाहरण (worked example)
Template / model text / standard drawing	टेम्पलेट / आदर्श पाठ (model text) / मानक ड्रॉइंग
Inventory / checklist / schedule	सूची (inventory) / जाँच-सूची (checklist) / अनुसूची (schedule)
Layout (blank table to be filled)	ढाँचा (layout; भरी जाने वाली खाली तालिका)
Original drawing for this Manual / schematic, not to scale	इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग / योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं

English	हिन्दी
Section (of a form) / Part	भाग (Section) / भाग (Part)
Attachments / attach	संलग्नक / संलग्न करें
Confined space	सीमित स्थान (confined space)
Empanelled / empanelment / Empanelled Reviewer	सूचीबद्ध / सूचीबद्धता (empanelment) / सूचीबद्ध समीक्षक
Stormwater Design Professional	वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional)
Enforcement	प्रवर्तन
Certify / certificate / certified	प्रमाणित करना / प्रमाण-पत्र / प्रमाणित
Verify / validate / confirm (verification, validation)	सत्यापित करना / वैधीकरण करना / पुष्टि करना (सत्यापन, वैधीकरण)
Threshold (size or value at which a rule applies)	सीमा-मान (threshold)
Trigger (value that starts an action) / trigger (event or warning that starts a review or action)	प्रारंभक मान (trigger) / प्रारंभक घटना (trigger)
Floor (minimum value, e.g. CWC floor)	न्यूनतम सीमा (floor)
Exemption / exempt	छूट / छूट प्राप्त
Conservative (on the safe side) / cautious	सुरक्षित पक्ष का (conservative) / सतर्क
Evapotranspiration	वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration)
Covenant	प्रसंविदा (covenant)
Overflow / overflow route / overflow level / spill level / spill path	अतिप्रवाह (overflow) / अतिप्रवाह मार्ग / अतिप्रवाह स्तर / अतिप्रवाह स्तर (spill level) / अतिप्रवाह मार्ग (spill path) — संज्ञा सदा अतिप्रवाह (overflow channel → अतिप्रवाह चैनल, overflow nala → अतिप्रवाह नाला, "FTL or spill level" → FTL या अतिप्रवाह स्तर, चित्रों में भी); क्रिया (a talab or river overflows / spills) → उफनना ("the talabs spill one to another" → तालाब एक से दूसरे में उफनते हैं; "the lowest overflows to a nala" → सबसे निचला तालाब किसी नाले में उफनता है); ओवरफ्लो और "उफनने का स्तर" नहीं
Observation well / monitoring well / piezometer	प्रेक्षण कुआँ (observation well) / निगरानी कुआँ (monitoring well) / पीजोमीटर — दोनों अंग्रेजी शब्द CGWB के भूजल-स्तर नेटवर्क के कुओं के लिए आते हैं (एक ही आँकड़ा: "about 76% of the observation wells" / "of the State's monitoring wells"); हिन्दी अंग्रेजी शब्द का अनुसरण करती है, एक अंग्रेजी शब्द का एक रूप: observation well → प्रेक्षण कुआँ (अध्याय 0–4, परिशिष्ट 3, 4, 8, 10), monitoring well → निगरानी कुआँ (अध्याय 8 की साझा पंक्तियाँ, पूर्व संस्करणों जैसी)
Load class / exposure class	भार वर्ग / अनावरण वर्ग
Compound wall / boundary wall	चारदीवारी / सीमा दीवार
Sheet (form name, e.g. Design Rainfall Sheet, Waterbody Sheet)	पत्रक (Sheet; डिजाइन वर्षा पत्रक, जलाशय पत्रक)

English	हिन्दी
No. / Item / Field / Entry / Clause (form columns)	क्र. / मद / क्षेत्र (Field) / प्रविष्टि / खंड
Dam safety / specified dam	डैम सुरक्षा / विनिर्दिष्ट डैम (specified dam)
Manual scavenging	हाथ से मैला उठाना (manual scavenging)
Definitions (clause heading) / definition	परिभाषाएँ / परिभाषा
Disclosure / publication / declaration	प्रकटन / प्रकाशन / घोषणा
Level-pool routing (modified Puls)	स्तर-ताल रूटिंग (level-pool routing; modified Puls)
Head / head loss / static head / opening head	हेड / हेड हानि (head loss) / स्थैतिक हेड / खुलाव हेड
Head–discharge curve	हेड–प्रवाह दर वक्र
Headwall / wingwall	हेडवॉल / विंगवॉल
Conduit	वाहिका (conduit)
Junction / junction chamber / junction sump	संगम (junction) / संगम कक्ष / संगम संप
Plinth / plinth level / floor level	प्लिंथ (plinth; कुर्सी नहीं, परिशिष्ट H-1 के "around the plinth" में भी: प्लिंथ के चारों ओर) / प्लिंथ स्तर / फर्श स्तर
Percentile (e.g. 90th percentile)	शततमक (percentile; जैसे 90वाँ शततमक)
Checker (independent) / reviewer	स्वतंत्र जाँचकर्ता / समीक्षक
Safety bench	सुरक्षा बेंच (safety bench)
Seepage / seepage collar / filter diaphragm	रिसाव (seepage) / रिसाव कॉलर / फिल्टर डायाफ्राम
Silt fence	गाद बाड़ (silt fence)
Training walls	प्रशिक्षण दीवारें (training walls)
Drawdown (lowering a tank or basin)	जल स्तर घटाना (drawdown)
Review (of a submittal, a chapter or the Manual) / post-event review	समीक्षा / घटना-पश्चात समीक्षा
Accept / accepted / acceptance criteria	स्वीकार करना / स्वीकार किया गया / स्वीकार्यता मानदंड (स्वीकृत नहीं)
Software acceptance	सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता
Receiving water / receiving drain / receiving system / receiving zone (of a recharge well)	प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water; "the body that owns the receiving water" → वह निकाय जो प्राप्तकर्ता जलाशय का स्वामी है; नए वाक्यों में "प्राप्तकर्ता जल" नहीं — UP/बिहार से पुनः प्रयुक्त पंक्तियाँ "प्राप्तकर्ता जल स्तर" (अध्याय 4), "प्राप्तकर्ता जल निचला हो" (अध्याय 6) और "प्राप्तकर्ता का स्तर" (परिशिष्ट 6) जैसी हैं वैसी रहती हैं) / प्राप्तकर्ता ड्रेन / प्राप्तकर्ता प्रणाली / प्राप्तकर्ता क्षेत्र (receiving zone)
Equation	समीकरण

English	हिन्दी
Specification	विनिर्देश
Layout (intended structure of an annex or its tables)	रूपरेखा (layout)
Crown (of a pipe) / soffit	पाइप का शीर्ष (crown) / सॉफिट (soffit)
Mosquito / mosquito breeding / dengue	मच्छर / मच्छरों का प्रजनन / डेंगू
As reported / press report(s) / (press) / as reported in the press / secondary, secondary source(s) / search summary	(प्रकाशित खबरों के अनुसार) / (समाचार रिपोर्ट) / (समाचार माध्यम) / समाचार माध्यमों में बताए अनुसार / (द्वितीयक स्रोत) / खोज सारांश (बिना हाइफन; "खोज-सारांश" नहीं) — चालू पाठ और अनुवादित संदर्भों में; जो संदर्भ-सूचियाँ दिल्ली की तरह अंग्रेजी में रखी गई हैं, उनमें अंग्रेजी शब्द वैसे ही
Pre-application meeting / public meeting / public hearing	आवेदन-पूर्व बैठक / सार्वजनिक बैठक / जन सुनवाई
Basin modelling endorsement	बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (basin modelling endorsement; समर्थन नहीं)
Environmental impact assessment (EIA)	पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
Hill slope / hill town / heritage area	पहाड़ी ढलान / पहाड़ी नगर / विरासत क्षेत्र
Glossary of Hindi and Chhattisgarhi waterbody and soil terms and regional variants (Annex 7E) †	जलाशयों और मिट्टी के हिन्दी और छत्तीसगढ़ी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली (परिशिष्ट 7E का शीर्षक; झारखंड और मध्य प्रदेश के "Hindi and Urdu" शीर्षक से भिन्न, इसलिए पुनः प्रयुक्त नहीं) — तालिकाओं के देवनागरी, उर्दू और रोमन रूप स्रोत के अनुसार हूबहू, विशेषक और ’ (U+02BC) सहित (`तालाब / تالاب (tālāb; talab)` , `डबरी (ḍabrī; dabri)` , `डबरा (ḍabrā; dabra)` , `कुंड (kuṇḍ; kund)` , `नाला / نالا (nālā; nala, nallah, nullah)` , `नरवा (narvā; narwa)` , `नाली (nālī; nali)` , `बाँध, बँधा / باندھ (bāṅdh, baṅdhā; bandh, bund)` , `कन्हार (kanhār; kanhar)` , `डोरसा (ḍorsā; dorsa)` , `मटासी (maṭāsī; matasi)` , `भाठा (bhāṭhā; bhata)` , `ढोढ़ी, ढोंढी (ḍhoṛhī, ḍhoṅḍhī; dhodi)` , `बूढ़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर`); शब्दसागर के उद्धरण ("जलाशय । सरोवर । पोखरा ।", "छोटा गड्ढा या ताल", "छोटा बँधा हुआ जलाशय । बहुत छोटा तालाब ।", नाला और डबरा के पाठ, "[हिं० नाला] दे० 'नाला'", भाठा का पाठ, "पथरीली भूमि") हूबहू — उनके अर्थ-क्रमांक जो स्रोत में देवनागरी अंकों में हैं (कुंड, नरवा, भाठा, भाटा के) वैसे ही रहते हैं, कोई और देवनागरी अंक नहीं; दंड "।" और "०" स्रोत की तरह; "Platts, p. 306" → प्लैट्स, पृ. 306; "Shabdasagara, p. 2071" → शब्दसागर, पृ. 2071; "page not recorded" → पृष्ठ दर्ज नहीं; "No Chhattisgarhi dictionary was consulted for this Manual." (बोल्ड) → **इस मैनुअल के लिए कोई छत्तीसगढ़ी शब्दकोश नहीं देखा गया।**
Terms not yet verified (Table 7E.4; Table 7E.5 in Chhattisgarh)	अभी असत्यापित शब्द (तालिका 7E.4; छत्तीसगढ़ में तालिका 7E.5 — सभी संस्करणों का एक ही शीर्षक)
Platts, *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* / Hindi Shabdasagara / Digital South Asia Library	प्लैट्स (Platts), *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* / श्यामसुंदर दास, *हिंदी शब्दसागर* (*Hindi Shabdasagara*) / डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी
Headword / sense (dictionary) / gloss	मुख्य शब्द (headword) / अर्थ (sense) / अर्थ-विवरण (gloss)
Not looked up / not found as a headword / modern usage not verified	देखा नहीं गया / मुख्य शब्द के रूप में नहीं मिला / आधुनिक प्रयोग सत्यापित नहीं

English	हिन्दी
Tables 7E.1 and 7E.2: talab, dabri, dabra, kund; nala, narwa, nali, bandh †	तालिका 7E.1 का शीर्षक "Waterbodies" → जलाशय; तालिका 7E.2 "Channels, embankments and parts of the system" → चैनल, तटबंध और प्रणाली के भाग; स्तंभ "Term / Meaning / Source of the term / Manual term (Clause 7.2)" → शब्द / अर्थ / शब्द का स्रोत / मैनुअल का शब्द (खंड 7.2); अंतिम स्तंभ: "Talab (tank or pond), see the definitions after Clause 7.2" → तालाब (tank या pond), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें; "Dabri (small dug pond; waterbody for Clause 7.3, storage not counted)" → डबरी (खोदा गया छोटा तालाब; खंड 7.3 के लिए जलाशय, भंडारण नहीं गिना जाता); "Talab (tank or pond), or low wet land (Clause 7.12)" → तालाब (tank या pond), या निचली गीली भूमि (खंड 7.12); "Kund (tank or pond where it receives runoff)" → कुंड (tank या pond, जहाँ वह अपवाह प्राप्त करता है); "Natural drain or nala" → प्राकृतिक ड्रेन या नाला; "Drain (minor system); where it carries sewage or sullage into a storm drain, a cross-connection (Clause 8.9)" → ड्रेन (लघु प्रणाली); जहाँ वह सीवेज या सलेज को किसी वर्षा जल ड्रेन में ले जाती है, वहाँ अवैध जुड़ाव (खंड 8.9); "Tank bund or dam (Clause 7.14); an embanked tank (bandh) is a tank, and its bund a tank bund (Clause 7.14.2)" → तालाब का बाँध या डैम (खंड 7.14); बाँधयुक्त तालाब (bandh) तालाब है, और उसका तटबंध तालाब का बाँध (खंड 7.14.2); प्लैट्स के अंग्रेजी अर्थ उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, हिन्दी अनुवाद सहित; शब्दसागर के अर्थ का अंग्रेजी अनुवाद ("a small pit or pond") हिन्दी में नहीं दोहराया जाता, केवल शब्दसागर का देवनागरी पाठ
Table 7E.3: nistar / tank (Land Revenue Code) / unauthorised occupation / jalashay / highest water mark; average high flood mark / high flood point / nalah (major drain) †	शीर्षक "Statutory terms" → सांविधिक शब्द; पहले स्तंभ में हिन्दी शब्द के बाद अंग्रेजी शब्द कोष्ठक में, और जहाँ अंग्रेजी स्वयं देवनागरी देती है (निस्तार, जलाशय, उच्च बाढ़ बिन्दु) वहाँ वही: निस्तार (nistar) / तालाब (tank (Land Revenue Code)) / अप्राधिकृत कब्जा (unauthorised occupation (Land Revenue Code)) / जलाशय (jalāśay; jalashay) / उच्चतम जल चिह्न; औसत उच्च बाढ़ चिह्न (highest water mark; average high flood mark (CGBVN 1984, Rule 50(b), inherited text)) / उच्च बाढ़ बिन्दु (high flood point) / नाला (प्रमुख ड्रेन) (nalah (major drain)) — अर्थ-स्तंभ में अंग्रेजी के देवनागरी उद्धरण हूबहू ("तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना", "अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति", "जलाशय के तल या जलाशय के किनारे या किसी प्राकृतिक जल निकास पर", "प्राकृतिक जल निकास", "स्टेनो/नग्रानि." वाली संख्या)
Table 7E.4 (soil and land classes of the plain) and Table 7E.5 (terms not yet verified) †	तालिका 7E.4 का शीर्षक "Soil and land classes of the Chhattisgarh plain" → छत्तीसगढ़ के मैदान की मिट्टी और भूमि के वर्ग; स्तंभ "Meaning in the agronomy papers / Dictionary check / Manual use" → कृषि-विज्ञान शोधपत्रों में अर्थ / शब्दकोश जाँच / मैनुअल में उपयोग; "Not found" → नहीं मिला; "Platts's कन्हार is an unrelated word" → प्लैट्स का कन्हार एक असंबद्ध शब्द है; "never A" → कभी A नहीं / तालिका 7E.5 का शीर्षक "Terms not yet verified" → अभी असत्यापित शब्द (पूर्व संस्करणों का शीर्षक, पुनः प्रयुक्त); स्थिति के वाक्यांश ज्यों के त्यों: "Not found in the Shabdasagara (four spellings) or in Platts; unsourced" → शब्दसागर (चार वर्तनियाँ) या प्लैट्स में नहीं मिला; स्रोतहीन; "the Chhattisgarhi sense was not checked in a regional dictionary" → छत्तीसगढ़ी अर्थ किसी क्षेत्रीय शब्दकोश में जाँचा नहीं गया; "the size and form in the schemes were not read" → योजनाओं में आकार और रूप पढ़े नहीं गए; "the sense in names was not confirmed" → नामों वाले अर्थ की पुष्टि नहीं हुई; "The official name was not confirmed" → आधिकारिक नाम की पुष्टि नहीं हुई; "Not checked in a Chhattisgarhi dictionary" → किसी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में जाँचा नहीं गया; ढोढ़ी (dhodi) परिभाषित शब्द नहीं
City talab cluster / talab-locked outfall / Figure 7.3 (a city talab cluster on the Chhattisgarh plain) †	**शहरी तालाब समूह** (city talab cluster; खंड 7.2 के बाद की परिभाषा; "linked by colony nalas, overflow channels and the low ground between them" → कॉलोनी के नालों, अतिप्रवाह चैनलों और उनके बीच की निचली भूमि से जुड़ा) / **तालाब के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल** (talab-locked outfall; परिभाषा-शीर्ष "City talab cluster; talab-locked outfall" → शहरी तालाब समूह; तालाब के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल) / तालाब का जलग्रहण क्षेत्र (catchment) / चित्र 7.3 का शीर्षक: "A city talab cluster on the Chhattisgarh plain (schematic, not to scale; Raipur-type, but no particular talab, nala or colony is shown)" → छत्तीसगढ़ के मैदान पर एक शहरी तालाब समूह (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं; रायपुर जैसा, पर कोई विशेष तालाब, नाला या कॉलोनी नहीं दर्शाई गई) — आकृति के लेबल: आकृति-विवरण देखें; "a ring of talabs" → तालाबों का घेरा; "the lowest overflows to a nala" → सबसे निचला तालाब किसी नाले में उफनता है

English	हिन्दी
Plants with Hindi or Urdu names (Annex 8D) †	तालिका के देवनागरी, उर्दू और रोमन रूप स्रोत के अनुसार हूबहू, नुक्ता और असामान्य उर्दू अक्षरों सहित (ख़स / خس (k̲has); दूब / دوب (dūb); कास / کاس (kās); जामुन, जामन / جامن (jāmun, jāman); करंज / کرنج (karanj); अर्जुन / ارجن (arjun); कदम्ब / کدمب (kadamb) — हल् "म्ब" स्रोत का रूप; पलाश / پلاش (palāś); ढाक / ڈھاك (ḍhāk) — U+0690 और अरबी ك ,ه स्रोत की तरह; साल / سال (sāl); महुआ / مہوا (mahu'ā); शीशम / شیشم (śīśam); गूलर / گولر (gūlar); नल / نل (nal); नरसल / نرسل (narsal); कमल / کمل (kamal); नीलोफ़र / نیلوفر (nīlofar) — नुक्ता वाला फ़ स्रोत की तरह, केवल यहाँ; पटेर (paṭer)); चालू पाठ में: वेटिवर (खस; vetiver), दूब, कास, जामुन, करंज, अर्जुन, कदम, पलाश, साल ("sal forest" → साल वन), महुआ, शीशम, गूलर, नल, कमल, नीलोफर, जलकुंभी (water hyacinth; *Eichhornia crassipes*), *Prosopis juliflora*, *Ipomoea carnea*, लैंटाना (*Lantana camara*) — वानस्पतिक नाम रोमन इटैलिक; "Trees on bhata and laterite margins, swale banks and dump toes" → भाठा और लैटेराइट के किनारों, स्वेल के तटों और डंप के निचले सिरों पर वृक्ष; "Chhattisgarhi or other regional name" → छत्तीसगढ़ी या अन्य क्षेत्रीय नाम
Plants without a confirmed Hindi name	*Canna indica*, *Typha* spp., *Eichhornia crassipes* (water hyacinth), *Prosopis juliflora*, *Ipomoea carnea* — लैटिन नाम इटैलिक में; तालिका में डैश (—) रखें, कोई प्रचलित नाम न जोड़ें
Native / naturalised / invasive / species / horticulturist	देशज (native) / प्राकृतिकीकृत (naturalised) / आक्रामक (invasive) / प्रजाति / उद्यान विशेषज्ञ (horticulturist)
Macrophyte zone / open water zone / windbreak / hedge	वृहत्पादप क्षेत्र (macrophyte zone) / खुला जल क्षेत्र / वायु-रोधक / बाड़
Edge structure (Clause 7.9.4)	किनारा संरचना (edge structure)
Adopt (technical: a designer, this Manual, a clause or a table adopts a value, factor, method or approach) / adopted value	लेना (मान, गुणक, स्तर, गहराई) / अपनाना (विधि, पद्धति, मार्ग) / लिया गया मान (अंगीकार नहीं)
Isopluvial / isopluvial plates	समवर्षा रेखा (isopluvial) / समवर्षा प्लेटें
Reanalysis (NIH-DHAARA, IMDAA) / gridded data	पुनर्विश्लेषण (reanalysis; NIH-DHAARA, IMDAA) / ग्रिड आँकड़े (gridded data)
Recording rain gauge / autographic (rainfall, records) / self-recording rain gauge (SRRG) / water-level gauge	स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge) / स्व-अभिलेखी (autographic; "स्वलेखी" नहीं) / स्व-अभिलेखी वर्षामापी (SRRG) / जल स्तर गेज
Benchmark (survey level mark) / benchmark (comparison) / benchmark points / benchmark test problems	बेंचमार्क (सर्वेक्षण स्तर चिह्न) / तुलना-मानक (benchmark) / बेंचमार्क बिंदु / बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ
Convolution	संवलन (convolution)
Tolerance	सहनसीमा (tolerance)
Uplift / uplift pressure	उत्थान (uplift) / उत्थान दाब
Factor of safety / safety factor	सुरक्षा गुणक
Proprietary device	स्वामित्वाधीन युक्ति (proprietary device)
Coordinates (latitude, longitude)	निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर)
Utilities / utility crossing	उपयोगिता सेवाएँ (utilities) / उपयोगिता क्रॉसिंग

English	हिन्दी
Habitable building / habitable floor / habitable room	आवास योग्य भवन / आवास योग्य तल / आवास योग्य कक्ष
Area-weighted	क्षेत्र-भारित (area-weighted)
Sediment trap / sediment basin (construction sites, Annex 8E; also below overburden dumps and mine sites)	तलछट जाल / तलछट बेसिन (अवसादन बेसिन नहीं; settling pond = अवसादन तालाब अलग शब्द)
Drafting note	प्रारूपण टिप्पणी (drafting note)
Model text for consideration by a competent authority. Not in force. (label at the start of a paragraph; keep the bold or italic of the English)	**सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.** (एक ही रूप सर्वत्र; अंत में ASCII "."; बीच में दंड)
1 in N years / 1-in-N chance	N वर्ष में एक बार / N में 1 की संभावना
Variance / Waiver Request (Form 1-2)	विचलन / अधित्याग अनुरोध (प्रपत्र 1-2)
Applicability Determination (Form 1-1)	प्रयोज्यता निर्धारण (प्रपत्र 1-1)
Rainfall zones (Annex 2A)	वर्षा जोन (rainfall zones)
National Hydrographic Office	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO)
Annual maximum series / partial-duration series / series (data)	वार्षिक अधिकतम शृंखला / आंशिक-अवधि शृंखला / शृंखला
Interpolation / interpolated	अंतर्वेशन (interpolation) / अंतर्वेशित
Benchmark checks (Annex 2A)	बेंचमार्क जाँच
Huff curves / Gumbel / Hershfield	हफ वक्र (Huff curves) / गंबल (Gumbel) / हर्शफील्ड (Hershfield)
Chute	ढलवाँ चैनल (chute)
Access opening / clear access opening	प्रवेश द्वार / स्पष्ट प्रवेश द्वार (clear access opening)
Silt sump	गाद संप (silt sump)
Hydraulic corridor	हाइड्रोलिक कॉरिडोर (hydraulic corridor; अध्याय 6 और 7 का कॉरिडोर — "हाइड्रोलिक गलियारा" नहीं)
Statutory status	सांविधिक स्थिति
Receive (storm water, a drain outfall) / receive (handed-over assets)	(पानी) प्राप्त करना / (परिसंपत्ति) ग्रहण करना
Implementation / annual implementation report	कार्यान्वयन / वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट
Downstream and Tailwater Analysis (Chapter 5) / Downstream and Tailwater Report (Form 5-1) / Simplified Downstream Statement (Form 5-2)	अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण / अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट / सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण

English	हिन्दी
Site Runoff Control Report / Conveyance Design Report / Hydraulic Structures Report / Design Rainfall Sheet	साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट / वहन डिजाइन रिपोर्ट / हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट / डिजाइन वर्षा पत्रक
Tier B Site Sheet / Fixed-coefficient Route Sheet / Water Quality Sheet / Infiltration Test Record	टियर B साइट पत्रक / नियत-गुणांक मार्ग पत्रक / जल गुणवत्ता पत्रक / अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख
Hydrologic Calculation Summary / Pre- vs Post-Development Comparison	जलवैज्ञानिक गणना सारांश / विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना
Waterbody Sheet / Tank Storage Credit Sheet / Compensatory Storage Calculation	जलाशय पत्रक / तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक / प्रतिपूरक भंडारण गणना
Drainage Report Checklist / Compliance Calculator Summary / Professional Design Certificate / Hold-Point Inspection Record / As-built Certificate / Maintenance Declaration / Annual Maintenance Declaration and Inspection Report / Asset Handover Certificate	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची / अनुपालन कैलकुलेटर सारांश / पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र / रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख / यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र / रखरखाव घोषणा-पत्र / वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट / परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र
CAG report named in the Manual: Report No. 4 of 2025, Government of Chhattisgarh (year ended 31 March 2022), Chapter II: Implementation of AMRUT †	CAG की 2025 की रिपोर्ट संख्या 4, छत्तीसगढ़ शासन (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष), अध्याय II: AMRUT का कार्यान्वयन ("Chapter II" रिपोर्ट का अध्याय, इस मैनुअल का नहीं; पूरा शीर्षक *Audit Report on Performance and Compliance Audit for the year ended 31 March 2022* संदर्भों में अंग्रेजी में) — "CAG's audit of AMRUT in the State, for the year ended March 2022, covers water supply, sewerage and parks and never mentions drains" → मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य में AMRUT की CAG की लेखापरीक्षा जल आपूर्ति, सीवरेज और उद्यानों को सम्मिलित करती है और ड्रेनों का कहीं उल्लेख नहीं करती; "CAG gives 14 Municipal Corporations and names nine of them" → CAG 14 नगर निगम बताता है और उनमें से नौ के नाम देता है; रिपोर्ट संख्या "संख्या" (CAG केंद्रीय है, क्रमांक नहीं)
Wetland inventory (ISRO National Wetland Inventory and Assessment, NWIA)	आर्द्रभूमि सूची (ISRO, NWIA)
India Flood Atlas / Flood Atlas of India (CWC)	इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas) / भारत का बाढ़ एटलस (CWC)

English	हिन्दी
Chapter titles (as in the contents table; title 7) and Chhattisgarh-specific headings †	1 नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण; 2 डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ; 3 जलवैज्ञानिक विधियाँ; 4 साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण; 5 अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण; 6 लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ; 7 **जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक** ("Waterbodies, Talabs (Ponds) and Setbacks" — मध्य प्रदेश संस्करण का शीर्षक, जिसकी अंग्रेजी एक ही है; पुनः प्रयुक्त, बदलें नहीं); 8 जल गुणवत्ता और पुनर्भरण; 9 संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन; 10 प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन; 11 बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान — छत्तीसगढ़-विशिष्ट शीर्षक (झारखंड के रूप में केवल नाम बदला): "### 6.13 Chhattisgarh construction-practice requirements" → ### 6.13 छत्तीसगढ़ की निर्माण-पद्धति की अपेक्षाएँ; परिशिष्ट 6A — छत्तीसगढ़ के लिए मानक इनलेट प्रकार और उनके क्षमता वक्र (ढलान पर और निचले बिंदु पर); परिशिष्ट 2D — छत्तीसगढ़ के वर्षा कालिक वितरण (हफ वक्र); परिशिष्ट 3A — छत्तीसगढ़ की मृदा शृंखला से HSG की मिलान-सूची; मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का मानचित्र; "Annex 3E — CWC SUH parameters for subzones 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) and 3(c), with worked example" → परिशिष्ट 3E — उप-क्षेत्र 3(d), 3(g), 3(f), 1(d) और 3(c) के लिए CWC SUH प्राचल, हल किए गए उदाहरण के साथ; परिशिष्ट 8C — छत्तीसगढ़ में BMP के प्रदर्शन का अंशांकन; परिशिष्ट 11C — छत्तीसगढ़ के भवन प्रकारों के लिए गहराई–क्षति वक्र; "Annex 5C — Worked example: outfall-closed check for a site on a nala draining to the Kharun in Raipur" → परिशिष्ट 5C — हल किया गया उदाहरण: रायपुर में खारुन में गिरने वाले एक नाले पर स्थित साइट के लिए आउटफॉल-बंद जाँच; "Annex 1A — List of Tier A authorities, with the boundaries of the Municipal Corporations, of the planning area of Raipur and of the special area of Nava Raipur Atal Nagar" → परिशिष्ट 1A — टियर A प्राधिकारियों की सूची, नगर निगमों, रायपुर के निवेश क्षेत्र और नवा रायपुर अटल नगर के विशेष क्षेत्र की सीमाओं सहित; "Annex 1D — Model CGBVN 1984 amendment and model ULB bye-law" → परिशिष्ट 1D — भूमि विकास नियम, 1984 का आदर्श संशोधन और आदर्श ULB उपविधि; परिशिष्ट 7E का शीर्षक ऊपर की पंक्ति में; परिशिष्ट 3B का शीर्षक "Supplementary land covers" की पंक्ति में; **तालिका 9.5 — छत्तीसगढ़ के स्थानों के लिए न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग**; **तालिका 8.3 — BMP की मूल्य श्रेणियाँ और छत्तीसगढ़ में उपयुक्तता**
Bodies other than the Government (Authority, Corporation, Department, Committee)	प्राधिकरण, निगम, विभाग, समिति — लिंग हिन्दी संज्ञा के अनुसार (प्राधिकरण, निगम, विभाग पुल्लिंग; समिति, परिषद स्त्रीलिंग)
Sub-rule / bye-laws	उपनियम / उपविधियाँ
Station (rain gauge, IMD, weather) / pump station, pumping station	केंद्र (वर्षामापी केंद्र, मौसम केंद्र) / पंपिंग स्टेशन
Observatory (IMD)	वेधशाला (observatory)
Fixed-interval factor / correction	नियत-अंतराल गुणक / संशोधन (correction)
Loss rate	हानि दर (loss rate)
Time to peak / lag time	चरम तक समय (time to peak) / पश्चता समय
Cover (manhole, chamber, tank) / grating / cover slab	ढक्कन (cover) / जाली (grating) / ढकने की स्लैब (cover slab)
Hydraulic radius	हाइड्रोलिक त्रिज्या
Overtopping (road, culvert, embankment) / not overtopped	ऊपर से बहना (overtopping) / ऊपर से न बहे
Oil-grit separator	तेल-ग्रिट पृथक्कारी (oil-grit separator)
Commissioning / commissioning record	चालू करना (commissioning) / चालू करने का अभिलेख

English	हिन्दी
Open data / open licence	मुक्त आँकड़े (open data) / मुक्त लाइसेंस
Certifying professional / certifier	प्रमाणकर्ता पेशेवर / प्रमाणकर्ता
Document / documented / documentation	दस्तावेज / दस्तावेजित / प्रलेखन
Attribute (GIS field)	गुण (attribute)
Disclosure (front matter, interest of the author) / Disclosure (Chapter 7, statement of a gap in the law)	हित-प्रकटन (Disclosure) / प्रकटन (Disclosure)
Data / data gap / not found online / not obtained	आँकड़े / आँकड़ों की कमी / ऑनलाइन नहीं मिला / प्राप्त नहीं हुआ
Agency / agencies / jurisdiction / multi-agency coordination	एजेंसी / एजेंसियाँ / अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) / बहु-एजेंसी समन्वय
Capacity / design capacity / full capacity	क्षमता / डिजाइन क्षमता / पूर्ण क्षमता
Congestion (drainage) / backing up	जल निकासी अवरोध (drainage congestion) / पानी का पीछे लौटना
Resurfacing / subgrade / base	पुनः सतह बिछाना (resurfacing) / सबग्रेड (subgrade) / आधार परत (base)
Paving / compacted gravel / deck / roof	पक्की सतह (paving) / संघनित बजरी / डेक / छत
Reuse	पुनः उपयोग (reuse)
Successors in title	हक-उत्तराधिकारी (successors in title)
Common plan of development	विकास की साझा योजना (common plan of development)
Signs and depth markers	संकेत-पट और गहराई चिह्न (हिन्दी और अंग्रेजी में)
Fence / guard rail	बाड़ / सुरक्षा रेलिंग
Plinth / plinth certificate (Rule 96) / basement setbacks (Rule 73(3)(क)) †	प्लिंथ (plinth; साझा पंक्ति का रूप) / **प्लिंथ प्रमाण-पत्र** (plinth certificate; नियम 96; 2018 के संशोधन का अपना शीर्ष "कुर्सी स्तर (प्लींथ लेवल)/प्लींथ सर्टीफिकेट" — केवल उद्धरण में; "whose form checks location, orientation and setbacks but no level" → जिसका प्रपत्र स्थिति, दिशा और सेटबैक जाँचता है पर कोई स्तर नहीं) / **बेसमेंट** (basement; पुल्लिंग; छत्तीसगढ़ संस्करण में सर्वत्र बेसमेंट; तहखाना नहीं) — "sets basements back 3 m or 6 m from the plot boundary (rule 73(3)(क))" → बेसमेंट को भूखंड की सीमा से 3 m या 6 m पीछे रखता है (नियम 73(3)(क)); "No minimum plinth height, flood bar on basements or level for the crest of a basement ramp was found" → कोई न्यूनतम प्लिंथ ऊँचाई, बेसमेंट पर बाढ़-संबंधी रोक या बेसमेंट रैंप के शिखर का स्तर नहीं मिला; **Basements and plinths are inspected, but not for floods. → बेसमेंट और प्लिंथ का निरीक्षण होता है, पर बाढ़ के लिए नहीं।**
Allowance (climate change, sediment, sea level)	अतिरिक्त प्रावधान (allowance; छूट नहीं)

English	हिन्दी
Rainfall zones CG-Z1, CG-Z2, CG-Z3 (Annex 2A) †	वर्षा जोन CG-Z1, CG-Z2, CG-Z3 (कोड रोमन में; "zone CG-Z1" → जोन CG-Z1; "three rainfall zones and six hydrologic sub-areas" → तीन वर्षा जोन और छह जलवैज्ञानिक उप-भाग; "catchments that cross a zone line take the higher zone value" → जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र ऊँचे जोन का मान लेते हैं)
CG-Z1 Mahanadi plain †	CG-Z1 महानदी का मैदान
CG-Z2 Bastar plateau †	CG-Z2 बस्तर पठार
CG-Z3 Northern hills †	CG-Z3 उत्तरी पहाड़ियाँ
Sub-areas CG-A to CG-F (as in "CG-Z1 Mahanadi plain: CG-A Raipur–Durg–Bhilai–Rajnandgaon plain (Seonath–Kharun, limestone)") †	उप-भाग CG-A से CG-F (तालिकाओं में जोन और उप-भाग साथ: "CG-Z1 महानदी का मैदान: CG-A रायपुर–दुर्ग–भिलाई–राजनांदगांव मैदान (शिवनाथ–खारुन, चूना पत्थर)"; "CG-Z1 (CG-A to CG-D)" → CG-Z1 (CG-A से CG-D); "CG-Z2 (CG-E, the Indravati side, including Jagdalpur)" → CG-Z2 (CG-E, इंद्रावती की ओर, जगदलपुर सहित); "sub-area CG-F" → उप-भाग CG-F (उप-क्षेत्र केवल CWC का subzone); en dash वैसा ही)
CG-A Raipur–Durg–Bhilai–Rajnandgaon plain (Seonath–Kharun, limestone) / CG-B Bilaspur–Mungeli–Kawardha (Arpa–Maniari–Hamp) †	CG-A रायपुर–दुर्ग–भिलाई–राजनांदगांव मैदान (शिवनाथ–खारुन, चूना पत्थर) / CG-B बिलासपुर–मुंगेली–कवर्धा (अरपा–मनियारी–हांप)
CG-C Korba–Janjgir–Champa–Raigarh (Hasdeo–Mand–Kelo coalfields) / CG-D South-east plain (Dhamtari–Mahasamund–Gariaband–Rajim) †	CG-C कोरबा–जांजगीर–चांपा–रायगढ़ (हसदेव–मांड–केलो कोयला क्षेत्र) / CG-D दक्षिण-पूर्वी मैदान (धमतरी–महासमुंद–गरियाबंद–राजिम)
CG-E Bastar plateau and Godavari frontage / CG-F Northern hills (Surguja–Koriya–Jashpur) †	CG-E बस्तर पठार और गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र / CG-F उत्तरी पहाड़ियाँ (सरगुजा–कोरिया–जशपुर)
Zone-table area descriptions (the Wainganga side of Rajnandgaon and Khairagarh; the Narmada fringe of Kawardha; the east of Arang; the south of Kanker district; the Kotri side; the north of the Koriya area; the Odisha border) †	राजनांदगांव और खैरागढ़ की वैनगंगा की ओर / कवर्धा की नर्मदा की ओर की किनारी पट्टी / आरंग का पूर्वी भाग / कांकेर जिले का दक्षिणी भाग / कोटरी की ओर ("Kanker (except the Kotri side)" → कांकेर (कोटरी की ओर को छोड़कर); "the west of Antagarh on the Kotri" → कोटरी पर अंतागढ़ का पश्चिमी भाग) / कोरिया क्षेत्र का उत्तरी भाग / ओडिशा की सीमा ("a closed cell of more than 440 mm on the Odisha border" → ओडिशा की सीमा पर 440 mm से अधिक का एक बंद क्षेत्र) — "boundaries [TBC]" → सीमाएँ [TBC]; "Jagdalpur on the line between 3(g) and 3(f)" → 3(g) और 3(f) के बीच की रेखा पर जगदलपुर; "Kirandul and Bacheli (Bailadila)" → किरंदुल और बचेली (बैलाडीला)
Sub-area (of a rainfall zone; of a catchment model) / all sub-areas	उप-भाग (sub-area) / सभी उप-भाग — उप-क्षेत्र केवल CWC subzone के लिए
Step (of a procedure, calculation, worked example or enforcement ladder) / Step 1 / steps / sub-step / step by step / time step	पद / पद 1 / पद / उप-पद / पद-दर-पद / समय पद (time step) — एक ही नियम सभी अध्यायों और परिशिष्टों में, आउटलेट चरण हो या न हो; चरण केवल stage (आउटलेट चरण, प्रस्तुति का चरण) के लिए; कदम केवल लाक्षणिक अर्थ में ("the first step toward encroachment" → अतिक्रमण की ओर पहला कदम)
Plan (drawing view): in plan / plan and section / plan area / plan size	प्लान: प्लान में / प्लान और काट / प्लान क्षेत्रफल (plan area) / प्लान आकार — चित्र के भाग-शीर्षक "A. Plan:" / "B. Section:" → "A. प्लान:" / "B. काट:", और कैप्शन "A: in plan" / "B: in section" → "A: प्लान में" / "B: काट में" (योजना या नक्शा नहीं)

English	हिन्दी
Plan (a drawing sheet): site plan / building plan / service plan / catchment plan / drainage plan (in a submittal) / plan drawing / shown on plan	नक्शा: साइट नक्शा / भवन नक्शा / सेवा नक्शा / जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा / जल निकासी नक्शा / नक्शा / नक्शे पर दर्शाया गया
Plan (a drainage plan document): master plan / basin plan / IUSWDMP / the plan (referring to these)	मास्टर प्लान / बेसिन प्लान / IUSWDMP / प्लान (पुल्लिंग: "बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो")
Plan (a scheme): O&M plan / action plan / fee-in-lieu scheme / basin planning	योजना: O&M योजना / कार्य योजना / एवज शुल्क योजना / बेसिन-स्तरीय नियोजन (development plan, master plan के लिए † पंक्ति देखें; "district flood-control action plans" → जिला बाढ़ नियंत्रण कार्य योजनाएँ)
I state that … / I declare that … / I certify that … / I confirm that …	मैं कथन करता/करती हूँ कि … / मैं घोषणा करता/करती हूँ कि … / मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि … / मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि …
Landlocked	भू-आबद्ध (स्थलरुद्ध नहीं)
Default (value, assumption) / in default (works in default)	डिफॉल्ट (default) / चूक की दशा में (works in default)
Parameter / water quality parameters	प्राचल / जल गुणवत्ता प्राचल (मापदंड नहीं; मानदंड = criterion)
Lookup (soil-series-to-HSG lookup)	मिलान-सूची (lookup)
Liner / lined / unlined (storage, tank, pond, bioretention or other BMP)	लाइनर (liner) / लाइनरयुक्त / बिना लाइनर का — चैनल के अस्तर (lining) से अलग
Compaction / compacted	संघनन (compaction) / संघनित (दबाई गई नहीं)
Backfill	पीछे भराई (backfill)
Developer	विकासकर्ता
Instrument (legal)	लिखत (विलेख नहीं; tool = साधन)
Right of way (ROW)	मार्गाधिकार (right of way)
Estuary	ज्वारनदमुख (estuary; छत्तीसगढ़ में लागू नहीं)
Polder	पोल्डर (polder)
Breach (of a tank embankment) / breach analysis / breach area	तटबंध टूटना / तटबंध टूटने का विश्लेषण (breach analysis) / तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र; नाम वाले बाँध (S.M. Bund, L.M. Bund) के लिए बाँध का टूटना
Danger mark / record level / highest level recorded / high flood level (HFL)	खतरे का निशान / रिकॉर्ड स्तर / दर्ज सबसे ऊँचा स्तर / उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL)
Floodplain zoning (URDPFI) / flood land	डूब क्षेत्र का जोनिंग (floodplain zoning; बाढ़ मैदान नहीं) / बाढ़ भूमि
Wherever feasible / wherever possible / recreational use	जहाँ भी व्यवहार्य हो / जहाँ भी संभव हो / मनोरंजक उपयोग (मनोरंजन उपयोग नहीं)

English	हिन्दी
Soil survey bodies (Chapter 3, Annexes 3A and 4A) †	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP); छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण); इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर — "NBSS&LUP and Chhattisgarh Department of Agriculture" → NBSS&LUP और छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग; लेखकों के नाम रोमन में (Mandal et al., Wakode et al., Ranjan and Singh, Karthikeyan et al., Kindo, Agrawal and Tripathi)
Form titles (copy the form heading exactly wherever a form is named)	प्रपत्र 1-1 प्रयोज्यता निर्धारण; 1-2 विचलन / अधित्याग अनुरोध; 2-1 डिजाइन वर्षा पत्रक; 3-1 जलवैज्ञानिक गणना सारांश; 3-2 विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना; 4-1 साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट; 4-2 टियर B साइट पत्रक; 4-3 नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7); 5-1 अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट; 5-2 सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें); 6-1 वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची; 7-1 जलाशय पत्रक; 7-2 तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक; 7-3 प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार); 8-1 जल गुणवत्ता पत्रक; 8-2 अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख; 9-1 हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची; 10-1 जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची; 10-2 अनुपालन कैलकुलेटर सारांश; 10-3 पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र; 10-4 रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख; 10-5 यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र; 10-6 रखरखाव घोषणा-पत्र; 10-7 वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट; 10-8 परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र; 11-1 वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट
Annex and form lists at chapter ends	प्रत्येक पंक्ति का पाठ परिशिष्ट या प्रपत्र के शीर्षक की हूबहू प्रति (जहाँ अंग्रेजी में भी वही है)
The Manual is a draft; it is not adopted by any government or agency	यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है
Notification / order / letter / circular / directive of the Government of Chhattisgarh and its bodies †	**अधिसूचना** (notification; स्त्रीलिंग) / **आदेश** (order; पुल्लिंग; "order No. F 9-22/2016/1/5" → आदेश क्रमांक F 9-22/2016/1/5) / **पत्र** (letter; "letter No. 2940/1445/32/2009 of 23 November 2009" → 23 नवंबर 2009 का पत्र क्रमांक 2940/1445/32/2009) / परिपत्र (circular) / निर्देश (directive; "A State directive of May 2023 to survey every water body in Raipur district" → रायपुर जिले के हर जलाशय के सर्वेक्षण का मई 2023 का राज्य का निर्देश) — छत्तीसगढ़ शासन की संख्या सदा **क्रमांक** (सत्यापित: "क्रमांक एफ 7-27/2017/32", "क्रमांक 706/2286/32/2007"); झारखंड का संख्या/ज्ञापांक, सरकारी आदेश, शासनादेश नहीं; केंद्रीय और अन्य राज्यों के लिए संख्या (CAG की रिपोर्ट संख्या 4)
High Court of Chhattisgarh / NGT Central Zone bench (CZ), Bhopal / O.A. / W.P.(C) / W.P.(PIL) / WPC †	**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय** ("the High Court of Chhattisgarh", "the High Court", "the Court" → छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय / न्यायालय; बिलासपुर) / **NGT की केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल** ("NGT CZ is the Central Zone bench of the National Green Tribunal, at Bhopal, which hears cases from Chhattisgarh" → NGT CZ राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ है, जो छत्तीसगढ़ के मामलों की सुनवाई करती है; "NGT (Central Zone)" → NGT (केंद्रीय क्षेत्र); "NGT CZ" वैसा ही; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप; "the Tribunal" → अधिकरण) / O.A. (मूल आवेदन; "O.A. 78/2024", "O.A. 593/2017", "O.A. 673/2018", "O.A. 351/2019" वैसे ही) / W.P.(C) 25/2016 और 2696/2016, "WPC 25/2016", W.P.(PIL) No. 135 of 2017 — संख्याएँ हूबहू
Report to the NGT / action-taken report / monthly progress report / petition / affidavit †	NGT को रिपोर्ट ("CECB report in NGT O.A. 593/2017" → NGT O.A. 593/2017 में CECB की रिपोर्ट) / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (action-taken report; मध्य प्रदेश संस्करण का रूप) / मासिक प्रगति रिपोर्ट ("the monthly progress report of January 2021 in O.A. 673/2018" → O.A. 673/2018 में जनवरी 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट) / याचिका ("A petition on the encroachment of Madho Talab" → माधो तालाब के अतिक्रमण पर एक याचिका) / शपथ-पत्र
Case names (Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh; Amarchand Surana; M.K. Balakrishnan; Anand Arya) †	मामलों के नाम अंग्रेजी में, स्रोत की तरह इटैलिक (*Jagdish Prasad Devangan v. State of Chhattisgarh*, *Amarchand Surana*, *M.K. Balakrishnan*, *Anand Arya*); कोई हिन्दी टिप्पणी नहीं जोड़ी जाती — आसपास का वाक्य हिन्दी में बताता है कि न्यायालय ने क्या किया ("under the Supreme Court's rulings in *M.K. Balakrishnan* (2017) and *Anand Arya* (2024)" → *M.K. Balakrishnan* (2017) और *Anand Arya* (2024) में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत)

English	हिन्दी
Court and tribunal orders named in the Manual (NGT, 14 November 2024 and 16 January 2026; High Court, 22 January 2019, 2025 and May 2026) †	NGT (केंद्रीय क्षेत्र), O.A. 78/2024, 14 नवंबर 2024 का आदेश (बलौदा के तालाब): "to ensure the removal of encroachments within the reasonable time" → "उचित समय के भीतर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करने" ("to ensure the removal of encroachments within the reasonable time") / 16 जनवरी 2026 का NGT का आदेश ("Durg's treatment plants ... finished within six months" → दुर्ग के शोधन संयंत्र ... छह महीनों के भीतर पूरे; प्रकाशित खबरों के अनुसार) / उच्च न्यायालय के 22 जनवरी 2019 के आदेश (W.P.(C) 25/2016 और 2696/2016; अरपा विशेष क्षेत्र) / अरपा के प्रदूषण पर 2025 के और खारुन, शिवनाथ और अरपा पर मई 2026 के उच्च न्यायालय के आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार; "seen only in search extracts" → केवल खोज-अंशों में देखे गए)
Division / sub-division (offices of WRD and other Chhattisgarh departments; "WRD (division)"; revenue division: the Bastar division) †	**संभाग** (Division; छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आधिकारिक शब्द — "WRD (division)" → WRD (संभाग); "[WRD division / ULB / Gram Panchayat / Other]" → [WRD संभाग / ULB / ग्राम पंचायत / अन्य] (परिशिष्ट 7C की पंक्ति, मध्य प्रदेश से पुनः प्रयुक्त — बदलें नहीं; झारखंड से पुनः प्रयुक्त कोई "प्रमंडल" संभाग में बदला जाएगा); "the Bastar division" → बस्तर संभाग; "25 May in the Bastar division" → बस्तर संभाग में 25 मई) / उपसंभाग (sub-division) — झारखंड का प्रमंडल, हरियाणा का मंडल नहीं (छत्तीसगढ़ में मंडल = Board); IMD का उप-मंडल (sub-division) साझा रूप में वैसा ही; खंड नहीं
Monsoon water line †	मानसून जल रेखा (monsoon water line: खंड 7.2 के बाद की परिभाषा — मानसून (जुलाई से सितंबर) की दिनांकित इमेजरी या सर्वेक्षण से तालाब, झील, जलाशय या आर्द्रभूमि के पानी का बाहरी किनारा, और राजस्व अभिलेख का किनारा, जो बड़ा हो; इस मैनुअल की परिभाषा)
Over-exploited / critical / semi-critical / safe (groundwater units) / stage of extraction / fluoride / arsenic / nitrate †	अति-दोहित (over-exploited) / गंभीर (critical) / अर्ध-गंभीर (semi-critical) / सुरक्षित (safe) — भूजल इकाइयाँ / दोहन का चरण (stage of extraction; "47.32% in 2024" वैसे ही; "draws less than half of its extractable groundwater" → अपने दोहन योग्य भूजल का आधे से कम निकालता है; "Dharsiwa ... at 93.51%" → धरसीवां ... 93.51% पर) / फ्लोराइड ("fluoride in eight districts" → आठ जिलों में फ्लोराइड) / आर्सेनिक ("arsenic at Ambagarh Chowki" → अंबागढ़ चौकी में आर्सेनिक) / नाइट्रेट ("nitrate above 45 mg/l in about 11% of samples" → लगभग 11% नमूनों में 45 mg/l से अधिक नाइट्रेट)
Depth to water / water within 5 m of the surface / weathered zone / hydrogeologist †	भूजल स्तर की गहराई (depth to water; "after the monsoon the water stood within 5 m of the surface in about 76% of the observation wells in 2023" → 2023 में मानसून के बाद लगभग 76% प्रेक्षण कुओं में पानी सतह से 5 m के भीतर था) / अपक्षयित क्षेत्र (weathered zone) / "groundwater sometimes flows at the surface and can be as hot as 50 °C" → भूजल कभी-कभी सतह पर बहता है और 50 °C तक गर्म हो सकता है / जल-भूवैज्ञानिक (hydrogeologist)
Lok Sabha / Rajya Sabha / unstarred question / AU1419, AU1847 †	लोक सभा / राज्य सभा / अतारांकित प्रश्न (AU1419, AU1847 वैसे ही) / "Rajya Sabha answer of 8 July 2019 on rainwater harvesting (as summarised)" → वर्षा जल संचयन पर 8 जुलाई 2019 का राज्य सभा का उत्तर (सारांश के अनुसार); "through storm water drains into water body (which is not receiving sewage/effluent)" → "वर्षा जल ड्रेनों के माध्यम से जलाशय में (जो सीवेज/बहिःस्राव प्राप्त नहीं कर रहा)"; "advisory guidelines" → "परामर्शी दिशानिर्देश"
Pre-monsoon desilting (by 31 May; by 25 May in the Bastar division) / monsoon from mid-June to mid-October / 10 June and 15 October (IMD Raipur) †	मानसून-पूर्व गाद-सफाई (31 मई तक; साझा; "or by 25 May in the Bastar division, where the monsoon arrives first" → या बस्तर संभाग में, जहाँ मानसून पहले आता है, 25 मई तक) / "a monsoon that comes first to Bastar and lingers into October" → पहले बस्तर में आने वाला और अक्तूबर तक बना रहने वाला मानसून / "sets in at Jagdalpur about 11–13 June, at Raipur and Pendra Road about 16 June and at Bilaspur about 17 June" → जगदलपुर में लगभग 11–13 जून को, रायपुर और पेंड्रा रोड में लगभग 16 जून को और बिलासपुर में लगभग 17 जून को प्रवेश करता है; "withdraws between 7 October at Pendra Road and 12–14 October at Jagdalpur" → पेंड्रा रोड में 7 अक्तूबर और जगदलपुर में 12–14 अक्तूबर के बीच लौटता है; "most parts of Chhattisgarh by 20th June" (IMD) → "20 जून तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग" / "from mid-June to mid-October" → मध्य जून से मध्य अक्तूबर तक

English	हिन्दी
Reach (of a river, drain, channel, pipe network or waterbody)	भाग (reach) — प्रत्येक अनुभाग में पहली बार "(reach)" के साथ; नदी का reach = नदी-भाग (river reach); "the same reach of the same waterbody" → उसी जलाशय का उसी भाग; pipe reach / drain reach → पाइप का भाग / ड्रेन का भाग; "riverine outfall reach" → नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; "tidal reaches of rivers and canals" → नदियों और नहरों के ज्वारीय भाग; "encroached reaches" → अतिक्रमित भाग। खंड नहीं (खंड इस मैनुअल के खंड के लिए आरक्षित है), पहुँच नहीं (पहुँच = access, "reach to orifices" → ऑरिफिस तक पहुँच)
Section (of a channel, drain or conduit) / change of section / clear section / circular sections	अनुप्रस्थ काट (section) / अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (change of section) / स्पष्ट अनुप्रस्थ काट (clear section) / वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट (circular sections) — खंड नहीं। (दिल्ली संस्करण के 6 और 9 में अब भी "खंड" है; flow segment, gutter run, straight pipe run के "खंड" साझा चित्रों से जुड़े हैं और अभी वैसे ही रखे गए हैं)
Clause of another code or standard (PUB Code of Practice, cl. 7.1.5)	cl. 7.1.5 (रोमन में, जैसा अन्य PUB उद्धरणों में) — खंड नहीं
Interception / interception structure / interception weir / interceptor	अवरोधन (interception) / अवरोधन संरचना (interception structure) / अवरोधन वियर / इंटरसेप्टर (interceptor) — "interception (drain-tapping) structures" → अवरोधन (ड्रेन-टैपिंग) संरचनाएँ
Inundation / inundation analysis	जलमग्नता (inundation) / जलमग्नता विश्लेषण (inundation analysis) — जलप्लावन नहीं; जलजमाव नहीं
Urban flooding / urban flash floods	शहरी बाढ़ (urban flooding; "नगरीय बाढ़" नहीं) / शहरी आकस्मिक बाढ़ें (urban flash floods)
Outcrop (rock)	खुली चट्टान (outcrop) — "granite-gneiss outcrop" → ग्रेनाइट-नीस की खुली चट्टान
Pumping station / tide-locked / not closed by the tide	पंपिंग स्टेशन ("पंप स्टेशन" नहीं) / ज्वार से अवरुद्ध / ज्वार से अवरुद्ध नहीं
Rule references to the Bhumi Vikas Niyam (running text) †	सदा "छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984" (अध्याय में पहली बार) या "भूमि विकास नियम, 1984" / "भूमि विकास नियम" और उसके क्रमांकित प्रावधान के लिए सदा "नियम N" — खंड, उपविधि, कोड, विनियम, प्रस्तर, धारा या पैरा नहीं; "the Niyam" → भूमि विकास नियम; "the inherited 1984 text" → विरासत में मिला 1984 का पाठ; "the Niyam's" → भूमि विकास नियम के; झारखंड से पुनः प्रयुक्त किसी पंक्ति का "भवन उपविधि 2016" या "उपविधि N" यहाँ नहीं रह सकता
Talab bund / bandh / reservoir bund †	तालाब का बाँध (tank bund, खंड 7.14) — "a bandh's bund" → बाँध (bandh) का तटबंध (bund), ताकि शब्द दोहराया न जाए; "its bund a tank bund (Clause 7.14.2)" → उसका तटबंध तालाब का बाँध (खंड 7.14.2) / जलाशय का बाँध
Full tank level (FTL) / full reservoir level (FRL) / maximum water level (MWL) / surcharge †	पूर्ण जल स्तर (FTL; "FTL (full tank level) is used for talabs and small tanks" → FTL (तालाब का पूर्ण जल स्तर) तालाबों और छोटे तालाबों के लिए प्रयुक्त होता है; किसी नाम वाले जलाशय के साथ "तालाब का" न जोड़ें) / **जलाशय का पूर्ण जल स्तर (FRL)** ("FRL (full reservoir level) is the term of WRD's gauge reports for its dams and barrages" → FRL (जलाशय का पूर्ण जल स्तर) WRD की गेज रिपोर्टों में उसके डैमों और बैराजों का शब्द है; "FRL 337.150 m + 0.5 m" वैसे ही; "पूर्ण जलाशय स्तर" नहीं) / अधिकतम जल स्तर (MWL; "the maximum water level of a reservoir" → किसी जलाशय का अधिकतम जल स्तर) / सरचार्ज (surcharge; "FRL + surcharge" → FRL + सरचार्ज; "the FTL plus the surcharge of the design flood" → FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज; अधिभार नहीं)
Army / rescue / evacuation †	सेना (army) / बचाव ("about 16,000 rescued" → लगभग 16,000 को बचाया गया) / "about 2,000 people were shifted at Abhanpur" → अभनपुर में लगभग 2,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया

English	हिन्दी
Press and other sources named in the Manual (The Hitavada, Patrika, Dainik Jagran, Down To Earth, India Legal, Drishti, The Tribune, The Pioneer, Telangana Today, OdishaBytes, YourStory, Indian Bureaucracy, SANDRP) †	नाम अंग्रेजी में, संदर्भों में वैसे ही; चालू पाठ में "(press)" → (समाचार माध्यम); "as transcribed by SANDRP" → SANDRP द्वारा लिखित रूप में; "(press and secondary sources)" → (समाचार माध्यम और द्वितीयक स्रोत); "one paper ... another" → एक समाचार-पत्र ... दूसरा
Peri-urban	उपनगरीय (peri-urban; एक शब्द, "उप-नगरीय" नहीं)
Case, site and report numbers (O.A. 78/2024; W.P.(C) 25/2016; Ramsar site 2583; M-3(d)/R-3/25/1996; I/21/1992; LG-3(f)/R-2/24/1995; S/15/1987; RULE/170/2025-HOUSING) †	संख्याएँ हूबहू — रोमन अक्षर, अंक, कोष्ठक, बिंदु, स्लैश और हाइफन स्रोत की तरह; कभी लिप्यंतरण नहीं; "I/21/1992" और "I-21/1993" (एक ही रिपोर्ट की दो संख्याएँ, जैसा अंग्रेजी देती है) बदलें नहीं; "file" (संख्या के साथ) → फाइल
Square brackets inside a bracketed English original	उद्धरण के बाद कोष्ठक में दिए अंग्रेजी मूल के भीतर के गोल कोष्ठक वर्गाकार कोष्ठक बन जाते हैं, शब्द वही: ("within nine [9] meters of the highest water mark of a tank"), ("A watercourse; channel [for water], a ravine; ...") — UP के ("roads [paved/unpaved]") की तरह
Reference entries with Hindi connecting text	जिस संदर्भ-प्रविष्टि का अंतिम अंश हिन्दी में अनूदित है, वह URL से पहले दंड (।) से समाप्त होती है; अनुवादित अंश में पूरे महीने हिन्दी में (3 अगस्त 2025, 12 जनवरी 2026; "15 May 2020 की प्रेस विज्ञप्ति" नहीं, 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति) और संस्थाओं के नाम देवनागरी में (NIH रुड़की); संक्षिप्त महीने (12 Jan 2026, "27 May, 11 and 22 Jul and 24 Nov 2014") और अंग्रेजी शीर्षकों के भीतर के महीने अंग्रेजी रूप में वैसे ही। मध्य प्रदेश संस्करण का नियम (बिहार संस्करण में अध्याय 1, 4 और 8 पूर्ण विराम, अन्य अध्याय दंड लिखते थे): URL से ठीक पहले का अंतिम वाक्य (संक्षेपों के बाद के "No.", "pp.", "Vol." वाक्य-सीमा नहीं) यदि हिन्दी शब्द रखता है — कोष्ठक में भी, जैसे "(प्रस्तुति)", "(PRS प्रति, ...)", "pp. 58–59 और Table 18" — तो दंड; यदि वह केवल अंग्रेजी शीर्षक है ("(अब MHFD) (2012). Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum.") या पूरी प्रविष्टि अंग्रेजी है, तो पूर्ण विराम; यही नियम बिना URL वाली प्रविष्टि के अंत पर। अध्याय 10 और 11 की संदर्भ-सूचियाँ बिहार संस्करण की तरह पूर्णतः अंग्रेजी में रहती हैं। बाहरी रिपोर्ट की तालिका संदर्भ-प्रविष्टि में अंग्रेजी रूप में (Table 2, Table 18)
Vulnerability study / city vulnerability assessment / vulnerability and risk assessment	सुभेद्यता अध्ययन (vulnerability study) / शहरी सुभेद्यता आकलन (city vulnerability assessment) / सुभेद्यता और जोखिम आकलन — असुरक्षा, भेद्यता और संवेदनशीलता नहीं (संवेदनशीलता = sensitivity: संवेदनशीलता रन (sensitivity run)); अंग्रेजी शीर्षक (*Indore City Vulnerability Assessment*) संदर्भों में अंग्रेजी में। तालिका 6.4 का पुनः प्रयुक्त शीर्षक "संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग" (hazard vulnerability classes) UP/बिहार का साझा पाठ है और वैसा ही रहता है
Court case / "CECB told the NGT" / report to the Tribunal †	न्यायालय का मामला / "In January 2021 CECB told the NGT that only Bilaspur had a sewerage system" → जनवरी 2021 में CECB ने NGT को बताया कि केवल बिलासपुर में सीवरेज प्रणाली थी / "report to the Tribunal" → अधिकरण को रिपोर्ट; "the High Court was told" → उच्च न्यायालय को बताया गया — न्यायालयीन नहीं

English	हिन्दी
Statutory master plan (shared lines of Chapters 6 and 11 and Annex 11) / master plan (drainage) †	सांविधिक विकास योजना ("future land use from the statutory master plan" → सांविधिक विकास योजना से भविष्य का भूमि उपयोग; "under the statutory master plan" → सांविधिक विकास योजना के अंतर्गत) — मध्य प्रदेश संस्करण का नियम: छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग की सांविधिक योजना 1973 के अधिनियम की विकास योजना है, इसलिए अंग्रेजी साझा होते हुए भी हिन्दी स्थानीय की गई; झारखंड से पुनः प्रयुक्त पंक्तियों का "सांविधिक मास्टर प्लान" इस अर्थ में विकास योजना में बदला जाएगा; जल निकासी के मास्टर प्लान (BSMP, शहर का वर्षा जल मास्टर प्लान, "the master plan drain size"), CPHEEO का उद्धरण और जहाँ अंग्रेजी दोनों नाम देती है ("approved master plan or development plan" → अनुमोदित मास्टर प्लान या विकास योजना) मास्टर प्लान रहते हैं
Platts's glosses in Annex 7E (translator's note)	"(उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, उनके हिन्दी अनुवाद के साथ)" — परिशिष्ट 7E के परिचय में यह टिप्पणी अंग्रेजी में नहीं है, पर बिहार संस्करण की तरह रखी जाती है, क्योंकि तालिकाएँ प्लैट्स के अर्थ इसी रूप में देती हैं
Laterite / laterite caps	लैटेराइट / लैटेराइट आवरण (laterite caps; "on rock outcrop and laterite caps" → खुली चट्टान और लैटेराइट आवरणों पर) — लैटेराइट की परतें नहीं
"Talab (तालाब)" (definitions after Clause 7.2) / "talab or pond" †	तालाब (talab) — परिभाषा तालिका के शब्द-स्तंभ में अंग्रेजी जो देवनागरी देती है, वह मुख्य शब्द बनता है और रोमन कोष्ठक में जाता है ("Dabri; bandh; kund" → डबरी; बाँध; कुंड; "Nala; narwa; nali" → नाला; नरवा; नाली; "Kanhar; dorsa; matasi; bhata" → कन्हार; डोरसा; मटासी; भाठा) / "talab or pond" → तालाब या पोखर (inventory की कोड-सूची में)
Gauge reading / gauge zero / gauge datum / Survey of India benchmark †	गेज पाठ्यांक (gauge reading) / गेज का शून्य (gauge zero) / गेज डेटम (gauge datum; "its connection to the gauge datum of the nearest CWC or WRD gauge" → निकटतम CWC या WRD गेज के गेज डेटम से उसका संबंध) / भारतीय सर्वेक्षण विभाग का बेंचमार्क (Survey of India benchmark) — "flood marks at Mahadev Ghat (September 2024 and 2026) to be surveyed" → महादेव घाट पर बाढ़ के निशान (सितंबर 2024 और 2026) का सर्वेक्षण किया जाना है
Design discharge / design flow / cusec †	डिजाइन प्रवाह (design discharge, design flow; डिजाइन निस्सरण नहीं) / क्यूसेक (cusec; "cubic feet a second; 1 cusec = 0.0283 m^3/s" → घन फुट प्रति सेकंड; 1 क्यूसेक = 0.0283 m^3/s; "about 30,000 cusecs (850 m^3/s)" → लगभग 30,000 क्यूसेक (850 m^3/s)) — "This Manual quotes them as given and adds the metric value where it matters for design" → यह मैनुअल उन्हें बताए गए रूप में उद्धृत करता है और जहाँ डिजाइन के लिए आवश्यक हो वहाँ मीट्रिक मान जोड़ता है
Statutory (Table 7E.3 — Statutory terms) / statutory, plan, wetland or court line †	सांविधिक ("Statutory terms" → सांविधिक शब्द) / "any statutory, plan, wetland or court line" → कोई भी सांविधिक, योजना, आर्द्रभूमि या न्यायालयी रेखा; "stricter than statute" → कानून से अधिक कठोर — न्यायालयीन नहीं
Cross-references and titles (consistency pass)	अध्याय-शीर्षक, "अध्याय N के परिशिष्ट — ..." समूह-शीर्षक, विषय-सूची की तालिका और प्रत्येक अध्याय की "परिशिष्ट और प्रपत्र" सूची एक ही शीर्षक लिखते हैं: सूची की पंक्ति का विषय परिशिष्ट या प्रपत्र के शीर्षक से हूबहू लिया जाता है (जहाँ अंग्रेजी सूची शीर्षक से भिन्न है, जैसे "Design Rainfall Sheet (Chapter 2)", वहाँ अंग्रेजी के अनुसार); पाठ में शीर्षक सहित संदर्भ ("Form 4-2 (Tier B site sheet)" → प्रपत्र 4-2 (टियर B साइट पत्रक)) भी शीर्षक के शब्द लेते हैं; "Tables 7E.1 to 7E.3" → तालिका 7E.1 से 7E.3
Numbers of Chhattisgarh instruments (consistency) †	भूमि विकास नियम के प्रावधान सदा नियम N (देवनागरी उप-अक्षर (क) स्रोत जैसे); छत्तीसगढ़ के अधिनियम: "क्रमांक सन् <वर्ष>"; छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना, आदेश, पत्र: क्रमांक; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण); अधिनियमों और भू-राजस्व संहिता की धारा; भूमि विकास नियम के परिशिष्ट (ढ, ण, Q) "भूमि विकास नियम का परिशिष्ट ..."; कोयला खान विनियम का विनियम — संगति जाँच में सभी फाइलों में एक ही रूप
Grey water / sullage †	ग्रे वाटर (grey water) / सलेज (sullage)
Underpass / national highway / road stretch †	अंडरपास (underpass; "the Fafadih and Gudhiyari underpasses" → फाफाडीह और गुढ़ियारी के अंडरपास) / राष्ट्रीय राजमार्ग (national highway) / सड़क का हिस्सा (road stretch; "11 road stretches of 50 m or more" → 50 m या अधिक के सड़क के 11 हिस्से — खंड नहीं)

English	हिन्दी
Read status of instruments and sources (not read; as reported; first page only; summaries only; machine transcription; third-party copy; archived copies; search snippet) †	(पढ़ा नहीं गया) / (प्रकाशित खबरों के अनुसार) / (केवल पहला पृष्ठ; "first page only") / (केवल सारांश) / "read only in machine transcription" → केवल मशीन-लिप्यंतरण में पढ़े गए / (तृतीय-पक्ष प्रति) / "from archived copies of the T&CP website" → T&CP की वेबसाइट की संग्रहीत प्रतियों से ("Wayback Machine copy" वैसा ही) / "seen only in a search snippet" → केवल एक खोज-अंश में देखा गया / "seen only in an extract" → केवल एक उद्धरण-अंश में देखा गया / "as extracted" → (उद्धरण-अंश के अनुसार) / "as transcribed" → (प्रतिलिपि के अनुसार) / "(as summarised)" → (सारांश के अनुसार) / "by NEER's arithmetic" → NEER की गणना के अनुसार — हर स्थिति-वाक्यांश ज्यों का त्यों, कभी हटाया नहीं जाता
River lock / drain lock / single lock / 7-day lock / 72-hour lock / lock window	नदी अवरोध (river lock) / ड्रेन अवरोध (drain lock) / एकल अवरोध / 7 दिन का अवरोध / 72 घंटे का अवरोध / अवरोध अवधि (lock window) — "lock" सदा **अवरोध** (दिल्ली और UP संस्करणों के अध्याय 5 का साझा रूप); "लॉक" कभी नहीं ("locked out", पंप के लिए → लॉक-आउट, अलग अर्थ)
Corridor (rule) / hydraulic corridor / drain or river corridor / flood corridor / utility corridors / river corridors named by a court	**कॉरिडोर** — इस मैनुअल का कॉरिडोर और हर तकनीकी अर्थ: (हाइड्रोलिक) कॉरिडोर (hydraulic corridor) / ड्रेन या नदी कॉरिडोर / बाढ़ कॉरिडोर / उपयोगिता कॉरिडोर; † "the larger of the corridor and any statutory, plan, wetland or court line" → कॉरिडोर और किसी भी सांविधिक, योजना, आर्द्रभूमि या न्यायालयी रेखा में से बड़ा / **नदी गलियारा** (river corridor) केवल वहाँ जहाँ कोई न्यायालय-आदेश "river corridors" नाम लेता है (राजस्थान संस्करण: "चिह्नित नदी गलियारे"); छत्तीसगढ़ की अंग्रेजी में ऐसा कोई आदेश नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ संस्करण में गलियारा नहीं आता — 2021 के आदेश का बिजली लाइनों के नीचे का "(कोरिडोर) बफर जोन" भी कॉरिडोर
Architect	वास्तुकार (architect; दिल्ली, UP, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान संस्करणों का रूप — वास्तुविद नहीं; "an architect or engineer" → कोई वास्तुकार या अभियंता)
Undertaking (by an owner or allottee) / State undertaking	वचन-पत्र (undertaking; "registered undertaking" → पंजीकृत वचन-पत्र; "asks its allottees for an undertaking" → अपने आवंटियों से वचन-पत्र माँगता है; "reaffirm by undertaking" → वचन-पत्र द्वारा पुनः पुष्टि — वचनपत्र, वचनबंध नहीं) / राज्य उपक्रम (State undertaking, एक निगम या कंपनी)
Monsoon burst / local burst	मानसून की तीव्र बौछार (monsoon burst; "a July or August monsoon burst" → जुलाई या अगस्त की मानसून की तीव्र बौछार — "मानसूनी तीव्र बौछार", "मानसून की तीव्र वर्षा" नहीं) / स्थानीय तीव्र बौछार (local burst) — ऊपर की पंक्ति "Burst (of rain)" के अनुसार burst सदा तीव्र बौछार
Office memorandum (of a Union ministry)	कार्यालय ज्ञापन (office memorandum; "O.M." के साथ संख्या अंग्रेजी जैसी) — † छत्तीसगढ़ शासन के पत्रों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संख्या "क्रमांक" है (नीचे की † पंक्ति देखें); झारखंड का ज्ञापांक, हरियाणा का ज्ञापन क्रमांक नहीं
Boulders / boulder bed / cemented boulder bed / colluvial fans / perched soil	गोलाश्म (boulders; "sand, gravel and boulders" → रेत, बजरी और गोलाश्म — "बड़े पत्थर" नहीं) / गोलाश्म तल (boulder bed) / सीमेंटित गोलाश्म तल (cemented boulder bed) / कोलुवियल पंखे (colluvial fans) / निलंबित (perched) मिट्टी
Retardation dams (quoted policy)	मंदन डैम ("by ponding, retardation dams, grass waterways" → "पॉन्डिंग, मंदन डैमों और घास के जलमार्गों द्वारा")
Hydrogeologist / hydrogeological	जल-भूवैज्ञानिक (संज्ञा और विशेषण दोनों: "a hydrogeologist's check" → जल-भूवैज्ञानिक की जाँच; "hydrogeological report" → जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट — जलभूविज्ञानी नहीं)
Backflow path	उलटे प्रवाह (backflow) का मार्ग (पश्चप्रवाह नहीं; ऊपर की पंक्ति "Backflow" देखें)
Urban drains / urban channels	शहरी ड्रेनें / शहरी चैनल ("नगरीय ड्रेन" नहीं; † विभाग के आधिकारिक नाम में नगरीय सही है: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (UADD) — केवल नाम में)

English	हिन्दी
Concurrent clearances (Clause 10.7.5)	समवर्ती अनापत्तियाँ (concurrent clearances; दिल्ली, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा संस्करणों का शीर्षक; समवर्ती स्वीकृतियाँ नहीं) — "environmental clearance (EC)" अलग शब्द है: पर्यावरण स्वीकृति
Test-checked (CAG) †	नमूना-जाँच किए गए (CAG का शब्द; केवल यदि अंग्रेजी test-checked लिखे)
Filing(s) (before a court or tribunal)	दाखिल दस्तावेज (filing; "read from filings" → दाखिल दस्तावेजों से पढ़ा गया; "the State's filing before the NGT" → NGT के समक्ष राज्य द्वारा दाखिल दस्तावेज; "as quoted in a filing before the Tribunal" → अधिकरण के समक्ष एक दाखिल दस्तावेज में उद्धृत रूप में; हरियाणा संस्करण का रूप — फाइलिंग, प्रस्तुति नहीं); "(as filed)" → (दाखिल रूप में)
Eviction / removal of encroachments / regularisation †	बेदखली (eviction; "summary eviction" → संक्षिप्त बेदखली) / अतिक्रमण हटाना (removal of encroachments) / नियमितीकरण (regularisation; "regularisation of unauthorised development" → अनधिकृत विकास का नियमितीकरण; ध्वस्तीकरण केवल यदि अंग्रेजी demolition लिखे)
Fence / fencing / fenced †	बाड़ (fence, fencing; स्त्रीलिंग; "a fenced pit lake" → बाड़ से घिरी खदान झील; "its fence and warning signs are maintained by the lessee" → उसकी बाड़ और चेतावनी चिह्नों का रखरखाव पट्टाधारी करता है)
Building bye-laws (generic) / municipal bye-law / Model Building Bye-Laws †	भवन उपविधियाँ (building bye-laws, सामान्य अर्थ) / नगरपालिका उपविधि (municipal bye-law; परिशिष्ट 1D भाग B की आदर्श ULB उपविधि — ULB की उपविधि वैध रूप से उपविधि है) / आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016 (MBBL) — छत्तीसगढ़ का उपकरण: भूमि विकास नियम, 1984 (ऊपर); "the building rules" (सामान्य वाक्यांश, जब भूमि विकास नियम का अर्थ न हो) → भवन नियम
Highest recorded level / highest level recorded (a gauge, river, reservoir, waterbody, water table)	अभिलिखित उच्चतम स्तर (खंड 5.8.5 का साझा पद; "the highest recorded levels of the two gauges" → दोनों गेजों के अभिलिखित उच्चतम स्तर; "set its highest recorded level" → अपना अभिलिखित उच्चतम स्तर बनाया; "the highest level recorded in the SW monsoon season" → दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में अभिलिखित उच्चतम स्तर) — दर्ज उच्चतम स्तर या उच्चतम दर्ज स्तर नहीं; recorded = अभिलिखित (अभिलिखित तालाब के समान); HFL की परिभाषा "किसी गेज पर दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर" अलग पद है
Factsheet (CGWB)	तथ्य-पत्रक (factsheet; पुल्लिंग: "दिसंबर 2024 का तथ्य-पत्रक") — फैक्टशीट नहीं; अंग्रेजी संदर्भ-प्रविष्टियों और कोष्ठकों में "MARC factsheet", "APWA 5600 Manual Factsheet", "fact sheet" अंग्रेजी ही
Scheme (of a development authority, housing board or colony developer) / scheme area	स्कीम (स्त्रीलिंग; बहुवचन स्कीमें; "develop schemes and colonies" → स्कीमें और कॉलोनियाँ विकसित करते हैं; "the drains of a scheme" → किसी स्कीम की ड्रेनें; "development schemes" → विकास स्कीमें) / स्कीम क्षेत्र — योजना केवल सांविधिक विकास योजना (development plan) के लिए, ताकि दोनों टकराएँ नहीं; साझा पंक्तियों के अन्य "scheme" यथावत: जल निकासी योजना (drainage scheme), एवज शुल्क योजना (fee-in-lieu scheme), राज्य की (ग्रामीण) योजनाएँ (government schemes)
Barrage pond / live storage	बैराज का जलाशय (बहुवचन बैराजों के जलाशय; "a barrage pond or reservoir" → किसी बैराज का जलाशय या कोई जलाशय; बैराज-जलाशय नहीं) / सजीव भंडारण (live storage)
Diversion channel (of a mine) / diversion weir	मोड़ चैनल (diversion channel; "the garland drains and diversion channels of a mine" → किसी खदान की गारलैंड ड्रेनें और मोड़ चैनल) / डायवर्जन वियर (diversion weir)
Fault (geology) / isotope study	भ्रंश (fault; "connected to the mine water through a fault" → एक भ्रंश (fault) के माध्यम से खदान के पानी से जुड़ी) / समस्थानिक (isotope) अध्ययन — उपकरण का "fault" (fault alarm) दोष
Flowing wells / flowing (artesian) conditions	स्वतः प्रवाही कुएँ (flowing wells; "the flowing wells of the Gondwana areas" → गोंडवाना क्षेत्रों के स्वतः प्रवाही कुएँ) / स्वतः प्रवाही (artesian) स्थितियाँ; CGWB का उद्धृत "occurs under flowing conditions" → "प्रवाही अवस्था में मिलता है"

English	हिन्दी
Curtilage	अहाता (curtilage; "land within the curtilage" → अहाते के भीतर की भूमि; विरासत में मिले नियम 51 का शब्द)
Puddled (paddy land)	मचाई गई (puddled; "puddled paddy land" → मचाई गई धान की भूमि; "bunded and puddled for paddy" → धान के लिए मेड़बंद और मचाई जाती है) — मचाई हुई नहीं
Basic infiltration rate	मूल अंतःस्यंदन दर (basic infiltration rate; double-ring परीक्षण का स्थिर दर)
Report format (T&CP, 2011) / site-inspection form / completion form, completion inspection form (2018) †	**रिपोर्ट-प्रपत्र** ("T&CP's report format of 2011" → T&CP का 2011 का रिपोर्ट-प्रपत्र; "the site-report format" → स्थल रिपोर्ट-प्रपत्र; "report format under s.16" → धारा 16 के अंतर्गत रिपोर्ट-प्रपत्र; "format of the site report" → स्थल रिपोर्ट का प्रपत्र) — रिपोर्ट प्रारूप नहीं (प्रारूप = draft) और फॉर्मेट नहीं (फॉर्मेट केवल आँकड़ों/फाइल का format) / **स्थल-निरीक्षण प्रपत्र** (site-inspection form; "स्थल-निरीक्षण का प्रपत्र" नहीं) / **समापन प्रपत्र** (completion form) / **समापन निरीक्षण प्रपत्र** (completion inspection form) — completion certificate = समापन प्रमाण-पत्र, इसलिए पूर्णता नहीं (पूर्णता जाँच केवल खंड 10.7.1 की completeness check)
Seonath with its variant in brackets †	शिवनाथ (Seonath; Shivnath) — जहाँ अंग्रेजी "Seonath (Shivnath)" लिखती है, कोष्ठक में अर्धविराम (पुराने नाम और वर्तनी-भेद की पंक्ति जैसा); हिन्दी में सदा शिवनाथ
October (and the other months)	अक्तूबर (पूर्व सभी संस्करणों का रूप; अक्टूबर नहीं) — महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर